अध्याय १

इस एक्ट का नाम और इसके प्रचार की अवधि-

दूसरा

दंड अपराधों का जो उस अवधि के भीतर किये जायं-

तीसरा

दंड

चौथा

वह काम जिसको कोई ऐसा मनुष्य करे जिस पर उसका करना अवश्य हो अथवा उस वृतान्त को यथार्थ न समझ लेने से अपने ऊपर उसका करना कानून अनुसार अवश्य जानता हो-

पांचवां

सहायता किसी काम की-

छठा

श्रीमती महारानी की सरकार के साथ युद्ध करना अथवा युद्ध करने का उद्योग करना अथवा युद्ध करने में सहायता देना -

सातवां

बलवा करने में सहायता देना [illegible] किसी सिपाही अथवा जहाज़ी [illegible] को उसके काम में गड़बड़ करने का उद्योग करना -

आठवां

[illegible]

दफ़ा	
	नवाँ
१६१	सर्व सम्बन्धी नौकर जो अपने ओहदे के किसी काम के अर्थ सिवाय क़ानून अनुसार चाकरी के कुछ घूंस की भाँति लें-
	दसवाँ
१७२	सर्व सम्बन्धी नौकर के जारी किये हुए सम्मन अथवा और किसी आज्ञा पत्र जारी होने से बचने के लिये रूपोश होना-
	ग्यारहवाँ
१९१	झूंठी गवाही देना-
	बारहवाँ
२३०	सिक्का-
	तेरहवाँ
२६४	छल छिद्र से काम में लाना तोलने के किसी झूठे बाट या माप में लाना किसी पैमाने को-
	चौदहवाँ
	सर्व सम्बन्धी बाधा-
	पन्द्रहवाँ
२९५	किसी सम्प्रदाय के मत की निन्दा के प्रयोजन से पूजा के किसी स्थान को ध्यान पहुँचाना अथवा अपवित्र करना -
	सोलहवाँ
२९९	घात बधघात-
	सत्तरहवाँ
३७८	चोरी
	अठारहवाँ
४६३	जालसाज़ी-
	उन्नीसवाँ

संक्षेप अध्याय

दफ़ात	
	अध्याय १
१	इस एक्ट का नाम और इसके प्रचार की अवधि-
२	दंड अपराधों का जो उस अवधि के भीतर किये जायं-
३	दंड अपराधों का जो अवधि से बाहर किये जांय परन्तु क़ानून के अनुसार उनके मध्ये तजवीज़ उसी अवधि के भीतर हो सकती हो-
४	दंड उन अपराधों का जो श्रीमती महारानी का कोई नौकर किसी हितकारी दरबार में करे॥
५	किसी क़ानून में इस एक्ट से कुछ न्यूनता न आवेगी-
	अध्याय २
	साधारण अर्थ प्रकाश-
६	लक्षण इस संग्रह में आधीन छूटों के समझे जायंगे-
७	जिस शब्द का संकेत एक बार कर दिया गया है वह इस संग्रह भर में उसी आशय से वरता गया है-
८	लिंग-
९	संख्या-
१०	स्त्री पुरुष-
११	मनुष्य-
१२	सर्व सम्बन्धी-
१३	श्रीमती महारानी-
१४	श्रीमती महारानी के नौकर-
१५	हिन्दुस्थान में अंग्रेज़ी राज्य-

अध्याय ३

सजाओं के बयान में

	ऐसे कि वह किस अपराध का अपराधी है॥
७३	एकान्त वन्धि-
७४	एकान्त वन्धि की अवधि-
७५	दंड उन मनुष्यों को जो एक वेर अपराधी ठहर कर फिर किसी ऐसे अपराध के अपराधी ठहरें जो अध्याय १२ वा १७ के अनुसार सावित हो-

अध्याय ४

साधारण छूट-

७६	वह काम जिस को कोई ऐसा मनुष्य करे जिस पर उसका करना अवश्य हो अथवा जो वृत्तान्त को यथार्थ न समझ लेने से अपने ऊपर उसका करना क़ानून अनुसार अवश्य जानता हो-
७७	काम किसी हाकिम का जबकि वह न्याय करने को बैठा हो-
७८	काम जो किसी अदालत की तजवीज़ आज्ञानुसार किया जाय॥
७९	काम किया हुआ किसी ऐसे मनुष्य का जिस को उसके करने का अधिकार हो अथवा जो वृत्तान्त अशुद्ध समझने से उस काम के करने का अधिकारी अपने को समझता हो॥
८०	नीति पूर्वक काम के करने में दैव योग से कुछ का कुछ होजाना॥
८१	काम जिस से कुछ ज्यान होना अति संभव हो परन्तु कुप्रयोजन के विना दूसरे ज्यान के रोकने के लिये किया गया हो॥
८२	काम सात वरस की अवस्था के बालक का॥
८३	काम सात वरस से ऊपर और बारह वरस से नीचे की अवस्था के बालक का जिस की यथोचित अकल पकी न हो॥
८४	काम सिड़ी मनुष्य का-
८५	काम किसी मनुष्य का जो अपनी इच्छा के विरुद्ध दियेहुए नशे के कारण विचार करने को असमर्थ हो-
८६	जिस अपराध के लिये कोई विशेष ज्ञान अथवा प्रयोजन अवश्य हो उस

	को कदाचित कोई मनुष्य नशे की अवस्थामें करे॥
८७	काम जो विना प्रयोजन अथवा विना जाने इस बात के कि इस से किसी मनुष्य को मृत्यु अथवा भारी दुःख होना अतिसंभवत है उसी मनुष्य की राज़ी से किया जाय॥
८८	काम जो मृत्यु करने के प्रयोजन विना शुद्ध भाव से किसी मनुष्य की राज़ी से उसके भले के लिये कियाजाय॥
८९	काम जो शुद्ध भाव से किसी बालक अथवा सिड़ी मनुष्य के भले केलिये उस के रक्षक की ओर से अथवा राज़ी से कियाजाय-
९०	राज़ी जो जान लीजाय कि भय अथवा धोखे से दीगई॥
तथा	राज़ी किसी बालक अथवा सिड़ी मनुष्य की॥
९१	काम जो इस बात को छोड़कर भी कि राज़ी देनेवाले मनुष्य को उस से ज़्यान पहुंचा आपही अपराध हो दफ़ा ८७ व ८८ व ८९ की छूटों में गिनती न होंगे-
९२	काम जो शुद्ध भाव से किसी मनुष्य के भले के लिये विना राज़ी के कियाजाय-
तथा	नियम-
९३	शुद्ध भाव से कुछ कह देना-
९४	काम जिसको करने के लिये कोई मनुष्य धमकी के द्वारा बेबस किया जाय-
९५	कोई काम जिससे कुछ तुच्छ ज़्यान हो-
९६	कोई काम जो निज रक्षा के लिये किया जाय अपराध न होगा-
९७	तन और धन की रक्षा का अधिकार-
९८	निज रक्षा का अधिकार किसी इत्यादि मनुष्यों के काम से-
९९	जिन कामों के रोकने के लिये निज रक्षा का अधिकार न होगा-
तथा	इस अधिकार के वर्तने की अवधि-
१००	तन की निज रक्षा का अधिकार मृत्यु करने तक कब हो सकेगा-

१०१	यह अधिकार मृत्यु को छोड़ कर दूसरा कोई ज्यान पहुंचाने तक कब हो सकेगा-
१०२	तन की निज रक्षा का आदि अंत-
१०३	धन की निज रक्षा का अधिकार मृत्यु करने तक कब हो सकेगा-
१०४	यह अधिकार मृत्यु को छोड़ दूसरा कोई ज्यान कर देने तक कब हो सकेगा-
१०५	धन की निज रक्षा का आदि अंत-
१०६	निज रक्षा का मृत्यु कारक उठैया रोकने को उस अवस्था में जब किसी बिन अपराधी मनुष्य को ज्यान पहुंचाने की जोखिम हो-

अध्याय ५

सहायता के ब्यान में

१०७	सहायता किसी काम की-
१०८	सहाई-
१०९	दंड सहायता का कदाचित वह काम जिस की सहायता हुई उसी सहायता के कारण किया गया हो और उस के दंड का कोई स्पष्ट लेखन हो-
११०	दंड सहायता का कदाचित सहायता पाने वाला मनुष्य अपराध के काम को सहायता करने वाले के प्रयोजन के सिवाय किसी और के प्रयोजन से करे-
१११	दंड सहायता करने वाले को जबकि एक काम में सहायता पहुंचाई जाय और उससे भिन्न दूसरा कोई काम हो जाय-
११२	सहाई कब इस योग्य होगा कि जिस काम में उसने की और जो काम किया गया दोनों दंड पावें-
११३	दंड सहाई को उस परिणाम के बदले जो उस के प्रयोजन किये हुए से वाहर हो-
११४	मौजूद होना सहाई का अपराध होने के समय-

	का उद्योग करना अथवा युद्ध करने में सहायता देना-
१२१अ	श्री मती महारानी को वे दख़ल करने या गवर्नमेन्ट को तकलीफ़ करने की साज़िश करना-
१२२	श्री मती महारानी के दरबार के साथ युद्ध करने के प्रयोजन से हथियार इत्यादि इकट्ठ करना-
१२३	सुगमता के प्रयोजन से युद्ध के उद्योग को छुपाना-
	उठैया करना गवर्नर जनरल अथवा लेफ्टनेन्ट गवर्नर इत्यादि पर किसी नीति पूर्वक को दबाकर वर्तवाने अथवा वर्तने के प्रयोजन से रोक देना-
१२४अ	ख़्यालात बद ख़्वाही का पैदा करना-
१२५	युद्ध करना किसी दरबार के साथ जो महाद्वीप एशिया में श्री मती महारानी का हितकारी हो-
१२६	लूट मार करना किसी ऐसे अधिपति के राज्य में जो श्री मती महारानी के दरबार के साथ संधि रखता हो-
१२७	रख लेना ऐसे माल का जो दफ़ा १२५ व १२६ में बयान किये हुए युद्ध अथवा लूट मार के द्वारा प्राप्त हुआ हो-
१२८	सर्व सम्बन्धी नोकर जो जान बूझ कर किसी राज्य विरोधी अपराध के क़ैदी को अथवा युद्ध के क़ैदी को अपनी चौकसी में से भाग जाने दे-
१२९	सर्व सम्बन्धी नोकर जो असावधानी से राज्य विरोधी अथवा क़ैदी को भाग जाने दे-
१३०	ऐसे क़ैदी के भागने में सहायता अथवा छुड़ा लेना अथवा आश्रय देना-

अध्याय ७

जंगी अथवा जहाज़ी सेवा संबंधी अपराधों के विषय में

१३१	बग़ावत में सहायता देना अथवा किसी सिपाही अथवा जहाज़ी केवट को उसके काम में बहकाने का उद्योग करना-
१३२	सहायता करना बग़ावत में जबकि वह बग़ावत उसी सहायता के कारण होजाय-
१३३	सहायता देना किसी उदैया में जो कोई सिपाही अथवा केवट अपने ऊपर के अफ़सर पर जबकि अपने ओहदे का काम भुगताता हो करे-
१३४	सहायता ऐसे उदैये में कदाचित वह उदैया होजाय-
१३५	सहायता देना किसी सिपाही अथवा केवट के भागने में॥
१३६	नौकरी के भागे हुए को आश्रय देना-
१३७	नौकरी से भागे हुए मनुष्य को किसी सौदागरी जहाज़ में उसके नाथ पति की ग़फ़लत से छुपाया जाय॥
१३८	किसी सिपाही अथवा केवट को आज्ञा भंग के काम में सहायता देना-
१३९	जो मनुष्य जंगी क़ानून के आधीन हैं इस संग्रह के अनुसार दंड दिये जाने के योग्य न होंगे॥
१४०	सिपाहियाना लिबास पहिरना या सिपाहियाना लिबास लिये फिरना

अध्याय ८

सर्व सम्बन्धी कुशलता में विघ्न डालनेवाले अपराधों के विषय में

१४१	अनीति जमाउ-
१४२	साझी होना किसी अनीति जमाउ में-
१४३	दंड-
१४४	साझी होना किसी अनीति जमाउ में कोई मृत्यु कारक हथियार बांधकर-
१४५	मिलना अथवा बना रहना किसी अनीति जमाउ में यह बात जानबूझ कर कि उसके फैल फूट होने के लिये आज्ञा हो चुकी हो-
१४६	बल जो साझियों के मतलब के लिये एक साझी की ओर से बर्ता जाय-

अध्याय ९

अपराध जो सर्व सम्बन्धी नौकरों की ओर से
किये जायं अथवा जो उन से संबंध रक्खें -

१६१ सर्व सम्बन्धी नौकर जो अपने ओहदे के किसी काम के मध्ये सिव
य कानून अनुसार चाकरी के कुछ घूंस की भांति ले -

१६२ लेना घूंस का किसी सर्व सम्बंधी को अथवा क़ानून विरुद्ध उपाय से फु
सलाने के निमित्त -

१६३ लेना घूँस का किसी संबंधी नौकर को निज सिपारस करने के लिये
ऊपर वर्णन किये हुए अपराधों में से सर्व सम्बन्धी नौकर की ओर
से सहायता होने के लिये दंड -

१६४ दंड उस सर्व सम्बधी नौकर का जिस का वर्णन दफ़ा १६२ व १६३ में
किया गया है -

१६५ सर्व सम्बन्धी नौकर जो कुछ मोलदार वस्तु विना बदला दिये कि
सी मनुष्य से ले जिसका कुछ स्वार्थ उस सर्व सम्बन्धी नौकर के
लिये हुए किसी मुक़द्दमे अथवा काम में हो ॥

१६६ सर्व सम्बन्धी नौकर जो किसी मनुष्य को हानि पहुंचाने के प्रयो
जन से क़ानून की आज्ञा को उल्लंघन करे -

१६७ सर्व सम्बन्धी नौकर जो हानि पहुंचाने के प्रयोजन से कुछ अशुद्ध
लिखत न बनावे -

१६८ सर्व सम्बन्धी नौकर जो कानून की आज्ञा के विरुद्ध व्यौपार करे

१६९ सर्व सम्बन्धी नौकर जो कानून की आज्ञा के विरुद्ध कुछ वस्तु मो
ल ले या मोल लेने के लिये बोली बोले -

१७० सर्व सम्बन्धी नौकर का मिस करना -

१७१ सर्व सम्बन्धी नौकर की वरदी पहरना अथवा चिन्ह रखना छ
छिद्र के प्रयोजन से -

अध्याय १०

सर्व सम्बन्धी नोकरों के नीति पूर्वक अधिकार का अपमान करने के विषय में -

१७२	सर्व सम्बन्धी नोकर के जारी किये सम्मन अथवा और किसी आज्ञापत्र जारी होने से बचने के लिये रूपोश होना-
१७३	रोकना किसी सम्मन अथवा और प्रकार के हुकम नामे के जारी होने अथवा प्रगट किये जाने से ॥
१७४	सर्व सम्बन्धी नोकर के आज्ञा के अनुसार हाज़िर होने में चूकना -
१७५	किसी सम्बन्धी के सामने कोई लिखतम करने से चूकना किसी ऐसे मनुष्य का जिस पर उस लिखतम का पेश करना अवश्य हो-
१७६	किसी सर्व सम्बन्धी नोकर को इत्तलाय देने अथवा खबर पहुंचाने से चूकना किसी ऐसे मनुष्य का जिस पर उस इत्तलाय अथवा खबर का पहुंचाना क़ानून अनुसार अवश्य हो -
१७७	झूठी खबर देना-
१७८	सौगन्द करने से मुकरना उस समय जब कि कोई सर्व सम्बन्धी नोकर सौगंद करने की आज्ञा दे -
१७९	उत्तर न देना किसी ऐसे सर्व सम्बन्धी नोकर के प्रश्न का जिस को प्रश्न करने का अधिकार हो-
१८०	इज़हार पर दस्तख़त करने से इनकार करना-
१८१	सौगंद कर के झूठे इज़हार देना किसी सर्व सम्बन्धी नोकर अथवा उस मनुष्य के सामने जो क़ानून अनुसार सौगन्द करने का अधिकारी हो -
१८२	झूठी खबर देना इस प्रयोजन से कि कोई सर्व सम्बन्धी नोकर अपना क़ानून अनुसार अधिकार काम में लावे और उस से दूसरे मनुष्य को हानि

	पहुंचे -
१८३	सासना करना किसी ऐसी वस्तु के लिये जाने में जोकिसी सर्वसम्बन्धी
	की नीति पूर्वक आज्ञासे लीजाय॥
१८४	रोकना किसी वस्तु के नीलामका जो किसी सर्व सम्बधी नौकर की नी
	क आज्ञा से नीलामपर चढ़ी हो -
१८५	क़ानून विरुद्ध मोल लेना किसी वस्तु का अथवा मोल लेने के लिये बो
	लना जो किसी सर्व सम्बन्धी नौकर की नीति पूर्वक आज्ञा से नील
	दी हो -
१८६	रोकना किसी सर्व सम्बंधी नौकरका जो अपनी नौकरी का काम
	हो -
१८७	किसी सर्व सम्बन्धी नौकर को सहायता देने में चूकना उस अवस
	व कि सहायता देना क़ानून अनुसार अवश्यहो -
१८८	न मानना किसी आज्ञा को जो किसी सर्व सम्बन्धी नौकरने यथोनि
१८९	सर्वसम्बन्धी नौकरको हानि पहुंचाने की धमकी देना -
१९०	हानि पहुंचाने की धमकी इसलिये कि कोई मनुष्य किसी सर्व सम्बन
	र से रक्षा मांगने से रुक जाय -
	अध्याय ११ झूठी गवाही और सर्व सम्बन्धी न्याय में विघ्न डालनेवाले अपराधों के विषय में -
१९१	झूंठी गवाही देना -
१९२	झूंठी गवाही बनाना -
१९३	झूंठी गवाही देनेका दंड -
१९४	झूंठी गवाही देना अथवा झूंठा सबूत बनाना किसी पर ऐसा अपराध
	करने के लिये जिसका दंड वध हो -
तथा	कदाचित निरअपराधी मनुष्य को उस गवाही अथवा सबूत के कारण

	साबित होकर दंड बध का हो जाय-
१९५	झूठी गवाही देना अथवा झूठ सबूत बनाना इस प्रयोजन से कि किसी पर ऐसा अपराध साबित हो जिसका दंड देश निकाला अथवा क़ैद हो-
१९६	काम में लाना ऐसे सबूत का जो जान लिया गया हो कि झूठा है-
१९७	जारी करना अथवा दस्तख़त लिखना झूठी सारटीफ़िकट पर-
१९८	काम में लाना सच्चे सारटीफ़िकट की भांति किसी सारटीफ़िकट का जो मुख्य बात में झूठ जान लिया गया हो-
१९९	झूठ बर्णन किसी ऐसे इज़हार में जो क़ानून अनुसार सबूत की भांति लिया जा सकता हो -
२००	काम में लाना सच्चे की भांति ऐसे किसी इज़हार को जो जान लिया गया हो कि झूठा है-
२०१	अपराधी के बचाने के लिये लोप कर देना अपराध के सबूत को अथवा देना झूठी ख़बर का॥
तथा	कदाचित अपराध बध के दंड योग्य हो॥
तथा	कदाचित देश निकाले के दंड योग हो-
तथा	कदाचित बरस से कमती म्याद की क़ैद के दंड योग्य हो॥
२०२	जान बूझ कर किसी अपराध की ख़बर देने से चूकना किसी मनुष्य का जिस पर ख़बर देना अवश्य हो॥
२०३	देना झूठी ख़बर का किसी अपराध के जो हो गया हो-
२०४	नष्ट कर देना किसी लिखतम का इसलिये कि वह सबूत में पेश न हो सके॥
२०५	किसी मुक़द्दमे में कुछ काम अथवा कारर वाई करने के लिये दूसरे मनुष्य का रूप धरना-
२०६	कुछ कल छिद्र से उठा ले जाना अथवा छुपा देना किसी वस्तु का इस प्रयोजन से कि ज़प्ती में अथवा इजराय डिगरी में उसका लिया जाना रुक जाय-

२०८	छल छिद्र अपने ऊपर लेना किसी डिगरी का जिसका रुपया वाजिबी न हो-
२०९	अदालत में झूठा दावा॥
२१०	छल छिद्र से प्राप्ती करनी कोई डिगरी जिसका रुपया वाजिबी न हो-
२११	हानि पहुंचाने के प्रयोजन से झूठ मूठ अपराध लगाना॥
२१२	आश्रय देना किसी अपराधी को॥
तथा	कदाचित अपराध वध के दंड योग्य हो॥
तथा	कदाचित अपराध जन्म भर के देश निकाले अथवा क़ैद के दंड योग्य हो-
२१३	किसी अपराधी को दंड के बचाने के बचाने के बदले इनाम इत्यादि लेना-
तथा	कदाचित अपराध वध के दंड योग्य हो॥
तथा	कदाचित अपराध जन्म भर के देश निकाले अथवा क़ैद के योग्य हो॥
२१४	अपराधी को दंड से बचाने के बदले इनाम देना या कुछ वस्तु फेर देना
तथा	कदाचित अपराध वध के दंड योग्य हो-
तथा	कदाचित जन्म भर के देश निकाले अथवा क़ैद के दंड योग्य हो-
२१५	इनाम लेना चोरी इत्यादि का माल निकालने में सहायता देने के बदले-
२१६	आश्रय देना किसी अपराधी को जो बंध से भाग गया हो अथवा जिसके पकड़े जाने की आज्ञा हो चुकी हो-
तथा	कदाचित अपराध वध के दंड के योग्य हो॥
तथा	कदाचित अपराध जन्म भर के देश निकाले अथवा क़ैद योग्य हो-
२१७	सर्व सम्बन्धी नौकर जो किसी मनुष्य को दंड से अथवा किसी माल को ज़ब्ती से बचाने के प्रयोजन से किसी नीति पूर्वक आज्ञा को न माने॥
२१८	सर्व सम्बन्धी जो किसी मनुष्य को दंड से अथवा माल को ज़ब्ती से बचाने के प्रयोजन से कोई लिखतम अशुद्ध बनावे या लिखे॥
२१९	सर्व संबंधी नौकर जो किसी कुप्रयोजन से किसी न्याय सम्बन्धी कारर्वाई में

	कोई ऐसी आज्ञा अथवा रिपोर्ट इत्यादि करे जिसको वह जानता हो कि क़ानून विरुद्ध है ॥
२२०	जो कोई मनुष्य अधिकार पाकर किसी मनुष्य को बंध में रक्खे अथवा तज्ज़ीज़ के लिये ऊपर के हाकिम को सौंपे यह जान बूझ कर कि मैं क़ानून के विरुद्ध करता हों ॥
२२१	जिस सर्व सम्बन्धी पर किसी को पकड़ना क़ानून अनुसार अवश्य हो उसकी ओर से पकड़ने में जान बूझ कर चूक हो-
२२२	जिस सर्व सम्बन्धी नोकर पर पकड़ना किसी मनुष्य को जिस पर दंड की आज्ञा किसी अदालत से हो चुकी हो क़ानून अनुसार अवश्य हो उसकी ओर से पकड़ने में जान बूझ कर चूक होनी-
२२३	जो सर्व सम्बन्धी नोकर अपनी असावधानी से किसी को बंधि से भाग जाने दे
२२४	अपने नीति पूर्वक पकड़े जाने में किसी की ओर से सामना अथवा रोक- होनी-
२२५	किसी दूसरे मनुष्य के नीति पूर्वक पकड़े जाने में सामना अथवा रोक- करना-
२२६	अनीति रीति से देश निकाले से लोट आना-
२२७	दंड की माफ़ी के क़ौल क़रार को तोड़ना-
२२८	जान बूझ कर अपमान करना किसी सर्व सम्बन्धी नोकर का अथवा विघ्न डालना उसके काम में जब कि वह किसी न्याय के मामले को किसी अवस्था में उपस्थित हो-
२२९	झूठा मिस करके पंच अथवा असेसर बनना-

अध्याय १२

१ सिक्कों या गवर्नमेन्ट के स्टांप सम्बन्धी अपराधों के विषय में

२३०	सिक्का-

२४७	छलछिद्र से श्री मती महारानी के सिक्के की तोल घटाना अथवा धातु का बदलना-
२४८	रूप बदलना किसी सिक्के का इस प्रयोजन से कि दूसरे प्रकार सिक्के की भांति चलाया जाय-
२४९	रूप बदलना श्री मती महारानी के सिक्के का इस प्रयोजन से कि दूसरे प्रकार के सिक्के की भांति चलाया जाय-
२५०	देना दूसरे को कोई सिक्का जो पास आने के समय जान लिया गया हो कि बदला हुआ है-
२५१	देना किसी मनुष्य को श्री मती महारानी का कोई सिक्का जो पास आने के समय जान लिया गया हो कि बदला हुआ है-
२५२	होना बदले हुए सिक्के का किसी मनुष्य के पास जिसने अपने आने के समय उसे जान लिया हो कि बदला हुआ है-
२५३	होना श्री मती महारानी के बदले हुए सिक्के का किसी मनुष्य के पास जिसने अपने पास आने के समय जान लिया हो कि बदला हुआ है॥
२५४	खरे सिक्के की भांति देना किसी मनुष्य को ऐसा सिक्का जिसको देने वाले ने अपने पास आने के समय बदला हुआ न जाना हो-
२५५	गवर्नमेन्ट का स्टाम्प खोटा बनाना-
२५६	गवर्नमेन्ट का खोटा स्टाम्प बनाने के लिये औज़ार अथवा सामान पास रखना-
२५७	बनाना अथवा बेचना औज़ार का अथवा गवर्नमेन्ट का कोई खोटा स्टाम्प बनाने के निमित्त॰
२५८	गवर्नमेन्ट का खोटा स्टाम्प बेचना-
२५९	गवर्नमेन्ट का खोटा स्टाम्प पास रखना-
२६०	सच्चे स्टाम्प की भांति काम में लाना गवर्नमेन्ट के किसी स्टाम्प को जाना गया हो कि झूठा है॥

२६१	गवर्नमेन्टका नुक़सान करने के प्रयोजनसे मिटाना किसी लेख को किसी वस्तु से जिस पर गवर्नमेन्ट का कोई स्टाम्प लगा हो अथवा दूरिकरना किसी लिखत में से किसी स्टाम्पको जो उस के लिये लगाया गया हो -
२६२	काम में लाना गवर्नमेन्ट के किसी स्टाम्पको जो जानलिया गया होकि आगे काम में आचुका है ॥
२६३	मिटाना किसी चिन्ह का जिसे जाना जाय कि स्टाम्प काम में आचुका है -

अध्याय १३

नाप तोल सम्बन्धी अपराधोंके विषयमें

२६४	छल छिद्र से काम में लाना तोलने के किसी झूठे औज़ार को -
२६५	छल छिद्र से काम में लाना किसी झूठे बाट अथवा नापको -
२६६	झूठे बाट अथवा नाप पास रखने -
२६७	झूठे बाट अथवा नाप बनाने अथवा बेचने -

अध्याय १४

सर्व सम्बन्धी आरोग्यता अथवा कुशलता और सज्जनता और सुशीलता में विघ्न डालने वाले अपराधों के विषय में

२६८	सर्व सम्बन्धी बाधा -
२६९	असावधानी किसी काम में जिससे फैलना किसी जीव जो उस के रोग का अति संभवित हो -
२७०	दुर्भावका काम जिससे फैलना जीवजोखिम के रोगका अति संभवित हो -
२७१	किसी क्वारनटैन को न मानना -
२७२	खाने अथवा पीने की वस्तु जो बेंचने के लिये हो उसमें मिलावट करना

	शरीर कुशल की जोखिम हो-

अनीति बंधि और अनीति बंधि के विष य में-

३३९	अनीति रोक-
३४०	अनीति बंधि-
३४१	अनीति रोक का दंड-
३४२	अनीति बंधि का दंड-
३४३	तीन दिन अथवा उस से अधिक दिन तक अनीति बंधि में रखना-
३४४	दस दिन अथवा उस को अधिक दिन तक अनीति बंधि में रखना-
३४५	अनीति बंधि में रखना ऐसे मनुष्य को जिस के छोड़ देने के लिये पर वाना जारी हो चुका हो चुका हो-
३४६	अनीति बंधि में गुप्त रखना-
३४७	दबा कर माल ले लेने अथवा कोई अनीति काम दबाकर कराने के प्रयोजन से अनीति बंधि-
३४८	दबा कर इकरार कराने अथवा दबाकर माल फिर आने के लिये बंधि-

अनीति बल और उठैया

३४९	बल-
३५०	अनीति बल-
३५१	उठैया
३५२	दंड अनीति बल का सिवाय इसके कि भारी क्रोध दिलाने वालों के काम के कारण किया जाय
३५३	किसी सर्व संबंधी नौकर के साथ अनीति बल करना इस लिये कि वह अप ने ओहदे का काम भुगताने से रुक जाय-
३५४	किसी स्त्री पर उस की लज्जा बिगाड़ने के प्रयोजन से उठैया अथवा अनीति बल करना-
३५५	किसी मनुष्य को बेइज्ज़त करने के प्रयोजन से उठैया अथवा अनीति बल करना सिवाय इसके कि उस मनुष्य के क्रोध दिलाने के कारण किया जाय-
३५६	कुछ वस्तु जिसे कोई मनुष्य लिये जाता हो छीन लेने का उद्योग करने में उ ठैया अथवा अनीति बल करना-

ज़बरदस्ती पकड़ लेजाने और बहका लेजाने और गुलामी में रखने और बेगार कराने के विषय में

बल सहित व्यभिचार

स्वभाव विरुद्ध अपराध

अध्याय १७

धन सम्बन्धी अपराधों के विषय में -

चोरी का वर्णन

दबाकर लेने के विषय में

दंड योग्य विस्वास घात

चोरी का माल लेने

छल छिद्र की लिखतम और छल छिद्र से माल अलग करने के विषय में

४२२	अपना कोई तगादा अथवा अपने व्योहारों को मिलने से वेधर्मी करके रोकना अथवा छुपाना-
४२३	विधर्मी से लिखना या देनामे इत्यादि लिखतम का जिसमें मोल की तादाद झूठी लिखी हो-
४२४	माल को वेधर्मी से अलग करना या छुपाना-

नुकसान रसानी के व्यान में

४२५	उत्पात-
४२६	उत्पात करने का दंड-
४२७	उत्पात करना और उसके द्वारा पचास रुपये का नुकसान पहुंचाना-
४२८	दस रुपये के मोल के किसी पशु को मार कर अथवा अंग तोड़ कर उत्पात करना-
४२९	किसी घोड़े इत्यादि को अथवा पचास रुपये के मोल के किसी पशु को मार कर अथवा अंग तोड़ कर उत्पात करना-
४३०	खेती के काम इत्यादि के लिये पानी घटाकर उत्पात करना-
४३१	सर्व सम्बन्धी पुल अथवा सड़क अथवा नाव की हानि पहुंचाकर उत्पात करना-
४३२	महल्ला करके अथवा पानी का निकास रोककर जिस में नुकसान हो उत्पात करना-
४३३	प्रकाशग्रह को अथवा समुद्र के चिन्ह को मिटाकर अथवा हटाकर उत्पात करना-
४३४	धरती के ठीहे को जो सर्व सम्बन्धी अधिकारी की आज्ञा से बांधा गया हो मिटाने अथवा हटाने इत्यादि के द्वारा उत्पात करना-
४३५	आग से अथवा आग की भांति उड़ने वाली किसी वस्तु से सौ रुपये नुकसान करने के प्रयोजन से उत्पात करना-

४३६	आग से अथवा आग की भांति उड़ने वाली किसी वस्तु से मकान इत्यादि को नुक़सान करने के प्रयोजन से उत्पात करना-
४३७	पटी हुई नाव अथवा बीस टन अर्थात् पौनसो मन बोझ लेजाने वाली नाव को तबाह करने अथवा जोखिम में डालने के प्रयोजन से उत्पात करना-
४३८	पिछली दफ़ा में वर्णन किये हुए उत्पात का दंड जबकि वह उत्पात आग के द्वारा अथवा आग की भांति उड़ने वाली किसी वस्तु के द्वारा कियाजाय॥
४३९	टकराना नाव को किनारे पर चोरी इत्यादि के प्रयोजन से-
४४०	मृत्यु अथवा दुख करने का सामान करके उत्पात करना-

दंडयोग्य मुदाख़िलत बेजा के विषे में

४४१	दंडयोग्य मुदाख़िलत बेजा
४४२	मकान की मुदाख़िलत बेजा-
४४३	मकान की मुदाख़िलत बेजा की घात लगानी-
४४४	रात के समय मुदाख़िलत बेजा की घात लगानी-
४४५	घर फोड़ना-
४४६	रात में घर फोड़ना-
४४७	दंड योग्य मुदाख़िलत बेजा का दंड-
४४८	मकान की मुदाख़िलत बेजा का दंड-
४४९	कोई ऐसा अपराध करने के लिये जिस का दंड वध हो मकान की मुदाख़िलत बेजा करनी-
४५०	जन्म भर के देश निकाले के दंड योग्य कोई अपराध करने के लिये मकान की मुदाख़िलत बेजा करनी-
४५१	क़ैद के दंड योग्य कोई अपराध करने के लिये मकान की मुदाख़ि

	लत वेजा करनी॥
४५२	किसी मनुष्य को दुख पहुंचाने का सामान करके मकान की मुदाखलत वेजा करनी॥
४५३	मकान की मुदाखलत वेजा की घात लगाने अथवा घर फोड़ने का दंड-
४५४	क़ैद के दंड योग्य कोई अपराध करने के लिये मकान की मुदाखलत वेजा की घात लगाना अथवा घर फोड़ना-
४५५	किसी मनुष्य को दुख पहुंचाने का सामान करके मकान की मुदाखलत वेजा की घात लगानी अथवा घर फोड़ना-
४५६	रात के समय मुदाखलत वेजा की घात लगाना अथवा घर फोड़ना-
४५७	कैद के दंड योग्य कोई अपराध करने के लिये रात के समय मकान की मुदाखलत वेजा की घात लगाना अथवा घर फोड़ना-
४५८	किसी मनुष्य को दुख पहुंचाने का सामान करके मकान की मुदाखलत वेजा की घात रात के समय लगाना अथवा घर फोड़ना-
४५९	मकान की मुदाखलत वेजा की घात लगाने अथवा घर फोड़ने में भारी दुख पहुंचाना-
४६०	सब मनुष्य जो मकान की मुदाखलत वेजा इत्यादि करने में साझी हों किसी मृत्यु अथवा भारी दुख के वदले जो उन में से किसी एक ने किया हो दंड के योग्य होंगे-
४६१	वेधर्मई से किसी वंद मकान को जिस में माल भरा हो अथवा भरा होने का अनुमान हो तोड़ना-
४६२	दंड उसी अपराध का जब कि उसका करने वाला हो जिस को माल की चौकसी सोंपी गई हो-

अध्याय १८

उन अपराधों के विषय में जो लिखतमों और व्योपार के अथवा माल के चिन्हों से संबंध रखते हों -

	पासरखना किसी वस्तु को जिसपर झूठा चिन्ह लगा हो-
४७६	जान साजी से बनाना किसी चिन्ह अथवा निशान का जो दफ़ा ४६७ में कही हुई लिखतमों को जो छोड़ कर और प्रकार की लिखतमों की सचाई के लिये काम आता हो या पास रखना किसी वस्तु को जिसपर झूठा चिन्ह लगा हो-
४७७	छल छिद्र से किसी वसीयतनामे को बिगाड़ना अथवा नष्ट करना इत्यादि

व्योपार और माल के चिन्हों के विषय में

४७८	व्योपार का चिन्ह-
४७९	माल का चिन्ह-
४८०	व्योपार का झूठा चिन्ह काममें लाना-
४८१	माल का झूठा चिन्ह काम में लाना-
४८२	किसी मनुष्य को धोखा देने या ज्यान पहुंचाने के प्रयोजन से व्योपार अथवा माल का झूठा चिन्ह काम में लाने का दंड-
४८३	नुकसान अथवा हानि पहुंचाने के प्रयोजन से व्योपार अथवा माल का कोई ऐसा चिन्ह जिसको और कोई काम में लाते हो झूठा बनाना-
४८४	माल का कोई ऐसा चिन्ह जिसको कोई सर्व संबंधी नोकर काम में लाता हो अथवा ऐसा चिन्ह जिसको किसी माल का तैयार होना और गुण इत्यादि प्रगट करने के लिये काम में लाता हो झूठा बनाना-
४८५	छलछिद्र बनाना या पास रखना किसी ठप्पे या चपरास अथवा औज़ार का इसलिये कि कोई चिन्ह माल का अथवा व्योपार का चाहे सर्व सम्बन्धी हो चाहे निज का झूठा बनाया जाय-
४८६	जानमान कर वेचना किसी माल का जिस पर व्योपार अथवा माल का झूठा चिन्ह लगा हो-
४८७	छल छिद्र से किसी विदरी अथवा माल भरी हुई वस्तु पर झूठा चिन्ह लगाना-

अध्याय १९

नौकरी का क़ौल करार दंडयोग्य रीति से तोड़ने के विषय में

अध्याय २०

विवाह सम्बन्धी अपराधों के विषय में

अध्याय २१

अपयश लगाने के विषय में-

४९९	अपयश लगाना-
तथा	लगाना किसी सच्ची वातको जोसवके भलेकेलिये लगाई जानी अथवा प्रगटकी जानीउचित हो-
तथा	सर्व सम्वन्धी नौकरका सर्व सम्वंधी चलन-
तथा	किसी मनुष्यका चलन किसीसर्व सम्वन्धी वातके मध्ये-
तथा	अदालतकी काररवाई की खवर छाप कर प्रगट करनी-
तथा	अदालतमें विगड़ेज़ए किसी मुक़द्दमे की अवस्था अथवा उस मुक़द्दमे के गवाहों इत्यादि-
तथा	किसी सर्व सम्वन्धी कामकी व्यवस्था-
तथा	शिक्षा दोष जो शुद्ध भाव से कोई ऐसा मनुष्य दे जिस को क़ानूनन् औरी तिसे दूसरे पर अधिकार प्राप्त हो-
तथा	नालिश करना शुद्ध भाव से किसी मनुष्य के सामने जिस को यथार्थ अधिकार उस के सुनने का हो-
तथा	अपने स्वार्थ के लिये रक्षा अथवा सद के भले को किसी मनुष्यको शुद्ध भावसे कुछ वात लगानी-
तथा	सावधानी को वात जोउस मनुष्य के भले के लिये हो जिस से वह कही गई हो अथवा सव के भले के लियेहो-
५००	अपयश लगाने का दंड-
५०१	छापना अथवा खोद कर लिखना किसी वात का यह जान कर किये हु अपयश लगानेवाली है-
५०२	वेचना किसी छपीज़ई अथवा खुदीज़ई वस्तु का जिसमें अपयशवाली वात हो-

अध्याय २२
दंड योग्य धमकी और अपमान और छेड़ने के विषय में

अध्याय २३

श्रीगणेशायनमः

हिन्दुस्तान का दंड सङ्ग्रह

अर्थात्

ऐक्ट नम्बर ४५ सन् १८६० ई.

अध्याय १

जो कि उचित है कि हिन्दुस्तान में सब अंग्रेजी राज्य भर

भूमिका

के लिये एकही दंड संग्रह बनाया जाय इसलिये आज्ञा हुई कि -

दफ़ा-१- इस ऐक्ट का नाम हिन्दुस्तान का दंड संग्रह रक्खा

इस एक्ट का नाम और इस के प्रचार की अवधि

जाय और उन देशों में प्रचलित हो जो श्रीमती महारानी को अपने राज्य के २१ व २२ वें सम्वत् के क़ानून के अध्याय १०६ के अनुसार जिस का प्रचार हिन्दुस्तान का राज्य प्रबन्ध सुधारने के लिये हुआ था अब प्राप्त है अथवा आगे प्राप्त हो

दफ़ा २- हर एक मनुष्य जो उक्त देशों में ऐसे काम अ

दंड उन अपराधों का जो उक्त देशों के भीतर किये जायं -

थवा चूक का अपराधी हो जो इस संग्रह के विरुद्ध हो वह इसी संग्रह के लेख के अनुसार दंड के योग्य होगा न किसी दूसरे क़ानून के -

दफ़ा ३- कोई मनुष्य जिस के मध्ये हिन्दुस्तान कौंसि

दंड अपराधों का जो ऊपर कहे हुए देशों में बाहर किये जायं परन्तु

लस्थ श्रीमान गवर्नर जनरैल प्रतापी की चलाई हुई किसी

क़ानून अनुसार उन के मलेनज़ीज़ उन देशों के भीतर होसक्ती है-

क़ानून के अनुसार तजवीज़ दंड की उस अपराध के लिये कहे हुए देशों के देशों के बाहर किया जाय होसक्ती है इसी संग्रह के लेखों के अनुसार दंड उस अपराध का जो वह उन्हीं देशों के बाहर करै उसी भांति पावेगा मानो वह अपराध उस ने उन देशों के भीतर किया -

दंड उन अपराधों का जो श्रीमती महारानी का कोई नौकर किसी हितकारी दरबार के राज में करै -

दफ़ा ४- हर एक नौकर श्रीमती महारानी का इसी संग्रह के अनुसार दंड का भागी होगा जो हर एक काम अथवा चूक का जो वह नौकरी के समय में इस के लेखों के विरुद्ध किसी ऐसे महाराजा अथवा राजा के राज्य में करै जिस की मित्रता श्रीमती महारानी के दरबार के साथ किसी संधिपत्र अथवा लिखतम के द्वारा हो जो अबसे पहले ईस्ट इंडिया कम्पनी के साथ हो चुकी हो अथवा हिन्दुस्तान की किसी गवर्नमेन्ट के साथ श्रीमती महारानी के नाम से लिखी गई हो अथवा आगे लिखी जाय-

किसी क़ानून में इस ऐक्ट से कुछ न्यूनता न आवेगी -

दफ़ा ५- इस ऐक्ट के किसी लेख का प्रयोजन यह नहीं है कि कोई लेख महाराजा विलियम चौथे के राज्य के सम्वत् ३ व ४ की क़ानून के अध्याय ८५ या पार्लीमेन्ट+ की किसी दूसरी क़ानून का जो उक्त क़ानून से पीछे जारी हुई हो और किसी भांति कुछ संबंध ईस्ट इन्डिया कम्पनी से या ऊपर कहे हुए देशों से अथवा उपरोक्त देशों के निवासियों पर प्रतित किया और न किसी ऐसे क़ानून

+ इंगलिस्तान की राजसभा यानी पार्लीमेन्ट

के लेख के मिटाने अथवा बदलने अथवा रोकने अथवा न्यून करने से है जो श्री मती महारानी की अथवा ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सेना के सिपाहियों और अफ़सरों को बाग़ी होने अथवा भाग जाने का दंड देने के लिये अथवा हिन्दुस्तान की जहाज़ी सेना का प्रबंध रखने के लिये जारी हुई हो अथवा दूसरे किसी विशेष काम या विशेष स्थान के लिये चलाई गई हो-

अध्याय २

साधारण अर्थ प्रकाश

दफ़ा ६- इस संग्रह भर में अपराध का हर एक लक्षण और दंड का नियम और उस लक्षण अथवा दंड के नियम का हर एक उदाहरण आधीन उन कूटों के समझा जायगा जो साधारण कूटों के अध्याय में लिखी हैं यद्यपि वे कूट उस लक्षण या दंड के नियम या उदाहरण के साथ फिर वर्णन भी हुई हैं

लक्षण इस संग्रह में आधीन कूटों के समझे जायंगे-

उदाहरण

(अ) इस संग्रह भर में जिन दफ़ों में अपराधों के लक्षण लिखे हैं उन में यद्यपि यह नहीं लिखा कि सात वर्ष से कमती अवस्था के बालक इन अपराधों के भागी न हो सकेंगे फिर भी उन लक्षणों के आधीन उस साधारण कूट के समझना चाहिये जिसमें यह नियम लिखा है कि जो कुछ काम सात वर्ष से कमती अवस्था का कोई बालक करे वह अपराध न गिना जायगा-

(इ) देवदत्त एक पुलिस के नौकर ने विष्णुमित्र को जो अपराधी घात का या विना वारन्ट के पकड़ा तो यहां देवदत्त अनीति बन्धि के अपराध का अपराधी न गिना जायगा क्योंकि क़ानून की आज्ञानुसार विष्णुमित्र का पकड़ना उसपर

अवश्यथा और इसलिये यह अवस्था उस साधारण छूटके आधीन गिनी जायगी जिसमें यह नियम लिखा है कि कानून अनुसार अवश्य है वह अपराध न गिना जायगा -

दफ़ा ७ - हरएक वचन जिसका अर्थ इस संग्रह में कहीं एकबेर संकेत कर दिया गया है इस संग्रह भरमें उसी अर्थ से वर्ता गया है -

जिस शब्द का संकेत एकबार कर दिया गया है वह इस संग्रह भरमें उसी आशय से वर्ता गया है

दफ़ा ८ - संज्ञा प्रतिनिधि वह शब्द है और उसके कारक हर किसी मनुष्य के लिये चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष बरते गये हैं -

लिङ्ग

दफ़ा ९ - जबतक कि प्रसंग में कुछ विरोधन दिखाई देत बतक एकवचन के अर्थ देनेवाले शब्दों में बहुवचन भी समझा जायगा और बहु वचन के अर्थ देने वाले शब्दों में एक वचन भी समझा जायगा -

दफ़ा १० - पुरुष शब्द का संकेत किसी अवस्था के मनुष्य जाति के पुल्लिंग से है और स्त्री शब्द का संकेत किसी अवस्था की स्त्री जाति को स्त्री लिंग से है -

स्त्री वा पुरुष

दफ़ा - ११ - मनुष्य शब्द में हरएक कम्पनी और समाज और समुदाय भी समझा जायगा चाहे सनद पा चुका हो चाहे न पा चुका हो -

मनुष्य

दफ़ा १२ - सर्व सम्बन्धी शब्द इस में सब प्रजा का कोई समुदाय और किसी एक सम्बन्ध के सब लोग भी गिने जायंगे -

सर्वसम्बन्धी

दफ़ा १३ - श्रीमती महारानी इन शब्दों का संकेत ग्रेट ब्रिटन और आयर्लेण्ड के संयुक्त राज्य के अधिपति

श्रीमती महारानी

सेहै जिससमय जो कोई हो-

दफ़ा १४

श्रीमतीमहारानी का नौकर- श्री मती महारानी के नौकर इन शब्दों का सं केत सब अहलकारों अथवा नोकरों सेहै जो श्री मती महारानी विक्टोरिया के राज्य के संवत २१ व २२ की क़ानून के अध्याय १०६ के अनुसार जिसका प्रचार हिन्दुस्तान का राज्य प्रबन्ध सुधारने के लिये हुआ थाया गवर्नमेन्ट हिन्द अथवा और किसी गवर्नमेन्ट की आज्ञा से हिन्दुस्तान में नोकरी पर बले हों अथवा नियतकिये गये हों अथवा काम पर लगाये गये हों-

दफ़ा १५- हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ी राज्य इन शब्दों का संकेत

हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ीराज्य- उन देशों से है जो श्री मती महारानी को अपने राज्य के संवत २१ व २२ वें की क़ानून के अध्याय १०६ के अनुसार जिसका प्रचार हिन्दुस्तान का राज्य प्रबन्ध सुधारने के लिये हुआ था अब प्राप्त है या आगे प्राप्त हो-

दफ़ा १६- गवर्नमेन्ट हिन्द इन शब्दों का संकेत हिन्दुस्तान के श्री मान गवर्नर जनरेल कौंसिलस्थ से या जब हिन्दुस्तान के श्री मान गवर्नर जनरेल अपनी कौंसल से अलग हों तब कौंसल के सभासदों कौंसिलस्थ से या केवल श्री मान गवर्नर जनरेल से है जैसा जिस का अधिकार क़ानून अनुसार हो-

दफ़ा १७- गवर्नमेन्ट का संकेत उस मनुष्य अथवा मनुष्यों

गवर्नमेन्ट से है जिन को क़ानून अनुसार हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ी राज्य के किसी खंड का राज्य प्रबन्ध बर्तने का अधि

कार हो-

दफ़ा १८- हाता शब्द का संकेत उन देशों से है जो एक ही

हाता हाते की गवर्नमेन्ट के आधीन हो-

दफ़ा १९- हाकिम शब्द का संकेत केवल उसी एक मनुष्य

हाकिम से नहीं है जिस के ओहदे की पदवी जज की हो-

किन्तु हर एक मनुष्य से भी है जिस को क़ानून अनुसार स

म्बंधी कारर वाई में चाहे दीवानी की हो चाहे माल की चा

हे फ़ोजदारी की अधिकार अख़ीर तजवीज करने का अ

थवा ऐसी तजवीज करने का होगा अपील होने की अव

स्था में अमिट गिनी जाय अथवा किसी दूसरे हाकिम

के यहां से बहाल रहने पर अमिट समझी जाय अथवा

उन मनुष्यों के किसी ऐसे समूह में से हो जिस को क़ानून

नुसार ऊपर लिखे प्रकार की तजवीज करने का अधिका

र प्राप्त हो-

उदाहरण

(अ) कोई कलक्टर जब कि ऐक्ट १० सन् १८५९ ई० के अनुसार अधिकार

वर्तता हो हाकिम गिना जायगा-

(इ) कोई मजिस्ट्रेट जब किसी ऐसे मुक़द्दमे में अधिकार वर्तता हो जिस में

वह आज्ञा जुरमाने अथवा क़ैद के दंड की दे सकता हो हाकिम गिना जायगा चा

हे अपील उस की तजवीज की हो सके चाहे न हो सके-

(उ) कोई पंच किसी पंचायत का जो मदराज के क़ानून ७ सन १८१६ ई० के अ

नुसार अधिकार नालिशें सुनने और तजवीज करने का है हाकिम गिना जा

यगा-

(ए) कोई मजिस्ट्रेट जब कि अधिकार किसी ऐसे मुक़द्दमे में वर्तता हो जिस में वह के

वल दूसरी अदालत की सपुर्दगी का इख़्तियार रखता हो-

हाकिम न गिना जायगा -

दफ़ा २०- अदालत शब्द का संकेत उस हाकिम से है जिस को क़ानूनानुसार अकेले आपही अधिकार तजवीज करने का हो अथवा हाकिमों के उस समाज से है जिस के सब हाकिमों को मिलाकर क़ानूनानुसार अधिकार तजवीज करने का हो उस समय जब कि वह हाकिम अथवा हाकिमों का समाज न्याय करने को बैठे -

अदालत

उदाहरण

वह पंचायत जिस को मंदरास के क़ानून ७ सन् १८१६ ई. के अनुसार अधिकार नालिश सुनने और तजवीज का है अदालत गिनी जायगी -

दफ़ा २१- सर्व सम्बन्धी नौकर इन शब्दों का संकेत उस मनुष्य से है जो नीचे लिखे प्रकारों में से किसी में हो - अर्थात -

सर्व संबंधी नौकर*

पहले - हर एक प्रतिज्ञा किया हुआ नौकर श्रीमती महारानी का -

दूसरे - हर एक कमीशनदार अफ़सर श्रीमती महारानी की जंगी अथवा जहाज़ी सेना का जब कि वह गवर्नमेन्ट हिन्द अथवा और किसी गवर्नमेन्ट के आधीन काम करता हो -

तीसरे - हर एक हाकिम -

चौथे - हर एक अहलकार किसी अदालत का जिस का काम उस अहलकारी के द्वारा किसी क़ानून संबंधी बात अथवा वृत्तान्त के मध्ये तहक़ीक़ात करना अथवा रिपोर्ट भेजना अथवा किसी लिखतम का बनाना अथवा तसदीक करना -

* सर्व सम्बन्धी नौकर [illegible] - † ऐक्ट ८ सन् १८७२ ई० के अनुसार संशोधित

अथवा रखना अथवा किसी वस्तु को चोकसीमें लेना या खर्च करना अथवा अदालत की आज्ञा को जारी करना या सौगंद दिलाना अथवा उल्था करना अथवा अदालतमें बन्दोवस्त रखना हो और भी हरएक मनुष्य जिस को इन कामों में से किसी के करने का अधिकार विशेष करके किसी अदालत से मिला हो ॥

पांचवें - हर एक मनुष्य जूरी अर्थात् पंच अथवा असेसर अथवा सभासद किसी ऐसी पंचायत को जो किसी अदालत को अथवा सर्व संबंधी नोकर को सहायता देता हो ॥

छठा - हर एक पंच अथवा कोई मनुष्य जिसको कोई वात अथवा मामला अकेले आप पड़ताल करने अथवा रिपोर्ट लिखने के लिये किसी अदालत ने अथवा दूसरे किसी अधिकारी ने सौंपा हो ॥

सातवां - हर एक मनुष्य जो ऐसा उहदा रखता हो जिस के प्रताप से वह किसी मनुष्य को बन्धि में भेजना अथवा रखने का अधिकारी हो ॥

आठवें - हर गवर्नमेन्ट का अहलकार जिसका काम उस अहलकारी के द्वारा यह हो कि अपराधों का होना रोके और अपराधों की रिपोर्ट करे और अपराधियों को दंड करावे और सर्व सम्बन्धी आरोग्यता और कुशलता और सुगमता की रक्षा रक्खे -

नवें - हर एक अहलकार जिसका काम उस अहलकारी के द्वारा यह हो कि किसी माल को गवर्नमेन्ट की ओर से दूसरे से ले अथवा उगाही ले अथवा चौकसी में रक्खे या खर्च करे या धरती को नापे या भेज लगावे अथवा गवर्नमेन्ट

की ओर से क़ौल क़रार करे अथवा सरिश्ते माल का कोई हुक्मनामा जारी करे अथवा किसी बात जिस में गवर्नमेन्ट का कुछ स्वार्थ रुपये के मध्ये हो तहक़ीक़ात या रिपोर्ट करे या किसी लिखतम को जिस में गवर्नमेन्ट का कुछ स्वार्थ रुपये के मध्ये हो लिखे या तसदीक करे या चौकसी में रक्खे या रुपये के मध्ये गवर्नमेन्ट के किसी स्वार्थ की रक्षा के लिये किसी क़ानून का उल्लंघन होना रोके और हर एक अहलकार जो गवर्नमेन्ट की नौकरी पर हो या गवर्नमेन्ट से तलब पाता हो या जो किसी सर्व सम्बन्धी काम के भुगताने के बदले रसूम या फ़ीस पाता हो॥

दसवें-हर एक अहलकार जिसका काम उस अहलकारी के द्वारा फ़र्ज़ हो कि किसी माल को दूसरे से ले या उगाहे या चौकसी में रक्खे अथवा खर्च करे अथवा धरती को नापे अथवा मेज़ लगावे अथवा किसी गांव या क़सबा अथवा ज़िले के सर्व सम्बन्धी लौकिक काम के लिये बाछ डाले या कर बांधे अथवा किसी गांव अथवा क़सबे अथवा ज़िले के लोगों के अधिकार निश्चय करने के लिये कोई लिखतम लिखे या तसदीक करे या चौकसी में रक्खे-

उदाहरण

म्यूनिसिपल कमिश्नर सर्व सम्बन्धी नौकर गिना जाय

विवेचना १-जो मनुष्य ऊपर कहे हुए प्रकारों में से किसी में हो सर्व संबंधी नौकर गिने जायंगे चाहे गवर्नमेन्ट नौकर रक्खे हो या नहीं

विवेचना २-जहां सर्व सम्बन्धी नौकर शब्द आवे वहां उससे हर एक मनुष्य जो किसी सर्व सम्बन्धी नौकर की जगह पर हो समझा जायगा चाहे उस जगह पर होने के लिये उसके अधिकार में कैसा ही क़ानूनी खोट हो-

दफ़ा २२ - स्थावर धन इन शब्दों का प्रयोजन हर एक प्रका र की मूर्तिमान वस्तु में है सिवाय धरती के और धरती से बंधी हुई वस्तुओं के और ऐसी वस्तुओं के जो धरती से बंधी हुई किसी वस्तु के साथ सदैव को लगी हो -

[स्थावरधन]

दफ़ा २३ - अनीति प्राप्त वह प्राप्त किसी वस्तु की है जिस को अनीति उपाय से कोई ऐसा मनुष्य पावे जो उसके पाने का अधिकारी क़ानूनानुसार न हो॥

[अनीतिप्राप्त]

अनीतिहानि - वह हानि किसी वस्तु की है जो अनीति रीति से किसी ऐसे मनुष्य को हो जाय जिसको क़ानूनानुसार उस वस्तु का अधिकार हो -

[अनीतिहानि]

कोई मनुष्य अनीति प्राप्त करने वाला किसी वस्तु का कहलावेगा जबकि वह मनुष्य अनीति से उस वस्तु को अपने अधिकार में और जबकि वह मनुष्य अनीति से उस वस्तु को पावे और कोई मनुष्य अनीति से खोने वाला किसी वस्तु का कहलावेगा जबकि वह मनुष्य अनीति से उस वस्तु से बेदख़ल करवा जाय और भी जबकि वह मनुष्य अनीति से उस वस्तु से रहित किया जाय -

[अनीति प्राप्त में किसी वस्तु का अनीति से रखलेना भी गिना जायगा -]

[अनीतिहानि में किसी वस्तु से अनीति रीति से बेदख़लकरवाजाना भी गिना जायगा]

दफ़ा २४ - जो कोई मनुष्य जो काम किसी मनुष्य को अनीति प्राप्त कराने अथवा दूसरे मनुष्य को अनीति हानि पहुंचाने के प्रयोजन से करे तो कहलावेगा कि वह काम उसने बेधर्मी से किया -

[बेधर्मी से]

दफ़ा २५ - कोई मनुष्य छलछिद्र से करने वाला किसी काम का कहलावेगा जबकि वह उस काम

[छलछिद्र से]

को छलछिद्र के प्रयोजन से करे परन्तु और किसी भांति नहीं।

दफ़ा २६ - किसी मनुष्य के पास किसी बात के निश्चै मान

निश्चयमानने का हेतु

ने की बात को प्रतीत करने का इच्छा कारण हो परन्तु और किसी भांति नहीं ॥

दफ़ा २७ - जब कुछ वस्तु किसी मनुष्य के गुमाश्ते अथवा

वस्तु जो गुमाश्ते अथवा नौकर के अधिकार में हो -

नौकर के अधिकार में उसी मनुष्य की ओर से हो तो इस संग्रह के अर्थानुसार उसी मनुष्य के अधिकार में गिनी जायगी ॥

विवेचना - कोई मनुष्य जो थोड़े ही दिन के लिये अथवा किसी विशेष काम पर गुमाश्ते अथवा नौकर के अधिकार पर रक्खा जाय वह भी इसी दफ़ा के अर्थ में गुमाश्ता अथवा नौकर गिना जायगा -

दफ़ा २८ - कोई मनुष्य खोटा बनाने वाला कहलावेगा

खोटा बनाना

जब कि वह एक वस्तु को दूसरी बस्तु के सदृश इस प्रयोजन से बनावे कि उस सदृशता के द्वारा धोखा देना अथवा यह बात अतिसम्भावित जान कर कि उस के द्वारा धोखा दिया जायगा -

बिवेचना - १ - खोटा बनाने के लिये यह अवश्य नहीं है कि सदृशता ठीक ही ठीक हो -

विवेचना - २ - जब कोई मनुष्य एक वस्तु दूसरी वस्तु के सदृश बनाये और वह ऐसी हो कि कोई मनुष्य उससे धोखे में आसके तो जब तक कि ख़िलाफ़ इस के साबित न किए जावे यह क़यास करना लाज़िम होगा कि उस मनुष्य के जिसने इस तरह से एक वस्तु में दूसरी वस्तु के सदृशता बनाई यह नियत थी कि बज़रिया इस के धोखा

दे वह या वह मनुष्य जानता था कि असल माल इस का है कि धोखा दिही अमल में आवेगी ॥

दफ़ा २९ - लिखतम शब्द का संकेत किसी अर्थ से है जो

लिखतम किसी वस्तु पर अक्षरों या अंकों या चिन्हों के द्वारा अथवा इन में से दो या तीनों के द्वारा प्रगट या वर्णन किया जाय चाहे इस प्रयोजन से हो कि इस अर्थ के सबूत की भांति काम आवे और चाहे ऐसा हो कि सबूत में काम आसके ॥

नज़ीर - इस नज़ीर में बहस दफ़ा ४६३ व दफ़ा २९ ताज़ीरात हिन्द की है लिहाज़ा नज़ीर बमुक़ाबिला दफ़े ४६३ ताज़ीरात हिन्द के मुन्दरज है सरकार ब नाम सूसीभूषन फ़ैसल: १९ अप्रैल सन् १८९३ ई० सफ़ा २१० जिल्द १५ इलाहाबाद इन्डियन लारिपोर्ट -

विवेचना - १ - इस बात की कुछ विशेषता नहीं है कि सब वस्तु से अथवा किसी वस्तु पर अक्षर या अंक अथवा चिन्ह बनाये जायं और न इस बात की है कि वह सबूत किसी अदालत में काम आने के प्रयोजन से या काम आने के योग्य है या नहीं ॥

उदाहरण

कोई लेख जिस में नियम किसी क़ौलक़रार के प्रगट हों और जो उस क़ौलक़रार के लिये सबूत की भांति काम में आसके लिखतम गिना जायगा -

चिक अर्थात् रुक़ा किसी महाजन अर्थात् कोठी वाले के ऊपर किया जाय लिखतम गिना जायगा -

मुख़्तयार नामा लिखतम गिना जायगा -

नक़शा ज़मीन या नक़शा इमारत जो सबूत की भांति काम में आने के प्रयो

से या काम में आने के योग्य बनाया जाय लिखतम गिना जायगा-

कोई लेख जिसमें शिक्षा अथवा आज्ञा हो लिखतम गिना जायगा-

विवेचना- जो कुछ आशय अक्षरों या अंकों अथवा चिन्हों से सौदागरी के चलन अनुसार या दूसरे किसी व्यवहार में प्रगट होता हो वही इस दफ़ा के अर्थ में उन अक्षरों या अंकों या चिन्हों से प्रगट होना समझा जायगा यद्यपि वह आशय स्पष्ट प्रगट न भी हो-

उदाहरण

देवदत्त ने अपना नाम किसी हुक्म योग्य हुंडी की पीठ पर जिसका रुपया उसको मिल जाय लिख दिया और ऐसे लेख का अर्थ साहूकार के चलन में यह है कि जिस किसी के पास वह हुंडी हो वही उसको पटा सक्ता है तो यह लेख लिखतम समझा जायगा और अर्थ इसका इसी भांति लेयेंगे मानो देवदत्त के दस्तख़त के यह बात लिखी होगी कि हुक्म योग्य हुंडी वह कहलाती है जिसका रुपया मालिक के हुक्म के अनुसार किसी मनुष्य को मिल जाय-

दफ़ा ३०- दस्तावेज़ शब्द का संकेत किसी लिखतम

दस्तावेज़

से है जो लिखतम इस बात की हो या जिसका प्रयोजन यह हो कि उसके द्वारा कोई क़ानूनानुसार अधिकार उत्पन्न हुआ या बढ़ाया गया या या एक से दूसरे को दिया गया या अवोध किया गया अथवा नष्ट किया गया अथवा छोड़ा गया अथवा जिस के द्वारा कोई मनुष्य स्वीकार करे कि मैं फ़लानी क़ानूनानुसार बात के आधीन हूं अथवा मुझको फ़लाने क़ानूनानुसार अधिकार नहीं है ॥

उदाहरण

देवदत्त ने अपना नाम किसी हुंडी की पीठ पर लिखा तो जबकि आशय इस लेख का यह है कि उस हुंडी का अधिकार उसी मनुष्य को दिया गया जो नीति

पूर्वीक धनी उसका बने इसलिये वह लेख साबित गिना जायगा -

दफ़ा ३१ - वसीयतनामा शब्द का संकेत उस लिखत में

वसीयतनामा

से है जो कोई मनुष्य मरने से पहले अपने माल मिल्कियत के बन्दोबस्त के मध्ये लिखे॥

दफ़ा ३२ - इस संग्रह के हर एक भाग में सिवाय उन भागों

करने के कामों संबंधी शब्द क़ानून विरुद्ध चूकों से भी संबंध रक्खेंगे

के जहां लेख से उलटा आशय दिखाई पड़ता हो करने के कामों संबंधी शब्द क़ानून बिरुद्ध चूकों से भी संबंध रक्खेंगे -

दफ़ा ३३ - काम शब्द का संकेत एक काम से भी है और

काम-चूक

अनेक कामों से भी है - और चूक ने का संकेत एक चूक से भी है और अनेक चूकों से भी है -

दफ़ा ३४ - जब कोई अपराध का काम कई मनुष्यों ने किया

कई मनुष्यों में से हर एक मनुष्य उस काम के बदले जो सब ने मिल कर किया हो उसी योग्य होगा मानो केवल उसी ने वह काम किया

हो तो उन मनुष्यों में से हर एक उस काम के लिये उसी योग्य होगा मानो वह काम उसी अकेले ने किया॥

दफ़ा ३५ - जब कभी कोई काम केवल इसी हेतु से अपराध

जब ऐसा कोई काम इसी हेतु से अपराध है कि कुज्ञान अथवा कुप्रयोजन से किया गया -

गिना जाता हो कि कुज्ञान से अथवा कुप्रयोजन से किया गया कई मनुष्यों ने मिल कर किया हो तो उन मनुष्यों में से हर एक मनुष्य जिस ने उस के करने में इस प्रकार के ज्ञान या प्रयोजन से साझा किया उसी योग्य होगा मानो उस अकेले ने वह काम उसी ज्ञान अथवा प्रयोजन से किया॥

दफ़ा ३६-जब किसी परिणाम का कराना या कराने का उद्योग करना चाहे कुछ काम करने से हो चाहे चूकने से अपराध गिना जाता हो तो समझा जायगा कि उस परिणाम को कुछ तो कोई काम करके और कुछ चूक करके कराना भी वही अपराध है॥

परिणाम जो कुछ तो करने से और कुछ चूकने से कराया जाय

उदाहरण

देवदत्त ने जान बूझ कर विष्णुमित्र की मृत्यु कराई कुछ तो उसको आहार देने में कानून विरुद्ध चूक करके और कुछ उस को मार पीट करके तो देवदत्त ने घातघात किया॥

दफ़ा ३७-जब किसी अपराध के होने के लिये अनेक काम अवश्य हों तो जो कोई मनुष्य जान बूझ कर उन कामों मे से किसी एक को केवल आपही अथवा दूसरे मनुष्य के साझे में करके उस अपराध का भागी होगा वह उसी अपराध का करने वाला कहलावेगा॥

अपराध के अनेक कामों में से एक को करके साझी होना-

उदाहरण

(क) देवदत्त और यज्ञदत्त ने विष्णुमित्र को अलग २ समय पर अलग २ थोड़ा थोड़ा विष देकर मारडालने का मता किया और उसी मते के अनुसार देवदत्त और यज्ञदत्त ने विष्णुमित्र को मारडालने के प्रयोजन से विष दिया विष्णुमित्र उसी विष से जो कई वार करके उसको इसभांति दिया गया कि मर गया तो यहां देवदत्त और यज्ञदत्त ने जान बूझ कर घातघात करने में साझा किया और उन में से हर एक ने वह काम किया जो विष्णुमित्र की मृत्यु का हेतु हुआ इसलिये वे दोनों उस अपराध के करता हुए यद्यपि उन के काम अलग २ थे॥

(ख) देवदत्त और यज्ञदत्त दोनों साझे में जेलखाने के अधिकारी थे और उस अधिकार के कारण उन को विष्णुमित्र कैदी की चौकसी अपनी २ वारी से छः २ घंटे सौंपी गई देवदत्त

और यज्ञदत्त ने विष्णु मित्र की मृत्यु कराने के प्रयोजन से जान बूझ कर उस परिणाम के होने में साझा किया इस उपाय से कि हरएक ने अपनी २ बारी के समय में विष्णु मित्र को उस आहार के पहुंचाने में जो उन को पहुंचाने के लिये मिला था क़ानून विरुद्ध चूक की और विष्णु मित्र भूख से मर गया तो देवदत्त और यज्ञदत्त दोनों विष्णु मित्र के ख़ातघात के अपराधी हुए॥

(ग) देवदत्त को जो जेलखाने का अधिकारी था विष्णु मित्र क़ैदी की चौकसी सौंपी गई देवदत्त ने विष्णु मित्र को मृत्यु कराने प्रयोजन से आहार पहुंचाने में क़ानून विरुद्ध चूक की और इससे विष्णु मित्र का बल बहुत घट गया परंतु लंघन से ऐसा न हुआ कि उस के मरने का हेतु होता देवदत्त अपने अधिकार से छुड़ा दिया गया और यज्ञदत्त को उसकी जगह मिली यज्ञदत्त ने देवदत्त की मिलावट अथवा सहायता के बिना विष्णु मित्र को आहार पहुंचाने में क़ानून विरुद्ध चूक की यह बात जानबूझ कर कि इससे विष्णु मित्र की मृत्यु का होना अति संभावित है और विष्णु मित्र भूख से मरगया तो यज्ञदत्त ख़ातघात का अपराधी हुआ परन्तु देवदत्त ने यज्ञदत्त को सहायता नहीं दी इसलिये देवदत्त केवल ख़ातघात के उद्योग का अपराधी हुआ॥

अनेक मनुष्य जो किसी अपराध को करें अलग २ अपराधों के कर्ता होंगे

दफ़ा ३८ - जहां अनेक मनुष्य कुछ अपराध का काम करते हों अथवा उसमें सरोकार रखते हों तो वे उस काम के करने से अलग २ अपराधों के अपराधी होसकेंगे॥

उदाहरण॥

देवदत्त ने विष्णु मित्र पर ऐसे किया किसी ऐसे भारी क्रोध कराने वाले काम की अवस्था में जबकि उस का विष्णु मित्र को मार डालना केवल ख़ातघात गिना जाता यज्ञदत्त ने जिसकी ईर्षा विष्णु मित्र से थी और विष्णु मित्र के मार डालने का प्रयोजन रखता था यद्यपि वह किसी क्रोध दिलाने काम की अवस्था में भी न था देवदत्त को विष्णु मित्र के मारडालने में सहारा दिया यहां देवदत्त और यज्ञदत्त दोनों ने

विष्णु मित्र को मारा परंतु यज्ञ दत्त का अपराध ज्ञातघात और देव दत्त का केवल अज्ञा
वत घात हुआ ॥

दफ़ा ३९ — कोई मनुष्य किसी परिणाम को जान बूझ करने वा-

जानबूझकर

ला कहलावेगा जबकि वह उसको ऐसे उपायों से करावे जिन को यह उस परिणाम के होने के प्रयोजन से काम में लावे अथवा जबकि वह परिणाम ऐसे उपायों से किया जाय जिन को करने के समय वह जानता है तु अथवा जानने का हेतु रखता हो कि उन से उस परिणाम का होना अति सम्भवित है ॥

उदाहरण

देवदत्त ने रात के समय किसी बड़े नगर के एक मकान में जिस में मनुष्य रहते थे इस प्रयोजन से आग लगाई कि डाका डालना सहज हो सके और उस आग से एक मनुष्य मरगया — यहां यद्यपि देवदत्त ने किसी के मारने का प्रयोजन भी न किया हो और चाहे वह पछताता हो कि हाय मैंने करने से इस मनुष्य का मरना हुआ तो भी वह जान बूझ कर मारने वाला कहलावेगा कदाचित उसने जानलिया हो कि मेरे इस काम से किसी का मरना अति सम्भवित है ॥

दफ़ा ४० — इस क़ानून में सिवाय उस अध्याय और उन दफ़ों

अपराध

के जिन का वर्णन इस दफ़ा की ज़िम्न २ व ३ में है अपराध शब्द का संकेत उस वस्तु से है और इस संग्रह में दंड के योग्य ठहरा दी गई हो ॥

चौथा अध्याय और नीचे लिखी दफ़ा अर्थात दफ़ा — ६४-६५
६६-६७-७१-१०९-११०-११२-११४-११५-११६-११७-
११९-१८७-१९४-१९५-२०३-२११-२१३-२१४-२२१-२२२
२२४-२२५-३२७-३२८-३२९-३३०-३३१-३४७-३४८-३८८
३८९ [illegible] और दफ़ा ४१० की जगह ऐक्ट २७ सन १८७० की दफ़ा २ के ज़रिया से बढ़ाई गई —

दफ़ा ४० की ज़िम्न २ में हिन्दसा ६४, ६५, ७१ ऐक्ट ८ सन ८२ की दफ़ा ७ और हिंदसा [illegible] ऐक्ट [illegible] सन् १८८२ ई० की दफ़ा २१ (३) के ज़रिया से शामिल किये गये हैं ॥

अपराध शब्द का संकेत हरएक काम से भी है जो इस संग्रह के अनुसार अथवा विशेष क़ानून अथवा देश विशेषी क़ानूनानुसार बर्णन किये गये इस संग्रह के दंड योग्य ठहराया हो॥

और ऐसे विषय में कि वह काम विशेष क़ानून अथवा देश विशेषी क़ानूनानुसार दंड योग्य हो तो उसी क़ानून के अनुसार दंड क़ैद जिस की म्याद छः महीना अथवा अधिक जुरमाने सहित वा जुरमाने का हो तो इन दफ़ा १४१-१७६-१७७-२०१-२०२-२१२-२१६-२१६-४४१ में अपराध शब्द का वही अर्थ होगा जो ऊपर वर्णन कर आये हैं॥

दफ़ा ४१- विशेष क़ानून वह क़ानून है जो किसी विशेष विषय से संबंध रखती हो-

विशेष क़ानून

दफ़ा ४२ -देश विशेषी क़ानून वह कानून है जो हिन्दुस्तान के अंग्रेज़ी राज्य के केवल किसी एक विशेष खंड में संबंध रखती हो-

देशविशेषी क़ानून

दफ़ा ४३- क़ानून विरुद्ध शब्द का संबंध हरएक काम से है जो अपराध हो अथवा जो क़ानून से वर्जित हो अथवा जिस से दीवानी की नालिश का कारण निकले और किसी मनुष्य पर क़ानून अनुसार किसी काम का करना अवश्य हो तब कहलावेगा जब कि उस काम को न करना उस के लिये क़ानून विरुद्ध हो॥

क़ानूनविरुद्ध

क़ानूनानुसार अवश्य करना- उस विषय का उस मनुष्य पर क़ानून-अवश्य है-

दफ़ा ४४ -हानि शब्द का संकेत हरएक ज़ियान से है जो क़ानून विरुद्ध किसी मनुष्य के तन अथवा मन

हानि

अथवा यथा अर्थवाधन को पहुंचाया जाय ॥

दफ़ा ४५-जीव शब्द का संकेत मनुष्य के जीव से है सिवाय उस के जहां लेख से इस के विरुद्ध अर्थ दिखाई दे ॥ जीव-

दफ़ा ४६-मृत्यु शब्द का संकेत मनुष्य के मृत्यु से है सिवाय उस के जहां लेख से इस के विरुद्ध अर्थ दिखाई दे मृत्यु

दफ़ा ४७-पशु शब्द का संकेत मनुष्य छोड़ कर एक जीवधारी है ॥ पशु

दफ़ा ४८-जहाज शब्द का संकेत प्रत्येक वस्तु से है जो पानी के रस्ता मनुष्यों को अथवा चीज़ वस्तु को उतारने के लिये बनी हो ॥ जहाज

दफ़ा ४९-जहां कहीं बरस शब्द अथवा महीना शब्द बर्ता गया है वहां समझा गया है कि बरस या महीना अंगरेज़ी पत्रे से है ॥ बरस

दफ़ा ५०-दफ़ा शब्द का संकेत इस संग्रह के हर एक अध्याय के उन भागों से है जो सिर पर लगे हुए गिन्ती के अंकों से पहचाने जाते हैं ॥ दफ़ा

दफ़ा ५१-सौगंद शब्द में सत्य बोलने की वह प्रतिज्ञा भी गिनी जायगी जो क़ानून अनुसार सौगंद के बदले ठहराई गई है और और कोई प्रतिज्ञा भी गिनी जायगी जिसको किसी सर्व संबंधी नौकर के सामने किया जाना अथवा सबूत की भांति चाहे अदालत में हो चाहे और कहीं वार्तालाप क़ानूनानुसार अवश्य अथवा उचित हो ॥ सौगंद

दफ़ा ५२-कोई बात जो यथोचित सावधानी और विचार से न की गई अथवा न मानी गई हो शुद्ध भाव से की गई अथवा मानी गई न कहलावेगी ॥ शुद्ध सुभाव से

अध्याय ३

दंडों के विषय में॥

दफ़ा ५३- जिन दंडों के योग्य अपराधी इस संग्रह के लेखो के अनुसार होंगे वे यह हैं॥

दंड

पहली- सज़ायमौत-

दूसरी- देश निकाला-

तीसरी- सेवा दंड पड़नेवादि-

चौथे- क़ैद जिस के दो प्रकार हैं-

(१) कैद कठिन अर्थात मशक्कतसमेत-

(२) साधारण अर्थात् बिना मशक्कत-

पांचवें- धन की ज़ब्ती-

छठे- जुरमाना-

दफ़ा ५४- हर एक मुक़द्दमें में जिस में वध के दंड की आज्ञा हुई हो गवर्नमेन्ट हिन्द को अथवा उसदेश की गवर्नमेन्ट को जहां अपराधी को दंड की आज्ञा हुई हो अपराधी के बिना राज़ी के भी उस दंड के बदले इस संग्रह में लिखा हुआ कोई दूसरा दंड करने का अधिकार होगा॥

दफ़ा ५५- हर एक मुक़द्दमें में जिसमें जन्म भर के देश निकाले के दंड की आज्ञा हुई हो गवर्नमेन्ट हिन्द को अथवा उस देश की गवर्नमेन्ट को जहां अपराधी को दंड की आज्ञा हुई हो अपराधी की बिना राज़ी के भी उस दंड के बदले दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का दंड जो २४ वरस से अधिक न हो करने का अधिकार होगा॥

जन्म भर के देश निकाले की क़ैद के बदले का दंड

दफ़ा ५६- जब कभी कोई मनुष्य जो युरुप अथवा अमरीका वा

यूरूपियों और आमेरिका वासियों को देश निकाले के बदले सेवा दंड होंगे-

सी हो किसी ऐसे अपराध का अपराधी ठहरे जिस का दंड इस संग्रह के अनुसार देश निकाला है तो दंड करने वाली अदालत उस अपराधी को देश निकाले के बदले सन १८५५ ई० ऐक २४ के अनुसार सेवा दंड की आज्ञा देगी-

० परंतु शर्त यह है जब कोई अपराधी युरूप अथवा अमेरिका विना जारी होने ऐक्ट के लेखानुसार अधिकारी आज्ञा दंड अथवा देश निकाला जिस की म्याद दस बरस की हो परंतु जनम भर को न हो तो अदालत उस को कठिन सेवा दंड करैगी जिसकी म्याद छः बरस की हो अथवा अधिक न जन्मभर की होगी॥

दफ़ा ५७-

दंड की म्याद के विभाग

दंड की म्याद के विभाग करने में जन्मभर का देश निकाला बीस बरस के देश निकाले के बराबर समझा जायगा॥

दफ़ा ५८-

जिन अपराधियों को देश निकाले के दंड की आज्ञा हुई हो वह देश निकाला होने तक किस भांति रक्खे जायंगे-

हरएक मुकद्दमे में जिसमें आज्ञा देश निकाले की हुई हो देश निकाला होने तक अपराधी उसी भांति रक्खा जायगा मानो कठिन कैद की आज्ञा उस को हुई है समझा जायगा कि उस कैद के समय में देश निकाले दंड भुगतता है॥

दफ़ा ५९-

कि. म. २ हाल में कैद किस जगह देश निकाला होसक्ता है-

हर मुकद्दमे में जिसमें अपराधी ७ वर्ष या उस से अधिक म्याद की कैद के दंड योग्य हो दंड करने वाली अदालत को अधिकार होगा कि चाहे तो कैद का दंड देने के बदले अपराधी को किसी म्याद के लिये जो सात बरस से कमती न हो और जिस

० यह शर्त मुनस्लके दफ़ा ५६ ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० की दफ़ा ३ के ज़रिया से बढ़ाई गई॥

नी म्याद की क़ैद हद्द को इस संग्रह के अनुसार हो सक्ती होउस से अधिक न हो देश निकाले का दंड हो -

दफ़ा ६० - हर एक मुक़द्दमे में जिस में अपराधी को दोनों प्रकार की क़ैद में से कोई हो सकती हो दंड करने वाली अदालत को अधिकार होगा कि दंड की आज्ञा में यह भी हुक्म दे दे कि सब क़ैद कठिन होगी अथवा साधारण होगी अथवा इतनी कठिन और बाक़ी साधारण होगी॥

क़ैद आधी परधी कठिन अथवा साधारण हो सकेगी -

दफ़ा ६१ - हर मुक़द्दमे में जिस में किसी मनुष्य के ऊपर कोई ऐसा अपराध साबित हुआ हो कि जिस के बदले उस के सब माल मिलकियत की ज़ब्ती हो सक्ती हो तो जब तक वह अपराधी उस दंड को अथवा उस को जो उस दंड के पलटे में ठहरा दिया गया हो भुगत न ले अथवा माफ़ न कर दिया जाय तब तक उस को कुछ माल मिलकियत प्राप्त करने का अधिकार न होगा सिवाय इस के कि जो कुछ प्राप्त करे गवर्नमेन्ट को मिले॥

धन की ज़ब्ती का दंड

उदाहरण

देवदत्त जिस के ऊपर गवर्नमेन्ट हिन्द के विरुद्ध युद्ध करना साबित हुआ अपने सब माल मिल्कियत के ज़ब्ती के योग्य है और दंड की आज्ञा होने से पीछे और रुगत जाने से पहले देवदत्त का बाप मरा और मिल्कियत जो देवदत्त को मिलती कदाचित ज़ब्ती की आज्ञा उस के मध्ये न हुई हो तो इस अवस्था में वह मिलकियत गवर्नमेन्ट की होगी॥

दफ़ा ६२ - जब किसी मनुष्य के ऊपर कोई ऐसा अपराध साबित हो जिस के बदले दंड बध हो सक्ता हो तो दंड करनेवाली अदालत को अधिकार होगा कि अपराधी को

जमी ऐसे अपराधियों के माल को जो वर्ष अथवा दंड से निकाले अथवा कैद के दंड योग्य हों-

सब धन चाहे स्थावर हो चाहे गैर स्थावर गवर्नमेन्ट गवर्नमेन्ट में ज़प्त होने की आज्ञा दे और जब कभी किसी मनुष्य के ऊपर कोई ऐसा अपराध सावित हो जिसके लिये देश निकाले का दंड अथवा सात बरस से अधिक म्याद की क़ैद का हो सक्ता हो तो उस अदालत को अधिकार होगा कि उसके स्थावर धन के लगान और मुनाफ़े को देश निकाले अथवा क़ैद की म्याद तक गवर्नमेन्ट में ज़प्त रहने की आज्ञा दे परंतु उसमें से अपराधी के परिवार और आसरे वालों की आजीवका के लिये उस म्याद तक इतना मिल सकेगा जितना गवर्नमेन्ट के नज़दीक उचित हो॥

दफ़ा ६३ - जहां कहीं जरीमाने की तादाद की अवधि नहीं-

जरीमाने की तादाद

लिखी वहां जरीमाने को जो अपराधी के ऊपर हो सक्ता है व अवधि होगी परंतु अत्यंत न होगी॥

दफ़ा ६४ - हर एक मुकद्दमे में जिसमें किसी अपराधी पर

क़ैद का दंड जबकि जरीमाना न चुके-

जरीमाने का दंड किया जाय दंड करने वाली अदालत दंड के साथ में आज्ञा दे सकेगी कि जरीमाना न चुकावेगा तो अपराधी इतनी म्याद तक कैद भुगतेगा और यह कैद उस क़ैद से अधिक होगी जो उस अपराधी को दंड में की गई हो अथवा किसी दूसरे दंड के बदले ठहराई गई हो॥

दफ़ा ६५ - कदाचित अपराधी जरीमाना और कैद दोनों

जरीमाना न चुकाये जाने के वदले क़ैद की म्याद की अवधि जबकि अपराध जरीमाने और कैद दोनों के योग्य हो-

दंडों के योग्य हो तो जरीमाना न चुकाये जाने के बदले जो अदालत ठहरावेगी उस की म्याद क़-

उस अपराध के लिये ठहराई हुई बढ़ती से बढ़ती म्याद की चौथाई से अधिक न होगी ॥

जरीमाना न चुकने के बदले क़ैद का प्रकार

दफ़ा ६६ क़ैद जो जरीमाना न चुकने के बदले ठहरावेगी उसी प्रकार की होगी जिसके योग्य अपराधी उस अपराध के बदले हो ॥

दफ़ा ६७ - कदाचित अपराध केवल जरीमाने के दंडयोग्य

जरीमाना न चुकाये जाने के बदले क़ैद की म्याद जबकि अपराध केवल जरीमाने के दंडयोग्य

हो तो म्याद क़ैद की जिस की आज्ञा अदालत अपराधी को जरीमाना न चुकने के बदले देगी नीचे लिखे हिसाब से अधिक न होगी अर्थात् दो महीने तक जबकि जरीमाना ५०) रु० से बढ़ती न हो - चार महीने तक जब कि जरीमाना १०० से बढ़ती न हो और छः महीने तक बाक़ी सब अवस्था में ॥

दफ़ा ६८ - क़ैद जो जरीमाना न चुकने के बदले की जाय उसी सम

यह क़ैद जरीमाना चुकाते ही भुगत जायगी -

य बीत जायगी जबकि वह जरीमाना चुका दिया जाय अथवा क़ानून की रीत से वसूल हो जाय ॥

दफ़ा ६९ - जरीमाना न चुकने के बदले म्याद क़ैद की ठहरा

व्यतीत होना इस क़ैद का जबकि जरीमाने का कुछ भाग चुका दिया जाय

ई गई हो उसके बीतने से पहले कदाचित जरीमाने का कोई ऐसा भाग चुका दिया जाय अथवा वसूल हो जाय कि जितनी म्याद भुगत ली हो वह बाक़ी बिना चुके जरीमाने से समीभूत हो तो वह क़ैद उसी समय व्यतीत समझी जायगी ॥

उदाहरण ॥

+यह शब्द दफ़ा ६७ में दफ़ा ३ एक्ट ८ सन १८८२ ई० के ज़रिया से बढ़ाये गये -

देवदत्त पर १०) जरीमाने का हुक्म और जरीमाना न चुकने के बदले चार महीने की कैद का दंड हुआ यहां कदाचित कैद का एक महीना बीतने से पहले ७५) रु० जरीमाने के चुक जायं अथवा वसूल हो जायं तो देवदत्त पहला महीना व्यतीत होते ही तुरंत छोड़ दिया जायगा और कदाचित ७५) पहला महीना व्यतीत होने के समय या उससे पीछे किसी समय जब तक कि देवदत्त कैद में है चुका दिया जाय अथवा वसूल करलिया जाय तो देवदत्त तुरंत छोड़ दिया जायगा और कदाचित ५०) कैद के दो महीने बीतने से पहले चुका दिया या वसूल कर लिया जाय तो दो महीने व्यतीत होते ही देवदत्त छोड़ दिया जायगा और कदाचित ५०) दो महीना व्यतीत होने के समय या उससे पीछे जब तक कि देवदत्त कैद में है चुका दिया जाय या वसूल करलिया जाय तो देवदत्त तुरंत छोड़ दिया जायगा-

जरीमाना छः बरस के भीतर या कैद की म्याद में किसी समय वसूल हो सके-

दफा ७० - जरीमाना अथवा उसका कोई बिना चुका हुआ भाग दंड की आज्ञा होने से छः बरस के भीतर किसी समय वसूल हो सकेगा- और कदाचित उस दंड की आज्ञानुसार अपराध छः बरस से अधिक म्याद की कैद का हुक्म हो तो उस म्याद के व्यतीत होने से पहले किसी समय वसूल हो सकेगा और अपराधी के मरजाने से वह माल मिलकियत जो उसके

अपराधी के मरजाने से उसका माल मिल्कियत छूट न जाय-

मरने के पीछे कानूनानुसार उसके ऋण की ज़िम्मेदारी से छूट न जायगी-

अवधि उस अपराध के दंड की- जो कई अपराध मिल कर बनता हो-

दफा ७१ - जब कोई अपराध कई कामों से बनता हो और हर एक उन कामों में से आप भी अपराध हो तो अपराधी अपराधों में से एक से अधिक का दंड न किया जायगा सिवाय उसके जहां इस विषय में स्पष्ट लेख हो जब कोई काम ऐसा अपराध हो-

देखो दफा ७१ में दफा ४ एक्ट ८ सन १८८२ ई० के ज़रिया से बढ़ाई गई-

जो किसी समय प्रचलित क़ानून के दो या अधिक अलग् वर्णन हों जिस में अपराधों का वर्णन और दंड का लेख हो या ऐसे कामों जिन्में से एक का अधिक संग्रह हर एक काम अपराध है सब के सब इकट्ठे होकर कोई और अपराध बन जाय तो अपराधी को उस सज़ा से अधिक कठिन दंड न दिया जायगा जिस को अदालत यथोचित अपराध किसी एक अपराध उक्त अपराधों के लेख की ठहराई हुई कर सक्ती है॥

उदाहरण

देवदत्त ने विष्णुमित्र को लकड़ी की पचास चोट मारी यहां होसक्ता है कि देवदत्त ने जान बूझ कर विष्णुमित्र को दुख पहुंचाने अपराध इस सब मारपीट के द्वारा किया हो और यह भी कि चाहे उन चोटों में से जिन को मिलाकर वह सब मार पीट गिनी गई हर एक के द्वारा किया हो और कदाचित ऐसा होता कि देवदत्त हर एक चोट के बदले दंड के योग्य होता तो उसको पचास वर्ष तक क़ैद अर्थात् प्रत्येक चोट के बदले एक वर्ष की क़ैद होती परंतु ऐसा नहोगा उसको सब मार पीट के बदले केवल एकही दंड हो सकेगा॥

(इ) परंतु जिस समय देवदत्त विष्णुमित्र को मार रहा था कदाचित हरमित्र बीच में बोलता और देवदत्त जानबूझकर हरमित्र को चोट मारता तो जो चोट हरमित्र के मारी जाती कोई भाग उस काम का न होता जिस के द्वारा देवदत्त जानबूझकर विष्णुमित्र को दुख पहुंचा रहा था इसलिये देवदत्त इस योग्य होगा कि एक तो विष्णुमित्र को जानबूझकर दुख पहुंचाने के बदले और दूसरे हरमित्र को चोट मारने के दंड पावे॥

दफ़ा ७२—सब मुक़द्दमों में जिन में किसी मनुष्य के मध्ये यह तजवीज़ की जाय कि फ़लाने ने अनेक अपराधों में से किसी एक का अपराधी है परंतु संदेह

दंड किसी मनुष्य को जो अनेक अपराधों में से एक का अपराधी ठहरे और हाकिम को तजवीज़ में लिखा हो कि निश्चय नहीं है कि उन अपराधों में से किसका अपराधी है—

इसवात इसवात का है कि उन अपराधों में से कौनसे का अपराधी है और दंड भी सवका एकसा न हो तो उन अपराधों में से जिस किसी का दंड सब से कमती होगा उसी का दंड वह अपराधी पावेगा ॥

दफ़ा ७३- जब कभी कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराध का अपराधी ठहरे जिसके लिये इस संग्रह के अनुसार अनुसार अदालत को अधिकार कठिन क़ैद के दंड देने का है तो अदालत अपनी तजवीज के द्वारा आज्ञा दे सकेगी कि जितनी म्याद अपराधी को हुई है उस के किसी भाग अथवा भागों तक जो तीन महीने से अधिक न हो अपराधी एकान्त बंधि में नीचे लिखे अनुसार रक्खा जाय अर्थात् जब क़ैद की म्याद छः महीने से बढ़ती न हो तो किसी समय तक जो एक महीने से अधिक न होगी और जब क़ैद की म्याद छः महीने से अधिक न होगी और जब क़ैद की म्याद छः महीने बढ़ती और एक बर्स से कमती होगी तो किसी समय तक जो दो महीने से अधिक नहीं और जब क़ैद की म्याद एक वरस से वढ़ती हो तो किसी समय तक जो तीन महीने से अधिक न होगी ॥

एकान्तबंधि-

दफ़ा ७४-एकान्त बंधि का दंड करने में यह बंधि कभी एकही वेर १४ दिन से अधिक न होगी और दो वेर की बन्धि में उतने ही दिन से कमती का अन्तर न होगा और जबकि क़ैद की म्याद तीन वरस से अधिक हो तो एकान्त बंधि उस सब म्याद के किसी एक महीने में सात दिन से अधिक न होगी और कमती से कमती इतना ही अंतर बीच में छोड़ना पड़ेगा-

एकान्त बंधि की अवधि-

दफ़ा ७५-जो कोई मनुष्य एक वेर अपराधी किसी ऐसे अपराध का जिसका दंड इस संग्रह के अध्याय १२ या १७ अनुसार दोनों

+ एक्ट नम्बर दफ़ा ५ एक ८ सन् १८८२ ई० के अनुसार बढ़ाई गई-

दंड उन मनुष्यों को जो एक वेर अपराधी ठहर कर फिर किसी अपराध के अपराधी ठहरें जिसका दंड तीन वरस की क़ैद हो-

में से किसी प्रकार की क़ैद तीन वरस अथवा उस से अधिक म्याद तक है ठहर कर फिर अपराधी किसी अपराध का जिस का दंड उन्ही दोनों अध्याय में से किसी के अनुसार दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद तीन बर्स तक अथवा उस से अधिक म्याद तक हो सक्ती हो ठहरे तो पीछे के हर एक अपराध के बदले यह जन्म भर के देशनिकाले अथवा जितना दंड उस को उस अपराध के बदले हो सक्ता हो उस के दुगने के योग्य होगा परंतु दस वरस से अधिक क़ैद के योग्य कभी न होगा॥

चौथा अध्याय

साधारण छूट का वर्णन

वह काम जिसको कोई ऐसा मनुष्य करे जिस पर उस का करना अवश्य हो अथवा जो वृतान्त को यथार्थ न समझ लेने से अपने ऊपर उसका करना क़ानूनानुसार अवश्य जानता हो -

दफा ७६ जिस किसी काम को कोई ऐसा मनुष्य करे जिस के ऊपर उस का करना क़ानूनानुसार अवश्य हो या जो क़ानून का मतलब शुद्ध समझने से नहीं किन्तु किसी वृतान्त को यथार्थ न समझ लेने के कारण शुद्ध भाव से अपने ऊपर क़ानूनानुसार उस का करना अवश्य जानता हो अपराध न होगा॥

उदाहरण

(अ) देवदत्त एक सिपाही ने अपने अफ़सर की क़ानूनानुसार आज्ञा से वहुत से मनुष्यों की भीड़ पर बन्दूक छोड़ी तो देवदत्त ने कुछ अपराध न किया॥

(ई) देवदत्त किसी अदालत के अहलकार को उस अदालत की आज्ञा हुई कि

हरमित्र को पकड़े और देवदत्त ने यथोचित पूछताछ करके विष्णुमित्र को हरमित्र जानकर विष्णुमित्र को पकड़ा तो देवदत्त ने कुछ अपराध नहीं किया॥

दफ़ा ७७ - कोई काम जिस को कोई हाकिम उस समय करे जब कि वह न्याय करने में किसी कानूनानुसार मिले हुए अधिकार को या ऐसे अधिकार को जिस का कानूनानुसार मिलना वह शुद्ध भाव से निश्चय जानता हो करे तो वह अपराध न होगा॥

काम किसी हाकिम का जब कि वह न्याय करने को बैठा हो

दफ़ा ७८ - कोई काम जिस का करना किसी अदालत की तजवीज अथवा आज्ञानुसार अवश्य अथवा उचित हो अपराध न गिना जायगा कदाचित ऐसे समय में किया जाय जब कि वह तजवीज अथवा आज्ञा प्रचलित हो यद्यपि उस अदालत को उस तजवीज के करने अथवा आज्ञा के देने का अधिकार न भी हो तब उस काम का करने वाला मनुष्य शुद्ध भाव से निश्चय मान रहा हो कि उस अदालत को ऐसा अधिकार प्राप्त है॥

काम जो किसी अदालत की तजवीज अथवा आज्ञानुसार किया जाय॥

दफ़ा ७९ - कोई काम किया हुआ किसी ऐसे मनुष्य का जिस को कानूनानुसार उस के करने का अधिकार हो अथवा जो अपने तई शुद्ध भाव से वृत्तान्त को यथार्थ न समझने से और न किसी कानून का मतलब अशुद्ध समझने के कारण उस के करने का अधिकारी कानूनानुसार निश्चय मान रहा हो अपराध न गिना जायगा॥

काम किया हुआ किसी ऐसे मनुष्य का जिस को उस के करने का अधिकार हो या जो वृत्तान्त अशुद्ध समझने से उस काम के करने का अधिकारी अपने को समझता हो-

उदाहरण

देवदत्त ने विष्णुमित्र को कुछ ऐसा काम करते देखा कि जिस को वह समझा कि

जाते जाते है और देवदत्त ने अपनी बुद्धि को जहां तक हो सका शुद्ध भाव से दौड़ाकर उस अधिकार के वर्तने में जो कानून ने सब मनुष्यों को दिया है कि ज्ञानघात के अपराधियों को जबकि वे उस अपराध को कर रहे हैं पकड़े विष्णुमित्र को किसी यथोचित अधिकारी के सामने लाने के लिये पकड़ा तो देवदत्त ने कुछ अपराध नहीं किया यद्यपि पीछे यह भी साबित होजाय कि विष्णुमित्र वह काम अपने रक्षा के लिये कर रहा था॥

दफा ८० – कोई काम जो विना कुप्रयोजन अथवा विना कुज्ञान के किसी नीति पूर्वक काम को नीति पूर्वक भांति और नीति पूर्वक उपाय से यथोचित सावधानी और चौकसी करने में दैव योग से अथवा अभाग्य से होजाय अपराध न गिना जायगा॥

(नीति पूर्वक काम के करने में दैव योग से कुछ काण्ड होजाना)

उदाहरण

देवदत्त कुछ काम कुल्हाड़ी से कर रहा था वेंट में से कुल्हाड़ी उछटी और एक मनुष्य जो वहीं पास खड़ा था जा लगी वह उससे मरगया यहां कदाचित देवदत्त की ओर से यथोचित सावधानी होने में कुछ कसर न हुई तो उसका काम क्षमा करने के योग्य है और अपराधी नहीं है॥

दफा ८१ – कोई काम केवल इसी कारण अपराध गिना जायगा कि करने वाले ने उससे ज्यान का होना अति संभवित जानकर उसको किया कदाचित ज्यान पहुंचाने के किसी कुप्रयोजन से न किया गया हो परंतु शुद्ध भाव से किसी के तन अथवा धन को दूसरे ज्यान के रोकने अथवा वचाने के प्रयोजन से किया गया हो॥

(काम जिससे कुछ ज्यान होजाना संभवित हो परंतु कुप्रयोजन के विना दूसरे ज्यान के रोकने के लिये किया गया हो)

विवेचना – ऐसी अवस्था में यह बात निश्चय करनी होगी कि जिस ज्यान के रोकने का प्रयोजन किया वह इस प्रकार का और

ऐसा सम्भवित था या न जिसके कारण उस काम से ज्यान का हो ना अति सम्भवित जानकर भी उसके करने की जोखिम उठा नी उचित अथवा क्षमा करने के योग्य समझी जाय।

उदाहरण

(अ) देवदत्त किसी धुएं की नाव के कमान को एकाएक की विना अपने कसूर अथवा सावधानी के ऐसा योग आ पड़ा कि जवतक अपनी नाव को रोके ही रोके तव तक रामवान नाव को जिसमें २० अथवा ३० मुसाफ़र थे अवश्य टक्कर लगती जान पड़ी और टक्कर वचाने का केवल यही उपाय था कि देवदत्त अपनी नाव का मुंह दूसरी ओर फेर देता और मुंह फेरने से जोखिम इस वात की थी कि और एक नाव रुद्रशार नाम को जिसमें केवल दो ही मुसाफ़र थे टक्कर लगती परंतु उसका वचना भी संभवित था यहां कदाचित देवदत्त अपनी नाव का मुंह रुद्रशार नाव को टक्कर देने के प्रयोजन विना और रामवान नाव के मुसाफ़रों को टक्कर लगने की विपत्ति से वचाने के निमित्त शुद्ध भाव से फेर देता तो किसी अपराध का अपराधी न गिना जाता यद्यपि उसके इस काम से जिसको वह जानता था कि इससे रुद्रशार नाव को टक्कर लगनी अति सम्भवित है रुद्रशार को टक्कर भी लग जाती कदाचित यह वात निश्चय पाई जाती कि जिस विपत्ति के वचाने के प्रयोजन से हमने यह काम किया वह ऐसी थी कि रुद्रशार नाव को टक्कर दिलाने की जोखिम उठानी क्षमा के योग्य है॥

(ब) देवदत्त ने एक वड़ी भारी आग लगाने के समय आग का फैलना रोकने के लिये घरों को गिराया और यह काम उसने शुद्ध भाव से मनुष्यों का जीव अथवा धन वचाने के प्रयोजन से किया यहां कदाचित यह वात कि जो ज्यान रोका जाने को था वह इस प्रकार का और इतना सम्भावित जिससे देवदत्त का काम क्षमा के योग्य हुआ तो देवदत्त किसी अपराध का अपराधी न गिना जायगा॥

काम सात वर्ष से नीचे की अवस्था के वालक का	दफ़ा ८२

काम जो सात बरस से नीचे की अवस्था के बालक ने किया हो अपराध न होगा ॥

दफ़ा ८३- कोई काम किया हुआ सात बरस से ऊपर और १२ बरस से नीचे की अवस्था के किसी बालक का जिस की समझ बूझ तमीज़ का वह दर्जा न पहुंचो हो कि उस विषय में इस ने काम के गुण और फलों को विचार सके अपराध न होगा-

काम सात वर्ष से ऊपर और बारह बरस से नीचे की अवस्था के बालक का जिसकी समझ यथोचित पकी न हो

दफ़ा ८४- कोई काम किया हुआ किसी ऐसे मनुष्य का जो उस के करने के समय सिड़ीपन के कारण उस काम के गुण समझने को अथवा यह जानने को कि यह काम अनीति है अथवा क़ानून के विरुद्ध है असमर्थ हो अपराध न होगा-

काम सिड़ी मनुष्य का

दफ़ा ८५- कोई काम किया हुआ किसी ऐसे मनुष्य का जो उस के करने के समय नशे के कारण उस काम का गुण अथवा यह बात कि यह काम अनीति है अथवा क़ानून के विरुद्ध है जानने को असमर्थ हो अपराध न होगा कदाचित जिस वस्तु में से नशा हुआ वह उस के बिना जाने अथवा उसकी इच्छा के विरुद्ध उस को दी गई हो ॥

काम किसी मनुष्य का जो अपनी इच्छा के विरुद्ध दिये हुए नशे के कारण विचार करने को असमर्थ हो

दफ़ा ८६- उन अवस्थाओं में जिन में कोई काम अपराध न गिना जाता हो जब तक कि किसी विशेष ज्ञान अथवा विशेष ज्ञान अथवा विशेष प्रयोजन से न किया जाय कोई मनुष्य जो नशे में उस काम को करेगा उसी योग्य होगा मानों उस को वही ज्ञान था जो हो सक्ता कदाचित

जिस अपराध के लिये कोई विशेष ज्ञान या प्रयोजन अवश्य हो उन को कदाचित कोई मनुष्य नशे में करे

हनशेमें नहोना सिवायइसके कि जिस [illegible] वह उस के विना जाने अथवा उस की इच्छा के विरुद्ध [illegible] दी गई हो ॥

दफ़ा ८७-कोई काम जिससे मृत्यु अथवा भारी दुख [illegible] प्रयोजन न हो [illegible] न उस काम [illegible] [illegible] होते [illegible] होना अति संभवित है किसी ऐसे ज़्यान के कारण अपराध न गिना जायगा जो १८ बरस से ऊपर की अवस्था के किसी मनुष्य को जिसने उस ज़्यान का सहना अंगीकार कर लिया हो चाहे प्रगट उस काम से होजाय अथवा जिसके होने का प्रयोजन करने वाले ने किया हो और न किसी ऐसे ज़्यान के कारण गिना जायगा जो उस काम के करने वाले ने जान लिया हो कि ऊपर लिखे प्रकार के किसी मनुष्य को जिसने उस ज़्यान की जोखिम अंगीकार करली हो जाना अति सम्भवित हो ॥

काम जो विना प्रयोजन या विना इस बात के कि इससे किसी मनुष्य को मृत्यु अथवा भारी दुख होना सम्भवित है [illegible] उसी मनुष्य की राज़ी से किया जाय

उदाहरण

देवदत्त और विष्णुमित्र मन बहलाने के लिये आपस में पटा खेलने को राज़ी हुए और इस राज़ी से यह बात समझी गई कि पटा खेलने में जो कुछ ज़्यान बिना कपट के किसी को होजाय उसका सहना दोनों ने अंगीकार किया देवदत्त ने जब कि वह बिना कपट के खेलता था विष्णुमित्र को चोट दी तो देवदत्त ने कुछ अपराध नहीं किया।

दफ़ा ८८-कोई काम जिससे किसी की मृत्यु करने का प्रयोजन न हो किसी ऐसे ज़्यान के कारण अपराध गिना

काम जो मृत्यु करने का प्रयोजन विना शुद्ध भाव से किसी मनुष्य की राज़ी से उस के भले के लिये किया जाय-

जायगा जो किसी मनुष्य को जिस के भले के लिये वह काम किया गया हो और जिसने उस ज्यान का सहना अथवा उसको जोखिम उठाना अंगीकार कर लिया हो चाहे प्रगट अप्रगट उस काम से हो जाय अथवा जिस के होने का प्रयोजन करने वाले ने किया हो अथवा जिस का होना करने वाले ने अति सम्भवित जान लिया हो॥

उदाहरण॥

देवदत्त एक डाक्टर ने यह बात जान बूझ कर कि फल्लानी चीर फार से मृत्यु विष्णु मित्र की जो एक बड़े दुख के रोग में फंसा है होनी अति सम्भवित परंतु विना प्रयोजन इस बात के कि विष्णु मित्र की मृत्यु हो शुद्ध भाव से विष्णु मित्र के भले का प्रयोजन करके वही चीर फार विष्णु मित्र की राज़ी से की तो देवदत्त ने कुछ अपराध नहीं किया॥

दफ़ा ८६-कोई काम जो शुद्ध भाव से १२ बरस से कमती अवस्था के अथवा सिड़ी मनुष्य के भले * के लिये उस के रक्षक की ओर से जिस की नीति पूर्वक रक्षा में वह मनुष्य हो अथवा रक्षक की राज़ी से चाहे प्रगट हो चाहे अप्रगट किया जाय किसी ज्यान के कारण जो उस काम से हो जाय अथवा जिसके होने का प्रयोजन करने वाले ने किया हो अथवा जिस का होना करने वाले ने अति सम्भवित जान लिया हो नीचे लिखे नियमानुसार अपराध न गिना जायगा॥

काम जो शुद्ध भाव से किसी बालक या सिड़ी मनुष्य के भले के लिये उसके रक्षक की ओर से अथवा राज़ी से किया जाय॥

प्रथम-यह छूट प्रयोजन करके किसी की मृत्यु करने अथवा मृत्यु का उद्योग करने से संबंध न रक्खेगी॥

दूसरे-यह छूट किसी काम के करने से जिसको करने वाला

* शब्द भले के अर्थ के लिये देखो दफ़ा ९२ के नियम—

हो कि इस से मृत्यु का होना अति सम्भवित है
न रक्खेगी सिवाय इस के वह काम मृत्यु अथवा भारी दुख के
करने के निमित्त अथवा किसी बड़े रोग
ने के निमित्त किया जाय॥

यह छूट जानबूझ कर भारी दुख उत्पन्न करने से अथवा
करने का उद्योग करने से संबंध न रक्खेगी सिवाय
इसके कि मृत्यु अथवा भारी दुख के रोकने के निमित्त अथ
वा किसी बड़े रोग अथवा दुर्बलता के मिटाने के निमित्त किया
॥

- यह छूट किसी ऐसे अपराध में जिससे वह संबंध न र
सहायता पहुंचाने के अपराध से संबंध न रक्खेगी-

उदाहरण

देवदत्त ने शुद्ध भाव से अपने बालक के भले के लिये बिना उस की राज़ी के यह
बात जान बूझ कर कि उस का अंग चिरवाने से उस बालक की मृत्यु होनी
अति सम्भवित है परंतु उस बालक की मृत्यु का प्रयोजन न करके किसी
पथरी निकलवाने के लिये उस बालक का अंग चिराया
इस से यह छूट संबंध रक्खेगी क्योंकि प्रयोजन उस का बालक के लाभ
से था॥

९० - कोई राज़ी ऐसी राज़ी न गिनी जायगी जैसी किसं
जो जान ली जाय कि- | ग्रह के किसी दफ़ा में प्रयोजन की
अथवा धोखे से दी गई | है कदाचित वह राज़ी किसी मनुष्य
हानि के डर से अथवा किसी वृत्तान्त को यथार्थ न सम
झने से दी हो और कदाचित् उस काम का करने वाला म
जानता हो अथवा निश्चय मानने का हेतु रखता है
कि यह ऊपर कहे हुए भय अथवा यथार्थ न समझने

ग दी गई है॥

अथवा जब वह राज़ी किसी ऐसे मनुष्य ने दी हो जो सिड़ीपन से अथवा नशे के कारण गुण औ रफल उस काम के मध्ये उसने अपनी राज़ी दी हो अथवा जब कि वह राज़ी बारह बरस से कमती अवस्था के किसी मनुष्य ने दी हो सिवाय इस के कि लेख से इस के विरुद्ध आशय पाया जाय॥

राज़ी किसी बालक अथवा सिड़ी मनुष्य की

दफ़ा ९१—८७ और ८८ और ८९ की छूटें उन कामों से संबंध न रक्खेंगी जो इस बात को छोड़ कर भी कि उन से कुछ ज़्यान उस मनुष्य को जिस ने अथवा जिस के लिये राज़ी दी गई पहुंचा अथवा पहुंचने का प्रयोजन किया गया अथवा पहुंचना अति संभावित जाना गया आपही अपराध हो॥

काम जो इस बात को छोड़ कर कि राज़ी देने वाले मनुष्य को उस से ज़्यान पहुंचा आप ही अपराधी हों दफ़ा ८७ व ८८ व ८९ की छूट में गिन्ती न होंगे॥

उदाहरण

पेट गिरवाना सिवाय इस के कि शुद्ध भाव से स्त्री का जीव बचाने के लिये हो इस बात को छोड़ कर भी कि उस में कुछ ज़्यान उस स्त्री को होजाय अथवा होने का प्रयोजन किया जाय आपही एक अपराध है वह उस ज़्यान के कारण अपराध नहीं है और पेट के गिराने के मध्ये राज़ी उस स्त्री की अथवा उस के रक्षक की उस काम को उचित बनाती है॥

दफ़ा ९२—कोई काम किसी ऐसे ज़्यान के कारण जो उस से किसी मनुष्य को जिस के भले के लिये शुद्ध भाव से वह काम किया गया हो हो जाय यद्यपि उस मनुष्य की बिना राज़ी

काम जो शुद्ध भाव से किसी मनुष्य के भले के लिये बिना राज़ी के किया जाय॥

कि भी हो अपराध न होगा कदाचित अवस्था

मनुष्य को अपनी राज़ी प्रगट करना

वा वह मनुष्य राज़ी देने को असमर्थ हो और अपना रक्षक या और मनुष्य जिस की वह कानूनानुसार और जिस में उस काम के मध्ये जो भले के लिये किया गया राज़ी लेना सम्भव होता - परन्तु नियम ये हैं॥

प्रथम - यह छूट प्रयोजन करके मृत्यु उत्पन्न करने या मृत्यु का उद्योग करने से सम्बंध न रक्खेगी॥

दूसरे - यह छूट किसी काम के करने से जिसे करने वाला जानता हो कि मृत्यु का होना अति सम्भावित है संबंध न रक्खेगा सिवाय इस के कि वह काम मृत्यु अथवा भारी दुख रोकने वा किसी भारी रोग अथवा दुर्बलता के मिटाने के या जाय॥

तीसरे - यह छूट जानबूझकर दुख उत्पन्न करने अथवा उत्पन्न करने का उद्योग करने से संबंध न रक्खेगी सिवाय इस के कि मृत्यु अथवा दुख रोकने के निमित्त किया जाय॥

चौथे - यह छूट किसी ऐसे अपराध में जिससे वह छूट संबंध रखती हो और सहायता करने से संबंध न रक्खेगी॥

उदाहरण

(अ) विष्णुमित्र अपने घोड़े से गिर के मूर्छित होगया [illegible]

करने विचार किया कि विष्णुमित्र की खोपड़ी

फिर देवदत्त ने बिना प्रयोजन करने के लिये विष्णुमित्र के भले किया गया जब तक कि विष्णुमित्र विचार करने के लिये फिर उसने पहले शुद्ध भाव से उस की खोपड़ी चीरी तो

[illegible] नहीं किया॥

(ड) विष्णु मित्र को नाहर उठा ले चला और देवदत्त ने यह बात जान बूझकर कि बन्दूक छोड़ने से विष्णु मित्र को गोली लगनी भी सम्भावित है परन्तु विना प्रयोजन करने विष्णुमित्र की मृत्यु के शुद्धभाव से उस के भले के लिये नाहर पर बन्दूक चलाई उस से गोली विष्णु मित्र के लग कर कारी घाव हुआ तो देवदत्त ने कुछ अपराध नहीं किया॥

(ऊ) देवदत्त डाक्टर ने किसी बालक को ऐसी चोट में देखा जिस से सम्भावित हुआ कि कदाचित तत्काल चीर फाड़ की जाय तो यह चोट मृत्युकारक होगी परन्तु अवसर इतना न था कि उस बालक के रक्षक की राज़ी पूंछी जाय इस लिये देवदत्त ने शुद्धभाव से उस बालक के भले के लिये उस की बिना राज़ी के चीरफार की तो देवदत्त ने कुछ अपराध नहीं किया॥

(ए) देवदत्त किसी ऐसे मकान पर था जिस में आग लग रही थी और एक बालक विष्णु मित्र भी उस के साथ में था नीचे लोगों ने कम्बल पसारा और देवदत्त ने उस बालक को मकान की छत पर से कम्बल में गेरने के लिये यह बात जान बूझ कर कि इस गिरने से इस बालक का मर जाना भी संभावित है परन्तु शुद्ध भाव से उस बालक को मारने के प्रयोजन के बिना और उसके भले के लिये छोड़ा इस अवस्था में कदाचित वह बालक गिराने से मर भी गया तो देवदत्त ने कुछ अपराध नहीं किया॥

विवेचना - केवल द्रव्य संबंधी भला दफ़ा ८८ व ८९ व ९२ के अर्थ में भला न समझा जायगा॥

दफ़ा ९३ - बतला देना किसी बात का शुद्ध भाव से इसी कदर अपराध न गिना जायगा कि जिस मनुष्य को वह बात बतला दी गई उस को उस से कुछ ज़्यान हो गया कदाचित वह बात उस मनुष्य के भले के लिये बतलाई गई हो॥

शुद्धभाव से-कुछ कह देना

उदाहरण

देवदत्त डाक्टर ने शुद्धभाव से किसी रोगी से अपना विचार यह कह दिया कि तू इस रोग से बच नहीं सक्ता और वह रोगी इस दधके से मरगया तो देवदत्त ने कुछ अपराध नहीं किया यद्यपि वह जानता भी था कि इस कहने से उस रोगी की मृत्यु होनी अति सम्भवित है॥

दफ़ा ९४-सिवाय स्वात घात और राज विरुद्धी अपराधों के

काम जिसके करने के लिये कोई मनुष्य धमकी के द्वारा बेबस किया जाय-

द्वारा किया जाय जिन का दंड बध है दूसरा कोई काम किया हुआ किसी ऐसे मनुष्य का जो उस के करने के लिये इस प्रकार की धमकियों से जिन से उस काम के करने के समय हेतु सहित डर इस बात का पाया गया हो कि कदाचित वह मनुष्य उस काम को न करता तो उसका फल तत्काल मृत्यु होना बेबस किया जाय अपराध न होगा परंतु नियम है कि उस काम के करने वाले मनुष्य ने अपनी इच्छा से अथवा अपने को काल मृत्यु से कोई कमती ज्यान पहुंचाने के हेतु सहित डर से उस अवस्था में न डाला हो जिस में वह इस भांति

विवेचना- कोई मनुष्य जो अपनी इच्छा से अथवा मार पीट की धमकी से डाकुओं के गोल में यह बात जान बूझ कर मिले कि यह डाकू हैं तो वह इस हेतु कि उस के साथियों ने ज़बरदस्ती उससे कोई काम जो क़ानूनानुसार कराया इस छूट से सहायता न पायेगा॥

विवेचना-२- कोई मनुष्य जिस को डाकुओं के गोल ने पकड़ कर और तत्काल मार डालने की धमकी देकर से ज़बरदस्ती कोई काम जो क़ानूनानुसार अपराध है कराया हो जैसे किसी लुहार से किवाड़ किसी मकान के तुड़वाये तो इस प्रयोजन से कि डाकू उस के

लूटकैरें इस छूट से रक्षा पावेगा॥

दफ़ा ९५ - कोई काम इस हेतु से अपराध गिन लिया जायगा कि उससे कोई ज्यान हुआ अथवा होने का प्रयोजन किया गया अथवा होना अतिसंभवित जाना गया कदाचित वह ज्यान ऐसा तुच्छ हो कि कोई साधारण बुद्धि और स्वभाव का मनुष्य उस की नालिश न करैगा॥

कोई काम जिससे कुछ तुच्छ ज्यान हो

निजरक्षा का अधिकार

दफ़ा ९६ - कोई काम जो निज रक्षा का अधिकार बर्तने में किया जाय अपराध न होगा॥

कोई काम जो निजरक्षा के लिये किया जाय अपराध न होगा

दफ़ा ९७ - हर एक मनुष्य को अधिकार है कि दफ़ा ९९ के नियमों के आधीन रहकर रक्षा करें -

तन और धन की रक्षा का अधिकार

पहले - अपने अथवा और मनुष्यों के तन की किसी ऐसे अपराध से जो मनुष्य के तन से संबंध रखता हो॥

दूसरे - अपने अथवा और किसी मनुष्य के स्थावर अथवा अस्थावर धन की किसी ऐसे काम से जो चोरी अथवा जोरी अथवा उत्पात अथवा मुदाख़लत बेजा के अर्थ अनुसार अपराध हो अथवा जो चोरी या जोरी या उत्पात या मुदाख़लत बेजा का उद्योग हो॥

दफ़ा ९८ - जब कोई काम जो निस्सन्देह अपराध परन्तु उसके करने वाले की अवस्था की छुटाई अथवा बुद्धि के सिड़ीपन

निज रक्षा का अधिकार सिड़ी इत्यादि मनुष्यों के काम से -

नशे की बे सुधी के कारण अथवा इस
कोई बात यथार्थ न समझी अपराध न गिना जाता
उसके रोकने के लिये अपनी निज रक्षा का
एक मनुष्य को उसी भांति प्राप्त होगा मानो वह काम अप
राध ही है॥
(ख) विष्णु मित्र ने विक्षेपन की दशा में देवदत्त के मार डालने का
मित्र अपराधी किसी अपराध का न हुआ परंतु तोभी
रक्षा का अधिकार उसी भांति प्राप्त रहा मानो विष्णुमित्र सिड़ी न था॥
(ङ) देवदत्त रात के समय किसी ऐसे मकान में गया जिस में जाने का वह क़ा
नूनानुसार अधिकारी था और विष्णुमित्र ने शुद्ध भाव से देवदत्त
इस हेतु से कि विष्णुमित्र ने धोखे में उठैया
किया विष्णुमित्र अपराध किसी अपराध का न हुआ परंतु
अपनी रक्षा का उसी भांति प्राप्त होगा मानो विष्णुमित्र धोखे में न था॥
६६-प्रथम- निज रक्षा का अधिकार किसी ऐसे काम
जिन के के के रोकने के लिये न होगा जिससे हे
लिये निज रक्षा का अधिकार। तु सहित डर मृत्यु अथवा भारी दुख
न हो कदाचित उस काम को कोई सर्व संबंधी नौकर शु
भाव से अपनी नौकरी के कारण से करे अथवा करने का
करे यद्यपि वह काम क़ानून में ठीक ठीक
हो॥
-निज रक्षा का अधिकार किसी ऐसे काम के रोकने के
लिये न होगा जिससे हेतु सहित डर मृत्यु अथवा भारी
का न हो कदाचित वह काम किसी सर्व सम्बंधी नौकर की
उस अवस्था में किया जाय अथवा उसके किये
उद्योग किया जाय जब कि वह शुद्ध भाव से -

यद्यपि वह आज्ञा क़ानून में ठीक उचित भी न हो॥
तीसरे-निज रक्षा का अधिकार उन अवस्थाओं में न होगा जिनमें सर्व सम्बन्धी अधिकारियों से रक्षा मिलने का अवकाश हो-
चौथे-निज रक्षा का अधिकार किसी अवस्था में ऐसा न होगा कि जितना ज़्यान पहुंचना रक्षा के लिये अवश्य हो उससे बढ़ती ज़्यान पहुंचाया जाय॥
विवेचना-१-कोई मनुष्य निज रक्षा के अधिकार से किसी ऐसे काम के रोकने के लिये रहित न गिना जायगा जिसको कोई सर्व सम्बन्धी नौकर अपनी नौकरी के द्वारा करने का उद्योग करै सिवाय इसके कि वह यह बात जानता हो अथवा निश्चय मानने का हेतु रखता हो कि यह मनुष्य जो इस काम को करता है सर्व संबंधी नौकर है॥
बिवेचना-२-कोई मनुष्य किसी ऐसे काम के रोकने के लिये निज रक्षा के अधिकार से रहित गिना जायगा जो किसी सर्व संबंधी नौकर की आज्ञा से किया जाय अथवा किये जाने का उद्योग किया जाय सिवाय इसके कि वह यह बात जानता हो अथवा निश्चय मानने का हेतु रखता हो कि यह मनुष्य जो इस काम को करता है इसी प्रकार की आज्ञा से करता है-अथवा सिवाय इसके कि करने वाला उस अधिकार को जिसके बल से वह उस काम को करता हो वर्णन करदे अथवा जो उसके पास लिखा हुआ अधिकार हो तो मांगने पर उस अधिकार को दिखला दे॥
दफ़ा १००-तन की रक्षा का अधिकार पिछली दफ़ा में लिखे

तनकी निजरक्षा काअधिकार हुए नियमों के
करने तक कबहो सकेगा॥ को जान बूझ कर मृत्यु अथवा
ख ज़ान पहुंचाने तक हो सकेगा कदाचित वह
स से निज रक्षा का अधिकार वर्तना अवश्य हुआ
रे प्रकारों में से किसी प्रकारका हो॥
प्रथम- ऐसा आततायी पन जिससे हेतु सहित डर इसबात
का पाया जाय कि कदाचित वह रोका न जायगा तो इस आतता
ई पनका फल मृत्यु होगा॥
दूसरे- ऐसा आततायी पन जिससे हेतु सहित डर इस बात
का पाया जाय कि कदाचित वह रोका न जायगा तो इस आत
ताई पनका फल भारी दुख होगा॥
तीसरे- कोई आततायी पन जो ज़बरदस्ती व्यभचार करने के
प्रयोजन से किया जाय॥
चौथे- कोई आततायी पन जो स्वभाव विरुद्ध कामातुरता पूरी
करने के प्रयोजन से किया जाय॥
पांचवे- कोई आततायी पन जो किसी ज़बरदस्ती पकड़ ले
जाने अथवा भगा लेजाने के प्रयोजन से किया जाय॥
छठे- कोई आततायी पन जो किसी मनुष्य को अनीति बांध
में रखने के प्रयोजन से ऐसी अवस्था में किया जाय जब हेतु
सहित डर उसको इस बात का हो कि इस से छूटने के लिये स
ब संबंधी हलकारों तक न पहुंच सकूंगा॥
दफ़ा १०१॥ कदाचित अपराध ऊपर की दफ़ा में लिखेहुए
प्रकारों में से किसी प्रकार का न हो तो तन की निजरक्षा का
अधिकार आततायी को जानबूझ कर मार डालने तक नहीं

आततायी पनसे उसमनुष्य को समझना चाहिये जो अपने ऊपर उठैया करे आदे-

यह अधिकार मृत्यु को छोड़ कर दूसरा कोई ज्यान पहुंचाने तक कब हो सकेगा

गा परंतु दफ़ा ९९ में लिखे हुए नियमों के आधीन यहां तक हो सकेगा कि आततायी को मृत्यु छोड़ कर दूसरा कोई ज्यान पहुंचा दिया जाय॥

दफ़ा १०२ - तन की निज रक्षा का अधिकार उसी समय प्राप्त

तन की निज रक्षा का आदि अंत -

हो जायगा जब कि तन को विपत्ति पहुंचाने का हेतु सहित डर किसी अपराध के उद्योग से अथवा धमकी से पाया जाय यद्यपि वह अपराध किया भी न गया हो और यह अधिकार उतने ही समय तक रहेगा जब तक कि तन की विपति का हेतु सहित डर है॥

दफ़ा १०३ - धन की निज रक्षा का अधिकार दफ़ा ९९ में लिखे

धन की निज रक्षा का अधिकार मृत्यु करने तक कब हो सकेगा

हुए नियमों के आधीन अनीति करने वाले को जान बूझ कर मार डालने अथवा और कोई ज्यान पहुंचाने तक हो सकेगा कदाचित वह अपराध जिस के करने से अथवा करने के उद्योग से उस अधिकार का वर्तना अवश्य हुआ आगे लिखे हुए प्रकारों में से किसी प्रकार का हो॥

(१) जोरी -

(२) राति के समय घर फोड़ना -

(३) उत्पात करना आग के द्वारा किसी ऐसे मकान अथवा डेरा अथवा नाव पर जो मनुष्य के रहने के स्थान की भांति अथवा चीज़ वस्तु धरने की ठौर की भांति काम में हो॥

चौथे - चोरी अथवा उत्पात अथवा मकान की मुदाख़लत बेजा ऐसी अवस्था में जब कि हेतु सहित डर इस बात का पाय

जाय कि कदाचित निज रक्षा का अधिकार न बन जायगा तो परिणाम मृत्यु अथवा भारी दुख होगा॥

२०४- कदाचित वह अपराध जिसको किये जाने से अ-

यह अधिकार मृत्यु को छोड़ कर- दूसरा कोई ज्यान करदेने का होसकेगा	थ किये जाने के उद्योग से वर्तना निज रक्षा के अधिकार का

चोरी अथवा उत्पात अथवा मुदाखलत बेजा पि छली दफ़ा में लिखे हुए प्रकारों को छोड़कर दूसरे र का हो तो वह अधिकार जान बूझ कर मृत्यु को छोड़ कर दूसरा कोई ज्यान अनीति करनेवाले को पहुंचाने तक हो सकेगा॥

दफ़ा २०५- पहले धन की निज रक्षा के अधिकार उसी

धन की निज रक्षा के अधिकार का आदि अंत	आरंभ होगा जब कि धन

की विपत्ति के हेतु सहित डर का आरंभ हो॥

दूसरे- धन की निज रक्षा का अधिकार चोरी रोकने को नी देर तक वर्तमान रहे जब तक कि अपराधी धन लेकर च ला न जाय अथवा सर्व संबंधी अहकारों से जाय न अथवा वह धन फेर न लिया जाय॥

तीसरे- धन की निज रक्षा का अधिकार जोरी रोकने तनी देर तक वर्तमान रहेगा जब तक कि अपराधी य को मारता हो अथवा दुख पहुंचाता हो अथवा धि में रखता हो अथवा मार डालने या दुख पहुंचाने ति बंधि में रखने का उद्योग कर रहा अथवा त्काल मृत्यु अथवा तत्काल दुख अथवा बंधि का हेतु सहित डर रहे॥

चौथे - धनकी निज रक्षा का अधिकार मुदाख़लत बेजा अथवा उत्पात रोकने को उतनी देरतक रहेगा जब तक अपराधी मुदाख़लत बेजा अथवा उत्पात कर रहा हो॥

पांचवे - धन की निज रक्षा का अधिकार रात्रि के समय घरफोडना रोकने को उतनी देर तक रहेगा जब तक कि मकान की मुदाख़लत बेजा जो उस घर फोडने से उत्पन्न हुई रहे॥

दफ़ा १०६ - कदाचित किसी ऐसे उठैये को रोकने को जिससे हेतु सहित डर मृत्यु होने का पाया जाय कि उस अधिकार को भली भांति वर्तने से किसी निरपराधी मनुष्य को ज्ञान पहुंचाने की जोखिम अवश्य हो तो उस को निज रक्षा का अधिकार यहां तक कि उस जोखिम को भी उठाले॥

निज रक्षा का अधिकार मृत्यु कारक उठैया रोकने को उस अवस्था में जब कि किसी अनपराधी मनुष्य को ज्ञान पहुंचाने की जोखिम हो॥

उदाहरण

देवदत्त पर एक भीड़ ने जो उस के ज्ञान घात के उद्योग में थी उठैया किया और वह अपने निज रक्षा के अधिकार को विना इस के कि उस भीड़ पर बन्दूक छोड़े भली भांति वर्त नहीं सक्ता था और बंदक छोडने से अवश्य ज्ञान पहुंचने की जोखिम उन छोटे २ बालकों को थी जो उस भीड़ में मिल रहे थे कदाचित ऐसी दशा में देवदत्त बंदूक छोड़ देता और उससे किसी बालक को ज्ञान होजाता तो देवदत्त अपराधी न गिना जाता॥

देखो सफ़ा ८८ का निशान

अध्याय ५

सहायता के विषय में

दफ़ा १०७ - कोई मनुष्य किसी काम में सहायता देने वाला कहलावेगा जब कि वह -

सहायता किसी काम की

पहले अथवा किये जाने के समय सुगमता के लिये कुछ काम करेगा तो वह मनुष्य उस काम के करने में सहायता देने वाला कहलावेगा॥

दफ़ा १०७-कोई मनुष्य किसी अपराध में सहायता देने वाला कहलावेगा जबकि वह या तो उसी अपराध के किये जाने में या दूसरे किसी ऐसे काम के किये जाने में सहायता दे जो उस अवस्था में अपराध गिना जाता हो जब कि उसका करने वाला क़ानूनानुसार अपराध समझता हो कदाचित वह अपराध वैसेही प्रयोजन अथवा ज्ञान से करै जैसाकि उस सहायता करने वाले का है॥

सहाई

बिवेचना-१-किसी काम में क़ानून विरुद्ध चूक कराने का सहाई होना अपराध हो सकेगा यद्यपि उस काम का करना सहाई पर अवश्य भी न हो॥

बिवेचना-सहायता के अपराध के लिये कुछ यह अवश्य नहीं है कि जिस काम में सहायता दी गई वह होही जाय अथवा जिस परिणाम का हो जाना उस काम को अपराध वनाने के लिये अवश्य हो वह होही गया हो॥

उदाहरण

(अ) देवदत्त ने हरदत्त की ज्ञातघात के लिये यज्ञदत्त को वहका और यज्ञदत्त वह काम करने से नाहीं कर गया तो देवदत्त ज्ञात घात करने के लिये यज्ञदत्त को सहायता करने का अपराधी हो चुका॥

(ई) देवदत्त ने हरदत्त के ज्ञातघात के लिये यज्ञदत्त को वहकाया और यज्ञदत्त ने वह काने के अनुसार हरदत्त को घायल किया परंतु इस घाव से हरदत्त बच गया तो देवदत्त ज्ञातघात करने के लिये तो यज्ञदत्त वहकाने काने का अपराधी हो चुका॥

विवेचना-३-यह अवश्य नहीं है कि सहाय ताप ने वाला मनुष्य कानून अनुसार अपराध करने को समर्थ ही हो अथवा यह कि सहाई का कुप्रयोजन अथवा कुज्ञान रखता हो अथवा कुछ ही प्रयोजन या कुज्ञान रखता हो ॥

उदाहरण

(अ) देवदत्त ने कुप्रयोजन से किसी बालक अथवा सिड़ी मनुष्य को सहायता किसी ऐसे काम करने में दी जो अपराध होता कदाचित उसको कोई मनुष्य जो कानून अनुसार अपराध करने को समर्थ होता करता और वही प्रयोजन रखता जो देवदत्त का था तो यहां चाहे वह काम किया गया हो देवदत्त अपराध में सहायता देने का अपराधी हो चुका ॥

(इ) देवदत्त ने विष्णुमित्र की ज्ञात घात के प्रयोजन से सात वर्ष से कमती अवस्था के बालक को कोई ऐसा काम जिससे विष्णुमित्र को मृत्यु होकर ने के लिये वह काया और यज्ञदत्त ने उस वहकाने के कारण उस काम को किया और उस से विष्णुमित्र की मृत्यु हुई तो यहां यद्यपि यज्ञदत्त कानूनानुसार अपराध करने को समर्थ होता और ज्ञान घात करता इसलिये देवदत्त वध के दंड योग्य हुआ ॥

(उ) देवदत्त ने किसी रहने के मकान में आग लगाने के प्रयोजन से देवदत्त को वहकाया और यज्ञदत्त ने अपने सिड़ीपन के कारण कि जिससे वह उस काम के गुण और फल जानने को कि जिस काम को मैं करता हूं वह अनीति अथवा कानून के विरुद्ध है असमर्थ है देवदत्त ने वहकाने के अनुसार उस घर में आग लगाई तो देवदत्त ने कुछ अपराध नहीं किया परंतु देवदत्त रहने के मकान में आग लगाने की सहायता का अपराधी हुआ और इस लिये उसी दंड के योग्य हुआ जो उस अपराध के लिये ठहराया गया है।

(ए) देवदत्त ने चोरी कराने के प्रयोजन से विष्णुमित्र का माल विष्णुमित्र के कब्ज़े से लेलेने के लिये यज्ञदत्त को वहकाया और देवदत्त ने

धोखा देकर यज्ञदत्त को यह निश्चय कराया कि यह माल मेरा है और यज्ञदत्त ने वह माल विष्णुमित्र के क़ब्ज़े से शुद्ध भाव से यह जानकर कि यह माल देवदत्त का है ले लिया तो यज्ञ ने यह काम धोखे से किया इसलिये उसने वह माल बेधर्मी से नहीं लिया और न चोरी करने वाला हुआ परंतु देवदत्त चोरी की सहायता का अपराधी हो चुका और उसी दंड के योग्य हुआ मानो यज्ञदत्त ने चोरी की ॥

विवेचना-४-जब सहायता किसी अपराध की अपराध हो तो उस सहायता की सहायता भी अपराध होगी ॥

उदाहरण

देवदत्त ने यज्ञदत्त को बहकाया कि हरमित्र को बहकाकर विष्णुमित्र की ज्ञात घात कराने और यज्ञदत्त ने उसी अनुसार विष्णुमित्र की ज्ञातघात करने के लिये हरदत्त को बहकाया और हरदत्त ने उस अपराध को यज्ञदत्त के बहकाने के कारण किया तो यज्ञदत्त अपने अपराध के बदले उसी दंड के योग्य हुआ जो ज्ञातघात के लिये ठहराया गया है और देवदत्तने यज्ञदत्त को उस अपराध के करने के लिये बहकाया इससे वह भी इसी दंड के योग्य हुआ ॥

विवेचना ५ जथे मते के द्वारा बहकाने का अपराध किया जाने के लिये कुछ यह अवश्य नहीं कि सहाई ने उस मनुष्य के जिसने अपराध किया अपराध का मता किया हो इतनाही बहुत है कि वह उस जथे मते में साझी हुआ हो। जिसके के अनुसार अपराध किया गया ॥

उदाहरण

देवदत्त ने विष्णुमित्र को विष देने का मता यज्ञ से किया और यह ठहराया कि देवदत्त विष खिलावे यज्ञदत्त ने यह मता हरदत्त को समझाया और कहा कि विष कोई तीसरा मनुष्य खिलावेगा देवदत्त का नाम न लिया हरदत्त ने विष ला देना स्वीकार किया और लाकर

यज्ञदत्त को इस निमित्त दिया कि जैसा मता हो चुका है उसी अनुसार काम में आवे फिर देवदत्त ने खिलाया और विष्णुमित्र उस से मरगया तो यहां यद्यपि देवदत्त और हरदत्त ने आपस में मता नहीं किया तो भी हरदत्त साझी उस ज्ञये मते में हुआ जिस के अनुसार विष्णुमित्र की मृत्यु हुई इसलिये हरदत्त ने वह अपराध किया जिस का लक्षण इस दफ़ा में कहा है और ज्ञात घात के दंड योग्य हुआ॥ (दफ़ा ४० को देखो)

दफ़ा १०९ - जो कोई मनुष्य किसी अपराध में सहायता करेगा उस को कदाचित सहायता किया हुआ काम उसी सहायता के कारण किया गया हो और इस संग्रह में उस सहायता के दंड का कुछ स्पष्ट नियम न लिखा हो वही दंड किया जायगा जो उस अपराध के लिये ठहरा हो॥

दंड सहायता का कदाचित वह काम जिसकी सहायता हुई उसी सहायता के कारण किया गया हो और उसके दंड कोई स्पष्ट नेम न हो

विवेचना-१- कोई काम अथवा अपराध सहायता के कारण किया जाना तब कहलावेगा जबकि वह काम बहकाने के कारण अथवा मते के अनुसार अथवा उस सहारे से जिस से सहायता निकलती हो किया जाय॥

नजीर- कोई शख़्स मकान किरायः पर लेकर वहां बदमाशों को जुआ खेलने दे कि जिस से लोगों को नकलीफ़ हो तो बावजूद इस के कि मकान किरायः पर लेना इस काम के लिये साबित न हो उस को सज़ा देना दुरस्त है॥

सर्कार बनाम दुन्डा वग़ैरः मुफ़स्सल: २८ जनवरी सन् १८६१ सफ़ा २६७ जिल्द २४ मंदरास इन्डीयन लारिपोर्ट

देवदत्त ने यज्ञदत्त एक सर्वसंबंधी नौकर के आगे कुछ घूंस इनाम की भां
ति इस प्रयोजन से रक्खी कि देवदत्त पर यज्ञदत्त अपने ओहदे का-
काम भुगताने में कुछ पक्षपात करे और यज्ञदत्त ने वह घूंस स्वीकार कर
ली तो देवदत्त ने दफ़ा १६१ में लक्षण किए हुए अपराध की सहाय
ता की ॥

(ड) देवदत्त ने यज्ञदत्त को झूंठी गवाही देने के लिये बहकाया और यज्ञदत्त
ने उस बहकाने से वह अपराध किया तो देवदत्त उस अपराध में सहायता
करने का अपराधी हुआ और जिस दंड के योग्य यज्ञदत्त है उसी के
योग्य देवदत्त हुआ ॥

(उ) देवदत्त और यज्ञदत्त ने विष्णुमित्र को विष देने का काम किया औ
र देवदत्त ने उसी मते के अनुसार विष लाकर यज्ञदत्त को इस प्रयोजन
से सौंपा कि वह उसे विष्णुमित्र को खिलावे और यज्ञदत्त ने उसी मते के
अनुसार विष्णुमित्र को ऐसे समय जबकि वहां देवदत्त न था विष दि
या और उससे विष्णुमित्र की मृत्यु हुई तो यहां यज्ञदत्त ज्ञातघात
का अपराधी हो चुका और देवदत्त उस अपराध की सहायता जथे
मते के द्वारा करने वाला ठहरा इसलिये देवदत्त उसी दंड के योग्य
होगा जो ज्ञातघात के लिये ठहराया गया है ॥

दंड सहायता का कदाचित सहायता पाने वाला मनुष्य अपराध के काम को सहायता करने वाले के प्रयोजन के सिवाय किसी और प्रयोजन से करे ॥

दफ़ा ११० - जो कोई मनुष्य किसी अपराध के होने में सहायता पहुंचावेगा और सहायता पानेवाला मनुष्य कुछ अपराध का काम सहायता पहुंचाने वाले के प्रयोजन अथवा ज्ञान के सिवाय किसी और प्रयोजन अथवा ज्ञान से करेगा तो सहाई उसी अपराध के दंड के योग्य होगा जोकि याजाता कदाचित सहायता पाने वाला मनुष्य उस काम को सहायता करने वाले के प्रयोजन अथवा ज्ञान के अनुसार करता दूसरी भां

१११ दफा – जब एक काम में सहायता पहुंचाई जाय और उस से भिन्न कोई दूसरा काम होजाय तो उस हो जाने वाले काम के बदले सहाई उसी भांति और उतने ही दंड के योग्य होगा मानो उसने स्पष्ट उस काम में सहायता पहुंचाई परंतु नियम यह है कि जो काम हो जाय वह इस प्रकार का हो कि सहायता से उस का होजाना भांति संभवित पाया जाय और वह होने के कारण उपद्रव सहारे से अथवा जो मता उस सहायता का मूल हुआ उस मते के अनुसार किया गया हो ॥

दंड सहायता करने वाले को जब कि एक काम में सहायता पहुंचाई जाय और उससे भिन्न दूसरा कोई काम होजाय

उदाहरण

(अ) देवदत्त ने विष्णुमित्र के भोजन में विष मिलाने के लिये एक बालक को बहकाया और इस काम के लिये विष उसको सौंप दिया बालक ने उस बहकाने के अनुसार विष दिया परंतु भूल कर हरमित्र के भोजन में जो कि विष्णु मित्र के भोजन के पास रक्खा था मिला दिया यहां बालक ने देवदत्त के बहकाने में आकर यह काम किया और यह काम देवदत्त की सहायता से संभवित परिणाम भी था इसलिये देवदत्त उसी भांति और उतने दंड के योग्य होचुका मानो उसने बालक को हरमित्र के भोजन में विष मिलाने के लिये बहकाया था॥

(ब) देवदत्त ने विष्णु मित्र के घर में आग लगाने के लिये यज्ञदत्त को बहकाया यज्ञदत्त ने उस घर में आग लगाई उसी समय वहां से कुछ माल भी चुराया तो देवदत्त यद्यपि आग लगाने में सहायता देने का अपराधी हुआ परंतु चोरी की सहायता का अपराधी नहीं हुआ क्योंकि चोरी एक अलग काम था और आग लगाने का संभवित परिणाम न था॥

(क) देवदत्त ने हरदत्त और यज्ञदत्त को आधी रात के समय जोरी से चोरी

ने के प्रयोजनसे किसी मकानको जिसमें मनुष्य रहते थे फोड़ने के लि
वहकाया और उनको इस कामके लिये हथियार भी दिये यज्ञदत्त
और हरदत्तने उस घर को फोड़ा और उसके रहने वालों से एक मनुष्य
विष्णु मित्र को जिसने उस को रोका मारडाला तो यहां कदाचित उसी
दंड के योग्य होगा जो खून घात के लिये ठहराया गयाहो॥

दफ़ा ११२- कदाचित वह काम जिसके बदले पिछली दफ़ा के अनुसार सहायता करनेवाला मनुष्य दंड के योग्य हो सहायता किये हुए कामसे अधिक किया जाय और आपही एक अलग अपराधी भी हो तो सहायता करने वाला दोनों अपराधों का दंड अलग २ पानेके योग्य होगा॥

सहाई करवइसयोग्यहोगा कि जिस कामभेंउसने सहायता की और जो काम कियागया हो दोनों का दंडपावै

उदाहरण

देवदत्त ने किसी सर्व संबंधी नौकरकी कीहुई कुरकी में बलसे सामना करने के लिये यज्ञदत्त को वहकाया और यज्ञदत्त ने उसी अनुसार कुरकी को रोका और रोकने में यज्ञदत्त ने जान बूझकर कुरकी करने वाले अहलकार को भारी दुख पहुंचाया जो यहां यज्ञदत्तने कुरकी को रोका और जानबूझ करभारी दुख पहुंचाया तो यहां दोनों अपराध किये इसलिये यज्ञदत्त उन दोनों अपराधों के दंड योग्य हुआ और कदाचित देवदत्तने यहबात जान ली हो कि कुरकी का सामना करने में भारी दुख पहुंचना अति संभवित है तो देवदत्त भी इन दोनों अपराधों में से प्रत्येक के बदले दंड योग्य होगा॥

दफा ११३- जब सहायता करने वालेने कुछ विशेष परिणाम होने के प्रयोजन से किसी काममें सहायता की हो और जिस काम के बदले सहाई सहायता करने के कारणदंड

दंड सहाई को उस परिणाम के बदले जो उस के प्रयोजन किये हुए परिणाम संभवित होजाय।	के योग्य हो वह उस परिणाम से जिसका प्रयोजन सहाय में किया था कुछ भिन्न परिणाम करे तो सहाई

उस परिणाम के बदले जिस का प्रयोजन न था उसी भांति और उतने ही दंड के वह योग्य होगा मानो उस ने उस काम से परिणाम होने के प्रयोजन से सहायता की थी परंतु नियम यह है कि वह उस सहायता किये हुए काम से उस भिन्न परिणाम का होना अति सम्भवित जानता हो॥

उदाहरण

देवदत्त ने विष्णुमित्र को भारी दुख पहुंचाने के लिये यज्ञदत्त को बहकाया और इस बहकाने कारण यज्ञदत्त ने विष्णुमित्र को भारी दुख पहुंचाया और उस से विष्णुमित्र मरगया यहां कदाचित देवदत्त ने जानलिया हो कि जिस भारी दुख के लिये सहायता की गई है उससे मृत्यु का होना अति संभवित है तो देवदत्त उसी दंड के योग्य होगा जो खून घात के ठहराहो॥

देखो दफ़ा ४० को।

दफ़ा ११४- जब कभी कोई मनुष्य जो मौजूद न होने की

मौजूद न होना सहाई का अपराध होने के समय-	अवस्था में सहायता का दंड पाने के योग्य होता उस काम अथवा अपराध के

जिस के बदले वह सहायता के दंड योग्य होता होने के समय मौजूद हो तो समझा जायगा कि उसने वह काम अथवा अपराध आपकिया॥

दफ़ा ११५- जो कोई मनुष्य सहायता किसी अपराध में जि

सहायता किसी ऐसे अपराधने जिसका दंड वध अथवा जन्मभरका देश निकाला हो कदाचित वह अपराध सहायता के कारण न किया जाये-	सका दंड वध अथवा जन्मभर का देश निकाला हो पहुंचावेगा उस को

कदाचित वह अपराध उसी सहायता के कारण न किया हो और इस संग्रह में उस सहायता के दंड का कुछ स्पष्ट नियम न हो तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद ७ वर्ष तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और कदाचित कोई काम जिस के बदले सहाई सहायता का दंड पाने योग्य हो और जिस से किसी मनुष्य को दुख पहुंचता है किया जाय तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद चौदह वर्ष तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

कदाचित कोई काम जिस से ज्ञान होता हो न हो सहायता के कारण हो जाय ॥

उदाहरण

देवदत्त ने विष्णु मित्र की घात पात के लिये यज्ञदत्त को बहकाया परंतु यज्ञ दत्त से वह अपराध हुआ नहीं यहां कदाचित यज्ञदत्त विष्णु मित्र को मारडालता तो ज़रूर बध अथवा जन्म भर का देश निकाले के दंड के योग्य होता इस लिये देवदत्त किसी म्याद की जो सात वर्स तक हो सकेगी क़ैद हो सकेगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और कदाचित उस सहायता के कारण विष्णु मित्र को कुछ दुख पहुंचता हो तो देवदत्त किसी म्याद की जो चौदह बरस तक हो सकेगी क़ैद हो सकेगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

(दफा ४० को देखो)

दफ़ा ११६ - जो कोई मनुष्य सहायता किसी अपराध में जो क़ैद के दंड योग्य हो करेगा उस को कदाचित वह अपराध उस सहायता के ही कारण न हो जाय - और उस सहायता के दंड का कुछ स्पष्ट लेख संग्रह में न पाया जाय तो दंड दोनों प्रकारों में से किसी प्रकार की क़ैद का जो उस अपराध के लिये ह

सहायता किसी अपराध में जो क़ैद के दंड योग्य हो कदाचित वह अपराध उस सहायता के कारण न किया जाय ॥

राई गई हो किसी म्याद को तो उस अपराध के लिये ठहराई हुई बड़ से बड़ म्याद की चौथाई तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जितना कि उस अपराध के लिये ठहराया गया हो अथवा दोनों का किया जायगा और कदाचित् सहायता करने वाला अथवा सहायता पाने वाला मनुष्य कोई ऐसा सर्व संबंधी

कदाचित् सहाई अथवा सहायता पाने वाला मनुष्य कोई ऐसा सर्व संबंधी नौकर हो जिसका काम उस अपराध का रोकना हो -

नौकर जिसका काम उस अपराध को रोकना हो तो दंड उस अपराध के लिये ठहराये हुए प्रकार का जिसकी म्याद उस अपराध के लिये ठहराई हुई बढ़ती से बढ़ती म्याद की आधी तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जितना उस अपराध के लिये ठहराया गया हो अथवा दोनों का किया जायगा॥

उदाहरण

(अ) देवदत्त ने एक सर्व संबंधी नौकर यज्ञदत्त को घूंस इसलिये दिखाई कि यज्ञदत्त अपने ओहदे के काम में देवदत्त का कुछ पक्षपात करने के बदले इनाम की भांति उसको ले और यज्ञदत्त ने उस घूंस लेने से नाहीं की तो देवदत्त इस दफ़ा के अनुसार दंड के योग्य हो चुका॥

(इ) देवदत्त ने झूठी गवाही देने के लिये यज्ञदत्त को वहकाया यहां कदाचित यज्ञदत्त ने झूठी न दी तो भी देवदत्त ने इस दफ़ा के अनुसार के लक्षण से अपराध किया और उसी अनुसार दंड के योग हुआ॥

(उ) देवदत्त एक पुलिस के अहिलकार ने जिसका काम चोरी रोकने का है चोरी होने में सहायता की तो यहां यद्यपि चोरी न भी हुई तो भी देवदत्त उस अपराध के लिये ठहराई बढ़ती से बढ़ती म्याद की आधी म्याद की क़ैद के योग्य हो चुका और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

(ए) यज्ञदत्त ने एक पुलिस के अहिलकार देवदत्त को जिसका काम चोरी

रोकने का था उसी अपराध के करने में सहायता पहुंचाई तो यहां यद्यपि चोरी नहुई तो भी यज्ञदत्त चोरी के अपराध के लिये ठहराई हुई बड़ती से बड़ती म्याद की आधी म्याद की क़ैद के योग्य होचुका और जरीमाने के योग्य भी हुआ ॥ (दफ़ा ५० को देखो)

दफ़ा ११७ – जो कोई मनुष्य किसी अपराध के होने में सब
सहायता पहुंचाना किसी अपराध के करने में सब के द्वारा अथवा दस से अधिक मनुष्यों के द्वारा
के अथवा किसी संख्या अथवा संबंध दस से अधिक मनुष्यों के द्वारा सहायता पहुंचावेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन वर्ष तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जावेगा ॥

उदाहरण

देवदत्त ने किसी सर्वसंबंधी स्थान में एक टिकट दस मनुष्यों से अधिक की किसी सम्प्रदाय को दूसरी प्रतिकूल सम्प्रदाय के ऊपर जबकि वह समाज करके निकले किसी नियत समय और नियत स्थान पर उठैया करने के लिये बहकाने को लटका दिया तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लिखेहुए का अपराध किया ॥

दफ़ा ११८ – जो कोई मनुष्य
गुप्त रखना किसी ऐसे अपराध के उद्योग का जो वध अथवा जन्मभर के देश निकाले के दंड योग्य हो
वध अथवा जन्म भर के देश निकाले के दंड योग्य किसी अपराध का किया जाना सुगम करने के प्रयोजन से अथवा उसका सुगम होना अति संभावित जानकर अपनी इच्छा से किसी कर्म अथवा क़ानूनविरुद्ध चूक के द्वारा उस अपराध के उद्योग को छुपावेगा अथवा कुछ बात जिस को वह जानता हो कि झूठी है उस उद्योग के मध्ये कहेगा उस को कदाचित

वह अपराध हो जाय तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात वर्ष तक हो सकेगी किया जायगा अथवा जब वह अपराध हो न जाय तो दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन वर्ष तक हो सकेगी किया जायगा और दोनों अवस्थाओं में जरीमाने के भी योग्य होगा॥

उदाहरण

देवदत्त ने यह बात जान बूझ कर कि यज्ञदत्त के मकान पर डाका पड़ने को है साहब मजिस्ट्रेट को झूठी ख़बर देदी कि डाका हरदत्त के मकान पर जो दूसरी ओर है पड़ा चाहता है और इस उपाय से उस अपराध का होना सुगम करने के प्रयोजन से साहब मजिस्ट्रेट को धोखा दिया और इसी कारण यज्ञदत्त के मकान पर डाका पड़ गया तो देवदत्त इस दफ़ा के अनुसार दंड योग्य हुआ॥

कोई सर्व संबंधी नौकर जो किसी ऐसे अपराध के होने के उद्योग को जिसको रोकना उसका काम हो छुपावे -

दफ़ा ११८ - जो कोई मनुष्य सर्व संबंधी नौकर होकर किसी अपराध के उद्योग को जिसका रोकना सर्व संबंधी नौकर होने के कारण उस पर अवश्य हो अपनी इच्छा से कुछ काम अथवा क़ानून विरुद्ध चूक करके उस अपराध का होना सुगम करने के प्रयोजन से अथवा सुगम होना अति सम्भवित जानकर छुपावेगा अथवा उस उद्योग के मध्ये कोई ऐसी बात जिसको वह जानता हो कि झूठी है कहेगा उसको कदाचित वह अपराध हो जाय दंड उस अपराध के लिये ठहराये हुए प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद उस अपराध के लिये ठहराई हुई हद से बड़ी म्याद की आधी तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जितना कि उस अपराध के लिये ठहराया गया हो अथवा दोनों का किया जायगा और कदा

कदाचित अपराध हो जाय

कदाचित अपराध न हो इत्यादि के दंड योग्य हो -

चित वह अपराध वध अथवा जन्म भर के देश निकाले के दं ड योग्य हो तो दंड किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दस बर्स तक हो सकेगी किया जायगा और कदाचित वह अ पराध हो न जाय तो दंड उस अपराध के लिये ठहराये हुए प्र कार की क़ैद का जिस की म्याद उस अपराध के लिये ठहराई हुई बढ़ से बढ़ म्याद की चौथाई तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जितना कि उस अपराध के लिये ठह राया गया हो अथवा दोनों का किया जायगा॥

जब अपराध होन जाय

उदाहरण

देवदत्त पुलिस का अहलकार जिस पर क़ानूनानुसार अवश्य था कि चोरी हो ने की उद्योग की जो कुछ ख़बर पावे उस को रपट करे यह बात जान बूझकर कि यज्ञदत्त चोरी करने का उपाय कर रहा है उस अपराध का होना सुगम करने के प्रयोजन से इस बात की रिपोर्ट देने में चूका तो यहां देवद त्त ने क़ानून विरुद्ध चूक करके यज्ञदत्त की उद्योग को छुपाया और इस दफ़ा के नियमानुसार दंड के योग्य हुआ॥

दफ़ा १२० - जो कोई मनुष्य क़ैद के दंड योग्य किसी अपराध के उद्योग को उस का किया जाना सुगम करने के प्रयोजन से अथवा सुगम होना अति संभवित जान कर अपनी इच्छा से कुछ क र्म अथवा क़ानून विरुद्ध चूक करके छुपावेगा अथवा उस उद्योग के मध्ये कोई ऐसी बात जिस को वह जानता हो कि झूठी है प्रकाशेगा तो कदाचित वह अपराध हो जाय दंड उस अपराध के लिये ठहरा ये हुए प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद उस अपराध के लिये ठहराई हुई क़ैद की बढ़ से बढ़ चौथाई तक की और जो कदाचि त अपराध हुआ न हो तो ८ वें भाग तक हो सके

छुपाना उद्योग का जो क़ैद के दंड योग्य किसी अपराध के करने के लिये हो -

कदाचित अपराध हो जाय -

कदाचित अपराध न हो जाय

अथवा जरीमाने का। जितना उस अपराध के लिये ठहराया गया हो। अथवा दोनों का दंड दिया जायगा॥

अध्याय

राजविरोधी अपराधों के विषयमें

दफ़ा १२१ - जो कोई मनुष्य श्री मती महारानी के दरबार के साथ युद्ध करेगा अथवा युद्ध करने में सहायता देगा उस दंड वध अथवा जन्मभर की कैद अथवा जन्म भर के देश निकाले का किया जायगा और उस का सब धन जप्त किया जायगा॥

श्री मती महारानी के दरबार के साथ युद्ध करना अथवा युद्ध करने को उद्योग करना या युद्ध करने में सहायता देना

उदाहरण

(अ) देवदत्त किसी बलवे में जो श्री मती महारानी के दरबार के साथ किया गया साम्री हुआ तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया॥

(ब) देवदत्त ने किसी बलवे में जो श्री मती महारानी के दरबार के साथ सीलोन के टापू में हुआ हिन्दुस्तान से बैरियों के पास हथियार पहुंचाकर सहायता दी तो देवदत्त श्री मती महारानी के दरबार के साथ युद्ध होने में सहायता पहुंचाने का अपराधी हुआ॥

दफ़ा १२१ (अ) जो कोई मनुष्य हिन्दुस्तान के अंगरेजी राज्य अथवा उससे बाहर उन अपराधों में से जो दफ़ा १२१ के अनुसार दंड योग्य हैं उद्योग करना अथवा हिन्दुस्थान के अंग्रेजी राज्य या उसके किसी विभाग से श्री मती महारानी को अधिकार से बेदखल करने के लिये सहायता करै अथवा अपराध संयुक्त बल के द्वारा अथवा अपराध संयुक्त बल दिखा कर राज

श्री मती महारानी को हिन्दुस्तान के अंग्रेजी राज्य अथवा उसके बाहर के किसी विभाग से बेदखल करना या बेदखल करने में सहायता देना॥

दफ़ा १२१ (अ) ऐक्ट २७ सन् १८७० ई॰ की दफ़ा ४ के ज़रिये से दर्ज की गई है॥

नेमेन्ट हिन्द अथवा किसी लोकल गवर्नमेन्ट की कमती होने के लिये सहायता करे तो उसको जन्म भर के देश निकाले का अथवा किसी कमम्याद का अथवा दोनों प्रकारों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी ॥

विवेचना - इस दफ़ा के अनुसार सहायता दिये जाने के वास्ते यह अवश्य नहीं है कि कोई काम अथवा क़ानून विरुद्ध चूक उस के उद्योग में दिखाई दे॥

दफ़ा १२२ - जो कोई मनुष्य कुछ सिपाही अथवा हथ्यार अथवा गोला बारूद आदि सरंजाम इकट्ठे करेगा या दूसरे किसी भांति युद्ध का सामान करेगा इस प्रयोजन से कि श्री मती महारानी के दरबार के साथ युद्ध करे अथवा करने को तैयार हो उसको दंड जन्म भर की क़ैद अथवा देश निकाले का अथवा दोनों प्रकार में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी दस बरस से अधिक न होगी किया जायगा और उस का सब धन ज़प्त होगा ॥

(श्री मती महारानी के दरबार के साथ युद्ध करने के प्रयोजन से हथियार इत्यादि इकट्ठे करना)

दफ़ा १२३ - जो कोई मनुष्य किसी काम अथवा क़ानून विरुद्ध चूक के द्वारा किसी उद्योग के जो श्री मती महारानी के दरबार के साथ युद्ध होने के लिये हो रहा हो छुपावेगा इस प्रयोजन से कि यह छुपाना उस युद्ध के होने में सुगम करेगा अथवा यह बात अति संभवित जान कर कि इस छुपाने से उस युद्ध का करना सुगम होगा उसको दंड दो

(सुगमता के प्रयोजन से युद्ध के उद्योग को छुपाना)

में किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सके गी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

दफ़ा १२४ — जो कोई मनुष्य हिन्दुस्तान के गवर्नेर जनरैल से अथवा किसी हाते के गवर्नेर से अथवा किसी लेफ़्टनेन्ट गवर्नेर से अथवा गवर्नेर से अथवा गवर्नेर जनरैल हिन्द की कौंसिल के अथवा किसी हाते की कौंसल के सभासद से दबाकार कोई अधिकार जो उक्त गवर्नेर जनरैल अथवा गवर्नेर अथवा लेफ़्टनेन्ट गवर्नेर अथवा सभासद को क़ानून अनुसार प्राप्त हो किसी भांति वर्तवाने अथवा वर्तने से रोक देने के प्रयोजन से उक्त गवर्नेर जनरैल अथवा गवर्नेर अथवा लेफ़्टनेन्ट गवर्नेर अथवा सभासद पर उठैया करेगा अथवा अनीति रीति से रोकेगा अथवा अनीति रीति के साथ मना करने का उद्योग करेगा अपराध संयुक्त बल के द्वारा या अपराध संयुक्त बल दिखाकर दबावेगा अथवा दबाने का उद्योग करेगा उसको दोनों प्रकारों में से दंड किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने भी योग्य होगा ॥

> उठैया करना गवर्नेर जनरैल अथवा लेफ़्टनेन्ट गवर्नेर इत्यादि पर किसी नीति पूर्वक अधिकार को दबाकर वर्तने या वर्तने से रोक देने के प्रयोजन से

दफ़ा १२४ (अ.) जो मनुष्य अक्षर के साथ अथवा चिन्ह के साथ अथवा नक़्ल की हुई लिखावट के साथ अथवा किसी और प्रकार से बोले गये हों सर्व संबंधी आज्ञा में कुमति जो हिन्दुस्तान के कुल अंग्रेज़ी राज्य में क़ानून अनुसार हुई हो पैदा करने को

> कोई मनुष्य अक्षर के साथ अथवा चिन्ह अथवा और प्रकार अंग्रेज़ी राज्य में कुमति से बोले जाय अथवा नक़्ल की लिखावट के साथ —

इरादा करे उस को दंड जन्म भर के देश निकाले अथवा किसी म्याद का जिस पर जरीमाना भी अधिक हो सक्ता है या क़ैद का जिस की म्याद तीन बरस तक हो सकेगी और जरीमाना भी अधिक हो सकेगा अथवा जरीमाने का दंड होगा॥

विवेचना-ऐसी अप्रसन्न बात जिस से सर्कार के यथोचित अधिकार की आज्ञा में रहने का इरादा दिल का पाया जाता हो और उन अधिकारों के रोकने अथवा हटा डालने के अनोचित इरादों की बाबत केवल इस प्रकार की तदबीर पैदा करने के प्रयोजन से तर्क करना इस दफ़ा के अनुसार अपराध नहीं है

दफ़ा १२४ (ए) एक्ट २७ सन् १८७० ई० की दफ़ा ५ के ज़रिया से दर्ज की गई है-

इस संग्रह के अध्याय ४ व ५ उन अपराधों से संबंध रखते हैं जो दफ़ा १२४(ए) के अनुसार [illegible] योग्य हैं॥ देखो ऐक्ट २७ सन् १८७०ई०

युद्ध करना किसी दरबार के साथ जो महाद्वीप एशिया में श्रीमती महारानी का हितकारी हो

दफ़ा १२५- जो कोई मनुष्य एशिया में किसी देश के ऐसे अधिपति के साथ जिसकी मित्रता या संधि श्रीमती महारानी के दरबार से हो युद्ध करेगा अथवा युद्ध करने में सहायता देगा उस को दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा जन्म क़ैद का इस के सिवाय जरीमाना भी हो सकेगा अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात वर्ष तक हो सकेगी और इस के सिवाय जरीमाना भी हो सकेगा अथवा निरे जरीमाने का किया जायगा॥

लूटमार करना किसी ऐसे अधिपति के राज्य में जो श्रीमती महारानी के दरबार के साथ संधि रखता हो

दफ़ा १२६- जो कोई मनुष्य किसी ऐसे देशाधिपति के राज्य में जिसकी मित्रता अथवा संधि श्रीमती महारानी के दरबार से हो लूटमार करेगा अथवा लूटमार [illegible]

ने का सामान करेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी

यगा और योग्य जरीमाने और उन वस्तुओं की योग्य होगा जो उस लूट मार में काम आई हो अथवा काम आने के प्रयोजन से रक्खी गई हो अथवा उस लूटमार के द्वारा प्राप्त ऊई हो॥

रख लेना ऐसे माल का जो दफ़ा १२५ व १२६ में वर्णन किये ऊए युद्ध अथवा लूट मार के द्वारा प्राप्त ऊआ हो॥

दफ़ा १२७ - जो कोई मनुष्य किसी माल को यह बात जानबूझ कर कि दफ़ा १२५ व १२६ में वर्णन किये ऊए किसी अपराध करने से प्राप्त ऊआ है रख लेगा उस को दंड दोनों किस्मों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात वर्ष तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के योग्य होगा और जो माल इस भांति रख लिया गया उसकी ज़प्ती के योग्य होगा ॥

सर्व संबंधी नौकर जो जान बूझ कर किसी राज विरोधी अपराध के क़ैदी को अथवा युद्ध के क़ैदी को अपनी चौकसी से भाग जाने दे॥

दफ़ा १२८ - जो कोई मनुष्य सर्व संबंधी नौकर होकर और किसी राज्य विरोधी क़ैदी की अथवा युद्ध के क़ैदी की चौकसी पाकर अपनी इच्छा से उस क़ैदी को किसी मकान से जहां वह क़ैद हो निकल जाने देगा उसको दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दस वर्ष तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

दफ़ा १२९ - जो मनुष्य सर्व संबंधी नौकर होकर और किसी राज्य विरोधी क़ैदी अथवा युद्ध के क़ैदी की चौकसी पाकर असावधानी से उस क़ैदी को किसी मकान में जहां

सर्व संबंधी नोकर जो असावधानी से राज्य विरोधी अथवा युद्ध के क़ैदी को अपनी चौकसी में से भाग जाने दे ॥

वह क़ैद हो निकल जाने देगा उसको दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

दफ़ा १३० - जो कोई मनुष्य जान बूझ कर किसी राज विरोधी

ऐसे क़ैदी को भागने में सहायता देना अथवा छुड़ा लेना अथवा आश्रय देना

क़ैदी को अथवा युद्ध के क़ैदी को किसी नीति पूर्वक बन्धि में से भागने में सहायता अथवा सहारा देगा अथवा ऐसे क़ैदी को जो नीति पूर्वक बंधि में से भागा हो आश्रय देगा अथवा छुपावेगा ऐसे क़ैदी के फिर पकड़े जाने में सामना करेगा अथवा सामना करने का उद्योग करेगा उसको दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

विवेचना - कोई राज्य विरोधी क़ैदी अथवा युद्ध का क़ैदी जिसको हिन्दुस्तान के अंगरेज़ी राज्य के नियत सिवानों के भीतर अपने न भागने की प्रतिज्ञा अनुसार फिरने की आज्ञा हुई हो कदाचित उन्हीं सिवानों से जिन के भीतर फिरने की आज्ञा हुई है बाहर निकल जाय तो कहा जायगा कि नीति पूर्वक बंधि से भाग गया ॥

अध्याय ७

जंगी अथवा जहाजी सेना संबंधी अपराधों के विषय में

दफ़ा १३१ - जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानी की जंगी अथवा

बगावत में सहायता देना अथवा किसी सिपाही अथवा जहाज़ी केवट को उसके काम से बहकाने का उद्योग

जहाजी सेना के किसी अफ़सर अथवा सिपाही अथ

वा जहाज़ी जहाज़ के खलासी को बग़ावत करने में सहायता देगा अथवा इस प्रकार के किसी अफ़सर अथवा सिपाही अथवा केवट को उस के प्रजा धर्म से अथवा काम से बहकाने का उद्योग करेगा उस को दंड जन्म क़ैद अथवा जन्मभर के देशनिकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

विवेचना - इस दफ़ा में शब्द और सिपाही के अर्थ में हर मनुष्य लिया जायगा जो आर्टीकिल्स आफ़ वार धर्म प्रवर्ती सेना श्री मती श्री मती महारानी के आधीन है अथवा आर्टीकिल्स आफ़ वार जो ऐक्ट ५ सन् १८६९ ई० के लेखानुसार हो ॥ (दफ़ा ६ ऐक्ट २७ सन् १८७० ई०)

दफ़ा १३२ - जो कोई मनुष्य श्री मती महारानी की जंगी अथवा जहाज़ी सेना के किसी अफ़सर अथवा केवट को बग़ावत करने में सहायता देगा जबकि वह बग़ावत उसी सहायता के कारण की जाय उस को दंड वध अथवा जन्म क़ैद अथवा जन्म भर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का होगा जिस की म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

> सहायता करना बग़ावत में जबकि वह बग़ावत उसी सहायता के कारण हो जाय -

दफ़ा १३३ - जो कोई मनुष्य श्री मती महारानी की जंगी अथवा जहाज़ी सेना के किसी अफ़सर अथवा सिपाही अथवा केवट को किसी ऊपर के अफ़सर पर जबकि वह अपने ओहदे का काम भुगतात

> सहायता देना किसी डंडे में जो कोई सिपाही अथवा केवट अपने ऊपर अफ़सर पर जबकि वह अपने ओहदे का काम भुगताता हो

हो उठैया करने में सहायता देगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

दफ़ा १३४ - जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानी की जंगी अथवा जहाजी सेना के किसी अफ़सर अथवा सिपाही अथवा केवट को किसी ऊपर के अफ़सरपर जब कि वह अपने ओहदे का काम भुगताता हो उठैया करने में सहायता देगा कदाचित वह उठैया उसी सहायता के कारण किया जाय उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा-

सहायता ऐसे उठैये में कदाचित वह उठैया हो जाय-

दफ़ा १३५ - जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानी की जंगी अथवा जहाजी सेना के किसी अफ़सर अथवा सिपाही अथवा केवट को नौकरी से भागने में सहायता देगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा-

सहायता देना किसी सिपाही अथवा केवट के भागने में-

दफ़ा १३६ - जो कोई मनुष्य सिवाय नीचे लिखी हुई छूट के श्रीमती महारानी की जंगी अथवा जहाजी सेना के किसी अफ़सर अथवा सिपाही अथवा केवट को यह जान बूझ कर अथवा जानने का हेतु पाकर कि यह अफ़सर अथवा सिपाही अथवा केवट अपनी नौकरी से भाग आया है आश्रय देगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा-

नौकरी से भागे हुए को आश्रय देना-

२ट - यह नियम उस अवस्था में संबंध नहीं रक्खेगा जब कि कोई स्त्री अपने पति को आश्रय दे ॥

दफा १२७ - नावपति अथवा अधिकारी किसी सौदागरी जहाज का जिस पर श्रीमती महारानी की जंगी अथवा जहाजी सेना का कोई भागा हुआ छुपाया जाय यद्यपि वह उस के छुपाये जाने से बेखबर भी हो योग्य किसी जरीमाने के जो पांच सौ रु० से अधिक न होगा जब कि वह उस छुपाये जाने का हाल जान सक्ता कदाचित उस असावधानी उस नावपति पने में अथवा अधिकारी पने का काम में न होती अथवा उस जहाज के प्रबंध में कुछ खोट न होता ॥

नौकरी से भागा हुआ मनुष्य जो किसी सौदागरी जहाज में उसके नाय नावपति की असावधानी से छुपाय

दफा १२८ - जो कोई मनुष्य किसी ऐसे काम में जिस को वह जानता हो कि श्रीमती महारानी की जंगी अथवा जहाजहाजी सेना के अफसर अथवा सिपाही अथवा केवट की ओर से आज्ञा भंग का काम हो जाय दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

किसी सिपाही अथवा केवट की आज्ञा भंग के काम में सहायता देनी

दफा १२८ (अ) इस अध्याय की दफें ऊपर लिखे हुए अनुसार इस तरह पर संबंध रक्खेंगी मानो श्रीमती महारानी के जहाजी फौज या नौकर हिन्द को शामिल है ॥

दफा १२९ - कोई मनुष्य जो आधीन श्रीमती महारानी की जंगी अथवा जहाजी सेना के कानून अथवा उस जंगी अथवा

जो मनुष्य जंगी कानून के आधीन हैं इस मजमूए के अनुसार दंड दिये जाने के योग्य न होंगे -

उस जहाज़ी सेना के किसी खंड के क़ानून का हो इस अध्याय में लक्षण किये हुए किसी अपराध के लिये संग्रह के अनुसार दंड दिये जाने के योग्य न होगा॥

दफ़ा १४० – जो कोई मनुष्य श्री मती महारानी की जंगी अथवा जहाज़ी सेना में सिपाही न होकर कोई वरदी पहनेगा अथवा ऐसा चिन्ह धारण करेगा जो सिपाही की वरदी अथवा चिन्ह के सदृश हो इस प्रयोजन से कि वह सिपाही प्रतीत किया जाय उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद तीन महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो पांच सौ रु० तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

पहनना सिपाही की वरदी का –

अध्याय ८

सर्व संबंधी कुशलता में विघ्न डालनेवाले अपराधों के विषय में

दफ़ा १४१ – पांच अथवा अधिक मनुष्यों का कोई जमाव अनीति जमाउ कहलावेगा कदाचित्त उस जमाउ के सब मनुष्यों का साधारण मतलब यह है॥

अनीति जमाउ

(१) अपराध संयुक्त बल के द्वारा अथवा अपराध संयुक्त बल दिखाकर दबाना हिन्दुस्तान की क़ानून कारक अथवा क़ानून प्रवर्तक गवर्नमेन्ट का अथवा किसी हाते की गवर्नमेन्ट को अथवा किसी लेफ़टेनेन्ट गवर्नर को अथवा किसी सर्व संबंधी नोकर को जबकि वह अपनी नौकरी का नीति पूर्वक अधिकार वर्त रहा हो॥ (अथवा)

(२) रोकना किसी क़ानून के प्रचार का अथवा क़ानून अनु

मार आज्ञापत्र का॥ अथवा

तीसरे - करना किसी उत्पात अथवा मुदाखलत बेजा अथवा और किसी अपराध का (अथवा)

चौथे - अपराध संयुक्त बल के द्वारा अथवा किसी और अपराध संयुक्त बल दिखाकर लेना अथवा प्राप्त करना किसी माल का अथवा रहित करना किसी मनुष्य को किसी मार्ग अथवा जलाशय के अधिकार के भोगने से अथवा और किसी अमूर्ति अधिकार से जिसको वह भोग रहा है अथवा प्रचलित करना किसी अधिकार का अथवा कल्पित अधिकार का॥ (अथवा)

पांचवे - अपराध संयुक्त बल के द्वारा अथवा अपराध संयुक्त बल दिखाकर बेबस करना किसी मनुष्य को उस काम के करने के लिये जिसका करना उस पर कानूनानुसार अवश्य हो अथवा उस काम के करने से चुकाने के लिये जिसके करने का वह कानूनानुसार अधिकारी है॥

विवेचना - कोई जमाउ जोकि जमा होने के समय अनीति जमाउ न हो पीछे से अनीति जमाउ होसकेगा -

दफ़ा १४२ - जो कोई मनुष्य उन बातों को जान करि जिनके कारन कोई जमाउ अनीति जमाउ कहलाता होम-

साझी होना किसी अनीति जमाउ में

योजन करके उस जमाउ में मिलेगा अथवा उसमें बना रहेगा वह अनीति का साझी कहलावेगा॥

दफ़ा १४३ - जो कोई मनुष्य साझी किसी अनीतिजमाउ का होगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की

दंड

कैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा १४४-जो कोई मनुष्य कुछ म्रत्यु कारक हथियार अथवा

साझी होना किसी अनीति जमाउ में कोई म्रत्यु कारक हथियार बांधकर

और कोई वस्तु जिस को मारने के हथियार की भांति वर्ते जाने से म्रत्यु का होना अति संभवित हो बांध कर साझी किसी अनीति जमाउ का बनेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद दो वरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने के अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा १४५-जो कोई मनुष्य किसी अनीति जमाउ में मिलेगा अथवा बना रहेगा यह बात

मिलना अथवा बना रहना किसी अनीति जमाउ में यह बात जानकर कि उसके फैल फूट होने के लिये आज्ञा हो चुकी है-

जान बूझकर कि क़ानून में ठहराई हुई भांति फैल फूट होने की आज्ञा उस जमाउ को हो चुकी है उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो वरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा १४६-जब कोई बल अथवा अन्याय किसी अनीति

बल जो सब साझियों के मतलब के प्राप्त होने के लिये एक साझी की ओर से वर्ता जाय॥

जमाउ साझियों का मतलब प्राप्त होने के लिये वर्ता जायगा तो उस जमाउ का प्रत्येक साझी दंगे के अपराध का अपराधी गिना जायगा॥

दफ़ा १४७-जो कोई मनुष्य दंगा करने के अपराध का अपर

दंगा करने के लिये दंड

धी होगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की दो वरस तक हो सकेगी अथवा जरीमा

ने अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा १४८—जो कोई मनुष्य कुछ मृत्यु कारी हथियार अथवा और कोई वस्तु जिसके मारने के हथियार की भांति वर्ते जाने से मृत्यु का होना अति संभवित हो बांधकर दंगा करनेका अपराधी होगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस म्याद तीन वरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

मृत्यु कारी हथियार बांधकर दंगा करना—

दफ़ा १४९—कदाचित कुछ अपराध किसी अनीति जमाउ का कोई साझियों का मतलब प्राप्त करने के लिये करे अथवा ऐसा अपराध करे जिस को उस जमाउ के साझी जानते हों कि उस मतलब को प्राप्त करने में उसका किया जाना अति संभवित है तो हर एक मनुष्य जो अपराध के किये जाने के समय साझी उस जमाउ का हो अपराधी उस अपराध का गिना जायगा—

हर एक साझी किसी अनीति जमाउ का अपराधी उस अपराध का गिना जायगा जो सब साझियों का मतलब प्राप्त होने के लिये किया जाए

दफ़ा १५०—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को किसी अनीति जमाउ में मिलने अथवा साझी होने के लिये नौकरी पर अथवा रोजनदारी पर रक्खेगा या काम पर लगावेगा अथवा नौकरी या मजूरी पर रखने में या काम पर लगाने में वढ़ावा देगा अथवा आना कानी करेगा वह उस अनीति जमाउ के साझी की भांति दंड योग्य होगा और जो कोई अपराध इस प्रकार का कोई मनुष्य उस अनीति जमाउ का साझी होकर उस नौकर रक्खे जाने अथ

किसी अनीति जमाउ में मिलने के लिये मनुष्यों को नौकर रखना अथवा नौकर रखने में आना कानी देना—

वा मजूरी पाने अथवा काम पर लगाये जाने के अनुसार कोई गाउस भांति दंड के योग्य होगा मानो वह आप उस अनीति जमाउ का साभी हुआ अथवा उसने आपही उस अपराध को किया॥

दफ़ा १५२ - जो कोई मनुष्य जान बूझ कर पांच अथवा अधिक मनुष्यों के जमाउ में जिससे सर्व सम्बंधी कुशल में विघ्न पड़ना अति संभवित हो मिलेगा अथवा बना रहेगा पीछे इस से कि उस जमाउ के फैल फूट होने की क़ानूनानुसार हो चुकी हो उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

जानबूझ कर मिलना अथवा बना रहना पांच अथवा अधिक मनुष्यों के किसी जमाउ में पीछे इससे कि उसके फैल फूट होने की आज्ञा हो चुकी हो॥

विवेचना - कदाचित जमाउ दफ़ा १४१ में लक्षण किये हुए प्रकार का अनीति जमाउ हो तो अपराधी दफ़ा १४५ के अनुसार दंड योग्य होगा॥

दफ़ा १५३ - जो कोई मनुष्य किसी सर्व सम्बंधी नोकर पर जब कि वह अपनी नोकरी को काम भुगताने में किसी अनीति जमाउ को फैल फूट करने का उपाव करता हो अथवा दंगे या खाने जंगी को बंद करता हो उठैया करेगा अथवा उठैया करने की धमकी देगा अथवा उस को रोकेगा या रोकने का उद्योग करेगा अथवा उस सर्व संबंधी नोकर के साथ अपराध संयुक्त बल करेगा अथवा अपराध संयुक्त बल करने की धमकी देगा अथवा उद्योग करेगा

सर्व संबंधी नोकर पर उठैया करना अथवा उस को रोकना जब कि वह दंगे इत्यादि का होना बंद करता हो॥

उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा १५३-जो कोई मनुष्य दुर्भाव से अथवा बिना बात को ई क़ानून विरुद्ध काम करके किसी को क्रोध दिलावेगा इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति संभवित जान कर कि इस क्रोध के दिलाने से दंगा होना उसको कदाचित दंगे का अपराध उसी क्रोध कराने के कारण हो जाय उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद एक बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा और कदाचित दंगा होन जाय तो तो दंड दोनों में से किसी प्रकार क़ैद का जिस की म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा

बिना बात क्रोध कराने का काम करना दंगा होने के प्रयोजन से

दफ़ा १५४-जब कभी कोई अनीति जमाउ अथवा दंगा हो जाय तो मालिक अथवा क़ाबिज़ उस धरती के को जिस पर वे ह अनीति जमाउ अथवा दंगा हुआ हो और-और किसी मनुष्य को भी जो धरती में कुछ स्वार्थ अथवा स्वार्थ का दावा रखता हो दंड जरीमाने का जो एक हज़ार रुपये से अधिक न होगा किया जायगा कदाचित वह आप अथवा उस का कारिन्दा अथवा सर्बराकार यह बात जानकर कि यह अपराध हो रहा है अथवा हो चुका है अथवा उस का होना अति संभवित मानने का हेतु पाकर सब से नगीच की चौकी पुलिस के मुख्य अफ़सर को अपने बसभर जल्दी से जल्दी खबर न देगा और उस अवस्था

मालिक अथवा क़ाबिज़ धरती का जिस पर अनीति जमाउ जुड़े

में जब कि उस का होना अति संभावित मानने का हेतु पाया जाय उस के रोकने में अपने वश भर सब उपाय न करेगा और उस अवस्था में जब कि वह हो जाय अपने वश भर सब उपाय उस दंगे के मिटाने अथवा अनीति जमाउ के फैल फूट करने में न करेगा -

दफ़ा १५५- जब कभी कोई दंगा किसी ऐसे भले के लिये उस की ओर से किया जाय जो मालक अथवा क़ाबिज़ उस धरती का हो जिस के मद्धे दंगा किया जाय अथवा जो कुछ दावा स्वार्थ का उस धरती में अथवा जिस बात पर झगड़ा हो कर दंगा हुआ उस बात में रखता हो अथवा जो उस दंगे से कुछ लाभ निकाले अथवा स्वीकार करे तो ऐसा मनुष्य जरीमाने के योग्य हुआ कदाचित उस ने आप या उस के कारिन्दे या सर बरा कारने हेतु इस बात के मानने का पाकर कि दंगा होना अति संभावित है अथवा जिस अनीत जमाउ ने दंगा किया उस का इकट्ठा होना अति संभवित है अपने वश भर नीत पूर्वक सब उपाय उस दंगे अथवा जमाउ का होना रोकने में और उस के मिटाने और फैल फूट करने के लिये न किया हो ॥

दंडयोग्य होना उस मनुष्य का जिस के भले के लिये दंगा किया जाय-

दफ़ा १५६- जब कभी कोई दंगा किसी ऐसे मनुष्य के भले के लिये अथवा उस की ओर से किया जाय जो मालिक अथवा क़ाबिज़ उस धरती का हो जिस के मध्ये दंगा किया गया अथवा जो कुछ दावा स्वार्थ का उस धरती में अथवा जिस बात पर झगड़ा हो कर दंगा हुआ उस बात से रखता हो अथ

दंडयोग्य होना उस मालिक अथवा क़ाबिज़ के कारिन्दे का जिस के भले के लिये दंगा किया जाय-

वा जो उस दंगे से कुछ लाभ निकाले अथवा स्वीकार करै तो कारिन्दा अथवा सरवराकार उस मनुष्य का जरीमाने के दंड योग्य होगा कदाचित उस कारिन्दा या सरवराकार ने हेतु इस बात का पाकर कि दंगा होना अति संभवित है अथवा जिस अनीति जमाउ ने दंगा किया उसका इकट्ठा होना अति संभवित है अपने वश भर सब अनीति पूर्वक उपाय उस दंगे अथवा जमाउ का होना रोकने में और उसके मिटाने और फैलफूट करने के लिये न किये हों-

आश्रय देना उन मनुष्यों को जो किसी अनीति जमाउ के लिये नौकर रक्खे गये हो॥

दफा १५७- जो कोई मनुष्य किसी घर अथवा मकान में जो उसके कब्ज़े अथवा चौकसी में हो अथवा जिसपर उसका अधिकार हो ऐसे मनुष्यों को आश्रय देगा अथवा आने देगा अथवा इकट्ठा करेगा जिसको वह जानता हो कि किसी अनीति जमाउ में मिलने अथवा साझी होने के लिये नौकर रक्खे गये हों या अजूरे पर या अजूरे पर या कामपर लगाये जाने को हैं उनको दंड किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा दोनों का किया जायगा॥

किसी अनीति जमाउ अथवा दंगे में साझा करने के लिये नौकर होना।

दफ़ा १५८- जो कोई मनुष्य दफ़ा १४१ में लक्षण किये हुए कामों में से किसी काम के करने या सहायता देने के लिये नौकर रहेगा अथवा अजूरा लेगा अथवा अजूरा या नौकरी मांगेगा या उसके मिलने का उद्योग करैगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने अथवा दोनों का किया जा

रेगा और जो कोई मनुष्य ऊपर कही हुई भांति नो करी अथवा अजूरा लेकर कुछ म्रत्युकारी हथियार अथवा और कोई वस्तु जिसको हथियार की भांति वर्तजाने से म्रत्यु होना अति संभवित हो बांध कर फिरेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दो बरस तक हो सकेगा अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

अथवा हथियार बांध कर फिरना

दफ़ा १५९ – जब दो अथवा दो से अधिक मनुष्य किसी सर्व संबंधी जगह में लड़ कर सर्व सम्बंधी कुशलता में विघ्न डालेंगे तो कहा जायगा कि उन्हों ने खाने जंगी की

खाने जंगी

दफ़ा १६० – जो कोई मनुष्य खाने जंगी करेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद एक महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एक सौ रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

खाने जंगी करने का दंड–

अध्याय ९

अपराध जो सर्व संबंधी नोकरों की ओर से किये जायं अथवा उन से संबंध रक्खें

दफ़ा १६१ – जो कोई मनुष्य सर्व संबंधी नोकर होकर अथवा सर्व संबंधी नोकरी पाने की आशा रखकर अपने अथवा दूसरे किसी मनुष्य के निमित्त अपने ओहदे का अधिकार वर्तने में किसी मनुष्य के साथ पक्षापात अथवा द्रोह करने के लिये अथवा

सर्व संबंधी नोकर जो अपने ओहदे के किसी काम के मध्ये सिवाय क़ानूनानुसार तन्खाह के कुछ घूंस की भांति ले–

हिन्दुस्तान की क़ानून कारक या क़ानून प्रवर्तक गवर्नमेन्ट के सामने अथवा किसी हाते की गवर्नमेन्ट के सामने अथवा किसी लेफ़्टनेन्ट गवर्नर के सामने अथवा किसी सर्व संबंधी नोकर के सामने किसी मनुष्य का काम बनादेने या बिगाड़ देने या बिगाड़ देने के बदले अथवा बनादेने या बिगाड़ देने का उद्योग करे तो उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

विवेचना-सर्व संबंधी नोकर होने की आश्या रखना कदाचित कोई मनुष्य जिस को सर्व संबंधी नोकरी मिलने की आश्या न हो दूसरों को इस बात के निश्चय मानने का धोखा देकर कि मैं ओहदा पाने को हूं और तब तुम्हारा काम बना दूंगा कुछ घूंस लेतो वह ठगने का अपराधी हो सकेगा परंतु इस दफ़ा में लक्षण किये हुए अपराध के अपराधी न गिना जायगा॥

घूंस-इस शब्द का तात्पर्य्य केवल रुपये ही घूंस से नहीं है और न केवल उस घूंस से है जिस की कूत रुपये में हो सके-

क़ानून अनुसार चाकरी-इन शब्दों का तात्पर्य्य केवल उसी चाकरी से नहीं है जिस को कोई सर्व संबंधी नोकर नीति पूर्वक तगादा करके मांग सकता हो परंतु इन में सब प्रकार चाकरी जिस के स्वीकार करने की आज्ञा उस को उस गवर्नमेन्ट से जिस की वह नोकरी करता हो मिलचुकी हो गिनी जायगी॥

कुछ करने के लिये लालच अथवा इनाम इन शब्दों में ब

ह मनुष्य भी गिना जायगा जो कुछ घूंस किसी ऐसे कामके करने के लिये जिसके करने का वह प्रयोजन रखता हो लालच की भांति अथवा जिस काम को उसने नहीं किया है उसके लिये इनाम की भांति लेगा ॥

उदाहरण॥

(अ) देवदत्त एक मुनसिफ़ने विष्णुमित्र को किसी कोठीवाल की कोठी में अपने भाई के लिये एक नौकरी विष्णुमित्र की डीन में कोई मुकद्दमा तज वीज करदेने के बदले इनाम की भांति प्राप्त की तो देवदत्त ने इस दफा में लक्षण किया हुआ अपराध किया ॥

(इ) देवदत्त ने जो किसी आज्ञाकारी दरवार में रजीडंट के ओहदे परहै उस दरवारके दीवान से एक लाख रुपया लेना स्वीकार किया यह साबित नहीं है कि देवदत्त ने यह रुपया अपने ओहदे का कोई विशेषकाम करने के लिये या रोकने के लिये अथवा सरकार अंग्रेज़ी में उस दरवार का कोई विशेष बनादेने या बना देने का उद्योग करने के लिये लालच अथवा इनाम की भांति स्वीकार किया परंतु यह साबित है कि देवदत्त ने यह रुपया ओहदे अपने का अधिकार वर्तने में साधारण उस दरवार का पक्षपात करने के लिये लालच अथवा इनाम की भांति स्वीकार किया तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया ॥

(उ) देवदत्त किसी सर्व संबंधी नौकरने विष्णुमित्र को इस झूठी वात मानलेने का धोखा दिया कि देवदत्त की सिफारश के कारन विष्णुमित्र को गवर्नमेन्ट से खिताब मिला है और इस भांति फुसलाने से गवर्नमेन्ट ने कुछ रुपया देवदत्त को इस काम के बना देने के लिये इनाम की भांति दिया तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया॥

दफ़ा १६२ -जो कोई मनुष्य अपने निमित्त अथवा किसी दूसरे मनुष्य के निमित्त किसी सर्व संबंधी नौकर को अपने

लेना घूस का किसी सर्व संबंधी नौकर को बुरे अथवा क़ानून विरुद्ध उपाय से फुसलाने के निमित्त-

ओहदे का कुछ काम करने अथवा न करने के लिये अथवा अपने ओहदे का अधिकार वर्तने में किसी मनुष्य के साथ पक्षापात अथवा द्रोह करने अथवा क़ानून कारक या क़ानून प्रवर्तक गवर्नमेन्ट हिन्द के सामने अथवा किसी हाते की गवर्नमेन्ट के सामने अथवा किसी लेफ्टेनेन्ट गवर्नर के सामने अथवा किसी सर्व सम्बन्धी नौकर के सामने किसी मनुष्य का कुछ काम बनादेने या बिगाड़देने के लिये अथवा बनादेने या बिगाड़ देने का उद्योग करने के लिये किसी बुरे अथवा क़ानून विरुद्ध उपाय से फुसलाने के बदले कुछ घूस किसी मनुष्य से लालच अथवा इनाम की भांति स्वीकार अथवा प्राप्त करेगा अथवा स्वीकार करने को राज़ी होगा अथवा प्राप्त करने का उद्योग करेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफा १६३-जो कोई मनुष्य अपने निमित्त अथवा किसी दूसरे मनुष्य के निमित्त किसी सर्व संबंधी नौकर को अपने ओहदे का काम करने अथवा न करने के लिये अथवा क़ानून कारक या क़ानून प्रवर्तक गवर्नमेन्ट हिन्द के सामने अथवा किसी हाते की गवर्नमेन्ट हिन्द के सामने अथवा लेफ्टेनेन्ट गवर्नर के सामने अथवा किसी सर्व संबंधी नौकर के सामने किसी मनुष्य का कुछ काम बना देने या बिगाड़ देने के लिये अथवा बनादेने

लेना घूस का किसी सर्व संबंधी नौकर को निज की सिफ़ारश करने के लिये-

का उद्योग करने के लिये अपनी निज सिफ़ारस से फुसला ने के बदले कुछ घूंस किसी मनुष्य से लालच अथवा इनाम की भांति स्वीकार अथवा प्राप्त करेगा अथवा स्वीकार करने को राज़ी होगा उसको दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

उदाहरण

कोई वकील हो हाकिम के सामने किसी मुक़द्दमें में प्रश्नोत्तर करने के लिये मेहनताना ले और कोई मनुष्य जो किसी ऐसी अरज़ी को जिसमें अरज़ी देनेवालों की कारगुज़ारी अथवा दावा लिखकर गवर्नमेन्ट को दिया जायगा दुरुस्त करने के लिये तलब पावे और कोई नमकवाड़ कारिन्दा किसी दंड के किये हुए अपराधी का जो गवर्नमेन्ट के सामने कुछ लेख इस आशय का जिस से उस दंड की आज्ञा का अयोग्य होना प्रगट हो पेश करै इस दफ़ा में न गिने जायंगे क्योंकि वे निज की सिफ़ारस नहीं करते और न करने की भांति ढाकरते हैं ॥

दफ़ा २६४ - जो कोई सर्व संबंधी नौकर हो और उसके नाम से पिछली दो दफ़ों में लक्षण किये हुए अपराधों में से कोई अपराध किया जाय वह कदाचित उस अपराध में सहायता देगा तो उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

ऊपर किये हुए वर्णन अपराधों में सर्व संबंधी नौकर की ओर से सहायता होने के लिये दंड -

उदाहरण

देवदत्त कोई सर्व संबंधी नौकर है उसकी स्त्री हरदेवी ने देवदत्त से विनती करके किसी मनुष्य को कोई नौकरी दिलाने के बदले कुछ भेंट लालच की भांति

नेसी और देवदत्त ने ऐसा करने में उस की सहायता दी तो हरदेवी योग्य किसी कैद के जिसकी म्याद एक वरस से अधिक न होगी अथवा जरीमाने के अथवा दोनों के होगी और देवदत्त योग्य कैद के जिसकी म्याद तीन वर्ष तक हो सकेगी अथवा जरीमाने अथवा दोनों के होगा॥

दफा १६५-जो कोई सर्वसंबंधी नौकर होकर अपने अथवा किसी दूसरे मनुष्य के निमित्त कोई मोलदार वस्तु विना उसका वदला दिये अथवा ऐसा वदला देकर जिस को वह जानता हो कि यथार्थ नहीं है किसी मनुष्य से - जिसको वह जानता हो कि इसका कुछ स्वार्थ किसी मुकद्दमे में अथवा काम में जिस को मैं ने किया है अथवा मैं करूं कोई आगे था या अब है या आगे होगा अथवा इस का कुछ संबंध मेरे ओहदे के काम में है अथवा जिस सर्वसंबंधी नौकर का मैं आधीन हूं उसके ओहदे के काम से है अथवा किसी मनुष्य से जिसको वह जानता हो कि इस भांति स्वार्थ रखने वाले मनुष्य से संबंध अथवा स्वार्थ रखता है स्वीकार अथवा प्रीति करेगा अथवा स्वीकार करने को राजी होगा अथवा प्रीति करने का उद्योग करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद दो वरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने अथवा दोनों का किया जायगा॥

सर्वसंबंधी नौकर जो कुछ मोलदार वस्तु विना वदला दिये किसी मनुष्य से ले जिस का कुछ स्वार्थ उस सर्वसंबंधी नौकर के किये हुए किसी मुकद्दमे अथवा काम में हो -

उदाहरण

(अ) देवदत्त किसी कलक्टरने एक मकान विष्णुमित्र का जिसका कोई वंदोवस्त का मुक़द्दमा उस के सामने दायर था भाड़े पर लिया

और यह ठहरी कि देवदत्त पचास रुपये देगा और वह मकान ऐसा है कि कदाचित शुद्ध भाव से मामला किया जाता तो देवदत्त को दो सौ रुपया महीना देना पड़ता यहां देवदत्त ने विष्णुमित्र से मोलदार वस्तु बिना यथार्थ बदला दिये प्राप्त की॥

(ट०) देवदत्त किसी हाकिम ने विष्णुमित्र से जिसका कोई मुकद्दमा देवदत्त की कचहरी में दायर है गवर्नमेन्ट का प्रामेसरी नोट उस समय जब कि वे बजार में बट्टी पर बिकते थे बट्टे से मोल लिये तो देवदत्त ने मोलदार वस्तु विष्णुमित्र से बिना यथार्थ बदला दिये प्राप्त की॥

(उ) विष्णुमित्र का भाई हलफ़ दरोगी के मुकद्दमे में गिरफ़्तार होकर देवदत्त नाम किसी माजिस्ट्रेट के सामने लाया गया देवदत्त ने विष्णुमित्र को किसी बंककोठी के हिस्से बट्टी पर बेचे उस समय जब कि वे बजार में बट्टे से बिकते थे और विष्णुमित्र ने देवदत्त को उसी अनुसार हिस्सों का मोल चुका दिया तो जो रुपया देवदत्त ने इस भांति प्राप्त किया वह मोलदार वस्तु है जिस को उसने बिना यथार्थ बदला दिये प्राप्त किया॥

दफ़ा १६६ – जो कोई मनुष्य सर्व संबंधी नौकर होकर कानून की किसी आज्ञा को जिसमें उसको लिये सर्वसंबंधी नौकरी भुगताने की रीति हो जानबूझ कर न मानेगा इस प्रयोजन से अथवा यह बात जानकर कि इस आज्ञा के उल्लंघन से किसी मनुष्य को हानि पहुंचेगी उसको दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद एक बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

सर्व संबंधी नौकर जो किसी मनुष्य को हानि पहुंचाने के प्रयोजन से कानून की आज्ञा को उल्लंघन करे

उदाहरण

देवदत्त एक अहलकार ने जिस को क़ानून की आज्ञा है कि किसी ऐसी डिग्री के इजराय में जो कि अदालत से विष्णु मित्र के पक्षपात में हो चुकी है कुछ माल कुरक करै जान बूझ कर क़ानून की उस आज्ञा को उल्लंघन किया और यह बात जानली कि इससे विष्णु मित्र को हानि पहुंचने की अति संभवित है तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया ॥

दफ़ा १६७ - जो कोई मनुष्य सर्व संबंधी नौकर होकर और सर्व संबंधी नौकर होने के कारण किसी लिखतम को ऐसी रीति से बनाने अथवा उल्था करने का अधिकार पाकर उस लिखतम को ऐसी रीति से जिस को वह जानता था माना हो कि अयुक्त है किसी मनुष्य को हानि पहुंचाने के प्रयोजन से अथवा हानि पहुंचने अति संभवित जानकर बनावेगा अथवा उल्था करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद ३ वर्ष तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

सर्व संबंधी नौकर जो हानि पहुंचाने के प्रयोजन से कुछ अयुक्त लिखतम बनावे ॥

दफ़ा १६८ - जो कोई मनुष्य सर्व संबंधी नौकर होकर और सर्व संबंधी नौकर होने के कारण आधीन इस क़ानूनी आज्ञा का हो कर कि उस को व्योपार करना वर्जित है कुछ व्योपार करैगा उस को दंड साधारण क़ैद का जिस की म्याद एक वर्ष तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

सर्व संबंधी नौकर जो क़ानून की आज्ञा के विरुद्ध व्योपार करै

दफ़ा १६९ - जो कोई मनुष्य सर्व संबंधी नौकर होकर और सर्व संबंधी नौकर होने के कारण आधीन इस

सर्व संबंधी नौकर जो क़ानून की आज्ञा के विरुद्ध कुछ वस्तु मोल ले या लेने के लिये बोली बोले

क़ानूनी आज्ञा का होकर कि उसको फलानी वस्तु का मोल लेना अथवा मोल लेने के लिये बोली बोलना वर्जित है उसी वस्तु को अपने नाम से अथवा दूसरे के नाम से अथवा दूसरों के संग में या साझे में मोल लेगा अथवा लेने के लिये बोली बोलेगा उस को दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा और वह वस्तु कदाचित मोल लेली गई हो तो ज़ब्त की जायगी॥

सर्व संबंधी नौकर का मिस करना-

दफ़ा १७०-जो कोई मनुष्य किसी ओहदे पर सर्व संबंधी नौकर होने का मिस करेगा यह बात जान बूझकर कि मैं इस ओहदे पर नौकर नहीं हूं अथवा झूठमूठ उस मनुष्य का रूप धरेगा जो उस ओहदे पर नौकर हो और इस धारण किये हुए रूप में उस ओहदे के मिस से कुछ काम करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

सर्व संबंधी नौकर की वर्दी पहिरना अथवा चिन्ह रखना छल के प्रयोजन से

दफ़ा १७१-जो कोई किसी विशेष प्रकार का सर्व संबंधी नौकर न होकर कोई वर्दी अथवा चिन्ह जो उसी प्रकार के सर्व संबंधी नौकरों की वर्दी अथवा चिन्ह के सदृश हो पहनेगा इस प्रयोजन से अथवा यह सम्भावित जानता हो कि उसी प्रकार के नौकरों में प्रतीत किया जायगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार क़ैद का जिसकी म्याद तीन महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो दो सौ रु० तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

अध्याय १०

सर्व सम्बंधी नौकरों के नीतिपूर्वक अधिकार
का अपमान करने के विषयमें ॥

सर्व संबंधी नौकर के जारी किये हुए सम्मन अथवा और किसी आज्ञा पत्र के जारी होने से बचने के लिये रूपोश होना -

दफ़ा १७२ - जो कोई मनुष्य किसी सर्व सम्बन्धी नौकर के जिसको क़ानूनानुसार अधिकार सम्मन अथवा इत्तलाय नामा अथवा हुक्मनामा जारी करने का हो जारी किये सम्मन अथवा इत्तलाय नामा अथवा हुक्म नामे के जारी होने से बचने के लिये रूपोश होना उसको दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद एक महीने तक हो सकेगी अथवा जुरमाने का जो पांचसौ रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

और कदाचित वह सम्मन या इत्तलाय नामा या हुक्म नामा अदालत जसटस में असालतन या मुख्त्यारतन हाज़िर होने के लिये अथवा कुछ ख़िदमत पेश करने के लिये हो तो दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जुरमाने का जो एक हज़ार रु० तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

रोकना किसी सम्मन अथवा और प्रकार के हुक्म नामे का जारी होने में अथवा प्रगट किये जाने से ॥

दफ़ा १७३ - जो कोई मनुष्य कुछ प्रयोजन करके अपने ऊपर अथवा और किसी मनुष्य के ऊपर जारी होना किसी सम्मन अथवा इत्तलायनामा अथवा हुक्म नामा का जिसके जारी होने की आज्ञा किसी ऐसे

सर्व संबंधी नोकर ने दी हो जिस को क़ानूनानुसार अधि
कार समन अथवा इत्तलायनामा अथवा हुक्म नामा जारी
करने का किसी भांति रोकेगा अथवा इसी प्रकार के समन
अथवा इत्तलाय नामा अथवा हुक्म नामा का किसी जग
ह नीति पूर्वक लगाया जाना - जान बूझ कर रोकेगा अथ
वा इसी प्रकार के किसी सम्मन अथवा इत्तलाय नामे या
हुक्म नामे को किसी जगह से जहां वह नीति पूर्वक लगा
या हो जान बूझ कर हटावेगा अथवा नीति पूर्वक प्रग
ट होना किसी इश्तिहार का जिस के प्रगट होने की आज्ञा
किसी ऐसे सर्व संबधी नोकर ने दी हो जो उस के प्रगट किये
जाने की आज्ञा देने का क़ानूनानुसार अपने ओहदे के प्र
ताप से अधिकारी हो जान बूझ कर रोकेगा उस को दंड
साधारण क़ैद का जिस की म्याद एक महीने तक हो सकेगी
अथवा जरीमाने का जो पांच सौ रुपया तक हो सकेगा अ
थवा दोनों का कियाजायगा॥

और कदाचित वह सम्मन या इत्तलायनामा या हुक्म
नामा या इश्तिहार अदालत में असालतन वा मुख़्त्या
रतन हाज़िर होने अथवा कोई लिखतम पेश करने के
लिये हो तो दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद छः मही
ने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने जो एक हज़ार रु० तक
हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा १७४ - जो कोई मनुष्य जिस को अदालतन या मुख़

सर्व संबंधी नोकर की आज्ञानुसार हाज़िर होने में चूकना -

त्यारन हाज़िर होना किसी नि
यत स्थान और नियत समय
पर किसी ऐसे सम्मन या इत्तिलाय नामे या हुक्म नामे या

याइश्तिहार किसी अदालत जसटिस में असालतन या मुख़्त्यारतन होने के लिये हो तो दंड साधारण क़ैद का जिस की म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रु० तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

उदाहरण

(अ) देवदत्त जिस पर क़ानूनानुसार अवश्य था कि कलकत्ते में सुप्रीमकोर्ट के सामने उसी कोर्ट के जारी किये हुए सफीने के अनुसार हाज़िर होना जानबूझ कर हाज़िर होने से चूका तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किये हुआ अपराध किया॥

(इ) देवदत्त जिस पर क़ानूनानुसार अवश्य था कि किसी ज़िला जज के सामने उसी ज़िला के जज के जारी किये सम्मन के अनुसार गवाही देने को हाज़िर होता हाज़िर होने से चूका तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया॥

दफ़ा १७५—जो कोई मनुष्य जिस पर किसी सर्व सम्बंधी नौकर के सामने कोई लिखतम पेश करनी अथवा देना क़ानून अनुसार अवश्य हो जान बूझ कर उस लिखतम के पेश करने से या देने से चूकेगा उसको दंड साधारण क़ैद का जिस की म्याद एक महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो पांच सौ रु० तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

किसी सर्व संबंधी नौकर के सामने कोई लिखतम पेश करने से चूकना किसी ऐसे मनुष्य का जिस पर उस लिखतम का पेश करना अवश्य हो।

और कदाचित पेश होना अथवा दिया जाना उस लिखतम का किसी अदालत जसटिस में अवश्य हो तो दंड साधारण क़ैद का जिस की म्याद छः तक हो सकेगी अथ

वा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

उदाहरण॥

देवदत्त जिस पर क़ानूनानुसार अवश्य था कि किसी ज़िले की अदालत में कोई लिखतम पेश करे जान बूझकर उस के पेश करने से चूका तो देव दत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया ह्रुआ अपराध किया॥

दफ़ा १७६-जो मनुष्य जिस पर किसी सर्व संबंधी नोकर की किसी बात की इत्तलाय अथवा ख़बर पहुंचानी क़ानूनानुसार अवश्य हो जानबूझकर क़ानून में आज्ञा किये ह्रुए प्रकार और

किसी सर्व संबंधी नोकर को इत्तलाय देने अथवा ख़बर पहुंचाने से चूकना किसी ऐसे मनुष्य का जिस पर उस इत्तला अथवा ख़बर पहुंचना क़ानूनानुसार अवश्य है-

समय पर उस इत्तला अथवा ख़बर के देने से चूकेगा उस को दंड साधारण क़ैद का जिस की म्याद एक महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो पांच सो रु॰ तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा और कदाचित वह इत्तला अथवा ख़बर के देने से चूकेगा उस को दंड साधार क़ैद का जिस की म्याद एक महीने तक हो सकेगी अथवा दोनों का किया जायगा और कदाचित वह इत्तला अथवा ख़बर जिस का पहुंचना अवश्य हो कुछ अपराध होजाने के मध्ये अथवा किसी अपराध का होना रोकने के लिये अथवा किसी अपराधी के पकड़ने के विषय में हो तो दंड साधारण क़ैद का जिस की म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा १७७-जो कोई मनुष्य जिस पर किसी सर्व संबंधी नोकर की किसी बात इत्तला पहुंचा क़ानूनानुसार अवश्य

झूठी इत्तलादेना | हो उसीबात के मध्ये कोई इत्तला जिसको वह झूठी जानता हो अथवा झूठी जाननेका हेतु रखता हो सच्ची कह कर पहुंचावेगा उसको दंड साधारण कैद जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रु० तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा और यदि दाखित वह इत्तला जिसका पहुंचाना क़ानूनानुसार अवश्य हो कुछ अपराध होजाने के मध्ये अथवा किसी अपराध का होना रोकने के लिये अथवा किसी अपराधी को पकड़ने के विषय में हो तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

उदाहरण

(अ) देवदत्त किसी ज़मींदार ने यह बात जानकर कि उसके गांव की सीम के भीतर कोई घात हो गया है जानबूझकर किसी ज़िले के माजिस्ट्रेट को झूठी ख़बर दी कि यह मृत्यु अकस्मात सांप के काटने से हुई तो देवदत्त इस दफ़ा में लक्षण किये हुए अपराध का अपराधी हुआ॥

(ब) देवदत्त किसी गांव के चौकीदार ने यह हाल जान ली कि अनजाने मनुष्यों का एक बड़ा समूह उसके गांव में होकर विष्णुमित्र एक धनाढ्य सौदागर के मकान पर जो वहां से नगीच के एक गांव में था डांका डालने को गया है और देवदत्त पर बंगाले हाते के क़ानून ३ सन १८८१ ई० की ७ दफ़ा जिम्न ५ के अनुसार अवश्य था कि तुरंत और ठीक २ इत्तला ऊपर कही हुई बात की चौकी पुलिस के अफ़सर को पहुंचावे परन्तु उसने जानबूझकर पुलिस के अफ़सर को झूठी ख़बर दी कि गांव में होकर भरोसे के मनुष्यों का समूह फ़लानी जगह पर जो उधर से जिधर वह समूह गया था दूसरी ओर दूर पर था डांका डालने के प्रयोजन से गया है तो यहां देवदत्त इस दफ़ा के पिछले भाग में लक्षण किये हुए अपराध

का अपराधी ऊआ॥

दफ़ा १७८- जो कोई मनुष्य सत्य बोलने की सौगंद करने से नाहीं करैगा उस समय जबकि कोई सर्व संबंधी नोकर जो क़ानूनानुसार सौगंध कराने का अधिकारी हो उससे सोगंद करावे उस को दंड साधारण क़ैद का जिस की म्याद छः महीने तक हो सकती है अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रु॰ तक हो सकैगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

सौगंद करने से नटना उस समय जबकि कोई सर्व संबंधी नोकर सोगंध करने की आज्ञा दे-

दफ़ा १७९ - जो कोई मनुष्य जिस पर किसी सर्व संबंधी नोकर के सामने किसी विषय में सच्चा इज़हार देना कानून अनुसार अवश्य हो किसी ऐसे प्रश्न का जो उसी विषय में उसी सर्व संबंधी नोकर ने अपने क़ानूनानुसार अधिकार के वर्तने में उससे पूछा हो उत्तर देने से नाहीं करैगा उस को दंड साधारण क़ैद का जिस की म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रु॰ तक हो सकैगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

उत्तर न देना किसी सर्व संबंधी नौकर के प्रश्न का जिस को- प्रश्न करने का अधिकार हो

दफ़ा १८० - जो कोई मनुष्य अपने इज़हार पर दस्तख़त करने से नाहीं करैगा उस समय जबकि उसको दस्तख़त करने की आज्ञा कोई सर्व संबंधी नोकर जो क़ानून अनुसार ऐसी आज्ञा देने का अधिकार हो दे उस को दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद महीने तक हो सकेगी अथवा ज़रीमाने का जो पांच सौ रु॰ तक हो सकैगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

इज़हार पर दस्तख़त करने से नाहीं करना

सौगंद करके झूठा इज़हार देना उस मनुष्य के सामने अथवा सर्व नौकर जो क़ानूनानुसार सौगंद कराने का अधिकारी हो –

दफ़ा १८१ – जो कोई मनुष्य जिस पर किसी विषय में किसी सर्व संबंधी नौकर के सामने अथवा और किसी मनुष्य के सामने जो क़ानून अनुसार सौगंद कराने का अधिकारी हो सौगंद करके सच्चा इज़हार देना अवश्य हो उसी सर्व संबंधी नौकर अथवा और मनुष्य के सामने सौगंद करके उसी विषय में कोई इज़हार जो झूठा हो और जिस को वह या तो झूठा जानता हो या मानता हो या सच्चा न मानता हो देगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद तीन बरस तक हो सकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा

झूठी खबर देना इस प्रयोजन से कि कोई सर्व संबंधी नौकर अपना क़ानूनानुसार अधिकार काम में लावे और उससे दूसरे मनुष्य को हानि पहुंचे –

दफ़ा १८२ – जो कोई मनुष्य किसी सर्व संबंधी नौकर को कोई खबर जिस को वह झूठी जानता या मानता हो देगा इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति संभवित जानकर कि इस से वह सर्व संबंधी नौकर अपने क़ानूनानुसार अधिकार को वर्तेगा और उस से किसी मनुष्य को नुकसान अथवा क्लेश पहुंचेगा अथवा वह सर्व संबंधी नौकर कोई ऐसा काम करेगा या करने से चूकेगा जिसका करना अथवा चूकना उस पर उचित न होता कदाचित वह सच्चा हाल उस बात का जिस के मध्ये खबर दी गई जान लेता उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा दोनों का किया जायगा ॥

(क) देवदत्त किसी मजिस्ट्रेट को जिसके आधीन पुलिस का एक अहिलकार विष्णु मित्र था यह बात जान कर कि यह खबर झूठी है और इस से अति संभवित है कि वह मजिस्ट्रेट विष्णु मित्र को नौकरी से छुड़ावेगा ख़बर दी कि विष्णु मित्र अपने काम में असावधानी अथवा कुचाल का अपराधी हुआ तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया॥

(ख) देवदत्त ने यह बात जानकर कि यह ख़बर झूठी है और इस से विष्णु मित्र के मकान की तलाशी होनी और विष्णु मित्र को क्लेश पहुंचना अति संभवित है किसी सर्व संबंधी नौकर को ख़बर दी कि विष्णु मित्र ने एक गुप्त मकान में चोरी का नमक रक्खा है तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया॥

सामना करना किसी वस्तु के लिये जाने में जो किसी सर्व संबंधी नौकर की नीति पूर्वक आज्ञा से ली जाय

दफ़ा १८३- जो कोई मनुष्य किसी वस्तु के लिये जाने में जो किसी सर्व संबंधी नौकर की नीति पूर्वक आज्ञा से ली जाती हो यह बात जानकर अथवा जानने का हेतु पाकर कि यह नौकर सर्व संबंधी है सामना करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद छः महीने तक अथवा जरीमाने का जो एक ह० तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

रोकना किसी ऐसी वस्तु के नीलाम का जो किसी सर्व संबंधी नौकर की नीति पूर्वक आज्ञा से नीलाम पर चढ़ी हो

दफ़ा १८४- जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी ऐसी वस्तु के नीलाम को रोकेगा जिस को वह जानता हो अथवा जानने का हेतु रखता हो कि किसी सर्व संबंधी नौकर की नीति पूर्वक आज्ञा से नीलाम पर चढ़ी है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद एक महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो पांच सौ रु० हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा १८५-जो कोई मनुष्य किसी वस्तु को जो किसी सर्व संबंधी नौकर की नीति पूर्वक आज्ञा से नीलाम पर चढ़ी होवह आप चाहे किसी मनुष्य के लिये हो और कोई जिस को वह जानता हो कि उस नीलाम में उस वस्तु के मोल लेने को क़ानून अनुसार असमर्थ है मोल लेगा अथवा लेने के लिये बोली बोलेगा अथवा यह प्रयोजन करके बोली बोलेगा कि इस बोली के बोलने से कुछ आवश्यकता उस के ऊपर आती हो उस को न उठावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो दो सौ रु० हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा

क़ानून विरुद्ध मोल लेना या मोल लेने को बोली बोलना किसी ऐसी वस्तु के लिये जो किसी सर्व संबंधी नौकर की आज्ञा से नीलाम हो-

दफ़ा १८६-जो कोई मनुष्य जान बूझकर किसी सर्व संबंधी नौकर को अपनी नौकरी का काम भुगताने में रोकेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो पांच सौ रु० तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

किसी सर्व संबंधी नौकर को अपनी नौकरी का काम भुगताने में रोकना

दफ़ा १८७-जो कोई मनुष्य जिसपर क़ानून अनुसार करना अथवा पहुंचाना सहायता का किसी सर्व संबंधी नौकर को अपनी नौकरी का काम भुगताने में अवश्य हो जान बूझकर सहायता देने से चूकेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने

किसी सर्व संबंधी नौकर को सहायता देने से चूकना उस अवस्था में जबकि सहायता देना क़ानून अनुसार अवश्य हो-

का जो दो सौ रु० तक होसकेगा अथवा दोनों का कियाजायगा और कदाचित वह सहायता उससे किसी सर्वसंबंधी नौकर ने जो कानून अनुसार अधिकारी सहायतामांगने का हो किसी अदालत के क़ानून पूर्वक हुक्म नामे के भुगताने के भुगताने के लिये अथवा किसी अपराध का होना रोकने के लिये अथवा दंगा या खाने जंगी मिटाने के लिये अथवा किसी मनुष्य को जिस पर कोई अपराध लगाया गया हो अथवा जो अपराधी किसी अपराध का अथवा कानूनानुसार बंधि से भागे जाने का हो पकड़ने केलिये मांगी हो तो दंड साधारण कैद का जिसकी म्याद छः महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो पांचसौ रु० तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा १८८—जो कोई मनुष्य यह बात जानबूझकर कि

नमानना किसी आज्ञा को जो किसी सर्वसंबंधी नौकरने यथोचित दीहो-

मुझपर किसी सर्वसंबंधी नौकर की आज्ञानुसार जो नीतिपूर्वक उस आज्ञा के देने का अधिकारी है कोई काम करना वर्जित है अथवा किसी वस्तु के मध्ये जो मेरे कब्ज़े अथवा बंदोवस्त है कोई काम करना उचित है उस आज्ञा को न मानेगा उस को कदाचित उस न मानने से रोक अथवा कल्पश अथवा हानि किसी मनुष्य को जो नीतिपूर्वक काम पर लगाया गया हो होजाय अथवा होजाना अति संभावित होजाय अथवा होने की जोखिम होजाय तो दंड साधारण कैद का जिस की म्याद एक महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो दो सौ रु० तक हो सकेगा अथवा दोनों का कियाजायगा॥

और कदाचित उसने मानने से जोखिम मनुष्य के जीव अथवा आरोग्यता अथवा कुशलता को हो जाय अथवा होना अति संभवित हो अथवा कोई दंगा या खाने जंगी होजाय या होना अति संभवित हो तो दंड दोनों में से कि सी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद छः महीने तक होसके गी अथवा जरीमाने का जो हज़ार रु॰ तक होसकेगा अथ वा दोनों का कियाजायगा॥

बिवेचना- यह कुछ अवश्य नहीं है कि अपराधी का प्र योजन ज़्यान पहुंचाने से हो हो अथवा यह आज्ञा न मान ने से ज़्यान पहुंचना उस ने अति संभवित समझ लिया हो इतना ही बहुत है कि जिस आज्ञा को उसने न माना उस को वह जानता हो कि दी गई है और उसी आज्ञा को न- मानने से ज़्यान होजाय अथवा होजाना अति संभवित हो॥

उदाहरण

आज्ञा किसी सर्व संबंधी नोकर की जो क़ानूनानुसार ऐसी आज्ञा जा री करने का अधिकारी है जारी की कि सम्प्रदाय फलानी गली में हो कर समाज से निकले और देवदत्त ने जानबूझ कर उस आज्ञा को न माना और इस दंगे का संदेह हुआ तो देवदत्त ने इस दफ़ा में ल क्षण किया हुआ अपराध किया॥

दफ़ा १८९- जो कोई मनुष्य हानि पहुंचाने की धमकी कि सी सर्व संबंधी नोकर को अथवा और किसी मनुष्य को जिस में वह जानता हो कि उस सर्व संबंधी नोकर का कुछ स्वार्थ है दिखावेगा इस प्रयोजन से कि उस सर्व संबंधी नोकर से उस के सर्व संबंध

सर्व संबंधी नोकर को हानि पहुंचाने की धमकी

अधिकार के मध्ये कुछ काम करावे उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा

दफ़ा १६०- जो कोई मनुष्य हानि पहुंचाने की धमकी किसी मनुष्य को इस निमित्त देगा कि वह मनुष्य किसी हानि से बचने के लिये किसी सर्व संबंधी नौकर से जिस को क़ानूनानुसार रक्षा मांगने से रुक जाय अथवा बैठ रहे दिखला देगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

(हानि पहुंचाने की धमकी इसलिये कि कोई मनुष्य किसी सर्व संबंधी नौकर से रक्षा मांगने से रुक जाय-)

अध्याय ११

झूंठी गवाही और सर्व संबंधी न्याय में विघ्न डालने वाले अपराधों के विषय में

दफ़ा १६१- जो कोई मनुष्य जिस पर सौगंद लेने के कारण अथवा क़ानून के किसी स्पष्ट लेख के कारण सच्च बयान करना क़ानूनानुसार अवश्य हो अथवा किसी विषय में सच्चा इज़हार देना अवश्य हो कोई ऐसा ब्यान करे जो झूंठा हो और जिस को वह जानता हो या झूंठा इक़रार करता हो जिस को वह सच्चा जानता हो तो कहा जायगा कि उसने झूंठी गवाही दी ॥

(झूंठी गवाही देना)

बिवेचना १- कोई ब्यान आम इस से कि वह ज़बान से किया जाय या किसी और तरह इस दफ़ा की मुराद में दाख़िल है ॥

विवेचना-२-कोई झूठा व्यान जो तसदीक करने वाला मनुष्य अपनी दानिस्त की निस्वत करै इस दफ़ा की मुराद में दाख़िल है और जैसे कोई मनुष्य यह व्यान करने से कि मैं फलानी बात जानता हूं जिस को वह न जानता हो झूठी गवाही देने का मुजरिम है वैसेही वह मनुष्य भी झूठी गवाही देनेका अपराधी होसक्ता है जो व्यान करै कि मैं फलानी बात कोजानता हूं जिसको वहजानता हो॥

उदाहरण॥

(अ) देवदत्त एक वाजवी दावा के वाव में जो एक हजार रु० का है विष्णुमित्र हरमित्र पर रखता हो मुक़द्दमे की दरपेशी के वक्त झूठी सौगंद उठाये कि मैंने हरमित्र को विष्णुमित्र के दावा का वाजवी होने का इक़वाल करते सुना है तो देवदत्त ने झूठी गवाही दी॥

(इ) देवदत्त जिसपर सौगंद की रूसे सच २ बयान करना वाजव है यह बयान करे कि मैं जानता हूं कि फलानी दस्तख़त हरमित्र के हाथ की लिखी हुई जानता हूं तो देव दत्त ने वह बयान किया जिस को वह झूठा जानता है और इसलिये उसने झूठी गवाही दी॥

(उ) देवदत्त जो हरमित्र के लिखने की शान पहचानता है यह बयान करे कि मैं जानता हूं कि फलानी दस्तख़त हरमित्र के हाथ की लिखी हुई है और नेकनियती से ऐसाही जानता हो तो इस सूरत में देवदत्त का व्यान सिर्फ़ अपनी दानिस्त की निस्वत है और वह उसकी दानिस्त की निस्वत सच्चा है और इसलिये देवदत्त ने झूठी गवाही दी नहीं गो वह दस्तख़त हरमित्र के हाथ की लिखी नहो॥

(ए) देवदत्त जिस पर एक सौगंद की रूसे सच सच बयान करना वाजिब है यह बयान करे कि मैं जानता हूं कि हरमित्र फलाने दिन फलानी जगह मौजूद था हालांकि वह इस काम के निस्वत कुछ न जानता हो तो देवदत्त ने-

झूठी गवाही दी आम इस से कि हरमित्र उस रोज़ उस जगह मौजूद था॥

(ए) देवदत्त तरजुमा या मुतरज्जिम है जिस पर सौगंद की रूसे वाजिव है कि किसी वयान या लिखतम का जवानी या तहरीरी सच्चा तरजुमा करै और वह ज़वानी या तहरीरी झूठ तरजुमा करै या उस की तसदीक करै जो सच्चा न हो और जिस का सच्चा होना वह जानता हो तो देवदत्त ने झूठी गवाही दी॥

दफ़ा १९२-जो कोई मनुष्य कोई सूरत पैदा करै या किसी

झूठी गवाही देना-

किताव या किसी काग़ज़ सरिश्ते में कोई झूठी तहरीर बनाये या कोई दस्तावेज़ जिसमें कोई झूठा वयान मुन्दर्ज हो बनाये इस नियत से कि वह सूरत या झूठी तहरीर या झूठा वयान अदालत की किसी कारखाई में या किसी कारखाई में जो क़ानून की रूसे किसी सर्वसंबंधी नौकर के रूबरू उसको सरकारी नौकरी की हैसियत से या किसी सालस के रूबरू हो रही हो वजह सबूत में पेश हो सके और इस नियत से कि वह सूरत या झूठी तहरीर या झूठा वयान जो इस तरह वजह सबूत में पेश हो सके किसी ऐसे मनुष्य को जो उस कारखाई में वजह सबूत की निसवत राय लगायेगा किसी काम की निस्वत जो उस कारखाई के नतीजे के लिये अहम है ग़लत राय वहम पहुंचाने का बायस हो सके तो कहा जायगा कि उस मनुष्य ने झूठी गवाही बनाई॥

उदाहरण

(अ) देवदत्त किसी संदूक में जो हरमित्र का है इस नियत से कुछ ज़ेवर रख दे कि वह ज़ेवर उस संदूक से वरआमद हों और यह सूरत हरमित्र को चोरी का अपराधी साबित कराये तो देवदत्त ने झूठी गवाही बनाई॥

(इ) देवदत्त अपनी दुकान के वही खाते में इस ग़रज़ से कोई झूठी तहरीर

दनाये कि वह उसको किसी अदालत में व मंजिलः सबूत मोतविद काम में ला ए तो देवदत्त ने झूंठी गवाही बनाई॥

(ड) देवदत्त इस नियत से कि हरमित्र को विचार संयुक्त अपराध का अपराधी ठहराये एक तरह एक चिट्ठी लिखे कि उस में हरमित्र के लिखने में अपना लिखना मिलावे और वह चिट्ठी उस विचार संयुक्त अपराध की किसी साफी के नाम लिखी हुई जानी जाय और उस चिट्ठी को ऐसी जगह रक्खे जहां वह जानता हो कि गालिबन पुलिस के ओहदेदार तलाश कर लेंगे तो देवदत्त ने झूंठ गवाही बनाई॥

दफ़ा १९३- जो कोई मनुष्य अदालत की कारर वाई की किसी दंड झूंठी गवाही का हालत में जानबूझ कर झूंठी गवाही दे या इस गरज़ से झूंठी गवाही बनाये कि वह अदालत की किसी कारर वाई की किसी हालत में काम में लाई जाय तो उस मनुष्य को दोनों किस्मों में से किसी क़िस्म की कैद जिस की म्याद सात बरस तक हो सकेगी और जुरमाने के भी योग्य होगा॥

और जो कोई मनुष्य जानबूझ कर झूंठी गवाही किसी हाल में दे या बनाये तो उस को दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्म की सज़ा दी जायगी जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकती है और वह जरीमाने के भी योग्य होगा॥

विवेचना-१- जो कोई मुक़द्दमा किसी अदालत के हाकिम के हुज़ूर में दरपेश हो उसकी तहक़ीक़ात और तजवीज अदालत की कारर वाई है॥

विवेचना-२- किसी अदालत की हुज़ूर की कारर वाई से पहले जिस तहक़ीक़ात की निस्बत क़ानून की रू से हिदायत हो वह तहक़ीक़ात अदालत की कारर वाई की एक हालत है गो वह तहक़ीक़ात किसी अदालत की हुज़ूर में वाके न हो॥

उदाहरण

देवदत्त किसी तहक़ीक़ात में जो मजिस्ट्रेट के रूबरू इस ग़रज़ से होरही हो कि आया हरामित्र तजवीज़ के लिये सिशन में सिपुर्द किया जाय या नहीं सौगंद से कुछ बयान करै जिसको वह झूठा जानता हो तो चूंकि यह तहक़ीक़ात अदालत की काररवाई की एक हालत है इसलिये देवदत्त ने झूठी गवाही दी॥

विवेचना- कोई तहक़ीक़ात जिसके लिये क़ानून के मुताबिक़ किसी अदालत की जानिब से हिदायत हो और जो किसी अदालत से क़ब्ज़ के मुताबिक़ अमल में आये अदालत की काररवाई की एक हालत है गो वह तहक़ीक़ात किसी अदालत के हुज़ूर वाक़े न हो॥

उदाहरण

देवदत्त एक तहक़ीक़ात में किसी अहलकार के रूबरू जो किसी अदालत की तरफ़ से बरसर ज़मीन किसी आराज़ी की हुदूद को दरयाफ़्त करने के लिये मुअय्यन हुआ हो सौगंद की रू से कुछ बयान करै जिसको वह झूठा जानता हो तो चूंकि यह तहक़ीक़ात अदालत की काररवाई की एक हालत है तो देवदत्त ने झूठी गवाही दी॥

जुर्म क़ाबिल सज़ाय मौत के साबित कराने की नियत से झूठी गवाही देना या बनाना

दफ़ा १९४- जो कोई मनुष्य झूठी गवाही दे या बनावे इस नियत से कि या इस काम के एहतमाल के इल्म से कि उस झूठी गवाही के बाइस किसी मनुष्य को ऐसे अपराध का अपराधी साबित कराये जिसके वास्ते उस मनुष्य को क़ानून इंगलिस्तान की रू से दंड वध मुक़र्रर है तो उस मनुष्य को जन्म भर के देशनिकाले या क़ैद सख़्त का दंड दिया जायगा जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकती है और वह जरीमाने के भी

योग्य होगा ॥

और अगर कोई बिना पराधी साबित होजाय और दंड वध पा जाय तो उस मनुष्य को जिसने ऐसी झूठी गवाही दी हो या तो दंड वध दिया जायगा या वह दंड जो इस दफ़ा में ऊपर लिख आये हैं ॥

दफ़ा १९५ - जो कोई मनुष्य झूठी गवाही दे या बनाये इस नियत से या इस काम के एहतमाल के इल्म से कि उस झूठी गवाही के बायस किसी शख़्स को ऐसे अपराध का अपराधी ठहराये जिसके उद्योग में * क़ानून ब्रिटिश इंडिया या इंगलिस्तान की रूसे * दंड वध तो मुक़र्रर नहीं है परंतु जन्म क़ैद या देश निकाले अथवा क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस या ज़ियादा है तो मनुष्य मज़कूर को वह दंड दिया जायगा जिसके योग्य वह मनुष्य है जो उस अपराध का अपराधी होजाय ॥

उदाहरण

देवदत्त किसी अदालत में इस नियत से झूठी गवाही दे कि उसके ज़रिये से हरमित्र को डकैती का अपराध ठहराइ परंतु डकैती के लिये जन्म भर का देश निकाला या क़ैद सख़्त का दंड मुक़र्रर है जिसकी म्याद दस बरस तक हो सक्ती है मय जरीमाने या बिला जरीमाने इस लिये देवदत्त जन्म भर के देश निकाले या सख़्त क़ैद का मय जरीमाने या बिला जरीमाने के योग्य है ॥

दफ़ा १९६ - जो कोई मनुष्य झूठे सबूत को जिसे वह जानता है कि झूठा या बनाई हुई है सच्ची या असली वजह सबूत की है सियत से काम में लाये या काम में लाने का उद्योग करे -

झूठी जानी हुई वजः सबूत का काम में लाना -

तो उस को उस तरह दंड दिया जायगा कि गोया उसने झूठी गवाही दी या बनाई॥

दफ़ा १९७- जो कोई मनुष्य कोई ऐसा सारटीफ़िकट जारी करे या उस पर दस्तख़त करे जिसका दिया जाना या जिस पर दस्तख़त किया जाना क़ानून की रू से ज़रूर है या जो किसी ऐसे काम वाक़ई से मुतअल्लिक़ हो जिस की वजः सबूत के तौर पर वह सारटीफिकट क़ानूनन ले लिये जाने के लायक़ है और यह जानकर या जानने की वजः रख कर कि उस सारटीफिकट में कोई अहम लिखा है तो उस मनुष्य को उस तरह दंड दिया जायगा कि गोया उसने झूठी गवाही दी॥

झूठा सारटीफिकट जारी करना या उस पर दस्तख़त करना

दफ़ा १९८- जो कोई मनुष्य फ़ासद तौर से किसी ऐसे सारटीफिकट को सच्चे सारटीफिकट की हैसियत से काम में लाए या काम में लाने का उद्योग करे यह जान कर कि उस सारटीफिकट में अहम झूठ लिखा है तो उसको उसी तरह दंड दिया जायगा कि गोया उसने झूठी गवाही दी॥

किसी सारटीफिकट को जिस में कोई काम अहम झूठ जाना हुआ है सच्चे सारटीफिकट की हैसियत से काम में लाना-

दफ़ा १९९- जो कोई मनुष्य किसी इज़हार में जो उसने दिया या जिस पर उसने दस्तख़त किया हो और जिस इज़हार को किसी काम वाक़ई की वजः सबूत के तौर पर लेना किसी अदालत या सर्व संबंधी नौकर या किसी और मनुष्य पर क़ानूनन वाजिब या उसके लिये क़ानून जायज

किसी इज़हार में जो क़ानून की रू से वजः सबूत के तौर पर लिये जाने के लायक़ है-

हो उस मतलब के किसी काम अहम की निस्बत जिसके लिये वह इज़्हार दिया गया या काम में लायागया है कुछ ब्यान और जो झूठा हो या जिस का झूठा होना या तो वह जानता या जानने को हो या जिस का सच्चा होना वह जानता हो तो उस मनुष्य को उसी तरह दंड दिया जायगा कि गोया उसने झूठी गवाही दी ॥

झूठ जानेहुए किसी ऐसे इज़्हार को सच्चे की भांति से काममें लाना·

दफ़ा २०० — जो कोई मनुष्य झूठेतौर से किसी ऐसे इज़्हार को सच्चे की भांति काम में लाना या काम में लाने का उद्योग करना यह जानबूझ कर कि उसमें कोई काम अहम झूठा है तो उस को उसी तरह दंड दिया जायगा कि गोया उसने झूठी गवाही दी ॥

विवेचना-१-हर एक ऐसा इज़्हार जो सिर्फ़ किसी बेज़ाब्तगी की वजह से ले लिये जाने के क़ाबिल न हो दफ़ा १९९ और २०० की मुराद में दाख़िल है ॥

सबूत को छुपाना अथवा झूठ ख़बर देना अपराधी को अपराध से बचाने के हेतु से

दफ़ा २०१ — जो कोई मनुष्य यह जानकर अथवा इस काम के निश्चय मानने का हेतु रख कर कि किसी अपराध का होजाना उस अपराध का किया जाना अथवा निश्चे मानने के हेतु को इस नियत से छुपाये कि अपराधी को दंड पाने से बचाये अथवा इस नियत से उस अपराध की निस्बत कुछ ख़बर दे जिसका झूठा होना वह जानता अथवा निश्चय मानता हो-

जो दंड बध के योग हो

तो जो उस अपराध के उद्योग में जिसको वह जानता अथवा निश्चयमानता है कि उस का कियाजाना

दंड वध ठहराया गया है तो उस मनुष्य को दोनों प्रकारों में से किसी प्रकार की क़ैद का दंड दिया जायगा जिसकी म्याद सात बर्स तक हो सक्ती है और वह जुरमाने के योग्य भी होगा॥

जो जन्म क़ैद व देश निकाले के योग्य हो। जिस का दंड देश निकाला व जन्म क़ैद हो अथवा ऐसी क़ैद जिसकी म्याद दस बरस तक हो सक्ती है तो उस मनुष्य को दोनों प्रकारों में से किसी प्रकार की क़ैद का दंड दिया जायगा जिस की म्याद तीन बरस तक हो और वह जुरमाने के योग्य भी होगा।

जो क़ैद दस बरस से कम के योग्य हो। और जो उस अपराध के उद्योग में ऐसी क़ैद का दंड ठहराया गया हो जिस की म्याद दस बरस से कम हो तो उस मनुष्य को उस प्रकार की सज़ा दी जायगी जो उस अपराध के लिये ठहराई गई हो और जिसकी म्याद बड़ी से बड़ी म्याद की एक चौथाई तक हो सक्ती है जो उस अपराध के लिये ठहराई गई है अथवा जुरमाने का दंड अथवा दोनों का दंड दिया जायगा॥

उदाहरण

देवदत्त यह जान कर कि हरमित्र ने विष्णु मित्र को मार डाला है उसकी लाश को इस प्रयोजन से छुपाये कि वह दंड से बच जाय तो देवदत्त दोनों प्रकारों की क़ैद में से किसी प्रकार की क़ैद का दंड दिया जायगा जिसकी म्याद सात बरस तक हो सक्ती हो और जुरमाने के भी योग्य होगा॥

दफ़ा २०२- जो कोई मनुष्य यह जान कर या निश्चै मानने का हेतु रखकर कि किसी अपराध का किया जाना अवश्यक हो उस जुर्म के लिये कोई ऐसी खबर देने से चूकेगा जिसका देना क़ानूनानुसार उस पर आवश्यक हो तो उस

मनुष्य को दोनों प्रकारों में से किसी प्रकार की क़ैद का दंड दिया जायगा जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकती है अथवा जुरमाने की अथवा दोनों सज़ायें दी जायंगी-

दफ़ा २०३-जो कोई मनुष्य यह जान कर अथवा निश्चै मानने का हेतु रख कर कि कोई अपराध हो जाय उस अपराध के मध्ये कोई झूठ खबर दे तो उस मनुष्य को दोनों प्रकारों में से किसी प्रकार की क़ैद का दंड दिया जायगा जिसकी म्याद दो बरस तक हो सक्ती है अथवा जुरमाने का दंड अथ दोनों दंड दिये जायंगे॥

विवेचना-दफ़ात २०१ व २०२ में और इस दफ़ा में शब्द "अपराध" दाखिल है जिसका किया जाना किसी स्थान में जो अंग्रेज़ी राज्य से बाहर हो और जो अंग्रेज़ी राज्य के अंदर पैदा होने की विषय में नीचे लिखी हुई दफ़ा यानेदफ़ा ३०२ व ३०४ व ३८२ व ३९२ व ३९४ व ३९५ व ३९६ व ३९७ व ३९८ व ३९९ व ४०२ व ४३५ व ४३६ व ४४९ व ४५० व ४५७ व ४५८ व ४५९ व ४६० में से किसी दफ़ा के अधिकार से योग्य दंड हो॥

दफ़ा २०४-जो कोई मनुष्य किसी ऐसी लिखतम को छुपायेगा या मिटायेगा जिसको वह किसी अदालत आफ जस्टिस के हुज़ूर में अथवा किसी कारवाई में जो क़ानून के अनुसार किसी सर्व संबंधी नोकर के सामने जो उसकी नोकरी के हैसियत से हो रही हो जिसके सबूत से क़ानूनन मजबूर होसके अथवा सर्वे लिखतम अथवा उसके खंड को मिटा डाले अथवा ऐसा करदे कि पढ़ने के योग्य न रहे इस प्रयोजन से

नष्ट करना किसी लिखतम जो सबूत के तरह पेश की जाय-

कि उसका हालत अथवा उस सर्वे संबंधी नोकरके सामने उस लिखतमका सच्चा होने के तौरपर पेश होना या काम में आना रुक जाय अथवा पीछे इस के ऊपर लिखी हुई लिखतम के पेश करने के लिये कानूनानुसार आज्ञा अथवा हिदायत हो चुकी हो उस काममें से किसी काम का अपराधी होगा तो उस मनुष्य को दोनों प्रकारों में से किसी प्रकार का दंड दिया जायगा जिसकी म्याद दो बरस तक हो सक्ती है या जरीमाने का या दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा २०५- जो कोई मनुष्य झूठमूठ कोई और मनुष्य बन कर कुछ काम अथवा कारर वाई के लिये कोई इकरार अथवा इकबाल अथवा ब्यान अथवा कोई इक़बाल दावा दाखिल करे या परवाना जारी कराये अथवा हाज़िर ज़ामिनी अथवा माल ज़ामिन होजाय अथवा दीवानी अथवा फौजदारी के किसी मुक़द्दमा में कोई काम करे तो उस मनुष्य को दोनों प्रकारों में किसी प्रकार का दंड दिया जायगा जि[illegible] तीन बरस [illegible] है अथवा जरीमाना व दोनों दंड दिये जायंगे॥

झूठमूठ कोई और मनुष्य बनना दीवानी अथवा फौजदारी के मुक़द्दमे में अमल दरआमद होने स्वार्थसे-

दफ़ा २०६- जो कोई मनुष्य छल छिद्र से किसी वस्तु को इस प्रयोजन से उठा ले जाय अ छुपा दे अथवा किसी के नाम करदे अथवा किसी मनुष्य के हवाले करदे कि उस आ ज्ञा के अनुसार जो किसी अदालत अथवा सर्वे संबंधी में

छल छिद्र से उठा लेजाना अथवा छुपा देना किसी वस्तु का इस प्रयो जन से कि जप्ती में अथवा इजराय डिगरी मे उसका लिया जाना रुक जाना

कर की आज्ञा हुई हो अथवा जिस के जारी होने का शुभा है उस वस्तु को जिस का ज़प्त होना अथवा जुरमाने या किसी डिगरी अथवा अदालत दीवानी के मुक़द्दमे में अथवा और किसी अदालत से जारी हो अथवा जिसको वह जानता हो कि उसके जारी होने का शुभा है तो उस मनुष्य को दोनों प्रकारों में से किसी प्रकार की क़ैद की सज़ा दी जायगी जिसकी म्याद दो बरस तक हो सक्ती हो सक्ती है अथवा जुरमाने का दंड अथवा दोनों दंड दिये जायंगे॥

छल छिद्र से दावा करना किसी वस्तु पर इस प्रयोजन से कि उस का लिया जाना ज़प्ती में अथवा इजराय डिगरी में रुक जाय॥

दफ़ा २०७–जो कोई मनुष्य किसी वस्तु को अथवा वस्तु के अधिकार को स्वीकार करेगा अथवा रख लेगा अथवा उस पर दावा करेगा यह जान बूझ कर कि मेरा इस में कुछ हक़ है या हक़ की की रू से दावा नहीं है अथवा जो मनुष्य किसी वस्तु के किसी अधिकार के दावे के मध्ये कुछ धोखा देगा इस प्रयोजन से कि वह वस्तु अथवा उस का वह अधिकार किसी ज़प्ती में अथवा जुरमाने में जिस के दंड की आज्ञा किसी अदालत से अथवा समर्थ हाकिम के यहां से हो चुकी हो अथवा होनी अति संभवित होना जानता हो अथवा किसी ऐसी डिगरी या हुक्म के इजराय में जो किसी अदालत से किसी दीवानी मुक़द्दमे में हो चुका हो अथवा होना वह अति संभवित जानता हो लिये जाने से बच जाय उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा २०८ जो कोई मनुष्य किसी दूसरे की नालिश में अपने ऊपर छल छिद्र से कोई डिगरी अथवा हुक्म करावेगा अथवा होने देगा उस रुपये के लिये जो किउसके ऊपर वाजवी न हो अथवा वाजिब से अधिक हो अथवा किसी वस्तु या वस्तु के अधिकार के लिये जिस पर उस मनुष्य का कुछ हक़ न हो अथवा जो मनुष्य छल छिद्र से अपने ऊपर किसी चुकी हुई डिगरी अथवा हुक्म को अथवा उसके किसी चुके हुए भाग को जारी करावेगा अथवा जारी होने देगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनो का किया जायगा॥

छल छिद्र से अपने ऊपर लेना किसी डिगरी का जिसका रुपया वाजवी न हो॥

उदाहरण

देवदत्त ने विष्णुमित्र के ऊपर नालिश की और विष्णुमित्र ने यह जानकर कि उसके ऊपर देवदत्त का डिगरी पाना अति संभवित है छल छिद्र से अपने ऊपर यज्ञदत्त की नालिश में जिसका दावा उसके ऊपर वाजिब न था उस से भी अधिक रुपये की डिगरी करादी इस प्रयोजन से कि जो रुपया देवदत्त की डिगरी में विष्णुमित्र का माल नीलाम होने से आवे उस में उस में यज्ञदत्त अपने लिये अथवा विष्णुमित्र के भले के लिये हिस्सा पावे यहां विष्णुमित्र ने इस दफ़ा के अनुसार अपराध किया॥

दफ़ा २०९- जो कोई मनुष्य छल छिद्र से अथवा बेधर्मई से अथवा किसी मनुष्य को हानि अथवा खेद पहुंचाने के प्रयोजन से किसी अदालत में कोई दावा जिसको वह जानता हो कि झूठा है करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस

अदालत में झूठा दावा

तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनो का किया जायगा ॥

छल छिद्र से प्राप्त करनी कोई डिगरी जिसका रु॰ वाजवी न हो

दफ़ा २१० – जो कोई मनुष्य छल छिद्र से किसी मनुष्य पर कोई डिगरी अथवा हुक्म उस रुपये के लिये जो वाजवी नहीं है अथवा वाजिवी से अधिक है अथवा किसी वस्तु या वस्तु के लिये अधिकार जिस पर उसका कुछ हक नहीं है प्राप्त करेगा अथवा जो मनुष्य छल छिद्र से किसी पर किसी चुकी हुई डिगरी अथवा हुक्म को अथवा उसके किसी भाग को जिसका दावा चुक गया हो छल छिद्र से जारी करावेगा अथवा छल छिद्र से इस प्रकार का कोई काम अपने नाम से न होने देगा अथवा होने की आज्ञा देगा उसको दंड दोनो में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो वरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

हानि पहुंचाने के प्रयोजन से झूठ मूठ अपराध लगाना

दफ़ा २११ – जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को हानि पहुंचाने के प्रयोजन से उसके ऊपर कोई अपराध संबंधी मुक़द्दमा दायर करेगा या करावेगा अथवा उसको झूठ तुहमत किसी अपराध के करने की लगावेगा यह जानबूझ कर कि उस मनुष्य के ऊपर यह मुक़द्दमा अथवा तुहमत क़ानून अनुसार निर्मूल है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो वर्ष तक हो सकेगी अथवा जरीमाने अथवा दोनों का किया जायगा और कदाचित वह झूठा मुक़द्दमा किसी ऐसे अपराध के मध्ये हो जिसका दंड बध अथवा जन्म भर के देश निकाले अथवा सात

बरस अथवा उस से अधिक म्याद की क़ैद हो तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

दफ़ा २१२ — जब कभी कोई अपराध हो जाय तो जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को जिस को वह जानता हो या जानने का हेतु रखता हो कि अपराधी है आश्रय देगा या छुपावेगा इस प्रयोजन से कि वह क़ानूनानुसार दंड से बच जाय —

आश्रय देना किसी अपराधी को —

कदाचित् वह अपराध वध के दंड योग्य हो तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद पांच बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और कदाचित् वह अपराध जन्म भर के देश निकाले या दस बरस तक की म्याद की क़ैद के दंड योग्य तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और कदाचित् वह अपराध ऐसा हो कि उस के दंड की म्याद दस बरस तक की क़ैद की नहीं एक ही बरस तक की क़ैद हो सके तो दंड उसी प्रकार की क़ैद का जो उस अपराध के लिये ठहराई गई बढ़ती से बढ़ती म्याद की चौथाई तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

कदाचित् अपराध वध के दंड योग्य हो

कदाचित् अपराध जन्म भर के देश निकाले अथवा क़ैद के दंड योग्य हो

छूट

यह नियम किसी ऐसे मुक़द्दमे में संबंध न रखेगा जिस में अपराधी की जोरू अथवा खसम छुपाने वाला हो ॥

(२) शब्द "अपराध" इस दफ़ा में हर एक ऐसा काम शामिल है जिस का किया जाना हिन्दुस्तान के अंग्रेज़ी राज्य से बाहर संभवित हो और जो अंग्रेज़ी राज्य के भीतर होने के हेतु में नीचे लिखी हुई दफ़ाएं अर्थात् दफ़ा ३०२ व ३०४ व ३८२ व ३९२ व ३९३ व ३९४ व ३९५ व ३९६ व ३९७ व ३९८ व ३९९ व ४०२ व ४३५ व ४३६ व ४४९ व ४५० व ४५७ व ४५८ व ४५९ व ४६० में से किसी दफ़ा के अनुसार लायक़ दंड हो तो वैसा हर एक काम दफ़ा हेतु से योग्य दंड होगा जैसा कि गोया अपराधी से अंग्रेज़ी राज्य के भीतर अपराधी हुआ था

उदाहरण

देवदत्त ने यह जानकर कि यज्ञदत्त ने डांका डाला यज्ञदत्त को यह जानबूझकर छुपाया इस प्रयोजन से कि वह नीति पूर्वक दंड पाने से बच जाय तो यह यज्ञदत्त जन्म भर के देश निकाले के दंड योग्य था इसलिये देवदत्त को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस से अधिक न होगी और जरीमाने भी हो सकेगा॥

दफ़ा २१३-जो कोई मनुष्य कुछ अपराध छुपाने अथवा किसी मनुष्य को किसी अपराध के नीति पूर्वक दंड से बचाने अथवा किसी मनुष्य को नीति पूर्वक दंड दिलाने का उपाय न करने के बदले अपने लिये अथवा और किसी के लिये कुछ इनाम अथवा कोई वस्तु लेनी स्वीकार करेगा अथवा लेने का उद्योग करेगा अथवा स्वीकार करने पर राज़ी होगा उस को कदाचित वह अपराध बध के दंड योग्य हो तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी

किसी अपराधी को दंड से बचाने बदले इनाम की भांति लेना

कदाचित अपराध बध के दंड योग्य हो

१ यह दो बारत ऐक्ट ३ सन् १८९४ ई० ता: २३ फरवरी के अनुसार बढ़ाई गई है-

योग्य होगा और कदाचित वह अपराध जन्म भरके देश नि

कदाचित वह अपराध जन्मभर के देश निकाले अथवा क़ैद के योग्य हो -

काले अथवा दस वरस तक की क़ैद के योग्य हो तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और कदाचित वह अपराध ऐसा हो कि उस के दंड की म्याद दस बरस तक न हो सके तो दंड उसी प्रकार की क़ैद का जैसा की उस अपराध के लिये ठहराई गई हो किसी म्याद की जो उस अपराध के लिये ठहराई हुई बढ़ती से बढ़ती म्याद की चौथाई तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा २१४ - जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को इस बात के लिये

अपराधी को दंड से बचाने के बदले इनाम देना अथवा कुछ वस्तु फेर देनी -

कि उसने किसी अपराध को छुपाया अपराध को छुपाया अथवा किसी मनुष्य के किसी अपराध के नीति पूर्वक दंड से बचाया अथवा इस बात के बदले कि उसने किसी मनुष्य को नीति पूर्वक दंड दिलाने का उपाय न किया कुछ इनाम देगा अथवा दिलावेगा अथवा देने का उद्योग करेगा अथवा देने को राज़ी होगा अथवा कोई वस्तु फेर देगा उसको कदाचित वह अपराध वध के दंड योग्य हो तो दंड दोनों में से किसी

कदाचित अपराध वध के दंड योग्य हो

प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और कदाचित वह अपराध जन्मभर

कदाचित अपराध जन्मभर के देश निकाले अथवा क़ैद के दंड योग्य हो

के देश निकाले अथवा दस बरस तक दंड योग्य हो तो दंड दोनों

में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक होस के भी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और कदाचित वह अपराध ऐसा हो कि उस के दंड की म्याद दस बरस तक न हो तो वे दो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जैसा कि उस अपराध के लिये ठहराई गई हो किसी म्याद की जो उस अपराध के लिये ठहराई गई है बढ़ती से बढ़ती म्याद की चौथाई तक हो सके भी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा-

लूट

दफ़ा २१३ और २१४ के नियम किसी ऐसे मुक़द्दमे से संबंध न रक्खेंगे जिसमें काम का करना ही अपराध हो चाहे करनेवाले का प्रयोजन उस के करने से हो चाहे न हो और उस काम के बदले हानि पहुंचाने वाला मनुष्य दीवानी में नालिश कर सक्ता है- (उदाहरण) ऐक्ट १० सन् १८८२ ई० के अनुसार निकाल दिये गये हैं-

दफ़ा २१५- जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को कुछ ऐसा माल

इनाम लेना चोरी इत्यादि का माल निकालने में सहायता देने के बदले

असबाब जो इस संग्रह के अनुसार दंड दिये जाने के योग्य किसी अपराध के द्वारा उस के पास से जाता रहा हो फिर पाने में सहायता देने के मिस से अथवा सहायता देने के बदले कुछ इनाम लेगा अथवा लेने को राज़ी होगा अथवा स्वीकार करैगा उसको कदाचित वह अपने वश भर अपराधी को पकड़ाने अथवा उस पर अपराध साबित कराने के लिये उपाय न करैगा तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सके भी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा-

दफ़ा २१६- जब कभी कोई मनुष्य जिसके ऊपर कोई अपराध के बदले क़ानूनानुसार बंधि में हो उस बंधि से भाग जाय अथवा

आश्रय देना किसी अपराधी को जो बंधि से भाग गया हो अथवा जिसके पकड़े जाने की आज्ञा हो चुकी हो -

जब कभी कोई सर्वसंबंधी नौकर अपने ओहदे का नीतिपूर्वक अधिकार बर्तने में किसी अपराध के बदले किसी मनुष्य के पकड़े जाने की आज्ञा दे दे तो जो कोई मनुष्य उस मनुष्य का भाग जाना अथवा उसके पकड़े जाने की आज्ञा का होना जान बूझ कर उसको आश्रय देगा अथवा छुपावेगा इस प्रयोजन से कि उसका पकड़ा जाना रुक जाय उसको दंड इस भांति दिया जायगा कि कदाचित वह अपराध जिसके बदले भाग जाने वाला बंधि में था अथवा पकड़ा जाने को था वध के दंड योग्य हो तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा

कदाचित अपराध वध के दंड योग्य हो

और कदाचित वह अपराध जन्मभर के देश निकाले अथवा दस बरस की क़ैद के दंड योग्य हो तो दोनों में से दंड किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी जरीमाने समेत अथवा बिना जरीमाने किया जायगा

कदाचित अपराध जन्म भर के देश निकाले अथवा क़ैद के योग्य हो -

कदाचित वह अपराध ऐसा हो कि उसके दंड की म्याद दस बरस तक नहीं एक बरस तक हो सक्ती हो तो दंड उसी प्रकार की क़ैद का जैसी कि उस अपराध के लिये ठहराई गई हुई बढ़ती से बढ़ती म्याद की चौथाई तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

"अपराध" शब्द इस दफ़ा के अनुसार ऐसा काम या चूक काम भी शामिल है जिसका अपराध होना अंग्रेजी राज्य के

वाहर किसी ऐसे मनुष्य के वर्णन किया है जो हिन्दुस्तानी अंग
रेज़ीराज्य के भीतर उक्त अपराधी होने प्रयोजन में दंड योग्य
अपराध होने के लिये वह अपराधी मनुष्य किसी क़ानून
के अनुसार सौंपने अपराधियों का किसी दूसरे राज्य को अ
थवा भागे हुए अपराधियों का प्रचलित क़ानून सन् १८८१ ई
के अनुसार अथवा दूसरी प्रकार हिन्दुस्तानी राज्य के भीत
र पकड़ा जाय अथवा क़ैद में रहने के योग्य है—और ऐसा
काम अथवा चूक काम इस दफ़ा के प्रयोजन से इस तरह दंड
योग्य गिना जायगा कि मानों उस मनुष्य अपराधी ने हिन्दु
स्तानी अंग्रेज़ी राज्य के भीतर काम अथवा चूक काम का अ
पराधी हुआ॥ ×—× यह फ़िक़रा दफ़ा २१ ऐक्ट १० सन् १८८६ ई
के अनुसार दफ़ा २३ के अधिक किया गया है॥

वल सहित उठैया होने के उद्योग में आश्रय देने का दंड

दफ़ा २१६-(अ) जो कोई मनुष्य यह जानबूझ कर अथवा नि
श्चय मानने का हेतु रख कर कि बहुधा मनुष्य बल सहित
चोरी अथवा बल सहित उठैया करने वाले हैं अथवा हाल
में उन्होंने बल सहित चोरी अथवा बल सहित उठैया किया
हो उन सब को अथवा उन में से किसी मनुष्य को इस प्रयो
जन से आश्रय दे कि उस बल सहित चोरी अथवा बल
सहित उठैया का किया जाना सुगम हो जाय अथवा वे
मनुष्य अथवा उन में से कोई मनुष्य दंड रहित हो जाय
उस को कठिन क़ैद का दंड जिस की म्याद सात बरस त
क हो सक्ती है दिया जायगा अथवा जुरमाने के भी योग्य
होगा॥

छूट - यह नीति पूर्वक आज्ञा उस अपराध से संबंध न रक्खे
गी जिस में अपराधी की जोरू अथवा खसम आश्रय देने वाला है-

दफ़ा २१६-(ब) दफा २१२ व २१६ व २१६(अ) में शब्द आश्रय में किसी मनुष्य को आश्रय देना अथवा उस को खाने अथवा पीने की चीज़ अथवा रुपया अथवा वस्त्र अथवा

दफ़ा २१२ व २१६ व २१६(अ) में "आश्रय का दान"

जोखिम के हथियारों से अथवा और उपायों से दुख पहुंचाना अथवा किसी मनुष्य को किसी तरह पकड़े जाने से निकल भागने के लिये सहायता देना भी दाखिल है-

छूट- इस दफ़ा की आज्ञा उस हालत में संबंध न रक्खेगी जहां आश्रय देने वाली अथवा छुपाने वाली उस मनुष्य की स्त्री अथवा खसम से पाया जाय जिसका पकड़ा जाना संभवित है॥

दफ़ा २१७ -जो कोई मनुष्य सर्व संबंधी नोकर होकर किसी मनुष्य को नीति पूर्वक दंड से बचाने के प्रयोजन से अथवा बचाना अति संभवित जान कर अथवा जितना दंड उस मनुष्य को हो सक्ता है उतने से कमती कराने के प्रयोजन से अथवा कमती होना अति संभवित जानकर अथवा किसी माल की ज़प्ती से अथवा किसी दूसरी क़ानून पूर्वक इल्लत से बचाने के प्रयोजन से अथवा बचाना अति संभवित जानकर अपने ओहदे काम भुगताने की रीति के मध्ये क़ानून की आज्ञा को जानबूझ कर उल्लंघन करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

सर्व संबंधी नोकर होकर जो किसी मनुष्य को दंड से अथवा किसी माल की ज़प्ती से बचाने के प्रयोजन से किसी नीतिपूर्वक आज्ञा को न माने-

× यह दफ़ा बमूजिब तरमीम एक नम्बर ३ सन् १८९४ ई॰ ता॰ २३ फरवरी बढ़ाई गई-

दफ़ा २१८—जो कोई मनुष्य सर्व संबंधी नौकर होकर और सर्व संबंधी नौकर होने के कारण किसी काग़ज़ अथवा लिखतम के तैयार करने का काम पाकर उस काग़ज़ अथवा लिखतम को किसी ऐसी रीति से जिस को वह अशुद्ध जानता हो सब को अथवा किसी एक मनुष्य को हानि अथवा नुक़सान पहुंचाने के प्रयोजन अथवा नुकसान पहुंचाना अति संभवित जानकर अथवा किसी मनुष्य को क़ानूनानुसार दंड से बचाने के प्रयोजन से अथवा बचाना अति संभवित जानकर अथवा किसी माल को क़ानूनानुसार ज़ब्ती अथवा और किसी इल्लत से बचाने के प्रयोजन से अथवा बचाना अति संभवित जानकर बचावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

सर्व संबंधी नौकर जो किसी मनुष्य को दंड से अथवा माल की ज़ब्ती से बचाने के प्रयोजन से कोई अशुद्ध लिखतम बनावे अथवा लिखे—

दफ़ा २१९—जो कोई मनुष्य सर्व संबंधी नौकर होकर कुप्रयोजन अथवा ईर्षा से किसी अदालती मामले की किसी अवस्था में कोई रिपोर्ट अथवा आज्ञा अथवा डिगरी अथवा फैसला जिसको वह जानता हो कि क़ानून के विरुद्ध है देगा अथवा करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद सात बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

सर्व संबंधी नौकर जो कुप्रयोजन से किसी न्यायसंबंधी कारवाई में कोई ऐसी आज्ञा अथवा रिपोर्ट इत्यादि करे जिस को वह जानता हो कि क़ानून विरुद्ध है—

दफ़ा २२०—जो कोई मनुष्य किसी ऐसे ओहदे होकर जिस

जो कोई मनुष्य अधिकार पाकर किसी मनुष्य को वंधि में रक्खे अथवा तजवीज के लिये ऊपर के हाकिम को सौंपे यह जान बूझ कर कि मैं क़ानून के विरुद्ध करता

स उस को अधिकार किसी मनुष्य को क़ैद करने अथवा न्याय के लिये ऊपर के हाकिम को सौंपने अथवा क़ैद में रखने का हो किसी को कुप्रयोजन से अथवा ईरषा से क़ैद में भेजेगा अथवा न्याय के लिये सौंपेगा अथवा क़ैद में रक्खेगा यह जान बूझ कर कि इस काम को मैं क़ानून के विरुद्ध करता हूं उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा २२१ - जो कोई मनुष्य सर्व संबंधी नौकर हो और उस

जिस सर्व संबंधी नौकर पर किसी को पकड़ना क़ानून अनुसार अवश्य हो उस की ओर से पकड़ने में जान बूझ कर चूकना

पर सर्व संबंधी नौकर होने के कारण पकड़ना अथवा क़ैद में रखना किसी मनुष्य का जो अपराध में फंसा हो अथवा पकड़े जाने के योग्य हो अथवा क़ानून अनुसार अवश्य हो वह कदाचित जान बूझ कर उस मनुष्य के पकड़ने से चूकेगा अथवा जान बूझ कर उसको क़ैद से भाग जाने देगा अथवा जान बूझ कर उस को भागने में अथवा भागने का उद्योग करने में सहाय ता देगा उस को दंड इस रीति से किया जायगा कि जो वह मनुष्य उस क़ैद में था अथवा जिसका पकड़ा जाना उचित था किसी ऐसे अपराध में जिसका दंड वध हो फंसा हो अथवा पकड़े जाने के योग्य हो तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी जरीमाने समेत अथवा बिना जरीमाने होगा अथवा

जब वह मनुष्य जो क़ैद में था अथवा जिसका पकड़ा जाना उचित था किसी ऐसे अपराध में था जिसका दंड देश निकाला अथवा दश वर्ष तक की क़ैद हो फंसा हो अथवा पकड़े जाने के योग्य हो तो दंड दोनों में किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद तीन वरस तक हो सकेगी जरीमाने समेत अथवा विना जरीमाने होगा अथवा-

जब वह मनुष्य क़ैद था अथवा जिसका पकड़ा जाना उचित था किसी ऐसे अपराध में जिसका दंड दस वरस से कम तो म्याद की म्याद की क़ैद हो फंसा हो अथवा पकड़े जाने के योग्य हो तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो वरस तक हो सकेगी जरीमाने समेत अथवा विना जरीमाने के होगा॥

दफ़ा २२२- जो कोई मनुष्य सर्व संबंधी नोकर हो और उस पर सर्व संबंधी नोकर होने के कारण पकड़ना और क़ैद में रखना किसी अपराध में किसी अदालत से दंड की आज्ञा हो चुकी हो क़ानूनानुसार अवश्य हो वह कदाचित उस मनुष्य को पकड़ने से जान बूझ कर चूकेगा अथवा जान बूझ कर उस को क़ैद से भाग जाने देगा अथवा जान बूझ कर उसको भाग जाने में अथवा भाग जाने का उद्योग करने में सहायता करेगा उस को दंड इस रीति से किया जायगा कि जब वह मनुष्य जो क़ैद में था अथवा जिसका पकड़ना उचित था अथवा वध के दंड की आज्ञा पा चुका था तो दंड वध जन्म भर के देश निकाले का अथवा दोनों

जिस सर्व संबंधी नोकर पर पकड़ना किसी मनुष्य को जिस पर दंड की आज्ञा किसी अदालत से हो चुकी हो क़ानूनानुसार अवश्य हो उसकी ओर से पकड़ने में जान बूझ कर चूकना

में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद चौदह बरस तक होसकेगी जरीमाने समेत अथवा बिना जरीमाने होगा अथवा जब वह मनुष्य जो क़ैद में था अथवा जिसका पकड़ना उचित था किसी अदालत की आज्ञानुसार अथवा आज्ञा के वदले जन्म भर के देश निकाले अथवा जन्म भर के सेवा दंड अथवा दश वरस तक वा दश बरस के ऊपर के देश निकाले अथवा सेवा दंड अथवा क़ैद का पा चुका हो तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी जरीमाने समेत अथवा बिना जरीमाने होगा अथवा—

जब वह मनुष्य क़ैद में था अथवा जिस का पकड़ा जाना उचित था किसी अदालत की आज्ञानुसार दंड दो बरस से कमती म्याद का पा चुका हो तो दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद तीन बरस तक होसकेगी अथवा वो मनुष्य नीति पूर्वक क़ैद में रक्खा गया हो ॥ (देखो दफ़ा २७ ऐक्ट सन् ७ ई॰ द॰ ८ को देखो)

दफ़ा २२३—जो कोई मनुष्य सर्व संबंधी नोकर हो कर और उस पर सर्व संबंधी नोकर होने के का° क़ैद में रखना किसी मनुष्य का जो किसी अपराध में फंसा हो अथवा जिसके ऊपर अपराध[illegible] हो चुका हो अथवा क़ानूनानुसार क़ैद में रक्खा गया हो, वह कदाचित अपनी असावधानी से उस मनुष्य को क़ैद से भाग जाने देगा उसको दंड साधारण क़ैद का जिस की म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

जो सर्व संबंधी नोकर होकर अपनी असावधानी से किसी को वंधि से भाग जाने देगा—

° यह शब्द दफ़ा २२३ में ऐक्ट २७ सन् १८७० ई॰ की दफ़ा ८ के अनुसार बढ़ाये गये हैं

दफ़ा २२४ - जो कोई मनुष्य किसी अपराध में जो उस पर लगाया गया हो अथवा जो उस पर साबित हो चुका हो उस के पकड़े जाने में कुछ अनीति सामना अथवा रोक जानबूझ कर करेगा अथवा जिस बंधि में वह उसी अपराध के बदले कानूनानुसार कैद में रक्खा गया हो उस में से भाग जायगा अथवा भागने का उद्योग करेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

अपने नीति पूर्वक पकड़े जाने में किसी की ओर से सामना अथवा रोक होनी

दफ़ा २२५ - जो कोई मनुष्य किसी अपराध में किसी दूसरे मनुष्य के कानूनानुसार पकड़े जाने में जानबूझ कर अनीति सामना अथवा रोक करेगा अथवा किसी दूसरे मनुष्य को किसी बंधि से जिस में वह किसी अपराध के बदले कानूनानुसार रक्खा गया हो अनीति रीति से छुड़ावेगा अथवा छुड़ाने का उद्योग करेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

किसी दूसरे मनुष्य के नीति पूर्वक पकड़े जाने में सामना अथवा रोक करना -

अथवा वह मनुष्य जो पकड़े जाने को था अथवा जो छुड़ा लिया गया अथवा जिस के छुड़ाने का उद्योग किया गया किसी ऐसे अपराध में जिस का दंड देश निकाला अथवा दश बरस तक की कैद का हो फंसा हो अथवा पकड़े जाने के योग्य हो तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की

की क़ैद का जिसकी म्याद तीन वरस तक हो सकैगी कियाजा यगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

अथवा जब वह मनुष्य जो पकड़ा जाने को या अथवा जो छुड़ा लिया गया अथवा जिसके छुड़ाने का उद्योग कियाग या किसी ऐसे अपराध में जिसका दंड वध हो फंसा हो अथवा पकड़े जाने को हो तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात वरस तक हो सकैगी कियाजा यगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

अथवा जब वह मनुष्य जो पकड़ा जाने को था अथवा जो छुड़ा लिया गया अथवा जिसके छुड़ाने का उद्योग किया गया किसी अदालत की आज्ञानुसार अथवा उसके दंड के कारण जो उस आज्ञा के बदले ठहराया गया हो उसको जन्मभर का देश निकाला अथवा दस वरस या उस से अधिक म्याद के देश निकाले की अथवा सेवा दंड अथवा क़ैद के योग्य हो तो उसको दोनों प्रकारों में से किसी प्रकार की क़ैद का दंड दिया जायगा जिसकी म्याद सात वरस तक हो सकैगी अथवा जुरमाने के भी योग्य होगा॥

* दफ़ा २२५ (अ) जो कोई मनुष्य सर्वसंबंधी नौकर होकर अथवा सर्वसंबंधी नौकर होने कारण कानूनानुसार किसी मनुष्य के पकड़े जाने अथवा क़ैद में रखने का अधिकारी हो जिसके लिये दफ़ा २२१ या दफ़ा २२२ अथवा दफ़ा २२३ अथवा किसी और नीति प्रचलित समय में कोई आज्ञा हुई हो उस के पकड़े जाने में चूकना अथवा उसको क़ैद से भागजाने देना

सर्वसंबंधी नौकर की ओर से किसी मनुष्य के पकड़ने में चूकना अथवा भागजाने देना जिस के लिये कोई और आज्ञा न हो

तो उस को नीचे लिखे अनुसार दंड दिया जायगा-

(अ) जब वह सब संबंधी जानबूझ कर उस काम को करे तो उस को दोनों प्रकारों में किसी प्रकार की क़ैद जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जुरमाने की सज़ा अथवा दोनों सज़ायें दी जायंगी-और

(ब) जब वह काम भूल से होगया हो तो उस को क़ैद का दंड दिया जायगा जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जुरमाने की सज़ा अथवा दोनों सज़ायें दी जायंगी-

*दफ़ा २२५-(ब) जो कोई मनुष्य जानबूझ कर कोई ऐसा काम करे कि जिसके लिये दफ़ा २२४ अथवा दफ़ा २२५ में अथवा किसी और नीति प्रचलित समय में कुछ और आज्ञा

ऐसी अवस्था में जब बलसहित पकड़े जाने में सामना करना अथवा रोकना अथवा भाग जाना अथवा छुड़ा लेजाना जिनके लिये किसी और तरह का इंतज़ाम नहो

न हो अपने अथवा किसी और मनुष्य के पकड़े जाने में बल सहित सामना करना अथवा क़ानून विरुद्ध रोकना अथवा क़ैद से भाग जाना अथवा भाग जाने का उद्योग करना जिसमें वह नीति पूर्वक क़ैद रहा हो अथवा किसी और मनुष्य को छुड़ावे अथवा छुड़ाने का उद्योग करे जिस में वह मनुष्य नीति पूर्वक क़ैद हो तो उस को दोनों प्रकारों में से किसी प्रकार की क़ैद का दंड दिया जायगा जिसकी म्याद छः महीने तक हो सक्ती है अथवा जुर्माने की सज़ा अथवा दोनों सज़ायें दी जायंगी॥

दफ़ा २२६-जो कोई मनुष्य क़ानून अनुसार देश निकाले का दंड पा चुका हो वह कदाचित ठहराई हुई म्याद भुगतजाने से पहले अपना दंड माफ़ किये जाने विना लौट आवेगा

* यह दफ़ा २२५ (अ) व २२५ (ब) एक्ट १० सन् १८८६ ई॰ की द॰ २४ के अनुसार २२५ (अ) के बदले क़ायम हुई हैं औ एक्ट २७ सन् १८७० ई॰ द॰ ९ के अनुसार बढ़ाई गई-

अनीतिरीतिसेदेश निकालेसेलौटआना

उसको दंड जन्मभर के देश निकाले का किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और देश निकाला होने से पहले किसी म्याद की जो तीन वरस से अधिक न होगी कठिन क़ैद में रक्खा जायगा॥

दफ़ा २२७-जो कोई मनुष्य कुछ क़ौल क़रार करके अपना दंड माफ़ करा चुका हो वह कदाचित जान वूझकर उस क़ौल क़रार को तोड़ेगा तो

दंडके माफ़ी का क़ौल क़रार तोड़ना-

कदाचित उस दंड का कुछ भाग भुगत न लिया हो वही दंड जो पहिले दिया गया था दिया जायगा और कदाचित उस दंड का कोई भाग भुगत चुका हो तो दंड उतना ही जितना कि बिना भुगता रहा हो किया जायगा॥

दफ़ा २२८-जो कोई मनुष्य जान वूझ कर किसी सर्व संबंधी नोकर का अपमान करेगा अथवा उसके काम में विघ्न डालेगा उस समय जब कि वह न्याय संवंधी मामले की किसी अवस्था में स्थित हो उसको दंड साधारण क़ैद जिस की म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रुपया तक हो सकेगा अथवा दोनों का कियाजायगा॥

जानवूझकर अपमान करना किसी सर्वसंवंधी नोकर का अथवा विघ्न डालना उसके काम में जब कि वह किसी न्याय के मामले की किसी अवस्था में उपस्थित हो-

दफ़ा २२९-जो कोई मनुष्य दूसरा मनुष्य वन कर अथवा और किसी भांति किसी मुक़द्दमे में जिसमें वह जानता हो कि क़ानून अनुसार मुझ को पंच अथवा असेसर की भांति सौगंद करने अथवा पंचों अथवा असेसरों में नाम लिखाने या दाख़िल होने का अधिकार

झूठा मिस करके पंच अथवा असेसर वनना

नहीं है जानबूझ कर पंच अथवा असेसर की भांति सौगंद करेगा अथवा नाम लिखावेगा अथवा दाखिल होने देगा अथवा इन कामों में से कोई काम होने देगा अथवा मालूम करके कि क़ानून के विरुद्ध मुझ से इस प्रकार की सौगंद लीगई है अथवा मेरा नाम लिखा गया है उस पंचायत में जान बूझ कर बैठेगा अथवा असेसर बनेगा उसको दंड किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा-

अध्याय १२

सिक्कों और गवर्नमेन्ट के स्टांप संबंधी अपराधों के विषय में

दफ़ा २३०- सिक्का वह धातु है जो कि मौजूद होने के समय द्रव्य की भांति काम में आवे और किसी सर्वसंबंधी अथवा उस समय के राजा की आज्ञा से इस प्रकार प्रचलित होने के लिये मुहर किया गया और जारी किया गया हो ॥

[सिक्का]

* श्रीमती महारानी का सिक्का वह धातु है धातु है जो श्रीमती महारानी अथवा गवर्नमेन्ट हिन्द अथवा किसी और हाते की गवर्नमेन्ट अथवा किसी और गवर्नमेन्ट या श्रीमती महारानी की आज्ञानुसार द्रव्य की भांति प्रचलित होने के लिये ठप्पा किया गया और चलाया गया हो और वह धात इस भांति ठप्पा किया गया और चलाई हो इस अध्याय के प्रयोजन से श्रीमती महारानी का सिक्का ठहरेगा यह संभवित मानकर कि इस काम के लिये उसका प्रचलित होना बंद होगया हो ॥

यह इबारत दफ़ा २३० में ऐक्ट नं॰ ६ सन् १८९६ ई॰ के अनुसार बढ़ाई गई है-

* दो बार ह अधिक होने दंड के दूसरे अपराध ठहराये जाने में अध्याय १२ के उद्योग में ... ऊपर की दफ़ा ७५- ... दफ़ा २-२३० में सांकेतिक ... की जगह ऐक्ट ...

उदाहरण

(अ) कौड़ियां सिक्का नहीं हैं -

(इ) तांबे के टुकड़े जिन पर मुहर न लगी हो अथवा ठप्पा न हुआ हो सिक्का नहीं है यद्यपि द्रव्य की भांति काम में आते भी हों ॥

(उ) तमगे सिक्का नहीं है क्योंकि वे द्रव्य की भांति काम में आने के प्रयोजन से नहीं बनाये जाते ॥

(ऊ) सिक्का जो कम्पनी का रुपया कहलाता है श्री मती महारानी का सिक्का है -

* (ए) फ़र्रुखाबादी रुपया जो गवर्नमेन्ट हिन्द की आज्ञानुसार पहले रुपया की तरह प्रचलित था श्री मती महारानी का सिक्का है परंतु अब ऊपर लिखे अनुसार रिवाज नहीं रहा है ॥

दफ़ा २३१ - जो कोई मनुष्य खोटा सिक्का बनावेगा अथवा खोटा सिक्का बनाने के कामों में से जान बूझ कर कोई काम करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद जिस की म्याद सात बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

खोटा सिक्का बनाना।

विवेचना - जो कोई मनुष्य धोखा देने के प्रयोजन से अथवा जान बूझ कर कि इस से धोखा देना अति संभावित है किसी खरे सिक्के को दूसरे सिक्के के सदृश करेगा वह इस अपराध का करने वाला होगा ॥

दफ़ा २३२ - जो कोई मनुष्य श्री मती महारानी का सिक्का खोटा बनावेगा अथवा खोटा बनाने के कामों में से कोई जान बूझ कर करेगा उस को दंड जन्म भर के देशनिकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दस बरस तक

श्री मती महारानी का खोटा सिक्का बनाना।

* यह उदाहरण दफ़ा २३० में ऐक्ट नं० ६ १२२ सन १८९६ ई० के अनुसार बढ़ाई गई

होसकेगी किया जायगी की जायगी और जरीमाने केभी यो ग्य होगा॥

दफ़ा २३३-जो कोई मनुष्य ठप्पा अथवा औज़ार खोटा सिक्का बनाने में काम आने के निमित्त अथवा यह बात जान बूझ कर या निश्चै मानने का हेतु पाकर कि यह खोटा सिक्का बनाने के निमित्त काम में आने के प्रयोजन से बनावेगा अथवा सुधारेगा अथवा बनाने या सुधारने के कामों में से कोई काम करेगा अथवा मोल लेगा या वेचेगा या किसी को दे देगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद तीन बरस तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

खोटा सिक्का बनाने के लिये औज़ार बनाना अथवा वेचना

दफ़ा २३४-जो कोई मनुष्य ठप्पा अथवा औज़ार श्री मती महारानी का खोटा सिक्का बनाने में काम आने के निमित्त अथवा यह बात जानबूझ कर या निश्चै मानने का हेतु पाकर कि यह श्री मती महारानी का खोटा सिक्का बनाने के निमित्त काम में आने के प्रयोजन से है बनावेगा या सुधारेगा अथवा बनाने या सुधारने के कामों में से कोई काम करेगा अथवा मोल लेगा या वेचेगा या उस को किसी को दे देगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद सात बरस तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

श्रीमती महारानी का खोटा सिक्का बनाने के लिये औज़ार बनाना अथवा वेचना

दफ़ा २३५-जब कोई मनुष्य औज़ार अथवा सामान

पास रखना औज़ार अथवा सामान का इस प्रयोजन से कि खोटा सिक्का बनाने के लिये काम आवे

खोटा सिक्का बनाने के निमित्त अथवा यह जान बूझ कर अथवा निश्चै मानने का हेतु पाकर कि यह औज़ार अथवा सामान इस निमित्त काम में आने के प्रयोजन से है अपने पास रक्खेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद तीन बरस तक हो सकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और कदाचित वह सिक्का जो बनाया जाने को हो श्री मती महारानी का सिक्का हो तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दस बरस तक हो सकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

दफ़ा २३६ – जो कोई मनुष्य हिन्दुस्तान के अंग्रेज़ी राज के बाहर खोटा सिक्का बनाने में सहायता देगा उस को दंड उसी भांति दिया जायगा मानो उसने हिन्दुस्तान के अंग्रेज़ी राज्य के भीतर खोटा सिक्का बनाने में सहायता दी है ॥

हिन्दुस्तान के बाहर खोटा सिक्का बनाने के लिये हिन्दुस्तान में सहायता देनी –

दफ़ा २३७ – जो कोई मनुष्य हिन्दुस्तान के अंग्रेज़ी राज्य के भीतर से कोई खोटा सिक्का बाहर लेजावेगा अथवा भीतर लायेगा यह बात जान बूझ कर अथवा निश्चै मानने का हेतु पाकर कि यह खोटा है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की तीन बरस तक हो सकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

खोटे सिक्के को बाहर भेजना अथवा भीतर लाना

दफ़ा २३८ - जो कोई मनुष्य हिन्दुस्तान के अंगरेज़ीराज

श्रीमती महारानी के खोटे सिक्के को बाहर लेजाना अथवा भीतर लाना

के भीतर कोई खोटा सिक्का वाहरसेला वेगा अथवा वाहर से लेजायगा यह बात जान बूझकर अथवा निश्चय मानने का हेतु पाकर कि यह खोटा है और सिक्का श्रीमती महारानी का है उसको दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दस बरस तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने भी योग्य होगा॥

दफ़ा २३९ - जो कोई मनुष्य अपने पास कोई ऐसा खोटा

देना किसी मनुष्य को कोई सिक्का जो खोटा जानबूझकर पास रक्खा गया हो

सिक्का रखता हो जिस को उसने अपने पास आने के समय खोटा जान लिया हो वह कदाचित छल छिद्र से अथवा छल छिद्र किये जाने के प्रयोजन से उस सिक्के को किसी मनुष्य को देगा अथवा उस के लेने के लिये किसी मनुष्य को फुसलाने का उद्योग करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद पांच बरस तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा

दफ़ा २४० - जो कोई मनुष्य अपने पास कोई ऐसा खोटा

देना श्रीमतीमहारानी के सिक्के का जो खोटा जानबूझकर पास रक्खा गया हो

सिक्का रखता हो जो श्रीमती महारानी का खोटा सिक्का है वह कदाचित छल छिद्र से अथवा छल छिद्र किये जाने के प्रयोजन से उस सिक्के को किसी मनुष्य को देगा या उस के लेने के लिये किसी मनुष्य को फुसलाने का उद्योग करेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का

जिसकी म्याद दस वर्ष तक हो सकेगी किया जायगा और
रीमाने के भी योग्य होगा ॥

दफ़ा २४९-जो कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को खरे
भांति कोई खोटा सिक्का जिस
वह जानता हो कि यह खोट
परंतु जिस समय वह सिक्का
स के पास आया हो उस समय
सने खोटा न जाना हो देगा अथवा उसके देने का उ
ग करेगा अथवा उसके लेने को फुसलावेगा उस
दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्या
दो वरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो उस
ट सिक्के दस गुने तक हो सकेगा अथवा दोनों का कि
जायगा ॥

खरे सिक्के की भांति देना किसी मनुष्य को कोई सिक्का जिसको देने वाले ने अपने पास आने के समय खोटा न जाना हो

उदाहरण ॥

देवदत्त किसी सराफ ने कम्पनी के खोटे रुपये को अपने साझी यज्ञदत्त को
लाने के निमित्त दिये और यज्ञदत्त ने वे रुपये हरदत्त को वेचे और ह
दत्त ने यह जान बूझकर कि ये खोटे हैं मोल ले लिये फिर हरद
वे रुपये गंगादत्त को जिन्स के बदले दिये और गंगादत्त ने खोटे
जानकर ले लिये और ले लेने से पीछे गंगादत्त ने जान लिया
ये रुपये खोटे हैं परंतु फिर भी खरे की भांति कहीं चला दिये तो य
गंगादत्त केवल इसी दफ़ा के अनुसार दंड योग्य होगा परंतु यज्ञदत्त
र हरदत्त दफ़ा २३९ अथवा २४० के अनुसार जैसी अवस्था हो दं
पावेगा ॥

दफ़ा २४२-जो कोई मनुष्य छल छिद्र अथवा छल कि
जाने के प्रयोजन से कोई ऐसा खोटा सिक्का अपने पा

खोटा सिक्का होना किसी मनुष्य के पास जिसने अपने पास आने के समय उसको खोटा न जान लिया हो-

रक्खैगा जिसको उसने अपने पास आने के समय जान लिया हो कि खोटा है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा-

श्री मती महारानी का खोटा सिक्का होना किसी मनुष्य के पास जिसने अपने पास आने के समय खोटा जाना हो-

दफ़ा २५३- जो कोई मनुष्य छल छिद्र से अथवा छल छिद्र किये जाने के प्रयोजन से कोई ऐसा खोटा सिक्का अपने पास रक्खेगा जो श्री मती महारानी का खोटा सिक्का हो और जिस को उसने अपने पास आने के समय जान लिया हो कि यह खोटा है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद सात बरस तक हो सकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

जो मनुष्य टकसाल में नौकर होकर कोई सिक्का क़ानून अनुसार ठहराई तोल अथवा धातु से दूसरी तोल अथवा धातु का बनावे-

दफ़ा २५४- जो कोई मनुष्य हिन्दुस्तान के अंगरेजी राज्य में क़ानूनानुसार ठहराई हुई किसी टकसाल में नौकर होकर कुछ काम इस प्रयोजन से करैगा अथवा जिस काम का करना उस पर क़ानूनानुसार अवश्य है उसके करने से चूकैगा कि किसी सिक्का को जो उस टकसाल से निकले क़ानूनानुसार ठहराई हुई तोल अथवा ठहराई धातु से दूसरी तोल अथवा धातु का बनाया जाय उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद सात बरस तक हो सकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी

योग्य होगा॥

दफ़ा २४५ - जो कोई मनुष्य विना नीति पूर्वक अधिकार के

अनीति रीति से लेजाना किसी टकसाल से सिक्का बनाने का कोई औज़ार

सिक्का बनाने का कोई औज़ार अथवा हथियार किसी टकसाल से जो हिन्दुस्तान के अंग्रेज़ी राज्य में नीति पूर्वक ठहराई गई हो ले जायगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद सात बर्स तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

दफ़ा २४६ - जो कोई मनुष्य छल छिद्र से अथवा बेधर्मई से किसी सिक्के के मध्ये कुछ ऐसा काम करेगा जिस से उस सिक्के की तोल घट जाय अथवा जिन वस्तुओं से वह बना हो बदल जाय उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

छल छिद्र से सिक्के की तोल घटाना अथवा धातु बदलना

विवेचना

कोई मनुष्य जो किसी सिक्के में से कुछ अंश को लेकर निकाल ले और खाली ठौर में कुछ और वस्तु रख दे तो कहा जायगा कि उस ने उस सिक्के की धातु बदल ली॥

दफ़ा २४७ - जो कोई मनुष्य छल छिद्र से अथवा बेधर्मई से श्री मती महारानी के सिक्के के मध्ये कुछ ऐसा काम करेगा जिस से उस सिक्के की तोल घट जाय अथवा जिन वस्तुओं से वह बना हो बदल जाय उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की

छल छिद्र से श्री मती महारानी के सिक्के की तोल घटाना अथवा धातु का बदलना -

म्याद सात बरस तक हो सकैगी किया जायगा श्रौर ज रीमाने के भी योग्य होगा॥

दफ़ा २४८ - जो कोई मनुष्य किसी सिक्के पर कुछ ऐसा काम जिस से उस सिक्के का रूप पलट जाय इस प्रयोजन से करैगा कि वह सिक्का किसी दूसरे प्रकार के सिक्के की भांति चल जाय उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद तीन बरस तक हो सकैगी किया जायगा श्रौर जरीमाने के भी योग्य होगा॥

रूप बदलना किसी सिक्के का इस प्रयोजन से कि दूसरे प्रकार के सिक्के की भांति चलाया जाय-

दफ़ा २४९ - जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानी के किसी सिक्के पर कुछ ऐसा काम जिस से उस सिक्के का रूप पलट जाय इस प्रयोजन से करेगा कि वह सिक्का किसी दूसरे प्रकार के सिक्के की भांति चल जाय उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद सात वर्ष तक हो सकैगी किया जायगा श्रौर जरीमाने के भी योग्य होगा॥

रूप बदलना श्रीमती महारानी के सिक्के का इस प्रयोजन से कि दूसरे प्रकार के सिक्के की भांति चले-

दफ़ा २५० ॥ जो कोई मनुष्य अपने पास कोई ऐसा सिक्का जिस के मध्ये दफ़ा २४६ अथवा २४८ में लक्षण किया हुआ अपराध हुआ हुआ हो रख कर श्रौर जिस समय वह सिक्का उसके पास आया उस समय यह जान बूझ कर कि वही अपराध इस के मध्ये हो चुका उस सिक्के को छल छिद्र से अथवा छल छिद्र किये जाने के प्रयोजन से किसी दूसरे मनुष्य को देगा अथवा उस के लेने

देना दूसरे को कोई सिक्का जो पास आने के समय जान लिया हो कि बदला हुआ है-

के लिये किसी मनुष्य को फुसलाने का उद्योग करेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद पांच बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

दफ़ा २५१-जो कोई मनुष्य अपने पास श्री मती महारानी का कोई ऐसा सिक्का जिस के मध्ये २४७ अथवा २४६ में लक्षण किया हुआ अपराध हो रख कर और जिस समय वह सिक्का उस के पास आया उस समय यह बात जान बूझ कर कि वही अपराध इस के मध्ये हो चुका है उस सिक्के को छल छिद्र से अथवा छल छिद्र किये जाने के प्रयोजन से किसी दूसरे मनुष्य को देगा अथवा उस के लेने के लिये किसी मनुष्य को फुसलाने का उद्योग करेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जाय और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

देना किसी मनुष्य को श्रीमती महारानी का कोई सिक्का जो पास आने के समय जान लिया गया हो कि बदला हुआ है॥

दफ़ा २५२-जो कोई मनुष्य छल छिद्र से अथवा छल छिद्र किये जाने के प्रयोजन से कोई ऐसा सिक्का जिस के मध्ये दफ़ा २४६ अथवा २४८ में लक्षण किया हुआ अपराध हुआ हो अपने पास आने के समय यह बात जान बूझ कर रक्खेगा कि इस के मध्ये वह अपराध हो चुका हो उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद तीन बरस हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा।

होना बदले हुए सिक्के का किसी मनुष्य के पास जिसने अपने पास आने के समय उसे जान लिया हो कि बदला हुआ है॥

दफ़ा २५३-जो कोई मनुष्य छल छिद्र से अथवा छलछिद्र किये जाने के प्रयोजन से कोई ऐसा सिक्का जिस के मध्ये दफ़ा २४७ अथवा २४९ में लक्षण किया हुआ अपराध हुआ हो अपने पास आने के समय यह बात जानबूझ रक्खेगा कि इस के मध्ये वह अपराध हो चुका है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद पांच बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

होना श्री मती महारानी के बदले हुए सिक्के का किसी मनुष्य के पास जिसने अपने पास आने के समय जानलिया हो कि बदला हुआ है-

दफ़ा २५४-जो कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को खरे सिक्के की भांति अथवा जिस प्रकार का वह हो उससे दूसरे प्रकार की सिक्के की भांति कोई सिक्का जिस के मध्ये दफ़ा २४६ अथवा २४७ अथवा २४८ अथवा २४९ में वर्णन किया हुआ काम किया गया हो परंतु उसने अपने पास आने के समय यह न जाना हो कि इस के मध्ये वह हो चुका है देगा अथवा उस के लेने के लिये किसी मनुष्य को फुसलाने का उद्योग करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार क़ैद का जिस की म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो उसके बदले हुए अथवा बदलने का उद्योग किये हुए सिक्के के मोल के दस गुने तक हो सकेगा किया जायगा॥

खरे सिक्के की भांति देना किसी को कोई ऐसा सिक्का जिसको देने वाले ने अपने पास आने के समय बदला हुआ न जाना हो-

दफ़ा २५५-जो कोई मनुष्य किसी ऐसे स्टाम्प को जिस को गवर्नमेन्ट ने अपनी आमदनी के निमित्त चलाया हो खोटा बनावेगा अथवा जानबूझ

गवर्नमेन्ट का स्टाम्प खोटा बनाना-

कर खोटा बनाने के कामों में से कोई काम करेगा उसको दंड जन्म भर देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

बिवेचना - जो कोई मनुष्य एक प्रकार के सच्चे स्टाम्प के दूसरे प्रकार के सच्चे स्टाम्प के सदृश होने के लिये बनावेगा इस अपराध का करने वाला कहलावे॥

गवर्नमेन्ट का खोटा स्टाम्प बनाने के लिये औज़ार अथवा सामान रखना पास

दफ़ा २५६ - जो कोई मनुष्य अपने पास औज़ार अथवा सामान कोई ऐसा स्टाम्प जिस को गवर्नमेन्ट ने अपनी आमदनी के निमित्त चलाया हो झूठा बनाने में काम आने के निमित्त अथवा यह बात जानबूझकर अथवा निश्चै मानने का हेतु पाकर कि यह झूठा स्टाम्प बनाने में काम आने के प्रयोजन से है रक्खेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस्की म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

बनाना अथवा बेंचना औज़ार का कोई खोटा गवर्नमेन्ट का स्टाम्प बनाने के निमित्त -

दफ़ा २५७ - जो कोई मनुष्य कुछ औज़ार ऐसा स्टाम्प जिस को गवर्नमेन्ट ने अपनी आमदनी के निमित्त चलाया हो झूठा बनाने में काम आने के निमित्त अथवा यह बात जानबूझकर या निश्चय मानने का हेतु पाकर कि यह ऐसा स्टाम्प बनाने में काम आने के प्रयोजन से है बतलावेगा अथवा बनाने के कामों में से कोई काम करेगा अथवा मोल लेगा अथवा बेचेगा अथवा किसी को देवेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद

सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

दफ़ा २५८ - जो कोई मनुष्य कोई ऐसा स्टाम्प जिसको यह जानता हो अथवा निश्चै मानने का हेतु रखता हो कि यह खोटा है किसी स्टाम्प का जिसको गवर्नमेन्ट ने अपनी आमदनी के निमित्त चलाया है बेचेगा अथवा बेंचने के लिये रक्खैगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

गवर्नमेन्ट का खोटा स्टाम्प बेचना -

दफ़ा २५९ - जो कोई मनुष्य अपने पास कोई ऐसा स्टाम्प जिसको वह जानता हो अथवा निश्चय मानने का हेतु रखता हो कि यह खोटा सिक्का किसी स्टाम्प का है जिसको गवर्नमेन्ट ने अपनी आमदनी के निमित्त चलाया है अपने पास रक्खैगा इस प्रयोजन से कि उसको सच्चे स्टाम्प की भांति काम में लावे अथवा किसी को दे इसलिये कि वह सच्चे स्टाम्प की भांति काम में आवे उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

गवर्नमेन्ट का खोटा स्टाम्प पास रखना -

दफ़ा २६० - जो कोई मनुष्य सच्चे की भांति किसी ऐसे स्टाम्प को काम में लावेगा जिसको वह जानता हो कि यह खोटा है किसी स्टाम्प का है जिसको गवर्नमेन्ट ने अपनी आमदनी के निमित्त चलाया है उसको दंड दोनों में

सच्चे स्टाम्प की भांति काम में लाना गवर्नमेन्ट के किसी स्टाम्प का जो जाना गया हो कि खोटा है ॥

से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

गवर्नमेन्ट का नुक़सान करने के प्रयोजन से मिटाना किसी लेख का किसी वस्तु से जिस पर गवर्नमेन्ट का कोई स्टाम्प लगा हो अथवा दूर करना किसी लिखतम से किसी स्टाम्प का जो उसके लिये लगाया गया हो-

दफ़ा २६१-जो कोई मनुष्य छल छिद्र अथवा गवर्नमेन्ट का नुक़सान करने के प्रयोजन से किसी वस्तु से जिस पर कोई ऐसा स्टाम्प लगा हो जो गवर्नमेन्ट ने अपनी आमदनी के निमित्त चलाया किसी लेख को अथवा लिखतम को जिस के लिये वह स्टाम्प काम में आया हो दूर करेगा अथवा मिटावेगा अथवा किसी लिखतम से कोई स्टाम्प जो उस लेख या लिखतम के लिये काम में आया हो इस प्रयोजन से दूर करेगा कि वह स्टाम्प किसी दूसरे लेख अथवा लिखतम के लिये काम में आवे उसको दण्ड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा दोनों का किया जायगा॥

काम में लाना गवर्नमेन्ट के किसी स्टाम्प को जो जान लिया गया हो कि आगे काम में आ चुका हो-

दफ़ा २६२-जो कोई मनुष्य छल छिद्र से अथवा गवर्नमेन्ट का नुक़सान करने के प्रयोजन किसी निमित्त कोई ऐसा स्टाम्प काम में लावेगा जिसको गवर्नमेन्ट ने अपनी आमदनी के निमित्त चलाया हो और जिस को वह जानता हो कि आगे काम में आ चुका है उसको दण्ड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा २६३-जो कोई मनुष्य छल छिद्र से अथवा गवर्नमेन्ट

मिटाना किसी चिन्ह का जिस से जाना जाय कि स्टाम्प काममें आचुको है

का नुकसान करने के प्रयोजन से किसी स्टाम्प से जिसको गवर्नमेन्ट ने अपनी आमदनी के निमित्त चलाया हो कोई चिन्ह जो उस स्टाम्प पर यह बात जानने के लिये कि वह काम में आचुका है लगाया गया अथवा छापा गया हो छीलैगा अथवा दूर करेगा अथवा किसी ऐसे स्टाम्प को जिस पर से वह चिन्ह छील डाला गया अथवा दूर किया गया हो अपने पास रक्खेगा अथवा वेचैगा अथवा दे डालेगा अथवा किसी स्टाम्प को जिस को वह जानता हो कि एक वेर काम में आचुका है वेचेगा अथवा दे डालेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन वरस तक हो सकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

अध्याय १३

नाप तोल संबंधी अपराधों के विषय में

दफ़ा २६४-जो कोई मनुष्य छलछिद्र से तोलने के किसी औ

छलछिद्र से काम लाना-तोलने के किसी झूठे औज़ार का

ज़ार को जिसको वह जानता हो कि झूठा है काम में लावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद एक वरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा २६५-जो कोई मनुष्य छलछिद्र से किसी झूठे बांट अथवा

छलछिद्र से काम में लाना किसी झूठे बाट का या नाप का

लंबाई जांचने के नाप को अथवा नापने के पात्र को काम में लावेगा अथवा छलछिद्र से किसी बाट अथवा लंबाई जांचने के किसी नाप को अथवा नापने के पात्र को जितना चिन्ह है उससे कम तौल[illegible]

तोल अथवा नाप की भांति काम में लावेगा उस को दंड दोनों में किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद एक बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा—

दफ़ा २६६— जो कोई मनुष्य किसी तोलने के औज़ार को अ

झूठे बाट अथवा नाप का अपने पास रखना—

थवा बांट को अथवा लंबाई जाचने के नाप को अथवा नापने के पात्र को जिस को वह जानता हो कि झूठा है इस प्रयोजन से अपने पास रक्खेगा कि यह छल छिद्र से काम में आवे उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद एक बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा २६७— जो कोई मनुष्य कुछ तोलने का औज़ार अथ

झूठे बाट अथवा नाप बनाने अथवा बेचने

वा बांट अथवा लंबाई जाचने का नाप अथवा नापने का पात्र जिसे वह जानता हो कि झूठा है इस प्रयोजन से बनावेगा अथवा बेचेगा अथवा वह बात जानबूझ कर कि उसका सच्चे की भांति काम में आना अति सम्भावित है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

अध्याय १४

सर्वसंबंधी आरोग्यता और कुशलता और सुगमता और सुलक्षिता और सज्जनता और सुशीलता में विघ्न डालनेवाले अपराधों के विषय में

दफा २६८ - वह मनुष्य सर्व संबंधी बाधा का अपराधी होगा

सर्व संबंधी बाधा

जो कि किसी ऐसे काम अथवा कानून विरुद्ध चूक का अपराधी हो जिससे सब को अथवा आस पास के रहने वालों अथवा आस पास के मिलकियत रखने वालों को हानि अथवा विपत्ति अथवा कलेश पहुंचे अथवा जिससे उस स्थान पर सर्व संबंधी अधिकार वर्तने के लिये आने जाने वाले मनुष्यों को हानि अथवा रोक अथवा विपति अथवा कलेश पहुंचना अवश्य हो॥

दफा २६९ - जो कोई मनुष्य अनीति से अथवा असावधानी

असावधानी किसी काम में जिससे फैलाना किसी जोखिम के रोग का अति संभवित हो -

से कोई ऐसा काम करेगा जो फैलाने वाला जीव जोखिम के रोग का हो अथवा जिसको वह जानता हो या निश्चय मानने का हेतु रखता हो कि इस से फैलाना किसी जीव जोखिम के रोग का अति संभवित है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफा २७० - जो कोई मनुष्य दुर्भाव से कोई ऐसा काम करेगा

दुर्भाव का काम जिससे फैलना जीव जोखिम के रोग का अति संभवित हो -

जो फैलाने वाला किसी जीव जोखिम के रोग का हो अथवा जिसको वह जानता हो या निश्चै मानने का हेतु रखता हो कि इस से फैलना किसी जीव जोखिम के रोग का हो अति संभवित है उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफा २७१ - जो कोई मनुष्य किसी आज्ञा को जो हिन्दू की

किसी क्वारंटीन-आज्ञा को न मानना

गवर्नमेन्ट ने अथवा अथवा और किसी गवर्नमेन्ट ने जहाज को क्वारंटीन की अवस्था में रखने के लिये अथवा क्वारंटीन अवस्था के जहाज के किनारे पर अथवा दूसरे जहाजों के पास आने जाने के विषय में अथवा जिन अस्थानों में छूने से फैलने वाला कोई रोग प्रबल हो उन के मनुष्यों की आवा जाई दूसरे स्थान में होने के मध्ये नियत की और चलाई हो जान बूझ कर न मानेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा २७२- जो कोई मनुष्य खाने अथवा पीने की किसी वस्तु

खाने अथवा पीने की वस्तु जो बेंचने के लिये हो उस में मिलावट करनी-

में कुछ ऐसी मिलावट जिस से वह वस्तु खाने अथवा पीने के लिये निकाम हो जाय इस प्रयोजन से करेगा कि उस वस्तु को खाने अथवा पीने के लिये बेचे अथवा वह जान बूझ कर कि उस खाने अथवा पीने के लिये बेचा जाना अति संभवित है उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रुपये तक हो सकेगा॥

दफ़ा २७३- जो कोई मनुष्य खाने अथवा पीने के लिये कोई

बेचना खाने अथवा पीने की वस्तु का जो ज्यान पहुंचाने वाली हो

ऐसी वस्तु जो निकाम की गई हो अथवा हो गई हो यह वात जान बूझ कर अथवा निश्चय मानने का हेतु पाकर बेचेगा जो खाने अथवा पीने के क़ाबिल न रही हो अथवा बेचने के लिये सामने रक्खेगा कि यह वस्तु खाने अथवा पीने

के लिये निकाम है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रुपये तक हो सकेगी अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा २७४ - जो कोई मनुष्य किसी बनी हुई अथवा बिना बनी औषधि का गुण घटि जाय अथवा बदलजाय अथवा वह निकाम होजाय इस प्रयोजन से करेगा कि वह बिना मिलावट की औषधि की भांति बेची जाय अथवा काम में लाई जाय अथवा यह जानबूझ कर कि उसका इसभांति बेचाजाना या काममें लाया जाना अति संभवित है उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद छः महीनेतक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रुपयेतक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

औषधि में मिलावट करनी -

दफ़ा २७५ - जो कोई मनुष्य किसी बनी हुई अथवा बिना बनी हुई औषधि को यह जान बूझकर कि उसमें कुछ मिलावट ऐसी हुई है जिस से इस का गुण घटि गया है अथवा बदलगया है अथवा बदलगया है अथवा जिससे यह निकाम होगई बिनामिलावट की औषधि की भांति बेचैगा अथवा बेचने के लिये सामने रक्खेगा अथवा किसी दवाई खाने से औषधि के काम के लिये देगा अथवा किसी ऐसे मनुष्य से जानता नहो कि मिलावट हुई है उसको औषधि के काममें मिलावेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने

मिलावट की हुई औषधि को बेचना

का जो एक हज़ार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

बेचना किसी औषधि को दूसरी औषधि के नाम से

दफ़ा २७६- जो कोई मनुष्य किसी बनी हुई अथवा बिना बनी हुई औषधि को जान बूझकर दूसरी बनी हुई अथवा बिना बनी हुई औषधि की भांति बेचैगा अथवा बेचने के लिये सामने रक्खेगा अथवा औषधि के लिये किसी दवाई खाने से देगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रुपया तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

बिगाड़ना किसी सर्व संबंधी कुआ कुंड इत्यादि के पानी को

दफ़ा २७७- जो कोई मनुष्य सर्व संबंधी कुआ नदी इत्यादि के अथवा कुंड के पानी को जान बूझकर बिगाड़ैगा ऐसा कि वह पानी जिस काम में साधारण आता हो उस काम के योग्य जैसा था वैसा न रहै उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

पवन को आरोग्यता के अयोग्य करना

दफ़ा २७८- जो कोई मनुष्य किसी जगह की पवन को जान बूझकर बिगाड़ैगा ऐसा कि वह आसपास के रहने वाले अथवा काम काज करने वाले अथवा गैल निकलने वाले मनुष्यों को आरोग्यता के लिये निकाम हो जाय उसको दंड जरीमाने का जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा किया जायगा॥

दफ़ा २७९- जो कोई मनुष्य सर्व के आने जाने की किसी गैल

सबके चलने की गैलमें गाड़ी घोड़ा इत्यादि सवारी को बेसुध दौड़ाना-

में कुछ सवारी ऐसी बेसुध अथवा असावधानी से दौड़ावेगा जिससे मनुष्य की जीव जोखिम हो अथवा दूसरे मनुष्य को दुख अथवा हानि पहुंचनी अति संभावित हो उस को दंड दोनों में किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रुपया हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा २८०-जो कोई मनुष्य किसी नाव को ऐसी बेसुधी अथवा असावधानी से चलावेगा जिससे मनुष्य की जोखिम हो अथवा दूसरे मनुष्य को दुख अथवा हानि पहुंचनी अति संभावित हो उसको दंड दोनों में से किसी की क़ैद का जिस की म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रु॰ तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

नाव को बेसुधि चलाना-

दफ़ा २८१-जो कोई मनुष्य झूठा उजाला अथवा चिन्ह अथवा बेया इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि इस से कोई नाव चलाने वाला बहक जाय दिखलावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

झूठा उजाला अथवा चिन्ह दिखाना-

दफ़ा २८२-जो कोई मनुष्य अपने भाड़े के लिये किसी मनुष्य को जानबूझकर अथवा असावधानी से किसी नाव में जो ऐसी दशा में अथवा इतनी भारी हो कि उस से मनुष्य के जीव की जोखिम दिखाई पड़े पानी

पानी के रस्ता पहुंचाना किसी मनुष्य का भाड़े के लिये किसी ऐसी [illegible] जो अति बोझिल अथवा जोखिम की हो-

केरक्खा भेजेगा अथवा भिजवावेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

दफ़ा २८३ - जो कोई मनुष्य कुछ काम करके अथवा जो वस्तु उस के पास हो या उसको सौंपी गई हो उसकी चौकसी में चूक करके सब के चलने की गैल में अथवा नाव के चलने की गैल में किसी मनुष्य को जोखिम अथवा रोक अथवा हानि पहुंचावेगा उसको दंड जरीमाने जो दो सौ रुपये तक हो सकेगा किया जायगा ॥

जोखिम अथवा रोक डालना किसी सर्वसंबंधी गैल में अथवा नाव के मार्ग में

दफ़ा २८४ - जो कोई मनुष्य किसी विषदार वस्तु के मध्ये कोई काम ऐसा वेधड़क अथवा असावधानी से करेगा [illegible] की जीव जोखिम हो या किसी मनुष्य को दुख या हानि पहुंचनी अतिसंभवित हो अथवा किसी विषदार वस्तु के मध्ये जो उस के पास हो जानबूझ कर अथवा असावधानी करके ऐसी चौकसी जो उस विषदार वस्तु से दूसरे मनुष्य की जीव जोखिम होने का संदेह मिटाने के लिये काफ़ी हो करने से चूकेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी किया जायगा अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रुपया तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

विष की किसी वस्तु के मध्ये असावधानी करनी

दफ़ा २८५ - जो कोई मनुष्य आगिन अथवा जलने वाली किसी वस्तु के मध्ये कोई ऐसा काम वेधड़क अथवा

असावधानी से करैगा जिससे मनुष्य की जीव जोखिम हो या किसी मनुष्य को दुख या हानि पहुंचनी अति सम्भावित हो अथवा अग्नि अथवा जलने वाली वस्तु से दूसरे मनुष्य की जीव जोखिम होने की संदेह मिटाने के लिये काफी

अग्नि अथवा जलने वाली वस्तु के मध्ये असावधानी करना

हो करने से चूकैगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा २८६–जो कोई मनुष्य अग्नि की भांति उड़ने वाली

अग्नि की भांति उड़ने वाली वस्तु के मध्ये असावधानी करना

वस्तु के मध्ये कोई काम ऐसा बेधड़क अथवा असावधानी से करैगा जिससे मनुष्य की जीव जोखिम हो या किसी मनुष्य को दुख या हानि पहुंचनी अति सम्भावित हो अथवा अग्नि की भांति उड़ने वाली किसी के मध्ये जो उसके पास हो जान बूझ कर अथवा असावधानी करके ऐसी चौकसी जो उस अग्नि की भांति उड़ने वाली वस्तु से दूसरे मनुष्य की जीव जोखिम होने का संदेह मिटाने के लिये काफी हो करने से चूकैगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रु० तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा २८७–जो कोई मनुष्य किसी कल के मध्ये कोई काम ऐसा बेधड़क अथवा असावधानी से करैगा जिससे मनुष्य को दुख या हानि पहुंचनी या जीव जोखिम होना अति

किसी कलके मध्ये जो अप राधी के अधिकार अथवा चौकसी में हो असावधानी

सम्भावित हो अथवा किसी कल के मध्ये जो उसके पास हो जानबूझकर अथवा असावधानी करके ऐसी चौकसी जो उस कल के से दूसरे मनुष्य की जीव जोखिम होने का संदेह मिटाने के लिये काफ़ी हो जान बूझकर चूकेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रुपया तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा २८८-जो कोई मनुष्य किसी मकान के गिराने अथवा मरम्मत करने में जान बूझकर असावधानी करके उस मकान के मध्ये ऐसी चौकसी जो उसके गिराने से मनुष्य की जीव जोखिम होने का संदेह मिटाने के लिये काफ़ी हो करने से चूकेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

मकान के गिराने अथवा मरम्मत कराने के विषय में असावधानी करना-

दफ़ा २८९-जो कोई मनुष्य किसी पशु के मध्ये जो उसके पास हो जान बूझकर अथवा असावधानी करने में ऐसी चौकसी जो उस पशु से मनुष्य की जीव जोखिम अथवा भारी दुख होने का संदेह मिटाने के लिये काफ़ी हो करने से चूकेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रु०

किसी पशु के मध्ये असावधानी करना

तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा २९० - जो कोई मनुष्य कोई ऐसा सर्व दुखदाई काम

सर्व दुख दाई काम का दंड -

जो इस संग्रह के अनुसार और किसी भांति दंड के दंड के योग्य नहीं है करेगा उसको दंड जरीमाने का जो दो सौ रु० तक हो सकेगा किया जायगा॥

दफ़ा २९१ - जो कोई मनुष्य किसी सर्व दुख दाई काम को

बन्द करने की आज्ञा पाने से पीछे किसी सर्व दुखदाई काम को करते रहना

फिर न करने अथवा करने से रुक जाने की आज्ञा किसी ऐसे सर्व संबंधी नोकर से जिसको उस आज्ञा के देने का अधिकार कानूनानुसार प्राप्त हो पाकर फिर भी करता रहैगा अथवा करेगा उस को दंड साधारण कैद का जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा २९२ - जो कोई मनुष्य कोई निर्लज्जता की पुस्तक

बेचना इत्यादि निर्लज्जता की पुस्तकों का -

अथवा काग़ज़ अथवा चित्र अथवा विचित्र अथवा मूर्ती अथवा प्रतिमा बेचैगा अथवा बांटेगा अथवा बेचने को या किराये पर बाहर से लावेगा या लावेगा अथवा जानबूझकर सबके देखने की जगह पर रक्खेगा अथवा इन कामों का उद्योग करेगा वा करने को राज़ी होगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद तीन महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

छूट

यह दफ़ा किसी ऐसी तसवीर से संबंध न रक्खेगी जो किसी मंदिर के ऊपर अथवा भीतर अथवा प्रतिमा निकालने के

रक्षपदहो अथवा किसी मज़्हब अर्थात मत संबंधी कामके लिये रक्खी गई हो या काम में आती हो चाहे वह मूर्ति कटकर ब नी हो चाहे खुद कर और चाहे रंग दार हो चाहे और भांति की ॥

दफ़ा २९३-जो कोई मनुष्य अपने पास कोई ऐसी निर्लज्जता

बेचना अथवा दिखलाने के लिये निर्लज्जता की पुस्तक पास रखनी-

की पुस्तक अथवा वस्तु जैसी की पिछ ली दफ़ा में वर्णन हुई है बेचनी अथ वा बांटने अथवा सब को दिखलाने के लिये रक्खेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जि स की म्याद तीन महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

दफ़ा २९४-जो कोई मनुष्य सर्व संबंधी स्थान पर अथवा उस

निर्लज्जता के गीत

के नीचे कोई ऐसा गीत अथवा छन्द गावेगा या पढ़ेगा या और कुछ बोल बकेगा जिससे दूसरों को खेद हो उस को दंड दोनों में किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद तीन महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दो नों का किया जायगा ॥

२९४× (अ) जो कोई मनुष्य दफ़्तर या मकान बग़रज़ ऐसी चिट्ठी डा

चिट्ठी डालने की मनाही

लने के रक्खे जिस की आज्ञा सरकार से नहीं है उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का दंड जिस की म्याद छः महीने तक हो सकेगी किया जायगा अथवा जुरमाना अथवा दोनों दंड दिये जायंगे ॥

× दफ़ा २९४ (अ) एक्ट २७ सन् १८७० ई० की दफ़ा १० के ज़रिये से दाखिल की गई इस राज मुआफ़ाबाक़ी नके बाब ४, ५ व २३ उन जुर्मों से मुतअल्लिक़ हैं जो हस्ब द फ़ा २९४ (अ) क़ाबिल सज़ा हैं देखो एक्ट २७ सन् १८७० ई० की दफ़ा २३-

जो कोई मनुष्य किसी वाक़े अथवा इत्तिफ़ाक़ के वक़ूअ पर जो निस्बत या ता'ल्लुक़ किसी टिकट या कुछ थान वर या हिस्सा वग़ैरह से ऐसी चिट्ठी डालने में रखता हो किसी मनुष्य के फ़ायदे के वास्ते कुछ रुपया अथवा असबाब हवाले करने अथवा कोई काम करने के लिये अथवा किसी काम करने देने के लिये कोई तजवीज़ मुश्तहिर करे उसको दंड जरीमाने का जो एक हज़ार रु० तक हो सक्ता है होगा॥

अध्याय १५

मत संबंधी अपराधों के विषयमें

दफ़ा २९५ - जो कोई मनुष्य पूजा के किसी स्थान को अथवा और किसी वस्तु को जिस को किसी संप्रदाय के मनुष्य पूज्य मानते हों तोड़ैगा अथवा फोड़ैगा अथवा ज़्यान पहुंचावेगा अथवा भ्रष्ट करेगा इस प्रयोजन से कि इस से किसी सम्प्रदाय के मत की निन्दा हो अथवा यह बात अति सम्भावित जानकर कि किसी सम्प्रदाय के मनुष्य इस तोड फोड़ अथवा ज़्यान अथवा भ्रष्टता को अपने मत की निन्दा समझेंगे उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

(किसी संप्रदाय के मत की निन्दा के प्रयोजन से पूजा के किसी स्थान को ज़्यान पहुंचाना अथवा अपवित्र करना)

दफ़ा २९६ - जो कोई मनुष्य जान बूझ कर किसी समाज को जो निरपराधी रीति से पूजा अथवा मत संबंधी उत्सव में लगा हो छेड़ेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक बरस तक हो सकेगी अथवा जरी-

(किसी मत संबंधी समाज को छेड़ना)

मानै का अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा २९७ - जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य के मन को खेद देने

कबरस्थान इत्यादि पर मुदाख़लत बेजा करनी

अथवा किसी मनुष्य के मत की निन्दा करने के प्रयोजन से अथवा यह बात अतिसं भवित जानकर किसी मनुष्य के मन को खेद होगा अथवा किसी मनुष्य के मत की निन्दा होगी किसी पूजा के स्थान में अथवा और किसी स्थान में जो म्हत्यु कार्यों के लिये अथवा मरे हुए के गाड़ने के लिये हुए हों मुदाख़लत बेजा करनी अथवा किसी मुर्दे की बे हुरमती करेगा अथवा उन मनुष्यों के समाज को जो किसी म्हत्यु कार्य के लिये इकट्ठे हुए हों छेड़ेगा उसको उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद एक बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा २९८ - जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य के अंतःकरण को

किसी मनुष्य के अंतःकरण को मत के विषय में जानबूझ कर दुख देने के प्रयोजन से कुछ कहना इत्यादि

मत के विषय में सोच विचार और जान बूझकर दुख देने के प्रयोजन से कुछ बचन कहेगा अथवा उस मनुष्य के सुनने में कोई शब्द करेगा अथवा उस मनुष्य के देखने में कुछ शरीर मटकावेगा अथवा उस मनुष्य की दृष्टि के सामने कुछ वस्तु रक्खेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद एक बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

अध्याय

मनुष्य के तन संबंधी अपराधों के विषय में जीव संबंधी अपराध

दफ़ा २९९ - जो कोई मनुष्य मृत्यु उत्पन्न करने के प्रयोजन से ज्ञानवत घात अथवा तन को ऐसा दुख पहुंचाने के प्रयोजन से जिस से मृत्यु का होना अति सम्भवित है कुछ काम करके मृत्यु उत्पन्न करेगा वह ज्ञानवत घात का अपराध करने वाला कहलावेगा॥

उदाहरण॥

(अ) देवदत्त ने किसी गढ़े के ऊपर कुछ लकड़ियां और घास पाट दी इस प्रयोजन से कि मृत्यु उत्पन्न करे अथवा यह बात जान बूझ कर कि इस से मृत्यु उत्पन्न होनी अति सम्भवित है और विष्णुमित्र ने उस धरती को ठोस जान कर उस पर पांव रक्खा और गिर कर मरगया तो देवदत्त ने ज्ञानवत घात का अपराध किया॥

(ब) देवदत्त ने जान लिया कि विष्णुमित्र किसी झुरमुटे की ओट में है और यज्ञदत्त ने इस बात को न जाना देवदत्त ने विष्णुमित्र की मृत्यु करने के प्रयोजन से अथवा मृत्यु होना अति सम्भवित जानकर यज्ञदत्त को उस झुरमुटे पर बन्दूक छोड़ने के लिये बहकाया यज्ञदत्त ने बंदूक छोड़ी और विष्णुमित्र उसमें मरगया तो यज्ञदत्त यहां यद्यपि किसी अपराध का अपराधी न भी हो परंतु देवदत्त ने अपराध ज्ञानवत घात का किया॥

(ज) देवदत्त ने किसी चिड़िया को मारकर चुरा लेजाने के प्रयोजन से बन्दूक छोड़ी और यज्ञदत्त को जो एक झुरमुटे के पीछे बैठा था मारा परंतु देवदत्त को मालूम न था कि यज्ञदत्त यहां बैठा है तो यद्यपि यहां देवदत्त एक अनीति काम कर रहा था तो भी अपराधी ज्ञानवत घात का न हुआ क्योंकि उसने यज्ञदत्त के मारने का अथवा ऐसा काम करने का जिसको वह जानता होता कि इससे मृत्यु का अति सम्भवित है प्रयोजन नहीं किया॥

विवेचना - १ - कोई मनुष्य जो किसी मनुष्य को जिसे कुछ बड़ा अथवा रोग अथवा शरीर की दुर्बलता लग रही हो कुछ शरीर का दुख पहुंचावेगा और उस से उस मनुष्य की मृत्यु हो

ने में जल्दी होगी मृत्यु करने वाला गिना जायगा॥

विवेचना-२ जब मृत्यु शरीर के दुख के कारण ऊई हो तो जो मनुष्य उस दुख को पऊंचाने वाला हो मृत्यु उत्पन्न करने वाला गिना जायगा यद्यपि यथोचित औषधि लगाने और चतुरतासे वह मृत्यु रुक भी सकती॥

विवेचना-३ मारना किसी बालक का उसकी माता के गर्भ में ज्ञातवत घात न गिना जायगा परंतु मारना किसी ऐसे जीतेऊए बालक का जिसका कोई अंग बाहर निकल आया हो ज्ञातवत घात हो सकेगा यद्यपि उस बालक ने स्वास भी न ली हो और उस का जन्म भी न हो चुका हो॥

दफा २००-कदाचित वह काम जिससे मृत्युऊई हो अथवा मृत्यु करने के प्रयोजन से किया गया हो- अथवा-

(पहले) कदाचित वह काम जिससे मृत्युऊई हो अथवा मृत्यु करने के प्रयोजन किया गया हो॥

दूसरे- जब वह काम कुछ ऐसा शरीरका दुख पऊंचाने के प्रयोजन से किया गया हो जिस को अपराधी जानता हो कि इससे मृत्यु होनी उस मनुष्य की जिस को वह दुख पऊंचाया गया है अति संभवित है अथवा-

तीसरे-जब वह काम किसी मनुष्य को कोई शरीर का दुख पऊंचाने के प्रयोजन से किया गया हो और वह शरीरका दुख जिसके पऊंचाने का प्रयोजन किया गया हो ऐसा हो कि प्रकृति की साधारण रीति के अनुसार मृत्यु उत्पन्न करने को लिये काफी हो॥ चौथे-जब उस काम का करने वाला मनुष्य जानता हो कि यह काम ऐसी अत्यंत जोखिम का है कि इस से मृत्यु अथवा शरीर को ऐसा दुख होना अति संभवित है जिससे मृत्यु होनी दुर्लभ नहीं है और फिर भी उस काम को बिना किसी हेतु के जोखिम से मृत्यु करने अथवा ऊपर कहे प्रकार का शरीर के दुख पऊंचाने की जोखिम उठाने की माफ़ हो सके करे-

उदाहरण॥

(अ) देवदत्तने विष्णुमित्रपर उस के मार डालने के प्रयोजन से बन्दूक छोड़ी उस से विष्णुमित्र मरगया तो देवदत्तने ज्ञानघात का अपराध किया॥

(ब) देवदत्तने यह बात जानबूझकर कि विष्णुमित्र ऐसे किसी रोग में फंसा है कि घूंसा मारने से उस की मृत्यु होनी अति सम्भवित उस को शरीर का दुख पहुंचाने के प्रयोजन से घूंसा मारा और विष्णुमित्र घूंसे से मरगया तो देवदत्त ज्ञानघात का अपराधी हुआ॥

यद्यपि प्रकृति अनुसार वह घूंसा किसी निरोगी मनुष्य के मारडालने को काफी न था परन्तु जब देवदत्त यह बात न जानता हो कि विष्णुमित्र किसी रोग में है और उस को ऐसा घूंसा मारे जो साधारण प्रकृति अनुसार निरोगी मनुष्य को मारडालने को काफी नहो तो देवदत्त यद्यपि उसने शरीर का दुख पहुंचाने का प्रयोजन भी किया हो अपराधी ज्ञानघात का न होगा।

कदाचित उसने प्रयोजन मृत्यु करने अथवा ऐसा शरीर का दुख जिससे साधारण प्रकृति अनुसार मृत्यु होती है पहुंचाने का न किया हो॥

(ड) देवदत्त प्रयोजन करके विष्णुमित्र को तलवार से घाव अथवा लट्ठ से चोट ऐसी दो जो साधारण प्रकृति अनुसार मनुष्य की मृत्यु उत्पन्न करने के लिये काफी है और विष्णुमित्र उससे मरगया तो देवदत्त ज्ञानघात का अपराधी हुआ यद्यपि उसने विष्णुमित्र की मृत्यु का प्रयोजन भी किया हो॥

(ए) देवदत्तने विना किसी हेतु के जिससे वह याफ हो सक्ता मनुष्यों की भीड़ पर भरी हुई तोप छोड़दी और उससे एक मनुष्य मरगया तो देवदत्त अपराधी ज्ञानघात का हुआ यद्यपि उसने आगेसे किसी विशेष मनुष्य के मारडालने का मनोरथ न भी किया हो॥

ज्ञानवत घात उस अवस्था में ज्ञानघात न गिनी जायगी जब कि अपराधीने किसी बड़े और तत्काल क्रोध दिलाने वाले कारण के कारण

ज्ञानवत घात किस अवस्था में ज्ञानघात न गिनी जायगी·	

आपने आपे में न रह कर उस मनुष्य को जिसने वह क्रोध दिलाने का कारण उत्पन्न किया मार डाला हो अथवा भूल से या अकस्मात दूसरे किसी मनुष्य को मार डाला हो परन्तु यह छूट नीचे लिखे हुए नियमों के आधीन होगी ॥

पहले—क्रोध दिलाने का वह कारण अपराधी ने किसी मनुष्य को मार डालने अथवा दुःख पहुंचाने का मिस करने के लिये उपाय करके अथवा अपनी इच्छा से कुछ हेतु उत्पन्न न किया हो ॥

दूसरे—क्रोध दिलाने का वह कारण किसी ऐसे काम से न हुआ हो कानून की आज्ञानुसार किया गया हो अथवा किसी सर्व संबंधी नौकर करने अथवा अपना अधिकार वर्तने में किया हो ॥

तीसरे—क्रोध दिलाने का वह कारण किसी ऐसे काम से न हुआ हो जो निज रक्षा का अधिकार कानूनानुसार वर्तने में किया गया हो ॥

विवेचना—यह बात कि क्रोध दिलाने का कारण ऐसा बड़ा और तत्काल था या यह नहीं जिससे वह अपराध सातघात गिना जाने से बचे तहकीकात के आधीन होगी ॥

उदाहरण

(अ) देवदत्त ने उस क्रोध में जिस के दिलाने का कारण विष्णुमित्र ने उत्पन्न किया जान बूझ कर विष्णुमित्र के बालक हरिमित्र को मार डाला तो यह सातघात हुई क्योंकि क्रोध दिलाने का कारण उत्पन्न किया हुआ उस बालक का न था और न उस बालक की मृत्यु उस क्रोध अवस्था में किसी काम के करने से अकस्मात अथवा दैवगति से होगई ॥

(ब) हरिमित्र ने देवदत्त को अचानक और भारी क्रोध दिलाने का कारण उत्पन्न

किया और देवदत्त ने उस क्रोध में इस मित्र पर बिना प्रयोजन उसके मार डालने के और बिना जाने इस बात के कि इस से मृत्यु विष्णुमित्र की जो निकट खड़ा था परंतु दृष्टि से बाहर था होगी पिस्तौल चलायी और विष्णुमित्र उससे मर गया तो यहां देवदत्त ने ज्ञात घात नहीं की॥

(उ) देवदत्त को विष्णुमित्र किसी वेलिफ़ ने क़ानून की आज्ञानुसार पकड़ा इस पकड़ने से देवदत्त को एकाएकी अत्यंत क्रोध हो आया और उस ने विष्णुमित्र को मार डाला तो यह ज्ञातघात हुई क्योंकि जो क्रोध हुआ जिसको एक सर्व संबंधी नौकर ने अपने अधिकार को वर्तने में किया॥

(ए) विष्णुमित्र नाम किसी मजिस्ट्रेट के सामने देवदत्त गवाही देने के लिये विष्णुमित्र ने कहा कि हम देवदत्त की गवाही की एक बात भी सच्ची नहीं मानते हैं और देवदत्त ने हलफ़ दरोगी की है इन बचनों से देवदत्त को एकाएकी क्रोध हो आया उसने विष्णुमित्र को मार डाला तो वह ज्ञातघात हुई॥

(ऋ) देवदत्त ने विष्णुमित्र की नाक पकड़ने को हाथ चलाया विष्णुमित्र ने अपनी निज रक्षा का अधिकार वर्तने में नाक पकड़ने से रोकने के लिये देवदत्त को रोक लिया और उसमें देवदत्त को एकाएकी भारी क्रोध हो आया और उसने विष्णुमित्र को मार डाला तो एक ज्ञातघात हुई क्योंकि क्रोध ऐसे काम से हुआ जो निज रक्षा का अधिकार वर्तने में किया गया॥

(ॡ) विष्णुमित्र ने यज्ञदत्त को पीटा इस में यज्ञदत्त को भारी क्रोध हो आया उसी समय देवदत्त ने जो वहां खड़ा था यज्ञदत्त के इस क्रोध से अपना काम निकालने और विष्णुमित्र को मरवा डालने के प्रयोजन से यज्ञदत्त के हाथ में एक छुरी दे दी और उस छुरी से यज्ञदत्त ने विष्णुमित्र को मार डाला तो यहां यद्यपि यज्ञदत्त अपराधी केवल ज्ञातवत घात का हो परंतु देवदत्त अपराधी ज्ञात घात का हुआ॥

छूट- ज्ञातवत घात उस अवस्था में ज्ञात घात न गिनी जायगी जब कि अपराधी अपने तन अथवा धन की निजरक्षा के अधि-

कार को शुद्ध भाव से वर्तने से कानून के दिये हुए अधिकार के उ
ल्लंघन करके बिना आगे से सोच विचार किये और बिना यह
प्रयोजन किये कि निज रक्षा के निमित्त जितना ज़ियान पहुंचाना
आवश्यक है उस से अधिक पहुंचाया जाय उस मनुष्य को मा
र डाले जिस के मुक़ाबिले में अधिकार को वर्तता हो ॥

उदाहरण

विष्णुमित्र ने देवदत्त को चाबुक से मारने का उद्योग किया परन्तु न ऐसा कि जिससे
देवदत्त को भारी दुःख पहुंचे देवदत्त ने पिस्तोल सामने किया विष्णुमित्र उस उद्यो
ग से न रुका तब देवदत्त ने शुद्धभाव से यह बात निश्चय मान कर कि अब मुझ
को चाबुक की मार से बचने का और कोई उपाय नहीं है विष्णुमित्र को पिस्तो
से मार डाला तो देवदत्त ने स्नातघात नहीं केवल स्नातवत घात की ॥

छूट - स्नातवत घात उस अवस्था में स्नातघात न गिनी जायगी
जब कि उसका करने वाला कोई सर्व संबंधी नौकर होकर अथ
वा किसी सर्व संबंधी नौकर न्याय वर्धिक काम के भुगताने
सहायता देने वाले होकर कानून के दिये हुए अधिकार से ब
ढ़ि जाय और किसी मृत्यु का कुछ ऐसा काम करके कर डाले
जिस का करना वह अपनी नौकरी यथोचित भुगताने के लि
ये शुद्ध भाव से और बिना रखने कुछ द्रोह के साथ उस मनुष्य
के जिस की मृत्यु हुई हो आवश्यक और नीति पूर्वक जानता
हो ॥

छूट - स्नातवत घात उस अवस्था में स्नातघात न गिनी जायगी
जब कि वह एकाएकी झगड़ा होकर लड़ाई में क्रोध की अधिक
ता के कारन बिना पहले से विचार किये हो जाय और अपराधी
ने कोई अनुचित अवसर पाकर अथवा निर्दईपन करके
अथवा साधारण रीति से कुछ काम न किया हो ॥

विवेचना - ऐसे मुकद्दमे में यह बात कुछ मुख्य न गिनी जायगी कि कौनसी ओर वाले ने क्रोध कराया अथवा पहले उद्योग किया ॥

सूट

ज्ञानवत घात उस अवस्था में ज्ञात घात न गिनी जायगी जब कि वह मनुष्य मारा गया हो अठारह वर्ष से ऊपर की अवस्था का और उसने आप अपनी मृत्यु कराई हो अथवा अपनी रजी से मृत्यु की जोखिम कराई हो ॥

उदाहरण

देवदत्त ने जानबूझ कर विष्णु मित्र एक मनुष्य ने जिस की अवस्था अठारह वर्ष से कमती थी वह काकर अपघात कराई तो ज्ञात घात में सहायता की क्योंकि वहां विष्णुमित्र अपनी अवस्था के कारण अपनी मृत्यु कराने के लिये अपनी आज्ञा देने को असमर्थ था इसलिये देवदत्त ज्ञात घात का सहाई हुआ ॥

दफ़ा ३०१। कदाचित कोई मनुष्य कुछ ऐसा काम करके जिस से वह किसी मनुष्य की मृत्यु होने का प्रयोजन रखता हो अथवा मृत्यु होनी अति संभवित है जानता हो उस मनुष्य की मृत्यु करादे जिसकी मृत्यु से न तो उसका प्रयोजन हो और न वह आप उसका होजाना अति सम्भवित जानता हो तो वह ज्ञातवत घात उसी प्रकार की गिनी जायगी जैसा कि उस अवस्था में होती जब उस ने उसी मनुष्य की मृत्यु कराई होती जिसकी मृत्यु से उस का प्रयोजन था अथवा जिसकी मृत्यु होनी उसने अपने आप अति सम्भवित जानली थी ॥

> ज्ञानवत घात किसी ऐसे मनुष्य की मृत्यु करने से जो उस मनुष्य के जिसके मारडालने का प्रयोजन था भिन्न हो ॥

३०२- जो कोई मनुष्य ज्ञात घात करैगा उस को दंड वध का अथवा जन्म भर के देश निकाले का किया जायगा और जरी-

माने के भी योग्य होगा ॥

नज़ीर

एक शख़्स आदी गांजा पीनेका उसने अपनी जोरू और लड़के को मारडालाथा और इक़रार किया था कि वह उस से झगड़ा किया करती हाई कोर्ट से तजवीज़ हुआ कि यह इक़रार क़तल जुर्म अमद यानी ज्ञातवत घात का नहीं उसनेइज़ाफ़ाकी अमर जिनकी तवे का वाक़े नहीं किया है पस तजवीज़ करनी चाहिये कि इस आल तवै हुआ नहीं ॥

सर्कार बनाम खासा राम मु० २५ फ़रवरी सन् १८६० सफ़ा ५६४ जिल्द १४ वंबई इन्डयन लारिपोर्ट ॥

दफ़ा ३०३ जो कोई मनुष्य दंड जन्म भर के देश निकाले का पाकर ज्ञातघात करैगा उसको दंड वध का दिया जायगा ॥

(दंड उस ज्ञातवत घातका जो कोई जन्मभ्यादी वधुआ कर डाले ॥)

दफ़ा ३०४ - जो कोई मनुष्य करने वाला कि ऐसी ज्ञातवत घात का होगा जो ज्ञात घात के तुल्य न हो उसको दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

(दंड ऐसी ज्ञातवत घातका जो ज्ञात घात के तुल्य हो ॥)

कदाचित वह काम जिस की मृत्यु करने के प्रयोजन से अथवा शरीर के दुख पहुंचाने के प्रयोजन से जिस से मृत्यु का होना अति संभवित्त हो किया गया हो अथवा जब वह काम जिस से मृत्यु होई यह बात जान बूझ कर कि इस से मृत्यु होनी अति संभवित हो परंतु बिना प्रयोजन मृत्यु कराने अथवा ऐसा शरीर के दुख पहुंचाने के प्रयोजन से जिस से मृत्यु का होना अति सम्भवित हो - किया गया हो तो दंड दोनों में से

किसी प्रकार की जिस की म्याद दस वरस तक हो सकैगी अथ
जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा –

(२०४ अ) कदाचित कोई मनुष्य किसी असावधानी अथवा गफ़लत के काम से जो ज्ञातवत घात के दंड योग्य न हो किसी मनुष्य को मृत्यु का होना अति सम्भवित हो उस को दंड दोनो में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद दो वर्ष तक हो सकैगी होगा अथवा जरीमाना अथवा दोनों दंड होंगे॥

असावधानी अथवा गफ़लत में मृत्यु का होना –

१ (दफा २०४ अ ऐक्ट २७ सन १८७० ई०) अध्याय ४ व ५ व २३ मजमुआ हाज़ा उसजुर्म से मुतअल्लिक होंगे जो हस्व दफ़ा हाज़ा काविल सज़ा है (दफ़ा १३ ऐक्ट २७ सन १८७० ई०)

दफ़ा ३०५ – कदाचित अठारह वर्ष से कमती अवस्था का कोई मनुष्य अथवा कोई सिड़ी मनुष्य अथवा कोई उन्मत्त मनुष्य अथवा कोई जन्म मूर्ख अथवा ऐसा मनुष्य जो नशा किये हो अपघात करे तो जो कोई मनुष्य उस अपघात में सहायता देगा उस को दंड वध का अथवा जन्म भर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद दस वरस से अधिक न होगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

बालक अथवा सिड़ी मनुष्य को अपघात करने में सहायता पहुंचानी –

दफ़ा ३०६ – कदाचित कोई मनुष्य अपघात करे तो जो कोई उस अपघात में सहायता देगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद दस वर्ष तक हो सकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

अपघात में सहायता देनी

दफ़ा ३०७ – जो कोई मनुष्य कोई काम इस प्रयोजन से अथवा यह जानकर और ऐसी अवस्था में करेगा कि

प्राण घात का उद्योग

कदाचित इस काम से किसी की मृत्यु होय जायगी तो मैं ख़ातवत घात का अपराधी हूंगा उस को दंड दोनों प्रकारों में से जिस की म्याद दो बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और जब उसी काम से किसी मनुष्य को दुख पहुंच जाय तो जन्म भर का देश निकाला पहले कहे हुए दंड के योग्य होगा॥

जिस हाल में कि कोई मनुष्य जो ऊपर लिखी हुई दफा के अनुसार अपराधी होकर दंड जन्म भर के देश निकाले का भुगत रहा हो उस सूरत में अगर किसी मनुष्य को ज़रर पहुंचे तो उस को दंड वध का हो सक्ता है॥

उद्योग जन्मम्यादी की नक़ैसे

यह ज़िमन दफ़ा ३०७ में ऐक्ट २७ सन १८७० ई० दफ़ा ११ के ज़रिया से बढ़ाई गई है॥

नज़ीर

एक शख़्स ने अपने ससुर की चार लकड़ियां मारी थीं वह गिर पड़ा उसने उसको मुर्दा समझकर उसको पड़ी में जहां वो गिर पड़ा था आग लगादी जिससे वह जलकर मर गया हाईकोर्ट ने तजवीज़ किया कि आग का लगाना इस लिये कि शहादत बाक़ी न रहे पस वह जुर्म फ़ेल मुलज़िम सज़ा का है न क़त्ल अमद यानी ख़ातवत घात का॥

उदाहरण

(अ) देवदत्त ने विष्णुमित्र के ऊपर उसके मार डालने के प्रयोजन से ऐसी अवस्था में बंदूक छोड़ी जबकि कदाचित विष्णुमित्र की मृत्यु हो जाती तो देवदत्त ख़ातवत घात का अपराधी गिना जाता तो देवदत्त ने ख़ात घात की और इस दफ़ा के अनुसार दंड पाने योग्य हुआ॥

(इ) देवदत्त ने थोड़ी अवस्था के एक बालक की मृत्यु करने के प्रयोजन से उसको ऐसे ठौर जहां कोई मनुष्य आता न था छोड़ दिया तो देवदत्त ने इस दफा में लक्षण किया हुआ अपराध किया यद्यपि उस बालक की मृत्यु न भी हुई

(उ) देवदत्तने विष्णुमित्रको मार डालनेके प्रयोजनसे एकबन्दूक मोल लेकर भरी तो जब तक देवदत्तने लक्षण किया हुआ अपराध नहीं किया फिर देवदत्त ने वहबंदूक विष्णुमित्रपर छोड़ी तो इस दफ़ा में लक्षणकियेहुए अपराधका अपराधी हुआ और कदाचित उस बंदूक के छोड़ने से विष्णुमित्रको घाव लभी किया तो देवदत्त इस दफ़ा के पिछले भागके ठहराये हुए दंड के योग्य हुआ॥

(ए) देवदत्तने विष्णुमित्रको विषसे मारडालने के प्रयोजन से विषमोललेकर भोजनमें जो उसी के पास रहिताथा मिला दिया तो तव तक देवदत्तने इस दफ़ामें लक्षणकिया हुआ अपराध नहीं किया फिर देवदत्त वही भोजन विष्णुमित्रा के आगे रक्खा अथवा आगे रखने के लिये विष्णुमित्रके नौकरों को दिया तो देवदत्त इस दफ़ा में लक्षण किये हुए अपराधका अपराधी हुआ

दफ़ा ३०८-जो कोई मनुष्य कुछ काम इस प्रयोजन अथवा यह जान बूझकर ऐसी अवस्था में करेगा कि कदाचित उसकाम से किसी की म्दत्यु होजायगी तो मैं ऐसे ज्ञातवत घात का अपराधी हूंगा जो ज्ञातघातके तुल्य नहीं है उसको दंड दोनों में से किसीप्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का कियाजायगा और अगर उस काम से किसी को दुख पहुंचे तो उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात वर्ष तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा

ज्ञातवत घातकरने का उद्योग-

उदाहरण

(अ) देवदत्त ने एका एकी किसी भारी क्रोध दिलाने वाले कामके कारण विष्णुमित्र के ऊपर ऐसी पिस्तौल चलाई जबकि कदाचित विष्णुमित्रकी मृत्यु होजाती तो देवदत्त उस ज्ञातवतघातका अपराधी गिना जाता जोकि ज्ञात

घातके तुल्य नहीं है तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया॥

दफ़ा २०९-जो कोई मनुष्य अपराध करने का उद्योग करके उस अपराध के मध्ये कुछ काम करेगा उस को दंड साधारण कैद का जिस की म्याद एक बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

दफ़ा ३१०-जो कोई मनुष्य इस कानून के जारी होने के पीछे ज्ञात घात के द्वारा अथवा ज्ञात घात समेत डांका डालने अथ बालकों के चुराने के लिये किसी दूसरे मनुष्य अथवा मनुष्यों से बहुधा मेल रक्खेगा ठग कहलावेगा॥

दफ़ा ३११-जो कोई मनुष्य ठग होगा उस को दंड जन्म भर के देश निकाले का किया जायगा और ज़रीमाने के भी योग्य होगा॥

पेट गिराने और बिना जन्मे बालकों को हानि पहुंचाने और जन्मे बालकों को बाहर डाल आने और जनना छुपाने के बिषय में॥

दफ़ा ३१२-जो कोई मनुष्य जान बूझ कर किसी गर्भवती स्त्री का पेट गिरावेगा उसको कदाचित यह गर्भपात शुद्ध भाव से उस स्त्री का जीव बचाने के प्रयोजन से किया गया हो तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद तीन वर्ष तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा और कदाचित्त गर्भ पक गया अर्थात् बालक के जीव पड़ गया हो तो दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद सात बर्ष तक हो सकेगी किया जायगा और

पेट गिराना

ज़रीमाने के भी योग्य होगा॥

विवेचना-जो कोई आप अथवा गिरवावै इस दफ़ा के अर्थ में अपराधिनी गिनी जायगी॥

दफ़ा ३१३-जो कोई मनुष्य पिछली दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध विना स्त्री की राजी के करेगा चाहे गर्भ उस स्त्री का कच्चा हो चाहे पक्का हो उसको दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद दस बर्स तक होसके गी कियाजायगा और ज़रीमानेकेभी योग्य होगा॥

विना स्त्री की राजी पेटगिराना-

दफ़ा ३१४-जो कोई मनुष्य किसी गर्भवती स्त्री का पेटगिराने के प्रयोजन से कोई ऐसा काम करेगा जिस से उस स्त्री की मृत्यु होजाय उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और कदाचित वह काम विना स्त्री राजी के किया जायतो दंड या तो जन्म भर के देश निकाले का या जैसा कि ऊपर कहा गया है किया जायगा॥

मृत्यु जो किसी ऐसे काम के प्रयोजन से होजाय जो पेटगिराने के प्रयोजन से किया गया हो

विवेचना-इस अपराध का कुछ यह अवश्य नहीं है कि अपराधी उस काम से मृत्यु का होना अति सम्भावित जानता हो॥

दफ़ा ३१५-जो कोई मनुष्य किसी बालक के पैदा होने से पहले उसका जीता हुआ पैदा होना रोकने अथवा पैदा होने के पीछे मरजाने के प्रयोजन से कुछ

कोई काम जो इस प्रयोजन से किया जाय कि बालक जीता हुआ पैदा न होने पावै अथवा पैदा होने से पीछे मरजाय-

करेगा और उस से उस बालक का जीता हुआ पैदा होना रुक जायगा अथवा पैदा होकर मर जायगा उसको कदाचितवह काम शुद्ध भाव से उस बालक की माता का जीव बचानेके लिये किया हो उस को दंड किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दस बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

मृत्यु करनी किसी बालक की जो पैदा न हुआ परंतु गर्भ में जीव पड़गया हो कुछ ऐसा काम करके जो ज्ञानघात के समान हो

दफ़ा ३१६ — जो कोई मनुष्य कुछ काम ऐसी अवस्था में जबकि उस काम से मृत्यु का होजाना उस को अपराधी ज्ञानवत घात का बनावे करेगा और उस काम से मृत्यु किसी बालक की जो जन्मा न हो परंतु जिसमें जीव पड़ गया हो होजायगी उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद की जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

उदाहरण

देवदत्त ने यह बात जानबूझकर कि इस काम के करने से किसी गर्भवती स्त्री की मृत्यु होनी अति सम्भवित है कोई ऐसा काम किया है कि कदाचित उससे उस स्त्री की मृत्यु होजाती तो वह काम ज्ञानवत घात समान गिना जाता उस स्त्री को दुख तो हुआ परंतु मरी नहीं हां उस के गर्भ में जो बालक था और उस में जीव पड़ गया था उस बालक की मृत्यु उसी दुख के पहुंचने से होगई तो देवदत्त इस दफ़े में लक्षण किये हुए अपराध का अपराधी हुआ॥

बाहर डाल आना अथवा छोड़देना बारह वर्ष से कमती अवस्था के बालक का उसके मा वा बाप की ओर से अथवा और किसी मनुष्य की ओर से

दफ़ा ३१७ — जो कोई मनुष्य बारह बर्ष से कमती अवस्था के किसी बालक का बाप अथवा मा अथवा रक्षक होकर उस बालक को किसी जगह

डाल आवेगा अथवा छोड़ आवेगा इस प्रयोजन से कि वह सदेव को मुझसे छूट जाय उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद सात बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

विवेचना-इस दफ़ा से यह प्रयोजन नहीं है कि कदाचित बाहर डाल आने के कारण बालक मर जाय तो अपराधी पर अपराध खून वत घात का अथवा खून घात का जैसी अवस्था हो न लगाया जाय॥

दफ़ा ३१८- जो कोई मनुष्य किसी बालक की लोथ को गुप चुप गाड कर अथवा और किसी भांति अलग करके उस का पैदा होना जान बूझ कर छुपावेगा अथवा छुपाने का उद्योग करेगा चाहे वह बालक पैदा होने से पहले मरा हो चाहे पीछे उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

जनना छुपाना किसी बालक की लोथ को गुप चुप अलग करके॥

दुःख के ब्यान में

दफ़ा ३१९ - जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य के शरीर को दर्द अथवा रोग अथवा बलहीनता पहुंचावेगा वह दुःख पहुंचाने वाले कहा जायगा॥

दुःख

दफ़ा ३२० - केवल नीचे लिखे प्रकारों का दुःख भारी दुःख कहलावेगा॥

भारी दुःख

प्रथम - हिजड़ा करना-

दूसरे - किसी एक आंख के देखने से सदेव को रहित करना

(चौथे) किसी अंग अथवा जोड़ से रहित करना-
(पांचवे) किसी अंग अथवा जोड़ को सदैव को नष्ट अथवाव लहीन करना-
(छठे) सदैव को सिर अथवा चहरे को कुरूप करना-
(सातवे) किसी हड्डी अथवा दांत को तोड़ना अथवा उखाड़ना-
(आठवे) कोई दुख जिससे जीव की जोखिम हो अथवा जिस से वह मनुष्य जिसको दुख दिया जाय बीस दिन तक कठि न शरीरक पीड़ा सहै अथवा साधारण उद्यम न कर सके॥
दफ़ा ३२१- जो कोई मनुष्य कुछ काम इस प्रयोजन से करेगा

जानबूझ कर दुख देना

कि इससे किसी मनुष्य को दुख पहुंचे अथवा यह बात जानबूझ कर कि इससे किसी मनुष्य को दुख पहुंच ना अति सम्भावित है और उस काम से किसी मनुष्य को दुख तो कहा जावेगा कहा जाय कि उसने जान मान कर दुखप हुंचाया॥
दफ़ा ३२२ - जो कोई मनुष्य जान मानकर दुख पहुंचावेगा

जानमान कर भारी दुख पहुंचाना-

और कदाचित वह दुख जिसके पहुंचने से उसका प्रयोजन न हो अथवा जिस का पहुंचना उसने आप अति सम्भावित जान लिया हो भारी दुख होगा और जो दुख उसने कि उस से जानमानकर भारी दुख पहुंचे
विवेचना - कोई मनुष्य जानमान कर भारी दुख पहुंचाने वाला न कहलावेगा सिवाय इसके कि भारी दुख पहुंचाया हो और उस ही दुख पहुंचना आप अति सम्भावित जान लिया हो परंतु जब एक प्रकार का भारी दुख पहुंच जाय तो कहलावेगा कि उसने जानमान कर भारी दुख पहुंचाया॥

उदाहरण॥

देवदत्तने विष्णु मित्रका चिहरा सदेव को कुरूप करदेने के प्रयोजन से अथवा कुरूप होना अतिसम्भवित जानबूझकर एक घूंसा विष्णुमित्र के मारा जिस से विष्णुमित्र का चिहरा तो विगड़ा परंतु उस ने कठिन शरीरका दुख बीस दिन तक पाया वहां देवदत्त ने जान मानकर भारी दुख पहुंचाया -

दफ़ा ३२३-जो कोई मनुष्य सिवाय दफ़ा ३३४ में लिखी हुई अवस्था में और किसी अवस्था में जानमान कर दुख पहुंचावैगा उस को दंड दोनों में किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक बरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रुपये तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

जानमान पहुंचाने का दुख उसका दंड

दफ़ा ३२४- जो कोई मनुष्य सिवाय दफ़ा ३३४ में लिखी हुई अवस्था के और किसी अवस्था में जानमान कर फेंककर मारने अथवा हूल लगाने अथवा काटने के हथियार से अथवा और किसी औज़ार से जिन को मार डालने के हथियार की भांति काम में लाने से मृत्यु का होना अति संभवित हो सकता था अग्नि अथवा गरम वस्तु से अथवा किसी विष से अथवा शरीर को गलित करनेवाली वस्तु से अथवा अग्नि की भांति उड़नेवाली वस्तु से जिस को स्वांस के द्वारा लेने या निकालने या रुधिर में पहुंचाने से मनुष्य के शरीर को अचेलता हो तो होअथवा किसी पशु से किसी को दुख पहुंचावेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

जान बूझकर जोखिम के हथियारों से अथवा और उपायों से दुख पहुंचाना

दफ़ा ३२५ - जो कोई मनुष्य दफ़ा ३३५ में लिखी अवस्था

जानमानकर भारी-दुख पहुंचाने का दंड

के सिवाय और किसी अवस्था में जानमान कर भारी दुख पहुंचावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

कोई औज़ारों अथवा हथियारों या उपायों से शरीर को भारी दुख पहुंचाने का दंड

दफ़ा ३२६- जो कोई मनुष्य सिवाय दफ़ा ३३५ में लिखी अवस्था के और किसी अवस्था में जान मान कर फेंककर मारने अथवा हूल लगाने अथवा काटने के हथियार की भांति काम में लाने से मृत्यु का होना अतिसम्भवित हो अथवा आग से अथवा गरम वस्तु से अथवा विष से अथवा शरीर को गलित करने वाली वस्तु से अथवा और किसी वस्तु से जिसको स्वांस के द्वारा लेने या रुधिर में पहुंचाने से मनुष्य के शरीर को अचेतना होती हो अथवा किसी वस्तु से किसी को भारी दुख पहुंचावेगा उसको दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा दोनों में किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने केभी योग्य होगा ॥

दबाकर माल लेने के लिये अथवा दबाकर अनुचित काम लेने के लिये जानमानकर दुख पहुंचाना -

दफ़ा ३२७- जो कोई मनुष्य जान मान कर दुख पहुंचावेगा इसी निमित्त कि उस दुख सहने वाले से अथवा जो मनुष्य उस दुख सहने वाले से स्वार्थ रखता हो उससे दबा कर कोई माल मिलकियत अथवा दस्तावेज़ ले ले अथवा दबा कर कोई ऐसा काम ले जो अनीति हो अथवा जिससे किसी अपराध के करने में सुगमता मिलती हो उसको दंड दोनों में किसी प्रकार की

क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

दुख पहुंचाने इत्यादि के प्रयोजन से अचेत करने वाली औषधि खिलाना

दफ़ा ३२८ – जो कोई मनुष्य किसी को कोई विष अथवा अचेत करने वाली वस्तु अथवा और कोई वस्तु उस मनुष्य को दुख पहुंचाने के प्रयोजन से अपराध करने या अपराध को सुगम करने के प्रयोजन से अथवा यह बात अति सम्भावित जान कर कि इससे दुख पहुंचेगा खिलावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा–

दबाकर माल लेने के लिये अथवा दबाकर कोई अनुचित काम कराने के लिये जानमानकर भारी दुख पहुंचाना

दफ़ा ३२९ – जो कोई मनुष्य जानमान कर भारी दुख पहुंचावेगा इस निमित्त उस भारी दुख सहने वाले से अथवा जो मनुष्य उस में स्वार्थ रखता हो उससे दबाकर कोई माल मिल्कियत अथवा दस्तावेज़ ले ले अथवा दबाकर कोई ऐसा काम ले जो अनीति हो अथवा जिससे किसी अपराध के करने में सुगमता मिलती हो उसको दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

दबाकर इक़रार कराने अथवा दबाकर कुछ माल फेर लेने के लिये जानमान कर दुख देना

दफ़ा ३३० – जो कोई मनुष्य जानमानकर दुख पहुंचावेगा इस निमित्त कि दुख सहने वाले से अथवा जो मनुष्य उसमें स्वार्थ रखता हो उस से दबाकर कोई इक़रार करावे अथवा कोई खबर जिस से पता किसी अपराध का

अथवा चालचलन संबंधी अपराध का कुण उसके पूछे अथ वा इसनिमित्त कि दुख सहने वाले से या जो मनुष्य उसमें स्वार्थ रखता हो उस से दबा कर कोई माल अथवा दस्तावेज़ फेरे या फिरावे अथवा कोई दावा या तगादा चुकावे अथवा ऐसी मुखबरी जिससे किसी माल अथवा दस्तावेज़ का फेर पाना सुगम हो करावे उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

उदाहरण॥

(अ) देवदत्त एक पुलिस के अहिलकार विष्णुमित्र को इसलिये दुख दिया कि दबाकर विष्णुमित्र से किसी अपराध के करने का इक़रार करावे तो देवदत्त इस दफ़ा के अनुसार अपराधी हुआ॥

(इ) देवदत्त एक पुलिस के अहिलकार ने यज्ञदत्त से यह बात दबाकर पूछने के लिये कि चोरी का फलाना माल कहां रक्खा है दुख दिया तो देवदत्त इस दफ़ा के अनुसार अपराधी हुआ॥

(उ) देवदत्त एक माल के अहिलकार ने विष्णुमित्र को इसलिये दुख दिया कि उससे दबा कर माल गुज़ारी की बाकी का वाजिबी रुपया वसूल करे तो देवदत्त इस दफ़ा के अनुसार अपराधी हुआ॥

(ए) देवदत्त एक जिमीदार ने किसी रैय्यत को इसलिये दुख दिया कि दबाकर उससे लगान वसूल करे तो देवदत्त इस दफ़ा के अनुसार अपराध का अपराधी हुआ॥

दफ़ा ३३१ - जो कोई मनुष्य जान मान कर भारी दुख पहुंचावेगा इस निमित्त कि उस भारी दुख सहने वाले मनुष्य से अथवा जो मनुष्य उसमें कुछ स्वार्थ रखता हो उससे दबाकर कोई इक़रार करावे अथवा कोई जिससे पता किसी अपराध

दबाकर इक़रार कराने अथवा कुछ माल फेर लेने के लिये जान मान कर भारी दुख देना

को अथवा चाल चलन संबंधी अपराध का लगा सके पूछे अथवा इस निमित्त कि दुख सहने वाले से या जो मनुष्य उस में स्वारथ रखता हो उस से दबाकर हुवाकर कोई माल अथवा दस्तावेज़ फेरै या फिरावै अथवा कोई दावा तगादा चुकावै अथवा ऐसी सुखबरी जिससे किसी माल अथवा दस्तावेज़ का फेर पलटा सुगम हो करावै तो उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद दस बरस तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

सर्व संबंधी नौकर को जानमानकर दुख पहुंचाना इसलिये कि वह अपने ओहदे का काम करने से डर जाय-

दफ़ा ३३२-जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को जो सर्व संबंधी नौकर और अपने ओहदे का काम भुगताता हो जानमान कर दुख पहुंचावेगा कि यह मनुष्य अथवा और कोई सर्व संबंधी नौकर अपनी नौकरी काम भुगताने से रुक जाय अथवा डर जाय अथवा इस कारण कि उस मनुष्य ने अपनी नौकरी कोई काम क़ानून अनुसार भुगताने का उद्योग किया उस को दंड दोनों में किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

सर्व संबंधी नौकर को जानमानकर भारी दुख पहुंचाना इसलिये कि वह अपने ओहदे का काम करने से रुकजाय

दफ़ा ३३३- जो कोई मनुष्य जानमान कर किसी मनुष्य को जो सर्व संबंधी नौकर हो और अपने ओहदे का भुगताता हो भारी दुख पहुंचावेगा अथवा इस प्रयोजन से पहुंचावेगा कि वह मनुष्य अथवा और कोई सर्व सम्बंधी नौकर अपनी नौकरी का काम भुगताने से रुक जाय या डर जाय अथवा इस कारण कि उस मनुष्य ने अपनी

नौकरी का कोई काम क़ानूनासार भुगताया अथवा भुगताने का उद्योग किया उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

दफ़ा ३३४-जो कोई मनुष्य भारी और एकाएकी क्रोध दिलाने के कारण जानमानकर किसी को दुख पहुंचावेगा उसको कदाचित यह प्रयोजन उसका न हो और न वह आप यह बात प्रति सम्भवित जानता हो कि इस से सिवाय उस मनुष्य के जिस ने क्रोध दिलाया दूसरे किसी मनुष्य को दुख पहुंचावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो पांच सौ रु० तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा

क्रोध उत्पन्न करने वाले काम के कारण जान मान कर दुख पहुंचाना

(दफ़ा ८ ऐक्ट नम्बर ८ सन १८७२ ई०

दफ़ा ३३५-जो कोई मनुष्य किसी भारी और एकाएकी क्रोध दिलाने वाले काम के कारण जानमानकर किसी को भारी दुख पहुंचावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद चार बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो दो हज़ार रु० तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

क्रोध दिलाने वाले काम के कारण भारी दुख पहुंचाना॥

विवेचना-पिछली दोनों दफ़ा उन्हीं नियमों के आधीन हैं जिनकी कि दफ़ा ३०० की पहली छूट है॥

दफ़ा ३३६-जो कोई मनुष्य कुछ काम ऐसा निधड़क अथवा असावधानी से करेगा जिससे औरों के जीव अथवा

शरीरक कुशल की जोखिम हो उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद तीन महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का ढाई सौ रु० तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

दंड ऐसे काम का जिससे दूसरे के जीव अथवा शरीरक कुशल की जोखिम हो

दफ़ा ३३७ - जो कोई मनुष्य कुछ काम ऐसा निधड़क अथवा असावधानी से जिससे औरों के जीव अथवा शरीरक कुशल की जोखिम हो करके दुख पहुंचावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद छः महीने तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो पांच सौ रु० तक होसकेगा अथवा दोनों का कियाजायगा॥

दुख पहुंचाना किसी ऐसे काम से जिससे औरों के जीव अथवा शरीरक कुशल की जोखिम हो॥

दफ़ा ३३८ - जो कोई मनुष्य कुछ ऐसा निधड़क असावधानी से जिससे औरों के जीव अथवा शरीर कुशल की जोखिम हो करके भारी दुख पहुंचावेगा उसको दंड दोनों में से जिस की म्याद दो बरस तक होसकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रु० तक होसकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

भारी दुख पहुंचाना किसी ऐसे काम से जिससे औरों के जीव अथवा शरीरक कुशल की जोखिम हो

(जुरायम मुतअल्लिक़े दफ़ात ३४१ व ३४२ क़ाबिल राज़ीनामा हैं)

(दफ़ा ३४५ एक्ट नम्बर १० सन् १८८२ ई० मुलाहज़ा तलब)

(अनीति रोक और अनीति बंध के विषय में)

दफ़ा ३३९ - जो कोई मनुष्य जानमान कर किसी मनुष्य के इस भांति रोकेगा जिससे वह मनुष्य उस ओर

अनीति रोक।

को जिधर जाने का उसे अधिकार हो जाने से रुक जाय उस मनुष्य को अनीति से रोकने वाला कहलावेगा॥

(छूट) रोकना किसी ऐसी गेल का जो सर्व संबंधीन हो चाहे पानी की हो चाहे खुश्की की हो और जिसके रोकने को कोई मनुष्य शुद्ध भाव से अपने को क़ानूनानुसार अधिकारी मानता हो इस दफ़ा के अर्थ में अपराध गिना जायगा॥

उदाहरण॥

देवदत्त ने एक रस्ते को जिसमें विष्णु मित्र चलने का अधिकारी था रोका और देवदत्त को शुद्ध भाव से इस बात का निश्चय था कि मुझको इस गेल के रोकने का अधिकार है इस रोकने से विष्णु मित्र वहां होकर निकलने से रुक गया तो देवदत्त ने विष्णु मित्र को अनीति रीति से रोक पहुंचाई॥

दफ़ा ३४० - जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को अनीति रोक इस भांति पहुंचावेगा जिससे वह मनुष्य किसी नियत सीमा के बाहर जाने से रुक जाय वह उस मनुष्य को अनीति बंधि करने वाला कहलावेगा॥

अनीति बंधि

उदाहरण॥

देवदत्त ने विष्णु मित्र को भीत खिंचे हुए किसी मकान में करके ताला लगा दिया इससे विष्णु मित्र उस घर की भीत के बाहर किसी ओर जाने से रुक गया तो देवदत्त ने विष्णु मित्र को अनीति बंधि में रक्खा॥

(इ) देवदत्त ने किसी मकान के द्वार पर बंदूक बांधे हुए मनुष्य बैठा दिये और विष्णु मित्र से कह दिया कि जो तू मकान से बाहर निकलने का उद्योग करेगा तो वे लोग तुझ पर बंदूक छोड़ेंगे यहां देवदत्त ने विष्णु मित्र को अनीति बंधि में रक्खा॥

दफ़ा ३४१ - जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को अनीति रोक पहुंचावेगा उस को दंड साधारण क़ैद का जिस

अनीति रोक का दंड

की म्याद एक महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो पांचसौ रुपये तक हो सकैगा अथवा दोनों का किया जायगा-

दफ़ा ३४२-जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को अनीति वंधि

अनीति वंधि का दंड

में रक्खैगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक बरस तक हो सकैगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रु० तक हो सकैगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा ३४३-जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को तीन दिन तक

तीन दिन तक अथवा उससे अधिक दिनतक अनीति वंधि में रखना-

अथवा उससे अधिक दिन तक अनीति वंधि में रक्खैगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा ३४४-जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को दस दिन तक

दस दिन तक अथवा उससे अधिक दिन तक अनीति वंधि में रखना-

अथवा उससे अधिक दिन तक अनीति वंधि में रक्खैगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद तीन बरस तक हो सकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

दफ़ा ३४५-जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को अनीति वंदि

अनीति वंधि में रखना ऐसे मनुष्य को जिस के छोड़ देने के लिये परवानः जारी हो चुका॥

में यह बात जान बूझ कर कि इसके छोड़ देने के लिये परवानः यथोचित जारी हो चुका है रक्खैगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दो बरस तक हो सकेगी सिवाय उस म्याद के क़ैद के जो इस

अध्याय की किसी और दफ़ा के अनुसार हो सकती हो दि जायगा॥

दफ़ा ३४६-जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को अनीति बंदि में

अनीति बंदि में गुप्त रखना-

इस भांति रक्वेगा जिससे प्रयोजन उसका यह पाया जाय कि इस मनुष्य का बंदि में होना कोई मनुष्य जो बंदि किये मनुष्य से कुछ स्वार्थ रखता हो अथवा कोई सर्व संबंधी नोकर जानले अथवा बंदि की जगह को ऊपर कहे प्रकार का कोई मनुष्य अथवा सर्व संबंधी नोकर जान सके अथवा खोज न पावे उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दो बरस तक हो सकेगी सिवाय उसके दंड किया जायगा जिसके योग वह अनीति बंधि के कारण हो॥

दफ़ा ३४७- जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को अनीति बंदि

दवाकर माल ले लेने अथवा कोई अनीति काम दवाकर कराने के प्रयोजन से नीतिबंदि

में इस निमित्त रक्वेगा उस से अथवा और किसी मनुष्य से जो उसमें स्वार्थ रखता हो कुछ माल मिलाकियत अथवा दस्तावेज़ दवाकर ले ले अथवा उस बंदि किये हुए मनुष्य से या उस मनुष्य से जो उस में स्वार्थ रखता हो कुछ माल मिलाकियत अथवा दस्तावेज़ दवाकर ले ले अथवा उस बंदि किये हुए मनुष्य से या उस मनुष्य से जो उस में स्वार्थ रखता हो दवाकर ले ले अथवा उस बंदि किये मनुष्य से जो उसमें स्वार्थ रखता हो दवाकर कोई अनीति काम करा ले अथवा कोई ऐसी ख़बर जिससे किसी अपराध का होना सुगम होता हो पूछे उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जाय

गा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥
(दफ़ा ५० को देखो)

दफ़ा ३४८ - जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को अनीति बंधि

दबाकर इकरार कराने अथवा दबाकर माल फिरवाने के लिये अनीति बंधि में रखना-

में इस निमित्त रखेगा कि उससे अथवा और किसी मनुष्य से जो उस में स्वार्थ रखता हो दबाकर इक़रार करावे अथवा कोई खबर जिससे खोज किसी अपराध का अथवा चाल चलन संबंधी अपराध का लग सकता हो पूछे अथवा इस निमित्त कि बंधि किये हुए मनुष्य से जो स्वार्थ रखता हो दबाकर कोई माल मिलकियत अथवा दस्तावेज़ फेरले अथवा कोई दावा या तगादा चुकावे अथवा कोई ऐसी खबर जिससे कोई माल मिलकियत अथवा दस्तावेज़ फिर सके पूछले उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी कि या जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

जुरमहाय मज़कूर दफ़आत ३५२ व ३५५ व ३५८ क़ाबिल राज़ीनामे हैं (दफ़ा ४५

(ऐक्ट १० सन् १८८२ ई० मुलाहिज़ा नकल)

(अनीति बल और उठैया)

दफ़ा ३४९ - कोई दूसरे मनुष्य पर बल करने वाला कह

बल

लावेगा जो वाकि वह दूसरे को चलायमान करे अथवा उसको चलायमानता को बदले या उसकी चलायमानता को ठेहरावे अथवा किसी वस्तु को इसभांति चलायमानता में डाले या उसकी चलायमानता को ठेहरावे जिस

वह जुरम जो दफ़ात ३५२ व ३५५ क़ाबिल सज़ा हो देखो ऐक्ट १० सन् १८८२ ई० द ३५५

ए वह वस्तु उससे दूसरे मनुष्य के किसी अंग को छू जाय अथवा और किसी वस्तु को जो पहने हुए हो या लिये जाता हो अथवा किसी वस्तु को जो इस प्रकार से रक्खी हो कि उस को छूना उस मनुष्य के त्वचा इन्द्री को वेद पहुंचता हो छू जाय परंतु नियम यह है कि उस मनुष्य ने उस चलायमानता को किया अथवा चलायमानता को वदला अथवा चलायमानता को ठैराया वह उस चलायमनता के करने को अथवा चलायमानता के बदलने का अथवा चलायमानता के ठैहराने को नीचे लिखी नीति भांतों में से किसी प्रकार की एक भांति से करे॥

(प्रथम) अपने शरीर के बल से॥

(दूसरे) किसी वस्तु को इस भांति रखकर जिससे बिना कुछ और काम उस की ओर से अथवा किसी दूसरे मनुष्य की ओर से किये जाने के वह वस्तु चलायमान हो जाय अथवा उस की चलायमानता वदल जाय अथवा ठैर जाय॥

(तीसरे) पशु को चलायमान करके अथवा उस की चलायमानता को वदल कर या ठैरा कर॥

दफ़ा ३५० — जो कोई मनुष्य प्रयोजन कर के किसी मनुष्य

अनीतिबल | पर विना मनुष्य की राज़ी के वल करेगा इसलिये कि कुछ अपराध करे अथवा इस प्रयोजन से या यह बात अति सम्भावित जानकर कि इस बल के करने से उस मनुष्य को जिस के साथ बल किया जाता है कुछ हानि अथवा डर अथवा क्लेश पहुंचावेगा तो कहलावेगा कि उसने उस मनुष्य के साथ अनीति वल किया॥

उदाहरण

(अ) विष्णुमित्र किसी नदी में लंगर पड़ी हुई एक नाव पर बैठा था देवदत्त ने लंगर खोल दिये और इस भांति जानमान कर नाव को नदी में बहाया तो यहां देवदत्त ने प्रयोजन करके विष्णुमित्र को चलायमान में डाला और यह काम उसने एक वस्तु को इस प्रकार से रखकर किया कि जिस्से बिना उसकी ओर से अथवा और किसी मनुष्य की ओर से कुछ और काम किये जाने के चलायमानता उत्पन्न होगई इसलिये देवदत्त ने जान मानकर विष्णुमित्र के साथ बल किया और कदाचित यह उसने विष्णुमित्र की बिना राज़ी के इस प्रयोजन से किया हो कि कुछ अपराध को अथवा यह प्रयोजन करके या यह बात अनिसम्भावित जानकर कि इस बल के करने से विष्णुमित्र को हानि अथवा डर अथवा कलेश पहुंचेगा तो देवदत्त ने विष्णुमित्र के साथ अनीति बल किया॥

(इ) विष्णुमित्र एक रथ में चढ़ा जाता था देवदत्त ने विष्णुमित्र के घोड़ों के चाबुक मारकर जल्दी चलाया तो यहां देवदत्त ने घोड़ों से उनकी चलायमानता बदलाकर विष्णुमित्र की चलायमानता को बदला इसलिये देवदत्त ने विष्णुमित्र के साथ बल किया और कदाचित देवदत्त ने यह काम विष्णुमित्र की राज़ी के बिना इस प्रयोजन से अथवा यह बात अनिसम्भावित जान करके या हो इससे विष्णुमित्र को हानि अथवा डर अथवा कलेश पहुंचेगा तो देवदत्त ने अनीति बल किया॥

(उ) विष्णुमित्र पालकी में चढ़ा जाता था देवदत्त ने विष्णुमित्र के लूटने के प्रयोजन से बांस पकड़ कर पालकी ठैराली तो यहां देवदत्त ने विष्णुमित्र की चलायमानता ठैराई और यह काम उसने अपने शरीर के बल से किया इसलिये देवदत्त ने विष्णुमित्र के साथ बल किया और जो कि देवदत्त ने यह बल जानबूझ कर बिना विष्णुमित्र की राज़ी के एक अपराध करने के प्रयोजन से किया इसलिये देवदत्त ने विष्णुमित्र के साथ अनीति बल किया॥

(ए) देवदत्त ने जानबूझ कर गली में विष्णुमित्र को रेला दिया तो यहां देवदत्त ने अपने शरीर को अपने ही बल से ऐसा चलायमान किया कि वह विष्णुमित्र

को छोड़ गया इसलिये उसने जान बूझ कर विष्णु मित्र के साथ बल किया और कदाचित उसने यह काम विष्णु मित्र की राज़ी के बिना प्रयोजन से अथवा यह बात अति सम्भवित जान कर किया हो कि इस से विष्णु मित्र को हानि अथवा डर अथवा कलेश पहुंचेगा तो उसने विष्णु मित्र के साथ अनीति बल किया॥

(ऋ) देवदत्त ने एक पत्थर इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति सम्भवित जान कर फेंका कि यह पत्थर विष्णु मित्र से अथवा विष्णु मित्र के कपडों से अथवा और किसी वस्तु से जिस से विष्णु मित्र लिये जाता हो मिल जायगा अथवा पानी में लग कर विष्णु मित्र के कपडों पर या और किसी वस्तु पर जो विष्णु मित्र लिये जाता हो छींट डालेगा और कदाचित उस पत्थर के फेंकने से यह होजाय कि कुछ वस्तु विष्णु मित्र से अथवा विष्णु मित्र के कपडों से अथवा और किसी वस्तु से जो विष्णु मित्र लिये जाता हो मिल जाय तो देवदत्त ने विष्णु मित्र के साथ बल किया और कदाचित यह बात उसने विष्णु मित्र की राज़ी के बिना इस प्रयोजन से की हो कि इस से विष्णु मित्र को हानि अथवा डर अथवा कलेश पहुंचेगा तो देवदत्त ने विष्णु मित्र के साथ अनीति बल किया॥

(ॠ) देवदत्त ने जान बूझ कर किसी स्त्री का घूंघट खोल दिया तो यहां देवदत्त ने जान बूझ कर बल किया और कदाचित यह काम उसने उस स्त्री की राज़ी के बिना इस प्रयोजन से किया हो कि इस से उस को कुछ हानि अथवा डर अथवा कलेश पहुंचेगा तो उसने उस स्त्री के साथ अनीति बल किया॥

(ओ) विष्णु मित्र न्हा रहा था देवदत्त ने न्हाने की जगह में जान बूझ कर खौलता पानी डाल दिया तो यहां देवदत्त ने जान बूझ कर अपने शरीर के बल से खौलते पानी को ऐसी चलायमानता में डाला जिस से उस पानी ने विष्णु मित्र के अंग को अथवा पानी को जो इस प्रकार से रक्खा था कि उस के छूने से अवश्य विष्णु मित्र के ज्ञानेन्द्रियों को खेद पहुंचे इसलिये देवदत्त ने जान बूझ कर विष्णु मित्र के साथ बल किया और कदाचित उसने यह काम विष्णु मित्र की राज़ी के बिना

इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति सम्भावित जानकर किया हो कि इस से विष्णु मित्र को हानि या डर या कलेश पहुंचेगा तो देवदत्त ने विष्णु मित्र के साथ अनीति बल किया ॥

(औ) देवदत्त ने विष्णु मित्र की राज़ी के बिना विष्णु मित्र पर एक कुत्ता छुस्का दिया यहां कदाचित देवदत्त का प्रयोजन विष्णु मित्र को हानि या डर या कलेश पहुंचाने से हो तो उसने विष्णु मित्र के साथ अनीति बल किया ॥

दफा ३५१-जो कोई मनुष्य कुछ इशारा अथवा उपाय इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति सम्भावित जान कर करे कि इस इशारे अथवा उपाय से कोई मनुष्य जो वहां मौजूद हो यह समझे कि यह इशारा अथवा उपाय करने वाला मनुष्य मेरे साथ अनीति बल करने को है तो कहा जायगा कि उसने उठैया किया ॥

उठैया

विवेचना-केवल बात कहना उठैया न गिना जायगा परंतु कहने वाले मनुष्य के इशारों अथवा उपायों के अर्थ की बातें ऐसा कर सकेंगी जिससे इशारे अथवा उपाय उठैया के बराबर गिने जांय ॥

उदाहरण ॥

(क) देवदत्त ने विष्णु मित्र की ओर अपना घूंसा हिलाया इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति सम्भावित जानकर कि इससे विष्णु मित्र निश्चै मानैगा कि देवदत्त मुझको पीटने को है तो देवदत्त ने उठैया किया ॥

(ख) देवदत्त एक कटखने कुत्ते की अंबर कली खोलने लगा इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति सम्भावित जानकर कि इस से विष्णुमित्र निश्चै मानेगा कि देवदत्त इस कुत्ते को मेरे ऊपर छोड़ने को है तो देवदत्त ने विष्णु मित्र पर उठैया किया॥

(ग) देवदत्त ने विष्णुमित्र से कहा यह-मैं तुमको पीटूंगा एक लकड़ी उठा लैता यहां यद्यपि यह बात जो देवदत्त ने कही किसी भांति उठैया नहीं हो सकती और न

वह उपाय अर्थात् लकड़ी का उठाना डरैया गिना जाता जब तक कि उसके साथ और कोई बात न होती परंतु जब उस उपाय का अर्थ उन बातों के सामने लगाया जाय तो डरैया हो सकेगा॥

दफ़ा ३५२-जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य पर डरैया करेगा अथवा उसके साथ अनीतिबल करेगा सिवाय इसके कि उस मनुष्य को दिलाए हुए एका एकी और भारी क्रोध में आकर ऐसा काम करे उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो पांचसौ रु० तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

दंड अनीतिबल का सिवाय इसके कि भारी क्रोध दिलाने के काम के कारण किया जाय

विवेचना-एका एकी और भारी क्रोध का कारण होने से इस दफ़ा के अपराध का दंड कमती न हो सकेगा कदाचित् न वह क्रोध अपराधी ने अपराध करने के मिस को इच्छा पूर्वक पैदा कराया हो अथवा जब वह क्रोध किसी ऐसे काम से हुआ हो जो क़ानूनानुसार किया गया अथवा किसी सर्व संबंधी नोकर ने अपनी नौकरी का अधिकार क़ानूनानुसार भुगताने न दिया हो अथवा जब वह क्रोध किसी ऐसे काम से हुआ हो जो निज रक्षा के अधिकार को क़ानूनानुसार बर्तने में किया गया हो॥

यह बात देखनी कि क्रोध ऐसा एका एकी और ऐसा भारी था नहीं था जो दंड घटाने के लिये काफ़ी हो वह अदालत के आधीन होगी॥

दफ़ा ३५३-जो कोई मनुष्य डरैया अनीतिबल किसी ऐसी मनुष्य पर करेगा जो सर्व संबंधी नोकर हो और अपनी नोकरी

किसी सर्व संबंधी नौकरके साथ अनीति वल करना इसलिये कि वह अपने ओहदेका काम भुगताने से

का काम भुगताता हो अथवा इस प्रयोजन से कि वह मनुष्य अपनी नौकरी का काम भुगताने से रुक जाय या डर जाय अथवा इस कारण कि उस मनुष्य ने अपनी नौकरी का काम क़ानूनानुसार भुगताया या भुगताने का उद्योग किया उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दो वरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा ३५४-जो कोई मनुष्य वाल स्त्री पर इस प्रयोजन से अथवा यह वात सम्भवित जानकर कि इससे इस की लज्जा विगड़ेगी उठैया अथवा अनीति वल करेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो वरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

किसी स्त्री पर उसकी लज्जा विगाड़ने के प्रयोजन से उठैया अथवा अनीति वल करना-

दफ़ा ३५५-जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य की इज़्ज़त विगाड़ने के प्रयोजन से उस पर उठैया अथवा अनीति वल करेगा सिवाय इसके कि उस मनुष्य ने उसको भारी और एका एकी क्रोध होने के कारण किया हो उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दो वरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा।

किसी मनुष्य को वे इज़्ज़त करने के प्रयोजन से उठैया अथवा अनीति वल करना सिवाय इसके कि उस मनुष्य के दिलाए हुए एकाएकी और भारी क्रोध में अन्तर किया जाय-

दफ़ा ३५६-जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य से कोई वस्तु

जिसे वह पहने हो अथवा लिये जाता हो छीन लेने का उद्योग करने में उस पर उठैया अथवा अनी तिबल करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

कुछ वस्तु जिसे कोई मनुष्य लिये जाता हो छीन लेने का उद्योग करने में उठैया अथवा अनीतिबल करना

दफ़ा ३५७ - जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को अनीति निबंध में रखने में उद्योग करने में उस पर उठैया अथवा अनीतिबल करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद एक बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

अनीतिबंध में रखने का उद्योग करने में उठैया अथवा अनीतिबल करना -

दफ़ा ३५८ - जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य पर उसको दिलाए हुए एकाएकी और भारी क्रोध में आकर उठैया अथवा अनीतिबल करेगा उसको दंड साधारण क़ैद का जिसकी म्याद एक महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो दोसौ रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

एकाएकी और भारी क्रोध में आकर उठैया अथवा बल करना -

बिवेचना - पिछली दफ़ा उसी बिवेचना के आधीन होगी जिसकी की दफ़ा ३५२ है॥

*ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने और बहका ले जाने और गुलामी में रखने और बेगार कराने के विषय में

दफ़ा ३५९ - पकड़ ले जाना दो प्रकार का है हिन्दुस्तान के मं

(*एक्ट १० सन १८८२ ई० की दफ़ा ३४५ को देखो।)

मनुष्य को लेभागना — रेज़ी राज्य में से पकड़ लेजाना और नीति पूर्वक रक्षक की रक्षा में से पकड़ लेजाना॥

हिन्दुस्तान के अंग्रेज़ी राज्य में से पकड़ लेजाना —

दफ़ा ३६० — जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को बिना राज़ी उसकी के अथवा और किसी मनुष्य के जिसको क़ानूनानुसार उस की ओर से राज़ी बोलने का अधिकार हो हिन्दुस्तान के अंग्रेज़ी राज्य की सीमा से बाहर पहुंचावेगा तो कहलावेगा कि वह मनुष्य को हिन्दुस्तान के अंग्रेज़ी राज्य में से पकड़ लेगया॥

नीति पूर्वक रक्षा में से पकड़ लेजाना —

दफ़ा ३६१ — जो कोई मनुष्य किसी बालक को जिसकी अवस्था लड़का हो तो चौदह बरस से नीची और लड़की हो तो सोलह बरस से नीची हो अथवा किसी सिड़ी मनुष्य को उस के नीति पूर्वक रक्षक की रक्षा में से बिना उस रक्षक की राज़ी के ले जायगा अथवा बहका ले जायगा तो कहलावेगा कि वह उस बालक अथवा सिड़ी मनुष्य को नीति पूर्वक रक्षा में से पकड़ लेगया॥

विवेचना — इस दफ़ा में नीति पूर्वक रक्षक शब्द में कोई मनुष्य जिसको बालक अथवा सिड़ी मनुष्य की चौकसी अथवा रक्षा क़ानूनानुसार सौंपी गई हो॥

छूट — यह दफ़ा किसी ऐसे मनुष्य के काम से संबंध नहीं रखती है जो अपने शुद्धभाव से किसी कम असल बालक का बाप निश्चय मानता हो अथवा शुद्धभाव से यह जानता हो कि इस बालक को अपनी रक्षा में लेने का मैं अधिकारी हूं सिवाय इस के कि वह काम किसी दुराचार अथवा अनीति काम के निमित्त कियागया॥

दफ़ा ३६२ — जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को किसी जगह से

चले जाने के लिये बल से दबावेगा अथवा किसी को धोखे

बहकालेजाना-

से बहकावेगा तो कहा जायगा कि वह मनुष्य को बहका लेगया॥

मनुष्यकोलेभागनेकीसज़ा

दफ़ा ३६३-जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को हिन्दुस्तान के अंगरेज़ी राज्य में से अथवा उसको रक्षक की नीतिपूर्वक रक्षा में से पकड़ ले जायगा उसको दण्ड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का कियाजायगा

मारडालनेकेलियेपकड़लेजानाअथवाबहकालेजाना

दफ़ा ३६४-जो कोई किसी मनुष्य को इसलिये पकड़ लेजायगा अथवा बहका लेजायगा कि वह मनुष्य मारा जायगा अथवा ऐसी अवस्था में रक्खा जाय जिससे उसके मारे जाने की जोखिम हो उस दण्ड जन्म भर के देश निकाले का अथवा कठिन क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

उदाहरण

(अ) देवदत्त विष्णुमित्र को हिन्दुस्तान के अंगरेज़ी राज्य में से इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति सम्भवित जान कर पकड़ लेगया कि विष्णुमित्र किसी देवता के सामने बलिदान किया जाय तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया हुआ अपराध किया॥

(इ) देवदत्त यज्ञदत्त को उसके घर में से बल करके अथवा बहकाकर लेगया इस लिये कि यज्ञदत्त मारा जाय तो देवदत्त इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया॥

दफ़ा ३६५-जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को इस प्रयोजन से पकड़ लेजायगा अथवा बहका लेजायगा कि वह छुपाकर

और अनीति वंधि में डाला जाय उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

किसी मनुष्य को छुपा छुपी और अनीति रीति से वंधि में रखने के प्रयोजन से पकड़ ले जाना अथवा वहका लेजाना -

दफ़ा ३६६ - जो कोई मनुष्य किसी स्त्री को पकड़ लेजायगा अथवा वहका ले इस प्रयोजन से कि वह किसी मनुष्य के साथ अपनी राज़ी के बिना विवाह करने को दबाई जाय अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि वह इस भांति दबाई जायगी अथवा इस लिये दबाई जाय अथवा वहकाई जाय अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि वह व्यभचार करने के लिये दबाई जाय अथवा वहकाई जायगी उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

किसी स्त्री को दबाकर व्याह कराने इत्यादि के लिये पकड़ लेजाना अथवा वहका लेजाना

दफ़ा ३६७ - जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को पकड़ लेजायगा अथवा वहका ले जायगा इस प्रयोजन से कि वह मनुष्य भारी दुख अथवा गुलामी अथवा किसी मनुष्य की सुभाव विरुद्ध कामातुरता सहे अथवा ऐसी अवस्था में रक्खा जाय जहां इन बातों में से किसी के सहने की जोखिम हो अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि वह मनुष्य यह बातें सहेगा अथवा सहने की जोखिम में जायगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद

किसी मनुष्य को भारी दुख देने अथवा गुलामी में रखने इत्यादि के लिये पकड़ लेजाना

का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा श्रो
जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

दफ़ा ३६८ - जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को यह बात जान

पकड़ लेगये हुए या पकड़ लाये हुए मनुष्य को छुपाना अथवा अनीति बांधि में रखना -

बूझ कर कि यह पकड़ लाया गया अथवा बहका लाया गया है अनीति रीति से छुपावेगा अथवा बांधि में रक्खेगा उस को दंड उसी भांति किया जायगा मानो वह आप उस मनुष्य को उसी प्रयोजन से और उसी ज्ञान से अथवा उसी निमित्त पकड़ ले गया और बहका लेगया जिससे कि उसने उस मनुष्य को छुपाया अथवा बांधि में रक्खा ॥

दफ़ा ३६९ - जो कोई मनुष्य दस बरस की अवस्था नीचे के

पकड़ ले जाना अथवा बहका ले जाना दस बरस से नीचे की अवस्था के बालक का इस प्रयोजन से कि उसके शरीर पर से कुछ वस्तु चुरा ले ॥

किसी बालक को उसके शरीर पर से कुछ वस्तु बेधर्मी करके उतार लेने के प्रयोजन से पकड़ ले जायगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

दफ़ा ३७० - जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को गुलामी की भां

किसी मनुष्य को गुलाम करके बेचना अथवा अलग करना -

ति इस देश में लावेगा अथवा इस से बाहर ले जायगा अथवा एक ठौर से दूसरे ठौर पहुंचावेगा अथवा मोल लेगा अथवा बेचेगा अथवा छोड़ लेगा अथवा किसी को गुलाम की भांति स्वीकार करेगा वा लेगा या उसकी राज़ी के बिना रक्खेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य

होगा ॥

दफ़ा ३७१- जो कोई मनुष्य गुलामों को व्योहार के लिये इस

गुलामों का व्योहार

देश में लावेगा अथवा इस से बाहर ले जायगा अथवा मोल लेगा अथवा बेचेगा अथवा बेचने या खरीदने का व्योहार या व्यवसाय करेगा उसको दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा

दफ़ा ३७२- जो कोई मनुष्य सोलह बरस से कमती अवस्था

वेश्यापन इत्यादि कामों के लिये किसी बालक को बेचना या किराये पर देना-

के बालक को वेश्यापन इत्यादि कामों के लिये बेचेगा अथवा ऐसा काम लिये जाने के प्रयोजन से अथवा ऐसा काम लिया जाना अति सम्भवित जानकर बेचेगा अथवा किराये पर भेजेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

दफ़ा ३७३- जो कोई मनुष्य सोलह बरस से कमती अवस्था

वेश्यापन इत्यादि कामों के लिये किसी बालक को मोल लेना अथवा अपने पास रखना-

के किसी बालक को वेश्यापन करा ने अथवा अनीति और अधर्म का काम लिया जाना अति सम्भवित जानकर अथवा ऐसे काम के प्रयोजन कर मोल लेगा अथवा किराये पर रक्खेगा अथवा और किसी भांति अपने पास रक्खेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

दफ़ा ३७४ - जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को उसकी राज़ी के विरुद्ध अनीति रीति से दबाकर काम लेगा अर्थात् बेगार करावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

अनीति बिगार

बलसहित व्यभिचार

दफ़ा ३७५ - जो कोई मनुष्य सिवाय आगे लिखी छूट के किसी स्त्री के साथ नीचे लिखे हुए पांच प्रकारों में से किसी प्रकार से संभोग करैगा तो कहा जायगा कि उसने बलसहित व्यभिचार किया॥

बलसहित व्यभिचार

प्रथम - उसकी राज़ी के विरुद्ध -

दूसरे उसकी राज़ी के बिना -

तीसरे - उसकी राज़ी से जबके वह राज़ी उसको मृत्यु अथवा दुःख का डर दिखाकर लीगई हो -

चौथे - उसकी राज़ी से जबकि वह पुरुष जानता हो कि मैं उसका पति नहीं हूं और इसके राज़ी होने का हेतु यह है कि मुझको कोई दूसरा पुरुष जानती है जिसको वह नीति पूर्वक व्याही है अथवा व्याही हुई मान रही है॥

पांचवें - उसकी राज़ी से चाहे बिना राज़ी जबकि वह बारह बरस से कमती अवस्था की हो॥ ×

बिवेचना - प्रवेश का हो जाना उस संभोग में जो बलसहित व्यभिचार के अपराध के लिये अवश्य है काफ़ी समझा जायगा -

× शब्द बारह - असल शब्द दस - की जगह एक १० सन् १८९१ ई० की दफ़ा १ के ज़रिया से क़ायम किया गया॥ दरबारह बेत मारने के देखो एक ६ सन १८९२ ई० की दफ़ा ४ व ६ -

छूट - अपनी जोरू के साथ जबकि वह बारह बरस से कमती अवस्था की न हो संभोग करना बल सहित व्यभचार न गिना जायगा॥

दफ़ा ३७६ - जो कोई मनुष्य बल सहित व्यभचार करेगा उस को दंड जन्मभर के देश निकाले अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

बल सहित व्यभचार का दंड -

(स्वभाव विरुद्ध अपराध)

दफ़ा ३७७ - जो कोई मनुष्य जान मान कर किसी पुरुष अथवा स्त्री अथवा पशु के साथ प्रकृति की रचना के विरुद्ध संभोग करेगा उसको दंड जन्म भर के देशनिकाले का [illegible] में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दस [illegible] तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

स्वभाव विरुद्ध अपराध -

विवेचना - जो संभोग कि इस दफ़ा में वर्णन किये हुए अपराध के लिये अवश्य है उस में प्रवेश का होना काफ़ी समझा जायगा॥

अध्याय १७

(धन संबंधी अपराधों के विषय में)

सिरके के वर्णन में

दफ़ा ३७८ - जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य के क़ब्ज़े में कुछ अस्थावर वस्तु उस की राज़ी के बिना बेधर्मई से ले जाने के

[illegible] -

[illegible] वाजिब है कि उन अपराधों की मुख़बरी करें जो तहत दफ़ा ३७८ क़ायम [illegible] - देखो ऐक्ट १० सन् १८८२ ई० की दफ़ा ४४)

प्रयोजन से उस वस्तु को इस भांति ले जाने के लिये उठावेगा
तो कहा जायगा कि उस ने चोरी की॥

विवेचना-१- कोई वस्तु जब तक कि वह धरती से लगी हुई
हो अस्थावर नहीं है इस लिये चोरी नहीं जासक्ती परंतु
जभी धरती से छुड़ाई जाय चोरी जासक्ती है॥

विवेचना-२-हटाना किसी वस्तु का वही काम करके जिस
से उस का छुड़ाना होता है चोरी गिनी जा सकेगी॥

विवेचना-३-जैसे कोई मनुष्य किसी वस्तु का हटानेवाला
कहलाता है जब कि वह उस वस्तु को उस की जगह से हटा
ऐसेही उस अवस्था में भी कहलावेगा जब कि उस रोक
को जिससे वह वस्तु अपनी जगह से हटने से रुक रही हो
हटावे अथवा जब कि उस को किसी दूसरी वस्तु से अ-
लग करे॥

विवेचना-४- कोई मनुष्य जो किसी पशु को किसी उपा
य से हटावे उस पशु का और प्रत्येक वस्तु का जिससे व
ह पशु अपने इस भांति हटाये जाने के कारण हटाये ह
टाने वाला कहलावेगा॥

विवेचना-५- वह राज़ी जिस का ज़िकर इस अपराध के
लक्षण में आया है चाहे प्रगट दी गई हो चाहे अप्रगट
और चाहे उस मनुष्य ने दी हो जिस के क़ब्ज़े में वह वस्तु है
चाहे और किसी मनुष्य ने जिस को उस के देने का अ-
धिकार प्रगट या प्राप्त हो॥

(उदाहरण)

(अ) देवदत्त ने विष्णुमित्र की धरती का कोई पेड़ काटा इस प्रयोजन से कि वि
ना विष्णुमित्र की राज़ी के उस पेड़ को विष्णुमित्र के क़ब्ज़े में से बेधर्मई करके

उठा ले जाय तो यहां जिस समय देवदत्त ने इस प्रकार से ले जाने के लिये पेड़ काटा उसी समय चोर हो गया॥

(ड) देवदत्त ने कुत्ते के पीटने की वस्तु अपनी जेब में रख ली और इस प्रकार से विष्णुमित्र के कुत्ते को अपने संग लगा लिया यहां कदाचित् देवदत्त का प्रयोजन उस कुत्ते को विष्णुमित्र के कब्ज़े में से बिना विष्णुमित्र की राज़ी के बेधर्मई से ले जाने का हो तो जिस समय विष्णुमित्र का कुत्ता देवदत्त के संग चला उसी समय देवदत्त चोर होगया॥

(उ) देवदत्त को कोई बैल खज़ाने के सन्दूक से लदा हुआ मिल गया और उस ने उस बैल को किसी ओर इस प्रयोजन से हांक दिया कि खज़ाने को बेधर्मई से लेले तो जिस समय बैल हांका उसी समय देवदत्त खज़ाने का चोर होगया॥

(ऋ) देवदत्त जो विष्णुमित्र का नौकर था उसको चौकसी में विष्णुमित्र की राज़ी के बिना देवदत्त लेकर भाग गया तो देवदत्त चोर हुआ॥

(ऌ) विष्णुमित्र ने देशाटन को जाते समय अपने चांदी सोने के बर्तन देवदत्त जो मालिक किसी गोदाम का था अपने लौट आने तक के लिये सौंप दिये देवदत्त ने उन बर्तनों को किसी सुनार के पास ले जाकर बेंच दिया तो यहां बर्तन विष्णुमित्र के कब्ज़े में न थे इसलिये विष्णुमित्र के कब्ज़े से उन का खोजाना भी नहीं हो सका और न देवदत्त चोर हुआ यद्यपि उसने धरोहर दंड योग्य विश्वासघात किया हो॥

(ए) देवदत्त ने विष्णुमित्र की अंगूठी किसी मेज़ पर रक्खी हुई पाई जिस घर में कि विष्णुमित्र रहता था पाई यहां वह अंगूठी विष्णुमित्र के कब्ज़े में थी और कदाचित् देवदत्त उसको बेधर्मई से उठा ले जाता तो चोर होता॥

(ऐ) देवदत्त ने एक अंगूठी जो किसी मनुष्य के कब्ज़े में न थी सड़क पर पड़ी पाई तो देवदत्त उसके उठा लेने से चोर न होगा यद्यपि यह हो सकेगा कि उसने दंड योग्य न सरूप किया॥

(ओ) देवदत्त विष्णुमित्र की अंगूठी विष्णुमित्र के घर में मेज़ पर पड़ी देखी परन्तु तलाशी होने और पास निकल आने के डर से देवदत्त को आवना पड़ा कि तुरंत उस अंगूठी को

तसर्रुफ़ करे पर तु उसने अंगूठी को ऐसी ठौर जहां कुछ सम्भवित नथा कि विष्णु मित्र उस को कभी पालेगा छुपादिया इस प्रयोजन से कि इस अंगूठी का खोजाना विष्णु मित्र भूल जायगा तव मैं इस ठौर से निकाल इस को बेच डालूंगा तो यहां देवदत्त उस अंगूठी को पहलेही उठाते समय चोर होगया॥

(अ) देवदत्त ने अपनी घड़ी मरम्मत के लिये विष्णुमित्र किसी घड़ी वनाने वाले को दी और विष्णु मित्र उसे अपनी दुकानपर लेगया और देवदत्त पर विष्णुमित्र का कुछ ऐसा करज़ नहीं आता था जिसके वदले वह उस घड़ी को क़ानूनानुसार द्वार रख सकता देवदत्त खुला खुली दुकान में चला गया और विष्णु मित्र के हाथ से जवरदस्ती अपनी घड़ी लेकर चला आया तो यहां यद्यपि देवदत्त ने अपराध मुदाखलत वेजा और उठैया का किया हो परंतु चोरी नहीं की परंतु जो कुछ किया सो वेधर्मेई से नहीं किया॥

(अः) कदाचित देवदत्त घड़ी की मरम्मत के वदले विष्णु मित्र का कुछ धराता होता और विष्णु मित्र उस घड़ी को ज़ामिनी की भांति क़ानूनानुसार द्वार रख सकता और तव देवदत्त और तव देवदत्त उस घड़ी को विष्णुमित्र के क़ब्ज़े से यह प्रयोजन करके कि विष्णुमित्र के पास उस वस्तु को उस के धराने की भांति न रहने दे ले जाता तो चोर कहलाता क्योंकि तव ले जाना उसका वेधर्मेई से होता॥

(क) और कदाचित देवदत्त अपनी घड़ी को विष्णुमित्र के पास गहने रखकर विष्णु मित्र के क़ब्ज़े से विना उस की राज़ी के और विना चुकाने उस रिण के जो घड़ी पर लिया था ले जाता तो यद्यपि घड़ी उस का माल था देवदत्त चोर होता क्योंकि तव ले जाना उसका वेधर्मेई से होता॥

(ख) देवदत्त विष्णु मित्र की कोई वस्तु विष्णु मित्र के क़ब्ज़े से विना उस की राज़ी के ले ली इस प्रयोजन से कि जव तक कि विष्णुमित्र के उस के फिर पाने के वदले कुछ इनाम न पाऊंगा तव तक उस को अपने पास रक्खूंगा तो यहां देवदत्त ने वह वस्तु वेधर्मेई से ली इसलिये देवदत्त चोर हुआ॥

(ग) देवदत्त का व्यवहार विष्णुमित्र के साथ मित्रता का था और विष्णु मित्र के पुस्त

लय में उस समय जबकि विष्णुमित्र मौजूद न था गया और एक पुस्तक को बिना विष्णुमित्र की प्रगट राज़ी के केवल पढ़ने के लिये उठा लाया इस प्रयोजन से कि फिर फेर दूंगा तो यहां संभवित है कि देवदत्त ने यह जाना हो कि इस पुस्तक को पढ़ने के लिये ले जाने की मुझ को विष्णुमित्र की आज्ञा है और वह आज्ञा यद्यपि प्रगट नहीं है परंतु समझी गई है और कदाचित देवदत्त ऐसा ही समझा हो तो उसने चोरी नहीं की॥

(त) देवदत्त विष्णुमित्र की स्त्री से कुछ ख़ैरात मांगी और उसने देवदत्त को द्रव्य और भोजन और वस्त्र जिनको देवदत्त जानता था कि उसके पति बिष्णुमित्र के हैं दिये यहां देवदत्त का समझना संभवित है कि विष्णुमित्र की स्त्री को ख़ैरात देने का अधिकार था और कदाचित देवदत्त ऐसा ही समझा हो तो उसने चोरी नहीं की।

(छ) देवदत्त विष्णुमित्र की स्त्री का यार था उस स्त्री ने देवदत्त को कुछ मोलदार वस्तु जिस को देवदत्त जानता था कि उसके पति विष्णुमित्र की है और ऐसी वस्तु दे देने का अधिकार उस स्त्री को विष्णुमित्र से नहीं मिला है दे दी तो कदाचित देवदत्त ने वह वस्तु बेधर्मई से ली तो चोर हुआ॥

(ज) देवदत्त ने शुद्ध भाव से विष्णुमित्र की किसी वस्तु को अपनी वस्तु जान कर यज्ञदत्त के पास से ले लिया तो यहां देवदत्त ने वह वस्तु बेधर्मई से नहीं ली॥

दफ़ा ३७९ - चोरी का दंड - जो कोई मनुष्य चोरी करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा ३८० - चोरी किसी मकान अथवा तंबू अथवा नाव में - जो कोई मनुष्य किसी ऐसे मकान या तंबू अथवा नाव में जो मनुष्य के रहने की जगह की भांति अथवा माल असबाब रखने के लिये काम में हो चोरी करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया

जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

दंड वेत मारने के विषय में देखो दफ़ा ३ व ३ ऐक नम्बर ६ सन् १८६४ ई०)

दफ़ा ३८१ - जो कोई मनुष्य गुमाश्ता अथवा नौकर होकर अथवा गुमाश्ते या नौकर के काम पर होकर कुछ वस्तु अपने मालिक अथवा पर लगाने वाले के पास से चुरावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

जब कोई गुमाश्ता अथवा नौकर अपने मालिक के पास से कोई वस्तु चुरावे-

दफ़ा ३८२ - जो कोई मनुष्य चोरी करने के लिये अथवा चोरी करके भाग जाने के लिये अथवा चोरी के माल को बचा रखने के लिये किसी की मृत्यु करने अथवा दुख देने अथवा रोक रखने अथवा मृत्यु या दुख या रोक का डर दिखाने का उपाय करके चोरी करेगा उस को दंड कठिन क़ैद का जिस की म्याद दस बरस तक हो सके भी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

चोरी करने के प्रयोजन से किसी को मार डालने अथवा दुख पहुंचाने का उपाय करके चोरी करना

उदाहरण॥

(अ) देवदत्त ने विष्णुमित्र के क़ब्ज़े से चुराया और चोरी करते समय एक भरा हुआ तमंचा अपने कपड़े के नीचे रख लिया इस निमित्त कि कदाचित विष्णुमित्र को इस तमंचे से मार दूंगा तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया॥

(इ) देवदत्त ने विष्णुमित्र की जेब काटी और उस समय अपने कई साथियों को विष्णुमित्र के दायें बायें इसलिये लगा रक्खा कि कदाचित विष्णुमित्र जेब काटते हुए देख ले और रोकना चाहै अथवा देवदत्त को पकड़ने का उद्योग करे तो उस को रोक लें इसलिये देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया॥

दबाकर लेने के विषय में

दबाकर लेना

दफा ३८३ - जो कोई मनुष्य प्रयोजन करके किसी मनुष्य को कुछ डर हानि पहुंचाने का दिखायेगा चाहे डर उसी मनुष्य की हानि का जिससे डर दिखाया गया चाहे और किसी का और इस उपाय से कुछ वस्तु अथवा दस्तावेज़ अथवा मुहर या दस्तखत की हुई वस्तु जिस से दस्तावेज़ बन सके उस मनुष्य से जिस को डर दिखाया बेधर्मई करके किसी को दिलावेगा दबाकर लेने वाला कहलावेगा॥

उदाहरण॥

(अ) देवदत्त ने धमकी दी कि जो विष्णुमित्र इतना रुपया मुझको न देगा तो मैं उस की बाबत कोई बात प्रगट कर दूंगा और इस उपाय से उसने विष्णुमित्र को दबाकर रुपया लिया तो देवदत्त ने दबाकर रुपया लेने का अपराध किया॥

(ब) देवदत्त ने विष्णुमित्र को धमकी दी मैं तेरे बालक को अनीति बंधि में रखूंगा नहीं तो अपने दस्तखत करके मुझको एक तमस्सुक दे दे जिस में लिखा हो कि विष्णुमित्र मुझको इतना रुपया देगा विष्णुमित्र ने दस्तखत करके तमस्सुक उसको दे दिया तो देवदत्त लेने का अपराधी हुआ॥

(उ) देवदत्त ने विष्णुमित्र को धमकी दी कि मैं लठैत भेजकर तेरा खेत जुतवा लूंगा नहीं तो अपने दस्तखत करके एक तमस्सुक यज्ञदत्त को इस बात का लिखदे कि विष्णुमित्र फलानी पैदावारी यज्ञदत्त को देगा और न दे तो इतने जरीमाने के पात्र होगा - देवदत्त ने इस भांति दबाकर तमस्सुक पर विष्णुमित्र के दस्तखत करालिये तो देवदत्त ने दबाकर लेने का अपराध किया॥

(स) देवदत्त ने विष्णुमित्र को भारी दुख पहुंचाने की धमकी से दबाकर बेधर्मई से कोरे कागज़ पर दस्तखत करालिये तो यहां वह कागज़ जिस पर इस भांति दस्तखत कराये गये दस्तावेज़ बन सकती है इसलिये देवदत्त दबाकर लेने का अपराधी हुआ॥

दफ़ा ३८४ - जो कोई मनुष्य दबाकर लेने का अपराधी होगा

दबाकर लेने का दंड

उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा ३८५ - जो कोई मनुष्य दबाकर लेने का अपराध करने के

दबाकर लेने के लिये किसी मनुष्य को हानि पहुंचाने का डर दिखाना

लिये किसी मनुष्य को कुछ हानि पहुंचाने का डर दिखावेगा अथवा डर दिखाने का उद्योग करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा ३८६ - जो कोई मनुष्य दबाकर लेने का अपराध कि

किसी मनुष्य को मृत्यु अथवा भारी दुख का डर दिखाकर दबाकर लेना

सी मनुष्य को मृत्यु अथवा भारी दुख का डर दिखाकर करेगा चा हे वह डर उसी मनुष्य की मृत्यु अथवा भारी दुख का हो जिस को डर दिखाया गया चाहे और किसी की उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

दफ़ा ३८७ - जो कोई मनुष्य दबाकर लेने के लिये किसी मनुष्य

दबाकर लेने के लिये किसी मनुष्य को मृत्यु अथवा भारी दुख का डर दिखाना

को मृत्यु अथवा भारी दुख का डर दिखावेगा अथवा दिखाने का उद्योग करेगा चाहे वह डर उसी मनुष्य की मृत्यु अथवा भारी दुख का हो जिसको डर दिखाया गया चाहे और किसी की उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

दफ़ा ३८८- जो कोई मनुष्य दबाकर लेनेका अपराध किसी मनुष्य को डर इस बात का दिखाकर करे कि मैं तुझको अथवा और किसी मनुष्य को तुहमत ऐसे किसी अपराध के करने की अथवा करने का उद्योग करने की अथवा करने के लिये किसी मनुष्य को वहकाने की लगाऊंगा जिस का दंड वध अथवा जन्म भर का देशनिकाला अथवा दस बरस तक की क़ैद है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दस बरस तक हो सकेगी दिया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

वध अथवा देशनिकाले का इत्यादि दंड के योग्य किसी अपराध की तोहमत लगाने का डर दिखाकर दबाकर लेना-

और अगर वह अपराध इस संग्रह की दफ़ा ३७७ के अनुसार दंड योग्य हो तो जन्म भर के देशनिकाले का दंड हो सकेगा-

दफ़ा ३८९- जो कोई मनुष्य दबाकर लेने का अपराध करने के लिये किसी मनुष्य को डर इस बात का दिखावैगा अथवा दिखाने का उद्योग करेगा कि मैं तुझको अथवा और किसी मनुष्य को तुहमत ऐसे अपराध के करने की अथवा उद्योग करने की जिस का दंड वध अथवा जन्म भर का देशनिकाला अथवा दस बरस तक की क़ैद है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

दबाकर लेने के प्रयोजन से किसी मनुष्य को अपराध लगाने की तुहमत का डर दिखाना-

और कदाचित वह अपराध इस संग्रह की दफ़ा ३७७ के अनुसार दंड के योग्य हो तो जन्म भर के देशनिकाले का हो सकेगा॥

बल सहित चोरी और ड
कैती के विषय में

दफ़ा ३९०- जोरी में या तो चोरी होती है या दवा कर लेना-
कदाचित चोरी करने के लिये अथवा चोरी करने में अथवा
चोरी का माल ले जाने का उद्योग करने में अ
पराधी जान मान कर किसी मनुष्य को मृत्यु अथ
वा दुख अथवा अनीति बंधि करे अथवा करने का उद्योग क
रे अथवा डर तत्काल मृत्यु का अथवा तत्काल दुख का अथ
वा तत्काल अनीति बंधि का दिखावे तो वह चोरी जोरी गिनी
जायगी॥

चोरी कब जोरी गिनी जायगी-

कदाचित दवा कर लेने का अपराध करते समय अपराधी
र दिखाये हुए मनुष्य के सामने हो और उस मनु
ष्य को डर उस को या और किसी मनुष्य को त
त्काल मृत्यु करने अथवा तत्काल दुख देने का अथवा तत्का
ल अनीति बंधि में रखने का दिखावे और इस भांति डर दि
खा कर उस का डर दिखाये हुए मनुष्य से उसी समय औ
र उसी स्थान पर दवा कर कुछ ले ले जो ऐसा दवा कर लेना
जोरी गिना जायगा॥

दवा कर लेना कब जोरी कहलावेगा-

विवेचना- अपराधी का सामने हो ना ही कहा जायगा जब
कि वह इतना नगीच हो कि उस मनुष्य को डर तत्काल मृत्यु
अथवा तत्काल दुख अथवा तत्काल अनीति बंधि का दि
खा सके॥

उदाहरण

(अ) देवदत्त ने विष्णुमित्र को दपोच लिया और दैना विष्णुमित्र की राज़ी के ब

करके विष्णु मित्र की द्रव्य और गहना और वस्त्रों में से ले लिया यहां देवदत्त ने चो
री की और उस चोरी के करने के लिये विष्णुमित्र को जानमान कर अनीति बांधि
ने में रक्खा इसलिये देवदत्त ने जोरी की॥

(ङ) देवदत्त को विष्णुमित्र सड़क पर मिला देवदत्त ने विष्णुमित्र को तमंचा दिख
या और उसकी थैली मांगी विष्णुमित्र ने डर के मारे थैली दे दी तो यहां देवदत्त
ने विष्णुमित्र को तत्काल दुःख का डर दिखाकर थैली दबाकर ली और दबा
कर लेने का अपराध करने के समय उस के सामने था इसलिये देवदत्त ने जोरी की॥

(च) देवदत्त को विष्णुमित्र और विष्णुमित्र का बालक सड़क पर मिले देवदत्त
ने उस बालक को पकड़ लिया और विष्णुमित्र को धमकी दी कि तू अपनी थैली
मुझे न देगा तो मैं इस बालक को खार में फेंक दूंगा विष्णुमित्र ने डर के मारे थैली
दे दी तो यहां देवदत्त ने विष्णुमित्र को उस बालक को जो वहां मौजूद था तत्काल
दुःख देने का डर दिखाकर विष्णुमित्र से थैली दबाकर लेली इसलिये देवदत्त
ने विष्णुमित्र के साथ जोरी की॥

(छ) देवदत्त ने विष्णुमित्र से कुछ माल यह कहकर लिया कि तेरा बालक हमारी जमा
अत के साथ में है जो तू दस हज़ार रुपये हमको न भेज देगा तो वह बालक मारा
जायगा यह दबाकर लेना हुआ और उसी अनुसार दंड योग्य हुआ परं
तु जोरी नहीं हुई क्यों कि विष्णुमित्र को उसके बालक की तत्काल मृत्यु का डर
नहीं दिखाया॥

दफ़ा ३९१ - जब पांच अथवा पांच से अधिक मनुष्य मिलकर जोरी करें या करने करने का उद्योग करें या करने का उद्योग करने में सहाय ता दें पांच अथवा पांच से अधिक होवें उन में से हर एक मनुष्य डकैती करने वाला कहलावेगा॥

डकैती

दफ़ा ३९२ - जो कोई मनुष्य जोरी करैगा उस को दंड कठिन कैद का जिस की म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

जोरी का दंड

श्रोर कदाचित जोरी सूरज उगने श्रोर सूरज डूबने के बीच में सड़क पर की जाय तो क़ैद की म्याद चोदह वरस तक हो सकेगी॥

दफ़ा ३९३- जो कोई मनुष्य जोरी करने का उद्योग करेगा उस को दंड कठिन क़ैद का जिसकी म्याद सात वरस तक हो सकेगी किया जायगा श्रोर जरीमाने के भी योग्य होगा॥

जोरी के उद्योग का दंड

दफ़ा ३९४- कदाचित कोई मनुष्य जोरी करने में जान मान कर दुख पहुंचावेगा तो उस मनुष्य को श्रोर हर एक मनुष्य जो उस का साथी जोरी करने में अथवा जोरी करने का उद्योग करने हो दंड जन्म भर के देश भर के देश निकाले का अथवा कठिन क़ैद का जिस की म्याद दस वरस तक हो सकेगी किया जायगा श्रोर जरीमाने के भी योग्य होगा॥

जोरी करने में जान मान कर दुख पहुंचाना-

दफ़ा ३९५- जो कोई मनुष्य डकैती करेगा उस को दंड जन्म भर के देश निकाले का जिस की म्याद दस वरस तक हो सकेगी किया जायगा श्रोर जरीमाने के भी योग्य होगा॥

डकैती करने का दंड

दफ़ा ३९६- कदाचित उन पांच अथवा पांच से अधिक मनुष्यों में से मिल कर डकैती करने में कोई एक भी स्नात घात करेगा तो उन मनुष्यों में से हर एक को दंड वध का अथवा जन्म भर के देश निकाले का या कठिन क़ैद का जिस की म्याद दस वरस तक हो सकेगी किया जायगा श्रोर जरीमाने के भी योग्य होगा॥

डकैती के साथ स्नात घात

दफ़ा ३९७- कदाचित जोरी अथवा डकैती करते समय अपराधी किसी म्यत्यु कारी हथियार को काम में लावेगा या-

जोरी अथवा डकैती के साथ मृत्यु अथवा भारी दुख करने का दंड -

किसी मनुष्य को भारी दुख पहुंचावेगा अथवा किसी मनुष्य को मृत्यु अथवा भारी दुख पहुंचाने का उद्योग करेगा तो जिस क़ैद का दंड ऐसे अपराधी को किया जायगा उस की म्याद सात बरस से कम न होगी -

दफ़ा ३९८ - कदाचित जोरी या डकैती का उद्योग करते समय

मृत्युकारी हथियार बांधकर जोरी अथवा डकैती का उद्योग -

अपराधी कुछ मृत्युकारी हथियार बांधे होगा तो जिस क़ैद का दंड ऐसे अपराधी को किया जायगा उसकी म्याद सात बरस से कम तो न होगी ॥

दफ़ा ३९९ - जो कोई मनुष्य डकैती करने के लिये सामान करेगा उसको दंड कठिन क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

डकैती करने के लिये तैयारी करना -

दफ़ा ४०० - जो कोई मनुष्य इस क़ानून के जारी होने के पीछे कभी ऐसे मनुष्यों की जमायत में रहेगा जो डकैती का उद्यम करने के लिये मेल रखते हों उस को दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा कठिन क़ैद का जिस की म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

डकैती की जमायत में रहने का दंड -

दफ़ा ४०१ - जो कोई मनुष्य इस क़ानून के जारी होने से पीछे कभी ऐसे मनुष्यों की किसी ऐसे डामाडोल जमायत में रहेगा जो चोरी अथवा जोरी का उद्यम करने के लिये मेल रखते हों और वह जमायत ठगों की अथवा डकैतों की न हो उसको दंड कठिन क़ैद का सात बरस

चोरों की डामाडोल जमायत में रहने का दंड

तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा

दफ़ा ४०२-जो कोई मनुष्य इस क़ानून के जारी होने के पीछे कभी किसी ऐसे पांच अथवा पांच से अधिक मनुष्यों में से होगा जो डकैती करने के प्रयोजन से इकट्ठा हुए हों उसको दंड कठिन क़ैद का जिसकी म्याद वरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा

डकैती करने के निमित्त इकट्ठा होना

मालके तसरुफ़ बेजा का अपराध

दफ़ा ४०३-जो कोई मनुष्य बेधर्मई से किसी अस्थावर वस्तु को बेजा तसरुफ़ करेगा अथवा अपने काम में ले आवेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दो वरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का भी अथवा दोनों का किया जायगा॥

बेधर्मई से मालका तसरूफ़ बेजा करना-

उदाहरण

(अ) देवदत्त ने विष्णुमित्र का कुछ माल विष्णुमित्र के पास से शुद्ध भाव से लेने समय यह निश्चै मानकर कि यह माल मेरा है लेलिया तो देवदत्त चोरी का अपराधी नहुआ परंतु जो देवदत्त अपनी भूल को जानकर भी बेधर्मई से उस माल को अपने काम में लावे तो इस दफ़ा के अपराध का अपराधी होगा॥

जिस वस्तु को काम में लाने का अधिकार न हो उसको काम में लाना अथवा ...करना-

देवदत्त को विष्णुमित्र से मित्रता थी इस लिये विष्णुमित्र की ग़ैर हाज़िरी में ...मित्र के पुस्तकालय में गया और विना विष्णुमित्र की स्पष्ट आज्ञा के एक ... लेगया तो यहां कदाचित देवदत्त को यही मालूम रहा हो कि मैं पढ़ने के ... पुस्तक के ले जाने की मुझ को समझी हुई आज्ञा है तो देवदत्त ने चोरी नहीं

की परंतु जो देवदत्त फिर पीछे उस पुस्तक को अपने काम के लिये बेच डाले तो इस दफ़ा के अनुसार अपराधी होगा॥

(ज) देवदत्त और यज्ञदत्त साझे में किसी घोड़े के मालिक थे देवदत्त घोड़े को यज्ञदत्त के पास से अपने काम में लाने के लिये लेगया तो यहां देवदत्त उस घोड़े को काम में लाने का अधिकारी था इसलिये उसने उस को बेधर्मई से तसर्रुफ़ नहीं किया परंतु जो देवदत्त उस घोड़े को बेचकर सब दाम अपने ही काम में ले आता तो इस दफ़ा के अनुसार अपराध का अपराधी होता॥

विवेचना - तसर्रुफ़ बेजा जो केवल कुछ समय के लिये बेधर्मई से किया जाय तो भी इस दफ़ा के अर्थ अनुसार तसर्रुफ़ बेजा गिना जायगा॥

उदाहरण

देवदत्त ने एक गवर्नमेन्ट का प्रामेसरी नोट जो विष्णुमित्र का माल था और जिस की पीठ पर बिक्री बिना नाम के लिखी थी पाया देवदत्त ने यह बात जानमान कर कि यह नोट विष्णुमित्र का है उस को किसी साहूकार के पास यह प्रयोजन करके गहने रखदिया कि आगे किसी समय इस को विष्णुमित्र को फेर दूंगा तो देवदत्त ने इस दफ़ा के अनुसार अपराध किया॥

विवेचना २ - जो कोई मनुष्य कुछ ऐसा माल जो किसी और मनुष्य का क़बज़ा न हो उस मालिक की तरफ़ से चौकसी में रखने अथवा मालिक के फेर देने के प्रयोजन से उठा ले तो बेधर्मई से लेना अथवा तसर्रुफ़ बेजा करना न करना कहलावेगा और न वह किसी अपराध का अपराधी गिना जायगा - परंतु वह ऊपर लक्षण किये हुए अपराध का अपराधी होजायगा कदाचित उस माल को उसने यह बात जान बूझ कर अथवा जानलेने का अवसर पाकर कि इस का मालिक फलाना है अथवा मालिक के ढूंढने और इत्तलाय देने के लिये यथोचित उपाय करने और

जितने समय तक मालिक की ओर से दावा होने के लिये उस मा-
लिक को अपने पास रखलेना उचित हो उतने समय तक रख
लेने से अपने काम में ले आवे-यह बात कि ऐसे मुकद्दमें में
उचित उपाय क्या है अथवा उचित समय कितना है निर्णय
करनी होगी ॥

यह कुछ अवश्य नहीं है कि पानेवाला जानता है कौन इस
माल का मालिक है अथवा यह कि फ़लाना मनुष्य इसका
मालिक है किन्तु इतनाही काफ़ी होगा कि तसर्रुफ़ करते स-
मय वह उस माल को अपना न जानता हो अथवा शुद्ध भाव से
निश्चय न रखता हो कि इसका असल मालिक मिल नहीं स-
कता है ॥

उदाहरण

(अ) देवदत्त ने एक रुपया सड़क पर पाया और न जाना किसका है देवदत्त ने उस
रु० को उठा लिया तो देवदत्त ने इस दफ़ा का तसर्रुफ़ किया हुआ अपराध नहीं
(ख) देवदत्तने सड़क पर एक चिट्ठी पाई जिसमें एक हुंडी सी थी सरनामे से और
चिट्ठी के लेख से उसने जान लिया कि यह हुंडी फ़लाने मनुष्य की है और हुं
को तसर्रुफ़ किया तो देवदत्तने इस दफ़ा के अनुसार अपराध किया।
(ग) देवदत्त ने एक रुक्का पाया जिसका रुपया धनी को मिल सकता था पाया
और यह निश्चय न किया कि इसका खोनेवाला कौन है परंतु जिस मनुष्य ने
वह रुक्का लिखा था उसका नाम निकल आया और देवदत्त ने जान लिया
कि इस का लिखने वाला पता इसके मालिक का बतला सकेगा फिर भी देव
दत्त मालिक के ढूंढ़ने का कुछ उपाय किये बिना उस रुक्के को अपने काम में ला
तो इस दफ़ा के अनुसार अपराध का अपराधी हुआ ॥
(घ) देवदत्त ने विष्णुमित्र के पास से एक थैली जिसमें कुछ द्रव्य थी गिरते दे
खी और देवदत्त ने वह थैली यह विचार कर कि विष्णुमित्र को फेर दूंगा उठा

परंतु फिर पीछे अपने काम में लाया तो देवदत्त ने इस दफ़ा के अनुसार अपराध किया ॥

(ल) देवदत्त ने एक थैली जिस में रुपये थे पाई और यह न जाना कि किसकी है परंतु पीछे जान लिया कि विष्णुमित्र की है और फिर भी उस को अपने काम में ले आया तो देवदत्त इस दफ़ा के अपराध का अपराधी है ॥

(ए) देवदत्त ने एक बड़े मोल की अंगूठी पाई और न जाना कि यह किस की है फिर देवदत्त ने यह अंगूठी मालिक को उद्योग किये बिना तुरंत बेंच डाली तो देवदत्त इस दफ़ा के अपराध का अपराधी हुआ ॥

बेधर्मई से तसर्रुफ़ करना किसी माल को जो किसी मेरहुए मनुष्य के कब्ज़े में उसके मरने के समय रहा हो —

दफ़ा ४०४ — जो कोई मनुष्य बेधर्मई से किसी माल को यह बात जानकर कि यह माल फलाने मनुष्य के क़ब्ज़े में उस मनुष्य के मरते समय था और तब से किसी ऐसे मनुष्य के क़ब्ज़े में नहीं रहा है जो इस पर क़ब्ज़ा पाने का क़ानूनानुसार अधिकारी हो तसर्रुफ़ करेगा अथवा अपने काम में लावेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और कदाचित अपराधी उस मनुष्य के मरने समय उस का गुमाश्ता अथवा नौकर रहा हो तो म्याद सात बरस तक हो सकेगी ॥

उदाहरण ॥

मरते समय विष्णुमित्र का क़ब्ज़ा कुछ असबाब और द्रव्य पर था उसकी नौकर देवदत्त उस द्रव्य को किसी ऐसे मनुष्य के क़ब्ज़े में जो क़ब्ज़ा पाने का अधिकारी था आने से पहले बेधर्मई से तसर्रुफ़ कर गया तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया ॥

दंडयोग्य विश्वासघात

दफ़ा ४०५ — जो कोई मनुष्य सुपुर्देदार किसी भांति किसी माल का अथवा माल के बंदोबस्त का होकर क़ानून की किसी आज्ञा को जिसमें ऐसी सुपुर्देदारी के बर्तने की रीति ठहराई गई हो अथवा किसी प्रगट या अप्रगट नीति पूर्वक कौल करार को जो उस सुपुर्देदारी के मध्ये वह कर चुका हो तोड़ कर उस माल को बेधर्मई से तसरुफ़ करेगा अथवा अपने काम में लावेगा अथवा बेधर्मई से उस से काम निकालेगा या उस को दूर करेगा अथवा जानमान कर किसी दूसरे मनुष्य को ऐसा करने देगा तो दंड योग्य विस्वास घात का अपराधी कहलावेगा ॥

दंड योग्य-विश्वासघात

उदाहरण

(अ) देवदत्त ने जो किसी मरे हुए मनुष्य का वसी था उल्लंघन उस क़ानून का करके जिसमें उस को आज्ञा थी कि वसीयत नामे के अनुसार माल असबाब को बांट दे बेधर्मई से माल असबाब को अपने काम में तसर्रुफ़ किया तो देवदत्त ने दंडयोग्य विस्वास घात किया ॥

(इ) देवदत्त एक गोदाम का मालिक था विष्णुमित्र सफर को जाते हुए समय कुछ माल देवदत्त को सौंप गया और वह कौल करार ठेराया कि जब विष्णुमित्र गोदाम के भाड़े का इतना रुपया दे देगा अपना माल फेर लेगा देवदत्त ने उस माल को बेधर्मई से बेंच लिया तो देवदत्त ने दंड योग्य विस्वास घात किया ॥

(उ) कलकत्ते का रहने वाला देवदत्त दिल्ली के रहने वाले विष्णुमित्र का आढ़तिया था और उनके आपस में प्रगट अथवा अप्रगट यह कौल करार था कि जो कुछ रु० विष्णुमित्र देवदत्त के पास भेजे उस को देवदत्त विष्णुमित्र की आज्ञा के अनुसार लगावे विष्णुमित्र ने एक लाख रुपया देवदत्त के पास इस आज्ञा से भेजा कि इस को कंपनी के काग़ज़ में लगाओ देवदत्त ने बेधर्मई से उस आज्ञा को

उल्लंघन करके रुपये को अपने काम में लगाया तो देवदत्त ने दंड योग्य विश्वासघा
त किया ॥

(ऋ) परंतु जो पिछले उदाहरण में देवदत्त बेधर्मई से नहीं शुद्ध भाव से यह निश्चय
मानकर कि बंक बंगाले में पत्ती लेने से विष्णुमित्र का अधिक लाभ होगा विष्णुमि
त्र की आज्ञा को उल्लंघन करके कंपिनी का कागज़ लेने के बदले बंक बंगाल
के पत्ती मोल लेवे तो देवदत्त ने बेधर्मई नहीं की और न दंड योग्य विश्वासघात
का अपराधी हुआ यद्यपि विष्णुमित्र को नुकसान भी पड़ा हो और उस नुकसान
के मध्ये विष्णुमित्र देवदत्त पर दीवानी में नालिश भी कर सक्ता है ॥

(ऌ) देवदत्त एक कचहरी के अहिलकार के पास सरकारी रुपया रहता था
और कानून की आज्ञा के अनुसार अथवा किसी कौल करार के अनुसार जो प्रगट अथ
वा अप्रगट गवर्नमेन्ट के साथ हो चुका था उस पर अवश्य था कि जितना सर
कारी रुपया उसके पास हो सब फलाने खज़ाने में जमा करदे देवदत्त ने बेधर्मई
से उस रुपये को तसर्रुफ़ किया तो देवदत्त दंड योग्य विश्वासघात का अपराधी हुआ

(ए) देवदत्त किसी ढोईदार को विष्णुमित्र ने कुछ माल तरी अथवा खुश्की की रा
ह से पहुंचाने को दिया और देवदत्त ने वह माल बेधर्मई से तसरुफ़ किया तो देव
दत्त ने दंड योग्य विश्वासघात किया ॥

दफ़ा ४०६ - जो कोई मनुष्य दंड योग्य विश्वासघात करेगा उसको

दंड योग्य विश्वासघात का दंड

दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी
म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने
का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

दफ़ा ४०७ - जो कोई मनुष्य सुपुर्ददार किसी वस्तु का ढोईदार

ढोईदार और घटवार इत्यादि की ओर से दंड योग्य विश्वास घात

अथवा घटवारी अथवा गोदामी के वि
श्वासी होकर उस वस्तु के मध्ये विश्वास
घात करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जि
सकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने

के भी योग्य होगा॥

दफ़ा ४०८ - जो कोई मनुष्य गुमाश्ता अथवा नौकर होकर अथवा नौकर के काम पर होकर और उस गुमाश्तेगरी अथवा नौकरी के कारण सुपुर्दगी अथवा चंदो बस्त किसी माल का किसी भांति पाकर उस माल के मध्ये विश्वास घात करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

गुमाश्ते अथवा नौकर की ओर से विश्वासघात

दफ़ा ४०९ - जो कोई मनुष्य किसी भांति सुपुर्द कार किसी माल का अथवा माल के बंदो बस्त का सर्वे संबंधी नौकरी के कारण अथवा कोठीवाल या व्योपारी या आढ़तिया या दलाली या कारिन्दगी के कारण होकर उस माल के मध्ये दंड योग्य विश्वास घात करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

सर्वे संबंधी नौकर अथवा कोठीवाल अथवा व्योपारी अथवा आढ़तिये की ओर से दंड योग्य विश्वास घात करना -

चोरी का माल लेना

दफ़ा ४१० - जिस माल का क़ब्ज़ा एक से दूसरे को चोरी से या दबा कर लेने से अथवा जोरी से आया हो और जो माल दंड के योग्य रीति से तसर्रुफ़ किया गया हो अथवा जिसके मध्ये दंड योग्य विश्वासघात करा गया हो वह चोरी का माल कहलावेगा परंतु जो पीछे वही माल किसी ऐसे मनुष्य के क़ब्ज़े में जो कानूनानुसार उसके क़ब्ज़े का अधिकारी हो तो फिर चोरी का न रहेगा॥

चोरी का माल

दफ़ा ४११ - जो कोई मनुष्य चोरी के माल को यह जान मानकर अथवा

वेधर्मईसे चोरी का माल लेना

जानने का हेतु पाकर कि यह चोरी का है वेधर्मईसे लेगा अथवा अपने पास रक्खेगा उसको दंड दोनों मेंसे किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन वरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा ४१२- जो कोई मनुष्य चोरी के माल को यह जान मान कर या

वेधर्मईसे लेना ऐसे माल का जो डकैती में चोरी गया हो

जानने का हेतु पाकर कि यह एक से दूसरे के कब्जे में डकैती होकर आया है वेधर्मई से लेगा या अपने पास रक्खेगा या किसी माल को चोरी का जानमान कर अथवा जानने का हेतु रखता हो कि डकैतों की जमायत का है अथवा आगे था वेधर्मई से लेगा उसको दंड जन्म भर के देश निकाले अथवा कठिन क़ैद का जिसकी म्याद दस वरस हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

दफ़ा ४१३-जो कोई मनुष्य ऐसे माल के लेने देने का व्योहार रक्खे

चोरीके मालका व्योहार रखना

गा जिसे वह जानता हो अथवा जानने का हेतु रखता हो कि चोरी का है उसको दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा दोनों मेंसे किसी प्रकार की कैद जिसकी म्याद एक वरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

दफ़ा ४१४ - जो कोई मनुष्य जान कर किसी ऐसे माल को जि

चोरी के मालको छुपाने में सहायता देना

से वह जानता हो अथवा जानने का हेतु रखता हो कि चोरी का है छुपाने अथवा अलग करने में अथवा दूर पहुंचाने में सहायता देगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन वरस तक हो सकेगी किया जायगा अथवा जरीमाने के भी अथवा दोनों का किया जायगा॥

छलने के विषयमें

दफ़ा ४२५-जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को धोखा देकर छलछि

छलना द्र से अथवा बेधर्मई से ऐसा फुसलावेगा जिस से वह अपना कुछ माल किसी मनुष्य को दे दे अथवा कुछ माल किसी मनुष्य के पास बना रहने देने पर राज़ी होजाय या उस धोखा दिये हुए मनुष्य का प्रयोजन करके कुछ ऐसा काम करने से चूकने को फुसलावेगा जिस को वह कभी न करता और न चूकता कदाचित धोखा न दिया होता और उस काम अथवा चूक से उस मनुष्य को कुछ ज्यान अथवा हानि शरीर में या चित्त में या यश में अथवा माल में पहुंच जाय या पहुंचनी भांति संभावित हो तो कहलावेगा कि उसने छल किया॥

उदाहरण॥

(अ) देवदत्त झूठ मूठ प्रतिज्ञा किया हुआ मुलकी नोकर बना और विष्णु मित्र को जान मान कर धोखा दिया और उस धोखे के कारण बेधर्मई से कुछ माल जिस के फेर देने की नियत न थी उधार लिया तो देवदत्तने छल किया॥

(इ) देवदत्तने किसी वस्तु पर झूठा चिन्ह लगाकर विष्णुमित्र को जान मान कर इस बात के निश्चय मानने का धोखा दिया कि यह वस्तु फ़लाने नामी कारीगर की बनाई है और इस भांति बेधर्मई से वह वस्तु विष्णुमित्रने मोल लिवाई और दाम चुकाये तो छल छिद्र किया॥

(उ) देवदत्तने विष्णु मित्र को किसी वस्तु की झूठी बानगी दिखलाकर जानमान कर यह धोखा दिया कि यह वस्तु बानगी से मिलती है और इस भांति बेधर्मई से मोल लिवा कर दाम चुकाये तो देवदत्तने छल किया॥

(ऋ) देवदत्त किसी वस्तु के मोल के बदले एक बिल किसी ऐसे कोठी पर जिस से उसका रुपये का ब्यौहार न था और जिस के सध्ये उसे निश्चय था कि उसका

दिल सकारा न जायगा लिख कर जान मान कर विष्णुमित्र को धोखा दिया और इस भांति विष्णुमित्र से वह वस्तु वेधमेई से और उसे मोल न देने का प्रयोजन कर के ले ली तो देवदत्त ने छल किया॥

(न) देवदत्त ने कुछ वस्तु जिसे वह जानता था कि हीरा नहीं है हीरे के नाम से गहने रख कर विष्णुमित्र को जान जान कर धोखा दिया और इस भांति वेधमेई करके विष्णुमित्र से रु० उधार लिया तो देवदत्त ने छल किया॥

(ए) देवदत्त ने जान मान कर विष्णुमित्र को यह निश्चय मानने का धोखा दिया कि जो रु० विष्णुमित्र उस को उधार देगा वह सच चुका देगा और इस भांति वेधमेई से विष्णुमित्र से रु० उधार लिया और मन में प्रयोजन कर लिया कि इस को चुकाऊंगा कभी नहीं तो देवदत्त ने छल किया॥

(ऐ) देवदत्त ने जान मान कर विष्णुमित्र के इस बात के निश्चय मानने का हेतु करके धोखा दिया कि देवदत्त इतना लाक नील का देगा यद्यपि उस के देने का प्रयोजन देवदत्त को न था और इस भांति माल मिलने के भरोसे पर विष्णुमित्र ने पेशगी रु० देवदत्त को दे दिया तो देवदत्त ने छल किया परंतु जो देवदत्त ने रु० लेने के समय नील का लांक देने का प्रयोजन कर लिया हो और पीछे अपना कौल क़रार तोड़ कर न दे तो छल न न कहलावेगा केवल दीवानी में उस के ऊपर कौल क़रार तोड़ने की नालिश हो सकेगी॥

(ओ) देवदत्त ने जान मान कर विष्णुमित्र को इस बात के निश्चय मानने का धोखा दिया कि देवदत्त ने अपनी ओर से फलाने कौल क़रार को जो उसने विष्णुमित्र के साथ किया था पूरा कर दिया यद्यपि उसने उस कौल क़रार को पूरा नहीं किया था और इस भांति से वेधमेई करके विष्णुमित्र से रु० ले लिया तो देवदत्त ने छल किया॥

(औ) देवदत्त ने कोई मिल्कियत यज्ञदत्त को बेंच कर उस की लिखतम लिख दी फिर देवदत्त ने यह बात जान मान कर कि इस बिक्री के कारण मुझ को इस मिल्कियत में कुछ अधिकार नहीं रहा है वही मिल्कियत विष्णुमित्र के हाथ बेची

अथवा गहने धरी और पहली बिक्री और लिखतमका हाल प्रगट न किया और बिक्री अथवा गहने का रुपया विष्णुमित्र से लिया तो देवदत्तने छल किया॥

दफ़ा ४१६ कदाचित कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य का मिस करके

दूसरा मनुष्य-बनकर छलना

अथवा जानमान कर एक मनुष्य को दूसरा मनुष्य बना कर अथवा अपने आप को या और किसी को कोई दूसरा मनुष्य प्रगट करके छलेगा तो कहलावेगा कि उसने दूसरा मनुष्य बनकर छल किया॥

विवेचना - जिस मनुष्य का मिस किया गया वह चाहे सच मुच हो चाहे मन से बना लिया गया हो तो भी यह अपराध हो सकेगा॥

(अ) देवदत्त ने अपने नाम किसी धनाड्या कोठी वाल का मिस करके छल किया तो देवदत्त ने दूसरा मनुष्य बनकर छल किया॥

(इ) देवदत्त ने यज्ञदत्त किसी मरे हुए मनुष्य का मिस करके छल किया तो देवदत्त ने दूसरा मनुष्य छल किया॥

दफ़ा ४१७ - जो कोई मनुष्य छल करेगा उसको दंड दोनों में से कि

छलने का दंड

सी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा ४१८ - जो कोई मनुष्य यह जानमान कर छल करेगा कि इस

छलना यह जानमान कर कि इससे अनीति हानि उस मनुष्य की होगी जिस्के स्वार्थ को रक्षा करनी उस अपराधी पर अवश्य है-

से अनीति हानि उस मनुष्य को होनी अति संभवित है जिस के स्वार्थ को रक्षा करनी उस पर उसी बिषय में जिससे वह छल संबंध रखता हो कानून की आज्ञानुसार अथवा किसी क़ानूनी कौल क़रार के अनुसार अवश्य है उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद जिस की म्याद तीन बरस तक हो सकेगी किया जायगा॥

दफ़ा ४१९ - जो कोई मनुष्य दूसरा मनुष्य बनकर छल करेगा उस

दूसरा मनुष्य बन कर छलना -

को दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद तीन बरस तक हो सकैगी अथवा जरीमाने अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा ४२० - जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को छलैगा और इस उपाय से उस मनुष्य को ऐसा फुसलावेगा जिस से वह कुछ माल किसी को देदे अथवा किसी दस्तावेज़ को या और वस्तु को जिसमें मुहर अथवा दस्तख़त हो और जिससे कोई लिखतम बन सकती हो पूरी अथवा आधी परधी लिखदे या बदल दे या बिगाड़दे उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकैगी और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

छलना और बेधर्मेई से माल दिलादेना

छल छिद्र से लिखतमों और छल छिद्र से माल अलग करने के विषय में

दफ़ा ४२१ - जो कोई मनुष्य बेधर्मेई से अथवा छल छिद्र से कुछ माल इस प्रयोजन से अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि इस से उस माल को अपने ब्योहारों में और किसी मनुष्य के ब्योहारों में क़ानूनानुसार बट जाने से बचावे या बिना वाजिबी मोल लिये अलग करैगा या छुपावेगा अथवा किसी दूसरे को देगा अथवा बेचने अथवा गहने धरने इत्यादि के द्वारा दूर करैगा अथवा दूर करादेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकैगी अथवा जरीमाने का

ब्योहारों में बट जाने से बचाने के लिये माल को अलग कर देना अथवा छुपाना -

अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा ४२२- जो कोई मनुष्य वेधर्मेई से अथवा छल छिद्र से किसी ऋण अथवा तगादे को जो उसी का अथवा और किसी मनुष्य का किसी से मिलना हो अपने ऊपर अथवा उस मनुष्य के ऊपर आते हुए किसी ऋण अथवा तगादे के चुकाने में कानूनानुसार लिये जाने से रोकेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद दो बरस तक हो सके गी अथवा जरी० अथवा दोनों का किया जायगा॥

(अपने किसी ऋण अथवा तगादे को अपने व्यौहारों को मिलने से वेधर्मेई करके रोकना।)

दफ़ा ४२३- जो कोई मनुष्य वेधर्मेई से अथवा छल छिद्र से कोई ऐसी लिखतम लिख देगा अथवा उसपर दस्तखत कर देगा अथवा लिखने लिखाने वालों में से एक बनेगा जिसका आशय किसी माल को अथवा माल के अधिकार को बेचने या गहने धरने इत्यादि के दूर करने से अथवा उसपर कुछ लाग लगाने से और जिसमें कोई झूठी बात मोल अथवा गहने इत्यादि के बदले जिसके मध्ये अथवा जिस या मनुष्य काय या लाभ के लिये वह सच मुच हो उसके मध्ये लिखी हो उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने अथवा दोनों का किया जायगा॥

(वेधर्मेई से लिखना बयनामे इत्यादि लिखतम का जिसमें मोल की तादाद झूठी लिखी हो।)

दफ़ा ४२४- जो कोई मनुष्य अपना अथवा और किसी का कुछ माल वेधर्मेई से या छल छिद्र से छुपावेगा अथवा अलग करेगा अथवा वेधर्मेई से या छल छिद्र से उसके छुपाये जाने या अलग किये जाने में सहायता देगा अथवा वेधर्मेई से अपना कुछ बाजिबीनकाद

उत्पात

दफा ४२५–जो कोई मनुष्य सब को अथवा किसी मनुष्य को अनी[उत्पात]ति हानि अथवा नुकसान पहुंचाने के प्रयोजन से अथवा पहुंचाना अति सम्भवित जानकर किसी वस्तु को बिगाड़ैगा अथवा वस्तु में या उस के स्थान में कुछ ऐसी हलचल करैगा जिस से वह वस्तु बिगड़ती हो या उस के मोल या गुण में न्यूनता आती हो अथवा उस को नुकसान पहुंचता हो तो कहा जायगा कि उसने उत्पात किया॥

विवेचना १–उत्पात के अपराध में यह कुछ अवश्य नहीं है कि जिस वस्तु को बिगाड़ा अथवा नुकसान पहुंचाया उसी के मालिक को हानि अथवा नुकसान पहुंचाने का प्रयोजन अपराधी ने किया हो यही बहुत है कि उस ने किसी वस्तु को बिगाड़ने के द्वारा किसी मनुष्य को अनीति हानि अथवा नुकसान पहुंचाने का प्रयोजन किया हो अथवा पहुंचाना अति सम्भवित जाना हो चाहे वस्तु उसी मनुष्य की हो चाहे नहो–

विवेचना २–उत्पात ऐसे काम के करने से भी हो सकैगा जिस से कुछ हानि उस वस्तु को होती तो जो उस काम के करने वाले मनुष्य को हो अथवा उसकी और औरों के साझे में हो॥

उदाहरण

(अ) देवदत्त ने विष्णुमित्र को कोई दस्तावेज़ जानमान कर विष्णुमित्र को अनीति हानि पहुंचाने के प्रयोजन से जलादी तो देवदत्त ने उत्पात किया॥

(ब) देवदत्त ने विष्णुमित्र के वर्फ़ ख़ाने में पानी काट दिया और इस भांति विष्णुमित्र को अनीति हानि पहुंचाने के प्रयोजन से वर्फ को पिघला दिया तो देवदत्त ने उत्पात किया॥

(स) देवदत्त ने विष्णुमित्र का नुकसान करने के प्रयोजन से विष्णुमित्र की अंगूठी

जानमानकर नदी में फेंक दी तो देवदत्तने उत्पात किया॥
(ऋ) देवदत्तने यह जानकर कि जो ऋण मुझपर विष्णुमित्र का आताहै उसको चुकाने के लिये मेरा असबाब लिया जाने को है उस असबाब को इस प्रयोजनसे कि विष्णुमित्र अपना ऋण न पासके और इस भांति विष्णुमित्रको नुक़सान पहुंचे विगाड़ दिया तो देवदत्तने उत्पात किया॥
(ल) देवदत्तने किसी जहाज का बीमा देकर बीमे वालों को नुक़सान पहुंचने प्रयोजन से उस जहाज को जानमानकर तबाही में डाला तो देवदत्तने उत्पात किया॥
(ए) देवदत्त ने किसी जहाज को तबाही में डाला इस प्रयोजन से कि विष्णुमित्र को जिसने उस जहाज पर रु० उधार दियाहै नुकसान पहुंचे तो देवदत्तने उत्पात किया॥
(ओ) देवदत्तने किसी घोड़े में विष्णुमित्र का साझी था घोड़े को गोली मारदी इस प्रयोजन से कि इससे विष्णुमित्र को अनीति हानि पहुंचे तो देवदत्तने उत्पात किया॥
(औ) देवदत्तने विष्णुमित्र के खेत में पोहे कर दिये इस प्रयोजन से और यह बात अति संभवित जानकर कि इस से विष्णुमित्र के खेत की पैदावारी को हानि पहुंचेगी तो देवदत्तने उत्पात किया॥

दफ़ा ४२६ - जो कोई मनुष्य उत्पात करेगा उसको दंड दोनों में

उत्पात करने का दंड

किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा ४२७ - जो को मनुष्य उत्पात करके पचास रु० का अथवा

उत्पात करना और उसके द्वारा पचास रु० का नुकसान पहुंचाना

उससे अधिक का नुकसान पहुंचावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमा

ने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

दफा ४२८ - जो कोई मनुष्य दस रु० के मोल के किसी चौपाये को अथवा और पशुओं को मारने अथवा विष देने अथवा अंग तोडने या निकम्मा करने का उत्पात करेगा उस को दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

दस रु० के मोल के किसी पशु को मारकर अथवा अंग तोड़ कर उत्पात करना

दफा ४२९ - जो कोई मनुष्य किसी हाथी या घोड़ा या खच्चर या भैंस या बैल या गाय या बांध या को जिस का मोल चाहे जितना हो या और किसी पशु को जिस का मोल पचास रु० या उस से अधिक हो मार कर या विष देकर या अंग तोड़ कर या निकम्मा कर के उत्पात करेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद पांच बरस तक हो सकेगी किया जायगा अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

किसी हाथी इत्यादि को अथवा पचास रुपये के मोल के किसी पशु को मारकर अथवा अंग तोड़कर उत्पात करना

दफा ४३० - जो कोई मनुष्य कुछ ऐसा करके जिस से खेती के कामों या मनुष्यों के खाने पीने के कामों अथवा जो धन गिने जाते हैं उन के कामों अथवा उज्वलता के कामों या कोई कारखाना चलने के कामों के लिये पानी पहुंचना घटता हो या घटना अति सम्भावित हो उत्पात करेगा करेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद पांच बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

खेती के काम इत्यादि के लिये पानी घटाकर उत्पात करना-

दफा ४३१ - जो कोई मनुष्य कुछ ऐसा काम करके जिस से कोई

सर्व संबंधी सड़क अथवा पुल अथवा नदी को हानि पहुंचाकर उत्पात करना

सर्व संबंधी नोकर सड़क या पुल या नाव चलने योग्य नाला या नहर टुच्ट हो जाय या चलने या माल पहुंचाने के लिये उसकी निर्खिमता कमती हो जाय या ऐसा हो जाना वह अति सम्भवित जानता हो उत्पात करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद पांच बरस तक हो सकेगी किया जायगा अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा ४३२ - जो कोई मनुष्य कुछ ऐसा काम करके जिससे पानी

अहलाकर के अथवा पानी का निकास रोककर जिससे नुक़सान हो उत्पात करना

का अह्लला या पानी के निकास को रोकना हानि या नुक़सान समेत होता हो या ऐसा होना वह आप अति सम्भवित जानता हो उत्पात करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी [illegible]याद पांच बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा ४३३ - जो कोई मनुष्य किसी प्रकाशगृह को या और किसी प्र

प्रकाशगृह को अथवा समुद्र के चिन्ह को मिटाकर अथवा हटाकर अथवा उसका क़ायदा घटाकर उत्पात करना -

काश को जो समुद्र के चिन्ह की भांति काम में आती हो या समुद्र के किसी चिन्ह या बया को या और किसी वस्तु को जो जहाज चलाने वालों को राह दिखाने के लिये काम में आती हो मिटाकर या हटाकर या और कोई ऐसा काम करके जिससे वह प्रकाशगृह या समुद्र का चिन्ह या बया या ऊपर कहे हुए प्रकार की वस्तु जहाज चलाने वालों के लिये कुछ निकम्मी हो जाय उत्पात करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा ४३४—जो कोई मनुष्य धरती के किसी ठीहे को जो किसी स-र्व संबंधी ओहदेदार की आज्ञा से ठैराया गया हो मिटाकर या हटाकर या कोई ऐसा काम करके जिससे वह धरती का ठीहा कुछ निकम्मा होजाय उत्पात करेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद जिस की म्याद एक बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

धरती के ठीहे को जो सर्व संबंधी अधिकारी की आज्ञा से ठैराया गया हो मिटाने या हटाने इत्यादि के द्वारा उत्पात करना

दफ़ा ४३५—जो कोई मनुष्य आग से या आग की भांति उड़ने वाली किसी वस्तु से सौ रु० का या उससे अधिक का या *(जिस हालत में जायदाद पैदावार खेती की होतो) बकदर दस रु० या जियादा के किसी माल को नुक़सान करने के प्रयोजन से या नुक़सान होना अति सम्भवित जानकर उत्पात करेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद सात बरस तक हो सकेगी कियाजायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

आग से अथवा आग की भांति उड़ने वाली किसी वस्तु से सौ रु० का नुक़सान या पैदावार खेत की हालत में दस रु० का नुक़सान करने के प्रयोजन से उत्पात करना

दफ़ा ४३६—जो कोई मनुष्य आग से या आग की भांति उड़ने वाली किसी वस्तु से किसी मकान को जो पूजा के स्थान की भांति या मनुष्य के रहने के स्थान की भांति या माल असबाब रखने की जगह की भांति साधारण काम में आता हो मिटाने के प्रयोजन से या मिटाना अति संभवित जानकर

आग से अथवा आग की भांति उड़ने वाली किसी वस्तु से मकान इत्यादि का नुक़सान करना

* यह अलफ़ाज़ दफ़ा ४३५ में एक्ट ८ सन् १८८२ ई० के अनुसार दर्ज हुए थे—

उत्पात करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का कि सी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

पटी हुई नाव को या बीस टन अर्थात् पांचसौ मन बोझ ले जाने वाली नाव को तबाह करना अथवा जोखिम में डालने के प्रयोजन से उत्पात करना -

दफ़ा ४३७ - जो कोई मनुष्य किसी पटी हुई नाव को या पांच सौ मन या उससे अधिक बोझ ले जाने वाली नाव को तबाही में या जोखिम में डालने के प्रयोजन से या डालना अति सम्भावित जान कर उत्पात करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

पिछली दफ़ा में वर्णन किये हुए उत्पात का दंड जबकि वह उत्पात आग के द्वारा अथवा आग की भांति उड़ने वाली किसी वस्तु के द्वारा किया जायगा -

दफ़ा ४३८ - जो कोई मनुष्य आग से या आग की भांति उड़ने वाली किसी वस्तु से ऐसा उत्पात करेगा जैसा कि पिछली दफ़ा में वर्णन हुआ है करेगा या करने का उद्योग करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

टकराना नाव को किनारे पर चोरी इत्यादि करने के प्रयोजन से

दफ़ा ४३९ - जो कोई मनुष्य जानकर किसी नाव को थोड़े पानी में या किनारे पर टकरावेगा इस प्रयोजन से कि उसमें भरी हुई किसी वस्तु को चुरावे या बेधर्मी से तसर्रुफ़ करेगा या इस प्रयोजन से कि वस्तु चोरी या तसर्रुफ़ की जाय उसको दंड दोनों में

स किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

दफ़ा ४४०—जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को मार डालने या दुख पहुंचाने अथवा अथवा अनीतिबंधि मे रखने अथवा मृत्यु या दुख या अनीति का डर दिखाने का सामना करके उत्पात करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद पांच बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा

मृत्यु अथवा दुख करने का सामना करके उत्पात करना

दंडयोग्य मुदाख़लतबेजा

दफ़ा ४४१—जो कोई मनुष्य किसी ऐसे माल मिल्कियत पर जिस पर दूसरे का क़ब्ज़ा हो कुछ अपराध करने या जिस मनुष्य का उस माल मिल्कियत पर क़ब्ज़ा हो उसको डराने या उसका अपमान करने या उसको खेद पहुंचाने के प्रयोजन से दख़ल करेगा या क़ानूनानुसार उस माल मिल्कियत पर दख़ल करके उस मनुष्य को डराने या अपमान करने या खेद पहुंचाने के प्रयोजन से वहां अनीति रीति से ठैरेगा तो कहा जायगा कि उसने दंड योग्य मुदाख़लतबेजा की॥

दंड योग्य मुदाख़लतबेजा

दफ़ा ४४२—जो कोई मनुष्य किसी मकान या डेरा अथवा नाव पर जो मनुष्य के रहने की स्थान की भांति काम में हो या किसी मकान पर जो पूजा के स्थान की भांति काम में हो या किसी मकान पर जो पूजा की भांति या असबाब रखने की भांति काम में हो दख़ल करके या ठहर कर दंड योग्य मुदाख़लतबेजा करेगा तो कहा जायगा कि उसने मकान की मुदाख़लतबेजा की॥

मकान की मुदाख़लतबेजा

दफ़ा ४४३ व ४४४ क़ाबिल राज़ीनामा है—

विवेचना-दंड योग्य मुदाखलत वेजा करने वाले मनुष्य का को ई अंग मकान में पहुंचजाना मकान की मुदाखलत वेजा के लिये काफ़ी समझा जायगा- (दफ़े ४० देखो)

दफ़ा ४४३- जो कोई मनुष्य आगे से यह उपाय करके मकान की

मकान की मुदाखलत वेजा करने के लिये घात लगाना-

मुदाखलत वेजा करेगा कि जो मनुष्य उस के उस मकान या डेरे अथवा नावसे जिससे मुदाखलत वेजा की जाय निकाल देने अथवा रोकने का अधिकार हो उससे वह मुदाखलत वेजा छुपी रहे तो कहा जायगा कि उसने मुदाखलत वेजा की घात लगाई॥

दफ़ा ४४४- जो कोई मनुष्य सूरज डूबने से पीछे और सूरज उ

रात के समय मकान की मुदाखलत वेजा की घात लगानी

गने से पहले मकान की मुदाखल वेजा की घात लगावेगा तो कहा जायगा कि उसने रात में मकान की मुदाखलत वेजा की घात लगाई॥

दफ़ा ४४५- कदाचित कोई मनुष्य मकान की मुदाखलत वे

घर फोडना

जा करे और मकान में या मकान के किसी खंड में उस का जाना नीचे लिखी हुई छः राहों में किसी राह से हो अथवा जब वह मकान या मकान के किसी खंड में कुछ अपराध करके उस मकान से या उसके खंड से उन्हीं छः राहों में किसी राह होकर निकले तो कहा जायगा कि उसने घर फोडा॥

(प्रथम) कदाचित किसी ऐसे रस्ते होकर घुस जायगा अथवा निकल जाय जो उसीने अथवा मकान की मुदाखलत वेजा के किसी सहाई ने मकान की मुदाखलत वेजा करने के निमित्त बनाया हो-

(दूसरे) कदाचित किसी ऐसे रस्ते होकर घुस जाय जो सिवाय उसके या मकान की मुदाखल वेजा के किसी सहाई और

किसी मनुष्य के आने जाने के प्रयोजन से न बना हो या किसी ऐसे रस्ते होकर जहां वह न सेनी लगाकर या भीति पर या मकान पर चढ़कर पहुंचा हो ॥

(तीसरे) कदाचित किसी ऐसे रस्ते होकर घुस जाय या निकल जाय जो उसी ने या मकान की मुदाखलत वेजा के किसी सहाई ने मुदाखलत वेजा होने के प्रयोजन से या किसी ऐसे उपाय से खोला हो जिससे उस रस्ते को खोलना उस मकान के रहने वाले न विचारा हो ॥

(चौथे) कदाचित किसी ताले मुदाखलत वेजा करने के लिये या मुदाखलत वेजा करके मकान से निकल जाने के लिये खोलकर घुस जाय अथवा निकल जाय ॥

(पांचवे) कदाचित अनीति बल करके या उठैया करके अथवा किसी मनुष्य को उठैया करने का डर दिखाकर घुस जाय या निकल जाव ॥

(छठे) कदाचित किसी ऐसे रस्ते होकर घुस जाय या निकल जाय जिसको वह जानता हो कि इस भांति का घुसना या निकलना रोकने के लिये बन्द किया गया है और वह खुद उसने या मुदाखलत वेजा के किसी सुआदन ने खोला हो ॥

विवरना - कोई शागिर्द पेशे का मकान अथवा और मकान जिसमें घर में रहने वाले का दखल हो और जिसके उस घर के दरम्यान में कोई पैवस्त अंदरूनी आमद रफ़्त हो इस दफ़े के अर्थ अनुसार उसी घर का खंड कहलावेगा ॥

उदाहरण

(अ) देवदत्त ने विष्णुमित्र की भीति में छिद्र करके और उस छिद्र में हाथ डालकर मकान की मुदाखलत वेजा की तो घर फोड़ना कहलावैगा ॥

(इ) देवदत्त ने किसी जहाज के पटाव के धुंधुए के रस्ते उतरकर मकान की मुदा खलत वेजा तो यह घर फोडना हुआ॥

(उ) देवदत्त ने विष्णुमित्र के घरमें खिड़की राह घुसकर मकानकी मुदाखलत वेजा कीतो घर फोड़ना हुआ॥

(ऊ) देवदत्तने विष्णुमित्र केघरमें बंद किवाड़ को खोलकर द्वार के रस्ता मकान मुदाखलत वेजा की॥

(लृ) देवदत्त ने विष्णुमित्र के द्वार के किवाड़ की विल्नी एक छिद्रमें तार डाल कर उठादी और घर में घुसकर मकान की मुदाखलत वेजाकी तो यह घर फोडना हुआ॥

(ए) देवदत्तने विष्णुमित्र केघर के द्वार की ताली जो विष्णुमित्रने खोडाली थी पाई और उस तालीसे खोलकर विष्णुमित्र के घरमें घुसकर मुदाखलत बेजाकी तो यह घर फोड़ना हुआ॥

(ऐ) विष्णुमित्र अपने द्वार में खड़ा था देवदत्त उस को धक्का देकर घर में घुसगया और मकानकी मुदाखलत बेजा की॥

(ओ) विष्णुमित्र हरमित्रका पोरिया हरमित्र के द्वार में खड़ा था देवदत्त विष्णु मित्र को इस बात की धमकी देकर किजो तू मुझको जाने से रोकेगा तो पीटा जायगा घरमें घुसगया और मुदाखलत वेजा कीतो यह घर फोड़ना हुआ॥

दफ़ा ४४६- जो कोई मनुष्य सूरज डूबने से पीछे और सूरज उगने से पहले घर फोड़ेगा तो कहा जायगा कि रात में घरफोड़ा॥

रातमें घरफोड़ना

दफ़ा ४४७- जो कोई मनुष्य दंड योग्य मुदाखलत वेजा करेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकारकी कैद का जिसकी म्याद तीन महीनेतक हो सकेगी अथवा जरीमानेका जो पांच सौ रु० तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

दंड योग्य मुदाखलतवेजा कादंड

दफ़ा ४४८-जो कोई मनुष्य मकान की मुदाख़लत बेजा करेगा

मकान की मुदाख़लत बेजा का दंड-

उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद एक बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एक हज़ार रु० हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

दफ़ा ४४९-जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराध के करने के लिये

कोई ऐसा अपराध करने के लिये जिसका दंड वध हो मकान मुदाखलत बेजा करना-

जिसका दंड वध हो सक्ता हो मकान की मुदाख़लत बेजा करेगा उस को दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा कठिन क़ैद का जिस की म्याद दस बर्ष से अधिक न होगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

दफ़ा ४५०-जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराध के करने के

जन्म भर के देशनिकाले दंड योग्य कोई अपराध करने के लिये मकान की मुदाख़लत बेजा करना

लिये जिसका दंड भर का देश निकाला हो सक्ता हो मकान की मुदाखलत बेजा करेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दस बरस से अधिक न होगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

दफ़ा ४५१-जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराध के करने के लिये

क़ैद के दंड योग्य अपराध करने के लिये मकान की मुदाखलत बेजा करने

जिसका दंड क़ैद हो सक्ता हो मकान मुदाख़लत बेजा करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दो बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा और कदाचित वह अपराध जिस के करने का प्रयोजन न हो चोरी हो तो क़ैद की म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा ॥

दफा ४५२- जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को दुख पहुंचाने अथवा किसी मनुष्य पर उठैया करने अथवा किसी मनुष्य को अनीति बंधि में रखने या किसी मनुष्य को दुख या उठैया या अनीति बंधि का डर दिखाने का सामान करके मकान की मुदाखलत बेजा करेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद जिसकी म्याद सात वर्ष तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

किसी मनुष्य को दुख पहुंचाने का सामान करके मकान की मुदाखलत बेजा करना

दफा ४५३- जो कोई मनुष्य मकान की मुदाखलत बेजा की घात लगावेगा या घर फोडेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद दो वर्ष तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

मकान की मुदाखलत बेजा की घात लगाने अथवा घर फोडने का दंड

निस्बत दंड देने के ऐक्ट नं० ६ सन् १८६४ ई० की दफा २ व ३ व ४ को देखो ॥

दफा ४५४- जो कोई मनुष्य कुछ ऐसा अपराध करने के लिये जिसका दंड कैद हो सकता हो मकान की मुदाखलत बेजा की घात लगावेगा या घर फोडेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद तीन वर्ष तक हो सकेगी किया जायगा किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥ और कदाचित वह अपराध जिसके करने का प्रयोजन चोरी हो तो कैद की म्याद दस वर्ष तक हो सकेगी किया जायगा ॥

कैद के दंड योग्य किसी अपराध के करने के लिये मकान की मुदाखलत बेजा की घात लगाना या घर फोडना-

दफा ४५५- जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को दुख पहुंचाने अथवा किसी मनुष्य पर उठैया करने अथवा किसी मनुष्य को अनीति

किसी मनुष्य के दुखपहुंचाने का सामान करके मकान की मुदाखलत बेजा की घात लगाना या घर फोड़ना -

बंधि में रखने अथवा किसी मनुष्य को दुख या उठैया या अनीति बंधि का डर दिखाने का सामान करके मकान की मुदाखलत बेजा की घात लगावैगा अथवा घर फोड़ेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस वर्ष तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

दफ़ा ४५६ - जो कोई मनुष्य रात में मकान की मुदाखलत बेजा की घात लगावैगा अथवा रात में घर फोड़ेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन वर्ष तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

रात के समय मकान की मुदाखलत बेजा की घात लगाना अथवा घर फोड़ना -

दफ़ा ४५७ - जो कोई मनुष्य कुछ ऐसा अपराध करने के लिये जिसका दंड कैद हो सक्ता हो रात में मकान की मुदाखलत बेजा की घात लगावैगा या रात में घर फोड़ेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद पांच वरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

कैद के दंड योग्य कोई अपराध करने के लिये रात के समय मकान की मुदाखलत बेजा की घात लगाना अथवा घर फोड़ना -

और कदाचित वह अपराध जिसके करने का प्रयोजन था चोरी हो तो क़ैद की म्याद चौदः वर्ष तक हो सकेगी ॥

दफ़ा ४५८ - जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को दुख पहुंचाने अथवा किसी मनुष्य पर उठैया करने अथवा किसी मनुष्य को अनीति बंधि में रखने अथवा किसी मनुष्य को दुख या उठैया या अनीति बंधि का डर

किसी मनुष्य को दुख पहुंचाने का सामान करके मकान की मुदाखलत बेजा की घात रात के समय लगाना अथवा घर फोड़ना -

दिखाने का सामान करके रात में मकान की मुदाखलत वेजा की घात लगावेगा अथवा रात में घर फोड़ेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद चौदह वर्ष तक हो सकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

मकान की मुदाखलत वेजा की घात लगाने अथवा घर फोड़ने में भारी दुख पहुंचाना

दफ़ा ४५९ - जो कोई मनुष्य मकान की मुदाखलत वेजा की घात लगाने में या घर फोड़ने में किसी मनुष्य को भारी दुख प[हुंच]ावेगा या किसी मनुष्य को डराने या भारी दुख पहुंचाने का उद्योग करेगा उसको दंड जन्म भर के देशनिकाले का या दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद दस वर्ष हो सकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा-

सब मनुष्य जो मकान की मुदाखलत वेजा इत्यादि करने में साझी हों किसी मृत्यु अथवा भारी दुख के बदले जो किसी एक ने किया हो दंड के योग्य होंगे

दफ़ा ४६० - कदाचित मकान की मुदाखलत वेजा की घात लगाने या रात में घर फोड़ते समय कोई मनुष्य उसी अपराध करने वाला जान मानकर या भारी दुख पहुंचावेगा या मृत्यु करने या भारी दुख पहुंचाने का उद्योग वो जितने मनुष्य उस लगाने या घर फोड़ने में साझी होंगे उनमें से हर एक को दंड जन्म भर के देशनिकाले का या दोनों में किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद दस वर्ष तक हो सकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

वेधर्मई से किसी बंद मकान को जिसमें माल भरा हो अथवा भरा होने का अनुसार होतो

दफ़ा ४६१ - जो कोई मनुष्य बेधर्मई से या उत्पात करने के प्रयोजन से किसी बंद मकान को या संदूक इत्यादि को जिस में

माल भरा हो या माल भरा होना वह निश्चय जानता हो खोलै
या तोड़ेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का
जिस की म्याद दो बरस तक हो सकैगी या जरीमाने का या दो
नो का किया जायगा॥

दफ़ा ४६२- जो कोई मनुष्य जिस को चौकसी के किसी मालभ
रे हुए या ऐसे मकान इत्यादि की जि
समें उस को निश्चय हो कि मालभर
है सौंपी गई हो परंतु उसके खोलने
का अधिकार न दिया गया हो बेधर्मई से अथवा उत्पात करने
प्रयोजन से उसको तोड़ेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रका
की क़ैद का जिसकी म्याद तीन बर्ष तक हो सकेगी अथवा ज
रीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

दंड उसी अपराध का जबकि उसका करने वाला कोई ऐसा मनुष्य हो कि जिस को माल की चौकसी सौंपी नहीं है

अध्याय १८

उन अपराधों के विषय में जो लिखतमों और ब्योपार अथवा मा
ल के चिन्हों से संबंध रखते हों *

दफ़ा ४६३- जो कोई मनुष्य सब लोगों को अथवा किसी मनु
ष्य को हानि अथवा ज्यान पहुंचाने के प्रयोजन से अथवा को
ई दावा या अधिकार साबित करने के लिये अथवा किसी म
नुष्य से कुछ माल छुड़ाने अथवा कोई प्रगट या अप्रगट कै

* निस्बत करने अरवत्यार न करने नालिशात के हस्ब दफ़ा ४६३ व ४७१ व ४७५
४७६ एक्ट नं० १० सन् १८८२ ई० की दफ़ा १९५ उदाहरण (ज) को देखो॥

* निस्बत तरीक़ कार्रवाई मुतल्लक़ अदालत दीवानी व लिहाज़ जुरायम मुन्दर्जे
ज दफ़ात ४६३ व ४७१ या ४७४ या ४७५ या ४७६ या ४७७ के ऐक्ट नं० १०
सन् १८८२ ई० की दफ़ा ४७६ को देखो॥

ले करना करने के लिये अथवा छल छिद्र करने अथवा किये जाने के प्रयोजन से कोई झूठी लिखतम का भाग बनावेगा तो जाल साजी करना कहलावेगा॥

दफा ४६४ - वह मनुष्य झूठी लिखतम बनानेवाला कहलावेगा-

झूठी लिखतम बनाना

(प्रथम) जो वेधर्मई से अथवा छल छिद्र से कोई लिखतम या लिखतम का भाग बनावेगा या उस पर दस्तखत करेगा या मुहर लगावेगा या लिख देगा अथवा कोई चिन्ह जिस से लिखा जाना किसी लिखतम का पाया जाय बनावेगा यह बात प्रतीति किये जाने के प्रयोजन से कि इस लिखतम को या लिखतम के भाग को किसी ऐसे मनुष्य की ओर से दूसरे ने बनाया है या लिखा है या उस पर मुहर लगाई है या दस्तखत किये हैं जिस को वह जानता हो कि इसने या इसकी आज्ञा से किसी और ने उस लिखतम को या लिखतम के भाग को बनाया है न लिखा है न उस पर दस्तखत किये हैं न मुहर लगाई है अथवा यह बात प्रतीत की जाने के प्रयोजन से यह लिखतम या लिखतम के भाग उस समय बनाया गया या दस्तखत किया गया या मुहर लगाया था जबकि वह जानता हो कि ऐसा नहीं हुआ है॥ अथवा

(दूसरे) जो नीति पूर्वक अधिकार पाये बिना वेधर्मई से अथवा छल छिद्र से किसी लिखतम के किसी मुख्य भाग को उसके लिख जाने से पीछे चाहे उस को उसी ने लिखा हो चाहे और किसी ने और चाहे लिखने वाला उस समय जीता हो चाहे मरगया हो काट कर अथवा और किसी भांति बदल दे- अथवा (तीसरे) जो कोई वेधर्मई से या छल छिद्र से किसी

मनुष्य से कोई लिखतम दस्तखत करावे अथवा मुहर लगावे अथवा लिखवावे अथवा बदलवावे यह जान बूझ कर कि यह मनुष्य उनमत्तता अथवा नशे के कारण इस लिखतम की बातों को अथवा बदलने के आशय को नहीं जान सक्ता है अथवा किसी धोखे से जो उसको दिया गया है नहीं जानता है ॥

(उदाहरण)

(अ) देवदत्त के पास यज्ञदत्त के ऊपर विष्णुमित्र का लिखा हुआ दस हजार रु॰ का रुक्का था देवदत्त ने यज्ञदत्त के साथ छल करने के लिये दस हज़ार रु॰ के ऊपर एक शून्य और बढ़ा दिया और उस रु॰ को एक लाख कर दिया इस प्रयोजन से कि यज्ञदत्त उस रुक्के को विष्णुमित्र का लिखा हुआ निश्चय माने तो देवदत्त ने जालसाजी की ॥

(इ) देवदत्त विष्णुमित्र की आज्ञा के विना विष्णुमित्र की मुहर किसी लिखतम पर जो विष्णुमित्र की ओर से देवदत्त के नाम किसी मिल्कियत का बैनामा था इस प्रयोजन से लगादी कि उस मिल्कियत को यज्ञदत्त के हाथ बेचकर मोल का रु॰ प्राप्त करे तो देवदत्त ने जालसाजी की ॥

(उ) देवदत्त ने किसी कोठीवाल के नाम धनी योग्य एक रुक्का पड़ा पाया जिस पर यज्ञदत्त के दस्तखत लिखे थे परंतु रुपये की तादाद नहीं लिखी थी देवदत्त ने छल के प्रयोजन से रुपया की खाली जगह को दस हज़ार रु॰ लिख भर दिया तो देवदत्त ने जाल साजी की ॥

(ऋ) देवदत्त ने अपने गुमाश्ते यज्ञदत्त के पास किसी कोठीवाल के ऊपर अपना दस्तखती रुक्का जिस में रुपये की तादाद न लिखी थी रख छोड़ा और यज्ञदत्त को परवानगी दी कि फलाने चुकाउ के लिये दस हज़ार से कमती जितना रु॰ चाहो इस रुक्के में लिखकर ले लेना यज्ञदत्त ने उस रुक्के में वे धर्मई से बीस हज़ार रु॰ लिख लिये तो यज्ञदत्त ने जालसाजी की ॥

(लृ) देवदत्त ने यज्ञदत्त की ओर से अपने ऊपर एक हुंडी विना यज्ञदत्त की आज्ञा

के लिखली इस प्रयोजन से कि उसको सच्ची हुंडी की भांति किसी कोठीवाल दे मिती काट के देन्नदी और मन में यह विचार लिया कि म्याद बीते पर इस हुंडी का रुपया चुका दूंगा तो यहां देवदत्त ने हुंडी से उस कोठीवाल को इस बात का धोखा देने के प्रयोजन से लिखी कि वह समझे इस में यज्ञदत्त की जामिनी है और इस से मिती काट कर रुपया उस को दे इसलिये देवदत्त ने जालसाजी का अपराध किया॥

(ए) विष्णुमित्र के वसीयतनामे में यह बात लिखी थी कि मैं आज्ञा देता हूं कि मेरा बचा हुआ सब धन देवदत्त और यज्ञदत्त और हर मित्र में बराबर बांट दिया जाय देवदत्त ने बेधर्मई से यज्ञदत्त का नाम इस प्रयोजन से छील डाला कि वह सब धन उसके और यज्ञदत्त के लिये छोड़ा गया समझा जाय तो देवदत्त ने जालसाजी की॥

(ऐ) देवदत्त ने एक सरकारी प्रामेसरी नोट की पीठ पर यह शब्द लिख कर कि इस का रुपया विष्णुमित्र को अथवा जिस किसी को वह परवानगी दे उस को दे दो और उस लेख पर अपने दस्तखत करके उसका रुपया यज्ञदत्त को मिलने योग्य किया तो यज्ञदत्त ने बेधर्मई से इन शब्दों को कि इनका रु॰ विष्णुमित्र को अथवा जिस किसी को वह परवानगी दे उस को दे दो छील डाला और उस से उस लेख को खोका कर दिया तो यज्ञदत्त ने जालसाजी की॥

(ओ) देवदत्त ने कोई मिल्कियत विष्णुमित्र को बेंच दी और लिखतम लिख दी फिर पीछे देवदत्त ने विष्णुमित्र के साथ छल करने के लिये उस मिल्कियत का एक बेनामा विष्णुमित्र के बैनामे की मिती से छः महीने पहले की मिती का यज्ञदत्त को लिख दिया यह बात प्रतीत होने प्रयोजन से कि उसने उस मिल्कियत को विष्णुमित्र के साथ बेंचने से पहले यज्ञदत्त के साथ बेंच डाला था तो देवदत्त ने जालसाजी की॥

(औ) विष्णुमित्र अपनी वसीयत बोलता गया और देवदत्त उसको लिखता गया परन्तु जिस अधिकारी का नाम विष्णुमित्र ने लिखा था उसके बदले देवदत्त ने

जान बूझ कर किसी दूसरे का नाम लिख दिया और विष्णुमित्र ने यह लिखकर वह
कहकर कि जैसा तुम ने कहा वैसाही मैने वसीयत नामे में लिख दिया है वि
ष्णुमित्र से वसीयत नामे पर दस्तखत करा लिये तो देवदत्त ने जाल साज़ी की
(अ) देवदत्त ने एक चिट्ठी लिखी और उसपर विना यज्ञदत्त की आज्ञा के
यज्ञदत्त के दस्तखत इस बात की सचाई के लिये लिख दिया कि देवदत्त अच्छे
रहन का मनुष्य है और दैवी आपदा से दुर्दशा में पड़ गया है और प्रयोजन इ
स चिट्ठी से यह किया कि इस के द्वारा विष्णुमित्र से और औरों से भिक्षा पावे
यह देवदत्त ने विष्णुमित्र का माल लेने के प्रयोजन से झूठी लिखतम बनाई
इसलिये देवदत्त ने जाल साज़ी की॥

(क) देवदत्त ने यज्ञदत्त की आज्ञा के विना एक चिट्ठी लिखकर उसपर यज्ञदत्त
के दस्तखत इस बात की सचाई के लिये कि देवदत्त भला आदमी है बना लि
ए और प्रयोजन इसमें यह किया कि विष्णुमित्र के नीचे कोई नौकरी पावे तो
देवदत्त ने जालसाज़ी की क्योंकि उसने उस जाली चिट्ठी के द्वारा विष्णुमित्र
को धोखा देने और नौकरी का कुछ कौल करार प्रगट अथवा अप्रगट क
राने का प्रयोजन किया॥

विवेचना—अपने नाम के दस्तखत करना भी जालसाज़ी हो सकेगा॥

(उदाहरण)

(अ) देवदत्त ने किसी हुंडी पर अपने नाम के दस्तखत इस प्रयोजन से कर
दिये कि वह हुंडी उसी नाम के किसी दूसरे मनुष्य की लिखी हुई समझी जाय
तो देवदत्त ने जाल सानी की॥

(ब) देवदत्त ने कागज़ के एक टुकडे पर मंज़ूर है पढ़ी के शब्द लिखकर नीचे
विष्णुमित्र के नाम के दस्तखत करा दिये कि पीछे यज्ञदत्त उसी कागज़ पर
अपनी ओर से विष्णुमित्र के ऊपर हुंडी लिखाकर उसी भांति सकार ले मानो
विष्णुमित्र ने उस हुंडी को सींकार कर लिया तो देवदत्त जाल साज़ी का अप
राधी हुआ और कदाचित यज्ञदत्त इस बात को जानकर देवदत्त के प्रयोजन

अनुसार उस कागज़ पर हुंडी लिखले तो यज्ञदत्त भी जालसाजी का अपराधी हुआ ॥

(उ) देवदत्त ने एक हुंडी पड़ी पाई जिसका रुपया उसी नाम के किसी दूसरे मनुष्य की आज्ञा योग्य लिखा था देवदत्त ने उस हुंडी की पीठ पर अपने नाम से बेची लिख दी यह प्रयोजन करके कि जिस मनुष्य की आज्ञा योग वह हुंडी है उसी की बेची समझी जाय तो देवदत्त ने जालसाजी की॥

(ऊ) देवदत्त ने कोई मिल्कियत जो यज्ञदत्त के ऊपर किसी डिगरी के इजरा य से नीलाम हुई मोल ली यज्ञदत्त ने उस मिल्कियत की कुरकी होजाने से पीछे विष्णुमित्र के साथ मिलावट करके उसी मिल्कियत का ठेका विष्णुमित्र के नाम पर थोड़ी सी जमा पर वक्तव्याद का लिख दिया और लिखने की मिती कुरकी की मिती से छः महीने पहले की लिख दी इस प्रयोजन से कि इस में देवदत्त के साथ छल कर और यह बात समझी जाय कि यह ठेका कुरकी से आगे का है तो यज्ञदत्त ने यद्यपि ठेका अपने ही नाम से लिखा फिर भी पीछे की मिती लिख कर उस ने जालसाजी की ॥

(ऋ) देवदत्त एक ब्योपारी ने अपना दिवाला निकालने से पहले कुछ माल अपने लिये यज्ञदत्त को सौंप दिया इस प्रयोजन से कि अपने लेनहारे साथ छल किद्र करे और इस काम को छुपाने के लिये एक प्रामिसरी नोट अर्थात् एक तमस्सुक इस आशय का लिख दिया कि इतना रुपया यज्ञदत्त को किसी वस्तु के बदले जो मैं पा चुका हूं दूंगा और उस तमस्सुक पर पीछे की मिती लिख दी इस प्रयोजन से कि जब देवदत्त का दिवाला निकलने को था उसमें आगे का लिखा हुआ समझा जाय तो देवदत्त जालसाजी के लक्षण के पहले प्रकरण के अनुसार जालसाजी की ॥

बिवेचना - २ किसी कल्पना किये हुए मनुष्य के नाम से कोई झूठी लिखत मद इस प्रयोजन से लिख देनी कि सच मुच किसी मनुष्य को लिखी समझी जाय अथवा किसी मरे हुए मनुष्य के ना

म से लिख देनी इस प्रयोजन से कि उस मनुष्य के जीते जी की समझी जाय॥

उदाहरण

देवदत्त ने किसी कल्पना किये ज़ए मनुष्य के ऊपर एक ज़ंडी लिखी और छल छिद्र से उस ज़ंडी को उसी कल्पना किये ज़ए मनुष्य के नाम से सकारा इस प्रयोजन से कि उस का सौदा करे तो देवदत्त ने जालसाजी की॥

दफ़ा ४६५ - जो कोई मनुष्य जालसाजी करेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दो वर्ष तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों किया जायगा॥

जालसाजी का दंड

(निस्बत सज़ाय बेत के ऐक्ट ६ सन् १८६४ की दफ़ा ४ को देखो)

दफ़ा ४६६ - जो कोई मनुष्य किसी ऐसी लिखतम को किसी अदालत की कागज़ अथवा रूबकार हो अथवा ऐसा रोज़नामचा हो जिसमें जन्म या संस्कार या विवाह या मरण लिखा जाता हो अथवा किसी सर्व संबंधी नौकर के पास नौकरी के कारण अधिकार से रहिता हो अथवा कोई सारटीफ़िकट या लिखतम हो जो किसी सर्व संबंधी नौकर की ओर से उस की नौकरी के अधिकार के द्वारा लिखी गई हो अथवा कोई मुक़द्दमा दायर करने या मुक़द्दमे में जवाबदिही करने या मुक़द्दमे के मध्य और कुछ काम करने या इक़बाल दावा करने की पर्वानगी की लिखतम हो या मुख्त्यार नामा हो जालसाजी से बनावेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद सात वर्ष तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

जालसाजी किसी अदालत के कागज़ की अथवा उस रोज़नामचे की जिन में बालकों का जन्म लिखा जाता हो अथवा मुख्त्यारनामे

दफ़ा ४६७ - जो कोई मनुष्य किसी ऐसी लिखतम को जो दस्तावे

जालसाज़ी किसी दस्तावेज अथवा वसीयत नामे की

ज अथवा वसीयत नामा हो अथवा जिस में लड़का गोद लेने की आज्ञा हो अथवा जिसमें किसी कोई मनुष्य को कोई दस्तावेज लिखने अथवा देने अथवा उसका मूल या ब्याज का दाट लेने की अथवा रु॰ या अस्थावर धन या दस्तावेज़ लेने या देने की परवानगी हो या और किसी लिखतम को जो उसके चुकाने की फ़ारख़ती या रसीद हो जालसाज़ी से बनावैगा उस को दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

दफ़ा ४६८- जो कोई मनुष्य इस प्रयोजन से जालसाज़ी

छलने के लिये जाल साजी

करेगा कि यह जाली लिखतम किसी को छलने के लिये काम आवे उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद सात वर्ष तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

दफ़ा ४६९- जो कोई मनुष्य इस प्रयोजन से जालसाज़ी करेगा

किसी मनुष्य के यश को ज़्यान पहुंचाने के लिये जालसाजी

कि इस जाली लिखतम से किसी मनुष्य के यश को ज़्यान पहुंचेगा यह जान बूझकर कि यह लिखतम उस मनुष्य के ज़्यान पहुंचाने के निमित्त काम में आनी अति सम्भवित है उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन वर्ष तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा

दफ़ा ४७०- जो कोई मनुष्य झूठी लिखतम सब या आधी परर्थ

जाली लिखतम

जालसाजी से बनाई गई हो जाली लिखतम कहलावेगी॥

दफ़ा ४७१ - जो कोई मनुष्य छलछिद्र से या बेधर्मी से किसी लिखतम को जिसे वह जानता हो या जानने का हेतु रखता हो कि जाली है सच्ची की भांति काम में लावैगा उसको दंड वैसा ही किया जावैगा कि मानो उसने लिखतम की जालसाजी की॥

छलछिद्र से किसी जाली लिखतम को सच्ची की भांति काम में लाना -

दफ़ा ४७२ - जो कोई मनुष्य कोई झूठी मुहर या चपरास या और कोई छापने का औज़ार इस प्रयोजन से बनावैगा कि वह इस संग्रह की दफ़ा ४६७ के अनुसार दंड किये जाने योग्य किसी जालसाजी के करने में काम आवै या इस प्रयोजन के लिये अपने पास ऐसी मुहर या चपरास या औज़ार को यह बात जान बूझ कर कि यह झूठा है रक्खैगा उसको दंड जन्म भर के देश निकाले का या दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात वर्ष तक हो सकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा -

दफ़ा ४६७ के अनुसार दंड किये जाने योग्य कोई जालसाज़ी करने के प्रयोजन से झूठी मुहर इत्यादि बनानी अथवा पास रखनी -

दफ़ा ४७३ - जो कोई मनुष्य कोई झूठी मुहर या चपरास या और कोई छापने का औज़ार इस प्रयोजन से बनावैगा कि वह इस अध्याय की दफ़ा ४६७ को छोड़ कर और किसी दफ़ा के अनुसार दंड किये जाने योग्य किसी जालसाज़ी के करने में काम आवै या इस प्रयोजन के लिये अपने पास ऐसी मुहर या चपरास या औज़ार को यह बात जान बूझ कर कि यह झूठा है रक्खैगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद सात वर्ष तक हो सकैगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

कोई झूठी मुहर अथवा चपरास इत्यादि दूसरी किसी भांति दंड होने योग्य कोई जालसाज़ी करने के प्रयोजन से बनाना अथवा पास रखना

दफ़ा ४७४ - जो कोई मनुष्य ऐसी लिखतम जिसको वह जानता है कि जालसाज़ी से बनाई गई है इस प्रयोजन से अपने पास रक्खेगा कि छल छिद्र से अथवा बेधर्मई से सच्ची की भांति काम में लाई जाय उस को कदाचित वह लिखतम इस संग्रह की दफ़ा ४६६ में लिखे हुए प्रकार की हो उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद सात वर्ष तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

कोई लिखतम यह जानबूझकर कि यह जालसाज़ी से बनी है अपने पास इस प्रयोजन से रखनी कि सच्ची की भांति काम में लाई जाय-

दफ़ा ४७५ - जो कोई मनुष्य किसी वस्तु पर अथवा किसी वस्तु में कोई चिन्ह अथवा निशान जो इस संग्रह की दफ़ा ४६७ में कहे हुए प्रकार की किसी लिखतम को प्रमाणिक करने के लिये काम में आता हो इस प्रयोजन से झूठा बनावेगा कि इस चिन्ह या निशान के होने से कोई लिखतम जो उसी समय उस वस्तु पर जालसाज़ी से बना हो अथवा पीछे बनाई जाने के प्रमाणिक दिखाई दे अथवा जो कोई मनुष्य इसी प्रयोजन से अपने पास कोई वस्तु रक्खेगा जिस पर अथवा जिसमें इसी प्रकार का चिन्ह अथवा निशान जालसाज़ी में लगाया गया हो उसको दंड जन्म भर के देश निकाले का अथवा दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

जालसाज़ी से बनाना किसी चिन्ह अथवा निशान को जो दफ़ा ४६७ में कहे हुए प्रकार की लिखतमों की सचाई के लिये काम आता हो अथवा पास रखना किसी वस्तु को जिस पर झूठा चिन्ह लगा हो॥

दफ़ा ४७६ - जो कोई मनुष्य पर अथवा किसी वस्तु में कोई चि

न्ह अथवा निशान जो इस संग्रह की दफ़ा ४६७ में कही हुई लि

जालसाज़ी से बनाना किसी चिन्ह अथवा निशान को जो दफ़ा ४६७ में कही हुई लिखतमों को छोड़कर और प्रकार की लिखतमों की सचाई के लिये काम में आता हो अथवा पास रखना किसी को जिस पर कूठा चिन्ह लगा हो

खतमों को छोड़कर और प्रकार की किसी लिखतम को प्रमाणिक करने के लिये काम में आता हो जिस प्रयोजन से कूठा बनावेगा कि उस चिन्ह अथवा निशान के होने से कोई लिखतम जो उसी समय उस वस्तु पर जालसाज़ी से बनी हो अथवा पीछे बनाई जाने के प्रमाणिक दिखाई दे अथवा जो कोई मनुष्य इस प्रयोजन से कोई वस्तु अपने पास रक्खेगा जिस पर अथवा जिस में इसी प्रकार का चिन्ह अथवा निशान जालसाज़ी से लगाया गया हो उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कठिन क़ैद का जिस की म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

दफ़ा ४७७ - जो कोई मनुष्य छलछिद्र अथवा बेधर्मी से अथवा सब लोगों को या किसी मनुष्य को नुकसान अथवा हानि पहुंचाने के प्रयोजन से किसी लिखतम को जो वसीयतनामा हो अथवा लड़का गोद लेने की आज्ञा का लेख हो अथवा दस्तावेज़ हो छिपावेगा अथवा नष्ट करेगा या उसपर क़लम फेरेगा अथवा बिगाड़ेगा या नष्ट करने या क़लम फेरने का उद्योग करेगा या छुपावेगा या छुपाने का उद्योग करेगा या उस से सम्बन्ध कुछ उत्पात करेगा उस को दंड जन्म भर के देश निकाले का या दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद सात बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा।

छलछिद्र से किसी वसीयतनामे को बिगाड़ना या नष्ट करना इत्यादि

ब्योपार और माल के चिन्हों के विषय में

दफ़ा ४७८-कोई चिन्ह जो यह बात जताने के लिये लगाया जाता हो कि यह माल फलाने मनुष्य ने बनाया है या तैयार किया है या फलाने समय अथवा स्थान पर बनाया गया है अथवा फलाने प्रकार है वह ब्योपार का चिन्ह कहलावेगा॥

ब्योपार का चिन्ह

दफ़ा ४७९-कोई चिन्ह जो यह बात जताने के लिये लगाया जाता हो कि यह वस्तु फलाने मनुष्य की है वह माल का चिन्ह कहलावेगा॥

माल का चिन्ह

दफ़ा ४८०-जो कोई मनुष्य किसी माल पर अथवा संदूक या बिदरी पर अथवा और किसी वस्तु पर जिसमें माल भरा हो कोई चिन्ह लगावेगा या किसी लगी हुई सन्दूक या बिदरी या और वस्तु को काम में लावेगा इस प्रयोजन से कि जिस माल पर वह चिन्ह लगी हुई संदूक या बिदरी अथवा और वस्तु में भरा है किसी ऐसे मनुष्य का बनाया हुआ या तैयार किया हुआ जिसने उसको न कभी बनाया और न तैयार किया अथवा यह समझा जाय कि वे माल किसी ऐसे समय या स्थान पर बनाया गया अथवा तैयार किया गया था जिसपर न वह बनाया गया न तैयार किया गया या वह समझा जाय कि यह उस विशेष प्रकार का है जिसका कि वह है नहीं तो कहलावेगा कि वह ब्योपार के झूठे चिन्ह को काम में लाया॥

ब्योपार का झूठा चिन्ह काम में लाना

दफ़ा ४८१-जो कोई मनुष्य किसी वस्तु पर या माल पर संदूक

माल का चिन्ह काम में लाना

संदूक पर अथवा बिदरी पर या और किसी वस्तु पर जिसमें कुछ वस्तु या माल भरा हो कोई चिन्ह लगावेगा या चिन्ह लगी हुई किसी सन्दूक अथवा बिदरी अथवा और वस्तु को काम में लावेगा इस प्रयोजन से कि वह वस्तु या माल जिस पर वह चिन्ह लगाया गया है या जो वस्तु अथवा माल उस चिन्ह लगी हुई संदूक में या बिदरी में या और वस्तु में भरा है किसी ऐसे मनुष्य का समझा जाय जिसका कि वह है नहीं तो कहलावेगा कि माल झूठे चिन्ह को काम में लाया॥

किसी मनुष्य को धोखा देने या नुकसान पहुंचाने के प्रयोजन से ब्योपार अथवा माल का झूठा चिन्ह काम में लाने का दंड

दफ़ा ४८२—जो कोई मनुष्य ब्योपार का झूठा चिन्ह या माल का झूठा चिन्ह किसी मनुष्य को धोखा देने अथवा नुकसान पहुंचाने के प्रयोजन से काम में लावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक वर्ष तक हो सकेगी या जरीमाने का या दोनों का किया जायगा॥

नुकसान अथवा हानि पहुंचाने के प्रयोजन से ब्योपार अथवा माल का कोई ऐसा चिन्ह जिसको और कोई काम में लाता हो-

दफ़ा ४८३—जो कोई मनुष्य सब लोगों को या किसी मनुष्य को नुकसान या हानि पहुंचाने के प्रयोजन से जानबूझकर ब्योपार अथवा माल का कोई चिन्ह जिसको और कोई काम में लाता हो झूठा बनावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो वर्ष तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा ४८४—जो कोई मनुष्य सब लोगों का अथवा किसी म-

माल का कोई ऐसा चिन्ह जिसको कोई सर्व संबंधी नौकर काम में लाता हो अथवा ऐसा चिन्ह जिसको वह किसी माल का तैयार होना और इत्यादि प्रगट करने के लिये काम में लाता हो झूठा बनाना -

मनुष्य को नुकसान अथवा हानि पहुंचाने के प्रयोजन से जानबूझ कर कोई ऐसा माल का चिन्ह जिसको कोई सर्व सम्बंधी नौकर यह बात जानने के लिये काम में लाता हो कि यह माल फलाने समय का या फलाने स्थान का बना हुआ है अथवा फलाने प्रकार का है या फलाने दफ़्तर में होकर आया है अथवा किसी माफ़ी के योग्य है झूठा बनावेगा अथवा झूठा जानबूझ कर सच्चे की भांति काम में लावेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन वर्ष तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

छल छिद्र से बनाना या पास रखना किसी ठप्पे या चपरास या औज़ार का इसलिये कि कोई चिन्ह माल का चाहे सर्व संबंधी या है निज का झूठा बनाया जाय -

दफ़ा ४८५ - जो कोई मनुष्य ठप्पा या चपरास या औज़ार जो माल का या व्योपार का चिन्ह बनाने या खोटा करने के लिये चाहे वह व्योपार का माल सर्व संबंधी हो चाहे निज का इस प्रयोजन से बनावेगा या अपने पास रक्खेगा या उस को ऐसा चिन्ह झूठा बनाने के लिये काम में लावेगा या अपने पास इसी प्रकार कोई चिन्ह व्योपार का या माल का इस प्रयोजन से रक्खेगा कि वह यह बात जताने के लिये काम में आवे कि फलाना माल या सौदागरी की वस्तु फलाने मनुष्य की या फलाने कारखाने की कि जिसको कि जिस की यह बनी हुई है नहीं है बनाई हुई समझी जायगी जिस स्थान या समय पर कि वह बनाई नहीं गई थी उस समय या स्थान पर बनाई गई समझी जाय या जिस प्रकार की वह नहीं है उस प्रकार की समझी

जाय या जिस मनुष्य की वह नहीं है उसकी समझी जाय उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कठिन कैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकैगी या जरीमाने का या दोनों का किया जायगा ॥

जानमान कर वेचना किसी माल का जिस पर व्योपार अथवा माल का झूठा चिन्ह लगा

दफा ४८६-जो कोई मनुष्य किसी ऐसे माल को जिस पर या जिस सन्दूक में या वेठन में या वस्तु में वह माल हो उस पर झूठा चिन्ह कोई माल का या व्योपार का लगा या छपा होवा है सर्व संबंधी हो चाहे निज का किसी को धोखा देने या नुकसा पहुंचाने के प्रयोजन से यह बात जानबूझकर बेचैगा कि यह चिन्ह झूठा है या जालसाजी से लगाया गया है या छापा गया है जो उस मनुष्य की या उस समय की या उस स्थान की जो कि उस चिन्ह से जान पड़ता है बनी हुई नहीं या जानबूझकर कि जो प्रकार उस चिन्ह से जाना है उस प्रकार की नहीं है उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिसकी म्याद एक बरस तक हो सकैगी या जरीमाने का या दोनों का किया जायगा ॥

छल छिद्र से किसी विदरी या माल भरी हुई वस्तु पर झूठा चिन्ह लगाना

दफा ४८७-जो कोई मनुष्य छल छिद्र से कोई झूठा चिन्ह किसी विदरी पर अथवा और वस्तु पर जिसमें माल भरा हो इस प्रयोजन से लगावेगा कि कोई सर्व संबंधी नौकर अथवा और मनुष्य उस विदरी अथवा माल रखने की वस्तु में ऐसे माल का होना समझे जो कि उसमें है अथवा विदरी या वस्तु में रखे माल को उसमें असल प्रकार या गुण से भिन्न दूसरे किसी प्रकार या गुण का समझे उसको दंड दोनों में किसी प्रकार की

कैद का जिसकी म्याद तीन बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा ४८७-जो कोई मनुष्य ऐसे झूठे चिन्ह को यह जान बूझ कर कि यह झूठा है ऊपर कहे हुए प्रयोजन से काम में लावेगा उस को दंड पिछली दफ़ा में लिखे अनुसार किया जायगा॥

झूठे चिन्ह को काम में लाना—

दफ़ा ४८८-जो कोई मनुष्य किसी माल के चिन्ह को हटावेगा अथवा बिगाड़ेगा इस प्रयोजन से या यह अति सम्भावित जान कर कि इस से किसी मनुष्य को नुकसान पहुंचावेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जिस की म्याद एक वर्ष तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा।

बिगाड़ना माल के चिन्ह का नुक्सान पहुंचाने के प्रयोजन से

अध्याय १९

(नौकरी का कौल करार दंड योग्य रीति से तोड़ने के विषय में)

समाधान किसी जुर्म हस्ब बाब हाज़ा सिर्फ़ फ़रीक़ मज़लूम की नालिश पर हो सकी है एक्ट नं० १० सन् १८८२ ई० की दफ़ा १९८ को देखो-

दंड कहे हुए अध्याय के राज़ी नामें के योग्य है (एक्ट नं० १० स० १८८२ की दफ़ा ३४५ को देखो)

दफ़ा ४९०-जो कोई मनुष्य जिस पर किसी नीति पूर्वक क़ौल क़रार के अनुसार किसी मनुष्य को या माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अथवा पहुंचाने में अपने शरीर से काम करना अथवा जल या थल के सफ़र में किसी मनुष्य की नौकरी बजाना अथवा जल या थल के सफ़र में किसी मनुष्य अथवा माल

जल अथवा थल के सफ़र में नौकरी के क़ौल क़रार को तोड़ना

की चौकसी करनी अवश्य हो जान मान कर ऐसा करने से चूकेगा उसको सिवाय इस के कि वह कुछ देना जाय अथवा अच्छे न रख जाय उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक महीने तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो एक सौ रु० तक हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा ॥

उदाहरण॥

(अ) देवदत्त एक पालकी का कहार जिस पर नीति पूर्वक किये हुए कौल क़रार के अनुसार विष्णुमित्र को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना अवश्य था अधपथ में भाग गया तो देवदत्त ने इस दफ़ा के अनुसार लक्षण किया हुआ अपराध किया-

(२) देवदत्त एक कुली जिस पर नीति पूर्वक किये हुए कौल करार के अनुसार विष्णुमित्र का असबाब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना अवश्य था असबाब फेंक कर चल दिया तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया अपराध किया-

(३) देवदत्त एक बैलों के मालिक ने जिस पर नीति पूर्वक किये हुए कौल क़रार के अनुसार कुछ माल अपने बैलों पर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना अवश्य था ऐसा करने में अनीति से चूका तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया ॥

(ए) देवदत्त ने यज्ञदत्त कुली को अपना असबाब ले चलने के लिये अनीति से दबाया यज्ञदत्त रस्ते में असबाब रख कर भाग गया तो यहां देवदत्त पर अनीति पूर्वक उस असबाब का ले जाना अवश्य था इसलिये यज्ञदत्त ने कुछ अपराध नहीं किया ॥

विवेचना- इस अपराध में कुछ यह अवश्य नहीं है कि क़ौल क़रार उसी मनुष्य के साथ किया जाए जिसकी नौकरी करनी हो इतना ही काफ़ी होगा कि जो मनुष्य नौकरी करने को हो उसने किसी मनुष्य के साथ नीति पूर्वक कौल क़रार किया हो ॥

उदाहरण॥

देवदत्तने किसी डांक कम्पिनी के साथ उनकी गाड़ी एक महीने तक हांकने का कौल करार किया यज्ञदत्तने सफ़र में जाने के लिये उस डांक कम्पिनी की गाड़ी भाड़े की और उस कंपिनी ने यज्ञदत्त को उस महीने के भीतर वही गाड़ी दी जिसको देवदत्त हांकता था देवदत्तने जानबूझ कर सफ़र में गाड़ी छोड़ दी तो यहां यद्यपि देवदत्तने यज्ञदत्त के साथ कौलकरार नहीं किया था तो भी इस दफ़ा के अनुसार अपराध का अपराधी हुआ॥

दफ़ा ४९१-जो कोई मनुष्य जिस पर कोई नीति पूर्वक कौल करार के अनुसार किसी ऐसे मनुष्य की जो कम अवस्था से या बुद्धि उनमत्तता से या रोग या शरीर की दुर्बलता से बेबस हो अथवा अपनी रक्षा का उपाय करने अथवा जो वस्तु दरकार हो उस के प्राप्त करने को असमर्थ हो खबर लेना या ज़रूरी वस्तु पहुंचाना अवश्य हो जान मान कर ऐसा करने से चूकेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद तीन महीने तक हो सकेगी या जरीमाने का जो दो सौ रु० तक हो सकेगा या दोनों का किया जायगा॥

असमर्थ मनुष्य की टहल करने और जो वस्तु उनके लिये अवश्य चाहिये उसके पहुंचाने के कौल करार को तोड़ना-

दफ़ा ४९२-जो कोई मनुष्य जिस पर किसी नीति पूर्वक लिखे हुए कौल करार के अनुसार दूसरे मनुष्य का काम कारीगर या टहलुवा अथवा मजूर की भांति करना तीन बरस से कम तो म्याद तक हिन्दुस्थान के अंग्रेज़ी राज्य में किसी जगह पर जहां उस कौल के अनुसार वह दूसरे मनुष्य के खर्च से पहुंचाया गया हो या पहुंचाया जाने को अवश्य हो जान मान कर नौकरी उस दूसरे मनुष्य की अपने कौल करार

तोड़ना कौल क़रार का दूर किसी स्थान जहां नोकर मालिक के खर्चे से पहुंचाया गया हो॥

की म्याद के भीतर छोड़ देगा या बिना अच्छे हेतु के किसी ऐसे काम के करने से नाहीं करेगा जिस के करने का उसने कौलक़रार करलिया हो और वाजिबी और उचित नौकरी हो उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद एक महीने से अधिक न होगी या जरीमाने का या जो उस रुपै के रु० ० के देने से अधिक न होगा या दोनों का किया जायगा-इस के सिवाय कि जब यह बात पाई जाय कि नौकर रखने वाले ने उस के साथ अनीति की या अपनी ओर से कौलक़रार भुगताने में असावधानी ॥

अध्याय २०

(विवाह संबंधी अपराधों के विषय में)

कोई जुर्म हस्बदफ़ा ४९३ या ४९४ या ४९५ या ४९६ की समाअतसिर्फ़ फ़रीक़ मज़लूम की नालिश और किसी जुर्म महकूमः दफ़ा ४९७ या ४९८ की समाअत शौहर उस औरत के पती की नालिश पर होसक्ती है (ऐक्ट १० सन् १८८२ ई० द

(फा १९८ ऐक्ट २९९ को देखो)

दफ़ा ४९३-प्रत्येक पुरुष जो धोखा देकर किसी स्त्री को जिसका ब्याह उससे नीति पूर्वक न हुआ हो निश्चय उसके साथ अनीति पूर्वक ब्याह देने का करावे और निश्चय अपने साथ उसके संभोग या मैथुन करावे उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दस साल वर्ष तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा ॥

(संभोग जो किसी पुरुष ने धोखा से नीति पूर्वक विवाह होजाने का निश्चय कराने के लिये किया हो-)

कैद-यह दफ़ा किसी ऐसे मनुष्य से संबंध रक्खेगी जिस का ब्याह उस जोरू या खसम के साथ किसी ऐसी अदालत से मंसूख हो चुका

हो श्रोर न ऐसे मनुष्य से रक्खेगी जिस का बिछोह पहिली जोरू या खसम से बराबर सात बरस तक रह चुका और उसने उन सात बरस के भीतर उस जोरू अथवा खसम के जीते होने की खबर न कभी पाई हो परंतु शर्त यह है कि पिछला ब्याह करनेवाला या करने वाली ब्याह होने से पहले उस से जिस के साथ ब्याह करे सब हाल सत्य २ जहां तक जानता या जानती हो कह दे-

हिन्दू मुसलमानों के लिये जोरू के जीते भी दूसरा ब्याह कर लेना अनीति नहीं इसलिये यह सजा उनको न हो सकेगी॥

दफा ४९५-जो कोई मनुष्य पिछली दफा में लक्षण किया हुआ अपराध उस से जिस के साथ दूसरा ब्याह करे अपने पहले ब्याह का हाल छुपा कर करेगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा॥

यही अपराध पहले ब्याह का उस से जिस के साथ पिछला ब्याह हुआ छिपा कर करना

दफा ४९६-जो कोई मनुष्य बेधर्मई से या छल छिद्र के प्रयोजन से ब्याह के कर्म में यह बात जान मानकर करेगा कि इस से मेरा ब्याह नीति पूर्वक नहीं होता है उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दस बरस तक हो सकेगी किया जायगा और ज़रीमाने के भी योग्य होगा॥

छल छिद्र के प्रयोजन से विवाह कर्म करना

दफा ४९७-जो कोई मनुष्य किसी ऐसी स्त्री के साथ जिसको वह जानता हो या निश्चय मानने का हेतु रखता हो कि और पुरुष की जोरू है बिना राज़ी या बिना आज्ञा उस पुरुष के संभोग करेगा और वह संभोग इस प्रकार का न होगा कि बल सहित व्यभिचार गिना जाय तो वह मनुष्य व्यभिचार

व्यभिचार

जानमान कर अथवा निश्चय मानने का हेतु पाकर कि इसबात के लगाने से उस मनुष्य के यश को हानि पहुंचेगी तो सिवाय आगे लिखी हुई छूटों के कहा जायगा कि उसने उस मनुष्य को अपयश लगाया ॥

विवेचना-किसी मरे हुए मनुष्य को कोई अपयश लगावे से भी अपयश लगाना हो सकेगा कदाचित उस अपयश लगाने उस मनुष्य के यश को जबकि वह जीता होता हानि पहुंचती और प्रयोजन उसके लगाने से यह हो कि उसके वंश वालों अथवा नगीच के नातेदारों को बुरा लगे ॥

विवेचना-२-किसी कंपिनी अथवा समाज को अथवा मनुष्यों के समुदाय को जो कंपिनी या समाज की भांति हों उनको कोई बात लगानी यह भी अपयश लगाना हो सकेगा ॥

विवेचना-३-दुअर्थ शब्द कह कर अथवा व्याजस्तुति करके कुछ बात लगानी यह भी अपयश लगाना हो सकेगा ॥

विवेचना-४-किसी बात के लगाने से किसी मनुष्य के यश को हानि पहुंचे तो न कहलावेगी जबतक कि उस बात को लगाने से स्पष्ट अथवा लौट फेर कर औरों के नगीच उस मनुष्य की सुचाल अथवा बुद्धिमानी नीची न हो जाय अथवा उसको जात पात व्योहार में वह हानि लगे अथवा उसकी साख न बिगड़े अथवा यह बात न समझी जाय कि उस मनुष्य का शरीर बिगड़ गया है अथवा ऐसी अवस्था में हो गया है जो बहुधा कलंकित गिनी जाती है ॥

उदाहरण

(क) देवदत्त ने इस प्रयोजन से कि विष्णुमित्र का यज्ञदत्त को घड़ी चुराना प्रतीत किया जाय कहा कि विष्णुमित्र ईमानदार मनुष्य है उसने यज्ञदत्त की घड़ी कभी

न चुराई होगी तो यह अपयश लगाना कहलावेगा सिवाय इसके कि कूटों में से किसी कूट में आजाय॥

(२) देवदत्त से पूछागया कि यज्ञदत्त की घड़ी किसने चुराई है देवदत्त ने विष्णुमित्र की ओर इशारा किया यह समझे जाने के प्रयोजन से कि यज्ञदत्त की घड़ी विष्णुमित्र ने चुराई है तो यह अपयश लगाना कहलावेगा सिवाय इसके कि किसी कूट में आजाय॥

(३) देवदत्त ने एक चित्र जिसमें विष्णुमित्र यज्ञदत्त की घड़ी को लिये भागा जाता है इस प्रयोजन से बनाया है कि यज्ञदत्त की घड़ी को विष्णुमित्र का चुराना समझाजाय तो यह अपयश लगाना कहलावेगा सिवाय इसके किसी कूट में आजाय॥

अपयश लगाना किसी सच्ची बात का जो सब के भले के लिये लगाई जानी या प्रगट की जानी उचित हो -

कूट-१- किसी मनुष्य के मध्ये कोई सच्ची बात लगानी अपयश लगाना न होगा कदाचित उसका लगाया जाना अथवा प्रगट करना सब के भले के लिये उचित हो और यह देखना कि यह बात सब के भले के लिये थी या न थी उस समय के वर्तमान आधीन होगा॥

सर्व संबंधी नौकर का सर्व संबंधी चलन -

कूट-२- शुद्धभाव से कुछ विचारांश किसी सर्व संबंधी नौकर की कारवाई के मध्ये या उसके चलन के मध्ये वहीं तक जहां तक कि वह चलन उस कारवाई से संबंध रखता हो प्रगट करदेना अपयश लगाना न होगा॥

(उदाहरण)

कदाचित देवदत्त अपना विचारांश चाहे जैसा हो विष्णुमित्र के मध्ये किसी सर्व संबंधी मामले की अर्जी गवर्नमेंट के देने में अथवा किसी सर्व संबंधी मामले की सभा होने के लिये बुलाने के कागज़ पर दस्तखत करने में अथवा ऐसी सभा में आने या बुलाने में अथवा सब से सहायता मांगने के लिये किसी

समाजके इकके करने या उसका साथी होने में अथवा किसी ओहदे के लिये जिस का काम भली भांति भुगतने से सब का प्रयोजन किसी विशेष उम्मेदवार की ओरराय देने या वाद करने में शुद्ध भाव से कह देना यह अपयश लगाना न कहलावेगा॥

छूट-४- किसी अदालत के हाकिम की कारर वाई को कोई सच्ची और पक्की खबर या उस कारर वाई का परिणाम छाप कर प्रगट करना अपयश लगाना न कहलावेगा॥

अदालत की कारर वाई की खबर छापकर प्रगट करनी

बिबेचना- जब कोई जस टिस आफ़ दी पीस अथवा और कोई अहलकार खुली कचहरी तहकीकात करता हो जो अदालत में किसी मुकद्दमें का न्याव होने से पहले होनी चाहिये तो वह पिछली छूट के अर्थ में अदालत का हाकिम कहला सकेगा ॥

छूट-५- शुद्ध भाव से कुछ बिचारांश दीवानी अथवा फौजदारी के किसी मुकद्दमें की व्यवस्था के मध्ये जिस को किसी अदालत के हाकिम ने निबेड़ा हो या किसी मनुष्य की कारर वाई के मध्ये जो उस मुक़द्दमें में पक्षपाती या गवाह या मुख्त्यार है अथवा उस मनुष्य के चाल चलन के बाबत वहीं तक जहां तक कि वह चलन उसी कारर वाई से संबंध रखता प्रगट करदेना अपयश लगाना न होगा॥

अदालत में निबड़े हुए किसी मुक़द्दमे की अथवा उस मुक़द्दमे की गवाही इत्यादि

(उदाहरण)

(अ) देवदत्त ने कहा कि मैं समीच्च विष्णुमित्र की गवाही उस मुक़द्दमे में ऐसी उलटी सीधी है कि वह या तो मूर्ख होगा या बेधर्मी होगा तो देवदत्त तो देवदत्त इस छूट में गिना जावेगा कदाचित उसने यह शुद्ध भाव से कही हो क्योंकि जो विच

रांश उसने विष्णुमित्र के चलने के मध्ये कहा वहीं तक कहा जहां तक कि गवा
हीमें विष्णुमित्र को कारन ताई से संबंध रखता था॥

(इ) यज्ञदत्त ने कहा हो कि विष्णुमित्र ने उस मुकद्दमे में जो कुछ कहा है उस
मुकद्दमे में जो कुछ कहा है उस को मैं सच नहीं मानता हूं क्योंकि मैं जानता
हूं कि वह सच्चा मनुष्य नहीं तो यज्ञदत्त इस में न गिना जायगा क्योंकि जो वि
चारांश उसने विष्णुमित्र के चलन के मध्ये कहा वह विष्णुमित्र की गवाही से
संबंध नहीं रखता था॥

कूट

भुनुभाव से कुछ विचारांश किसी सर्व संबंधी काम के मध्ये जि
स को उस के करने वाले ने सब के विचार ने
के लिये किया हो या कुछ विचारांश उस कर
ने वाले के चलन के मध्ये वहीं तक जहां तक कि वह चलन उ
स काम से संबंध रखता हो प्रगट कर देना अपयश लगाना
न होगा॥

किसी सर्व संबंधी काम की व्यवस्था।

(विवेचना)

किसी काम का सब के विचार के लिये प्रगट किया जाना कहलावेगा जब कि वह
काम स्पष्ट सब के विचारने के निमित्त किया जाय या उस काम के करने वाले
का आर से कोई ऐसा काम हो जिससे उस का सब के विचार के लिये किया
जाना समझा जाय॥

(उदाहरण)

(अ) कोई मनुष्य जो पुस्तक छापता है उस पुस्तक को सब के विचार के लिये प्र
गट करता है॥ (इ) कोई मनुष्य सब के सामने वर्णन करता है उस वर्णन को सब
के विचार के प्रगट करता है॥ (उ) कोई खिलाडी या गवय्या जो अखाडे में सब
के सामने जाता है वह अपने खेल अथवा गान को सब के विचार के प्रगट करता है॥
(ऋ) देवदत्त ने विष्णुमित्र की छापी हुई किसी पुस्तक के मध्ये कहा कि विष्णुमित्र
की पुस्तक मूढ़ता की है इससे विष्णुमित्र कोई तुच्छ बुद्धिमान मनुष्य होगा अ
थवा यह कि विष्णुमित्र की पुस्तक निर्लज्जता की है इससे विष्णुमित्र कोई व्यभ
चारी मनुष्य होगा तो देवदत्त इस कूट में गिना जायगा कदाचित वह

कहना उसका शुद्धभावसे हो क्योंकि जो विचारांश उसने विष्णुमित्रके मध्येक हा विष्णुमित्रके चलनेसे केवल वहीं तक संबंध रखता है जहां तक कि वह चलन विष्णुमित्रकी पुस्तकमें जाना गया॥

(द) परंतु जो देवदत्तने यह कहा हो कि विष्णुमित्रकी पुस्तक मूढता और निर्लज्जता की होने का मुझे कुछ आश्चर्य नहीं है क्योंकि वह मूर्ख और लंपट मनुष्य है तो देवदत्त इस छूटमें न गिना जायगा क्योंकि जो विचारांश उसने विष्णुमित्र के चलनके मध्ये कहा वह विष्णुमित्र की पुस्तक से संबंध नहीं रखता है॥

छूट ७-जिस मनुष्य को दूसरे पर कानून की रीति से अथवा किसी कौल करार के द्वारा जो उस दूसरे साथ कानूनानुसार हुआ हो कुछ अधिकार प्राप्त हो उसको ओर से उस दूसरे मनुष्य की कारवाई के मध्य किसी बात में जिस से उसकी नीति पूर्वक अधिकार संबंध रखता हो शुद्धभाव से कुछ दोष लगाया जाना अपयश लगाया न होगा॥

शिक्षादोष जो शुद्धभावसे कोई ऐसा मनुष्य दे जिसको कानूनकी रीतिसे दूसरे पर अधिकार प्राप्त हो

(उदाहरण)

कोई हाकिम जो किसी अदालत के अहलकार की कारवाई पर शुद्धभाव से शिक्षा दोष लगावे और किसी सरिश्तेका मुनीम जो शुद्धभाव से अपने आज्ञाकारियों को शुद्धभाव से शिक्षा दोष लगावे और कोई माता अथवा पिता जो अपने किसी बालक को अथवा बालकों के सामने शुद्धभाव से शिक्षा दोष लगावे और कोई अध्यापक जो किसी विद्यार्थी के बाप से अधिकार पाकर उस विद्यार्थी को और विद्यार्थियों के सामने शुद्धभाव से शिक्षा दोष लगावे और कोई मालिक जो अपने नौकर को उसी नौकरी में असावधानी होने के कारण शुद्धभाव से शिक्षा दोष लगावे और कोई कोठीवाल जो अपनी कोठी रोकड़िये को उसके रोकड़ियेपन के काम में शुद्धभाव से शिक्षा दोष लगावे ये सब इस छूट में गिने जायंगे॥

छूट-८-शुद्ध भाव से नालिश करना किसी मनुष्य के ऊपर उन मनुष्यों में से किसी के सामने जिनको उस मालिक के विषय में उस मनुष्य पर कानूनानुसार अधिकार हो अपयश लगाना ॥

नालिश करना शुद्ध भाव से - किसी मनुष्य के सामने जिसको यथार्थ अधिकार उसके सुनने का है

(उदाहरण)

कदाचित देवदत्त शुद्ध भाव से विष्णुमित्र के ऊपर किसी मजिस्ट्रेट के सामने नालिश करे अथवा देवदत्त शुद्ध भाव से विष्णुमित्र के काम की नालिश विष्णुमित्र के मालिक से करे अथवा देवदत्त शुद्ध भाव से विष्णुमित्र की किसी लड़के काम की नालिश विष्णुमित्र के बाप से करे तो देवदत्त इस छूट में गिना जायगा ॥

छूट-९-दूसरे के चालचलन को कुछ बात लगानी अपयश लगाना न होगा कदाचित लगाने वाले ने यह बात शुद्ध भाव से अपने अथवा और किसी के स्वार्थ की रक्षा के लिये अथवा सब के भले के लिये लगाई हो ॥

अपने स्वार्थ की रक्षा के लिये अथवा सब के भले के लिये किसी मनुष्य को शुद्ध भाव से कुछ बात लगानी

(उदाहरण)

(क) देवदत्त एक दुकानदार ने यज्ञदत्त जो उसका कामकाज करता था कहा कि विष्णुमित्र को कुछ मत बेचना जब तक कि वह रोक दाम न दे दे क्योंकि मुझको उसकी साख नहीं है तो देवदत्त इस छूट में गिना जायगा कदाचित उसने यह बुराई शुद्ध भाव से अपने स्वार्थ की रक्षा के लिये विष्णुमित्र को लगाई हो ॥

(ख) देवदत्त एक मजिस्ट्रेट ने अपने ऊपर के अफसर को रिपोर्ट करके विष्णुमित्र के चालचलन को बुराई लगाई तो यहां देवदत्त इस छूट में गिना जायगा कदाचित वह बुराई शुद्ध भाव से और सब के भले के लिये लगाई गई हो ॥

छूट-१०-एक मनुष्य को दूसरे के नसे शुद्ध भाव से सावधान कर देना अपयश लगाना होगा कदाचित वह सावधानी की

सावधानी देनी उस मनुष्य के भले के लिये है जिसको दी जाती है अथवा सब के भले के लिये

बात उस मनुष्य के भले के लिये हो जिस से वह कही गई हो या और किसी मनुष्य के भले के लिये जिस से उस का कुछ सरोकार हो अथवा सब के भले के लिये हो ॥

दफ़ा ५०० - जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को अपयश लगावेगा उसको दंड साधारण क़ैद का जिस की म्याद दो वर्ष तक हो सकेगी या जरीमाने का या दोनों का किया जायगा ॥

अपयश लगाने का दंड

दफ़ा ५०१ जो कोई मनुष्य कुछ बात यह जानकर या जानने का इच्छा हेतु पाकर कि यह किसी मनुष्य को अपयश लगाने वाली है छापेगा अथवा खोदकर लिखेगा उस को दंड साधारण क़ैद का जिस की म्याद दो वर्ष तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा ॥

छापना अथवा खोदकर लिखना किसी बात का यह जानकर कि यह अपयश लगाने वाली है

दफ़ा ५०२ - जो कोई मनुष्य किसी छपी या खुदी हुई वस्तु को जिस में कोई अपयश लगाने वाली बात हो यह जानबूझकर कि इस में ऐसी बात है बेचेगा अथवा बेचने के लिये सामने रक्खेगा उसको दंड साधारण क़ैद का जिस की म्याद दो वर्ष तक हो सकेगी या जरीमाने का या दोनों किया जायगा ॥

बेचना किसी छपी हुई अथवा खुदी हुई वस्तु का जिस में अपयश लगाने वाली बात हो ॥

अध्याय २२

दंड योग्य धमकी और अपमान और छेड़ने के विषय में ॥

अपराध दफ़ा ५०४ और कोई २ अपराध दफ़ा ५०६ राज़ीनामा के योग्य हैं।

(एक नम्बर १० सन् १८८२ ई० की दफ़ा ३४५ को देखो)

दफ़ा ५०३ - जो कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य के तन को अथवा यश

दंड योग्य धमकी

को अथवा धनको अथवा जिस मनुष्यमें वह दू-
सरा मनुष्य स्वार्थ रखता हो उसके तनको या यश को हानि
पहुंचाने की धमकी इस प्रयोजन से देगा कि उस मनुष्य को भय
बढ़ावे अथवा उससे कोई ऐसा काम करावे जिसका कराना
उसपर कानून अनुसार अवश्य न हो अथवा कोई ऐसा काम
करने से चुकावे जिसके करने का उसको कानूनानुसार अधि-
कार होतो कहा जायगा कि उसने दंड योग्य धमकी दी॥
विवेचना-किसी ऐसे मरे हुए मनुष्य के यश को जिसमें धम
की दिए हुए मनुष्य का कुछ स्वार्थ हो हानि पहुंचाने का डर दि-
खाना इस दफ़ा के अर्थ में गिना जायगा॥ (उदाहरण)
देवदत्त ने इस प्रयोजन से कि यज्ञदत्त उसके ऊपर अदालत दीवानी में
नालिश करने से रुकजाय यज्ञदत्त का घर जला देने का डर दिखाया तो देवदत्त
योग्य धमकी देने का अपराधी हुआ॥

दफ़ा ५०४ - जो कोई मनुष्य जान मानकर किसी मनुष्य का अप

कुशलता में विघ्न कराने के प्रयोजन से अपमान करना

मान करैगा और इस उपाय से उसको क्रो
ध करावेगा इस प्रयोजन से या यह बात
भांति संभवित जानकर कि इस क्रोध के होने से वह मनुष्य स
र्व संबंधी कुशलता में विघ्न डालेगा या और कुछ अपरा
ध करेगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की कैद का जि
सकी म्याद दो वर्ष तक हो सकैगी अथवा जरीमाने का अथवा
दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा ५०५ - जो कोई कुछ वृतान्त या अफ़वाह अथवा

ऐसा बनकराने अथवा सर्व संबंधी कुशलता के विरुद्ध कोई अपराध कराने के प्रयोजन से झूठे अफ़वाह इत्यादि का उड़ाना

खबर जिसको वह जानता
हो कि झूठी है इस प्रयोजन से
उड़ावेगा अथवा प्रगट करेगा

कि श्री मती महारानी की सेना या जहाजी फ़ौज के किसी अफ़सर या सिपाही अथवा मांझी से बगावत करैगा अथवा इस प्रयोजन से कि सब को डर में अथवा घबराहट में डालेगा और इस उपाय से किसी मनुष्य से कुछ अपराध राज्य के विरुद्ध या सर्व संबंधी कुशलता के विरुद्ध उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद दो बरस तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा ५०६-जो कोई दंड योग्य धमकी देने के अपराध का अपराधी होगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक होसकेगी किया जायगा और जरीमाने के भी योग्य होगा अथवा दोनों का किया जायगा॥ और कदाचित वह धमकी मारडालने या भारी दुख पहुंचाने की या आग के द्वारा किसी माल को नष्ट कर देने की अथवा कोई ऐसा अपराध करने की जिस का दंड बध अथवा जन्म भर का देश निकाला या सात वर्ष तक की क़ैद की हो सकैगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

दंड योग्य धमकी देने का दंड

कदाचित वह धमकी मारडालने या भारी दुख पहुंचाने इत्यादि की हो

दफ़ा ५०७-जो कोई मनुष्य बिना नाम की मुखबरी करके या धमकी देने वाले का नाम या रहने का स्थान गुप्त रखने का सावधानी करके दंड योग्य धमकी देने का अपराधी होगा उसको दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिसकी म्याद दो बरस तक होसकेगी सिवाय उस अपराध के जो उस अपराध के लिये पिछली दफ़ा

बिना नाम की मुखबरी के द्वारा दंड योग्य धमकी देना

में ठहराया गयाहै ॥

दफ़ा ५०८-जो कोई मनुष्य जान मान कर किसी मनुष्यसे कोई काम जिसका करना उस पर कानूनानुसार अवश्य नहो

काम जो किसी को वह हक्का कर देवी कोप का निश्चय कराने से किया जाय

करावेगा या कोई काम जिसके करने का वह क़ानूनानुसार अधिकारी हो करने से चुकावेगा या करने या चुकाने का उद्योग करेगा इस उपाय से कि उसको यह बात निश्चय करने के लिये वह कावेगा या वहकाने का उद्योग जो ऐसा न करेगा अथवा करने से न चूकेगा तो तुरुपर या फलाने मनुष्यपर जिस में तू स्वार्थ रखता है ईश्वर का कोप होगा या मैं कुछ कोप करके देवी कोप करा दूंगा उस को दंड दोनों में से किसी प्रकार की क़ैद का जिस की म्याद एक वर्ष तक हो सकेगी या जरीमाने का या दोनों का किया जायगा ॥ (उदाहरण)

(अ) देवदत्त विष्णुमित्र के द्वार धन्ने बैठा इस प्रयोजन से कि विष्णुमित्र नि श्चय माने कि उसका यह बैठना विष्णुमित्र पर देवी कोप लगावे तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया

(ब) देवदत्त ने विष्णुमित्र को धमकी दी कि फ़लाना काम न करेगा तो मैं अप ने बालकों में से एक बालक को इस भांति मार डालूंगा जिस से निश्चय माने जाय कि कि तू देवी कोप के योग्य हुआ तो देवदत्त ने इस दफ़ा में लक्षण किया हुआ अपराध किया ॥

दफ़ा ५०९-जो कोई मनुष्य किसी स्त्री की लज्जा का अपमान

किसी स्त्री की लज्जा का अपमान करने के प्रयोजन से वचन कहना अ थवा सैन देना-

करने के प्रयोजन से वचन कहेगा या सैन देगा या शब्द करेगा या कुछ वस्तु इस प्रयोजन से कि वह स्त्री उस वचन अथ वा शब्द सुने अथवा उससे नयी वस्तु को देखे अथवा उस स्त्री के एर

देमें घुसजायगा उसको दंड साधारण कैदका जिसकी म्याद एक बर्ष तक होसकेगी अथवा जरीमाने का अथवा दोनों का किया जायगा॥

दफ़ा ५१० - जो कोई मनुष्य नशेमें किसी सर्व संबंधी स्थानप

कुचलन किसी नशा किये हुए मनुष्य का सबके सामने

र या और किसी स्थान पर जहां उसका जाना मुदाख़लत बेजा होजायगा और वहां कोई काम ऐसा करेगा जिससे किसी मनुष्य को हानि हो उस को दंड साधारण क़ैद का जिस की म्याद चौबीस घंटे अर्थात् आठ पहर तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो दस रु० त के हो सकेगा अथवा दोनों का किया जायगा॥

अध्याय २३

(अपराध करने के उद्योग के विषय में)

दफ़ा ५११ - जो कोई मनुष्य उद्योग किसी ऐसे अपराध के करने

अपराध के उद्योग करने का दंड -

या कराने का करेगा जिसका दंड इस संग्रह के अनुसार देश निकाला अथवा कैद हो और उस उद्योग में कोई काम उस अपराध के लिये जाने के निमित्त करेगा जहां ऐसे उद्योग के दंड के लिये इस संग्रह में कुछ स्पष्ट लेख नहीं है वह उस को दंड देश निकाले का या उसी प्रकार की क़ैद का जो उस अपराध के लिये जितनी कि उस दफ़ा के लिये ठहराई गई बढ़ती से बढ़ती म्याद के आधे तक हो सकेगी अथवा जरीमाने का जो उस अपराध के लिये ठहराय गया हो या दोनों का किया जायगा॥

(उदाहरण)

(क) देवदत्त ने संदूक तोड़कर गहना चुराने का उद्योग और जब उस संदूक को

तोड़ चुका नव जाना कि उसमें कुछ गहना नहीं है तो यहां देवदत्त ने चोरी कर
ने के निमित्त एक काम किया इसलिये इस दफ़ा के अनुसार अपराधी हुआ
(ट) देवदत्त ने विष्णुमित्र की जेब में हाथ डाल कर जेब काटने का उद्योग कि
या परंतु विष्णुमित्र की जेब में कुछ न होने के कारण उसका वह उद्योग नहोस
का तो देवदत्त इस दफ़ा के अनुसार अपराधी हो चुका॥

इति समाप्त शुभम्

इश्तहार

वाज़े हो कि इस क़ानून में तरमीमात सन् १८९६ तक की निहा
यत मिहनत व जांफिसानी के साथ उर्दू ज़बान से भाषा हिं
दी ज़ुबान में की है और जगह २ हवाला क़ानूनों के भी दिये
हैं॥

واضح ہو کہ اس ایکٹ میں سنہ ۱۸۹۶ء تک کی ترمیم ہندی زبان میں کی گئی ہے
اور جگہ جگہ حوالہ قانونوں کے بھی دیئے گئے ہیں۔

विज्ञापन

ऐक्ट १९ सन् १८७३ ई०

अर्थात्

पश्चिमोत्तरीय देशोंकी धरती की मालगुज़ारी का ऐक्ट

जो

श्रीमान् नव्वाब गवर्नर जनरल वीरेश की आज्ञानुसार
प्रचलित हुआ

और

२२ दिसम्बर सन् १८७३ ई० को उक्त महाशय के
हुज़ूर से अंगीकार होकर सम्पूर्ण विद्वज्जनों
के अर्थ हिन्दी भाषा में उलथा

हुआ

इस ऐक्ट में सम्पूर्ण क़ानून मालगुज़ारी और वह अधिकार
जो पश्चिमोत्तरीय देशों के ओहदेदारों को सुपुर्द हैं
वर्णित हैं

लखनऊ

मुंशी नवलकिशोर के यंत्रालय में छपा

फ़ेब्रूअरी सन् १८७४ ई०

ऐक्ट १९ सन् १८७३ ई० ॥

पश्चिमोत्तरदेश की धरती की मालगुज़ारी के क़ानून का ऐक्ट ॥

ऐक्ट क़ानून का पश्चिमोत्तरदेश में धरती की मालगुज़ारी और माल के ओहदेदारों के अख़्तियार के इलाक़े के क़ानूनों को एकत्र करने और शोधने के विषय ॥

उचित है कि प्रेज़ीडेंसी फ़ोर्ट विलियम बंगाले के पश्चिमोत्तरदेश में भूमि की मालगुज़ारी और माल के ओहदेदारों के अख़्तियार के इलाक़े के क़ानूनों का संग्रह और शोधन किया जाय इसलिये नीचे लिखे अनुसार आज्ञा होती है ॥

अध्याय १—प्रारंभ ॥

दफ़ा १। जायज़ है कि यह ऐक्ट पश्चिमोत्तर देश की धरती की मालगुज़ारी का क़ानून सन् १८७३ ई० का कहा जाय ॥

यह ऐक्ट श्रीयुत नव्वाब लेफ़्टिनेंट गवर्नर बहादुर पश्चिमोत्तरदेशाधिकारी के आधीन समय के विद्यमान देशों में जारी होगा सिवाय उन खंडों के जिनकी व्याख्या इस ऐक्ट के संयुक्त ज़मीमे १ में की गई है ॥

परंतु लोकल गवर्नमेंट को जायज़ है कि इश्तिहार मुन्दर्जे गज़ट सरकारी के द्वारा इस ऐक्ट को संपूर्ण या

थोड़ा या किसी उक्त इक़रार छांटे हुए वाला से सम्बन्धित करे ॥

इस ऐक्ट का वर्त्ताव जारी होने की तारीख से होगा ॥

दफ़ा २ क़ानून और ऐक्ट जो इस ऐक्ट के संयुक्त जमीमे २ में लिखे हैं उतने रद्द किये गये जिनका ब्यौरा उसी जमीमे के तीसरे खाने में किया गया है ॥

परंतु जो किसी रद्द किये हुए हुक्मों के अनुसार क़ायदे बनाये गये हों और जो ओहदेदार मुक़र्रर किये गये हों और जो अख़्तियार सौंपे गये हों और जो इश्तिहार जारी हुए हों और संपूर्ण दूसरे क़ायदे जो समय पर प्रचलित हों (यदि कोई हों) और किसी ऐसी बातों से इलाक़ा रखते हों जिनके लिये इस ऐक्ट में इसके पीछे हुक्म लिखे हैं ऐसे समझे जायंगे कि (जहां तक वह इस ऐक्ट के हुक्म के अनुसार हों) मानो इसी ऐक्ट के अनुसार मुक़र्रर किये गये और वर्त्ताव में आये और सौंपे गये और प्रकाशित हुए थे ॥

और संपूर्ण काररवाई अबके प्रकाशित हुए जो किसी ऐसे हुक्म क़ानून के अनुकूल शुरूअ की गई हो जिसका मंसूख इस ऐक्ट के अनुसार हुआ उनका शुरूअ होना इस ऐक्ट के अनुसार समझा जायगा इस सूरत के विशेष कि डिगरी सादिर हो चुकी हो या अपील प्रकाशित की गई हो ॥

दफ़ा ३ इस ऐक्ट में यदि आशय वा भावान्तर के अनुसार कोई बात विपरीत न हो तो ॥

(१) मुहाल के शब्द के अभिप्राय में ॥

(क) धरती का हर रक़बा दाखिल है जिस पर मालगुज़ारी देने के जुदे इक़रारनामे के अनुसार क़[illegible]

और जिसकी बाबत हक़ियत के काग़ज़ों की जुदी मिसल तैय्यार की गई हो ॥

(ख) और हर एक धरती का रक़बा है जिसकी मालगुज़ारी किसी से लगा दी गई हो वा जिसका चुकौती करा लिया गया हो और जिसकी बाबत अलग मिसल काग़ज़ात हक़ियत की तरतीब की गई हो ॥

(२) कलेक्टर ज़िला के शब्द का अर्थ वह बड़ा ओहदेदार है जिसको ज़िले का माली प्रबन्ध सौंपा हो ॥

(३) कमिश्नर का शब्द उस बड़े ओहदेदार का बोधक है जो एक क़िस्मत के माल के प्रबन्ध का अधिकार रखता हो ॥

(४) लगान के शब्द से वह वस्तु समझनी चाहिये जो कोई असामी धरती को बर्त्तने वा अपने दख़ल में रखने की बाबत अदा करे वा देवा करे ॥

(५) सीर के शब्द से ॥

(क) वह धरती समझनी चाहिये जो उस ज़िले के जिस में कि वह हो पिछले बन्दोबस्त में सीर के नाम से लिखी गई थी और उस समय से बराबर इसी प्रकार पर लिखी चली आती है ॥

(ख) वा वह धरती है जिसको ख़ुद मालिक अपने पशु आदि से वा अपने नौकरों वा मज़दूरों के द्वारा बराबर बारह वर्ष से जोतता चला आता हो वा ॥

(ग) वह धरती है जो गांव की रीतानुसार किसी हिस्सेदार की ख़ास जोत मानी गई हो और हिस्सेदारों के बीच में मुनाफ़ा वा ख़र्चा बांटने में उसी भांति समझी जाती हो ॥

(६) मालियतसालाना के शब्द का अर्थ मालगुज़ारी

की तादाद का दोगुना है वा जब कि मुहाल का बन्दोबस्त इस्तमरारी हो वा मालगुज़ारी से माफ़ हो तो उस तादाद का दोगुना है जो जमा के लगने वा जमा के तरमीम होने की सूरत में उस मुहाल पर देनी पड़ती ॥

(७) ज़िम्मेदारी के शब्द से बरतों के मध्ये वह देन वा दावा समझना चाहिये जो खानगी कौलक़रार से पैदा हुआ हो ॥

(८) किसानी वर्ष वह साल कहा जाता है जो पहली जूलाई से लगता है और ३० जून को बीत जाता है ॥

(९) मुहकमे माल के शब्द में नीचे लिखे हुए सब हाकिम वा उन में से कोई दाखिल हैं (अर्थात्) बोर्ड माल के संपूर्ण हाकिम और साहिबान कमिश्नर और कलेक्टर और एसिस्टेंट कलेक्टर और बन्दोबस्त के ओहदेदार और बन्दोबस्त के एसिस्टेंट ओहदेदार और तहसीलदार ॥

(१०) माफ़ी मालगुज़ारी का शब्द उन आराज़ी के लिये कहा जाता है कि जिसकी मालगुज़ारी संपूर्ण वा थोड़ी छोड़ी गई है या मुनक़िते कर ली गई है या बख़्शी गई है या किसी इक़रार खास से छोड़ी गई है ॥

(११) बोर्ड का शब्द पश्चिमोत्तर देशीय बोर्ड माल का बोधक है ॥

(१२) नाबालिग के शब्द में वह मनुष्य दाखिल है जिसकी १८ वर्ष की पूरी उमर न हो गई हो ॥

अध्याय २ माल के ओहदेदारों का मुक़र्रर होना और अधिकार ॥

दफ़ा ४ पूर्वोक्त देशों के संपूर्ण माल संबन्धी कामों के प्रबंध का मुख्य अधिकार लोकल गवर्नमेंट के आज्ञाधीन बोर्ड के साहिबों को प्राप्त है ॥

लोकल गवर्नमेंट की आज्ञा के नियम से साहिबान बोर्ड अपनी कचहरी पश्चिमोत्तरदेश के किसी मुक़ाम के भीतर जहां उचित समझें करेंगे और उनको वे अखितयार प्राप्त रहेंगे जो इस ऐक्ट के अध्याय ७ के अनुसार साहिबान कमिश्नर और कलेक्टर को प्राप्त हैं॥

दफ़ा ५ लोकल गवर्नमेंट श्रीमान् नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर कौंसिल विराजमान के हजूर से मंजूरी प्राप्त करके बोर्ड के हाकिमों को मुक़र्रर करेगी और समय प्रति समय उनको मौक़ूफ़ कर सक्ती है॥

दफ़ा ६ साहिबान बोर्ड को लायक़ है कि लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी मंगाकर और उन क़ायदों के प्रतिपालन से जो समय प्रति समय लोकल गवर्नमेंट बनावे जिस प्रकार उचित जानें काम और मुल्क का हिस्सा आपस में बांट लें॥

संपूर्ण हुक्म वा डिगरियां जो बोर्ड का कोई हाकिम उस काम वा मुल्क के बांट के मुआफ़िक़ करे वह हुक्म वा डिगरी (अर्थात् जैसी कि सूरत हो) बोर्ड की समझी जायगी॥

दफ़ा ७ जो डिगरी वा हुक्म अपील में वा तलब किये जाने वा हुक्म होने के लिये रिपोर्ट की सूरत में दफ़ा २३५ या २५४ के अनुसार साहिबान बोर्ड के विचार के लिये पेश किया जाय वह बोर्ड के दो हाकिमों की एक राय हुए बिना न बदला जायगा न रद्द होगा॥

दफ़ा ८ जब बोर्ड के हाकिम किसी काम में जो और प्रकार पर उनके विचार के लिये पेश किया जाय हुक्म देने के लिये एक सम्मत न हों और दोनों पक्ष बराबर हों तो जिस बात में कि इस प्रकार पर

हिस्सों में बांट दे और समय प्रति समय उन हिस्से ज़िलों की हद्दों को बदलती रहे ॥

संपूर्ण विद्यमान तहसीलियां हिस्से ज़िला होंगी उस समय तक कि वह उस प्रकार पर बदली जायं ॥

दफ़ा १५ लोकल गवर्नमेंट को जायज़ है कि किसी एसिस्टेंट कलेक्टर दर्जे अव्वल को एक वा कई हिस्से ज़िलों का एहतमाम सुपुर्द कर दे और किसी समय उसको वहां से बदल दे ॥

ऐसा एसिस्टेंट कलेक्टर हिस्से ज़िले का मुहतमिम एसिस्टेंट कलेक्टर कहलावेगा और जो अख़्तियार कि उसको इस ऐक्ट वा समय के प्रचलित किसी और क़ानून के अनुसार दिये जायं उनको कलेक्टर ज़िला के प्रबंधाधीन वर्तेगा ॥

लोकल गवर्नमेंट को अख़्तियार है कि जो अख़्तियार उसको इस दफ़ा के अनुसार प्राप्त हों वह कलेक्टर ज़िला को समय प्रतिसमय सौंपता रहे और उस दिये हुए अख़्तियार को फेर ले ॥

दफ़ा १६ हिस्से ज़िले का हर ओहदेदार जो धरती की मालगुज़ारी की तहसील वा माल के दफ़्तर के बना रखने के लिये नियत हो हिस्से ज़िले के मुहतमिम एसिस्टेंट कलेक्टर के आधीन (यदि कोई हो) रहेगा और उस पर ज़िले का कलेक्टर आम एहतमाम रक्खेगा ॥

दफ़ा १७ लोकल गवर्नमेंट को जायज़ है कि जब इस ऐक्ट के अनुसार अख़्तियार सौंप तो मनुष्यों को उनके नाम से वा किसी प्रकार के ओहदेदारों को उनके ओहदों के नाम से अधिकार दे ॥

दफ़ा १८ कलेक्टर ज़िला वा हर हिस्से ज़िले के

मुहतमिम रसिडेंट कलेक्टर वा बन्दोबस्त के मुहतमिम ओहदेदार को जायज़ है कि किसी मुक़द्दमे वा मुक़द्दमे के क़िस्म को जो इस ऐक्ट के ज़ब्तों के अनुसार वा दूसरे प्रकार पर क़ायम हों तहक़ीक़ात वा फ़ैसला के लिये अपने मुहकमे से किसी अपने आधीन ओहदेदार के पास भेज दे जो उस मुक़द्दमे वा उस क़िस्म के मुक़द्दमों में अधिकार रखता हो ॥

वा किसी मुक़द्दमे वा किसी क़िस्म के मुक़द्दमों को अपने आधीन ओहदेदार माल के पास से उठा मंगावे और उस मुक़द्दमे में वा उस क़िस्म के मुक़द्दमों में खुद अमल करे वा निबटेरा के लिये किसी और ऐसे माल के अधिकारी ओहदेदार को अमल करने के लिये सौंपे ॥

दफ़ा १९ लोकल गवर्नमेंट को जायज़ है कि जिस ज़ब्त की रू से जो अख़्तियार इस ऐक्ट के अनुसार सौंपे गये हों उनको बदले वा रद्द करे ॥

दफ़ा २० यदि जिले का कलेक्टर मरजाय वा और [illegible] अपने काम भुगताने के योग्य न रहे तो वह [illegible] थोड़े दिन के लिये जिले के संबंधित [illegible] बड़े आमिल हाकिम की भांति करे वह [illegible] कि मृतक वा काम के अयोग्य कलेक्टर के बदले को। ई और मनुष्य लोकल गवर्नमेंट के ज़रिये से मुक़र्रर हो और अपने उस ओहदे का एहतमाम ले इस ऐक्ट के अनुसार जिले का कलेक्टर समझा जायगा ॥

दफ़ा २१ जब किसी मनुष्य को जो सरकारी नौकरी में कोई ओहदा रखता हो किसी जिले में इस ऐक्ट के

प्रतिपालन न करें तो ज़िले का कलेक्टर वा एसिस्टेंट कलेक्टर उस मनुष्य की मुक़र्ररी को नामंजूर करेगा और यदि कोई लायक़ मनुष्य पंद्रहरोज़ के भीतर उस नामंज़ूरी की तारीख़ से नियत न किया जाय तो वह ख़ुद किसी मनुष्य को ख़ाली ओहदे पर मुक़र्रर कर देगा ॥

परंतु शर्त यह है कि कलेक्टर ज़िला वा एसिस्टेंट कलेक्टर इस दफ़ा वा ऊपर की दफ़ा के अनुसार मुक़र्रर करने में उस मनुष्य को सदैव प्रधानता देगा जो पहले पटवारी के घराने में से हो परंतु इस नियम से कि नालायक़ न हो ॥

दफ़ा २९ कलेक्टर ज़िला के हुक्म से एक रसूम हर पटवारी के हलक़े के संपूर्ण मुहालों की सालाना मालियत पर वा उनके मज़रूआ रक़बा पर वा इन दोनों प्रकारों में से कुछ एकप्रकार पर कुछ दूसरे प्रकार पर इसलिये मुक़र्रर की जायगी कि उस में से पटवारी की तनख़ाह दी जाय और वे ख़र्चें अदा किये जावें जो पटवारी के काग़ज़ों की उचित देख भाली और उनके तय्यार रखने और शोधन के लिये अधिक अमले की बाबत पड़ें ॥

दफ़ा ३० उस शरह की तादाद जो दफ़ा २९ के अनुसार ज़िले वा हिस्से ज़िले में नियत की जाय लोकल गवर्नमेंट के हुक्मों की आधीनता से साहिबान बोर्ड तजवीज़ करेंगे ॥

परंतु शर्त यह है कि वह रसूम किसी मुहाल की सालाना क़ीमत पर तीन रुपया सैकड़े से अधिक न हो और जो तादाद उस रसूम की हर मुहाल पर बांध दी

जाय उसकी अवधि म्याद बन्दोबस्त के जिलों में बन्दोबस्त की म्याद तक और बन्दोबस्त इस्तमरारी के जिलों में तीस वर्ष तक वा कम मुद्दत तक जिसको लोकल गवर्नमेंट हिदायत करे मुक़र्रर कर दी जायगी ॥

दफ़ा ३१ वह ख़रच मालगुज़ारी के साथ वसूल की जायगी और अदा न होने की सूरत में मालगुज़ारी की बाक़ी की भांति वसूल करने के योग्य होगी ॥

दफ़ा ३२ पटवारियों की तनख़ाह की तादाद समय प्रतिसमय साहिबान बोर्ड गवर्नमेंट के ऊक्मों की आधीनता से मुक़र्रर करते रहेंगे ॥

दफ़ा ३३ हर तहसील के लिये एक वा कई क़ानूनगो पटवारी के काग़ज़ों की उचित देख भाली और तैय्यार रखने और शोधने के लिये मुक़र्रर हो सक्ते हैं ॥

जब किसी क़ानूनगो का ओहदा ख़ाली हो तो उस तहसील वा तहसील के हिस्से के मौरूसी क़ानूनगो के घराने में जो मनुष्य यथोचित योग्य पाया जाय उसको प्रधानता होनी चाहिये ॥

यदि उसके घराने में ऐसा कोई लायक़ मनुष्य न हो तो उसी तहसील का कोई पटवारी जो यथोचित योग्यता रखता हो ख़ाली ओहदे पर मुक़र्रर किया जायगा और जब कि उन में से कोई मनुष्य ऐसा योग्य न हो तो कोई और मनुष्य जो लायक़ और उस ओहदे के योग्य हो मुक़र्रर किया जायगा ॥

दफ़ा ३४ क़ानूनगोयों की तनख़ाह की तादाद समय प्रतिसमय लोकल गवर्नमेंट मुक़र्रर करती रहेगी ॥

दफ़ा ३५ हर क़ानूनगो और पटवारी और हर मनुष्य जो थोड़े दिनों तक ऐसे ओहदे के कामों के भुगताने के

लिये मुक़र्रर किया जाय वह हिन्दुस्तान के दण्ड संग्रह के अर्थानुसार सरकारी नौकर समझा जायगा ॥

और सब दफ़र और सरकारी काग़ज़ जो ऐसा ओहदेदार बना रक्खे वह दफ़र सरकारी और माल सरकार के समझे जायंगे ॥

अध्याय ३—बन्दोबस्त ॥

दफ़ा ३६ जब लोकल गवर्नमेंट के विचार में कोई ज़िला या दूसरे धरती के रक़बे का बन्दोबस्त करना उचित समझा जाय तो वह एक इश्तिहार जिस में उस रक़बे की तादाद का वर्णन हो प्रकाशित करेगी ॥

यदि उसके विचार में मुनासिब हो कि काग़ज़ात हक़ धरती खास इससे कि उसका बन्दोबस्त इस्तमरारी या मियादी हुआ हो या माल गुज़ारी से माफ़ हो किसी ज़िले या रक़बे धरती के लिये तय्यार किये जायं तो वह एक इश्तिहार इस विषय का प्रकाशित करेगी ॥

दफ़ा ३७ धरती का वह रक़बा उस इश्तिहार की तारीख़ से जो दफ़ा ३६ के अनुसार प्रकाशित हो या उससे सम्बन्धित हो दूसरे इश्तिहार के निकलने की तारीख़ तक जिसमें बन्दोबस्त के काम पूरा होने का वर्णन किया जाय बन्दोबस्त के प्रबंधाधीन समझा जायगा ॥

हर ज़िला वा रक़बा वा आराज़ी जो इस ऐक्ट के जारी होने के समय बन्दोबस्त के प्रबंधाधीन हो उस इश्तिहार के जारी हुए बिना जिसका वर्णन दफ़ा ३६ में किया गया इस दफ़ा के अर्थानुसार बन्दोबस्त के प्रबंधाधीन समझा जायगा ॥

दफ़ा ३८ लोकल गवर्नमेंट को समय प्रतिसमय अख़्ति-

यार है कि किसी ओहदेदार को एक वा कई जिले वा किसी जिले के हिस्से का मुहतमिम बन्दोबस्त और जितने ओहदेदार एसिस्टेंट बंदोबस्त उचित हों मुक़र्रर करे और वह ओहदेदार उन अख़्तियारों को जो इस ऐक्ट के अनुसार उनको दिये जायं उस समय तक बर्त्तेंगे कि वह जिला वा कई जिले वा जिले का हिस्सा बन्दोबस्त के प्रबंधाधीन रहे ॥

दफ़ा ३९ लोकल गवर्नमेंट को अवश्य है कि समय प्रतिसमय नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर कौंसिल विराजमान की मंजूरी लेकर इस विषय में क़ायदे बनावे और जारी करे कि जमा मालगुज़ारी किस प्रकार लगाई जायगी ॥

दफ़ा ४० जब कोई जिला वा जिले का हिस्सा बन्दोबस्त के प्रबन्ध में हो तो बंदोबस्त के ओहदेदार को अख़्तियार होगा कि धरती के संपूर्ण मालिकों को इश्तिहार के द्वारा तलब करे और वह इश्तिहार हर मौज़े में प्रगट स्थान पर लटकाया जायगा और उस में हुक्म दिया जायगा कि उस प्रकार के हदबंदी के निशान जो कि उक्त ओहदेदार के विचार में मौज़ों वा मुहालों वा खेतों की हदों के ठहराने के लिये ज़रूरी हों पंद्रह दिन के अंदर बना दिये जायं यदि इश्तिहार में लिखी हुई मुद्दत के बीच यह बात न की जाय तो उसे अख़्तियार है कि खुद उस प्रकार हदबंदी के निशान बनवा दे और उसका ख़र्च धरती के मालिकों से मालगुज़ारी की बाक़ी की भांति वसूल करे ॥

जब किसी हदबंदी के निशानों की बाबत झगड़ा हो तो बन्दोबस्त का ओहदेदार उस झगड़े का निबटेरा क़ब्ज़े के मूल पर करेगा वा मुक़द्दमा पंचों के सुपुर्द

करे जैसा कि दफ़ा २२० से दफ़ा २३१ तक में हुक्म है ॥

दफ़ा ४१ बंदोबस्त के संपूर्ण ओहदेदार और मालगुज़ारी पैमायश के संपूर्ण मुहतमिम ओहदेदार और उनके नायब और नौकर और कारिन्दे और मज़दूर यह संपूर्ण काम जो बन्दोबस्त वा पैमायश के किसी प्रयोजन के लिये ज़रूरी हों अर्थात् जैसी कि सूरत हो कर सक्ते हैं ॥

दफ़ा ४२ बंदोबस्त का ओहदेदार संपूर्ण मनुष्यों को जिनका हाज़िर होना उसकी राय में बन्दोबस्त वा पैमायश के प्रयोजनों के लिये ज़रूरी हो किसी समय वा किसी नियत स्थान पर हाज़िर होने और लिखी हुई दस्तावेज़ जो उनके क़ब्ज़े वा अधिकार में है उसके पेश करने का हुक्म दे सक्ता है और ऐसे संपूर्ण मनुष्यों को क़ानून अनुसार आवश्यक होगा कि उस हुक्म का प्रतिपालन करें ॥

दफ़ा ४३ बन्दोबस्त धरती के मालिक के साथ किया जायगा वा जब कि मालिक ने अपनी धरती का क़ब्ज़ा किसी मुर्तहिन वा शर्ती बैके लेनेवाले को मुन्तक़िल कर दिया हो तो उस मुर्तहिन वा मोल लेनेवाले के साथ किया जायगा ॥

जब बन्दोबस्त के समय कोई मुहाल वा किसी मुहाल का हिस्सा किसी विक्षिप्त वा नाबालिग़ वा और मनुष्य के क़ब्ज़े में होजो मालगुज़ारी करने के योग्य न हो तो उसकी तरफ़से बन्दोबस्त उसके वली वा सर्बराहकार के साथ होगा॥

दफ़ा ४४ जब एक मुहाल के क़ाबिज़ कई मनुष्य हों तो बन्दोबस्त के ओहदेदार को अख़्तियार होगा कि सब मालिकों के साथ वा उनके क़ायम मुक़ामों के साथ जो

मुहाल के रिवाज के मुआफ़िक़ छांट लिये और मरा फ़ती बन्दोबस्त करे॥

दफ़ा ४५ जब बन्दोबस्त का ओहदेदार जमा लगाने की तजवीज लिखे तो उसे चाहिये कि उन तजवीजों की कैफ़ियत कमिश्नर की मारफ़त उन क़ायदों के मुताबिक़ जो दफ़ा २५७ के अनुसार बनाये जायं बोर्ड को भेजे और उस बिषय में बोर्ड के हुक्म पहुंचने के पीछे और उन हुक्मों की आधीनता से बन्दोबस्त के ओहदेदार को अवश्य है कि उन मनुष्यों को जिनके साथ बन्दोबस्त होनेवाला हो वह जमा जो उनके मुहाल के लिये तजवीज की हो जाहिर कर दे॥

वह जमा उस तारीख़ में जाहिर की जायगी जिसकी इत्तिला इश्तिहार के द्वारा उस तहसील में दी जायगी जिस में कि वे मुहाल हों॥

दफ़ा ४६ यदि वे मनुष्य जिनके साथ बन्दोबस्त होने वाला है तजवीज की हुई जमा पर राज़ी हों तो उस रजामन्दी की तारीख़ से वा उसके पीछे उस तारीख़ से जो साहिबान बोर्ड ठहरा दें वह जमा उनको अदा करनी होगी और उन मुहालों में जिन में धरती वा धरती का हिस्सा कई मनुष्यों के क़ब्ज़े में हो बन्दोबस्त के ओहदेदार को अवश्य है कि उस तजवीज की हुई जमा को उन धरतियों पर जो इस प्रकार के क़ब्ज़े में हो बांट दे॥

दफ़ा ४७ जिस मुहाल में रिवाज के मुआफ़िक़ धरती वा मालगुज़ारी की तादाद जो हर शरीक के जिम्मे हो नियत समयों पर बटती और तजवीज हुआ करती हो बन्दोबस्त के ओहदेदार को वाजिब है कि शरीकों की दरख़्वास्त होने पर मुहाल के उस रिवाज के

अनुसार नई तक़सीम वा नई तजवीज़ करा दे ॥

दफ़ा ४८ यदि वह मनुष्य जिसके साथ बन्दोबस्त होना चाहिये बन्दोबस्त के ओहदेदार की तजवीज़ की हुई जमा को मंजूर करने से ३० दिन के अंदर उस तारीख़ से जब कि बन्दोबस्त के ओहदेदार ने दफ़ा ४५ के अनुसार तजवीज़ की हुई जमा सुनाई हो इनकार करे वा उसको मंजूर न करे तो बन्दोबस्त के ओहदेदार को चाहिये है कि उसकी कैफ़ियत बोर्ड के पास भेजे और साहिबान बोर्ड को अधिकार है कि जिस मनुष्य ने इस प्रकार पर इनकार किया हो वा मंजूर न किया हो वह उस मुद्दत तक जो साहिबान बोर्ड नियत करें और हुक्म की तारीख से पन्द्रह वर्ष से अधिक न हो बन्दोबस्त से ख़ारिज किया जाय और ओहदेदार बन्दोबस्त वा कालेक्टर ज़िला को अधिकार है कि साहिबान बोर्ड की मंजूरी पहले प्राप्त करके मुहाल को उस अर्से तक वा उस अर्से के किसी खंड तक मुस्ताजिरी पर दे वा ख़ास तहसील में रक्खे ॥

ऐसी सूरत में वह मनुष्य जो बन्दोबस्त से ख़ारिज किया जाय (साहिबान बोर्ड के हुक्मों की पाबंदी से) मालिकाना हक़ पाने का अधिकारी होगा जो तजवीज़ की हुई जमा की तादाद पर ५) रुपये सैकड़े से कम वा १५) रुपये सैकड़े से ज्यादह न हो ॥

दफ़ा ४९ यदि मुहाल पट्टीदारी वा मुहाल पट्टीदारी ग़ैर मुकम्मिल में बाज़े शरीक उस तारीख़ से कि बन्दोबस्त का ओहदेदार दफ़ा ४५ के अनुसार तजवीज़ की हुई जमा ज़ाहिर करे उस जमा के मंजूर करने से ३० दिन के भीतर इनकार करें वा उसको

मंज़ूर न करे तो उन शरीकों के हिस्से की बाबत जो इस प्रकार पर इन्कार करें वा मंज़ूर न करें दफ़ा ४८ के अनुसार अमल किया जायगा और उनको मालिकाना हक़ उक्त दफ़ा के लिखे अनुसार हिस्से रसदी के हिसाब से जितना उस मुहाल में उनका हिस्सा होगा मिलेगा ॥

परंतु शर्त्त यह है कि उन हिस्सों की मुस्ताजिरी का पट्टा पहले उन मनुष्यों को दिया जायगा जो तजवीज़ की हुई शर्त्तों को मंजूर करें ॥

दफ़ा ५०—हर मालिक जो दफ़ा ४८ वा ४९ के अनुसार बन्दोबस्त से ख़ारिज किया जाय अधिकारी होगा कि हक़दार असामी की भांति अपनी सीर की धरती पर क़ाबिज़ रहे और उक्त धरती की बाबत जो लगान ख़ारिज रहने के दिनों में उसे अदा करना होगा उसे बन्दोबस्त का ओहदेदार उसके मुताबिक़ मुक़र्रर करेगा ॥

दफ़ा ५१—हर तारीक़ये मालकाना हक़ की तादाद जो दफ़ा ४८ वा ४९ के अनुसार किसी ऐसे मालिक के वास्ते नियत किया जावे कि बन्दोबस्त से ख़ारिज किया गया हो और उस तफ़ावत की संख्या जो नियत की हुई लगान में ५० दफ़ा के अनुसार उस लगान के हो जो उसको उस सूरत में देना पड़ता जब कि वह मालिक की मरज़ी पर बतौर असामी के जोतता बन्दोबस्त के ओहदेदार की तजवीज़ की हुई जमा पर ५) रुपये सैकड़े से कम या १५) रुपये सैकड़े से अधिक न होगी ॥

दफ़ा ५२—उस म्याद के बीतने पीछे जो दफ़ा ४८

के अनुसार नियत की गई हैं उस मुहाल वा मुहाल के हिस्से के बन्दोबस्त को मंजूर करने के लिये कलेक्टर उस मनुष्य से जो उस समय उस मुहाल वा मुहाल के हिस्से की बाबत हक़दार हो जिले के बन्दोबस्त की बाक़ी म्याद के लिये उस जमा पर जो साहिबान बोर्ड तजवीज़ करें बंदोबस्त मंज़ूर करने को कहेगा ॥

यदि वह मनुष्य मंज़ूर करने से इनकार करे तो जिले का कलेक्टर उस इनकार की कैफ़ियत साहिबान बोर्ड को कमिश्नर क़िस्मत के द्वारा भेजेगा और जायज़ है कि वह मनुष्य बन्दोबस्त से उस मुद्दत तक जिसको साहिबान बोर्ड हिदायत करें ख़ारिज किया जाय परंतु चाहिये कि वह मुद्दत जिले के बन्दोबस्त की म्याद से ज़्यादह न हो और ख़ारिज होने के पीछे वह मनुष्य उतना मालिकाना हक़ पावेगा जिसका कि वह उस सूरत में अधिकारी होता जबकि दफ़ा ४८ और ४९ उसके मुक़द्दमे से मुताल्लिक़ होतीं और उसकी सीर की धरती की बाबत जो लगान कि उसको हक़दार असामी की भांति अदा करना हो उसको ज़िलेका कलेक्टर वा एसिस्टेण्ट कलेक्टर पश्चिमोत्तरदेश के लगान के ऐक्ट के अनुसार ठहरावेगा ॥

दफ़ा ५३ जबकिसी मुहालमें कई मनुष्य अलग २ मौरूसी और इन्तक़ालयोग्य मालिकाना हक़ियत रखते हों और वह हक़ियतें जुदी २ क़िस्म की हों तो बन्दोबस्त के ओहदेदार को अख़्तियार है कि समय के प्रचलित क़ायदों के अनुसार नीचे लिखी हुई बातों की तजवीज़ करे ॥

(क) यह कि उन मनुष्यों में से किसके साथ माल

गुजारी देने का क़ौलक़रार किया जाय परंतु यह बात इस प्रकार पर होनी चाहिये कि दूसरे मनुष्यों के हक़ों की रक्षा के लिये यथोचित तजवीज़ की जाय ॥

(ख) यह कि जितने मनुष्य ऊपर कही हुई हक़ियत जुदा २ रखते हों उन पर मुहाल का ख़ालिस मुनाफ़ा बंदोबस्त की म्याद तक किस प्रकार पर और किस हिसाब से बांटा जाय ॥

दफ़ा ५४ जो किसी मुहाल में जिसे ऊपर की दफ़ा के हुक्म इलाक़ा रखते हों कई मालिक आपस में एक दूसरे से बड़ी और छोटी हक़ियत रखते हों और बन्दोबस्त उस मनुष्य के साथ किया जाय जो बड़ी हक़ियत रखता हो तो ओहदेदार बन्दोबस्त को जायज़ है कि बड़ी पदवी के मालिक की तरफ़ से छोटी पदवी के मालिक के साथ शिकमी बन्दोबस्त करे और उस बन्दोबस्त की रू से उस छोटी पदवी के मालिक पर अवश्य होगा कि उस मुहाल की बाबत जितना सरकारी मुतालिबा हो मुहाल के मुनाफ़ा के हिस्से समेत जो दफ़ा ५२ के अनुसार बड़ी पदवी के मालिक के लिये ठहरा हो अदा किया करे ॥

परंतु शर्त्त यह है कि यदि छोटी पदवी का मालिक शिकमी बन्दोबस्त को ऐसी शर्त्तों से मंज़ूर न करे तो मुहाल बन्दोबस्त की म्याद तक बड़ी पदवी के मालिक को दे दिया जायगा ॥

और ऐसी सूरत में छोटी पदवीवाला हक़दार असामी की भांति उस धरती को अपने क़ब्ज़े में रक्खेगा (यदि कुछ हो) जिसे वह उस नामंज़ूरी की तारीख़ में जोतता हो और बड़ी पदवीवाला उस छोटी पदवीवाले

का सालाना हक़ मालिकाना इस हिसाब से देगा कि उस छोटी पदवीवाले की धरती पर जो लगान नियत हो उस में और उस लगान में जो उसी धरती के लिये हक़दार असामी न होने की सूरत में उस छोटी पदवीवाले को देना पड़ता जितना अन्तर हो वह उस सालाना मालिकाना में मिलाकर उस बड़ी पदवीवाले का वह हक़ मालिकाना उस मुनाफ़े के हिस्से के ५) रु० सैकड़े से कम वा १५) रु० सैकड़े से ज़ियादह न हो जो उसके लिये दफ़ा ५२ के अनुसार मुक़र्रर किया गया हो॥

दफ़ा ५५. यदि छोटी पदवीवाले मालिक के साथ मुहाल का बन्दोबस्त किया जाय तो जो तादाद कि उसको अदा करनी चाहिये वह ओहदेदार बन्दोबस्त उस मिक़दार से नियत करेगा जो मसावी संख्या मुतालबे सरकार उक्त महाल की बाबत हो और उस पर वह हिस्सा मुनाफ़े का अधिक किया जायगा जो बड़ी पदवीवाले मालिक के लिये दफ़ा ५२ के अनुसार तजवीज़ किया जाय और इस सूरत में बड़ी पदवीवाले मालिक का हिस्सा मालगुज़ारी की भांति वसूल होकर उसको सरकारी खज़ाने से दिया जायगा॥

दफ़ा ५६. जब किसी मुहाल में ऐसे मनुष्य हों जो हक़ियत मालकियत के क़ाबिज़ हैं और वह हक़ियत उस क़िस्म की न हो कि उसको क़ाबिज़ को बन्दोबस्त का हक़ प्राप्त हो तो बन्दोबस्त का ओहदेदार ऐसा प्रबंध करे कि उन मनुष्यों की विद्यमान हक़ियत के क़ब्ज़े वा उसके तुल्य पलटे के क़ब्ज़े की रक्षा उनके लिये हो जाय॥

यह बात नीचे लिखे अनुसार हो सक्ती है॥

(क) यह कि मालिकों की तरफ़ से उन मनुष्यों के साथ उन बरतियों की बाबत जो निज उनके ही क़ब्ज़े में हों ख़िदमी बन्दोबस्त किया जाय॥

(ख) उन मुहालों में जिनका क़ब्ज़ा ग़ैर बटी ऊई मुशाकती जायदाद पर हो और जब कि वे ऐसे हक़ हों कि असामियों से कुछ रुपया वा खेती की पैदावार का कुछ हिस्सा लिया जाता हो तो उसके बदले मुहाल के किसी ऐसे हिस्से में जिसका मुनाफ़ा बन्दोबस्त के ओहदेदार की राय में उस रुपये वा पैदावार के हिस्से के समान हो मालिक़ियत का हक़ दिया जाय॥

(ग) वा ऐसे और किसी प्रकार पर जिस से इस दफ़ा की पहली ज़िम्न के वर्णित मनुष्यों को उनके विद्यमान हक़ वा उनके तुल्य पलटे का लाभ प्राप्त हो जाय॥

दफ़ा ५७ जब किसी मुहाल मालगुज़ार सरकार से लगती ऊई पड़ती की धरती जो पिछले बन्दोबस्त के समय उसकी हद्दों के अंदर दाख़िल की गई थी इतनी हो कि बन्दोबस्त के ओहदेदार की राय में जिसकी मंजूरी साहिबान बोर्ड के ऊज़ूर से हो चुकी हो यह आवे कि वह धरती मुहाल के मालिक के पशुओं के चराने वा खेती के प्रयोजनों के लिये जितनी चाहिये उस से ज़्यादह है तो उक्त ओहदेदार को अधिकार है कि उस पड़ी ऊई धरती में से जितनी कि अधिक समझी जाय उसका अलग बन्दोबस्त करे और उसी मुहाल के मालिक को उस ज़्यादह पड़ी ऊई धरती का बन्दोबस्त ऐसी जमा पर और उस मुद्दत के लिये जो मुहाल के बन्दोबस्त की म्याद से ज़्यादह न हो और जिसके लिये साहिबान बोर्ड के ऊज़ूर से ऊक्म प्राप्त ऊआ हो क़बूल करने के लिये कहे॥

यदि मुहाल का मालिक क़बूल करे तो उसी के मुताबिक़ बन्दोबस्त का ओहदेदार उस पड़ी हुई धरती का बन्दोबस्त उसके साथ करेगा और उस बन्दोबस्त की म्याद गुज़रने पर उस पड़ी हुई धरती के नये बन्दोबस्त के लिये उन शर्तों से कि वाजिबात बोर्ड हिदायत करे उस मनुष्य से जो उस धरती का अपने नाम बन्दोबस्त कराने का अधिकारी हो क़बूल करने को कहा जायगा ॥

यदि मुहाल का मालिक उसका बन्दोबस्त अपने नाम कराने से इन्कार करे तो बन्दोबस्त के ओहदेदार को अवश्य है कि जितनी धरती ज्यादह हो उसकी निशांबंदी कराके उसे एक अलग मुहाल गवर्नमेंट के निज अधिकार की ठहरा दे परंतु शर्त यह है कि उस मुहाल के मालिक के लिये जिस से कि वह पड़ी हुई धरती पहले से इलाक़ा रखती हो उतना सालाना जो बोर्ड नियत करे और उस पड़ी हुई धरती से जो खालिस मालगुज़ारी सरकार को वसूल हो उसकी तादाद पर प्रति सैकड़े ५) रु० से कम और १०) रु० से ज्यादह न हो मालिकाना हक़ की भांति मुक़र्रर कर दिया जाय ॥

दफ़ा ५८ ॥ जो पड़ी हुई धरती हाकिमाना तजवीज़ के अनुसार किसी मुहाल का जुदाखंड न ठहरा दी गई हो और न व्यतीत बन्दोबस्त के समय किसी मुहाल की हद्द में दाखिल हो उसकी निशांबंदी बन्दोबस्त के ओहदेदार को करनी चाहिये ॥

और उसको अवश्य है कि एक रूबकार इस आशय का लिखे कि वह धरती सरकार की मिलकियत है और उसी आशय का इश्तिहार जिले के माल की अदालत

में और तहसील की कचहरी में जहां कि वह धरती हो लटकवा दे और सूचना दे कि जो मनुष्य उस धरती पर दावा रखते हों वे इश्तिहार की तारीख़ से तीन महीने के अंदर अपना दावा पेश करें ॥

दफ़ा ५९ यह इश्तिहार ऐक्ट २३ सन् १८६३ ई० की दफ़ा १ के अर्थानुसार (जो ऐक्ट पड़ी हुई धरती के दावों के निबटेरे के क़ायदे बनाने के विषय है) उस धरती के मध्ये अमल किये जाने का इश्तिहार समझा जावेगा और जो मनुष्य उस धरती पर दावा रखते हों उनको उसी ऐक्ट के हुक्म अनुसार पैरवी करनी चाहिये ॥

दफ़ा ६० जो ऐसी पड़ी हुई धरती के हक़ पर मालिकियत का दावा न किया जाय वा उसके मध्ये यह तजवीज़ हो कि वह सरकार की मिल्कियत है परंतु पास के मुहाल का मालिक यह साबित करे कि उसको वह पशुओं की चराई वा खेती के प्रयोजनों में बर्तता रहा है तो बन्दोबस्त के ओहदेदार को जायज़ है कि उस पड़ी हुई धरती में से जितनी कि उन प्रयोजनों के लिये आवश्यक हो उसी मुहाल के साथ लगा दे और बाक़ी धरती की निशांबन्दी करके उसको सरकारी मिल्कियत ठहरावे ॥

दफ़ा ६१ जो दावीदार उक्त ऐक्ट अर्थात् ऐक्ट २३ सन् १८६३ ई० के हुक्म अनुसार उस पड़ी हुई धरती वा उसके खंड पर डिगरी प्राप्त करे तो बन्दोबस्त के ओहदेदार को जायज़ है कि जिस धरती की बाबत इस प्रकार हक़ साबित किया जाय, उसके मध्ये दफ़ा ५९ के हुक्म अनुसार अमल करे ॥

हक़ों के काग़ज़ों की मिसल

दफ़ा ६२ बन्दोबस्त के ओहदेदार को अवश्य है कि हर मुहाल के लिये एक मिसल तैय्यार करे और उस में एक फ़िहरिस्त ॥

(क) संपूर्ण शरीकों की ॥

(ख) और दूसरे संपूर्ण मनुष्यों की जो मुहाल की धरती के किसी खंड के दख़ील हों वा जो उक्त धरती की हक़ियत मौरूसी वा इन्तक़ाल योग्य के क़ाबिज़ हों वा जो उसका लगान पाते हों शामिल होनी चाहिये ॥

(ग) और उस में यह भी लिखा जाना चाहिये कि ऐसे शरीक और दूसरे मनुष्यों में से हर एक किस प्रकार की और कितनी हक़ियत उस मुहाल में रखता है ॥

(घ) संपूर्ण मनुष्य जो माफ़ी लगान की धरती वा माफ़ी मालगुज़ारी की धरती के क़ाबिज़ हों ॥

दफ़ा ६३ उस मिसल में वे मनुष्य भी लिखे जायंगे (यदि कोई हों) जो किसी दस्त वा कौलक़रार की रू से नियत किये हुए लगान से धरती पर क़ाबिज़ हों वा सेवा करने की शर्त से वा और रीति से क़ाबिज़ हों और मुहाल की और सब असामियों का ब्यौरा और हर एक का नाम और जाति और उनकी जोत का रक़बा और उनकी हक़ियत की सब शर्तें उस में लिखी जायंगी ॥

दफ़ा ६४ संपूर्ण दाखिले जो मिसल के काग़ज़ों में दफ़ा ६२ और ६३ के अनुसार किये जायं वह प्रत्यक्ष क़ब्ज़े ही के मूल पर होंगे और इन दाखिलों की बाबत जो झगड़े हों चाहे उसकी तजवीज़ बन्दोबस्त के ओहदेदार ने खुद अपने विचार से वा प्रतिपक्षी की नालिश पर शुरूअ की हो उनकी तहक़ीक़ात और तज-

बीज भी वह उसी मूल पर करेगा और जो लोग बेदखल हों और अपने को दखल का हक़दार समझते हों उनको हुक्म देगा कि उचित अदालत में नालिश करें ॥

दफ़ा ६५ और बन्दोबस्त का ओहदेदार नीचे लिखी हुई बातोंके विषय जो प्रबन्ध खुद उसने किया हो वा जिस पर शरीक राजी हों उसको भी लिखेगा ॥

(क) धन मुनाफ़ों की बांट के विषय जो संपूर्ण मालिकों के संयुक्त उपायों से पैदा होते हों ॥

(ख) सरकार की मालगुजारी और अबवाब जो किसी समय के प्रचलित क़ानून अनुसार लिये जाते हों उनका हिस्सा और गांवखर्च हर शरीक के जिम्मे ठहराने के विषय ॥

(ग) उस क़ायदे के विषय जिसके अनुसार नम्बरदार वा शरीक जोताओं से तहसील करें ॥

(घ) लगान की क़िस्तें और उनके अदा करने की नियत तारीखें ॥

(ङ) और दूसरी बातें जिनके मध्ये दफ़ा २५७ के नियत क़ायदों में लिख लेने की उसे आज्ञा हो ॥

दफ़ा ६६ संपूर्ण अबवाब जो कि असामियों पर उस धरती के दखल की बाबत देने योग्य हों जिस पर मालगुजारी लगाई गई और जमा बांधने के समय हिसाब में लगा लिये गये हों वा जब कि ऐसी धरती हो जिस पर मालगुजारी न लगाई गई हो जमा बांधने के समय लगाये जाते वा जिनके पलटे मालिकाना हक़ दफ़ा ५६ जिम्न (ख) के अनुसार दिये गये हों वह अदा होने योग्य लगान में शामिल कर दिये जायंगे ॥

हक्कों के कागज़ों की मिसल

दफ़ा ६२ बन्दोबस्त के ओहदेदार को अवश्य है कि हर मुहाल के लिये एक मिसल तैय्यार करे और उस में एक फ़िहरिस्त ॥

(क) संपूर्ण शरीकों की ॥

(ख) और दूसरे संपूर्ण मनुष्यों की जो मुहाल की धरती के किसी खंड के दखील हों वा जो उक्त धरती की हक़ियत मौरूसी वा इन्तक़ाल योग्य के क़ाबिज़ हों वा जो उसका लगान पाते हों शामिल होनी चाहिये ॥

(ग) और उस में यह भी लिखा जाना चाहिये कि ऐसे शरीक और दूसरे मनुष्यों में से हर एक किस प्रकार की और कितनी हक़ियत उस मुहाल में रखता है ॥

(घ) संपूर्ण मनुष्य जो माफ़ी लगान की धरती वा माफ़ी मालगुज़ारी की धरती के क़ाबिज़ हों ॥

दफ़ा ६३ उस मिसल में वे मनुष्य भी लिखे जायंगे (यदि कोई हों) जो किसी दस्त वा कौलक़रार की रू से नियत किये हुए लगान से धरती पर क़ाबिज़ हों वा सेवा करने की शर्त से वा और रीति से क़ाबिज़ हों और मुहाल की और सब असामियों का व्यौरा और हर एक का नाम और जाति और उनकी जोत का रक़बा और उनकी हक़ियत की सब शर्त उस में लिखी जायंगी ॥

दफ़ा ६४ संपूर्ण दाखिले जो मिसल के काग़ज़ों में दफ़ा ६२ और ६३ के अनुसार किये जायं वह प्रत्यक्ष क़ब्ज़े के मूल पर होंगे और उन दाखिलों की बाबत जो झगड़े हों चाहे उसकी तजवीज़ बन्दोबस्त के ओहदेदार ने खुद अपने विचार से वा प्रतिपक्षी की नालिश पर शुरूअ की हो उनकी तहक़ीक़ात और तज-

बीज भी वह उसी मूल पर करेगा और जो लोग बेदखल हों और अपने को दखल का हक़दार समझते हों उनको हुक्म देगा कि उचित अदालत में नालिश करें ॥

दफ़ा ६५ और बन्दोबस्त का ओहदेदार नीचे लिखी हुई बातोंके विषय जो प्रबन्ध खुद उसने किया हो वा जिस पर शरीक़ राज़ी हों उसको भी लिखेगा ॥

(क) उन नफ़ाओं की बांट के विषय जो संपूर्ण मालिकों के संयुक्त उपायों से पैदा होते हों ॥

(ख) सरकार की मालगुज़ारी और अबवाब जो किसी समय के प्रचलित क़ानून अनुसार लिये जाते हों उनका हिस्सा और गांवखर्च हर शरीक के ज़िम्मे ठहराने के विषय ॥

(ग) उस क़ायदे के विषय जिसके अनुसार नम्बरदार वा शरीक़ जोताओं से तहसील करें ॥

(घ) लगान की क़िस्तें और उनके अदा करने की नियत तारीखें ॥

(ङ) और दूसरी बातें जिनके मध्ये दफ़ा २५७ के नियत क़ायदों में लिख लेने की उसे आज्ञा हो ॥

दफ़ा ६६ संपूर्ण अबवाब जो कि असामियों पर उस धरती के दखल की बाबत देने योग्य हों जिस पर मालगुज़ारी लगाई गई और जमा बांधने के समय हिसाब में लगा लिये गये हों वा जब कि ऐसी धरती हो जिस पर मालगुज़ारी न लगाई गई हो जमा बांधने के समय लगाये जाते वा जिनके पलटे मालिकाना हक़ दफ़ा ५६ ज़िम्न (ख) के अनुसार दिये गये हों वह अदा होने योग्य लगान में शामिल कर दिये जायंगे ॥

एक फ़िहरिस्त संपूर्ण अबवाब की जो गांव के रिवाज के मुवाफ़िक़ लिये जाते हों उन्हें बन्दोबस्त का ओहदेदार इस शर्त पर लिख लेगा कि वे आम तौर पर वा ख़ास तौर पर लोकल गवर्नमेंट के हजूर से मंजूर हुए हों और जो अबवाब इस प्रकार पर न लिखे जायं वह किसी अदालत दीवानी वा माल के महकमे से न दिलाये जावेंगे॥

लोकल गवर्नमेंट को जायज़ है कि समय प्रति समय ऐसे मंजूर किये हुए अबवाब की तहसील के लिये वे शर्तें जो उचित जाने उस गांव वा बाजार वा मेलों की सफ़ाई वा पुलिस वा और अमले के विषय जिसकी बाबत वह अबवाब लिये जाते हों मुक़र्रर करती रहे॥

दफ़ा ६७ जो बन्दोबस्त के ओहदेदार को मालूम हो कि किसी बन्दोबस्ती मुक़ाम में किसी ऐसी बातों की बाबत झगड़ा है जिसको उसे दफ़ा ६५ वा ६६ के अनुसार लिखलेना चाहिये तो उसे अपने अख़्तियार से और बिना सुनने किसी नालिश के जायज़ है कि ऐसे झगड़े की तहक़ीक़ात और तजवीज़ रीति के मुवाफ़िक़ करे और उसकी मिसल को तैयार करे॥

दफ़ा ६८ उन असामियों की फ़िहरिस्त बनाने में जिनका जिक्र दफ़ा ६३ में हुआ बन्दोबस्त का ओहदेदार हर असामी के नाम के नीचे लिखी हुई बातें लिखे॥

(क) वह कि पश्चिमोत्तरदेश के लगान के क़ानून में लिखे हुए हक़ के अनुसार वह असामी मुक़र्ररी लगान के साथ क़ाबिज़ है वा वह असामी हक़दार है वा असामी दख़ीलकार है वा असामी ग़ैर हक़दार दख़ील कार है॥

(ख) वह लगान असामी के ज़िम्मे का जिस ज़िन्सी-

दार और असामी आपस में क़बूल करें ॥

(ग) यदि वह असामी ग़ैर हक़दार दख़ीलकारी हो तो जितने बर्षों से वह अपने क़ब्ज़े की धरती पर क़ाबिज़ रहा हो उनकी तादाद ॥

(घ) और हर एक क़ब्ज़े की हक़ियत की शर्त चाहे लिखे हुए पट्टे में दाख़िल हो या नहीं ॥

दफ़ा ६९ बावजूद इसके कि दफ़ा ६४ में कोई अमर लिखा हो तो बन्दोबस्त के ओहदेदार को अवश्य है कि जब किसी असामी की क़िस्म या हक़ियत की बाबत झगड़ा हो तो पश्चिमोत्तर देश के लगान का क़ानून जो सन् १८७३ ई० में जारी हुआ उसकी दफ़ा ५ और ७ आदि के लिखित नियमानुसार फ़ैसल करे ॥

दफ़ा ७० जब किसी असामी के जिम्मे के लगान की बाबत झगड़ा हो तो बन्दोबस्त का ओहदेदार उन नियमों के अनुसार फ़ैसल करे जो इस ऐक्ट में इसके पीछे लिखे हैं ॥

दफ़ा ७१ जो मुज़ारा का मालिक बन्दोबस्त के ओहदेदार से हक़दार असामी के लगान के बढ़ाने की दरख़्वास्त करे तो बन्दोबस्त के ओहदेदार को उचित है कि उस असामी का लगान उस शरह से नियत करे कि उसी क़िस्म की और उसी तरह के फ़ायदों की उन असामियों की धरती पर जो मालिक की मरज़ी पर उसी हलक़े या तहसील में जोतती हों जो लगान की शरह उससे प्रति रु० ४ आना कम रहे ॥

दफ़ा ७२ जब कोई ज़मींदार उस लगान के इज़ाफ़ा के लिये दरख़्वास्त करे जो उसको कोई दख़ीलकार असामी पहिले से अदा करती रही हो ॥

वा कोई दखीलकार असामी उस लगान के घटाने की दरख़ास्त करे जो वह पहले से अदा करती रही हो ॥ वा लगान किसी असामी दखीलकार को अदा करना चाहिये उसकी बाबत झगड़ा हो ॥

तो बन्दोबस्त का ओहदेदार लगान उस नियत शरह के मुताबिक़ तजवीज करेगा जो साहिबान बोर्ड ने उसी क़िस्म और उसी तरह के फ़ायदे की धरती के लिये उसी हलक़े वा तहसील में जहां कि उस असामी की धरती हो तशखीस के प्रयोजन से मंजूर की हो या मुताबिक़ उस शरह लगान के नियत करेगा जो उसी क़िस्म और उसी तरह के फ़ायदों की धरती के लिये उसी हलक़े या तहसील में रिवाज हुआ हो ॥

दफ़ा ७३ जिन सूरतों में लगान पहिले से जिन्स वा किसी फ़सिल के हिस्से के कूते हुए मोल से अदा होता रहा हो वा ऐसी शरह से अदा होता रहा हो जो फ़सिल के साथ बदलती है वा कुछ तो इन प्रकारों में से किसी प्रकार अदा होता रहा हो और कुछ उन प्रकारों में से एक वा कई प्रकार पर तो उस लगान को नियत नक़दी लगान से पलटा करने की दरख़ास्त जमींदार वा कोई हक़दार असामी वा असामी दखीलकार बन्दोबस्त के ओहदेदार को गुजरान सक्ता है ॥

दफ़ा ७४ ऐसी दरख़ास्त के गुजरने पर बन्दोबस्त के ओहदेदार को अवश्य है कि उस मुक़द्दमे में उसी प्रकार अमल करे मानो दफ़ा ७१ वा ७२ के अनुसार दरख़ास्त गुजारी है और जो नक़दी पलटे में अदा करनी चाहिये वह उक्त दफ़ाओं के हुक्म अनुसार तजवीज करदे ॥

दफ़ा ७५ जिस समय कोई दरख़ास्त लगान के घटाने वा बढ़ाने वा लगान के पलटे की किसी असामी वा कई असामियों के नाम वा उनकी तरफ़ से किसी बन्दोबस्त के हाकिम के रूबरू पेश की जाय तो उन असामियों पर वा उनकी ओर से इकट्ठी नालिश हो सक्ती है और वह दरख़ास्त इस कारण से डिसमिस वा सुनाई के अयोग्य न होगी कि वे असामी बेजा तौर से मुद्दइयों वा मुद्दाअलेह में शामिल की गई हैं परंतु इस शर्त पर कि वे सब असामी एकही मुहाल में खेती करते हों ॥

परंतु लगान बढ़ाने वा घटाने वा लगान के पलटे के मुक़द्दमे में जब तक हुक्म देनेवाले ओहदेदार को इस बात की समाधानी न हो कि हर असामी को हाज़िर होने और पेश किये हुए दावे के मध्ये उज़ुर दाखिलकरने का अवसर प्राप्त था तब तक कोई हुक्म न दिया जायगा ॥

दफ़ा ७६ जो हुक्म ऐसे मुक़द्दमे में दिया जाय उस में यह ब्यौरा लिखा जाय कि हर असामी से जिसका नाम उस हुक्म में दाखिल है वह हुक्म कितना इलाक़ा रक्खेगी ॥

दफ़ा ७७ जो लगान बन्दोबस्त के ओहदेदार के हुक्म से तजवीज़ किया जाय वह ओहदेदार बन्दोबस्त के हुक्म की तारीख़ के पीछे पहिली जूलाई से अदा होने के योग्य होगा और (दफ़ा १६, व १७ के पाबन्दी से लगान पश्चिमोत्तरी देशों में मुसहहरह सन् १८७३ ई० के) उसी पहिली जूलाई से दस बर्ष तक उस पर इज़ाफ़ा या तख़फ़ीफ़ का न हो सकेगा ॥

दफ़ा ७८ लोकल गवर्नमेंट को समय प्रतिसमय सर-

कारि गवट के छपे हुए इश्तिहार के द्वारा नीचे लिखी हुई बातों का अधिकार है ॥

(क) दफ़ा ७३ के हुक्म किसी ज़िले वा हिस्से ज़िले से संबंधित होना ठहरा दे जिसका बन्दोबस्त न हो रहा हो ॥

(ख) इस बात की सूचना दे कि किन ओहदेदारों को दफ़ा ७३ के अनुसार उस ज़िले वा हिस्से ज़िले में दरख़ास्तों की सुनाई और तजवीज़ का अख़्तियार प्राप्त है और उनकी शिक्षा के लिये क़ायदे बनावे ॥

(ग) किसी इश्तिहार को जो इस दफ़ा के अनुसार पहिले जारी हो चुका हो मौक़ूफ़ कर दे ॥

दफ़ा ७९ संपूर्ण लगान से माफ़ धरतियां लिखी हुई वा और प्रकार पर जो हुक्म दिसम्बर सन् १७९० ई० के पीछे श्रीमान नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर कौंसिल विराजमान के सिवाय किसी और ने दी हों वह क़ानून १९ सन् १७९३ ई० मजमूआ बंगाला की दफ़ा १० के अनुसार निर्मूल और मिथ्या ठहराई गई हैं और इसी तरह के हुक्म चंद क़वानीन के द्वारा मुख़्तलिफ़ वक़्त में सादिर हुए जो थोड़े कागज़ात उन मुमालिक से सम्बन्धित हैं जिनसे यह ऐक्ट सम्बन्धित किया गया है और उक्त क़ानून १९ सन् १७९३ ई० में यह हुक्म भी है कि किसी बड़ी मुद्दत का क़ब्ज़ा धरती की मिल्कियत वा उसके लगान के लिये उस माफ़ी के जायज़ होने का कारण न समझा जायगा इसलिये इस दफ़ा के अनुसार यह हुक्म भी दिया जाता है ॥

धरती के मालिकों की दरख़्वास्तें ऐसी माफ़ियों की ज़ब्ती वा ऐसी धरती पर लगान बांधने के लिये उस अवस्था

में जब कि उस ज़िले का जिस में वह धरती है बन्दोबस्त हो रहा हो बन्दोबस्त के ओहदेदार के हुज़ूर गुज़रानी जायंगी और वह उन पर ऐसा हुक्म देगा जो उसको उचित जान पड़े ॥

दफ़ा ८० दफ़ा ७९ का कोई लेख नीचे लिखी हुई अवस्थाओं से लगाव न रक्खेगा ॥

(क) जिस अवस्था में कि धरती इस ऐक्ट के तजवीज़ किये जाने से पहिले अदालत के फ़ैसले अनुसार बिला लगानी हो ॥

(ख) जिस अवस्था में कि इस ऐक्ट के तजवीज़ किये जाने से पहिले बिला लगानी धरती मोल के पलटे ख़रीद की गई हो और उसकी ज़ब्ती में ऐक्ट १० सन् १८५९ ई० की दफ़ा २८ वा ऐक्ट ९ सन् १८७१ ई० के ज़मीमे २ की मद्द १३० बाधक हो ॥

दफ़ा ८१ जो माफ़ी धरती लिखी हुई दस्तावेज़ के अनुसार (चाहे इस से कि वह आगे या पीछे या जारी करने उक्त ऐक्ट के लिखी गई हो) किसी के क़ब्ज़े में हो और उस लिखतम में देनेवाले ने यह इक़रार किया हो कि यह माफ़ी ज़ब्त न की जायगी वह उसी के मुक़ाबिले में उस ज़िले के बन्दोबस्त के बहाल रहने तक जो बतौरेख़ माफ़ी क़ायम हो उसी मनुष्य के मुक़ाबिले में जिस में वह धरती है जायज़ समझा जायगा परन्तु उसके मरने के पीछे उसके क़ायम मुक़ामों के मुक़ाबिले में जायज़ न होगा ॥

दफ़ा ८२ जहां किसी धरती पर पचास वर्ष तक वा उस से अधिक और अब तक लगान की माफ़ी की भांति क़ब्ज़ा रहा हो और असल माफ़ीदार को नस्ल से नस्ल दो

पीढ़ी बीत गई हों तो ऐसे क़ब्ज़ा के अनुसार क़ाबिज़ को हक़ मिल्कियत का दिया जाना समझा जायगा ॥

जो धरती लगान से माफ़ हो उस पर लगान लगाने के लिये इस ऐक्ट के अनुसार दरख़ास्त करने के हक़ में म्याद समायत के क़ानून सन् १८७१ ई० का कोई लेख बाधक न होगा ॥

दफ़ा ८३ किसी मुद्दत तक किसी धरती पर लगान की माफ़ी के प्रकार पर दख़ील रहना वा मालिक की ओर से माफ़ी की भांति धरती का दिया जाना इस बात की वजह न होगा कि वह धरती सरकारी मालगुज़ारी के मुतालिबे से बरी है ॥

दफ़ा ८४ दफ़ा ७९ के अनुसार लगान के बांधने में बन्दोबस्त के ओहदेदार को अवश्य है कि दफ़ा ७० और ७२ पर जितना कि वह इलाक़ा रखती हों अमल करे ॥

दफ़ा ८५ बन्दोबस्त के ओहदेदार को अवश्य है कि संपूर्ण माफ़ी की धरतियों को उस नमूने के रजिस्टर में लिखे जो समय प्रति समय साहिबान बोर्ड मुक़र्रर करते रहें ॥

दफ़ा ८६ बन्दोबस्त के ओहदेदार को अवश्य है कि जो धरतियां किसी नियम से वा किसी मुद्दत के लिये सरकारी मालगुज़ारी देने से बरी की गई हों उनकी तहक़ीक़ात करे और यदि उसको मालूम हो कि उन नियमों से विपरीत काम किया गया है वा म्याद बीत गई है तो ऐसी धरती पर जमा लगा दे ॥

दफ़ा ८७ जो मनुष्य ऐसी धरती की मालगुज़ारी को माफ़ी का दावा करे जो माल के काग़ज़ों में माफ़ी

की भांति न लिखी गई हो उसे अवश्य है कि उस धरती के माफ़ी के हक़ को साबित करे ॥

दफ़ा ८८ यदि वह अपना हक़ ओहदेदार बन्दोबस्त के समाधानों के अनुसार साबित कर दे तो मुक़द्दमे की कैफ़ियत लोकल गवर्नमेंट को भेजी जायगी और उसका हुक्म जो उस पर हो अटल होगा ॥

दफ़ा ८९ यदि हक़ साबित न किया जाय तो बन्दोबस्त का ओहदेदार उस धरती पर जमा लगावेगा और उस मनुष्य के साथ जो वास्तव में क़ाबिज़ हो मालिक की भांति बन्दोबस्त करेगा ॥

दफ़ा ९० साहिबान बोर्ड समय प्रतिसमय यह बात ठहराते रहेंगे कि किस नमूने पर माल के काग़ज़ इस अध्याय के आज्ञानुसार बनाये जायं और किस प्रकार से उनकी तसदीक़ होनी चाहिये ॥

दफ़ा ९१ जो काग़ज़ कि इस प्रकार पर बनें और तसदीक़ किये जायं उनके संपूर्ण दाखिले उस समय तक सच्चे समझे जायंगे जब तक उन में कोई झूठ न साबित हो ॥

दफ़ा ९२ कोई प्रबन्ध अटल न समझा जावेगा जबतक कि लोकल गवर्नमेंट उसे अंगीकार न करे कि जिसके लिये बन्दोबस्त किया जाय ॥

वह मुद्दत खेती के वरस के अनुसार नियत की जायगी ॥

उचित है कि तशख़ीस की इसलाह की जाय अगर लोकल गवर्नमेंट में अंगीकृतता के पहिले किसी समय इस तौर का आज्ञा दे और उस सूरत में तशख़ीस इसलाह हुए मालिकों से प्रकट की जायगी और हुक्म में मुफ़्ह दफ़ा ४३ व ६१ सम्बन्धित होंगे ॥

दफ़ा ९३ बन्दोबस्त के समयान्तर में हर वक़्त गवर्न-

मेंट को अख़्तियार है कि उन सीमाओं के भीतर और उन नियमों के साथ और उस मुद्दत के लिये जो उसके विचार में उचित हो किसी ओहदेदार को बन्दोबस्त के ओहदेदार के संपूर्ण वा कोई अख़्तियार इस ऐक्ट के अनुसार सौंप दे ॥

परंतु इस प्रकार पर नहीं कि जो मालगुज़ारी किसी मुहाल की बाबत अदा होने योग्य हो उसकी कुल तादाद से बढ़ा दे सिवाय ऐसी धरतियों के जो उस में अधिक मिलाई गई हों वा बन्दोबस्त की मंज़ूरी के पीछे मालगुज़ारी देने के लायक़ हुई हों ॥

कोई ओहदेदार जिसको इस प्रकार पर अख़्तियार दिया जाय अर्थी की दरख़्वास्त गुज़रने के बिना असामियों की क़िस्म को जो इस ऐक्ट के अनुसार ठहरा दी गई हो न बदलेगा ॥

अध्याय ४—रजिस्ट्री किया जाना और धरती के हक़ूक़ के काग़ज़ों का क़ायम रक्खा जाना ॥

दफ़ा ९४ ज़िले का कलेक्टर हक़ों के काग़ज़ों को तैय्यार और क़ायम रक्खेगा ॥

और उसको समय प्रति समय अवश्य है कि संपूर्ण बदली जो की जायं और हर बात जो लिखे हुए हक़, हक़ूक़ से संबन्ध रखती हो रजिस्टर में दर्ज कराता रहै ॥

उसको यह भी अवश्य है कि जिन ग़लतियों के मध्ये अर्थी लोग यह बयान करें कि धरती के हक़ के काग़ज़ों में हुई हैं उनको सुधार दे ॥

दफ़ा ९५ जो रजिस्टर ऊपर की दफ़ा के प्रयोजनों के लिये आवश्यक हों उनके तैय्यार रखने का साहिबान

बोर्ड हुक्म देंगे और ज़िले के कलेक्टर वा एसिस्टेंट कलेक्टर के हुक्म बिना कागजों में कोई अदल बदल न की जायगी ॥

दफ़ा ९६ लोकल गवर्नमेंट को जायज़ है कि रजिस्टर के दाखिल खारिज के लिये उचित रसूम ठहरा दे परंतु शर्त यह है कि एक दाखिल खारिज के लिये कोई रसूम सौ रुपये से अधिक न हो ॥

वह रसूम उस मनुष्य से ली जायगी जिसके हक़ में दाखिल खारिज किया जाय ॥

और वह रसूम उस तौर पर खर्च की जायगी जो लोकल गवर्नमेंट के विचार में उचित हो ॥

दफ़ा ९७ संपूर्ण मनुष्य जो किसी मुहाल के हक़ मिल्कियत वा मुनाफ़े पर वरासत वा खरीदारी वा दान वा और प्रकार के इन्तक़ाल के अनुसार दूसरे मनुष्यों की जगह पर बैठें तो उन्हें अवश्य है कि इस बात के होने के पीछे तुरन्त उस तहसील के तहसीलदार को इत्तिला दें जिस में कि मुहाल है और तहसीलदार उस इत्तिला को कैफ़ियत ज़िले के कलेक्टर वा एसिस्टेंट कलेक्टर के पास भेजेगा ॥

दफ़ा ९८ ज़िले के कलेक्टर वा एसिस्टेंट कलेक्टर को ऐसी कैफ़ियत के पहुंचने पर अवश्य है कि जांनशीनी वा जायदाद के इन्तक़ाल के बयान की सचाई मालूम करने के लिये जो तहक़ीक़ात आवश्यक समझे करे और जो मालूम हो कि जांनशीनी वा इन्तक़ाल होचुका है तो उसको रजिस्टर में दाखिल करले ॥

परंतु शर्त यह है कि ऐसा दाखिला किसी और मनुष्य के हक़ में विकार न पहुंचावेगा जो किसी

अदालत दीवानी वा मुहकमे माल के बीच उस धरती में जिस में कि वह दाख़िला इलाक़ा रखता हो किसी प्रकार की हक़ियत का दावा कर के उसको साबित करे ॥

दफ़ा ९९ यदि वह मनुष्य जो इस प्रकार किसी की जगह पर बैठे नाबालिग़ वा और तरह से नालायक़ हो तो वली वा और मनुष्य जो उसकी जायदाद की संभाल रखता हो दफ़ा ९७ के हुक्म अनुसार इत्तिला पहुंचावेगा ॥

दफ़ा १०० जो मनुष्य दफ़ा ९७ और ९९ के हुक्म अनुसार इन्तक़ाल होने की तारीख़ से तीन महीने के अंदर इत्तिला न पहुंचावे वह ज़िले के कलेक्टर वा एसिस्टेण्ट कलेक्टर के विचारानुसार जुर्माने के योग्य होगा जिसकी तादाद उस रसूम की तादाद के पांच गुने से ज़्यादह न हो जो दफ़ा ९६ के अनुसार देने योग्य होती ॥

दफ़ा १०१ यदि तहक़ीक़ात के समयान्तर जो दफ़ा ९८ के अनुसार की जाय जायदाद के क़ब्ज़े के विषय झगड़ा उत्पन्न हो और ज़िले के कलेक्टर वा एसिस्टेण्ट कलेक्टर को यह दिलजमई न हो कि कौन प्रतिपक्षी क़ाबिज़ है तो वह सरसरी तहक़ीक़ात की भांत वह निश्चित करेगा कि कौन मनुष्य जायदाद पर अधिकतर अधिकार रखता है और उसी मनुष्य को क़ब्ज़ा दिला देगा और उसी के मुताबिक़ काग़ज़ों में ज़रूरी दाख़िला कर लेगा परंतु उस हुक्म का प्रतिपालन उचित होगा जो उसके पीछे अदालत दीवानी से सादिर हो ॥

दफ़ा १०२ धरती के संपूर्ण हक़ियतों के इन्तक़ाल सिवाय उनके जिनका वर्णन दफ़ा ९७ में हुआ क़ानूनगो और पटवारी इस प्रकार काग़ज़ में लिखेंगे जिसको

साहिबान बोर्ड समय प्रति समय आज्ञा दें ॥

और संपूर्ण झगड़े के मुक़द्दमों की इत्तिला ज़िला के कलेक्टर वा एसिस्टेंट कलेक्टर को दी जायगी कि वह ऐसी तहक़ीक़ात करेगा जो यथार्थ बात जानने के लिये ज़रूरी हो और उसी के मुताबिक़ काग़ज़ों के दाख़िले की तरमीम करा देगा ॥

दफ़ा १०३ ज़िले का कलेक्टर वा एसिस्टेंट कलेक्टर उन संपूर्ण धरतियों की बाबत जो मालगुज़ारी के देने से किसी शर्त पर वा किसी मुद्दत के लिये माफ़ की गई हों सालाना तहक़ीक़ात किया करेगा ॥

यदि शर्त में कुछ विघ्न पड़ा हो तो वह मुक़द्दमे की कैफ़ियत क़िस्मत के कमिश्नर की मारफ़त ज़ब्त होने के लिये बोर्ड के पास भेजेगा ॥

यदि म्याद बीत गई हो वा (जब कि माफ़ी केवल माफ़ीदार की ज़िन्दगी तक हो) यदि माफ़ीदार मर जाय तो वह धरती पर जमा लगावेगा और अपनी कारवाई की कैफ़ियत क़िस्मत के कमिश्नर की मारफ़त बोर्ड के पास मंज़ूरी के लिये भेजेगा ॥

दफ़ा १०४ तमाम धरती जो बवजह दरिया बरामद किसी मुहाल में बढ़ जाय वह लायक़ तशख़ीस होगी और जायज़ है कि उस धरती की तशख़ीस और प्रबन्ध उन क़वायद के अनुसार किया जाय जो दफ़ा २५७ के अनुसार तरतीब दिये जांय ॥

दफ़ा १०५ वास्ते प्रयोजन दफ़ा १०३ व १०४ के कलेक्टर ज़िलअ और एसिस्टेंट कलेक्टर को अख़्तियारात ओहदेदार मुहतमिम बन्दोबस्त के प्राप्त होंगे ॥

दफ़ा १०६ इस ऐक्ट के अनुसार बने हुए संपूर्ण

कागजों को उन समयों में और रसूम देने वा न देने की उन शर्तों पर जो लोकल गवर्नमेंट समय प्रतिसमय सुधारै करती रहे लोग देख सकेंगे ॥

बटवारा और मुहालों का शामिल होना

दफ़ा १०७ बटवारा मुकम्मिल होता है वा ग़ैर मुकम्मिल ॥

मुकम्मिल बटवारे से यह अभिप्राय है कि किसी मुहाल की तक़सीम दो वा कई मुहालों में हो जाय ॥

और ग़ैर मुकम्मिल बटवारे से यह अभिप्राय है कि किसी मुहाल की तक़सीम दो वा कई ऐसी जायदाद में हो जाय जो संपूर्ण मुहाल की मालगुज़ारी की ज़मानत में जिम्मेदार हैं ॥

दफ़ा १०८ मुहाल के जिस शरीक का नाम माल के कागज़ों में दाखिल हो और जिस मनुष्य के नाम किसी अदालत दीवानी की डिगरी इस आशय से हो चुकी हो कि उसको मालिकाना हक़ मुहाल के हिस्से में दिलाया जाय चाहे वह हिस्सा पूरे मुहाल वा मुहाल के एक अंग का टुकड़ा हो वा किसी खास धरतियों का वह मनुष्य अधिकारी है कि अपने हिस्से के कामिल बटवारे का दावा करे ॥

कोई दो वा अधिक शरीक जिनके नाम कागज़ों में लिखे हों यह दावा कर सक्ते हैं कि उनके हिस्से दूसरे शरीकों के हिस्सों से मुकम्मिल बटवारा करके अलग हो जायं और एक मुहाल की भांत उनके क़ब्जे में रहें ॥

दफ़ा १०९ मुकम्मिल बटवारे के लिये लिखी हुई दरखास्त जिले के कलक्टर वा हिस्से जिले के मुहतमिम

एसिस्टेण्ट कलेक्टर के हुजूर जिस में कि मुहाल हो गुज़रनी चाहिये ॥

उस दरख्वास्त के साथ उस काग़ज़ की तसदीक़ की हुई नक़ल जिस में उसके नाम का दाखिला हो और जिस से सवाल देनेवाले का हिस्सा उस मुहाल में ज़ाहिर होता हो गुज़रनी चाहिये ॥

परंतु प्रगट रहे कि यदि मुहाल दो वा कई ज़िलों में हो तो दरख्वास्त उन ज़िलों में से किसी ज़िले में गुज़र सकी है और बटवारा उन ज़िलों के कलेक्टरों में से वही एक कलेक्टर करेगा जिसको बोर्ड के साहिब हिदायत करें ॥

दफ़ा ११०. यदि मुहाल एक ज़िले के दो वा कई हिस्सों में हो तो बटवारा उन हिस्से ज़िलों के मुहतमिम एसिस्टेण्ट कलेक्टरों में से वही एक एसिस्टेण्ट कलेक्टर करेगा जिसको कि ज़िले का कलेक्टर आज्ञा दे ॥

दफ़ा १११. ज़िले के कलेक्टर वा एसिस्टेण्ट कलेक्टर को बटवारे की दरख्वास्त गुज़रने के समय अवश्य है कि यदि दरख्वास्त ज़ाबते के मुआफ़िक़ हो और उसके देखने से कोई एतराज़ न पाया जाय तो अपनी कचहरी में और भी उस मुहाल के किसी प्रगट स्थान में जिसकी बाबत दरख्वास्त गुज़रे इश्तिहार लटकवावे ॥

और उसे जायज़ है कि एक इत्तिलानामा, मालके काग़ज़ में लिखे हुए मुहाल के निवासी सब शिकमी हिस्सेदारों के नाम जो दरख्वास्त में शामिल न हुए हों इस हुक्म से जारी करावे कि हर क़ाबिज़ हिस्सेदार जो बटवारे की दरख्वास्त पर उज़ुर रखता हो असालतन् वा ज़ाबते से मुक़र्रर किये हुए मुख्तार की मारफ़त

उक्त इश्तिहार के नियत दिन पर जिसकी म्याद इश्तिहार की तारीख़ से ३० दिन से कम और ६० दिन से ज़्यादह न हो हाज़िर होकर अपना उज़ुर बयान करे ॥

और जब किसी कारण से इत्तिलानामा किसी हिस्सेदार पर असालतन् जारी न हो सके तो इश्तिहार का होना इस दफ़ा के अनुसार पूरी इत्तिला का दिया जाना समझा जायगा ॥

दफ़ा ११२ यदि नियत तारीख़ पर वा उससे पहिले क़ाबिज़ हिस्सेदार की तरफ़ से बटवारे के मध्ये उज़ुर पेश हो और ज़िले के कलेक्टर वा एसिस्टेण्ट कलेक्टर की राय में उस उज़ुर करने के पीछे किसी यथार्थ और पर्याप्त हेतु से बटवारे का ना मंज़ूर करना उचित जान पड़े तो उसको अख़्तियार है कि नामंज़ूरी के कारणों को लिखकर दरख़्वास्त को ना मंज़ूर करे ॥

दफ़ा ११३ यदि उस उज़ुर में हक़ि़यत वा हक़्क़ मिल्कियत की बाबत कोई झगड़ा पैदा हो और उसका निबटेरा किसी अधिकारिणी अदालत ने पहिले न कर दिया हो तो ज़िले के कलेक्टर वा एसिस्टेण्ट कलेक्टर को अख़्तियार है कि जब तक उस झगड़े का निबटेरा किसी अधिकारिणी अदालत से न हो ले तो उस दरख़्वास्त को मंज़ूर न करे वा उस उज़ुर के जायज़ होने वा न होने की तहक़ीक़ात में प्रवृत्त हो ॥

उस सूरत में जिसका अन्त में वर्णन हुआ ज़िले के कलेक्टर वा एसिस्टेण्ट कलेक्टर को अवश्य है कि आवश्यक छान बीन और उस साक्ष्य लेने के पीछे जो पेश की जाय एक रूबकार इस बात का लिखे कि बटवारे की दरख़्वास्त करने वाले वा करनेवालों के और जिस वा जिन

मनुष्यों से वह बटवारा इलाक़ा रखता हो उनके यथार्थ क़ब्ज़े की हक़ि़यतें किस प्रकार की हैं और कितनी हैं॥

ज़ाब्ता जो ज़िले के कलेक्टर वा एसिस्टेंट कलेक्टर को मानना चाहिये वही होगा जो प्रथम सुनाई की नालिशों की तजवीज़ के लिये मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी में लिखा है और उसे जायज़ है कि ऐसे मुक़द्दमे में जो भगड़ा उत्पन्न हो तजवीज़ के लिये पंचायत में सुपुर्द करे और जो मुक़द्दमे इस प्रकार पर सुपुर्द किये जायं उन उक्त मजमूआ के अध्याय ६ के हुक्म जो पंचायत से इलाक़ा रखते हैं सम्बन्धित होंगे॥

दफ़ा ११४ — संपूर्ण हुक्म और फ़ैसले जो ज़िले का कलेक्टर वा एसिस्टेंट कलेक्टर ऊपर की दफ़ा के अनुसार लोगों के हक़ ठहराने के विषय दे वे प्रथम सुनाई की अदालत दीवानी के फ़ैसले समझे जायंगे और उनका अपील ज़िले की अदालत वा अदालत हैकोर्ट में उन क़ायदों के अनुसार होगा जो उक्त अदालत के नम्बरी अपीलों से इलाक़ा रखते हैं॥

जब ऐसा अपील किया जाय तो ज़िले की अदालत वा अदालत हैकोर्ट को अर्थात् जैसी सूरत हो अख़्तियार है कि ज़िले के कलेक्टर वा एसिस्टेंट कलेक्टर के नाम इस हुक्म से प्रीसेप्ट जारी करे कि अपील का फ़ैसला होने तक बटवारा बन्द रहे॥

दफ़ा ११५ जो फ़ैसला दफ़ा ११४ के अनुसार ज़िले की अदालत से हो उसका अपील ख़ास अदालत हैकोर्ट में उन क़ायदों के अनुसार हो सकेगा जो उस अदालत के अपील ख़ास के विषय में समय पर प्रचलित हों॥

दफ़ा ११६ जब इस अध्याय के अनुसार बटवारे का होना तजवीज़ किया जाय तो ज़िले के कलेक्टर वा एसिस्टेण्ट कलेक्टर को जायज़ है कि प्रतिपक्षियों को अख़्तियार दे कि वह आपस में बटवारा करलें वा उस प्रयोजन के लिये पंच मुक़र्रर करें वा वह ख़ुद बटवारा करे वा अपने आधीन किसी एसिस्टेण्ट कलेक्टर से करादे ॥

यदि पंच मुक़र्रर किये जायं तो दफ़ा २२० से २३१ तक के हुक्म मुताल्लिक़ होंगे ॥

दफ़ा ११७ बटवारे की तामील में ज़िले के कलेक्टर वा एसिस्टेण्ट कलेक्टर और हर मनुष्य को जिसे वह मुक़र्रर करे वहां की निशानवन्दी और मुहाल की माप और दूसरे प्रयोजनों के निमित्त बटवारे की धरती में दाख़िल होने के लिये वही अख़्तियार प्राप्त होंगे जो बन्दोबस्त के ओहदेदार को अध्याय ३ के अनुसार दिये गये हैं ॥

दफ़ा ११८ जब कोई धरती शराकत के क़ब्ज़े में न हो तो जो धरतियां बटवारा चाहनेवाले के जुदे क़ब्ज़े में हों वह जुदी मुहाल ठहरा दी जायंगी और उन पर जुदी जमा बांधदी जायगी ॥

दफ़ा ११९ जब कोई २ धरती शराकत के क़ब्ज़े में हों तो ज़िले के कलेक्टर वा एसिस्टेण्ट कलेक्टर को अवश्य है कि बटवारा चाहने वाले का हिस्सा जो उन धरतियों में गांव की रीतानुसार यदि कोई पाई जाय अलग कर दे ॥

जो कोई ऐसी रीति न हो तो ज़िले का कलेक्टर वा एसिस्टेण्ट कलेक्टर इस प्रकार बटवारा करे जिस से हर शरीक साझे की धरतियों में से अपने वाजिबी हिस्से पर क़ाबिज़ हो जाय ॥

दफ़ा १२० साझे की धरतियों के वे हिस्से जो

बटवारे के अनुसार दरख़ास्त करनेवाले के हिस्से में पड़ें उसके जुदे क़ब्ज़े की धरतियों में शामिल किये जायंगे और इस प्रकार पर जो मुहाल बनाये जायं जुदे २ मुहाल ठहराये जायंगे और जुदी जमा बांधी जायगी ॥

दफ़ा १२१ जब दफ़ा ११८ व ११९ व १२० के अनुसार कलेक्टर वा एसिस्टेंट कलेक्टर मुहालों का बटवारा करे उसको अवश्य है कि जिस शराकती मुहाल की जुदागाना क़ब्ज़ की धरतियों के इन्तक़ाल करने पर प्रतिपक्षी राज़ी हुए हों और उस इन्तक़ाल का मामिला बटवारे की तजवीज़ किये जाने से पहिले हुआ हो उसको तामील भली भांति करादे ॥

दफ़ा १२२ जबकि सब धरतियों का क़ब्ज़ा शराकती हो तो ज़िलेके कलेक्टर वा एसिस्टेंट कलेक्टर को अवश्य है कि बटवारा इस प्रकार पर करे कि बटवारा चाहने वाले को मुहाल में उसका वाजिबी हिस्सा मिल जाय ॥

दफ़ा १२३ हर सूरत में हर मुहाल जहांतक होसके इकजाई होना चाहिये परंतु शर्त यह है कि कोई बटवारा केवल इकजाई न हो सकने के कारण बोर्ड की मंजूरी बिना ना मंजूर न किया जायगा ॥

दफ़ा १२४ यदि बटवारे के होने में यह बात ज़रूरी हो कि जो मुहाल एक हिस्सेदार को दिलाया जाय उस में ऐसी धरती शामिल हो जिस पर दूसरे शरीक के क़ब्ज़ का निवासस्थान वा और इमारत हो तो वह दूसरा शरीक उसे उन इमारतों समेत जो उस परबनी हों इस शर्त पर अपने क़ब्ज़ में रखने का अधिकारी होगा कि जिस शरीक के हिस्से में वह धरती पड़े उसे उस धरती का उचित लगान दिया करे ॥

उस धरती की हद्दें और वह लगान जो उसकी बाबत अदा किया जाय ज़िले का कलेक्टर वा एसिस्टेण्ट कलेक्टर मुक़र्रर कर देगा ॥

दफ़ा १२५ जो मुहाल बटवारे के अनुसार किसी शरीक के लिये मुक़र्रर किया जाय उसमें दूसरे शरीक की सीर की धरती दाख़िल न की जायगी परंतु उस सूरत में कि जो शरीक उसे जोतता हो वह राज़ी हो जाय वा और प्रकार पर सुगमता से बटवारा न हो सक्ता हो ॥

यदि ऐसी धरती इस प्रकार पर मुहाल में दाख़िल की जाय और बटवारे के पीछे वह शरीक उसको जोतता रहे तो वह उक्त धरती का असामी दख़ीलकार ठहरा दिया जायगा और उसके ज़िम्मे का लगान ज़िले के कलेक्टर वा एसिस्टेण्ट कलेक्टर के ज़बान से मुक़र्रर किया जायगा ॥

दफ़ा १२६ तालाब और कूए और पानी के गोल और बांध उस धरती से संबंधित समझे जायंगे जिसके फ़ायदे के लिये वह आदि में बनाये गये हों ॥

जिस अवस्था में कि ऐसे कामों के विस्तार वा ठौरव नाव के कारण यह ज़रूरी समझा जाय कि उन मुहालों के दो वा कई मालिकों की शराकत में रहने दी जावें जो किसी मुहाल के बटवारे से बने हों तो ज़िले का कलेक्टर वा एसिस्टेण्ट कलेक्टर इस बात की तजवीज़ करेगा कि कितना हर मुहाल का मालिक उनके लाभ का अधिकारी है और कितना हिस्सा रसदी उन कामों की मरम्मत की बाबत उन मालिकों पर डाला जायगा और किस प्रकार से वह मुनाफ़ा (यदि कुछ हो) जो

उन कामों से पैदा हो उनके आपस में बांटा जाय ॥

दफ़ा १२७ मजा और कबुरस्तान की जगह जो बटवारे से पहिले किसी मुहाल के मालिकों के साझे में हों वह बदस्तूर उसी प्रकार रहेंगे सिवाय उस सूरत के कि प्रतिपक्षी किसी और प्रकार पर आपस में राज़ी हों ॥

इस अवस्था में उनको अवश्य होगा कि निबटेरे के आशय का राज़ीनामा आपस में लिख दें और वह लेख मिसल में दाखिल किया जायगा ॥

दफ़ा १२८ मालगुज़ारी की तादाद जो हर बटे ऊए मुहाल के हिस्से पर अदा होनी चाहिये ज़िले का कलेक्टर वा एसिस्टेण्ट कलेक्टर तजवीज़ करेगा ॥

परंतु शर्त यह है कि नये मुहालों की इकट्ठी माल-गुज़ारी उस मालगुज़ारी से अधिक न हो जो मुहाल पर ठीक बटवारा होने से पहिले मुक़र्रर हो ॥

और नये मुहाल के मालिक मालगुज़ारी के उस हिस्से के जिम्मेदार रहेंगे जो उनके मुहाल पर जुदा २ ठहराया जाय चाहे नये इक़रारनामे उन से लिये गये हों वा नहीं ॥

दफ़ा १२९ साहिबान बोर्ड इस ऐक्ट के अनुसार बटवारे का खर्चा तजवीज़ करने के लिये और उस खर्चे के रसदी हिस्सा बांटने के विषय क़ायदा बनावेंगे ॥

परंतु शर्त यह है कि मुहाल की पैमायश का खर्चा जब कि बटवारे के लिये पैमायश की ज़रूरत हो हिस्से रसदी के पड़ते से मुहाल के सब शरीकों को अपने २ हिस्से के मुताबिक़ अदा करना होगा ॥

दफ़ा १३० जो खर्चा बटवारा चाहनेवाले के

जिन्हों हो उस म्याद के अंदर जो ज़िले का कलेक्टर वा एसिस्टेंट कलेक्टर मुक़र्रर करे यदि वह अदा न किया जाय तो बटवारे का मुक़द्दमा ख़ारिज कर दिया जायगा॥

यदि बटवारे की किसी काररवाई के समयान्तर में किसी हेतु से बटवारे का बंद रखना उचित जान पड़े तो ज़िले का कलेक्टर खुद अपने अख़्तियार सेवा जो बटवारे के लिये एसिस्टेंट कलेक्टर मामूर हो उसकी कैफ़ियत पर बंद रख कर कारवाइयों के रद्द हो जाने का हुक्म देगा ॥

दफ़ा १२१ हर बटवारा ज़िले का कलेक्टर करेगा वा जिस अवस्था में कि एसिस्टेंट कलेक्टर करे तो उसकी मंजूरी और बहाली के हुक्म के लिये ज़िले के कलेक्टर के पास उसकी कैफ़ियत भेजी जायगी ॥

बटवारा होचुकने के समय ज़िले के कलेक्टर को अवश्य है कि उसके हो चुकने का इश्तिहार अपनी कचहरी में और हर नये मुहाल के किसी प्रगट स्थान में और उस मौज़े में जिस में मुहाल का वह हिस्सा हो लटकवा दे ॥

और वह बटवारा उस इश्तिहार की तारीख़ के पीछे की जूलाई की पहिली तारीख़ से प्रचलित होगा ॥

दफ़ा १२२ संपूर्ण हुक्मों का अपील जो ज़िले का कलेक्टर बटवारे के अमल में लाने वा मंजूर करने में दे बटवारे के जारी होने की तारीख़ से एक महीने के अंदर क़िसमत कमिश्नर के हुज़ूर रुजू होगा ॥

दफ़ा १२३ जब कि सरकार की मालगुज़ारी बटवारे के समय छल वा भूल से तक़सीम की जाय तो लोकल गवर्नमेंट को जायज़ है कि जिस समय वह छल

वा भल ज़ाहिर हो उस से बारह वर्ष के अंदर उन संपूर्ण मुहालों पर जो बटवारे से तक़सीम होकर बनाये गये हों मालगुज़ारी की नई तक़सीम के लिये हर मुहाल की अनुमानिक निकासी की दृष्टि से जो बटवारे के समय हो हुक्म दे और वह अनुमान प्रधानतर साक्ष्य और उस जानकारी के विश्वास से जो उसके विषय प्राप्त हो सकें किया जायगा ॥

दफ़ा १३४ गैर मुकम्मिल बटवारा भी ऊपर की दफ़ाओं के हुक्म अनुसार जहां तक कि वह उस से संबंधित हो सकें किया जायगा ॥

परंतु शर्त यह है कि मुहाल के संपूर्ण शरीकों की रज़ामंदी पहिले से प्राप्त किये बिना गैर मुकम्मिल बटवारे की दरख़्वास्त न ली जाय ॥

दफ़ा १३५ कोई अदालत दीवानी बटवारे की मुकम्मिल या गैर मुकम्मिल नालिश वा दरख़्वास्त की सुनवाई न करेगी ॥

दफ़ा १३६ यदि दो वा कई मुहाल मालगुज़ार सरकार आदि में एक ही मौज़े के हिस्से हों तो उनके मालिक इस बात के हक़दार होंगे कि उन मुहालों को शामिल कराके एक ही मुहाल की भांति उन पर क़ाबिज़ रहें ॥

दफ़ा १३७ ऐसे मुहालों के शामिल कराने की लिखी हुई हर दरख़्वास्त ज़िले के कलेक्टर वा उस ऐसिस्टेण्ट कलेक्टर के रूबरू गुज़रनी चाहिये जो उस हिस्से ज़िले का जिस में कि वह मुहाल है मुहतमिम हो ॥

दफ़ा १३८ ज़िले का कलेक्टर वा ऐसिस्टेण्ट कले-

हानि पहुंचाये हुए निशान की बाबत पचास रुपये से ज्यादह न हो और हद्दबन्दी के उन निशानों को फिर क़ायम करने के खर्च और उस मुआयिने के इक़दाम के लिये पूरा पड़े जिसकी मारफ़त सुबूत मांगा होगा ॥

दफ़ा १४४ ॥ जब वह मनुष्य जिसने ऐसे निशानहद-बंदी को मिटाया वा दूर किया वा हानि पहुंचाई हो मालूम न हो सके वा और किसी वजह से यह पाया जाय कि जिसको रुपया देने का हुक्म हुआ है उससे वह रुपया वसूल नहीं हो सकता तो हद्दबंदी का निशान एक खेत वा किई खेत वा महाल के मुताल्लिके मालिक वा मालिकों के खर्च से अर्थात् जिस प्रकार जिले के कलेक्टर वा एसिस्टेंट कलेक्टर को उचित जान पड़े नये सिरे से क़ायम वा मरम्मत किया जायगा ॥

दफ़ा १४५ ॥ जिले के कलेक्टर वा एसिस्टेंट कलेक्टर को अख़्तियार है कि हद के संपूर्ण झगड़ों का निबटेरा करे और किसी समय महालों वा मौज़ों वा खेतों के मालिकों पर लिखी हुई इत्तिला नोटिस लिखी हुई बातों के प्रयो-जन से जारी करे ॥

(क) ये कि उन महालों वा मौजों वा खेतों पर हद्दबंदी के निशान उचित प्रकार से बनाये होवें ॥

(ख) हद्दबंदी के जो निशान क़ानून के बमूजिब महालों वा मौजों वा खेतों पर बनाये गये हों उनकी मरम्मत करें ॥

यदि वे मालिक इत्तिलानामा जारी होने की तारीख से पन्द्रह दिन के अंदर उसकी तामील न करें तो जिले के कलेक्टर वा एसिस्टेंट कलेक्टर को अख़्तियार है कि हद्दबन्दी के उन निशानों को बनवावे वा उनकी मरम्मत

करे अर्थात् जैसी कि सूरत हो और मौज़े वा खेतों वा पास के मुहालों के मालिकों के ज़िम्मे बनाने वा मरम्मत का खर्चा उस पड़ते के हिसाब से डाले जो उसके विचार में उचित हो ॥

दफ़ा १४५ संपूर्ण रसूम और जुर्माना और खर्चा और दूसरे रुपये जिनके अदा किये जाने का हुक्म इस अध्याय के अनुसार दिया जाय मालगुज़ारी की बाक़ी की भांति वसूल किये जायंगे ॥

अध्याय ५—धरती की मालगुज़ारी की तहसील

दफ़ा १४६ कुल मुहाल और मुहाल के सब मालिक शराकत में और अलग २ उस सरकारी मालगुज़ारी के देने के ज़िम्मेदार होंगे जो उस समय मुहाल पर लगी हुई हो ॥

दफ़ा १४७ बोर्ड को जायज़ है कि लोकल गवर्नमेंट की पहिले से मंज़ूरी प्राप्त करके समय प्रति समय इस विषय में क़ायदे बनाती रहे कि जो मालगुज़ारी किसी धरती के मध्ये देने योग्य है उसको कौन २ मनुष्य किन क़िस्तों में और किन मनुष्यों को अदा करेंगे और वह किस मुक़ाम में और किस समय अदा की जायगी ॥

जब तक ऐसे क़ायदे न जारी हों वह मालगुज़ारी उन्हीं क़िस्तों में और उन्हीं मनुष्यों को और उन्हीं समयों और स्थानों में अदा होती रहेगी जिनको और जिन समयों और स्थानों और जिन क़िस्तों में अब अदा की जाती है ॥

दफ़ा १४८ जो रुपया कि उस समय इस प्रकार पर अदा न किया जाय वह बाक़ी मालगुज़ारी समझा जायगा और वह मनुष्य जिसके ज़िम्मे बाक़ी हो बाक़ीदार ठहरेगा॥

मालगुज़ारी की बाक़ियों के मध्ये कुछ ब्याज न तलब किया जायगा॥

जो बन्दोबस्त नम्बरदार के साथ धरती के सब मालिकों के लिये ज़ुआ हो तो दोनों अर्थात् नम्बरदार और शरीक वा कई शरीक जिनके ज़िम्मे बाक़ी हो बाक़ीदार समझे जायंगे॥

दफ़ा १४९ तहसीलदार का जांचा ज़ुआ हिसाब बाक़ी के पड़ने और उसकी तादाद की बाबत और इस विषय में कि कौन मनुष्य बाक़ीदार है पक्का प्रमाण होगा॥

दफ़ा १५० मालगुज़ारी की बाक़ी नीचे लिखे ज़ुए ज़ाबते से वसूल की जायगी॥

(क) बाक़ीदार के नाम दस्तक जारी करने से॥

(ख) बाक़ीदार की गिरफ़ारी से और उसको चौकसी में रखने से॥

(ग) उसके माल मनक़ूला की क़ुर्क़ी और नीलाम से॥

(घ) उस हिस्से वा पट्टी वा मुहाल की क़ुर्क़ी से जिस पर बाक़ी पड़ी हो॥

(ङ) उस हिस्से वा पट्टी के इन्तक़ाल कराने से मुहाल के उस शरीक के नाम जिसके ज़िम्मे मालगु-ज़ारी की बाक़ी न रहे॥

(च) उस पट्टी वा कुल मुहाल के बन्दोबस्त तोड़ने से॥

(छ) उस पट्टी वा कुल मुहाल के नीलाम करने से॥

(ज) दूसरे माल ग़ैर मन्क़ूले बाक़ीदार के नीलाम करने से॥

दफ़ा १५१ मालगुजारी की बाक़ी पड़ने की तारीख़ पर वा उसके पीछे दस्तक जारी की जायगी॥

साहिबान बोर्ड समय प्रति समय दस्तक जारी करने के विषय क़ायदे बनावेंगे और मालगुजारी के बाक़ीदार से जो ख़र्चा वसूल करने योग्य हो उसका परिमाण भी ठहरादेंगे और वह मालगुजारी की बाक़ी की भांति वसूल हो सक्ता है और आज्ञा देंगे कि कौन ओहदेदार दस्तक जारी किया करे॥

दफ़ा १५२ बाक़ी वसूल योग्य होने के पीछे किसी समय बाक़ीदार गिरफ़ार होकर १५ दिन तक चौकसी में रक्खा जा सक्ता है जो उस अर्से के अंदर बाक़ी गिरफ़ारी के ख़र्चे समेत न वसूल हो जाय॥

साहिबान बोर्ड समय प्रति समय जाहिर करेंगे कि कौन ओहदेदार (सिवाय ज़िले के ओहदेदार) इस ऐक्ट के अनुसार गिरफ़ारी के अख़्तियार को बर्तेंगे॥

दफ़ा १५३ ज़िले के कलेक्टर वा असिस्टेंट कलेक्टर को अख़्तियार है कि चाहे बाक़ीदार गिरफ़ार हुआ हो या नहीं उसका माल मनक़ूला को सिवाय खेती के औज़ार और पशुओं के जो खेती ही के काम में लाते हों और अन्न कि वह काश्तकार हो तो उसके औज़ारों को छोड़ के कुर्क़ और नीलाम करे॥

दफ़ा १५४ जब बाक़ी मालगुजारी पड़ी हो ज़िले के कलेक्टर को अख़्तियार है कि ऊपर कहे हुए उपाय के सिवाय वा उनके बदले हिस्सा वा पट्टी वा महाल को जिसकी बाबत बाक़ी पड़ी हो कुर्क़ करके अपने प्रबन्ध में लावे वा उसका एहतमाम किसी कारिन्दे को इस प्रयोजन के लिये मुक़र्रर करके सौंपे॥

दफ़ा १५५ जिले का कलेक्टर वा कारिन्दा जो इस प्रकार पर मुक़र्रर किया जाय उस पर उन संपूर्ण क़ौल क़रारों की पाबन्दी उचित होगी जो मनुष्य वा उन मनुष्यों के बीच जो क़ुर्क़ की हुई धरती पर क़ुर्क़ी से पहिले क़ाबिज़ हों और जिनको मालिकों और असामियों के बीच (यदि कोई हों) किये जायं॥

और वह उक्त मनुष्य वा मनुष्यों को ख़ारिज करके क़ुर्क़ की हुई धरती के इन्तज़ाम करने और संपूर्ण लगान का रुपया और मुनाफ़ा के लेने का जो उससे पैदा हो उस समय तक अधिकारी होगा कि क़ुर्क़ की हुई धरती से जितनी बाक़ी मालगुज़ारी पावनी हो वसूल हो जाय वा जिले का कलेक्टर उस मनुष्य वा मनुष्यों को जिनकी हक़ियत क़ुर्क़ की जाय फिर उस का इहतमाम सौंपे॥

दफ़ा १५६ क़ुर्क़ की हुई धरती के मुनाफ़े का संपूर्ण बचा हुआ रुपया जो क़ुर्क़ी के ख़र्च और धरती के इन्तज़ाम और हाल की माल गुज़ारी देने से बाक़ी रहे उस बाक़ी के अदा करने में ख़र्च किया जायगा॥

और कोई धरती एक ही बाक़ी की बाबत क़ुर्क़ी की तारीख़ के पीछे इकम जुलाई से पांच वर्ष से ज्यादह म्याद के लिये क़ुर्क़ न रहेगी परन्तु जिस अवस्था में कि बाक़ी मालगुज़ारी उस अर्से से पहिले अदा हो जाय तो वह धरती छोड़ दी जायगी और बचत का रुपया (यदि कुछ हो) मालिक को दे दिया जाय॥

दफ़ा १५७ जब बाक़ी मालगुज़ारी किसी मुहाल के हिस्से वा पट्टी की बाबत पावनी हो ज़िले के कलेक्टर को अख़्तियार है कि बोर्ड की मंज़ूरी प्राप्त करके उस

हिस्से वा पट्टी को उस म्याद के लिये जो मंजूरी के पीछे की जूलाई की पहिली तारीख से पन्द्रह बर्ष से ज्यादह न हो किसी दूसरे शरीक वा संपूर्ण शरीकों के नाम इस शर्त से मुन्तक़िल करदे कि वह उस बाक़ी को उन नियमों के साथ जिनको बोर्ड हर सूरत के लिये उचित समझे अदा कर दें ॥

जिस मुहाल में ऐसा किया जाय उस मुहाल के शरीकों के साझे की जिम्मेदारी और जुदी २ जिम्मेदारी में खलल न होगा ॥

दफ़ा १५८ जब धरती की बाक़ी मालगुज़ारी पावनी हो और कलेक्टर के विचार में वह उपाय जो इस ऐक्ट में इस से पहिले बयान किये गये उस बाक़ी के वसूल करने के लिये पूरे न समझे जायं तो उसे अधिकार है कि दफ़ा १४७ में लिखे हुए संपूर्ण उपायों वा किसी उपाय के सिवाय वा उसके बदले वृत्तान्त की कैफ़ियत साहिबान बोर्ड के पास भेजे और उक्त साहिब हुक्म दे सकेंगे कि जिस हिस्से वा पट्टी वा मुहाल पर बाक़ी हो उसका वह बन्दोबस्त जो उस समय में हो तोड़ दिया जाय ॥

इस दफ़ा के हुक्म उस बाक़ी मालगुज़ारी के वसूल करने के लिये जो नीचे लिखी हुई धरतियों पर पड़े प्रबल न होंगे ॥

(क) जो धरती दफ़ा १५४ के अनुसार क़ुर्क़ी में हो ॥

(ख) जो धरती कोर्ट आफ़ वार्डस के प्रबंधाधीन हो ॥

दफ़ा १५९ जब किसी धरती का बन्दोबस्त तोड़ दिया जाय तो ज़िले के कलेक्टर को लायक़ है कि पहिले साहिबान बोर्ड की मंजूरी मंगाकर उस मुद्दत के

समेत वा बिना ब्याज के जिस प्रकार क़िस्मत का कमि-
श्नर उचित समझे वापस पाने का हक़दार होगा ॥

दफ़ा १८३ उसके पीछे कि नीलाम उस धरती का
जिसके बाबत बाक़ी मालगुज़ारी वसूल के योग्य हो
ऊपर लिखे हुए क़ायदे के अनुसार बहाल रक्खो जाय
गी और उस ज़िलेका कलेक्टर कि जिसमें वह धरती
है उस मनुष्य को जो ख़रीदार नीलाम ठहरा दिया
जाय आराज़ी का क़ब्ज़ा दिलावेगा और अटल सार्टी
फ़िकट इस मज़मूनका देगा कि उसने आराज़ी सार्टी
फ़िकट की लिखी हुई ख़रीद की है और वह सार्टी
फ़िकट वास्ते इस्तेमाल जायज़ उस आराज़ी के सनद
समझा जायगा परन्तु वह सार्टीफ़िकट काग़ज़ इस्टाम्प
पर होना या उसकी रजिस्टरी क़िबाले के तौर पर
किया जाना अवश्य नहीं है ॥

यदि वह धरती बाक़ी मालगुज़ारी के विषय में
जो उसको देनेयोग्य हो नीलाम होजाय तो सार्टी
फ़िकट में यह भी लिखना चाहिये कि वह धरती
हरमुताल्लिकों नीलाम से बरी है सिवाय उन इस्तमरारी
और पट्टों के जिनका ज़िक्र १६७ दफ़ा में हुआ है

दफ़ा १८४ उस सार्टीफ़िकट में उस मनुष्य का
नाम लिखा जायगा जो नीलाम के समय असली ख़री-
दार बयान किया जाय और जो नालिश अदालत
दीवानी वा महकमे माल में सार्टीफ़िकट में लिखे हुए
ख़रीदार के नाम इस मूल पर दायर की जाय कि
नीलाम की ख़रीदारी सार्टीफ़िकट में लिखे हुए मनुष्य
के सिवाय किसी और मनुष्य की तरफ़ से हुई है यद्यपि
आपस के क़ौल क़रार के मुआफ़िक़ सार्टीफ़िकट में लिखे

हुए खरीदार का नाम उस में लिखा गया वह खर्चा समेत खारिज की जायगी ॥

दफ़ा १८५ जब धरती का नीलाम इस ऐक्ट के अनुसार बहाल रक्खा जाय तो नीलाम का रुपया पहिले नीलाम का खर्चा और उन बाक़ियों को देकर खर्च किया जायगा जो उस धरती की बाबत नीलाम की बहाली की तारीख पर पावनी हों और माल-गुज़ारी की बाक़ी की भांति वसूल हो सक्ती हों ॥

यदि कुछ रुपया फ़ाज़िल रहे तो उस मनुष्य को दिया जायगा जिसकी धरती नीलाम हुई हो ॥

वा यदि नीलाम की हुई धरती पर कई मनुष्य क़ाबिज़ हों तो शरीकों को इकट्ठा वा माली काग़ज़ों में लिखी हुई उनकी हक़ियत की तादाद के मुताबिक़ जैसी की कलेक्टर की राय हो दिया जायगा ॥

दफ़ा १८६ वह फ़ाज़िल रुपया (अदालत दीवानी के हुक्म के सिवाय) उस मनुष्य के किसी धनी को जिसकी धरती नीलाम हो न अदा किया जायगा और न (उसी प्रकार के हुक्म के सिवाय) सरकार के खज़ाने में दाखिल रहेगा ॥

दफ़ा १८७ जिस मनुष्य के नाम सार्टीफ़िकट में किसी धरती की खरीदारी लिखी जाय वह धरती की मालगुज़ारी की तमाम क़िस्तों के देनेका जिम्मेदार होगा जो नीलाम की तारीख के पीछे उस धरती की बाबत वसूल होने योग्य हों ॥

दफ़ा १८८ जब कोई धरती जो दफ़ा १६२ के अनुसार नीलाम की जाय किसी मुहाल का हिस्सा वा पट्टी हो तो रजिस्टर में लिखा हुआ कोई शरीक जो

खुद उस धरती की बाबत बाक़ी का देनदार न हो जब कि नीलाम किसी ग़ैर मनुष्य के नाम ख़त्म किया जाय इस बात का दावा कर सक्ता है कि जो क़ीमत अख़ीर बोली में बोली गई हो उसी पर उस धरती को ले ले ॥

परंतु शर्त यह है कि हक़शुफ़ा का दावा नीलामके ही दिन नीलाम करने वाले ओहदेदार का कचहरी उठ जाने से पहिले पेश किया जाय और भी वह नियम है कि दावीदार नीलाम की संपूर्ण दूसरी शर्तों को पूरा करे ॥

दफ़ा १८९ जब इस अध्याय के अनुसार किसी मनुष्य के मध्ये किसी बाक़ी मालगुज़ारी वसूल करने के लिये कारवाई की जाय तो उसे जायज़ है कि मुतालिबे की जितनी तादाद से इनकार रखता हो वह उस कारवाई के करनेवाले ओहदेदार को अदा करे ॥

उस तादाद के अदा हो जाने पर कारवाई बन्द कर दी जायगी ॥

और जायज़ है कि (उस तादाद की रियायत से जो क़ानून के मुआफ़िक़ मुक़र्रर हो) वह मनुष्य जिसकी बाबत उक्त कारवाइयां की गई हों उस रुपये की बाबत जो उसने अदा कर दिया हो उस ज़िले की दीवानी अदालत में जहां कि कारवाई की गई हो सरकार पर नालिश करे ॥

और उस नालिश में मुद्दई दफ़ा १४६ के हुक्म के होते हुए भी उस तादाद की साक्ष्य पेश कर सक्ता है जो वह अपने ज़िम्मे देना बयान करे ॥

दफ़ा १९० हर मुहाल वा मुहाल का हिस्सा जो

इस ऐक्टके हुक्मों के अनुसार कुर्क़ वा इन्तक़ाल वा ख़ास तहसील में किया जाय वा मुस्ताजिरी पर दिया जाय वा नीलाम पर चढ़ाया जाय उसका हर ऐसा मालिक जो उस मुहाल वा मुहाल के हिस्सेमें सीर की धरती रखता हो उस सीर की धरती का हक़दार असामी मालके काग़ज़ में लिखा जायगा और जो लगान का रुपया उस धरती की बाबत उसको देना चाहिये वह ज़िले का कलेक्टर वा एसिस्टेंट कलेक्टर उसके मुताबिक़ मुक़र्रर कर देगा ॥

दफ़ा १९१ यदि बन्दोबस्त की म्याद नये बन्दोबस्त होने से पहिले बीत जाय तो संपूर्ण मनुष्य जिनके साथ बन्दोबस्त हुआ हो और जो उस म्याद के बीत जाने के पीछे उस धरती के दख़ील हों जो म्याद बीते हुए बन्दोबस्त में दाख़िल थी वह नया बन्दोबस्त होने तक म्याद बीते हुए बन्दोबस्त की शर्तों के अनुसार उस धरती पर क़ाबिज़ रहेंगे ॥

संपूर्ण मुक़द्दमों में हुक़ूक़ मौजूदह लिखे हुए काग़ज़ात के उस वक़्त तक क़ायम रहेंगे जबतक कि नवीन काग़ज़ात हक़ के जारी न होजांय ॥

दफ़ा १९२ इस ऐक्ट के हुक्म जो बाक़ी मालगुज़ारी के वसूल करने के विषय हैं उन संपूर्ण रुपयों से इलाक़ा रक्खेंगे जो धरती की बाक़ी मालगुज़ारी की भांति वसूल होने योग्य और इस ऐक्ट की कारवाई होनेके समय पावने हों ॥

अध्याय ९—कोर्ट आफ़ वार्डस ॥

दफ़ा १९३ साहिबान बोर्ड मुहाल वा हिस्से मुहाल के उन सब मालिकों के शरीर और जायदाद का

प्रबन्ध करने के लिये जो अपनी धरती के इन्तज़ाम के लिये नालायक़ हों वा समय के प्रचलित किसी ऐक्ट की आज्ञा अनुसार किसी अदालत दीवानी के हुक्म से कलेक्टर ज़िला के प्रबन्धाधीन किये गये हों कोर्ट आफ़ वार्ड्स के अख़ियार रक्खेंगे ॥

दफ़ा १९४ धरती के मालिक उस सूरत में अपनी धरती के प्रबन्ध के विषय नालायक़ समझे जायंगे कि वे ॥

(क) ऐसी स्त्रियां हों जिनको लोकल गवर्नमेंट ने उनके मुहालों के प्रबन्ध के लिये नालायक़ समझा हो ॥

(ख) नाबालिग़ हों ॥

(ग) विक्षिप्त हों ॥

(घ) पागल हों ॥

(ङ) ऐसे मनुष्य हों जो और किसी प्रकार से शारीरक विकार वा निर्बलता के कारण अपने मुहालों की संभाल के लिये नालायक़ हों ॥

(च) ऐसे मनुष्य हों जिनको लोकल गवर्नमेंट बुरे काम वा कुचाल के कारण उनके मुहाल के एहतमाम के लिये नालायक़ समझे ॥

(छ) वे मनुष्य जिन्हें लोकल गवर्नमेंट उन्हीं की दरख़ास्त पर अपने मुहालों के प्रबन्ध करने के विषय नालायक़ ठहरा दे ॥

दफ़ा १९५ कोर्ट आफ़ वार्ड्स को जायज़ है कि अपनी तजवीज से किसी नालायक़ मालिक के तन वा धन की संभाल अपने ज़िम्मे ले वा उस से हाथ खींच ले और किसी समय किसी मनुष्य वा जायदाद को अपने प्रबन्ध से छोड़ दे ॥

परंतु शर्त यह है कि ऐसे मनुष्य वा जायदाद को

कोर्ट आफ़ वार्ड्स के आधीन किसी ऐसे अधिकारी ज़ाकिम ने न रक्खा हो जिसका हुक्म उसके छोड़ने के लिये ज़रूरी है ॥

दफ़ा १९६ ज़िले के कलेक्टर को अवश्य है कि समय प्रतिसमय तहक़ीक़ात करके कोर्ट आफ़ वार्ड्स को इस बात की कैफ़ियत भेजता रहे कि धरती के कौनसे मालिक दफ़ा १९४ के अनुसार धरती के नालायक़ मालिकों की संज्ञा में दाख़िल हो सक्ते हैं ॥

साहिबान बोर्ड कलेक्टर की कैफ़ियत पहुंचने पर वह हुक्म देंगे जो उनके विचार में उचित हो ॥

दफ़ा १९७ दफ़ा १९६ के किसी लेख से कोर्ट आफ़ वार्ड्स वा लोकल गवर्नमेंट को यह बात वर्जित नहीं है कि इस अध्याय के हुक्म कलेक्टर की किसी कैफ़ियत के विना प्रचलित करे ॥

दफ़ा १९८ यदि किसी मुक़द्दमे में जिसके लिये किसी समय के प्रचलित क़ानून में कोई विशेष हुक्म न हो कोर्ट आफ़ वार्ड्स के इस अधिकार पर कि वह नालायक़ मालिक के तन और धन को संभाल ले वा रक्खे उक्त मालिक ऐतराज़ करे वा जब कि वह नाबालिग़ हो उसकी तरफ़ से कोई ऐतराज़ करे तो उस मुक़द्दमे की कैफ़ियत लोकल गवर्नमेंट को भेजी जायगी और उसका हुक्म अटल होगा ॥

दफ़ा १९९ कोर्ट आफ़ वार्ड्स को जायज़ है कि नालायक़ मालिकों की जायदाद के लिये सर्वराहकार मुक़र्रर करे और यदि वे मालिक नाबालिग़ वा विक्षिप्त वा पागल हों तो कोर्ट आफ़ वार्ड्स को जायज़ है कि उनके तन के संभाल के लिये वली मुक़र्रर कर दे और

ऐसे सर्बराहकार और वली को मौक़ूफ़ करे और उन पर निगरानी रक्खे ॥

धरती के मालिकों को अधिकार है कि अपने वारिसों के लिये जब कि वे ऊपर लिखे अनुसार नालायक़ हों वसीयतनामा लिखके जिसकी तकमील और तसदीक़ उस क़ायदे से की जाय जो हिंदुस्तान के प्रचलित वरासत के क़ानून सन् १८६५ ई० में लिखे हैं वली मुक़र्रर करें परंतु ऐसी मुक़र्ररी जब तक कोर्ट आफ़ वार्ड्स से मंजूर न हो जायज़ नहोगी ॥

दफ़ा २०० कोर्ट आफ़ वार्ड्स यह आज्ञा दे सक्ती है कि संपूर्ण पुरुष जाति नाबालिग़ जो उसके प्रबंधाधीन हों शिक्षा के प्रयोजन से वा और प्रकार पर कहां रहा करें ॥

दफ़ा २०१ जिस सर्बराहकार को कोर्ट आफ़ वार्ड्स मुक़र्रर करे उसको अख़्तियार होगा कि जो धरती उसे सौंपी हो उसका लगान और संपूर्ण रुपये जो नालायक़ मालिक को पावने हों तहसील किया करे और उनकी रसीद दे ॥

और उसको अख़्तियार है कि कोर्ट आफ़ वार्ड्स के प्रबंधाधीन ऐसे पट्टे और मुस्ताजिरी के पट्टे दे वा उन को नया करे जिनकी म्याद पांच वर्ष से ज्यादह न हो और जायदाद के उत्तम प्रबन्ध के लिये आवश्यक समझे जायं ॥

दफ़ा २०२ सर्बराहकारों को अवश्य है कि जो जायदाद उसे सौंपी जाय उसका प्रबन्ध जी लगा के और ईमानदारी के साथ मालिक के फ़ायदे के लिये करें और अपनी बुद्धि और समझ भर मालिक के लाभ के

लिये ऐसा काम करें कि मानो खुद उन्हीकी जायदाद थी ॥

दफ़ा २०३ कोर्ट आफ़ वार्डस को अख़्तियार होगा कि ऐसे पट्टे वा मुस्ताजिरी के पट्टे उस संपूर्ण जायदाद वा उसके हिस्से के लिये दे जो उसके प्रबन्धाधीन हो और उस जायदाद के हिस्से को रहन करे वा बैकरे वा और ऐसे कामों का बर्ताव करे जो उसके विचार में उस जायदाद के लाभ और नालायक़ मालिकों के फ़ायदे के लिये उत्तम हों ॥

दफ़ा २०४ कोर्ट आफ़ वार्डस को जायज़ है कि संपूर्ण अख़्तियार जो उसको इस ऐक्ट के अनुसार सुपुर्द हैं उन ज़िलों के कलेक्टरों की मारफ़त जिन में नालायक़ मालिकों की जायदाद का कोई हिस्सा हो वा किसी और मनुष्य की मारफ़त बर्ते जिसे वह उस प्रयोजन के लिये मुक़र्रर करे ॥

दफ़ा २०५ संपूर्ण नालायक़ मालिक जिनकी जायदाद कोर्ट आफ़ वार्डस के प्रबंधाधीन हो और जिनके लिये वली मुक़र्रर किये गये हों अपने वली के नाम से नालिश करेंगे और वली के नाम पर नालिश होगी ॥

परंतु शर्त यह है कि कोर्ट आफ़ वार्डस से मंजूरी लिये बिना कोई ऐसा वली कोई ऐसी नालिश वा पैरवी न करेगा ॥

दफ़ा २०६ हर सर्बराहकार को जिसे कोर्ट आफ़ वार्डस मुक़र्रर करे नीचे लिखे हुए काम अवश्य हैं ॥

(क) यह कि जिस जायदाद के मुनाफ़े और लगान के वसूल करने के लिये वह मुक़र्रर हुआ हो उसका उतना वाजिबी हिसाब देने के लिये जमानत दाखिल करे जितना कि कोर्ट आफ़ वार्डस के निकट उचित हो ॥

(ख) अपने सब हिसाब उन समयों पर और उस नमूने के मुआफ़िक़ जिसको कोर्ट आफ़ वार्ड्स आज्ञा दे दाखिल करे॥

(ग) उस हिसाब में जो बाक़ी उसके ज़िम्मे निकले उसको अदा करे॥

(घ) जिस काम में ऐसा खर्च पड़े जो कोर्ट आफ़ वार्ड्स ने पहिले नामंज़ूर किया हो उसकी मंज़ूरी के लिये कोर्ट आफ़ वार्ड्स से दरख़ास्त करे॥

(ङ) उक्त सर्बराहकार उस वेतन का हक़दार होगा जो कोर्ट आफ़ वार्ड्स उसकी मिहनत और उद्योग के लिये उचित समझे॥

(च) बाबत किसी ऐसे नुक़सान के वह ज़िम्मेदार रहेगा जो जान बूझ कर उसके क़सूर करने वा ग़फ़लत से जायदाद पर पड़े॥

अध्याय ९—माल के महकमों का ज़ाबा।

दफ़ा २०७ क़िस्मत के कमिश्नर को अख़ितयार है कि अपनी क़िस्मत के किसी मुक़ाम में जहां उचित समझे अपनी कचहरी करे॥

ज़िले के कलेक्टर वा एसिस्टेण्ट कलेक्टर (चाहे किसी ख़ास ज़िले का मुहतमिम हो वा नहीं) वा बन्दोबस्त के ओहदेदार वा बन्दोबस्त के एसिस्टेण्ट ओहदेदार बन्दोबस्त को अख़ितयार है कि उस ज़िले की हद्दों के अन्दर जहां वह मुक़र्रर किया गया हो किसी मुक़ाम में अपनी कचहरी करे॥

तहसीलदार को अख़ितयार है कि अपनी तहसील की हद्दों के अन्दर किसी मुक़ाम पर अपनी कचहरी करे॥

दफ़ा २०८ हर ओहदेदार को जिसका वर्णन

दफ़ा २०७ में कहा अधिकार होगा कि उसके विचार में जिस मनुष्य की हाजिरी तहक़ीक़ात वा नालिश वा और प्रवर्तित कामों के प्रयोजन से जरूरी हो उसके नाम समन जारी करे॥

संपूर्ण मनुष्यों को जिनके नाम समन जारी किया जाय अवश्य होगा कि निज डील से वा अधिकारी मुख़्तार की मारफ़त जिस प्रकार कि वह ओहदेदार हुक्म दे हाजिर हों॥

और जिस बात के मध्ये उनका इजहार लिया जाय वा जिसका वह बयान करें उसकी बाबत उनका बयान सच सच हो॥

और जिन दस्तावेजों और वस्तुओं से प्रयोजन हो उन्हें पेश करें॥

दफ़ा २०९ हर एक लिखा हुआ समन दो प्रति में हुआ करे और उस पर दस्तख़त और मुहर उस ओहदेदार की हो जो उसे जारी करे वा उस मनुष्य की हो जिसको वह ओहदेदार इस विषय में अख़्तियार दे॥

और वह इस प्रकार जारी हो कि उसकी एक नक़ल उस मनुष्य को जिसके नाम समन जारी किया गया हो देने को पेश की जाय वा उसके हवाले की जाय वा जिस अवस्था में कि वह पाया न जाय तो उसकी एक नक़ल उसके मामूली निवास स्थान के किसी प्रगट जगह में चिपका दी जाय॥

दफ़ा २१० यदि उसका मामूली निवासस्थान दूसरे ज़िले में हो तो समन डाक के द्वारा उस ज़िले के कालेक्टर के पास भेज दिया जाय कि वह ऊपर की दफ़ा के अनुसार उसको जारी करे॥

दफ़ा २११ हर इत्तिला जो इस ऐक्ट के अनुसार दी जाय वह इस प्रकार जारी की जायगी कि उसकी एक नक़ल उस मनुष्य को जिस पर कि वह जारी होना चाहिये देने के लिये पेश की जाय वा उसके हवाले की जाय॥

वा जिस अवस्था में कि वह मनुष्य धरती का मालिक हो तो उसके कारिन्दे को देने के लिये पेश की जाय वा हवाले की जाय॥

वा उसकी एक नक़ल उस धरती में जिस से कि वह इत्तिलानामा इलाक़ा रखता हो किसी प्रगट स्थान में चिपका दी जाय॥

कोई इत्तिलानामा किसी मनुष्य के नाम वा पते में ग़लती होने के कारण नाजायज़ न समझा जायगा सिवाय उस सूरत के कि उस ग़लती के कारण असल न्याय में विघ्न पड़े॥

दफ़ा २१२ किसी नालिश में जो किसी ऐसे ओहदेदार के रूबरू रुजू हो जिसका वर्णन दफ़ा २०७ में हुआ यदि प्रतिपक्षियों में से कोई गवाहों को हाज़िर कराना चाहे तो उस ओहदेदार को अवश्य है कि मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी की दफ़ा १५१ के अनुसार नियत किये हुए ज़ाब्ते पर काम करे॥

दफ़ा २१३ जब कोई प्रतिपक्षी नालिश वा ऐसे मुक़द्दमे का जिसकी तहक़ीक़ात हो रही हो समन में नियत की हुई तारीख़ पर हाज़िर न हो तो नालिश वा मुक़द्दमा उसकी ग़ैर हाज़िरी में पेश होकर फ़ैसल किया जायगा और अदम पैरवी की इल्लत में मुक़द्दमा ख़ारिज किया जायगा वा एकतरफ़ा फ़ैसला अर्थात् जैसी सूरत हो किया जायगा॥

दफ़ा २१४ जो हुक्म एकतरफ़ा वा अदमपैरवीकी इल्लत में दिया जावगा उसका अपील न होगा ॥

परंतु ऐसे संपूर्ण मुक़द्दमों में यदि वह प्रतिपक्षी जिसके मतलब के खिलाफ़ हुक्म दिया गया हो निज वकील से वा मुख़्तार की मारफ़त (जिस अवस्था में कि वह मुद्दई है उस हुक्म की तारीख़ से पन्द्रह दिन के भीतर और जब कि वह मुद्दाअलेह हो तो उस तारीख़ से पन्द्रह दिन के अंदर जब कि फ़ैसला जारी करने के किसी हुक्मनामे की तामील की गई हो वा उस-सेपहिले) हाज़िर हो और अपनी ग़ैर हाज़िरी की यथार्थ वजह ज़ाहिर करे और हुक्म देनेवाले ओहदेदार की दिल जमई करावे कि उसके हक़ में बेइन्साफ़ी हुई है तो उक्त ओहदेदार को अख़्तियार है कि ऐसी शर्तों पर ख़र्ची आदि के विषय जो उसके विचार में उचित हों मुक़द्दमे की नये सिरे से तहक़ीक़ात करे और न्याय के विचारानुसार हुक्म को बदल दे वा रद्द करे ॥

परंतु शर्त यह है कि कोई ऐसा हुक्म इस बात के विना बदला वा रद्द न किया जायगा कि वह प्रतिपक्षी जिसके मतलब के मुआफ़िक़ फ़ैसला किया गया हो अदालत में हाज़िर होने और अपने उज़ुरों के पेश करने के लिये तलब किया जाय ॥

दफ़ा २१५ संपूर्ण मुक़द्दमों में जिन से दफ़ा १०१ और १०२ और ११२ और ११३ और १२६ और १४२ और १४४ इलाक़ा रखती हैं संपूर्ण साक्ष्य ज़िले की आमबोली में वही ओहदेदार लिखेगा जो तहक़ीक़ात करता हो वा उसके देखते और सुनते हुए और उसकी निज संभाल और आज्ञा से लिखी जायगी और वह

ओहदेदार उस पर अपने दस्तखत करेगा ॥

जिन सूरतों में कि तहक़ीक़ात करनेवाला ओहदे-दार संपूर्ण साक्ष्य को आप न लिखे तो उसे अवश्य है कि गवाह से इज़हार लिये जाने के समयान्तर में उस गवाह के इज़हारों के आशय की एक याद्दाश्त लिखता जाय और उक्त ओहदेदार वह याद्दाश्त निज हाथ से लिख कर उस पर अपने दस्तखत करदे और वह मिसल में शामिल की जाय ॥

यदि उक्त ओहदेदार ऊपर लिखे अनुसार याद्दाश्त लिखने में अशक्त हो तो उसे अवश्य है कि अपनी अशक्तता का कारण लिखे ॥

लोकल गवर्नमेंट को इस बात के ठहरा देने का अधिकार है कि इस दफ़ा के प्रयोजनों के लिये कौनसी बोली ज़िले की आम बोली समझी जायगी ॥

दफ़ा २१६ जब साक्ष्य अंगरेज़ी बोली में दीजाय तो उस ओहदेदार को जायज़ है कि उसे उसी बोली में अपने हाथ से लिखे और उसका सही तर्जुमा ज़िले की आम बोली में किया जाय और मिसल में शामिल किया जाय ॥

दफ़ा २१७ दफ़ा २१२ के मुक़द्दमों के सिवाय संपूर्ण मुक़द्दमों में उस ओहदेदार को जायज़ है कि ऊपर के वर्णनानुसार पूरी साक्ष्य लिखवावे वा जिस समय गवाह का इज़हार लिया जाता हो उसकी साक्ष्य के आशय की याद्दाश्त अपनी देशी बोली में लिख ले ॥

उस याद्दाश्त को उक्त ओहदेदार अपने हाथ से लिख कर उस पर अपने दस्तखत करे और मिसल में शामिल करदे ॥

दफ़ा २१८ इस ऐक्ट के अनुसार फ़ैसला करने वाला ओहदेदार संपूर्ण फ़ैसलों को अपने हाथ से लिखेगा और प्रतिपच्छियों वा उनके मुख़्तारों को अदालत के इजलास के समय सुनावेगा ॥

हर प्रकार की समाअ़त और फ़ैसला अदालत की इजलास के बीच में होगा और उचित है कि मुक़द्दमे के प्रति पच्छी वा उनके मुख़्तार लजाज़ को हाज़िर होने के लिये इत्तिला पाय़ते के अनुसार हो चुकी हो ॥

दफ़ा २१९ दफ़ाओं २१२ के शुरू से २१८ तक मुक़द्दमों की बाक़ी कारवाइयों से जो अदालत की कारवाइयों के तरह पर हों सम्बन्धित होंगी ॥

पंचों को मुक़द्दमे का सौंपा जाना ॥

दफ़ा २२० क़िस्मत के कमिश्नर और ज़िले के कलेक्टर और पहिले दर्जे के एसिस्टेंट कलेक्टर और बन्दोबस्त के ओहदेदार और बन्दोबस्त के एसिस्टेंट ओहदेदार को जायज़ है कि मुक़द्दमेवालों की रज़ा-मंदी से किसी झगड़े को जो उसके रूबरू पेश हो अपने हुक्म के द्वारा पंचों के सुपुर्द करे ॥

ओहदेदार मुहतमिम बन्दोबस्त वा एसिस्टेंट मुहतमिम ओहदेदार बन्दोबस्त को अख़्तियार है कि दोनों पच्छ की रज़ामंदी के बग़ैर मुक़द्दमा पंचायत में सुपुर्द करने का हुक्म दे ॥

और तहसीलदार को जिसे दफ़ा १४० से दफ़ा १४४ तक के लिखे हुए अख़्तियार सुपुर्द हों अधिकार है कि प्रतिपच्छियों की रज़ामंदी से किसी झगड़े को जो उक्त दफ़ाओं की वर्णित बातों की बाबत पैदा हो पंचायत में सुपुर्द करे ॥

दफ़ा २२१ जब ऐसा झगड़ा पंचों के सुपुर्द किया जाय तो सौंपनेवाले ओहदेदार को अवश्य है कि सुपुर्दगी के हुक्म में वह खास बात जो पंचायत को सौंपी जाय और वह मुद्दत जो उसके बिचार में पंचायती फ़ैसला होने के लिये उचित हो स्पष्ट स्पष्ट लिखे ॥

और उक्त ओहदेदार को अख़्तियार है कि समय प्रतिसमय उस म्याद को बढ़ाता रहे ॥

दफ़ा २२२ मुक़द्दमे के प्रतिपक्षियों में से हर एक को अख़्तियार है कि अपनी ओर से एक वा दो पंचों को नियत करे परंतु शर्त यह है कि दोनों तरफ़ के पंच संख्या में बराबर मुक़र्रर किये जायं ॥

और तीसरा वा पांचवां पंच (अर्थात् जैसी कि सूरत हो) मुक़द्दमे का सौंपनेवाला ओहदेदार अपनी तजवीज़ से मुक़र्रर करेगा ॥

और जिन सूरतों में कि बन्दोबस्त का ओहदेदार मोहतमिम वा बन्दोबस्त का एसिस्टेंट ओहदेदार मोहतमिम प्रतिपक्षी की रज़ामंदी बिना झगड़े को पंचायत में सुपुर्द करे उसे अवश्य है कि यदि वह इस दफ़ा के पहिले खण्ड के अनुसार नियत करने से इन्कार करें तो तीन वा पांच पंच जैसा कि उसके बिचार में उचित हो नियत करे ॥

दफ़ा २२३ हर ओहदेदार जो इस अध्याय के अनुसार मुक़द्दमा पंचों को सुपुर्द करे उसको अख़्तियार है कि जब कोई यथार्थ वजह ज़ाहिर की जाय तो किसी मनुष्य को पंच होने से माफ़ रक्खे और जिस प्रतिपक्षी ने उसको नियत किया हो उसे हुक्म दे कि माफ़ किये हुए मनुष्य के बदले दूसरा पंच नियत करे ॥

दफ़ा २२४ यदि कोई पंच मरजाय वा पंचायत से मौक़ूफ़ होना चाहे वा पंचायत से इनकार करे वा पंचायत के लायक़ न रहे तो जिस मनुष्य ने उसको नियत किया हो वह उस पंच के बदले दूसरा पंच मुक़र्रर करेगा ॥

दफ़ा २२५ यदि किसी ऐसी अवस्था में जिसका जिक्र दफ़ २२३ वा २२४ में लिखा गया कोई प्रतिपक्षी एक सप्ताह तक ऊपर लिखे हुए क़ायदे से पंच न मुक़र्रर करे तो मुक़द्दमा सौंपने वाला ओहदेदार किसी मनुष्य को पंचायत के लिये मुक़र्रर करदे ॥

पंचों को अवश्य है कि जिस बात में पंचायत करने के लिये मुक़द्दमा उनको सौंपा जाय उसकी तजवीज करके उसकी बाबत अपना फ़ैसला करें और दोनों प्रतिपक्षियों को और संपूर्ण मनुष्यों को जो उनके द्वारा दावेदार हों पंचों के फ़ैसले की आधीनता और तामील करनी होगी ॥

दफ़ा २२६ यदि पंच चाहें कि प्रतिपक्षी वा और कोई मनुष्य जिसकी साक्ष्य आवश्यक हो उनके रूबरू हाजिर हों तो वह मुक़द्दमा सौंपनेवाले ओहदेदार से दरख़्वास्त करें कि वह प्रतिपक्षी वा उक्त मनुष्यों के नाम समन जारी करे ॥

और संपूर्ण प्रतिपक्षी वा उक्त मनुष्यों को अवश्य है कि निज डौल से वा मुख़्तार की मारफ़त अर्थात् जैसा पंच लोग चाहें हाज़िर होकर मुक़द्दमे का हाल सच सच बयान करें और पंचों के रूबरू जिन दस्तावेजों और और वस्तुओं के पेश करने का प्रयोजन हो उनको पेश करें ॥

दफ़ा २२७ पंचायत का फ़ैसला पंचों के हाथ का लिखा हुआ हो और मुक़द्दमा सौंपने वाले ओहदेदार के रूबरू गुज़राना जाय और उक्त ओहदेदार दोनों प्रतिपक्षियों के नाम इस आशय का इत्तिलानामा जारी करावेगा कि वह हाजिर होकर फ़ैसले को सुन लें ॥

दफ़ा २२८ मुक़द्दमा सौंपनेवाले ओहदेदार को अधिकार है कि किसी फ़ैसले को वा फ़ैसले के किसी झगड़े की बात को जो पंचायत में सुपुर्द की गई हो पंचों के पुनर्विचार के लिये नीचे लिखी हुई सूरतों में वापस करे—

(क) यदि उस फ़ैसले में झगड़े की उन बातों में से जो पंचायत के लिये सौंपी गई हों कोई बात तजवीज़ करने से रह जाय वा उस में उन बातों की तजवीज़ की जाय जो पंचायत के लिये सुपुर्द न की गई हों ॥

(ख) यदि पंचायत का फ़ैसला ऐसा बिना ब्योरे का हो कि उसकी तामील न हो सके ॥

(ग) यदि फ़ैसले के देखने से प्रत्यक्ष उस पर किसी क़ानून के अनुसार ऐतराज़ का होना ज़ाहिर होता हो ॥

दफ़ा २२९ कोई फ़ैसला रद्द होने के योग्य न होगा सिवाय उस सूरत के कि संपूर्ण पंचों वा उन में से किसी के मध्य घूंस का लेना वा बदमामिला का करना बयान किया जाय ॥

पंचायती फ़ैसले के रद्द होने की दरख़ास्त उस तारीख़ के पीछे जो उसके सुनाने के लिये मुक़र्रर की गई हो दस दिन के भीतर गुज़रनी चाहिये ॥

दफ़ा २३० यदि मुक़द्दमे के सौंपनेवाले ओहदेदार के विचार में फ़ैसला वा झगड़े की कोई बात जो

पंचायत में सुपुर्द की गई हो ऊपर लिखे हुए क़ायदे के अनुसार पुनर्विचार के लिये वापस भेजना ज़रूरी न हो ॥

और उसके रद्द करने के लिये कोई दरख़ास्त न गुज़रे ॥

वा ऐसी दरख़ास्त को उक्त ओहदेदार ने नामंज़ूर किया हो ॥

तो उसे अवश्य है कि अधिक पंचों की राय से जो फ़ैसला हुआ हो उसी के मुताबिक़ तजवीज़ करे ॥

और उस रुपये की तादाद मुक़र्रर करे जो पंचायत के ख़र्चों की बाबत मंज़ूर हो और यह हुक्म दे कि उस तादाद को कौन मनुष्य और किसको और किस प्रकार पर दे ॥

दफ़ा २३१ ऐसे फ़ैसले का अपील न होगा और उसकी तुरंत तामील की जायगी ॥

कोई अदालत दीवानी उस फ़ैसले के रद्द करने के लिये वा उस फ़ैसले की वजह से पंचों के नाम कोई नालिश न सुनेगी ॥

फ़ैसलों की तामील

दफ़ा २३२ हर ओहदेदार जिसका ज़िक्र दफ़ा २०५ में किया गया अधिकारी है कि संपूर्ण फ़ैसले जो इस ऐक्ट के हुक्मों अनुसार उसने दिये हों जिनमें नक़द रुपये की कोई ख़ास तादाद तजवीज़ की गई हो वा कोई ख़र्चा वा हर्जा दिलाया गया हो इस प्रकार पर जारी करे कि बाक़ी मालगुज़ारी वा लगान के वसूल करने के लिये जो ज़ाब्ता वर्ता जाय उसी के मुताबिक़ वह रुपया वसूल कर लिया जाय ॥

दफ़ा २३३ जिन मुक़द्दमों में जायदाद ग़ैर मनक़ूला का क़ब्ज़ा दिलाना तजवीज़ किया गया हो उन में फ़ैसला करनेवाले ओहदेदार को जायज़ है कि क़ब्ज़ा उसी क़ायदे से और अपमान और रोक आदि के विषय उन्हीं अख़्तियारों के साथ दिलावे जो दीवानी की अदालतें अपनी डिगरी के जारी करने में बर्तती हों ॥

कलेक्टरों के अख़्तियार

दफ़ा २३४ ज़िले के कलेक्टरों को जायज़ है कि अपने अख़्तियारों के सिवाय उन संपूर्ण अख़्तियारों को बर्तें जो इस ऐक्ट के अनुसार एसिस्टेंट कलेक्टरों को सौंपे गये हों ॥

दफ़ा २३५ हिस्से ज़िले के मुहतमिम एसिस्टेंट कलेक्टर को अपने उस पदवी से नीचे लिखे हुए अख़्तियार प्राप्त होंगे ॥

१–तहक़ीक़ात वा फ़ैसले के लिये अपने आधीन ओहदेदारों को मुक़द्दमों का सौंपना–दफ़ा १८ के अनुसार ॥

२–अपने आधीन ओहदेदारों के पास से मुक़द्दमों क उठा मंगाना और उनको खुद फ़ैसल करना वा फ़ैसले के लिये किसी आधीन ओहदेदार को जो उनमें फ़ैसला करने का अधिकारी हो सुपुर्द करना–उक्त दफ़ा के अनुसार ॥

३–पटवारियों का मुक़र्रर करना जिनको धरती के मालिकों ने नियत किया हो–दफ़ा २५ के अनुसार और नाइत्तिफ़ाक़ी सूरत में दफ़ा २६ के अनुसार ॥

४–पटवारियों का मुक़र्रर करना जब कि धरती के मालिकों ने उन्हें नियत न किये हों–दफ़ा २७ के अनुसार ॥

५-पटवारी का मुक़र्रर करना जब कि धरती के मालिकों ने किसी अयोग्य मनुष्य को नियत किया हो-दफ़ा २८ के अनुसार ॥

६-धरती के मालिकों के रजिस्टर में दाख़िल ख़ारिज का हुक्म देना-दफ़ा ९४ और ९५ के अनुसार ॥

७-दाख़िल ख़ारिज की रसूम का वसूल करना-दफ़ा ९६ के अनुसार ॥

८-तहक़ीक़ात करना उन मुक़द्दमों में, जिन में इन्तक़ाल की इत्तिला दी गई हो-दफ़ा ९८ के अनुसार ॥

९-जुर्मानों का वसूल करना-१०० के अनुसार ॥

१०-इस बात का ठहरा देना कि कौन मनुष्य मल्कियत का अधिकतर हक़दार है और उसको क़ब्ज़ा दिलाना-१०१ के अनुसार ॥

११-ग़ैर मालकियत के हक़ों के जिस इन्तक़ाल में झगड़ा हो उनके मुक़द्दमों की तहक़ीक़ात करना-दफ़ा १०२ के अनुसार ॥

१२-मालगुज़ारी से माफ़ धरतियों की कैफ़ियत का भेजना और ज़ब्त की हुई माफ़ी पर मालगुज़ारी लगाना-दफ़ा १०३ के अनुसार ॥

१३-जल से निकली हुई धरती पर जमा बांधनी -दफ़ा १०४ के अनुसार ॥

१४-बटवारे की दरख़ास्तों का लेना-दफ़ा १०९ के अनुसार ॥

१५-बटवारे का इश्तिहार देना-दफ़ा १११ के अनुसार ॥

१६-बटवारे के उज़ुरों का सुनना और बटवारे का नामंज़ूर करना-दफ़ा ११२ के अनुसार ॥

१७–सुनना ऐसे उज़ुरों का जिन में हक़्क़ियत वा हक़ मिल्कियत का विवाद उत्पन्न हो और उनका तजवीज़ करना वा उनको पंचायत के सुपुर्द करना –दफ़ा ११३ के अनुसार ॥

१८–प्रतिपक्षियों को आपस में बटवारा कर लेने वा पंचो के मुक़र्रर करने का अख़्तियार देना वा आप बटवारा कर देना– दफ़ा ११६ के अनुसार ॥

१९–बटवारा करना–दफ़ा १०७ से १२९ तक के अनुसार ॥

२०–उस धरती का लगान मुक़र्रर करना जिस पर कोई इमारत हो और उस लगान का जो उसकी बाबत अदा होना चाहिये– दफ़ा १२४ के अनुसार ॥

२१–उस धरती का लगान मुक़र्रर करना जिसको पहिला शरीक बटवारे के पीछे दूसरे मुहाल के अंदर अपनी जोत में रक्खे–दफ़ा १२५ के अनुसार ॥

२२–तालाब और कूए और गोल और बांध के बर्ताव और ख़र्च और मुनाफ़ा के विषय निबटेरा करना–दफ़ा १२६ के अनुसार ॥

२३–बटे हुए हिस्से पर धरती की मालगुज़ारी का मुक़र्रर करना–दफ़ा १२८ के अनुसार ॥

२४–बटवारे के ख़र्चे का वसूल करना–दफ़ा १२९ के अनुसार ॥

२५–ख़र्चा न अदा होने की सूरत में बटवारे के मुक़द्दमे का ख़ारिज कर देना–दफ़ा १३० के अनुसार ॥

२६–मुहालों के मिलाने की दरख़ास्तों का लेना और उस विषय में कारर्वाई का बर्ताव करना –दफ़ा १३७ के अनुसार ॥

२७–हद्दबन्दी के निशानों को हानि पहुंचने की इल्लत में जुर्माना करना और किसी २ सूरतों में हद्दबन्दी के निशानों की मरम्मत के खर्च का बांटना –दफ़ा १४२ और १४३ के अनुसार ॥

२८–हद्दबन्दी के बनाने वा मरम्मत करने के लिये मालिकों को हुक्म देना और तामील न होने की सूरत में खुद तामील और मरम्मत कराना और मालिकों पर खर्चा डालना और हद्दों के झगड़ों का फ़ैसला करना–दफ़ा १४४ के अनुसार ॥

२९–नादिहन्द मनुष्यों की जायदाद मनक़ूला को क़ुर्क़ और नीलाम करना–दफ़ा १५३ के अनुसार ॥

३०–जो मुहाल इस ऐक्ट के हुक्म अनुसार क़ुर्क़ वा मुन्तक़िल किये गये हों वा खास एहतमाम में हों वा मुस्ताजिरी पर दिये गये हों वा नीलाम किये गये हों उनके मालिकों की सीर की धरती पर लगान मुक़र्रर करना ॥

३१–और किसी अधिकार वा पदवी का वर्ताव में लाना जो इस ऐक्ट के अनुसार प्रत्यक्ष एसिस्टेण्ट कलेक्टरों से इलाक़ा रखती है ॥

दफ़ा २३६ पहिले दर्जे का एसिस्टेण्ट कलेक्टर जो किसी ज़िले का प्रबन्ध न रखता हो उन संपूर्ण अख़्तियारों को वा उन में से कोई जो किसी ज़िले के मुहतमिम पहिले दर्जे के एसिस्टेण्ट कलेक्टर को सौंपे हों ऐसे मुक़द्दमों वा कई क़िस्म के मुक़द्दमों में वर्तेगा जिन्हें ज़िले का कलेक्टर समय प्रति समय फ़ैसल करने के लिये उसको सुपुर्द करता रहे ॥

दफ़ा २३७ दूसरे दर्जे के संपूर्ण एसिस्टेण्ट कलेक्टरों

को तहक़ीक़ात और कैफ़ियत भेजने का अख़्तियार ऐसे मुक़द्दमों के मध्य प्राप्त होगा जिन्हें ज़िले का कलेक्टर वा किसी ज़िले का मुहतमिम एसिस्टेंट कलेक्टर समय प्रतिसमय तहक़ीक़ात करने और कैफ़ियत भेजने के लिये सुपुर्द करता रहे ॥

बन्दोबस्त के ओहदेदारों के अख़्तियार

दफ़ा २३८ बन्दोबस्त के मुहतमिम ओहदेदार उन संपूर्ण अख़्तियारों को बर्त सक्ते हैं जो इस ऐक्ट के अनुसार वा मुआफ़िक़ बन्दोबस्त के ओहदेदारों को सौंपे गये हैं परंतु ओहदेदार मुहतमिम बन्दोबस्त वा एसिस्टेंट ओहदेदार बन्दोबस्त के सिवाय जिसे ख़ास कर गवर्नमेंट से अख़्तियार मिले हों और किसी को नीचे लिखे हुए अख़्तियार न प्राप्त होंगे—

१—जमा लगाने की तजवीज़ों का लिखना—दफ़ा ४५ के अनुसार ॥

२—तजवीज़ की हुई जमा का तक़सीम करना—दफ़ा ४६ के अनुसार ॥

३—धरती वा मालगुज़ारी का नये सिरे से बांटना—दफ़ा ४७ के अनुसार ॥

४—धरती के मालिकों का बन्दोबस्त से ख़ारिज करना जब कि वह इक़रारनामा लिख देने से इन्कार करें—दफ़ा ४८ और ४९ के अनुसार ॥

५—ख़ारिज किये हुए मालिकों के लगान का तसफ़िया करना—दफ़ा ५१ के अनुसार ॥

६—शिकमी बन्दोबस्त का बर्त्ताव में लाना—दफ़ा ५४ के और बन्दोबस्त करना—दफ़ा ५५ के अनुसार ॥

७—उनमनुष्यों की विद्यमान मिल्कियत के हक़ों की

रक्षा के लिये जिनके साथ बन्दोबस्त न किया जाय प्रबन्ध करना—दफ़ा ५६ के अनुसार ॥

८—पड़ी ऊई धरती के बध्ये अमल करना—दफ़ा ५७ से ६१ के अनुसार तक ॥

९—लगान से माफ़ धरती का ज़ब्त करना और उस पर जमा का लगाना—दफ़ा ७९ और ८० के अनुसार ॥

१०—लगान से माफ़ धरती का ज़ब्त करना और जमा का लगाना—दफ़ा ८६ के अनुसार ॥

११—माफ़ी माल गुज़ारी के दावे का तजवीज़ करना—दफ़ा ८८ और ८९ के अनुसार ॥

दफ़ा २३९ संपूर्ण दूसरे अख़्तियार जो बन्दोबस्त के ओहदेदारों को इस ऐक्ट के अनुसार सुपुर्द हैं बन्दोबस्त के एसिस्टेण्ट ओहदेदार भी उन नियमों के प्रतिपालन के साथ वर्तेंगे जो बन्दोबस्त के मुहतमिम ओहदेदार समय प्रतिसमय नियत करते रहें ॥

दफ़ा २४० लोकल गवर्नमेंट को अधिकार है कि किसी ओहदेदार मुहतमिम बन्दोबस्त को संपूर्ण या कोई २ अधिकार कलेक्टर ज़िलेके इस ऐक्टके वा कोई इस समय के प्रचलित क़ानून अनुसार जो पश्चिमोत्तरी देश के हों दे, और किसी एसिस्टेण्ट ओहदेदार बन्दोबस्त को संपूर्ण वा थोड़े अख़्तियार जो एसिस्टेण्ट कलेक्टर को इस ऐक्ट के वा किसी दूसरे इस समय प्रचलित क़ानून के अनुसार पश्चिमोत्तरी देश के सुपुर्द हो सके हैं उन हद्दों के बीच, और उन क़ायदों के साथ और उस मुद्दत के वास्ते जो उसके विचार में उचित हो ॥

दफ़ा २४१ कोई अदालत दीवानी नीचे लिखे हुए मुक़द्दमों को न सुनेगी ॥

(क) किसी मनुष्य के दावे की बाबत जो किसी ऐसे ओहदे के मध्ये हों जिसका ज़िक्र दफ़ा २४ और २३ में है वा किसी लाभ के विषय हों जो उस ओहदे से इलाक़ा रखता है वा किसी नुक़सान की बाबत जो उसको उस से रहित रहने के कारण हो जाय ॥

(ख) किसी मनुष्य के हक़ की बाबत इस विषय में कि उसके साथ बन्दोबस्त किया जाय ॥

वा सरकार को माल गुज़ारी देने के क़ौलक़रार के जायज़ होने की बाबत ॥

वा मालगुज़ारी की तादाद वा अबवाब वा रसूम की बाबत जो किसी मुहाल वा मुहाल के हिस्से पर इस ऐक्ट के अनुसार वा समय के प्रचलित किसी और ऐक्ट के अनुसार नियत की जाय ॥

(ग) किसी दावे की बाबत जो बन्दोबस्त के ओह-देदार के तजवीज़ किये हुए किसी बन्दोबस्त की लगी हुई जमा वा शर्तों के क़बूल करने से ग़फ़लत वा इनकार के कारण किसी काररवाई से जो की गई हों लगाव रखते वा पैदा होते हों ॥

(घ) हक़ों के काग़ज़ों के बनाने की बाबत ॥

वा किसी ऐसे काग़ज़ की तैय्यारी वा दस्तख़त वा तसदीक़ की बाबत जो [illegible] उक्त काग़ज़ों में शामिल हों ॥

वा बन्दोबस्त के [illegible] इश्तिहार की बाबत ॥

(ङ) अ[illegible]सामी के क़िस्म की तजवीज़ की बाबत वा उस लगान [illegible] की बाबत जो उसको अदा करना चाहिये

वा उस म्याद की वावत जिसके लिये वह लगान इस ऐक्ट के अनुसार मुक़र्रर किया जाय ॥

(च) धरती की तक़सील वा मुहाल की मालगुज़ारी की तक़सीम बटवारे के अनुसार ॥

वा लगान के रुपये की तजवीज़ की वावत जो किसी शरीक को ऐसी धरती के लिये देना चाहिये जो वटवारा के पीछे दूसरे शरीक के मुहाल में उसकी जोत में रहे ॥

(छ) किसी बात के मध्ये जिसका ज़िक्र दफ़ा ५२ से ६१ तक में है ॥

(ज) किसी बात के मध्ये जिसका ज़िक्र दफ़ा ७९ से ८९ तक और दफ़ा १०२ में है ॥

(झ) वावत उन दावों के जो धरती की मालगुज़ारी की तहसील से (सिवाय उन दावों के जिनका ज़िक्र दफ़ा १८९ में हुआ है) वा किसी हुक्मनामे से लगाव रखते हों वा पैदा होते हों जो वाक़ी मालगुज़ारी के कारण जारी किया जाय ॥

वा किसी और रुपये की वावत हो जो मालगुज़ारी की भांति इस ऐक्ट वा किसी दूसरे ऐक्ट के अनुसार वसूल हो सक्ता है ॥

(ञ) ऐसे नीलाम के रद्द हो जाने के दावे की वावत जो वाक़ी मालगुज़ारी की इल्लत में किया जाय सिवाय उन दावों के जिनका ज़िक्र दफ़ा १८१ में हुआ है ॥

(ट) वावत किसी मामिले के जो कोर्ट आफ़वार्डस से इलाक़ा रखता हो वा जिस पर कोर्ट आफ़ वार्डस का अख़्तियार वर्ताव में आता हो सिवाय उसके जो

ऐसे मुहाल को निकाल लेने के लिये हो जिसे कोर्ट आफ़ वार्ड्स ने ज़िले के कलेक्टर के प्रबंध में सुपुर्द किया हो ॥

ऊपर लिखे हुए सब मुक़द्दमों में सुनाई का अख़्तियार केवल माल के हाकिमों से ही इलाक़ा रक्खेगा ॥

अध्याय ८—अपील

दफ़ा २४२ जो हुक्म किसी पहिले वा दूसरे दर्जे के एसिस्टेण्ट कलेक्टर ने दिया हो चाहे वह ज़िले का मुहतमिम हो वा न हो उसका अपील ज़िले के कलेक्टर के रूबरू होगा ॥

जो हुक्म बन्दोबस्त के किसी एसिस्टेण्ट ओहदेदार ने दिया हो उसका अपील ओहदेदार मुहतमिम बन्दोबस्त के रूबरू दायर किया जायगा ॥

दफ़ा २४३ जो हुक्म ज़िले के कलेक्टर वा ओहदेदार मुहतमिम बन्दोबस्त ने दिया हो और जो दफ़ा ४५ वा ४६ वा ४७ के अनुसार जमा सुनाई गई हो वा तक़सीम की गई हो उसका अपील कमिश्नर क़िस्मत के रूबरू किया जायगा ॥

दफ़ा २४४ उस हुक्म का अपील जो इस ऐक्ट के अनुसार कमिश्नर क़िस्मत ने दिया हो दफ़ा २४९ के हुक्मों के प्रतिपालन से साहिबान बोर्ड के हुज़ूर रुजू होगा ॥

दफ़ा २४५ कोई अपील दफ़ा २४२ के अनुसार उस हुक्म की तारीख़ से जिसका अपील हो ३० दिन के बीतने पीछे न रुजू हो सकेगा ॥

कोई अपील दफ़ा २४३ के अनुसार उस हुक्म की

तारीख़ से जिसका अपील हो ६० दिन बीतने के पीछे दायर न हो सकेगा ॥

कोई अपील दफ़ा २४४ के अनुसार उस हुक्म की तारीख़ से जिसका अपील हो ९० दिन बीतने पीछे न हो सकेगा ॥

दफ़ा २४६ इस अध्याय के अनुसार अपील के लिये जो म्याद नियत की गई है उसका हिसाब करने में उस हुक्म की तारीख़ जिसका अपील हो और वह अर्सा जो उस हुक्म की नक़ल लेने में गुज़रे न गिना जायगा ॥

दफ़ा २४७ हर अपील इस अध्याय के अनुसार उस म्याद के पीछे जो उसके लिये ठहरादी गई उस अवस्था में मंज़ूर हो सक्ता है कि अपीलांट उस ओहदेदार वा साहिबान बोर्ड को जिनके हुज़ूर अपील किया जाय इस बात की दिलजमई कारादे कि उस नियत म्याद के भीतर अपील न पेश करने की यथार्थ वजह रखता था ॥

कोई अपील उस हुक्म के राज़ी बिन न होगा जो इस दफ़ा के अनुसार अपील की मंज़ूरी से सादिर किया जाय ॥

दफ़ा २४८ इस अध्याय का कोई लेख उन हुक्मों से लगाव नहीं रखता जो इस ऐक्ट के अनुसार प्रत्यक्ष अटल ठहरा दिये गये हैं और न उन अपीलों से इलाक़ा रखता है जो दफ़ा १३२ के अनुसार रुजू किये जायं ॥

दफ़ा २४९ जो अपील कमिश्नर क़िस्मत के हुज़ूर ज़िले के कलेक्टर वा बन्दोबस्त के ओहदेदार के ऐसे हुक्म की नाराज़ी से हो जो उसने पहिले वा दूसरे दर्जे के

एसिस्टेण्ट कलेक्टर वा बन्दोबस्त के एसिस्टेण्ट ओहदे-दार के हुक्म के अपील में दिया हो उस में कमिश्नर के हुक्म का अपील न होगा परंतु दफ़ा २५३ और २५५ के अनुसार साहिबान बोर्ड उस पर नज़रसानी कर सकेंगे ॥

दफ़ा २५०. अपील की अदालत को अख़ियार है कि अपील मंजूर करे वा सरसरी तौर पर नामंज़ूरी का हुक्म दे ॥

यदि वह अपील मंजूर करे तो उसको अख़ियार है कि आधीन अदालत के हुक्म को रद्द कर दे वा उस में तरमीम करे वा उसको बहाल रक्खे ॥

वा आधीन अदालत को यह आज्ञा दे कि अधिक तहक़ीक़ात की जाय वा अधिक साक्ष्य ली जाय अर्थात् जैसा कि उसके निकट ज़रूरी समझा जाय ॥

या खुद साक्ष्य अधिक ले ॥

दफ़ा २५१. जिस मुक़द्दमे का अपील हो सक्ता है उस में अपील की अदालत को अख़ियार है कि अपील का फ़ैसला होने तक आधीन अदालत के हुक्म को जारी होने से बंद रखने की आज्ञा दे ॥

अध्याय ९—मुतफ़र्रिक़ हुक्म

दफ़ा २५२. इस ऐक्ट के अनुसार जो म्याद किसी याद्दाश्त अपील के गुज़रानने के लिये वा अदालत में किसी रुपये के दाख़िल करने वा अदा करने के लिये मुक़र्रर है यदि उसके अन्त के दिन अदालत बन्द रहे तो जिस दिन अदालत फिर खुले वही दिन उस म्याद का पिछला दिन समझा जायगा ॥

दफ़ा २५३. साहिबान बोर्ड को अख़ियार है कि किसी

मुक़ाद्दमे की मिसल वा अपने आधीन किसी महकमे माल की कारवाइयों को इस बात की दिलजमई के लिये मंगा के देखें कि जो हुक्म हुआ है वह जायज़ वा मुनासिब है वा नहीं और उस अदालत की कार-रवाइयां ज़ाबते से हुई हैं वा बे ज़ाबता ॥

दफ़ा २५४ कमिश्नर वा ज़िले के कलेक्टर वा बन्दोबस्त के ओहदेदार को अख़्तियार है कि उस प्रयोजन के लिये जिसका ज़िक्र दफ़ा २५३ में है अपने आधीन किसी अदालत माली की मिसल वा कारवाइयां को मंगा कर देखे ॥

यदि उसकी यह राय हो कि पूर्वोक्त आधीन ओह-देदार की कारवाई वा हुक्म शोधने वा रद्द करने के योग्य है तो उसको अवश्य है कि अपनी राय लिखकर मुक़-द्दमे की कैफ़ियत साहिबान बोर्ड के हुक्म के लिये भेजे ॥

दफ़ा २५५ यदि किसी मुक़द्दमे में जो बोर्ड ने तलब किया हो वा जिसकी कैफ़ियत हुक्म के लिये भेजी गई हो यदि साहिबान बोर्ड को मालूम हो कि कोई हुक्म वा कारवाई शोधने वा रद्द करने के योग्य है तो उनको अख़्तियार है कि जो हुक्म उस पर उचित हो दें ॥

दफ़ा २५६ साहिबान बोर्ड को अख़्तियार है कि लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी मंगाके ख़ुद अपनी अदालत के वा अपने आधीन किसी महकमे माली के ज़ाब्ते और दस्तूर के प्रबंध के लिये जिसके विषय क़ानून अनुसार कोई और हुक्म न पाया जाय आम क़ायदे बनाकर जारी करें ॥

दफ़ा २५७ लोकल गवर्नमेंट को अधिकार है कि

किसी तहसीलदार को वे अख़्तियार दे जो दफ़ा १४० से दफ़ा १४४ तक में लिखे हैं और समय प्रति समय इस ऐक्ट के अभिप्रायानुसार नीचे लिखी ऊई बातों के मध्ये क़ायदे बनावे ॥

(क) जल से निकली ऊई धरती पर जमा बांधने वा उस मुहाल की जमा घटाने के विषय जिसकी धरती जल से काट कर कम हो गई हो ॥

(ख) लगान नियत करने के प्रयोजन से बन्दोबस्त के ओहदेदारों की हिदायत करने के विषय दफ़ा ७१ वा ७२ वा ७४ के अनुसार ऐसे संपूर्ण क़ायदे पश्चिमोत्तर-देश के सरकारी गज़ट में छापे जायंगे और उसके पीछे क़ानून के समान समझे जायंगे ॥

साहिबान बोर्ड को जायज़ है कि गवर्नमेंट की मंज़ूरी के नियम से समय प्रति समय नीचे लिखी ऊई बातों के मध्ये इस ऐक्ट के अनुसार क़ायदे बनावें ॥

(ग) उन कामों के ठहरा देने के विषय जो तह-सीलदारों और क़ानूनगोयों और पटवारियों को भुग-ताने चाहियें ॥

(घ) तहसीलदारों को और उनसे नीची पदवी के ओहदेदारों के मुक़र्रर करने के प्रबन्ध के विषय और उनके काम और उनकी सज़ा और उनकी मुअत्तली और मौक़ूफ़ी के विषय ॥

(ङ) उस क़ायदे के नियत करने के विषय जिसके अनुसार बन्दोबस्त के ओहदेदारों को जमा की शरह और जमा बांधने के क़ायदे और उस तादाद की मंज़ूरी के लिये जो कि वह लगाना तजवीज़ करें रिपोर्ट करनी चाहिये ॥

(च) साधारण प्रकार पर उन कामों में जो इस ऐक्ट की तामील से इलाक़ा रखते हों सब लोगों की हिदायत के लिये ॥

दफ़ा २५८ दफ़ा २ ऐक्ट नम्बर ४० सन् १८५८ ई० (जिसका अभिप्राय यह है कि प्रेज़ीडेन्सी फ़ोर्ट विलियम बंगाले में नाबालिग़ों के निज डील और उनके माल के विषय उत्तमतर क़ायदे बनाये जायं) ऐसी पढ़ी जायगी कि मानो उस में सरकार की मालगुज़ार धरती के शब्द की जगह यह लेख था सरकार का मालगुज़ार मुहाल वा माफ़ी ॥

दफ़ा २५९ जिस अवस्था में कि कोई नालिश वा दरख़ास्त इस ऐक्ट के अनुसार सामे किसी बन्दोबस्त के ओहदेदार के दायर हो यदि उसी समयान्तर में बन्दोबस्त उस ज़िलअ का जिसमें वह चीज़ सम्बन्ध रखती है वा दरख़ास्त दायर है इश्तिहार आने के दफ़ा २७ के अनुसार हो चुके तो वह नालिश वा दरख़ास्त महकमे से कलेक्टर ज़िलअ में भेजदी जायगी कि वह उसको उसी प्रकार पर कि मानो प्रथमही उसके महकमे में नालिश की गई थी या गुज़रानी गई थी किसी और महकमे मुनासिब में भेज दे या और तौर पर बर्त्ताव करे ॥

पहिला ज़मीमा

१ कुमायूं और गढ़वाल का देश ॥

२ तराई के परगने जिन में यह परगने शामिल हैं—बाजपुर—काशीपुर—जसपुर—रुद्रपुर—गदरपुर—किलपुरी—नानकमता और बिलहेरी ॥

३ ज़िले मिर्ज़ापुर में—

(१) टप्पा अगोरी खास और परगने अगोरी में कोन जनूबी का टप्पा ॥

(२) टप्पा सिंगरोली जो अंगरेज़ी राज्य के सिंगरोली परगने में है ॥

(३) टप्पा फुलवा दूधी और टप्पा बरहा जो परगने बिचेपार में है ॥

(४) कैमर पहाड़ का दक्षिण भाग ॥

४ महाराजा बनारस के खानदान के इलाके जिस में नीचे लिखे हुए परगने शामिल हैं—भदोही—और केड़ा-मंगरोर जो ज़िले मिर्ज़ापुर में है ॥

राजा का क़सबा जो ज़िले बनारस में है ॥

५ देश का वह खंड जो जौन्सारबावर के नाम से ज़िला देहरादून में प्रसिद्ध है ॥

दूसरा ज़मीमा
रद्द किये हुए क़ानून
पहिला भाग——क़ानून

क़ानून का नम्बर और सन्	क़ानून का आशय वा संक्षेप आशय	कितना रद्द हुआ
२ सन् १७९५ ई०	क़ानून इस अभिप्राय से कि जो क़ायदे सरकार की मालगुज़ारी के म्यादी और इस्तमरारी बन्दोबस्त से इलाक़ा रखते हैं वे कुछ घटा बढ़ा कर नये सिरे से मुल्क बनारस में प्रचलित किये जायं	जितना कि रद्द नहीं हुआ था
५ सन् १७९५ ई०	मुल्क बनारस की मालगुज़ारी सरकारी के कलेक्टर के दस्तूरुलअमल के क़ायदों के विषय	तथा
६ सन् १७९५ ई०	क़ानून उस रीति के विषय जिसके अनुसार	

	कलेक्टर और तहसीलदार मुल्क बनारस में धरती की मालगुज़ारी की तहसील किया करें ॥	तथा
१९ सन् १७९५ ई०	बनारस के सरकार की मालगुज़ार धरतियों के पंचसाला रजिस्टर के बनाने और उस सालाना मालगुज़ारी की तादाद के विषय जो ऐसी धरतियों की बाबत सरकार में देने के योग्य हों	तथा
४१ सन् १७९५ ई०	इस विषय में कि जो मनुष्य सूबह बनारस में माफ़ी धरती पर क़ाबिज़ हों और क़ब्ज़ा उनका बादशाही वा हाकिम वक़्त के द्वारा न हो तो माफ़ीदारों के दावे जायज़ होने के मध्ये किस तौर पर बर्त्ताव में आने चाहियें जो माफ़ी धरती सरकारी मालगुज़ारी लगाने के योग्य ठहरे उसकी सालाना जमा किस प्रकार से तजवीज़ की जाय	कुल क़ानून
४२ सन् १७९५ ई०	इस विषय में कि जो मनुष्य सूबे बनारस में बादशाही सनदों के अनुसार आलतमग़ा	

क़ानून का नम्बर और सन्	क़ानून का आशय वा संक्षेप आशय	जितना रद्द हुआ
	और जागीर और दूसरी माफ़ियों पर क़ाबिज़ हों वा इस प्रकार के हक़ के लिये दावीदार हों उनके हक़ों के जायज़ होने की तहक़ीक़ात के विषय तरमीम होने के पीछे कुछ हुक्म जारी किये जायं और जब इस क़िस्मकी माफ़ियों की म्याद बीत जाय तो जिस प्रकार पर अमल होना चाहिये और जिन माफ़ियों की म्याद गुज़र जाय वा जो नाजायज़ ठहरें उन पर मालगुज़ारी लगाई जाय ॥	जितना कि रद्द नहीं हुआ था
५१ सन् १७९५ ई०	यह क़ानून सूबे बनारस की असामियों के पट्टों के विषय है ॥	तथा
५८ सन् १७९५ ई०	साहिबान कालेक्टर को धरतियों की जमा का कमीशन देने के विषय ॥	जितना कि रद्द नहीं हुआ था

१५ सन् १७९७ ई०	क़ानून उन सरिश्तों के खर्च के लिये कोई २ रसूम वसूल करने के प्रयोजन से जो देशी बोलियों में मालगुज़ारी के काग़ज़ों की रक्षा के लिये क़ानून २१ सन् १७९३ ई० और क़ानून ३० सन् १७९५ ई० के अनुसार मुक़र्रर किये जायं ॥	कुल जितना कि पश्चिमोत्तर देश से इलाक़ा रखता है ॥
५ सन् १८०० ई०	क़ानून इस प्रयोजन से कि क़ानून ७ सन् १७९९ ई० में लिखे हुए क़ायदे जो धरती के मुस्ताजिरों को अपना लगान का रुपया नियत समयों पर वसूल करने की सुगमता देने के मध्ये हैं और उक्त क़ानून के वे हिस्से जो मुल्क बनारस से इलाक़ा रखते हैं उस देश से सम्बन्धित किये जायं ॥	कुल
८ सन् १८०० ई०	परगनेवार धरतियों के आम रजिस्टर बनाने और मालगुज़ार सरकार के मुहालों और लाखिराज धरतियों के नियत रजिस्टरों में कुछ अदल बदल करने के विषय ॥	कुल जितना कि पश्चिमोत्तर देश से लगाव रखता है ॥

क़ानून का नम्बर और सन्	क़ानून का आशय वा संक्षेप आशय	कितना रद्द हुआ
१ सन् १८०१ ई०	क़ानून मालगुज़ारी की तहसील के सम्बन्धित उन क़ायदों के हिस्से के ब्यौरे और शोधने के विषय जो क़ानून ७ सन् १७९९ ई० और क़ानून ५ सन् १८०० ई० में लिखे हैं॥ ……	तथा
३ सन् १८०३ ई०	अदालत दीवानी में दायर होने योग्य मुक़द्दमों और नालिशों की सुनाई और तजवीज और फ़ैसला करने के विषय—इत्यादि॥……	जितना कि रद्द नहीं हुआ था
५ सन् १८०३ ई०	क़ानून अधिकार देने के प्रयोजनों से सदर दीवानी अदालत को अपीलों की तजवीजमें॥ …	दफ़ा २९
२३ सन् १८०३ ई०	क़ानून इस प्रयोजन से कि उन देशों के हर जिले में जिनको नव्वाव वज़ीर ने सरकार कम्पनी को सौंप दिया है एक कचहरी सरिश्ते माल के काग़ज़ों को हिन्दुस्तानी बोली में	

	लिखने के लिये मुक़र्रर की जाय और मुहाफ़िज़दफ़्तरों के लिये दस्तूरुल अमल बनाये जायं ॥	
२५ सन् १८०३ ई०	क़ानून साहिबान बोर्ड रफ़न्यू और कलेक्टर की कारवाई के क़ायदे बनाने के विषय ॥	कुल
२७ सन् १८०३ ई०	क़ानून उसरीति के विषय जिसके अनुसार कलेक्टर और तहसीलदारों को सरकार की मालगुज़ारी का वसूल करना धरतियों से उन देशों में अवश्य है जो नव्वाब वज़ीर ने सरकार कम्पनी अंगरेज़ बहादुर के सुपुर्द किये हैं	कुल
३० सन् १८०३ ई०	ज़मींदारों की ओर से कटकनादारों और असामियों और रैय्यतों को पट्टे दिये जाने के क़ायदों के विषय उन देशों में जो नव्वाब वज़ीर ने सरकार कम्पनी को सौंप दिये हैं	जितना कि रद्द नहीं हुआ था
३१ सन् १८०३ ई०	क़ानून उन मनुष्यों की हक़ियत के जायज़ होने की तजवीज़ के विषय जो उन देशों में	तथा

क़ानून का नम्बर और सन्	क़ानून का आशय वा संक्षेप आशय	कितना रद्द हुआ
	हैं जिन्हें नव्वाब वज़ीर ने सरकार कम्पनी को सौंप दिया है बादशाही दत्त के सिवाय किसी और प्रकार के दत्त के अनुसार लाखिराज धरती अपने क़ब्ज़े में रखते हों वा क़ब्ज़ा रखने का दावा करते हों और उन लाखिराज धरतियों पर सालाना जमा लगाने के लिये जो सरकारी कर देने के योग्य हो जायं	जितना कि रद्द नहीं हुआ था
३६ सन् १८०३ ई०	उन मनुष्यों की हक़ियत के जायज़ होने की तजवीज़ के विषय जो लाखिराज धरती के क़ाबिज़ वा क़ब्ज़े की हक़ियत के दावीदार बादशाही सनद के अनुसार उन देशों में हों जिनको नव्वाब वज़ीर ने सरकार कम्पनी को सिपुर्द किया है	तथा

४२ सन् १८०३ ई०	उन देशों में जो नव्वाब वज़ीर ने सरकार कम्पनी को सौंप दिये हैं सरकार की माल-गुज़ारी धरती के रजिस्टर बनाने के विषय	तथा
५२ सन् १८०३ ई०	उन देशों में कोर्ट आफ़ वार्डस के नियत करने के विषय जो नव्वाब वज़ीर ने सरकार कम्पनी को सौंप दिये हैं	तथा
५ सन् १८०४ ई०	क़ानून उन हिन्दुस्तानी नौकरों की मुक़र्ररी और मौक़ूफ़ी के विषय जो अदालत और माल और व्यौपार और नमक और अफ़ीम और परमट के सरिश्तों से इलाक़ा रखते हैं और उस हलफ़ लेने के विषय जो तीसरे जार्ज बादशाह के जलूस सन् ३३ के आईन के अध्याय ५२ के अनुसार मुक़र्रर किया गया है	जितना कि पश्चिमोत्तर देश के सीगे माल के हिंदुस्तानी अहलकारों के मुक़र्रर करने से इलाक़ा रखता है ॥
८ सन् १८०५ ई०	फ़ते किये ऊए देशों से सम्बन्धित होने के विषय का क़ानून	जितना कि रद्द नहीं ऊआ था
९ सन् १८०५ ई०	क़ानून इस अभिप्राय का कि कोई २	

क़ानून का नम्बर और सन्	क़ानून का आशय वा संक्षेप आशय	कितना रद्द हुआ
	दफ़ायें उस इश्तिहार की जो अन्तर्वेद और जमुना की दहिनी ओर फ़ते किये हुए देशों में और बुन्देलखण्ड के उस इलाक़ा में जारी हुआ है जिसे पेशवा ने सरकार कम्पनी को सुपुर्द किया है क़ानून के समान प्रचलित की जायं॥	
६ सन् १८०६ ई०	क़ानून पुश्तावन्दी की मरम्मत के उत्तम प्रबन्ध के लिये	कुल जितना कि रद्द नहीं हुआ था
७ सन् १८०७ ई०	उन हुक्मों में कुछ अदल बदल करने के विषय जो अब तक मुल्क बनारस में ऐसे मनुष्यों के मध्ये जारी हैं जो तहसीलदारों की मारफ़त अदा करने के बदले खास खज़ाने कलेक्टरी में मालगुजारी अदा करते हैं वा अदा करना चाहें	तथा

४ सन् १८०८ ई०	फ़ते किये ऊए देश और सौंपे ऊए देश और मुल्क बनारस में क़ानूनगोयों के ओहदों के मुक़र्रर करने और प्रबन्ध के बिषय	कुल
८ सन् १८०९ ई०	उन क़ायदों के शोधने के प्रयोजन से जो सरकार के सीग़े अदालत और माल और ब्यौपार के हिन्दुस्तानी हलकारों की मुक़र्ररी और मौक़ूफ़ी के बिषय हैं	जितना कि सीग़े माल से इलाक़ा रखता है॥
५ सन् १८१२ ई०	क़ानून वर्तमान के प्रचलित उन क़ायदों के शोधने का जो धरती की मालगुज़ारी की तहसील से इलाक़ा रखते हैं	कुल जितना कि पश्चिमोत्तर देश से इलाक़ा रखता है॥
१८१२ ई०	क़ानून ५ सन् १८१२ ई० की दफ़ा २ के अर्थ करने और क़ानून ४४ सन् १७९३ ई० दफ़ा ३ और ४ और क़ानून ५० सन् की दफ़ा ३ और ४ के रद्द करने दूसरे क़ायदों के जारी	
१८ सन्	ने किये ऊए	तथा

का
१७९५ ई०
और

क़ानून का नम्बर और सन्	क़ानून का आशय वा संक्षेप आशय	कितना रद्द हुआ
	और सौंपे हुए देशों में और सूबे बिहार और बनारस और ज़िले कटक और परगने पटासपुर और उस से सम्बन्धित स्थानों में पटवारी के ओहदे का उत्तम प्रबन्ध किया जाय	तथा
१ सन् १८१९ ई०	जिसका यह अभिप्राय है कि ज़िले दीनाजपुर और रंगपुर फिर बोर्ड रफ़ान्यू के प्रबन्धाधीन किये जायं	तथा
२ सन् १८१९ ई०	उन लाख़िराज पद्धतियों की ज़ब्ती के प्रचलित क़ानूनों के शोधने के विषय, जिनकी सनद नाजायज़ वा नामातबर हो	तथा
४ सन् १८२१ ई०	क़ानून इस अभिप्राय का कि माल के साहिब कलेक्टर वा दूसरे ओहदेदार को जो मुल्क की आमद की किसी शाखा के प्रबन्ध	

	से नियत हों बाजे २ मुक़द्दमों में मेजिस्ट्रेट वा जायंट मेजिस्ट्रेट को अख़्तियारों के बर्तने की आज्ञा दी जाय	तथा
३ सन् १८२२ ई०	साहिबान बोर्ड के संपूर्ण अख़्तियारों के शोधने और बदलने के विषय जो प्रेजीडेंसी फ़ोर्ट विलियम से सम्बन्धित देशों में धरती की मालगुज़ारी का प्रबन्ध रखते हैं	तथा
६ सन् १८२२ ई०	मुल्क बनारस में कोर्ट आफ़ वार्डस के नियत करने और कोर्ट आफ़ वार्डस के अख़्तियार और संपूर्ण इलाक़ों के निर्णय और उसके विषय कुछ क़ायदे नियत करने के लिये	जितना कि रद्द नहीं हुआ था
७ सन् १८२२ ई०	क़ानून उन क़ायदों के बनाने के लिये जिनके अनुसार धरती की मालगुज़ारी का बन्दोबस्त सौंपे हुए और फ़तह किये हुए देशों में किया जायगा	कुल जितना कि पश्चिमोत्तर देश से इलाक़ा रखता है ॥
११ सन् १८२२ ई०	धरती के उस नीलाम के सम्बन्धित क़ानूनों	

क़ानून का नम्बर और सन्	क़ानून का आशय वा संक्षेप आशय	कितना रद्द हुआ
	के शोधने और व्याख्या करने के विषय जो मालगुज़ारी की बाक़ियों की बाबत हो	भूमिका और दफ़ा २ और ३९
९ सन् १८२४ ई०	क़ानून इस विषय में कि फ़ते किये हुए और बुन्देलखण्ड में शर्तों के साथ जो बन्दोबस्त जारी है कुछ नियमों के साथ पांच वर्ष के लिये वही क़ायम रहे ॥	जितना कि रद्द नहीं हुआ था
९ सन् १८२५ ई०	क़ानून ७ सन् १८२२ ई० के प्रचार के प्रगट करने के विषय ॥	कुल जितना कि पश्चिमोत्तर देश से इलाक़ा रखता है ॥
१३ सन् १८२५ ई०	क़ानून उस बन्दोबस्त की बहाली के विषय जो मुल्क बिहार के क़ानूनगोयों के क़ब्ज़े की लाखिराज धरतियों की बाबत किया गया	तथा
१४ सन् १८२५ ई०	क़ानून माफ़ी हक़ों की मंज़ूरी के विषय	

३ सन् १८२८ ई०	श्रीमान् नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर कौंसिल बिराजमान के आधीन माल के हाकिमों के अख़्तियार के निर्णय करने में ॥......	तथा
४ सन् १८२८ ई०	क़ानून ख़ास कमिश्नरों के मुक़र्रर करने के विषय इस अभिप्राय से कि माल के हाकिमों के फ़ैसले की नाराज़ी से जो अपील लोगों की तरफ़ से पेश किये जायं उनकी सुनवाई और तजवीज़ जल्द हुआ करे ॥......	तथा
१ सन् १८२९ ई०	क़ानून उन अख़्तियारों के निर्णय और स्पष्ट करने के बिषय जो साहिबान कलेक्टर बन्दोबस्त वा तरमीम बन्दोबस्त के समय क़ानून ७ सन् १८२२ ई० के हुक्मों अनुसार बर्तेंगे ॥......	तथा
४ सन् १८२९ ई०	क़ानून माल और दायर सायर के कमिश्नरों के नियत करने के बिषय ॥	तथा
	क़ानून ख़ास सूरतों में उन क़ायदों के शोधने के लिये जो क़ानून ३ सन् १८२८ ई० की दफ़ा २ ज़िम्न ४ और ५ के अनुसार उन	

क़ानून का नम्बर और सन्	क़ानून का आशय या संक्षेप आशय	कितना रद्द हुआ
	ख़ास कमिश्नरों के अपील के विषय मुक़र्रर किये गये जो उक्त क़ानून के मुआफ़िक़ नियत किये जायं और भी क़ानून १ सन् १८२९ ई० की दफ़ा १० ज़िम्न २, के शोधने के लिये ॥	
११ सन् १८२९ ई०	क़ानून पानी की पुश्तबन्दियों की तैय्यारी और मरम्मत के सम्बन्धित प्रचलित क़ायदों के शोधने के विषय ॥	तथा
१० सन् १८३१ ई०	क़ानून इस अभिप्राय से कि महकमे सदर बोर्ड रफ़न्यू जो सर्वथा इलाहाबाद में स्थित रहेगा उसके किसी हाकिम को बाहर भेजे जाने के समय माल आदि की संपूर्ण बातों का अख़्तियार सूबह बनारस आदि को प्राप्त होगा ॥	कुल कुल जितना कि पश्चिमोत्तर देश से लगाव रखता है ॥

८ सन् १८३३ ई०	क़ानून ७ सन् १८२२ ई० के किसी २ हिस्से और क़ानून ४ सन् १८२८ ई० के शोधने के लिये ॥	दफ़ा २ से दफ़ा १५ तक.
	दूसरा भाग—ऐक्ट ॥	
ऐक्ट १ सन् १८४१ ई०	इस अभिप्राय से कि सरकारी मालगुज़ारी को सुगमता के साथ वसूल करने की बाबत और पट्टीदारी मुहाल सरकारी मालगुज़ारी की बाक़ी अदा करने के लिये जो नीलाम होता है उस से जो हक़ीयत मुत्तालिक़ होती है उसको व्याख्या करने के लिये ॥	जितना कि रह नहीं हुआ था
ऐक्ट १२ सन् १८४१ ई०	मालगुज़ारी की बाक़ियों की बाबत धरती के नीलाम करने और बंगाले के क़ानूनों के शोधने के प्रयोजन से ॥	तथा
ऐक्ट १ सन् १८४५ ई०	ऐक्ट नम्बर १२ सन् १८४१ ई० के शोधने के प्रयोजन से जिसका यह अभिप्राय है कि मालगुज़ारी की बाक़ियों की बाबत धरती के	

क़ानून का नम्बर और सन्	क़ानून का आशय वा संक्षेप आशय	कितना रद्द हुआ
	नीलाम करने और बंगाले के क़ानूनों के शोधने के प्रयोजनों से ॥	तथा
ऐक्ट ८ सन् १८४६ ई०	पश्चिमोत्तरदेश के सम्बन्धित हर ज़िले के बन्दोवस्त की मुद्दत ज़ाहिर करने के विषय	कुल-ज़िला बांदा के बन्दोवस्त के सिवाय
ऐक्ट १ सन् १८४७ ई०	बंगालदेश के पश्चिमी ज़िलों की धरतियों की सीमा बांधने और रक्षित रखने के विषय	कुल
ऐक्ट २६ सन् १८५४ ई०	जिसका यह अभिप्राय है कि यदि पुरुष जाति नाबालिग़ कोर्ट आफ़ वार्डस के आधीन हो तो उसको यथोचित शिक्षा हुआ करे	कुल जितना कि पश्चिमोत्तर देश से इलाक़ा रखता है ॥
ऐक्ट ३१ सन् १८५८ ई०	जिस से यह अभिप्राय है कि जब कभी प्रेसीडेन्सी फ़ोर्ट विलियम बंगाले में जल से धरती निकले उसके बन्दोवस्त के लिये अधिक उपाय किया जाय ॥	तथा

ऐक्ट१८सन्१८६३ई०	प्रेसीडेन्सी फ़ोर्ट विलियम बंगाला के पश्चिमोत्तर देशीय सरकार के मालगुज़ार मुहाल के बटवारे से सम्बन्धित क़ानूनों के एकत्र करने और शोधने के विषय ॥	तथा

विटली स्टोक्स

हिन्द की गवर्नमेंट का सेक्रेटरी ॥

क़ानून लगान मुतअल्लिके मुमालिक मग़रबी व शमाली मसदरह सन १८८१ ई० एकट बग़रज़ तरमीम क़वानीन वसूल लगान के मुमा-

लिक मग़रबी व शमाली में

बाब - १

मरातिब इब्तदाई ॥

दफ़ा १- जायज़ है कि यह एक क़ानून लगान मुमालिक मग़रबी व शमाली मसदरह सन १८८१ के नाम से मौसूम कियाजाय-यह एक अव्वलन मुमालिक मौजूदह वक्त तहत हुकूमत नव्वाब लफ़टंट गवर्नर बहादुर मुमालिक मग़रबी व शमाली से बजुज़ उन इक़ताअ के मुतअल्लिक़ होगा जिनका ज़िक्र ज़मीमः दोयम मुनसिलके एक हाज़ामें है लेकिन लोकल गवर्मेंट को जायज़ है कि बज़र्ये इश्तहार मुनदर्जे गज़ट सरकारी के एक हाज़ा को कुल्लन याजुज़न तमाम या किसी इक़ताअ इस्तसनाई मज़कूरह बाला से मुतअल्लिक़ करे- और जब कोई जुज़व एक लगान मुमालिक मग़रबी व शमाली मसदरह सन १८७३ ई का ऐसे मुमालिक में से किसी मुल्क में जारी किया गया हो तो वह जुज़व एक का उस मुल्क में मनसूख़ क़रार पाकर इस एक का जुज़व जो उस जुज़व के बराबर हो मुल्क मज़कूर में नाफ़िज़ समझा जायगा —

बजुज़ उस तौर के जिसका ज़िक्र दफ़आत १७१ व १७२ में हुवा है कोई इबारत मुन्दर्जे एक हाज़ा उस अराज़ी से मुतअल्लिक़ न होगी जो बरवक़्त मौजूदह

मकानात मक़ूनत या कारख़ानजात या उन के मुतऋल्लिक़ मकानात से मुत्तासिल हुवा और जब तक वह आसामियां ज़राअत पेशे को पट्टे पर न दी जावे –

यह एक्ट यकुम अप्रेल सन १८८१ ई० से नाफ़िज़ होगा –

दफ़ा २ – एक्ट ज़र लगान मुमालिक मग़रबी व शमाली मसदरह सन १८७३ ई० इस तहरीर की रू से मनसूख़ किया गया है मगर ऐसी तनसीख़ से कोई तरीक़ा अमल जायज़ न होजायगा जो ऐन सा क़ब्ल नफ़ाज़ एक्ट मज़कूर नाजायज़ रहा हो –

जुमले क़वायद और तक़र्रुरात जो एक्ट मज़कूर के मुताबिक़ सादिर या इश्तहारात और ऐलानात जो उस्की मुताबिक़ मुश्तहर या इख़्तयारात व इक़्तदारात व पट्टेजात जो उस्की मुताबिक़ अता या ज़रहाय लगान जो उस्की मुताबिक़ मुशख़्स या हक़ूक़ जो हासिल या ज़िम्मेदारियां। जो आयद या मुक़ामात जो उस्की मुताबिक़ तजवीज़ किये गये जहां तक मुमकिन हो ऐसे समझे जांयगे कि गोया वह इस एक्ट के मुताबिक़ सादिर और मुश्तहर और अता और मुशख़्स और हासिल और आयद और तजवीज़ किये गये थे –

मजमूये ताज़ीरात हिन्द की दफ़े १८ की तमसील (अलिफ़) और एक्ट ११ सन १८६५ ई० की दफे ५२ ऐसी पढ़ी जायगी कि गोया उस्में बजाय एक्ट १० सन १८५९ ई० के यह अलफ़ाज़ और हिन्द से दाख़िल थे मुमालिक मग़रबी व शुमाली का क़ानून लगान मसदरह सन १८८१ ई० और लगान एक्टों में जो बाद सदूर एक्ट ज़र लगान मुमालिक मग़रबी व शमाली

मसदरह सन १८७३ ई० मज़कूरह बाला के नाफ़िज़ किये गये हरस के हवाले जो एक मज़कूर पर किया गया है बमन्ज़िले हवाले इस एक्ट हाज़ा के समझा जायगा—

दफ़ः ३—एक्ट हाज़ा में अगर अज़ रूये मज़मून या फ़हवाय कलाम के कोई अमर ख़िलाफ़ न हो तो—

(१) लफ़्ज़ महाल से मुराद—

(**अलिफ़**) हर रक़बे: अराज़ी है जिस पर अदाय माल गुज़ारी के इक़रार नामे: जुदागाने के बमूजिब क़बज़ा हो और जिस की बाबत जुदागाने: मिसल काग़ज़ात हक़ीयत मुरत्तब की गई हो—

(**बे**) और हर रक़बे: आराज़ी है जिसकी मालगुज़ारी अता की गई हो या मुनक़्ते कराई गई हो और जिस्की बाबत जुदागाने: मिसल काग़ज़ात हक़ीयत मुरत्तिब की गई हो—

(२) (**अलिफ़**) लफ़्ज़ आसामी में ठेकेदार और कटकनेदार भी शामिल समझा जायगा—

(**२**) लफ़्ज़ लगान से मुराद वह चीज़ है जो कोई आसामी बाबत अपनी आराज़ी के हक़ीयत मक़बूज़े: या इस्तेमाल या दख़ल के करे या अदा करे या हवाले करे—

(**३**) लफ़ज़ ज़मींदार से मुराद वह शख़्स है जिस को आसामी लगान अदा करने की मस्तूजिब है— दस्ब ज़ैल बराय आराज़ी—

(**४**) लफ़ज़ आराज़ी सीर से मुराद है—

(**अलिफ़**) वह आराज़ी जो उस ज़िले के बन्दोबस्त या तरमीम बन्दोबस्त

गुज़िश्ते में जिसमें कि वह वाक़े हो बतौर सेर क़लम्बन्द हुई थी और जब से बरा बर इसी तौर लिखी चली आती है -

(बे) वह आराज़ी जिसकी काश्त मालिक ख़ुद अपनी मवेशी वग़ैरा सामान ज़राअत से या अपने मुलाज़िमों या मज़दूरों से बारह बरस से बराबर करता चला आता है -

(जीम) वह आराज़ी जो अज़ रूय दस्तूर देह बतौर ख़ास मक़बूज़ह किसी हिस्से दार के तसलीम की गई है या जो दीगर शुरका के साथ मुनाफ़ा या दूख़राजात की तक़सीम में ऐसी ही समझी जाती है -

(५) लफ़्ज़ कलक्टर ज़िले से मुराद वह आला ओहदे दार है जो ज़िले के इन्तज़ाम माली का एहतमाम रखता हो -

(६) लफ़्ज़ कमिश्नर क़िसमत से आला ओहदे दार मुहतमिम इन्तज़ाम क़िसमत माली का मुराद है -

(७) लफ़्ज़ बोर्ड से साहबान बोर्ड माल मुमालिक मग़रबी व शुमाली मुराद हैं -

(८) जेलख़ाने दीवानी से मुराद ज़िले का जेलख़ानः दीवानी है और उसमें हर मुक़ाम दाख़िल है जिस्को लोकल गवर्मेंट ने वास्ते मुक़ैयद रखने उन क़ैदियों के मुक़र्रर किया हो जो बमूजिब हुक्म सज़ा मसदरह किसी महकमे मौजूदे हस्ब ज़ाब्ता के महबूस किये जायें -

बाब २

हुक़ूक़ और ज़िम्मेदारी ज़मींदार और आसामियों के

दफ़ा ४ - जब किसी ज़िले या जुज़व ज़िले में जिसका बन्दोबस्त दायमी

हुवा हो कोई हक़ मुस्तक़िल व क़ाबिल इन्तक़ाल वाक़ै आराज़ी सिवाय बज़रिये पट्टे मियादी के किसी और तौर पर ऐसे शख़्स के क़बज़े व तसर्रुफ़ में रहा हो जिसका रुतबा मालिक मुहाल और उसके क़ाबज़ों के दरमियान हो और वह उस्के मुरसान हक़दारान साबिक़ बशरह लगान वाहिद वक़्त बन्दोबस्त इस्तमरारी से उस पर क़ाबिज़ चले आते हों तो वह शख़्स मुस्तहक़ होगा कि जो हक़ मज़कूर पर बशरह मज़कूर क़ाबिज़ बनार है -

दफ़ा ५ - जब कोई आराज़ी ऐसी ज़िले या जुज़व ज़िले के अन्दर जिसका बन्दोबस्त दायमी हो गया हो वक़्त बन्दोबस्त इस्तमरारी बराबर बअदाय शरह लगान वाहद किसी आसामी और उसके मुरसान हक़दारान के क़बज़े में चली आती हो तो ऐसी आसामी मुस्तहक़ है कि हक़ मुक़ाबिज़त का बअदाय उसी शरह के रखे -

जो आसामी ऐसे हक़ की मुस्तहक़ हो वह आसामी बशरह मुअइयन कहलायगी

दफ़ा ६ - जब किसी मुक़द्दमे में जिससे शरायत दफ़े ४ या दफ़े ५ मुतअल्लिक़ हों यह साबित हो कि आराज़ी मुतदाविया तारीख़ इरजा दावी से क़ब्ल अर्से १२ बरस से बशरह लगान वाहिद क़ाबिज़ हाल और उसके मुरसान हक़दार के क़बज़े में चली आती है तो यह तसलीम किया जायगा ता आंकि इसके ख़िलाफ़ साबित हो कि वह आराज़ी उसी शरह से वक़्त बन्दोबस्त दायमी से उसी के क़बज़े में रही है -

दफ़ा ७ - हर शख़्स जिसके हक़ूक़ माल का नः किसी मुहाल में बाद अज़ीं ज़ायल या मुनतक़िल हो जायें वह उस आराज़ी पर जो मुहाल मज़कूर के अन्दर ज़ायल या मुन्तक़िल होने की तारीख़ को बतौर सीर उसके

क़ब्ज़े में हो दख़ल रखने का इस्तहक़ाक़ उस शरह लगान से फ़ी रुपया ... आने कम शरह पर रखेगा जो शरह लगान आसामियान जो कि मालिक की मरज़ी पर जोतते हों उसी क़िस्म और उसी तरह के फ़वायद की ज़मीन की बाबत अदा करते हों -

अशख़ास जो ऐसे हुक़ूक़ दख़ील कारी के क़ाबिज़ हों आसामियां साक़ित उल मालकियत कहलायेंगी और उन को तमाम हक़ूक़ आसामियान दख़ील कारी के हासिल होंगे -

अगर किसी आराज़ी सीर में दो या ज़ियादह शुरका हों और उनमें से एक शख़्स आसामी साक़ितुल मालकियत हो जाय तो वह हिस्से जो पहले उसी आसामी साक़ितुल मालकियत की मिलकियत था उसकी दर्ख़ास्त पर या उस शख़्स की दर्ख़ास्त पर जो लगान वसूल करने का मुस्तहक़ हो साहब कलक्टर की मारफ़त अलैहदा कर दिया जायगा - और हक़ूक़ मुतहल्लिक़ः उस आसामी साक़ितुल मालकियत के महदूद होकर सिर्फ़ उस आराज़ी पर मुहतवी होंगे जो उस हिस्से के अन्दर हो -

दफ़ः ८ - हर आसामी जो बारह बर्स तक बराबर फ़िलवाक़े ज़मीन की क़ाबिज़ रही हो या उस में काश्त करती रही हो वह उसी आराज़ी में जिस की क़ाबिज़ रही हो या काश्त करती रही हो हक़ दख़ील कारी रखती है -

ऐसी आसामियां दख़ील कार कहलायेंगी -

आराज़ी मक़बूज़ः या काश्त बाप या और शख़्स की जिससे आसामी को वरासतन् पहुंचा हो ऐसी मुतसव्वर होगी कि गोया हस्ब मानी दफ़े हाज़ा के उस आसामी की आराज़ी मक़बूज़ः या काश्त है

हवाले इसके यह है कि आराज़ियात मुफ़स्सले ज़ैल में हक़ दख़ील कारी हसब्
दफ़े हाज़ा किसी आसामी को हासिल न होगा—

(अलिफ़) उस आराज़ी में जिसका पट्टा उसने आसामी दख़ीलकार या आसामी साक़ितुल मालकियत से या ऐसी आसामी से लिया हो जो बशरह मुअइयन क़ाबिज़ हो—

(बे) आराज़ी सीर में—

(जीम) ऐसी आराज़ी में जो उसके पास बवजे: उजरत हो—

नीज़ शर्त यह है कि जब कोई आसामी किसी आराज़ी को बज़रये पट्टे तहरीरी बग़रज़ दख़ील कारी आराज़ी मज़कूर के फिलवाक़े अपने दख़ल में रखती हो या काश्त करती हो तो वह बारह बर्स की मियाद जो उस शख़्स को या कि ई को जो उसके ज़रये से दावीदार हो उस आराज़ी में हक़ दख़ील कारी के हासिल होने के लिये ज़रूर है उस पट्टे की मियाद के मुनक़ज़ी होने से शुरू होगी अगर दर असनाय मियाद मज़कूर इस पट्टे में लिखी हुई आराज़ी का क़ब्ज़ा वह आसामी छोड़ दे और किसी दूसरे को बतौर आसामी शिकमी के दे तो उस पट्टे की मियाद तक उस शिकमी आसामी को आराज़ी मज़कूर में हक़ दख़ील कारी हासिल न होगा—

दफ़अ ९—आसामियान शरह मुअइयन के हक़ूक़ क़ाबिल विरासत और क़ाबिल इन्तक़ाल के हो सकते हैं—

कोई दूसरा हक़ दख़ीलकारी बज़रये इजराय डिगरी या और तौर पर क़ाबिल इन्तक़ाल न होगा बजुज़ इन्तक़ाल साबेन उन्हीं अशख़ास के जिनके हक़ में बलिहाज़ उनकी शरकतदारी के वह हक़ूक़ इन्तक़ाल

ज़हूर पिज़ीर हुये थे या जो बज़रये वरासत के हुकूक़ मज़कूर में हिस्से दार हों- जब ऐसा शख़्स जो हक़ अराज़ियात उल ज़िक्र का मुस्तहक़ है फ़ौत हो तो वह उस्के वारिस को उसीतरह पहुंचेगा कि गोया वह हक़ अराज़ी था मगर शर्त यह है कि कोई क़राबती तरफ़ी मुतवफ़ी का जो उस के क़बज़े की अराज़ी की काश्त में उस वक़्त शरीक न हो हस्बज़मन हाज़ा मुस्तहक़ वारिस ना होगा -

दफ़अ-१० -जब कोई आसामी अपनी क़िसम या नौइयत हक़ीयत के तजवीज़ किये जाने की दरख़्वास्त करे तो कलक्टर ज़िला या असिस्टंट कलक्टर को यह तजवीज़ करना लाज़िम है कि वह मिन जुमले इक़साम मुसर्रहज़ैल के किस क़िसम में दाख़िल है आसामी बशरह लगान मुअइयन है- या आसामी साक़ितुलमालकियत है- या आसामी दख़ीलकार है- या आसामी बिला हक़ दख़ील कारी है -

दफ़अ ११ -जो लगान कि आसामियां बशरह मुअइयन अदा करती हों वह लायक़ इज़ाफ़ा न होगा इल्ला हस्ब मशरूत दफ़अ १८ -

दफ़अ १२ -लगान जो आसामियां साक़ितुलमालकियत या दख़ीलकार अदा करती हों मस्तूजिब इज़ाफ़े न होगा मगर सूरतहाय मुफ़स्सले ज़ैल में -

(अलिफ़) बज़रये इक़रारनामे तहरीरी के जो कि हस्ब क़ानून रजिस्टरी मजरिये हिन्द सन १८७१ ई० या ऐक्ट रजिस्टरी हिन्द मसदरह सन १८७७ ई० रजिस्टरी किया गया हो या क़ानूनगो के रूबरू

क़लम्बन्द हुवा हो या -

(बे) बज़रये हुक्म ओहदेदार बन्दोबस्त के जो हस्ब क़ानून मजरिये वक़्त सादिर किया गया हो या -

(जीम) बज़रये हुक्म मसदरह एक हाकिम के -

दफ़ा १३ - जिस हाल में कि लगान किसी आसामी दख़ीलकार का किसी ओहदेदार बन्दोबस्त के हुक्म से हस्ब क़ानून माल गुज़ारी आराज़ी मुमालिक मग़रबी व शुमाली मसदरह सन १८७३ ई० के या बज़रये हुक्म के जो हस्ब एक हाज़ा हो मुक़र्रर न किया गया हो -

(बे) या जिस हाल में कि लगान ऐसे हुक्म के ज़रये से मुक़र्रर हुवा हो लेकिन वह मियाद जिसके वास्ते वह मुक़र्रर किया गया हो मुनक़ज़ी हो जाय -

(जीम) या जब अरसे दस बर्स का उस तारीख़ से गुज़र गया हो जब हुक्म तशख़ीस नज़र लगान का असर पिज़ीर हुवा था -

(दाल) या जब बमूजिब हुक्म लोकल गवरमेंट के ज़िले की जमाबन्दी पर नज़रसानी की गई मगर मनज़ूरी के क़ब्ल -

(हे) या जब ज़िले के बन्दोबस्त की मियाद ख़तम हो गई हो -

तो ज़मींदार को इख़्तियार है कि वजूह मुन्फ़सले ज़ैल में से किसी की बिनाय पर उस आसामी के लगान के इज़ाफ़े की दर्ख़्वास्त करे न किसी और वजह पर -

(**वाउ**) यह कि शरह लगान की जो कि वह आसामी अदा करती है उस लगान मुरव्वजे से कम है जो उसी क़िस्म की आसामियों

परकृषीनौक और उसी तरह के फ़ायदे की आराज़ी की बाबत वाजि-
बुल अदा है -
(दोए) यह कि मालियत पैदावार या आराज़ी की कुव्वत पैदावार
आसामी की मेहनत या सर्फ़ के सिवाय और निहज से बढ़ गई है -
(हे) यह कि मिक़दार आराज़ी की जो उस आसामी के क़ब्ज़े में है मुन्
दर्जा पैमायश उस मिक़दार से ज़ियादह साबित हुई जिसकी बाबत
वह पेश्तर से लगान अदा करती रही है -
दफ़ा २४ - (अलिफ़) जिस हाल में कि लगान किसी आसा
मी साक़ितुलमालकियत का बहुक्म ओहदेदार बन्दोबस्त हसब
क़ानूनमाल गुज़ारी आराज़ी मुमालिक मग़रबी वशुमाली मसदरह
सन १८७३ ई॰ के या बहुक्म मसदरह हसब ऐक्ट हाज़ा के न मुक़र्रर कि
या गया हो या जिस हाल में कि लगान ऐसे हुक्म के ज़रये से मुक़र्रर
किया गया हो लेकिन जिस मियाद के लिये मुक़र्रर किया गया हो वह
मुनक़ज़ी हो जाय या जब कोई सूरत मुतज़क्किरह दफ़ा १३ ज़िमन
(जीम) व (वाउ) व (हे) वक़ूअ में आवे -
तो ज़मींदार को इख़्तियार है कि उस आसामी पर इज़ाफ़े या तक़
र्रर लगान की दर्ख़ास्त उसी निहज पर करे गोया वह आसामी
दख़ीलकार थी मगर शर्त यह है कि उसका लगान इस हिसाब
से होगा कि जो शरह लगान वह आसामियां जो मालिक की
सरज़ी पर जोतती हों उसी क़िसम और उसी
तरह के फ़ायदे की ज़मीन की बाबत अदा करती हों उससे कम

फ़ी रुपये चार आने हो -

(बे) जब कि ज़िले या तहसील या और इलाक़े अराज़ी को जिस में कि ऐसी आराज़ी वाक़े है ओहदेदार बन्दोबस्त ने एक ही क़िस्म और फ़वायद की ज़मीन के हलक़ों में तक़सीम कर दिया हो तो वास्ते इग़राज़ दफ़े हाज़ा और दफ़े १३ के उसी क़िस्म और उसी तौर के फ़वायद की अराज़ी एक ही हलक़े से मुक़ाबले के वास्ते ली जायगी

(जीम) जिस हाल में कि ओहदेदार बन्दोबस्त ने ज़िले या और इलाक़े अराज़ी का हस्ब मरक़ूमे बाला तक़सीम न किया हो तो अराज़ी जिस की बाबत दर्ख़्वास्त की जाय उसी क़िस्म और उसी तरह के फ़ायदों की उस आराज़ी के साथ मुक़ाबिल की जायगी जो एक ही तहसील या तहसील मुतसले में वाक़े हो -

दफ़ा १५ - जिस हाल में कि लगान किसी आसामी साक़ितुल माल कियत या आसामी दख़ीलकार का बहुक्म ओहदेदार बन्दोबस्त हस्ब क़ानून मालगुज़ारी आराज़ी मुमालिक मग़रबी व शुमाली मसदरह सन १८७३ ई० के या बहुक्म मसदरह हस्ब एक्ट हाज़ा मुक़र्रर न हुवा हो - या जिस हाल में कि लगान बक़र ये ऐसे हुक्म के मुक़र्रर हो गया हो लेकिन जिस मुद्दत के लिये मुक़र्रर हुवा हो वह मुनक़ज़ी हो जाय - या जब कोई सूरत मुतज़क्करह दफ़े १३ ज़मन (जीम) व (वाव) व (हे) वक़ूअ में आई हो -

तो आसामी को इख़्तियार है कि अपने लगान की तख़फ़ीफ़ के लिये बिना हाय मुफ़स्सिले ज़ैल में से किसी एक बिनाय पर दर्ख़्वास्त करे

न किसी और वजह पर –

(अलिफ़) यह कि रक़बे उस्की आराज़ी का दरया बुर्द या और वजह से कम हो गया है –

(बे) यह कि मालियत पैदावार की या उस्की आराज़ी की कूवत पैदावार ऐसी वजह से कम हो गई है जो उस के इख़्तियार से बाहर थी॥

दफ़अ १६ – जिस हाल में लगान किसी आसामी साक़ितुल मालकियत या आसामी दख़ीलकार का अज़रूए किसी हुक्म मसदरह हस्ब एक्ट हाज़ा के मुक़र्रर हुवा हो तो वह लगान क़ाबिल इज़ाफ़े या तख़फ़ीफ़ के न होगा इल्ला दरसूरत वक़ूअ किसी एक अमर मिनजुमले उमूर मुफ़स्सले दफ़े १३ ज़िमन हाय (जीम) व (दाल) व (हे) के जौनसा उनमें से पहिले वाक़े हो –

दफ़अ १७ – बावसफ़ किसी हुक्म ख़िलाफ़ मुन्दर्जे दफ़े १६ के जिस हाल में कि लगान किसी आसामी साक़ितुल मालकियत या आसामी दख़ीलकार का किसी ओहदेदार बं[illegible] के हुक्म से हस्ब क़ानून मालगुज़ारी आराज़ी मुमालिक़ मग़रिबी व शुमाली मसदरह सन १८७३ ई० या बहुक्म मसदरह सा[illegible] एक्ट हाज़ा के मुक़र्रर हो गया हो ज़मींदार को इख़्तियार [illegible] जिस मुद्दत के वास्ते वह लगान इस निहज पर मुक़र्रर [illegible] की [illegible] के अंदर व जो मुफ़स्सले ज़ैल में से किसी बिनाय पर आसामी के लगान के इज़ाफ़े की दर्ख़ास्त करने किसी [illegible]क़म

लगान की इस्तमरार अगस्त आयन्दा की ३१ तारीख़ से पहले की जाये जो कि उस साल के शुरू होने से पहले वाक़ै हो जिसका आग़ाज़ जुलाई की पहली तारीख़ से जिस से कि इस लगान का इज़ाफ़ा या तख़फ़ीफ़ मतलूब हो गिना जायगा -
और हर हुक्म इज़ाफ़े या तख़फ़ीफ़ लगान की तामील उस यकुम जुलाई से होगी जो कि ऐसे हुक्म की तारीख़ के बाद पहले वाक़ै हो बजुज़ उस सूरत के कि किसी वजह से जो बजह ज़ब्त तहरीर में आवेगी अदालत और तौर पर हुक्म देना मुनासिब समझे -

दफ़ा २० जब इस्तमरार शाय बाब हाज़ा बह शरह लगान जो किसी आसामी को अदा करनी चाहिये तजवीज़ की जाये तो उस में क़ौमियत पर लिहाज़ न किया जायगा इल्ला जब यह साबित हो कि अज़ रूय रिवाज मुक़ाम के ऐसे लगान की तजवीज़ में क़ौमियत पर नज़र की जाती है -
और जब यह पाया जाय कि मुक़ाम की रस्म या रिवाज से कोई क़िस्म अशख़ास की इस वजह से कि वह पेशतर मालिक ज़मीन के थे या और निहज से ज़मीन पर ब शरह रियायती लगान के क़ाबिज़ हैं तो वह शरह मुताबिक़ उसी रस्म या रिवाज के तजवीज़ की जायगी ॥

दफ़ा २१ - कोई आसामी जो मालिक की मरज़ी तक ज़मीन की क़ाबिज़ हो मस्तूजिब अदाय लगान की ज़ियादह उस से न होगी जो कि इस साल से पहले उस पर वाजिबुल अदा हो जिस का इख़्तताम ३१ जून को होता है इल्ला उस हाल में कि ज़मींदार और आसामी के दरमियान बाहम

यह इक़रार होगया हो कि वह आसामी ज़मींदार को कितना लगान देगी
और वह इक़रार उस परगने के क़ानूनगो ने लिखें कि वह आराज़ी
पा कैसे क़लमबन्द कर लिया हो -

दफ़ा २३ बावजूदे कि एक्ट हाज़ा की दफ़आत मा सबक़ में कोई इबा
रत मुनदर्जि हो अगर लगान किसी आसामी शाफ़ुल माल क़ियत या द
ख़ीलकार का फ़रीक़ैन के मुआमले या हुमी की रूसे मुक़र्रर होगया हो
तो उस मुआमले की मियाद मुअइयन तकवहूलमान ला यक़ा इज़ाफ़े-
या तख़फ़ीफ़ के न होगा -

(अलिफ़) जब कोई आराज़ी किसी ज़मींदार से आसामी के क़ब्ज़े में
पहुंची हो ऐसे ज़मींदार या आसामी को इख़्तियार है कि हर सूरत न होने
किसी मुआहिदे तहरीरी ख़िलाफ़ इसके कि साहब कलक्टर ज़िले से दर्ख़ा
स्त करे कि आराज़ी मज़कूर की पैमायश हो और साहब कलक्टर मजाज़ है
कि दर्ख़ास्त के पहुंचने पर ऐसी पैमायश के अख़राजात का तख़मीना करके
हुक्म तहरीरी के ज़रिये से दर्ख़ास्त कुनिन्दः को हिदायत करे कि वह तख़मी
नः की तादाद जमा करदे - अगर दर्ख़ास्त कुनिन्दः तादाद तख़मीनः हुक्म
की तारीख़ से १५ रोज़ के अन्दर दाख़िल करदे तो साहब कलक्टर ज़िले को
लाज़िम है कि आराज़ी काश्तकारी के दूसरे फ़रीक़ एक या चन्द को इत्तलाअ
नामे: इस हुक्म से भेजे कि वह या वह लोग वक़्त और मुक़ाम मुफ़स्सले इत्तला
नामे: पर अपने उज़्र ज़ाहिर करें कि पैमायश क्यों न की जावे अगर कोई उज़्र
ज़ाहिर न किया जाय तो हाकिम मौसूफ़ को इख़्तियार है कि अपने हुक्म तहरीरी
के ज़रिये से हिदायत करे कि शख़्स मज़कूर ऐसी पैमायश ऐसे वक़्त पर कराये

जो मुनासिब मालूम हो —

एफ़. एक नक़ल हुक्म मज़कूर की आराज़ी काश्त के कुल फ़रीक़ों पर जारी की जायगी और अगर कोई फ़रीक़ वक़्त मुक़र्रह पर हाज़िर न हो तो उसको इख़्तियार एतराज़ का निस्बत सेहत इस पैमायश के जो उसकी ग़ैर हाज़िरी में हो बाक़ी न रहेगा अगर कोई फ़रीक़ जिसको हुक्म उज़्र पेश करने का हस्ब मज़कूरह सदर दिया गया हो पैमायश की निस्बत कुछ उज़्र करे और वह उज़्र नामन्ज़ूर किया जाये तो ऐसे उज़्र करने से जो ख़र्चा पड़ा हो वह ख़र्चा उस शख़्स के ज़िम्मे पड़ेगा —

कोई इबारत दफ़ा की किसी ऐसे इख़्तियार पर मोवस्सर न होगी जो क़ानून की रू से बदीं गरज़ अता हुवा है कि पैमायश के वक़्त कोई शख़्स जबरन हाज़िर किया जाये —

दफ़ा २३ — जब किसी वजह से लोकल गवर्मेंट कुल या जुज़ मुतालबे माल गुज़ारी को जो किसी आराज़ी की बाबत वाजिबुल अदा हो मुआफ़ करे या किसी मियाद के लिये मुल्तवी रखे तो वह ओहदेदार जिसको लोकल गवर्मेंट इस अमर का इख़्तियार अता करे इख़्तियार है कि ब पाबन्दी ऐसे क़वायद मुतअल्लिक़े अपील या बहाली तजवीज़ वगैरह के जो वक़्तन फ़वक़्तन हुक्काम बोर्ड से नाफ़िज़ हों यह हुक्म दे कि ज़र लगान ऐसी आराज़ी का किसी अर्से तक जिसमें ज़र माल गुज़ारी हस्ब मरक़ूमः सदर मुल्तवी रखा गया हो मुआफ़ हो या मुल्तवी रखा जाये —

जैसा मौक़ा हो उस तैदाद तक जो उस तैदाद माल गुज़ारी के जो चंद

के बराबर हो जिसका अदा होना मुआफ़ या मुअत्तिल रखा गया है या उस तैदाद तक जो आराज़ी मज़कूर के कुल ज़र लगान के साथ वही निसबत रखती हो जो तैदाद माल गुज़ारी मुआफ़ या मुअत्तल शुदा आराज़ी मज़कूर के कुल ज़र माल गुज़ारी के साथ रखती है-

और बमल दूजी उन्हीं क़वायद के ज़मींदार मज़कूर ऐसे हुक्म का पाबंद होगा ॥

(अलिफ़) पट्टेजात

दफ़े २४-हर आसामी को इस्तहक़ाक़ है कि ज़मींदार से पट्टा हासिल करे और अपने क़ब्ज़े की बहाली की मुद्दत में किसी वक़्त उस्की दरख़्वास्त करे और पट्टः मुनज़म्मिन मरातिब मुफ़स्सिले ज़ैल का होगा-

(अलिफ़) मिक़दार आराज़ी जो उस्की जोत में हो और जहां किस्र काशी काग़ज़ात पैमायश में खेतों का नम्बर लिखा हो वहां हर खेत का नंबर-

(बे) तादाद सालानः लगान की जो उस आराज़ी की बाबत वाजिबुल अदा हो-॥

(जीम) तफ़सील इक़सात अदाय लगान की और वह तारीख़ें जिन में वह लगान अदा होना चाहिये-

(दाल) अगर कोई ख़ास शरायत पट्टे की हों तो वह शरायत-

(हे) अगर लगान बज़र ये जिनस वाजिबुल अदा हो या उस्का हिसाब पैदावार की मालियत पर किया जाय तो हिस्सा पैदावार का जो दिया जायगा और तरीक़ तशख़ीस मालियत का और वक़्त और तौर और मुक़ाम उस हिस्से के देने का-

द.फ़े २५ - आसामियां बशरह लगान मुअइयन मुस्तहक़ लेने पट्टे की बशरह मुनज़क्किरह बाला हैं -

द.फ़े २६ - आसामियां साक़ितुल माल कियत व आसामियां दख़ीलकार मुस्तहक़ हैं कि पट्टेजात मुताबिक़ उन शरहों लगान के हासिल करें जो ब पाबंदी क़ानून मजारिया वक़्त के महसूब की गई हों या अगर कोई शरह उस तौर पर तजवीज़ न हुई हों तो मुताबिक़ उन शरहों के हासिल करें जिन की मुताबिक़ वह बर वक़्त तलब करने पट्टेजात के फ़िलवाक़े लगान अदा करती हों -

द.फ़े २७ - तमाम दीगर आसामियां मुस्तहक़ लेने पट्टे की सिर्फ़ ऐसी शरायत पर हैं जो माबैन उनके और ज़मींदार के ठहरें -

द.फ़े २८ - जो ज़मींदार कि पट्टे दे वह मुस्तहक़ है कि आसामी से एक क़बूलियत जिस्की तकमील आसामी ने की हो और मुताबिक़ शरायत पट्टे के हो हासिल करे -

देना पट्टे का किसी आसामी को उस तौर पर कि वह आसामी उस्के लेने की मुस्तहक़ हो ज़मींदार को यह इस्तहक़ाक़ बख़शेगा कि उस आसामी से क़बूलियत हासिल करे -

द.फ़े २९ - बावस्फ़ किसी शर्त मुन्दरजे दफ़े २२ के जब कोई ज़मींदार जिसने अपनी आराज़ी की बाबत सरकार के साथ मुआहिदा किया हो कोई पट्टा लिखे या क़ौल व क़रार करे जिस्के बमूजिब कि आराज़ी का ज़रलमान उस से ज़ियादः मियाद के लिये मुक़र्रर कर दिया जाय जिस मियाद के लिये उस्का मुआहिदा सरकार के साथ हुवा तो औ

ऐसे मुआहिदे की मियाद गुज़र जाय तो ऐसा पट्टे या क़ौल व क़रार–
(अलिफ़) इस सूरत में कि मुआहिदे की मियाद गुज़रने पर अराज़ी मज़कूर की मालगुज़ारी में इज़ाफ़ा किया जाय लायक दुस्तरदाद के होगा हस्ब मरज़ी ज़मींदार के बजुज़ उस सूरत के कि आसामी उस क़दर लगान देना क़बूल करे जो हाकिम बन्दोबस्त या दूसरा शख़्स जिस को हस्ब ज़ाबते इस बाब में इख़्तियार दिया गया हो ज़मींदार की दरख़्वास्त पर माक़ूल और मुनसफ़ाने क़रार दे और–
(बे) उस सूरत में कि मियाद मज़कूर के गुज़रने पर मालगुज़ारी में तख़फ़ीफ़ की जाय लायक़ दुस्तरदाद के होगा हस्ब मरज़ी आसामी के इल्ला उस सूरत में कि ज़मींदार उस क़दर ज़र लगान लेना क़बूल करे जो हाकिम बन्दोबस्त या दूसरा शख़्स जिस को उस का इख़्तियार हस्ब ज़ाब्ते दिया गया हो आसामी की दरख़्वास्त पर माक़ूल व मुनसफ़ाने क़रार दे–॥

दफ़ा ३० (अलिफ़) और हरगाह तमाम अतयात (आम इस से कि तहरीरी हों या और निहज पर) अराज़ी मुआफ़ी लगान के जो कियुम दिसम्बर सन १७९० ई० के बाद बजुज़ नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर इजलास कौंसल के किसी और ने किये हों और वे दफ़े १० क़ानून १९ सन १७९३ ई० मजमूए बंगाले के काल अदम और बातिल क़रार दिये गये हैं और उसी क़िस्म के एहकाम अज़ रूए कई क़वानीन के उन मुमालिक के चंद इलाक़ों से मुतअल्लिक़ किये गये हैं – पस एक हाज़ा मुतअल्लिक़ है और क़ानून १९ सन १७९३ ई० मज़कूर में यह

ज़रूरत भी है कि किसी मुद्दत दराज़ का क़बज़ा दर बाब मिलकियत आराज़ी या उसके लगान के बमूजिब जो ग़रज़ उस अतये: का मुतसव्वर न होगा लिहाज़ा हस्ब दफ़े हाज़ा के हुक्म सादिर किया जाता है—

(दो) दरख़ास्तें मालिक आराज़ी की वास्ते जब्ती ऐसी अतयात के या तशख़ीस लगान ऐसी आराज़ी के कलक्टर ज़िला या असिस्टेंट कलक्टर को दी जायगी और बपाबंदी उन क़वायद के जो लोकल गवर्मेंट की तरफ़ से मुरत्तब हों उनकी निस्बत उस तौर पर अमल किया जायगा जिस तरह दूसरी दरख़ास्तों की निस्बत जो हस्ब एक्ट हाज़ा गुज़रें अमल किया जाय॥

(तीन) जो अतयात आराज़ी कि बमूजिब वसीक़े: तहरीरी के किसी के क़बज़े में हों और उस वसीक़े में अताकुनिन्दे: ने बसराहत यह इक़रार किया हो कि यह अतया ज़ब्त न किया जायगा वह उसी के मुक़ाबिले: में उस वक़्त तक जायज़ मुतसव्वर होगा कि जिस ज़िले में आराज़ी मज़कूर वाक़े है उस का बन्दोबस्त जो बतारीख़ अतया क़ायम हो बहाल रहै लेकिन बाद उसके वफ़ात के क़ायम मुक़ामों के मुक़ाबिले में जायज़ न होगा—

(चार) जहां किसी आराज़ी पर पचास बरस तक माक़ब्ल तारीख़ २२ दिसम्बर सन १८७३ ई० बतौर मुआफ़ी लगान के क़बज़ा रहा हो और असल मुआफ़ीदार की अव्वल दर्जे दो पुश्तों का क़बज़ा उस पर उस तारीख़ तक रहा हो तो अज़रूय ऐसे क़बज़े के क़ाबिज़ को हक़ मिलकियत का हासिल होना मुतसव्वर होगा—

(हे) कोई इबारत क़ानून तमादी मजरिये हिन्द मसदरह सन १८७१ ई० की इस हक़ की मुज़िर न होगी कि दरख़ास्त हस्ब एक्ट हाज़ा आराज़ी ला ख़िराज पर लगान की तशख़ीस कराने के लिये गुज़रानी जावे-

(दाल) कोई इबारत दफ़े हाज़ा की सूरत हाय मुफ़स्सले ज़ैल में से किसी से मुतअल्लिक़ न होगी

(१) जबके आराज़ी पर बमूजिब फ़ैसले अदालत क़ब्ल निफ़ाज़ एक्ट ज़र लगान मुमालिक मग़रबी व शुमाली मसदरह सन १८७३ ई० क़ाबिज़े मुआफ़ी रहा हो-

(२) जबके अराज़ी क़ब्ल निफ़ाज़ एक्ट मज़कूर मुआफ़ी हो और ब मुआवज़े क़ीमती ख़रीद की गई हो और उसकी ज़बती पर रूल १० सन १८५९ ई० की दफ़े २० या क़ानून तमादी मजरिये हिन्द मसदरह सन १८७१ ई० के ज़मीमे २ की मद १३० मानि॰ हो-

(बे) तर्क और बेदख़ली-

दफ़े ३१- जो आसामी कि ज़मीन का पट्टा न रखती हो वह अपनी आराज़ी मक़बूज़ः के लगान की बाबत साल आयन्दह के लिये मस्तूजिब अदा की रहेगी इल्ला उस हाल में कि किसी साल की बकुम मई को या उस से पहले ज़मीदार को या उसके मुख़्तार मजाज़ को इत्तलाअ तहरीरी इस बात की दे कि वह साल आयन्दा की जून को उस आराज़ी को छोड़ना चाहता है और मुताबिक़ उसके उसे छोड़ दे-

या उस हाल में कि वह आराज़ी उस ज़मीदार या मुख़्तार ने किसी और

या उस को देदी हो-

मगर शर्त यह है कि जब बाबत इज़ाफ़े लगान मुतअल्लक़े आराज़ी मक़बूज़े ऐसी आसामी के हुक्म सादर हो और आसामी मज़कूर ऐसे हुक्म के सादिर होने से पन्दरह रोज़ के अन्दर ज़मीदार का या उस के मुख़्तार मक़बूलः को इत्तलाअ तहरीरी इसबात की दे कि उस को उस अइयाम के मुख़्तस में ऐसी आराज़ी छोड़ देनी मनज़ूर है जिस अइयाम की बाबत लगान इज़ाफ़ा किया गया हो और वह उस्के मुताबिक़ आराज़ी को छोड़ दे तो वह आराज़ी मज़कूर की बाबत उस अइयाम के ज़र लगान के अदा करने का ज़िम्मेदार न होगा जो उस के छोड़ देने की तारीख़ से पीछे पड़ें-

तौज़ीह-इस दफ़े की बमूजिब उस आराज़ी के सिर्फ़ एक जुज़व की बाबत इत्तलाअ देना जायज़ नहीं है जिस पर क़बज़ा एक ही पट्टे या क़ौल व क़रार की रूसे हो-

द.फ़ ३२- अगर ज़मीदार या उसका मुख़्तार इत्तलाअ मुतज़क्किरह दफ़े ३१ के लेने से इनकार करे या उस को लेकर इस्की रसीद पर दस्तख़त करने से इनकार करे तो आसामी को इख़्तियार है कि क़बल इनक़ज़ाय उस मियाद के जो इत्तलाअ देने के लिये हो दर्ख़्वास्त तहसीलदार को दे ता वह उस इत्तिलाअ को ज़मींदार या मुख़्तार मज़कूर पर जारी कराये और आसामी उस के इजराय का ख़र्चा अदा करेगी-

द.फ़े ३३- अगर मुमकिन हो तो इत्तला नामा ख़ास ज़ात ज़मीदार या उसके मुख़्तार पर जारी किया जाये अगर ज़मींदार या उसका

मुख़्तार पाया नजावे या वह इत्तलाअ़ नामे के इजरा से रूपोशी इख़
तयार करे तो उसका इजराय इसतौर पर होसकता है कि इत्तलाअ़
नामेः उसके मामूली मकान सकूनत पर या जिस हाल में कि वह उस
ज़िले में जहां आराज़ी वाक़े है न रहता हो तो उस गांव में जहां कि आरा
ज़ी वाक़े है चौपाल या किसी और मंज़र आम में चिस्पां किया जाय
जब इत्तलाअ़ नामे के इजराय में ज़मीदार या उसके मुख़्तार के क़ु
सूर से देर हो तो उसका इजराय उस वक़्त से तसव्वुर किया जायगा
कि जब उसके इजराय का अव्वल मरतबेः क़स्द किया गया हो-

दफ़े ३३-(अलिफ़) जब ऐसी इत्तलाअ़ किसी ज़मीं
दार या उसके मुख़्तार के पास पहुंचे या उन पर ज़ारी की जाय उसके
लिये जायज़ है कि ऐसे पहुंचने या इजराय की तारीख़ से १५ रोज़ के अं
दर साहब कलक्टर या असिस्टंट कलक्टर के पास दरख़ास्त दे कि साहब
मौसूफ़ इत्तलाअ़ को नाजायज़ क़रार दें उस पर साहब कलक्टर अमर
मज़कूर का तसफ़िया फ़रीक़ैन के दरमियान करदेगा अगर ज़मीदार
या उसका मुख़्तार हस्ब मरकूमःसदर मियाद पन्द्रह रोज़ के अंदर दर
दरख़ास्त न करे तो उसकी निस्बत तसव्वुर किया जायगा कि उसने इत्त
लाअ़ क़बूल की-

दफ़े ३४-(अलिफ़) जब बाक़ी लगान की किसी आसामी
के ज़िम्मे वाजिबुल अदा है तो वह आसामी मस्तूजिब इसकी होगी कि
सूद बाबत बाक़ी के बहिसाब एक रुपये सैकड़े माहानेः के अदा करे
और अगर बाक़ी ३० जून को वाजिबुल अदा रहे तो जिस ज़मीन की बाबत

बाक़ी रही हो उससे बेदख़ल कीजाय -
(दाल) कोई आसामी बजुज़ इन राय डिगरी या हुक्म मसदरहहस्ब
दफ़कात एक-हाज़ाके और निहज से बेदख़ल न कीजायगी ॥
(जीम) डिगरी बेदख़ली आसामी या फ़िसख़ पट्टे की बवजेः अमल
में आने किसी फ़ेल या तर्क फ़ेल आसामी के -
(१) जो उसके दख़ल की आराज़ी को मुज़िर न हो या जो मग़ायर उस
ग़रज़ के न हो जिसके लिये वह आराज़ी पट्टे पर दी गई था -
(२) अज़रूए क़ानून या रिवाज या मुआहदा ख़ास के जिससे फ़िसख़
होना पट्टे का लाज़िम न आता हो सादर न होगी -
तौज़ीह - ज़िमन हाय (अलिफ़) व (बे) में लफ़्ज़ आसामी में ठेकेदा
र और कठकनःदार शामिल न समझे जायेंगे -
दफ़े ३५ - अगर ज़मीदार किसी ऐसी आसामी बशरह लगान
मुअय्यन या आसामी साक़ितुल मालकियत या आसामी दख़ीलका
र को या आसामी पट्टेदार ग़ैर मुनक़ज़ीउल मियाद को जिसपर डिग
री बाक़ियात की सादर हो कर ग़ैर मैनक्का हो बेदख़ल किया जाय तो उसे -
इख़्तियार है कि बाद इख़्तताम इस साल के जो ३० जून को ख़तम हो
और जिसमें कि वह बाक़ी पड़ी हो कलक्टर ज़िले या असिस्टेंट कलक्टर
को इख़राज आसामी की दर्ख़ास्त दे और ओहदेदार मज़कूर को लाज़िम
है कि इस दर्ख़ास्त के वसूल होने पर एक इत्तलाअनामा उस आसामी पर
मुतज़म्मिन उस तैदाद के जो अज़रूए डिगरी वाजिब हो जारी कराये
और उसके ज़रीये से आसामी को इस बात की इत्तलाअ दे कि अगर

वह इत्तलाअ़ नामे के वसूल होने की तारीख़ से १५ दिन के अंदर मुबालिग़ मज़कूर अदालत में दाख़िल न करेगा तो अपनी आराज़ी से ख़ारिज किया जायगा -

अगर वह तैदाद अदा की जाय तो जायज़ है कि कलक्टर या असिस्टेंट कलक्टर उस आसामी को बेदख़ल करदे -

दफ़े ३६ - अगर ज़मींदार किसी ऐसी आसामी को जो हक़दार दख़ील कारी नहीं है या और आसामी को जो सिर्फ़ मियाद मुअइयन तक क़बज़ा रखती हो बाद ख़तम होने मियाद उसके दख़ल के बेदख़ली किया चाहे तो उसे इख़्तियार है कि बेदख़ली का इत्तला नामा तहरीरी हस्ब एह काम एक्ट हाज़ा उस आसामी पर जारी कराये -

दफ़े ३७ - इत्तला नामा बेदख़ली ज़िले की देसी ज़बान और ख़त मुरौवजेः में लिखा जायगा -

उसमें तसरीह उस आराज़ी की जिस्से आसामी बेदख़ल की जायगी मुंदरिज होनी चाहिये -

उसमें उस आसामी को यह इत्तलाअ़ दी जावेगी कि उसको उस ज़मीन से बेदख़ल होना चाहिये और अगर उसको बेदख़ली में उज़्र हो तो उसे लाज़िम है कि इस ग़रज़ से कलक्टर ज़िले या असिस्टेंट कलक्टर को दर्ख़ास्त दे -

दफ़े ३८ - इत्तला नामा मारफ़त कचहरी तहसीलदार के ऊपर दरख़ास्त के जो माबैन यकुम जनवरी और यकुम अप्रेल हर साल के तहसीली में गुज़रेगी जारी किया जायगा और ज़मींदार उसका ख़र्चा

अदा करेगा और अगर मुमकिन हो तो आसामी की जात पर उसका इजरा अमल में आयेगा और जिस हाल में कि वह न मिल सके तो उसके मस्कन मामूली पर चिसपां कर दिया जायगा -

द.फे ३९-(अलिफ़) जिस आसामी पर ऐसा इत्तला नामा जारी किया जाये उसे इख़्तयार है कि उस इत्तला नामे के इजरा की तारीख़ के बाद ३० रोज़ के अंदर कलक्टर ज़िले या असिस्टेंट कलक्टर के हुज़ूर दर्ख़ास्त इस अमर की गुज़राने कि वह मस्तूजिब बे दख़ली के नहीं है -

(बे) जब ऐसी दर्ख़ास्त गुज़रे तो कलक्टर ज़िले या असिस्टेंट कलक्टर को चाहिये कि फ़ीमाबैन फ़रीक़ैन मनाज़े के तजवीज़ करे -

(जीम) अगर तनक़ीह नज़ाअ बे दख़ली की ख़िलाफ़ आसामी के हो या जब कोई दर्ख़ास्त इस दफ़े की बमूजिब अर्से ३० रोज़ मज़कूरे सदर के अंदर न गुज़रे तो उस अर्से के गुज़रने पर क़ब्ज़े दारी उस आराज़ी की जिसकी बाबत इत्तलाअ नामा जारी हुवा हो साक़ित हो जायगी -

पर शर्त यह है कि जब अमर मज़कूर की तनक़ीह या अर्से मज़कूर द.फे ३९ के मुताबिक़ दर्ख़ास्त गुज़राननेके बाद जो महीना मई का पहले पड़े उस के अव्वल रोज़ से क़ब्ल गुज़रे जैसी सूरत हो तो क़ब्ज़े दारी उस रोज़ तक क़ायम रहेगी और उसी रोज़ से ख़त्म हो जायगी -

मज़ीद शर्त यह है कि क़ब्ज़े दारी इस दफ़े की मुताबिक़ जब

सूरत में खतम न होगी और बाद जारी होने इत्तला मामे के ज़मी
दार आसामी को आराज़ी पर क़ाबिज़ रहने दे-

द.फे ४०- अगर ज़मींदार ऐसे शख़्स के दखल खतम होजा
ने की इस्तदुआ इस बयान से करे कि हस्ब एहकाम दफ़े २९ क़ा
बिल बेदखली है तो उसे इख़्तयार है कि दखल खतम होने की ता
रीख से पंदरह रोज़ तक कलक्टर ज़िले या असिस्टेंट कलक्टर को ऐसी
इरादे की दर्ख़्वास्त गुज़राने और कलक्टर ज़िले या असिस्टेंट कल
क्टर को लाज़िम होगा कि अगर उसको उमूर मुफ़स्सिले ज़ैल का
इतमीनान हो तो उस आसामी की बेदखली का हुक्म दे-

(अलिफ़) यह कि इत्तला नामा उस आसामी पर दफ़े ३८ के बमूजि
ब हस्ब ज़ाब्ते जारी किया गया था-

(जीम) यह कि आसामी ने दर्ख़्वास्त मुतज़क्किरह ज़िमन (अलिफ़)
व दफ़े ३९ नहीं गुज़रानी है या-

(दाल) यह कि दर सूरत गुज़रने उस दर्ख़्वास्त के तनाज़े का तसफ़ि
या खिलाफ़ मुराद आसामी के कर दिया गया है

मगर शर्त यह है कि पट्टे की मियाद मुनक़ज़ी होने पर किसी मुस्ता
जिर की बेदखली की ऐसी दर्ख़्वास्त इस हाल में न ली जायगी जब
पट्टा उस क़िस्म का हो जिस में पट्टेदार ने कुछ पेशगी दिया हो और मा
लिक का इस्तेहक़ाक़ उस मियाद के गुज़रने पर दर बाब वापिस-
हासिल करने दखल के मुशर्रित बईं शर्त हो कि जो कुछ कि पेशगी
दिया गया था वह बज़रिये ज़र नक़द या बासल्लात आराज़ी की मक्बूज़

होजायगा-

पस ऐसी तमाम सूरतों में ज़मीदार को लाज़म है कि अदालत दीवानी में नालिश रुजू करे-

द॰फ़े ४१-अगर ज़मीदार उस आसामी को जिस पर हुक्मनामा बेदख़ली जारी हो चुका हो या जिसके नाम कोई कारवाई बेदख़ली की हस्ब दफ़े ४० अमल में लाई गई हो इस ज़मीन पर कब्ज़े बहाल रखने और फ़सल के वास्ते इस ज़मीन को तैयार करने की बसराहत इजाज़त दे तो कारवाई बेदख़ली फ़िसख़ हो जायगी-

द॰फ़े ४२-(अलिफ़) जो आसामी कि मुताबिक़ एहकाम एक्ट हाज़ा के बेदख़ल की जाये उसे हर फ़सल इस्तादह या दीगर पैदावार ज़मीन पर जो कि जमा न की गई हो और उस आसामी की हो और बवक्त बेदख़ली के ज़मीन पर खड़ी हुई हो इस्तहक़ाक़ हासिल रहैगा और नीज़ इस्तहक़ाक़ होगा कि उस फ़सल या और पैदावार की निगरानी रखने और जमा करने के लिये उस ज़मीन को ब अदाय लगान वाजबी अपने इस्तेमाल में रखे-

(बे) मगर शर्त यह है कि अगर ज़मीदार उस फ़सल या और पैदावार को ख़रीद लेना चाहे तो उसे इख़्तयार है कि उस आसामी को उसकी क़ीमत देने के लिये पेश करे बाद अज़ां उस आसामी का इस्तहक़ाक़ निस्बत उस फ़सल या दीगर पैदावार के और निसबत इस अमर के कि उस आराज़ी को बग़रज़ मज़कूरे बाला अपने

इस्तेमाल में रक्खे ज़ायल होजायगा -

(जीम) सूरत निज़ाअ मुतअल्लिक़े दफ़े हाज़ा में कलक्टर ज़िला या असिस्टेंट कलक्टर को जायज़ है कि ज़मीदार या आसामी की दरख़्वास्त पर लगान और क़ीमत वाजिबुल अदा का फ़ैसला करदे और तेदाद उस फ़ैसले की या उस की जो हस्ब दफ़े हाज़ा देने के लिये पेश की गई और मन्ज़ूर की गई हो बज़रये नालिश हस्ब एक्ट हाज़ा बतौर बाक़ियात लगान के वाजिबुल वसूल होगी -

(दाल) अगर कुछ लगान ज़मीदार को आसामी से बर वक़्त उस की बेदख़ली के या फ़तनी हो तो जायज़ है कि फ़सल मज़कूर या और पैदावार की क़ीमत में मुजरा दियाजाय -

दफ़े ४३ (अलिफ़) जहां लगान जिंस की तक़सीम से या फ़स्ल इस्तादह की पैदावार के तख़मीनः या तशख़ीस के तौर पर उसी निहज के और तरीक़े पर लिया जाता है और काश्तकार और ज़मीदार का मौजूद होना बज़ात ख़ुद या बज़रये किसी मुख़्तार के ज़रूरी है -

अगर ज़मीदार या आसामी बज़ात ख़ुद या मारफ़त मुख़्तार के वक़्त मुनासिब पर हाज़िर होने से ग़फ़लत करे या उस तेदाद या मालियत फ़सल की बाबत निज़ाअ हो -

तो अहदुल फ़रीक़ैन दरख़्वास्त कलक्टर ज़िला या असिस्टेंट कलक्टर को बईं इस्तदुआ गुज़राने कि ओहदेदार मुनासिब वास्ते

तक़सीम या तख़मीने या तशख़ीस के मुक़र्रर किया जाय -

(बे) ऐसी दर्ख़ास्त के मौसूल होने पर कलक्टर ज़िला या असिस्टेंट कलक्टर को लाज़िम है कि इत्तला नामा तहरीरी बनाम फ़रीक़ सानी या उसके मुख़्तार के बईमुराद सादिर करे कि बतारीख़ और बवक़्त मुसर्रह इत्तला नामा हाज़िर हो और किसी ओहदेदार को मुतअइयन करे जिस के रूबरू तक़सीम या तशख़ीस अमल में आवे -

(जीम) अगर बतारीख़ मुअइयन या उससे पहले तनाज़ा बाहम दिगर तसफ़िया न पाये तो उसी गांव या क़ुर्ब व जवार के तीन बाशिन्दे पंच मुक़र्रर किये जायेंगे जिनमें से एक एक को हर फ़रीक़ अपनी तरफ़ से मुक़र्रर करेगा और एक को वह ओहदेदार मुक़र्रर करेगा जो ग़ल्ले की तक़सीम या फ़सल के तख़मीने या तशख़ीस के लिये मुतअइयन हुवा हो और वह ओहदेदार मुतअइयनह इस बात का भी फ़ैसला कर देगा कि इन पंचों की तजवीज़ के बमूजिब किस क़दर लगान वाजबुल अदा है -

और फ़रीक़ दर्ख़ास्त कुनिन्दा एक इजाज़त बज़रये तहरीर देगा कि ग़ल्ले की तक़सीम करे या फ़सल को काट ले -

(दाल) मगर शर्त यह है कि अगर कोई फ़रीक़ हाज़िर न हो तो ओहदेदार मुतअइयने ख़ुद उसकी तरफ़ का पंच मुक़र्रर करदे -

(हे) ओहदेदार मज़कूर को लाज़िम है कि अपनी काररवाइयों की कैफ़ियत कलक्टर ज़िले या असिस्टेंट कलक्टर के पास भेजा कि

वह तजवीज़ उस ख़र्च की करे जो हस्ब दफ़े हाज़ा बतौर मुनासिब आयद हो और नीज़ यह कि हर फ़रीक़ को किस क़दर ख़र्चा देना चाहिये -

(जीम) मुआवज़े बाबत तरक़्क़ियात हैसियत आराज़ी के जो आसामियों ने की हों

दफ़े ४८ - अगर किसी आसामी ने या किसी शख़्स ने जिस से उस को विरसा पहुंचा हो या जिससे उसने ख़रीद किया हो अपने क़ब्ज़े की आराज़ी की हैसियत को मुफ़स्सिले ज़ैल कामों में से किसी के करने से बढ़ाया हो तो वह या उसका क़ायम मुक़ाम उस आराज़ी से बिदून इसके बेदख़ल न किया जायगा कि उसको उस हैसियत के बढ़ाने का मुआवज़ा दिया जायगा -

तशरीह - इस दफ़े में लफ़्ज़ आसामी के अंदर ठेकेदार या कट कनेदार शामिल नहीं है - और लफ़्ज़ तरक़्क़ियात हैसियत मुस्तमले दफ़े हाज़ा से वह काम मुराद हैं जिन की ज़रये से आसामी की वह सालाना मालियत जिस पर उसका पट्टा दिया जाय बढ़ गई हो और बरवक़्त मतालबे मुआवज़े के बढ़ती जाती हो - और उसमें यह चीज़ें दाख़िल हैं -

(अलिफ़) तालाब और कुयें और काम वास्ते जमा करने या बहम पहुंचाने या तक़सीम करने पानी के बग़रज़ ज़राअत -

(बे) ऐसे काम जो पानी के निकास के लिये हों या तुग़यानी से ज़मीन को इसलाह पर लाने के लिये या उसको बचाने के लिये

पानी के काट या और तरह के नुक़सान से हो-

(जीम) आराज़ियात को ज़राअत की अग़राज़ के लिये बनाना या साफ़ करना या घेरना-

(दाल) उन कामों में से जिनका ज़िक्र ऊपर हुवा किसी की तजदीद करना या अज़सरे नौ बनाना या उनमें तबदील या अज़दयाद करना-

मावसफ़ उन मरातिब के जो इस से पहले इरक़ाम पाये हैं कोई आसामी जो अज़ क़िसम आसामी बशरह लगान मुअय्यने या आसामी दख़ीलकार न हो मुस्तहक़ न होगी कि बाबत ऐसी शै दाख़िल तरक़्क़ी हैसियत के कुछ मुआवज़े पाये जो इस ऐक्ट के नाफ़िज़ होने के बाद बिला रज़ामंदी ज़मींदार के वक़ूअ में आई हो-

दफ़े ४५ उस मआवज़े के अदा की सबील हस्ब मरज़ी ज़मींदार या उसके क़ायम मुक़ाम के बतौर मुफ़स्सिले ज़ैल हो सकती है-

अव्वलन[1] - बअदाय ज़र नक़द-

सानियन[2] बज़रये लगान के जो आराज़ी पर लगाया जाये-

सालसन[3] - ज़मीन का मुनक़्क़जी पट्टे देने से मिनजानिब ज़मींदार या उसके क़ायम मुक़ाम के आसामी को या उसके क़ायम मुक़ाम को-

राबेअन जुज़न सूरतहाय मज़कूरह बाला में से एक तौर पर या किसी दो तौर पर और जुज़न उन्हीं तरीक़ों में से दूसरे

तरीक़ों पर या और तरीक़े पर-

द.फ़ ४६- अगर इस मुआवज़े की तादाद या मालियत के बाब में जो देने को पेश किया जाय निज़ाय होतो फ़रीक़ैन में से हर एक इख़्तयार रखता है कि कलक्टर ज़िले या असिस्टेंट कलक्टर को दर्ख़ास्त मुतज़म्मिन अमर निज़ाई के गुज़रान कर उस में इस्तद्आ तसफ़िया की करे- बवक़्त वसूल होने ऐसी दर्ख़ास्त के कलक्टर ज़िला या असिस्टेंट कलक्टर को लाज़िम है कि-

(अलिफ़) इत्तलाअनामा बनाम फ़रीक़ सानी जारी करे- और

(बे) शहादत जो तरफ़ैन या कोई उन में से पेश करे-

(जीम) तहक़ीक़ात मज़ीद जो कलक्टर ज़िला या असिस्टेंट कलक्टर के नज़दीक ज़रूरी मुतसव्वर हो अमल में लाये और-

(दाल) तादाद उस ज़र की जो अदा किया जाय और तादाद और सूरत अदा के ज़र लगान की और शरायत पट्टे या ऐसी ही और किसी अमर की तजवीज़ करे-

द.फ़ ४७- बतजवीज़ तैदाद या मालियत मुतज़क्किरह दफ़ा ४६ या शरायत पट्टा कलक्टर ज़िला या असिस्टेंट कलक्टर को लाज़िम है कि इस अमर पर भी लिहाज़ करे कि ज़मींदार ने क्या मदद आसामी को सराहतन बज़रिये ज़र नक़द या सामान या महनत के उन उमूर तरक़्क़ी हैसियत आराज़ी में दी या इस निहज पर कि आसामी को लगान शरह रिआयती पर क़ाबिज़ रहने दिया-

(वाव) हरजा बाबत बेजा अफ़आल और तर्क अफ़आल के-

मुस्तूजिब हो—

(हे) दाख़िल किया जाना ज़र लगान का अदालत में—

दफ़ा ५० — अगर कोई आसामी अपने ज़िम्मे का पूरा ज़र लगान ज़मींदार को देने के लिये पेश करे और वह क़बूल न किया जाये और रसीद उसको फ़ौरन न हवाले कीजाये तो बाद अज़ां आसामी को इख़्तियार है कि वह ज़र मज़कूर बनाम ज़मींदार मुहक्मः कलक्टरी में जमा करने के लिये कलक्टर ज़िला या असिस्टेंट कलक्टर से इजाज़त चाहे—

दफ़ा ५१ दरख़्वास्त बनाम कलक्टर ज़िला या असिस्टेंट कलक्टर जिस क़दर कि मुमकिन हो क़रीब क़रीब बमूजिब नमूने (अलिफ़) मुन्दर्जे ज़मीमे अव्वल मुनासिल के एक फ़ार्म के लिखी जाय और जो क़ायदा कि वास्ते तसदीक़ अर्ज़ी दावा नालिश के क़ायदा मुक़र्रर किया गया है उसके मुताबिक़ तसदीक़ की जावे—

और जो शख़्स कि तसदीक़ करे वह दर सूरते कि उस दरख़्वास्त में कोई ऐसा बयान हो जिसे वह झूठा जानता हो या झूठ बावर करता हो या जिसको वह रास्त न जानता हो या रास्त न बावर करता हो मुस्तूजिब सज़ा का होगा—

दफ़ा ५२ — कलक्टर ज़िला या असिस्टेंट को लाज़िम है कि जो रुपया कि आसामी अमानतन दाख़िल करना चाहे उसे वसूल कर के इत्तलानामा बज़बान इंगरेज़ी या ज़िले की देसी ज़बान में मुताबिक़

मज़मून नमूने (बे) मुनदरजे ज़मीमे अव्वल मुनसिलके एक हा ज़ा या उसके हम मज़मून के उस शख़्स के नाम जारी करे जिस्के वास्ते वह रुपया अमानतन दाख़िल कियागया हो -

और वह अमानत का रुपया तमाम तनाज़आत में जो फ़ीमाबैन ज़मीदार और आसामी के हों ऐसा मुतसव्वर होगा कि गोया आसामी ने ज़मीदार को बाबत लगान के अदा किया -

द.फ़े ५३ - इत्तला नामा मज़कूर उस शख़्स पर जिसके नाम लिखागया हो या उसके मुख़्तार मक़बूलेः पर तहसीलदार की मारफ़त जारी कियाजायेगा अगर वह दोनों मौजूद न हों तो वह इत्तलानामा उस गांव में जहां कि वह आराज़ी वाक़े हो जिसकी नातत लगान वाजिब है चौपाल पर या और मुनज़र आम में चिसपां कियाजायगा -

द.फ़े ५४ - अगर वह शख़्स जिसपर इत्तलानामा जारी किया जाय या उसका मुख़्तार मक़बूलेः किसी वक़्त क़बल इख़्तताम में साल के तारीख़ अमानत से हाज़िर हो और ज़र अमानती के मिलने की दरख़्वास्त करे तो उसके मुताबिक़ उसको अदा किया जायगा बजुज़ उस सूरत के कि बमूजिब उन एहकाम के जो एक्ट हाज़ा में आयन्दा मुनदर्ज हैं वह रुपया वापिस कर दियागया हो या अदा कर दियागया हो -

द.फ़े ५५ - अगर शख़्स मज़कूर या उसके मुख़्तार मक़बूलेः के तरफ़ से दरख़्वास्त न गुज़रे तो ज़र अमानती बाद मुनक़ज़ी होने

तीन साल के तारीख़ अमानत से अमानत कुनिन्दा को वापिस दिया जायगा-

अगर किसी वक़्त क़बल मुनक़ज़ी होने उस मुद्दत के अमानत कुनिन्दा और वह शख़्स जिसके नाम रुपया जमा किया गया-या दोनों शामिल हो कर दर्ख़ास्त गुज़रानें तो मुबलिग़ मज़कूर उस तौर पर अदा किया जायगा जिस तौर पर दोनों चाहें-

द:फ़: ५५ (अलिफ़) अगर बवजह इस्तहक़ाक़ ज़मींदार के या किसी और वजह से दो या ज़ियादा अशख़ास फ़रदन फ़रदन दावा इस्तहक़ाक़ वसूल ज़र लगान का किसी आसामी से पेश करें तो आसामी को इख़्तियार है कि साहब कलक्टर ज़िला या असिस्टेंट कलक्टर के पास दर्ख़ास्त करके इजाज़त वास्ते दाख़िल करदेने कुल ज़र लगान ज़िम्मगी अपने के अदालत में हासिल करे और ऐसा दाख़िल करना लगान का अगर साहब कलक्टर या असिस्टेंट कलक्टर की इजाज़त से हुवा हो तमाम मुबाहसों में जो माबैन ज़मींदार और आसामी के बरपा हों ऐसा समझा जायगा कि गोया आसामी ने ज़मींदार को वही रुपया बाबत लगान के अदा कर दिया साहब कलक्टर ज़िला या असिस्टेंट कलक्टर मजाज़ है कि बाद उस क़दर तहक़ीक़ात के जो ज़रूरी मालूम हो तो तादाद दाख़िल्शुदे की निसबत यह हिदायत करे न मिनजुमले अशख़ास दावीदार ज़र लगान के उस शख़्स को दीजाय जो उसके पाने का मुस्तहिक़

मालूम हो या यह हुकम दे कि ज़र मज़कूर तासदूर फ़ैसले कि
सी अदालत मजाज़ के अमानत में रक्खा रहै -
कोई नालिश बनाम जनाब सेकरटरी आफ़ इस्टेट हिन्द इजलास
कौंसल मुक़ीम लन्दन या बमुक़ाबले किसी और अहलकार
सरकार के उस रुपये की बाबत न हो सकेगी जो इस दफ़े की
मूजिब दाख़िल कर दिया जाय मगर कोई इबारत इस दफ़े की
उस शख़्स की हक़ की मुज़ैयल न होगी जो बाबत वसूल कर
ने रूपये दाद के किसी और शख़्स से जिस को वह दी गई हो
इस्तहक़ाक़ रखता हो -

बाब ३

कुरक़ी

कुरक़ी ५६- पैदावार तमाम आराज़ी की जो किसी आ
सामी के दख़ल में हो उसी आराज़ी के लगान वाजिबुल
अदा की बाबत मकफ़ूल मुतसव्वर होगी और जबतक वह
लगान बेबाक़ न कर दिया जाय कोई दूसरा मतालबा पैदा
वार मज़कूर से बज़रये नीलाम बसीग़े इजराय डिगरी या
और तौर पर वसूल न किया जायगा -
और जब के बाक़ी लगान किसी काश्तकार से वाजिबुलवसूल
हो तो उस शख़्स को जो उससे फ़ौरन लगान पाने का मुस्तहक़
हो इख़्तियार है कि बाक़ी को उस तौर पर जैसा कि ऊपर बयान
किया गया वसूल पाने की नालिश रुजूअ करने के बजाय बज़रये

कुरक़ी और नीलाम पैदावार उस आराज़ी के जिस की बात वह बाक़ी वाजिबुल अदा हो हस्ब क़वाइद मुन्दर्जे बाब हाज़ा वसूल करे-

दफ़े - ५५७ - मगर हमेशा शर्त यह है-

(अलिफ़) कि जब काश्तकार ने ज़मानत अपने क़िस्से की लगान के अदा करने के लिये दाख़िल कर दी हो तो पैदावार उस आराज़ी की जिस के लगान की बाबत ज़मानत दाख़िल की गई हो दाख़िल कुरक़ी न होगी-

कोई हिस्सेदार किसी मुहाल का इख़्तियार इस बात का न रखे गा कि किसी काश्तकार की कुरक़ी करे इल्ला उस सूरत में कि काश्तकार मज़कूर से कुल लगान के तहसील करने का मुस्तहक़ हो-

(जीम) कोई शरीक मुहाल मुशतरके और मुनक़िस्मः का इस इख़्तियार को बजुज़ उसके अमल में न लासकेगा कि जो सरबराहकार मिनजानिब तमाम शुरकाय मुहाल कुल मुहाल के लगान की तहसील का मजाज़ हो उसकी मारफ़त वो इख़्तियार अमल में लाये-

(दाल) लाज़िम है कि मुहालात पट्टीदारी में कुरक़ी सिर्फ़ बमारफ़त नम्बरदार के हो या जिस हालमें कि लगान किसी पट्टी का नंम्बरदार तहसील करता हो तो मारफ़त उस पट्टीदार के कुरक़ी कीजाये जो लगान की तहसील का मुस्तहक़ है-

दफ़े ५८ - कुरक़ी वास्ते ऐसी बाक़ी के जो एक साल से ज़ियादा मुद्दत की बाबत वाजिबुलवसूल हो अमल में न आयगी और न वास्ते वसूल बाक़ी ऐसे ज़र की हो सकेगी जो साल गुज़िशते के उसी आराज़ी के ज़र लगान वाजिबुलअदा से ज़ियादा हो - इल्ला उस सूरत में कि लगान का इज़ाफ़ा एक हाक़िम के - रूबरू बमूजिब मरक़ूमः बाला के बमूजिब या बहुक्म ओहदेदार बन्दोबस्त किया गया हो या उस सूरत में कि काश्तकार ने उस इज़ाफ़े के अदा करने का और इस इक़रारनामे की तसदीक़ क़ानूनगो के रूबरू की गई हो -

दफ़े ५९ - इख़्तयार कुरक़ी का जो अज़रूए दफ़े ५६ व ५७ अता किया गया है सरबराहकारान तहत कोर्ट आफ़ वार्डस और दीगर अशख़ास जो क़ानूनन एहतमाम जायदाद ग़ैरमनक़ूलह रखते हों अमल में लासक्ते हैं -

और नीज़ कारिन्दे जिन को अशख़ास मज़कूरह बाला ने बतहसील लगान मामूर किया हो अमल में लायेंगे बशर्ते कि उस बाब में मुख़्तारनामे की रूसे सराहतन उनको इजाज़त दी गई हो -

अगर कोई ऐसा कारिन्दा नहीं लेः अमल में इख़्तयार मज़कूर के किसी फ़ेल बेजा का मुरतकिब हो तो कारिन्दा मज़कूर और उसका मालिक बिलइन्फ़राद और बिलइश्तराक बाबत फ़ेल मज़कूर मस्तूजिब अदाय हर्जे के होंगे -

दफ़े ६० - जब कोई शख़्स जिसे इख़्तियार कुर्क़ी जायदाद का हस्ब दफ़े ५६ या ५७ या ५८ के हासिल हो किसी मुलाज़िम या और शख़्स को कुर्क़ी के लिये मामूर करे तो उसे लाज़िम है कि उस मुलाज़िम या उस शख़्स को वास्ते कुर्क़ी के एक इजाज़त नामा तहरीरी लिखदे और कुर्क़ी नाम से उसी शख़्स के होगी जो ऐसी इजाज़त दे-

दफ़े ६१ - फ़स्लि इस्तादा और दीगर पैदावार ज़मीन जो कि जमा न की गई और फ़स्लि या और पैदावार जब कि वह काटी गई हो और किसी दायें करने की जगह में या बैठने की जगह में या इसी तरह की और किसी जगह में जमा हो आम इस से कि वह जगह खेत में हो या घर पर वह अशख़ास जिन को इख़्तियार कुर्क़ी का हस्ब यह काम एकहाज़ा दिया गया है कुर्क़ कर सक्ते हैं लेकिन कोई ऐसी फ़स्लि या पैदावार बजुज़ पैदावार उसी ज़मीन के जिसकी बाबत बाक़ी लगान वाजिबुल वसूल हो या पैदावार उस आराज़ी की जो उसी ज़मीन के मुआहदा में शामिल हो और कोई ग़ल्ला या और पैदावार बाद अज़ां कि उस को काश्तकार ने अंबार ख़ाने में जमा किया हो और कोई और माल किसी क़िस्म का लायक़ कुर्क़ी के हस्ब ऐक्ट हाज़ा न होगा-

दफ़े ६२ - जब कुर्क़ी हस्ब ऐक्ट हाज़ा की जाय तो उस से पहले या उसी वक़्त कुर्क़ कुनिन्दा को लाज़िम है कि बाक़ीदार के पास बाबत तेदाद बाक़ी एक मुफ़स्सल तहरीरी मय हिसाब जिससे वह रक़म

कि जिन की बिना पर मुतालबा कियागया हो मुनदरिज हों भिजवाये वह मतालबे और हिसाब अगर मुमकिन हो तो खुद बाक़ीदार के पास पहुंचा दिया जावे और अगर वह मफ़रूर या रूपोश हो और उसके पास पहुंचाना मुमकिन न हो तो वह उस के मिस्कान मामूली पर चिस्पां कर दिया जाये—

द. फ़े ६३ — बजुज़ उस सूरत के कि तैदाद मतालबे की फ़ौरन अदा न की जाये या देने को पेश न की जावे क़ारिक़ को इख़्तियार है कि माल हस्ब मरकूमे बाला जो मालियत में बाक़ी की तैदाद और खर्चा कुरक़ी के बराबर या उसके क़रीब क़रीब हो कुर्क़ करे और एक फ़िहरिस्त या तफ़सील माल मज़कूर की मुरत्तिब करे और उस की एक नक़ल मालिक को दे या दर सूरत उसके ग़ैर हाज़िरी की उसके मस्कन मामूली पर चिस्पां करे—

द. फ़े ६४ (अलिफ़) फ़सिल इस्तादा और पैदावार को जो कि ज़मानत की गई हो बावजूद कुरक़ी के काश्तकार काट कर जमा कर सकता है और ऐसे खलयान या और मुक़ाम में जो कि इस ग़रज़ के लिये अमूमन मुस्तामल हो ज़खीरा कर सकता है—

(बे) अगर काश्तकार इस अमर में ग़फ़लत करे तो क़ारिक़ को लाज़िम है कि फ़सिल या पैदावार मज़कूर को कटवाये या जमा कराये और ऐसी सूरत में उस को उसी खलयान

या और मुक़ाम मज़कूरह बाला में या और किसी जगह क़ुर्ब वजवार में जहां आसानी हो रक्खे-

(जीम) हर एक सूरत में माल मक़रूक़े तहत एहतमाम किसी ऐसे शख़्स के जिसको क़ारक़ ने उस ग़रज़ से मुक़र्रर किया हो-

(दाल) जायज़ है कि फ़सिल या पैदावार जो इस नौअ़ की हो कि जमा कर के रक्खे न जासके वह काटने या जमा करने से पहले इन क़वायद के बमूजिब हो जो बाद अज़ीं बयान किये जायेंगे नीलाम करदी जाय लेकिन ऐसी सूरत में चाहिये कि क़ुर्की अक़ल दरजे बीस दिन पहले उस वक़्त से हो जब के फ़सिल या और पैदावार या और कोई जुज़ उस क़ाबिल लायक़ काटने या जमा करने के होजाये-

दफ़ः ६५- अगर क़ारक़ का मुक़ाबला किया जाये या मज़ाहमत का उसको अन्देशा हो और किसी ओहदेदार सरकारी की मदद हासिल करना चाहे तो उसे इख़्तियार है कि कलक्टर ज़िले या असिस्टंट कलक्टर से दर्ख़ास्त करे और कलक्टर ज़िला और असिस्टंट कलक्टर को जायज़ है कि अगर ज़रूरी तसव्वर करे तो किसी ओहदेदार को क़ुर्क़ी में क़ारक़ की मदद करने के लिये मुतअ़य्यन करदे-

दफ़ः ६६- अगर माल की क़ुर्क़ी के बाद और क़ब्ल उस तारीख़ के जो उसके नीलाम के लिये जैसा कि बाद अज़ीं

बयान किया जायगा मुक़र्रर हो - किसी वक़्त मालिक माल

का ज़र बाक़ी ज़ेर मतालबे और इख़राजात कुर्क़ी अदा कर

ने के लिये पेश करे तो कारक को लाज़िम है कि वसूल कर

ले और फ़ौरन कुर्क़ी को उठाले -

दफ़ै ६७ - किसी फ़सल या पैदावार मक़रूके को

जमा करने की तारीख़ से पांच दिन के अंदर -

या जिस हालमें कि फ़सिल या पैदावार इस नौय की हो कि

जमा करके न रखे जासके तो कुर्क़ी की तारीख़ से पांच

दिन के अंदर -

कारक को लाज़िम है कि उसके नीलाम की दर्ख़ास्त उस ओ

हदेदार मौजूदह व क़ासे करे जिसे लोकल गवर्नमेंट ने उस

तहसील के अंदर जिसमें कि माल मक़रूके वाक़े हो माल

मज़कूर के नीलाम करने की इजाज़त दी हो -

दफ़ै ६८ - दर्ख़ास्त तहरीरी और मुतज़म्मिन मरातिब

ब मुनदरजे ज़ैल के होनी चाहिये -

(अलिफ़) फ़हरिस्त या तफ़सील माल मक़रूके (बे)

नाम बाक़ीदार और उस की सकूनत -

(जीम) तादाद वाजिबुल वसूल और तारीख़ कुर्क़ी और

(दाल) मुक़ाम जिसमें कि माल मक़रूके हो -

दर्ख़ास्त के साथ कारक को चाहिये कि ओहदेदार मज़कूर को

वह रसूम इत्तलाः करे जो बाक़ीदार पर इत्तलाय नामे के जारी

कराने के लिये जैसा कि बादअज़ीं क़ानून हाज़ा में मरकूम है ज़रूरी हो -

द.फ़ा: ६८ - बमुजर्रद पहुंचने दरख़्वास्त के ओहदेदार मज़कूर को लाज़िम है कि एक नक़ल उस्की कलक्टर ज़िलेया असिस्टेंट कलक्टर के पास पहुंचावे - और एक इत्तलाअ नामा बमूजिब नमूनेः (जीम) जुज़ दरजे ज़मीमेः अव्वल मुन्सलिक एक्ट हाज़ा या उसके हम मज़मून उस शख़्स पर जारी करे जिस का माल क़ुर्क़ हुवा हो और उसमें लिखे कि इत्तला नामे के वसूल होने की तारीख़ से पंदरह रोज़ के अंदर ज़रमुतालबा अदा कर दो या बादअज़ां बाज़िआयत मतालबे कलक्टर ज़िले या असिस्टेंट कलक्टर के हुज़ूर नालिश रुजू करो - उसी वक़्त उस को लाज़िम है कि मह्कमः कलक्टरी और कचहरी तहसीली में आवेज़ां होने के लिये एक इश्तहार बतइयुन तारीख़ नीलाम माल मक़रूक़ को जो दरख़्वास्त की तारीख़ से बीस रोज़ से कम फ़ासले पर न हो कलक्टर या असिस्टेंट कलक्टर के पास भेजे और एक नक़ल इश्तहार की उस पियादे के हवाले करे जो इत्तलाअ नामे के इजराय के लिये मामूर हुवा होता कि वह उस जगह उस को आवेज़ां करदे जहां कि माल मक़रूक़ा रखा गया हो

इश्तहार में मरातिब मुफ़स्सिले ज़ैल मुंदर्ज होंगे -

(**अलिफ़**) तफ़सील माल की (**बे**) मतालबा जिस की

दूमुरत में नीलाम किया जायगा (और) मुक़ाम नीलाम

दफ़े ७० अगर बमूजिब इत्तला नामे मज़कूर कल

कर ज़िले या असिस्टेंट कलक्टर के हुज़ूर नालिश रुजू कीजा

ये तो कलक्टर ज़िले या असिस्टेंट कलक्टर को लाज़िम है कि

एक सारटीफ़िकट रुजू नालिश मज़कूर का ओहदेदार मु

ज़क्किरह दफ़े ६७ के पास भेजे और अगर दरख़ास्त की गई हो

तो मालिक मारूफ़ मकरूक़े को हवाले करे—

जब वह सारटीफ़िकट ओहदेदार मज़कूर के पास पहुंचे या

उसके रूबरू पेश किया जाय तो उसे लाज़िम है कि नीला

म को मुलतवी रक्खे—

दफ़े ७१—जिस शख़्स का माल हस्ब मरक़ूमे बाला

कुर्क़ किया गया हो उसे जायज़ है कि क़ारक़ के मतालबे की

नावाजबियत की नालिश कुर्क़ी के बाद फ़ौरन और इत्तला

नामा नीलाम के जारी होने से पहले रुजू करदे—

जब वह नालिश रुजू हो तो कलक्टर ज़िला या असिस्टेंट क

लक्टर को लाज़िम है कि मुताबिक़ क़ायदे मुसर्रह दफ़े मासब

क़ के अमल करे—

अगर उसके बाद दरख़ास्त नीलाम की ओहदेदार मज़कूर को

दी जाये तो उसे लाज़िम है कि नक़ल इस दरख़ास्त की कलक्टर

ज़िले या असिस्टेंट कलक्टर के पास भेजे और कार रवाई

नीलाम को तासदूर फ़ैसले मुक़द्दमे मुलतवी रक्खे—

दफ़े ७२ - जिस शख़्स का माल क़ुरक़ किया गया हो उसे इख़्तियार है कि बर वक़्त रुजू य नालिश मुतज़क्किरह बाला के या उसके बाद एक इक़रारनामा ज़मानत वास्ते अदाय उस ज़र के जो उसपर वाजिबुल अदा तजवीज़ किया जाय और वास्ते अदाय सूद और ख़र्चे नालिश के लिख दे -

जब इक़रारनामे की तकमील हो जाय तो कलक्टर ज़िले या असिस्टेंट कलक्टर मालिक माल को सारटीफ़िकट उसी मज़मून का हवाले करे और अगर दरख़्वास्त की जाय तो उसकी इत्तला क़ारक़ को पहुंचा दे -

जब वह सारटीफ़िकट मालिक माल क़ारक़ के रूबरू पेश करे या उस पर कलक्टर ज़िले या असिस्टेंट कलक्टर के हुक्म से जारी किया जाय तो माल मक़रूक़े क़ुरक़ी से वागुज़ाश्त किया जावेगा -

दफ़े ७३ - तारीख़ मुक़र्रह मुनदर्जे इश्तहार नीलाम को या उसके क़बल अगर सारटीफ़िकट रुजू नालिश नावाजिबियत मुतालबे क़ारक़ का ओहदेदार मज़कूर के पास हस्ब मज़कूर बाला न भेजा गया हो तो उस ओहदेदार को लाज़िम है कि अगर ज़र मुतालबे मय ख़र्चे क़ुरक़ी के जो कि वह तजवीज़ करे क़बल न अदा कर दिया जाय तो उस माल व या उसके जुज़व को जिसके नीलाम की ज़रूरत ज़र मुतालबे और ख़र्चे क़ुरक़ी और नीलाम के ईफ़ा के

लिये हो मुताबिक़ उस तरीक़े के जो एक हाशिया में बाद अज़ाँ बयान किया जाता है नीलाम करदे-

द: फ़: ७४ - नीलाम उस जगह होगा जहां माल मक़रूक़ रक्खा गया हो या वहां से क़रीब तर किसी मुक़ाम मुरुव्वजे आम में होगा दर सूरते के ओहदेदार मज़कूर की यह राय हो कि वहां उस्को नीलाम करने से ज़ियादा फ़ायदा होगा- माल बतौर नीलाम आम के एक या कई लाट में जिस तौर पर कि ओहदेदार नीलाम कुनिन्दा तजवीज़ करे नीलाम किया जायगा- और मतालबा मय ख़र्चे कुर्क़ी और नीलाम के माल के किसी जुज़्व के नीलाम से वसूल हो जाय तो कुर्क़ी फ़ौरन बाक़ी माल की बाबत उठा ली जायगी-

द: फ़: ७५ - अगर बर वक़्त नीलाम माल वाजबी क़ीमत (बक़्यास ओहदेदार नीलाम कुनिन्दा) न बोली जाय और मालिक माल या और शख़्स जो उस्की तरफ़ से अमल करने का मजाज़ हो नीलाम को दूसरे दिन या दूसरे बाज़ार के दिन तक जिस हाल में कि नीलाम के मुक़ाम पर बाज़ार होता हो मुलतवी रखने की दरख़्वास्त करे तो नीलाम यूम मज़कूर तक मुलतवी रक्खा जायगा और उस वक़्त जो क़ीमत कि उस माल की बोली जाय उसी पर ख़तम किया जायगा-

द: फ़: ७६ - क़ीमत हर लाट की बज़र बेज़र नक़द बर

यक़ नीलाम या उसके बाद जिस क़दर जल्द कि ओहदेदार नीला
म कुनिन्दा ज़रूरी तसव्वुर करे अदा करनी होगी- अगर इसतौरपर
न अदा कीजाय तो माल फिर नीलाम किया जायगा और कमीज़र
समन (अगर कुछ हो) जो नीलाम सानी से वाक़ै हो मये कुल इख़
राजात नीलाम सानी हस्ब दरख़ास्त कारक़ू या मालिक जायदा
द उन क़वायद के मुताबिक़ बाक़ीदार से वसूल किया जायगा
जो आयनदा वास्ते तामील डिगरी ज़र लगान के मुनदर्ज हुये हैं-
जब ज़रसमन नीलाम पूरा अदा कर दिया जाये तो ओहदेदार नी
लाम कुनिन्दा को लाज़िम है कि ख़रीदार को एक सारटीफ़िकट
बतसरीह माल के जो उसने ख़रीद किया हो और बतसरीह की
मत के जो उसने अदा की हो अता करे-

द.फ़: ७७- जो नीलाम माल मक़रूक़ै हस्ब एक़दाज़ा
हो उसके ज़रसमन से ओहदेदार नीलाम कुनिन्दा बहिसाब फ़ी
रुपये एक आने बाबत ख़र्च नीलाम के वज़ै करके उस रुपये
को जो इसतौर पर वज़ै किया गया कलक्टर ज़िला या असिस्टें
ट कलक्टर के पास भेज देगा-

बाद अज़ां वह ओहदेदार कारक़ू को इख़राजात कुरक़ी और
इजराय इत्तला नामा और इश्तहार नीलाम महकूमे: दफ़े ६८
उस हिसाब से अदा करेगा जो बाद मुआयना कैफ़ियत इख़रा
जात गुज़रानीदह कारक़ू के ज़ब्ते ताविस्त में मुनासिब हो-
बाक़ी ज़रसमन नीलाम उस बाक़ी के हिसाब में जिसकी कुर्क़ी

कि वह हुक्म ओहदेदार के पास पहुंचे वह ओहदेदार दूसरा इश्तहार बक़ायदा मुतज़क्किरह दफ़ै ६९ के मुश्तहर करेगा और उसमें वास्ते नीलाम माल मक़रूक़ के एक और तारीख़ जो इश्तहार की तारीख़ से पांच दिन के अंदर या दस दिन के बाद न होनी चाहिये मुक़र्रर करेगा -

अगर तैदाद मज़ौबज़ह मय खर्चे क़ुरक़ी न अदा किया जाये तो ओहदेदार मज़कूर हस्ब क़ायदे मरक़ूमे बाला माल का नीलाम करेगा -

दफ़ः ८२ - (अलिफ़) तमाम नालशात में जो बाबत नावाजिबियत मतालबे क़ुरक़ के रुजू हों क़ुरक़ को हुक्म दिया जायगा कि बाक़ी को उसी तौर पर साबित करे कि गोया खुद उसने नालिश वास्ते उस तैदाद के मुताबिक़ उस रह काम के रुजू की थी जो बाद अर्ज़ी मुन्दरिज है -

(बे) अगर मतालबे या कोई जुज़ उसका वाजिब तजवीज़ किया जाय तो कलक्टर ज़िला या असिस्टेंट कलक्टर डिगरी उसी तैदाद की बहक़ क़ुरक़ सादर करेगा और तैदाद मज़कूर अज़ रुए नीलाम माल बहस्ब मरक़ूम दफ़ै मुतहक़े बाला जिस हाल में क़ुरक़ की न अदाई गई हो वसूल की जायगी -

अगर बाद उस नीलाम के कुछ और बाक़ी वाजबुल वसूल रहे तो बाक़ीदार की ज़ात और दीगर माल पर डिगरी के जारी करने से वसूल की जायगी - अगर माल ज़मानत पर वागुज़ाश्त किया

खता हो तो डिगरी बाक़ीदार और उसके ज़ामिन के ज़ात और माल पर जारी की जायगी -

(जीम) अगर क़ुरक़ी का बेजा और बनज़र ईज़ारेसानी अमल में आना तजवीज़ किया जाय तो कलक्टर ज़िला या असिस्टेंट कलक्टर सिवाय हुक्म वागुज़ाश्त माल मक़रूक़ के बक़दर हरजा मुद्दई के हक़ में तजवीज़ करेगा जो बहस्ब हालात मुक़द्दमे ज़रूरी हो -

द. फ़ः ८३ - (अलिफ़) अगर कोई शख़्स यह दावा करे कि जो माल बइल्लत बाक़ीलगान के किसी और शख़्स के क़ुर्क़ किया गया है वह मेरा है तो दावीदार को लाज़िम है कि नालिश बनाम कारक़ और उस दूसरे शख़्स के बग़रज़ तजवीज़ हक़ीयत माल उसी तौर पर और उन्हीं शरायत लता ल्लुक़े तारीख़ रुजू नालिश और दूल तवाद नीलाम के पाबन्दी के साथ रुजू करे जिस तौर पर वह शख़्स जिसका माल बइल्लत दावी बाक़ी लगान वाजिबुल वसूल के क़ुर्क़ हुवा हो नालिश वा जाबेयत मताल के की करसकता है -

(बे) जब ऐसी नालिश रुजू की जाय तो वाजिब है कि वह माल बक़दर उसकी मालियत के जमानत दाख़िल होने पर वागुज़ाश्त किया जाय -

(जीम) अगर दावी ख़ारिज हो तो कलक्टर ज़िला या असिस्टेंट कलक्टर हुक्म देगा कि वास्ते हरजा के फ़ी क़ारक़ के

नीलाम मज़कूर हरजे दिला पाने के लिये हस्बे एक्ट हाज़ा रु
जूअ़ करे

दफ़ः ८६ – जिस शख़्स को माल की कुरक़ी का इख़्तिया
र है या उस ग़रज़ के लिये हस्ब इजाज़त तहरीरी के किसी
शख़्स ज़ी इख़्तियार की तरफ़ से मामूर हो वह अगर वास्ते
वसूल याबी ज़र लगान के – जिस का वाजिबुल वसूल होना
बयान किया जाये बजुज़ मुताबिक़ त एह काम एक्ट हाज़ा और
तौर पर किसी माल की कुरक़ी या नीलाम कराये –
या अगर माल मक़रूक़े इस वजे: से गुम या जाय या तलफ़
हो जाये कि क़ारक़ ने उस की निगहदाश्त और हिफ़ाज़त की एह
तयात मुनासिब न की – या जिस हाल में कि ग़रज़ रूय किसी
हुक्म एक्ट हाज़ा के कुरक़ी को उठा लेना चाहिये फ़ौरन कुर
क़ी न उठा ली जायगी –
तो मालिक माल को इख़्तियार है कि नालिश हस्ब एक्ट हाज़ा
वास्ते वसूल याबी हर्जे किसी ज़रर के जो किसी फ़ेल या तर्क
फ़ेल मुन्दर्जे: जुज़्व अव्वल दफ़े हाज़ा से हुवा हो रुजू करे –
दफ़ः ८७ – अगर कोई शख़्स जिस को हस्ब दफ़े ५६ या
५७ या ५८ के इख़्तियार कुरक़ी का न हो या उस ग़रज़ के लिये
किसी शख़्स ज़ी इख़्तियार ने इजाज़त तहरीरी की रू से उस
को मामूर न किया हो किसी माल को बहीले एक्ट हाज़ा फ़रेबन
कुरक़ या नीलाम करे या नीलाम कराये तो मालिक माल –

मज़कूर को जायज़ है कि नालिश हस्ब एक हाज़ा उस शख़्स से हर्जे दिला पाने के लिये बाबत उस नुक़सान के रुजूअ करे जो कि मुद्दई को उस कुरक़ी या नीलाम से हुवा हो –
और मुद्दआ अलैह मुरत किब मदाख़लत बेजा मुजरमाने का मुतसव्वर होगा और मूजिब उस जुर्म के तावानात मुकर्ररह मजमूए ताज़ीरात हिन्द का अलावा उस हर्जे के होगा जो कि उस से उस नालिश में दिलाया जावे –

दफ़ै ८८ – मगर शर्त यह है कि जो नालिश तीन दफ़आत मुलहक़े बाला में से किसी के बमूजिब रुजूअ की जावे वह उस मियाद के अंदर शुरू हो जो कि दफ़ै ९४ में लिखी गई –

दफ़ै ८९ (अलिफ़) अगर कोई शख़्स मज़ाहम ऐसी कुरक़ी माल का हो जो कि एक हाज़ा के बमूजिब हस्ब ज़ाब्ते की जाय या माल मक़रूक़े को बज़ोर या ख़ुफ़या निकाल ले जावे तो कलकटर ज़िला या असिस्टंट कलकटर मुहतमिम हिस्से ज़िले को जायज़ है कि अगर नालिश पन्द्रह यूम के अंदर मज़ाहमत या निकाल ले जाने की तारीख़ से की जाये शख़्स मुलज़िम को जिस क़दर जलद मुमकिन हो गिरफ़्तार करा के अपने रूबरू हाज़िर कराये और कलकटर ज़िले या असिस्टंट कलकटर को यह भी लाज़िम है कि अगर मुमकिन हो तो मुक़द्दमे की तजवीज़ जलद शुरू करे –
(बे) अगर मुक़द्दमे की समाअत फ़ौरन न हो सकती हो तो

कालकर ज़िला या असिस्टंट कलक्टर को बशर्ते सवाब दीद इख़्तियार है कि शख़्स गिरफ़्तार शुदः से हाज़िर ज़ामनी ले और अगर वह हाज़िर ज़ामनी दाख़िल न की जाय तो तावक़्त तजवीज़ मुकद्दमे जेलख़ाने दीवानी में क़ैद करे—अगर जुर्म साबित हो और मुजरिम मालिक माल मुतअल्लक़ै मुक़द्दमे का हो तो कलक्टर ज़िला या असिस्टंट कलक्टर उस को छै महीने तक जेलख़ाने दीवानी में क़ैद रखने का हुक्म देगा या उस वक़्त कि कुल बाक़ी वाजबुल वसूल या फ़तनी कारक़ मय तमाम इख़राजात और ख़र्चा मुक़द्दमे के क़बल मुनक़ज़ी होने उस मियाद के अदा न की जाय या बमूजिब वारंट कलक्टर ज़िले या असिस्टंट कलक्टर के उस मुजरिम के माल की कुरक़ी और नीलाम से वसूल न हो जावे—

(दोयम) अगर मुजरिम मालिक माल का न हो तो उसे लाज़िम होगा कि कारक़ को उस की मालियत भर दे और अलावे उसके मस्तूजब जुरमाने का होगा जो सौ रुपये से ज़ियादा न हो अगर उसके अदा करने में क़ासिर हो तो जेलख़ाने दीवानी में उस मुद्दत तक कि दो महीने से ज़ियादा न हो क़ैद रखा जायगा—

दफ़ः ८० तमाम कार्रवाइयां ओहदेदारों की जो हस्ब एक्ट हाज़ा कुरक़ी करें या कारक़ की मदद करें या नीलाम करें लायक़ नज़रसानी और हुक्म कलक्टर ज़िले या असिस्टंट कलक्टर मुहतमिम हिस्से ज़िले के होगी—

जब ऐसी किसी सूरत में मुजरिम मौजूद न हो तो कलक्टर ज़िला या असिस्टेंट कलकटर जवाब दिही के लिये उसके नाम समन जारी कर सकता है अगर बाद इस्बजाबते जारी होने समन के भी वह हाज़िर न हो तो वारंट उसकी गिरफ़तारी का जारी करे—

बाब-५-
इख़्तियार अदालतों का

दफ़े ९३- बजुज़ इसके कि अपील के तौर पर हो जैसा कि एक हाज़ा में बाद अज़ीं मुक़र्रर किया गया है कोई अदालत अलावे: मह्कमे: जात माली के किसी निज़ाअ या मुआमले की समाअत न करेगी जिसमें कोई नालिश नौइयत मुन्दर्ज़ै दफ़े हाज़ा की उसके रूबरू पेश की जाय और ऐसी नालिशात की समाअत और तजवीज़ मह्कमे: जात माली मज़कूर में उसी तौर पर अमल में आयेगी जैसी दिस ऐक्ट हाज़ा में हुक्म है इस तौर पर—

(अलिफ़) नालिशात बाबत बाक़ियात आराज़ी के या जहां लगान बज़रिये जिंस दिया जाना हो तो नालिश बाबत ज़र मआवज़े लगान मज़कूर या बाबत किसी हक़ूक़ चराई या हक़ूक़ जंगल या शिकार माही वग़ैरा के—

(बे) नालिशात बमुराद बेदख़ली आसामी बइल्लत किसी फ़ेल या तर्क फ़ेल के जो बमूजिब नुक़सान उस आसामी की आराज़ी मक़बूज़े का हो या मुग़ायर उस ग़रज़ के हो जिसके लिये

वह आराज़ी पट्टे पर दीगई थी -
(जीम) नालिशात बग़रज़ तनसीख़ पट्टे ब इल्लत नुक़्स किसी शर्त के जो आसामी पर वाजबुल इबताअ हो और जो अज़रूय क़ानून या रिवाज या मुआहदे ख़ास मुक़्तज़ी फ़िस्ख़ पट्टे की हो -
(जीम जीम) नालशात बाबत पाने ज़रमुआवज़े या मुआसर सुमानअत किसी फ़ेल या तर्क फ़ेल या नुक़्स आहद मुन्दर्ज़ फ़िक़रह ज़िमन (बे) या ज़िमन (जीम) के -
(दाल) नालशात बग़रज़ वसूल बाक़ी उस ज़र लगान के जो तेदाद मुअइयन से ज़ियादा लिया गया हो या बग़रज़ दिला पाने हरजे के हस्ब दफ़े ४८ या ४९ -
(हे) नालशात बग़रज़ दिला पाने हरजे के जो अदा कियेहुये लगान की रसीद न देने से हो -
(वा) नालशात बनाराज़ी इस्तेमाल इख़्तियारात कुरक़ी के जो ज़मीदारों वग़ैरा को हस्ब ऐक्ट हाज़ा मुफ़ौविज़ किये गयेहैं या बनाराज़ी किसी अमर के जो इख़्तियारात मज़कूर के अमलमें लाने के हीले से किया गया हो या वास्ते हरजे बेजा अफ़आल या तर्क अफ़आल किसी क़ारक़ के -
(ज़े) नालशात जो मिनजानिब नम्बरदार बाबत नाकियात माल गुज़ारी सरकार जो उसके ज़रिये से उन हिस्सेदारों की तरफ़ से वाजबुल अदा हो जिनकी जानिबसे वह माल

गुज़ारी अदा करता हो और बाबत दूखराजात देह और दी गर मताल्बे जात के जिनके वह शुरका ज़िम्मे दार हो कि नम्बर दार को अदा किया करे -

(जे) नालशात मिन्जानिब शुरका मुन्दर्जे रजिस्टर बाब त उनके हिस्से मुनाफ़े मुहाल के या उसके किसी जुज़ वकी बा द अदाय माल गुज़ारी सरकार और दूखराजात देही या बाबत तसे फ़िये हिसाब के -

(लाम) नालशात मिन्जानिब मुआफ़ीदारान वग़ैरहके द रबाब माल गुज़ारी सरकार के जो उनको बमनसब मुआफ़ीदारी वाग़ैरह जारी होने के वाजिबी हो -

(मीम) नालशात मिन्जानिब तअल्लुके दार और दीगर बाला तर मालकान अराज़ी के बाबत बाक़ियात माल गुज़ारी के जो उनको बमनसब मज़कूर वाजिबी हो -

(काफ़) नालशात अज़ तरफ़ शुरकाय मुन्दर्जे रजिस्टर नंब रदार बग़रज़ वसूल बाक़ी नक़ाया माल गुज़ारी के शरीक बा क़ीदार से जो बक़ाया उन्होने बाक़ीदार मज़कूर के तरफ़ से अदा किया हो -

दफ़े ९४ - नालशात वसूल याबी बाक़ीज़रलगान या माल गुज़ारी या हिस्से मुनाफ़े मुहाल या दूखराजात देह या दी गर मताल बेजात की तीन साल के बाद उस तारीख़ से रुजूअ नहीं हो सकती हैं कि जिस तारीख़ में बाक़ी या हिस्से मुनाफ़े

बाजबुल वसूल हुवा हो-

नालश मुतअल्लके क़ुरकी जिसमें कोई उज्र निसबत न.फ़ा मताल बे या अग़राज़ तमलीक़ दस्तहकाक़ मिल्कियत के न हो तिनाय नालिश की तारीख़ से तीन महीने के बाद रुजू नहीं हो सकती हैं-

तमाम दीगर नालशात उस तारीख़ से कि हक़ मुतदाविया पैदा हुवा हो एक साल के अंदर रुजू हो सकती हैं-

इल्ला उस हाल में कि एक्ट हाज़ा में कोई और हुक्म ख़ास मरकूम हो-

वह तारीख़ जिसमें बाक़ियात वाजबुल अदा हों या वह तारीख़ जिसमें हक़ नालिश पैदा हुवा हो यानी जैसी कि सूरत हो मियाद समाअत मुक़र्ररह दस्त दफ़े हाज़ा में महसूब न होगी इस सूरत न होने किसी इक़रार सरीह बाहम शुरका और न होने किसी हुक्म मसदरह हाकिम बन्दोबस्त व मुतअल्लके एक्ट मालगुज़ारी आराज़ी मुमालिक मग़रबी व शुमाली मसदरह सन १८७३ ई० मह.कूमे दफ़े ६५ ज़िमन (जे) के हुक्काम बोर्ड मजाज़ होंगे कि वक़्तन फ़ौक़तन बमनज़ूरी साक़बल लोकल गवरमेंट क़वायद की रू से वह तवारीख़ मुक़र्रर कर दें जिन पर उस हाय मुनाफ़े नमनदरहा में तक़सीम किये जाया करें

द: ६५- कोई अदालत बजुज़ मह.कमे जात मा के किसी निज़ाअ का मआमले की समाअत न करेगी

बाबत कोई दरख़ास्त नौइयत मुनज़्क्किरह द॰ फ़ै॰ हाज़ा की गुज़रानी जाये और उन दरख़ास्तों की समाअत वतजवीज़ महक्मे जात मज़कूर में बक़ाचदे महकूमे: एक हाज़ा होगी न दूसरे तौर पर-

(अलिफ़) दरख़ास्त तजवीज़ नौइयत और क़िस्म हक़ीयत आसामी हस्ब द॰ फ़े॰ १०-

(बे) दरख़ास्त ज़मीदार या उसके कारिन्दे की पटवारी से हिसाब मुतअल्लक़ आराज़ी जबरन पेश कराने के लिये-

(जीम) दरख़ास्त ज़बती आराज़ियात मुआफ़ी लगान हस्ब द॰ फ़े॰ ३० या तशख़ीस लगान आराज़ी की जो पेशतर लगान से मुआफ़ हो-

(दाल) दरख़ास्त ज़मीदार की आसामी को बेदख़ल कराने के लिये हस्ब द॰ फ़े॰ ३५ या बाबत सादिर और जारी कराने इत्तलाअ़नामे बेदख़ली के हस्ब द॰ फ़े॰ ३८-

(हे) दरख़ास्त मदख़ले आसामी हस्ब द॰ फ़े॰ ३९-

(वाव) दरख़ास्त ज़मीदार की हस्ब द॰ फ़े॰ ४० वास्ते इमदाद बेदख़ली आसामी के-

(ज़े) दरख़ास्त आसामी या ज़मीदार की वास्ते तजवीज़ मालियत किसी फ़सिल इस्तादः या पैदावार आराज़ी के जो ज़मान की गई हो और वह आसामी का माल हो और बरवक़्त उस की बेदख़ली हस्ब द॰ फ़े॰ ४२ के उसी आराज़ी पर जिस्से कि वह बेदख़ल

किया जाय मौजूद हो-

(हे) दरख्वास्त ज़मींदार की वास्ते तजवीज़ करने लगान उस आराज़ी के जिसको आसामी फ़ासिल की निगरानी या तबे करने के लिये मुस्तेमल करे हस्व दफ़े ४२-

(तोय) दरख्वास्त ज़मींदार या आसामी की वास्ते इमदाद इस अमर के कि हस्व दफ़े ४२ फ़ासिल इस्तादः की तक़सीम या तशख़ीस मालियत की जाय-

(ये) दरख्वास्त ज़मींदार या आसामी की वास्ते तजवीज मआवज़ा अमूर तरक़्क़ी हैसियत आराज़ी के-

(काफ़) दरख्वास्त आसामी की बइस्तजाज़त अमानतन दाख़िल करने लगान के-

(लाम) दरख्वास्त इज़ाफ़े लगान या तशख़ीस लगान-

(मीम) दरख्वास्त मआवज़ेः बेदख़ली नाजायज़ की-

(नून) दरख्वास्त बग़रज़ दिला पाने दख़ल उस आराज़ी के जिससे कि आसामी बतौर नाजायज़ बेदख़ल की गई हो-

(सीन) दरख्वास्त तख़फ़ीफ़ लगान की-

(ऐन) दरख्वास्त बमुराद मिलने पट्टे या क़बूलियत के और बग़रज़ तसफ़िये शरह लगान के जिस पर कि पट्टा या क़बूलियत दी जाय-

(फ़े) दरख्वास्त हस्व दफ़े ७ वास्ते जुदा कर पाने जोत किसी आसामी साक़ितुल मालकियत के-

(स्वाद) दर्खास्त हस्ब दफ़े २२ (अलिफ़) बाबत पैमाइश आराज़ी -

(ज़ाद) दर्खास्त हस्ब दफ़े २३ (अलिफ़) वास्ते नाजायज़ क़रार दिये जाने इत्तलाअ नामे तर्के आराज़ी के -

(ते) दर्ख़ास्त वास्ते निकालने अमानत से एक तैदादज़ो दफ़े १५ (अलिफ़) के मुताबिक़ अमानत रक्खी गई हो बग़रज़ हुसूल मक़ासिद एक्ट रसूम अदालत मसदरह सन १८७० ई० तैदाद रसूम की जो सूरत हाय मुतज़क्किरह ऐन माबाद में वाजबुल अख़ज़ होगी हस्ब ज़ैल महसूब की जायगी -

(१) दर्ख़ास्त हाय मुतअल्लक़े ज़िमन (जीम) में और उन अपीलों में जो बनाराज़ी ऐसे एहकाम के रजूअ किये जावें जो दर्ख़ास्त हाय मुतअल्लक़े ज़िमन मज़कूर पर सादिर हों उसी हिसाब से कि जिस हिसाब से इस आराज़ी की दख़लयाबी की नालिश से वाजिबुल अख़ज़ हुई है जिस्से कि दर्ख़ास्त या अपील मज़कूर को तअल्लुक़ है -

(२) दर्ख़ास्त हाय मुतअल्लक़े ज़िमन (लाम) व (नून) व (सीन) व (ऐन) में और इन अपीलों में जो बनाराज़ी एस एहकाम के रजूअ किये जायें जो दर्ख़ास्त हाय मुतअल्लक़े ज़िमन हाय (दाल) व (हे) व (वाउ) व (लाम) व (नून) व (सीन) व (ऐन) व (फ़े) व (क़ाफ़) पर सादिर हों एसे ज़र लगान के लिहाज़ से जो इस आराज़ी की निसबत जिससे दर्ख़ास्त

या अपील मज़कूर को तअल्लुक़ है तारीख़ पेशी दरख़ास्त के ऐन साल या क़ब्ल की बाबत वाजिबुल अदा हो या अगर किसी नालिश में ज़र रसूम इस तौर पर महसूल न हो सके तो उस अराज़ी के इस मुहासिल सालाने के लिहाज़ से जो तेदाद के दरख़ास्त कुनिन्दा या अपीलांट ने जैसी सूरत हो तख़मीनन क़रार दिया हो -

(इ) दरख़ास्त हाय मुतअल्लिक़े ज़िमन (मीम) में और ऐसे हुक्मों की नाराज़ी से अपीलों में दरख़ास्त हाय मुतअल्लिक़े ज़िमन (ये) व (मीम) व (रे) पर सादिर हों ज़र दावी मुन्दरजे दरख़ास्त या मुन्दरजे सवाल अपील के लिहाज़ से जैसी सूरत हो -

द० फ़ः ९५ - (अलिफ़) जब किसी दरख़ास्त पर जो इस एक्ट के मुताबिक़ गुज़री कोई हुक्म सादर हो कोई हुक्मनामे वास्ते इजराय हुक्म मज़कूर के ऐसी दरख़ास्त पर जारी न किया जायगा जो हुक्म मज़कूर की तारीख़ से एक बरस के गुज़रने के बाद गुज़रे इल्ला उस सूरत में कि इस एक्ट में कोई और शर्त ख़ास इसके ख़िलाफ़ हो -

द० फ़ः ९६ - (अलिफ़) तमाम दरख़ास्तें हस्ब द० फ़े ९५ उस ज़िले में गुज़रनी चाहियें जिस ज़िले में कि आराज़ी या फ़सिल या पैदावार मुतज़क्किरह दरख़ास्त वाक़े हो -

(ब) तमाम एह काम जो हस्ब द० फ़े ९५ दरख़ास्तों पर सादर हों

उनका सबूत उसी तौर पर हो और जब सबूत को पहुंचें तो वैसा ही असर रखेंगे जैसा फ़ैसला ज़ात अदालत दीवानी सादिर किये जाते हैं और असर रखते हैं -

(मीम) उन सूरतों में जब कि खाल मुबलिग़ ज़र वाजिबुल अदा क़रार दिया जाय या खर्चा या हरजा दिलाया जाय तो तमाम एह काम की तामील बज़रिये हुक्मनामे के होगी जो बक़ाया लगान या मालगुज़ारी के वास्ते मुस्तेमल होता है -

(नून) जिन मुक़द्दमात में कि क़ब्ज़े जायदाद ग़ैर मनक़ूले का दिलाना तजवीज़ किया गया हो उनमें ओहदेदार सादर कुनिन्दा फ़ैसले को जायज़ है कि क़ब्ज़ा उसका वे से और इन्हीं इख़्तयारात मुतअल्लिक़े तौहीन और मज़ाहमत वग़ैरा के साथ दिलाये जो कि क़ानूनन अदालतहाय दीवानी अपनी डिगरियों के इजराय में अमल में ला सकती हों -

(हे) दरख़्वास्तें मुतअल्लिक़े ज़िमन हाय (मीम) और (नून) दफ़े ५५ की तारीख़ बेदख़ली लाज़िम सज़ है छै मह होने के बाद रुजूअ न हो सकेंगी -

दफ़ा: ९६ (अलिफ़ अलिफ़) जायज़ है कि तमाम नालिशात और दरख़्वास्तें जो इस एक्ट के मुताबिक़ गुज़रें बरज़ामंदी फ़रीक़ैन मुताबिक़ दफ़ आत २२० लग़ायत २३१ एक्ट मालगुज़ारी अराज़ी मुमालिक मग़रबी व शुमाली मसदरे सन १८७३ ई० सालसों को सुपुर्द की जावें -

द॰फ़ : ९७ - लोकल गवर्नमेंट को इख़्तियार है किसी ओहदे-दार को इख़्तियारात असिस्टेंट कलक्टर दरजे अव्वल या दरजे दोयम के हस्ब एहकाम मुफ़वज़ करे और किसी वक़्त उन इख़्तियारात को लेले -

द॰फ़ : ९८ - असिस्टंट कलक्टर दरजे अव्वल या दरजे दोयम अपने ओहदे के मनसब से इख़्तियार नज़्फ़ नालशात और दरख़्वास्तहाय ज़ैल का रखेगा -

(अलिफ़) नालशात बाबत बाक़ीयात लगान या बाबत ज़र मुआवज़े लगान बाबत आराज़ी या बाबत हक़ चराई मवेशी या हक़ूक़ जंगल या शिकार माही वगैरा के -

(बे) नालशात हरजे न देने रसीद ज़र लगान अदा शुदे की -

हस्ब द॰फ़े ४९ -

(जीम) नालशात बेजा अमल में लाने इख़्तियारात क़ुरक़ी के जो ज़मींदार वग़ैरा को हस्ब एहकाम दिये गये हैं -

या ऐसी अमर की जो इख़्तियारात मज़कूर के अमल में लाने में किया गया हो या हरजा बेजा अफ़आल या तर्क अफ़आल कारकुन की -

(वाउ) नालशात नम्बरदार की बाबत बाक़ियात मालगुज़ारी सरकार जो उस की मारफ़त इन शुरका पर वाजिबुल-अदा हो जो उसकी मारफ़त अदा करते रहे हों और बाबत इख़राजात देही वग़ैरा मतालबेजात के जिनका अदा करना नंबरदार को

उन मुरका के ज़िम्मे हो -

(हे) नालशात मुआफ़ीदारान या अतये दारान माल गुज़ारी सरकार की बाबत बाक़ियात माल गुज़ारी के जो उन को वह मनसब मुआफ़ीदारी या अतये दारी के मिलनी चाहिये -

(वाउ) नालशात ठेकेदारों या दूसरे माल का आला की बाबत बाक़ियात माल गुज़ारी जो उन को उस मनसब से वाजबुल अदा हो -

(ज़े) दरख़्वास्त ज़मीदार या कारिन्दा मामूरह ज़मीदार को पटवारियों का हिसाब जबरन पेश कराने के लिये -

(हे) दरख़्वास्त आसामी या ज़मीदारी की वास्ते तजवीज़ मालियत किसी फ़सिल हस्ब दफ़े के या पैदावार आराज़ी के जो जमा न की गई हो - और वह माल बर वक़ उस्की बेदख़ली के उसी आराज़ी पर जिससे आसामी बेदख़ल की जाये मौजूद हो हस्ब दफ़े ४२ -

(तोय) दरख़्वास्त ज़मीदार की वास्ते तजवीज़ करने तेदाद लगान के जो ऐसी आसामी को वाजबुल अदा हो कि फ़सिल की निगरानी या जमा करने की ग़रज़ से आराज़ी को मुस्ता-मिल करे हस्ब दफ़े ४२ -

(ये) दरख़्वास्त ज़मीदार या आसामी की वास्ते इमदाद तक़सीम या तशख़ीस मालियत फ़सिल हस्ब दफ़े के हस्ब दफ़े ४३ -

(काफ़) दरख़्वास्त आसामी की ब दुरुस्ती जाज़त अमानतन

दाख़िल करने लगान के–

(स्वास) नालशात हस्ब ज़िमन (काफ़) दफ़े ९३ बाबत वसूल बक़ाया य मालगुज़ारी–

(जीम) दर्खास्त हाय पैमायश आराज़ी हस्ब मनशाय दफ़े २ (अलिफ़)–

दफ़ः ९९–असिस्टेंट कलक्टर दर्जे अव्वल सिवाय उन नालशात और दर्खास्तों के जिन की तसरीह दफ़े ९८ में हुई इख़्तियार तजवीज़ नालशात और दर्खास्त हाय हस्ब मुसर्रह ज़ैल का रखेगा–

(अलिफ़) नालशात बमुराद बेदख़ली आसामी बइल्लत किसी फ़ेल या तर्क फ़ेल जो मुज़िर नुक़सान उस आसामी की आराज़ी मक़बूज़े का हो या मग़ायर उस ग़रज़ के हो जिस्के लिये वह आराज़ी पट्टे पर दी गई थी–

(बे) नालशात बग़रज़ तनसीख़ पट्टे बइल्लत नुक़्स किसी शर्त के जो आसामी पर वाजिबुल ड़बताग़ हो–

(बे बे) नालशात या क़ मुआवज़े बऐवज़ या बग़रज़ मुमानअत किसी फ़ेल या तर्क फ़ेल या नुक़स अहद मुतज़क्किरह ज़िमन (अलिफ़) या ज़िमन (बे)

(जीम) नालशात बग़रज़ वसूल या बी उस ज़र लगान के जो तेदाद मुअइयन से ज़ियादा लिया गया हो या बग़रज़ दिला पाने हरजे के हस्ब दफ़े ४८ या ४९–

(दाल) नालशात मिनजानिब शुरका बाबत उनके हिस्से मुनाफ़े शुहाल या उसके किसी जज़्व के बाद अदाय माल गुज़ारी सरकार और इख़राजात देही या बाबत तस्फ़िये हिसाब के-

(हे) दर्ख़ास्त ज़मीदार की आसामी को बेदख़ल करने के लिये हस्ब दफ़े ३५-

(वाव) दर्ख़ास्त आसामी की बाबत ना वाजबियत इत्तला नामा बेदख़ली के हस्ब दफ़े ३९-

(ज़े) दर्ख़ास्त ज़मीदार की हस्ब दफ़े ४० वास्ते इमदाद बेदख़ली आसामी के जिसपर इत्तला नामा बेदख़ली का जारी हो चुका हो-

(हे) दर्ख़ास्त बाबत हरजे के जो बेदख़ली बेजा से हो-

(तोय) दर्ख़ास्त ज़मीदार या आसामी की वास्ते तजवीज़ तादाद मआवज़े अमूर तरक़्क़ी हैसियत आराज़ी के-

(ये) दर्ख़ास्त वास्ते मिलने दख़ल किसी आराज़ी के जिस्से ज़मीदार ने आसामी को बतौर बेजा बेदख़ल किया हो-

(काफ़) दर्ख़ास्तें हस्ब दफ़े ३० बग़रज़ बाज़याफ़्त अतये जात मआफ़ी या बग़रज़ तशख़ीस लगान ऊपर ऐसी आराज़ी के जिसपर क़बज़ा मआफ़ी रहा हो-

(लाम) दर्ख़ास्तें हस्ब दफ़े ७ बग़रज़ अलैहदा करा पाने जोत किसी आसामी साक़ित उलमाल कियत के-

(**मीम**) दरख़्वास्तें हस्ब द.फ़े ३३ (अलिफ़) बग़रज़ नाजायज़ क़रार पाने इत्तला नामे तर्क अराज़ी के-

(**नून**) दरख़्वास्तें बाबत निकाल लेने तैदाद हाय अमानती के जो द.फ़े ५५ (अलिफ़) के मुताबिक़ अमानत रखी गई हों-

द.फ़ा १०० - सिवाय इख़्तयारात मुसर्रह द.फ़ ात ९८ व ९९ के असिस्टेंट कल्लकटर दरजे अव्वल को जिसे गवर्मेंट से इख़्तयारात ख़ास इस बाब में अता किये हों इख़्तयार तजवीज़ दरख़्वास्त हाय मुसर्रह ज़ैल का होगा-

(**अलिफ़**) दरख़्वास्त बाबत इज़ाफ़े लगान या तशख़ीस ज़र लगान के-

(**बे**) दरख़्वास्त बाबत तख़फ़ीफ़ लगान के -

(**जीम**) दरख़्वास्त बाबत पट्टे या क़बूलियत और बाबत तजवीज़ शरह के जिस पर वह पट्टे या क़बूलियत देनी चाहिये-

(**दाल**) दरख़्वास्त बग़रज़ तजवीज़ नौइयत या क़िस्म हक़ीयत आसामी के-

द.फ़ा १०० (अलिफ़) जायज़ है कि बोर्ड का बिलइत्तमीनान वजह ज़ाहर होने पर किसी नालिश या दरख़्वास्त या अपील या क़िसम नालशात या दरख़्वास्तों या अपीलों को एक अदालत माल से किसी दूसरी अदालत माल में जो बलिहाज़ नौइयत मुक़द्दमे या क़िसम मुक़द्दमात के हस्ब

एह काम एक हाकिम उसमें या उन में कार रवाई करने की म-
जाज़ हो मुनतक़िल करदे -

द० फ़िक़रह १०० (बे) (१) साहब कमिश्नर क़िसमत मजाज़
है कि बमनज़ूरी लोकल गवरमेंट किसी अपील या क़िसम अ-
पीलों को जो उसके रूबरू पेश हों अपनी क़िसमत के किसी
साहब कलक्टर ज़िले के पास मुनतक़िल करदे -

(२) जो हुक्म कि साहब कलक्टर किसी ऐसे अपील में सादर
करे जो साहब ममदूह के पास साहब कमिश्नर ने बमूजिब
ज़िमन (१) मुनतक़िल किया हो तो उसका अपील और नज़र
सानी इस तजवीज़ पर होगी कि गोया खुद साहब कमिश्नर ने
उस हुक्म को सादर किया था न और तरह पर -

(३) लोकल गवरमेंट मजाज़ है कि जो अपील बमूजिब (१)
साहब कलक्टर को साहब कमिश्नर ने मुनतक़िल किया हो
उसको बजरये हुक्म वापिस मंगवाले और साहब कमिश्नर
क़िसमत को जिसने उसको मुनतक़िल किया हो वास्ते फ़ैसले
के सपुर्द करदे -

द० फ़िक़रह १०१ - कलक्टर ज़िले या किसी असिस्टेंट कलक-
टर मुतहतमिम हिस्सा ज़िले को इख़तयार है कि अपने महक-
मे के किसी मुक़द्दमे या किसी मुक़द्दमात मौजूदह को तहक़ी-
क़ात और इनफ़साल के लिये अपने ओहदेदारान मातहत में
से किसी को ऐसी मुक़द्दमे या क़िस्म मुक़द्दमात में हस्बएहकाम

एक्ट हाज़ा अमल करने का मजाज़ हो सपुर्द करे-

दफ़ा १०२- साहबान कलक्टर ज़िले और असिस्टेंट कलक्टर मुहतमिम हिस्से ज़िले को अपने अपने मनसब से जायज़ है कि अपने मातहत के किसी ओहदेदारान के महकमें से किसी मुक़द्दमे या किसी क़िस्म मुक़द्दमात को उठा मंगायें और उस मुक़द्दमे या क़िस्म मुक़द्दमात की निस्बत ख़ुद अमल करें या वास्ते तसफ़िया के किसी और ओहदेदार माली के सपुर्द करें जो बमूजब एह काम एक्ट हाज़ा उसकी निसबत अमल करने का मजाज़ है

दफ़ा १०३- कलक्टर ज़िले को इख़्तयारात मुनदर्जे ज़ैल अमल में ला सकता है-

(अलिफ़) तमाम इख़्तयारात जो अज़रूय एक्ट हाज़ा कलक्टर ज़िले को दिये गये हैं-

(बे) तमाम इख़्तयारात जो असिस्टेंट कलक्टर को अज़रूय एक्ट हाज़ा अता हुये हैं या अता हो सकते हैं लोकल गवर्मेंट को इख़्तयार है कि किसी ओहदेदार मुहतमिम हिस्से ज़िले को वह तमाम या कोई इख़्तयारात जो अज़रूय एक्ट हाज़ा कलक्टर ज़िले को अता हुये हैं मुफ़ौविज़ करे- हस्ब एक्ट हाजा इख़्तयारात के अता करने में लोकल गवरमेंट को जायज़ है कि अशख़ास को बिलख़ुसूस उनके नाम से या इकसाम ओहदेदारों को अमूमन उनके सरकारी ओहदे के एतबार से इख़्तयारात अता करे-

बाब ६

ज़ाबते नालशात का फ़ैसले के वक़्त तक—

दफ़ा १०४—नालशात हस्ब एक्ट हाज़ा उस ज़िले में रुजू की जायंगी जिस में कि शै मुतनाज़े या उसका कोई जुज़्व वाक़े हो तमाम नालशात इस तौर पर शुरू की जायंगी कि अदालत में अरज़ी दावी बइन्दराज मरातिब मुन्दरजे ज़ैल के गुज़रानी जाये—

(अलिफ़) नाम और पता और मुक़ाम सकूनत मुद्दई—

(बे) नाम और पता और मुक़ाम सकूनत मुद्दआ अलैह जिस क़दर कि दरयाफ़्त हो सके—

(जीम) शै मुतदाविया और उसकी तादाद या मालियत जिस का तअइयुन बमूजिब रूल अदालत मसदरह सन १८७० ई० के हुवा हो और—

(वाव) तारीख़ जिस में हक़ नालिश का पैदा हुवा हो—

दफ़ा १०५—सरबराहकारान मुहाल आम इससे कि वह तहत कोरट आफ़ वार्डस हों या तहत एहतमाम ख़ास दरबारह नालिश के जो कि उन की तरफ़ से या उनके नाम हस्ब एक्ट हाज़ा हो बमनज़िले ज़मीदारों के मुतसव्वर होंगे—

दफ़ा १०६—कोई शरीक जायदाद मुनक़िसमे का उस मन सबसे मुस्तहक़ इस बात का न होगा कि किसी आसामी पर हस्ब एक्ट हाज़ा जुदागाने नालिश करे इल्ला उस हाल में कि वह उस

आसामी से मजाज़ वसूल करने कुल लगान का हो जो कि उस आसामी से या फ़तनी हो लेकिन कोई इबारत उस दफ़े की किसी रिवाज मुरव्वत मुलमौके या ओहदे खास में मुखिल न होगी-

द.फ़ेः१०७-लाज़िम है कि अरज़ी दावी को मुद्दई या उसका मुख्तार मजाज़ हस्ब ज़ावते जो वाक़आत मुक़द्दमे से बज़ात खुद वाक़िफ़ हो या बज़रये ऐसे मुख्तार के जिसकी मुख्तारियत में ऐसा शख्स हो जो मुक़द्दमें के हालात से वाक़िफ़कार हो पेश करे-

मुद्दई या उसका मुख्तार अरज़ी दावी की ज़ैल में दस्तखत और तसदीक़ हसब मुनदरजे ज़ैल या उस्के हम मज़मून करे-

मैं मुसम्मी (अलिफ़ बे) मुद्दई मुनदरजे अरज़ी दावी मुतज़क्किरह बाला बयान करता हूं कि जो कुछ इस्में लिखा है ता हद्द मेरे इल्म व यक़ीन के रास्त है-अगर उस अरज़ी दावी में कोई ऐसा बयान हो जिसको शख्स तसदीक़ कुनिन्दा झूठ जानता हो या झूठ बावर करता हो या जिसे वह रास्त न जानता या रास्त न बावर करता हो तो वह मसतूजिब सज़ा का मुताबिक़ उस क़ानून के होगा जो झूठी शहादत देने या बनाने के बाब में हो-

द.फ़ेः१०८-अगर मुद्दई अपने दावी के सबूत में किसी ऐसी दस्तावेज़ पर जो उसके पास हो इस्तदलाल करे तो उसे लाज़िम होगा कि उसी अदालत में बरवक़्त पेश करने

अपनी अरज़ी दावी के गुज़राने-

मगर ऐसी दस्तावेज़ इस तौर पर न गुज़रानी जाये या उस-के न पेश करने का उज्र काफ़ी न पेश किया जाये या जिस-हाल में कि उसके पेश करने के लिये अदालत मुहलत का देना मुनासिब न तसव्वर न करे तो उसके बाद वह दस्तावेज़ मनज़ूर न की जायगी-

दफ़ा १०९-अगर मुद्दई किसी दस्तावेज़ को जो मुद्दआअलेह के क़बज़े में हो या अख़्तियार में हो पेश कराना चाहे तो उसे जायज़ है कि बरवक़्त पेश करने अपने अरज़ी दावी के अदालत को उस दस्तावेज़ का पता लिखकर इस ग़रज़ से हवाले करे कि मुद्दआअलेह को उसके पेश करने का हुकम् दिया जाये-

दफ़ा ११०-अगर नालिश बग़रज़ वसूलयाबी बाक़ी लगान या मालगुज़ारी या हिस्से मुनाफ़े इख़राजात देहया दीगर मुतअल्लिक़ात के हस्ब दफ़े ९२ की हो तो अरज़ी दावी में गांव और मुहाल का नाम और नाम परगने वग़ैरा इलाक़े का जिसमें कि आराज़ी वाक़े हो लिखना चाहिये-

अगर नालिश बग़रज़ बक़ाया ऐसे लगान के हो जिसका किसी आसामी से वाजिबुल वसूल होना बयान किया जाये तो अरज़ी दावी में तसरीह मिक़दार आराज़ी की भी और (जहां कि सरकारी काग़ज़ात पैमायश में खेतों के नंबर हों

वहां) नंबर हर खेत का और साला ना लगान आराज़ी का और तेदाद मुबलिग़ (अगर कुछ हो) जो उस साल की बाबत वसूल हुवा हो जिस्की बाबत दावी पेश किया गया हो मुनदर्ज होनी चाहिये और तमाम सूरत हाय मुतअल्लक़ के दफ़ा हाज़ा में अर्ज़ी दावी के अंदर तसरीह तेदाद बाक़ी की और वह मुद्दत जिस्की बाबत उस्का वाजबुल वसूल होना बयान किया जाये मुनदर्ज होनी चाहिये—

दफ़ा १११—अगर नालिश आसामी पर उस्को किसी आराज़ी से बेदख़ल करने की मुराद से हो तो अर्ज़ी दावी में (जैसे कि हालात मुक़तज़ी हो) आराज़ी की मिक़दार और उस का मौक़ा और पता तहरीर किया जायगा और अगर ज़रूरत हो तो उस आराज़ी की शनाख़्त के लिये उसके हदूद भी लिखी जायगी—

दफ़ा ११२—अगर अर्ज़ी दावी में वह जुमले मरातिब मरक़ूमे बाला जिनकी तसरीह उसमें ज़रूर है मुन्दर्ज नहीं या हस्ब मरक़ूमे बाला उसपर दस्तख़त और तसदीक़ न हो तो अदालत को इख़्तियार है कि वह अर्ज़ी दावी को बहस्ब इक़तज़ाय राय अपने मुद्दई को वापिस करे या उस की तरमीम की इजाज़त दे—

दफ़ा ११२ (अलिफ़) अदालत को इख़्तियार है कि मुक़द्दमे की समाअ़त अव्वल के वक़्त या उसके क़बल किसी

फ़रीक़ की दरख़्वास्त पर और न पाने दी उन शरायत के जो अ-
दालत के नज़दीक क़रीन इनसाफ़ मुतसव्वर हों यह हुक्म दे
कि नाम किसी फ़रीक़ का मुद्दई हो या मुद्दआ अलैह जो
नतरीक़ बेजा मुद्दई या मुद्दआ अलैह किया गया हो ख़ा-
रिज कर दिया जाय —
और अदालत को इख़तयार है कि जब चाहे दरख़्वास्त मज़कूर के
गुज़रने पर या बिला गुज़रने दरख़्वास्त के व पाबन्दी उन शराय
त के जो बदानिस्त अदालत मक़रून इनसाफ़ हों यह हुक्म दे
कि कोई मुद्दई ज़ुमरे मुद्दआ अलैहुम में दाख़िल किया जाये या
कोई मुद्दआ अलैह ज़ुमरे मुद्दइयां में दाख़िल किया जाय और यह कि
कोई शख़्स जिसको मुद्दई या मुद्दआ अलैह करना ज़रूर था या
जिसको अदालत के रूबरू इस गरज़ से हाज़िर करना ज़रूर हो
कि अदालत तमाम मुआमलात निज़ाई मशमूलेः मुक़द्दमे का
तसफ़िया और रफ़े दाद मुकम्मल और क़ितई कर सके ज़ुमरे फ़री
क़ैन में शामिल किया जाय —
कोई शख़्स बिला रज़ामन्दी अपने ज़ुमरे मुद्दइयां में शामिल
न किया जायगा —
तमाम अशख़ास जिनके नाम ज़ुमरे मुद्दआ अलैहिम में इज़ाफ़ कि
ये जायें उन पर समन हस्ब तरीक़े मुसर्रेह आयन्दा जारी किया
जायगा और उनके मुक़ाबले में कारवाई का शुरू होना सिर्फ़
तारीख़ तामील समन से समझा जायगा —

पर शर्त यह है जब कोई मुद्दआ अलैह मर जाये और नालिशउस के कायम मुकाम जा अज़ के मुकाबले में जारी रहे तो उस के मुकाबले में समझा जायगा कि नालिश उस वक्त रुजू हुई थी जब वह मुकाबले मुद्दआ अलेह मुतवफ्फा के रुजू हुई थी -

द० के० ११२ (बे) जब कोई नया मुद्दआ अलैह इज़ाफ़े किया जाय तो मुनासिब है कि अरज़ी दावी अगर पहले से दाखिल हुई हो उस तौर से तरमीम की जाय जिस तरह ज़रूर हो बजुज़ उस सूरत के कि अदालत उसके खिलाफ़ हिदायत करे और समन की नकूल मुसद्दा नये मुद्दआ अलैह और साबिक के मुद्दआ अलैहम पर जारी की जाये -

द० के० ११२ (जीम) तमाम उज़रात बाबत अदम शमूल फ़रीक़ ज़रूरी या बग़रज़ इस्तमाल उन फ़रीक़ों के जो मुकद्दमे से वास्ता नहीं रखते हैं या बाबत इस्तमाल मुद्दई या इस्तमाल बेजा मुद्दआ अलैहुम के जिस क़दर जल्द मुमकिन हो आग़ाज मुकद्दमे में पेश किये जायेंगे और हर सूरत में क़ब्ल समाअत अव्वल के और अगर ऐसा उज़्र ऐसी नौबत पर न पेश किया जाये तो यह तसव्वुर किया जायगा कि मुद्दआ अलैह ने उस को छोड़ दिया -

द० के० ११२ (दाल) अगर अरज़ी नालिश मनज़ूर की जाये तो मुद्दई को लाज़िम है कि उस क़दर नकूल अरज़ी नालिश की जिस

क़दर मुद्दआग्नलैहुम हो सादह काग़ज़ पर लिखकर दाख़िल करे बजुज़ उस सूरत के कि अदालत बनज़र तवालत अर्ज़ीनालिश या कसरत तैदाद मुद्दआ अलैहुम या बनज़र किसी और वजह काफ़ी के मुद्दई को इजाज़त दे कि वह मुख़्तसर कैफ़ियात मुश्तमिल ख़ुलासा दावी या किसम हक़ रसी या दादरसी जो नालिश दायर करने से मक़सूद है बतैदाद मज़कूरह सादर लिखकर दाख़िल करे कि उस सूरत में मुद्दई कैफ़ियात दाख़िल कर देगा—

दफ़ा ११३— अगर अर्ज़ी दावी मुनासिब तौर की हो तो अदालत बजुज़ उस सूरत के कि आयन्दा एक हाज़ायें दूसरी नौअ का हुक्म ख़ास मुनदरिज है हुक्म देगी कि समन बनाम मुद्दआअलैह जारी किया जाये—

और अगर मुद्दई या स्ते हाज़र होना ज़रूर है या अदालत उसको ख़ुद हाज़र कराना चाहे तो समन में यह लिखा जाय कि मुद्दआअलैह असालतन बरोज़ मुअइयनः मुन्दर्जे समन के हाज़र हो अगर मुद्दई या अदालत मुद्दआअलैह को असालतन हाज़र कराना चाहे तो समन में यह लिखा जायगा कि मुद्दआअलैह असालतन या बज़रिये ऐसे मुख़्तार मजाज़ हस्ब ज़ाबते के हाज़िर हो जो ख़ुद मुआमलेः से वाक़फ़ियत रखता है या वह मुख़्तार बमैअत ऐसे शख़्स के हाज़र हो जो ख़ुद मुआमले का इल्म रखता हो—

दफ़ा ११४— समन में तारीख़ बग़रज़ तैदाद दीगर मुक़द्दमात मुन्दर्जे फ़िहरिस्त अदालत और उस फ़ासले के मुवाफ़िक़

की जायगी जो अदालत से उस जगह का हो जहां मुद्दआअलैह मौजूद हो ना उस वक्त के पास किया जाय- और समन में यह हुक्म बनाम मुद्दआअलैह लिखा जायगा कि जो ऐसी दस्तावेज़ वह अपने क़बज़े या अख़्तियार में रखता हो जिसको मुद्दई मुआयने किया चाहता है या जिस पर मुद्दआअलैह बजवाब दावी इस्तदलाल रखता है पेश करे-

और उसमें यह हुक्म भी होगा कि अपने गवाह भी वह अगर बिलास दूर हुक्म नामे हाज़िर होने पर राज़ी हों लेते आवो-

और वह समन बमूजिब नमूने (दाल) मनदर्जे जमीमह अव्वल मुनसिलके एक ज़ाब्ता या उसके हम मज़मून होगा-

और समन के साथ नक़ल अरज़ी नालिश या कैफ़ियात मुख़्तसिर जिनका ज़िकर दफ़े ११२ (दाल) में हुवा है शामिल रहेगी-

दफ़ा ११५- समन का इजरा यह इस तौर पर होगा कि उस्की नक़ल खुद मुद्दआअलैह को अगर मुमकिन हो हवाले की जाये- या अगर समन मुद्दआअलैह की ज़ात पर जारी न हो सक्ता हो तो उसकी नक़ल उसके मसकन मामूली में किसी मनज़र आम पर चिस्पां की जाये और एक नक़ल अदालत में भी चिसपां कर दी जाय-

दफ़ा ११६- अगर समन का इजराय इस तौर पर हो कि खुद मुद्दआअलैह को उसकी नक़ल हवाले की जाये तो इस तौर पर उस्के जारी होने का हाल नाज़र उस्की पुश्त पर लिखेगा-

अगर दूजराय अदालत ने अमल में न आये तो नाज़िर समन की पुश्त पर लिखेगा कि किस वजह से मुद्दआ अलैह की ज़ात पर जारी नहीं किया गया और किस तौर पर उसका इजराय अमल में आया —

दफ़ा १९७ — अगर मामूली मसकन मुद्दआ अलैह दूसरे ज़िले में हो तो समन बज़रिये डाक सरकार उस दूसरे ज़िले के कलक्टर के पास भेजा जायगा और वह कलक्टर उसको जारी करके बाद दूजराय मतह्हीर इबारत ज़ुहरी मुअइयन ने उस अदालत के दार के पास वापिस करेगा जिसने उसको उसके पास भेजा हो (अ लि प्र) अगर मुद्दआ अलैह कलमरू ब्रिटिश इन्डिया से बाहर रहता हो और ब्रिटिश इन्डिया के अंदर कोई उसका कारपरदाज़ न हो जो समन लेने का मजाज़ हो तो चाहिये कि समन मुद्दआ अलैह के नाम उस मुक़ाम के पते से लिखा जाय जहां उसकी सकूनत हो और भाला यह कि उसके नाम मुरसिल हो बशर्ते कि डाक के ज़रिये से दरमियान मादेन मुक़ाम सकूनत मुद्दआ अलैह और उस मुक़ाम के जारी हो जहां अदालत वाके है

दफ़ा १९७ (बे) अगर उस कलमरू के अंदर जो उसके लिये जिसमें मुद्दआ अलैह की सकूनत है कोई रज़ीडंट सल्तनत ब्रिटानिया या एजंट गवर्नमेंट मुक़र्रर हो तो जायज़ है कि समन बाक़ायदा डाक या और तौर पर मुद्दआ अलैह जारी होने के

लिये ऐसे रज़ीडंट या एजंट के पास भेजा जाये और अगर रज़ी डंट या एजंट मज़कूर समन की पुश्त पर यह बात अपने हाथ से लिख कर उस को वापिस करे कि तामील हस्ब तरीक़ मुन्दर्जा सदर मुद्दआ अलैह पर होगई है तो ऐसी तहरीर जुहूरी समन की तामील का सबूत क़तई समझी जायगी -

दफ़ा ११८ - तादाद ख़र्चा इजराय समन और अगर वारंट जारी किया जाय जैसा कि दफ़े मुत्तसल के जैल में हुकम है तो इजराय वारंट का ख़र्चा तमाम मुक़द्दमात में मुद्दई को लाज़िम है कि क़बल सुदूर समन या वारंट मज़कूर के अदालत में उस अरसे के अंदर अदा करदे जिसे कि अदालत सादिर कुनिन्दा हुकमनामा मुक़र्रर करे -

अगर ज़र मज़कूर इस निहज पर दाख़िल न किया जाये तो मुक़द्दमे अदालत की फ़िहरिस्त से ख़ारिज कर दिया जायगा बजुज़ उन मुक़द्दमात के जिन में अदालत उस इख़्तयार के बमूजिब जो उसको अज़रूय दफ़े ९१ हासिल है बिलाख़र्चे समन के जारी करने की इजाज़त दे लेकिन ऐसी सूरत में मुद्दई को इख़्तयार है कि दूसरी अरज़ी दावी किसी वक़्त उस मियाद के अंदर गुज़राने जो अज़रूय क़वायद मुन्दर्जे ऐक्ट हाज़ा मियाद समाअत नालशात के लिये मुक़र्रर है -

दफ़ा ११९ (अलिफ़) अगर किसी नालिश में जो किसी आसामी पर वास्ते वसूल पाबी बाक़ी ज़र लगान के हो

नालिशमें जो बग़रज़ वसूल याबी बाक़ी मालगुज़ारी या हिस्से मुनाफ़ः या इख़राजात देह या दीगर मतालबेज़ात के होजुई हो चाहे कि वारंट गिरफ़्तारी बनाम मुद्दआ अलैह जारी किया जाय और वह मुद्दआ अलैह उसी ज़िले में जहां नालिश रुजू की गई हो सकूनत रखता हो तो उसको लाज़िम है कि अपनी अर्ज़ी दावी के साथ दरख़्वास्त इजराय वारंट की भी गुज़राने

(बे) जब ऐसी दरख़्वास्त गुज़रे तो अदालत मुद्दई या उसके मुख़्तार से इज़हार लेगी और जो दस्तावेज़ात कि वह बसबूत अपनी दावी के पेश करे उन का मुआयना करेगी और अगर बादीउन नज़र में दावी उस का बिनाय माक़ूल पर मबनी पाया जाये और अदालत को यह ज़ाहिर हो कि दरसूरत जारी होने समन के मुद्दआ अलैह जवाबदिही के लिये हाज़िर होने के लिये बजाय रूपोश हो जावेगा तो अदालत वारंट उसकी गिरफ़्तारी का जारी करेगी —

(जीम) अदालत बिबाद मुनासिब वारंट के इजराय की कैफ़ियत गुज़रने के लिये मुक़र्रर करेगी और जो मुहलत कार्रवाई उसके इजराय के लिये मुतअय्यन हो वह बरवक़्त गिरफ़्तारी मुद्दआ अलैह उसको एक नक़ल अर्ज़ी नालिश या कैफ़ियत मुख़्तसिर की हस्ब मुतज़क्किरह दफ़ा ११२ (वाव) और इत्तलानामा इस हुक्म से कि अगर तुम दावी से इनकार करते हो तो अपने समन तलबैज़ जिस पर जवाबदिही में तुम इस्तदलाल करते हो

लेने आवे हवाले करेगा-

(वाव) हर वारंट जो हस्ब दफ़े हाज़ा जारी किया जायगा और हर इत्तलानामा जो हस्ब दफ़े हाज़ा हवाले किया जायगा वह दोनों मुताबिक़ नमूने (हे) और (वाव) मुनदर्जे ज़मीमे अव्वल मुनसिलके एक हाज़ा के या उस के हममज़मून होंगे-

द०फ़े १२० अगर मुद्दआअलैह हस्ब वारंट गिरफ़्तार होतो जिसक़दर जल्द कि मुमकिन हो अदालत के हुज़ूर किया जावे-

द०फ़े १२१ जब मुद्दआअलैह अदालत में बमूजिब वारंट के हाज़िर किया जाय तो अदालत को चाहिये कि जिसक़दर जल्द हो सके मुक़द्दमे की तजवीज़ उस क़ायदे से कि अर्ज़ी एक्ट हाज़ा में मरकूम है अमल में लावे-

और अगर फ़ैसले मुक़द्दमे का फ़ौरन नहोसकता होतो अदालत अगर मुनासिब तसव्वर करे मुद्दआअलैह को हाज़िरज़ामनी दाख़िल करने का हुक्म दे ताकि दरअसनाय दौरान मुक़द्दमा या ताइज्राय डिगरी आख़ीर जोउसमें सादिर हो जिसवक़्त ज़रूरत पड़े वह हाज़िर अदालत हो और जबतक कि मुद्दाअलैह ज़मानत या हस्ब हुकम अदालत के ज़र अमानत दाख़िल नकरे जेलख़ाने दीवानी में क़ैद रखा जाय-

ज़मानतनामा बमूजिब नमूने (ज़े) मुनदर्जे ज़मीमे अव्वल मुनसिलके एक हाज़ा या उसके हममज़मून होगा-

दफ़ा १२२ - अगर मुद्दाअलैह बमूजिब वारंट के गिरफ़्तार न हो सके तो लाज़िम है कि अदालत मुद्दई की दरख़्वास्त पर मुक़द्दमे को कुछ अरसे तक कि मुनासिब हो मुलतवी रक्खे ता कि मुद्दई इस अरसे के अंदर मुद्दआअलैह की गिरफ़्तारी के लिये दूसरा वारंट जारी कराये या अदालत फ़ौरन एक इश्तहार सादिर करे और वह उसी अदालत में और मुद्दाअलैह के मसकन पर चिस्पां किया जाय और उसमें मुक़द्दमे की समाअत की तारीख़ का तअइयुन कर देना चाहिये - लेकिन यह तारीख़ मुद्दाअलैह के मसकन पर उस इश्तहार के चिस्पां होने की तारीख़ से दस दिन के मुफ़ासले पर न हो - अगर मुद्दआअलैह बमूजिब इश्तहार के हाज़िर हो तो उसकी निसबत उसी तौर पर अमल किया जायगा जैसा कि दफ़ा मासबक़ में लिखा गया

दफ़ा १२३ - अगर अदालत को मालूम हो कि मुद्दाअलैह की गिरफ़्तारी की गिरफ़्तारी की दरख़्वास्त बिलावजह माकूल की गई थी तो उसे इख़्तियार है कि अपनी डिगरी में मुद्दाअलैह को हरजा नुक़सान या ज़रर का जो उसको बवजेः ऐसी गिरफ़्तारी के या दौरान मुक़द्दमे में जेलख़ाने के अंदर बंद रहने के वायस हुआ हो बक़दर मुनासिब जो सौ रुपये से ज़ियादा न हो दिलाने का हुक्म लिखे -

दफ़ा १२४ - अगर उस तारीख़ पर जो अज़रूए समन या इश्तहार हाज़री मुद्दाअलैह मुक़र्रर की गई हो या किसी रोज़

मादि पर कि जिसपर समाअत मुक़द्दमे की मुलतवी रखी गई हो क़बल लिखे जाने रूबकार तनक़ीह वास्ते तजवीज़ के जैसा कि एक हाज़ा में बाद अज़ीं मरक़ूम है फ़रीक़ैन में से कोई असालतन या मुख़्तार तन हाज़िर न हो तो मुक़द्दमा ख़ारिज किया जायगा और मुद्दई को इख़्तियार रहेगा कि नालिश जदीद रुजूअ करे इल्ला उस हाल में कि क़वायद नमादी अइयाम मुनदर्जे एक हाज़ा हाजिज उस के नालिश के हों

द०फ़ा १२५—अगर किसी रोज़ मुतज़क्किरह बाला पर मुद्दआ अलैह हाज़िर हो तो अदालत फ़ैसला बइल्लत अदम पैरवी ख़िलाफ़ मुराद मुद्दई सादर करेगी इल्ला उस हाल में कि मुद्दआ अलैह दावी मुद्दई की वाजबियत पर एतराफ़ करे कि उस सूरत में अदालत उसके इक़बाल पर बिला ख़र्चे फ़ैसले बहक़ मुद्दई सादर करेगी

मगर शर्त यह है कि अगर कई मुद्दआ अलैह हों तो फ़ैसला सिर्फ़ बमुक़ाबले मुद्दआ अलैह मुक़बिल के सादर होगा—

द०फ़ा १२६—अगर किसी तारीख़ मुतज़क्किरह बाला पर सिर्फ़ मुद्दई हाज़िर हो तो अदालत बसबूत इस अम्र के क़िसमन या इश्तहार हस्ब ज़ाबते मुताबिक़ एह काम एक हा ज़ा के जारी हो चुका है मुद्दई या उस के मुख़्तार का इज़हार लेगी और मुद्दई के बयानात पर और हर दस्तावेज़ या शहा-

दत पर जो उसने पेश की हो गौर करने के बाद मुक़द्दमें को ख़ा रिज करेगी या ब मुराद हाज़िर होने किसी गवाह मुद्दई के जिसे वह तलब कराना चाहे समाअत मुक़द्दमें की किसी तारीख़ आयन्दा पर मुलतवी रक्खेगी या यक तरफ़ी फ़ैसला ख़िलाफ़ मुद्दआ अलैह सादर करेगी -

दफ़े १२७ - अगर मुद्दाअलैह किसी तारीख़ माबाद पर जिसपर मुक़द्दमें की समाअत हस्ब दफ़े मासबक़ मुलतवी रक्खी जाय हाज़िर हो तो अदालत दरबाब ख़र्चे वग़ैरा के बक़ैद उन शरायत के जो उसकी दानिस्त में मुनासिब हों मुद्दाअलैह को इजाज़त जवाब दिही नालिश की उसी तौर पर देगी कि गोया वह अपनी हाज़री की तारीख़ मुअइयन पर हाज़र हुवा था -

दफ़े १२८ - (अलिफ़) बनाराज़ी फ़ैसले यकतरफ़ी जो मुद्दाअलैह गैरहाज़र पर सादर किया जाये या बनाराज़ी उस फ़ैसले के जो ख़िलाफ़ मुराद मुद्दई बवज्ह उसके गैरहाज़री के सादर हो अपील न होगा -

(बे) लेकिन ऐसे तमाम मुक़द्दमात में अगर वह फ़रीक़ जिसके ख़िलाफ़ मुराद फ़ैसलः सादर हुवा हो मुद्दई असालतन या उसका मुख़्तार अदालत की डिगरी की तारीख़ से पन्दरह दिन के अंदर और मुद्दाअलैह फ़ैसले के इजराय के हुक्मनामे की तामील के बाद पन्दरह यौम के अंदर या उससे किसी क़द्र

कम मियाद के अंदर अपनी गैर हाज़िरी साबिक़े की वजह काफ़ी बयान करे और अदालत का इतमीनान करदे कि उस्के हक़ में इनसाफ़ नहीं हुवा तो अदालत को जायज़ है कि ऐसे क़यूद के साथ दरजाब खरचे वग़ैरा जो मुनासिब मुतसव्वर हो मुक़द्दमे को अज़सरेनौ क़ायम करे और हस्ब क़रीने इनसाफ़ फ़ैसले की तबदील या तनसीख करे-

(जीम) लेकिन कोई फ़ैसला बग़ैर इस्के कि फ़रीक़ सानी उसकी ताईद में हाज़िर होकर उज़्र बयान करने के लिये पेश तरतलब किया जाय मनसूख या मुबद्दिल न होगा-

दफ़ा १२८-जब न तारीख मुंदरजेः समन या बतारीख माबाद जिसपर समाअत मुक़द्दमे की अदालत से बवजेः काफ़ी जिसे अदालत क़लमबंद करेगी मुल्तवी रखी गई हो फ़रीक़ैन असालतन या मुखतारतन हाज़िर हों तो अदालत उन अशखास के इज़हार जो कि हाज़िर होंगे लेगी और जायज़ है कि हर फ़रीक़ या उस्का मुखतार दूसरे फ़रीक़ या उसके मुखतार से सवाल जिरह करे-

दफ़ा १३०-अगर फ़रीक़ैन में किसी का असालतन हाज़िर होना लाज़िम न गरदाना जाये तो मुखतार जो उस्की तरफ़ से हाज़िर हो या जो शख्स उस मुखतार के साथ आये उसका इज़हार और उस्से सवाल व जवाब उसी निहज पर होंगे जैसे कि दर सूरत असालतन हाज़िर होने उस शख्स के मुख

उससे होते—

दफ़े १३१—जब वक़ इज़हार के मुद्दा अलैह को इख़तयार है कि अगर वह मुनासिब जाने तो अपना जवाब दावी तहरीरी गुज़राने ऐसे बयान तहरीरी पर दस्तख़त और तसदीक़ उसी तरह होगी जिस तरह उससे पहले अरज़ीदावा लिश पर दस्तख़त और तसदीक़ करने का हुक्म हो चुका है और अगर किसी बयान में कोई अमर ऐसा लिखा हो जिस को तसदीक़ करने वाला झूठ जानता या समझता हो या सच्च होना न जानता और न गुमान करता हो तो वह उस क़ानून के मुताबिक़ सज़ा पाने के लायक़ होगा जो वास्ते सज़ा दिही जुर्म झूठी शहादत देने या बनाने के मुक़र्रर है—

दफ़े १३२—इज़हार फ़रीक़ैन या उन के मुख़तारों का या और दूसरे शख़स मुतज़क्किरह बाला का मुताबिक़ क़ानून मुजरिया वक़ मुतअल्लक़े इज़हार गवाहान अदालत दीवानी के लिया जायगा—

मज़मून इज़हार का हाकिम इजलास कुनिन्दा की ज़बान में क़लम्बंद किया जायगा और शामिल मिसल रहेगा—

दफ़े १३३—अगर फ़रीक़ैन में से कोई उस दिन गवाह पेश करे तो हाकिम इजलास कुनिंदा उस गवाह की शहादत ले सकता है—

दफ़े १३४—अगर मुद्दा अलैह बनाई द अपने जवाब

के किसी दस्तावेज़ पर इस्तदलाल करे तो नालिश की पेशी अव्वल के रोज़ वही दस्तावेज़ अदालत में दाख़िल करनी होगी और बजुज़ उस सूरत के दस्तावेज़ मज़्कूर इसतौर पर दाख़िल की जाय या उज़र का फ़ी उसके न पेश करने का बयान किया जाय या यह कि हाकिम इजलास कुनिन्दा उसके पेश करने के लिये मुहलत देना मुनासिब तसव्वर करे वह दस्तावेज़ मिन बाद न ली जायगी—

दफ़े १३५—अगर बाद इज़हार मह्कूमे: दफ़े १२८ के और नीज़ इज़हार उस गवाह के जो शहादत दिही के लिये मिन जानिब किसी फ़रीक़ के हाज़िर हो और बाद मुलाहिज़ा शहादत दस्तावेज़ी पेश शुदे के डिग्री बतौर मुनासिब बिला शहादत मज़ीद सादर हो सकती हो तो अदालत डिग्री सादर करेगी—

दफ़े १३६—अगर इज़हार मुतज़क्किरह बाला के फ़रीक़ैन में से कोई गैरहाज़िर हो और उसका मुख़्तार किसी अमर अहम मुतअल्लिके मुक़द्दमे का जवाब न दे सके और अदालत की राय में जवाब दिया जाना मिन जानिब उस फ़रीक़ के जिसका वह मुख़्तार है ज़रूरी हो और क़यास मुतज़िक़ उस्का हो कि अगर उस शख़्स से असालतन वह सवाल पूछा जाता तो वह जवाब दे सकता तो अदालत को इख़्तियार है कि किसी तारीख़ आयन्दा पर मुक़द्दमे की समाअत मुल

नवी रखे और जिस फ़रीक़ का मुरवतार हस्व मरक़ूमे बाला
असाब दे सका हो उसे बतारीख़ मज़कूर असालतन हा
ज़र होने का हुक्म दे-

अगर वह फ़रीक़ बतारीख़ मज़कूर असालतन हाज़र नहो
तो अदालत फ़ैसले मुक़द्दमे का उसी तरह पर सादर करेगी
जैसा कि दरसूरत अदम पैरवी के करती या नज़र बहालत
मुक़द्दमे और कोई हुक्म सादर करेगी जो उसके नज़दीक मु
नासिब हो-

द॰फ़े १३७ अगर बर वक़्त इज़हार मज़कूर हवाला
के कोई अमर निज़ाई फ़ीमाबैन फ़रीक़ैन क़रार पाये जिसकी
बाबत शहादत मज़ीद का लिया जाना ज़रूरी हो तो अदाल
त उस अमर तनक़ीही का इसतक़रार करके उसे क़लमबंद
करेगी- और एक तारीख़ मुनासिब वास्ते इज़हार गवाहा
न और तजवीज़ मुक़द्दमे के मुक़र्रर कर देगी और उसी ता
रीख़ मुल्तवी पर तजवीज़ की जायगी इल्ला उस हाल में
कि वजह काफ़ी अलतवाय मुक़द्दमे की हो और उस वजह
को भी अदालत क़लमबंद करेगी-

द॰फ़ा १३८- फ़रीक़ैन को लाज़िम है कि अपने ग
वाह तजवीज़ की तारीख़ पर हाज़र करें अगर फ़रीक़ैन
में से कोई इस तारीख़ को किसी गवाह के हाज़िर करने के
लिये मदद चाहे इस ग़रज़ से कि वह गवाह अदा[illegible]शहादत

करे या कोई दस्तावेज़ पेश करे तो इस फ़रीक़ को लाज़िम है कि अदालत से तारीख़ मुअइयने तजवीज़ के पहले अरसे काफ़ी के अंदर उस गवाह के नाम समन जारी करने की दरख़्वास्त करे ता कि वह बतारीख़ मुअइयन हाज़िर हो और बाद अज़ां अदालत उस गवाह के हाज़िर होने के लिये समन जारी करेगी—

दफ़ै १३९ जो क़ानून और क़वायद दरबाब शहादत गवाहान और पेशी दस्तावेज़ात और इज़हार और ख़ुराक और सज़ाय गवाहों के आम इससे कि वह फ़रीक़ैन मुक़द्दमें हों या न हों वास्ते मुक़द्दमात मरजूऐ अदालत हाय दीवानी के नाफ़ज़ुल वक़्त हों और बजुज़ इसके कि एह काम मुन्दरजे एकहाज़ा के मुनाफ़ी हों ता ल शातमरजूऐ हस्बएकहाज़ाके मुतअल्लक़ होंगे—

दफ़ै १४० अगर बतारीख़ मुअइयने तजवीज़ अमर तनक़ीही के फ़रीक़ैन में से कोई भी हाज़िर न हो तो मुक़द्दमा ख़ारिज कर दिया जायगा—और मुद्दई को इख़्तियार होगा कि अज़ सरे नौ नालिश पेश करे—

अगर किसी तारीख़ मुतज़क्किरह दफ़ै वाला में सिर्फ़ एक फ़रीक़ हाज़िर हो तो जायज़ है कि उस अमर तनक़ीही की तजवीज़ और तनक़ीह फ़रीक़ सानी की ग़ैर हाज़िरी में ब एतबार उसी सबूत के की जाय जो कि उस वक़्त अदालत के हुज़ूर पेश हो—

द.फ़ा. १४१ – जब दुरख्वास्त नालिशात हस्ब ऐक्ट हाज़ा या उनकी जवाबदिही बज़रये कारिन्दे के जो बकार तहसील लगान या इन्तज़ाम अराज़ी मामूर हो उस ज़मीदार के नाम से या उसकी तरफ़ से की जाय जो उसको इस तौर पर मामूर रखता हो तो तमाम एहकाम ऐक्ट हाज़ा के जिनकी रू से हाज़री या मौजूदगी फ़रीक़ैन मुक़द्दमे की असालतन ज़रूरी है या ज़रूरी हो उस कारिन्दे से भी मुतअल्लिक़ होंगे –

जिस अमर का हुक्म या इजाज़त अज़ रूय क़ानून हाज़ा किसी फ़रीक़ को असालतन अमल में लाने के लिये हो उसे कोई कारिन्दा मुत ज़क्किरह बाला अमल में ला सकता है – हुक्म नामजात जो किसी ऐसे कारिन्दे पर जारी किये जायें वह नालिश के तमाम इग़राज़ के लिये ऐसे मवस्सर होंगे गोया कि वह ख़ुद ज़मीदार की ज़ात पर जारी किये गये थे –

और तमाम एहकाम ऐक्ट हाज़ा के जो किसी फ़रीक़ नालिश पर हुक्म नामजात के इजराय के बाब में हैं वह उस कारिन्दे पर उन हुक्म नामजात के भी इजरा से मुतअल्लिक़ होंगे –

द.फ़ा. १४२ – अगर औरत मुद्दइया या मुद्दाअलै हो ऐसे रुतबे या क़ौम की हो जिसको बहस्ब रिवाज और दस्तूर मुल्क के परदे से बाहर निकलना नामुनासिब है असालतन हाज़िर न करार्ई जायगी –

द.फ़ा. १४३ – हर फ़रीक़ मुक़द्दमा अपनी तरफ़ से मुक़द्दमे

की पैरवी के लिये अपना मुख़्तार मजाज़ मामूर कर सक्ता है लेकिन ऐसे मुख़्तार के मामूर करने से मुद्दई या मुद्दा अलैह असालतन हाज़िर होने से मुआ़फ़ ऐसी सूरत में न किया जायगा—जबके असालतन हाज़िर होना बज़रिये सम्मन या किसी हुक्म अदालत के मतलूब हो—

और किसी मुक़द्दमे मुतअ़ल्लिक़े एक हाज़ा में किसी मुख़्तार की रसूम ख़र्चे मुक़द्दमे में महसूब न की जायगी इल्ला उस हाल में कि अदालत इस्बहालात मुक़द्दमे उस रसूम का दिलाना मुनासिब समझ कर उस्की तसदीक़ लिख दे—

दफ़ा १४४—अदालत को इख़्तियार है कि किसी मुक़द्दमे में मुद्दई या मुद्दा अलैह को पैरवी या जवाबदिही नालिश के लिये मुहलत अता करे और नीज़ इख़्तियार है कि वक़्तन फ़ौक़तन वास्ते पेश करने शहादत मज़ीद के या किसी और वजे: काफ़ी से जो अदालत को क़लम्बंद करनी होगी मुक़द्दमे की समाअ़त किसी तारीख़ तक जिसे वह मुनासिब जाने मुलतवी रखे—

दफ़ा १४५—हाकिम इजलास कुनिन्दा को इख़्तियार है कि मुक़द्दमे की किसी नौबत पर बाबत मुआमले निज़ाई के अपने किसी ओहदेदार मातहत या किसी और ओहदेदार सरकारी से बद्रजाज़त उस हाकिम के जिसका कि वह ओहदेदार मातहत है तहक़ीक़ात मौक़े कराये और रपोर्ट तलब करे या ख़ुद मौक़े पर जाकर तहक़ीक़ात मज़कूर अमल में लाये—

एहकाम कानून नाफ़ज़ा वक़्मुतअल्लक़े तहक़ीक़ात मौक़े
बज़रये अमीन या कमिश्नर के जो बहुक्म अदालतहाय
दीवानी की जाती है ऐसी तहक़ीक़ात मौक़े से भी मुतअल्लिक़
होंगी जो कोई ओहदेदार हस्ब दफ़े हाज़ा करे—

और जहां तक मुमकिन होसकते हैं उस तहक़ीक़ात से भी
इलाक़ा रखेंगे जो हाकिम इजलास कुनिंदा अदालत खुद करे
सूरत आख़िरुल ज़िकर में तहक़ीक़ात ख़तम करने के बाद हाकिम
इजलास कुनिंदा हरकार में वह अमूर जो उस की दानिस्त
में मुनासिब हों क़लम बंद करेगा और अमूर क़लमबंदशुदह
मिसल मुक़द्दमे में शामिल किये जायेंगे—

दफ़ा १४६— मुद्दाअलैह को हर मुक़द्दमे हस्ब मक़्ज़ा
ज़ामें इख़्तयार है कि अदालत में उस क़दर रुपया जो उसकी
दानिस्त में बक़दर कामिल मुतालबे मुद्दई के हो मये ख़र्चे
मुद्दई जो तावक़्त अदाय मुबलिग़ मज़कूर आयद हुआ हो दा
ख़िल करे और वह रुपया मुद्दई को अदा किया जायगा—अगर
मुद्दाअलैह ज़र मुतदाविया से कम दाख़िल करे और मुद्दई मुक़
द्दमे में पैरवी करना चाहे और बिल आख़िर उस रुपये से ज़िया
दा अदालत में दाख़िल किया गया हो उसको न दिलाया जावे
तो उस रुपये के अदा करने के बाद जो ख़र्चा मुद्दाअलैह पर आ
यद हुवा हो वह मुद्दई से दिलाया जायगा—

दफ़ा १४७— जो रुपये कि मुद्दाअलैह ने अदालत में

दाखिल किया हो उसका सूद मुद्दई को तारीख दाखले से न दिलाया जायगा आम इस्से कि वह मुबलिग़ बक़द्र कुल दावी मुद्दई के हो या उससे कम -

द.फ. १४८ - जब किसी नालिश में जो फीमाबैन ज़मींदार और आसामी हस्ब एक्ट हाज़ा हो बाबत दस्तेह का क़बसूल करने लगान आराज़ी या आराज़ी मक़बूज़ेः के जिसको आसामी काश्त करती हो या अपनी क़ब्ज़े में रखती है इस क़ब्ज़े से इनकार किया जाय कि कोई और शख़्स फ़िल्व के और बनेकनीयती वह लगान उस वक़्त तक और उस्से पहले जब कि इस्तहक़ाक़ नालिश का पैदा हो लेता रहा और उससे मुतमत्ते होता रहा था तो वह शख़्स सालिस फ़रीक़ मुक़द्दमा गिरदाना जायगा -

और उस शख़्स सालिस के उस तौर पर लगान लेने और उससे मुतमत्ते होने के बाब में तहक़ीक़ात की जायगी -

और उस तहक़ीक़ात के नतीजे के मवाफ़िक़ मुक़द्दमे का फ़ैसला होगा मगर शर्त यह है कि फ़ैसले अदालत का किसी ऐसे फ़रीक़ के हक़ का जो मुस्तहक़ लगान आराज़ी मज़कूर का हो इस बाब में मुख़िल न होगा कि वह अपनी हक़ीयत बज़रये नालिश अदालत दीवानी साबित करे बशर्ते कि वह नालिश तारीख़ फ़ैसले से एक साल के अंदर रुजू़अ हो -

द.फ. १४९ - जब डिगरी वास्ते बेदख़ली के आसामी

या तनसीख पट्टे के बाबत किसी फ़ेल या तर्क फ़ेल के हो जिस्से उस आसामी के दखल की आराज़ी को नुकसान पहुंचा हो या वह ख़िलाफ़ उस ग़रज़ के हो जिसके लिये वह आराज़ी दीगई थी तो उस आसामी को अगर मुनासिब समझे अदालत यह हुक्म देसकती है कि तारीख़ डिगरी से एक महीने के अंदर उस का ईफ़ा करदे या उसे हुक्म दे कि उसे मियाद के अंदर मुआवज़े मज़कूर अदा करे या कोई और हुक्म मुक़द्दमे में सादर करे जो अदालत को मुनासिब मालूम हो और अगर उस नुक़सान का ईफ़ा हुस्न निहज पर किया जाय या मुआवज़ा अदा कर दिया जाय या हुक्म की तामील की जाय तो डिगरी का इजरा अमल में न आयेगा—

द० फ़० १५०—हर फ़ैसले मुतअल्लिक़े बाब दाज़ा सरे इजलास सुनाया जायगा—

द० फ़० १५१—फ़ैसला हाकिम इजलास कुनिन्दा की ज़बान में लिखा जायगा और उसमें वजूहात उस की मुंदरिज की जायगी और सुनाने के वक़्त हाकिम इजलास कुनिन्दा उस पर तारीख़ व दस्तख़त सब्त करेगा मगर शर्त यह है कि अगर हाकिम इजलास कुनिन्दा की ज़बान इंगरेज़ी न हो और फ़ैसला इंगरेज़ी ज़बान में साफ़ और क़ाबिलुल फ़हम लिख सकता हो तो इंग्रेज़ी ज़बान में लिखे—

द० फ़० १५२ (अलिफ़) तजवीज़ों यह हिदायत की—

जायगी कि हर फ़रीक़ का खरचा किसके ज़िम्मे रहेगा आया खुद उसी फ़रीक़ या मुक़द्दमे के फ़रीक़ के ज़िम्मे और आया फ़रीक़ ज़िम्मेवार कुल खर्चे मुक़द्दमे या उसका कोई जुज़ब या रसदी अदा करेगा —

द० फ० १५१ — (बे) बावजूद मराति ब मज़कूरे सदर अदालत को इख्तयार कुल्ली हासिल होगा कि हर मुक़द्दमे में खरचे की तक़सीम रसदी जिस्तौर पर मुनासिब समझे करे — और यह अमर कि अदालत मुक़द्दमे की समाअत का इख्तयार नहीं रखती है खरचा तक़सीम करने के इख्तयार का मानै न होगा इल्ला अगर अदालत यह हुक्म दे कि किसी मुक़द्दमे का खरचा उसके नतीजे के मुताबिक़ न दिया जायगा तो अदालत को ऐसे हुक्म के सादिर करने की वजूह लिखनी चाहियें —

द० फ० १५१ (जीम) अदालत यह हिदायत कर सकती है कि वह खरचा जो एक फ़रीक़ को दूसरे फ़रीक़ से पाता हुआ मुबालिग़ से मुजरा कर लिया जाय जो मुक़द्दमे की रूसे फ़रीक़ सानी को फ़रीक़ अव्वल के ज़िम्मे पाने तसलीम या साबित किया जाये

द० फ० १५१ (दाल) बावजूद शरायत मुन्दर्जे सदर के सदर अदालत को इख्तयार है कि जब किसी शख्स से जो फ़ीस दी है ६ रुपये सालाना से ज़ियादा न हो उस मुबालिग़ पर जिसकी डिगरी हो या जो वाजिबुल अदा साबित होय उसके खर्चे पर दिलाये

द० फ० १५२ हर एक उहदेदार जिसको हस्ब एक दरख्वास्त

रात मुफ़ौविज़ हों वास्ते समाअ़त व तजवीज़ नालशात हस्ब एक्ट हाज़ा उस ज़िले की हुदूद के अंदर जिसमें कि वह मुक़र्रर किया गया हो किसजगह में इजलास अदालत का कर सकता है और चाहिये कि स माअ़त हर मुक़द्दमे की सेर इजलास अदालत हो और फ़रीक़ैन मुक़द्दमे या उनके मुख़्तारान मजाज़ को उस मुक़ाम में हाज़िर होने के लिये इत्तलाह हस्ब ज़ाबते दीजाये-

बाब ७

ज़ाबता इजराय डिगरी का नालशात में

द.फ. १५३- अगर डिगरी वास्ते बेदख़ली किसी आसामी के उस आराज़ी से हो जो उसके दख़ल में हो डिगरी की तामील उस शख़्स को जो अज़रूये डिगरी उस क़बज़े या दख़ल का मुस्तहक़ हो आराज़ी मज़कूर पर क़बज़ा या दख़ल दिलाने से होगी अगर उस क़बज़े या दख़ल दिलाने के हुक्म की तामील में वह फ़रीक़ जिस के ख़िलाफ़ मुराद ऐसा हुक्म दियाजाये- मुज़ाहमत करे तो मजिस्ट्रेट कलक्टर ज़िले या असिस्टेंट कलक्टर की दरख़ास्त पर उस की तामील करा देगा-

द.फ. १५४- अगर डिगरी बाबत अदाय बाक़ियात लगान या मालगुज़ारी या ज़र नक़द के हो और मुद्दआ अलैह जेलख़ाने में हो या हस्ब शरायत किसी ज़मानतनामे के जो दफ़े १२१ के बमूजिब दाख़िल किया गया हो अदालत में हाज़िर हो तो कलक्टर ज़िला या असिस्टेंट कलक्टर हुक्म दे सकता है कि वह

जेलखानेदीवानी में नज़र बंद रखाजाये या क़ैद कियाजाये इल्ला उस हालमें कि वह फ़ौरन अदालत में ज़र डिगरी मये ख़रचे दाखिल करे या और निहज पर शख़्स मुनदरजे डिगरी की बजालाये-

दफ़ा १५५ अगर मदयून डिगरी ने ज़मानत हाज़री की दाखिल की हो और बरवक़्त सुनाये जाने फ़ैसले के हाज़िर न हो और ज़ामिन इनदल तलब उस शख़्स को हिरासत में रखने के लिये हवाले न करे तो हुकमनामा इजराय का ज़ामिन पर उसी निहज पर जारी कराया जा सकता है गोया कि डिगरी ज़र ज़िम्मगी मदयून की खुद उस ज़ामिन पर हुई थी-

दफ़ा १५६ (अलिफ़) हुकमनामा इजराय डिगरी की ज़ात या माल पर जारी हो सकता है- लेकिन उसकी ज़ात और माल दोनों पर यकबारगी हुकमनामा नहीं जारी हो सकता है-

(बे) ऐसा हुक्मनामा डिगरीदार या उसके मुख़तार की दरख़्वास्त ज़बानी पर जो बरवक़्त सदूर डिगरी की जाये- या उसके बाद तहरीरी दरख़्वास्त डिगरीदार या उसके मुख़्तार के तरफ़ से गुज़रने पर सादर हो सकता है

(जीम) हुक्मनामा इजराय डिगरी जो मदयून की ज़ात या माल मनकूलह पर सादिर हो वह बमूजिब नमूने (हे) या (तोय) मुनदरजे ज़मीमे अव्वल मुनसिलके एक हाज़ा के या उसके हम मज़मून होगा-

दफ़ा १५७- जो माल मनकूले कि बदुल्लत इजराय

डिगरी कुर्क करना हो वह अगर हो सके तो चाहिये कि वह मुफस्सिल एक फहरिस्त में दरज किया जाये और वह फिहरिस्त डिगरी दार को दाखिल करनी चाहिये — लेकिन जिस हाल में कि डिगरी दार ऐसी फिहरिस्त दाखिल न कर सके तो उसे इखतयार है कि अमूमन वास्ते कुरकी माल मनकूले मदयून के तातैदाद डिगरी और ज़र खरचे की दरखास्त करे —

दोनों सूरतों में वह माल जिसकी कुरकी करानी हो ओहदेदार मामूर इजराय हुक्मनामे को डिगरी दार या उस्का कारिन्दा निशान देगा — मगर शर्त यह है कि कोई आलात ज़राअत या मवेशी जो फ़िल वाकै बकार ज़राअत मुस्तेमल हों या हिरफ़े के या मदयून डिगरी या उस्की ज़ौजे या अतफ़ाल के पारचे हाय पोशीदनी ज़रूरी हस्ब दफ़े हाज़ा कुरक न किये जायेंगे —

द.फ. १५८ हर हुक्मनामे इजराय डिगरी में वह तारीख जिस्में कलकटर ज़िला या असिस्टंट कलकटर ने दस्तखत किये हों लिखी जायगी — और उस तारीख से वह हुक्मनामा उस वक्त तक कि कलकटर ज़िला या असिस्टंट कलकटर हुक्म दे न फ़िज़र देगा जो दस यूम से ज़ियादा न हो —

द.फ. १५९ बाद मुनक़ज़ी होने उस मियाद के जो पहिले वारंट के नाफ़िज़ रहने के लिये मुकर्रर किई गई हो डिगरी दार की दरखास्त पर बदुल कलकटर ज़िला या असिस्टंट कलकटर दूसरा हुक्मनामा इजराय डिगरी फेर उसके बाद और मुतवातिर

हुक्म नामे जारी हो सकते हैं

दफ़ा १६० जिस हाल में कि किसी फ़ैसले की तारीख से या उस फ़ैसले के इजराय के लिये जो सब से पिछली दरख्वास्त गुज़री हो उस तारीख से अरसे ज़ियादे एक साल से गुज़र गया हो तो उस फ़ैसले के इजराय का हुक्म नामा बग़ैर इसके सादिर नहीं हो सकता है कि जिस शख्स पर कि इजराय उस्का मतलूब हो उसके नाम इत्तलानामा पेशतर जारी किया जाये-

दफ़ा १६१ फ़ैसले का इजराय किसी मुतवफ़ा के वारिस या और क़ायम मुक़ाम पर बग़ैर उस्के न किया जायगा कि उस वारिस या क़ायम मुक़ाम के नाम इत्तलानामा वास्ते हाज़िर होने और उज़्र बयान करने के भेजा जाये-

दफ़ा १६२ किसी फ़ैसले पर जो हस्ब एक हाज़ा हो कोई हुक्मनामा इजराय का उस वक़्त सादिर न किया जायगा जब कि दरख्वास्त और हुक्मनामा फ़ैसले मज़कूर की तारीख से तीन बरस के इन क़ज़ा के बाद गुज़रे हुए उस हाल में कि वह फ़ैसला ५०० रुपै से ज़ियादा मुनलिग़ के बाबत हो ऐसी सूरत में जिस मियाद के अंदर कि इजराय का हुक्मनामा सादिर हो सकता है वह बमूजिब क़वायद आम मजरिया वक़्त मुतअल्लिक़े मियाद इजराय डिगरी अदालत दीवानी के महसूब की जायगी-

दफ़ा १६३ अगर कोई हुक्मनामा किसी शख्स की ज़ात पर जारी करने के लिये सादर हो तो ओहदेदार इजराय हुक्म

नामे को लाज़िम है कि उस शख्स को जिस क़दर जलद कि बसहू
लियत मुमकिन हो कलक्टर ज़िले या असिस्टंट कलक्टर के रू
ब रू हाज़िर करे -
अगर वह शख्स उस वक़्त अदालत में कुल मुबलिग़ मुनदर्जे हु
क्मनामे: दाख़िल न करे - या उसके अदा करने के लिये ऐसा बं
दोबस्त न करे जिस्से डिगरीदार का इतमीनान हो -
या कलक्टर ज़िले या असिस्टंट कलक्टर का यह इतमीनान न
करे कि बिल फ़ेल वह तैदाद मज़कूर के अदा करने की इस्तता
अत नहीं रखता है तो कलक्टर ज़िले या असिस्टंट उसको जेलखा
ने दीवानी में भेजेगा और वहां वह उस मियाद तक जो कि वा
रंट मौसूमः मुहाफ़िज़ जेलखाने के ज़रिये से मुक़र्रर की गई हो
मुक़ैयद रहेगा इल्ला उस हालत में कि जिस क़दर मुबलिग़ का वह
हस्ब डिगरी देनदार हो उस मियाद के अन्दर अदा करदे -
मगर शर्त यह है कि वह मियाद जब तक कि कोई मदयून किसी
इजराय डिगरी तहत एक दफ़ा में क़ैद रखा जाय चन्द हफ़ते
जब कि डिगरी का रुपया (ख़र्चा छोड़कर) पचास रुपये से ज़ि
यादा न हो या दूसरी सूरत में छै महीने से ज़ियादा न होगी -

द० फ़ा० **१६४** (अलिफ़) हर शख्स जो एक मरतबे जेल
खाने से रिहा किया जाय एक ही फ़ैसले की रूसे दूसरी बार
क़ैद न किया जायगा -

(बे) अगर तैदाद जो हस्ब डिगरी वाजबुल वसूल हो सौ रुपये

से ज़ियादा न हो तो कलक्टर ज़िला या असिस्टेंट कलक्टर हुक्म दे सकता है कि जो शख़्स रिहाशुदे की देनदारी हस्ब डिगरी ज़ायल न होगी और न कोई माल उस शख़्स का डिगरी मज़कूर के इजराय में कुरक़ी से मुसतसना किया जायगा -

दफ़े : १६५ - जो शख़्स कि हस्ब दफ़े ११९ वास्ते इजराय वारंट गिरफ़्तारी के दरख़्वास्त करे या किसी मदयून डिगरी की ज़ात पर हुकमनामा इजराय के सुदूर का मुस्तदई हो उसे लाज़म है कि अदालत में बवक़्त सुदूर वारंट ३० दिन की ख़ुराक उस शरह से कि कलक्टर ज़िले या असिस्टेंट कलक्टर हुक्म दे और वह २ यूमिया से ज़ियादा न हो दाख़िल करे इल्ला उस हाल में कि कलक्टर ज़िला या असिस्टेंट कलक्टर किसी ख़ास वजह से यह हुक्म दे कि ख़ुराक बशरह ज़ायद दाख़िल की जाये इस सूरत में वह शरह ४ यूमिये से ज़ियादा न होगी -

दफ़े १६६ - ऐसी शरह से ख़ुराक क़ैद की हर माह माबाद के शुरू में अदा करनी होगी अगर अदा न की जाय तो शख़्स मुक़ैयद रिहा किया जायगा -

दफ़े १६७ - तमाम ज़र ख़ुराक जो किसी क़ैदी की ख़ुराक के लिये ख़र्च किया जाये मुक़द्दमे के ख़र्चे में शामिल किया जायगा - और हर ज़र ख़ुराक जो इस निहज पर ख़र्च न हो दाख़िल कुनिन्दा को वापिस मिलेगा -

दफ़े १६८ - जो हुक्मनामा इजराय डिगरी कि मदयून

हस्ब एक हाज़ा के माल मनकूलः पर जारी होने के लिये सादर किया जाय उसकी तामील में ओहदेदार मामूर ह तामील हुकमनामे एक फ़िहरिस्त उस माल की मुरत्तिब करेगा जिसकी निशांदिही डिगरीदार करे और एक इश्तहार बतअइयुन उस तारीख़ के जिसमें माल का नीलाम करना मरकूज़ होमये फ़िहरिस्त मज़कूर उस मुक़ाम पर जहां नीलाम होने वाला हो और मदयून के मसकन पर मुश्तहर किया जायगा—

नक़ल इश्तहार और फ़िहरिस्त मज़कूर की कलकटर ज़िला या असिस्टंट कलकटर के पास भेजी जायगी और उसके महकमे में चिसपां होगी—

दफ़ा १६९—नीलाम किसी माल मनकूलः का जो हस्ब एक हाज़ा इजराय डिगरी में लिया जाय उस तारीख़ के दूसरे दिन से कि वह माल इस निहज पर लिया गया हो दस दिन से गुज़रने के पहले न होगा—

जब तक के नीलाम न हो माल मज़कूर किसमौके मुनासिब में रखा जायगा या बहिरासत किसी ऐसे शख़्स मुनासिब के रहेगा जिसे ओहदेदार मामूर ह तामील हुकमनामा मनज़ूर करे एहकाम दफ़आत ७४ लगायत ७८ (बशमूल हरदो) और दफ़े ८१ जहांतक कि मुन अतक़ की जा सकें नीलाम जायदाद से उस तरह मुतअल्लक़ होंगे कि गोया अल्फ़ाज कुरकी व माल मक़रूक़ के बजाय कुर्क़ में अल्फ़ाज़ इजराय हुकमनामे बमुकाबले

जायदाद मनकूले: व जायदाद मनकूले: जो बइज्लत इजराय किसी हुक्म नामे के हासिल की जाय और डिगरीदार फ़रदन फ़रदन शामिल हैं-

द.फ़ १७० - अगर कोई बेज़ाबतगी इजराय डिगरी में माल मनकूले: के नीलाम को मुश्तहर करने या अमल में लाने में हो तो उस की उसकी वजह से नीलाम नाजायज़ होगा - लेकिन वह शख्स जिसको उस बेज़ाबतगी से ज़रर पहुंचा हो बज़रिये नालिश दीवानी उसका हरजा वसूल कर सकता है मगर शर्त यह है कि वह नालिश नीलाम की तारीख से एक साल के अंदर रुजूअ कीजाये -

द.फ़ १७१ - बइजराय किसी डिगरी के जो वास्ते अदाय बाकियात लगान या मालगुज़ारी या ज़र नक़द के हस्ब एक़ाज़ा सादिर अगर मदयून की ज़ात या माल मनकूले पर इजराय डिगरी का न हो सके तो डिगरीदार को जायज़ है कि जो माल ग़ैर मनकूले: उस मदयून का हो उस पर डिगरी जारी करने की दरख्वास्त करे बजुज़ अमले मकान के जिसमें कोई मदयून ज़राअत पेशा फ़िलवाक़े मसकन गुज़ीन हो-

द.फ़ १७२ - अगर वह जायदाद ग़ैर मनकूले: जिसपर इजराय डिगरी कराने की दरख्वास्त कीजाये बजुज़ मुहाल या हिस्से मुहाल के कुछ और हो तो हुक्मनामा उसी तौर पर जारी किया जायगा जैसा कि वास्ते कुरकी और नीलाम जायदाद

मनक़ूलः के किया जाता है और यह काम दफ़आत १६८ व १६९ व १७० के उससे मुतअल्लिक़ होंगे

दर सूरत तकमील नीलाम ऐसी जायदाद के साहब कलक्टर उस ज़िले का जिसमें जायदाद वाक़े हो ख़रीदार नीलाम को उस पर क़बज़ा दिलावेगा।

दफ़ा १७३ जिस हाल में कि वह जायदाद एक मुहाल या हिस्सा मुहाल हो तो डिगरी इजराय के लिये उस ज़िले के कलक्टर के पास भेज दी जायगी जिसमें कि वह जायदाद वाक़े हो

अगर मदयून डिगरी कलक्टर ज़िले को इस बात का इतमीनान कराने कि बावर करने की वजह माक़ूल है कि ज़र डिगरी जायदाद के रहन से या उसको पट्टे पर देने से या उसी जायदाद के एक जुज़व की बैअ़ ख़ानगी से या मदयून डिगरी की किसी और जायदाद की बैअ़ ख़ानगी से वसूल हो सकता है तो कलक्टर ज़िले को जायज़ है कि मदयून डिगरी की दरख़्वास्त पर नीलाम को उस मुद्दत तक मुलतवी रखे जो कलक्टर ज़िले की दानिस्त में ज़र डिगरी को अदा करसकने के लिये मदयून डिगरी के वास्ते मुनासिब हो और अगर मदयून डिगरी अपने दायन का इतमीनान करादे तो इजराय डिगरी मौक़ूफ़ किया जायगा और कलक्टर ज़िला उस हाल की इत्तला उस अदालत को देगा जिसने कि डिग

री सादिर को हो -

दफ़ा १७४ - अगर मदयून डिगरी की दर्ख़ास्त पर नीलाम मुलतवी रहे और मियाद अलतवाय के अंदर वह दायन का इतमीनान न करदे या मदयून डिगरी नीलाम के अलतवा की दर्ख़ास्त न करे या ऐसी दर्ख़ास्त उस्की मनज़ूर न हो और कलकटर ज़िले की दानिस्त में नीलाम मुहाल या हिस्सा मुहाल का ख़िलाफ़ मसलहत हो और ईफ़ाय डिगरी का जायदाद के इन्तक़ाल मियादी के ज़रये से हो सकता है - कलकटर ज़िला उस जायदाद की फ़र्द लगान सहीह तैयार करायेगा और इस बात को तहक़ीक़ करायेगा कि उस से किस क़दर सालाना आमद हो सकती है - अगर कलकटर ज़िले की राय में वह इस क़दर हो कि डिगरी की तारीख़ से उस मियाद के अंदर जो पंदरह (२५) साल से ज़ियादा न हो डिगरी मये सूद फ़ीसदी ६) रुपये सालाने के इस से अदा हो जायगा तो उसे जायज़ है कि वह जायदाद डिगरीदार के हाथ मुनतक़िल करे या जिस हाल में कि डिगरीदार उस के लेने से इनकार करे किसी और शख़्स के हाथ मुनतक़िल कर दे या अपने एहतमाम ख़ास के अंदर रखे और इस तौर के इनतक़ालात की मियाद उस क़दर होनी चाहिये पर पन्दरह (१५) साल से ज़ियादा न हो और ज़र दैन मये सूद मुतज़क्किरे बाला के वसूल हो जाने के वास्ते काफ़ी हो और ऐसी शरायत पर इन-तक़ाल करे जो दरबाब अदाय दैन और सूद मज़कूर के उसको

दानिस्त में क़रीन मसलहत हो—

जो एहकाम कि हस्ब दफ़े हाज़ा और दफ़े १७३ सादर कियेजा यें कमिश्नर क़िसमत और साहबान बोर्ड उन की नज़रसा नी करसकेंगे लेकिन उन का अपील अदालत दीवानीमें न होगा

दफ़े १७४ (अलिफ़) जब जायदाद किसी मदयून डिगरी की जो दफ़े १७४ के मुताबिक़ मुनतक़िल या कुर्क तह सील की जाय और उसमें मदयून मज़कूर की कुछ आराज़ी सीर शामिल हो तो जब तक वह जायदाद फिर उसके इक़तदार में न आजाये उसके साथ उसी तरह सुलूक किया जायगा जैसा कि दफ़े ७ के बमूजिब ऐसी आराज़ी सीर की आसामी साक़ितुल माल कियत के साथ करना चाहिये—

दफ़े १७५—अगर कलकटर ज़िले की राय में वसूलयाबी ज़र क़रज़े की हस्ब दफ़े १७४ के ग़ैर मुमकिन हो या जिस हाल में कि नीलाम जायदाद का और वजूह से उसकी दानिस्त में मुना सिब हो तो वह उस हाल की इत्तलाअ वास्ते सदूर हुक्म के साह बान बोर्ड को मारफ़त कमिश्नर क़िसमत के करेगा—

दफ़े १७६—बर वक़्त वसूल होने कैफ़ियत इत्तलाई के साहबान बोर्ड को जायज़ है कि क़र्ज़े को वसूल करने के लिये हस्ब शरायत दफ़े १७४ तदाबीर मज़ीद जो उनकी दानिस्त में मुमकिन हों अमलमें लायें या अमलमें लाने का हुक्म दें—

दफ़े १७७—अगर साहबान बोर्ड की दानिस्त में क़र्ज़ा

हस्ब दफ़े १७४ न वसूल हो सकता हो और वजूह से जायदाद का नीलाम करना मुनासिब मुतसव्वर हो तो उन्हें लाज़िम है कि जाय दाद के नीलाम का हुक्म दें और इस सूरत में नीलाम हस्ब क़वायद मजरिये मुतअल्लिक़े नीलाम आराज़ी के जो बइल्लत बाक़ियात माल गुज़ारी के हो अमल में आयेगा—

लेकिन जो ज़िम्मे दारियां कि उस जायदाद पर उस वक़्त लाहक़ हों उनमें खलल वाक़ै न होगा—

द. फ़ा १७८ अगर क़बल उस तारीख़ के जो हस्ब एक हाज़ा किसी माल का नीलाम करने के लिये मुक़र्रर हुई हो फ़रीक़ सानी कलक्टर ज़िले या असिस्टंट कलक्टर के रूबरू हाज़िर हो कर उस माल में किसी हक़ या मुनाफ़िक़ का दावी करे तो कलक्टर ज़िला या असिस्टंट कलक्टर को लाज़िम है कि उस फ़रीक़ या उसके कारिन्दे का मुताबिक़ क़ानून मजरिये वक़्त मुतअल्लिक़े इज़हार गवाहान के इज़हार ले— और अगर कलक्टर ज़िले या असिस्टंट कलक्टर को कोई वजह काफ़ी नज़र आये तो उस जायदाद का नीलाम मौक़ूफ़ रखे—

द. फ़ा १७९— या कलक्टर ज़िले या असिस्टंट कलक्टर दावी मज़कूर का इनफ़िसाल करके फ़ीमाबैन दावीदार और मुद्दई व मुद्दा अलेह असल मुक़द्दमे के हुक्म मुनासिब सादर करेगा बाद तजवीज़ दावी मज़कूर कलक्टर ज़िले या असिस्टंट कलक्टर क़वायद मुन्दरजे एक्ट हाज़ा पर जिस क़दर कि वह मुतअल्लिक़

हो सकते हों अमल करेगा-

द॰ फ़॰ १८०- अगर दावीदार निस्बत उस जायदाद के जो इजराय डिगरी लीगई हो अपना इस्तेहकाक़ साबित न करे तो कलक्टर ज़िले या असिस्टंट कलक्टर को इख़्तियार है कि वक़्त फ़ैसल करने मुक़द्दमे के डिगरीदार को उस दावीदार से ख़र्चे मुक़द्दमे दावी का और उस क़दर रुपया भी दिलाये जो बदानिस्त कलक्टर या असिस्टंट कलक्टर बाबत किसी नुक़सान हक़ीयत या हरजे के कि डिगरीदार पर बवजे हसूल नदी रहने नीलाम माल के आयद हुवा हो काफ़ी मुतसव्वर हो-

द॰ फ़॰ १८१ (अलिफ़) अपील किसी हुक्म का जो बमूजिब दफ़आत १७९ या १८० कलक्टर ज़िले सादर करे रुजूअ न होगा (बे) लेकिन जिस फ़रीक़ के ख़िलाफ़ मुराद कि वह हुक्म सादर हुवा हो वह अदालत दीवानी में वास्ते सबूत अपने हक़ के उस हुक्म की तारीख़ से एक साल के अंदर किसी वक़्त नालिश रुजूअ कर सकता है-

(**जीम**) मगर शर्त यह है कि अगर हुक्म वास्ते नीलाम उस जायदाद के हो जो इजराय डिगरी में लीगई हो और वह जायदाद अज़ क़िस्म मनक़ूले हो तो नालिश जायदाद की वाज़याफ़्त के वास्ते न की जायगी बल्के जिस डिगरीदार ने कि जायदाद को नीलाम कराया हो उससे हरजा दिलाने के वास्ते होगी-

बाब ८

अपील व समाअत सानी व नज़रसानी

(अलिफ़) बनाराज़ी डिगरी मुतअल्लके नालशात

द.फ़ १९२—नालशात हस्ब एकट हाज़ा में जिन की तजवीज़ और फ़ैसले कलक्टर ज़िले या असिस्टंट कलक्टर दरजे अव्वल ने किया फ़ैसला उस ओहदेदार का फ़ैसला नातक़सम किया जायगा—

द.फ़ १९३—तमाम फ़ैसले जात असिस्टंट कलक्टर दरजे दोयम व मुक़द्दमे मुतज़क्किरह द.फ़े १९२ क़ाबिल अपील बहुज़ूर कलक्टर ज़िले होंगे और उस का हुक्म क़तई होगा—

द.फ़ १९४—सवाल अपील डिगरी तारीख से ३० दिन के अंदर बहुज़ूर कलक्टर ज़िले गुज़रानना चाहिये—

द.फ़ १९५—कलक्टर ज़िले को इख़्तियार है कि सवाल को ख़ारिज करे या एक तारीख अपील की समाअत के लिये मुक़र्रर करे और उस सूरत में इत्तलानामा रिस्पांडंट पर उस क़ायदे से जो इजराय समन के लिये एकट हाज़ा में बाद अर्ज़ी मरक़ूम है जारी कराये अगर बतारीख मुअय्यने समाअत अपील या किसी और तारीख में जिस पर समाअत मुलतवी रक्खी गई हो अपीलांट असालतन या मुख़्तारतन हाज़र न हो तो अपील बइल्लत अदम पैरवी ख़ारिज किया जायगा—

अगर अपीलांट हाज़र हो और रिस्पांडंट असालतन या मुख़्तार

तन हाज़िर न हो तो अपील यकतरफ़ी सुना जायगा—

द.फ़ा १८६— अगर अपील बइल्लत अदम पैरवी ख़ारिज किया जाय तो अपीलांट को इख़्तियार है कि ख़ारिज होने की तारीख़ से पंदरह रोज़ के अंदर कलकटर ज़िले को अपील अज़ सरे नौ मनज़ूर होने की दरख़्वास्त दे—

अगर कलकटर ज़िले को हस्ब इतमीनान साबित हो कि अपीलांट किसी वजह काफ़ी से बरवक़्त समाअत अपील हाज़िर नहीं हो सकता था तो अपील को अज़ सरे नौ मनज़ूर करे—

द.फ़ा १८७— बाद समाअत अपील के कलकटर ज़िले फ़ैसला उस क़ायदे पर जो कि मराफ़े ऊला में फ़ैसला सादर करने के लिये मुक़र्रर हुआ है कबल अज़ी मरकूम है सादर करेगा—

द.फ़ा १८८— उन नालिशात में जिनमें कि फ़ैसला कलकटर ज़िले या असिस्टंट कलकटर का हस्ब एहकाम दफ़े १८२ के क़तई हो उसे इख़्तियार है कि फ़रीक़ैन में से किसी की दरख़्वास्त पर अगर वह फ़ैसले की तारीख़ से ३० दिन के अंदर गुज़रे नालिश की समाअत जदीद का हुक्म इस बिनाय पर सादिर करे कि कोई ऐसी शहादत जदीद या कोई अमर मवस्सिर तजवीज़ अमर मुतनाज़े दरयाफ़्त हुआ है जिसको सायल बरवक़्त तजवीज़ के नहीं जानता था या नहीं पेश कर सकता था—

द.फ़ा १८६— बावस्फ़ इसके कि दफ़आत १८२ व १८३ में कोई और हुक्म ख़िलाफ़ हो तमाम नालिशात

मुतज़क्किरह दफ़े ९३ में कलक्टर ज़िले या असिस्टंट कलक्टर दूजे अव्वल के फ़ैसले की नाराज़ी का अपील जज ज़िले के हुज़ूर सूरत हाय मुफ़स्सिलेज़ैल में होगा -

जब कि तैदाद या मालियत शै मुतनाज़े फ़ीह की सौ रुपये से ज़ियादा हो या जिनमें कि लगान जो आसामी को वाजबुल अदा है अम्र तनक़ीह तलब क़रार पाकर तै होगया हो - या जिनमें आराज़ी के हुस्तहक़ाक़ मालकियत की तजवीज़ माबैन फ़रीक़ैन के हुई हो जो उस की निसबत दावी मुखालफ़ाने रखते हों मगर शर्त यह है कि जब तैदाद या मालियत शै मुतनाज़े फ़ीह की पांच हज़ार रुपये से ज़ियादा हो तो उस सूरत में अपील अदालतुल आलिया हाईकोर्ट में होगा -

द. फ़ १९० - क़वायद नाफ़ज़ा दरबाब उस मियाद के जिसमें अपील फ़ैसले जात अदालत हाय दीवानी का मनज़ूर हो सकता है और दरबाब उस क़ायदे के जिसके बमूजिब ऐसे अपील की समाअत की तजवीज़ की जाती है और दरबाब तमाम कारखाइयों के जो ऐसे अपील की बाबत हो सकती हैं उन अपीलों से भी मुतअल्लक़ होंगे जो जज ज़िले के हुज़ूर या अदालत हाईकोरट में हस्ब ऐक्ट हाज़ा रुजू हों -

द. फ़ १९१ - फ़ैसला जज ज़िले का जो अपील आम हस्ब ऐक्ट हाज़ा में सादर हो उस का अपील ख़ास अदालत हाईकोरट में उसी तौर पर और उन्हीं क़वायद की पाबंदी से होगा जो जज

के अपील आम के फ़ैसलों के बाब में हैं जिनका अपील ख़ास हस्ब मजौवज़े ज़ाबते दीवानी और क़ानून मियाद समाअत अज़रिये हिन्द मसदरह सन १८७७ ई के होता है-

(बे) अपील बनाराज़ी एहकाम जो दर्ख़्वास्तों पर सादर हों या इजराय डिगरी से मुतअल्लिक़ हो-

१-असिस्टंट कलकटर दरजे दोयम

द.फ़ा १९२-तमाम एहकाम जो असिस्टंट कलकटर दरजे दोयम ने हस्ब एक्ट हाज़ा सादर किये हों उन की नाराज़ी से अपील कलकटर ज़िले के रूबरू रुजू होगा-

२-असिसटंट कलकटर दरजे अव्वल

द.फ़ा १९३-तमाम एहकाम जो असिस्टंट कलकटर दरजे अव्वल ने दर्ख़्वास्त हाय मुफ़स्सिले ज़ैल पर सादर किये हों उनकी नाराज़ी से अपील कमिश्नर क़िसमत के महकमे में रुजू होगा-

(अलिफ़) दर्ख़्वास्त हस्ब दफ़े ९९ जबकि तैदाद-

(बे) दर्ख़्वास्त हस्ब दफ़े १००

द.फ़ा १९४-तमाम दीगर एहकाम जिनको असिस्टंट कलकटर दरजे अव्वल ने हस्ब एक्ट हाज़ा सादर किया हो उनका अपील कलकटर ज़िले के महकमे में होगा बजुज़ सूरत हाय मुफ़स्सिले ज़ैल के-

(अलिफ़) हुक्म जो दर्ख़्वास्त मुतज़क्किरह दफ़े ९८ पर

सादर किया जाय-

(बे) हुक्म जो दरख़्वास्त मुतज़क्किरह दफ़आत ९९ व १०० पर सादर किया जाय-

(जीम) हुक्म जो दरअसनाय नालिश और मुतअल्लक़ उस की तजवीज़ के सादर किया जाये-

दफ़ा १९५- दरख़्वास्त हाय मुतज़क्किरह दफ़े ९८ पर असिस्टंट कलकटर दरजे अव्वल के एहकाम क़तई होंगे-

३- कलकटर ज़िले

दफ़ा १९६- एहकाम जो कलकटर ज़िले ने हस्ब ज़ैल सादर किये हों उनकी नाराज़ी का अपील कमिशनर क़िसमत के महकमे में होगा-

(अलिफ़) बमूजिब दफ़े ९९ जब के तादाद-

(बे) बमूजिब दफ़े १००-

तमाम दीगर मुक़द्दमात में जो एहकाम कलकटर ज़िले ने हस्ब एक्तज़ा सादर किये हों क़तई होंगे-

४- कमिशनर क़िसमत

दफ़ा १९७- बजुज़ उसके जिसका ज़िकर दफ़े १९८ में है एहकाम कमिशनर क़िसमत के जो अपील पर सादर हों क़तई होंगे-

दफ़ा १९८- अपील फ़ैसलेजात कमिशनर क़िसमत कलकटर ज़िले या असिसटंट कलकटर के उन एहकाम की अपील

जो दर्ख़्वास्त हाय मुतज़क्किरह दफ़आत ९८ व १०० पर सादरहुये हों बोर्ड में रुजूअ होगा इल्ला उस सूरत में जब के कमिश्नर क़िस मत उस अपील को ख़ारिज करे एसी सूरत में एह काम दफ़े ९९ के मुतअल्लक़ होंगे-

दफ़ा १९९-बिला लिहाज़ किसी मज़मून के जो इस एक्ट में क़बल इस के मुनदर्ज है हर वक़्त किसी मुक़द्दमें को सिवा ए मुक़द्दमे मुतज़क्किरह दफ़े १९८ जो रूबरू कमिश्नर क़िस मत या किसी महकमे मातहत उस के में रुजू हो तलब करके उस पर ऐसा हुक्म जो साहबान बोर्ड मुनासिब समझें एक्ट हाज़ा के मुताबिक़ सादर करें-

दफ़ा २००-अपील कलकटर ज़िले के महकमे में बाद इन क़ज़ाय ३० यूम के और महकमे कमिशनर क़िसमत में बाद इन क़िज़ाय ६० यूम के या महकमे बोर्ड माल में बाद इन क़िज़ाय ९० यूम के उस हुक्म की तारीख़ से जिस का अपील हो नहीं गुज़र सकता है-

दफ़ा २०१-हर अपील हस्ब एक हाज़ा बाद गुज़र ने उस मियाद के जो उस की समाअत के लिये मुक़र्रर की गई है उस सूरत में मनज़ूर हो सकता है जब कि अपीलांट उस ओहदे दार को जिस के रूबरू अपील रुजूअ हो बइतमीनान करा दे कि मियाद मज़कूर के अंदर अपील के रुजू न करने की वजः काफ़ी थी-

कोई अपील बनाराज़ी उस हुक्म के न होगा जो हस्ब दफ़े हाज़ा बमन्ज़ूरी अपील सादर किया जावे -

दफ़ा २०१ (अलिफ़) एहकाम बोर्ड को इख़्तयार है कि वक़्त गुज़रने दर्ख़्वास्त किसी फ़रीक़ मिनजुमले फ़रीक़ैन मुक़द्दमे के बशर्ते कि वह तारीख़ सुदूर हुक्म से ९ रोज़ के अंदर पेश की जावे किसी ऐसे हुक्म पर नज़र सानी या उसको मनसूख़ या तबदील करें या बहाल रखें जो ख़ुद हुक्काम बोर्ड ने या किसी एक मिम्बर बोर्ड ने सादर किया हो -

दफ़ा २०१ (बे) जब दर्ख़्वास्त मज़कूर ऐसे मुक़द्दमे में गुज़रे जिसमें हुक्म साहब कमिश्नर या कलक्टर ज़िले या असिस्टंट कलक्टर का हस्ब महकूमे दफ़आत १९५ व १९६ व १९७ नातिक़ हो तो साहब कमिश्नर या कलक्टर या असिस्टंट कलक्टर मौसूफ़ को जैसी सूरत हो इख़्तयार है कि ऊपर सवाल अहदुल फ़रीक़ैन के अगर वह फ़ैसले की तारीख़ से ३० रोज़ के अंदर दाख़िल हो अपने हुक्म इस बिनाय पर नज़र सानी करे कि दर्ख़्वास्त कुनिन्दा को ऐसी नई शहादत या मसालह जो असल अमर मुतनाज़े पर मवस्सर है दस्तयाब हुवा है जिसकी निस्बत सायल को वक़्त तजवीज़ मुक़द्दमे इल्म न था या जिसके पेश करने से वह उस वक़्त माज़ूर था -

बाब ९

एहकाम मुतफ़र्रिक़े

द. फ. २०२ — जो मियाद कि किसी नालिश के वास्ते हस्ब एक हाज़ा मुक़र्रर की गई है उस की शुमार करने में वह तारीख़ जिस में हक़ नालिश का पैदा हुवा हो महसूब न की जायगी — जो मियाद कि वास्ते किसी अपील के हस्ब एक्ट हाज़ा मुक़र्रर की गई है उस के शुमार करने में वह तारीख़ जिस में कि फ़ैसले या हुक्म जिसका अपील किया जाय सुनाया गया हो और वह मुद्दत जो वास्ते हुसूल नक़ल डिग्री या उस हुक्म के जिसका अपील किया जाय ज़रूरी हो हिसाब से ख़ारिज की जायगी —

द. फ. २०३ जब अदालत किसी ऐसे मियाद के रोज़ अख़ीर पर बंद हो जो हस्ब एक्ट हाज़ा किसी याद दाश्त अपील के गुज़रानने के लिये या अदालत में ज़र अमानती के दाख़िल करने या रुपये के अदा करने के वास्ते मुक़र्रर की गई है तो तारीख़ इफ़्ताह अदालत तारीख़ अख़ीर उस मियाद की समझी जायगी —

द. फ. २०४ (अलिफ़) अगर किसी नालिश मरजूआ या किसी दरख़्वास्त गुज़रानीदा हस्ब एक्ट हाज़ा में हाकिम इजलास कुनिन्दा को कि कोई अम्र तनक़ीही जिस में वह स किसी अम्र क़ानूनी की हो अदालत दीवानी से फ़ैसल होना मुनासिब है तो वह ओहदेदार अगर ख़ुद कलक्टर ज़िले हो या कलक्टर ज़िला व नहरीक उस ओहदे के इख़्तियार रखता है कि उस मुक़द्दमे का हाल वास्ते ज़रूरत राय जज ज़िले के तहरीर करावे और जज ज़िले को लाज़िम है कि जहां तक मुमकिन हो क़रीब

उसी तौर के उसकी समाअत करे जो कि वास्ते अदालत हाईकोर्ट के मुक़द्दमात की समाअत के लिये द: १२ ऐक्ट मजमूए ज़ाबते दीवानी में मुक़र्रर है-

(बे) अगर जज ज़िले को मालूम हो कि मनाज़अत का बयान काफ़ी नहीं है तो उसे इख़तियार है कि उसको कलक्टर ज़िले के पास वास्ते तर्मीम के वापिस भेज दे-

(जीम) बक़ैद रिआयत हेदाद मालियत या मियाद के जो मुक़द्दमात मुतअल्लिक़े मजमूए ज़ाबते दीवानी के वास्ते क़ानूनन मुक़र्रर है जज ज़िले के फैसले का अपील हाईकोर्ट में होगा

(दाल) जज ज़िले मुक़द्दमे को मये राय अदालत दीवानी के कलकटर ज़िले के पास वापिस भेजेगा और महकमे आतमाल मुताबिक़ उसी राय के नालिश या दरख़्वास्त का फैसला करेंगे-

(हे) ऐसे मुक़द्दमे का ख़रचा मिसल ख़रचे नालिश या दरख़्वास्त महकमे माल के मुतसव्वर होगा-

द: २०५-(अलिफ़) अगर किसी नालिश मरजूए या अपील गुज़रानी दर अदालत दीवानी या महकमे माल में जज या हाकिम इजलास कुनिन्दा को इस अमर में इश्तबाह हो कि उस नालिश या अपील की समाअत हस्ब दफ़ा मज़कूरे मा क़बल की तो जायज़ है कि वह उस बाब में इस्तसवाब अदालत हाई कोरट से करे-

(बे) हरसूरत ऐसे इस्तसवाब के अदालत हाई कोरट उस

जज या कम इजलास कुनिन्दा को देसकती है कि वह उस मुक़द्दमे में कारवाई असल में लाये या अर्ज़ी दावी या सवाल अपील को उस दूसरे महकमे में गुज़रानने के लिये वापिस करे जिसे अदालत हाई कोरट गौर फ़ुजूल अपील या नालिश की समाअत के वास्ते अपने हुक्म में मजाज़ क़रार दे-

(तौज़ीह) हुक्म अदालत हाई कोरट का ऐसे इस्तसवाल पर क़तई होगा और उसी नालिश में फ़रीक़ैन मुक़द्दमे उस पर एतराज़ न कर सकेंगे-

दफ़ा २०६-तमाम नालिशात मरजूए अदालत दीवानी या महकमे माल में जिन का अपील जज ज़िले या हाई कोर्ट के हुज़ूर हो सकता है अदालत अपील इस अमर को मसमूअ न करेगी कि नालिश महकमे बेजा में रुजूअ की गई थी इल्ला उस हाल में कि ऐसा उज़्र महकमे मराफ़े ऊला में पेश किया गया हो वल के अदालत अपील फ़ैसले अपील का उसी निहज पर करेगी गोया कि वह नालिश अदालत मुनासिब में रुजू की गई थी -

दफ़ा २०७-अगर किसी ऐसी नालिश में वह वह उज़्र अदालत मराफ़े ऊला में किया गया हो लेकिन अदालत अपील के रूबरू तमाम सामान जो कि उस मुक़द्दमे की तजवीज़ के वास्ते ज़रूरी है मौजूद हो तो उसे लाज़िम होगा कि इन फ़ैसले अपील का उसी निहज पर करेगी या कि -

मुक़द्दमे अदालत मुनासिब में रुजूअ किया गया था-

द: २०९ अगर किसी ऐसी नालिश में अदालत अपील के रूबरू वह सामान तजवीज़ मुक़द्दमे के वास्ते ज़रूरी मौजूद न हो तो वह कार्रवाई बमूजिब एह काम मज़कूरे बाबते मुल्तवी अपील के करेगी लेकिन जिस हाल में कि मुक़द्दमे को वापिस करे या अमूरतनकीही क़ायम करे वास्ते तजवीज़ के इरसाल करे या हुक्म दे कि शहादत ज़ायद अदालत मराफ़े में लीजाय तो उसे जायज़ है कि अपना हुक्म उस महकमे के नाम जिसमें कि नालिश रुजूअ की गई थी या किसी और महकमे के नाम मुरसिल करे जो उसकी समाअत का मजाज़ हो - और यह उज़्र कि हुक्म अदालत अपील मातहत का बनाम ऐसी अदालत के भेजा गया है जो मजाज़ समाअत नालिश की न थी अपील खास में मसमूअ न होगा-

(तफ़रीक़) अगर किसी नालिश या दरख़्वास्त में जो किसी ऐसे महकमे माल में दायर हो जो इस ऐक्ट के बमूजिब इख़्तियारात समाअत इब्तदाई या इख़्तियार अपील या इख़्तियार नज़र सानी नाफ़िज़ करता हो महकमे मज़कूर को यह मालूम हो कि कोई अमर मुतनाज़े फ़ीह ज़ियादातर लायक़ इनसाफ़ अदालत दीवानी के हो तो ऐसे महकमे माल को इख़्तियार है कि बज़रिये अपने हुक्म तहरीरी के एसी नालिश या दरख़्वास्त के किसी फरीक़ को हिदायत करे कि वह एक मियाद मुअय्यन के अंदर

जो इस गरज़ से मुक़र्रर की जावे एक मुक़द्दमे अदालत दीवानी में इस गरज़ से दायर करे कि उस अदालत से अमर मज़कूर की तसक़िया जावे और अगर फ़रीक़ मज़कूर इस हिदायत की तामील में क़ुसूर करे तो महकमे मज़कूर अमर मज़कूर को उस के खिलाफ़ तजवीज़ कर देगा—

अगर फ़रीक़ मज़कूर वैसा मुक़द्दमे अदालत में दायर करे तो महकमे माल उस मुक़द्दमें या दरख़ास्त को जो उस के रूबरू दायर हो उस फ़ैसले अख़ीर के मुताबिक़ तै कर देगा जो अदालत दीवानी सीगे इब्तदाई या अपील से (जैसी सूरत हो) अमर तनाज़ाई की बाबत सादर हो—

द० फ़० २०९—जो नालिश कि कोई शरीक बनाम किसी नंबरदार के मुनाफ़े की किसी हिस्से की बाबत करे उस में अदालत को इख़्तियार है कि मुद्दई की निसबत वह हिस्सा मुनाफ़े का जो फ़िल वाक़े तहसील किया गया हो दिलावे और इस क़दर रुपये भी दिलावे जो मुनासिब और उस क़दर हिस्से मुनाफ़े मुद्दई के हो जिसे नम्बरदार ने अपनी ग़फ़लत या बदमुआमिलगी के सबब से तहसील न किया हो—

द० फ़० २१०—दरख़ास्त में जो आसामी बनाम ज़मींदार वास्ते दिला पाने क़ब्ज़े किसी जोत के गुज़रानी हुई हो इख़्तियार है किसी और शख़्स को भी जो क़ाबिज़ उस जोत का हो और बजुज़ ऐसे ज़मींदार दावी दख़ीलकारियत

का हो मुद्दा अलैह गरदाने-

जो नालिश या दरख़ास्त कि ज़मींदार किसी असामी की बेदख़ली के लिये करे उसमें उसे इख़्तियार है कि किसी और शख़्स को भी जो का बिज़ हक़ मुज़ाहमत का हो और ज़रिये असामी के दावा हक़ीयत का रखता हो मुद्दा अलैह गरदाने-

द. फ़ा २११ - लोकल गवर्मेंट को इख़्तियार है कि मुताबिक़ एक हाज़ा व क़ानून फ़ौक़ क़वायद दरबाब उमूर मुफ़स्सिले ज़ैल मुनज़ब्ति करे-

(अलिफ़) वास्ते हिदायत ओहदेदारों के उस लगान की तजवीज़ करने में हस्ब दफ़े १३ व १४ व १५ व १७ व १८ व २० के जो असामियों पर वाजबुल अदा हो-

(बे) वास्ते हिदायत ओहदेदारों के जो हस्ब दफ़े ३ अशख़ास लगान करें-

(जीम) बाबत उन तारीख़ों के जिन पर इक़सात लगान वाजबुल अदा हों-

(दाल) दरबाब ज़ाबते के जो तमाम दरख़ास्त हाय हस्ब दफ़े ९५ की निस्बत अमल में आयेगा-

(हे) दरबाब इन्तक़ाल अपीलों के कलक्टरों के पास दफ़े २०० (बे) की रूसे-

ऐसे तमाम क़वायद मुक़ाम के सरकारी गज़ट में मुश्तहर किये जायंगे और बाद अज़ां हुक्म क़ानून का रखेंगे साह्बान बोर्ड को

इख़्तियार होगा कि लोकल गवर्नमेंट की पेशतर से मनज़ूरी हासिल करके वक़्तन फ़ौक़तन क़वायद मुताबिक़ एहकाम मुन्दर्जे एक हाज़ा वास्ते हिदायत तमाम अशख़ास के अमूर मुतअल्लिक़े तामील एक्ट हाज़ा में तरतीब दे-

द० — २१२ - जब लोकल गवर्नमेंट एक क़ायदे दरबाब तअय्युन उस तारीख़ के मुनज़बत करे जिसमें क़िस्त लगान की वाजबुल अदा होगी तो कोई ऐसी क़िस्त वास्ते इग़राज़ एक हाज़ा के वाक़ियात में बदून इस के मुतसव्वर न होगी कि वह उस क़ायदे के बमूजिब मुक़र्रर की हुई तारीख़ के बाद ग़ैर मवद्दा रहे-

ज़मीमे अव्वल

नमूने (अलिफ़) द० ५९ को देखना चाहिये)

मैं (बे) साकिन बइक़रार सालह बयान करता हूं कि मैंने बज़ात ख़ुद यह ज़र ये अपने कारिन्दे (जीम दाल) के ज़रीये तारीख़ - माह सन - (हे दाल) को बग़र्ज़ बअदाय कुल मुतालबे के जो मुझ से बाबत लगान मिन इब्तदाय माह - लग़ायत माह - वाजबुल वसूल था देने के लिये पेश किया मैं यह बयान करता हूं कि (हे दाल) मज़कूर ने ज़र मज़कूर के लिये और उस की बाबत रसीद कामिल देने से इनकार किया और मैं इक़रार करता हूं कि ता हद्द मेरे यक़ीन के मुबलिग़ मज़कूर जो पेश किया गया और अब मैं अदालत में दाख़िल करना चाहता हूं कुल वह रुपये जो मुझ से (हे दाल) को वाजबुत्तलब हैं और मैं इस तहरीर की रू से उस के -

मुताबिक़ उसके अदा करने की दर्ख़ास्त करता हूं –

नमूने: (बे) दफ़े ५८ को देखना चाहिये

महकमे: कलकर – तारीख़ – माह – सन – बनाम – (हेदल) वग़ैरः

बलिहाज़ बयान तहरीरी (अलिफ़ बे) के तुमको अज़रूय इस तह रीर के इत्तला दी जाती है कि मुबालिग़ मुनदर्जे इत्तला नामे हा ज़ा इस महकमे में अमानत दाख़िल है और वक़्त तुम्हारी दर्ख़ा स्त के तुमको या तुम्हारे मुख़्तार मजाज़ को हस्बज़ाबते अदा किया जायगा – यही नक़ल इक़रार मुनदर्जे ज़मीमे (अलिफ़) पर लिखी जायगी जो कि अदालत में रुपये का दा ख़िल करने वाला करे –

नमूने (जीम) दफ़े ६९ को देखना चाहिये –

नमूने इत्तलानामा बाबत नाम मालिक माल मक़रूके:

कचहरी कमिश्नर नीलाम माल मक़रूके:

नाम और पता मालिक .... (अलिफ़ बे) क़ारके

हरगाह (अलिफ़ बे) मज़कूर ने दर्ख़ास्त की है कि माल मक़रू के मुसर्रेहे ज़ैल वास्ते वसूल याबी मुबालिग़ – के जो उसने बाबत बाक़ी लगान अपना या क़र्ज़ बयान किया है नीलाम किया जावे लिहाज़ा तुमको अज़रूय इस तहरीर के हुक्म दिया जाता है कि मुसम्मी (अलिफ़ बे) मज़कूर को ज़र मज़ कूर अदा करदिया मतालबे की नाजवाज़ियत की नालिश इस इत्तलानामे की तारीख़ से पंदरह यूम के अंदर साहब

कत्लक़र्र के हुज़ूर रुजूअ़ करो अगर ऐसा न करोगे तो हासि
नीलाम हो जायगा — अलमरक़ूम तारीख़ — माह — सन —

नमूनैः (दाल) दफ़ै १२४ को मुलाहज़ा करना चाहिये)

नमूनैः समन बनाम मुद्दाअ़लैह

नंबर (मुक़द्दमे का) तारीख़ —

मरजूअ़ै अदालत —

(अलिफ़ बे) मुद्दई (नाम और पता मुद्दई का)

(जीम दाल) मुद्दाअ़लैह (नाम और पता मुद्दाअ़लैह का —

हरगाह (अलिफ़ बे) मज़कूर ने दावी बनाम तुम्हारे इस अ़
दालत में पेश किया है लिहाज़ा अज़ रूए इस तहरीर के तुम
को हुक्म दिया जाता है कि इस अदालत में असालतन
बतारीख़ — माह — अगर बिलख़ुसूस असालतन हा
ज़िर होने का हुक्म न दिया जाय तो लिखना चाहिये कि
असालतन या बज़रिये ऐसे मुख़्तार के जो ख़ुद हाल मुक़
द्दमे से वाक़िफ़ हो या उसके साथ ऐसा शख़्स होना चाहिये
जो उस हाल से वाक़िफ़ हो मुद्दई मज़कूर के बाला की जवा
बदिही के लिये हाज़िर हो और अपने साथ (या मारूफ़त अप
ने मुख़्तार के) (यहां वह दस्तावेज़ जिसका पेश करना मुद्दई
चाहता हो लिखनी चाहिये) लेते आवो कि मुद्दई उसका मुला
यना चाहता है और वह तमाम दस्तावेज़ात भी लाओ जि
स पर अपनी जवाबदिही में तुम इस्तदलाल करना चाहते हो

तुमको लाज़िम है कि अपने साथ अपने गवाहों को भी ब शरते कि वह बग़ैर सुदूर हुक्मनामे अदालत हाज़िर होने पर राज़ी हों लाओ -

नमूना (हे) (दफ़े ११८ को देखना चाहिये

नमूने वारंट गिरफ़तारी

नंबर - (मुक़द्दमे का) तारीख़ -

बअदालत -

(अलिफ़ बे) .. .. मुद्दई

(जीम दाल) .. .. मुद्दाअलैह

बनाम नाज़िर अदालत कलकटरी -

अज़ांजा कि मुद्दई मुक़द्दमे हाज़ा ने अदालत से हुक्म गिरफ़तारी मुद्दाअलैह का हासिल किया है लिहाज़ा तुम को हुक्म दिया जाता है कि मुद्दाअलैह को रूबरू अदालत के बतारीख़ - या उससे पहले हाज़िर करो ताकि मुताबिक़ क़ानून के अमल किया जावे - अलमरक़ूम तारीख़ - माह - सन -

नमूने (दाल) दफ़े ११६ को देखना चाहिये)

नमूने इत्तलानामे का जो वारंट के साथ जायगा

बअदालत -

(अलिफ़ बे) .. .. मुद्दई

नाम और पता मुद्दई का -

(जीम दाल) .. .. मुद्दाअलैह

नाम और पते मुद्दा अलैह का -

अज़ांजा कि (बे) मज़कूर ने तुम पर दावी अदालत तहज़ा में बा बत (यहां तफसील दावी हस्ब मुन्दरजे अरज़ी दावी लिखी जायगी) के पेश करके तुम्हारी गिरफ़्तारी का वारंट हासिल किया है लिहाज़ा अज़रूय इस तहरीर के तुम को हुक्म दिया जाता है कि अगर तुम को दावी से इक़बाल न हो तो अपने साथ अदालत में वह तमाम दस्तावेज़ात जिन पर तुम बतरदीद दावी इस्तदलाल किया चाहते हो लेते आवो -

नमूने (ज़े) (दफ़े १२१ को देखना चाहिये)

नमूने ज़मानत नामे हाज़री मुद्दा अलैह

अज़ आंजा कि (बे) मुद्दई ने नालिश बमहकमे कलकटर बनाम (जीम दाल) मुद्दा अलैह के रुजूअ की है और (जीम दाल) मज़कूर को हुक्म हुवा है कि वास्ते अपनी हाज़री के जिस वक़्त वह तलब किया जाय और जिस अरसे तक कि नालिश दायर रहै और डिगरी का इजराय अमल में आवे ज़मानत दाखिल करे लिहाज़ा मैं (हे वाव) अज़रूय इस तहरीर के ज़ामिन (जीम दाल) का हस्ब मज़कूर हवाला उसके हाज़िर होने के लिये होता हूं अदा करूंगा अगर नालिश वास्ते हवालगी कागज़ात हिसाब के हो तो तअय्युन उस क़दर मुबलिग़ का किया जाय जो कलकटर क़रार दे -

नमूने (हे) (दफ़े १५६ को मुलाहिज़ा करना चाहिये -

हुकमनामा इजराय डिगरी मदयून की ज़ात पर

(अलिफ़ बे) " " " " " " " मुद्दई

(जीम दाल) " " " " " " मुद्दा अलैह

बनाम नाज़िर कलक्टर–

अज़ांजा कि (जीम दाल) मज़कूर को बज़रिये डिगरी अदालत हाज़ा मरकूमे तारीख़ – माह सन हुक्म हुवा है कि (अलिफ़ बे) को १०००) और मुबलिग़ बाबत ख़र्चे मुक़द्दमे जुमले मुबलिग़ अदा करे और अज़ांजा कि (जीम दाल) मज़कूर ने वह रुपये नहीं अदा किया लिहाज़ा तुमको अज़रूए इस तहरीर के हुकम दिया जाता है कि (जीम दाल) मज़कूर को गिरफ़्तार करके जिस क़दर जल्द ब सहूलियत मुमकिन हो इस अदालत में हाज़िर करो ताके मुताबिक़ क़ानून के अमल किया जाय–

नमूने (तोय) दफ़े १५६ को देखना चाहिये

हुकमनामे इजराय डिगरी माल मनकूले पर

(अलिफ़ बे) " " " " " " " मुद्दई

(जीम दाल) " " " " " " मुद्दा अलैह

बनाम नाज़र अदालत कलक्टर

हरगाह (जीम दाल) को बज़रिये डिगरी अदालत हाज़ा मरकूमे तारीख़ – माह – सन – के हुक्म हुवा है कि (अलिफ़ बे) को मुबलिग़ – और मुबलिग़ – बाबत ख़र्चे मुक़द्दमे जुमले मुबलिग़ – अदा करे और अज़ांजा कि (जीम दाल) मज़कूर

ने वह रुपये अदा नहीं किये लिहाज़ा तुम को अज़ रूये इस तहरीर के हुक्म दिया जाता है कि मुतालिबः और मुतालिबः बाबत खर्चे इजराय हुक्मनामे हाज़ा बज़रिये कुरक़ी और नीलाम उस माल मनकूलः (जीम दाल) मज़कूर के जो फ़िहरिस्त मुनसिलके में मुनदर्ज है (और अगर कोई फ़िहरिस्त नदाख़िल की गई हो तो उस क़दर इबारत मतरूक होगी) तुम को डिगरीदार या उसका कारिन्दा निशान दे वसूल करो और तुम को अज़ रूये इस तहरीर के हुक्म दिया जाता है कि (जीम दाल) मज़कूर के माल मरकूमः बाला को किसी तारीख़ मुनासिब में जो कुरक़ी की तारीख़ से दस दिन से कम और पन्द्रह दिन से ज़ियादा फ़ासले पर न हो नीलाम करो बशरते कि ज़र वाजिबुल वसूल हस्ब मरकूमे बाला उससे पहले रवाना कर दिया जाये और नीज़ तुम को अज़ रूये इस तहरीर के हुक्म दिया जाता है कि तुम कैफ़ियत इस अमर की हमारे हुज़ूर गुज़रानो कि तुमने हस्ब वारंट हाज़ा किस तरह अमल किया—

ज़मीमेदोयम

(दफ़ः १—को देखो)

मुमालिक जो एक के नफ़ाज़ के शुरूअ में इसकी तासीर से मुस्तसना किये गये

१—मुल्क कमायूं और गढ़वाल—

२ - परगने: जात तराई जिनमें यह परगनह शामिल हैं -
नानकपूर - और काशीपुर - जसपुर - और रुद्रपुर - और गदर
पुर - और कलपुरी - और नानकमथा - और बलहरी -

३ जुज़ व ज़िले मिरज़ापुर का जो कोहकैमूर के दखिन जानि
ब वाक़े है -

४ - इलाक़े जात खानदान महाराजे बनारस जिनमें पर
गने जात मुन्दरजेज़ैल शामिल हैं -
भदोनी: और खेड़ा मंगरवर वा ज़िले बनारस -

५ - दो क़िते मुलक का जौनसार बावर के नामसे ज़िले
देहरादून में मारूफ़ है -

डी फ़िटस पैटरिक
सिकरटरी गवरमेंट हिन्द

इति

اعلان

تاجران کتب اور اہل مطابع کو معلوم ہووے کہ حق
تالیف اسکا بابو جمنا داس صاحب وکیل نے احقر کو
ہبہ فرمایا ہے - لہذا کوئی صاحب بدون اجازت
احقر کے قصد چھاپنے اور چھپوانیکا نفرماوین -

المشتہر
محمد چھو خان مالک مطبع آلہی آگرہ

عاشق حسین
مصور

ऐक्ट नं० ८ बा० सन् १८८५ ई० ॥

यानी

बंगाला की ज़मीन रखने का आईन,

सन् १८८५ ई० ॥

ऐक्ट बग़रज़ तरमीम व इजतमायबाज़क़ावानीन के जो क़ानून ज़मींदार व रिआया मुमालिक तहतसियासत इन्तिज़ाम लफ्टिनेण्ट गवर्नर बंगालसे मुतअल्लिक़ हैं मुसद्दिरे जनाब मुअल्लाअल्क़ाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुरहिन्द इजलास कौंसल जो तारीख़ १४ मार्च सन् १८८५ ई० को हुज़ूरसे जनाब महतशिमइलेह के मंज़ूर हुआ

वास्ते फ़ायदा आम के

बतसहीह तमाम व हुस्नएहतिमाम

लखनऊ

मुंशी नवलकिशोर के छापेख़ाने में छापागया

फ़रवरी सन् १८८६ ई० ॥

ACT No. VIII OF 1885.

ऐक्ट नंबर ८ बा० सन् १८८५ ई० का ॥

बंगाला की जमीन रखनेका आईन बा० सन् १८८५ ई० ॥

मज़मून ॥

पहिला बाब ॥

इब्तिदाई मज़मून ॥

दूसरा बाब ॥

असामियों की क़िस्में ॥

तीसरा बाब ॥

दर्मियानी हक़दार ॥

मालगुज़ारी का बढ़ाना ॥

(६) मालगुज़ारी उसदर्मियानी हक़की ज़मीनकी जिसका दख़ल दवामी बन्दोबस्त के वक़्तसे चलाआता है सिर्फ़ बाज़ हालतों में बढ़ाई जासक्ती है ॥

(७) दर्मियानी हक़वाली ज़मीन की मालगुज़ारी बढ़ाने की हद ॥

(८) रफ़्ता रफ़्ता मालगुज़ारी बढ़ाने के हुक्म देने का इ॰ ख़्तियार ॥

(९) मालगुज़ारीजो एकबार बढ़ाई जा चुकीहै पन्द्रहबरस तक फिरनहीं बदल सकैगी ॥

दर्मियानी हक़के मुतअ़ल्लिक़ और कई अहवाल ॥

(१०) दवामी दर्मियानी हक़दार बेदख़ल नहीं होसक्ताहै॥

(११) दवामी हक़ दर्मियानीका इन्तक़ाल और विरासत ॥

(१२) दवामी हक़ दर्मियानी को अपनी मर्ज़ी से जुदा करना ॥

(१३) ऐसी डिगरी की इजराय में जो मालगुज़ारी की डिगरी नहींहै नीलाम की रूसे दवामी हक़ दर्मियानी का इन्तक़ाल करना ॥

(१४) मालगुज़ारी की डिगरी की इजराय में नीलाम की रूसे दवामी हक़ दर्मियानी का इन्तक़ाल करना ॥

(१५) दवामी हक़दर्मियानी पर वरसा ॥

(१६) वरसाकी इत्तिला न देनेतक मालगुज़ारी वसूलनहीं हो सक्ती ॥

(१७) दवामी हक्क दर्मियानीके हिस्सेका इन्तक़ाल करना या वरसा पाना ॥

चौथा बाब ॥

शरह मुक़र्ररपर ज़मीन रखनेवाला रऋय्यत ॥

(१८) शरह मुक़र्रर पर जोत रखने के मुतऋल्लिक़ अह-वाल ॥

पांचवां बाब ॥

दखलकार रऋय्यत ॥

आम ॥

(१९) जिनको हालमें हक्क़दखल हासिल है वह हक्क़ क़ायम रहेगा ॥

(२०) क़ायमी रऋय्यत की तारीफ़ ॥

(२१) क़ायमी रऋय्यत हक्क़दखल रक्खेंगे ॥

(२२) ज़मींदारके हक्क़दखली हासिल करनेका फल ॥

हक्क़दखली के मुतऋल्लिक़ अहवाल ॥

(२३) रऋय्यत के हक्क़ज़मीन के इस्तेमाल की बाबत ॥

(२४) रऋय्यत पर मालगुज़ारी देनेकी पाबंदी ॥

(२५) रऋय्यतकीहिफ़ाज़त बेदखलीसे सिवाय उनहालतों के कि जब वजूहात दिखलाई जाय ॥

(२६) मरनेपर हक्क़दखली किसको पहुंचता है ॥

मालगुज़ारी का बढ़ाना ॥

मालगुज़ारी घटाना ॥

निर्ख़नामा ॥

बदल देना ॥

(४०) उस मालगुज़ारी को जो जिंसमें अदा की जाती है नक़दमें बदलना या भावलीकी जगह नक़दी मालगुज़ारी क़ायम करना ॥

छठवां बाब ॥

ग़ैर दख़लकार रअ़य्यत ॥

(४१) यह बाब किसपर आयद होगा या लगेगा ॥
(४२) ग़ैर दख़लकार रअ़य्यत की शुरूकी मालगुज़ारी ॥
(४३) मालगुज़ारी बढ़ानेकी शर्तें ॥
(४४) वजूहात जिनपर ग़ैर दख़लकार रअ़य्यत बेदख़ल होसक्ताहै ॥
(४५) पट्टाकी मीआ़द ख़तम होने की वजह से बेदख़ली की शर्तें ॥
(४६) मालगुज़ारी बढ़ाने से नाराज़ी की वजह बेदख़ली की शर्तें ॥
(४७) " ज़मीन पर दख़ल पाया " इसका मतलब ॥

सातवां बाब ॥

शिकमी रअ़य्यत ॥

(४८) शिकमी रअ़य्यतसे मालगुज़ारी वसूल करनेकी हद ॥
(४९) शिकमी रअ़य्यतों की बेदख़लीके लिये रोक ॥

आठवां बाब ॥

मालगुज़ारी की निस्बत आम क़ायदा ॥

मालगुज़ारी की तादादकीनिस्बत क़यास और क़ायदा ॥

(५०) मालगुज़ारी के मुक़र्रर होनेकी निस्बत क़यास और क़ायदा ॥

(५१) मालगुज़ारी की तादाद और ज़मीन रखने की शर्तों की निस्बत क़यास ॥

ज़मीनका रक़बा बदलनेपर मालगुज़ारी बदलना ॥

(५२) ज़मीन का रक़बा बदलने की निस्बत मालगुज़ारी का बदलना ॥

अदाय मालगुज़ारी ॥

(५३) मालगुज़ारी की क़िस्तें ॥

(५४) मालगुज़ारी अदाकरनेके लिये वक़्त और जगह ॥

(५५) अदाहुई मालगुज़ारी को हिसाब में लाना ॥

रसीद और हिसाब ॥

(५६) असामी ज़मींदार को रुपया अदा करने के वक़्त रसीद पाने का हक़दार है ॥

(५७) साल आख़िरी पर रअ़य्यत फ़ारख़ती या जमा वासिलबाक़ी का हिसाब पानेका हक़दार है ॥

(५८) रसीद और हिसाब न देने और उनकी परतसानी न रखने के लिये सज़ा और जुर्माना ॥

(५६) सरकार रसीद और हिसाबबही का नमूना तय्यार करके बिक्री के लिये रक्खैगी ॥

(६०) रजिस्टरी किया हुआ मालिक या कारपरदाज़ या मुर्तहिन की रसीद का असर ॥

मालगुज़ारी अदालत में अमानत रखना ॥

(६१) अदालत में मालगुज़ारी अमानत रखने के लिये दरख्वास्त ॥

(६२) अमानत रक्खीहुई मालगुज़ारी की रसीद जो अदालत से दीगई पक्की सफ़ाई होगी ॥

(६३) मालगुज़ारी अमानत होने का इश्तिहार ॥

(६४) अमानतरक्खे रुपयेका अदाहोना या वापस देना ॥

बाक़ी मालगुज़ारी ॥

(६५) दवामीहक़ दर्मियानी की ज़मीन या जोत, जो शरह मुक़र्ररपर जोती जाती है, या जिसपर हक़दख़ली है, बाक़ी मालगुज़ारी के लिये नीलाम होजासक्ती है ॥

(६६) और हालतोंमें बाक़ी मालगुज़ारीके लिये बेदख़ली ॥

(६७) बाक़ी मालगुज़ारी पर सूद ॥

(६८) बिलावजह माक़ूल मालगुज़ारी अदा न करनेके लिये या बिलासबब किसी मुद्दाअलेहपर नालिश करनेके लिये हर्जा दिलानेका इख्तियार ॥

भावली मालगुज़ारी ॥

(६९) पैदावारकी कनकूत या बटाईके लियेहुक्म ॥

(७०) कार्रवाई जहां अफ़सर मुक़र्रर कियाजाय ॥

(७१) जिंसपर दखलका हक़ और जवाबदिही ॥

ज़मींदार बदलनेपर या दर्मियानी हक़ या जोत के इन्तक़ाल होनेपर मालगुज़ारी अदा करने की जवाबदिही ॥

(७२) असामी उस मालगुज़ारी के लिये कि जो उसने अगले ज़मींदार को बिलापाने इत्तिला इंतक़ाल के दिया था उस शख्स के पास जवाबदह न होगा कि जिसको साबिक के ज़मींदारने अपना हक़ दे दिया ॥

(७३) हक़दखली की जोत इंतक़ाल होनेपर मालगुज़ारी के लिये जवाबदिही ॥

बे आईन अबवाब वग़ैरह ॥

(७४) अबवाब वग़ैरह आईन के ख़िलाफ़ है ॥

(७५) जो मालगुज़ारी क़ाबिल अदासे ज्यादा रुपया ज़मीदार ख़िलाफ़ आईन असामी से ले उसके लिये सज़ा ॥

नवां बाब ॥

ज़मींदार और असामीके लिये क़वायद मुतफ़र्रिक़ा ॥

ज़मीन की लियाक़त बढ़ाना या सुधारनेका सामान करना ॥

(७६) ज़मीन की लियाक़त बढ़ानेकी तारीफ़ ॥

(७७) शरह मुक़र्रर पर ज़मीन रखने की हालत में और जहां हक़ दख़ल है, उन हालतों में ज़मीन की लियाक़त बढ़ाने का हक़ ॥

(७८) साहब कलक्टर ज़मीनकी लियाक़त बढ़ानेके हक़ के बारे में फ़ैसला करेंगे ॥

(७९) हक़ दख़ली न होने की हालतमें ज़मीनकी लियाक़त बढ़ाने का हक़ ॥

(८०) ज़मींदारकी कोशिशसे जो ज़मीनकी लियाक़त बढ़ी है उसकी रजिस्टरी ॥

(८१) ज़मीन की लियाक़त बढ़ानेकी निस्बत सबूत क़लमबन्द होनेकी दरख्वास्त ॥

(८२) रअ़य्यत की कोशिशसे जो ज़मीनकी लियाक़तबढ़ी है उसके लिये तलाफ़ी ॥

(८३) तलाफ़ी दिलाने के क़ायदा ॥

मकान बनाने और और कामोंके लिये ज़मीन हासिल करना ॥

(८४) मकान बनाने और दूसरे कामों के लिये ज़मीन हासिल करना ॥

शिकमी पट्टादेना ॥

(८५) शिकमी पट्टा देनेके लिये क़ैद ॥

इस्तीफ़ादेना और ज़मीनछोड़देना ॥

(८६) इस्तीफ़ा देना ॥

(८७) ज़मीन छोड़देना ॥

जोतकी तक़सीम करना ॥

(८८) अगर बिलामंज़ूरी ज़मींदार जोत तक़सीम किया जाय तो वह उसका पाबंद न होगा ॥

बेदख़लकरना ॥

(८९) सिवाय इजराय डिकरी के ज़रिये से असामी की बेदख़ली नहीं होसक्ती ॥

पैमायश ॥

(९०) ज़मींदार का हक़ ज़मीन पैमायश करने का ॥

(९१) रअय्यतपर हाज़िर होनेका और चौहद्दी बतलानेका हुक्म अदालत सादिर करसकी है ॥

(९२) पैमायश का पैमाना ॥

मनेजर ॥

(९३) शरीकदारों से जवाब तलबकरने का इख्तियार कि इजमाली मनेजर मुक़र्रर करने में क्या उज़्र है ॥

(९४) उज़्र नहीं दिखलाने से इजमाली मनेजर मुक़र्रर करने के लिये हुक्म देने का इख्तियार ॥

(९५) हुक्म तामील न होने से मनेजर मुक़र्रर करने का इख्तियार ॥

(९६) पिछले दफ़ा के फ़िक़रा (बे) की रूसे हरमुक़द्दमे में काम करने के लिये किसी शख्स को नामजद करने का इख्तियार ॥

(९७) कोर्ट--आफ़--वार्डस ऐक्ट सन् १८७९ ई० कोर्ट—आफ़--वार्डस के इंतिज़ामपर आयद होगा या लगेगा ॥

(९८) वह शर्तें जो मनेजर पर आयद होंगी ॥

(९९) इन्तिज़ामका काम शरीक मालिकोंके हाथसे वापस देनेका इख्तियार ॥

(१००) क़ायदा बनाने का इख्तियार ॥

दसवां बाब ॥

रूयदाद हक़ूक़ और मालगुज़ारी का बन्दोबस्त ॥

(१०१) — रूयदाद हक़ूक़ तैयार करने और ज़मीन की

पैमायश करने के लिये हुक्म देनेका इख्तियार ॥

(१०२) कौन कौन मरातिब रूयदाद में मुन्दर्ज होंगे ॥

(१०३) मालिक या दखियानी हक़दार की दरख्वास्त पर अफ्सरमाल (रेवन्यू अफ्सर) का तफ़सील लिखनेका इख्तियार॥

(१०४) मालगुज़ारीके ठहराने और क़लम्बन्द करने की कारखाई ॥

(१०५) हक़ोंके रूयदाद को मुश्तहर करना ॥

(१०६) रूयदाद की मदोंकी निस्बत तकरार की हालतमें कारखाई ॥

(१०७) मालके अफ्सर (रेवन्यू अफ्सर) की कारखाई ॥

(१०८) अफ्सरमाल (रेवन्यू अफ्सर) केफ़ैसलाकीअपील॥

(१०९) रूयदाद की वह मदें जिनके लिये कुछ झगड़ानहीं है सबूत क़रायन होंगी ॥

(११०) किसतारीख़ से मालगुज़ारी का बन्दोबस्त जारी होगा ॥

(१११) ता तय्यारी रूयदाद दीवानी अदालत में मुक़द्दमा रुजू या फ़ैसल नहीं होसक्ता ॥

(११२) खास हालतोंमें खास बन्दोबस्त करनेकेलियेहुक्म देनेका इख्तियार ॥

(११३) किस अर्सा तक मालगुज़ारी जो ठहराई गई है बिला तबदीली बहाल रहेगी ॥

(११४) इसबाब की रूसे कारखाई का खर्चा ॥

(११५) मालगुज़ारीके मुक़र्ररहोनेका क़यास उस दखियानी हक़ पर नहींहोगा जिसके लिये रूयदाद तैयारहुआ है ॥

ग्यारहवां बाब ॥

मालिक की नीजदखली ज़मीनकी रूयदाद ॥

(११६) खुमार ज़मीनकी निस्बत बचाव या इस्तसना ॥

(११७) सरकार को यह इख्तियार है कि मालिक की नीज ज़मीनों का पैमायशकरने और उनके क़लम्बन्दकरनेका हुक्म दे॥

(११८) अफसर माल को यह इख्तियार है कि मालिक या असामी की दरख्वास्तपर उनकी नीजज़मीनोंको क़लम्बन्दकरे ॥

(११९) नीज ज़मीनकेक़लम्बन्द करनेकेलिये काररवाई ॥

(१२०) मालिक की नीजज़मीन की तजवीज़ करनेकेलिये क़ायदा ॥

बारहवां बाब ॥

क़ुर्क़ी ॥

(१२१) किन हालतों में क़ुर्क़ी के लिये दरख्वास्त दी जा सक्ती है ॥

(१२२) दरख्वास्त का नमूना ॥

(१२३) दरख्वास्त दाखिल होनेपर काररवाई ॥

(१२४) क़ुर्क़ीके हुक्मकी तामील ॥

(१२५) तलबी और हिसाबकी इजराय ॥

(१२६) फ़सल काटने वग़ैरह करनेका हुक्म ॥

(१२७) जरतलबी अदा न होनेसे नीलामी इश्तिहार जारी किया जायगा ॥

(१२८) नीलामकी जगह ॥

(१२९) कबफ़स्ल खड़ी नीलाम होसक्तीहै ॥

(१३०) नीलामका ज़ाबिता ॥

(१३१) नीलामको मुल्तवी रखना ॥

(१३२) सूलके रुपयेका अदाकरना ॥

(१३३) ख़रीदारको सर्टीफ़िकट दिया जायगा ॥

(१३४) बाद नीलाम किसतरह तसर्रुफ़ होगा ॥

(१३५) बाज़शख्स ख़रीद नहीं सक्तेहैं ॥

(१३६) नीलामके अगेतलबी अदा होनेसे कारखाई ॥

(१३७) वह रुपया कि अपने पट्टा देनेवालेकेलिये शिक्मी असामी ने अदा किया है मालगुजारी से मुजरा होसक्ताहै ॥

(१३८) ज़मींदार माफ़ौक़ और जमींदार मातहतके हक़ूक़ का झगड़ा ॥

(१३६) उस मालकी क़ुर्क़ी जो ज़ब्ती तलेहै ॥

(१४०) बे आईन क़ुर्क़ी के लिये हर्जा पानेकी नालिश ॥

(१४१) बाज़ हालतोंमें क़ुर्क़ीका हुक्म देनेकेलिये लोकल-गवर्नमेन्ट का इख़्तियार ॥

(१४२) क़ायदा बनानेके लिये हाईकोर्टका इख़्तियार ॥

तेरहवां बाब ॥

अदालती कारखाई ॥

(१४३) आईन कारखाई दीवानी को ज़मींदार और असामीके दर्मियानके मुक़द्दमातमें तरमीमकरने का इख़्तियार ॥

(१४४) इस ऐक्टकीरूसे की हुई कारखाईमें हद इख़्तियार ॥

(१४५) नायब या गुमाश्ता कारपरदाज़ समझे जायेंगे ॥

(१४६) मुक़द्दमों का ख़ास रजिस्टर ॥

(१४७) मालगुज़ारीके मुक़द्दमात जोएकबाद दूसरेकेदायर किये जातेहैं ॥

(१४८) मालगुज़ारी के मुक़द्दमा में कारखाई ॥

(१४६) जो रुपया तीसरे शख़्स को अदा करने लायक़ क़बूल कियाजाय उसको अदालतमें अदाकरना ॥

(१५०) अदालतमें उसरुपये का अदाकरना जोज़मींदारको वाजिबुल्अदा क़बूल किया गयाहै ॥

(१५१) रुपयाकी एक जुज़ अदा करनेकीशर्त ॥

(१५२) अदालत रसीद देगी ॥

(१५३) मालगुज़ारी के मुक़द्दमोंमें अपील ॥

(१५४) किस तारीख़से मालगुज़ारी बढ़ाने की डिगरी का असर होगा ॥

(१५५) ज़ब्ती मिल्कियत का इलाज ॥

(१५६) बेदख़ल किये हुये रअ़्यत के हक़्क़ फ़स्ल और ज़मीन की निस्बत जो बोनेके लिये तैयार कीगईहै ॥

(१५७) बेदख़ली के इवज़ वाजिब मालगुज़ारी मुक़र्रर करनेका अदालतका इख़्तियार ॥

(१५८) ज़मीन रखनेके अहवाल मुक़र्रर करने के लिये दरख़्वास्त ॥

चौदहवां बाब ॥

बाक़ी मालगुज़ारीकी डिक्रीजारी का नीलाम ॥

(१५९) दैनको रद्द करनेका आम इख़्तियार ख़रीदारका ॥

(१६०) बचायेहुये हक़्क़ ॥

(१६१) "दैन" और "रजिस्टरीकीहुई औरमुश्तहिरदैनकेमाने"

(१६२) दर्मियानी हक़्क़ या जोतके नीलाम के लिये दरख़्वास्त ॥

(१६३) ज़ब्ती का हुक्म और नीलामी इश्तिहार एकसाथ जारी होंगे ॥

(१६४) रजिस्टरी कीहुई और मुश्तहिर दैनको बाज़रखके दर्मियानी हक़्क़ या जोतका नीलाम और उसकी तासीर ॥

(१६५) दैनको रद्दकरने के इख़्तियार के साथ दर्मियानी हक़्क़ या जोतका नीलाम और उसकी तासीर ॥

(१६६) दैनको रद्दकरने के इख़्तियार के साथ दख़ली जोत का नीलाम और उसकी तासीर ॥

(१६७) पिछलेदफ़ाओंकीरूसे दैनकोरद्दकरनेकी काररवाई॥

(१६८) यह हुक्म देनेका इख्तियार कि दखली जोत पिछले दफ़ाओंकी रूसे दर्मियानी हक़ के तौरपर मुतसव्विर होकर काम में आवें॥

(१६९) तसर्रुफ़ जरनीलाम के क़ायदे॥

(१७०) दर्मियानी हक़ या जोत क़ुर्की से सिर्फ़ उस हालत में रिहाई पावेगा कि ज़र डिकरी खर्चा के साथ अदालत में दाखिल होगा या जब कि डिकरीदार वसूल कबूल करेगा॥

(१७१) नीलाम मौक़ूफ़ रखने के लिये अदालत में अदा कियाहुआ रुपया बाज़ हालतों में दर्मियानी हक़ या जोतपर ज़र रेहन होगा॥

(१७२) असामी मातहत जो रुपया अदालत में अदाकरे मालगुज़ारी से मुजरा करसक्ता है॥

(१७३) डिकरीदार नीलाम में डाक बोलसक्ता है पर मदयून नहीं बोलसक्ता॥

(१७४) नीलाम रदकरने के लिये मदयून की दरख्वास्त॥

(१७५) दैन पैदाकरनेवाले बाज़ दस्तावेज़ोंकी रजिस्टरी॥

(१७६) ज़मींदार के यहां दैन की इत्तिला॥

(१७७) दैन पैदाकरने का इख्तियार नहीं बढ़ायागया॥

पंद्रहवां बाब॥

क़ौलक़रार और रवाज॥

(१७८) क़ौल क़रारके ज़रीया से इस ऐक्ट की शर्तों के बेकार करने पर क़ैद॥

(१७९) दवामी मुक़र्ररीपट्टा॥

(१८०) ओतबन्दी चर और दयारा ज़मीन॥

(१८१) चाकरान ज़मीन की इस्तसना॥

(१८२) बसगत ज़मीन॥

(१८३) रवाज मुल्क की इस्तसना ॥

सोलहवां बाब ॥

तमादी ॥

(१८४) तीसरे शिड्यूल में मुंदर्जै मुक़द्दमा अपील और दरख्वास्त की तमादी ॥

(१८५) इंडियन लेमीटेशन ऐक्ट के कौन दफ़ात ऐसे मुक़द्दमा वग़ैरह पर आयद नहीं होंगे ॥

सत्रहवां बाब ॥

ततिम्मा ॥

सज़ा ॥

(१८६) पैदावार में आईन के वरखिलाफ़ दस्तन्दाज़ी करने की सज़ा ॥

ज़मींदारों के एजंट और कारपरदाज़ ॥

(१८७) कारपरदाज़के मारफ़त ज़मींदार को काम करने का इख्तियार ॥

(१८८) शरीकदार ज़मींदार इजमालन या मारफ़त कारपरदाज़ इजमाली काम करेंगे ॥

क़ायदा इस ऐक्ट की रूसे ॥

(१८९) कारवाई अफ़सरों के इख्तियार और इजराय इश्तिहार के बारेमें क़ायदा बनाने का इख्तियार ॥

(१६०) क़ायदों के बनाने और उनके मशहूर करने और मंज़ूर करनेकी काररवाई ॥

मीआ़दी बन्दोबस्ती इज़्लाअ़ के लिये शर्तें ॥

(१६१) उस ज़मीन की इस्तसना जो मीआ़दी बन्दोबस्तके ज़िले में वाक़े है ॥

(१६२) सरकारी जमा का नया बन्दोबस्त होनेसे मालगुज़ारी बदलने का इख़्तियार ॥

चरागाह वग़ैरह के हक़ ॥

(१६३) चरागाहके हक़ बनकर वग़ैरह ॥

उन शर्तों के लिये बचाव कि जिनका ज़मींदार पाबन्द है ॥

(१६४) असामी इस ऐक्टकी रूसे उन शर्तों को नहींतोड़ सक्ता जिनका ज़मींदार पाबंद है ॥

ख़ास ऐक्टों का बचाना ॥

(१६५) ख़ास ऐक्टोंके लिये इस्तसना ॥

ऐक्ट के मतलब की शरह ॥

(१६६) जो ऐक्ट लफ्टन्ट गवर्नर बंगाला इजलास कौंसल इसके बाद जारी करेंगे उनपर लिहाज़ करके यह ऐक्टपढ़ा जायगा ॥

शिड्यूल १ ॥

ऐक्टों की तरदीद ॥

शिड्यूल २ ॥

रसीद और हिसाबबही के नमूने ॥

शिड्यूल ३ ॥

बमादी ॥

बंगाला की ज़मीन रखने का आईन ॥

पहिला बाब पहिलीबातें ॥

यह एक ऐक्ट है ऐसे बाज़ ऐक्टों को तरमीम और इकट्ठा करने के लिये जो आईन ज़मींदार और असामी से ऐसे मुल्क के भीतर जिसका बन्दोबस्त लफ्टन्टगवर्नर साहब बहादुरबंगाला करतेहैं, निस्बत रखते हैं ॥

चूंकि यह मुनासिब मालूम होता है कि वह चन्द ऐक्ट जो आईन ज़मींदार और असामी से उस मुल्कके भीतर जिसका बन्दोबस्त लफ्टन्ट गवर्नर साहब बहादुर बंगाला करतेहैं, निस्बत रखते हैं, तरमीम और इकट्ठा कियेजायें, इसलिये आगे बताई हुई आईन बनाई जाती है ॥

पहिला बाब ॥

पहिली बातें ॥

मुख़्तसिर नाम ॥

१—(१) इस आईन को बंगाला की ज़मीन रखने का आईन सन् १८८५ ई० कहसक्ते हैं ॥

जारी होने कीतारीख़ ॥

(२) यह ऐसे दिन से जारी होगा (जो इसके पीछे इस ऐक्टके जारी होनेका दिन कहलाया जायगा) कि लोकल गवर्नमेन्ट गवर्नरजनरल साहब बहादुर इजलास कौंसल की मंज़ूरी पहिले हासिल करके, लोकल गज़ट में इश्तिहार छापकर इस कामके लिये ठहराये ॥

किसकिस ज़िलेमें जारी होगा ॥

(३) यह आईन अपने असर से उन सब जगहों में जारी होगा जिनका बन्दोबस्त लफ्टन्ट गवर्नर साहब बहादुर बंगाला करते हैं, पर शहर कलकत्ता, उड़ीसा डिवीज़न और उन फ़ेहरिस्त किये हुये (शिड्यल) ज़िलोंको छोड़कर कि शिड्यल ज़िलोंके ऐक्ट सन् १८७४ ई० के पहिले शिड्यल के तीसरे हिस्सा में बताये गये हैं और लोकल गवर्नमेन्ट गवर्नर जनरल साहब बहादुर इजलास कौंसल की मंज़ूरी पहिले लेकर लोकल गज़ट में इश्तिहार छाप कर यह सारा ऐक्ट या कोई इसका हिस्सा उड़ीसा डिवीज़नमें या उसके किसी हिस्सामें जारी करसक्ती है ॥

आईन का रद होना ॥

२—(१) वह ऐक्ट जो इसके साथ लगाये हुये पहिले शिड्यल में दिखाये गये हैं, उन जगहों के लिये रद किये गये हैं जिनमें यह ऐक्ट अपने असर से काममें आताहै ॥

(२) जब यह ऐक्ट उड़ीसा डिवीज़नमें या उसके किसी हिस्सा में जारी किया जाय, तो उन आईनों में से

ऐसे जो उस डिवीज़न में या उसके हिस्सा में जारी हैं, या जहां इस ऐक्टका सिर्फ़ एक हिस्सा उस तरह से जारी किया जाय तो उन आईनों में स ऐसे जो उस हिस्सा के बख़िलाफ़ हों उस डिवीज़न या उसके हिस्सा के लिये रद किये जायँगे ॥

(३) कोई आईन या दस्तावेज़ कि उस आईन से निस्बत रखता है जो इसकी रूसे रदकी गई है, ऐसा समझा जायगा कि इस ऐक्ट से या उसके ठीक मुनासिब हिस्सासे तअल्लुक़ रखतीहै ॥

(४) इस आईन की रूसे किसी और आईनका रदहोना किसी हक़, अधीक़ा मुआमिला या बातको जो इस ऐक्टके जारी होनेके वक्त अमलमें नहीं है या बनी हुई नहींहै, फिर क़ायम न करेगा ॥

ता ीफ़

३—इसआईन में जो मतलब और क़रीनासे कुछ उलटा न हो तो ॥

(१) मुहाल से वह ज़मीन समझी जाती है जो एकमद के तले सरकारी जमा अदा करने वाली और मुआफ़ी ज़मीनों के ऐसे आम रजिस्टरों में लिखी हुई है जिनको ज़िले के कलक्टर ने उस वक्त के आईनकी रूसे बनारक्खाहै, और उससे सरकारी ख़ास मुहाल भी समझा जाताहै और सरकारी मालगुज़ारी से मुआफ़ी ज़मीन जो किसी रजिस्टर में मुन्दर्ज नहीं है ॥

(२) मालिक से एक ऐसा आदमी समझा जाता है जो किसी मुहाल या मुहाल के हिस्सा पर क़ब्ज़ा रखता है चाहे बतौर अमानत के या खुद अपने फ़ायदे के लिये ॥

(३) असामी से ऐसा आदमी समझा जाता है जो दू-

सरे शख्स के मातहत ज़मीन रखता है, और उस ज़मीन के लिये उस आदमी को मालगुज़ारी अदा करने के लिये जवाबदह है, या कोई खासमुआ-हिदा न कियाजाता तो जवाबदह होता ॥

(४) ज़मींदार से ऐसा आदमी समझा जाताहै जिसके मातहत बिलातवस्सुत और किसी शख्सके असामी ज़मीन रखताहै और उसमें सरकार भी शामिलहै ॥

(५) मालगुज़ारी से ऐसी चीज़ समझी जाती हैजो रु-पया या जिसके क़िस्मसे असामीको उस ज़मीनके इस्तैमाल या रखने के लिये जिसे असामी रखता है, अपने ज़मींदार के यहां आईनकी रूसे अदाक-रना या देना चाहिये ॥

इस ऐक्टके तीसरे शिड्यूल और बारहवें बाब के ५३ से ६८ दफ़ा (दोनोंशामिल) और ७२ से ७५ दफ़ाओंमें मालगुज़ारीसे वहरुपया भी समझाजाता है, जो उसवक्त के किसी आईन की रूसे बतौर मालगुज़ारी के वसूल किया जासक्ता है ॥

(६) " अदाकरना," " अदाकियेजानेलायक़," और "अदाहोनेमें," जब वह मालगुज़ारी की निस्बत इस्तैमाल कियेजायें "देना," "दियेजाने लायक़," और " दियाजाना," शामिल है ॥

(७) दर्मियानी हक़से किसी दर्मियानी हक़दार या दरू-नी हक़दार का हक़ समझा जाता है ॥

(८) दवामी हक़ दर्मियानी से ऐसा दर्मियानी हक़ समझा जाताहै जो मौरूसी है और किसी ठहराये हुये वक्त के लिये रक्खा नहीं गया है ॥

(९) जोतसे ज़मीन के ऐसे एक या कई टुकड़े समझे जाते हैं जिसको कोई रअय्यत रखता है और वह एक पट्टा के अन्दर है ॥

(१०) गांवोंसे वह रकबा ज़मीन का समझा जाताहै जो गांवों के पैमायश लगान (रेवन्यूसरवे) के नकशों में उन्हीं बेरूनी हद्दोंके भीतर शामिल कियागया है, या जहां ऐसा नक़शा तय्यार नहीं कियागयाहै, ऐसा रकबा समझाजाताहै जिसको किसी अफसर ने कि लोकल गवर्नमेन्ट की तरफ़ से इस कामके लिये मुक़र्रर कियागया है, बादकरने ऐसी तहक़ीक़ात सरज़मीन ठहराया है जो ऐसा इश्तिहार देकर कीगई है जिसको लोकल गवर्नमेन्ट उन लोगोंकी इत्तिला के लिये काफ़ी समझती है जो उससे ताल्लुक़ रखते हैं ॥

(११) खेती के बरससे जहां बंगाली बरस चलता है, वह बरस समझा जाता है कि बैसाख के पहिले दिनसे शुरू होता है और जहां फ़सली या अमली बरसजारी है, वह बरस कि आश्विन के पहिले दिनसे लगताहै और जहां कोई और बरस खेतीके कामके लिये चलताहै, तो वहबरससमझाजाताहै ॥

(१२) बन्दोबस्त इस्तिमरारी से बंगाला, बिहार और उड़ीसा का दवामी बन्दोबस्त जो सन् १७९३ ई० में किया गया था समझाजाता है ॥

(१३) बरसामिलने में बेवसीयत और वसीयत की रूसे बरसामिलना दोनों शामिल है ॥

(१४) दस्तख़त कियेहुयेमें उसवक्त निशान किया हुआभी शामिलहै जबनिशानकरनेवाला आदमी अपनानाम नहीं लिखसक्ता, और इसमें बिक्र कियेहुये आदमी के नामका मोहर छापाहुआ भी शामिल है ॥

(१५) ठहराये हुये से लोकलगवर्नमेन्ट की तरफ़ से इश्तिहार सरकारी गज़ट में छापकर वक्त वक्त पर ठहराया हुआ समझा जाता है ॥

(१६) कलक्टर से कलक्टर ज़िला या और ऐसा कोई अफ्सर समझा जाताहै जिसको लोकलगवर्नमेन्ट ने इसऐक्ट की रूसे कलक्टर का इख्तियार काम में लाने के लिये मुक़र्रर किया है ॥

(१७) अफ्सर माल (रेवन्यू अफ्सर) से इस ऐक्ट के किसी दफ़ामें ऐसा अफ्सर समझाजाताहै जिसको लोकलगवर्नमेन्ट नाम या उसके ओहदा की रूस अफ्सर मालका इख्तियार उस दफ़ाकी रूसे काम में लाने के लिये मुक़र्रर करे ॥

(१८) रजिस्टरी किये हुये से ऐसे किसी ऐक्ट की रूसे रजिस्टरी किया हुआ समझाजाता है जो उस वक्त दस्तावेज़ों की रजिस्टरी के लिये जारी है ॥

दूसरा बाब ॥

असामियों की क़िस्में ॥

असामियों का क़िस्में ॥

४—इस ऐक्टके मरातिबके लिये असामीआगे लिखीहुई क़िस्मों की होंगी, याने—:

(१) दर्मियानीहक़दारजिनमेंदरूनी हक़दारशामिलहैं ॥

(२) रअय्यत,—और

(३) शिकमी रअय्यत याने ऐसे असामी जो बिलातवस्सुत या बतवस्सुत दूसरे के, रअय्यतोंके मातहत जोत रखते हैं और आगे लिखीहुई क़िस्म के रअय्यत जैसे,

(अलिफ़) रअय्यत जो शरह मुक़र्ररपर जोत रखताहै, जिस इबारतमें वह रअय्यत शामिलहै, जो मालगुज़ारी मुक़र्ररपर या एक मुक़र्रर शरह मालगुज़ारी पर जोत रखता है ॥

(बे) दखलकार रअय्यत याने ऐसे रअय्यत जो अपनी रक्खीहुई ज़मीनपर हकदखली रखते हैं ॥

(से) ग़ैरदखलकार रअय्यत याने वह रअय्यत जो ऐसा हक़दखली नहीं रखते हैं ॥

दर्मियानीहक़दार और रअय्यत के माने ॥

(१) दर्मियानी हक़दार से असल में वह आदमी समझा जाताहै जिसने किसीमालिक या और दर्मियानी हक़दारसे मालगुज़ारी तहसील करनेके लिये या उसपर रअय्यत बसाकर उसको जोतने के लिये ज़मीन रखनेका हक़हासिल किया है और इसमें ऐसे आदमियों के जानशीन भी शामिल हैं जिन्होंने ऐसा हक़ पाया है ॥

(२) रअय्यत से असल में वह शख्स समझाजाता है जिसने आप या अपने घरके लोगों से या किसी केरायाके नौकरकी मारफ़त या किसीहिस्सेदारकी मदद से ज़मीन जोतने के लिये हासिल की है, और इसमें ऐसे शख्सों के जानशीन भी शामिल हैं जिन्होंने ऐसा हक़पायाहै ॥

तशरीह—जहां ज़मीन की असामी को उसके जोतनेका हक़ है तो ऐसा समझाजायगा कि उसने जोतनेकेलिये उसके रखने का हक हासिल कियाहै, अगर्चे वह उससे उसकी पैदावार इकट्ठाकरे या उसको मवेशी चरानेकेलिये काममेंलाये ॥

(३) कोई आदमी रअय्यत न समझाजायगा पर उस हालतमें कि जब वह किसी मालिक के या किसी दर्मियानी हकदारके मातहत बिलातवस्सुत और किसी के ज़मीन रखता है ॥

(४) इस बातके ठहरानेकेलिये कि असामी दर्मियानी हकदार या रअय्यत है, अदालत आगे लिखीहुई बातोंपर लिहाज़ करेगी ॥

(अलिफ़) जगह के रवाजपर; और
(बे) उस मतलबपर जिसकेलिये ज़मीन रखनेका हक़ पहिले हासिल कियागया था ॥

५— जहां जोत का रक़बा किसी असामी के दख़ल में क़ानूनी १०० बीघा से बढ़कर है, तो असामी उस वक़्त तक दर्मियानी हक़दार क़यास किया जायगा जबतक कि उसके बरख़िलाफ़ न दिखलायाजाय ॥

तीसरा बाब ॥

दर्मियानी हक़दार ॥

मालगुज़ारी का बढ़ाना ॥

उसदर्मियानीहक़ की मालगुज़ारी जो इस्तिमरारीबन्दोबस्तके वक़्तसे चला आता है, सिर्फ़ बाज़ हालतोंमें बढ़ाईजासक्तीहै ॥

६—जहां दर्मियानी हक़ का दख़ल दवामी बन्दोबस्त के वक़्तसे चला आताहै, उसकी मालगुज़ारी नहीं बढ़ाई जासक्तीहै, परआगे लिखीहुई बातों के साबित होनेपर ॥

(अलिफ़) कि वह ज़मींदार जिसके मातहत वह दर्मियानी हक़ रक्खा गया है, उस जगह के रवाज की रूसे या ऐसी शर्तों की रूसे जिनपर वह दर्मियानी हक़ रक्खा गया है, उसकी मालगुज़ारी बढ़ानेका हक़ रखता है ॥

(बे) उस दर्मियानी हक़दार ने अपनी मालगुज़ारी ऐसे किसी सबब से जो दर्मियानी हक़की ज़मीन के घटने से इलाक़ा नहीं रखता है, घटाली है,

और चाही हुई बढ़ती मालगुज़ारी अदा करने के लिये खुदको लायक़ किया है और उसकी ज़मीन उसके देने लायक़ है ॥

दर्मियानी हक़की मालगुज़ारी बढ़ाने का हद्द ॥

७—(१) जब किसी दर्मियानी हक़दार की मालगुज़ारी बढ़ाई जा सक्तीहै, तो वह ऐसे क़ौल क़रार के मुआफ़िक़ कि जो दोनों तरफ़ों में हुआ है, उस मामूली शरह की हद्द तक बढ़ाई जासक्ती है जो ऐसे शख्सों से लीजाती है कि उसके आस पासमें उसी तरह का दर्मियानी हक़ रखतेहैं ॥

(२) अगर कोई ऐसी मामूली शरह न हो तो ऊपर बताये हुये क़ौल क़रार के मुताबिक़ वह उस हद्द तक बढ़ाई जा सक्ती है जिसे अदालत मुनासिब और वाजिब समझै ॥

(३) इस बातकी तजवीज़ करने के लिये कि कौनसी हद्द वाजिब और मुनासिब होगी अदालत दर्मियानी हक़दार को कामिल मालगुज़ारी से जो उसको अदाहोने लायक़ है मालगुज़ारी इकट्ठा करने का खर्च मुजरा करने के बाद जो कुछ बाक़ी बचै उसमें से छः रुपये सैकड़ा से कम नफ़ा न देगी और आगे लिखी हुई बातों पर लिहाज़ करेगी ॥

(अलिफ़) जिन हालतों में दर्मियानी हक़ पहिले पहिल शुरू हुआ जैसे कि वह ज़मीन जो दर्मियानी हक़ में है या उसका बहुत सा हिस्सा दर्मियानी हक़दार के ज़रीया से या उसके खर्च से या उसके पहिलेहक़ रखने वालों की तरफ़से पहिले जोता गयाथा या नहीं और उस दर्मियानी हक़ के खड़े करने पर सलामी का रुपया दिया गया था या नहीं, और दर्मियानी हक़ की ज़मीन पहिले आबाद करने के

लिये बहुत कम मालगुज़ारी पर दिया गया था या नहीं, और ॥

(बे) जो कुछ ज़मीन की लियाक़त दर्मियानी हक़दार ने या उसके पहिले हक़ रखने वाले ने बढ़ाईहै ॥

(४) जो दर्मियानी हक़दार उस ज़मीन के किसीहिस्सा को अपने दखल में रखता है जो उसके दर्मियानी हक़्क़ी ज़मीन में शामिल है या उस ज़मीन के किसी हिस्सा को उसने मालगुज़ारी से बचाकर या फ़ायदा की मालगुज़ारी पर दियाहै तो वाजिब और माक़ूल मालगुज़ारी उस हिस्सा के लिये हिसाब की जायगी और ऊपर बताये हुये कामिल मालगुज़ारी में शामिल होगी ॥

रफ़्ता रफ़्ता मालगुज़ारी बढ़ाने के हुक्म देनेका इख़्तियार ॥

८—अदालत जो वह यह समझें कि एक दफ़ा मालगुज़ारी का बढ़ाना सख्ती पैदा करैगा तो, हुक्म देसक्ती है कि मालगुज़ारी रफ़्ता रफ़्ता बढ़ाई जाय याने मालगुज़ारी बरस बरस कुछ कुछ इतने बरसों तक बढ़ाई जाय कि पांच बरससे बढ़कर न हो और जब तक कि बढ़ाई जाने की हद्दतक जिसके लिये हुक्म हुआ है न पहुंच जाय ॥

मालगुज़ारी जो एक बार बढ़ाई जाचुकी है पन्द्रह बरसतक नहीं बदलीजायगी ॥

९—जब किसी दर्मियानी हक़दार की मालगुज़ारी अदालत की तरफ़से या क़ौल क़रारकी रूसे बढ़ाई गईहै तो वह उस तारीख़ से कि जब वह इस तरह बढ़ाईगईहै आइन्दह पन्द्रहबरसके भीतरकिसी अदालत के हुक्म से फिर न बढ़ाईजायगी ॥

दर्मियानी हक़ के मुतअल्लिक़ दीगर अहवाल ॥

१०—दवामी हक़दार दर्मियानी अपने ज़मींदार की तरफ़

दवामी हक़दार दर्मियानी बेद ख़ल नहीं किया जासक्ता है ॥

से बेदख़ल नहीं किया जासक्ता है पर उसवक़्त कि जब वह किसी शर्त को तोड़े जिसके तोड़ने पर उस क़ौल क़रार की रूसे जो उसमें और उसके ज़मींदार के बीच में हुआ है वह बेदख़ल किया जा सक्ता है ॥

पर शर्त यह है कि जहां इस ऐक्ट के जारी होने के बाद क़ौल क़रार किया गया है तो वह शर्त इस ऐक्टकी शर्तों के वख़िलाफ़ न हो ॥

११—हर दवामी हक़ दर्मियानी इस ऐक्ट की शर्तोंकेमुताबिक़ उसी तरहसे और उसी हद्दतक जैसे और सब माल ग़ैर मन्क़ूला इन्तक़ाल कियाजासक्ताहै और वारिस को दिया जासक्ता है ॥

दवामी दर्मियानी इन्तक़ाल और विरासत ॥

१२—(१) बिक्री या बख़्शिश या रेहन की रूसे किसी दवामी हक़ दर्मियानी का इंतक़ाल (जो नीलाम इजराय डिक्री से या पतनी या और हक़ दर्मियानीसे निस्बत रखतीहुई किसी आईनके मुताबिक़मालगुज़ारी नीलामकी रूसे इन्तक़ाल करनेसे अलगहै) सिर्फ़ रजिस्टरी कियेहुये दस्तावेज़के ज़रीयेसे होसक्ता है ॥

दवामी हक़ दर्मियानीको अपनी मर्ज़ीसे जुदा करना

(२) रजिस्टरी करनेवाला अफ़सर ऐसी किसी दस्तावेज़ की रजिस्टरी न करेगा जिसके ज़रीयेसे कोई दवामी हक़ दर्मियानी बिक्री, बख़्शिश या रेहनकी रूसे इन्तक़ाल कियाजाता है, जबतक उसको उस फ़ीसके सिवाय जो उसवक़्त दस्तावेज़ोंकी रजिस्टरी के लिये मुजव्विज़ा ऐक्ट की रूसे दियाजाता है तादाद मुक़र्ररकी तामीली फ़ीस और आगे लिखी हुई तादाद की फ़ीस (जो इसमें पीछे से ज़मींदारी फ़ीस कहलाई जायगी) न दीजाय, याने—

(अलिफ़) जब दर्मियानी हक़्क़ी ज़मीनकेलिये मालगुज़ारी दीजाती है तो दर्मियानी हक़ की ज़मीन की सालाना मालगुज़ारी पर सैकड़ा पीछे दो रुपया की फ़ीस बशर्त्ते कि ऐसीफ़ीस एक रुपया से कम और सौ १०० रुपया से बढ़कर न हो, और ॥

(बे) जब दर्मियानी हक़्क़ी ज़मीनके लिये मालगुज़ार नहीं दीजाती है तो दो रुपया फ़ीस ॥

(३) जब ऐसी दस्तावेज़ की रजिस्टरी पूरी होजाय तो रजिस्टरी करनेवाला अफ़सर ज़मींदारी फ़ीस और ठहरायेहुये नक़्शे में इन्तक़ाल और रजिस्टरी किये जानेकी इत्तिला कलक्टर के पास भेजदेगा, और कलक्टर ज़मींदारको उसफ़ीसके देने और बताये हुये तौरसे उसपर उस इत्तिलाकी तामील होनेका सामान करेगा ॥

ऐसीडिक्रीकी इजराय में जो मालगुज़ारी की डिक्री नहीं है नीलामकी रूसे दवामीहक़ दर्मियानी इन्तक़ालकरना ॥

१३—(१) जब कोई दवामी हक़्क़दर्मियानी ऐसी डिकरीके इजरायमें नीलाम किया जाता है कि जो उसके बाक़ी मालगुज़ारी की डिकरी से अलग है तो अग़लत दफ़ा ३१२ आईन काररवाई दीवानी की रूसे उस नीलाम के मंज़ूर करने के पहिले खरीदार को यहहुकम देसक्ती है कि अदालत में ज़मींदार की फ़ीस जो पिछले दफ़ामें बताई गई है अदाकरे और ऐसी और फ़ीस अदाकरे जो ज़मींदार पर नीलाम की इत्तिला तामील करनेकेलिये मक़र्रर की जाय ॥

(२) जब नीलाम मंज़ूर कर लियाजाय तो अदालत कलक्टरके पास ज़मींदारी फ़ीस और ठहराये हुये नक़्शा में नीलाम की इत्तिला भेजदेगी और कलक्टरउस फ़ीस को ज़मींदार के यहां अदाकियेजाने

और बताये हुये तौर से उसपर इत्तिला जारी करके का सामान करेगा ॥

मालगुज़ारीकी इजरायडिकरीमें दवामीहक़दर्मियानी का नीलामकी रूसे इन्तक़ाल करना ॥

१४—जब किसी दवामी हक़दर्मियानी का उसकी बाक़ी मालगुज़ारी की डिकरी की तामील में नीलाम की रूसे इन्तक़ाल किया जाताहै, तो अदालत कलक्टर के पास नक्शा मुअय्यना में नीलामकी इत्तिला भेजदेगी ॥

दवामीहक़दर्मियानी पर वरसा पाना ॥

१५—जब कोई दवामी हक़ दर्मियानी का वारिस होता है तो उस वारिस को चाहिये कि मुक़र्रर किये हुये नक्शा में विरासत की इत्तिला कलक्टर को देवे और उसको जमींदार पर इत्तिला तामील करने की ठहराई हुई फ़ीस और दफ़ा १२ में बताई हुई ज़मींदारी फ़ीस भी देवे और कलक्टर वह फ़ीस ज़मींदार को देगा और उस पर ठहराये हुये तौर से इत्तिला तामील करादेगा ॥

वरसा की इत्तिलान देनेतकमालगुज़ारीवसूल नहीं होसक्ती ॥

१६—कोई आदमी जो वरसाकी रूसे किसी दवामी हक़ दर्मियानी पर दख़ल पाता है, नालिश ज़ब्ती या और काररवाई करके वहमालगुज़ारी नहींवसूल करसक्ता है जो ब हैसियत दर्मियानी हक़दार उसकोदिया जाना चाहिये पर उस हालतमें कि जब कलक्टरने ऊपर लिखेहुये पिछलेदफ़ामें बताईहुई इत्तिला और फ़ीस पाईहो ॥

दवामीहक़दर्मियानी के हिस्सा का इन्तक़ालकरना या वरसा पाना ॥

१७—दफ़ा ८८ की शर्तोंके ताबेहोकर दफ़ा मज़कूरेवाला दवामी हक़ दर्मियानीके हिस्सेके इन्तक़ालकरने या वरसापाने में काममें आयेंगे ॥

चौथा बाब ॥

शरह मुक़र्ररपर जोत रखनेवाला रअ़य्यत ॥

१८—रअ़य्यत जोकि दवामी मालगुज़ारी पर या शरह मालगुज़ारी पर जोत रखता है——

शरह मुक़र्ररपर जोतके मुतअ़ल्लिक़ बातें ॥

(अलिफ़) अपनी जोतके इन्तक़ाल और विरासतकी निस्बत दवामी हक़दार दर्मियानीकी तरह उन्हीं शर्तों के ताबे होगा ॥

(बे) अपने ज़मींदारसे बेदख़ल नहीं किया जासक्ता सिवाय उस हालतके कि जब उसने ऐसी एक शर्त तोड़ी है जो इस ऐक्टके बख़िलाफ़ नहीं है और जिसके तोड़ने पर उस क़ौल व क़रार की रूसे जो उसके और उसके ज़मींदार के बीचमें कियागया है, बेदख़लकिया जासक्ता है ॥

पांचवां बाब।

दख़लकार रअ़य्यत ॥

आम ॥

(१९) हररअ़य्यत जो इस ऐक्ट के जारीहोने के पहिले किसी और ऐक्टके असरसे दस्तूरकी रूसे या और किसी तरहसे किसी ज़मीनपर हक़दख़ली रखताहै, जब यह ऐक्ट जारीहोगा उस ज़मीन पर हक़दख़ली रक्खेगा ॥

जिनको हालमें हक़ दख़लीहै वह हक़ बहालरहेगा॥

२०—(१) हर आदमी जिसने इस ऐक्ट के जारीहोने के पहिले या पीछे बराबर बारह बरस तक रअय्यत के तौरसे कोई ज़मीन किसी गांव में चाहे पट्टापर या और किसी तरह से रक्खी है, उसवक्त के गुज़रनेकेबाद उसगाँव का क़ायमी रअय्यत समझाजायगा॥

क़ायमी रअय्यत की तारीफ़॥

(२) इस दफ़ाके मरातिब के लिये अगर कोई आदमी किसी गाँवमें अलग अलग वक़्पर अलग अलग ज़मीनरखता हो तो ऐसा समझाजायगा कि उसने ज़मीन बराबर रक्खी है॥

(३) इस दफ़ा के मरातिब के लिये अगर कोई शख़्स बतौर रअय्यत के ज़मीन रखता है, तो उसका वारिस भी उस ज़मीन को बतौर रअय्यतके रखता हुआ समझाजायगा॥

(४) वह ज़मीन जिसको दो या ज़ियादह शरीकोंने रअय्यती जोतकी तरह रक्खा है,इस दफ़ाके मरातिब के लिये ऐसा समझाजायेगा कि ऐसे हर एक शरीक ने रअय्यत के तौरपर उसको रक्खा है॥

(५) हरआदमी किसीगांव का क़ायमी रअय्यत जबतक समझाजायगा जबतक कि वह उसगांवमें रअय्यत के तौर से ज़मीन रखता है और उसके एक बरस पीछे तक भी॥

(६) जो कोई रअय्यत दफ़ा ८७ की रूसे ज़मीन का दख़ल फिर पाताहै, तो ऐसा समझाजायगा कि अगर्चे वह एक बरस से ज़ियादह वक़्त के लिये बेदख़ल किया गयाहो पर तब भी वह क़ायमी रअय्यत है॥

(७) जो इस ऐक्ट की रूसे कीहुई किसी कारखाईमें यह बात साबितहो या क़बूलकीजाये कि कोई आदमी रअय्यत के तौरसे ज़मीन रखता है तो

उसके और उसके ज़मींदारके दर्मियानके मुक़द्दमा में जिसके मातहत वह ज़मीन रखता है, जबतक कि इससे उल्टी कोई बात साबितनहो या क़बूल न कीजाये इस दफ़ाके मतलिब के लिये क़यास किया जायगा कि उसने बारह बरस तक बराबर रअय्यतके तौरसे ज़मीन रक्खीहै या उसका कोई हिस्सारक्खाहै ॥

क़ायमी रअय्यत हक़्क़दख़लीरखते हैं ॥

२१—(१) हर शख़्स जो हस्बमन्शाय ऊपर लिखेहुये अ-ख़ीर दफ़ाके किसी गांवका क़ायमी रअय्यत है, उस सारी ज़मीन पर जिसको वह उस गांव में उस वक़्त रअय्यत के तौर से रखता है,हक़्क़दख़्-ली रक्खेगा ॥

(२) हर शख़्स जिसने हस्बमन्शाय ऊपर लिखेहुयेपि-छले दफ़ाके किसी गांव का क़ायमी रअय्यत हो-कर दूसरी मार्च सन् १८८३ ई० और इस ऐक्टके जारी होने के बीच में किसी वक़्त बतौर रअय्यत के उस गांवमें ज़मीन रक्खीहै, ऐसासमझाजायेगा कि उस ज़मीन में उस वक़्त के आईन की रूसे उसने हक़्क़दख़ली हासिल कियाहै परइस ज़मीमा दफ़ा में कोई ऐसी बात नहींहै जो इस ऐक्ट के जारी होने के पहिले किसी अदालत की दी हुई डिकरी या हुक्म पर असर पहुंचाये ॥

ज़मींदार को हक़्क़दख़ली हासिल करने की तासीर ॥

२२—(१) जब दख़ली जोतका ज़मींदार मालिक या दवामी हक़्क़दार दर्मियानी है और उस जोतके ज़मींदार और रअय्यत का सारा हक़्क़ एक शख़्सके क़ब्ज़ा में उसी इन्तक़ाल या वरसा या और किसीतरह से आगया है, तो हक़दख़ली जाता रहैगा पर

इस ज़मीमा दफ़ामें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे किसी तीसरे आदमी के हक़को नुक़सान पहुंचे ॥

(२) अगर ज़मीन का हक़दख़ली ऐसे किसी आदमी को इन्तक़ाल किया जाय जो उस ज़मीनमें मालिक या दवामी हक़दार दर्मियानी का इजमाली हक़ रखता है तो वह हक़दख़ली जाता रहेगा पर इस ज़मीमा दफ़ामें कोई ऐसीबातनहीं है जिससे किसी तीसरे आदमी के हक़ को नुक़सान पहुंचे ॥

(३) हर शख़्स जो ज़मीन इजारेदार या मालगुज़ारीके ठेकेदार की तरह रखता है, उस वक्त जबइसतरह से रखता है, उस ज़मीन में जो उसके इजारे या ठेके के भीतर है, हक़ दख़ली नहीं हासिल करेगा ॥

तशरीह—जो शख़्स ज़मीन पर हक़ दख़ली रखता है, मालिक या दवामी हक़दार दर्मियानी का मिलाहुआ हक़ पीछेसे रखने के सबब या उस ज़मीनको इजारे या ठेकेमें पीछेसे रखनेसे अपने हक़ को खो नहीं बैठता है ॥

हक़दख़ली से निस्बत रखती हुई बातें ॥

ज़मीनके इस्तेमाल के बारे में रअ़य्यतकाहक़॥

२३—जब कोई रअ़य्यत किसी ज़मीन पर हक़ दख़ली रखता है तो वह ज़मीन को इस तरह से इस्तेमाल करसक्ता है जिससे उस ज़मीनकी क़ीमत बहुत कुछ न घटजाये या वह जोत के काम के लिये निकम्मी न होजाये पर उसको उस जगह के किसी रवाजके बख़िलाफ़ पेड़ काटडालनेकाहक़ न होगा ॥

रअय्यतपर मालगुज़ारी अदा करनेकी पाबन्दी ॥

२४—दखीलकार रअय्यत अपनी जोत के लिये वाजिब और क़रीन इंसाफ़ शरह पर मालगुज़ारी अदा करेगा ॥

बेदख़ली से हिफ़ाज़त सिवाय उन हालतों के कि जब वजूहात दिखलाये जायें ॥

२५—दखीलकार रअय्यत का उसका ज़मींदार उसके जोत से नहीं बेदख़ल करसक्ता है सिवाय इजराय डिकरी बेदख़ली के कि जो आगे लिखी हुई वजूहात पर दीगई है ॥

(अलिफ़) वह अपनी जोत की ज़मीन को इस तरहसे काम में लाया है कि वह जोत के काम के लायक़ नहीं रही, या

(बे) उसने एक ऐसी शर्त तोड़ी है जो इस ऐक्ट के अहकाम के मुआफ़िक़ है और जिसके तोड़ने पर उस क़ौल क़रार की रूसे जो उसमें और उसके ज़मींदार के बीच में हुआ है वह बेदख़ल किया जा सक्ता है ॥

मरनेपर हक़ दख़ली का वारिस कोपहुंचना ॥

२६—अगर कोई रअय्यत अपने हक़ दख़ली की निस्बत बे वसीयत किये मरजाय तो वह हक़ और माल ग़ैर मन्क़ूला की तरह उसके वारिसको ऐसे रवाज के ताबे होकर पहुंचेगा जो उसके ख़िलाफ़ हो मगर उस हालत में कि जब विरासत के आईन की रूसे जिसके वह ताबे है, उसका औरसवमाल सरकार में जाता है उसका हक़ दख़लीभी जाता रहैगा ॥

———

मालगुज़ारी का बढ़ाना ॥

२७—जो मालगुज़ारी दख़ीलकार रअ़य्यत से किसी वक्त लीजाती है वाजिब और मुनासिब क़यास की जायगी जब तक कि उसके बख़िलाफ़ नहीं साबित किया जाये ॥

किस हालत में मालगुज़ारी वाजिब और मुनासिब क़यास की जायगी ॥

२८—जब कोई दख़ीलकार रअ़य्यत नक़्दी मालगुज़ारी देताहै उस हालतको छोड़कर जिसके लिये इस ऐक्ट में शर्तहै रक्खी गई है उसकीमालगुज़ारी नहींबढ़लीजायगी ॥

नक़्दी मालगुज़ारी बढ़ाने की क़ैद ॥

२९—दख़ीलकार रअ़य्यत को नक़्दी मालगुज़ारी क़ौलक़रार की रूसे आगेलिखी हुईशर्तोंके ताबे होकर बढ़ाई जासक्तीहै ॥

क़ौल क़रारकीरू सेमालगुज़ारीका बढ़ाना ॥

(अलिफ़) क़ौलक़रार तहरीरी और रजिस्टरी किया हुआ होना चाहिये ॥

(बे) मालगुज़ारी को ऐसे नहीं बढ़ाना चाहिये कि रुपया में उस मालगुज़ारी से जो पहिले रअ़य्यत अदा करता था दो आने से ज़ियादह बढ़जाये ॥

(से) क़ौल क़रार से मुक़र्रर की हुई मालगुज़ारी उस क़ौल क़रार की तारीख़ से पन्द्रह बरस तक नहीं बढ़ाई जासकैगी ॥

(१) पर शर्त यह है कि कलाज (अलिफ़) में जो कुछ लिखा हुआ है, वह मालिक को उस दरसे मालगुज़ारी वसूल करने से नहीं रोकेगा कि जिस तरह से मालगुज़ारी बराबर दीगई है, ऐसे वक्तके लिये जो ठीक उस वक्त के पहिले तीन बरस से कम

नहीं है जिसके लिये मालगुज़ारी का दावा किया गया है ॥

(२) कलाज़(बे)में जो कुछ लिखा हुआहै वह उस क़ौल क़रार से तअ़ल्लुक़ नहीं रक्खेगा जिसकी रूसे रअ़य्यत बढ़ाई हुई मालगुज़ारी देना क़बूलकरता है, वास्ते ऐसी ज़मीन की लियाक़त बढ़ानेके जो उस जोत की निस्बत ज़मींदार की कोशिश से या उसके खर्च से हुआ है या होने वाला है, और जिससे फ़ायदा उठाने का हक़ उस रअ़य्यत को नहीं है जबतक कि वह वेशी मालगुज़ारी नहींदे पर यह बढ़ाई हुई मालगुज़ारी जो ऐसे क़ौल क़रार से ठहराई गई है सिर्फ़ उसवक्त अदा होगी जब ज़मीनकी लियाक़त बढ़ाई गई है और उस हालत को छोड़कर कि जब ज़मीन की लियाक़त बढ़ाने का सामान रअ़य्यत की ग़फ़लत से जाता रहे सिर्फ़ उतने दिनोंतक अदा कीजायगी कि जब तक वह सामान मौजूद रहे और उस ज़मीन पर अपना असर पैदा करता रहे ॥

(३) जब रअ़य्यत ने ज़मींदार के सुभीते के लियेकिसी ख़ास फ़सल बोनेके वास्ते ज़मीन बहुतही कमदर की मालगुज़ारी पर रक्खीहै तो कलाज (बे) में जो कुछ लिखाहुआ है वह रअ़य्यतको उस फ़सल के बोनेकी ज़िम्मेदारी से बचनेके लियेऐसी माल-गुज़ारी अदा करने का इक़रार करनेसे नहींरोकैगा जिसको वह वाजिब और मुनासिब समझै ॥

नालिश की रूसे मालगुज़ारी का बढ़ाना ॥

३०—किसी ऐसी जोत का ज़मींदार जिसके रखनेके लिये कोई दख़लकार रअ़य्यत नक़दी मालगुज़ारी देता है, इस ऐक्ट की शर्तोंके ताबे होकर आगे लिखीहुई वजूहातों से एक या ज़ियादह पर

मालगुज़ारी बढ़ानेकेलिये नालिशदायर करसक्ताहै--(जैसा कि)

(अलिफ़) वह शरह मालगुज़ारी जो रअ़य्यत देता है, उस मामूली शरह से कम है जो दख़ीलकार रअ़य्यत उसी गांव में उसी क़िस्म की और वैसेही फ़ायदे की ज़मीनके लिये देते हैं और उसके ऐसी कम शरहपर जोतरखने की कोई काफ़ीवजह नहींहै ॥

(बे) हालकी मालगुज़ारी के जारी रहनेके वक्त उस जगह की आमखाने की इजनास का औसत भाव बढ़गया है ॥

(से) उस ज़मीन की लियाक़त जो रअ़य्यत रखता है उस लियाक़त बढ़ाने के सामान से बढ़गई है जो ज़मींदारको कोशिशसे या उसके खर्चसे हालकी मालगुज़ारी के जारी रहने के वक्त में कियागयाहै॥

(दाल) उसज़मीन की लियाक़त जिसको रअ़य्यत रखता है दरिया के असरसे बढ़गई है ॥

तशरीह—दरिया के असर में नदीके धारा का ऐसा बदलना शामिल है जिससे नदीसे पानी पटाया जासकैजो पहिले नहीं होसक्ता था ॥

मामूली शरह की बुनियादपर मालगुज़ारी बढ़ानेकी निस्बत क़ायदा ॥

३१-- जब इस बुनियादपर कि जिसशरह से मालगुज़ारी दी जाती है वह मामूली शरह से कम है मालगुज़ारी बढ़ाने की नालिश की जाय, तो ॥

(अलिफ़) शरह मामूली की तजवीज़ करनेके लिये अदालत उसदरपर लिहाज़करैगी जो आमतौर से उस वक्त के लिये अदाकी जाती थी जो नालिश दायर होनेके पहिले तीन बरससे कम न हो और मालगुज़ारी बढ़ाने की डिकरी न देगी, पर उस हालत

में कि अब उसदरमें जो रअय्यत देताहै और उस मामूलीदर में जिसको अदालतने दर्याफ़्त किया है कुछ ज़ियादह फ़र्क़ हो ॥

(बे) जो अदालत की रायमें मामूली शरह मालगुज़ारी उस ख़ास जगह तहक़ीक़ात करने के बग़ैर अच्छी तरह नहीं दर्याफ़्त की जासक्ती है तो अदालत हुक्म दे सक्ती है कि आईन काररवाई दीवानी के बाब २५ की रूसे वहअफ़सर माल(रेवन्यूअफ़सर) तहक़ीक़ात सरअंजाम करे जिसको लोकलगवर्न-मेण्ट इस कामके लिये आईन मज़कूरेवाला की दफ़ा ३९२ की रूसे बनायेहुये क़ायदोंके मुआफ़िक इख़्तियार दे ॥

(से) इस दफ़ा की रूसे मालगुज़ारीकी वह दर ठहराने में कि जो रअय्यत को देना चाहिये उसकी ज़ात का कुछ लिहाज़ नहीं किया जायगा मगर जब यह बात साबित होजाय कि ख़ास जगहके रवाज की रूसे शरह मालगुज़ारी ठहराने में ज़ातका भी लिहाज़ किया जाता है,और जब यह देखा जाय कि ख़ास जगह के रवाजके मुताबिक़ किसीक़िस्म के रअय्यत मालगुज़ारीकी रिआयती दरसे ज़मीन रखते हैं तो शरह उस रवाज के मुताबिक़ तज-वीज़ की जायगी ॥

(६) मामूली शरह मालगुज़ारी दर्याफ़्त करने में उस बढ़ाईहुई दरकी तादादपर जिसके लिये मालिक की कोशिशसे ज़मीन की लियाक़त बढ़ने के सबब हुक्म दियागया है लिहाज़ नहीं किया जायगा ॥

३१—जब भाव बढ़जानेकी वजह से मालगुज़ारी बढ़ाने की नालिश की जाये, तो

भावबढ़जानेकी वजहसेमालगुज़ारी बढ़नेकी निसबतक़ायदा॥

(अलिफ़) अदालत नालिश दायर होने के ठीक पहिले दस बरस के भीतर के औसत भावको ऐसे और दस बरस के भीतर के औसत भावके साथ मुक़ाबिला करेगी जो कि उसको मुक़ाबिला करनेके लिये मुनासिबऔर मुमकिन मालूम हो॥

(बे) बढ़ाईहुई मालगुज़ारी पहिली मालगुज़ारीसे वही निस्बत रक्खेगी जो पिछले दसबरस के औसत दामसे पहिले दसबरसके औसतदाम रखते हैं कि जो मुक़ाबिलाके वास्ते लियेगयेहैं, पर इसनिस्बत के हिसाब करने में पिछले वक़्त के औसत दामसे उसके और पहिले वक़्त के औसत दामके फ़र्क़ की एक तिहाई घटादीजायगी॥

(से) जो अदालतकीरायमें क्लाज़ (अलिफ़) में बताये हुये दस बरस का हिसाबकरना मुमकिन नहो तो अदालत उसकी जगह कोई कमवक़्त लेसक्तीहै॥

३२—(१) जब ज़मींदारकी कोशिशसे ज़मीनकी लियाक़त बढ़नेके सबब मालगुज़ारी बढ़ानेकी नालिश की जाये तो——

ज़मींदारकी कोशिश से ज़मीन की लियाक़तबढ़नेकीबुनियाद पर मालगुज़ारी बढ़ाने के क़ायदा॥

(अलिफ़) अदालत उसवक्त तक मालगुज़ारी बढ़ाना मंज़ूर न करैगी जबतक कि इस ऐक्ट की रूसे ज़मीन की लियाक़त बढ़ानेकी रजिस्टरी न कीजाये ॥

(बे) बढ़ाईहुई मालगुज़ारी की तादादकी तजवीज़करने में अदालत आगेबताईहुई बातोंपर नज़ररक्खेगी॥

(१) ज़मीनकी पैदावारकी क़ूत का बढ़ाना जो सुधारने के सामान से पैदाहुआ या होनेवाला है ॥

(२) सुधारने के सामान या ज़मीनकी लियाक़त बढ़ाने का ख़र्च ॥

(३) खेत जोतने का ख़र्च जो सुधारने के सामान को काममें लानेकेलिये चाहिये, और ॥

(४) हालकी मालगुज़ारी और उससे ज़ियादह मालगुज़ारी देनेकी ज़मीन की लियाक़त ॥

(५) इस दफ़ाकी रूसे दीहुईडिकरी असामी या उसके हक़ के जानशीन की दरख़्वास्तपर उसवक्त तजवीज़सानी के लायक़होगी कि जब सुधारनेकासामान तख़मीना कियाहुआ असर नहीं पैदाकरता या पैदाकरने से रुकजाता है ॥

ज़मीनकीलियाक़त दरिया के असर से बेशी होने के सबब मालगुज़ारी बढ़ानेकेक़ायदे ॥

३४——जब दरिया के असर से ज़मीन की लियाक़त बढ़ने की वजह मालगुज़ारी बढ़ाने की नालिश कीजाये ॥

(अलिफ़) अदालत ऐसी बढ़ती पर लिहाज़ नहीं करैगी जो सिर्फ़ चंदरोज़ा है या इत्तिफ़ाक़ से हुआ है ॥

(बे) अदालत मालगुज़ारी को ऐसी तादाद तक बढ़ा सक्ती है जिसको वहवाजिब और मुनासिब समझे

पर ऐसा नहीं कि जमीन की हासिल की बढ़तीके दामके आधेसे जियादह जमींदार को दे ॥

३५—बावजूद इसके कि जो पहिली दफ़ओं में लिखा गयाहै अदालत ऐसी मालगुज़ारी बढ़ाने की डिकरी किसी हालतमें न देगी कि जो हालातमुक़द्दमा से वाजिब और मुनासिब नहीं मालूममुनासिब होती ॥

नालिश की रूसे बढ़ाईहुई मालगुज़ारी वाजिब और मुनासिब होगी ॥

३६—जो अदालत मालगुज़ारी बढ़ाने की डिकरी देते वक्त समझे कि उसीवक्त डिकरी की पूरी हद्दतकइजराय करना रअय्यत के लिये सख्ती पैदा करैगा तो वह हुक्म देसकीहै कि मालगुज़ारी रफ़ा रफ़ा बढ़ाईजायगी याने मालगुज़ारी बरस बरस रफ़ा रफ़ा इतने बरसों तक कि पांच बरस से जियादह न हो बढ़ती जायगी जब तक कि डिकरीदी हुई इज़ाफ़ा की हद्द तक न पहुंचजाये ॥

रफ़ारफ़ा मालगुज़ारी बढ़ाने के हुक्मदेनेकाइख्तियार ॥

३७—(१) नालिश जो किसी जोत की मालगुज़ारी बढ़ाने के लिये दायर कीगई है इस बुनियाद पर कि शरह मालगुज़ारी जो रअय्यत अदा करता है मामूली शरहसे कम है या चीज़ों का भाव बढ़ गया है, क़ाबिल समाअत नहीं होगी अगर उसके दायर होने के ठीक पहिले पन्द्रह बरस के भीतर उस क़ौल क़रार की रूसे जो दूसरी मार्च सन् १८८३ ई० के पीछे किया गया है, उस जोत की मालगुज़ारी बढ़ाई गई है या अगर ऊपर लिखेहुये पन्द्रह बरस के भीतर मालगुज़ारी दफ़ा ४० की रूसे बदल दीगई है या इस ऐक्टकी रूसे या ऐसी किसी ऐक्टकी रूसे जो इस ऐक्ट से रद्द कियागया है ऊपर बताई हुई बुनियादों में से किसी एकपर या ऐसी किसी बुनियाद पर जो इसके साथ मिलती हुईहै मालगुज़ारी बढ़ाने

मालगुज़ारीबढ़ानेकीनालिशबारबारदायर करने के हक़कीहद्द ॥

की डिकरी दीगईहै या हालात मुक़द्दमा की रूसे दावा ख़ारिज किया गया है ॥

(२) इस दफ़ा में जो कुछ लिखा गया है वह आईन काररवाई दीवानी की दफ़ा ३७३ की शर्तों परअसर नहीं पहुंचावैगा ॥

मालगुज़ारी का घटाना ॥

मालगुज़ारी का घटाना ॥

३८—(१) दख़लकार रअय्यत जो नक़दी मालगुज़ारी पर जोत रखता है आगे लिखीहुई वजूहात पर अपनी मालगुज़ारी घटाने के लिये नालिश दायर करसक्ता है और जोतके रक़बा के घटनेकी हालत को छोड़ कर जिसके लिये इसऐक्टमें पीछे शर्तरक्खीगईहै औरकिसीहालत में नालिश नहीं करसक्ता—यानी ॥

(अलिफ़) इस बुनियाद पर कि जोत की ज़मीन बिला क़सूर रअय्यत के रेत इकठी होने के सबब या और ख़ाससबबसे अचानक या रफ्ता रफ्ता हमेशाकेलिये बिगड़गई है ॥

(बे) इस बुनियाद पर कि जिस अर्सा से रअय्यतहाल की मालगुज़ारी देता है उस वक्तके अन्दर उसजगह के आम खानेके जिंसके दाम घट गये हैं और उस घटने का सबब ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन तक रहै ॥

(२) किसी मुक़द्दमा में जो इस दफ़ाकी रूसे दायर किया गयाहै अदालत मालगुज़ारी के ऐसे घटाने का हुक्म दे सक्ती है जिसको वह मुनासिब और वाजिब समझे ॥

निर्ख़नामा ॥

(ख़ाम खानेकी जिंसका निर्ख़नामा॥)

२६—(१) हर ज़िलेका कलक्टर महीने महीने या उससे थोड़े वक्तपर निर्ख़नामा ऐसे ख़ाम खानेकी जिंस का तय्यार करेगा जो ऐसी जगहों में उपजतीहै जिसकेलिये वक्त वक्त पर लोकलगवर्नमेन्ट हुक्मदे और बोर्ड—आफ़—रेवन्यूके यहां मंज़ूरी या तरमीमके लिये भेजेगा ॥

(२) अगर कलक्टर को लोकलगवर्नमेन्ट हुक्म दे तो वह किसी ख़ास जगह के लिये ऐसे वक्त गुज़श्ता की निस्बत जिसको लोकल गवर्नमेन्ट मुनासिब समझे वैसही निर्ख़नामा तय्यार करेगा और उन को रेवन्यू बोर्ड के यहां मंज़ूरी या इसलाहकेलिये भेजेगा ॥

(३) कलक्टर इस दफ़ाकी रूसे रेवन्यू बोर्डके यहां निर्ख़नामा भेजने के एक महीने पहिले उसको उस रक़बा ज़मीन में जिससे वह निस्बत रखता है उस तरह से मशहूर करेगा जैसा हुक्म दिया गया है और अगर कोई ज़मींदार या असामीऊपरलिखे हुये एक महीने भीतर उस रक़बा के अन्दर उस निर्ख़नामा की निस्बत तहरीरी एतराज़ उसके पास पेशकरें तो वह उसे उस निर्ख़नामाके साथ रेवन्यूबोर्डमें भेजेगा ॥

(४) निर्ख़नामा रेवन्यूबोर्डसे मंज़ूर या तरमीमहोकर सरकारी गज़ट में मुश्तहिरकिये जायेंगे और अगर ऐसे निर्ख़नामा में कोई तशरीह ग़लती उसके मुश्तहिर होनेके बादनिकले तो उसको कलक्टर बोर्ड—आफ़—रेवन्यूकी मंज़ूरीसे सहीकर सक्ताहै॥

(५) लोकल गवर्नमेन्ट वक़्तवक़्के निर्ख़नामासे जोइस दफ़ा की रूसे बनाये जायँ औसत निर्ख़नामा हर

सालकेलिये तय्यार करावेगी और उनको हरसाल सरकारी गज़टमें छापकर मुश्तहिर करेगी ॥

(६) इस बाबकी रूसे भावके घटने या बढ़ने की वजह से मालगुज़ारीके घटाने बढ़ानेकी किसी काररवाई में अदालत उन निर्ख़नामों पर मुलाहिज़ा करेगी जो इसदफ़ाकी रूसे मुश्तहिर कीजातीहै और यह क़यास करेगी कि उन निर्ख़नामोंमें जो इसऐक्ट के जारी होनेके पीछे किसीबरसके लिये बनायेगये हैं, दिखाये हुये निर्ख़ सहीहैं जबतक यह साबित नहीं किया जाये कि वह ग़लतहै ॥

(७) लोकल गवर्नमेन्ट बमंज़ूरी हुक्म गवर्नर जनरल साहब बहादुर इजलास कौंसलके इसबातकोतजवीज़ करने के लिये कि किसजगह कौन जिंस आम खाने की चीज़ समझी जायगी और उन अफ़सरों को हिदायतके लिये जो इस दफ़ाकी रूसे निर्ख़-नामा तय्यार करतेहैं क़ायदा बनावेगी ॥

बदलना ॥

४०—(१) जब दख़ीलकार रअ़य्यत किसी जोत के लिये मालगुज़ारी जिंसमेंअदाकरताहै या फ़सलके एक हिस्साके तख़मीनन् किये हुये दामपर या फ़सल के मुताबिक़ बदलतीहुई दरपर या कुछ उनमेंसे एक तौरपर और कुछ दूसरे तौरपर, तो रअ़य्यत या ज़मींदार इस बात को दरख़्वास्त दे सक्ता है कि मालगुज़ारी नक़दीमें बदलदीजाये ॥

उस मालगुज़ारी कोनक़दीमेंबदलना जो जिंसमेंअदा की जातीहै या भावली की जगहनक़दी क़ायम करना ॥

(२) दरख़्वास्त कलक्टर या सबडवीज़न के अफ़सर या उस अफ़सरके यहां जो बाब १० की रूसे माल-

गुज़ारीका बन्दोबस्त करता है, या किसी और अफ़सरके पास की जासक्ती है जिसको लोकलगवर्नमेन्टने खास इसकामके लिये इख्तियार दियाहै ॥

(३) ऐसे दरख्वास्तके पानेपर वह अफसर इस बात की तजवीज़ करेगा कि कितना रुपया बतौर मालगुज़ारी के दिया जायेगा, और यह हुक्म देगा कि रअय्यत जिससे मालगुज़ारी अदा करने या ऊपर कहे हुये किसी और तौर पर अदा करनेकी एवज़ ऐसा तजवीज़ किया हुआ रुपया अदा करेगा ॥

(४) नक़दी मालगुज़ारीके तजवीज़ करनेमें वह अफसर आगे बतायेहुये बातोंपर नज़र करेगा ॥

(अलिफ़) औसत रुपयाकी मालगुज़ारी जोदख़लकार रअय्यत उसके आसपास, उसी क़िस्मकी और वैसही फ़ायदे की ज़मीनके लिये अदा करतेहैं ॥

(बे) औसत तादाद मालगुज़ारीकी जो पिछले दसबरस के भीतर या ऐसे कमवक्तके भीतर जिसका सबूत मिल सके ज़मींदारने हक़ीक़त में पायाहै—और

(से) जोकुछ खर्च जमींदारने पानी पटानेके लिये किया जब कि मालगुज़ारी जिंसमें अदा होतीथी और जो कुछ बन्दोबस्त उसने मालगुज़ारी के बदलने पर उन खर्चोंके बहाल रखने के लिये किया ॥

(५) हुक्म तहरीरी होगा और उसमें उसकी वजूहात लिखी रहैगी और यहभी कि उसका अमल कबसे होगा, और वह हुक्म उसी तरहसे अपीलके ताबे होगा जैसे कि मालकी मामूली काररवाई में दिये हुये हुक्म होतेहैं ॥

(६) अगर दरख्वास्तपर एतराज़ किया जाये तो अफसर यह तजवीज़ करेगा कि हालात मुक़द्दमा की रूसे उस दरख्वास्त का मंजूर करना दुरुस्त है या नहीं

और तब हुक्म मंजूरी या नामंजूरी का देगा—अगर वह नामंजूर करे तो नामंजूरी की वजूहातको क़लम्बन्द करेगा ॥

छठां बाब ॥

ग़ैरदख़लकार रअ़य्यत॥

४१—यह बाब उन रअ़य्यतोंपर आयद होगा जो हक़्क़ दख़्ली नहीं रखतेहैं और इस ऐक्ट में ग़ैरदख़लकार रअ़य्यत के नामसे ज़िक्र किये गयेहैं ॥

यह बाब क़िसी पर लगेगा ॥

४२—जब कोई ग़ैर दख़लकार रअ़य्यत ज़मीन का दख़लपावे तो उसको ऐसीमालगुज़ारी देनाहोगा जो उसके और उसके ज़मींदार के बीचमें ऐसे दख़ल पाने के वक़्क़रारको रूसे ठहराई जाये ॥

ग़ैर दख़लकार रअ़य्यतकी शुरू कीमालगुज़ारी ॥

४३—ग़ैर दख़लकार रअ़य्यत की मालगुज़ारी नहीं बढ़ाई जायगी पर रजिस्टरी किये हुये क़रारनामा या दफ़ा४६के मुताबिक़ कियेहुये क़रारनामाकी रूसे;

मालगुज़ारीबढ़ाने की शर्त ॥

पर शर्त यह है कि वह मालिकको उस दर पर मालगुज़ारी रोकने से नहीं रोकेगा जिस दरपर मालगुज़ारी हक़ीक़त में अदा कीगई है बराबर ऐसे वक़्तकेलिये कि उस वक़्तसेठीकतीन बरस पहिले से कम न हो जिसके लिये मालगुज़ारी का दावा किया गया है ॥

४४—ग़ैर दख़लकार रअ़य्यत इस ऐक्टकी शर्तों के ताबे हो कर नीचे लिखी हुई वजूहात से किसी एक या ज़ियादह वजह पर बेदख़ल किया जासक्ताहै पर और किसी हालत में नहीं—याने

क़िन वजूहात परग़ैरदख़ल का रअ़य्यतबेदख़ल कियेजासक्ते हैं

(अलिफ़) इस वजह से कि उसने बाक़ी मालगुज़ारी अदा नहीं की है ॥

(बे) इस वजह से कि वहज़मीन को ऐसे काममें लाया है जिससे वह जोतके लिये निकम्मी होगई या उसने ऐसी शर्त तोड़ीहै जो इसऐक्टके बखि़लाफ़ नहींहै और जिसके तोड़नेपर वहअपने और ज़मींदारके बीचमें कियेहुये क़ौल व क़रार और शर्तोंकी रूसे बेदख़ल किया जासक्ताहै ॥

(से) जहां उसको रजिस्टरी कियेहुयेपट्टे की रूसे ज़मीन पर दख़ल दिया गयाहै तबइसवजह से किपट्टे की मीआद ख़तम होगईहै ॥

(दाल) इस वजहसे कि दफ़ा ४६ की रूसेठहराई हुई वाजिब और मुनासिब मालगुज़ारी के देनेसे उसने इन्कारकिया है या वहमीआद कि जबतक उसको उसमालगुज़ारीपर ज़मीन रखनेका हक़ है ख़तम होगई है ॥

पट्टा की मीआद ख़तमहोनेपर बेदख़लीकीशर्त ॥

४५—पट्टे की मीआद ख़तम होने की वजहसे बेदख़ली की नालिश किसी ग़ैर दख़लकार रअय्यत पर नहीं की जा सकेगी पर सिर्फ़ उस हालतमें कि जब पट्टे की मीआद पूरी होनेके कमसेकम छःमहीने पहिले ज़मीनछोड़नेके लिये रअय्यत को इत्तिला दीगईहै औरमीआद के पूरे होने के छः महीने पीछे भी ऐसी नालिश दायर नहीं होसकेगी ॥

मालगुज़ारी बढ़ानेसे नाराज़ी की वजहबेदख़ली की शर्त ॥

४६—(१) मालगुज़ारी बढ़ाने से नाराज़ी की वजह बेदख़लीकी नालिश किसी ग़ैरदख़लकार रअय्यत पर नहीं दायर होगी पर सिर्फ़ उस हालतमें कि जब ज़मींदार ने बढ़ाईहुई मालगुज़ारी देने का क़रारनामा रअय्यतके हवालेकिया और रअय्यत ने नालिश दायर होने के पहिले तीन महीने के

भीतर उस इक़ारारनामे की तामील [illegible] कार किया ॥

(२) ज़मींदार जो इस दफ़ा की रूसे रअ़य्यत को इक़ारारनामा देना चाहता है, ऐसी अ़दालत या अफ़सर के यहां जिसको लोकलगवर्नमेंट इस काम के लिये मुक़र्रर करे उसको रअ़य्यत पर तामीलकरानेकेलिये दाखि़लकरसक्ताहै * अ़दालत या अफ़सर ठहराये हुये तौरपर उसको फ़ौरन् रअ़य्यत पर तामील करावेगा और जब वह इस तरह से तामील करायाजाय तो इस दफ़ा के मतालिब के लिये ऐसा समझाजायगा कि वह रअ़य्यत को तामील के लिये दिया गया था ॥

(३) अगर वह रअ़य्यत जिसपर क़ारारनामा जमीमे दफ़ा (२) की रूसे जारी कियागया है उस क़ारारनामे की तामील करदे और उसके जारी होने से एक महीने के भीतर उस कचहरी में दाखि़ल करे जिससे वह जारी कियागया था तो वह ठीक आगे आनेवाले खेतीके बरसके शुरूसे अ़मलमें आवेगा ॥

(४) जब कोई क़ारारनामा रअ़य्यत की तरफ़से जमीमे दफ़ा (३) की रूसे तामील कियागया है और कचहरी में दाखि़ल कियागया है तो वह अ़दालत या अफ़सर जिसकी कचहरी में वह इस तरह से दाखि़ल कियागया है फ़ौरन् उसके तामील और दाखि़ल कियेजाने की इत्तिला उस ज़मींदार पर मुंतज़िम तौरसे तामील करावेगा ॥

(५) जो रअ़य्यत हिस्सा दफ़ा (३) की रूसे उस क़ारारनामा को तामील न करे और कचहरी में दाखि़ल न करे तो इस दफ़ा के मतलब के लिये ऐसा समझाजायगा कि उसने क़ारारनामा को तामील करने से इन्कार किया ॥

०

(६) [illegible] वजह से [illegible] उस क़रारनामा की तामील करने से इन्कार करे जो इस दफ़ाकी रूसे उसके सामने पेश कियागया है और ज़मींदार उसको निकालदेने के लिये नालिश दायर करे तो अदालत इस बात को तजवीज़ करेगी कि कितनी मालगुज़ारी जोत के लिये वाजिब और मुनासिब है ॥

(७) इस तरह से तजवीज़ कीहुई मालगुज़ारी के अदा करने पर रअय्यत राज़ी हो तो उसको यह हक़ होगा कि क़रारनामा की तारीख से उस जोत को उस मालगुज़ारी पर पांच बरस तक रक्खे, पर उस मीआद के पूरेहोनेपर ऊपर लिखेहुये पिछले दफ़ामें बताई हुईशर्तों की रूसे निकाल दिया जा सकेगा अगरउसने हक़्क़दख़ली नहींहासिलकियाहै॥

(८) अगर रअय्यत ऐसी तजवीज़ कीहुई मालगुज़ारी देना मंज़ूर न करे तो अदालत उसको बेदख़ल करने के लिये डिक्री देगी ॥

(९) यह तजवीज़ करने के लिये कि कितनी मालगुज़ारी वाजिब और मुनासिब है अदालत उसमालगुज़ारी पर लिहाज़ करेगी जो अमूमन् रअय्यत लोग उस गांव में उसी क़िस्मकी और उसी फ़ायदेकी ज़मीन के लिये दिया करते हैं ॥

(१०) बेदख़ली की डिक्री जो इस दफ़ा की रूसे दीगई है उस खेती के बरस के ख़तम होनेपर अमल में आवेगी कि जिस साल वह दीगई है ॥

४७—जबकोई रअय्यत किसीज़मीनपर दख़लकार रहाहैऔर उसकेदख़ल बहालरहनेकेलियेपट्टा लिखाजाताहै तोइसबातकेमतलबके लियेयहनहीं समझाजाय गाकिइसपट्टाकी रूसे उसको ज़मीनपरदख़लमि- लाअगर्चेपट्टाकामतलबउसकोदख़लदिलानाहो॥

"ज़मीनपरदख़- लपाया,, इस के माने ।

सातवां बाब ॥

शिकमी रअ़य्यत ॥

उस मालगुज़ारी कीहद जो शिक मीरअ़य्यतसेवसूलकीजासक्तीहै॥

४८—ऐसे शिकमी रअ़य्यत का ज़मींदार जो नक़दी मालगुज़ारी पर ज़मींदार रखता है, उस मालगुज़ारी से बढ़कर जो वह आप अदा करता है आगे बताये हुये सैकड़ा के हिसाब से ज़ियादह वसूल नहीं कर सकेगा—याने

(अलिफ़) जब शिकमी रअ़य्यत रजिस्टरी कियेहुये पट्टा या क़ारारनामा की रूसे मालगुज़ारी अदा करता है तो पचास रुपया सैकड़ा और

(बे) और किसी हालत में पचीस रुपया सैकड़ा ॥

शिकमीरअ़य्यत कीबेदख़ली की क़ैद ॥

४९—कोई शिकमी रअ़य्यत अपने ज़मींदार से बेदख़ल नहीं किया जावगा सिवाय नीचे लिखी हुई हालतों के—:

(अलिफ़) जब लिखेहुये पट्टे की मीआ़द ख़तम होजाये;

(बे) जब रअ़य्यत ज़मीन लिखे हुये पट्टे की रूसे नहीं बल्कि और किसी तरह से रखताहै तो उस खेती के बरसके अख़ीरमें जोठीक उससालके पीछेआता है जिसमें ज़मींदार ने उसको छोड़ देनेकी इत्तिला दी है ॥

आठवां बाब ॥

मालगुज़ारी की निस्वत आम क़ायदा ॥

मालगुज़ारीकी तादाद की निस्वत क़यास और क़ायदा ॥

मालगुज़ारी के मुक़र्रर रहोने की निस्वतक़यास और क़ायदे ॥

५०—(१) जब किसी दर्मियानी हक़दार या रअय्यत और उसके पहिले हक़दारने ऐसी मालगुज़ारी या शरह मालगुज़ारी पर ज़मीन रक्खी है जो इस्तिमरारी बन्दोबस्त के वक़्त से बदली नहीं गई है तो वह मालगुज़ारी या शरह मालगुज़ारी बढ़ाई नहींजावेगी सिवायउस हालतके कि जब दर्मियानी हक़की ज़मीन या जोतका रक़बा बदल गया है ॥

(२)जो किसी नालिश या और काररवाईमें जो इस ऐक्ट कीरूसे कीजाये,यह साबितहो कि किसी दर्मियानी हक़दार या रअय्यत और उसके पहिले हक़ रखने वालोंने ऐसी मालगुज़ारी या शरह मालगुज़ारी पर ज़मीनरक्खीहै,जोनालिश दायर होने या कार-रवाई शुरू होनेके ठीक पहिले बीस बरस के भीतर बदली नहीं गईहै तो जबतकउसके बख़िलाफ़ साबित नहीं कियाजाय यह क़यास कियाजायगा कि दवामी बन्दोबस्त के वक़्तसे उन्होंने उस ज़मीन को मालगुज़ारी या शरह मालगुज़ारी पर रक्खीहै ॥

परन्तु यह है कि अगर किसी आईन के मुताबिक़ यह ज़रूर है कि किसी रक़बा ज़मीन में जोत या किसी क़िस्म की जोत जो मुक़र्रर मालगुज़ारी या शरह मालगुज़ारी पररक्खी गईहै,ऐसी तारीख़ को या उससे पहिले जो आईन की रूसे

ठहराई गई है, रजिस्टरी की जाये तो ऊपर लिखा हुआ क़यास उस तारीख़ के बाद उस रक़बा ज़मीन में किसी जोत के लिये या उस क़िस्मकी जोतके लिये नहीं किया जायगा जब तककि जोत इसतरह से रजिस्टरी नहीं की गई है ॥

(३) इसदफ़ा के अमल में जहां तक वह रअय्यतकी तरफ़ से रक्खीहुई ज़मीनसे इलाक़ा रखताहै इस बातसे कुछफ़र्क़ नहींहोगा कि वहज़मीन ऐसी और ज़मीनसे जिसके साथ वह एक पट्टामेंथी अलगकी गईहै, या किसी और ज़मीन के साथ एक पट्टेमें शामिल की गईहै ॥

(४) इस दफ़ामें जो कुछ लिखा हुआ है वह उस दर्मियानी हक़के लिये आयद नहीं होगा जो कुछबरस की ठहराई हुई मीआद के लिये रक्खा गयाहै या जिसकारक्खाजाना मालिककी मर्ज़ीपरमौक़ूफ़है ॥

मालगुज़ारी की तादाद औरज़मीन रखने की शर्तोंकी निस्बत क़यास ॥

५१—अगर किसी असामी की मालगुज़ारी की तादाद या उन शर्तों की निस्बत जिनकी रूसे वह ज़मीन खेती के किसी बरस में रखता है, कोई झगड़ा खड़ा हो तो जब तक उसके ख़िलाफ़ नहीं साबित कियाजाये, यह क़यास किया जायगा कि वह ज़मीन मालगुज़ारी की उसी तादाद और उन्हीं शर्तोंपर रखता है जैसा कि ठीक पिछले खेती के बरस में ॥

ज़मीनकारक़बा बदलने परमालगुज़ारी का बदलना ॥

ज़मीनका रक़बा बदलनेकीनिस्बत मालगुज़ारी का बदलना ॥

५२—(१) हर असामी ॥

(अलिफ़) ऐसी सब ज़मीन के लिये ज़ियादह मालगुज़ारी देगा, जो पैमायश से उस रक़बासे ज़ियादह ठहराई जाये जिसके लिये उसने मालगुज़ारी पहिले अदा की है, पर उस हालत में नहीं कि जब यह साबित किया जाये कि रक़बा का बढ़ना जोत या दर्मियानी हक़वाली ज़मीन में उस ज़मीनके मिल जाने के सबब हुआ है, जो पहिले उस दर्मियानी हक़की ज़मीन या जोत में थी और पानीमें डूबने या और किसी तरह से जाती रहीथी और उसके लिये मालगुज़ारी घटाई नहीं गईथी ॥

(बे) जब पैमायश और मुक़ाबिला करने से यह साबित हो कि असामीके दर्मियानी हक़वाली ज़मीन या जोतका रक़बा उसके बनिस्बत घट गया है जिसके लिये वह पहिले मालगुज़ारी देताथा तो उसकी मालगुज़ारी घटाई जायगी पर उस हालत में नहीं कि जब यह साबित किया जाये कि रक़बा का घटना उस ज़मीन के निकल जाने की वजह से था जो किसी वक्त में उस दर्मियानी हक़की ज़मीन या जोतके रक़बा में पानी के असर से या और किसी तरहसे मिलगई थी और उसके रक़बा के बढ़ने की वजह से मालगुज़ारी नहीं बढ़ाई गईथी ॥

(२) उस रक़बा की तजवीज़ करनेमें जिसकेलिये मालगुज़ारी पहिले दीगईहै, अदालत जो मुक़द्दमा का कोई फ़रीक़ ऐसा चाहै तो आगे लिखीहुई बातों पर लिहाज़ करेगी ॥

(अलिफ़) ज़मीन रखने की असल (शुरू होना) और शर्तों परजैसे कि मालगुज़ारीसारे दर्मियानीहक़कीज़मीन या जोतकेलिये यकजाई मालगुज़ारीथी यानहीं ॥

(बे) असामी की कुछ ज़ियादह ज़मीन उसकी मालगुज़ारी बढ़ाने के वजह से या और किसी सबबसे ज़मींदार के इल्म और मर्ज़ी से रखने दीगई है या नहीं॥

(से) जिसअसीतक ज़मीन ऐसीरक्खीगई है कि उसकी मालगुज़ारी या रक़बा की निस्बत झगड़ा नहीं है—और॥

(दाल) उस नापकी लम्बाई या पैमाना पर जो ज़मीन रखने के शुरू में उस जगह काम में आतीथी बमुक़ाबिले उसके जो मुक़द्दमा दायर करने के वक्त इस्तैमाल होती थी॥

(३) इस बात की तजवीज़ करने के लिये कि मालगुज़ारी को कितना बढ़ाना चाहिये अदालत उन दरों पर निगाह रक्खैगी जो उसी क़िस्म और उसी फ़ायदा के ज़मीन के लिये आस पासके असामियोंसे लीजाती है और दर्मियानी हक़्क़दार की हालत में उस नफ़ेपर निगाह रक्खैगी जिसका हक़ वह अपनी ज़मीन की मालगुज़ारी की निस्बत रखता है और किसी हालत में ऐसी मालगुज़ारी नहीं मुक़र्रर करैगी जो हालत मुक़द्दमे की रूसे वाजिब या मुनासिब नहीं है॥

(४) घटाई हुई मालगुज़ारी की तादाद पहिले अदाहोने वाली मालगुज़ारी से वही निस्बत रक्खैगी जो जोत या दर्मियानी हक़्क़ी ज़मीन की घटाई हुई सालाना कुल क़ीमत उसकी पहिले सालाना कुल क़ीमत से रखती है, या जो घटी हुई ज़मीन की सालाना क़ीमत ख़ातिरख़्वाह नहीं ठहराई जा सके तो पहिले अदा होनेवाली मालगुज़ारी से वह निस्बत रक्खैगी जो घटी हुई ज़मीन का रक़बा

दर्मियानी हक़वाली ज़मीन या जोतके पहिलेरक़बा से रखता है ॥

अदाय मालगुज़ारी ॥

मालगुज़ारी की क़िस्तें ॥

५३—क़रारनामा या पुरानी दस्तूर के ताबेहोकर रुपये की मालगुज़ारी जो असामी को देना चाहिये चार बराबर वाली क़िस्तों मेंअदा कीजायगी जो खेती के बरसकी हर सेमाहीके अख़ीर दिनको अदाकरनेके लायक़ होती है ॥

मालगुज़ारी देने का वक्त और जगह ॥

५४—(१) हर असामी मालगुज़ारी की हर क़िस्त सूर्य्य डूबने के पहिले उस दिन देगा जिस दिन वह अदा होना चाहिये ॥

(२) उन हालतों को छोड़कर जिनमें इस ऐक्टकी रूसे असामी अपनी मालगुज़ारी अदालत में अमानत रख सक्ता है, मालगुज़ारी जमींदार के गांवकी कचहरी में, या किसी और सुभीते की जगहमें जो इस कामके लिये ज़मींदार ठहराये, अदा कीजायगी,परशर्त यह है कि लोकल गवर्नमेन्ट असामीको यहइख्तियार देनेकेलिये कि डाकके मनीआर्डर की रूसेमालगुज़ारी अदाकरे आमतौरसे या किसीखास रक़बा के लिये वक्तवक्त पर क़ायदा बनासक्ती है ॥

(३) मालगुज़ारीकी कोई क़िस्त या उसका कोई हिस्सा जो उसवक्त या उससे पहिलेकि जब वहअदाहोना चाहिये न दियाजाये तो वहबाक़ी समझाजायगा ॥

मालगुज़ारी को हिसाबमेंजाना॥

५५—(१) जब कोई असामी मालगुज़ारी के हिसाब में कुछ रुपया अदा करताहै तो वह उस बरस को या बरस और क़िस्तको बता सक्ता है जिसके लिये वह उसका जमा होना चाहता है और वह

अदा किया हुआ रुपया उसी तरह से जमा किया जायगा ॥

(२) जो वह ऐसे कुछ न कहै तो अदाकियाहुआ रुपया ऐसेबरसमें और वैसी क़िस्तमें जमा किया जायगा जो ज़मींदार ठीक समझे ॥

असामीज़मींदार को रुपया अदा करनेके वक्त रसीद पानेका हक़दार है ॥

५६—(१) हर असामी जो मालगुज़ारी के लिये अपने ज़मींदार के यहां रुपया अदा करता है यह हक़ रक्खेगा कि उसीवक्त एक लिखीहुई रसीद दस्तखती ज़मींदार अपने अदा किये हुये रुपये के लिये पावे ॥

(२) ज़मींदार उसरसीदकी एक दूसरीपरत तय्यारकरके रक्खेगा ॥

(३) रसीद और उसकी परतसानीमें उनकई तफ़सीलों में से जो रसीद के उसनमूनामें दिखाई गईहै, कि इस ऐक्ट के दूसरीशिड्यूल में दियागया है ऐसी तफ़सीलें मुन्दर्ज होंगीजिनको ज़मींदार अदाकरने के वक्त दर्जकरसक्ताहै ॥

पर शर्त यहहै कि लोकलगवर्नमेन्ट वक्त वक्तपर आमतौरसे या किसी खास रक़बा ज़मीन या किसी क़िस्मके मुक़द्दमोंकेलिये तरमीम कियाहुआ फ़ार्म्स मुक़र्रर या मंजूर करसक्ती है ॥

(४) जो रसीद में वह सब तफ़सीलें न हों जो इस दफ़ा कीरूसे उसमें होनाचाहिये तो जबतक इसके बखिलाफ़ साबित न कियाजये, यह क़यास कियाजायेगा कि असामीने उस तारीख तक जिसको वह रसीद दीगई बिल्कुल मालगुज़ारी बेबाक़ करदिया है ॥

५७—(१) जब ज़मींदार क़बूल करता है कि किसी असामीने सब मालगुज़ारी जो खेती के बरस पूरे होने तक अदाहोनी चाहिये, देदी है तो असामी को यह हक़ होगा कि ज़मींदार से उस बरस के खतमहोने के पीछे तीन महीनेकेभीतर उस मालगुज़ारी के लिये जो बरस के अखीर में बाक़ी निकले पूरी बेबाक़ी की रसीद दस्तखती ज़मींदार बिलाखर्च पावे ॥

माल अखीर पर असामी फ़ारखती या जमाबाक़ी मिलबाक़ी का हिसाबपानेका हक़दार है ॥

(२) जहां ज़मींदार ऐसा नहीं क़बूल करता असामीको यह हक़ होगा कि चारआना फ़ीस अदाकरके उस साल के खतमहोने के पीछे तीन महीने के भीतर ऐसा हिसाब पावे जिसमें वह सब तफ़सीलेंहों जो इस ऐक्ट के शिड्यूल २ में दियेहुये हिसाब के नक्शा में दिखाई गई हैं या किसी और नक्शे में जो लोकल गवर्नमेन्ट आमतौरसे या किसी खास जगह के लिये या किसी खास क़िस्मके मुक़द्दमोंके लिये वक्त वक्त पर मुक़र्रर करे ॥

(३) ज़मींदार ऐसे हिसाब की नक़ल जिसमें वैसी तफ़सीलेंहों तय्यारकरके अपने पास रक्खेगा ॥

५८—(१) जो कोई ज़मींदार बिलावजह मुनासिब किसी असामी को ऐसी रसीद जिसमें दफ़ा (५६) में बताई हुई तफ़सीलें असामी की तरफ़ से अदा की हुई मालगुज़ारी की निस्बत हों देने से इन्कार करे या न दे तो असामी अदाकरने की तारीख़ से तीन महीने के भीतर ऐसा हर्जा पाने के लिये नालिश करसक्ता है जो उस मालगुज़ारी की तादाद या दामके दुगुना से बढ़कर न हो जैसा कि अदालत मुनासिब समझे ॥

रसीद और हिसाब न देने और उनकी परतमा-नीन रखने के लिये सज़ा और जुर्माना ॥

(२) जो ज़मींदार बिलावजह मुनासिब असामी के मांगनेपर या तो बेबाक़ी की रसीद या अगर असामी ऐसी रसीद पाने का हक़ न रखता तो किसी बरस के लिये दफ़ा ५७ में बतायाहुआ हिसाब देने से इन्कारकरे तो असामी पीछे आनेवाला खेती के बरसकेभीतर उससे ऐसा हर्जा पानेकेलिये नालिश करसक्ता है जो अदालत ठीकसमझे और जो उस मालगुजारी की कुल तादाद या दामके दुगुना से बढ़कर न हो जो असामीने ज़मींदार को उसबरस के भीतर अदा की है जिसके लिये वह रसीद या हिसाब दियाजाना चाहिये था ॥

(३) जो ज़मींदार बिलावजह मुनासिब रसीद या हिसाब की परत या नक़ल तय्यारकरके न रक्खे जैसा कि ऊपर बताई हुई दोनों दफ़ओंमें से हर एक में बतलाया गया है तो उसपर ऐसा जुर्माना बतौर सज़ाके कियाजायगा जो पचास रुपया तक होसक्ता है ॥

५६—(१) लोकल गवर्नमेन्ट रसीद के नमूना परतसानी के साथ और ऐसे हिसाबों के नक्शा के फ़ारम जो ऊपर लिखेहुये दफ़ओंके मुताबिक़ काम में आसक्ते हैं तय्यार करावेगी और सब डवीज़न के कचहरियोंमें ज़मींदारोंको बेंचने के लिये मौजूद रक्खेगी ॥

लोकलगवर्नमेंट रसीद और हिसाब के नक़शा तय्यार करैगी ॥

(२) फ़ार्म ऐसी किताबोंमें बिकैंगे जिनके वर्क़परसिलसिलेवार नम्बर लगारहैगा या वह और किसीतरह पर भी बिक सक्तेहैं जैसा लोकलगवर्नमेन्ट मुनासिब समझे ॥

६०--जहां मालगुज़ारी किसी मुहालके मालिक मनेजर या मुर्त्तहिन को क़ाबिल अदा करने के है, तो उस आदमीको रसीदजिसका नाम लेण्डरजिस्ट्रेशन ऐक्ट सन्१८७६ ई० की रूसेबतौर मालिकमनेजर या मुर्त्तहिनके रजिस्टरी किया गयाहै या उस के एजण्टकी रसीद जिसको इस कामके लिये इख़्तियार दियागया है, मालगुज़ारीके लिये पूरी सफ़ाईहोगी और वह आदमी जो मालगुज़ारी के लिये जवाबदहहै उस शख़्सके दावाके जवाब में जिसका नाम इस तरहसे रजिस्टरी किया गयाहै,यहउज्र नहीं करसकैगाकि मालगुज़ारी किसीतीसरे आदमी को दिया जाना चाहिये ॥

रजिस्टरी कियेहुये मालिक,मनेजर यामुर्त्तहिन की रसीद का असर ॥

पर इस दफ़ामें जो कुछ लिखाहै उसका असर उस दावा पर नहीं होगा जो ऐसा तीसरा आदमी रजिस्टरी किये हुये मालिक,मनेजर या मुर्त्तहिनके बख़िलाफ़ रखताहै ॥

मालगुज़ारी को अमानत रखना ॥

६१—(१) नीचे लिखीहुई हालतों में से किसी हालत में यानें ॥

अदालतमें मालगुज़ारी अमानत रखनेकी दरख़्वास्त

(अलिफ़) जब असामी मालगुज़ारी अदा करने के लिये रुपया सामनेरक्खे और ज़मींदार उसके लेनेसेया रसीद देनेसे इन्कार करे ॥

(बे) जब असामी जिसके ज़िम्मे मालगुज़ारीका रुपया वाजिबुल्अदाहै, इस बातके बावर करनेकी वजह रखताहै कि वह शख़्स जिसको मालगुज़ारी देना चाहिये उसके लेने और उसकी रसीद देनेकेलिये राज़ी न होगा चूंकि उसनेकिसीवक़्त पहिले सामने

रक्खे हुये रुपया लेनेसे इन्कार कियाथा या रसीद नहीं दीथी ॥

(से) जब मालगुज़ारी इजमाली शरीकों को अदा करने के लायक़ है और असामी शरीकों की इजमाली रसीद रुपयेकेलिये नहीं पासक्ता और उनकीतरफ़ से मालगुज़ारी लेनेके वास्ते किसी शख्स को इ-ख्तियार नहीं दिया गयाहै*—या

(दाल) जब असामी को सच इस बातका शकहैकि माल-गुज़ारी पाने का हक़ किस को है तो असामी उस अदालत में जो उसके दर्मियानी हक़ या जोत की मालगुज़ारी की नालिश सुनने का इख्तियार रखती है, लिखीहुई दरख्वास्त इस मज़मून की देसक्ता है कि उसको अदालत में उस कुल रुपया को अमानत रखनेकी इजाज़त दीजाये जोउसवक्त क़ाबिल अदा करनेके है ॥

(२) दरख्वास्त में उन सब वजूहात की तफ़सील रहैगी जिनपर वह कीगई है और उसमें यह बयान र-हैगा कि (अलिफ़) और (बे) की हालतों में उस आदमी का नाम लिखा जायेगा जिसके हि-साब में वह अमानती रुपया जमाकिया जायगा ॥

(से) की हालत में उन शरीकों का नाम जिनको माल-गुज़ारी अदाहोनी चाहिये या उनमें से इतनों के नाम लिखे जायेंगे जिनको असामी बतासके ॥

(दाल) की हालत में उस आदमी का नाम जिसको पि-छली बार मालगुज़ारी दीगई थी और उसआदमी या आदमियों के नाम जो उसका अब दावा करते हैं लिखेजावेंगे * उस दरख्वास्त पर उसतरहसे कि आईन कारवाई दीवानी के दफ़ा ५२ में बताया गयाहै असामी का या जो वह मक़द्दमों की बातों

को आप न जानता हो तो उनके जाननेवाले किसी और शख्सका दस्तखत और तसदीक़ होगा और उसके लिये ऐसी फ़ीस लीजायगी जिसके लिये लोकलगवर्नमेन्ट वक़्तन् वक़्त पर क़ायदेकी रूसे हुक्मदे ॥

अमानत रक्खी मालगुज़ारी की रसीद जो अदालत से दीगई पक्की-रफ़ाई होगी

६२—(१) जो उस अदालत को जिसके यहां दरख्वास्त पिछली दफ़ाकी रूसे कीगई है, यह दिखलाई देकि दरख्वास्त देनेवाले को उस दफ़ाकी रूसे मालगुज़ारी अमानत करनेका हक़है तो वह उसमालगुज़ारी को लेगी और अदालत की मोहरके साथ उसको रसीद देगी ॥

(२) इस दफ़ा की रूसे दीहुई रसीद असामी की तरफ़ से अदा किये जाने लायक़ और ऊपर बताये हुये तौरसे अमानत रक्खी हुई मालगुज़ारी के रुपये की सफ़ाई के लिये उस तरहसे और उसहद्द तक असर रक्खेगी जैसा कि उस हाल में रखती जब कि मालगुज़ारीका रुपया पिछले दफ़ाकी (अलिफ़) और (बे) की हालतों में वह आदमी लेता जो दरख्वास्त में ऐसा आदमी बताया गया है जिसकेहिसाबमें अमानती रुपया जमाहोनाचाहिये ॥

उसी दफ़ाके (से) कीहालतमें इजमालीशरीक लेते जिनको मालगुज़ारी अदा होने लायक़ है—और

उसीदफ़ाके (दाल)की हालतमें वह आदमीलेता जिसको मालगुज़ारी लेनेका हक़था ॥

मालगुज़ारी अमानत होने का इश्तिहार ॥

६३—(१) वह अदालत जिसने रुपया अमानत रक्खा है अपनी कचहरी में किसी वाज़े जगह परमालगुज़ारी अमानत होनेका इश्तिहार जिसमें सब ख़ास बातोंकी तफ़सील रहैगी, लगादेगी ॥

(२) जो अमानत रक्खा हुआ रुपया इश्तिहार लगाने की तारीख़ के पीछे पन्द्रह दिनके भीतर आगेआने वाली दफ़ा की रूसे न अदाकीजाये तो अदालत फ़ौरन् दफ़ा ६१ की (अलिफ़) और (बे) की हालतों में उस आदमी पर जो दरख्वास्त में ऐसा आदमी बताया गयाहै कि जिसकेहिसाब से अमानती रुपयाजमाकिया जायगा,मालगुज़ारीअमानत होने का इश्तिहार बिला खर्च जारी करेगी ॥

उस दफ़ाकी (से) की हालतमें ज़मींदारकी देहाती कचहरी में या उसगांव में जिसमें वहजोत वाक़ेहै किसी नज़रगाह आमपर मालगुज़ारी अमानत होनेका इश्तिहार लगादेगी*—और ॥

उस दफ़ा की (दाल) की हालतमें ऐसे हर आदमीपर जो वह यक़ीन करती है कि अमानत किये हुये रुपयेका दावा करता है या हक़ रखता है उसी तरह का इश्तिहार बिल खर्च जारी करेगी ॥

अमानतकी हुई मालगुज़ारी का अदा होना या वापसदेना ॥

६४—(१) अदालत अमानत किये हुये रुपये को ऐसेशख्स को देसक्ती है जिसको वह उसका हक़दारसमझे या अगर मुनासिब समझे तो उस रुपयेको अपने पास रखसक्ती है जबतक अदालत दीवानी यह फ़ैसल न करै कि रुपये का हक़दार कौनहै ॥

(२) जो लोकल गवर्नमेन्ट ऐसाहुक्मदे तो, वह रुपया मनीआर्डरके ज़रीये से डाकमें भेजा जासक्ताहै ॥

(३) जो रुपया अमानत रखने की तारीख़ से तीन बरस पूरे होने के पहिले इस दफ़ाकी रूसे अदा न किया जाय और दीवानी अदालत की तरफ़सेकोई हुक्म इसके बख़िलाफ़ न हो तो वहरुपया अमानत रखने वालेको वापस दिया जा सक्ता है, अगर वह उसके लिये दरख्वास्त देवे और उस रसीद को

लौटादेवे जो उस अदालत ने दीथी जिसके यहां मालगुज़ारी अमानत रक्खी गईथी ॥

(४) वज़ीर हिन्द इजलास कौंसल के नाम या किसी और सरकारी अफसर के नाम किसी ऐसे काम के लिये जो पिछली दफ़ओंकी रूसे रुपया अमानत रखनेवाली अदालत ने किया है, कोई नालिश या और कारस्वाई नहीं की जासकेगी, पर इसदफ़ा में जो कुछ लिखा है, किसी आदमी को कि ऐसे अमानत के रुपये पानेका हक्क़रखता है, उसशख्स से वसूल करनेसे नहींरोकेगा जिसको इसदफ़ाकी रूसे वह रुपया दिया गयाहै ॥

बाक़ी मालगुज़ारी ॥

दवामी हक़ दर्मियानी या ज़मीन जो कि शरह मुक़र्रर परजोती जाती है या जिसपर हक़ दख़ली है बाक़ी मालगुज़ारीकेलियेनीलाम होजासक्तीहै ॥

६५—जब असामी इस्तिमरारी दर्मियानीहक़्क़दारहै, शरह मुक़र्रर पर जोत रखनेवाला है या दखलकाररअय्यत है तो वह बाक़ी मालगुज़ारी के लिये बेदखल नहीं कियाजायगा पर उसका दर्मियानी हक़्क़ या जोत इजराय डिकरी मालगुज़ारी में नीलाम किया जायगा और मालगुज़ारी का वसूल होना उसपर पहिला दावा होगा ॥

दूसरी हालतोंमें बाक़ीके लिये बेदख़ली ॥

६६—(१) जब ऐसे असामी के पास जो दवामी हक़्क़ दर्मियानी रखनेवाला या शरह मुक़र्रर पर जोत रखनेवाला या दखलकार रअय्यत नहीं है मालगुज़ारी बंगला बरस पूरा होनेपर जहांवह बरस जारी है या जेठ महीनेके खतम होनेपर जहां

ठी या असली बरस चलता है, बाक़ी पड़े तो ज़मींदार अ-
ो की बेदख़ली के लिये नालिश दायर करसक्ता है चाहे उसने
ी मालगुज़ारी वसूल करने के लिये डिकरी पाई या न पाई
और किसी क़ौल क़रार की रूसे बाक़ी मालगुज़ारी के लिये
ासी को निकालदेने का उसको हक़ हो या न हो ॥

(२) उसी डिकरी में जो मुद्दई के लिये बाक़ी मालगु-
ज़ारी की निस्बत बेदख़ली के मुक़द्दमे में दीजाये,
बाक़ी रुपया और उसके सूद (जो कुछ हो) की
तादाद मुन्दर्ज होगी और जो डिकरी की तारीख़से
पन्द्रह दिनके भीतर या जब अदालत पन्द्रहवें दिन
बन्द हो तो उसदिन जिसदिन अदालत खुले वह
रुपया और मुक़द्दमे का ख़र्चा अदाकिया जाय तो
डिकरी तामील नहीं कीजायगी ॥

(३) अदालत कुछ ख़ास सबबों के लिये इस दफ़ा में
बताईहुई पन्द्रहदिनकी मीआद को बढ़ासक्ती है ॥

बाक़ीमालगुज़ारी पर सूद ॥

६७—बाक़ी मालगुज़ारीपर सूद बारहरुपया सैकड़ासालाना
के हिसाब से खेतीके बरसके उस सेमाही के
अख़ीर से जिसमें क़िस्त अदाहोना चाहिये
लिश के दायर होनेतक लगेगा ॥

बिलावजहमुनासिब मालगुज़ारी न देनेके लिये याबिलासबबमुद्दाअलेहके नालिशकरनेकेलिये हर्जा दिलानेका इख़्तियार ॥

६८—(१) अगर किसी मुक़द्दमा में जो बाक़ी मालगुज़ारी
वसूल करनेके लिये दायर कियागया है अदालत
समझे कि मुद्दाअलेहने बिलावजह मुनासिब
मालगुज़ारी वाजिबुलअदा देने भूलगया, या देनेसे
इन्कारकिया तो अदालत मुद्दईको डिकरीदीहुई
मालगुज़ारी और ख़र्चाकेसिवाय ऐसा और हरजा
दिलासक्ती है जो डिकरी दीहुई मालगुज़ारीपर
२५) रुपये सैकड़ा से ज़ियादह न हो और
जिसको अदालत मुनासिब समझे ॥

पर शर्त्त यहहै कि जब इस दफ़ा की रूसे हर्जा दिलायाजाय तो सूद की डिकरी न होगी॥

(२) अगर किसी मुक़द्दमामें जो बाक़ी मालगुज़ारी के वसूल करनेकेलिये दायर कियाजाय अदालत को दिखाई दे कि मुद्दईने बिलावजह माक़ूल नालिश की है तो अदालत मुद्दआअलेह को बतौर हर्जा के इतना रुपया दिलासक्ती है कि मुद्दई के दावा के कुल रुपया पर २५) रुपया सैकड़े से ज़ियादह नहो, जैसा अदालत ठीक समझे॥

मालगुज़ारी जो जिंस में दीजाती है या भावली मालगुज़ारी॥

६६—(१) जहां मालगुज़ारी पैदावार की कनकूत या बटाई से लीजाती है—:

पैदावारकीकनकूतयाबटाईके लियेहुक्मदेना॥

(अलिफ़) जो ज़मींदार या असामी आप या गुमाश्ता की रूसे कनकूत या बटाईके वक्त हाज़िर न होवे—या

(बे) जो पैदावार की तादाद, क़ीमत या बांटने की निस्बत झगड़ा हो तो कलक्टर किसी फ़रीक़ की दरख़्वास्तपर और जब वह ख़र्चेकेलिये इतनारुपया जमाकरे जितना कलक्टर कहै, पैदावारकी कनकूत या बटाई के लिये ऐसा अफ़सर मुक़र्रर करसक्ता है जिसको वह उस काम के लिये लायक़ समझै॥

(२) ऐसी दरख़्वास्त न गुज़रनेपर भी कलक्टर किसी ऐसी हालत में जिसमें ज़िला या सब डवीज़नके मजिस्ट्रेट की रायमें ऐसा हुक्मदेना दंगा फ़साद को रोकसक्ता है ऐसाही हुक्म देसक्ता है॥

(३) जब कलक्टर इस दफ़ा के मुताबिक़ हुक्मदेता है तो जबतक पैदावारकी कनकूत या तक़सीमनहो- जाय वह ऐसा हुक्म देसक्ता है कि जिंस तबतक वहां से हटाया न जाये ॥

कारखाईजहां अफ़सर मुक़र्रर कियाजाये ॥

७०—(१) जब कलक्टर पिछली दफ़ा की रूसे किसी अफसर को मुक़र्ररकरे तो वह अगर मुनासिब समझे तो उस अफसर को यह हुक्म देसक्ता है कि अपनेसाथ चन्दआदमियोंको असेसरकीतरह रक्खे और उन असेसरों (जो कोईहो) केचलने के तौर उनकी तादाद और लियाक़त की निस्बत और उस कारखाई के लिये जो कनकूत या बटाई में करनाचाहिये कुछ हिदायत करसक्ताहै और वह अफसर ऐसी हिदायतके बमूजिब काम करेगा ॥

(२) वह अफसर कनकूत या तक़सीम करने के पहिले उस ज़मींदार और असामीको उसवक्त और जगह की इत्तिला देगा जहां कनकूत या बटाईहोगी पर जो ज़मींदार या असामी आप या गुमाश्ता के ज़रियेसे हाज़िर नहो तो वह कारखाई एकतरफ़ा करसक्ता है ॥

(३) कनकूत या तक़सीम करने के बाद वह अफसर अपनी कारखाई की एक रिपोर्ट कलक्टर के पास भेजेगा ॥

(४) कलक्टर उसरिपोर्टपर ग़ौरकरैगा और दोनोंफ़री- क़ोंकोजो कुछ कहनाहो वह सब सुनैगा और ऐसी तहक़ीक़ात (जो कुछहो) के बाद जिसको वह ज़रूर समझता है, उसपर ऐसा हुक्मदेगा जिसको वह वाजिब समझे ॥

(५) कलक्टर अगर मुनासिब समझे तो उस अम्र को जिसपर दोनों तरफ़ों के बीचमें झगड़ा होताहै

अदालत दीवानी के फ़ैसलाकेलिये पेशकरसक्ता है पर ऊपर बतायेहुये तौरके तावेहोके उसका हुक्म नातिक़होगा और ज़मींदार या असामी के दीवानी अदालत में दरख्वास्त देनेपर डिकरी के तौरपर तामील किया जायगा ॥

(६) जहां अफ़सर कनकूत करताहै, कनकूतके काग़ज़ात कलक्टरकी कचहरी में दाखिल किये जायँगे ॥

७१—(१) जहां पैदावार की कनकूत पर मालगुज़ारी लीजाती है, असामी बिल्कुल पैदावारपर दख़ल का हक़ रक्खेगा ॥

जिसपर दख़ल का हक़ और बटाई हो ॥

(२) जहां मालगुज़ारी बटाई से लीजातीहै असामी को सारी पैदावार के रखनेका हक़होगा जबतक वह बांटीनजाय पर उसको यह हक़ न होगा कि खलिहानसे पैदावार की किसी हिस्सेको ऐसेवक्त या इसतरह से अलगकरै जिससे वह ठीकवक्तपर ठीक बांटी न जासके ॥

(३) दोनों हालतोंमें असामीको यह हक़होगा कि वह पैदावारको ठीक वक्तपर काटे और इकट्ठाकरै और ज़मींदार उसमें कुछ दस्तन्दाज़ी न करै ॥

(४) जो असामी पैदावार का कोई हिस्सा ऐसेवक्त और इस तरह से अलग करै कि उसका ठीक कनकूत या बटाई ठीक वक्त पर न होसकै तो पैदावार की फ़सल ऐसी भारी और पूरी समझी जायगी कि जैसी आस पास के उसी क़िस्म की ज़मीनमें उसी क़िस्म की फ़सल के लिये सब से बढ़ के कनकूत की गई है ॥

ज़मींदार के बदलने पर या दुर्मियानी हक़ या

जोतके इन्तक़ाल होने पर मालगुज़ारी अदाकरने की जवाबदही ॥

७२—(१) असामी जब उसके ज़मींदार का हक़ किसी और को इन्तक़ाल किया जाय, हक़ पाने वाले के यहां उस मालगुज़ारी के लिये जवाबदह न होगा जो हक़ इन्तक़ाल होने के पीछे अदाकरने लायक़ हुई और उसज़मींदारको दीगई जिसका हक़ इस तरहसे मुन्तक़िल हुआथा पर सिर्फ़ उस हालत में जवाबदह होगा कि जब हक़पानेवाले ने रुपया अदा होने के पहिले हक़इन्तक़ालहोने की इत्तिला असामी को दी ॥

असामीउसमालगुज़ारी के लिये जो उसने अगले ज़मींदार को बिला पाने इत्तिला इन्तक़ाल के दियाथा उस शख्स के पास जवाबदह न होगा जिस को साबिक़ के ज़मींदार ने अपना हक़ इन्तक़ाल किया है ॥

(२) जब उस ज़मींदार को जिसका हक़ मुन्तक़िलहुआ है, एक से ज़ियादह असामी मालगुज़ारी देतेहैं तो इस दफ़ा के मतलबके लिये यह काफ़ी होगा कि हक़ पाने वाला उन सब असामियों के नाम एक आम इश्तिहार देकर उसको उसतौरसे मुश्तहिर करे कि जैसा हुक्म दिया गयाहै ॥

७३—जब कोई दख़ीलकार रअय्यत बिलामर्ज़ी अपनेज़मींदार के अपनी जोतको इन्तक़ाल करता है तो हक़ इन्तक़ाल करने वाला और हक़ पानेवाला अलग अलग और इजमाली तौरपर ज़मींदार के यहां उस बाक़ी मालगुज़ारी के लिये जवाबदह होंगे जो हक़ इन्तक़ाल होनेके पीछे बाक़ी पड़े पर इस हालत में नहीं कि जब इन्तक़ाल होने की इत्तिला ठहराये हुये तौरसे ज़मींदार को दीगई है ॥

हक़दख़ीली की जोत इन्तक़ाल होने पर मालगुज़ारी होनेकेलियेजवाबदही ॥

बे आईन अबवाब वग़ैरह ॥

अबवाब वग़ैरह आईन के ख़िलाफ़ हैं ॥

७४—असामियों पर अबवाब, महतूत या और ऐसी तरह के लगाये हुये हर क़िस्मके महसूल जो असल मालगुज़ारी के सिवाय लिये जाते हैं बेआईन समझे जायेंगे और उनके अदा करने के लिये सब क़ौल क़रार और शर्तें निकम्मी होंगी ॥

जो मालगुज़ारी वाजिब अदा से ज़ियादह रुपया ज़मींदार असामी से ख़िलाफ़ आईन ले उसके लिये सज़ा ॥

७५—हर असामी जिससे (किसी ख़ास आईन की रूसे जो उस वक़्त जारी हो छोड़कर) कुछ रुपया या उसकी ज़मीन की पैदावार का कुछ हिस्सा आईन की रूसे दिये जाने लायक़ मालगुज़ारी के सिवाय ज़मींदार की तरफ़ से ख़िलाफ़ आईन लिया जावे तो ऐसे लेनेके छः महीने के भीतर ज़मींदारसे ऐसी ली हुई चीज़ की तादाद या दाम के सिवाय ऐसा रुपया जुर्माना के तौरसे वसूल करने की नालिश करसक्ताहै जिसको अदालत मुनासिब समझे और जो दोसौ रुपये से ज़ियादह न हो या जब ऐसी लीहुई चीज़ का दुगुना दाम दोसौ रुपये से ज़ियादह हो तो इतना रुपया जो उस दुगुनादाम या तादाद से ज़ियादह न हो ॥

नवां बाब ॥

ज़मींदार और असामी के लिये क़वायद मुतफ़र्रिक़ा ॥

ज़मीन की लियाक़त बढ़ाना या सुधारने का सामान करना ॥

सुधारनेका सा॰मान या ज़मीन की लियाक़तबढ़ाने की तारीफ़ ॥

७६—(१) इस ऐक्ट के मतलब के लिये सुधारने का सामान या ज़मीन की लियाक़त बढ़ाने से जब वह लफ्ज़ रअय्यत की जोत के लिये इस्तैमाल किये जायें ऐसा काम समझा जायगा जिससे जोतका दाम बढ़ताहै और जो जोतके लिये औरउसकाम के लिये जिसके वास्ते वह पट्टा पर दीगई थी ठीक है और जो जोतपर नहीं बनाया गयाहै तो उसके ठीक फ़ायदे के लिये बनाया गया है या बनाये जाने पर उसको खास फ़ायदा पहुंचता है ॥

(२) जबतक इसके बखिलाफ़ न दिखायाजाय आगे बताये हुये काम हस्बमन्शाय इस दफ़ा के ज़मीन की लियाक़त बढ़ानेवाले काम समझे जायँगे—:

(अलिफ़) कोई तालाब और पानीके नालोंका बनाना और ऐसे काम बनाना जिनसे खेतीकेलिये या उनआदमियों और चौपायों के लिये जिनसे खेतीकाकाम लिया जाताहै, पानी इकट्ठा किया जाय, पहुंचाया जाय या बांटा जाय ॥

(बे) पानी बँटाने के लिये ज़मीन का तय्यार करना ॥

(से) ऐसी ज़मीन का जो ज़राअत के काम में आतीहै या परती ज़मीन का जो क़ाबिल ज़राअत है, पानी

निकालना या उनको दरियाओर पानीसे निकालना या सैलाब या पानीके कटनेसे या और किसी तरह के नुक़सानसे बचाना जो ज़मीनको पानीसे पहुंचाता है ॥

(दाल) ज़मीनको काश्तमेंलाना और खेतीकेलिये साफ़करना घेरना या हमेशाके लिये सुधारना ॥

(ये) ऊपर बनाये हुये कामों से किसी का नये सिर से बनाना या तब्दील करना या उनमें से कुछ बढ़ाना—और

(फ़े) रअ़य्यत और उसके घरके आदमियोंके लिये रहने के लायक़ घर और उसके साथ ज़रूरी गोसाला वग़ैरह ॥

(३) पर कोई ऐसा काम जिसको जोत रखनेवाला रअ़य्यत बनावे इस ऐक्ट के मतलब के लिये ज़मीन की लियाक़त बढ़ानेवाला काम नहीं समझाजायगा अगर वह उसके ज़मींदार की जायदाद का दाम बहुत कुछ घटाता है ॥

७७—(१) जहां रअ़य्यत शरह मुक़र्रर पर ज़मीनरखता है या अपनी जोतपर हक़रखता है, तो न रअ़य्यत और न उसके ज़मींदार को यह हक़ होगा कि जोत की निस्बत ज़मीन की लियाक़त बढ़ाने में एक दूसरे को रोके सिवाय उस हालत के, कि जब वह आप उस काम को करना चाहता है ॥

शरह मुक़र्रर पर ज़मीन रखनेकी हालत में और जहांहक़दख़लकारी है उन हालतोंमें ज़मीनकीलिया-क़त बढ़ाने का हक़ ॥

(२) जो रअ़य्यत और ज़मींदार दोनों ज़मीन की लियाक़त बढ़ाने के लिये एकही काम करना चाहें तो रअ़य्यत को उसके करने का पहिला हक़होगा

पर उस हालतमें नहीं कि जब वह उसी ज़मींदार के मातहत दूसरी जोत या जोतोंपर असर पहुंचाता है ॥

७८—जो कोई झगड़ा रअय्यत और ज़मींदारके बीचमें हो ॥

साहब कलक्टर ज़मीनकीलिया-क़तबढ़ानेकेहक़ के बारेमें फ़ैसला करैगा ॥

(अलिफ़) ज़मीन की लियाक़त बढ़ानेके हक़की निस्बत--या

(बे) इसलिये कि किसी ख़ास काम के करने से ज़मीन की लियाक़त बढ़ैगी या नहीं तो कलक्टर दोनों फ़रीक़ों में से किसी की दरख्वास्त पर इस बात को फ़ैसल करसक्ता है और उसका फ़ैसला क़तई होगा ॥

७९—(१) ग़ैर दख़्लकार रअय्यत का यह हक़ होगा कि अपने जोतमें पानी पटाने के लिये कूड़ और उसके मुतअल्लिक़ जो जो काम बनानाहो, बनावे या उनको क़ायम रक्खे और मरम्मतकरे और अपने और घरके आदमियों के लिये रहने के लायक़ घर और ज़रूरी गोसाला वग़ैरह बनादे पर ऊपर बताईहुई और आगे लिखीहुई हालतों को छोड़कर अपने ज़मींदार की बिलाइजाज़त और किसीतरहसे ज़मीनकोलियाक़तबढ़ानेकाहक़ उसको न होगा ॥

हक़दख़ली न होनेकीहालतमें ज़मीनकीलिया-क़त बढ़ाने का हक़ ॥

(२) ग़ैर दख़्लकार रअय्यत जो अपनी जोतकीज़मीन की लियाक़त बढ़ानेकेलिये किसी काम करने का हक़रखता है, पर उसका ज़मींदार इजाज़त नहीं देता है, अगरवह चाहै कि ऐसा काम किया जाये

तो वह अपने ज़मींदार को एक लिखी हुई दरख्वास्त इस मज़मून की दे सक्ता है या उसके यहां दिला सक्ता है कि वह मुनासिब वक्तके अन्दर उस काम को करे और जो ज़मींदार उस दरख्वास्तपर अमल न करसके या न करे तो रअय्यत उस काम को आप करसक्ता है ॥

ज़मींदार की को शिशमें जो ज़मीनकी लियाक़त बढ़ाई उस कीरजिस्टरी ॥

८०—(१) ज़मींदार ऐसेमाल के अफसर के पास कि जिस को लोकल गवर्नमेन्ट मुक़र्रर करे, ऐसीज़मीन की लियाक़त बढ़ाने की रजिस्टरी के लिये दरख्वास्त देसक्ताहै जो उसने आईनकीरूसे किया है या जो उसके खर्च से आईन की रूसे किया गया है या जिसके करने में उसने असामी को मदद दी है ॥

(२) दरख्वास्त ऐसेनमूना की होगी और उसमें ऐसी बातें रहेंगी और तहक़ीक़ात सर ज़मीन या और ऐसे तौर से तसदीक़ की जावगी जैसा लोकलगवर्नमेन्ट क़ायदे की रूसे वक्त वक्त पर हुक्मदे ॥

(३) दरख्वास्त लेने वाला अफसर जो वह दरख्वास्त बारह महीने के भीतर नीचे लिखो हुई तारीख़ से न दीजावे तो उसको नामंज़ूर कर सक्ता है ॥

(अलिफ़) ऐसी ज़मीन की लियाक़त बढ़ाने की हालत में जो इस ऐक्ट के जारी होने के पहिले किया गया है, इस ऐक्ट के जारी होने की तारीख़ से ॥

(बे) ऐसी ज़मीन की लियाक़त बढ़ाने की हालत में जो इस ऐक्ट के जारी होने के पीछे किया जाये- इस काम के खतम होने की तारीख़ से ॥

८१—(१) अगर किसी जोत का ज़मींदार या असामी चहे

ज़मीन की लियाक़त बढ़ाने की निस्बत सबूत क़लम्बन्द होने कीदरख़्वास्त ॥

कि उसकी ज़मीन की लियाक़त बढ़ानेका सबूत क़लम्बन्द कियाजाय तोवह किसीमालके अफ़सर (रेवन्यू अफ़सर) के पास दरख़्वास्त करसक्ता है जो ऐसेवक्त और जगह जिसकी इत्तिला फ़रीक़ैनको दीजायगी, इस सबूत को क़लम्बन्दकरेगा पर उसहालत में नहीं किजब वह ऐसा समझताहै कि दरख़्वास्त देने के लिये कोई माक़ूल वजहनहींहै या उसको यह दिखलाया जाये कि दावाकीहुई चीज़ की अदालत दीवानी में तहक़ीक़ात होरहीहै ॥

(२) जब कोई बात इस दफ़ाकी रूसे क़लम्बन्द हुई है तो वह बतौर सबूत के किसी ऐसी पिछली काररवाई में ली जासकेगी जो ज़मींदार और असामी या और शख़्सों के बीच में हों जो उनके मातहत दावा करते हैं ॥

रअय्यत की कोशिशसे जो जो ज़मीनकी लियाक़त बढ़ी है उसके लिये तलाफ़ी ॥

८२—(१) हर रअय्यत जो अपनी जोत से बेदख़ल किया गयाहै यह हक़ रक्खैगा कि उसने या उसके पहिले हक़्क़दारों ने इस ऐक्टकी रूसे जोतकी निस्बत जो काम ज़मीनकी लियाक़त बढ़ानेके लिये किये हैं और जिसके लिये अबतक तलाफ़ी नहीं दीगई है उसके लिये हर्जापावे ॥

(२) जब कभी अदालत किसी रअय्यत के बेदख़ली के लिये डिकरी या हुक्मदे तो वह इस बातको तजवीज़ करेगी कि रअय्यत कोइसदफ़ाकीरूसे ज़मीन की लियाक़त बढ़ाने के लिये कितना रुपया बतौर तलाफ़ी के दिया जायगा और बेदख़ली का हुक्म या डिकरी उस वक्त देगी कि जब रअय्यत को वह रुपया अदाकिया जाय ॥

(३) इस दफ़ाकी रूसे किसी ऐसी ज़मीनकी लियाक़त बढ़ानेके कामकेलिये तलाफ़ी का दावा नहींकिया जायगा जब रअय्यत ने किसी क़रार या पट्टे का पाबन्द होकर किसी भारी फ़ायदाके पाने केवास्ते बिला पाने तलाफ़ी के उस कामको किया है और वह फ़ायदा उसने पायाहै ॥

(४) ज़मीन की लियाक़त बढ़ानेके लिये जो कोई काम रअय्यत ने दूसरी मार्च सन् १८८३ ई० और इस ऐक्ट के जारी होने के बीचमें कियेहैं वह इसऐक्ट की रूसे किये हुये समझे जायेंगे ॥

(५) लोकलगवर्नमेन्ट वक्त वक्त पर सरकारी गज़ट में इश्तिहार छाप कर अदालतको इस बातकीहिदायत करने के लिये क़ायदा बनावेगी कि वहज़मीन की लियाक़त बढ़ाने की तलाफ़ी का तख़मीना करने के वास्ते जो इस दफ़ाकी रूसे दिलाया जाय, इतने असेसर अपने साथ रक्खे जितने लोकलगवर्नमेन्ट मुनासिब समझे और उनअसेसरोंकी लियाक़त और उनके चुन्नेका तौर ठहरानेके लिये भी क़ायदा बनावेगी ॥

तलाफ़ी दिलाने केक़ायदा ।

८३—(१) उस तलाफ़ी का तख़मीना करने के लिये जो पिछलीदफ़ाकी रूसे ज़मीन की लियाक़त बढ़ाने के लिये दीजाय आगे बताईहुईबातोंपर लिहाज़ किया जायगा——:

(अलिफ़) जोत का दाम या पैदावार या उस पैदावार का दाम ज़मीन की लियाक़त बढ़ाने के काम से कितना बढ़ा है ॥

(बे) ज़मीन की लियाक़त बढ़ाने वाले काम की हालत और कबतक उसका असर रहसक्ताहै ॥

(से) उस मजदूरी और पूंजीपर जो ऐसी ज़मीन की लियाक़त बढ़ानेके लियेचाहिये ॥

(दाल) मालगुज़ारी की तख़फ़ीफ़ या मुआफ़ी पर या किसी औरफ़ायदा पर जोजमींदारने उस ज़मीनकी लियाक़त बढ़ानेकेलिये रअय्यतको दिया है—और

(ये) जब ज़मीन पहिले पहिल जोतीजाती है या ऐसी ज़मीन जो कभी बटाई नहीं गई थी बटानेके लायक़ कीजाती है तब उस मुद्दत पर कि जब तक रअय्यत ने उस ज़मीन की लियाक़त बढ़ाने वाले कामसे फ़ायदा उठाया है बग़ैर देने बेशीमालगुज़ारी के ॥

(२) जब तलाफ़ी की तादाद ठहराई जा चुके तो अदालत जो ज़मींदार और रअय्यत आपस में राज़ीहों यह हुक्म देसक्ती है कि तलाफ़ी बिल्कुल रुपया में अदा किये जाने की जगह वह सारा या कुछ हिस्सा उसकाकिसी और तरहसे अदाकियाजाय ॥

मकान बनाने और दूसरे कामों के लिये ज़मीन हासिल करना ॥

मकान बनाने और दूसरे कामों के लिये ज़मीन हासिल करना॥

८४—अदालत दीवानी किसी जोत के ज़मींदारकी दरख़्वास्त पर और इस बातका यक़ीनहोनेपर किवहकिसी से माक़ूल और परे कामके लिये जोउसजोतया महाल के भलाई के लिये है जिसमें वह ज़मीन है, जोतकी ज़मीन या उसकेहिस्साकोलेना चाहता है और उसको मकान बनाने के लिये या मज़हब, तालीम या ख़ैरात के कामके लिये इस्तेमाल करता है और कलक्टर के सर्टीफ़िकट से यह यक़ीन होने पर कि वह काम माक़ूल और पूराहै, ज़मींदार को ऐसी शर्तोंपरज़मीन

लेनेका इख्तियार देसक्ती है जैसा अदालत मुनासिब समझे, और असामी को हुक्म देसक्ती है कि उस ज़मीनका सारा हक़ या उसके किसी हिस्साका हक़ ज़मींदार को ऐसी शर्तोंपरदेवे जिसको अदालत असामी को पूरी तलाफ़ीदिलाकर मंजूरकरे॥

शिकमी पट्टादेना ॥

शिकमी पट्टादेने के लियेक़ैद ॥

८५—(१) जो रअय्यत रजिस्टरीकी हुई दस्तावेज़के सिवाय किसी और तरह से शिकमी पट्टादे तो वह शिकमी पट्टा उसके ज़मींदार के बख़िलाफ़ जायज़ न होगा पर उस हालतमें कि जब ज़मींदार की मर्ज़ीसे दियाजाय ॥

(२) रअय्यत अगर नवबरस से ज़ियादह मीआदकेलिये शिकमी पट्टादे तो वह रजिस्टरी के लिये नहीं लिया जायगा ॥

(३) जब रअय्यत ने बिलामर्ज़ी ज़मींदार के इसऐक्ट के जारीहोने के पहिले रजिस्टरी कीहुई दस्तावेज की रूसे शिकमी पट्टा दिया है तो वह पट्टा इस ऐक्ट के जारी होने के पीछे नव बरस से ज़ियादह मीआद के लिये जायज़ न होगा ॥

इस्तीफ़ा देना और ज़मीन छोड़देना ॥

इस्तीफ़ादेना ॥

८६—(१) जो रअय्यत पट्टा या किसी क़ौलक़रारकी रूसे किसी मुक़र्रर वक्त के लिये पाबन्द नहीं है, वह खेती के बरस पूरेहोने पर अपने जोत का इस्तीफ़ा देसक्ता है ॥

(२) पर इस्तीफ़ा देनेके बाद भी रअय्यतकी उस जोत की निस्बत उस खेतीके सालकी मालगुज़ारी का

खिसारा भरदेना होगा, जो इस्तीफ़ा देनेकी तारीख के पीछे आता है पर सिर्फ़ उस हालत में नहीं कि जब वह अपने ज़मींदारको इस्तीफ़ादेने के कमसेकम तीन महीने पहिले अपने इरादह की इत्तिला दे ॥

(३) जबरअय्यत अपनीजोतकी इस्तीफ़ा देचुकाहै, अदालत जब तक इसके बखिलाफ़ न साबित किया जाय, ज़मीमे दफ़ा २ के मशातिब के लिये नीचे लिखी हुई हालतों में क़यास करेगी, कि ऐसी इत्तिला दी गईथी——याने

(अलिफ़) जो रअय्यत उसी गांव में उसी ज़मींदार से खेती के उस बरस में जो इस्तीफ़ा देने के पीछे आया है, नई जोत ले ॥

(बे) जो रअय्यत खेती के उस बरस के खतम होने से कमसे कम तीनमहीने पहिले जिसके अखीरहोने पर उसने इस्तीफ़ा दियाहै उसगांवमें रहना छोड़ दे जिसमें इस्तीफ़ा दीहुई जोत वाक़ै है ॥

(४) रअय्यत जो मुनासिब समझे तो इत्तिला उसदीवानी अदालत के ज़रीये से जिसकी हदइख्तियार के अन्दर वह जोत या उसका कोई हिस्सा वाक़ैहै, तामील करासक्ता है ॥

(५) जब रअय्यत ने अपने जोतका इस्तीफ़ा दिया है, तो ज़मींदार उसजोत को दखल करसक्ताहै, और या तो उसको किसी और असामी को पट्टा देसक्ता या आप उसको जोत सक्ताहै ॥

(६) जबकिसी जोतपर रजिस्टरी किया हुआ देन है तो जोत का इस्तीफ़ा देना तब तक जायज़ न होगा जबतक वह ज़मींदार और देन देनेवाले की रज़ामंदी से न दियाजाय ॥

(७) इससे पिछले ज़मीमा दफ़ामें बताई हुई शर्त्तोंको छोड़कर इस दफ़ामें कोई ऐसी बात नहीं है जो रअय्यत और ज़मींदारको उससारी जोत या उसके किसी हिस्सा के इस्तीफ़ा देने के लिये आपस में बन्दोबस्त करने से रोके॥

८७—(१) जो रअय्यत अपनी मर्ज़ी से अपने ज़मींदारको बेइत्तिला दिये और उसको मालगुज़ारी बाक़ी पड़ने पर अदाकरने के लिये कुछ बन्दोबस्त वग़ैरकिये अपने रहने की जगह छोड़दे और अपने जोत को आप या किसी और आदमी के ज़रीयेसे जोतना छोड़दे तो ज़मींदार उस खेतीके सालके खतम होनेपर जिसमें रअय्यतने इसतरहसे जोतको छोड़दिया है और कास्तका काम बन्दकर दिया है, किसी वक़्त उस जोतको अपने दखल में लासक्ता है और उसको दूसरे असामी को पट्टे पर देसक्ता है या आप जोत सक्ता है॥

ज़मीनछोड़देना॥

(२) ज़मींदार इस दफ़ा की रूसे दखलकरने के पहिले ठहराये हुये तौरपर कलक्टरकी कचहरी में इस बात का इत्तलाअनामा दाखिलकरेगा कि वह उस जोतको छोड़दीहुई समझकर अपने दखलमेंलाने को है और कलक्टर उस इत्तिलाअनामे को इसतरहसे मुश्तहिर करैगा जैसा लोकलगवर्नमेंट क़ायदे की रूसे हिदायत करे॥

(३) जब ज़मींदार इस दफ़ा की रूसे दखलकरे तो रअय्यतको हक़होगा कि इत्तिलाअनामेके मुश्तहिर होनेके तारीख के पीछे किसी वक़्त जो दोबरस से ज़ियादह या गैर दखलकार रअय्यत की हालत में छःमहीने से ज़ियादह न हो, उस ज़मीन के दखलपाबी के लिये नालिश दायर करे, और तब

अदालत अगर उसको इस बात का यक़ीनहो कि रअय्यतने अपनी मर्ज़ीसे जोत नहीं छोड़ दी है, नुक़सान पहुंचाये हुये लोगों को हर्जा देने और बाक़ी मालगुज़ारी अदाकरने की निस्बत ऐसी शर्तोंपर (जो कुछ हो) जिनको अदालत क़रीन इंसाफ़ समझे, दख़लयाबी का हुकम देसक्ती है ॥

(४) जहां कोई सारी जोत या उसका कोई हिस्सा रजिस्टरीकीहुई दस्तावेज़ की रूसे शिकमीपट्टा पर दियागया है, ज़मींदार इस दफ़ा की रूसे उस जोत को दख़लकरने के पहिले सारीजोत शिकमी पट्टाकी बाक़ी मीआद के लिये शिकमी पट्टेदारको उस मालगुज़ारी पर जो वह रअय्यत अदा करता था,जो अबउसजोतको छोड़गयाहै और इसशर्तपर कि वहसब मालगुज़ारी जो उस रअय्यतके ज़िम्मे बाक़ी पड़ी हो अदाकरे, देने की ख़्वाहिश ज़ाहिर करेगा ॥ अगर वह शिकमी पट्टादार मुनासिब वक़्त के अन्दर इसबातको मंज़ूरकरे तो ज़मींदारशिकमी पट्टे को रदकरके जोत को दख़लमें लासक्ताहै,और किसी दूसरी असामीको पट्टे पर देसक्ताहै,या आप उसकोजोत सक्ताहै, जैसा कि ज़िमनमें दफ़ा (१) और (२)में बताया गया है ॥

जोतको तक़सीम करना ॥

अगरबिलामंज़ूरी ज़मींदारजोत तक़सीम कीजाय तो वह उसका पाबन्द नहोगा॥

८८—अगर कोई दर्मियानी हक़ या जोत या उसकी मालगुज़ारी तक़सीम कीजाय तो ज़मींदार उसका पाबंद न होगा, पर उस हालत में कि जब उसने अपनी रज़ामंदी लिखकर ज़ाहिर कीहै ॥

बेदख़ली ॥

८९—कोई असामी अपनी जोत या दर्मियानी हक़्क़ीज़मीन से सिवाय इजराय डिकरी के ज़रीये से बेदख़ल नहीं किया जासक्ता ॥

सिवाय इजराय डिकरी के ज़रीये से बेदख़ली नहीं होसक्ती ॥

पैमायश ॥

९०—(१) मगलता शर्त इस दफ़ा और किसी क़ौल व क़रार के, ख़्वाह ज़मींदार या कोई और शख़्सजिसको वह इस कामके लिये इख़्तियार दे इस ज़मीन को छोड़ कर जो अदाय सरकारी मालगुज़ारीसे मुआफ़ है उन सब ज़मीनोंपर जाकर पैमायश करसक्ता है, जो उसकी मुहाल या दर्मियानी हक़ की ज़मीनके अन्दर वाक़ैहै ॥

ज़मींदारका हक़ ज़मीन पैमायश करनेका ॥

(२) ज़मींदार बग़ैर रज़ामन्दी असामी के या तहरीरी इजाज़त कलक्टर के यह हक़ न रक्खेगा कि दस बरसमें एकदफ़ासे ज़ियादह आगे बताईहुईहालतों को छोड़कर ज़मीन की पैमायश करे, याने—:

(अलिफ़) जहां दर्मियानी हक़ की ज़मीन या जोतका रक़बापानीके असर से बरस बरस बदल सक्ताहै और मालगुज़ारी रक़बा के मुताबिक़ दीजातीहै ॥

(बे) जहां उस ज़मीन का रक़बा जो जाती है, बरस बरस बदलता है और मालगुज़ारी उसी रक़बा के मुताबिक़ दी जातीहै ॥

(से) जहां ज़मींदार को साबिक़ हक़्क़दार ने अपनीमर्ज़ी से ज़मीन नहीं बेचा है और ख़रीद की रूसे उसको दख़ल करनेकी तारीख़से दो बरससे ज़ियादह मुद्दत नहीं गुज़री है ॥

(३) पिछली पैमायश की तारीख़ से चाहे इसऐक्ट के जारी होने से पहिले या पीछे कीगई हो,यह दस बरस गिने जायेंगे ॥

९१—जहां ज़मींदार किसी ज़मीन की पैमायश करना चाहै जिसके नापने का हक़ वह इससे ठीक पिछली दफ़ा की रूसे रखताहै तो अदालत दीवानीज़मींदार की दरख्वास्त पर ऐसा हुक्म देसक्ती है कि असामी हाज़िर होकर ज़मीनकी चौहद्दी बतावे ॥

असामी पर हाज़िरहोनेका और चौहद्दी बतलाने काहुक्मअदालत देसक्तीहै ॥

(२) जो असामी उस हुक्म की तामील से इन्कारकरे या ग़ाफ़िल रहै तो,एक नक्शा या ज़मीन की चौहद्दी और नाप की और कोई तहरीर जो ज़मींदार की हिदायत से उस वक्त तैयार किया जाय जब असामी को हाज़िर होने के लिये हुक्म दियागया था सही और दुरुस्त क़यास किया जायगा, जब तक उसके बख़िलाफ़ न साबित किया जावे ॥

९२—(१) जब कभी अदालत दीवानी या कोई माल का अफसर (रेवन्यू अफसर) ज़मींदार और असामी के दर्मियान किसीमुक़द्दमायाकाररवाई में ज़मीन की पैमायश का हुक्म दे तो वह पैमायश एकड़ की रूसे की जायगी पर उस हालत में नहीं कि जब अदालत या अफसर माल यहहुक्म दे कि पैमायश किसी औरबनायेहुये पैमायश या नापसे कीजायगी ॥

पैमायश का पैमाना ॥

(२) जो दोनों फरीक़ों के हक़ एकड़ को छोड़कर किसी ख़ास जगह की नाप से ठहराये जायें तो मुक़द्दमा या काररवाई के मरातिबके लिये एकड़ उसजगह की नाप में बदलकर रक्खा जायगा ॥

(३) लोकल गवर्नमेन्ट बाद तहक़ीक़ात सर ज़मीन या किसी ख़ास जगह के लिये नापने के पैमाना

या पैमानों को जो उस जगह जारी है मुश्तहिर करने के लिये क़ायदा बना सक्ती है और इस तहरीर का हर एक इश्तिहार सही क़यास किया जायगा जब तक उसके बरखिलाफ़ कुछ न दिखलाया जाय ॥

मनेजर ॥

शरीकदारों मेंज बाब तलबकरने का इख्तियारकि इजमाली मनेज र मुक़र्रर करने में क्याउज्र है॥

६३—जब किसी मुहाल या दर्मियानी हक़ के शरीकदार मालिकों में उसके बन्दोबस्त के लिये झगड़ाहो रहा है और उसके सबबसे आगे लिखीहुईबातें हुईहैं या होनेवाली हैं——:

(अलिफ़) आम लोगों की दिक़्क़त ॥

(बे) खास लोगोंके हक़में नुक़सान॥

तो ज़िलेका जज (अलिफ़) की हालत में कलक्टरकी दरख्वास्त पर और (बे) की हालत में किसी ऐसे आदमी की दरख्वास्तपर, जो उस मुहाल या हक़ दर्मियानी में कुछ हक़ रखताहै, उन शरीकदारोंपर ऐसा इश्तिहार जारीहोनेका हुकम दे सक्ता है कि वह जवाब दें किइजमाली मनेजर मुक़र्रर करने में उनको क्या उज्रहै ॥

परशर्तयहहै कि किसी मुहाल या दर्मियानी हक़के इजमाली मालिक को इस दफ़ा की रूसे दरख्वास्त करनेका इख्तियार न होगा पर सिर्फ उस हालत में कि जब वह उस हक़पर असल में क़ब्ज़ा रखता है जिसका वह दावा करता है और अगर वह किसी महाल का शरीकदार मालिक है तो उस हालत में कि जब उस का नाम और उसके हक़को हदलेबड़ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट सन् १८७३ कीरूसेरजिस्टरी कीगईहै ॥

उज्र न होंदिखलाने से इजमाली मनेजर मुक़र्रर करनेके लिये हुक्म देने का इख़्तियार॥

६४—जो शरीक़दार मालिक इससे ठीक पिछली दफ़ा की रूसे इश्तिहार जारी होनेके पीछे एक महीने के भीतर उज़्र न दिखासके जैसा ऊपर कहा गयाहै, तो ज़िलेका जज उनको इजमाली मनेजर मुक़र्रर करने के लिये हुक्म देसक्ताहै और उसहुक्म की एक नक़ल ऐसे शरीकदार मालिकपर तामील की जायगी जो उसको देने के पहिले हाज़िर नहीं हुये थे॥

हुक्मतामील न होनेसे मनेजरमुक़र्रर करनेका इख़्तियार॥

६५—जो इजमाली मालिक ऐसे वक़्त के अन्दर कि पिछली दफ़ा की रूसे हुक्म देनेके पीछे एक महीने से कम न हो,जैसा कि ज़िलेका जज इस काम के लिये ठहरावे या जहां हुक्म उस दफ़ा की रूसे तामील किया गया है तो ऐसे तामील होने के पीछे उसी वक़्तके भीतर इजमाली मनेजर मुक़र्रर न करे और जजके इत्तिलाके लिये तक़र्रुरी की रिपोर्ट न करे तो ज़िले का जज उस हालतको छोड़कर कि जब उसको यह बात अच्छी तरहसे दिखलाई जाय,कि मुनासिब वक़्तके अन्दर अच्छेबन्दोबस्त किये जाने की उम्मेद है॥

(अलिफ़) यह हुक्म देसक्ता है कि उस महाल या दर्मियानी हक़्क़ी ज़मीनका बन्दोबस्त कोर्ट—आफ़वार्डसके इलाक़ा कियाजाय,अगर कोर्ट—आफ़वार्डस इसका बन्दोबस्त अपने हाथमें लेनेके लिये राज़ीहो॥

(बे) किसी हालत में मनेजर मुक़र्रर करसक्ताहै॥

पिछलीदफ़ा के क़्लाज़ (बे) कीरूसे हरहा-

६६—लोकल गवर्नमेंट किसी रक़बाकेभीतर जिसकेलिये पिछली दफ़ाके क़्लाज़ (बे) की रूसे मनेजर मुक़र्रर करना ज़रूर हो, सब महाल और दर्मियानी हक़्क़वाली ज़मीनका बन्दोबस्त करने के

ज़तमें कामकर नेकेलिये किसी शख़्सको नाम ज़द करने का इख़्तियार॥

लिये किसी शख़्सको नामज़द करसक्ती है और जब कोई शख़्स इस तरहसे नामज़द हुआ है तो उस कलाजकी रूसे ज़िलेका जज किसी और आदमी को मनेजर मुक़र्रर नहीं करेगा पर उस हालत में कि जब किसी मुहाल के लिये जज इजमालीमालिकों में से एक को मनेजर मुक़र्रर करना मुनासिबसमझे॥

कोर्ट—आफ़—वार्डस ऐक्ट सन् १८७६ ई० कोर्ट—आफ़—वार्डसके इन्तिज़ामपर आयद होगा॥

६७——ऐसी किसी हालत में जिसमें कोर्ट——आफ़——वार्डस दफ़ा ६५ की रूसे किसी मुहाल या दर्मियानी हक़ की ज़मीन का बन्दोबस्त अपने हाथ में लेतीहै, कोर्ट——आफ़——वार्डस ऐक्टसन् १८७६ ई० की वह शर्तें जो माल ग़ैर मन्क़ूला के बन्दोबस्त से ताल्लुक़ रखती है, उस बन्दोबस्तके लिये काममें आवेंगी॥

वह शर्तें जो मनेजरपर आयद होंगी॥

६८—(१) मनेजर जो दफ़ा ६५ की रूसे मुक़र्रर किया गया है, अगर ज़िलेका जज मुनासिब समझ मेहनतानाके तौर से मुक़र्रर तनख़्वाह या उसके तहसील कियेहुये रुपयेसे सैकड़ा के हिसाबसे कुछ रुपया या कुछ एकतरहसे और कुछ दूसरी तरह से पावैगा जैसा कि ज़िलेका जज वक़्त वक़्तपर हुकम दे॥

(२) वह अपना काम अच्छी तरहसेकरने के लिये ऐसी ज़मानत देगा जिसके लियेज़िलेकाजज हुक्मदे॥

(३) वह बनिगरानी ज़िलाजज बन्दोबस्त के लिये वह इख़्तियारातरक्खेगा जोशरीकदार मालिक उसके मुक़र्रर न होने की हालत में इजमाली तौरपर अमल में लाते और वहइजमाली मालिक ऐसा कोईइख़्तियार नहीं रक्खेंगे॥

(४) वह ज़िला जज के हुक्म के मुताबिक़ सब नफ़ेका तदारुक और तक़सीम करेगा ॥

(५) वह बाज़ाबिता हिसाब रक्खेगा और शरीकदार मालिकों को या उनमेंसे किसीको ऐसे हिसाबदेखने और उनकी नक़ल लेनेदेगा ॥

(६) वह ऐसे वक्त और ऐसे नक्शोंमें जिसके लिये ज़िलेका जजहुक्मदे अपने हिसाबोंको पासकरेगा ॥

(७) वह ऐसी दरख्वास्तदेसक्ताहै जो मालिक दफ़ा १०३ की रूसे दे सक्ते थे ॥

(८) वह सिर्फ़ ज़िला जज के हुक्मसे मौक़ूफ़ किया जा सक्ता और किसी तरहसेनहीं ॥

इन्तिज़ाम का काम शरीकमालिकोंके हाथमें वापस देनेकाइख़्तियार ॥

६६—जब कोई मुहाल या दर्मियानी हक़्क़की ज़मीनइन्तिज़ामके लिये कोर्ट—आफ़—वार्डसकेहवालेकिया गयाहै, या दफ़ा ६५ की रूसे उसके लिये मनेजर मुक़र्रर हुआहैतो ज़िला जज किसीवक्त यहहुक्म दे सक्ताहै कि उसके इन्तिज़ाम का काम शरीक मालिकों के हाथ में वापसदिया जाय जो उसको यक़ीन हो कि वह सब इन्तिज़ाम इस तरह से करेंगे कि आम लोगोंको कुछ दिक़्क़त न होगी या खास शख्सों के हक़ूक़को नुक़सान नहीं पहुंचेगा ॥

क़ायदाबनानेका इख़्तियार ॥

१००—हाईकोर्ट को इख्तियारहै कि पिछली दफ़ाओंकीरूसे मनेजरोंको जो काम और इख्तियार दियेगयेहैं, उसकेठहराने केलियेवक्त वक्तपरक़ायदाबनावे ॥

दसवां बाब ॥

रूयदाद हक़ूक़ और मालगुज़ारी का बन्दोबस्त ॥

रूयदाद हक़ूक़ तय्यार करने और ज़मीन की पैमायश करने के लिये हुक्म देने का इख़्तियार ॥

१०१——(१) लोकलगवर्नमेंट किसी हालत में गवर्नर जनरल साहब बहादुर इजलास कौंसलकी मंजूरी पहिले लेकर और जो वह मुनासिब समझे तो इन हालतों में से किसीमें जो ठीक इस के पीछे बताईगईहैं, ऐसी मंज़ूरी लेनेके बग़ैरऐसा हुक्म देसक्ताहै, कि कोई मालका अफ़सर (रेवन्यूअफ़सर) किसी रक़बाके अन्दर ज़मीन की पैमायश करै और उसकी निस्बत रूयदादहक़ूक़तय्यार करै ॥

(२) वह हालतें जिनमें गवर्नर जनरल साहबबहादुर इजलास कौंसल की मंज़ूरी पहिले लेनेके बग़ैर इस दफ़ाकी रूसे हुक्म दिया जासक्ता है, आगे बताईहुई हैं, जैसा कि——:

(अलिफ़) जब ज़मींदार या बहुत से ज़मींदार या बहुत से असामी ऐसे हुक्मकेलिये दरख़ास्तदें और ख़र्च अदा करनेके लिये इतने रुपया जमाकरैं या इतने रुपया की ज़मानतदें जिसकेलिये लोकलगवर्नमेंट हुक्मदे ॥

(बे) जहां यह ख़याल कियाजाता है कि ऐसे रूयदादके तय्यार करने से कोई ऐसा भारी झगड़ा मिटसक्ता है जो अमूमन् असामी और उसके ज़मींदार में दरपेश है या होनेवाला है ॥

(से) जहां रक़बा ज़मीन किसी ऐसे महाल या दर्मियानी हक़की ज़मीन में है जो सरकारी है या

जिसका बन्दोबस्त सरकार या कोर्ट—आफ़—वार्ड्स की तरफ़ से कीजाती है—और

) जहां किसी रक़बा ज़मीन की निस्बत सरकारी ज़मा का बन्दोबस्त कियाजाता है ॥

जब उस दफ़ाकी रूसे दियेहुये हुक्मका इश्तिहार सरकारी गज़टमें छापाजाय, तो वह इस बात का पूरा सबूतहोगा कि हुक्मबाज़ाबिता दियागयाहै ॥

जब इससे पिछली दफ़ाकीरूसे कोई हुक्मदियाजाये तो जो मरातिब क़ायदादर्ये लिखेजायेंगे, हुक्म में बताई जायेंगी और उनमें आगे लिखीहुई तफ़सीलोंमेंसे सब या कुछ दर्ज कियेजायेंगे चाहै उनमें और भी मरातिब बढ़ायेजायें या नहीं—:

) हर असामी का नाम ॥

) वह किसी दर्जेका असामी है याने दर्मियानी हक़दार, शरह मुक़र्ररपर जोतनेवाला रअ़य्यत, दखलकार या ग़ैरदखलकार रअ़य्यत या शिकमी रअ़य्यत है और अगर वह दर्मियानी हक़दार है तो दवामीहक़ दर्मियानी रखनेवाला है या नहीं और जबतक वह हक़ दर्मियानी रक्खे, उसकी मालगुज़ारी बढ़ाई जासक्ती है या नहीं ॥

) वह जो ज़मीन रखता है, उस का मौज़ा, रक़बा और चौहद्दी ॥

) उसके ज़मींदार का नाम ॥

जो मालगुज़ारी वह देता है ॥

मालगुज़ारी किसतरह से मुक़र्रर कीगई है, क़ौल व क़रार से या अ़दालत के हुक्म से या और किसी तरह से ॥

जो मालगुज़ारी रक़ारका बढ़ती है तो किस अ सोंपर और किस हिसाबसे बढ़ती है ॥

(३) ज़मीन रखनेकी खास शर्तें और अहवाल (जो कुछ हो)॥

१०३—मालिक या दर्मियानी हक़दारकी दरख्वास्त पर और खर्चाका रुपया जमा करने पर या उसके लिये उतने रुपया की ज़मानत देनेपर जिसका हुक्म हो, अफसर माल उन क़ायदों के मुताबिक़ जो लोकलगवर्नमेंट ने इस कामके लिये बनाये हैं, मुहाल या दर्मियानी हक़ या उसके किसी हिस्सा की निस्बत उन मशातिबको दर्याफ्त करके क़लम्बन्द करेगा जो पिछलीदफ़ा में बताईगई है॥

मालिक या दर्मियानी हक़दारकी दरख्वास्तपर अफ़सर माल का तफ़सीललिखने का इख़्तियार॥

१०४—(१) जब इस बाबकी रूसे कीहुई किसी कारवाई से यह नहीं मालूमहोता कि असामी उस ज़मीनसे ज़ियादह या कमज़मीन रखता है जिस के लिये वह मालगुज़ारी अदा करता है, और न ज़मींदार न असामी मालगुज़ारी के बन्दोबस्त के लिये दरख्वास्त देताहै तो अफसर उस मालगुज़ारी को क़लम्बन्द करेगा जो असामी देताहै और उस ज़मीन को भी जिसके लिये मालगुज़ारी दीजातीहै॥

मालगुज़ारी के मुक़र्रर करने और क़लम्बन्दकरने की कारंवाई॥

(२) जब यह दिखाई दे कि असामी उस ज़मीन से ज़ियादह या कम ज़मीन रखता है जिसके लिये वह मालगुज़ारी देता है या ज़मींदार या असामी मालगुज़ारीके बन्दोबस्त के लिये दरख्वास्त देता है, या किसी हालतमें जिसमें दफ़ा (१०१) के ज़िमीमे २ का कलाज़ (६) लगताहै अफसर उस ज़मीनके लिये जो असामी रखताहै वाजिब और क़रीन इन्साफ़ मालगुज़ारी मुक़र्रर करेगा॥

(३) इस दफ़ाकी रूसे मालगुज़ारी के ठहरानेमें जब तक इसके बर्खिलाफ़ साबित न किया जाय, अफसर यह क़यास करेगा कि जो मालगुज़ारी

इस वक्त दीजाती है वाजिब और क़रीन इन्साफ़ है, और उनक़ायदोंपर लिहाज़ रक्खैगा जो इस ऐक्ट में मालगुज़ारी बढ़ाने या घटानेमें अदालत की हिदायतके लिये रक्खेगये हैं॥

हक़ोंकेरूय दादका मुश्तहिर करना॥

१०५—(१) जब अफ्सर माल इस बाबकी रूसे हक़ों की रूयदाद तय्यार करचुके तो वह उसके मस्विदह को खा़स जगहमें बताये हुये तौर से और ठहरायेहुये वक्ततक मुश्तहिर करैगा और उन एतराज़ों को सुनैगा और तजवीज़ करैगा जो मुश्तहिर होने के वक्त के अन्दर उसके किसी मद्दपरकिये जायें॥

(२) इस वक्तके खतम होनेपर अफ्सर माल रूयदाद को खतम करैगा और उसकोठहरायेहुये तौरपर उस खा़स जगहपर मुश्तहिर करैगा और ऐसा मुश्तहिर करना इस बातका पूरा सबूत होगा कि रूयदाद इसबाबकी रूसे ठीकतय्यारहुई है॥

रूयदादकी मदोंकीनिस्बत तक़रारकीहालतमेंकारखाई॥

१०६——जो पिछली दफ़ाकी रूसे रूयदादके अखीर मर्तबा मुश्तहिर कियेजानेके पहिले किसी वक्तकिसीमद के सही होने की निस्बत (जो इसबाबकी रूसे बन्दोबस्त कोहुई मालगुज़ारी की हद्द नहीं है) या किसी ऐसीबात को छोड़देने की दुरुस्ती के निस्बत झगड़ा वाक़ैहो, जिसको अफ्सरमाल उस रूयदाद में दर्जकरना नहीं चाहता या नहीं कियाहै तो अफ्सरमाल उस झगड़ेको सुनैगा और फ़ैसला करैगा॥

मालके अफ़सरकी काररवाई॥

१०७——उन सब काररवाइयों में जो इसबाब की रूसे मालगुज़ारी के बन्दोबस्त करनेके लिये कीजाती है, और इससे पिछली दफ़ा की रूसे की हुई सब काररवाइयोंमें अफ्सर माल उन क़ायदोंके पाबंदहोकर जिनको लोकलगवर्नमेंट इस ऐक्टकी रूसे बतावे,

उस कारस्वाई के मुताबिक अमल करैगा जो आईन कारस्वाई दीवानी में मुक़द्दमोंकी तजवीज़ के लिये रक्खी गई है, और ऐसी हर कारस्वाई में उसका फ़ैसला डिकरी का ज़ोर रक्खैगा ॥

१०८—(१) इस बाबकी रूसे मालके अफ़सर जो फ़ैसला देते हैं उनकी अपील सुननेके लिये लोकल गवर्नमेंट एक या ज़ियादह शख्सों को खासजज मुक़र्रर करसक्तीहै ॥

अफ़सरमाल के फ़ैसलाकीअपील ॥

(२) इसबाबकी रूसे जो फ़ैसला अफ़सर मालदेताहै उसका अपील खास जजके पास किया जायगा और जो अहकाम आईन कारस्वाई दीवानी में अपीलके लिये रक्खेगये हैं, जहांतक होसकेइन सबअपीलके लिये काममें आवेंगे ॥

(३) मगरूता बमूजब बाब ४२ आईन कारस्वाई दीवानी के ऐसे किसी मुक़द्दमामें जो दफ़ा १०६ की रूसे कियाजाय, ऐसे खास जजके फ़ैसला का अपील हाईकोर्ट में कियाजायगा गोया उस की अदालत हस्ब मन्शाय उस बाबकी पहिली दफ़ा के हाईकोर्ट के मातहत है ॥

पर शर्त यहहै कि जो दूसरे अपीलमें उनतफ़सीलों में से किसी को निस्बत जिनकी रूसेकिसी दर्मियानी हक़ या जोतकी मालगुज़ारी बन्दोबस्त की गई है, खास जजके फ़ैसला को हाईकोर्ट तरमीम करे तो अदालत दर्मियानी हक़ या जोत के लिये नई मालगुज़ारी मुक़र्रर करसक्ती है, लेकिन ऐसा करने में उसी क़िस्म के और दर्मियानी हक़ या जोतकी मालगुज़ारी पर लिहाज़ करैगी जो उसी रूयदाद में शामिल है, जो दफ़ा १०४कीरूसे दर्याफ्त या बन्दोबस्त कीगई है ॥

१०९—(१) हर रूयदाद में जो इस बाब की रूसे तय्यार की जायगी मुतनाज़ा और ग़ैरमुतनाज़ा मद्दें अलग अलग दिखलाई जायेंगी ॥

रूयदादकी वह मद्दें जिनकेलिये झगड़ा नहीं कियागयाहै सबूत क़रायनहोगी ॥

(२) रूयदाद की हर एक मद जिस पर किसी तरह का तक़रार नहीं किया गया है सही क़यास की जायगी जब तक उसके बख़िलाफ़ न साबित किया जाय ॥

११०—जब इस बाब की रूसे किसी मालगुज़ारी का बन्दोबस्त किया जाय तो वह बन्दोबस्त रूयदादके अख़ीर मर्तबा मुश्तहिर होनेके ठीकपीछेआनेवाले खेती के सालके शुरूसे जारीहोगा ॥

किस तारीख़से मालगुज़ारी का बन्दोबस्त जारी होगा ॥

१११—जब दफ़ा १०१ की रूसे कोई हुक्म दिया गयाहै—

तातय्यारी रूयदाद अदालतमें मुक़द्दमारुजू या फ़ैसलनहींहोसक्ता ॥

(अलिफ़) दीवानी अदालत रूयदादके अख़ीर मर्तबामुश्तहिर न होनेतक उस रक़बा में जिसके लिये हुक्म दिया गयाहै, मालगुज़ारी बदलने याकिसीअसामी का दर्जा ठहराने के लिये कोई दरख़्वास्त न लेगी और नालिशनहीं सुनेगी—और

(बे) हाईकोर्ट अगर मुनासिब समझे ऐसी काररवाई को अफ़सर माल के पास भेज देसक्ती है जो ऐसे मालगुज़ारी के बदलने या ऐसी बातों की तजवीज़ करने के लिये जो दफ़ा १०२ में बताई या ज़िक्र कीगईहै, दीवानी अदालतमें दायर है ॥

ख़ास हालतों में ख़ास बन्दोबस्त करने के लियेहुक्म देनेका इख़्तियार ॥

११२—(१) जब लोकल गवर्नमेन्ट को इस बातकायक़ीन हो कि इनके पीछे बताये हुये इख़्तियारों को काममें लाना, मुल्क के बन्दोबस्त या उस जगह के लोग की भलाई के लिये ज़रूर है तो, वह गवर्नर जनरल साहब बहादुर इजलास कौंसल की मंज़ूरी पहिले लेकर ऐसे अफ़सर मालको जो इस बाब की रूसे काम करता है,इख़्तियारातमुफ़स्सिलै ज़ैल या इन में से कोई इख़्तियार दे सक्तीहै, जैसा कि—

(अलिफ़) सबमालगुज़ारीके बन्दोबस्तकरने काइख़्तियार॥

(बे) मालगुज़ारी का बन्दोबस्त करने के वक़्त जो अफ़सर की रायमें किसी वजहसे चाहै वह इसऐक्ट में बताई गईहै या नहीं, हालकी मालगुज़ारी को क़ायम रखना वाजिब या मुनासिब नहो, तोमालगुज़ारी घटाने का इख़्तियार ॥

(२) वह इख़्तियारात जो इस दफ़ा की रूसे दिये जायें किसी ख़ास बताये हुये रक़बा के अन्दर आम तौर से या ख़ास मुक़द्दमा या क़िस्मके मुक़द्दमोंके लिये काम में लायेजायेंगे ॥

(३) जब लोकल गवर्नमेंट इस दफ़ाकी रूसे कोईकारवाई करती है तो वह रूयदाद बन्दोबस्त जो अफ़सर मालने तय्यार कियाहै तबतक जारी न होगा जब तक गवर्नर जनरल साहब बहादुर इजलास कौंसल उसको मंज़ूर न करैं ॥

किसम असामीतक मालगुज़ारीजो मुक़र्रर हुईहै, बिला तबदीलीबहाल रहेगी ॥

११३—जब किसीदर्मियानी हक़की ज़मीन या जोतकीमालगुज़ारी इसबाबकी रूसे बन्दोबस्तकी गई है, तो वह उन हालतों को छोड़कर जिनमें ज़मींदारने अपनी कोशिश से ज़मीन की लियाक़त बढ़ाईहै या दर्मियानी हक़की ज़मीन या जोतका रक़बा पीछे से तबदीलहुआ है दर्मियानी हक़ या हक़

दखली के जोतकी हालत में पन्द्रह बरस तक और ऐसा जोत केलिये जिसपर हक़दखली नहींहै, अगरमालगुज़ारी दफ़ा ११२ की रूसे बन्दोबस्त की गई है या १०४ की रूसे जमींदार की दरख़्वास्त पर बन्दोबस्त कीगई है तो पांच बरस तक नहीं बढ़ाईजायगी* पन्द्रह और पांचबरसका अर्सारूयदादके अख़ीर मर्त्तबा मुश्तहिर होने की तारीख़ से गिनाजायगा॥

इस बाबकीरूसे कारखाई का ख़र्चा॥

११४—जब दफ़ा १०१ के ज़िमीमें (२) के क्लाज़ (६) को छोड़कर इस बाबकीरूसे किसी मुक़द्दमामें हुक्म दिया जाय तो वह ख़र्चा जो सरकारने किसी रक़बा ज़मीन में इस बाबके अहकाम कोजारीकरने में उठायाहै या उसख़र्चेका ऐसाहिस्सा जिसके लिये लोकल गवर्नमेन्ट हुक्म दे, इस रक़बा ज़मीन के ज़मींदार और असामियों से ऐसे हिसाब से लिया जायगा जैसा कि लोकल गवर्नमेन्ट हरएक मुक़द्दमे की हालत को देखकर तजवीज़ करे और उस ख़र्च का ऐसा हिस्सा जो किसी आदमीसे इसतरहपर लियाजायगा सरकारकी तरफ़से उसतौरपर वसूल कियाजायगा कि गोया वह उसके ज़िम्मे बाक़ी मालगुज़ारी सरकारी अदा होनेलायक़थी॥

मालगुज़ारीके मुक़र्रर होने का क़यासउस दर्मियानी हक़पर नहींहोगा जिसके लियेरूयदाद तय्यार हुआहै॥

११५——जब दफ़ा १०२, क्लाज़ (बे) में बताईहुई तफ़सीलें इस बाबकी रूसे किसी जोतकी निस्बत क़लम्बन्द हुईहै तो उस जोतके लिये इसकेबाद वह क़यास नहीं कियाजायगा जो दफ़ा ५० में बताया गयाहै॥

ग्यारहवां बाब ॥

मालिकों की नीज दख़ली ज़मीनों की रूयदाद ॥

११६—बाब पांचमें कोई ऐसी बात नहीं है जो मालिक को ऐसी ख़ास ज़मीनों पर हक़ दख़ली दे जो बंगाला में, खुदकार, नीज या नीजजोत, और बिहारमें ज़गऋत, नीज, सीर, या क़ामतके नाम से कहलाती हैं जब ऐसी ज़मीन चंद बरसों के लिये या बरस बरसके पट्टापरउठा दीगई है और बाब ६ में भी कोई ऐसीबात नहीं है, जो ऐसी ज़मीनोंके लिये काममें आवे ॥

मुताल्लिक़ ज़मीन की निस्बत इ[illegible]त्तामना ॥

११७—लोकलगवर्नमेंट वक़ वक़ पर यह हुक्म देसक्ती है कि अफसर माल उन ज़मीनों को पैमायश और क़लम्बंदकरे जो किसी बतायेहुये रक़बामें वाक़ै है और जो हस्बमन्शाय पिछली दफ़ाके मालिक की ख़ास ज़मीन है ॥

सरकारको यह इख़्तियार है कि मालिककी नीज ज़मीनों को पैमायशकरने और उनको क़लम्बंद करनेकाहुक्म दे ॥

११८—ऐसी किसी ज़मीन की निस्बत जिसको मालिक अपनी ख़ास ज़मीन बताता है, मालिक या उस ज़मीन के किसी असामी की दरख़्वास्त पर और ख़र्च का ज़रूरी रुपया जमा करने पर अफसर माल उन क़ायदों की रूसे जिनको लोकलगवर्नमेंट इस काम के लिये बतावे इस बात को दर्याफ़्तकरके क़लम्बंद करसक्ता है कि ज़मीन मालिक की निजदख़्ली ज़मीन है या नहीं ॥

अफ़सर माल को यह इख़्तियार है कि मालिक या असामी की दख़्वास्तपर ख़ास दख़ली ज़मीनों को क़लम्बंदकरे ॥

११९—जब अफसर माल इससे पिछली दो दफ़ओं में से

खासज़मीन के क़लम्बन्द करने के लिये कारर वाई ॥

किसी ऐक्ट की रूसे कारवाई करे तो दफ़ा १०५ से १०६ तक (दोनों शामिल) की शर्तें अमल में आवेंगी ॥

मालिक कीनो जदखलीज़मीन को तजवीज़ क रने के लिये क़ायदा ॥

१२०—(१) अफ़सर माल आगे बताई हुई ज़मीनों को मालिक की नीज दखली ज़मीन के तौर से क़लम्बन्द करेगा——:

(अलिफ़) वह ज़मीन जिसको ऐसा साबित कियागया है कि खुमार, ज़राअत, सीर, नीज जोत या क़ामत के तौरसे मालिकने आप अपनी पूंजी से या अपने नौकरों या किरायेके मजदूरोंके ज़रीयेसे इस ऐक्ट के मंजूर होनेके पहिले ठीक लगातार बारहबरस तक जोता है——और

(बे) वह जोतीहुई ज़मीन जिसको सब गावँ के लोग मालिक की खुमार, ज़राअत, सीर, निजनीज, जोत या क़ामत कहते हैं, और मुद्दत से कहते चले आये हैं ॥

(२) इस बात की तजवीज़ करने के लिये कि और कौनसी ज़मीन मालिक की निज़दखली ज़मीन के तौरपर क़लम्बंद होनीचाहिये, अफ़सर उस जगह के दस्तूरपर लिहाज़ करैगा, और इस बात पर कि वह ज़मीन मार्च सन् १८८३ ई० की दूसरी तारीख़ के पहिले खास तौरसे मालिक की निजदखली ज़मीन की तरह पट्टा दीगई थी या नहीं और ऐसे किसी दूसरे सबूतपर जो पेशकिया जावे, पर जबतक उसके बख़िलाफ़ न साबित

कियाजाये, अफसर क़यासकरैगा कि ज़मीन मालिक की निजइखली ज़मीन नहीं है ॥

(२) जो अदालत दीवानी में इस बात की बहसहो कि ज़मीन मालिक की निज ज़मीन है या नहीं तो अदालत उन क़ायदोंपर नज़र रक्खेगी जो मालके अफसरोंकी हिदायतके लिये इसदफ़ामें मुन्दर्ज है॥

बारहवां बाब ॥

कुर्क़ी ॥

किनहालतोंमें कुर्क़ीके लिये दरख्वास्तदीजासक्ती है ॥

१२१——जब किसी रअय्यत या शिकमी रअय्यतकी तरफ़ से ज़मींदार की बाक़ी मालगुज़ारी अदाकरनेलायक़ है, और एक बरससे ज़ियादह दिनों की बाक़ी नहीं है, और ज़मींदारने इसके लिये कोई ज़मानत नहीं लीहै, तो ज़मींदार उस चारा को छोड़कर जिसका आईन की रूसे वह हक़ रखता है, अदालत दीवानी में इस मज़मूनकी दरख्वास्त देसक्ताहै कि आगेबताई हुई चीज़ें जब कि जोतनेवालेके क़ब्ज़ा में है कुर्क़करके बाक़ी मालगुज़ारी वसूलकीजाये—:

(अलिफ़) वह फ़सल या ज़मीनकी और पैदावार जो जोत पर खड़ी है, या इकट्ठी नहीं कीगई है ॥

(बे) कोई फ़सल या ज़मीनकी और ऐसी पैदावार जो जोतपर उपजी है और काटी या इकट्ठी कीगईहै, औरजोतपर रक्खी गई है या खलियान में या दौरों की जगहमें या ऐसी और जगहचाहे वहखेत में हो या बसगत ज़मीनमें हो बशर्ते कि इसदफ़ा की रूसे कोई दरख्वास्त——

(१) मालिक या मनेजर जिसकी तारीफ़ ज़मीन रजिस्टरी करनेके ऐक्ट सन् १८७६ ई० में बताईगई है या ऐसे मालिक या मनेजर का मुर्तहिन उस हालतमें न करैगा कि जबतक उसका नाम और उसज़मीनमें उसके हक़की हद जिसकी निस्बत मालगुज़ारीबाक़ी है, उस ऐक्टकी शर्तों की रूसे रजिस्टरी न की गईहो—या॥

(२) इस मालगुज़ारीसे ज़ियादह रुपया वसूल करनेके लिये नकी जायेगी, जो पिछलेखेतीके सालमें जोत केलिये अदाहोने लायक़थी परउसहालतमें कीजायगी कि जब वह रुपया तहरीरी क़ौल व क़रारकी रूसे क़ाबिल अदा करने के है या बसबब किसी काररवाई के जोइस ऐक्ट के मुताबिक़ या इससे रद् कियेहुये किसी और ऐक्टकी रूसेकीगई है॥

(३) इसजोत के किसी हिस्से की पैदावार की निस्बत न की जायगी जिस को असामी ने ज़मींदार की तहरीरी इजाज़त से शिकमी पट्टापर दियाहै॥

१२२—(१) इससे पिछली दफ़ाकी रूसे कीहुई हर एक दरख़्वास्त का नमूना॥ दरख़्वास्तमें आगे लिखी हुई बातें मुंदर्जहोंगी—:

(अलिफ़) वह जोत जिसकी निस्बत बाक़ी मालगुज़ारी का दावा किया गया है, और उसकी चौहद्दी या ऐसी और तफ़सीलें जो उसके शिनाख़्त के लिये काफ़ी हों॥

(बे) असामी का नाम॥

(से) वह मुद्दत जिसके लिये बाक़ी मालगुज़ारीका दावा किया गया है॥

(दाल) बाक़ी मालगुज़ारी की तादाद और वह सूद जिसका दावा किया गया है, और जो मालगुज़ारी

पिछले खेती के साल में असामी ने दियाथाउससे
अब ज़ियादह रुपया का दावा किया जाये, तो वह
क़ौल व क़रार या कारवाई जिसकीरूसे वहरुपया
अदा होने लायक़ है ॥

(ये) इस पैदावार की क़िस्म और क़रीब क़रीबदाम जो
क़ुर्क़ कीजायगी ॥

(फे) वह जगह जहां वह पैदावार पाई जायेगी या ऐसी
और तफ़सीलें जो उसके पहिचानने के लिये का-
फ़ीहो—और

(जीम) जो पैदावार खड़ी हो या इकट्ठी न की गई हो,
तो वह वक़्त कि जब वह काटी या इकट्ठी
की जायगी ॥

(२) दरख़्वास्त इस तौर पर दस्तख़त और तसदीक़ की
जायगी जैसा आईन कारवाई दीवानी में अर्ज़ी
दावा के तसदीक़ और दस्तख़त के लिये बताया
गया है ॥

१२३—(१) दरख़्वास्त देनेवाला पिछली दफ़ा की रूसे द-
ख़्वास्त दाख़िल करने के वक़्त अदालत में ऐसा
तहरीरी सबूत (जो कुछ हो) दाख़िल करेगा
जो वह अपनी दरख़्वास्त के लिये ज़रूर समझे ॥

दरख़्वास्त दाख़िल होनेपर कार-रवाई ॥

(२) अदालत जो मुनासिब समझे तो सायल का इज़-
हार ले सक्ती है और जितना जल्द होसके द-
रख़्वास्त को मंज़ूर या नामंज़ूर करेगी, या सायलको
और सबूत पेशकरने के लिये इजाज़त देगी ॥

(३) जब अदालत ज़िमीसे दफ़ा २ की रूसे दरख़्वास्तको
फ़ौरन्मंज़ूर या नामंज़ूर नहींकरसक्ती तो वहअगर
मुनासिब समझे हुक्म दे सक्तीहै कि तामीलहुक्म
क़ुर्क़ी या नामंज़ूरी दरख़्वास्त वह पैदावार जिसकी
ज़िक्र दरख़्वास्त में है, अलग न कियाजाये ॥

(४) जब इस दफ़ाकीरूसे पैदावार की क़ुर्क़ीका हुक्म उसके कटने य इकट्ठे होने के बहुत पहिले दिया जाये तो अदालत ऐसे वक्त के लिये जिसको वह मुनासिब समझै उस हुक्म की तामीलको मुल्तवी करसक्ती है और जो वह मुनासिब समझै तो तामील हुक्म क़ुर्क़ी पैदावारका उसजगह से हटाना मना करसक्ती है ॥

क़ुर्क़ीके हुक्मकी तामील ॥

१२४—जब पिछली दफ़ाकी रूसे दरख़्वास्त मंजूर की जाये तो अदालत उसमें बताई हुई पैदावार या उस पैदावार के ऐसे हिस्से को जिसको वहमुनासिब समझै, क़ुर्क़ करने के लिये एक अफ्सर को मुक़र्रर करैगी और वह अफ्सर उस जगह जायगा जहां वह पैदावार है और उस पैदावार को इसतरह क़ुर्क़ करैगा कि या तो वह उसको अपने ज़िम्मे रक्खैगा या अपनी तरफ़से औरकिसी शख़्स के ज़िम्मे करैगा और उन क़ायदों की रूसे जिनको इस कामके लिये हाईकोर्ट बतावे क़ुर्क़ीका इश्तिहार जारीकरेगा॥

पर शर्त्त यह है कि अगर वह पैदावारइस क़िस्मकी हो कि इकट्ठा करके नहीं रक्खी जासक्ती तो वह इस दफ़ा की रूसे ऐसे वक्त में क़ुर्क़ नहीं कीजायगी जो उस वक्त से बीस दिनसे कमपहिलेहो किजब वहकाटने या इकट्ठा करनेकेलायक़होगी॥

तलबी और हिसाबकीइजराय॥

१२५—(१) क़ुर्क़ करनेवाला अफ्सर क़ुर्क़ करनेके वक्तबाक़ीदार पर बाक़ी मालगुज़ारी और उस खर्चेकेलिये जो क़ुर्क़ करने में पड़ा है, तहरीरी तलबीजारी करेगा, एक ऐसे हिसाब के साथ जिसमें क़ुर्क़ी की वजूहात मुन्दर्ज होगी ॥

(२) जब क़ुर्क़ करनेवाला अफ्सर यह समझता है कि क़ुर्क़ किये हुये माल का मालिक बाक़ीदार नहीं है, बल्कि और कोई शख़्स है, तो वह तलबी

और हिसाब की नक़्लें उस शख्स पर भी जारी करेगा ॥

(३) तलबी और हिसाब जो होसके खुद बाक़ीदारकेहाथ में दियाजायगा पर अगर वह शख्स जिसपर वह इजराय की जायगी, फ़रार होजाये या अपने तई छिपावे, या और किसी वजह से पाया न जाये तो अफसर उस मकान के बाहर जिसमें बाक़ीदार अक्सर रहता है किसी बाज़ हिस्सा पर तलबी और हिसाबकी नक़लों को लगावेगा ॥

पैदावार के काटने वगैरहका हक़ ॥

१२६—(१) क़ुर्क़ी जो इस बाब की रूसे कीजाये किसी शख्स को किसी पैदावारके काटने, इकट्ठा करने या ढेर लगाकर रखने से न रोकेगी या और किसी कामके करने से जो उसकी हिफ़ाज़त के लिये ज़रूर हो ॥

(२) अगर वह आदमी जो ऐसा करने का हक़ रखताहै, ठीक वक्त पर ऐसा न करे तो क़ुर्क़ करनेवाला अफसर क़ुर्क़ कीहुई खड़ी फ़सलों को यापैदावारको जो इकट्ठा नहीं की गईहै, पकनेपर कटावेगा और इकट्ठा करके ऐसी कोठियों में या और जगहों में जहां वह इस काम के लिये अमूमन रक्खे जाते हैं या परोसमें किसी और सुभीते की जगहमें ढेर करके रखेगा या उनकी हिफ़ाज़तके लिये जो कुछ ज़रूर हो, करेगा ॥

(३) इन दोनों में से किसी हालत में क़ुर्क़ किया हुआ माल क़ुर्क़ करनेवाले अफसर या ऐसे किसी शख्स के ज़िम्मे रहैगा, जिस को वह इस कामके लिये मुक़र्रर करे ॥

१२७—जो ज़र तलबी और कुल खर्चा क़ुर्क़ी फ़ौरन् वसूल न हो तो क़ुर्क़ करनेवाला अफ़सर ऐसाइश्तिहार जारी करैगा जिसमें क़ुर्क़ कीहुई मिल्कियत की तफ़सील व ज़र तलबी को तादाद जिसके लिये वह क़ुर्क़ की गई है, मुन्दर्ज होगी और यह भी मुश्तहिर करैगा कि वह क़ुर्क़की हुई मिल्कियत किसी बताई हुई जगह में ऐसे दिन नीलाम करैगा जो क़ुर्क़करने के पीछे तीन दिनसे कम या सात दिनसे ज़ियादह न हो, पर शर्त यह है कि जब क़ुर्क़ कीहुई फ़सल या पैदावार इस क़िस्म की है कि वह ढेरकरके रक्खी जासक्ती है पर अभी तक ढेर नहीं कीगई है, तो नीलाम की तारीख़ इसतरह से मुक़र्रर कीजायगी कि उस के आनेके पहिले वह ढेरकिये जाने केलिये तय्यार होजाय ॥

ज़रतलबी अदा नहोनेसे नीलामीइश्तिहार जारीकियाजायगा ॥

(२) इश्तिहार उस गांवमें जिसमें वह ज़मीन वाक़े है जिसकी बाक़ी मालगुज़ारी के लिये नालिशकीगई है, किसी वाज़े जगह पर लगाया जायगा ॥

१२८—नीलाम ऐसी जगह होगा जहां क़ुर्क़कियाहुआ माल है, या उसके, बहुत पास किसी ऐसी जगह होगा जहां आमलोग आतेजाते हैं, अगर क़ुर्क़करनेवाला अफ़सर यह समझै कि वहां वह ज़ियादह दामपर बिकैगा ॥

नीलाम की जगह ॥

१२९—वह फ़सल या पैदावार जो इस क़िस्मकी है कि ढेरलगाकर रक्खीजासक्ती है तबतक नीलाम नहीं कीजायगी जबतक वह काटी या इकट्ठा नहीं कीजाय औरजमाकरके रखनेकेलायक़नहो ॥

कबफ़सलखड़ी नीलाम होसक्ती है ॥

(२) वह फ़सल या पैदावार जो इस क़िस्मकी है कि जमा करके नहीं रक्खी जासक्तीहै, काटकरइकट्ठा करनेके पहिले नीलाम होसक्ती है और ख़रीदार को यह हक़होगा कि आप उस ज़मीनपर जाय या

इस कामके लिये अपनेकिसी आदमीको वहांभेजे और उस की खबरगीरीके लिये या काटने या इ-कट्ठाकरनेके लिये जो कुछ ज़रूरहोकरे ॥

१३०——माल एक या ज़ियादह लाट या हिस्सोंमें जैसाकि नीलाम करने वाला अफसर मुनासिब समझे, नीलाम कियाजायगा, और अगर जर तलबी और कुर्क़ी और नीलाम का खर्चा जायदादके एक हिस्सा के नीलाम से वसूल होजाय तो बाक़ी जायदाद कुर्क़ी से फ़ौरन् खलास की जायगी ॥

नीलामका ज़ाबिता ॥

१३१——अगर उस जायदाद के नीलामहोनेके वक्त नीलाम करनेवाले अफसर की तजवीज़ में उसके लिये वाजिब दाम न बोलाजाय और अगर उसजायदादका मालिक या वह शख्स जिसको उसने इसकामकेलिये इख्तियार दियाहै, दूसरे दिनतक या (जो नीलाम की जगह बाज़ार लगताहो) आइन्दह बाज़ार लगनेके दिनतक नीलाम मुलतवी रखनेकी दरख्वास्तकरे तो उसदिनतक नीलाममुलतवी रहैगा और उसदिन खतम किया जायगा चाहै जायदादकेलिये जो कुछ दाम बोलाजाय ॥

नीलामको मुलतवीरखना ॥

१३२——हर लाटका दाम नीलामके वक्त या उसके पीछे इतना जल्द जितना नीलाम करनेवाला अफसर हुक्म दे, अदा कियाजावेगा और ऐसे न अदाकरने पर माल फिर नीलाम पर चढ़ाया जायगा और बेचदिया जायगा ॥

मूलकेरुपयेका अदाकरना ॥

१३३——जब मूलका बिल्कुल रुपया अदाहोचुके तो नीलाम करनेवाला अफसर खरीदार को एक ऐसा सर्टीफ़िकट देगा जिसमें उस जायदादको तफ़सील रहैगी जो उसने खरीदा है, और उसका दामभी लिखा रहैगा ॥

खरीदारको स र्टीफ़िकट दिया जायगा ॥

१३४—(१) इस बाबकी रूसे कुर्क कियेहुये जायदाद के हरएक नीलाम के रुपये से नीलाम करनेवाला अफ्सर कुर्की और नीलाम का खर्चा ऐसे हिसाब से अदाकरैगा जो इन क़ायदों में बताये गये हैं जिनको लोकलगवर्नमेंट इस कामके लिये वक्त वक्त पर बतावे ॥

ज़र नीलाम किसतरह तस र्रुफ़होगा ॥

(२) बचाहुआ हिस्सा, बाक़ी मालगुज़ारी जिसकेलिये कुर्क़ी कीगई थी और उसपर नीलाम के दिनतक जो सूद इकट्ठा हुआहो अदाकरने के लिये काममें लाया जायगा और जो कुछ बचरहै तो उस शख्स को दिया जायगा जिसकी जायदाद नीलामकीगईहै ॥

१३५—वह अफ्सर जो इस ऐक्ट की रूसे जायदाद नीलाम करते हैं और उनके मुलाज़िम या मातहत लोग अपनीज़ातसे या और किसी के ज़रीये से ऐसी जायदाद को नहीं खरीदसके हैं जिसको वह अफ्सर नीलाम करते हैं ॥

बाज़शख्स ख़रीद नहीं करस क्तेहैं ॥

१३६—(१) इस बाबकी रूसे कुर्क़ीहोनेके बाद और कुर्क़ कीहुई जायदाद के नीलाम के आगे किसी वक्त जो बाक़ीदार या कुर्क़कीहुई जायदादका मालिक जब कि वह बाक़ीदार नहीं है कुर्क़ी का हुक्म जारीकरनेवाली अदालत में या कुर्क़करनेवाले अफ्सर के हाथमें वह रुपया जमाकरे जो १२५ दफ़ा की रूसे जारीकीहुई तलबी में मुन्दर्ज है, और वह खर्चा भी अदाकरे जो तलबी जारीहोने के पीछे लगाहो तो अदालत या अफ्सर उसकी रसीद देगा और कुर्क़ी उसीवक्त उठालीजायगी ॥

नीलामके आगे तलबी अदाहो नेसे काररवाई ॥

(२) जब कुर्क़ करनेवाला अफ्सरजमा कियाहुआ रुपया पावे वह उसीवक्त उसको अदालतमें जमाकरैगा ॥

(३) रसीद जो इस दफ़ाकी रूसे कुर्क़कीहुई जायदादके मालिक को दीजाय जो बाक़ीदार नहीं है, उसको

ऐसी आइन्दह नालिश से बचावेगी जो उसबाक़ी मालगुज़ारीके लिये कीजाय जिसकेलिये जायदाद क़ुर्क़ कीगईथी ॥

(४) इस दफ़ाकी रूसे रुपया जमाकरने की तारीख़ से एक महीना गुज़रनेपर अदालत क़ुर्क़ीकी दरख़्वास्त देनेवाले को इस रुपये से उसका बाक़ी रुपया अदाकरैगी, पर उस हालतमें नहीं कि जब उस अर्सेमें क़ुर्क़कियेहुये मालका मालिक उसदरख़्वास्त करनेवाले पर हर्जाकी नालिश इस बुनियादपरकरे कि क़ुर्क़ी ख़िलाफ़ आईन थी ॥

(५) अगर कोई ज़मींदार इसदफ़ा की रूसे किसीमातहत असामी का जमा किया हुआ रुपया पावे, तो सिर्फ़ इससे यह नहीं समझा जायगा कि उसने अपने असामी के जोत के या उसके किसी हिस्सा के शिकमीपट्टा देनेकी इजाज़त दी है ॥

वह रुपया जो अपने पट्टा देने वालेके लिये शिकमी असामी ने अदा किया है मालगुज़ारी से मुजरा हो सकेगा ।

१३७—(१) जब किसी असामी मातहत की जायदाद असामी माफ़ौक़ की मालगुज़ारी न देने के सबब से इस बाब के मुताबिक़ आईन की रूसे क़ुर्क़ कीजाय और वह पिछली दफ़ाकी रूसे रुपया अदा करे तो उसको यह हक़ होगा कि उस रुपया को मालगुज़ारी से मुजरा करले जो उसके ज़मींदार माफ़ौक़ को देने लायक़ है, और वह ज़मींदार जो वह बाक़ीदार न हो, तो इसीतरह से इस मुजरा किये हुये रुपयाको उस मालगुज़ारी से मुजरा करने का हक़ रक्खेगा कि जोउसके ज़मींदार माफ़ौक़ को देने लायक़ है और इसी तरहसे होताजायगा जब तक कि बाक़ीदार तक न पहुंचजाय ॥

(२) इस दफ़ा में जो कुछ लिखा है, इस हक़पर असर नहीं करेगा जिसकी रूसे असामी मातहत बाक़ीदार से ऐसे रुपया के किसी हिस्साके वसूल करनेके लिये नालिशकरसक्ताहै, जो उसने पिछली दफ़ाके मुताबिक़ दिया है, परजिसको उसने इस दफ़ाकी रूसे मुजरा नहीं किया है ॥

ज़मींदार माफ़ौक़ और ज़मींदार मातहतके हक़ूक़ का झगड़ा ॥

१३८—जब ज़मीन ख़िकमी पट्टा पर दीगईहै, और इसबाबकोरूसे ज़मींदार माफ़ौक़ और ज़मींदार मातहत के हक़ूक़में जो उसी जायदाद को क़ुर्क़ करते हैं झगड़ा हो तो ज़मींदार माफ़ौक़ का हक़ ग़ालिब रहैगा ॥

उसजायदादकी क़ुर्क़ी जो ज़ब्तीलेहै ॥

१३९—जब इस बाब की रूसे क़ुर्क़ी का हुक्म दिया जाय, और अदालत दीवानी उसी मालकी ज़ब्ती या नीलाम का हुक्मदे जिसकेलिये क़ुर्क़ी का हुक्म हुआ है, तो उसवक़्त क़ुर्क़ी का हुक्म मुक़द्दम समझा जायगा पर अगर जायदाद उस हुक्म की रूसे नीलाम हो चुकीहै, तो नीलाम का बचाहुआ रुपया उस जायदादके मालिकको दफ़ा १३४ कीरूसे बग़ैर मंज़ूरीउसअदालत के अदा नहीं किया जायगा जिसने क़ुर्क़ी या नीलाम का हुक्म दिया था ॥

बेआईन क़ुर्क़ी के लिये हर्जा पानेकीनालिश॥

१४०—इस बाब की रूसे जो हुक्म किसी अदालत दीवानी ने दिया है, उसका अपील नहीं होगा, पर हर शख़्स जिसकी जायदाद ऐसे किसी हालत में दफ़ा १२१ की रूसे दरख़्वास्त दिये जानेपर क़ुर्क़ की गई है, जिसमें ऐसी दरख़्वास्त उस दफ़ा की रूसे नाजायज़ है, उस दरख़्वास्त देने वाले पर हर्जा पाने की नालिश करसक्ता है ॥

१२१—(१) जब लोकल गवर्नमेन्ट की यह राय हो कि किसी क़िस्म के मुक़द्दमों में या किसी रक़बा ज़मीन में खेती इस क़िस्म की है और खेती करने वालों की आदतें ऐसी हैं कि ज़मींदार के लिये इस बाब की रूसे दीवानी अदालत में दरख्वास्त देकर अपनी मालगुज़ारी वसूल करना मुश्किल होगा तो वह वक़्तवक़्त पर हुक्मकीरूसे ज़मींदार को यह अख्तियार दे सक्ती है कि वह आप या गुमाश्ता के ज़रिये से ऐसी पैदावारको क़ुर्क़ करे जिसकी क़ुर्क़ी के लिये उसको इस बाबकी रूसे दीवानी अदालत में दरख्वास्त करने का हक़ है, पर शर्त यहहै कि हरशख्स जो इस इख्तियारकी रूसे कोई पैदावार क़ुर्क़ करताहै उस तौर से कारखाई करेगा जो दफ़ा १२४ में बताया गया है, और फ़ौरन् एक इत्तिला ऐसे नक्शा में जिसको हाईकोर्ट क़ायदा की रूसे मुक़र्रर करे उस दीवानी अदालत को देगा जो पैदावार क़ुर्क़ करने की दरख्वास्त लेनेका इख्तियार रखती है, और वह अदालत जितना जल्द हो सके, एक अफ़सर को भेजेगी जो क़ुर्क़ की हुई पैदावार को अपने ज़िम्मे रक्खेगा॥

वाज़ हालतों में क़ुर्क़ीका हुक्म देनेके लिये लोकल गवर्नमेंट का इख़्तियार

(२) जब अदालत का कोई अफ़सर इस दफ़ा की रूसे क़ुर्क़ की हुई पैदावार को अपने ज़िम्मे लेचुके तो उसके बाद कारखाई इस तरहसे की जायगी कि गोया उसनेउसको दफ़ा१२४कीरूसे क़ुर्क़कियाथा॥

(३) लोकल गवर्नमेन्ट इस दफ़ाकी रूसे जो हुक्मदे, उसकोवहकिसी वक़्त मंसूख़ करसक्ती है॥

१२२—हाईकोर्ट वक़्त वक़्त पर इसबाब की रूसेदायर किये मुक़द्दमा की कारखाईके इन्तिज़ामके लियेइस ऐक्टके मुवाफ़िक़ क़ायदा बनासक्ती है॥

क़ायदा बनाने के लिये हाईकोर्ट का इख़्तियार॥

तेरहवां बाब ॥

अदालती कारखाई ॥

आईन कारर वाई दीवानीको जमींदार और अ सामी के दर्मि यान के मुक़द्द मात में तरमी म करनेका इ ख़्तियार ॥

१४३—(१) हाईकोर्ट वक्त वक्त पर बमंजूरी गवर्नर जनरल साहब बहादुर इजलास कौंसल इसऐक्टके मुवाफ़िक़ यह मुश्तहिर करके क़ायदा बनासक्ती है, कि आईन काररवाई दीवानी के चंद हिस्सा ज़मींदार और असामीके दर्मियान के मुक़द्दमोंके लिये या किसीख़ास क़िस्म के ऐसे मुक़द्दमों के लिये काममें नहीं आवेंगे या उन क़ायदोंमेंबताये हुये तौरपर तरमीम होकर काममें आवेंगे ॥

(२) इस तरह से बताये हुये क़ायदों के ताबे होकर और इस ऐक्ट के और शर्तों के भी ताबे होकर आईन काररवाई दीवानीऐसे सब मुक़द्दमोंकेलिये काममें आवेगी ॥

इस ऐक्टकीरूसे कीहुई कारर वाई में हद्दइ ख़्तियार ॥

१४४——(१) ज़मींदार और असामी के दर्मियानके सब मुक़द्दमों में आईन काररवाई दीवानी के मरातिबके लिये ऐसा समझा जायगा कि वजह नालिश उस दीवानी के अदालतकी हद इख़्तियार के रक़बाके भीतर वाक़ैहुई है, जिसको ऐसेदर्मियानीहक़ या जोतके कब्ज़ा की नालिश सुननेका इख़्तियारहै जिसकी निस्बत नालिश कीगई है ॥

(२) जब इस ऐक्टकीरूसे किसी दीवानी अदालत को ज़मींदार या असामी की दरख़्वास्त पर हुक्मदेनेका इख़्तियार दिया गयाहै तो दरख़्वास्त उस अदालत में दीजायगी जिसको ऐसे दर्मियानी हक़ या जोत के क़ब्ज़ाकी नालिशसुननेकाइख़्तियार है, जिसकी निस्बत दरख़्वास्त कीगई है ॥

नायब या गुमाश्ता कारपरदाज़ मुतसव्वर होंगे ॥

१४५—ज़मींदार का हर नायब या गुमाश्ता जिसको इस कामके लिये ज़मींदारके हाथसे लिखीहुई तहरीर की रूसे इख्तियार दिया गया है, ऐसीहर नालिश या दरख्वास्त के सराति के लिये हस्ब मंशाय आईन कारावाई दीवानी ज़मींदार का कारपरदाज़ समझा जायगा, अगर्चे ज़मींदार उस अदालत के हद इख्तियार केरकबा के भीतर रहताहै, जिसमें नालिश दायर होना चाहिये या पेश है, या जिसमें दरख्वास्त दीगई है ॥

मुक़द्दमोंकारजिस्टर ॥

१४६—वह तफ़सीलें जो दफ़ा ५८ आईन काररवाई दीवानी में ज़िक्र की ई है, ऐसे मुक़द्दमों की हालत में दीवानी मुक़द्दमोंकी उस रजिस्टर में जो उस दफ़ा में बताई गईहै, मुन्दर्ज होने के एवज़ एक खास रजिस्टर में दर्ज की जायगी, जिसको हरअदालत दीवानी ऐसे नक्शा में रक्खेगी, जिसको लोकल गवर्नमेंट वक़्तन् वक़्तन् पर इस कामके लिये मुक़र्रर करे ॥

मालगुज़ारी के मुक़द्दमात जो बफ़ाद दूसरे के दायर किये जाते हैं ॥

१४७——मग़लताबरायत दफ़ा ३८३ आईन काररवाई दीवानी जब ज़मींदारने किसी रअय्यत पर उसकी जोतकी मालगुज़ारी वसूलकरने के लिये नालिश कीहै, तो वह ज़मींदार उसरअय्यतपर उसी जोत की किसी मालगुज़ारी वसूलकरनेके लिये दूसरी नालिश नहीं करसकेगा जबतक कि पहिली नालिश दायर करनेकी तारीख़ से तीन महीने गुज़र न जायें ॥

मालगुज़ारी के मुक़द्दमोंमें काररवाई ॥

१४८——मालगुज़ारी वसूल करनेके मुक़द्दमों में नीचेलिखेहुये क़ायदे काममें आवेंगे ॥

(अलिफ़) आईन काररवाई दीवानीके दफ़ा १२१ से १२७ तक (दोनों शामिल) और १२६, ३०५ और ३२०

से ३३६ तक (दोनों शामिल) ऐसे मुक़द्दमों के लिये काम में नहीं आवेंगे ॥

(बे) अर्ज़ी दावामें, दफ़ा ५० आईन काररवाई दीवानी में बताई हुई तफ़सीलोंके सिवाय, उस ज़मीनके मौज़ा, नाम, रक़बा और चौहद्दीकी तफ़सील रहेगी जिसको असामी रखताहै, या जहां मुद्दई रक़बा या चौहद्दी न बतासके तो उसके बजाय ज़मीन का ऐसा बयान रहैगा जो उसके पहिचानने के लिये काफ़ी हो ॥

(से) सम्मन मुक़द्दमा के आख़िरी फ़ैसलाके लिये होगा, पर सिर्फ़ उस हालत में नहीं कि जब अदालतकी यह रायहो कि सम्मन सिर्फ़ इशू (अम्रमुतनाज़ा) ठहरानेकेलिये होना चाहिये ॥

(दाल) अगर हाईकोर्ट आम तौरपर या किसी ख़ासरक़बा ज़मीनकेलिये क़ायदा की रूसे ऐसा हुकमदे तो सम्मन और किसी तरह से जारी होने के सिवाय या उसके बजाय इस तौरपर तामील कियाजासक्ताहै कि वह मुद्दाअलेह के नाम ऐसी चिट्ठीमें जो इण्डियन पोस्टआफ़िस ऐक्ट सन् १८६६ ई० के हिस्सा ३ की रूसे रजिस्टरी कीगई है, डाक से भेजाजाये, जब सम्मन इसतरहसे किसी चिट्ठीसे भेजाजाये और यहसाबित होजाये कि चिट्ठी हक़ीक़तमें डाकमें दीगई थी और रजिस्टरी कीगई थी तो अदालत यह क़यासकरेगी कि सम्मन बाज़ाबिता जारी कियागया है ॥

(ये) बयान तहरीरी बग़ैर इजाज़त अदालत के नहीं दाख़िल किया जायगा ॥

(फ़े) आईन काररवाई दीवानी की दफ़ा १८६ में जो क़ायदा गवाहोंकी शहादत क़लम्बन्द करनेकेलिये

मुन्नाईर कियेगये हैं वह काम में लायेजायँगे, चाहै अपील किया जासके या नहीं ॥

(जीम) अदालत जब डिकरी दे, डिकरीदार की ज़बानी दरख्वास्तपर इजराय डिकरी का हुक्म देसक्ती है, पर उस हालत में नहीं कि जब वह बाक़ी मालगुज़ारी के लिये बेदख़ली का डिकरी है ॥

(हे) बावजूद उसके जो आईन कारग्वाई दीवानी की दफ़ा २३२ में लिखा है, उस डिकरीके इजराय के लिये जो ज़मींदारने बाक़ी मालगुज़ारी के लिये पाई है, वह शख्स दरख्वास्त नहीं करसकेगा, जिसको डिकरी का हक़ इंतक़ाल कियागया है, पर सिर्फ़ उस हालत में कि जब ज़मींदार का हक़ उस ज़मीनमें उस शख्सको पूरेतौरपर दियागयाहै ॥

जो रुपया मालगुज़ारी बकाया जिसका अदाक़बूलकिया जाय उसको अदालत में अदाकरना ॥

१४९—(१) जब मुद्दाअलेह यह क़बूल करताहै कि मालगुज़ारी का रुपया उसके ज़िम्मे बाक़ीहै, लेकिन यह उज़्र करता है कि मुद्दई को यहींपर किसी और तीसरे शख्सको दियाजाना चाहिये तो अदालत उस हालत को छोड़करजिसमें ऐसेख़ास सबब हों जिन को वह लिखगी, इस उज़्रको न सुनेगी जब तक मुद्दाअलेह अदालत में वह रुपया न जमाकरे, जिसको उसने अदाहोने के लायक़ क़बूल किया है ॥

(२) जब इस तरह से रुपयाअदा कियाजाय तो अदालत उसी वक़्त उस तीसरे शख्सपर ऐसे रुपयाअदाहोनेकी इत्तिला जारी करैगी ॥

(३) जो वह तीसराशख्स इत्तिला पाने से तीन महीने के भीतर मुद्दई पर नालिश दायर न करे और रुपया अदाकरनेका इम्तनाई हुक्म न पावे तो वह

रुपया मुद्दई कीदरख्वास्तपर उसको देदियाजायगा॥

(४) जमीमें दफ़ा ३ की रूसे जो रुपया मुद्दई को दिया जाय, उसके वसूल करने के लिये जो कोई शख्स हक़ रखताहो, उस हक़ पर इसदफ़ा का कुछ असर नहीं होगा॥

अदालतमें उस रुपये का अदा करना जो जमींदारको अदाकरने के लायक़ क़बूल किया जाय॥

१५०—जब मुद्दाअलेह इसबातको क़बूल करता है कि उस के जिम्मे मुद्दई का रुपयामालगुजारीकी निस्बत बाक़ी है, पर यहउज्र करताहै कि दावा कियेहुये रुपये की तादाद अदाकियेजाने लायक़ रुपयासे जियादह है, तो अदालत खास ऐसे सबबों की हालतको छोड़कर जिनको वह लिखेगी उसउज्र के सुननेसे इन्कार करेगी जबतक मुद्दाअलेह अदालत में वह रुपया न दाखिल करे जिस को उसने अदाहोनेके लायक़ क़बूलकिया है॥

रुपयाके किसी हिस्से के अदा करनेकीशर्त॥

१५१—जब मुद्दाअलेहको इससेपिछली दोदफ़ाओंमेंसे किसी एकको रूसे रुपया अदालत में अदाकरनी चाहिये, जो अदालत समझे कि ऐसा हुक्म देने के लिये सबब काफ़ी है, तो वह मुद्दाअलेह के उज्र को उसवक्त सुन सक्तीहै कि जब वह अदालत में उस रुपया का ऐसाहिस्सा अदा करै जिसके लिये अदालत हुक्म दे॥

अदालतरसीद देगी॥

१५२—जब मुद्दाअलेह अदालत में रुपया ऊपर बताईहुई दफ़ाओंमेंसे किसी की रूसे अदाकरे, तो अदालत मुद्दाअलेहको रसीददेगी और ऐसी दीहुई रसीद उसीतरहसे और उसहद्दतकफ़ारिगखतीका काम देगी कि गोया वह रसीद मुद्दईने या तीसरे शख्सने दी थी॥

मालगुज़ारी के दावेर मुक़द्दमों में अपील दफ़ा ८

१५३—मालगुज़ारी वसूलकरनेकेलिये ज़मींदार जो नालिश दायर करता है उसकी पहिली सूरतमें या अपील में जो डिकरी या हुक्मदियाजाय उसकी अपील आगे बताईहुई हालतों में नहीं होसकेगी——:

(अलिफ़) जब डिकरी या हुक्म ज़िलेजज,एडीशनलजज या सबारडीनेट जजने दिया है,और वहरुपया जिसके लिये नालिश कीगई है, सौ रुपया से ज़ियादह नहीं है——या

(बे) डिकरी या हुक्म किसी ऐसे और अदालतीअफसरने दियाहै, जिसको लोकल गवर्नमेंटने इस दफ़ा की रूसे इख्तियार नातिक़ा दिया है, और वह रुपया जिसकेलिये नालिश कीगई है, पचास रुपये से ज़ियादह नहीं है ॥

पर सिर्फ़ उस हालतमें अपील होगा कि जब दोनोंमेंसे किसी हालतमें डिकरी या हुक्म ऐसी बातको फ़ैसल करताहै, जो ज़मीनके किसी हक़ या ज़मीनके किसी फ़ायदाकी निस्बत है जिसपर दोनों फ़रीक़ का दावा एक दूसरेके बरखिलाफ़ है या असामीकी मालगुज़ारी बढ़ाने या बदलनेके हक़का तस्फ़िया करता है या मालगुज़ारी के उस तादाद का तस्फ़िया जो असामी को सालाना देना चाहिये ॥

बशर्ते कि उस हालतमें जब ज़िला जज यह समझै कि अदालती अफसर ऐसा इख्तियार काममें लायाहै,जो आईन का रूसे उसको नहीं दियागया है,या ऐसा दियाहुआ इख्तियार काममें नहीं लायाहै, या अपनेइख्तियार काममें लानेमें आईन के बरखिलाफ़ या भारी बेज़ाब्तगी के साथ अमलकिया है, तो वह ऐसे मुक़द्दमोंकी मिस्ल मँगासक्ताहै, जिसमें उस अदालती अफसरने जैसा कि ऊपर कहागया है, ऐसी डिकरी या हुक्म दियाहै जिसकेलिये यहदफ़ा काममें आसक्ती है और वह ज़िला जज ऐसा हुक्म देसक्ता है जैसा वह मुनासिब समझै ॥

१५४—मालगुज़ारी बढ़ाने के लिये इस ऐक्ट की रूसे जो डिकरी खेती के बरस के पहिले आठ महीने के भीतर दायर किये हुये मुक़द्दमे में दी गई है, वह सन् आनेवाले खेती के साल के शुरू में तामील की जायगी और जो खेती के बरस के पिछले चार महीने में दायर किये हुये मुक़द्दमा में दी गई है, तो आइन्दह खेती के साल के पीछे दूसरे बरस के शुरू में तामील की जायगी, पर इस दफ़ा में कोई ऐसी बात नहीं है, जो अदालत को बनिस्बत खास वजूहात के ऐसी डिकरी के तामील के लिये कोई और पीछे की तारीख मुक़र्रर करने से रोके ॥

किस तारीख़ से मालगुज़ारी बढ़ाने की डिकरी का असर होगा ॥

१५५—(१) असामी को बेदख़ली के लिये इस बुनियाद पर—

ज़मीं मिल्कियत का इलाज ॥

(अलिफ़) कि वह ज़मीन को इसतरह काम में लाया है, जो उसको जोत के काम के लिये निकम्मी कर देती है—या

(बे) उसने ऐसी शर्त तोड़ी है जिसके तोड़ने पर उस क़ौल क़रार की शर्तों की रूसे जो उसके और ज़मींदार के दर्मियान में हुआ है, वह बेदख़ल किया जा सक्ता है नालिश नहीं दायर की जायगी ॥

पर उस हालत में कि जब ज़मींदार ने ठहराये हुये तौर पर असामी पर ऐसी इत्तिला तामील की है जिसमें उस बेजा इस्तेमाल या शर्त तोड़ने का ज़िक्र है जिसके लिये नालिश की गई है, और जहां इस्तेमाल बेजा या शर्त के तोड़ने का इलाज हो सक्ता है, तो असामी को उसकी तदबीर करने के लिये कहा है, और हर हालत में उस इस्तेमाल बेजा या शर्त तोड़ने के लिये माक़ूल हर्जा मांगा है, और असामी ने मुनासिब वक्त के अन्दर ऐसा नहीं किया जैसा कि ज़मींदार ने चाहा था ॥

(२) उस डिकरी में जो ज़मींदार के हक़ में किसी ऐसे मुक़द्दमे में दी जाय, हर्जा का वह तादाद लिखा

रहैगा जो मुद्दई को बेजा इस्तैमाल या शर्त्ततोड़ने के लिये दिया जायगा और यहभी कि अदालतकी रायमें वह बेजा इस्तैमाल या शर्त्ततोड़ना इलाज किये जाने लायक़है या नहीं और उसकी रूसे एक वक्त ठहराया जायगा जिसके अन्दरमुद्दाअलेह चाहै तो वह रुपया मुद्दई को अदा करे और जहां वह बेजा इस्तैमाल या शर्त्त तोड़ना इलाजकियेजाने लायक़ ठहराया गयाहै, उसका इलाजकरे ॥

(३) अदालत वक्तवक्त पर खाससबबों के लिये उसवक्त को बढ़ादे सक्ती है, जो उसने ज़मीमे दफ़ा २ की रूसे ठहराया था ॥

(४) अगर मुद्दाअलेह उस वक्त या बढ़ाये हुये वक्त के अन्दर जो अदालत ने इस दफ़ाकी रूसे ठहराया है, वह हर्जाका रुपया अदा करे जो डिकरी में मुन्दर्ज है, और जहां बेजा इस्तैमाल या शर्त्ततोड़ना अदालत की तरफ़ से इलाजपिज़ीर ठहराया गया है, उस बेजा इस्तैमाल या शर्त्त तोड़ने का इलाज अदालत के खातिरख्वाह करे तो डिकरी तामील नहीं की जायगी ॥

बेदखल कीहुई रअय्यत केहक़ फ़सल और उस ज़मीन की निस्बत जोबोने के लियेतय्यार कीगई है ॥

१५६—आगे बताये हुये क़ायदे जोतसे बेदखल की हुई हर रअय्यत की हालत में अमल में आवेंगे ॥

(अलिफ़) जब रअय्यत ने बेदखली की तारीख़ के पहिले उस ज़मीन में जो जोत में शामिल है, फ़स्ल लगाई है, या कुछ बोयाहै तो उसको यहहक़ होगा

कि ज़मींदार की मर्ज़ी के मुताबिक़ उसज़मीन पर दख़ल रक्खे, और उसको इकट्ठा करे या ज़मींदार से फ़स्ल के लिये उतना दाम ले जितना बेदख़ली की डिकरी जारी करनेवाली अदालतने तजवीज़ किया है ॥

(बे) जब रअ़य्यत ने बेदख़ली की तारीख़ के पहिले किसी ज़मीन को जो उसकी जोत में शामिल है, बोने के लिये तय्यार किया है, पर उस ज़मीन में कोई फ़सल नहीं बोई या लगाई है, तो वहज़मींदारसे पूंजी और मेहनतकादाम जो उसने ज़मीन को इस तरह तय्यार करने में ख़र्च कियाहै, जैसा बेदख़ली की डिकरीजारी करनेवाली अदालततख़्मीना करे मये वाजिब सूदके जो उस दाम पर इकट्ठा हुआहै,पानेका हक़ रक्खेगा ॥

(से) पर रअ़य्यत किसी ज़मीन पर दख़ल रखने या उसकी निस्बत इसदफ़ा की रूसे कुछ रुपया पाने का हक़ उस हालत में न रक्खेगा कि जब इसने बेदख़ली की कारवाई ज़मींदार की तरफ़से शुरू होने के पीछे उस जगह के दस्तूर के वख़िलाफ़ ज़मीन को जोता या तय्यार कियाहै ॥

(दाल) जो ज़मींदार इस दफ़ाकी रूसे रअ़य्यतको ज़मीन का क़ब्ज़ा रखने दे, तो रअ़य्यत ज़मींदार को उस वक़्के लिये जिसके वास्ते उसको दख़ल रखने की इजाज़त मिली है, उस ज़मीन को इस्तैमाल करने और क़ब्ज़ामें रखने के लिये ऐसीमालगुज़ारी देगा जिसकोबेदख़ली की डिकरी जारी करनेवाली अदालत वाजिब समझे ॥

१५७—जब मुद्दई किसी बेजा दखल करनेवाले की बेदखलीके लिये नालिश करता है, तो वह अगर मुनासिब समझे, उसकीएवजमें इस बातकीदर्ख्वास्त करसक्ता है कि मुद्दाअलेह को उसजमीन को रखनेके लिये ऐसी वाजिब मालगुजारी अदाकरने का हुक्मदियाजाये जोअदालत तजवीज करे और तब अदालत ऐसा बाबत हुक्म देसक्तीहै ॥

बेदखलीकेएवज़ वाजिब मालगुज़ारी मुकर्रर करनेका अदालत का इख़्तियार ॥

१५८—(१) वह अदालतजो जमीनके कब्ज़ाका मुक़द्दमा फ़ैसल करने का इख्तियार रखतीहै, जमींदार या ज़मीन के असामी की दर्ख्वास्त पर आगे बताई हुई सब बातें या उनमेंसे किसीका तस्फ़िया कर सक्तीहै जैसाकि—:

ज़मीन रखनेके अहवाल तजवीज़ करनेके लिये दर्ख्वास्त ॥

(अलिफ़) ज़मीन का मौक़ा, रक़बा और सरहद ॥

(बे) उसके असामीका नाम और बयान (जोकोईहो)॥

(से) वह किस दर्जेका रअय्यत है, यानी वह दर्मियानी हक़दार या शरह मुक़र्रर पर जोतरखनेवाला रअय्यत, दखलकार रअय्यत, ग़ैर दखलकार रअय्यत, या शिकमी रअय्यत है, और अगर वह दर्मियानी हक़दारहै, तो इस्तिमरारी हक़दार दर्मियानीहै या नहीं, और जबतक वहदर्मियानी हक़ रक्खेगा, उसकी मालगुज़ारी बढ़ाई जासकेगी यानहीं ॥

(दाल) मालगुज़ारी जो वह दर्ख्वास्त करने के वक़्त अदा करता है ॥

(२) अगर अदालत की रायमें इनमेंसे कोई बातें तहक़ीक़ात सर ज़मीन के बग़ैर खातिरख्वाह नहीं तजवीज़ की जासक्ती तो अदालत हुक्म देसक्ती है कि आईन कार्रवाई दीवानी के बाब २५ की रूसे ऐसा अफ़सर मालतहक़ीक़ात सर ज़मीन

करे जिसको लोकल गवर्नमेंट इसकामकेलिये उसी आईन की दफ़ा ३९२के मुताबिक़ बतायेहुयेक़ायदे की रूसे इख्तियारदे ॥

(३) इस दफ़ाकी रूसे कीहुई दरख्वास्त पर जो हुक्म दियाजाय वह डिक्रीका असर रक्खेगा, और उस का अपीलभी उसीतरहहोसकेगा जैसे डिक्रीका ॥

चौदहवां बाब ॥

बाक़ीमालगुज़ारीकी डिक्री जारी का नीलाम ॥

दैनको रदकर नेकाआमइख्ति-यारखरीदारका॥

१५९—जब कोई दर्मियानी हक़ या जोत उसकोबाक़ीमाल-गुज़ारी की इजराय डिकरी में नीलाम किया जाये, तो खरीदार उन हक़ों को छोड़कर जो इस बाबमें बचेहुये हक़ क़रार दियेगये हैं, उस को खरीदेगा पर उसको इख्तियार होगा कि उन हक़ोंको रद्दकरे जो इसबाबमें दैन कहलाते हैं, पर शर्त यह है—कि ॥

(अलिफ़) रजिस्टरी कियाहुआ और इश्तिहार दिया हुआ दैन, हस्बमन्शाय इस बाबके इस तरह रद नहीं कियाजायगा, सिवाय उस हालतके,जो इसकेपीछे उसके लिये बताई गई हैं ॥

(बे) रद करनेका इख्तियार इसतरहकाममें लायाजाय-गा जैसा इस बाबमें बताया गया है ॥

बचेहुये हक़॥

१६०—इस बाबकी मन्शाके मुताबिक़ नीचे लिखेहुये हक़ बचाये हुये हक़समझे जायेंगे ॥

(अलिफ़) कोई दख़ली हक़ जो दवामी बन्दोबस्तके वक़्त से चलाआता है ॥

(बे) कोई दरूनी हक़ जो ऐसे बन्दोबस्त की कारखाई में कि अब जारीहै, उस बन्दोबस्तकी मीआदकेलिये मुक़र्रर मालगुज़ारी पर रक्खाहुआ हक़ दर्मियानी ख़याल कियागया है ॥

(से) ऐसी ज़मीनका पट्टा जिसपर रहनेकेघरकारख़ाना, या और पक्की इमारतें बनाई गई हैं, या बाग़, तालाब, नहर, परस्तिशगाह या मसान या गारिस्तान बनायेगये हैं ॥

(ड़ाल) कोई हक़ दख़ल ॥

(ये) ग़ैर दख़लकार रअय्यतका उस मालगुज़ारी पर पांच बरसतक ज़मीन रखनेका हक़ जो अदालत ने बाब ६ की रूसे ठहराया है, या अफ़सर मालने बाब १० की रूसे मुक़र्रर किया है ॥

(फ़े) कोई हक़ जो किसी दख़लकार रअय्यतको ऐसे मालगुज़ारीपर जोत रखनेकेलिये दियागया है, जो उसवक्त वाजिब और मुनासिब समझी जाती थी कि जब वह हक़ दियागया था,——और

(ज़ीम) कोई हक़ या फ़ायदा जिसके पैदा करनेकेलियेउस ज़मींदारने जिसकी दरख़्वास्तपर दर्मियानीहक़ या जोत नीलाम होतीहै या उसके पहिले हक़ रखने वालेने उसवक्त के असामी को किसीतहरीर की रूसे साफ़ इजाज़त दी है ॥

१६१—इस बाबके मतालिब के लिये——

टेन और रजिस्टरी कियेहुये और इश्तिहार दियेहुये टेनके माने ।

(अलिफ़) टेनके लफ्ज़से, जब वहज़मीन रखनेकीनिस्बत

इस्तैमाल कियाजाये, कोई दावा, शिकमीरअय्यत का हक़ हक़इस्तिहक़ाक़ या आराम (ईज़मेंट) या कोई और हक़ या फ़ायदा समझा जाता है, जो असामी ने अपनी दर्मियानी हक़ या जोतपर क़ायम किया है, या जो उसके फ़ायदेको घटाता है, और ऐसा बचायाहुआ हक़ नहीं है, जो पिछली दफ़ामें बताया गया है ॥

(बे) रजिस्टरी और मुश्तहिरकियेहुये देनसे जबवहऐसे दर्मियानी हक़ या जोतकेलिये इस्तैमालकियाजावे जो बाक़ी मालगुज़ारीके डिक्रीजारीमें नीलामकियागया या नीलाम होनेके लायक़है, ऐसा देन समझा जाताहै कि ऐसे रजिस्टरी किये हुये दस्तावेज़ की रूसे पैदाकियागयाहै, जिसकी एकनक़ल मालगुज़ारी बाक़ी पड़नेके कमसे कम तीनमहीने पहिले आगे बतायेहुये तौरसे ज़मींदारपरतामीलकराई गईहै ॥

दर्मियानीहक़ याजोतकेनीलामकीदरख़्वास्त ॥

१६२—जब किसी दर्मियानी हक़ या जोत की बाक़ी मालगुज़ारी के लिये डिकरी दी गईहै, और डिकरीदार दफ़ा २३५ आईन कारवाई दीवानीकी रूसे इजराय डिकरी या जोतकी ज़ब्ती और नीलाम के लिये दरख़्वास्त करता है, तो वह एक ऐसा नक़्शा पेश करेगा जिसमें उस परगना, मुहाल और गाँवकेनाम रहेंगे जिसमें उस दर्मियानी हक़ या जोतकी ज़मीन वाक़े है, और उसकी सालाना मालगुज़ारी भी मन्दर्ज रहेगी और कुल रुपया की तादाद जो डिकरी की रूसे वसूल की जायगी ॥

ज़ब्ती का हुक्म और नीलामी इश्तिहार एकसाथ जारीहोंगे ॥

१६३—(१) बावजूद उसके जो आईन कारवाई दीवानी में लिखा है, जब डिकरीदार पिछली दफ़ामें बताई हुई दरख़्वास्त करे, तो अदालत जो वह उसी आईन की दफ़ा २४५ की रूसे दरख़्वास्त मंज़ूर करे, और डिकरी जारीका हुक्मदे आईन

कारर्वाई दीवानीकी दफ़ा २८७ के मुताबिक़ नीलाम इश्तिहार, और जब्ती का हुक्म एक साथ देगी ॥

(२) इश्तिहार में उन सब तफ़सीलों का बयानरहैगा जो आईन मज़कूरैवाला की दफ़ा २८७ में बताई गई है, और नीचे लिखीहुई बातें भी रहैंगी ॥

(अलिफ़) दर्मियानी हक़ या ऐसे रअय्यतके जोतकीहालत में जो धरह मुक़र्ररपर जमीन रखता है, यह कि वह दर्मियानी हक़ या जोत पहिले रजिस्टरी और मुश्तहिर कियेहुये दैनके ताबेहोकर नीलामपर चढ़ायाजायगा और जो बोलाहुआ रुपया ज़रडिकरी और खर्चाके अदाकरने के लिये काफ़ीहो तो उस दैनके ताबेहोकर बेचाजायगा और जो नहो तो डिकरीदारकी ऐसी ख्वाहिशपर किसी और पिछले दिन जिसकी इत्तिला दीजायगी,दैनकोरदकरने के इख्तियार के साथ नीलाम कियाजायगा; और

(बे) दखलकी जोतकी हालतमें यह कि जोत दैनको रदकरनेके इख्तियार के साथ बेचाजायगा ॥

(३) इश्तिहार आईन मज़कूरैवाला की दफ़ा २८६ की रूसे बतायेहुये तौरसे मुश्तहिर होनेके सिवाय उसकी एक नक़ल उस दर्मियानी हक़ या जोतकी ज़मीन को किसी वाज़े जगहपर जिसके नीलाम का हुक्महुआहै लगाकर मशहूर किया जायगा और उस तरह से भी मुश्तहिर किया जायगा जैसा लोकल गवर्नमेंट वक़्त वक़्त पर उस कामके लिये हुक्म दे ॥

(४) बावजूद उसके जो ऊपर बताई हुई आईन की दफ़ा २६० में लिखा हो,मदयून की तहरीरी इजाज़तके बग़ैर नीलाम न होगा, जबतक कमसे कम ३० दिन उस तारीख से न गुज़रजायें, कि जब

इश्तिहार की नक़ल उस दर्मियानीहक़ या जोतकी ज़मीनपर लगाई थी जिसके नीलाम का हुक्म हुआ था ॥

रजिस्टरीकीहुई औरमुश्तहिर दैनकी बाज़रख कर दर्मियानी हक़ या जोत का नीलामऔर उसकीतासीर ॥

१६४—(१) जब किसी दर्मियानी हक़ या ऐसी जोत के नीलाम का इश्तिहार जो शरह मुक़र्रर पर रक्खीगई है, पिछली दफ़ाकी रूसे दिया गयाहै, तो वह रजिस्टरी की हुई और मुश्तहिर दैन के ताबेहोकर नीलामपर चढ़ाई जायगी और जब बोलाहुआ रुपया ज़र डिकरी और नालिश का खर्चा मय खर्चा नीलामके लिये काफ़ी हो तो वह दर्मियानी हक़ या जोत दैनकी ज़िम्मेदारी के साथ बेचा जायगा ॥

(२) इस दफ़ाकी रूसेकियेहुये नीलाममें खरीदारउस तौर पर जो दफ़ा १६७ में बतायागयाहै, परकिसी और तरहसे नहीं, दर्मियानी हक़ या जोतके ऐसे दैनको रद्करसक्ता है, जो रजिस्टरी की हुई और मुश्तहिर दैन नहीं है ॥

दैनको रद्कर ने के इख़्तियार के साथ दर्मियानी हक़ या जोतका नीलाम और उसकी तासीर ॥

१६५—जो किसी दर्मियानी हक़ या शरह मुक़र्रर पररक्खी हुई जोतकेलिये बोला हुआ रुपया जो पिछली दफ़ा की रूसे नीलामपर चढ़ाया गया है, उस हदतक न पहुंचे कि ज़र डिकरी और ऊपर बतायेहुये खर्चाके अदा करने के लिये काफ़ी हो, और जो डिकरीदार उस वक्त दरख्वास्त करे कि दर्मियानी हक़ या जोत दैन रद्करने के इख्तियार के साथ नीलामकीजाय तो नीलाम करने वाला अफ़सर नीलाम मुल्तवी रक्खेगा, और दफ़ा २८६ आईन काररवाईदीवानी की रूसे नया इश्तिहार इसमज़मूनका जारी करेगा कि वह दर्मियानीहक़ या जोत नीलामपर चढ़ाई जायगी और दैन रद्द करने के इख्तियार के साथ उसमें बतायेहुये ऐसे

आइन्दह दिनको बेची जायगी जो मुलतवी करनेकी तारीख़ के पीछे पन्द्रह दिनसे कम या ३० दिनसे ज़ियादह न होगा और उसदिनवह दर्मियानी हक़ या जोत नीलाम की जायगी और सबढ़ैनरद्दकरनेके इख्तियार के साथ बेचीजायगी ॥

(२) इस दफ़ा की रूसे किये हुये नीलाम में ख़रीदार दफ़ा १६७ में बताये हुये तौर से, पर और किसी तरहसे नहीं उस दर्मियानी हक़ या जोतके किसी ढैनको रद्द करसक्ता है ॥

ढैनको रद्दकरने के इख़्तियार के साथ दख़ल की जोतका नीलाम और उसकी तासीर ॥

१६६—(१) जब दफ़ा १६३ के मुताबिक़ किसी दख़ल की जोतका नीलामी इश्तिहार दियागयाहै, तो वह ढैन रद्द करने के इख्तियार के साथ नीलाम की जायगी ॥

(२) इस दफ़ाके मुताबिक़ जो नीलाम होता है, उसमें ख़रीदार इससे आगे आनेवाली दफ़ामें बतायेहुये तौर पर लेकिन और किसी तरहसे नहीं, जोत के ढैनको रद्द करसक्ता है ॥

पिछली दफ़ाओंकीरूसे ढैन को रद्दकरनेकी कार रवाई ॥

१६७—(१) ख़रीदार जो किसी पिछली दफ़ा की रूसे ढैन रद्द करनेका इख्तियार रखता है, और उसको रद्द करना चाहता है, नीलाम की तारीख़ या ढैन की इत्तिला पहिले पानेकी तारीख़, इन में से जो पिछला हो, उस दिनसे एक बरस के भीतर कलक्टर के पास लिखी हुई दर्ख्वास्तइस मज़मून की पेश करसक्ताहै, कि वह अफ़सर ढैन देनेवाले पर एक ऐसा इश्तिहार जारी करे कि ढैन रद्द किया गयाहै ॥

(२) ऐसी हर दर्ख्वास्त के साथ इश्तिहार जारी करने के लिये ऐसी फ़ीसदाख़िल करनाचाहिये जोरेवन्यू बोर्ड उसकेलिये मुक़र्रर करे ॥

(३) जब कलक्टर के पास इश्तिहार जारी करने के लिये दरख्वास्त इस दफ़ामें बताये हुये तौर पर की जाय तो वह उसके मुताबिक़ इश्तिहार जारी करेगा और इजराय इश्तिहार की तारीख से दैनमुस्तरिद समझा जायगा ॥

(४) जब कोई दर्मियानी हक़ या जोत बाक़ी मालगुज़ारी की डिकरी जारीमें नीलाम होगई है, और उस दर्मियानी हक़ या जोतपर उस क़िस्मकाएक बचाया हुआ हक़ है, जो दफ़ा १०६ कलाज़ (से) में बतायागयाहै तो खरीदार जो उसको इसबाब की रूसे सब दैन रद्द करने का इख्तियार हासिल हो, उस ज़मीनकी मालगुज़ारी बढ़ानेकीनालिशकर सक्ताहै, जो हक़ मह्तूतके ताबेहै ॥

यह साबित होनेपर कि ज़मीन ऐसी मालगुज़ारी पर रक्खी गई है, जोपट्टा देनेके वक्त वाजिब मालगुज़ारी नहीं थी, अदालत मालगुज़ारी के तादादको इतना बढ़ासक्तीहै, जितना कि वह मुनासिब और वाजिब समझै ॥

यह ज़िम्नि दफ़ा उस ज़मीनके लिये अमलमें नहीं आवेगी जो ऐसी मुक़र्रर मालगुज़ारी पर कि अच्छी जोतने लायक़ ज़मीन की मालगुज़ारी के बराबर है, बारह बरससे ज़ियादह मीआद के लिये रक्खी गई ॥

यहहुक्म देनेका इख़्तियार कि दखलकीजोतमिस्ल दफ़ाकीरूसे दर्मियानी हक़ के तौरपर मुतसव्वर होकर काम में आवे ॥

१६८—(१)लोकलगवर्नमेन्ट वक्त वक्त पर सरकारीगज़टमें इश्तिहार छापकर यहहुक्म देसक्तीहै कि किसी रक़बा ज़मीन में दखल की जोत या किसी खास क़िस्म की दखलकी जोत जो बाक़ी मालगुज़ारी की डिकरी जारीमें नीलामकीजाये,सब दैन रद्द करने के इख्तियार के साथ नीलाम होने के पहिलेरजिस्टरी की हुई और मुश्तहिर दैनकेताबे होकर नीलाम कीजायँगी और ऐसे इश्तिहार से ऐसे हुक्मको मुस्तरिद भी करसक्तीहै ॥

(ते) जब तक ऐसा हुक्म किसी रक़बा ज़मीन में जारी रहै, तबतक उस रक़बा ज़मीनके अन्दर सब दख़ली की जोत या बताई हुई ख़ास क़िस्म की दख़ली जोत इस बाबकी पिछली दफ़ोंकी रूसे नीलाम के मरातिब के लिये दर्मियानी हक़के तौरपर तसव्वर कियेजायेंगे, और काममें लाये जायँगे ॥

१६६—(१) इसबाबकीरूसे जो नीलाम कियाजाये, उसके रुपया के तसर्रुफ़ में आईन काररवाई दीवानी के दफ़ा २६५ में ठहराये हुये क़ायदों की जगह नीचे लिखेहुये क़ायदे अमलमें आवेंगे जैसाकि॥

तसर्रुफ़ ज़र नीलामकेक़ायदे ॥

(अलिफ़) डिकरीदार को पहिले वहरुपया दिया जायगा जो उसने दर्मियानी हक़ या जोतको नीलामकराने में ख़र्च कियाथा ॥

(बे) इसके पीछे डिकरीदार को वह रुपया अदा किया जायगा जो उसको उस डिकरी की रूसे मिलना चाहिये जिसकी इजरायमें नीलाम किया गयाथा॥

(से) इन रुपयों को देकर अगर कुछ और रुपयाबचे तो उसमें से डिकरीदारको ऐसी मालगुज़ारीदीजायगी जो इस दर्मियानी हक़ या जोतकी निस्बत नालिश दायर करनेके दिनसे नीलामके दिन तक अदा की जानेके लायक़ हो ॥

(दाल) कलाज़ (से) में बताई हुई मालगुज़ारीअदाकरने के बाद कुछ और बचाहुआ रुपया हो तो नीलाम की मंज़ूरी से दोमहीने गुज़रने पर मदयून डिकरी की दरख़्वास्त पर उसको दिया जायगा ॥

(२) अगर मदयून डिकरी यह एतराज़ करे कि डिकरी-दार को मालगुज़ारी का रुपया कलाज़ (से) की रूसे मिलनेका कुछ हक़ नहीं है तो अदालत उस

झगड़ेका तस्फ़िया करैगी और वह फ़ैसला डिकरी का ज़ोर रक्खैगा ॥

दर्मियानी हक़या जोत ज़ब्ती से सिर्फ़उस हालत में रिहाई पावेगा किज़रडिक्री म यख़र्च अदालत में दाखिलहोगा याजबकि डिक्रीदार वसूलीक़बूल करैगा ॥

१७०—आईन काररवाई दीवानीकी दफ़ा २७८ से २८३ तक (दोनों शामिल) उस दर्मियानी हक़ या जोतके लिये काममें नहीं लाई जायगी जोबाक़ीमालगुज़ारी की डिक्री जारीमें ज़ब्त कीगई है ॥

(२) जब ऐसी डिक्री की इजराय में किसी दर्मियानी हक़ या जोत ज़ब्तीसे रिहाई नहींपावेगा पर सिर्फ़ उस हालतमें किजब नीलाम खतम होनेकेपहिले ज़र डिक्री और मुक़द्दमाका खर्चा और नीलाम का खर्चा अदालत में दाखिल कियाजाय, या डिक्रीदार दर्मियानी हक़ या जोतकी रिहाईके लियेइस बुनियाद पर दरखास्तकरे किडिकरीका रुपया अदालत के बाहर वसूल होगया है ॥

(३) मदयून या और कोई शख्स जो दर्मियानी हक़ या जोतमें ऐसाहक़ रखताहै, जो नीलामसे रद होने लायक़है, इस दफ़ाकी रूसे अदालतमें रुपया अदा कर सक्ताहै ॥

१७१—(१) जब कोई शख्स जो ऐसे दर्मियानी हक़ या

नीलाममौक़ूफ़ रखनेकेलियेअदालतमें अदा

जोतमें जिसका नीलामी इश्तिहार इस बाबकी रूसे जारीहुआ है, ऐसा हक़ रखता है कि वह नीलाम होनेपर रद्दहोजायगा, अदालतमें नीलाम

मौक़ूफ़ रखनेके लिये ज़रूरी रुपया अदा करता है——तो ॥

अदाकिया हुआ रुपया अदालतों में दर्मियानी हक़ या जोतपर ज़र रेहन होगा॥

(अलिफ़) जो रुपया उसने इस तौरपर दिया है, वह ऐसा दैन समझा जायगा जिसपर बारह रुपया सैकड़ा सालाना सूद चढ़ैगा और जिसके हिफ़ाज़तके लिये वह दर्मियानी हक़ या जोत उसके पास मकफूल समझी जायगी ॥

(बे) उसका रेहन, बाक़ी मालगुज़ारीके दावेको छोड़कर दर्मियानी हक़ या जोतपर और सब दावोंसेबढ़कर समझा जायगा——और

(से) वह सब जोत या दर्मियानी हक़ बतौर असामी के मुर्त्तहिन के क़ब्ज़ा रखने का मुस्तहक़ होगा और तबतक उसपर क़ब्ज़ा रक्खेगा कि जब तक वह दैन मयसूदके अदा न कियाजाय ॥

(२) इस दफ़ा में जो कुछ लिखाहै, वह उस इलाजपर असर नहीं करैगा जिसके लिये ऐसा शख्स हक़ रखता हो ॥

असामीमातहत जो रुपया अदालतमें जमाकरे मालगुज़ारीसे मुजराकरसक्ताहै॥

१७२—जब किसी माफ़ौक़ असामी के मालगुज़ारी अदा न करनेकी वजहसे किसी दर्मियानी हक़ या जोत का नीलामी इश्तिहार इस बाब की रूसे इजरायडिकरीमें जारी कियाजाय और कोई असामी मातहत जिसका हक़ नीलाम होनेपर बातिल होजायगा अदालतमें रुपया नीलामकी मौक़ूफ़ी के लिये दाखिलकरे तो वह किसी और चाराके सिवाय जो आईनकी रूसे उसको मिलसक्ताहै, ऐसा अदाकिया हुआ रुपया या उसका कुछहिस्सा उस मालगुज़ारीसे मुजरा

करसक्ता है, जो उसको अपने ज़मींदार के यहां अदाकरनाहो, और वह ज़मींदार अगर बाक़ीदार नहीं है, तो उसीतरह से ऐसे मिनहाकियेहुये रुपयाको उस मालगुज़ारीसे मुजराकरसक्ताहै, जो उसके ज़मींदारको देनेलायक़ है, और इसीतरह से जबतक कि बाक़ीदार तक न पहुंचे ॥

१७३—(१) बावजूद उसके जो आईन कारखाई दीवानी की दफ़ा २६९ में लिखा है, उस डिकरी का रखनेवाला जिसकी इजराय में कोई दर्मियानी हक़ या जोत इस बाबकी रूसे नीलाम किया जाताहै, बशर्ते इजाज़त अदालतके उस दर्मियानी हक़ या जोतकेलिये डाकबोलसक्ता है, या उसको ख़रीदसक्ता है ॥

डिक्रीदार नीलाममें डाकबोलसक्ताहै परमदयूननहींबोलसक्ता॥

(२) मदयून ऐसे दर्मियानी हक़ या जोतके नीलाममें न डाक बोलैगा और न उसको ख़रीद सकैगा ॥

(३) जब कोई मदयून आप या किसी और शख़्स के ज़रियेसे ऐसे नीलाम कियेहुये हक़ दर्मियानी या जोतको मोल लेताहै, तो अदालत अगर मुनासिब समझै, डिकरीदार या किसी और शख़्स की दरख़्वास्तपर जो नीलामसे ताल्लुक़ रखताहै, नीलाम मुस्तरिद करनेका हुक्म देसक्तीहै, और दरख़्वास्त और हुक्मका ख़र्चा और दूसरीदफ़ा नीलामकरने से जोदाममें कमीहो, मय ख़र्चानीलाम दुबारा मदयूनको देनाहोगा ॥

१७४—(१) जबकोई दर्मियानी हक़ या जोत उसकी बाक़ी मालगुज़ारीके लिये नीलाम की गई है, तब नीलाम होनेकी तारीख़से ३० दिनके भीतर किसी वक्त मदयून डिकरीदार को देनेके लिये वह रुपया जो ख़र्चेके साथ डिकरीकी रूसे अदाहोने लायक़ है, और ख़रीदारको देनेके वास्ते ज़रसमनकेपांच

नीलाम रदकरनेकेलिये मदयूनकीदरख़्वास्त॥

रुपये सैकड़ा बराबर रुपया अदालतमें जमाकरके नीलाम रद होनेके वास्ते दरख्वास्त देसक्ता है ॥

(२) जो ऐसा रुपया ३० दिनके भीतर जमा कियाजाय तो अदालत नीलाम रद करनेका हुक्मदेगी, और आईन काररवाई दीवानी की दफ़ा ३१५ की शर्तें ऐसे रदकियेहुये नीलामके लिये अमलमेंआवेंगी ॥

पर शर्त यह है कि गो मदयून आईन काररवाई दीवानीकी दफ़ा ३११ की रूसे अपने दर्मियानी हक़ या जोत का नीलाम रदकरने के लिये दरख्वास्तदे तो उसको ऐसी दफ़ा की रूसे दरख्वास्त देनेका हक़ न होगा ॥

(३) आईन काररवाई दीवानी की दफ़ा ३१३ इस बाब की रूसे कियेहुये किसी नीलाम के लिये काममें नहीं आवेगी ॥

दैन पैदाकरने वाले दस्तावेज़ों की रजिस्टरी ॥

१७५—बावजूद इसके जो इंडियन रजिस्ट्रीशन ऐक्ट सन् १८७७ ई० के चौथे हिस्से में लिखाहै, वहदस्तावेज़ जो किसी दर्मियानी हक़ या जोतपर दैन पैदाकरतीहै, और इस ऐक्टके जारीहोनेकेपहिले लिखीगई है, और जिसका रजिस्टरी होना ऊपर बतायेहुये रजिस्ट्रीशन ऐक्टकी दफ़ा १७ के मुताबिक़ जरूर नहींहै, इस ऐक्टकी रूसे रजिस्टरीके वास्ते उस हालत में ली जावेगी कि जब इस ऐक्टके जारीहोने से एक बरस के भीतर उस काम के लिये ऐसे इख्तियार रखनेवाले अफ़सरके पास पेश कीजाय ॥

ज़मींदारकेयहां दैनकीइत्तिला ॥

१७६—हर अफ़सर जिसने इसऐक्टकी मंजूरीके पहिले या पीछे ऐसे दस्तावेज़ की रजिस्टरी कीहै, जो किसी दर्मियानी हक़ या जोतके असामी ने लिख दिया है, और उस दर्मियानी हक़ या जोत पर दैन पैदाकरतीहै, उस असामी या ऐसे शख्सकी दरख्वास्त पर जिसके हक़में वह दैन पैदाकियागया है, और उसकी तरफ़ ऐसी

फ़ीस अदाकियेजानेपर जो लोकल गवर्नमेंट इस कामके लिये ठहरावे ज़मींदारपर उस दस्तावेज़ की एक नक़ल ठहरायेहुये तौरपर तामीलकरके दैनकी इत्तिलादेगा ॥

१७७—इस बाबमें जो कुछ लिखा है वह किसी शख़्स को ऐसे दैन पैदाकरने का इख़्तियार नहीं देता है जिसको वह और किसी तरह से क़ानूनके मुताबिक़ पैदा नहीं करसक्ता ॥

दैन पैदाकरने का इख़्तियार में बढ़ायागया ॥

पंद्रहवां बाब ॥

क़ौल क़रार और रवाज ॥

१७८—(१) इसऐक्ट के मंज़ूरीके पहिले या पीछे ज़मींदार और असामी के दर्मियान जो क़ौलक़रार कियाजाय, उसमें कोई ऐसीबात नहीं होगी—जो

क़ौलक़रारकेज़रियेसे इस ऐक्ट की शर्तोंके बेकार करनेपर क़ैद ॥

(अलिफ़) ज़मीन में हक़दख़ली का हासिलकरना हमेशाके लिये रोकेगी——या

(बे) क़ौलक़रार की तारीख़के वक़्त जो हक़दख़ल किसी को हासिल था उसको लेलेगी——या

(से) ज़मींदार को यह हक़देगी कि असामी को इस ऐक्ट की शर्तों की ज़रिये के अलावा और किसी तौरपर बेदख़लकरे——या

(दाल) असामी इस ऐक्ट की रूसे ज़मीन की लियाक़त बढ़ाने और उसकेलिये तलाफ़ी पानेका जो हक़ रखता है, उस हक़कोलेले या महदूदकरे ॥

(२) ऐसे किसी क़ौलक़रारमें जो ज़मींदार और असामी के दर्मियान पन्द्रहवींजूलाई सन्१८८०ई० केबाद और इसऐक्टकी मंज़ूरीकेपहिले कियाजाये, ऐसे

कोई बात नहीं होगी जो रअ़य्यत को इस ऐक्टकी रूसे ज़मीनमें हक़्क़दखली हासिल करनेसे रोके ॥

(३) ऐसे किसी क़ौलक़रार में जो ज़मींदार और असामी के बीचमें इस ऐक्टकी मंज़ूरी के पीछे कियाजाय कोई ऐसी बात नहीं होगी——जो,

(अलिफ़) रअ़य्यत को इस ऐक्टकी रूसे ज़मीन में हक़्क़ दखल हासिल करने से रोके ॥

(बे) दफ़ा २३ की रूसे दखलकार रअ़य्यत को ज़मीन इस्तैमाल करने का जो हक़्क़ दियागया है उसको लेले या घटादे ॥

(से) रअ़य्यत दफ़ा ८६ के मुताबिक़ अपनी जोतके इ-स्तीफ़ा देनेका जो हक़्क़ रखताहै, उसकोलेले ॥

(दाल) खास जगहके रवाजके मुताबिक़ रअ़य्यत अपनी जोतको वसीयत की रूसे या और किसी तरह से जो हक़्क़ इंतक़ाल रखनेका रखताहै, उसकोलेले ॥

(ये) इस ऐक्ट की शर्तों के मुताबिक़ दखलकार रअ़-य्यत जो शिकमी पट्टा देने का हक़्क़ रखता है, उसको लेले ॥

(फ़े) दफ़ा ३८ या ५२ की रूसे मालगुज़ारी घटाने के वास्ते रअ़य्यत जो दरख्वास्त देनेका हक़्क़ रखताहै, उसको लेले——या,

(जीम) दफ़ा ३० के मुताबिक़ मालगुज़ारी बदलने के लिये जो दरख्वास्त देनेका हक़्क़ ज़मींदार या असामी रखताहै, उसको लेले ॥

(हे) दफ़ा ६७ की उन शर्तोंपर असर पहुंचावे जो बाक़ी मालगुज़ारी पर दियेजाने लायक़ सूदसे निस्बत रखती है—

पर शर्त यह है कि—

(१) इस दफ़ामें जो कुछ लिखा है,वह उस पट्टे कीशर्तों

पर असर नहीं पहुंचावेगा जो नेकनीयतसे परती ज़मीनको आबाद करनेके लिये दियागयाहै, पर जब पट्टाकी मीआद ख़तमहोनेपर पट्टारखनेवाला बाब (५) की रूसे उस ज़मीनपर हक़्क़दख़ली हासिल करेगा, जो उसके पट्टामें है तो उस हालत में पट्टामें जो कुछ लिखाहै, वह उसको उस हक़्क़ के हासिल करने से नहीं रोकेगा ॥

(२) जब ज़मींदार ने अपने नौकरों से या अपने मज़दूरों से परती ज़मीन को आबाद कियाहै, औरपीछे से उसे या उसके किसी हिस्सा को रअ़य्यत को पट्टा पर दियाहै, तो इसऐक्ट में कोई ऐसी बात नहींहै, जो उस क़ौल क़रार की शर्त्तोंपर असर करे जिसकी रूसे रअ़य्यत उस तारीख़से ३० बरस तक कि जिसदिन वह ज़मीन या उसका हिस्साउसको पहिले पट्टापर दिया गयाहै, उस ज़मीनया उसके हिस्सा पर हक़्क़ दख़ली हासिल नहींकर सक्ता ॥

(३) इस दफ़ामें कोई ऐसी बात नहीं है, जिसकाअसर उस क़ौल क़रारकी शर्त्तोंपर हो जो किसी बाग़ीचा में थोड़े दिनों के लिये खेती की फ़सल बोनेवास्ते किया गया है ॥

दवामी मुक़र्रर पट्टा ॥

१७६—इस ऐक्ट में कोई ऐसी बात नहींहै कि जो दवामी बन्दोबस्ती रक़बा में दवामी हक़्क़दार दर्मियानी या मालिक को इस्तिमरारी मुक़र्ररी पट्टा ऐसी शर्त्तोंपर देनेसे रोके जो उसके और उसके असामी के बीचमें ठहराई जायँ ॥

उतबंदीवर और दयारह ज़मीन ॥

१८०—(१) इस ऐक्टमें चाहे जो कुछ लिखा हो, पर तब भी कोई रअ़य्यत—

(अलिफ़) जो मुल्क के ऐसे हिस्सा में जहां उतबन्दी का रवाज जारीहै ऐसी ज़मीन रखता है, अमूमन् उस दस्तूर की रूसे पट्टापर दीजाती है, और उसदस्तूर कीरूसे उस वक़्त दीगईहै—या

(बे) जो उस क़िस्म की ज़मीन रखताहै जिसको चरया-दयारह कहतेहैं, हक़्क़ दख़्ली नहीं हासिल करैगा ॥

(अलिफ़) की हालत में उस ज़मीन में जो अमूमन् उत-बन्दीके दस्तूर की रूसे रक्खी जातीहै, और उसवक़्त भीउस दस्तूर के मुताबिक़ रक्खीगईहै—या

(बे) की हालत में चर या दयारह ज़मीनमें जबतक वह उस ज़मीनको लगातार बारह बरस तक न रक्खे, और जबतक वह उस ज़मीन में हक़्क़ दख़ल नहीं हासिल करैगा, उसको अपनी जोतके लिये ऐसी मालगुज़ारी देना होगा कि जो उसमें और उसके ज़मींदार के बीचमें ठहराई गईहै ॥

(२) बाब ६ ऐसे रअय्यतों के लिये जो उतबन्दी के दस्तूरके मुताबिक़ ज़मीन रखते हैं, ऐसीज़मीनकी निस्बत जिसको वह उस दस्तूरकेमुवाफ़िक़ रखतेहैं काममें नहीं आवेगा ॥

(३) कलक्टर ज़मींदार या असामी की दरख़्वास्त पर या दीवानी अदालत से पूछे जानेपर यह मुश्तहिर करसक्ता है कि कोई ज़मीन हस्बमंशाय इस दफ़ा के उस वक़्तसे चर या दयारह ज़मीन नहीं कहला-वेगी और तब इस ऐक्टकी सब शर्तें उसज़मीनके लिये अमलमें आवेंगी ॥

१८१—इस ऐक्टमें कोई ऐसी बात नहींहै जो घटवाली या और नौकरीके हक़्क़ से निस्बत रखती हुई बातों पर असर पहुंचावे या ख़ास करके ऐसेनौकरीके हक़्क़के इंतक़ाल या वसीयत करनेका इख़्तियार

चाकरान ज़मी नकी इस्तस्ना॥

दे कि जो इसऐक्ट की मंजूरी के पहिले वसीयत की रूसे या औरकिसी तरहसे मुंतक़िल नहीं होसक्ता था ॥

१८२—जब कोई रअ़य्यत अपनी बसगत ज़मीन को इस तरह रखता है कि वह रअ़य्यतके तौरसे उसको रक्खी हुई जोतका हिस्सा नहींहै, तो उसकोबसगत ज़मीन के रखनेके मुतालिल्लक़ बातें उस जगहके दस्तूर या रवाजकी रूसे ठहराली जायँगी और इस ऐक्टकीधारें जो रअ़य्यत की रक्खी हुई ज़मीनके लिये काममें आती है, दस्तूर या रवाज के ताबे होकर बसगत ज़मीन के लिये भी अमलमें आवेगी ॥

बसगतज़मीन॥

१८३—इस ऐक्ट में ऐसी कोई बात नहींहै, जो ऐसे दस्तूर, रवाज या मामूली हक़पर असरपहुंचावे जो इस ऐक्ट की शर्तोंके बख़िलाफ़ नहीं है, या उनकी रूसे सरीहन् या मानीअन् (मानीकीरूसे) बदले या उठाये नहीं गयेहैं ॥

रवाजमुल्कीइस्तसना॥

मिसालें ॥

(१) वह दस्तूर जिसकी रूसे रअ़य्यत अपने ज़मींदार के मर्ज़ीके बग़ैर अपनी जोत बेचनेका हक़रखता है, इसऐक्टकी शर्तों के बख़िलाफ़ नहीहै, और उनकी रूसे सरीहन् या इशारतन् बदला या उठाया नहीं गयाहै, तोवहदस्तूर जहांकहीं जारीहै, इस ऐक्टकी रूसे मवस्सर नहींहोगा ॥

(२) वहरवाज या दस्तूर जिसकी रूसे शिकमी रअ़य्यत बाज हालतों में हक़ दख़ल हासिल करसक्ता है, इस ऐक्टकी शर्तों के बख़िलाफ़ नहीं है, और न उनकीरूसे सरीहन् या इशारतन् बदला या उठाया गयाहै, इसलिये इस ऐक्टका असर उस रवाजया दस्तूर पर नहीं होगा जहां कहीं कि वह जारीहै ॥

सोलहवां बाब ॥

तमादी ॥

तीसरे शिड्यूल मेंमुन्दर्ज मुक़द्दमा अपील और दर्ख़ास्त की तमादी ॥

१८४—(१) वह मुक़द्दमा अपील और दर्ख़ास्त जो इस ऐक्टकेरूसेहुयेशिड्यूल ३ मेंबतायेगयेहैं,उसवक्त के अन्दर जो उनके लिये अलग अलग उसशिड्यूल में मुक़र्रर किया गयाहै, पेश किये जावँगे, और ऐसा हरएकमुक़द्दमा या अपील जो ऐसी बताईहुई मीआदकेबीतनेपीछे पेश कियागयाहै, और दर्ख़ास्त जो दीगईहै ख़ारिज कियाजायगा अगर्चे उसके निस्बत तमादी का उज्र पेश न कियाजाये ॥

(२) इस दफ़ामें कोई ऐसीबात नहींहै, जो ऐसे मुक़द्दमा या अपीलदायर करने या दर्ख़ास्त देनेकेहक़ को फिर क़ायमकरे कि जो अगर इसऐक्टके जारी होनेके ठीक पहिले दायर कियेजाते या दियेजाते तो उनपर तमादी लगजाती ॥

इंडियन लेमीटीशन ऐक्टकी चंदफ़ातेंमें मुक़द्दमा वग़ैरह पर आयद नहीं होंगी ॥

१८५——(१) दफ़ा ७, ८ और ९ इंडियन लेमीटीशनऐक्ट सन् १८७७ ई० ऐसे मुक़द्दमा और दर्ख़ास्त के लिये काममें नहीं आवेंगी जो इससे पिछलेदफ़ा में बताये गये हैं ॥

(२) इसबाबकी शर्तों के ताबे होके इंडियनलेमीटीशन ऐक्टसन् १८७७ ई० की शर्तें इससे पहिली दफ़ा में मुन्दर्जेमुक़द्दमा अपील और दर्ख़ास्तों के लिये काममें आवेंगी ॥

सत्रहवां बाब ॥

ताज़ीरात ॥

सज़ा ॥

पैदावार में आ ईनके बख़िलाफ़ दस्तन्दाज़ी कर नेकी सज़ा ॥

१८६—अगर कोई शख़्स किसी और तौर पर जो इसऐक्ट के या उसवक्तके किसी और मुरव्विजा आईनके मुताबिक़ नहीं है ॥

(अलिफ़) किसी असामीकी जोतकी पैदावारको क़ुर्क़कर-ताहै, या क़ुर्क़ करनेकी कोशिश करता है—या ॥

(बे) इस ऐक्ट की रूसे बाज़ाब्ता क़ुर्क़ी में मुज़ाहिम होताहै या ज़बरदस्तीसे या छिपकर इस ऐक्ट की रूसे क़ुर्क़ कियेहुये मालको अलग करता है—या ॥

(से) असामी के हुक्म या मर्ज़ीके बग़ैर किसी जोतके पैदावारको काटने, इकट्ठाकरने, ढेरलगाने, लेजाने या और तरह से बरतने में मुज़ाहिमत करताहै, या करनेकी कोशिशकरता है, तो ऐसा समझाजायगा कि हस्ब मन्शाय आईन ताज़ीरातहिंद के उसने मदाख़िलत बेजाका जुर्मकिया है ॥

(२) जो शख़्स ज़िमीनै दफ़ा १ में बतायेहुये काम के करने में हस्बमन्शाय (इंडियनपिनलकोड) मज-मूये ताज़ीरातहिंद के मदददेताहै तो ऐसा समझा जायगा कि उसने हस्बमन्शाय उस आईन के मदाख़िलत बेजाके जुर्ममें मदद दीहै ॥

ज़मींदारों के एजण्ट और कारपरदाज़ ॥

१८७—(१) अदालत या किसी हाकिम के हुजूरमें हाज़िर होना, दरख्वास्तदेना या कोई कामकरना जो इस ऐक्टकीरूसे ज़मींदारको करनाचाहिये या उसके करने का इख्तियार दियागया है, अगर अदालत या हाकिम दूसरीतरहका हुक्म न दे तो वहसब काम ऐसे एजंटके ज़रियेसे कियाजासक्ताहैजिसको ज़मींदारने अपने हाथसे लिखकर इस काम के लियेइख्तियार दिया है ॥

कारपरदाज़की मारफ़तज़मींदार के काम करने का इख्तियार ॥

(२) हर एक इत्तिलानामा जो इस ऐक्ट की रूसे ज़मींदारपर जारीहोना या उसको देनाचाहिये अगर उस एजन्टपर जारीकिया जाय या दियाजाय जिसको ज़मींदारने जैसा कि ऊपर कहागया है, उसकी इजराय मानने या लेनेके लिये इख्तियार दिया है, इस ऐक्ट के मरातिबकेलिये वैसाहीकार आमदहोगा जैसा कि अगर वह खास ज़मींदारपर जारीकियाजाता, या उसको दियाजाता ॥

(३) हर दस्तावेज़ को जिसपर इस ऐक्ट की रूसे ज़मींदारको दस्तखत और तसदीक़ करनाचाहिये इस दस्तावेज़ को छोड़कर जो एजन्ट मुक़र्रकरने या उसको इख्तियारदेनेके लियेहै, ज़मींदारका वह एजन्टदस्तखत और तसदीक़ करसक्ता है, जिसको उसकामके लिये तहरीरी इख्तियार दियागयाहै ॥

१८८—जब दो या ज़ियादह शख्स शरीकदार ज़मींदार हैं, तो कोई काम जो इस ऐक्टकीरूसे ज़मींदारको करना चाहिये या जिसके करनेका इख्तियारउस को दियागया है, ज़रूरहै कि वह दोनों या सब शरीक मिलकर करें या वह एजन्टकरे जिस को उनदोनों या उन सबोंने उनकेलिये काम करने का इख्तियार दियाहै ॥

शरीकदारज़मींदार बज़माअत या मारफ़तकारपरदाज़ अपना कामकरेंगे ॥

क़ायदा इस ऐक्टकी रूसे ॥

कारर्वाई अफ़् इश्तिहार और इजराय इश्तिहारकेबारेमें क़ायदा बनाने का इख़्तियार ॥

१८६—लोकल गवर्नमेंट वक़्तवक़्त पर सरकारी गज़ट में इ-श्तिहार छापकर इस ऐक्टके मुवाफ़िक़ आगे रोंके इख़्तियार लिखीहुई बातोंके लिये क़ायदा बना सक्तीहै ॥

(१) उस कारर्वाईके इन्तिज़ामकेलिये जिसको अफ़सर माल ऐसे कामके करने में करेगा जो इस ऐक्ट की रूसे उसकेइख़्तियार किया गया है, और गवर्न-मेंट ऐसे किसी अफ़सरको ऐसे क़ायदों की रूसे आगे बतायेहुये इख़्तियार देसक्ती है ॥

(अलिफ़) कोई इख़्तियार जिसको अदालत दीवानी मु-क़द्दमाकी तजवीज़ करनेमें काममें लावे ॥

(बे) किसी ज़मीनपर जाने और पैमायश करने, सरहद बन्दी और उसका नक्शा बनानेका इख़्तियार और ऐसा इख़्तियार जिसकोकोई अफ़सर बंगालासरवे ऐक्ट सन् १८७५ ई० की रूसे अमल में लासक्ता है——और

(से) ज़मीनकी लियाक़त तजवीज़करनेके लिये, उसकी फ़सल काटने और उससे अनाज निकालने और उसकी पैदावार तौलनेका इख़्तियार—और

(२) और उस जगह जहां इस ऐक्ट या किसी और ऐक्टकीरूसे, इत्तिलानामा जारीकरनेके लिये कोई तौर मुक़र्रर नहीं कियागयाहै, वहां इस ऐक्टकी रूसे इत्तिलानामा जारीकरनेका तौर मुक़र्रर करने के लिये ॥

क़ायदोंकेबनाने और उनके मुश्तहिर करने और मंज़ूर करने की कार्रवाई ॥

१९०—(१) हर हाकिम जिसको इस ऐक्टकी किसीदफ़ा की रूसे क़ायदा बनाने का इख्तियार है, क़ायदा बनाने के पहिले तजवीज़ कियेहुये क़ायदों का मसविदह उन शख्सोंकी इत्तिलाकेलियेमुश्तहिर करैगा जिनपर ऐसा होसक्ताहै कि उनका असर पहुंचे ॥

(२) मुश्तहिर करना उन क़ायदों की हालतमें जिनको लोकल गवर्नमेंट या हाईकोर्ट ने बनाया है, इस तरहसे होगा जोसरकारकी रायमें उन शख्सों की इत्तिलाकेलिये काफ़ीहो, जो उससे तअल्लुक़ रखते हैं और उनकायदोंकी हालतमें जिनको किसी और हाकिमने बनाया है, इस तौरपर होगा जैसा उनके लिये हुक्म दियाजाय, पर शर्त यह है कि ऐसा हर मसविदह सरकारी गज़ट में छापा जायगा ॥

(३) इस मसविदह के साथ एक इश्तिहार उसतारीख़ को मुन्दर्जकरके दियाजायगा जो मुश्तहिरकरनेकी तारीख़से कमसेकम एकमहीनेपीछेहोगी जिसदिन या जिसकेपीछे उसमसविदहपर ग़ौरकियाजायगा ॥

(४) ऐसी मुकर्ररकीहुई तारीख़के पहिले उसमसविदह की निस्बत जो कोई शख्स कोई एतराज़ या तजवीज़ पेशकरे तो हाकिम उसको सुनैगा और उसपर ग़ौरकरैगा ॥

(५) किसी क़ायदा को सरकारी गज़ट में छापना और उसकेलिये यह लिखना कि वह इस ऐक्टकी रूसे बनायागया है, इस बात का पूरा सबूत होगा कि वह बाज़ाबिता बना है ॥

(६) इस ऐक्ट की रूसे बनायेहुये सब क़ायदोंको वक्त वक्तपर ऐसी मंज़ूरीके ताबेहोकर जो उनकेबनाने के लिये ज़रूरहो, वह हाकिम जो उनके बनाने का

इख्तियार रखता है तरमीम करैगा या मंसूख करैगा या उनमें कुछ बढ़ावैगा ॥

मीआदी बंदोबस्ती ज़िलों के लिये शर्तें ॥

१६१—जहां किसी दर्मियानी हक़की ज़मीन ऐसे मुहाल में बाक़ी है, जिसका कभी दवामी बन्दोबस्त नहीं हुआ है, तो इस ऐक्ट में जो कुछ लिखा है, वह सरकारी जमाके मीआदी बन्दोबस्तके ख़तम होने पर मालगुज़ारी का बढ़ाना नहीं रोकेगा, अगर उस मालके अफ़सरने जिसको सरकारने बंदोबस्त क़ाईम करने या मंज़ूर करने का इख्तियार दिया है, बन्दोबस्त की कारवाई में उस हक़को साफ़ साफ़ मानलिया है, जिस की रूसे वह ज़मीन ख़ास शरह मालगुज़ारीपर मीआदके ख़तम होनेके पीछे रक्खी जासक्ती है ॥

उस ज़मीनकी इस्तसना जोमी आदीबन्दोबस्त केज़िलेमें बाक़ी है ॥

१६२—जब ज़मींदार पट्टा देता है, या ऐसा क़ौलक़रार करता है जिसकी रूसे उस ज़मीन का असामी जो दवामी बन्दोबस्त कियेहुये रक़बामें नहीं है, उस ज़मीन को ख़ास मालगुज़ारीपर या लाख़िराज रखसक्ता है और जब वह पट्टा या क़ौलक़रार अमल में है ॥

सरकारी ज़मा का नयाबन्दोबस्त होनेसे मालगुज़ारी बदलने का इख़्तियार ॥

(अलिफ़) उस ज़मीन की निस्बत सरकारी मालगुज़ारी पहिले दफ़ा अदाकरने लायक़ ठहराई जाय—या

(बे) उसकी निस्बत सरकारी मालगुज़ारी पहिले अदा होनेलायक़ थी पर अब नयाबन्दोबस्त कियाजाता है॥

तो अफ़सर माल बावजूद उसके जो फ़रीक़ोंके दर्मियान क़ौलक़रार में लिखाहो, ज़मींदार या असामी की दरख्वास्तपर इस ऐक्टकी शर्तोंके मुवाफ़िक़ हुक्मदेकर उस ज़मीनकेलिये वाजिब और मनासिब मालगुज़ारी मुक़र्रर करसक्ता है ॥

चरागाह वग़ैरह के हक़॥

१८३—इस ऐक्टकी वह शर्तें जो बाक़ी मालगुज़ारी के वसूल कियेजानेके मुक़द्दमोंसे तअ़ल्लुक़ रखती हैं, जहांतक होसके, चराई के हक़, बनकर, मछली पकड़नेके हक़ और ऐसे दूसरे हक़ की निस्बत अदाहोने या देने लायक़ किसी चीज़के वसूलकरनेके मुक़द्दमों के लिये काम में आवेंगी॥

चरागाहकेहक़ बनकरवग़ैरह॥

उनशर्तों के लिये बचाव जिनका कि ज़मींदार पाबन्द है॥

१८४—जहां कोई मालिक या इसामीहक़दार दर्मियानी किसी ख़ासक़ायदा या शर्तके ताबे होकर अपनामुहाल याहक़ दर्मियानी रखताहै तो इसऐक्टमें जोकुछ लिखाहै, वह किसी ऐसेशख़्सको जो इसमुहाल या हक़ दर्मियानीके अन्दर ज़मीन रखताहै, ऐसे काम करनेका हक़ न देगा जिससे वह शर्त या क़ायदा तोड़ाजाताहै॥

असामीइनऐक्ट् कीरूसेउन शर्तों को नहीं तोड़ सक्ताहै जिनका ज़मींदार पाब-न्द है॥

ख़ास ऐक्टोंका बचाना॥

१८५—इस ऐक्ट में जो कुछ लिखा है वह नीचे लिखीहुई बातोंपर कुछ असर नहीं करैगा—:

ख़ास ऐक्टों के नियेहस्तसना॥

(अलिफ़) बन्दोबस्त करनेवाले अफ़सरों के उन इख़्तियार और कामोंपर जो ऐसी आईनकी रूसे ठहरायेगये हैं कि इस ऐक्टकी रूसे साफ़ साफ़ रद नहीं किया गयाहै॥

(बे) किसी ऐसे ऐक्टपर जो उन मुहालों में कि सर-

कारी हैं, या जिनका बन्दोबस्त कोर्ट—आफ़—वार्डस या माल के अफसरों के हाथ में है, मालगुज़ारी वसूल करने की कारखाई के इन्तिज़ामके लिये बनाया गया है ॥

(से) ऐसे आईन पर जो बाकी मालगुज़ारी सरकारके लिये नीलाम की रूसे ज़मीन रखने का हक़ और हैन रद्द होनेके मुताल्लिक़ है ॥

(दाल) ऐसे किसी आईनपर जो सरकारी जमादेनेवाले मुहालोंके बटवारासे निस्बत रखताहै ॥

(ये) कोई आईन जो पटनीकी रूसे ज़मीन रखने के मुताल्लिक़ है ॥

(फे) कोई और खास आईन या खासजगहका आईन जो इसऐक्टकी रूसे सरीहन् या मानीअन् (मानीसे लाज़िम आकर) रद्दनहीं हुआ है ॥

ऐक्टके मतलबका तरक्कि़या ॥

यह ऐक्ट उनये कोंकेतावेहोकर पढ़ाजायगा जिनकोलफ़्टनटगवर्नर साहबबहादुरइजलास कौंसल इसके पीछे मंज़ूरकरें ॥

१८६—यह ऐक्ट ऐसे हर ऐक्ट के ताबे होकर पढ़ा जायगा जिसको लफ्टन्ट गवर्नर साहब बहादुर बंगाला इजलास कौंसल इसके जारी होने के पीछे मंज़ूर करें ॥

ज़िमन १ ॥

(देखो दफ़ा २)॥

ऐक्टों का रद होना ॥

बंगाला की आईन ॥

नम्बर और सन् ॥	आईन का मज़मून ॥	रद होनेकी हद ॥
८ सन् १७९३ ई० का ॥	आईन जो दवामी सरकारी जमा के दहसालाबन्दोबस्त के क़ायदों को तबदील और तरमीम करके फिर नाफ़िज़ करनेके लिये है, जो ज़मींदार और ख़ुद मुख़्तार तालुक़ेदारान् और दूसरे हक़ीक़ीमालिकों की ज़मीनोंसे बंगाला, बिहार और उड़ीसा में अदा कियेजाने लायक़ है, और वह क़ायदा उन सूबों के लिये अलग अलग अठारहवीं सितम्बर १७८९ ई०, बीसवीं नम्बर ब १७८९ ई० और दसवीं फ़रवरी सन् १७९० ई० और पिछली तारीख़ों को जारी किये गये थे ॥	दफ़ा ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ६४ और ६३
१२ सन् १८०५ ई० का ॥	आईन जो ज़िलाकटक में और परगना पताम पुर, कमालपुर और बगराई में जो हालमें ज़िला मदनापुरमें शामिल हैं, सरकारी जमाके बन्दोबस्त और तहसील के लियेहै ॥	दफ़ा ०
५ सन् १८१२ ई० का ॥	आईन उनमें के कुछ क़ायदों को तरमीमकरने के लिये जो हालमें सरकारी जमा वसूल करने के लिये जारीहैं ॥	दफ़ा २, ३, ४, २६ और २० ॥
१८ सन् १८१२ ई० का ॥	आईन दफ़ा ९, आईन ५, १८१२ ई० का मतलब बताने के लिये और दफ़ा ३ और ४ आईन ४४ १७९३ ई० और दफ़ा ३ और ४ आईन ५०, १७९५ ई० को मंसूख़करनेके लिये और उनकीजगह दूसरे क़ायदे नाफ़िज़ करनेके लिये ॥	शुरू का हिस्सा जिसमें मंशा और वजूहात का बयानहै, और दफ़ा २ और ३ ॥

नम्बर और सन् ॥	ज़ाबिता का मज़मून ॥	रद होनेकी
११ सन् १८७५ ई० का	आईन उन क़ायदों को बनाने के लिये जिनके मुताबिक़ ऐसी ज़मीन के दावा तजवीज़ किये जायंगे कि जो दरिया या समुन्दर के हटजाने से या उनकी तासीर से हासिल हुईहैं ॥	कलाज़ १ दफ़ में अलफ़ाज़ उस वक्तनहीं जबमातहतह दर्मियानी में गाया जाये,, और उनको कर कालाज़के
६ सन् १८६२ ई० का	आईन वास्ते तरमीम करने ऐक्ट १० सन् १८५९ ई० (उस आईन को तरमीम करने के लिये जो) प्रेसीडेन्सी फोर्ट विलियम बंगालामें माल गुज़ारी वसूल करनेसे निसबत रखताहै ॥	सारा ऐक्ट
४ सन् १८६० ई० का	ऐक्ट वास्ते तशरीह और तरमीम करनेऐक्ट६, १८६२ ई० (पास किये हुये लफ़्टेनेन्ट गवर्नर साहब बहादुर बंगाला इजलास कौंसल) और चन्दफ़ैसलों को मुस्तहिर करने के लिये ॥	सारा ऐक्ट
८ सन् १८६९ ई० का	ज़मींदार और असामी के दर्मियानके मुक़द्दमों की काररवाई दुरुस्त करने के लियेऐक्ट ॥	सारा ऐक्ट
८ सन् १८७९ ई० का	बन्दोबस्त करनेवाले अफ़सरों के इख़्तियार की हद ठहराने और बतानेके लियेऐक्ट ॥	

शिड्यूल १—जारीरहा ॥

गवर्नरजनरल साहब बहादुर इजलास कौंसलके ऐक्ट ॥

नम्बर और सन् ॥	ज़ाबिता का मज़मून ॥	रदहोने की ह
१० सन् १८५९ ई० का	ऐक्ट वास्ते तरमीम करने उस आईन के जो प्रेसीडेंसी फ़ोर्ट विलियम बंगालामें मालगुज़ारी वसूल करनेसे इलाक़ा रखता है ॥	साराऐक्ट

शिड्यूल २ ॥

रसीद और हिसाब के नमूना ॥

(दफ़ा ५६ और ५७ को देखो) ॥

रसीद का नमूना

जोतकी तफ़सीलें (ज़मींदार का हिस्सा) ॥

१—रसीद का सिलसिलेवार नम्बर

२—मुहाल ;गांव ;थाना

३—असामीकानाम का बेटा

४—तफ़सीलजोत—

नक़्दीबीघा मालगुज़ारीरुपया

भावलीबीघा ;मन ;या रुपया

{ जलकर रुपया
{ बनकर रुपया
{ फलकर रुपया

सरकारीसीस { रोड़सीस रुपया
{ सरकारी इमारतसीस रुपया

५—ज़मींदार या इख़्तियार पायेहुये एजण्ट का दस्तख़त ॥

रसीद का नमूना

जोत की तफ़सील (असामी का हिस्सा) ॥

१—रसीद का सिलसिलेवार नम्बर

२—मुहाल ;गांव ;थाना

३—असामीकानाम का बेटा

४—तफ़सीलजोत

नक़्दीबीघा मालगुज़ारीरुपया

भावलीबीघा ;मन ;या रुपया

{ जलकर रुपया
{ बनकर रुपया
{ फलकर रुपया

सरकारीसीस { रोड़सीस रुपया
{ सरकारी इमारतसीस रुपया

५—जमींदार या इख़्तियार पायेहुये एजंट का दस्तख़त ॥

दफ़ा ५५ बंगालाकी ज़मीन रखनेके आईन सन् १८८५ ई० में आगे लिखीहुई शर्त है:—

(१) जब कोई असामी मालगुज़ारी के लिये कुछ रुपया अदाकरता है, तो वह बरस या बरस और किस्त बतासकता है, जिसमें वह इसरुपया को जमा करना चाहता है, और वह अदाकियाहुआ रुपया उसीतरहसे जमाकिया जायगा ॥

(२) जो वह ऐसा न करे तो अदाकियाहुआ रुपया ऐसे बरस और किस्में जमाकियाजायगा जैसा ज़मींदार मुनासिब समझै ॥

शिड्यूल २ ॥

रसीद और हिसाब का नक्शा या नमूना ॥

अदाकरने की तफ़सील (असामी का हिस्सा) ॥

अदा करने की तारीख़ और उस आदमीकानाम जिसकी मारफ़त अदा किया गया ॥	नक़दी		भावली		जलकर वग़ैरह		सीघ		ज़मींदार या उसके तरफ़ से इख़्तियार पायेहुये एजण्ट का दस्तख़त ॥
	हाल बाबत क़िस्त	बाक़ी बाबत सन् क़िस्त	हाल बाबत फ़सल	बाक़ी बाबत सन् फ़सल	हाल बाबत क़िस्त	बाक़ी बाबत सन् क़िस्त	हाल बाबत क़िस्त	बाक़ी बाबत सन् क़िस्त	

अदाकरने की तफ़सील (ज़मींदार का हिस्सा) ॥

अदाकरने की तारीख़ और उस आदमी का नाम जिसकी मारफ़त अदा कियागया ॥	नक़दी		भावली		जलकर वग़ैरह		सीघ	
	हाल बाबत क़िस्त	बाक़ी बाबत सन् क़िस्त	हाल बाबत फ़सल	बाक़ी बाबत सन् फ़सल	हाल बाबत क़िस्त	बाक़ी बाबत सन् क़िस्त	हाल बाबत क़िस्त	बाक़ी बाबत सन् क़िस्त

रसीद और हिसाब के नक़्शा ॥

हिसाब का नमूना ॥

१—सन्

२—असामी का नाम

३—जोतकीतफ़सीलें (रक़बा, मालगुज़ारी वग़ैरह)

	बीघा	दर	रुपया	आना	पाई
नक़दी					

	बीघा	मन	रुपया	आना	पाई
सरकारीसीस					
भावली					
जलकर					
बनकर					
फलकर		मन	रुपया	आना	पाई

४—बरस का मुतालिबा

५—पहिलेबरसोंकी बाक़ी (बक़ाया) — रुपया आना पाई

६—कुलमुतालिबा (हालऔरबाक़ी)

७—अदाकीहुई बाबत हरमुतालिबा { मुतालिबा हाल / मुतालिबाबाक़ी } मन

८—जिसमें अदाकियागया — रुपया आना पाई

९—बाक़ी जो सालके ख़तमहोनेपर पड़ी

१०—ज़मींदार या इख़्तियार पायेहुये एजंट का दस्तख़त

हिसाब का नमूना ॥

१—सन्

२—असामी का नाम

३—जोतकीतफ़सीलें—(रक़बा, मालगुज़ारी वग़ैरह)

	बीघा	दर	रुपया	आना	पाई
नक़दी					

	बीघा	मन	रुपया	आना	पाई
सरकारीसीस					
भावली					
जलकर					
बनकर					
फलकर		मन	रुपया	आना	पाई

४—बरसकामुतालिबा.

५—पहिलेबरसोंकी बाक़ी (बक़ाया) — रुपया आना पाई

६—कुलमुतालिबा (हाल और बाक़ी)

७—अदाकीहुई बाबत हरमुतालिबा { मुतालिबा हाल / मुतालिबाबाक़ी } मन

८—जिसमें अदाकियागया — रुपया आना पाई

९—बाक़ी जो सालके ख़तम होनेपर पड़ी

१०—ज़मींदार या इख़्तियार पायेहुये एजंट का दस्तख़त

शिड्यूल ३ ॥

तमादी ॥

(देखो दफ़ा १८४) ॥

पहिला हिस्सा—नालिश ॥

नालिश की क़िस्म ॥	तमादी की मीआद ॥	वह वक्त जिससे मीआद शुरू होती है ॥
१—किसी दर्मियानी हक़दार या रअय्यतको कोशिश ऐसी शर्तके तोड़नेके सबबबेदख़लकरनेके लिये जिसकी निस्बत क़ौल व क़रार में साफ़ लिखाहुआहै कि ऐसी शर्त्त तोड़नेकी सज़ा बेदख़ली होगी ॥	१ बरस	शर्त्ततोड़नेकी तारीख़से ॥
२—बाक़ीमालगुज़ारी वसूलकरने के लिये ॥		
(अलिफ़) जबकिदफ़ा६१की रूसे उसीजोत की मालगुज़ारीके लिये रुपयाअमानतरखनेकेपहिले बाक़ी मालगुज़ारीअदाहोनेलायक़हुई ॥	६महीने	मालगुज़ारी का रुपयाअमानत रखनेकी इत्तिलाकी तामीलहोने की तारीख़ से ॥
(बे) और हालतों में ॥	३ बरस	उस बंगालीबरस केपिछले दिनसे जिसमें बाक़ीमालगुज़ारीअदाहोने लायक़हुईजहां कि वहबरसजारी है, और उसअमलीयाफ़सलीसाल केजेठमहीनेके अख़ीरदिनसेजिस मेंमालगुज़ारीबाक़ी पड़ी,जहां कि उनदोनोंबरसोंमेंसे कोईजारीहै ॥
३—उस ज़मीन की दख़लयाबी के लिये जिसपर मुद्दईने दख़ली कारर अय्यतकेतौरसे दावाकियाहै	२ बरस	बेदख़ली की तारीख़से ॥

हिस्सा २ ॥

अपील ॥

अपील की क़िस्म ॥	तमादी की मीआद ॥	वह वक्त जब से मीआद शुरू होती है ॥
इस ऐक्ट के मुताबिक़ दियेहुये किसी डिकरी या हुक्मसे नाराज़ी का अपीलज़िलाजज या ख़ासजज की अदालत में ॥	३० दिन	उस डिकरी या हुक्मकी तारीख़ से जिससे नाराज़ी का अपील किया गयाहो ॥
इसऐक्टकी रूसे बालकुनिदेहुये हुक्मका अपील कमिश्नर केपास ॥	३० दिन	उस हुक्मकी तारीख़से जिसका अपील किया जाता ॥

हिस्सा ३ ॥

दरख़्वास्त ॥

दरख़्वास्त की क़िस्म ॥	तमादी की मीआद ॥	वह वक्त जब से मीआद शुरू होती है ॥
उस डिकरी याहुक्मके इजराय केलिये जोइस ऐक्ट के मुताबिक़ या इसऐक्ट से रद कियेहुयेकिसी और ऐक्टकी रूसे दिया गया हो और वह डिकरी पांचसौ रुपये से ज़ियादह तादाद कीनहोऐसे सूदको छोड़कर किडिकरीकेपीछे डिकरी दिये हुई रुपयापर चढ़ाहो पर इजराय डिकरीका ख़र्चा लेकर; लेकिन उस हालतकोछोड़ कर कि जब मदयूनने फरेब या ज़बरदस्ती से इजराय डिकरी को रोकाहे, जिस हालतमें इंडियन लेमीटेशन ऐक्ट सन् १८७७ ई० कीरूसे तमादीआयद होगी	३बरस	१—डिकरी या हुक्मकी तारीख़ से,—या २—अगर अपील हुआहैतो,अदालत अपीलकी अख़ीर डिकरी या हुक्म की तारीख़से,—या ३—अगर फ़ैसला कीनज़रसानी हुईहोतो, नज़रसानी परजो फ़ैसलादिया जाय उसकीतारीख़से॥

आर, जे, क्रास्थ्यट

क़ायम मुक़ाम सिकत्तर सरकार हिन्द ॥

Reg. No. 10896J—300—19-12-85.

क़ानून इन्कमटैक्स

ऐक्टनम्बर २ मुसद्दिरह सन् १८८६ ई०

बमुराद लगाय टिक्सके उस आमदनीपर जो
ज़राअत छोड़कर और अबवाबसे हासिलहो

मुसद्दिरह जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर हिन्द
बइजलास कौंसल जो २६ जनवरी सन् १८८६ई०
को जनाब मुहतमिम इलेह की पेशगाह से
मंज़ूरहुआ अब बइज़ाफ़ह उन क़वायद
व अहकामात के जो बाद सुदूर
ऐक्ट के नव्वाब लेफ्टनेण्ट
गवर्नर बहादुरके हुज़ूर
से नाफ़िज़ हुये

वाक़फ़ियत आमके लिये

पहिलीबार

लखनऊ

मुंशी नवलकिशोरके छापेख़ाने में छपा

मई सन् १८८६ ई०

क़ानून इन्कमटिक्स ॥

ऐक्ट नम्बर २ मुसह्हिरह सन्

१८८६ ई०

—※—

ऐक्ट बमुराद लगानी टिकस के उस आमदनी पर जो ज़राअ़त छोड़कर और अबवाब से हासिल हो ॥

मज़ामीन मुंदर्जा ऐक्ट हाज़ा

फ़सल—१

मज़ामीन इब्तिदाई

दफ़आत

१—हद्द वसीअ़त पिज़ीरी और शुरू निफ़ाज़ ॥
२—तन्सीख़ ॥
३—तारीफ़ात ॥

फ़सल—२

टिकस का वाजिब होना

४—वह सब आमदनी जिनपर टिकस वाजिब है ॥
५—मुस्तस्नियात ॥
६—टिकस से बरी करने का अख़्तियार ॥

फ़सल—३

तश्ख़ीस और तहसील ॥

(अलिफ़) तन्ख़्वाहेन और पिन्शन ॥

दफ़आत

७—अदाका तरीक़ा सर्कारी अहलकारों और पिन्शनख़्वा की सूरत में ॥

८—अदाका तरीक़ा हुक्काम मुक़ामी के मुलाज़िमों औ पिन्शन ख़्वारोंकी सूरत में ॥

९—अदाका तरीक़ा कम्पनियों और ग़ैर सर्कार आक़ा के मुलाज़िमों और पिन्शनख़्वारों की सूरत में ॥

१०—कम्पनी या जमाअ़त के सरग़ना अहलकार की त से सालाना रीटर्न यानी नक़्शा ॥

(बे) कम्पनियों की मुनाफ़ा ॥

११—मुनाफ़ा ख़ालिस की सालाना कैफ़ियत ॥

१२—कम्पनियों के अहलकारों को पेशी हिसाब के लि हुक्म करने का अख़्तियार ॥

(जीम) किफ़ाला नाम जात के ज़रसूद ॥

१३—किफ़ाला नाम जात के ज़र सूदपर टिक्स अदा कर का तरीक़ह ॥

(दाल) आमदनी के और और अस्बाब ॥

तशख़ीस और तहसील का मामूली तरीक़ह ॥

१४—कलक्टर उन लोगों को ठहरा देगा जिनसे टिक वाजिबुल् तलब होगा ॥

१५—तगख़ीत करने का तरीक़ह ॥

१६—दो हज़ार रुपये से कम आमदनियों की फ़ेह्रिस्त

१७—इत्तिलाअ उन अशख़ास को जिनकी आमदनी दो हज़ार रुपये और उससे ज़्यादह हो ॥

१८—ख़ास सूरतों में मामूली ज़ाबिता कार्रवाई के असलाह करने का अख़्तियार ॥

१९—अदाका वक़्त और मुक़ाम ॥

ऐनवन और कारिन्दों और मुहतिममों और नाक़ाबिल शख़्सोंकीनिस्बत अहकाम ॥

दफ़्आत

२०—नाक़ाबिल शख़्सों के ऐनवन और मुहाफ़िज़ों और कुमेटियों पर टिकस ॥

२१—अशख़ास ग़ैर साकिनपर टिकस उनके कारिन्दों के नामसे ॥

२२—रीसीवर और मुहतमिम और कोर्ट आफ़ वआर्डस और अडमिन्स्ट्रीटर जनरल और अफ़शियल ट्रस्टी ॥

२३—उन टिकसों के रख लेनेका अख़्तियार जो अमीन वग़ैरह से वाजिबुत्तलबहों ॥

मालकानक़ाविज़ ॥

२४—मालकानक़ाविज़ पर टिकस लगाने का हुकुम ॥

फ़स्ल—४

तश्ख़ीस टिकस की नज़रसानी ॥

२५—दिफ़अह (४) की रूसे तश्ख़ीस टिकस की नाराज़ीसे कलक्टर के पास अर्ज़ी ॥

२६—अर्ज़ी की समाअत ॥

२७—वास्ते नज़रसानी के कमिश्नर के पास अर्ज़ी ॥

२८—गवाह वग़ैरह की तलबी का अख़्तियार ॥

फ़स्ल—५

टिकस के बक़ाया का वसूल करना ॥

२९—टिकस कब वाजिबुलअदा होगा ॥

३०—वसूल का तरीक़ह और वक़्त ॥

फ़स्ल—६

मुन्तज़र अदा अहकाम बन्दोबस्त ॥

३१—अक़ारात वास्ते बन्दोबस्त के ॥

मुतफ़र्रिक़ात

रसीद

३२—रसीद और उनके मज़ामीन ॥

तशख़ीस टिकस की तरमीम ॥

३३—तशख़ीस टिकस की तरमीम ॥

ताज़ीरात ॥

३४—अदा करने या रीटर्न या कैफ़ियतके हेवाला करने में क़ुसूर ॥

३५—इज़हार में झूटा बयान ॥

३६—कलक्टर की तहरीक से नालिश होगी ॥

३७—मजमूये क़वानीन ताज़ीरात की दफ़ात १८३ व २२८ कार्रवाइयों से मुतअल्लिक़ होंगी ॥

क़वाइद वज़ा करने का अख़्तियार ॥

३८—क़वाइद वज़ा करने का अख़्तियार ॥

मुतफ़र्रिक़ात

३९—दीवानी अदालत में नालिशों की ममानियत ॥

ऐक्ट बमुराद लगानी टिकटके उस आमदनीपर जो ज़राअ़त छोड़कर और अबवाब से हासिल हो ॥

चूंकि उस आमदनी पर जो ज़राअ़त छोड़कर और अबवाब

से हासिल हो टिक्स लगाना क़रीन मसलहत है—इसलिये इस ऐक्ट की रूसे हस्वज़ैल अहकाम सादिर हुये ॥

फ़सल—(१)

मज़ामीनइब्तिदाई

दफ़ा१—(१) यह ऐक्ट तमाम ब्रिटिश इण्डिया में

हदवसअ़त पिज़ीरी और शुरूअ़ निफ़ाज़

वसाअ़त पिज़ीर है—और उन वालियान मुल्क और रियासतहाय बाक़ी हिन्दके क़लमरौ के अन्दर जो जनाब मलका मुअ़ज़्ज़मा के साथ राब्तिहइत्तिलाफ़ व इत्तिहाद रखते या रखती हों उन रिआ़-याय बरतानी से भी तअ़ल्लुक़ रखता है जो उन क़लमरवों के अन्दर गवर्नमेण्ट हिन्द या किसी ऐसे हाकिम मुक़ामी की मुलाज़िमतमें हों जो उनबारे में जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल वहादुर बइजलास कौंसल के लाये हुये अख़्तियारात की रूसे मुक़र्रर हुआ हो--और ॥

(२) यह ऐक्ट सन् १८८६ ई० के माह एप्रिल की पहिली तारीख़ से नाफ़िज़ुल् अ़मल होगा ॥

(३) हर अख़्तियार जो क़वायद वज़ा करने या एहकाम सादिर करनेके लिये इस ऐक्ट की रूसे बख़्शा गया है वह इस ऐक्ट की इजरा के बाद हर वक़् अ़मल में आसक्ता है—मगर हस्ब मज़्कूरह वाला जो क़ायदह कि वज़ा किया जाय या जो हुकुम कि सादिर किया जाय वह असर पिज़ीर न होगा जब तक कि ऐक्ट हाज़ा नाफ़िज़ुल् अ़मल न होय ॥

दफ़ा २—उस तारीख़ को और उस तारीख़ से कि जब

तनसीख़

और जब से यह ऐक्ट नाफ़िज़ुल अ़मल होगा वह सब अहकाम क़वानीन जो इस ऐक्ट के पहले ज़मीमामें

मुसर्रह हैं मंसूख़ हो जायेंगे—बइस्तस्ना उस ज़रफ़ीस और उन मुत्रानाज़र के जो उन अहकाम क़वानीनकी रूसे वाजिबुल् अदा और याफ़्तनी हों और उस तरीक़ह के जो उनके वसूल करने के लिये हो ॥

दफ़ा ३—इस ऐक्ट में—तावक़्ते कि मज़मून या सियाक़ इबारत में कोई अमर नक़ीज़ न हो ॥

तारीफ़ात

(१)—हाकिम मुक़ामी—से हर म्युनिसिपिल कुमेटी या डिस्टिक्ट बोर्ड या साहबान पोर्ट कमिश्नर की जमाअत या और हाकिम जो किसी म्युनिसिपिल या लोकलफिंडकी दीदह-बानी या एहतिमाम का क़ाननन् मुस्तहक़ हो या जो उसकी दीदहबानी या एहतिमामकेलिये अज़तर्फ़ गवर्नमेण्ट मुतअय्यन हुआ हो—मुराद है ॥

(२)—"कम्पनी" से ब्रिटिशइंडिया के अन्दर कोई ऐसी कारोबार करने वाली जमाअत मुराद है जिसका रासउल्माल या सरमाया हिस्सों पर मुन्क़सिम और क़ाबिल इन्तिक़ाल है आम इससे कि वह कम्पनी जमाअत मुत्तहिदह हो या न हो और आम इससे कि उसका असल मुक़ाम कारोबार ब्रिटिश-इंडिया के अन्दर वाक़ै हो या न हो ॥

(३)—लफ़्ज़—मुक़र्रर—से जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसलका मुक़र्ररकियाहुआ बज़रिये इश्तिहार मुन्तबागज़ट आफ़ इंडियाके--या मुक़र्रर कियाहुआ जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसल या लोकल गवर्नमेण्ट का बज़रिये क़वायद मौज़ूअातहत ऐक्ट हाज़ा—मुराद है ॥

(४)—तनख़्वाह---मैंज़रमवाजिब या ज़र फ़ीस या ज़र कमीशन या ज़रयाफ़्त या ज़र नफ़ा जो मुक़र्ररी तनख़्वाहके एवज़ या उसके अलावह किसी नफ़ा बेज़ ओहदा या नौकरी की

बाबत मिले--दाख़िल है मगर उसमें बपाबन्दी किसी ऐसे क़वायद के जो इस बारे में मुक़र्ररहों सफ़र ख़र्च या क़ीमहख़र्च या घोड़के ख़र्च या मेहमानी ख़र्च के मुतअ़ल्लिक़ ज़रमवाजिब या कोई और ज़र मवाजिब जो ख़ास इख़राजात के इन्सराम के लिये दिया जाय शामिल नहीं है ॥

(५)—आमदनी—से वह आमदनी और मुनाफ़ा मुराद हैं जो ब्रिटिशइण्डिया के अन्दर नाशो या हासिलहों—औरकिसी ऐसे वाली मुल्क या रियासत वाक़े हिन्दके क़लमरवके अन्दर जो जनाब मलका मुअ़ज़्ज़मा से शबितईतलाक़ व इत्तिहाद रखता या रखती हो किसी रअ़य्यत बरतानी की सूरतमें लफ़्ज मज़कूरमें हर तन्ख़्वाह या वज़ीफ़ा सालाना या ज़र पिन्शन या बख़्शिस जो गवर्नमेण्ट या किसी ऐसे हाकिम मुक़ामीकी तर्फ़ से जो उस बारे में जनाब नव्वाब गवर्नरजनरलबहादुर बइजलास कौंसल के अमलमें लाये हुये अख़्तियारात की रूसे मुक़र्रर हुआहो—उस रअ़य्यत का मिलनेवाली हो—शामिल है ॥

(६)—मजिस्ट्रेट—से प्रेज़ीडंसी मजिस्ट्रेट या दर्जाअव्वल या दर्जा दोम का मजिस्ट्रेट मुरादहै ॥

(७)—लफ़्ज़“शख़्स”में कोठी तिजारत और ग़ैर मुन्क़सिम ख़ानदान हिन्दू शामिलहै ॥

(८)—लफ़्ज़ “नादिहन्दह”में वह कम्पनी या कोठीतिजारत शामिलहै जो इस ऐक्टकी रूसे नादिहन्दहहो ॥

(९)--लफ़्ज़ कलक्टर से वह आला ओहदादार मुराद है जो ज़िलाके सीग़ा इन्तिज़ाम मालका मुतअ़ह्हदहो---और प्रेज़ीडंसी शहरमें कोई ऐसा ओहदादार मुराद है जिसको लोकल गवर्नमेण्ट बज़रिये इश्तिहार मुश्तहरह गज़ट सर्कारीके ख़्वाह नाम ज़द करके या उसके मंसबकी हैसियत से इस ऐक्ट की ग़र्ज़ों के लिये कलक्टर मुक़र्रर करे---और कम्पनी या कोठी तिजारत की सूरत में उस से वह कलक्टर मुराद है जिसको

तारीफ़ यहांकीजातीहै--यानी उस ज़िला या प्रेज़ीडंसी शहरका कलक्टर जहां ब्रिटिशइण्डिया के अन्दर उसका असल मुक़ाम कारोबार वाक़ै हो--और किसी और शख्स की सूरतमें जिससे हस्ब ऐक्टहाज़ा टिक्स वाजिबुलतलब है उससे वह कलक्टर मुराद है जिसकी तारीफ़ ऊपर कीगई—यानी उस ज़िला या प्रेज़ीडंसी शहरका कलक्टर जहां वह शख्स सकूनतरखताहो ॥

(१०)—सग़ना अहलकार—के अल्फ़ाज़ से जो बइलाक़ा किसी हाकिम मुक़ामी या कम्पनी या किसी और गिरोह आम या जमाअत के ग़ैर हाकिम मुक़ामी या कम्पनी के मुस्तअमिल हों ॥

(अलिफ़)—सिकटरी या खज़ांची या मुहतमिम या कारिंदह उसहाकिम या कम्पनी या गिरोह या जमाअतका मुरादहै या—

(बे)उस हाकिम या कम्पनी या गिरोह या जमाअत से तअल्लुक़ रखनेवाला कोई ऐसा शख्स मुराद है जिसको कलक्टर ने अपने इस इरादे की इत्तिलाअ पहुंचाई हो कि उसके साथ वह उस हाकिम या कम्पनी या गिरोह या जमाअतके सग़ना अहलकारके तौरपर बर्ताव करना चाहता है ॥

(११)हिस्सह—की लफ्ज़ से ज़मीमह दोम मुंसलिकह ऐक्ट हाज़ा का हिस्सह मुराद है ॥

फसल-२

टिक्स का वाजिब होना ॥

दफ़ा ४—बतबिअय्यत उन मुस्तस्नात के जो उसके बादही के दफ़ा में मुन्दर्ज हैं उससाल जिस की इब्तिदा यकुम अप्रैल सन् १८८६ ई० से होती है और हरसाल माबाद में गवर्नमेण्ट हिन्दकी मद्दज़मा में या जैसी जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसल हिदायत फ़र्मायें उनअबवाब आम-

वह सब आमदनी जिनपर टिकट वाजिब

दनीकी निस्वत जिनकी तसरीह इस ऐक्टके ज़मीमह दोयम के ख़ाना अव्वल में की गई है उस तरह के मुताबिक़ एक टिक्स अदाकरना पड़ेगा जो उस बारे में ज़मीमह मज़कूर के ख़ाना दोमसें मुसर्रह है ॥

दफ़ा ५—(१)दफ़ा ४-के किसी मज़मून से टिक्स वाजिब नहीं होगा ॥

मुस्तस्नियात ॥

(अलिफ़) किसी ऐसे ज़र लगान या ज़र माल गुज़ारी पर जो उस अराज़ी से हासिल हो जो ज़राअत के कामों के लिये इस्तेमालमें आतीहै—या जिस पर या तो मालगुज़ारी अराज़ी मख़्सूस हुईहै या जो किसी ऐसीतरह मुक़ामीकी मुस्तौजिब हैजो सर्कारी अहलकारों के ज़रिया से मुख़्सूस हो तहसील होती हो——या ॥

(बे)—किसी ऐसी आमदनी पर जो——

(१)—ज़राअत से हासिल हो——या ॥

(२)—काश्तकार या जिन्स में लगान पाने वाले की तर्फ़ से किसी ऐसे तरीक़हके अमल में आने से हासिल हो जिसको काश्तकार या जिन्स में लगान्पानेवाला उस पैदावार को जो वहतय्यार करता या पाताहै बाज़ारमें लेजाने के लायक़ करने के लिये मामूलन् काम में लाता हो—या ॥

(३)—काश्तकार या जिन्स में लगान पानेवाले की तर्फ़ से उसपैदावार के फ़रोख़्त होनेसे हासिलहो जो वह तय्यार करता या पाता है--जबकि वह उस पैदावार के बेचनेके लिये कोई दूकान या फ़रोख़्तगाह न रखता हो——या ॥

(जीम) किसी ऐसी इमारतपर जो किसी ऐसी अराज़ीके लगान---या मालगुज़ारीपानेवालेकीमुल्क या क़ब्ज़ मेंहो जिस-काज़िक्र ज़िम्न(अलिफ़)में कियागया——है या किसी ऐसी अ-राज़ीके काश्तकार या जिन्समें लगान पाने वाले की मुल्क या

क़ब्ज़े में हो जिसकी निस्बत या जिसके पैदावार की निस्बत कोई कार मुसर्रहा ज़िम्न (बे)अमलमें आता हो'

मगरशर्तयह है — कि वह इमारत उस अराज़ीपर या उसके यकसरक़ुर्बमें वाक़िहो — या ऐसी एक इमारतहो जो लगान या मालगुज़ारी पानेवालेको या काश्तकार या जिन्समें लगानपाने वालेको — बवजे उसके तअल्लुक़साथ उसअराज़ी केबतौरमकान सकूनत या खिरमनख़ाना या कारखाना या और गूदाम के दर्कारहो — या ॥

(दाल) — किसी ऐसी कम्पनी जहाज़के मुनाफ़ापर जोब्रिटिशइंडिया के बाहर जमाअत मुतहदह या रजिस्ट्रीशुदह हो और जिसका असल मुक़ामकारोबार हिन्दोस्तानके बाहरहो और जिसके जहाज़ात बहूरहिन्दके बाहर समुद्रपर आमदरफ्त तिजारतीमें मामूलन् मसग़ूल रहते हों — या ॥

(हे) — किसी ऐसी आमदनीपर जो उसजायदादसे हासिल होतीहो जो सिर्फ़ अमूर मज़हबी या अमूर ख़ैरात व मुबरात आमके लिये काममें आतीहो — या ॥

(वाव) — किसीऐसी आमदनीपर जिससेकोई शख़्सकिसी कम्पनी या कोठी तिजारतयाखान्दान ग़ैर मुन्क़सिम हिनूदका एकरुकिन होनेकी हैसियतसे मुतमत्ता होनाहो जबकिवहकम्पनी या कोठी तिजारत याख़ान्दान टिक्स का मुस्तौजिबहो — या

(ज़) — ब पाबन्दी किसी ऐसे शरूत व क़यूदके जो इसबारे में मुक़र्ररहों उस आमदनी के — बवजे जिस के इस इस्तसना के न होनेकी तक़दीरमें किसी शख़्सके इसऐक्टकी रूसे टिक्स वाजिबुल्तलब होता — उसक़दर जुज़्वपर जो उसके छठेहिस्से से ज़ियादह नहो और उसशख़्स को तनख़्वाहसे हस्बुल् हुक्म गवर्नमेण्ट या बइज़ाजत गवर्नमेण्ट उसके लिये एक सालाना वज़ीफ़ा मवज्जिल या उसकी वफ़ातकेबाद उसकी ज़ौजा और औलादके लिये वजह गुज़रान की सूरत ठहरादेने की ग़रज़से

वज़ा करलिया जाय या जोशख्स मज़कूर किसी कम्पनी वुमियाको वुमिया या सालाना वज़ीफ़ा मूजलकी वावत जोउसकी अपनी ज़िन्दगी या उसकी ज़ौजा की ज़िन्दगी पर मशरूत हो देवे—या ॥

(हे)—किसी ज़रसूद पर जो इस्टाकनोटकीवावतहो—या

(तो)—जनाव मलका मुअज़्ज़मा की अफ़वाज या जनाव मलकामुअज़्ज़मा की अफ़वाज हिन्दी के किसी ऐसे ओहदेदार वारंट या अफिसर या ग़ैर सनदयाफ़ता ओहदेदार या सिपाही की तनख्वाह पर जो किसी ऐसे ओहदे से नहो कि जिस पर मामूली दस्तूर के मवाफ़िक़ कभी अशखास मिलेटरी और कमीसीवीलियन या सूर होते हों और जिसकीतनख्वाह माहाना ५००) रुपयेसे ज़ियादह नहो—या

(ये)—किसी ऐसे शख्स पर जिसकी आमदनी जुम्ला अववावसे सालाना ५००) रूपयेसे कम हो ॥

(२)—कोई ओहदेदार या मुलाज़िम टिक्स मुक़र्रह ऐक्टहाज़ासे सिर्फ़ इसवजह करके वरी नहीं होसक्ताहै कि उसके आक़ा की आमदनी टिक्स मज़कूर से इस दफ़ाके बमूजिब वरी है ॥

टिक्ससेबरीकर नेकाअख्तियार

दफ़ा ६—जनाव नव्वाव गवर्नरजनरल वहादुर वइजलास कौंसल को अख्तियार होगा कि वज़रिये इश्तिहार मुश्तहिरहगज़ट आफ़इंडियाके किसी ऐसे तबक़ा या क़ौम की या किसी ऐसे अशख़ास की आमदनीको जो किसी मख़सूस इलाक़ामें रहते हों कुल्लन् या जुज़नवरी करें—और फ़िर उसीतरहके इश्तिहारके ज़रियासे उस विरायतको मंसूख करदें ॥

———※———

फ़सल—३

तसख़ीस और तहसील अलिफ़—

तनख़्वाहें और पिन्शन

दफ़ा ७—किसी ऐसे शख़्स की सूरत में जो गवर्नमेण्ट से तनख़्वाह या सालाना वज़ीफ़ा या पिन्शन या बख़्शिश पाता हो उस मुबलिग़ ज़रसे जो उसको तनख़्वाह या सालाना वज़ीफ़ा या पिन्शन या बख़्शिशके बाबत गवर्नमेण्टसे मिलनेवाला हो ज़र टिक्स की बाबत उस क़दर कम होजायेगा जिस क़दर का वह उस तनख़्वाह वग़ैरह की बाबत हिस्सह (१) की रूसे मुस्तौजिबहै॥

अदाका तरीक़ह सर्कारी अहलकारों और पिन्शनख़्वारों की सूरतमें

दफ़ा ८—(१) किसी ऐसे शख़्सकी सूरतमें जो किसी हाकिम मुक़ामीसे तनख़्वाह या सालाना वज़ीफ़ा या पिन्शन या बख़्शिश पाताहो वह ओहदेदार जिसका काम रुपये देनेका है उसे तनख़्वाह या सालाना वज़ीफ़ा या पिन्शन या बख़्शिश देते वक़्त उस ज़र टिक्स को जिसकावह हिस्सह (१) की रूसे मुस्तौजिब हो तनख़्वाह वग़ैरह मज़कूर से वज़ा करलेगा--और वक़्त मुक़र्ररह के अंदर वही ओहदेदार उसको गवर्नमेण्ट हिन्द की मद जमा में दाख़िल करेगा—या उस तरहपर अमल करेगा जैसी जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसल हिदायत फ़रमायें॥

अदाका तरीक़ह काम मुक़ामी के मुलाज़िमों और पिन्शन ख़्वारों की सूरतमें

२--अगरवह ओहदेदार टिक्स मज़कूरको दफ़ा मातहती(१)के हुक्मके बमौजिब वज़ा करके दाख़िलनकरे तो वह उस टिक्स की बाबत खुद देनदार मुतसव्वर होगा और किसी और नालिशमें भी जो उसपर आयदहो खलल वाक़े नहीं होगा॥

(३) अगर रुपये देतेवक़ ज़रटिक्स किसी बाबतसे वज़ा नकरलिया जाय तो यह होसक्ताहै बल्कि कलक्टरके हुक्मकरने से लाज़िम होगा कि वह बाद उसके जब कोई तनख़्वाह या सालाना वज़ीफ़ा या पिन्शन या बख़्शिश या शख़्स मुस्तौजिब टिक्स मज़कूर को दीजाय उससे वज़ा कर लियाजाय ॥

(४)इस दफ़ा की रूसे वज़ा करनेका अख़्तियार जो दिया जाताहै उससे वसूल करने के किसी और तरीक़ेमें ख़लल वाक़ै नहीं होगा ॥

दफ़ा ९(१) वह टिक्स जिसका कोई ऐसा शख़्स हिस्सह(१)कीरूसे मुस्तौजिब हो जो कोई तनख़्वाह या सालाना वज़ीफ़ा या पिन्शन या बख़्शिश किसी कम्पनी से या किसी और आम गिरोह या जमाअ़त से जो हाकिम मुक़ामी या कम्पनी न हो या किसी ग़ैर सर्कार आक़ा से पाताहो शख़्स मज़कूर को उस वक़ देना पड़ेगा कि जब उस तनख़्वाह या सालाना वज़ीफ़ा या पिन्शन या बख़्शिश का कोई जुज़्व उसे मिलताहो ॥

अदाका तरीक़ह कम्पनियों और ग़ैरसर्कार आक़ाओंकि मुलाज़िमों और पिन्शन ख़्वारोंकी सूरतमें

२---कलक्टर को अख़्तियारहोगा कि उनशरायतको मलहूज़ रखकर जो मुक़र्रर हों किसी कम्पनी या किसी गिरोह याजमाअ़त मज़कूर उलसदर या किसी आक़ाय ग़ैर सर्कार के साथ इस अमरके लिये बन्दोबस्त करे--कि वह कम्पनी या गिरोहया जमाअ़त या आक़ा गवर्नमेण्ट की जानिब से वह टिक्स वसूल करे जो उस कम्पनी या गिरोह या जमाअ़त या आक़ासे तनख़्वाह या सालाना वज़ीफ़ा या पिन्शन या बख़्शिश पाने वाले शख़्स पर हिस्सह (१)की रूसे वाजिबहै ॥

दफ़ा १०—मसग़ता अहलकारको हरएक हाकिममुक़ामी और हर एक कम्पनी के और हरएक दीगर गिरोहआम या जमाअतके जो हाकिम मुक़ामी या कम्पनी नहो लाज़िमहोगा कि नमूनामुक़र्रहके बमूजिब एकतहरीरी रीटर्न यानी नक़्शा तय्यार करके हर सालपन्द्रहवीं अप्रैल को या उससे पेश्तर कलक्टरके हवालेकरे या हवाले कराये जिससेअमूर ज़ैल वाज़े हों——

कम्पनी याजमाअत के सरगना अहलकार की तरफसे सालाना रीटर्न यानी नक़शा

(अलिफ)--हर एक शख्सका नाम जो उस हाकिम या कम्पनी या गिरोह या जमाअतसे यानी जैसी सूरत हो रीटर्न मज़कूरकी तारीखको कोईतनख्वाह या सालानावज़ीफ़ा या पिन्शन पाताहो या जैसी उस साल के दर्मियान जिसका इख्तिताम तारीख मज़कूर को हुआहो हाकिम वग़ैरह मज़कूर से कोई बख्शिश पाई हो और वैसी हर एक शख्सका पता व निशान जहां तक कि उसका इल्महो और

(बे) उस तनख्वाह या सालाना वज़ीफ़ा या पिन्शन या बख्शिश की तादाद जो ऐसे हर एक शख्सको हस्ब मज़कूरह बाला मिली हो और वह वक़ जब कि तनख्वाह वग़ैरह मज़कूर वाजिबुल्अदा हो या बख्शिश की सूरत में जब कि वह दीजाय ॥

(बे) कम्पनियों के मुनाफ़ा

दफ़ा ११—ब्रिटिश इंडिया में हर एक कम्पनी के अहलकार को लाज़िमहोगा कि एक कैफ़ियत तहरीरी दस्तखती अपने उन मुनाफ़ा खालिस की जो ब्रिटिशइंडिया में उस कम्पनी को इससाल के दर्मियान हुये हों (जिसका इख्तिताम इसरोज़ हुआ हो कि

मुनाफ़ा ख़ालिस की सालाना कैफ़ियत

जिसरोज़ कम्पनी मज़कूरका अख़ीर हिसाब किताब मुरत्तिब हुआ--या अगर कम्पनी मज़कूर का हिसाब किताब इस साल के अन्दर जिसका इख़्तिताम उस सालकी इकतीसवीं मार्च को हो जो ऐन पहिले उस सालके गुज़रा हो कि जिसकी बाबत टिक्स मुशक्ख़स होने को है मुरत्तिब न हुआ हो तो कैफ़ियत उन मुनाफ़ा ख़ालिस की जो हस्ब मज़कूरह बाला उस सालकेअन्दर हुयेहों जिसका इख़्तिताम इकतीसवीं मार्च मज़कूर को हुआ हो—तय्यार करके हरसाल पंद्रहवीं अप्रैल को या उससे पहले कलक्टरके हवालेकरे या हवालेकराये॥

दफ़ा१२(१)—अगर कलक्टर इसबातके बावर करने की वजह रखताहो जोकि कैफ़ियत तहतदफ़ा११—हवाले हुईहै वह सहीह नहींहै या मुकम्मिल नहींहै तो उसको अख़्तियार होगा कि कम्पनी के सग़ना अहलकार पर एक इत्तिलाअनामह जारी कराये बिदीं हुक्म कि वह उसतारीख़ को या उसतारीख़ से पहिले जो इत्तिलाअनामह मज़कूरमें मुंदर्ज रहे कलक्टर के मुलाहिज़ह के लिये कम्पनी के उस हिसाब को जो उस कैफ़ियत से तअल्लुक़ रखनेवाले सालकी बाबत हो और जो इसके क़ब्ज़ा या अख़्तियार में रहै कलक्टर के दफ्तरख़ाने में हाज़िर होकर पेशकरे या पेशकराये॥

कंपनियोंकेअहलकारों को पेशी हिसाब के लिये हुक्म करने का अख़्तियार.

(२) उस रोज़ कि जो इत्तिलाअनामा में मुसर्रह रहे या उसके बाद जहां तक जल्द होसके कलक्टर को लाज़िम होगा कि बज़रिये हुक्म तहरीरी के उस मुबलिग़ ज़रको जो कम्पनीपर हस्ब हिस्सह (२) मुशक्ख़स होगा—और उस वक़्तको कि जब ज़र मज़कूर अदा किया जायेगा—ठहरादे—और बनवेअत अहकाम ऐक्ट हाज़ा वह मुबलिग़ज़र बमूजिब इसके वाजिबुल् अदाहोगा॥

(जीम)—किफ़ाला नाम जातके ज़रसूद

दफ़ा१३ —(१)—वहटिक्स कि जो हस्बहिस्सह३ —

किफ़ाला नाम जातके ज़रसूद पर टिक्सअदा करनेका तरीक़ह

उन किफ़ाल नाम जात में से जिनका ज़िक्र उस हिस्सह मेंहै किसीपरके सूदकी बाबत वाजिबुल अदा हो उस वक़्त कि जब और उस मुक़ाम में कि जहां उसका कोई सूद अदा कियाजाय सूद मज़्कूर से बज़रिये उस शख़्सके वज़ाकर लिया जायेगा जो उससूद के अदा करने का अख़्तियार रखता हो--और वह शख़्सटिक्स मज़्कूरको वक़्तमुक़र्ररहके अन्दरगवर्नमेंट हिन्दकी मदजमामें दाखिलकरेगा या इसतरहपरअमल करेगा जैसीजनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर व इजलास कौंसल हिदायत फ़र्मायें॥

(२) अगर वहशख़्सटिक्स मज़्कूरका दफ़ा मातहती(१) के हुकुम के बमोजिब वज़ा करके दाखिल न करे तो वह उस टिक्सकी बाबत खुददेनदार मुतसव्वरहोगा—और किसी और नितायज में भी जो उसपर आयदहों खलल वाक़े नहींहोगा॥

(वाव)—आमदनी के और और अबवाब तशख़ीस और तहसीलका मामूली तरीक़ह॥

दफ़ा१४ —कलक्टर वक़्तनफ़वक़्तन् यह ठहरादिया करेगा

कलक्टर उनलोगोंको ठहरावेगा जिनसे टिक्स वाजिबुल तलब होगा

कि किन किनशख़्सोंसे टिक्स तहत हिस्सह (४) वाजिबुलतलबहै--और इस मबलिग़ज़र को भी ठहरादियाकरेगा कि जो हरदेशी शख़्स ज़रमुतालिबापर मुस्तहक़ होगा॥

दफ़ा१५ —टिक्स की तशख़ीस उस आमदनी पर होगी

तशख़ीसकरनेका तरीक़ह

जो उसशख़्स को उस सालके दर्मियान हासिल हुई हो जिसका इख़्तिताम उसरोज़ हुआहो

कि जिस रोज़ उस शख़्स का आख़ीर हिसाब किताब मुरत्तिब हुआ — या अगर शख़्स मज़कूरका हिसाब किताब उस सालके अंदर जिसका इख़्तिताम एकतीसवीं मार्चकोहुआ और जो ऐन पहिले उस साल के गुज़रा हो कि जिसकीबाबत टिकस मुस्तहक़ होनेको है मुरत्तिब न हुआहो तो उस आमदनीपर होगी जो उससालके अंदर हुईहो जिसका इख़्तिताम इकतीसवीं मार्च मज़कूरको हुआ हो ॥

(२) किसी ऐसे शख़्सकी सूरतमें कि जिस से टिकस हस्ब हिस्सह ४ पहिली बार उससालके अंदर जिसकी बाबत टिकस मुस्तहक़ होनेको है या उस सालके अंदर जो ऐन माक़बल उसके गुज़रे वाजिबुत्तलब हो टिकस उसके औसत मिक़दार आमदनीके बमोजिब उस मुद्दत के लिये जो कलक्टर हालात पर निगाह करके हिदायतकरे मुस्तहक़ किया जायेगा ॥

दफ़ा १६—कलक्टर को लाज़िम होगा कि हर साल एक फ़ेहरिस्त उन अशख़ासकी जो हस्ब हिस्सह (४) ज़ेर मुतालिबा हों और जिनकी सालाना आमदनी उसकी रायमें २०००) रुपये से ज़ियादह न हो तय्यार करे ॥

दो हज़ार रुपये से कम आमदनि-यों की फ़ेहरिस्त

(२) फ़ेहरिस्त मज़कूर मुक़र्रर ज़बान या ज़बानोंमें होगी— और उसमें ऐसे हरएक शख़्सकी बाबत अमूरमरक़ूम ज़ैल का बयान रहेगा —यानी ॥

(अलिफ़) उस का नाम और इस आमदनी का या असबाब जिसकी बाबत उससे टिकस वाजिबुत्तलब है —और ॥

(बे) वह साल या जुज़्वसाल जिसकी बाबत वह टिकस अदा करना पड़ेगा —और ॥

(जीम)—वह मुक़ाम या मुक़ामात और वह ज़िला या अज़लाअ जहां वह आमदनी हुई —और ॥

(दाल)—वह मुबलिग़ ज़र जो अदाकरना पड़ेगा —और॥

(हे) वह मुक़ाम कि जहां और वह वक़्त कि जिसके पास मुबलिग़ मज़कूर अदा करना पड़ेगा ॥

(३)—फ़ेहरिस्तमज़कूर कलक्टरके दफ्तरख़ाने में दाख़िल कीजावेगी और उसके साथ एक इश्तिहार भी रहेगा जिसकी रूसे हरएक शख़्समुन्दर्जह फ़ेहरिस्तपर हुकुम होगा कितारीख़ मुसर्रह इश्तिहारसे ६० रोज़के अंदर ज़र वाजिबुलअदा मुतअल्लिक़ह फ़ेहरिस्तअदाकरे—या उसतारीख़से३० रोज़ के अंदर सबबीस ज़र मज़कूर के घटादेने या बातिल करने के लिये कलक्टर के पास दरख़्वास्त करे—

(४)—वह फ़ेहरिस्त जो हस्ब मज़कूरह बाला दाख़िल कीजाय जुम्ला औक़ात मुनासिब में बिला ख़र्चा मुआयना के लिये खुली रहेगी—

(५)वह फ़ेहरिस्त या उसका उस क़दर जुज़्व या अजज़ा जो कलक्टर मुनासिब समझे मये इश्तिहार मुलहक़ह के फिर उस तरीक़ा पर छिपकर मुश्तहर होगी जो लोकल गवर्नमेंयह जुम्ला अशख़ास या तअल्लुक़को मुत्तिलाअ़ करने के लिये मुनासिब समझे—

(६) होसक्ता है कि जो फ़ेहरिस्त कि हर साल तय्यार हुआ वह साल गुज़िश्ता की फ़ेहरिस्त हो साथउन तरमीमात के जिनकी कलक्टर ज़रूरत देखे—

दफ़ा१७ किसीऐसे शख़्सकी सूरतमें जिससे हस्बहिस्सह

इत्तिलाअ़ उन अशख़ासको जिनकी आमदनी २०००)रु०औरउससेज़्यादहहो

(२) टिकस वाजिबुल तलब है और जिस की सालाना आमदनी कलक्टर की रायमें२०००) रुपये या उससे ज़्यादहहो कलक्टरको लाज़िम होगा कि इसपर एक इत्तिलाअ़ नामा जारी कराये जिसमें दफ़ा १६ की दफ़ा मातहती (२) की ज़िम्न (अलिफ़) से ज़िम्न (हे) तकमें (बशमूल उनदोनों ज़िम्नों के)

जितने मरातिब मज़कूर हैं वह मुंदर्ज रहें और जिसमें यह हुक्म रहे कि शख्स मज़कूर या तो तारीख़ मुंद्रजी इत्तिलाअ़नामासे ६० रोज़के अंदर उस मुतालिबा ज़रको अदा करे जो उससे अदा होनेके लिये इसमें लिखा हुआहै या उस तारीख़ से ३० रोज़के अंदर तशख़ीस ज़र मज़कूर के घटादेने या बातिल करने के लिये कलक्टर के पास दर्ख़्वास्त करे॥

दफ़ा१८ (१) — बिलालिहाज़किसीमज़मूनकेजोदफ़ा१६ या दफ़ा १७ में मुंदर्ज रहे लोकल गवर्नमेंट फ़वायद मुतज़म्मिन अमूर ज़ैल वज़ा कर सक्तीहै यानी —

ख़ास सूरतों में मामूली कार्रवाईके अमलाह करने का अख़्तियार

(अलिफ़) कलक्टरको यह अख़्तियारदे या यह हिदायतकर कि वह ख़ास २ सूरतों में या ख़ास क़िस्मों की सूरतों में किसी ऐसे शख्स पर जो मुस्तौजिब इसका हो कि उस पर इत्तिलाअ़नामह तहत दफ़ा १७ जारीकिया जाय इत्तिलाअ़नामा मज़कूर जारी न करके या इत्तिलाअ़नामा जारी करने के अलावह उसको फ़ेहरिस्त महकूमातहत दफ़ा१६में दाख़िल करे या यह कि वह किसी ऐसे शख्सको जोमुस्तौजिब इसका हो कि उसका नाम फ़ेहरिस्त महकूमातहत दफ़ा १६ में दाख़िल किया जाय फ़ेहरिस्त मज़कूर में दाख़िल न करके या फ़ेहरिस्त मज़कूर में दाख़िल करने के अलावह उस पर इत्तिलाअ़ नामा तहत दफ़ा १७ — जारी करे

(बे) कलक्टर को यह अख़्तियार दे कि वह किसी ख़ास शहर या मुक़ाम में एक आम इत्तिलाअ़नामा छपवा कर मुश्तहर कराये जिसके ज़रीयासे हरएक शख्सको जो हस्ब हिस्सह २ और मतालिबा हो यह कहाजाय कि वह मुद्दत मुसर्रह

इत्तिलाअ़ नामा मज़कूरके अंदर एक रीटर्न उस नमूना मुक़र्रर पर जो इत्तिलाअ़ नामा के साथ छपे अपनी आमदनी का उस सालकी बाबत जो उस तारीख़ को ख़तम हो कि जिस तारीख़का उनका अख़ीर हिसाब किताब मुरत्तिब हुआहो या अगर उसका हिसाब किताब उस सालके अंदर जो एकतीसवीं मार्चको ख़तम हुआहो और जो उस सालके ऐन माक़बल हो कि जिस सालके बाबत ज़र टिक्स मुशख़्ख़स होने वाला है मुरत्तिब न हुआहो तो रीटर्न मज़कूर अपनी आमदनी का उस सालकी बाबत जो एकतीसवीं मार्च मज़कूर को ख़तम हुआ हो कलक्टर के हवाला करे या हवाला कराये ॥

(जीम) किसी प्रेज़ीडंसी शहरमें कलक्टरको यह अख़्तियार दे कि वह एक ख़ास इत्तिलाअ़नामह किसी ऐसे शख़्स पर जारी कराये जो हस्ब हिस्सह (४) ज़र मुतालिबा हो और उसके ज़रीयासे शख़्स मज़कूरसे यह कहा जाय कि वह मुद्दत मुअ़य्यना इत्तिलाअ़नामह के अंदर एक रीटर्न नमूना मुक़र्ररह पर जो शामिल इत्तिलाअ़ नामारहै अपनी आमदनी का जिस का शुमार इसदफ़ा मातहती के ज़िम्न (बे) में लिखे हुये तरीक़हपर कियाजाय कलक्टरके हवालाकरे या हवाला कराये —

(२) जो रीटर्न कि दफ़ा मातहती (१) के ज़िम्न (बे) या ज़िम्न(जीम)के बमोजिब वज़ा कियेहुये क़वायदके रूसे हवाला कियाजाय उसमें उस मुद्दतका मज़कूर होना ज़रूर है जिसके अंदर वहआमदनी फ़ीउलहक़ीक़तहासिलहुई औरउसके अख़ीर में एक इज़हार का बदी मज़मून मुन्ज़िम रहना ज़रूर है कि जो आमदनी उस रीटर्न में दिखाई गईहै उसकातख़मीना उन सब अबवाब को लेकर जो उसमें मुसर्रहहैं रास्त तौरपरकिया गयाहै और यह कि रीटर्न में जो मुद्दत है उसके अन्दर वह आमदनी की फ़ीउलहक़ीक़त हासिल हुईहै और यहकि रीटर्न हवाला करने वालेका कोई और बाब आमदनी का नहीं है॥

(३) जब कोई कलक्टर जिसको दफ़ामातहती(१)केज़िम्न

(ये) या ज़िम्न (ज़ीम) के मुताबिक़ वज़ा किये हुये क़वायद की रूसे अख़्तियार दिया गयाहो क़वायद मज़कूर के बमोजिब कोई इत्तिलाअ़नामह छपवाकर मुश्तहर कराये या जारी कराये तो उसको जायज़ न होगा कि किसी ऐसेशख़्सको जिससे वह इत्तिलाअ़नामा तअ़ल्लुक़ रखता है किसी ऐसी फ़ेहरिस्त में जो बहुतदफ़ा १६ तय्यार हुई हो दाख़िल करे या हस्ब दफ़ा १७ उसपर इत्तिलाअ़ नामह जारी करे तावक़्ते कि उन क़वायद की रूसे जो इत्तिलाअ़नामहछपकर मुश्तहर हुआहो या जारी किया गया हो उसकी मुद्दत मुसर्रह मुन्क़ज़ी न होजाय॥

(४) जो क़वायद कि इस दफ़ा के बमूजिब वज़ा किये जायें वह सर्कारी गज़ट में छपकर मुश्तहर होंगे॥

दफ़ा१९ —हरमुबल्लिग़जर जो किसी ऐसी फ़ेहरिस्त या इत्तिलाअ़ नामा में जो हस्ब दफ़ा १६ या १७ तय्यार हुई हो या जारी किया गया हो वाजिबुल् अदा लिखा रहे वह उस मुद्दत के अन्दर और उस मुक़ाम में और उस शख़्स के पास अदा किया जायेगा जो फ़ेहरिस्त या इत्तिलाअ़ नामह में मज़कूर रहे॥

अदा का वक़्त और मुक़ाम

अमीनों और कारिंदों और मुहतमिमों और नाक़ाबिल शख़्सों की निस्बत

अहकाम

दफ़ा२० —वहशख़्स कि जो किसीनाबालिग़ या शौहरदार औरत ताबा क़ानून इंगलेण्डका या किसी मजनूं या फ़ातिरुल् अक़ल का अमीन या मुहाफ़िज़ या क्यूरेटर या कम्पनी हो और जिसके ज़ेर अख़्तियार उस नाबालिग़ या शौहरदार औरत या मजनूं या फ़ातिरुलअक़ल की जायदाद हो—आम

नाक़ाबिलशख़्सों के अमीनों और मुहाफ़िज़ों और कमेटियों पर टिक्स

इससे कि वह नाबालिग़ या शौहरदार औरत या मजनों या फ़ातिरुलअक़ल बृटिशइंडियाके अन्दर सकूनतपिज़ीरहो या नहो—उस नाबालिग़ या शौहरदार औरत या मजनों या फ़ातिरुलअक़ल के हस्ब हिस्सह (४) ज़र मुतालिबा होने की तक़दीरमें उसी तरीक़ापर और उसी मुबलिग़ ज़रके लिये ज़र मुतालिबा होगा कि जिस तरीक़ापर और जिस मुबलिग़ ज़रकेलिये वह नाबालिग़ बालिग़ होनेकी तक़दीर में या वह शौहरदार औरत तनहा होनेकी तक़दीरमें या वह मजनों या फ़ातिरुलअक़ल खुद कारगुज़ार होनेके क़ाबिल होनेकी तक़दीरमें बार मुतालिबा होता॥

दफ़ा२१—जो कोई शख्स कि बृटिशइंडियाके अंदर सकूनत पिज़ीर नहो—आमइससे किवह जनाब मलका मुअज़्ज़िमा की रअय्यत हो या नहो—और किसी कारिंदे के मारफ़त कोई ऐसी आमदनी पाताहो जिसपर हस्ब हिस्सह ४ टिकस वाजिबुत्तलब है—वह हस्ब हिस्सह मज़कूर उस कारिंदेके नाम से उस तरीक़ापर और उसी मुबलिग़ ज़रकेलिये ज़र मुतालिबा होगा कि जिस तरीक़ापर और जिस मुबलिग़ ज़रके लिये वह बृटिशइंडियाके अंदर सकूनत पिज़ीर होने और उस आमदनीके बिलावास्ता पानेकी तक़दीरमें ज़र मुतालिबा होता॥

अशख़ास ग़ैरसाकिन पर टिकस उनके कारिंदोंके नाम से

दफ़ा२२ —वह रीसीवर या मुहतमिमलोग कि जो किसी अदालत वाक़े हिंदकी तरफ़ से मुक़र्रर किये जायें और कोर्टआफ़वार्डस और साहबान अडयंसटीटर जनरल बंगालह व मदरास व बंबई और साहबान अफ़ेशीयलटरस्टी उसजुम्ला आमदनी की बाबत जो बहैसियत मंसब उनके क़ब्ज़ा या

रीसीवर और मुहतमिम और कोर्ट आफ़वार्डस और अडयंसट्टर जनरल और अफ़ेशीयलटरस्टी

अख्तियारमें हो और जो हस्ब हिस्सह (४) तमग्रीस टिक्स के क़ाबिलहो हस्ब हिस्सह मज़कूरज़ेर मुतालिबा होंगे॥

दफ़ा२३—जब किसी अमीन या मुहाफ़िज़ या क्यूरेटर या कुनेटी या कारिंदे पर उस हैसियत से हस्ब हिस्सह (४) टिक्स मुसख्खस हो या जब किसी रीसीवर या मुहतमिम मुक़र्रह हस्ब मज़कूरहवाला या किसी कोर्ट आफ़वार्डस या अडमेनस्ट्रेटर जनरल या अफ़ीशियलट्रस्टीपर उस हिस्सेके बमूजिब उस आमदनी के बाबत जो उसको बहैसियत मंसब मिलती हो टिक्स मुसख्खस हो॥

उन टिक्सों के रखलेने का अख्तियार जो अमीन वगैरह से वाजिबुल तलब हों।

तो उस शख्स या उस कोर्टको जिसपर टिकसहस्ब मज़कूरह वाला मुसख्खस किया जाय यह अख्तियार है कि वक़्तन फ़वक़्तन उन रुपया से बहैसियत अमीन या मुहाफ़िज़ या क्यूरेटर या कुनेटी या कारिंदा या बहैसियत रीसीवर या मुहतमिम या कोर्ट आफ़वार्डस या अडमेनस्ट्रेटर जनरल या अफ़ीशियलट्रस्टी उसके क़ब्ज़े में आये उस क़दर रखले जो ज़रतशखीस शुदह के अदाके लिये काफ़ी हो॥

मालकान क़ाबिज़

दफ़ा२४—(१) हरगाह किसी इमारत में उसका मालिक रहता हो तो वह इमारत हस्बमन्शाय ऐक्टहाज़ा एकबाबआमदनी मुतसव्वरहोगी—और अगर वह हस्ब ऐक्ट हाज़ा तशखीस टिकसकी मुस्तौजिब हो उसकी आमदनी उस सालाना किराया ख़ाम के छह हिस्सह का पांचहिस्सा मुसख्खस कीजायेगी कि जिस किराया की उससे बवजह माक़ूल उम्मेद होसकी है

मालकान क़ाबिज़ पर टिक्स लगाने का हुक्म

और मकान सकूनत की तक़दीर में जिस किराया की उससे दरहालत न रहने अलातुलबेतके उम्मेद होसक्ती है——

(२) लफ़्ज़ "मालिक,, जो इस दफ़ा में बइलाक़ा इमारत मुस्तैमिल हुई है उससे वह शख़्स मुराद है जो इमारत का किराया पानेका मुस्तहक़ हो अगर वह इमारत किसी रय्यत को किरायापर दीजाय—

फ़स्ल ४

तशख़ीस टिक्स की नज़रसानी

दफ़ा २५ (१) जो कोई शख़्स उसमुबलिग़की निस्बतजो उस पर हस्ब हिस्सह (४) मशख़्सहो उज़ुर करे या यह कहे कि उस पर टिक्स हस्ब हिस्सह मज़कूर मुशख़्ख़स नहीं होसक्ता है तो उस को अख़्तियार होगा कि कलक्टर से बज़रिये अर्ज़ी के यह इस्तदुआकरे कि ज़र मुशख़्ख़सह घटादिया या बातिल करदिया जाय॥

हिस्सह (४) की रूसे तशख़ीस टिक्स की नाराज़ी से कलक्टर केपास अर्ज़ी

(२) अर्ज़ीमामूलन् उस मुद्दतके अन्दर जो इश्तिहार मुलहक़ा फ़ेहरिस्त मद्ख़ूलहतहत दफ़ा १६ में या इत्तिलाअनामह जारीशुदह तहत दफ़ा १७ में मुन्दर्ह रहै यानी जैसी सूरतहो— गुज़रानी जायेगी मगर कलक्टर किसीअर्ज़ी को बाद इन्क़ज़ाय उस मुद्दतके लेसक्ता है बशर्ते कि उसको इसबाबमें तशफ़ी हो कि उज़ुरदार अर्ज़ी मज़कूरके इस मुद्दतके अन्दर न गुज़राननेकी वजह काफ़ी रखता था—

(३) अर्ज़ी मज़कूर जहांतक कि हालात की रूसे मुमकिन हो क़रीब २ उस नमूनेपर होगी जो इसऐक्टके तीसरे ज़मीमे में मुंदर्ज है और बयानात मुंदर्जे अर्ज़ी की तसदीक़ अर्ज़ी गुज़राननेवाला या कोई और शख़्स जो अख़्तियार उसतरीक़पर करेगा जो वास्ते तसदीक़ अरायज़ दावाके क़ानूनन् मुक़र्रहै॥

दफ़ा२६ — कलक्टरको लाज़िमहोगा—कि समाअत अर्ज़ी

अर्ज़ीकीसमाअत

के लिये एकरोज़ और मुक़ाम मुक़र्रर करे और उस रोज़ और मुक़ाम में जो हस्ब मज़कूरह बाला मुक़र्रर हो या उसरोज़ और उस मुक़ाममें कि जिसरोज़ पर या जिस मुक़ामपर कलक्टरने समाअत मज़कूर को मुल्तवी रक्खा हो (अगर ऐसाहो) अर्ज़ी मज़कूर की समाअत करे — और उसपर ऐसा हुक्म सादिर करे जो वह मुनासिब समझे —

दफ़ा२७ — बताबीत हकूमत लोकलगवर्नमेण्ट कमिश्नर

वास्तेनज़रसानी के कमिश्नर के पास अर्ज़ी

क़िस्मत को किसी ऐसे शख़्स की अर्ज़ी गुज़रने पर जो अपने तईं किसी हुक्म तहत दफ़ा मा: तहती (२) मुंदर्जे दफ़ा १२ या हुक्म तहत दफ़ा २६ — की वजहसे मज़लूम समझताहो — अगरतादाद ज़र तशख़ीस जिसकी बाबत वह अर्ज़ी हो ढाईसौ रुपये या उससे ज़ियादह हो लाज़िम होगा — और अगर तादाद ज़र मुशख़्ख़-सह ढाईसौ रुपयेसे कमहो तो हस्ब सवाबदीद अपने अख़्तियार होगा — किमिस्ल मुक़द्दमहको तलब करके उसकी निस्बत वह हुक्म सादिरकरे जो उसकी दानिस्तमें मुनासिब हो —

दफ़ा२८ कलक्टर या कमिश्नर को इस अमरके ठहरादेने

गवाह वग़ैरह को तलबीका अख़्तियार

पर क़ादिर होने के लिये कि क्योंकर अर्ज़ी गु-ज़राननेवाले पर या उस कम्पनी पर जिसका वह वकील है टिक्स मुशख़्ख़स कियाजायेगा वह अख़्तियारहोगा — कि उसी ज़रीया से और हत्तुलइमकान उसी तरीक़हपर कि जो मजमूये जवाबित दीवानी में अदालत दीवानी की निस्बत में महकूम है गवाहों को तलब करे और उन को जबरन् हाज़िर करावे और उनको शहादत देनेकेलिये मज़ बूरकरे और दरपेशी व दस्तावेज़ात के लिये ख़बर करे —

मगर शर्त यह है कि कलक्टर या कमिश्नर कोई शहादत तलब न करे इल्ला अर्ज़ी गुज़राननेवाले की इस्तदुआपर या वास्ते दरियाफ़्त सेहत उन वाक़ियातके जिनकावह मज़हरहो॥

फ़सल ५

टिक्स की बक़ाया का वसूल करना

दफ़ा २९--जो टिक्स कि इस ऐक्टकी रूसे वाजिबुलतलब है वह इस वक़्त कि जो इस अमर के लिये इस ऐक्ट में या इस ऐक्टकी रूसे मक़र्रर कर दिया जाय या अगर हस्ब मज़कूरह बाला कोई वक़्त मक़र्रर न कर दिया जाय तो हरसाल की एकुम माह जूनको वाजिबुल अदा होगा॥

टिक्सकबवाजिबुल अदा होगा

दफ़ा ३० –(१) इस ऐक्टकी रूसे अदाय टिक्स में क़ुसूर होनेकी किसी सूरत में कलक्टर को अख़्तियार होगा कि हस्ब सवाबदीद अपने मुबलिग़ज़र जो तादाद ज़र टिक्स मज़कूर के दुगुने से ज़ियादह न हो ख़्वाह बतौर बक़ायाय मालगुज़ारी अराज़ी के या किसी ऐसे तरीक़े से जो वास्ते वसूल बकाया किसी ऐसे म्यूनसिपिल टिक्स वा लोकलरीकके लायक़ तामील हो जो किसी ऐसे हुक्म क़ानून के ज़रिये से लगाया गया हो जो किसी ऐसे जुज्व कलमरो में उस वक़्त जारी रहे जो उस लोकलगवर्नमेण्ट के ज़ेर नज़्म वनस्क़ हो जिसके कलक्टर मौसूफ़मातहत है – वसूल करे – या यह हुक्म सादिर करे कि एक मबलिग़ ज़र जो इस तादाद से दुगनेसे ज़्यादह न हो शख़्स नादिहन्दासे वसूलकियाजावे॥

वसूलअतरीक़ह और वक़्त

मगर शर्त यहहै--कि जब किसी शख़्स ने कोई अर्ज़ी तहत

दफ़ा २५ गुज़रानी हो तो मुतालिबा मज़कूर उससे वाजिबुल् वसूल न होगा इल्ला कि जब वह अर्ज़ी पर हुक्म सादिर होने की तारीख़ से तीस रोज़ के अन्दर उस मुतालिबा ज़र के (अगर कुछ हो) अदा करने से क़ासिर रहै जो अज़रूय हुक्म मज़कूर के तलब किया गया हो —

(२) लोकल गवर्नमेण्ट यह हिदायत कर सक्ती है कि किस हाकिम के ज़रिये से वह अख़्तियारात या लवाज़िम ख़िदमात जो किसी हुक्म क़ानून मरक़ूमउल्फ़ौक़ की रू से म्यूनिसिपिल टिक्स या लोकल रेट के वसूल के किसी तरीक़ह के इजरा के वक्त रूदाद होते हैं अमल में आयेंगे और अंजामदिये जायेंगे जबकि इस तरीक़े को हस्बदफ़ा मातहती (१) उस टिक्स के वसूल के लिये जो इस ऐक्ट की रू से वाजिबुल्तलब है काम में लाया जाय

(३) जो हुक्म कि कलक्टर हस्ब दफ़ा मातहती (१) सादिर करे वह किसी ऐसी नालिश में जिसमें गवर्नमेण्ट मुद्दई हो और गरज़ नाफ़िज़ करने मुआमलेहा अदालत दीवानी की डिकरी का हुक्म रक्खेगा और हुक्म मज़कूर उस तरीक़ पर नाफ़िज़ुलअमल किया जासक्ता है कि जिस तरीक़ पर मजमूये ज़ाबितादीवानी में वास्ते नाफ़िज़ुलअमल गरदानने डिकरियात ज़र नक़द के हुक्म किया गया है और मजमूये मज़कूर में जो क़वायद कि उमूरात मरक़ूमउल्ज़ैल के बारे में है — यानी॥

(अलिफ़) इजराय डिकरियात से नीलामों के बारे में — और

(बे) इजराय डिकरियात ज़र नक़द में गिरफ़्तारी के बारे में — और —

(जीम) इजराय डिकरियात बज़रिये क़ैद के बारे में — और

(दाल) जायदाद मक़रूक़ा पर दावाके बारेमें — और —

(हे) इजराय डिकरियात के बारे में उन अदालतों के इलाक़ा अख़्तियार के बाहर जिनसे डिकरियात मज़कूर सादिर हुई हों —

वह हरएक ऐसी इजराय डिकरी से तअल्लुक़ रक्खेगा जो मुबलिग़ ज़र मुन्दर्जे हुक्मकी तहसीलके लिये हो—

बजुज़ इसके कि जुम्ला अख़्तियारात और लवाज़िम ख़िदमात जो अज़रूय मजमूआ मज़कूर अदालत को बख़्शे और उसके ज़िम्मे कियेगये हैं वह बज़रिये उस कलक्टरके अमल में आयेंगे और अंजाम पायेंगे कि जिसने हुक्म मज़कूर सादिर किया हो या जिसके पास उसकी एक नक़ल वास्ते तामील मुताबिक़ एहकाम मजमूआ मज़कूर मुन्दर्जा दफ़आत २२३ व २२४ के भेज दीगई हो—

(४) लोकल गवर्नमेण्ट किसी ख़ास इलाक़ह अर्ज़ी की बाबत यह हिदायत करसक्ती है कि टिक्स वाजिबुत्तलब तहत ऐक्ट हाज़ा इलाक़हमज़कूरमें साथ और अलावह किसी म्यूनूसिपिल टिक्स या लोकलरीटके वही शख़्स इसी तरीक़ह पर तहसील करेगा जो बतरीक़ह मज़कूर म्यूनूसिपिल टिक्स या लोकलरीट तहसील करता हो—

(५) कोई कार्रवाई वास्ते तहसील किसी ऐसे मुबलिग़ज़र के जो हस्ब ऐक्टहाज़ा वाजिबुल्अदा हो बाद इन्क़ज़ा तीन महीने के उस सालके अख़ीर रोज़से कि जिस सालकी बाबत मुबलिग़ मज़कूर वाजिबुल्अदा हो—शुरूअनहीं कीजायेगी—

फ़सल ६

मुस्तज़ादअहकाम बन्दोबस्त—

दफ़ा ३१ (इक़रारवास्ते बन्दोबस्त के) (१) अगर कोई कम्पनी या शख़्स उसटिक्स की बाबत जो हस्ब हिस्सह (२)या हिस्सह (४) (यानीजैसीसूरतहो) वाजिबुत्तहसील है कुछ बन्दोबस्त करना चाहै तो कलक्टर बताबीत उन क़वायद के जो इस बारेमें मुक़र्रर कियेजायें कम्पनी या शख़्स मज़कूर

के साथ उस टिक्स की बाबत उन शर्तोंपर और इस मुद्दत के लिये जो वह मुनासिब समझे बन्दोबस्त करने के अक़रार में दर आसक्ताहै –

(२) अक़रार मज़कूर में ज़र बन्दोबस्तशुदह के मुद्दत मअमूला अक़रार के हरसाल अदा किये जाने के लिये इन्तिज़ाम किया जायेगा और ज़रमज़कूर इसी तरीक़पर और उसीज़रिये से कि जिस तरीक़पर और जिस ज़रिये से कोई औरज़र तअक़ीस तहत हिस्सह (२) या हिस्सह (४)(यानी जैसी सूरत हो) वाजिबुल्तहसील हो वाजिबुल्तहसील होगा –

रसीद ॥

दफ़ा३२ जब रुपये हस्ब ऐक्ट हाज़ा कल्कटर के पास अदा किये जायें यह हस्ब ऐक्ट हाज़ा उसकी मारफ़त तहसीलहों तो उसको लाज़िम होगा

रसीद और उन के मज़ामीन

कि उस रुपयेकी एक रसीद दे जिसमेंयहबातेंमुंदर्जरहें – यानी

(अलिफ़) – रुपये के अदा या तहसीलकी तारीख़ – और

(बे) – किसक़द्रमुबलिग़ज़रअदा या तहसीलकियागया – और

(जीम) उस शख़्स का नाम जो टिक्स का मुस्तौजिब था और बाब या अबवाब आमदनी जिसकी या जिनकी बाबत टिक्स मज़कूर वाजिबुलअदा हुआ था—और—

(दाल) वह साल या जुज़्व साल जिसकी बाबत टिक्स मज़कूर वाजिबुलअदा हुआ था – और –

(हे) वह मुक़ाम या मुक़ामात और वह ज़िला या इलाक़ा जहां वह आमदनी हासिल हुई थी – और

(वाव) ऐसे दीगर मरातिब (अगर कुछ हों) जो ठहरा दिये जायें ॥

तशख़ीस टिक्स की तरमीम

दफ़ा ३३ —अगर कोई कम्पनी या शख़्स जिसपर टिक्स

तशख़ीस टिक्स की तरमीम

हस्ब हिस्सह (२) या हिस्सह (४) मुशक्ख़स हुआ हो उस तिजारत या कारोबारको तर्क करे कि जिसकी बाबत टिक्स मुशक्ख़स हुआ था—या अगर वैसा कोई शख़्स क़ब्ल इख़्तिताम उस सालके कि जिसकी बाबत टिक्स मुशक्ख़स हुआ था फ़ौत होजाय या उसका दीवाला निकले या अगर कोई वैसी कम्पनी या वैसा शख़्स किसी और ख़ास वजहसे उस आमदनी से महरूम रहे या उसे खोदेवे कि जिसपर टिक्स मुशक्ख़स हुआ था तो कम्पनी या शख़्स मज़कूरया वह शख़्स जो उसकी हक़ीत का क़ायममुक़ामी हो मजाज़ इसबातका होगा कि बाद इख़्तिताम उससालके तीन महीनेके अंदर कलक्टरके पास दख़्वास्त करे—और कलक्टर को लाज़िम होगा कि अपनी तशफ़ी के मुवाफ़िक़ किसी वजह मज़कूरुल् फ़ौक़के सबूत पहुंचनेपर ज़र मुशक्ख़सहको जैसी सूरत मुक़्तज़ीहो तरमीमकरे और अगर कुछ मुबलिग़ ज़ायद अदा किया गयाहो तो वापस करदे ॥

ताज़ीरात

दफ़ा ३४ —अगर कोई शख़्स—

अदाकरने यारीटर्न या कैफ़ियत को हवाला करने में क़ुसूर ॥

(अलिफ़) कोई ऐसा टिक्स जो दफ़ा ८ की दफ़ा मातहती (१) की रूसे या दफ़ा १३ की दफ़ामातहती (१) कीरूसे मतलब हो अदा न करे—या

(बे) वाजबी वक़्के अन्दर रीटर्न या कैफ़ियतम् नज़्किरह दफ़ा १० या दफ़ा ११ कलक्टर के हवाले न करे या हवाले न कराये—या

(जीम) उस तारीख़ को या उस तारीख़ के क़ब्ल जो इत्तिलाअ़नामा तहतदफ़ा १२ में मुसर्रह रहै वह हिसाब पेश न करे या पेश न कराये जिसका इत्तिलाअ़नामे में ज़िकरहै—

तो उसको किसी मजिस्ट्रेट के रूबरू मुजरिम ठहरने पर जुर्माने की सज़ादीजायेगी जिसकी हद योमिया जब तक वह क़सूर होता रहे १०) रु० तक होसक्तीहै —

(२) कमिश्नर क़िस्मत को अख़्तियार होगा कि जो जुर्माना तहत दफ़ा हाज़ा आयद किया जाय उसे कुल्लन् या जुज़न मुआ़फ़ करदे॥

दफ़ा ३५ (इज़्हार में झूठा बयान) अगर कोई शख़्स उस इज़्हार में जो दफ़ा १८ की दफ़ा मातहती (२) में मज़कूर है कोई ऐसा बयान मुंदर्ज करे जो झूठा हो और जिसे वह झूठा जानता या झूठा बावर करता हो या सच बावर न करता हो तो उसकी निस्बत यह तसव्वर किया जायेगा कि वह उस जुर्मका मुर्तकिब हुआहै जो मजमूये ताज़ीरातहिंद की दफ़ा १७७ में मज़कूर है॥

दफ़ा ३६ (कलक्टर की तह[रीक़] से नालिश [होगी]) किसी जुर्म तहत दफ़ा ३४ या दफ़ा ३५ की इ-त्तलत में किसी शख़्स के नाम पर नालिश नहीं कीजायेगी इल्ला बतहरीक कलक्टर॥

दफ़ा ३७ हर एक कार्रवाई तहत दफ़ा १२—या तहत

+ मजमूयेक़वानीन ताज़ीरात की दफ़ात१६३व२३० कार्रवाइयों से मुतअल्लिक़ होंगी

फ़सल४—मुन्दर्जह ऐक्टहाज़ा मजमूअ ताज़ीरात हिंदकी दफ़ात १९३ — और २२८के मंसे के बमूजिब "अदालत की कार्रवाई," मुतसव्वर होगी॥

क़वायद वज़ा करने का अख्तियार

दफ़ा३८—(१) जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसल को जायज़ होगा कि इस ऐक्ट के साथ मुंतबक़ करके क़वायद वास्ते तहक़ीक़ और तअय्युन उस आमदनी के जो टिक्स की तशखीस की मुस्तौजिबहो——और—उन दस्तावेज़ातके मुंदर्जह मज़ामीन के अफ़सा को रोकने के लिये जो तशखीसात तहत हिस्सह (४) की बाबत हिवाला या पेशकीजायें——और अमूमन वास्ते हुसूल अग़राज़ इस ऐक्टके वज़ाकरें——और यह भी जायज़ होगा कि लोकल गवर्नमेण्ट को क़वायद मज़कूर के वज़ाकरने का अख्तियार जहां तक कि वह अलाक़ा जो ताबा गवर्नमेण्ट मज़कूरसे मुतअल्लिक़होसकें तफ़वीज़करें।

क़वायद वज़ाकरनेका अख्तियार

(२)—किसी ऐसे क़ायदह के वज़ा करतेवक़ जो किसी मरातिब मुतज़क्किरहदफ़ा मातहती(१)के अफ़शाय राज़को रोकनेके लिये हो जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर ब इजलास कौंसल यहहिदायतकरसक्ते हैं कि—अगरकोई मुलाज़िमसर्कार क़ायदह मज़कूरके ख़िलाफ़करे तो यह तसव्वर कियाजावेगाकि उससे जुर्मतहत दफ़ा १६६—मजमूये क़वानीन ताज़ीरातहिन्द सादिर हुआहै—

(३)—मगर जो कोई शख्स मुर्तकिब किसी वैसे जुर्मका हो

+ ऐक्ट २१ सन १८६० ई०

वह मुस्तौजिब इसका नहीं होगा कि लोकलगवर्नमेण्टकी पेश्तर मंज़ूरीकेबिदून उसपर बइल्लतउसके नालिशकीजाय —

(२) जो क़वायद इस दफ़ाकी रूसे वज़ा किये जायें वह सर्कारी गज़ट में छपकर मुश्तहर होंगे ॥

मुतफ़र्रिक़ात

दफ़ा ३९ किसी ऐसे तश्ख़ीस ज़र टिकस के इब्ताल या इस तरह के लिये जो इसऐक्टकीरूसे कीजाय किसी अदालत दीवानी में कोई नालिश मस्मूअ न होगी ॥

दीवानीअदालत में नालिशों की मुमानियत

दफ़ा ४० जुम्ला अख़्तियारात और ख़िदमतें या उन मेंसे जोकोई अख़्तियार या ख़िदमत कि इसऐक्टकी रूसे किसी कलक्टर या कमिश्नर क़िस्मत को सपुर्दकीजाय या उसकेज़िम्मह कीजाय वह उस दीगर ओहदादारकी माफ़त जिसको लोकल गवर्नमेण्ट इस कामकेलियेमुक़र्ररकरे अमलमें आसक्ती औरअंजामपासक्ती है —

कलक्टर और कमिश्नरके अख़्तियारकी तामील

दफ़ा ४१ ऐसा कोई ओहदादार या शख़्स जो कलक्टर के तमाम अख़्तियारात या उनमें से कोई अख़्तियार हस्ब ऐक्टहाज़ा अमल में लाताहो मजाज़ इसबातका होगा कि बज़रिये इत्तिलाअनामह किसी शख़्स से यह तलब करे कि वह नमूना मुक़र्ररह पर एक फ़ेहरिस्त दाख़िल करे जिसमें उसके मुतवत्तिन मुलाज़िम की रूसे तफ़सील ज़ैल मुन्दर्जरहे — यानी

टिकसदेनेवालों और नौकरों के बाब में ख़बर करना वाजिब है

(अलिफ़) नाम हरएक हमख़ाना या टिकने वाले का जो किसी ऐसे मकान का मुक़ीमहो जिसे शख़्स मज़कूर बतौर मकान सकूनतके इस्तेमालमें लाता हो या जिसे शख़्स मज़कूर ने बतौर डेरहके किराया पर दियाहो — और॥

(बे) नाम हरएक दीगर शख़्सका जो माहाना इकतालीस ४१) रूपये दस आना ॥=) आठ पाई)८ या सालाना पांच सौ ५००) रुपये या उससे ज़ियादा बतौर तनख़्वाह पाता या बतौर फ़ायदह हासिल करताहो और उसका मुलाज़िमहो आम इससे कि वह किसी वैसे मकान मरकूमुल फ़ौक़ का मुक़ीम हो या नहो — और॥

(जीम) अशख़ास मज़कूरसे से ऐसे लोगोंका मुक़ाम सकूनत जोकिसी वैसे मकान के मुक़ीम नहों — या किसी वैसे मकान के हमख़ाना या टिकने वाले का मुक़ाम सकूनत जो और कहीं जहां उस पर इस ऐक्ट की रूसे टिक्स मुश्ख़्स होना वाजिब है मुक़ाम सकूनत रखता हो और यह चाहता हो कि उन मुक़ाममें उसपर टिक्स मुशख़्स किया जाय॥

दफ़ा४२ कोई ऐसा ओहदेदार या शख़्स जो तमाम अख़्तियारात मरक़ोमुलफ़ौक़ या उनमें से कोई अख़्तियार अमलमें लाता हो मजाज़ इसबातका होगा कि बज़रिये इत्तलानामा किसी ऐसे शख़्स सेजिसकी निस्बत वह इस बातके बावर करने की वजह रखताहो कि वह अमीन या महाफ़िज़ या क्यूटरिया कमेटी या कारिन्दह है यह कहिये कि उन अशख़ास के नामों की एक कैफ़ियत जिनका वह अमीन या महाफ़िज़ या क्यूटरिया कमेटी या कारिन्दहहै हवाला करे या हवाला कराये॥

नफ़ायाबी और असल शख़सोंकी बाबत अमीनओर कारिन्दे ख़बरकरें

दफ़ा४३ कोई ऐसाशख़्स या ओहदेदार जो तमाम अख़्ति-

आमदनीकी बाबत रिटर्न दाखिल करना

बाबत मज़कूर या उनमें से कोई अख़्तियार अमल में लाता हो मजाज़ इस बातका होगा कि बज़रिये इत्तिलानामा किसी अमीन या महाफ़िज़ या क्यूरटरिया कमेटी या कारिन्दह या किसी अदालत वाक़े हिन्द के मुक़र्रर किये हुये किसी रिसीवर या मोहतमिम से या साहब अडमिनिस्टरेटर जनरल या अफ़ीशियलटरस्टी से यह तलब करे कि वह इस आमदनीके जिस पर हस्ब हिस्से (१) टिकस मुक़र्रर होना वाजिबहै ऐसे क़िसआत रीटर्न दाख़िल करे जो मुक़र्रर कर दिये जायँ॥

दफ़ा ४४ कोई ऐसा शख़्स या ओहदेदार जो तमाम अख़्तियारात मज़कूर या उनमेंसे कोई अख़्तियार अमलमें लाताहो मजाज़ इस बातका होगा कि हस्ब दस्तदुआ किसी ऐसे शख़्स के जिस पर

खोज और ख़बर की पहुंचानी वाजिब है

टिकस तशख़ीस करनेकी निस्बत या उसकी तादादकी निस्बत कोई सुबहा मौजूदहो किसी शख़्ससे यह तलब करे कि वह ऐसी ख़बर बहम पहुंचाये जो उसकी दानिस्त में वास्ते तहक़ीक़ उन वाक़ियात के जो तशख़ीस टिकस या तादाद ज़र टिकस मज़कूर से तअल्लुक़ रखते हों ज़रूरी मुतसव्विर हो॥

दफ़ा ४५ जिस किसी शख़्सपर दफ़ा ४१ या दफ़ा ४२ या दफ़ा ४३ या दफ़ा ४४ की रूसे ख़बर पहुंचाने का हुक्महो उसपर क़ानूनन् वाजिब या लाज़िम होगा कि उस तरीक़पर और उस मुद्दतके अन्दर जिसकी तसरीह हुक्मनामा मज़कूर ख़बररसान में मुन्दर्जहै ख़बर मज़कूर बहमपहुंचाये॥

ख़बर रसानी के [illegible] हुक्म कानूनन वाजिब है तअज़ीरात की दफ़ा १७६ व १७७ मुतअल्लिक़ होंगी

दफ़ा४६ इत्तिलानामाजा-तका इजराय

(१) इत्तिलानामा तहत ऐक्टहाज़ा उस शख्स पर जिसका नाम उसमें मुन्दर्जरहै महसूलदादह चिट्ठीके ज़रियेसे जिसपर शख्स मज़कूरका पता व निशांरहै और जिसकी रजिस्टरी हिन्दके डाकखाना के ऐक्ट मुसद्दिरे सन् १८६६ ई० के हिस्से सोमके बमूजिब हुईहो या, उस इत्तिला नामाकी एक नक़ल शख्स मज़कूर के हवाले करने या उसकेपास पेश करने से जारी किया जा सक्ताहै॥

२—अगर कोई इत्तिलानामा रजिस्टरीशुदह चिट्ठीके ज़रिये से जारी किया जाय तो यह क़यास किया जायेगा कि इत्तिला नामा उसवक़ जारीकियागया कि जबचिट्ठीडाककेमामूलीसिल-सिला कारके मुवाफ़िक़ पहुंचाई जासक्ती है- और यहसबूत कि चिट्ठी पर बतौर मनासिब पता व निशान लिखा गया था और वह डाकमें लगाई गई थी इस क़यास के पैदाकरने के लिये कि इत्तिला नामा बवक़ मजकूर हस्ब जाबिता जारी किया गया—काफ़ी होगा॥

३—अगर इत्तिला नामा चिट्ठी रजिस्टरी शुदह के ज़रिये के सिवाय और सबील से जारी कियाजाय तो जब कभी मुमकिन होसके इजराय मज़कूर शख्स मुन्दर्जै इत्तिला नामा को ज़ात पर या किसी तिजारत की कोठी की सूरत में उस कोठी के रिकिनपर या ग़ैर मुन्क़सिम खान्दान हिनूद की सूरतमें उस खान्दान की जायदाद इजमाली के मोहतमिम पर अमल में आयेगा—

४—मगर जब वहशख्स या रिकिन या मोहतमिम न मिले तो इजराय इत्तिला नामा किसी मर्द बालिग़परजो उसके खा-न्दान का एक रिकिनहो और उसके साथ रहता हो अमल में आसक्ता है—और अगर कोई वैसा मर्द बालिग़ जो रिकिन हो न मिले तोजारीकरनेवाले अहलकार को लाज़िम होगा कि उसमकानके बाहिरजानिबके दरवाज़ेपर जहां शख्स

या कोठी तिजारत या खानदान मुन्दर्जै इत्तिलानामा मज़कूर मामूलन् रहता या कारोबार चलाता हो उसइत्तिलानामा की नक़ल चस्पांकरदें॥

दफ़ा ४१—जब किसी कम्पनी या कोठी तिजारत के

कारोबार या सकूनतके असल मुक़ामके ठहरादेनेका अख़्तियार

मुतअद्दिद मुक़ामात कारोबार मुख्तलिफ़ लोकल गवर्नमेंटों की तावे कलमरवोंमें वाक़े हों तो जनाव नव्वाव गवर्नरजनरल बहादुर बइजलास कौंसल यह मुशक्खस करदेसक्ते हैं कि उन मुक़ामात में से कौनसा मुक़ाम इस ऐक्टके मुक़ासिद के लिये असलमुक़ाम कारोबार समझा जायेगा—

(२)—जब किसी कम्पनी या कोठी तिजारतके मुतअद्दिद मुक़ामात एक्ट हैं लोकल गवर्नमेंट की तावे कलमरवोंमें वाक़े होंतो गवर्नमेण्ट मौसूफ़यह मुशक्खस करदेसक्तीहै कि उनमें से कौनसा मुक़ाम इस ऐक्टके मुक़ासिद के लिये असल मुक़ाम कारोबार समझाजायेगा॥

३—जबएक शख्सके मुतअद्दिद मुक़ामात सकूनत मुख्तलिफ़ लोकलगवर्नमेंटोंकी तावे कलमरवोंमें हों तो जनाव नव्वाव गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसल यहमुशक्खस करदे सक्तेहैं कि उनमुक़ामात मेंसे कौनसा मुक़ामइसऐक्टके मुक़ासिदके लिये उसकी सकूनतगाह समझाजायेगा—

(४)—जब एक शख्सके मुतअद्दिद मुक़ामात सकूनतएक ही लोकल गवर्नमेंट के तावे कलमरवों में हों तो गवर्नमेंट मौसूफ़ यह मुशक्खस करदे सक्ती है कि उनमें से कौनसा मुक़ाम इस ऐक्ट के मुक़ासिद के लिये उसकी सकूनत गाह समझा जायेगा—

(५) जो अख्तियारात कि इस दफ़ा की रूसे दियेगये हैं वह उन ओहदेदारों को मफ़ूज़ होसक्ते हैं और उन ओहदेदारों के

ज़रिये से अमल में आसक्ते हैं जिनको जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसल या लोकल गवर्नमेण्ट (यानी जैसी सूरत हो) उस अमर के लिये मुक़र्रर करें या मुक़र्रर करे——

दफ़ा ४८—हरगाह कोई शख़्स किसी मुद्दत की बाबत इस ऐक्ट के बमूजिब टिक्स का मुस्तौजिबहो तो उसपर मुद्दत मज़कूर की बाबत पान्दज़ारी टिक्स जो हस्ब ऐक्ट१४—मजरिये सन्१८६७ ई० सूबजात वस्तहिन्दमें तहसील कियाजाता है माकोटपेट इनकमटिक्स (यानी) मसालिम का टिक्स या बइवज़ उसके महसूल अराज़ी जो ब्रिटिशबूह्मा में ऐक्ट २ सन् १८७६ ई० बूह्मा की अराज़ी और मालगुज़ारी के ऐक्ट मुसद्दिरे सन् १८७६ ई० के बमूजिब तहसील किया जाता है—मुशकलुश नहीं होगा——

पान्दज़ारीटिक्स औरमरासिम के टिक्स देने वाले मुस्तसना होंगे

दफ़ा ४९—हर एक शख़्स जो किसी और शख़्सकी आमदनी की बाबत बमुताबिक़त इस ऐक्ट के या किसी बन्दोबस्त के जो दफ़ा ८ का दफ़ा मातहती २ के बमूजिब अमल में आये कोई टिक्स वज़ाकरे या रखले या अदाकरे वह इस ऐक्ट की रूसे उस वज़ाकरने या रखलेने या अदाकरने की बाबत बरीउज़्ज़िम्मा होगा——

बरायत

दफ़ा ५०—जुमला अख़्तियारात जो इस ऐक्ट की रूसे बख़्शेजायें या बख़्शे जानेके क़ाबिल हों वक़्तन् फ़वक़्तन् हस्ब तक़ाज़ायवक़्त अमल में आसक्ते हैं

अख़्तियारातवक़्तन् फ़वक़्तन् क़ाबिल तामीलहैं

पहिलाज़मीमा

अहकाम क़वानीन जो मंसूख़ कियेगये

दफ़ा २ —देखिये

ऐक्ट हाय मुसद्दिरे जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसल

नम्बर और सन	मुख्तसरउनवान	मिक़दारतंसीख़
ऐक्टनं० २ सन् १८७८ ई०	मिमालिकहिंदके लायसंस टिक्स का ऐक्टमुसद्दिरे सन् १८७८ई०	उसक़दरजोमंसूख़ नहींहुआ
ऐक्टनं० ६ सन् १८८० ई०	हिंदकेलायसंसटिक्स के ऐक्ट की तरमीमकरनेवाला ऐक्टमुसद्दिरेसन् १८८०ई०	कुलऐक्ट
	ततिम्मापहिलेज़मीमेका	

ऐक्टहायमुसद्दिरे जनाबनव्वाब गवर्नर बहादुर मदरास ब इजलास कौंसल

नम्बर और सन्	मुख्तसर उनवान	मिक़दार तंसीख़
ऐक्टनंबर ३ सन १८७८ ई०	मदरास के लायसंसटिक्स का ऐक्ट मुसद्दिरेसन् १८७८ ई०	उसक़दरजोमंसूख़नहींहुआ

ऐक्टनंबर३सन १८८० ई०	ऐक्टनंबरज़ुतस्मीमऐक्ट३ सन १८७८ई० जैसी किऐक्ट६सन १८८०ई० के ज़रीयेसे उसकी तरमीम हुई है	कुल ऐक्टस्या

ऐक्ट मुसद्दिरै जनाब नव्वाब गवर्नर बहादुर बम्बई ब इजलास कौंसल

नम्बर और सन	मुख्तसरउनवान	मिक़्दारतंसीख़
ऐक्टनंबर३ सन १८७८ई०	बंबईकेलायसंसटिक्सका ऐक्ट मुसद्दिरैसन्१८७८ई०	उसकदर जोमंसूख़नहीहुआ

ऐक्टमुसद्दिरै जनाब नव्वाबलफ़्टंटगवर्नर बहादुरबंगाला ब० इजलास कौंसल

नम्बर और सन	मुख्तसरउनवान	मिक़्दारतंसीख़
ऐक्टनंबर २सन १८८०ई०	बंगालाके लायसंस टिक्सकाऐक्टमुसद्दिरै सन् १८८०ई०	कुलऐक्ट

दूसराज़मीमा

आमदनीके अबवाब और टिक्सकी शरहें दफ़ा४—देखे

पहिलाख़ाना	दूसराख़ाना
आमदनीकाबाब	टिक्सकी शरह

हिस्सा —१
तनख्वाहैं और पिन्शन ॥

१—कोई तनख्वाह या वज़ीफ़ा सालाना यापिंशन या बख़्शिश जो ब्रिटिशइंडिया में किसी ऐसे शख़्सको या किसी ऐसे शख़्सके लिये जो ब्रिटिश इंडिया में था या ऐसे जहाज़में नौकरी करताहो जो ब्रिटिशइंडियाकी दरगाहोंसें आमद व रफ़्त करता हो ख्वाहखुद उसके लिये या दूसरे शख़्स के लिये दीजाय ॥	
२—कोई तनख्वाह या वज़ीफ़ा सालाना या पिंशन या बख़्शिश जो गवर्नमेंट या कोई हाकिममुख़्तारी जिसको जनाव नव्वावगवर्नर जनरल बहादुर इजलास कौंसल के अख़्तियारात	अलिफ़—अगर आमदनी २०००) रुपयेसालाना या एकसौ छियासठ रुपये दसआना आठपाई माहाना या उससे ज़ियादहहोतो फ़ी रुपया पांचपाई (अंगरेज़ी)

ततिम्मा दूसरे ज़मीमेका ॥

पहिलाख़ाना	दूसराख़ाना
आमदनीका बाब	टिक्सकी शरह
की तामील में इस कामके लिये मुक़र्रर किया गयाहो	बे—अगर आमदनी २०००) रुपये सालाना याएकसौ छिया-

किसी एतबरतानी कोया किसी ऐतबरतानी के लिये किसी ऐसे वाली मुल्क या रियासत वाक़ै हिन्दकी क़लमरौके अन्दर जो जनाब मल्कामुअज़्ज़िमासेज़ाबि ते इत्तीफ़ाक़ व इत्तिहाद रखता या रखते हो-ं	सठ रुपया दसआना आठपाई माहानासे कमहोतो फ़ी रुपया चार पाई (अंगरेज़ी)

हिस्सा—२

कम्पनियों के मुनाफ़ा

किसी कम्पनी के मुनाफ़ा	५—पांचपाई (अंगरेज़ी) फ़ी रुपया उन जुम्ला मुनाफ़ाख़ा-लिस पर जो बृटिशइण्डिया में उस कम्पनी को उस सालकेद-र्मियानहासिलहुये हों जिसका इख़्तिताम उस रोज़ से हुआ हो कि जिसरोज़ कम्पनीमज़कूरका अख़ीर हिसाब किताब मुरत्तिब हुआ या अगर कम्पनी मज़कूर काहिसाब किताबउससालकेअ-न्दरजिसका इख़्तितामउससा-ल कीइकतीसवीं मार्चकोहोजो ऐन पहिले उस सालकेगुज़राहो किजिसकी बाबत टिक्स मुश-ख़्ख़सहोने कोहै मुरत्तिब नहुआ होतो उनमुनाफ़ाख़ालिसपरजो हस्बमज़कूरेवाला उससालकेअ न्दरहुयेहों जिसकाइख़्तितामइ कतीसवींमार्चमज़कूरकोहुआहो

पहिला खाना	दूसराखाना
आमदनीका बाब	टिक्स की शरह
ज़र सूद जो यकुम अप्रैल सन् १८८६ई०को या उसके बादया फ़तनीहो और बृटिशइंडिया में वाजिबुलअदाहो बाबत— अलिफ़ प्रामेसरी नोट या डिबिंचर या इस्टाक या दीगर किफ़ालहनाम ज़ात गवर्नमेंण्ट हिंदके (बशमूल उनकिफ़ाला नामजात गवर्नमेंण्टहिंदकेजिन की बाबत सूद बृटिश इंडिया के बाहर बज़रिये हुंडवीके किसी मुक़ाम वाक़ै बृटिशइंडिया में वाजिबुल अदा हो) या बाबत— (बे)तमस्सुकात या डिबिंचर के जिनका मुतालिब हस्बुलहुक्मवाली मेयुनिसिपाल्टीया ज़िलाहिंदके हो याबाबत— (जीम) डिबिंचर या दीगर किफ़ाला नामजातज़र नक़दके जिसकोकिसीहाकिमसुक़ामीया किसीने जारी कियाहो याजो उसके लियेजारी किया गयाहो	**हिस्सा—३** **किफ़ालानामजातकाज़रसूद** ५—पांच पाई (अंगरेज़ी) फ़ी रूपया ज़र सूद मज़कूर पर इल्ला जबकि किफ़ाले नामाका मालिककोई सार्टीफ़िकट दस्तख़ती कलक्टर इस मज़मून की पेशकरे कि उसकीसालाना आमदनी जुमला अबवाबसे पांच सौ रुपये से कम है —कि इससूरत में ज़रसूदसे कुछ वज़ा नहीं कर लिया जायगा—या जब कि वह उसी तरह की सार्टीफ़िकट इस मज़मूनकी पेश करे कि उसकी आमदनी जुमला अबवाबसे दो हज़ार रुपये से कम है—किइस सूरतमें शरह फ़ीरूपयाचारपाई (अंगरेज़ी) होगी ॥

ततिम्मा दूसरे ज़मीमेका

पहिलाख़ाना	दूसराख़ाना
आमदनीकाबाब	टिकसकी शरह

हिस्सा—४

आमदनी के और और अबवाब

कोईबाब आ-	(अलिफ़) अगर तख़मीन सालाना
मदनी काजो	आमदनीकोपांचसौरुपयेसेकमनहोमगर सात सौ पचासरुपयेसेकमहो तोटिक्स दस रु० होगा
इस ज़मीमा	सातसौ पचास रु० से कमनहो मगर एक हज़ार रुपयेसे कमहो तो टिक्स पन्द्रह रुपये होगा
केहिस्सा(१)	एकहज़ार रुपये भरसे कमनहो मगर बारहसौ पचास रु०से कमहोतो टिक्सबीस रु० होगा
याहिस्सा(२)	बारहसौपचास रु०सेकमनहो मगर पंद्रहसौ रु० से कम होतो टिक्स अट्ठाईस रु० होगा
याहिस्सा(३)	पन्द्रहसौ रु० सेकम नहो मगर सत्रहसौपचासरु०से कम होतो टिक्सपैंतीसरु० होगा
में दाख़िलन-	सत्रहसौपचास रु०सेकमनहो मगर दो हज़ार रु०से कमहो तो टिक्स बयालीस रु० होगा
हीं है—	

(बे)—अगरतख़मीन सालाना आमदनीकी दो हज़ार रुपये या उससे ज़ियादह हो तो आमदनी पर फ़ी रुपया पांचपाई (अंगरेज़ी)

तीसरा ज़मीमा नमूना अर्ज़ीका (दफ़ा २५ व देखिये)

बहुज़ूर कलक्टर मुक़ाम——तारीखफ़लां माहफ़लांसन्१८८. ई० अर्ज़ी ज़ैदकी साकिन मुक़ाम फ़लां हस्ब ज़ैलहै

(१)—बमूजिब ऐक्ट नम्बर मजरिया सन् १८८६ ई० मुझ अर्ज़ी गुज़राननेवालेपर मबलिग़ रुपये बाबत इससाल के जो यकुम अप्रैल सन् १८८ ई० से शुरू होताहै मुश्क्खस हुआहै—

(२) मुझ अर्ज़ी गुज़राननेवालेकी आमदनी और मुनाफ़ा जो यहां अर्ज़ी गुज़रानने वाले के कारोबार की या और बाब या अबवाब आमदनी या मुनाफ़ाकी और इस मुक़ाम या उन मकामों की जहां वैसी आमदनी या मुनाफ़ा हासिल या पैदा हुये हों—तशरीह की जाय) बाबत उस साल के जो तारीख़फ़लां माहफ़लां गुज़रताको ख़तम हुआहै हासिल और पैदा हुयेवह रुपयेथे (चुनांचउन काग़ज़ातसे जिनकी फ़ेहरिस्त इसके साथ+पेशकी जातीहै यह अमर मनकिशफ़ होगा)

(३) आमदनी और मुनाफ़ा मज़कूर दरहक़ीक़त दर्मियान मुद्दत महीने और रोज़के पैदाहुये यहांठीक तादाद महीनों और रोज़ोंकी जिनके असना में वह आमदनी और मुनाफ़ा हासिल और पैदाहुये मज़कूर रहै—

(४) साल मज़कूर के अन्दर मुझ अर्ज़ी गुज़राननेवालेकी कोई और आमदनी या मुनाफ़ा न थी लिहाज़ा मुझ अर्ज़ी गुज़राननेवालेकी दरख़्वास्त यहहै कि मुझपर उसीके बमूजिब टिक्स मुश्क्खस किया जाय या यह कि यह क़रार दिया जाय

+यह अलफ़ाज़ मुन्दर्ज होने चाहिये अगर अर्ज़ी गुज़रानने वाला काग़ज़ात पर तकया करे—और अगर अर्ज़ी गुज़रानने वाला चाहे तो फ़ेहरिस्त मैक्ह मदय मोहर लिफ़ाफ़ा के अन्दर मलफ़ूफ़ होकर पेश होसक्ती है—

कि मुझ अर्ज़ी गुज़रानने वालेसे टिक्स हस्ब ऐक्ट हाज़ा वाजिबुत्तलब नहीं है—

(दस्तख़त) ज़ैद

नमूना इबारत तसदीक़ का

मैं अर्ज़ी गुज़रान ने वाला मुसम्मेज़ैद कि मेरानाम अर्ज़ी में मन्दर्जहै इज़हार इस अम्रका करताहूं कि जो कुछ कि इस अर्ज़ी में मज़कूरहै वह मेरी बेहतरें वाकफ़ियत और यक़ीन की रूसे सहीहै—

(दस्तख़त) ज़ैद

ख़ज़ाना

इन्कमटिक्स

३ मार्च सन् १८८६ ई०

नम्बर $\frac{६७}{१०१—१२}$ बनिफ़ाज़ उन अख़्तियारात के जो हस्ब दफ़ा ४० ऐक्ट २ सन् १८८६ ई० मुफ़व्वज़ हुयेहैं जनाब लफ्टंट गवर्नर और चीफ़ कमिश्नर बहादुर यकुमअप्रैल सन् १८८६ ई० से जुमीये अशख़ास असिस्टंट कलक्टर और असिस्टंट कमिश्नरान दर्जह अव्वल को जो तहसीलदार या क़ायम मुक़ाम डिपुटी कलक्टर नहीं और नीज़ जमीयेमजिस्ट्रेटान छावनीको यह अख़्तियार अता फ़रमातेहैं कि मुमालिक मग़रबी व शिमाली व अवधमें तमाम अख़्तियारात व ख़िदमात जो हस्ब अहकाम ऐक्ट मज़कूर और क़वायद मुरत्तिबे हस्ब ऐक्ट मज़कूर कलक्टरकोतफ़वीज़हुयेहैं या इससे मुतअल्लिक़ कियेगयेहैं बजुज़ उन अख़्तियारात के जो अज़रूय दफ़ा ८ ज़िमुन२ और दफ़ात १२ व ३१ व ३६ अता हुयेहैं इस्तैमाल में लाया और अंजाम दिया करैं—

नम्बर $\frac{६८}{१०१—१२}$—बनिफ़ाज़ उन अख़्तियारात के जो हस्ब दफ़ा ४० ऐक्ट २ सन् १८८६ ई० मुफ़व्वज़हुयेहैं जनाबनव्वाब

लफ्टंट गवर्नर और चीफ़कमिश्नर बहादुर यकुम अप्रैल सन् १८८६ ई० से जमीये साहबान कलक्टर को अख्तियारात कमिश्नर मुतज़क्किरह दफ़ा २७ ऐक्ट मज़कूरनिस्बत सवालात गुज़ारानीदह बनाराज़ी जुमला अहकाम मुतअल्लिक़े दफ़ा २६ मुसद्दिरे किसी ओहदेदार मातहत कलक्टर के जिसको हस्ब इश्तिहार इमरोज़ह नम्बरी $\frac{६०}{१०१—१२}$—ऐसे अहकाम सादिर करनेका अख्तियार दिया गयाहै अता फ़रमातेहैं—

नम्बर $\frac{६८}{१०१—१२}$—हस्ब दफ़ा४७ ज़िमुन ५ ऐक्ट२ सन्१८८६ ई० जनाब नव्वाब लफ्टंट गवर्नर और चीफ़कमिश्नर बहादुर यकुम अप्रैल सन् १८८६ ई० से वह अख्तियारात जो हस्ब दफ़ा ४७ ज़िमुन २ व ४ लोकलगवर्नमेण्टको मुफ़व्वज़ हुयेहैं बोर्ड मालमुमालिक मग़रबी व शिमालीको सिपुर्दफ़रमातेहैं—

नम्बर $\frac{७०}{१०१—१२}$—बनिफ़ाज़ उन अख्तियारात के जो हस्ब ऐक्ट २ सन् १८८६ ई० मुफ़व्वज़हुयेहैं जनाब नव्वाबलफ्टंट गवर्नर और चीफ़ कमिश्नर बहादुर ऐक्ट मज़कूर की रूसे क़वायद मुन्दर्जै ज़ैल मुंज़बित फ़रमातेहैं—

१ कलक्टर को अख्तियारहै कि हस्ब अहकाम दफ़ा ६ ज़िमुन २ (अलिफ़) किसी कम्पनी या जमाअतआम या एसू-सी ऐशनके हक़में जो हाकिम या कम्पनी मुक़ामी की क़िस्म से न हो या किसी आक़ाख़ानगी के हक़ मिंजुमले उस टिक्स के जो ऐक्ट के हिस्सा (१) के बमूजिब किसी शख्स से वसूल किया जाय जिसको तनख्वाह या सालाना या पिंशन या इनाम ऐसी कम्पनी या जमाअत या एसूसी ऐशन या आक़ा से मिले फ़ी रुपया एक पाई बमावज़े इसअम्रके मिनहा करदे कि कम्पनी या जमाअत आम या एसूसी ऐशन या आक़ा मज़-कूर वह तादाद जो शख्स मज़कूरसे वाजिबुलअदा हो मिंजा-निब गवर्नमेण्ट वसूल करे कलक्टर को अख्तियार है कि जब ऐसा बन्दोबस्त किया जाय टिक्सका रुपया बज़रिये उस क़दर

अक़सात के वसूल करे जो ठहर जायें बशर्ते कि पिछली क़िस्त किसी सालमें यकुम मार्चके पीछे वाजिबुल्अदा नहो जो शख्स इस तरह का बन्दोबस्त करके किसी क़िस्त का रुपया तारीख मुक़र्ररह पर अदा न करे इस लायक़ होगा कि उसको निस्बत कारखाई महकूमै दफ़ा ३० अमल में लाई जाय॥

(बे) किसी कम्पनी या जमाअत आम या एसूसी ऐशन के साथ जोहाकिम या कम्पनी मुखतिलुल् मुक़ामकी ख़िदमतमें नहो उस टिक्सकी बाबत जो ऐक्टके हिस्सा (१) के बमूजिब उन तमाम अशख़ासमें वाजिबुल् वसूलहो जो ऐसी कम्पनी या जमाअत या एसूसी ऐशनसे तनख्वाह या सालाना या पिंशन या इनामपाते हैं बमावज़े उस अमरके एक मुनासिब वालम क़िस्त लेनेकी मसालहत करे कि कम्पनी या जमाअतआम या एसूसी ऐशन मज़कूर वह तादाद जो तमाम अशख़ास मज़कूरसे वाजिबुल् वसूल हो मिंजानिब गवर्नमेण्ट वसूल किया करे पर शर्त यह है कि (१) मसालहत उस नक़्शाकी बुनियादपर कीजाय जो ऐक्टकी दफ़ा१०को बमूजिब दाख़िल किया जाय और (२) ऐसी कोई मसालहत एक बरससे ज़ियादह मुद्दतकेलिये नहो और कलक्टर को अख्तियार है कि तादाद जो मसालहतके बमूजिब वाजिबुल्अदाहो बज़रिये इक़सात जिस तरह बमूजिब ज़िम्न (अलिफ़) क़ायदे हाज़ाके होसक्ता है वसूल करे—

(२) ज़रूर है कि वह नक़्शा जिसको हस्ब अहकाम दफ़ा १० ऐक्ट मज़कूर मुताबिक़ नमूना (अलिफ़) के दाख़िल करना चाहिये मिंजानिब ओहदेदार आला ऐसी कम्पनी या दीगर जमाअत आम के हरशाखाके जो हाकिम या कम्पनी मुख़्तलुल मुक़ाम की ख़िदमत नहो निस्बत उसशाखाके जिसका वहओहदेदार आला है दाख़िल किया जाय॥

(३)इसज़िलाके कलक्टर को जिसमें कोई कम्पनी या शख्स कारोबार करता या सकूनत रखताहै अख्तियारहै कि ऐसीकम्पनी के ओहदेदार आलाको या शख्स मज़कूर को इस बात के

ज़ाहिर करनेकी हिदायत करे कि कम्पनी मज़कूर के कारोबार का सदर मुक़ाम या शख्स मज़कूर का सदर मुक़ाम सकूनत कहांहै अगर इस अम्रकी निस्बत कुछ वक़ पैदाहो तो उसकी निस्बत हस्ब महकूमै दफ़ा ४७ ऐक्टकेबोर्ड माळसे तस्फ़िया होनेकेलिये इस्तिफ़सार कियाजायगा जब यह बात तै होजाय कि कारोबार या सकूनतका सदरमुक़ाम कहांहै कलक्टरकम्पनी मज़कूरके ओहदेदार आला या शख्स मज़कूरसे यह दरियाफ्त करेगा कि कम्पनीके कारोबार के दीगर मुक़ामात या शख्स के दीगर मुक़ामात सकूनत कहांकहां हैं तब कलक्टर इस बात का इतमीनान करेगाकि उस नक्शामें जो ऐक्टके दफ़ा ११ के बमूजिब दाखिलहोना चाहिये मुनाफ़ा खालिस सालाना कारोबार के हर शाखाका मिंजानिब उस ओहदेदार आला कम्पनीके जो नक्शा दाखिल करे शामिल किया गया है कलक्टर इसज़िलाका जिस में किसी शख्स के सदर मुक़ाम सकूनतका होना क़रार दियाजाय शख्स मज़कूर के दीगर मुक़ाम या मुक़ामात सकूनत की मौजूदगी से उस ज़िला या ज़िलाओंके कलक्टर या कलक्टरों को मुत्तिला करेगा जिसमें या जिनमें वह दीगर मुक़ाम या मुक़ामात सकूनत शख्स मज़कूरके वाक़े हों और कलक्टर या कलक्टरान मज़कूरैन जैसी सूरत हो उस ज़िलाके कलक्टरको जिसमें उस शख्सका सदर मुक़ाम सकूनत वाक़ै है शख्स मज़कूर की आमदनी के हालसे बाबत दीगर मुक़ाम या मुक़ामात सकूनत मुतज़क्किरै बालाके मुत्तिला करेंगे —

(१) फ़ेहरिस्त उन अशखासकी जो मुताबिक़ हिस्सा ४ ज़िम्न (अलिफ़) ऐक्टके मुस्तौजिब अदाय टिक्सहैं और जिन की आमदनी सालाना बइंतिखास कलक्टर अबतक नहीं पहुंचतीहै या फ़ेहरिस्त मज़कूरका इसकदर हिस्सा या हिसस जो कलक्टर को मुनासिब मालूमहो मय इश्तिहार महकूमै दफ़ा१६ ज़िम्न२ तमाम क़सबाजात के बड़ेर महल्लों और

गंजों में और तमाम मौज़ों में बमुक़ाम चौपाल या दीगर मुक़ामात आमपर जहां अशख़ास तश्ख़ीस याफ़तह रहते हैं और नीज़ तहसीलों में मुश्तहिर किये जायेंगे—

(५) ऐक्टकी दफ़ा १८ ज़िमन (१) फ़िक़रह (अलिफ़) की रूसे कलक्टर को अख़्तियार है कि बजाय दाख़िल करने अशख़ास मुफ़स्सिले ज़ैलके उस फ़ेहरिस्त में जो हस्ब दफ़ा १६ मुश्तहिर की जायेगी ऊपर तामील इत्तिलानामा की हस्ब दफ़ा १७ कराये—

(अलिफ़) अशख़ास जिनके नाम जनाब नव्वाब लफ्टनट गवर्नर और चीफ़कमिश्नर बहादुर के दरबारियों की फ़ेहरिस्त में मुन्दर्ज हैं—

(बे) अशख़ास जो ऐक्ट इसलहा हिंद की तासीर से मुस्तसना किये गये हैं—या उनपर तामील इत्तिलानामा हस्ब दफ़ा १७ कराने के अलावा उनको फ़ेहरिस्त मुरत्तिबे हस्ब दफ़ा १६ में शामिल करे—

(६) कलक्टर को हस्ब दफ़ा १८ ज़िमन (१) फ़िक़रह (बे) अख़्तियार है कि एक इश्तिहार म्यून्सिपल्टियों और छावनियों और ऐसे तमाम क़सबों में जिनमें गो वह म्यून्सिपल्टी न हों लेकिन आबादी ब कसरत हो इस दरख़्वास्त के साथ मुश्तहिर कराये कि जो अशख़ास मुताबिक़ हिस्सा ४ मुस्तौजिब अदाय टिक्सहैं वह अपनी आमदनी के नक्शाजात कलक्टरके हवाले करें और चाहिये कि वह नक्शाजात तारीख़ मुश्तहरी इश्तिहारसे पन्द्रहरोज़ के अन्दर दाख़िलकियेजायें—

७ (१) टिक्स जो हिस्सा ४ (अलिफ़) के बमूजिब वाजिबुल्अदाहो उसतारीख़कोजो फ़ेहरिस्त या इत्तिलानामामें मुन्दर्ज हो यकमुश्त अदा किया जायेगा—

(२) वह टिक्स जो हिस्सा ४ (बे) के बमूजिब वाजिबुल् वसूल है बज़रिये इक़सात मुफ़स्सिले ज़ैल के अदा किया सक्ता है—

(अलिफ़) अगर टिक्स दिहंदा की आमदनी १०००)रु० से ज्यादा नहो तो बज़रिये दो क़िस्तों मसावीउल् तादाद के मिंजुमला उनके एक क़िस्त तारीख़ मुन्दर्जै फ़ेहरिस्त या इत्तिलानामाको अदा कीजायगी औरदूसरी क़िस्त यकुमजनवरीको-

(बे) अगर उसकी आमदनी १०००) रुपया से ज़ियादह हो बज़रिये तीन क़िस्तों मसावीउल तादाद के जिनमें से एक उस तारीख़ को जो फ़ेहरिस्त या इत्तिला नामा में मुंदर्ज हो दूसरी यकुम अक्तूबर और तीसरी यकुम जनवरी को अदा की जायगी ॥

८ रसीदात पर जो दफ़ा ३२ में मज़कूर हैं दस्तख़त किसी ओहदेदारके जिसका रुतबा असिस्टंट कलक्टर दर्जा दोम से कमहो सब्त न किये जावेंगे —

कुतुब रजिस्टर और नमूनाहाय मुन्दर्जैज़ैल ऐक्टके मुताबिक़ मुक़र्रर किये जातेहैं नमूना इत्तिला नामा हस्ब दफ़ा१० ऐक्ट२ सन् १८८६ ई० — बनाम ओहदेदार आला —

तुमको इत्तिला दीजातीहै कि हस्ब दफ़ा१०ऐक्ट२ सन् १८८६ ई० तुमको लाज़िमहै कि एक नक्शा मुताबिक़ नमूना (अलिफ़) मुंसलिके बतारीख़ १५ अप्रैल सन् १८८६ ई० या उसके क़ब्ल तय्यार करके हमारे दफ़्तरमें दाख़िल करो या करादो —

(दस्तख़त) कलक्टर

नमूना (अलिफ़) क़रार दादह गवर्नमेण्ट हिन्द हस्ब क़ायदह २ इश्तिहार नम्बर ५६३ मवर्रुख़ै ५ फ़रवरी सन् १८८६ ई० सीग़ै ख़ज़ाना व तिजारत ॥

नक्शा जो हर हाकिम मुक़ामी या कम्पनी या जमाअत आम या एसूसी एशनका ओहदेदार आला हस्बदफ़ा१० ऐक्ट २ सन् १८८६ ई० दाख़िल करैगा ॥

बनाम { हाकिम मुक़ामी या / कम्पनी या / जमाअतआम या / एसूसी एशन }

नाम तनख्वाहदार या पिंशनदार या सालानादार यायाबिंदह इनाम का	पता और सकूनत	तनख्वाह			पिंशनयासालाना		इनाम	
		क़िस्ममुलाज़िमत	शरह तनख्वाह	किस२ तारीख को वाजिबुल् अदा है	शरह पिंशन या सालाना की	किस२ तारीखको वाजिबुल अदा है	तादाद	किस किसतारीख को अदा कियागया

नमूना (बे) क़रार दादह गवर्नमेण्ट हिंद हस्ब क़ायदह ८ इश्तिहार नंबर ५८३ मवर्रुखे ५ फ़रवरी सन् १८८६ ई० सीग़ै खज़ाना व तिजारत—

मैं—कलक्टर—इस तहरीर की रूसे तसदीक़ करताहूं कि किफ़ालतनामा / किफ़ालतनामजात मुफ़स्सिले ज़ैल के मालिक की आमदनी मय सूद किफ़ालतनामा / किफ़ालतनामजात मज़कूर के या बइख़राज उस आमदनी के जो ज़राअत से हासिल होती है सालाना से कमहै——

दस्तख़त
कलक्टर—

मवर्रुखे

क़िस्मकिफ़ालतनामा	नंबरकिफ़ालतनामा	मवर्रुखे	तादाद

नमूना (जीम) क़रारदादह गवर्नमेण्ट हिंद (हस्ब क़ायदह ८—इश्तिहार नंबर ५८३ मवर्रुखे ५ फ़रवरी सन् १८८६ ई० सीग़ै खज़ाना व तिजारत)

मैं—कलक्टर—इस तहरीर की रूसे तसदीक़ करताहूं कि किफ़ालतनामा / किफ़ालतनामजात मुफ़स्सिले ज़ैलके मालिककी आमदनी मयसूद

किफ़ालतनामा / किफ़ालतनामजात मज़कूर के बइस्तसनाय उस आमदनी के जो ज़रा अत से हासिल होती है सालाना से कम है—

दस्तख़त—
कलक्टर

मवर्रुखे

क़िस्मकिफ़ालतनामा	नंबरकिफ़ालतनामा	मवर्रुखे	तादाद

नमूना (डाल) क़रार दादह गवर्नमेण्ट हिंद (हस्ब क़ायदह १०-इश्तिहार नंबर ५६३ मवर्रुखे ५ फ़रवरी सन् १८८६ ई० सीग़े ख़ज़ाना व तिजारत)

मैं—कलक्टर—इस तहरीर की रूसे तसदीक़ करताहूं कि सूद किफ़ालतनामा / किफ़ालतनामजात का जिनका मालिक—है सिर्फ़ कारखायमज़कूर / दीगरतमाम की अग़राज़ के लिये सिर्फ़ किया जाता है——

दस्तख़त——
कलक्टर—

मवर्रुखे

क़िस्म किफ़ालत नामा	नम्बर किफ़ालत नामा	मवर्रुखे	तादाद

नमूना (हे)—इत्तिलानामा हस्ब दफ़ा ११—ऐक्ट २ सन १८८६ ई० बनाम ओहदेदारआला—

इस तहरीर की रू से इत्तिला दी जातीहै कि हस्ब दफ़ा ११—ऐक्ट २ सन् १८८६ ई० तुमको लाज़िमहैं कि एक नक्शा तहरीरी हस्बनमूना मुन्दर्जे ज़ैल १५ अप्रैल सन् १८८ ई०को या उसके पहले हमारे दफ़्तर में दाख़िल करो या करादो—

ख़ानोंकेउनवानात

१नाम और क़िस्म कम्पनी—

२ सबील या सबीलहाय आमदनी और मुनाफ़ाकी जो ब्रिटिशइंडिया में पैदा होताहै —

३ मुक़ाम या मुक़ामात और ज़िला या इजलाअ जिसमें या जिनमें आमदनी और मुनाफ़ा पैदाहोताहै—

४ तादाद ख़ालिस मुनाफ़ा सालाना अन्दर उस सालके जो ३१ मार्चसन १८८ ई० को ख़तम हुआ—

मैं इस तहरीर की रू से तसदीक़ करताहूं कि मुनाफ़ा ख़ालिस जो इस नक्शामें दर्ज किया गया हर सबील मज़हरह की बाबत सही लिखागया है और फ़ीउल वाक़े मद्दतमज़हरह के अन्दर पैदा हुआहै औरबजुज़ इसके — कम्पनीकोब्रिटिशइंडिया में कोई और सबील आमदनी और मुनाफ़ा की हासिल नहींहै —

(दस्तख़त)

(दस्तख़त

मवर्रख़े कलक्टर)

नमूना—(वाव) महकूमै दफ़ा १२

इस तहरीरकी रू से इत्तिला दीजातीहै कि हस्ब दफ़ा १२ ऐक्ट २ सन १८८६ ई० तुमको लाज़िमहै कि बतारीख़--हमारे दफ़्तर में हाज़िर होकर हमारे मुआयनाके लिये कुतुब हिसाब-कम्पनीकीमुतअल्लिक़ इस सालके जोको ख़तमहुआ और जो तुम्हारे क़ब्ज़ा व अख़्तियारमें हैं पेशकरो या करादो —

(दस्तख़त

मवर्रख़े कलक्टर)

यादद्दाश्त

अगर कोई मरूल वहकुतुब हिसाब जिनका हवाला इत्तिला नामामें दिया गयाहो तारीख़ मुन्दर्जै इत्तिलानामापर या इसके

क़त्लपेश न करे या न कराये तो इंदुलसबूराजुर्म रूबरू किसी मजिस्ट्रेट के वह जुर्माना के लायक़ होगा जो बाबत हर रोज़ केजिसमें उसका क़सूर क़ायम रहै १०) रु० तक हो सक्ता है (दफ़ा३४ ज़िम्न ४ फ़िक़रह जीम)—

नमूना

(जे) महकूमे दफ़ा १२ जो इस टिक्स के साथ दाखिल होगा जो इन किफ़ालत नामों के सूदकी बाबत सरकारमें जमा होने के लिये दियाजाय जिनका रुपया गवर्नमेण्ट हिन्द के ज़िम्मे वाजनी नहींहै॥

खानों के उनवानात

(१)नाम मालिक —
(२)क़िस्म किफ़ालत नामा —
(३) नम्बर किफ़ालत नामा —
(४) तारीख़ किफ़ालत नामा —
(५) तादाद किफ़ालत नामा —
(६) मुद्दत जिसकी बाबत सूद लिया जाताहै —
(७) तादाद सूद —
(८) तादाद टिक्स —
(९) कैफ़ियत —

नमूना (हे)

इत्तिला आमदीजाती है कि हर शख़्सको जिसकानाम फ़ेह-रिस्त मुंसलिकेमें मुन्दर्जहै लाज़िमहै कि तारीख़ —से ५०रोज़के अन्दर वह तादाद अदा करे जो फ़ेहरिस्त में इसके ज़िम्मे वाजिबुल अदा क़रार दीगईहै या तारीख़ —से ३० रोज़केअन्दर बज़रिये सवालजिसपर इस्टाम्प कोर्टफ़ीस मालियती)-सब्तहो

तशखीसकी तख़फ़ीफ़ या तंसीख करानेकेलिये साहब कलक्टर से दरख्वास्त करे —

दस्तख़त

कलक्टर या असिस्टंट कलक्टर दर्जा अव्वल

नमूना (नौ)—इत्तिलानामा महकूमे दफ़ा १७

ऐक्ट २ सन् १८८६ ई० —

नम्बर —

बनाम —

मवर्रख़े

तुमको इस तहरीर की रूसे इत्तिला दीजाती है कि तुम्हारे ऊपर टिकस हस्ब हिस्सा ४ ऐक्ट २ सन् १८८६ ई० मुताबिक़ तफ़सील बमुन्दर्जे जैलके मुशख्ख़स किया गया है —

अगर तुम तारीख मुक़र्ररहको या उससे पहिले टिक्स अदा न करो या आजकी तारीखसे ३० रोज़केअन्दर बज़रिये सवाल जिसपर इस्टाम्प कोर्ट फ़ीस मालियती)- सकतहो तशखीसकी तख़फ़ीफ़ या तंसीह करानेके लिये बहुज़ूर साहब कलक्टर दरख्वास्त करोगे तो तुम्हारी निस्बत अमल मुताबिक़ क़ानूनके किया जायगा टिकसको रसीद बमुक़ाम मुतम्मै —से जोटिकस लेगा तुमको मिलेगी ॥

खानों के उनवानात

(१) आमदनी तखमीनोकी सबील या सबीलें —

(२)साल या जुज़्वसाल जिसके लिये टिकस वाजिबुलअदा है

(३) मुक़ाम या मक़ामात या ज़िला या ज़िला जहां आमदनी पैदा होती है —

(४) तादाद आमदनी जिसपर तशखीस कीगई —

(५) टिक्स वाजिबुलवसूल —

(६) मुसल्लिस — जो — को वाजिबुल्अदा है (इत्तिलानामा की तारीख़ से ६० रोज़के अन्दर)
(७) मुसल्लिस — जो — यकुमअक्तूबरसन् १८८ ई०को वाजिबुल्अदा है —
(८) मुसल्लिस —— जो यकुम जनवरी सन् १८८ ई० को वाजिबुल्अदा है —

दस्तख़त
कलक्टर या असिस्टंट कलक्टर दर्जा अव्वल

मवर्रुखे

नमूना (ए) महकूमे दफ़ा१८ ज़िम्न १

फ़िक़्रह बे

बज़रिये इस इश्तिहारके जुमला अशख़ाससे जो मुक़ाम — की हद्दके अन्दर रहते हैं और मुताबिक़ हिस्सा ४ ऐक्ट२सन् १८८६ ई० मुस्तौजिब अदाय टिक्स हैं दर्ख़्वास्त कीजाती है कि वह इस इश्तिहारके मुश्तहिर होनेकी तारीख़ से १५ रोज़ के अन्दर एक नक़्शा मुतज़म्मिन तफ़सील अपनी आमदनी के उस सालकी बाबत जो उनके हिसाब किताब के पिछले रोज़ तक ख़तम हुआ हो या अगर उनका हिसाब किताब इससाल के अन्दर न हुआहो जो ३१ मार्च सन् १८८ई०को ख़तमहुआ था तो उस सालकी बाबत जो ३१ मार्च सन् १८८ई० को ख़तम हो हस्ब नमूना मुन्दर्जे ज़ैल मुरत्तिब और उसपर अपने दस्तख़त करके साहब कलक्टर के दफ़्तरमें दाख़िल करें —

ख़ानोंके उनवानात

(१) नाम शख़्स का —
(२) सकूनत —
(३) तफ़सील हायआमदनी वमनाफ़ा जो ब्रिटिशइंडिया में

इस साल के अन्दर हासिल हुआ जो ३१ मार्च सन् १८८ ई० को ख़तम हुआ और जिस पर टिक्स मुताबिक़ हिसस २ व ३ के क़ायम नहीं होसक्ता है—

(४) आमदनी बाबत हर सबीलके जिसका मज़कूर ख़ाना ३ में हुआ—

(५) मुद्दत जिसमें आमदनी मुन्दर्जै ख़ाना ४ पैदा हुई—

इस तहरीर की रूसे इक़रार करता हूं कि तादादआमदनी ो इस नक्शा में मुन्दर्ज है इसका तख़मीना बाबत हर बील मज़हरहके बसिदाक़त किया गया है और उस मुद्दत ख़िलवाक़ै पैदा हुई जो इसमें मज़कूरहै और मेरे पास कोई ौर सबील आमदनी की नहीं है—

दस्तख़त

इस नक्शाके नमूने दफ़्तरकलक्टरी व तहसीली म्यून सिपिल हाल से दस्तयाब होसक्ते हैं

दस्तख़त

मवर्रख़े कलक्टर या असिस्टंट कलक्टर दर्जा अव्वल

याद्दाश्त—अगर इस क़िस्मके इक़रार में कोई शख़्स ऐसा बयान दर्ज करे जो झूठहो या जिसको वह झूठ जानता हो या झूठ होना बावर करता हो या सच बावर न करता हो वह उस जुर्मका मुर्तकिब समझा जायगा जो मजमूये ताज़ीरात हिंदकी दफ़ा १७७ में मज़कूर है—

नमूना (क़ाफ़)—रसीद महकूमे दफ़ा ३२

कौंटर फ़ैल

१ — नम्बर तरतीबी

२ — नम्बर और तारीख़ चालानख़ज़ाना या दाख़िला

३ — तादाद जो अदा या वसूलकी गई मयतावान(अगर कुछ हो)

४ — नामशख़्स मुस्तौजिब अदायटिक्स

५ — सबील या सबीलहाय आमदनी जिनकी बाबत टिक्स वाजिबुल्वसूल है

६ — साल या जुज्व साल जिसकी बाबत टिक्स वाजिबुल्वसूल है

७ — मुक़ाम या मुक़ामात व ज़िला या इलाक़ा जिनमें आमदनी पैदा हुई

८ — तादादअक़्सातजोबाक़ीहैं (अगर कुछ हो)

१ नम्बरतरतीबी

२ — नंबर और तारीख़ चालानख़ज़ाना या दाख़िला

३ — तादाद जो अदा या वसूलकीगई मयतावान(अगर कुछ हो)

४ — नामशख़्स मुस्तौजिब अदाय टिक्स

५ — सबील यासबीलहाय आमदनीजिनकी बाबतटिक्स वाजिबुल्वसूल है

६ — साल या जुज्व साल जिसकी बाबत टिक्स वाजिबुल् वसूल है

७ — मुक़ामयामुक़ामात व ज़िला या इलाक़ा जिनमें आमदनी पैदाहुई

८ — तादाद अक़्सात जो बाक़ी हैं (अगर कुछ हो)

दस्तख़त
कलक्टर या असिस्टण्ट
कलक्टर

———

(**नमूनालाम**) इत्तिलानामा महकूमै दफ़ा ४१ ऐक्ट२

सन् १८८६ ई०
नम्बर

बनाम

मवर्रखे

इस तहरीरकी रूसे तुमको हुकम होताहै कि तारीख़ —को या उसके क़ब्ल एक फ़ेहरिस्त हस्ब नमूना मुंसलिका जिसमें मरातिब मुफ़स्सिले ज़ैल तुम्हारे इल्म व यक़ीन की हद तक दर्ज किये जायेंगे मुरत्तिब और उसपर दस्तख़त करके दफ्तर कलक्टरी में दाख़िल करो—

(अलिफ़) नामहर शख्सका जो किसी मकानमें रहताहो या ठहरा हुआ हो जिसकोतुमबतौर मकान सकूनत केइस्तेमालमें लाते या किरायापर देतेहो—

(बे) नाम हर दूसरे शख्सका जो तुम्हारी मुलाज़िमत में दाखिल हो आम इससे कि वह क़िस्म मज़कूर के किसीमकानमें रहताहै या नहीं और जो तनख्वाहया मवाजिबबक़द्र४१॥)=८ पाई माहवार या ५००) रु० सालाना या उससे ज़ियादह पाताहो और ॥

(जीम) मिंजुमला अशखास मज़कूरह सदर मुक़ाम सकूनत उन अशखासके जो क़िस्म मज़कूरके मकानमें नहीं रहते मय मुक़ाम सकूनत ऐसे मकानके किसी रहने वाले या ठहरनेवालेके जो किसी और जगह सकूनत रखता है जहां वह मुस्तौजिब अदाय टिकस हस्ब ऐक्ट हाज़ा है और उसी मुक़ाम की बाबत अपने ऊपर टिकस तश्खीस कराना चाहताहै—

नमूना

(ट)

उन अशख़ासकी फ़ेहरिस्तका जो किसी मकानमें रहते या ठहरे हुये या बतौर मुलाज़िम के हों महकूमे दफ़ा ४१ ऐक्ट २ सन् १८८६ ई०

नाम उन अशख़ासके जो फ़ेहरिस्त दाख़िल करें—

सकूनत—

ख़ानों के उनवानात

(१) नाम

(२) आया रहने वाला या ठहराहुआ या मुलाज़िम है—

(३) सकूनत अगर दूसरी जगह हो —

(४) किसी मुक़ाम सकूनत की बाबत टिक्स तशख़ीस कराना चाहता है—

मैं इस तहरीरकी रूसे इक़रार करताहूं कि तफ़सील जो ऊपर लिखी गईहै ताहद इल्म व यक़ीन मेरेके सचहै और हमने नाम किसी मकान के रहने वाले या ठहरे हुये शख़्स या मुलाज़िमका फ़ेह रिस्त से मतरूक नहीं किया—

दस्तख़त

दस्तख़त

कलक्टर या असिस्टंट कलक्टर दर्जा अव्वल

नमूना—फ़ार्म— इत्तिला नामा महकूमे दफ़ा

(ठ)

४२ ऐक्ट २ सन् १८८६ ई०

तुमको हस्ब दफ़ा ४२ ऐक्ट २ सन् १८८६ ई० हुक्म होताहै कि तारीख़—को या उससे पहिले एककैफ़ियत उन अशख़ास के नामोंकी जिनकी तरफ़से तुमट रस्टी(या वली या महाफ़िज़

या कुमेटी या एजंट) हो मुरत्तिब करके दफ़्तर कलक्टरी में दाखिल करो या करादो—

दस्तख़त

कलक्टर या असिस्टंट कलक्टर दर्जा अव्वल

नमूना—न—इत्तिलानामा महकूमै दफ़ा ४३ ऐक्ट २

सन् १८८६ ई०

तुमको हस्ब दफ़ा ४३ ऐक्ट २ सन् १८८६ ई० हुक्म होता है कि इस इत्तिलानामा की तारीख़ से १५ रोज़ के अन्दर एक नक्शा मुताबिक़ नमूना मुन्दर्जै ज़ैल तरफ़ से——के जिसके तुम टरस्टी—या वली या महाफ़िज़ या कुमेटी या एजंट वग़ैरह) हो मुरत्तिब करके दफ़्तर कलक्टरी में दाख़िल करो या करादो—

ख़ानों के उनवानात

(१) सबील हाय आमदनी व मुनाफ़ा जो ब्रिटिशइंडिया में पैदा होता है और जिस पर ऐक्ट के हिस्सा २ या ३ के बमूजिब टिकस मुश्क़ल्लस नहीं होसक्ता है—

(२) आमदनी की तादाद सालाना बाबत हर सबील मुतज़क्किरै ख़ाना (१)—

(३) मुद्दत जिसमें आमदनी पैदा हुई—

मैं इस तहरीर की रूसे इक़रार करताहूं कि आमदनी जो इस नक्शा में मुन्दर्ज है बाबत हर सबील मुज़हरा के उसका सही तख़मीना किया गया है और फ़िल्वाक़ै वह उस मुद्दत में पैदा हुई जो उसमें मज़कूर है और मुतम्मै—की कोई और सबील आमदनी की नहीं है—

(दस्तख़त)

(दस्तख़त)

मक्सरे कलक्टर या असिस्टंट कलक्टर दर्जा अव्वल

रजिस्टर नंबर ३ इन्कमटिक्स जो ऐसे किफ़ालतनामाजात पर तशख़ीस किया गया जो मिंजानिब किसी हाकिम या कंपनी मुक़ामी के जारी हुये हैं

तादाद किफ़ालतनामा	शरह मुनाफ़ा बाबत शशमाही अव्वल	तादाद मुनाफ़ा शशमाही अव्वल	तादाद टिक्स बालाय मुनाफ़ा शशमाही अव्वल	तारीख़ अदाय टिक्स मुतअल्लिक़ै मुनाफ़ा शशमाही अव्वल	शरह मुनाफ़ा शशमाही दोम	तादाद मुनाफ़ा शशमाही दोम	तादाद टिक्स बालाय मुनाफ़ा शशमाही दोम	तारीख़ अदाय टिक्स बालाय मुनाफ़ा शशमाही दोम	मीज़ान ख़ाना हाय ४ व ८	कैफ़ियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११

रजिस्टर नम्बर ४ — तशख़ीसात टिक्स हसब हिस्सा ४ ऐक्ट २ सन् १८८६ ई०

नम्बर तरतीबी	नाम शख़्स का जिसपर टिक्स मुशख़्ख़स किया गया	तारीख़ इजराय फ़ेहरिस्त महकूमे दफ़ा १६	तारीख़ तामील इत्तिलानामा महकूमे दफ़ा १७	सबील आमदनी	मुक़ाम या मुक़ामात और ज़िला या ज़िलाअ जहां आमदनी पैदा हुई	तादाद तख़मीनी आमदनी की	तादाद टिक्स जो उसपर वाजिबुल्अदा है	तादाद तावान हसब महकूमे दफ़आत ३४ व ३५	तारीख़ अदा किये जाने टिक्स और तावान की (अगर कुछ हो)	तादाद वापसदादह हसब महकूमे दफ़आत २६ व २७	तादाद तख़फ़ीफ़ हसब महकूमे दफ़आत २६ व २७	ख़ालिस तादाद टिक्स वसूल शुदह	कैफ़ियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४

रजिस्टर नम्बर ५—इत्तिलानामजात जो ऐक्ट २ सन् १८८६ ई० के मुताबिक़ जारी कियेगये ॥

तादादइत्तिलाअ़ नामजात जो हसब दफ़ा १२ जारी कियेगये	नाम व क़िस्म कम्पनी	तादाद इत्तिला नामजात जो हसब दफ़ा १० जारी किये गये	नाम और पता सकूनत और पेशा शख़्स तशख़ीसयाफ़्ता	तादाद इत्तिला नामजात जो मुताबिक़ दफ़ा १८ (बी) जारी किये गये	तादाद इत्तिला नामजात जो मुताबिक़ दफ़ा ४१ जारी किये गये	तादाद इत्तिला नाम जात जो मुताबिक़ दफ़ा ४२ जारी किये गये	तादाद इत्तिला नामजात जो मुताबिक़ दफ़ा ४३ जारी किये गये	कैफ़ियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९

रजिस्टर नम्बर ६—दरख़्वास्त हाय नज़रसानी तशख़ीस हसब दफ़ा २५ ऐक्ट २ सन् १८८६ ई०

नम्बर	तारीख़सवाल	नामसायलका	मज़मूनसवाल	तादाद अश्ख़ास जिनके नाम सम्मन हस्बदफ़ा २८ भेजागया	हुक्म और हुक्म की तारीख़	तादाद वापसदादह	तारीख़ हुक्म वापसी	कैफ़ियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९

रजिस्टर नम्बर ७—दर्ख़ास्तहाय नज़रसानी तशख़ीसात हस्ब दफ़ा २७ ऐक्ट २ सन् १८८६ ई० ॥

नम्बर	तारीख़ सवाल	तादाद तशख़ीस — २५० रु० से ज़ियादह (अलिफ़)	तादाद तशख़ीस — २५० रु० से कम (बे)	सायलकाना मकर्रर तारीख़ टिकसकी सदकी अगर टिक्स अदा होचुका हो	सवाल का मज़मून	तादाद गवाहान जिनके नाम सम्मन हस्ब दफ़ा २८ जारी कियेगये	तादाद मुकद्दमात मुफ़स्सिले — तैशुदह बिला तलबी मिसिल के (अलिफ़)	तादाद मुकद्दमात मुफ़स्सिले — तैशुदह बर बिनाय तादाद मुकद्दमा (बे)	तादाद मुकद्दमात मुफ़स्सिले — जो तहक़ीकात नोज़ के लिये भेजे गये (जीम)	तारीख़ इन्फ़िसाल	तादाद जिस के वापस करने का हुक्म हुआ	तारीख़ हुक्म वापसी	कैफ़ियत
१	२	३		४	५	६	७			८	९	१०	११

रजिस्टर नम्बर ८ नालिशात हस्ब दफ़ा ३६ बाबत जरायम मुतज़क्किरे दफ़ात ३४ व ३५ ऐक्ट २ सन् १८८६ ई०

नम्बर	नाम शख़्स का जिसपर नालिश की गई	तारीख़ हुक्म साहब कलक्टर मुसर्रिह हस्ब दफ़ा ३६	तारीख़ इजराय सम्मन	नाम मजिस्ट्रेट जिसके रूबरू नालिश रुजूअ की गई	दफ़ा जिसके मुताबिक़ नालिश की गई	हुक्म मुसर्रिह मजिस्ट्रेट मय तारीख़ हुक्म	तादाद वसूल शुदह मय तारीख़ वसूल	कैफ़ियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९

सोगैखज़ाना व तिजारत

सपरेट रफ़्न्यू

टिक्स हाय मुशक्ख़िसा॥

इन्कमटिक्स

५ मार्चसन् १८८६ ई०

नम्बर १०४२—जनाब आनरेबिल प्रेज़ीडंट बहादुरबइजलास कौंसल क़वायद मुंदर्जेज़ैल हस्ब दफ़ा ३८ ऐक्ट २ सन् १८८६ ई० ऐक्ट मुतज़म्मिन आयद करने टिक्सके उसआमदनी पर जो सिवाय काश्तकारी के और ज़रीयोंसे पैदा होतीहै मुरत्तिब फ़र्माते हैं—

(१)—जो ज़र चंदह कि जबरन् या खुशीसे परवीडंट फंड यानी सरमाया दूरंदेशीके लिये मिंजानिब ऐसे मुलाज़िमान रेलवेके दाखिल किया जाय जिनसे फ़िक़रह (ज़े) दफ़ा५ ऐक्ट २ सन् १८८६ ई० मुतअ़ल्लिक़ नहीं है वह उन्हीं शरायत के साथ और उसी हद तकऐक्टके बमूजिब तश्ख़ीस होनेसे माफ़ किया जायेगा जिनके साथ और जिस हदतक वह रक़ूम हस्ब फ़िक़रह मज़कूर तशख़ीस से बरी कीगई हैं जो तनख्वाह से ब हुक्म या ब इजाज़त गवर्नमेण्टके वज़ाहोती हैं—

(२) परवीडंटफंडरेलवेपरवीडंट इन्स्टट्यूशनका जोबमूजिब ऐसे क़वायदकेक़ायम कियागया है जिनको जनाबनव्वाब गवर्नरजनरल बहादुरइजलासकौंसलने मंज़ूर फ़र्मायाहै हस्ब मुराद क़ायदह१२मुंदर्जे इश्तिहार गवर्नमेण्टहिंदसीग़ैखज़ाना व तिजारत नम्बर५८२ मवर्रुख़े ५ फ़रवरी सन्१८८६ ई०के तरतिबफंड यानीसरमाया मुलाज़िमत तसव्वर किया जायेगा—

इस पुस्तकको पं० रामसेवकबाजपेयीने शुद्ध किया

کے نقول مصدقہ تیار کرکے پیش کرے مع ایک سرٹیفکٹ مستزاد کے جسکا مضمون یہ ہو۔ کہ امور تنقیح طلب متعلق کارروائی مذکور مین موثر ہونیوالا کوئی اور داخلہ کوٹھی مذکور کی بہی جات مین پایا نہین جائیگا۔ اور اس سرٹفکٹ مستزاد پر تاریخ تحریر اور دستخط اسطرح ثبت کیے جائینگے جو قبل اسکے ایکٹ ہذا مین بعلاقہ نقول مصدقہ کے بتایا گیا ہی

(۲)۔ دفعہ ہذا یا دفعہ ماسبق کے تحت کا ہر حکم بینک پر بذریعہ سمن یا بدون سمن کے صادر کیا جاسکتا ہی مگر چاہیئے کہ سمن اسکی تعمیل کے بے عذر تین دن پہلے جس سے بینک مذکور کی تعطیلین خارج ہین پہونچایا جاے۔ لاجبکہ عدالت یا جج اور طرح پر ہدایت کرے۔

(۳) بینک کو جائز ہی کہ کسی وقت حکم مذکور الصدر کے امتثال کی بابت میعاد مقررہ کے پیشتر اپنی بہی کھاتے جانچ پرتال کے لیے پیش کرے۔ یا حکم مذکور کے خلاف مین وجوہات بتانے کی نسبت اپنے ارادہ کی اطلاع دے۔ تو اس صورت مین حکم مذکور تا حکم ثانی نافذ نہوگا۔

دفعہ ۷ — خرچہ — (۱)۔ عدالت یا جج کے حضور جو درخواست کہ از روے ایکٹ ہذا یا واسطے اغراض ایکٹ ہذا کے کیجاے۔ اسکا خرچہ یا کسی ایسے کام کا خرچہ عدالت یا جج کے کسی ایسے حکم کی روسے کیا جائے یا کیے جانیکو ہو جو ایکٹ ہذا کی روسے یا اسکی کسی غرض کے لیئے صادر ہو عدالت یا جج کے صوابدید کے بموجب معین کیا جائیگا۔ جو یہ بھی حکم کرسکتی یا کرسکتا ہی کہ خرچہ مذکور یا اسکا کوئی جزو کسی فریق کو بینک کی طرف سے ادا کیا جاے۔ اگر وہ بینک کے کسی قصور یا نامناسب تاخیر کے سبب عائد ہوا ہو۔

(۲)۔ دفعہ ہذا کے ماتحت کا ہر حکم جو بینک کو یا بینک کی طرف سے خرچہ ادا کرنے کی بابت صادر ہو اُس طرح نافذ ہوگا جس طرح کہ بینک مذکور کے فریق مقدمہ ہونے کی تدبیر مین نافذ ہوتا۔

(۳) ہر حکم تحت دفعہ ہذا درخصوص دلانے خرچہ کی کسی ایسی عدالت صیغہ دیوانی مین درخواست کرنے پر جسکی حکم مذکور مین تصریح رہے بذریعہ عدالت مذکور کے نافذ کیا جائیگا اسطرح پر کہ گویا حکم مذکور روپیہ کی ایک ایسی ڈگری تھا جو اُس عدالت سے صادر ہوئی تھی۔ مگر شرط یہ ہے۔ کہ دفعہ ماتحتی ہذا کے کسی مضمون کے ایسے معنی نہین لئے جائینگے کہ عدالت یا جج صادر کنندہ حکم ایسے اختیار سے ساقط سمجھا جاے جو اسکو درخصوص اداے اخراجات بابت نفاذ اپنے احکا

(۵) - "عدالت" کی لفظ سے ایسا شخص یا ایسے اشخاص مراد ہین جسکے یا جنکے روبرو کوئی قانونی کارروائی دائر ہو یا رجوع کیجائے -

(۶) - "جج" کی لفظ سے عدالت ہائی کورٹ کا جج مراد ہے -

(۷) - "تجویز مقدمہ" کی لفظ سے ہر ایسی سماعت بحضور عدالت مراد ہے جسمین شہادت لی جاے - اور

(۸) - "نقل مصدقہ" کی لفظ سے ہر بینک یعنی کوٹھی صرافی کی بہیجات کے داخلہ کی نقل مع ایسی سرٹیفکٹ کے مراد ہے جو نقل مذکور کے نیچے لکھا جاے اس مضمون کا کہ تحریر ہذا داخلہ مذکور کی صحیح نقل ہے - اور یہ کہ داخلہ مذکور صرافی کوٹھی مذکور کی ایک معمولی بہی مین مندرج ہے - اور کاروبار کے معمولی اور ضابطہ وار دستور کے مطابق لکھا گیا ہے - اور یہ کہ بہی مذکور اسوقت تک بینک کے قبضہ مین موجود ہے - اور سرٹیفکٹ مذکور مین تاریخ تحریر سرٹیفکٹ اور سرغنہ محاسب یا مہتمم بینک کے دستخط اور اُسکے عہدہ کا نام لکھا جاے گا -

دفعہ ۳ - ایکٹ ہذا کے احکام کے متعلق کر دینے کا اختیار -

لوکل گورنمنٹ کو وقتاً فوقتاً اشتہار منطبع گزٹ سرکاری کے ذریعہ سے اختیار ہوگا - کہ ایکٹ ہذا کے احکام کو کسی ایسی شراکتی یا منفرد کاروبار کرنے والی کوٹھی کی بہیجات سے متعلق کر دے جو اُسکے ماتحت کے قلمرو ون کے اندر کاروبار کرتی ہو - اور معمولی حساب کتاب کم سے کم تین سلسلہ وار بہیان یعنی ایک نقدی کا کہاتا اور ایک روزنامچہ یعنی روزانہ آمد و خرچ کی بہی اور ایک روکڑ بہی رکھتی ہو - اور اُسی طرح گورنمنٹ موصوف کو اختیار ہوگا کہ کسی ویسے اشتہار کو منسوخ کر دے -

دفعہ ۴ - صرافی بہیون کے داخلجات کے ثبوت کا طریقہ -

ایکٹ ہذا کے احکام کی پابندی کے ساتھ صرافی بہی کے داخلہ کی ہر نقل مصدقہ تمام کارروائی ہاے قانونی مین داخلہ مذکور کے وجود کا ثبوت بادی النظری متصور ہوگی - اور ہر ایسی صورت مین کہ جہان اور اُس انداز سے تک کہ جسقدر اسوقت خود اصل داخلہ مذکور بمنزل ثبوت بذریعہ قانون کے مقبول ہوسکتا ہے اُن مادون اور معاملون اور حسابون کا ثبوت سمجھی جائیگی جو اُسمین مندرج ہون مگر نہ اُس سے زیادہ اور طرح -

دفعہ ۵ - کس صورت مین صرافی کوٹھی کا ملازم بہی کہاتے کے پیش کرنے مین مجبور نہین ہے -

کسی بینک کا ملازم کسی ایسی قانونی کارروائی مین جسمین بینک مذکور کوئی فریق نہو بینک کی ایسی بہی کہاتا کے حاضر کرنے پر مجبور نہوگا جسکے مضامین ایکٹ ہذا کی رو سے ثابت کیے جا سکتے ہین - اور نہ اُن مادون اور معاملون اور حسابون کے ثابت کرنے کے لیے بصورت گواہ کے حاضر ہونے مین مجبور ہوگا جو اُسمین مندرج ہون - الا جبکہ کوئی عدالت یا جج بسبب کسی خاص وجہ کے حکم کرے -

دفعہ ۶ - عدالت یا جج کے حکم سے بہی کراتے کا معائنہ -

(۱) کسی قانونی کارروائی کے کسی فریق کے درخواست کرنے پر عدالت یا جج کو اختیار ہوگا کہ فریق مذکور کو کارروائی مذکور کی کسی غرض کے لئے یہ حکم کرے کہ اُسکو اختیار ہے کہ کسی بینک کی بہی کہاتے داخلجات کا معائنہ کرے اور نقل لے - یا بینک پر حکم کرے کہ وہ میعاد مصرحہ حکمنامہ کے اندر ویسے تمام داخلجات

ایکٹ نمبر ۱۸ مصدرہ ۱۸۹۱ء

جاری کیا ہوا جناب نواب گورنر جنرل بہادر ھند

باجلاس کونسل کا،

(پہلی اکتوبر سنہ ۱۸۹۱ع کو جناب محتشم الیہ نے اس ایکٹ کو منظور فرمایا،

ایکٹ بمراد ترمیم کرنے قانون شہادت درخصوص بہیجات صرافی کے

چونکہ قرین مصلحت ہے۔ کہ قانون شہادت کی درخصوص بہیجات صرافی کے ترمیم کیجاے لہذا
از روے ایکٹ ہذا احکام ذیل صادر ہوے۔

دفعہ ۱ نام وسعت اور شروع نفاذ

(۱)۔ یہ ایکٹ بہیجات صرافی کی شہادت کا ایکٹ مصدرہ ۱۸۹۱ء کہلائیگا
(۲)۔ اور تمام برٹش انڈیا مین وسعت پذیر ہوگا۔
(۳)۔ اور فی الفور نافذ ہو جاے گا،

دفعہ ۲ تعریفات

اس ایکٹ مین تاوقتیکہ کوئی شے مضمون یا قرینۂ عبارت مین نقیض ہو۔
(۱)۔ ''کمپنی'' کی لفظ سے ہر ایسی کمپنی مراد ہے جبکی کسی ایسے حکم قانون کی روسے رجسٹری ہوئی ہو جو کمپنیون کے متعلق برٹش انڈیا مین وقتاً فوقتاً جاری رہے۔ یا جو کسی ایکٹ پارلیمنٹ یا جناب نواب گورنر جنرل بہادر باجلاس کونسل کے ایکٹ یا فرمان شاہی یا لیٹرس پینیٹ کے ذریعہ سے قائم ہوئی ہو،
(۲)۔ ''بینک یعنی صرافی کوٹھی'' اور ''بینکر یعنی صراف'' کی لفظ سے۔
(الف) ہر ایسی کمپنی مراد ہے جو صرافی کا کام کرتے ہو۔ اور
(ب) ہر ایسی شراکتی کوٹھی یا منفرد کاروبار کرنے والی کوٹھی مراد ہی جبکی بہیجات سے ایکٹ ہذا کے احکام جسطرح پر کہ ایکٹ ہذا مین بعد ازین محکوم ہے متعلق کیے گئے ہون،
(۳) ''بہیجات صرافی'' مین روکڑ بہیان۔ روزنامچے۔ نقدی کے کہاتے۔ حساب کی بہیان
اور تمام دوسری بہیان جو بینک کے معمولی کاروبار مین مستعمل ہون داخل ہین۔
(۴) ''قانونی کارروائی'' کی لفظ سے ہر ایسی کارروائی یا تحقیقات مراد ہے جسمین شہادت دیجاے یا دیجا سکتی ہو۔ اور اسمین ثالثی بھی داخل ہے،

نمبر اور سنہ	عنوان	کسقدر منسوخ ہوا
	جائین اور تسہیل مزید ثبوت اُن دستاویزات اور تحریرات کے بعض مقامات مین جنکی تکمیل برٹانیہ عظمٰے مین یا ہندمین ہوئی ہو۔	
آئین ۱۴ و ۱۵ سنہ جلوس ملکہ معظمہ وکٹوریا باب ۹۹	ترمیم قوانین شہادت	دفعہ ۱۱ اور اسقدر عبارت دفعہ ۱۹ کی جو برٹش انڈیا سے متعلق ہے جسقدر منسوخ نہین ہوا ہے
ایکٹ ۲ سنہ ۱۸۵۲ع	در باب ترمیم قوانین شہادت کے۔	
ایکٹ ۱۹ سنہ ۱۸۵۳ع	قانون جس سے یہ مقصود ہے کہ جن قوانین دفعہ ۱۹۔ کے مطابق سرکار ایسٹ انڈیا کمپنی کی عدالتہاے دیوانی واقعہ پریزیڈنسی بنگالہ مین شہادت لی جاتی ہے اُن مین اصلاح ہو۔	دفعہ ۱۹
ایکٹ ۲ سنہ ۱۸۵۵ع	ایکٹ جس سے یہ مقصود ہے کہ شہادت کے قاعدون مین زیادہ اصلاح ہو۔	جسقدر کہ منسوخ نہین ہوا تھا
ایکٹ ۲۵ سنہ ۱۸۶۱ع	ایکٹ براے تسہیل ضابطہ اُن عدالتون کے جنکو اختیارات فوجداری حاصل ہین اور فرمان شاہی کے بموجب مقرر نہین ہوئین۔	دفعہ ۲۲۷
ایکٹ سنہ ۱۸۶۸ع	ایکٹ متعلقہ عبارات عامہ مصدرہ سنہ ۱۸۶۸ع۔	دفعہ ۷ و ۸

(دستخط) کننگھم

قائم مقام سکرٹری کونسل جناب نواب گورنر جنرل بہادر واضع آئین و قوانین۔

تمام شد

کرائی ہوتی نہ حاکم عدالت کو ایسے سوال کرنیکا منصب ہوگا جو حسب دفعات ۱۴۸ یا ۱۴۹ کے کسی اور شخص کو کرنا نامناسب ہوا ورنہ کسی حاکم عدالت کو یہ اختیار ہوگا کہ بجز اُن صورتون کے جو دفعات ماسبق مین مستثنے کی گئی ہین کسی دستاویز کی شہادت اصلی کے پیش ہونے سے درگذر کرے۔

دفعہ ۱۶۶ اُن مقدمات مین جنکو اہل جوری تجویز کرین یا باعانت اسیسرون کے تجویز کئے جائین اہل جوری یا اسیسرون کو جائز ہو کہ کوئی سوالات جنکو حاکم عدالت خود کرتا اور جنکو مناسب سمجھتا گواہون کے معرفت یا باجازت حاکم عدالت کے کرین۔

فصل ۱۱۔ اقبال بیجا اور نامنظوری شہادت

دفعہ ۱۶۷ اقبال بیجا یا شہادت کی نامنظوری کسی مقدمہ مین براے خود وجہ تجویز جدید یا تنسیخ فیصلہ کی ایسے حالمین نہوگی جبکہ اُس عدالت کو جسکے روبرو ایسا عذر پیش کیا جائے یہ معلوم ہو کہ قطع نظر اُس شہادت کے جسکی نسبت اعتراض ہو یا اُس اقبال کی شہادت کافی اس بات کی ہو کہ فیصلہ جائز رکھا جائے یا یہ کہ وہ شہادت نامنظور شدہ اگر منظور ہوتی تو بھی فیصلہ مین کوئی تبدیل لازم نہوتی۔

ضمیمہ

نمبر اور سنہ	عنوان	کسقدر منسوخ ہوا
آئین ۲۶ سنہ جلوس جارج سوم باب ۵۷	بغرض انتظام مزید تجویز اُن اشخاص کے جو ملزم بعض جرائم موقوعہ ایسٹ انڈیا کے ہوئے ہون اور جو ایکٹ ۲۴ سنہ جلوس فرمانرواے حالمین بایں عنوان صادر ہوا تھا یعنے (ایکٹ بغرض احسن انتظام امورات ایسٹ انڈیا کمپنی اور مقبوضات سرکار انگریزی واقعہ ہند اور تقرر عدالت بغرض جلد تر اور باحسن وجوہ تجویز ہونے اُن اشخاص کے جو ملزم جرائم موقوعہ ایسٹ انڈیا ہوئے ہون) اُس مین سے اُس قدر عبارت منسوخ کرنیکے لیے جسمین یہ حکم ہو کہ ملازمان سرکار ایسٹ انڈیا کمپنی تعلیقہ اپنی جائداد اور اموال کا گذرانین اور بمراد زیادہ موثر کرنے قوانین کے اُن اشخاص کے تدارک مین جو بطور ناجائز ایسٹ انڈیا کو	دفعہ ۲۴ جسقدر کہ عدالت ہاے واقعہ ایسٹ انڈیز سے متعلق ہے۔

اگر مناسب سمجھے تو اُس دستاویز کا معائنہ کرے الا اُس حالمین کہ دستاویز مذکورہ معاملات سرکاری سے تعلق رکھتی ہو یا اُسکو جائز ہی کہ اُسکے قابل منظوری ہونیکے باب مین تجویز کرنیکے لیے اور شہادت طلب کرے۔ اگر اس غرض کے لیے کسی دستاویز کا ترجمہ کرانا ضروری ہو تو عدالت کو اختیار ہی کہ اگر مناسب جانے تو مترجم کو اُسکے مضامین کے اخفا رکھنے کے لیے ہدایت کرے الا اُس حالمین کہ دستاویز شہادت مین گذرنے والی ہو اور اگر مترجم اُس ہدایت کی خلاف ورزی کرے تو وہ مرتکب جرم محکومہ دفعہ ۱۶۶ مجموعہ تعزیرات ہند کا متصور ہوگا۔

دفعہ ۱۶۳ اگر کوئی فریق اُس دستاویز کو جسکے پیش کرنیکے لیے فریق ثانی کو اُسنے اطلاع دی ہو طلب کرائے اور وہ دستاویز پیش کیجائے اور وہ فریق جسنے طلب کرائی ہو اُسکا معائنہ کرے تو اُسکو لازم ہی کہ اُس دستاویز کو شہادت گردانے بشرطیکہ فریق پیش کنندہ اس بات پر اصرار کرے۔

دفعہ ۱۶۴ اگر کوئی فریق کسی ایسی دستاویز کو جسکے پیش کرنیکے لیے اطلاع اُسکو دی گئی ہو پیش نہ کرے تو وہ فریق اُس دستاویز کو من بعد بدون رضامندی فریق ثانی یا حکم عدالت کے شہادت مین نہین گذران سکتا ہی۔

تمثیل ـ زید نے عمر پر بربنائے ایک اقرارنامہ کے نالش رجوع کی اور عمر کو اسکے پیش کرنیکے لیے اطلاع دی بروقت تجویز زید نے اُس اقرارنامہ کو طلب کرایا اور عمر نے اُسکے پیش کرنے سے انکار کیا زید نے اُسکے مضامین کی شہادت منقولی پیش کی عمر نے اُس اصل اقرارنامہ کو واسطے تردید شہادت منقولی گذرانیدہ زید کے یا واسطے ثبوت اِس امر کے کہ اقرارنامہ اسٹامپ پر نہین ہی پیش کرنا چاہا پس اسصورت مین وہ اُسکا مجاز نہین ہو سکتا۔

دفعہ ۱۶۵ حاکم عدالت کو اختیار ہی کہ واسطے انکشاف یا حصول ثبوت مناسب واقعات متعلقہ کے جو سوال چاہے کسی طور پر کسیوقت کسی گواہ سے یا کسی فریق سے کسی واقعہ متعلقہ یا غیر متعلقہ کی بابت کرے یا واسطے پیش کرنے کسی دستاویز یا کسی شئے کے حکم دے اور اہالی مقدمہ یا اُنکے مختارون کو یہ استحقاق نہوگا کہ ایسے کسی سوال یا حکم پر عذر کرین اور نہ یہ کہ بدون اجازت عدالت کے کسی گواہ کے جواب کی بابت جو ایسے سوال پر اُسنے دیا ہو اُس سے کوئی سوال کرین ـ مگر شرط یہ ہی کہ فیصلہ مبنی ایسے واقعات پر ہو جو از روے ایکٹ ہذا کے واقعات متعلقہ قرار دیے گئے ہین اور حسب ضابطہ ثابت کیے جائین ـ نیز شرط یہ ہی کہ اس دفعہ کی رو سے کسی حاکم عدالت کو یہ اختیار نہوگا کہ کسی گواہ کو کسی سوال کے جواب دینے پر یا کسی دستاویز کے پیش کرنے پر مجبور کرے جسکی بابت بموجب دفعات ۱۲۱ لغایت ۱۳۱ ایکٹ ہذا کے اُسکو استحقاق جواب نہ دینے یا پیش نہ کرنیکا اُسصورت مین حاصل ہوتا جبکہ وہ سوال فریق ثانی نے اُس سے کیا ہوتا یا وہ دستاویز طلب

دفعہ ۱۵۸ جب کوئی بیان جو حسب دفعہ ۳۲ یا ۳۳ کے واقعہ متعلقہ ہو ثابت کیا جائے تو جائز ہے کہ واسطے اُسکی تائید یا تردید کے یا واسطے ضعف یا استحکام معتبری اُس شخص کے جسنے کہ وہ بیان کیا ہو تمام ایسے امور ثابت کئے جائیں جو اُس صورت مین ثابت کیے جاتے جبکہ وہ شخص بطور گواہ کے طلب کیا جاتا اور بسوال طرف ثانی اس امر کی صداقت کی نسبت انکار کرتا جو کہ اس سوال کے جواب کی طرف منجر ہوتا ہو۔

دفعہ ۱۵۹ گواہ کو جائز ہے کہ جب اُسکا اظہار ہوتا ہو تو یاد کرنیکے لیے کسی ایسی تحریر کو معائنہ کرے جو خود اُسنے عین بروقت اُس معاملہ کے جسکی بابت اُس سے سوال کیا جائے یا اُسکے بعد اُس قدر عرصہ قلیل مین کی ہو کہ عدالت کی دانست مین وہ معاملہ اُسوقت اُسکو خوب یاد تھا۔ گواہ کو ایسے نوشتہ کے معائنہ کا بھی اختیار ہے جو کسی اور شخص نے کیا ہو اور اُس گواہ نے زمانہ مذکورہ بالا کے اندر پڑھا ہو اور بروقت پڑھنے کے اُسکو صحیح جانا ہو۔ جب گواہ یاد کرنیکے لیے کسی دستاویز کا معائنہ کر سکتا ہو تو اُسکو جائز ہے کہ باجازت عدالت اُس دستاویز کی نقل کو بھی اس کام کے لیے مستعمل کرے بشرطیکہ عدالت کو اطمینان اس امر کا حاصل ہو کہ اصل کے نہ پیش کرنیکی وجہ کافی ہے۔ کسی شخص کو بھی جو ماہر کسی فن کا ہو اختیار ہے کہ یاد کرنیکے لیے اُس فن کی کتابون کو معائنہ کرے

دفعہ ۱۶۰ گواہ ایسے واقعات کی نسبت بھی گواہی دینا جائز ہے جو اُس قسم کی دستاویز مین مندرج ہون جسکا ذکر دفعہ ۱۵۹ مین ہوا ہے گو آنکہ اُسکو بصحت خود اُن واقعات کی یاد نہو مگر اس شرط سے کہ اُسکو یہ یقین ہو کہ وہ واقعات اُس دستاویز مین بصحت مرقوم ہوئے تھے۔

تمثیل ۔ ایک بہی کا مرتب رکھنے والا اُن بہی جات مین سے لکھے ہوئے واقعات کی نسبت جنکو وہ اپنے کاروبار کے اجراے مین مرتب رکھتا رہا ہو شہادت دے سکتا ہے بشرطیکہ وہ یہ جانتا ہو کہ وہ بہی جات بصحت مرتب رکھی گئی تھین گو کہ وہ اُن خاص معاملات مندرجہ کو بھول گیا ہو۔

دفعہ ۱۶۱[*] ہر نوشتہ جسکا معائنہ حسب احکام دو دفعات ملحقہ بالا کے کیا جاوے لازم ہے کہ اگر فریق ثانی چاہے تو اُسکے روبرو بھی پیش کیا جائے اور اُسکو دکھلایا جائے اور اگر وہ فریق چاہے تو اُسکی بابت گواہ سے سوال کرے

دفعہ ۱۶۲ جو گواہ کہ واسطے پیش کرنے کسی دستاویز کے طلب کیا جائے اُسے لازم ہے کہ اگر وہ دستاویز اُسکے پاس یا اُسکے اختیار مین ہو تو اُسکو عدالت مین سے لے آئے گو اُسکے پیش کرنے یا قابل منظوری ہونے کی نسبت کچھ عذر بھی ہو اور جواز اُس عذر کا عدالت تجویز کریگی۔ عدالت

[*] دفعہ ہذا روزنامچہ پولیس سے متعلق ہے۔ دیکھو دفعہ ۱۷۲ - ایکٹ نمبر ۱۰ سنہ ۱۸۸۲ع۔

کہ گواہ نے رشوت لی ہی یا اُسنے رشوت کے دئے جانے کو قبول کیا ہی یا اور کوئی ترغیب ناجائز واسطے ادائے شہادت
کے اُسکو ہوئی ہی (۳) یہ ثبوت بیانات سابقہ کے جو مغائر کسی جزو اُسکی ایسی شہادت کے ہون جسکی تردید ہو سکتی ہی
(۴) جب ایک شخص پر نالش زنا بالجبر یا اقدام زنا بالجبر کی ہو تو یہ ثابت کرنا جائز ہی کہ مدعیہ عموماً فاحشہ ہی۔

تشریح ۔ جو گواہ کہ کسی اور گواہ کو ناقابل اعتبار ظاہر کرے اُسے جائز نہین ہی کہ جس فریق نے اُسکو پیش کیا ہو
اُسکے سوال پر وہ اپنے اس باور کرنیکی وجوہ بیان کرے لیکن فریق ثانی اپنے سوال مین اُس سے وجوہ طلب کر سکتا ہی
اور جو جواب وہ دے اُسکی تردید نہین ہو سکتی گو کہ درصورت جھوٹے ہونے اُن جوابات کے اُسپر من بعد
جھوٹی گواہی دینے کا الزام عائد ہو۔

تمثیلات (الف) زید نے عمرو پر بابت قیمت اُن اجناس کے جو عمر کے ہاتھ بیچی گئی تھین اور اُسکو حوالہ کر دی گئی تھین نالش کی
بکر نے کہا کہ اُسنے وہ مال عمر کے حوالہ کر دیا۔ شہادت بہ ثبوت اس امر کے پیش کی گئی کہ پیشتر ایک مرتبہ اُسنے یہ کہا تھا کہ
مین نے مال عمر کو حوالہ نہین کیا ہی۔ یہ شہادت قابل منظوری ہی۔ **(ب)** زید بعلت قتل عمد عمر کے ماخوذ ہوا
بکر نے کہا کہ عمر نے بروقت فوت ہونیکے یہ ظاہر کیا تھا کہ زید نے عمر کو وہ زخم لگایا تھا جس سے وہ مر گیا۔ شہادت اس امر
کی ثابت کرنیکے لیے پیش کیگئی کہ ایک مرتبہ پیشتر بکر نے کہا تھا کہ زید نے زخم نہین لگایا یا یہ کہ اُسکے سامنے
نہین لگایا گیا۔ یہ شہادت قابل منظوری ہی۔

دفعہ ۱۵۶ جب کوئی گواہ جسکی تطبیق کرنی منظور ہی شہادت کسی واقعہ متعلقہ کی دے تو جائز ہی کہ
اُس سے اور ایسے واقعات پوچھے جائین جو اُسنے واقعہ متذکرہ بالا کے وقوع کیوقت یا مقام پر یا اُسکے قریب
دیکھے ہون مگر ایسی صورت مین کہ عدالت کی راے مین وہ حالات درصورت ثابت ہوجانے کے [illegible]
اُس گواہ کے نسبت واقعہ متعلقہ کے ہون جسکی بابت وہ گواہی دے۔

تمثیل ۔ زید ایک سازشی نے بیان ایک سرقہ کا کیا جس مین کہ وہ شریک تھا اور اُسنے ذکر کئی واقعات کا
کیا جو سرقہ سے کچھ تعلق نہین رکھتے ہین اور مقام ارتکاب سرقہ کی راہ مین آنے اور جانیکے وقت ہوئے تھے۔
اِن واقعات کی شہادت خارجی گذر سکتی ہی تاکہ اُسکی گواہی کی جو نسبت نفس سرقہ مذکور کے ہی تائید ہو۔

دفعہ ۱۵۷ واسطے تائید شہادت ایک گواہ کے جائز ہی کہ کوئی بیان سابق اُسی گواہ کا جو اُسی امر واقعہ
کے متعلق اُسکے وقوع کے وقت یا اُسکے قریب کیا گیا ہو یا روبرو ایسے حاکم کے کیا گیا ہو جو قانوناً اُس
واقعہ کی تحقیقات کا مجاز ہو ثابت کیا جائے۔

تومن بعد جھوٹی گواہی دینے کا الزام اُسپر عائد ہوگا۔

مستثنٰی ۱۔ اگرکسی گواہ سے پوچھا جائے کہ وہ پیشتر کسی جرم کا مجرم ثابت ہوا تھا یا نہین اور وہ اسکا اقبال نکرے تو اُسپر پیشتر کا جرم ثابت ہونیکی شہادت گذرسکتی ہی۔

مستثنٰی ۲۔ اگر گواہ سے کوئی ایسا سوال پوچھا جائے جس سے اُسکے بلا طرفدار ہونے پر حرف آتا ہو اور وہ اُن واقعات سے جو اُس سوال سے نکلتے ہون انکار کرے تو جائز ہی کہ اُسکی تردید کیجائے۔

تمثیلات (الف) ایک بیمہ کرنیوالے پر دعوی کیا گیا اور اُسکی جوابدہی اس نہج پر کی گئی کہ وہ مبنی بر فریب ہی۔ مدعی سے پوچھا گیا کہ پہلے معاملہ مین تمنے دعوی مبنی پر فریب کیا تھا یا نہین اُسنے انکار کیا۔ شہادت واسطے ثبوت اس امر کے پیش کی گئی کہ اُسنے ایسا دعوی کیا تھا۔ یہ شہادت قابل منظوری نہین ہی (ب) ایک گواہ سے پوچھا گیا کہ وہ بددیانتی کی علت مین عہدہ سے موقوف کیا گیا تھا یا نہین اُسنے انکار کیا۔ شہادت واسطے اس امر کے پیش کی گئی کہ وہ بعلت بدمعاملگی کے موقوف کیا گیا تھا۔ یہ شہادت قابل منظوری نہین ہی (ج) زید نے کہا کہ فلان تاریخ اُسنے عمر کو لاہور مین دیکھا تھا۔ زید سے پوچھا گیا کہ وہ اُسی تاریخ کو کلکتہ مین تھا یا نہین اُسنے انکار کیا۔ شہادت یہ بات ثابت کرنیکے لیے پیش کی گئی کہ زید اُس تاریخ کو کلکتہ مین تھا۔ یہ شہادت قابل منظوری ہی نہ بایں وجہ کہ اُس سے تردید ایسے واقعہ کی ہوتی ہی جس سے اُسکا اعتبار جاتا رہے بلکہ اس وجہ سے کہ اُس سے تردید اس واقعہ مبنیہ کی ہوتی ہی کہ عمر تاریخ تحقیق طلب کو لاہور مین دیکھا گیا تھا۔ اِن مقدمات مین سے ہر ایک مین اگر گواہ کا انکار جھوٹا ہو تو اُسپر جھوٹی گواہی دینے کا الزام عائد ہوسکتا ہی۔ (د) زید سے پوچھا گیا کہ تمھارے خاندان اور عمر کے خاندان سے جسکے خلاف وہ گواہی دیتا ہی ایسا فساد ہوا تھا یا نہین جسمین خونریزی ہوئی۔ اُسنے انکار کیا پس جائز ہی کہ اُسکی تردید اس بنا پر کیجائے کہ یہ سوال اُسکی طرفداری کے ظاہر ہونے کی طرف منجر ہوتا ہی۔

دفعہ ۱۵۴۔ عدالت کو بحسب اپنی اقتضاے راے کے اختیار ہی کہ جو شخص کوئی گواہ پیش کرے اُسے اجازت ایسے سوالات کرنیکی دے جو کہ فریق مخالف اپنی طرف سے کرسکتا ہو۔

دفعہ ۱۵۵۔ گواہ کے اعتبار پر فریق مخالف یا بمنظوری عدالت کے وہی فریق جو اُسے پیش کرے حسب مفصلہ ذیل اعتراض کرسکتا ہی۔ (۱) بشہادت اُن اشخاص کے جو بابت اُن کی گواہی دین کہ جو کچھ وہ اُس گواہ کی نسبت پہلے سے جانتے ہین اُسکی وجہ سے وہ اُس گواہ کو نامعتبر سمجھتے ہین۔ (۲) * بہ ثبوت اس امر کے

---

* دفعہ ۱۱۔ ایکٹ نمبر ۱۸ سنہ ۱۸۷۲ء۔

اُسصورت مین نامناسب ہین جبکہ اُسکی شہادت کی ضرورت اسقدر نہو جتنا ہر اُسکے چال چلن کی نسبت اُنسے الزام پیدا ہوتا ہو **چہارم** عدالت کو اختیار ہو اگر نامناسب جانے تو جواب دینے مین گواہ کے انکار سے یہ استنباط کرے کہ اگر وہ جواب دیتا تو مفید نہوتا۔

دفعہ ۱۴۹ ایسا سوال جسکا ذکر دفعہ ۱۴۸ مین ہوا نہ پوچھا جانا چاہیے الا اُس حالمین کہ پوچھنے والیکی دانست مین بوجہ معقول یہ ثابت ہو کہ جو الزام اُس سے عائد ہوتا ہو وہ واجبی ہو۔

تمثیلات (الف) ایک بیرسٹر سے ایک اٹرنی یا وکیل نے کہا کہ گواہ جسکی گواہی اہم ہو ڈکیت ہو پس وجہ معقول اُس گواہ سے اِس سوال کے پوچھنے کی ہو کہ تم ڈکیت ہو یا نہین۔ **(ب)** ایک شخص نے ایک وکیل سے عدالت مین یہ کہا کہ گواہ جسکی گواہی اہم ہو ڈکیت ہو اور وکیل نے اُس شخص سے وجہ پوچھی تو اُسنے وجوہ اپنے بیان کی صداقت کے حسب اطمینان بیان کین پس یہ وجہ معقول اسبات کی ہو کہ اُس گواہ سے یہ سوال کیا جائے کہ تم ڈکیت ہو یا نہین **(ج)** ایک گواہ سے جسکا کچھ حال معلوم نہین اتفاقاً یہ پوچھا گیا کہ تم ڈکیت ہو پس اسصورت مین کوئی وجہ معقول ایسے سوال کی نہین ہو **(د)** ایک گواہ کا کچھ حال معلوم نہین ہو مگر جب اُس سے یہ پوچھا گیا کہ تمھاری معاش کیا ہو اور کسطور پر بسر کرتے ہو تو اُسنے جواب قابل اطمینان نہ دئے پس وجہ معقول اس سوال کی ہو کہ تم ڈکیت ہو

دفعہ ۱۵۰ اگر عدالت کی یہ رائے ہو کہ کوئی سوال بلا وجہ معقول پوچھا گیا تو اُسکو اختیار ہو کہ اگر کسی بیرسٹر یا سوال وجواب کنندہ یا وکیل یا اٹرنی نے کیا ہو تو کیفیت حالات مقدمہ عدالت ہائیکورٹ یا اور حاکم کو جسکا کہ وہ بیرسٹر یا سوال وجواب کنندہ یا وکیل یا اٹرنی اپنے اُس پیشہ مین ماتحت ہو بھیجے۔

دفعہ ۱۵۱ عدالت کو جائز ہو کہ جن سوالات یا استفسارات کو فحش یا ہتک آمیز سمجھے اُنکی ممانعت کرے گو کہ وہ سوالات یا استفسارات کچھ تعلق اُمورات نزاعی مرجوعہ عدالت سے رکھتے ہون الا اُس حالمین کہ انکو واقعات تنقیحی سے علاقہ ہو یا ایسے اُمور سے جنکا جاننا واسطے تجویز اور غور اس امر کے ضروری ہو کہ واقعات تنقیحی کا وجود تھا یا نہ تھا

دفعہ ۱۵۲ عدالت کو لازم ہو کہ جو سوالات اُسکی دانست مین توہین یا رنج دینے کے لیے ہون یا عدالت کے نزدیک ایسے ہون کہ گو فی نفسہ مناسب ہین مگر اُنکی طرز سے بلا ضرورت باعث خشم انگیزی ہونگے اُنکی ممانعت کرے۔

دفعہ ۱۵۳ جب کسی گواہ سے کوئی ایسا سوال پوچھا جائے اور وہ اُسکا جواب دے جو تحقیقات سے صرف اسقدر تعلق رکھتا ہو کہ اُسکے چال چلن مین نقص ظاہر ہونے سے اُسکے اعتبار کے تنزل کی طرف منجر ہو تو اُسکی تردید مین کوئی شہادت نہ گذرانی جائیگی لیکن جس حال مین کہ وہ جھوٹا جواب دے

بکر یہ اظہار دیتا ہی کہ اُسنے زید کو خالد سے یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ عمر نے ایک خط مین میری نسبت اتہام سرقہ کا لکھا ہی اور مین اُس سے بدلا لونگا یہ بیان واقعہ متعلقہ ہی اسواسطے کہ اُس سے زید کے لیے وجہ تحریک حملہ کرنیکی پائی جاتی ہی بس اسبات کی گواہی دی جاسکتی ہی گو اور کوئی شہادت بابت اُس خط کے نہ دی جائے۔

دفعہ ۱۴۵ گواہ سے فریق ثانی نسبت اُن بیانات سابقہ کے جو اُسنے بذریعہ تحریر کیے ہون یا وہ بضبط تحریر لائے گئے ہون *اور امور تحقیق طلب سے متعلق ہون اُس تحریر کے دکھلانے یا اُسکے ثابت کیے جانیکے بدون سوال کر سکتا ہی لیکن جس حال مین کہ بذریعہ اُس تحریر کے اُس گواہ کی تردید مقصود ہو تو قبل از انکہ وہ تحریر ثابت کیجائے اُس گواہ کو اُس تحریر کے اُن مضامین کا خیال کرانا چاہیے جنکے ذریعہ سے اُسکی تردید کرنی مقصود ہی۔

دفعہ ۱۴۶ جب کسی گواہ سے فریق ثانی سوال کرے تو اُس سے علاوہ سوالات متذکرہ دفعہ ماسبق کے ہر ایسا سوال پوچھا جاسکتا ہی جس سے اُمور مفصلہ ذیل حاصل ہوتے ہون۔

(۱) اُسکی صداقت کا امتحان۔ (۲) یہ معلوم ہوتا ہو کہ وہ کون ہی اور کس حیثیت کا ہی۔ (۳) تزلزل اُسکی اعتبار مین اُسکے چال چلن مین نقص پیدا کرنے سے گو کہ ایسے سوالات کے جواب مین صراحتاً یا من وجہ وہ گواہ مجرم ٹھہرے یا اُسپر کوئی سزا یا تاوان عائد ہو یا صراحتاً یا من وجہ سزا یا تاوان کے عائد ہونے کی طرف منجر ہو۔

دفعہ ۱۴۷ اگر کوئی ایسا سوال کسی امر متعلقہ مقدمہ یا کارروائی سے علاقہ رکھتا ہو تو احکام دفعہ ۱۳۲ کے اُس سے متعلق ہونگے

دفعہ ۱۴۸ اگر کوئی ایسا سوال کسی ایسے امر سے علاقہ رکھتا ہو جو مقدمہ یا کارروائی سے متعلق نہین ہی بجز اسیقدر کے کہ اُس گواہ کے چال چلن کو عیب لگانے سے اُسکے اعتبار مین خلل ڈالے تو عدالت تجویز کریگی کہ گواہ اُسکا جواب دینے پر مجبور کیا جائے یا نہین اور اگر مناسب جانے تو گواہ کو مطلع کرے کہ اُس سوال کا جواب دینا اُسپر لازم نہین ہی مگر اس اختیار پر عمل کرنے مین عدالت کو لازم ہی کہ امور مفصلہ ذیل کو ملحوظ رکھے

اول ایسے سوالات اُسصورت مین مناسب ہین جبکہ وہ اُس نوع کے ہون کہ صداقت اُس الزام کی جو اُنسے عائد ہوتا ہو گواہ کے اعتبار کی نسبت اُس معاملہ مین جسکی وہ گواہی دیتا ہو عدالت کی راے بدرجہ عظیم بدل جائے

دوم ایسے سوالات اُسصورت مین نامناسب ہین جبکہ وہ الزام جو اُنسے عائد ہوتا ہو ایسے معاملات زمانہ بعید یا ایسی قسم کے معاملات سے علاقہ رکھتے ہون کہ صداقت اُس الزام کی گواہ کے اعتبار کی نسبت اُس معاملہ مین جسکی وہ گواہی دیتا ہو عدالت کی راے کو نہ بدلے یا بدرجہ خفیف بدلے **سوم** ایسے سوالات

* یہ روزنامچہ پولیس سے متعلق ہی۔ دیکھو دفعہ ۱۷۲۔ ایکٹ نمبر ۱۰ سنہ ۱۸۸۲ء

فریق ثانی کا ہوگا اور اُسکے بعد اگر فریق حاضر کنندہ گواہ چاہے تو اُسکا سوال کرر ہوگا۔ سوال فریق اول اور سوال فریق ثانی واقعات متعلقہ کی بابت ہوگا لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ سوال فریق ثانی کا محض انہیں واقعات کی نسبت ہو جنکی گواہی گواہ نے سوال فریق اول پر دی ہو۔ سوال مکرر فریق اول نسبت تصریح اُن امور کے ہوگا جو سوال فریق ثانی میں بیان کیے جائیں اور اگر کوئی نیا امر باجازت عدالت سوال مکرر فریق اول کی بحث میں پیدا ہو تو فریق ثانی کو اختیار ہے کہ اُس امر پر پھر سوال کرے۔

دفعہ ۱۳۹ جو شخص کہ ایک دستاویز کے پیش کرنیکے لیے طلب کیا جائے وہ محض اِس بات سے کہ اُس دستاویز کو پیش کرے گواہ نہیں ہو جاتا ہے اور تاوقتیکہ وہ بطور گواہ نہ طلب کیا جائے اُس سے سوال طرف ثانی کا نہیں ہو سکتا ہے۔

دفعہ ۱۴۰ جو گواہ کہ چال چلن کی بابت ہو اُس سے سوال فریق ثانی اور سوال مکرر فریق اول ہو سکتا ہے۔

دفعہ ۱۴۱ ایسا سوال جس سے وہ جواب نکلتا ہو جو پوچھنے والا اُسکا چاہتا ہے یا جسکی امید رکھتا ہے وہ سوال موصل الی المقصود کہلائیگا۔

دفعہ ۱۴۲ سوالات موصل الی المقصود کی نسبت اگر فریق ثانی اعتراض کرے تو وہ سوال فریق اول میں یا سوال مکرر فریق اول میں بجز اجازت عدالت کے اور نہج پر نہ پوچھے جائیں۔ عدالت سوالات موصل الی المقصود کی اجازت اُن امور کی بابت دیگی جو کہ مقدمہ کے مبادیات یا غیر متنازعہ فیہ ہوں یا جو عدالت کی راے میں پہلے بوجہ کافی ثابت ہو چکے ہوں۔

دفعہ ۱۴۳ سوالات موصل الی المقصود فریق ثانی کے سوال میں پوچھے جا سکتے ہیں۔

دفعہ ۱۴۴ کسی گواہ سے جبکہ وہ اظہار دیتا ہو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کوئی معاہدہ یا عطیہ یا اور انتقال جائداد جسکی بابت وہ اداے شہادت کرتا ہے کسی دستاویز میں مندرج ہے یا وہ نسبت مضمون کسی دستاویز کے کچھ بیان کرنیکو ہے جسکا پیش کرنا عدالت کی راے میں مناسب معلوم ہو تو فریق مخالف کو یہ عذر کرنا جائز ہے کہ جبتک وہ دستاویز پیش نہ کیجاے یا جبتک وہ واقعات ثابت نہوں جنسے فریق پیش کنندہ گواہ مذکور شہادت منقولی کے داخل کرنیکا مستحق ہو وہ گواہ اداے شہادت نہ کرے۔

تشریح۔ گواہ کو جائز ہے کہ جو بیانات اور اشخاص نے بابت مضمون دستاویزات کے کیے ہوں اگر وہ فی نفسہ واقعات متعلقہ ہیں تو اُنکی زبانی شہادت دے۔

تمثیل۔ سوال یہ ہے کہ زید نے عمر پر حملہ کیا یا نہیں۔

واقعہ کے قابل منظوری ہو تو واقعہ آخر الذکر قبل پیش ہونے شہادت واقعہ اول الذکر کے ثابت ہونا چاہیے الا
اُس حالمیں کہ فریق مذکور اُس واقعہ کا ثبوت داخل کرنیکا ذمہ دار ہو اور عدالتکو اُسکی ایسی ذمہ داری پر اطمینان ہو۔
اگر متعلق مقدمہ ہونا ایک واقعہ مبینہ کا منحصر اسپر ہو کہ دوسرا واقعہ مبینہ پہلے ثابت کر لیا جاے تو حاکم عدالت کو
حسب اپنے اقتضاے راے کے جائز ہو کہ واقعہ اول کی شہادت کا گذرنا قبل ثابت ہونے دوسرے واقعہ کے
منظور کرے یا قبل داخل ہونے شہادت واقعہ اول کے شہادت واقعہ ثانی کی طلب کرے۔

تمثیلات (الف) ایک واقعہ متعلقہ مقدمہ کی بابت واسطے ثابت کرنے بیان ایک شخص کے جسکا فوت
ہو جانا ظاہر کیا گیا درخواست کیگئی اور وہ بیان بموجب دفعہ ۳۲ کے واقعہ متعلقہ ہے۔ یہ واقعہ کہ وہ شخص مر گیا ہے
اُسکے بیان کی شہادت کے گذرنے سے پہلے ثابت ہونا چاہیے۔

(ب) ایک دستاویز کے مضمون کو جسکا کھو جانا بیان کیا گیا بذریعہ نقل کے ثابت کرنیکے لیے درخواست کیگئی
یہ واقعہ کہ اصل دستاویز کھو گئی ہے نقل کے پیش ہونے سے پہلے اُس شخص کو ثابت کرنا چاہیے جو اُس نقل کو پیش کرنیکی
درخواست کرتا ہو۔ (ج) زید پر یہ الزام رکھا گیا کہ اُسنے ایک شئے مسروقہ کو مسروقہ جانکر لیا ہے۔ اسبات کے ثابت
کرنیکی درخواست کیگئی کہ اُسنے اپنے پاس اُس شئے کے ہونے سے انکار کیا متعلق ہونا انکار کا اُس شئے کی
شناخت پر منحصر ہے پس عدالت کو اپنی راے کے موافق اختیار ہے کہ اُس شخص کا انکار ثابت ہونے سے پہلے اُس
شئے کی شناخت کا ثبوت طلب کرے یا اُس شئے کی شناخت سے پہلے اُس شخص کے انکار کے ثابت کیے جانیکی
اجازت دے۔ (د) ایک امر واقعہ (الف) کے ثابت کرنیکی درخواست کی گئی اور بیان کیا گیا کہ امر تنقیحی کی
وجہ یا نتیجہ وہی ہے اور چند واقعات درمیانی (ب) و (ج) و (د) ایسے ہیں جنکے وجود کا ثابت ہونا پیشتر اُس سے
ضروری ہے کہ واقعہ (الف) وجہ یا نتیجہ واقعہ تنقیحی کا تصور کیا جاے پس عدالتکو اختیار ہے کہ چاہے واقعات
(ب) یا (ج) یا (د) کے ثابت ہونے سے پہلے واقعہ (الف) کے ثابت کرنیکی اجازت دے چاہے واقعہ (الف)
کے ثبوت کی اجازت دینے سے پہلے واقعات (ب) و (ج) و (د) کا ثبوت طلب کرے۔

دفعہ ۱۳۷ جو سوال کہ گواہ کا پیش کرنیوالا اُس گواہ سے کرے وہ فریق اول کا سوال کہلائیگا۔ اور جو
سوال کہ فریق ثانی اُسی گواہ سے کرے وہ سوال فریق ثانی کہا جائیگا۔ جو سوال کہ بعد سوال فریق ثانی کے
گواہ کا پیش کرنیوالا گواہ سے کرے وہ سوال مکرر فریق اول کہلائیگا۔

دفعہ ۱۳۸ گواہوں سے ابتداءً سوال فریق اول کا کیا جائیگا بعد ازاں اگر فریق ثانی چاہے تو سوال

مجبور کیا جائے نہ واسطے کسی اور امور کے۔

دفعہ ۱۳۰ کوئی گواہ جو فریق مقدمہ نہیں ہو اپنے قبالجات کسی جائداد کے یا کوئی دستاویز جسکے ذریعے وہ کسی جائداد پر بطور مرتہن قابض ہو یا کوئی دستاویز جسکے پیش کرنے سے احتمال اُسکے مجرم قرار دیے جانیکا ہوتا ہو پیش کرنے پر مجبور نکیا جائیگا الا اُس حالمین کہ اُسنے بذریعہ تحریر اُنکے پیش کرنیکا اقرار اُس شخص سے کیا ہو جو اُن دستاویزات کو پیش کرانا چاہتا ہو یا کسی ایسے شخص سے کیا ہو جسکے ذریعہ سے وہ شخص دعویدار ہو۔

دفعہ ۱۳۱ کوئی شخص ایسی دستاویزات کے پیش کرنے پر جو اُسکے پاس ہوں مجبور نکیا جائیگا جنکو پیش کرنیکے لیے کوئی اور شخص بصورت اُنپر قابض ہونیکے اُنکے پیش کرنے سے انکار کرنیکا استحقاق رکھتا الا اُسحالمین کہ یہ شخص آخرالذکر اُنکے پیش کرنے پر راضی ہو۔

دفعہ ۱۳۲ کوئی گواہ کسی سوال کے جواب دینے سے درباب کسی معاملہ متعلقہ امر تنقیح طلب کے کسی نالش یا کسی کارروائی عدالت دیوانی یا فوجداری مین اسوجہ سے متعذر نہوگا کہ اُس سوال کے جواب دینے سے وہ گواہ مجرم ٹھہریگا یا جو جو صراحتاً یا من وجہ باعث اُسکے مجرم ٹھہرائے جانیکا ہوگا یا اُسکو کسی قسم کی سزا یا تاوان کا مستوجب کریگا یا صراحتاً یا من وجہ باعث اُسکے مستوجب سزا یا تاوان ہونیکا ہوگا مگر شرط یہ ہے کہ کوئی گواہ اُس جواب سے جسپر وہ مجبور کیا جائے مستوجب گرفتاری یا نالش فوجداری کا نہوگا اور نہ وہ کسی مقدمہ فوجداری مین بمقابلہ اُسکے ثبوت مین پیش کیا جائیگا بجز اُس مقدمہ فوجداری کے جو بذریعہ اُسی جواب کے جھوٹی گواہی دینے کی علت مین ہو۔

دفعہ ۱۳۳ شریک کسی جرم کا بمقابلہ کسی شخص ملزم کے گواہ ہونیکا مجاز ہے اور کوئی حکم بہ ثبوت جرم محض اسوجہ سے ناجائز نہوگا کہ وہ اُس شریک جرم کی ایسی گواہی کے اعتبار پر صادر ہوا جسکی تائید کسی اور شہادت سے نہین ہوتی ہے۔

دفعہ ۱۳۴ واسطے ثبوت کسی واقعہ کے کسی مقدمہ مین یہ ضرور نہوگا کہ گواہ کسی خاص تعداد کے ہوں۔

فصل ۱۰۔ اظہار گواہان

دفعہ ۱۳۵ ترتیب گواہوں کے پیش کیے جانے اور اظہار لینے کی حسب قانون اور دستور عدالت مجریہ بابت متعلقہ عدالت دیوانی اور فوجداری کے ہوگی اور جب کوئی ایسا قانون نہو تو عدالت کی تجویز کے موافق ہوگی۔

دفعہ ۱۳۶ جب دونوں فریق مین سے کوئی کسی امر واقعہ کی شہادت گذراننا چاہے تو حاکم عدالت کو جائز ہے کہ جو فریق شہادت گذراننا چاہتا ہو اُس سے پوچھے کہ واقعہ منبیہ اگر ثابت ہو جائے تو کسطور پر متعلق مقدمہ ہوگا اور حاکم عدالت کے نزدیک اگر وہ امر واقعہ درصورت ثابت ہونیکے متعلق مقدمہ ہو تو شہادت کا لینا منظور کرے ورنہ منظور نکرے۔ اگر وہ واقعہ جسکے ثابت کرنیکی درخواست کیجائے ایسا ہو کہ اُسکی شہادت صرف بشرط ثبوت کسی اور

ثابت ہوتا ہو کہ اُسکی ماموری کے آغاز کے بعد کوئی جرم یا فریب کیا گیا ہو - اس امر سے کچھ بحث نہین ہے
کہ اسواقعہ کیطرف اُسکے موکل نے یا اسکیطرف سے کسی اور نے اُس بیرسٹر یا سوال و جواب کنندہ یا اٹرنی یا وکیل کو متوجہ کیا یا نہین

تشریح - جو ذمہ داری کہ اِس دفعہ مین بیان کی گئی ہو کام پر ماموری کے موقوف ہونیکے بعد بھی قائم رہیگی -

تمثیلات (**الف**) زید ایک موکل نے اپنے اٹرنی عمر سے کہا کہ مین نے جعل کیا ہے اور مین چاہتا ہون کہ تم
میری طرف سے جوابدہی کرو - چونکہ جوابدہی منجانب ایسے شخص کے جسکا مجرم ہونا معلوم ہو جرم کا کام نہین ہے پس
ایسی اطلاع کا افشا ممنوع ہو (**ب**) زید ایک موکل نے اپنے اٹرنی عمر سے کہا کہ مین ایک دستاویز جعلی کے
ذریعہ سے جائداد کا قبضہ حاصل کیا چاہتا ہون تم اُسکی بنا پر نالش رجوع کرو - یہ اطلاع ایک غرض مجرمانہ کی پیش رفت
کے لیے کی گئی ہو اسلیے افشا اُسکا ممنوع نہین ہے - (**ج**) زید پر الزام غبن کا کیا گیا اور اُسنے عمر ایک اٹرنی کو
اپنی طرف سے جوابدہی کرنیکے لیے مقرر کیا در اثنائے کارروائی مقدمہ عمر نے دیکھا کہ زید کے بہی حساب مین ایک
رقم ایسی داخل ہے جو زید کے نام پر بقدر اُسی مبلغ کے لکھی ہوئی ہو جسکے غبن کا بیان کیا گیا اور وہ رقم اُسکی ماموری
کے آغاز کیوقت اُس بہی مین نہ تھی - چونکہ یہ ایک واقعہ ایسا ہو کہ اُسکو در اثنائے اپنی ماموری کے عمر نے دیکھا اور اُس سے
ثابت ہوتا ہو کہ وہ فریب کارروائی مقدمہ کے شروع ہونیکے بعد کیا گیا اسلیے اُسکا افشا ممنوع نہین ہے -

دفعہ ۱۲۷ احکام دفعہ ۱۲۶ کے مترجمان اور بیرسٹر اور اٹرنی اور وکلا اور سوال و جواب کرنیوالون کے
محرر یا ملازمون سے متعلق ہونگے -

دفعہ ۱۲۸ [1] اگر کوئی فریق مقدمہ اپنی خوشی سے یا اور نہج پر اُسی مقدمہ مین ادائے شہادت کرے تو وہ ایسا
متصور نہوگا کہ اس سبب سے وہ واسطے افشا اُس نوع کے جسکا ذکر دفعہ ۱۲۶ مین کیا گیا ہو راضی ہوا اور اگر کوئی فریق
مقدمہ یا کارروائی کسی بیرسٹر یا سوال و جواب کنندہ یا اٹرنی یا وکیل کو بطور گواہ کے پیش کرے تو راضی ہونا اس
نوع کے افشا کی نسبت صرف اسیصورت مین متصور ہوگا جبکہ وہ بیرسٹر یا اٹرنی یا وکیل سے ایسے امور کی نسبت
سوال کرے جنکو درصورت نہ کرنے ایسے سوال کے اُسے اختیار ظاہر کرنے کا نہوتا -

دفعہ ۱۲۹ کوئی شخص عدالت مین واسطے افشائے اُن امور راز داری کے مجبور نکیا جائیگا جنکا مشورہ د
مابین اُسکے اور اُسکے مستشار قانونی کے عمل مین آیا ہو الا اسحالت مین کہ وہ اپنے تئین گواہ قرار دے اور متصور تم
جائز ہو کہ وہ واسطے افشا ہر امر کے منجملہ امور مذکور جو عدالت کو اُسکی شہادت کی تصریح کیواسطے ضروری متص

[1] دفعہ ۱ - ایکٹ نمبر ۱۸ سنہ ۱۸۷۲ء

ظاہر کرینگی اُسکو اجازت دی جائیگی الا اُس حالمین کہ وہ شخص جسنے کہ اُس امر کی اطلاع دی یا اُسکا قائم مقام حیثیت راضی ہو بجز اُن مقدمات کے جو فیما بین اُن اشخاص کے ہون جنکا باہم ازدواج ہوا یا اُن کارروائیون کے جنمین کہ ایک فریق ازدواج پر ایسے جرم کی نالش ہو جسکا ارتکاب اُسنے بمقابلہ دوسرے فریق ازدواج کے کیا ہو۔

دفعہ ۱۲۳ کوئی شخص ایسے حال کو اداے شہادت مین بیان کرنیکا مجاز نہوگا جو کہ اُسکو امورات سلطنت کے سرکاری دفاتر غیر مشتہرہ سے معلوم ہوا ہو بجز اجازت افسر اُس سررشتہ کے جس سے کہ تعلق ہو اور اُسکو اختیار ہوگا کہ حسب صواب دید اپنے اُسکو اجازت دے یا نہ دے۔

دفعہ ۱۲۴ جو اطلاع کہ کسی عہدہ دار سرکاری کو باعتبار رازداری اُسکے عہدہ کے دی گئی ہو اور اُسکے دانست مین اُسکے افشاے اغراض سرکاری مین فتور واقع ہوتا ہو اُسکے ظاہر کرنیکے لیے وہ عہدہ دار مجبور نکیا جائیگا۔

دفعہ ۱۲۵ کوئی مجسٹریٹ یا عہدہ دار پولیس اسبات کے کہنے پر مجبور نہ کیا جائیگا کہ کسی جرم کے ارتکاب کی اطلاع اُسکو کہان سے ہوئی اور کوئی عہدہ دار مال اس امر کے بیان کرنے پر مجبور نکیا جائیگا کہ کسی جرم متعلقہ آمدنی سرکار کے ارتکاب کی نسبت اُسکو اطلاع کہانسے ہوئی۔

تشریح - اس دفعہ مین عہدہ دار مال سے مراد ایسا عہدہ دار ہے جو آمدنی سرکار کے کسی شعبہ کے کاروبار مین یا اُسکے متعلق مصروف ہو۔

دفعہ ۱۲۶ کوئی بیرسٹر یا اٹرنی یا سوال و جواب کنندہ یا وکیل بلا صریح رضامندی اپنے موکل کے کسیوقت مجاز افشا اُس امر کا نہوگا جسکی اطلاع درانثنا اور بغرض اُسکی ماموری کے بکار بیرسٹر یا اٹرنی یا وکیل کے اُسکے موکل نے دی ہو یا موکل کیطرفسے دی گئی ہو اور نہ مجاز بیان کرنے مضامین یا شرائط کسی دستاویز کا ہوگا جس سے کہ وہ اپنے پیشہ کے کام پر مامور رہنے کے اثنا مین یا اُسکی غرض سے مطلع ہوا ہو اور نہ مجاز افشاے کسی مشورہ کا ہوگا جو اُسنے اپنے پیشہ کے کام مین یا بغرض اُسکے اپنے موکل کو دیا ہو۔

مگر شرط یہ ہے کہ از روے کسی عبارت دفعہ ہذا کے یہ لازم نہوگا کہ امور مفصلہ ذیل کا بھی اخفا کیا جائے۔

(۱) ہر ایسی اطلاع جو کسی غرض خلاف قانون کی پیش رفت کے لیے کیجاے (۲) ہر ایسا واقعہ جسکو کسی بیرسٹر یا سوال و جواب کنندہ یا اٹرنی یا وکیل نے درانثنا اپنی ماموری کے مشاہدہ کیا ہو اور اُس سے

---

۱ دفعہ ۱ - ایکٹ نمبر ۳ سنہ ۱۸۸۷ء
از روے دفعہ ۱۳ - ایکٹ ۱۵ سنہ ۱۸۸۷ء کے بعض عہدہ داران پولیس فوجی بر ہا دفعہ ہذا کی رعایت کے مستحق قرار دیے گئے ہین - دفعہ ۱۳ از ایکٹ ۱۵ سنہ ۱۸۸۷ء ملاحظہ طلب۔
۲ دفعہ ۱۰ - ایکٹ نمبر ۱۸ سنہ ۱۸۷۲ء

یہ ثابت کرنا جائز ہی کہ بمقابلہ اُس شخص کے جسنے امانت رکھوایا تھا اُس دوسرے شخص کو استحقاق مال مذکور کا ہی۔

فصل ۹ - گواہ

دفعہ ۱۱۸ تمام اشخاص مجاز گواہی دینے کے ہونگے الا اُس حالمین کہ عدالت یہ تصور کرے کہ وہ اُن سوالات کو جو اُنسے پوچھے جائین سمجھ نہین سکتے ہین یا اُن سوالات کا جواب معقول نہین دے سکتے ہین یا نابالغ ہین یا نہایت عمر رسیدہ ہین یا سقم جسمانی یا عقلی کے سبب سے یا اُسی قسم کے اور سبب سے معذور ہین۔

تشریح ایک شخص مجنون کا گواہی دینا ناجائز ہی الا اُس حالمین کہ وہ جنون کے باعث اُن سوالات کے سمجھنے مین جو اُس سے پوچھے جائین اور اُنکے معقول جواب دینے مین معذور ہو۔

دفعہ ۱۱۹ جو گواہ کہ بول نہین سکتا ہی وہ کسی اور طور سے بھی جو سمجھ مین آنیکے لائق ہو یا بذریعہ تحریر یا اشارات کے گواہی دے سکتا ہی لیکن تحریر اور اشارات بر سر اجلاس عدالت ہونے چاہئین اور ایسی گواہی شہادت زبانی متصور ہوگی۔

دفعہ ۱۲۰ تمام کار روائی ہاے دیوانی مین اہالی مقدمہ اور ہر فریق مقدمہ کا شوہر یا اُسکی زوجہ گواہی دینے کی مجاز ہوگی اور کار روائی ہاے فوجداری مین بمقابلہ شوہر کے زوجہ یا زوجہ کے مقابلہ مین شوہر گواہی دینے کا مجاز ہوگا۔

دفعہ ۱۲۱ ہر جج یا مجسٹریٹ بجز حکم خاص اُس عدالت کے جسکا وہ ماتحت ہو بابت اپنے عمل کے جو اُسنے عدالت مین بمنصب جج یا مجسٹریٹ کیا ہو یا بابت کسی امر کے جو اُس منصب سے عدالت مین اُسکو معلوم ہوا ہو کسی سوالات کے جواب دینے پر مجبور نہ کیا جائیگا لیکن جائز ہی کہ بابت دیگر اُمور کے جو اُسکے روبرو اُسوقت کہ وہ اُسطور پر عمل کرتا ہو وقوع مین آئین اُس سے اظہار لیا جائے۔

تمثیلات (الف) زید نے عدالت سشن کے روبرو اپنے مقدمہ کی تجویز ہونیکے وقت کہا کہ عمر مجسٹریٹ نے اظہار بطور نامناسب لیا تھا پس عمر بجز حکم خاص عدالت بالا تر کے اسبابمین سوالات کا جواب دینے پر مجبور نہین کیا جا سکتا **(ب)** زید پر عدالت سشن کے روبرو الزام اسبات کا کیا گیا کہ اُسنے روبرو عمر مجسٹریٹ کے جھوٹی شہادت دی تھی عمر سے بجز حکم خاص عدالت بالا تر کے اس امر کی بابت جو زید نے کہا کوئی سوال نہین کیا جا سکتا **(ج)** زید پر عدالت سشن کے روبرو الزام اسبات کا کیا گیا کہ جسوقت اُسکے مقدمہ کی تجویز روبرو عمر سشن جج کے ہو رہی تھی اُسنے اہلکار پولس کے قتل کا قصد کیا جائز ہی کہ جو حال وقوع مین آیا ہو اُسکی بابت عمر سے اظہار لیا جائے۔

دفعہ ۱۲۲ کوئی شخص جسکا ازدواج ہو یا جسکا ازدواج ہو چکا ہو اُس امر کے ظاہر کرنے پر جس سے دراثناء ازدواج اُس شخص نے جسکے ساتھ اُسکا ازدواج ہوا ہی مطلع کیا ہو مجبور نہ کیا جائیگا اور نہ اُس امر کے

تمثیل (ح) ایک شخص ایک دستاویز کو پیش نہین کرتا ہی جو ایک چھوٹے سے معاملہ مین جسکی بابت نالش ہی موثر ہوتی لیکن ایسا بھی ہی کہ پیش ہونا اُسکا اُسکے گھرانیکی ناگواری اور بدنامی کا موجب ہوتا۔

تمثیل (ط) ایک شخص ایسے سوال کا جواب نہین دیتا ہی جسپر قانوناً جواب دینے کے لیے مجبور نہین کیا جا سکتا لیکن اُسکا جواب دینا ایسا ہی کہ جس معاملہ مین اُس سے سوال کیا گیا اُس سے علیحدہ معاملات مین اُسکا نقصان ہوتا ہو۔

تمثیل (ی) ایک تمسک اُسکے لکھدینے والیکے پاس ہی لیکن حالات مقدمہ کے ایسے ہین کہ اُسنے اُسکو چرا لیا ہی۔

فصل ۸ - موانع تقریر مخالف

دفعہ ۱۱۵ - جب کسی شخص نے اپنے اظہار یا فعل یا ترک سے عمداً دوسرے شخص کو کسی چیز کی نسبت یہ باور کرایا ہو یا اُسکو باور کرنے دیا ہو کہ وہ راست ہی اور اُسی اعتبار پر اُس سے عمل کرایا ہو یا اُسکو عمل کرنے دیا ہو تو وہ یا اُس کا قائم مقام مجاز اسکا نہوگا کہ کسی نالش یا کارروائی مین جو فیمابین اُسکے اور اُس شخص یا اُسکے قائم مقام کے ہو اُس چیز کی صداقت سے انکار کرے۔

تمثیل زید نے عمداً اور بدروغ عمر کو یہ باور کرایا کہ فلان زمین زید کی ہی اور اسطور سے عمر کو اُس زمین کے خریدنے اور اُسکی قیمت کے ادا کرنیکی ترغیب دی۔ بعد ازان وہ زمین زید کی ملک مین آئی اور زید نے چاہا کہ وہ بیع اس بنا پر فسخ ہو جائے کہ بروقت بیع کے وہ اُسپر کچھ استحقاق نہین رکھتا تھا پس زید مجاز اُسکا نہوگا کہ اپنے عدم استحقاق کا ثبوت پیش کرے۔

دفعہ ۱۱۶ - کوئی دخیل جائداد غیر منقولہ کا یا وہ شخص جو بذریعہ ایسے دخیل کے دعویدار ہو بایام دخیل کاری کے اسبات کے کہنے کا مجاز نہوگا کہ اُسکے دخیل کی جائداد مذکور کا مالک بروقت شروع ہونے اُسکی دخیل کاری کے اُس جائداد غیر منقولہ پر استحقاق نہ رکھتا تھا اور کوئی شخص جو کسی جائداد غیر منقولہ پر باجازت شخص قابض جائداد کے داخل ہو اسبات سے انکار کرنیکا مجاز نہوگا کہ وہ شخص استحقاق قبضہ کا جو وقت دینے اُس اجازت کے رکھتا تھا۔

دفعہ ۱۱۷ - کوئی سکارنیوالا بل آف اکسچینج کا اسبات سے انکار کرنیکا مجاز نہوگا کہ اُسکا لکھنے والا اختیار اُسکے لکھنے کا یا اُسکی پشت پر بیچا کرنیکا رکھتا تھا اور نہ کوئی امانت دار یا لیسنس دار اسبات سے انکار کرنیکا مجاز ہوگا کہ امانت یا لیسنس دہندہ کو بروقت شروع ہونے امانت یا لیسنس کے اختیار اُس امانت یا عطاے لیسنس کا تھا۔

تشریح ۱ - کسی بل آف اکسچینج کا سکارنیوالا یہ بات کہہ سکتا ہی کہ وہ بل آف اکسچینج حقیقت مین اُسی شخص کا لکھا ہوا نہ تھا جسکا لکھنا اُس سے پایا جاتا ہے۔

تشریح ۲ - اگر ایک امانت دار مال امانتی کو بجز اُس شخص کے جسنے امانت رکھا ہو کسی اور کے حوالہ کرے تو اُسکو یہ ثابت

رکھا گیا ہو (ز) یہ کہ جو شہادت پیش ہو سکتی تھی اور پیش نہین کی گئی اگر وہ پیش کیجاتی تو جس شخص نے کہ اُسکو دبا رکھا اُسکے حق مین مضر ہوتی۔ (ح) یہ کہ ایک شخص ایک سوال کا جواب نہین دیتا ہو اور وہ جواب دینے پر قانوناً مجبور نہین کیا جا سکتا ہو اُسکا جواب اگر وہ دیتا تو اُسکے حق مین مضر ہوتا۔ (ط) یہ کہ ایک دستاویز جس سے کوئی ذمہ داری پیدا ہوتی ہو دستاویز کے لکھدینے والے کے پاس ہو تو اُس ذمہ داری سے برات حاصل ہوئی ہوگی۔ لیکن عدالتکو ایسے واقعات جنکا ذیل مین ذکر کیا جاتا ہو بہ تجویز اس امر کے ملحوظ رکھنے ضرور ہین کہ یہ قاعدہ خاص مقدمہ مرجوعہ سے متعلق ہوتے ہین یا نہین مثلاً۔

تمثیل (الف) ایک دوکاندار کے روپیہ کی تھیلی مین ایک نشان کیا ہوا روپیہ اُسکے چرائے جانیکے بعد عرصہ قریب مین موجود ہو اور وہ تصریح نہین کہہ سکتا ہو کہ اُسکے پاس کیونکر آیا لیکن اپنے معمولی اثنائے کار و بار مین ہمیشہ روپیہ لیا کرتا ہے۔

تمثیل (ب) ایک شخص نہایت مہذب کی تجویز بعلت باعث ہلاکت ہونے ایک شخص کے اس نہج سے کہ اُسنے ایک کل کی ترکیب مین غفلت کی پیش ہو اور عمر ایک شخص ویسا ہی نیک نام جو اُسکی ترکیب مین شریک تھا بعلت اُن حالات کو جو وقوع مین آئے بیان کرتا ہو اور تسلیم کرتا ہو اور بوجوہ کہتا ہو کہ زید سے اور اُس سے جیسا کہ ہو جایا کرتا ہو بے احتیاطی ہوئی۔

تمثیل (ج) ایک جرم کا ارتکاب چند اشخاص سے ہوا اور مجرمون مین سے تین شخص زید اور عمر اور بکر موقع واردات پر پکڑے گئے اور ایک دوسرے سے علیحدہ رکھا گیا اور اُنمین سے ہر ایک جرم کا ایسا بیان کرتا ہو جس سے خالد بھی ماخوذ ہوا اور وہ بیانات موید ایک دوسرے کے اسطور پر ہین کہ سازش سابقہ نہایت قرین قیاس ہے۔

تمثیل (د) زید ایک ہنڈی کا لکھنے والا ایک شخص کارو باری ہو اور عمر اُس کا سکار ہنڈی الانو عمر اور ناواقف اور بالکل زید کے داب مین ہو۔

تمثیل (ہ) ثابت کیا گیا کہ پانچ برس پیشتر ایک دریا ایک سمت مین بہتا تھا لیکن معلوم ہوا کہ اس عرصہ مین طغیانی پانی کی ہوئی جس سے دھار اُسکی بدل گئی ہوگی۔

تمثیل (و) ایک عمل عدالت کا جسکے باضابطہ ہونیکی بابت شبہہ ہو خاص حالات مین انجام دیا گیا تھا

تمثیل (ز) بحث اس امر کی ہو کہ ایک خط پہونچا تھا یا نہین اور اُسکی نسبت ڈاک مین ڈالا جانا ثابت کیا گیا لیکن مفسدہ کے باعث ڈاک کا معمولی راستہ بند ہو گیا تھا۔

جو اُس عمل مین معتمد علیہ ہونیکا منصب رکھتا ہو۔

تمثیلات (الف) ایک موکل نے ایک مختار پر دربارہ ایک بیع کے اعتماد کیا اور موکل نے جو ایک نالش ایسا مین دائر کی اُسمین راست معاملگی کی بحث ہو پس بار ثبوت راست معاملگی کا اُسمقدمہ مین ذمہ مختار کے ہو (ب) ایک بیع کے معاملہ مین بیٹے کی جانب سے جو ابھی بالغ ہوا ہو باپ کی نسبت نیک نیتی سے معاملہ کرنیکی بحث ایک مقدمہ مین واقع ہو اور وہ مقدمہ بیٹے کیطرف سے دائر ہوا ہو بار ثبوت نیک نیتی سے معاملہ کرنیکا باپ کے ذمہ ہو

دفعہ ۱۱۲ یہ واقعہ کہ کوئی شخص قائم رہنے ازدواج جائز مابین اُسکی والدہ اور کسی اور شخص کے پیدا ہوا تھا یا اُس ازدواج کے فسخ ہونیکے بعد مابین ۲۸۰ یوم کے پیدا ہوا اور اُسکی والدہ بے شوہر رہی ثبوت قطعی اس امر کا ہوگا کہ وہ جلبی بیٹا اُس شخص کا ہو الا اُس حالمین کہ یہ ثابت ہو کہ زوجہ اور شوہر اُس زمانہ مین کہ اُسکا حمل رہ سکتا تھا باہم صحبت نہین کر سکتے تھے

دفعہ ۱۱۳ اشتہار مندرجہ گزٹ آف انڈیا اس مضمون کا ایک حصہ علاقہ سرکار انگریزی کا کسی ہندوستانی ریاست یا والی ملک یا فرمانروا کو مفوض کیا گیا ہو ثبوت قطعی اس امر کا ہوگا کہ تفویض ملک کی اُس تاریخ مین جو اُس اشتہار کے اندر لکھی ہو جواز العمل مین آئی ۔

دفعہ ۱۱۴ عدالتکو جائز ہو کہ وجود کسی واقعہ کا جو اُسکی دانست مین غالباً وقوع مین آیا ہو قیاس کرے البتہ معمولی طریقہ واقعات طبیعی اور رویہ انسانی اور سرکاری اور خانگی کاروبار کا بنظر اُس نسبت کے جو اُسمقدمہ کے واقعات کے ساتھ انکو ہو ملحوظ رکھنا ہوگا۔

تمثیلات ۔ عدالتکو امور مفصلہ ذیل کے قیاس کر لینے کا اختیار ہو (الف) یہ کہ جس شخص کے پاس سرقہ کے بعد زمانہ قریب مین مال مسروقہ ہو وہ خود چور ہو یا دانستہ اُسنے مال مسروقہ لیا ہو الا اُس حالمین کہ وہ اپنے پاس اُسکے آنیکی وجہ بیان کرے ۔ (ب) یہ کہ شریک جرم اعتبار کے قابل نہین ہو الا اُس حالمین کہ مقدمہ کے اہم امور جزئی مین اُسکے بیان کی تائید اور طور سے ہوتی ہو (ج) یہ کہ ایک ہنڈی جو سکاری ہوئی یا پشت پر بیچا لکھی ہوئی ہو وہ بابت معاوضہ کافی کے سکاری گئی ہوگی یا اُسکی پشت پہ بیچا لکھا گیا ہوگا (د) یہ کہ ایک شے یا حال اشیا کا موجود ہونا ثابت کیا گیا اور اُسوقت سے اُسقدر عرصہ نہین گذرا جسکے اندر ایسی اشیا یا حالات اشیا معدوم ہو جایا کرتی ہون تو اُنکی نسبت یہ قیاس کر لینا جائز ہو کہ ابتک موجود ہونگی (ہ) یہ کہ عدالت اور دفتر کے کام حسب ضابطہ انجام دیئے گئے ہین (و) یہ کہ معمولی طریقہ کاروبار کا خاص امور مین مرعی

---

۴ دیکھو صفحہ ۲ گزٹ آف انڈیا مورخہ ۴ جنوری ۱۸۷۳ء

تمثیلات (الف) زید جسپر قتل عمد کا الزام رکھا گیا یہ بیان کرتا ہی کہ بوجہ فتور عقل کے اُسنے نوعیت اس فعل کی نہین جانتی تھی - بار ثبوت زید پر ہی - **(ب)** زید جسپر الزام قتل عمد کا رکھا گیا یہ بیان کرتا ہی کہ بوجہ سخت اور ناگہانی اشتعال طبع کے وہ اپنے تئین ضبط کرنیکی طاقت نہین رکھتا تھا - بار ثبوت زید پر ہی **(ج)** از روے دفعہ ۳۲۵ مجموعہ تعزیرات ہند کے یہ حکم ہی کہ جو شخص بجز صورت متذکرہ دفعہ ۳۳۵ کے بالارادہ ضرر شدید کا باعث ہوتا ہی وہ مستوجب فلان سزاؤن کا ہی - زید پر بالارادہ ضرر شدید پہونچانیکا الزام حسب دفعہ ۳۲۵ کے رکھا گیا - بار ثبوت اُن حالات کا جس سے مقدمہ داخل دفعہ ۳۳۵ ہو جائے زید پر ہے -

دفعہ ۱۰٦ جبکوئی امر واقعہ بالخصوص کسی شخص کی حد علم مین ہو تو بار ثبوت اُس امر واقعہ کا اُسی شخص پر ہی

تمثیلات (الف) جبکہ کوئی شخص ایک فعل کسی ایسے ارادہ سے کرے جو اُس فعل کے خاصہ اور حالات سے نہ پیدا ہوتا ہو تو بار ثبوت اُس ارادہ کا اُسی شخص پر ہی - **(ب)** زید پر یہ الزام رکھا گیا کہ اُسنے بغیر ٹکٹ کے ریلوے پر مسافت طے کی بار ثبوت اس امر کا زید کے پاس ٹکٹ تھا زید کے ذمہ ہی -

دفعہ ۱۰۷ جب بحث اس امر کی ہو کہ فلان شخص زندہ ہی یا مر گیا اور یہ ثابت کیا جائے کہ وہ ۳۰ سال کے اندر زندہ تھا تو بار ثبوت اُسکے فوت ہو جانے کا ذمہ اُس شخص کے ہی جو اُسکا مر جانا بیان کرے -

دفعہ ۱۰۸[۴] مگر شرط یہ ہی کہ جب بحث اس امر کی ہو کہ فلان شخص زندہ ہی یا فوت ہو گیا اور یہ بات ثابت کیجائے کہ جن شخصون کو درصورت اُسکی حیات کے اُسکی خبر ضرور ملتی اُنکو سات برس سے اُسکی کچھ خبر نہین ملی ہی تو بار ثبوت اُسکے زندہ ہونیکا اُس شخص پر منتقل ہوتا ہی جو اُسکا زندہ ہونا بیان کرے -

دفعہ ۱۰۹ جب بحث اس امر کی ہو کہ فلان اشخاص شریک اور زمیندار اور رعایا ہین یا مالک اور گماشتے ہین اور یہ بات ثابت کیجائے کہ وہ اُسیطور پر باہم عمل کرتے رہے ہین تو بار ثبوت اس امر کا کہ یہ واسطہ اُنکی درمیان نہین ہی یا موقوف ہو گیا ہی ذمہ اُس شخص کے ہی جو اُس واسطہ کا ہونا بیان کرتا ہو -

دفعہ ۱۱۰ جب بحث اس امر کی ہو کہ ایک شخص جو ایک شی کا قابض ہی وہ اُسکا مالک ہی یا نہین تو بار ثبوت اس امر کا کہ وہ مالک نہین ہی ذمہ اُس شخص کے ہی جو اُسکا مالک نہونا بیان کرتا ہو -

دفعہ ۱۱۱ جب فیمابین فریقین کسی معاملہ مین نیک نیتی کے بابمین گفتگو ہو اور ایک اُنمین سے ایسے منصب مین ہو کہ اُسپر کوئی عمل کرنیکا اعتماز لیا جائے تو بار ثبوت راستی معاملہ کا اُسی فریق کے ذمہ

[۴] دفعہ ۱۹ و دفعہ ۹ - ایکٹ ۱۸ سنہ ۱۸۷۲ء

ایسے واقعات کے ہیں جنپر وہ یعنے زید اصرار کرتا ہی اور عمر اُنکی صداقت سے انکار کرتا ہے۔
زید کو لازم ہی کہ اُن واقعات کا وجود ثابت کرے۔

دفعہ ۱۰۲ بار ثبوت کا ہر نالش یا کارروائی مین اُس شخص پر ہوتا ہی جو طرفین سے متعلق کسی شہادت کے نہ گذرنیکی صورت مین مقدمہ ہار جائے۔

تمثیلات (الف) زید نے عمر پر بابت اراضی مقبوضہ عمر کے نالش کی اور وہ یہ بیان کرتا ہی کہ اُسکے واسطے عمر کا باپ بکر از روے وصیت چھوڑ مرا تھا۔ اگر اس مقدمہ مین طرفین سے شہادت نہ گذرے تو عمر بحالی قبضہ کا مستحق ہوگا۔ بنا بر آن بار ثبوت زید پر ہی۔

(ب) زید نے بابت زر تمسک کے عمر پر نالش کی۔ تمسک کی تکمیل سے اقبال ہی لیکن عمر یہ کہتا ہی کہ وہ تمسک فریب سے کرا لیا گیا تھا اور زید کو اسبات سے انکار ہی۔ اگر طرفین سے کوئی شہادت نہ گذرے تو زید مقدمہ مین کامیاب ہوگا اسواسطے کہ تمسک کی نسبت انکار نہین ہی اور فریب ثابت نہین کیا گیا۔ پس بار ثبوت عمر پر ہی۔

دفعہ ۱۰۳ بار ثبوت نسبت ہر خاص واقعہ کے اُس شخص پر ہوتا ہی جو عدالت کو اُسکے وجود کا باور کرایا چاہتا ہو الا اُس حال مین کہ قانوناً حکم ہو کہ داخل کرنا اُس واقعہ کے ثبوت کا ذمہ فلان شخص کے ہی۔

تمثیل۔ زید نے عمر پر سرقہ کی نالش کی اور عدالت کو یہ باور کرانا چاہا کہ عمر نے اُس سرقہ کا اقبال بکر سے کیا تھا زید کو وہ اقبال ثابت کرنا چاہیے۔ عمر نے عدالت کو یہ باور کرانا چاہا کہ اُس وقت وہ کہین اور تھا۔ پس اُسکو لازم ہی کہ یہ بات ثابت کرے۔

دفعہ ۱۰۴ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو کہ جب وہ ثابت ہو جاے تب کوئی شخص کسی اور واقعہ کی نسبت شہادت داخل کر سکے تو اُس واقعہ اول الذکر کا ثبوت ذمہ ایسے شخص کے ہی جو شہادت داخل کیا چاہتا ہو۔

تمثیلات (الف) زید چاہتا ہی کہ عمر کا اقرار جو اُسنے وقت نزع کیا ثابت کرے۔ پس زید کو عمر کی وفات ثابت کرنی چاہیے (ب) زید بذریعہ شہادت منقولی کے ایک دستاویز گم شدہ کے مضمون کو ثابت کیا چاہتا ہی زید کو ثابت کرنا چاہیے کہ وہ دستاویز گم ہو گئی۔

دفعہ ۱۰۵ جب کسی شخص پر الزام کسی جرم فوجداری کا رکھا جاے تو بار ثبوت موجودگی ایسے حالات کا جنکے سبب سے مقدمہ مستثنیات عامہ مندرجہ مجموعہ تعزیرات ہند سے متعلق ہو جائے یا کسی استثنائے خاص یا حکم خاص مندرجہ کسی اور جزو مجموعہ مذکور یا کسی قانون سے جسمین اس جرم کی تعریف لکھی ہو متعلق ہو اُسی شخص پر ہوگا اور عدالت اُن حالات کا عدم تصور کریگی۔

زید کی زمین بمقام (غ) موجود ہی لیکن (ف) کے قبضے مین نہین ہی اور اُسکی زمین جو (ف) کے قبضہ مین ہی وہ بمقام (غ) نہین ہی لیس شہادت اُن واقعات کی داخل ہو سکتی ہی جنسے ظاہر ہو کہ اُسے کسیکا بحساب کو رکھا۔

دفعہ ۹۸ شہادت بہ ثبوت معنی ایسے حروف کے جو پڑھے نہ جاتے ہون یا عموماً سمجھ مین نہ آتے ہون یا معنی عبارات ملک غیر اور متروک اور اصطلاحی اور مختص المقام اور مستعملہ ملک خاص کے اور معنی مخففات کے اور ایسے الفاظ کے جو کسی خاص معنے مین مستعمل ہون داخل ہو سکتی ہی۔

تمثیل - اگر ایک سنگ تراش عمر سے اپنی دستکاری کی اشیا کی بابت بیچنے کا اقرار کرے اور اُن اشیا کے بیان مین صرف شروع کے حروف لکھدے اور وہ حروف دلالت اُسکے مصنوعات اور آلات دونون پر کرتے ہون تو جائز ہی کہ شہادت اس بات کی داخل کیجاے کہ کس چیز کے بیچنے سے اُسکی مراد تھی۔

دفعہ ۹۹ جو اشخاص کہ متعاقدین کسی دستاویز کے یا اُنکے قائم مقام حقیت نہون اُنکو جائز ہی کہ شہادت ایسے واقعات کی ادا کرین جنسے اُسیوقت کا ایک ایسا اقرار ظاہر ہوتا ہو جو کہ دستاویز کی شرائط سے مغائر ہو۔

تمثیل - زید اور عمر نے بذریعہ تحریر کے یہ معاہدہ کیا کہ عمر زید کے ہاتھ کچھ روئی بیچ گیا جسکی قیمت بروقت حوالگی ادا کیجائیگی اور اُسیوقت ان دونون مین زبانی باہم یہ اقرار ہوا کہ تین مہینے کی مہلت زید کو دیجائیگی پس ثبوت اسکا مابین زید اور عمر کے نہ لیا جائیگا لیکن اگر بکر کے حق مین وہ کسی نہج سے موثر ہو تو وہ اُسکا ثبوت دے سکتا ہی۔

دفعہ ۱۰۰ کوئی امر مندرجہ فصل ہذا قانون وراثت مجریہ ہند (نمبر ۱۰ ۱۸۶۵ء) کے کسی احکام کا مخل دربات تصریح وصیت نامجات کے نہوگا

باب ۷

شہادت کا پیش کرنا اور اُسکی تاثیر

فصل ۷ - بار ثبوت

دفعہ ۱۰۱ جو فریق عدالت سے درخواست صدور فیصلہ کی بنسبت ایسے قانونی حق یا ذمہ داری کے کرے جسکا مدار ایسے واقعات پر ہو جنپر وہ اصرار کرتا ہی اُسی فریق کو لازم ہوگا کہ واقعات مذکور کا وجود ثابت کرے۔ اور جب کسی شخص پر کسی واقعہ کے وجود کا ثابت کرنا لازم ہو تو یہ امر بایں عبارت تعبیر کیا جاتا ہی کہ اُس شخص پر بار ثبوت ہی

تمثیلات (الف) زید عدالت سے یہ فیصلہ صادر ہونیکا مستدعی ہو اکہ عمر بعلت اُس جرم کے جسکا ارتکاب عمر نے کیا ہی سزا ہونی چاہیے - زید کو ثابت کرنا چاہیے کہ عمر نے ارتکاب جرم کیا ہی۔

(ب) زید عدالت سے یہ فیصلہ صادر ہونیکا مستدعی ہوا کہ وہ مستحق اراضی مقبوضہ عمر کا از روے

جس سے یہ ظاہر ہو کہ اُن جگہوں کو کس طرح پر کرنا مرکوز تھا۔

دفعہ ۹۴ جبکہ عبارت کسی دستاویز کی فی نفسہ صاف ہو اور وہ واقعات موجودہ سے صحت کے ساتھ تعلق کیجائے تو ایسی شہادت داخل نہیں ہو سکتی ہے جس سے ظاہر ہو کہ اُن واقعات سے اُسکا متعلق ہونا مقصود نہ تھا۔

تمثیل ۔ زید نے عمر کے ہاتھ بذریعہ وثیقہ کے باین عبارت بیع کی کہ میرا محال واقعہ رامپور مشتمل ایک اراضی سو بیگھہ فقط اور زید کا محال رامپور ہی میں ہے اور وہ سو بیگھہ کا ہے پس شہادت اسبات کی داخل نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ محال جسکا بیع کرنا مقصود تھا وہ کسی اور جگہہ اور کسی اور مقدار کا تھا۔

دفعہ ۹۵ جبکہ عبارت کسی دستاویز کی فی نفسہ صاف ہو لیکن بلحاظ واقعات موجودہ کے بے معنی ہو تو شہادت اُس امر کی داخل ہو سکتی ہے جس سے ثابت ہو کہ وہ کسی خاص معنی میں مستعمل کی گئی تھی۔

تمثیل ۔ زید نے عمر کے ہاتھ بذریعہ وثیقہ کے باین عبارت بیع کی کہ میرا مکان واقعہ کلکتہ۔ زید کا کوئی مکان کلکتہ میں نہیں ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اُسکا ایک مکان ہوڑا میں ہے اور اُسپر عمر اُس وثیقہ کی تکمیل کے وقت سے قابض ہے۔ ان واقعات کا ثبوت یہ بات ظاہر کرنیکے لیے داخل ہو سکتا ہے کہ وہ وثیقہ اُس مکان سے متعلق تھا جو کہ ہوڑا میں ہے۔

دفعہ ۹۶ جبکہ واقعات ایسے ہوں کہ عبارت مستعملہ کے معنی چند اشخاص یا اشیا میں ایک سے متعلق ہو سکتے ہوں اور ایک سے زیادہ سے متعلق نہ ہو سکتے ہوں تو شہادت اسبات کی داخل ہو سکتی ہے کہ اُن اشخاص یا اشیا میں سے کس سے متعلق ہونا مقصود تھا۔

تمثیلات (الف) زید نے عمر کے ہاتھ گھوڑا ایکہزار روپیہ کو باین الفاظ فروخت کرنیکا اقرار کیا کہ میرا سفید گھوڑا اور زید کے دو سفید گھوڑے ہیں پس شہادت اُن واقعات کی داخل ہو سکتی ہے جس سے ظاہر ہو کہ کونسا گھوڑا مقصود تھا (ب) زید نے عمر کے ساتھ حیدرآباد جانیکا اقرار کیا شہادت اسبات کی داخل ہو سکتی ہے کہ کونسا حیدرآباد مقصود تھا آیا حیدرآباد واقعہ دکن یا حیدرآباد واقعہ سندھ۔

دفعہ ۹۷ جبکہ عبارت مستعملہ جزءً ایک قسم کے واقعات موجودہ سے متعلق ہو اور جزءً دوسری قسم کے واقعات موجودہ سے لیکن کل عبارت صحت کے ساتھ کسی ایک سے بھی متعلق نہو سکتی ہو تو شہادت اسبات کی داخل ہو سکتی ہے کہ اُن دونوں اقسام میں سے کونسی قسم کے واقعات سے متعلق ہونا مقصود تھا۔

تمثیل زید نے عمر کے ہاتھ باین لفظ بیچنے کا اقرار کیا کہ میری زمین واقعہ مقام (ج) مقبوضہ (ث) الخ۔

(ہ) زید نے عمر پر بحسب مندرجہ معاہدہ و معاہدہ کی تعمیل کے لیے نالش دائر کی اور مستدعی ہوا کہ اُس معاہدہ کی
ایک شرط کی اصلاح کیجائے اسواسطے کہ وہ شرط اُسمین بغلطی درج ہوئی تھی جائز ہی کہ زید یہ ثابت کرے کہ وہ
ایسی غلطی تھی جسکی اصلاح کرانیکا وہ قانوناً مستحق ہی۔

(و) زید نے بذریعہ ایک خط کے عمر کو مال بھیجنے کے لیے لکھا اور اُسمین درباب وقت ادائے قیمت کے کچھ مرقوم
نہوا اور بروقت حوالگی کے اُسنے وہ مال لے لیا عمر نے اُس قیمت کی زید پر نالش کی جائز ہی کہ زید یہ ثابت کرے
کہ وہ مال ایک ایسی مدت کے اُدھار پر بھیجا گیا تھا جو ابتک منقضی نہین ہوئی ہی۔ (ز) زید نے عمر کے ہاتھ ایک گھوڑا
بیچا اور اُسکے اطمینان کے لیے زبانی کہا کہ یہ تندرست ہی زید نے عمر کو ایک کاغذ باین عبارت لکھدیا کہ زید سے
ایک گھوڑا پانچ سو روپیہ کو خرید کیا گیا جائز ہی کہ عمر اُس زبانی کلام کو ثابت کرے۔

(ح) زید نے عمر سے مکان کرایہ لیا اور عمر کو ایک پرچہ باین الفاظ لکھدیا کہ مکان دو سو روپیہ ماہوار پر زید کو
اس زبانی اقرار کا ثبوت کرنا جائز ہی کہ اُس شرط مین کھانیکا خرچ بھی داخل تھا۔
زید نے عمر کا مکان ایک سال کے لیے کرایہ پر لیا اور ایک اقرار نامہ حسب ضابطہ کاغذ اسٹامپ پر
جسکا مسودہ ایک اٹرنی نے کیا تھا باہم اُنکے لکھا گیا اور اُسمین کھانیکا ذکر کچھ نہین لکھا ہی تو زید سے اسبابکا
ثبوت نہ لیا جائیگا کہ کھانے کا خرچ زبانی اُن شرائط مین داخل کیا گیا تھا۔

(ط) زید نے عمر سے بابت اُس قرضہ کے جو یافتنی زید کا تھا درخواست کی اور روپیہ کی رسید بھیجدی عمر نے
وہ رسید رکھ چھوڑی اور روپیہ نہ بھیجا پس اس روپیہ کی بابت جو نالش دائر ہو اُسمین زید اسکا ثبوت داخل کرسکتا ہی۔

(ی) زید اور عمر نے ایک معاہدہ تحریری کیا جو ایک امر کے وقوع پر عمل مین آنیوالا تھا اور وہ تحریر عمر کے
پاس چھوڑ دی گئی اور اُسنے اُسکے ذریعہ سے زید پر نالش کی زید کو جائز ہی کہ وہ حالات ثابت کرے جنمین کہ وہ تحریر حوالہ کی گئی تھی۔

دفعہ ۹۳ جبکہ عبارت کسی دستاویز کی بادی النظر مین مبہم یا ناقص ہو تو جائز نہین ہی کہ شہادت
ایسے واقعات کی پیش کی جائے جنسے اُسکے معنی کی توضیح یا تتمہ کا دفعیہ ہوتا ہو۔

تمثیلات

(الف) زید نے بذریعہ تحریر کے عمر کے ہاتھ ایک گھوڑا ایک ہزار یا پندرہ سو روپیہ پر بھیجنے کا اقرار کیا۔
شہادت اسبات کی داخل نہ ہوسکیگی کہ کس قیمت پر گھوڑا دینا چاہیے۔

(ب) ایک دستاویز مین چند جگہ خالی ہین شہادت ان واقعات کی داخل نہین ہوسکتی ہے

کے مغائر نہ ہو جائز ہو کہ ثابت کیجائے اور بہ تجویز اس امر کے کہ یہ شرط قابل لحاظ ہو یا نہین عدالت اس بات پر غور کریگی کہ دستاویز کس درجہ تک حسب ضابطہ ہو۔

شرط ۳۔ موجودگی کسی علیحدہ اقرار زبانی کی جو ایک ایسی شرط ہو کہ کسی معاہدہ یا عطیہ یا انتقال جائداد سے جو ذمہ داری عائد ہوتی ہو اوسپر وہ مقدم ہی جائز ہو کہ ثابت کیجائے۔

شرط ۴۔ موجودگی کسی صاف وصریح اقرار زبانی مابعد کی در باب تنسیخ یا ترمیم کسی معاہدہ یا عطیہ یا انتقال جائداد مذکور کے جائز ہو کہ ثابت کیجائے بجز اُن مقدمات کے جنمین کہ معاہدہ یا عطیہ یا انتقال جائداد کا از روے قانون تحریراً ہونا ضروری ہو یا مطابق قانون رجسٹری دستاویزات مجریہ وقت کے جسکی رجسٹری ہو چکی ہو۔

شرط ۵۔ جائز ہو کہ ہر اسم یا رواج ثابت کیا جائے جسکے ذریعہ سے وہ لوازم جو کہ کسی دستاویز معاہدہ مین صراحتاً مرقوم نہ ہوئے ہون اس قسم کے معاہدات مین معمولاً لاحق ہوتے ہون مگر شرط یہ ہو کہ لاحق ہونا کسی ایسے لوازم کا اُس دستاویز کی شرائط صریح کے خلاف یا مغائر نہ ہو۔

شرط ۶۔ ہر ایسا واقعہ جائز ہو کہ ثابت کیا جائے جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ کس طور پر عبارت دستاویز کی واقعات موجودہ سے علاقہ رکھتی ہو۔

تمثیلات

(الف) ایک تحریر بیمہ کی بابت اُس مال کے عمل مین آئی جسپر یہ لکھا تھا کہ کلکتہ سے لندن جانے والے جہازون پر اور وہ مال ایک خاص جہاز مین لادا گیا جو کہ تباہ ہو گیا پس یہ واقعہ کہ یہی خاص جہاز زبانی تحریر بیمہ سے مستثنے کیا گیا تھا ثابت نہین کیا جا سکتا ہے۔

(ب) زید نے بذریعہ تحریر کے مطلقاً اقرار کیا کہ عمرو کو ایکہزار روپیہ یکم مارچ ۱۸۷۳ء کو دونگا ثبوت اس امر کا نہ لیا جائیگا کہ اُسیوقت یہ زبانی اقرار ہوا تھا کہ روپیہ ۳۱ مارچ تک ادا ہونا چاہیے۔

(ج) ایک محال جو رامپور کی چاے کا محال کہلاتا ہو بذریعہ ایک وثیقہ کے جسمین نقشہ جائداد مبیعہ کا مندرج ہو بیع کیا گیا پس ثبوت اس واقعہ کا کہ جو اراضی نقشہ مین داخل نہین ہو جزو اُس محال کی متصور ہوتی رہی اور بذریعہ وثیقہ کے اُسکا منتقل ہو جانا مراد تھا نہ لیا جائیگا۔

(د) زید نے کسی کانین جو کہ عمرو کی ملکیت ہے بہ خاص شرائط پر کام کرنیکے لیے عمرو کے ساتھ معاہدہ کیا زید کو اس بات کی ترغیب اسوجہ سے ہوئی تھی کہ عمرو نے اُس کان کی حیثیت کو خلاف واقع بیان کیا تھا جائز ہو کہ یہ واقعہ ثابت کیا جائے۔

رکھا گیا ہو (ز) یہ کہ جو شہادت پیش ہو سکتی تھی اور پیش نہین کی گئی اگر وہ پیش کیجاتی تو جس شخص نے کہ اسکو
دبا رکھا اُسکے حق مین مضر ہوتی - (ح) یہ کہ ایک شخص ایک سوال کا جواب نہین دیتاہو اور وہ جواب دینے پر
قانوناً مجبور نہین کیا جا سکتا ہو اُسکا جواب اگر وہ دیتا تو اُسکے حق مین مضر ہوتا - (ط) یہ کہ ایک دستاویز
جس سے کوئی ذمہ داری پیدا ہوتی ہو دستاویز کے لکھدینے والے کے پاس ہو تو اُس ذمہ داری سے برات
حاصل ہوئی ہوگی - لیکن عدالتکو ایسے واقعات جنکا ذیل مین ذکر کیا جاتا ہو بہ تجویز اس امر کے ملحوظ
رکھنے ضرور ہین کہ یہ قاعدہ خاص مقدمہ مرجوعہ سے متعلق ہوتے ہین یا نہین مثلاً -

تمثیل (الف) ایک دوکاندار کے روپیہ کی تھیلی مین ایک نشان کیا ہوا روپیہ اُسکے چرائے جانیکے بعد عرصہ
قریب مین موجود ہی اور وہ تصریح نہین کہہ سکتا ہو کہ اُسکے پاس کیونکر آیا لیکن اپنے معمولی اثناے کار و بار
مین ہمیشہ روپیہ لیا کرتا ہے -

تمثیل (ب) ایک شخص نہایت مہذب کی تجویز بعلت باعث ہلاکت ہونے ایک شخص کے اس نہج سے
کہ اُسنے ایک کل کی ترکیب مین غفلت کی پیش ہو اور عمر ایک شخص ویسا ہی نیک نام جو اُسکی ترکیب مین شریک تھا
بصحت اُن حالات کو جو وقوع مین آئے بیان کرتا ہو اور تسلیم کرتا ہو اور بوجوہ کہتا ہو کہ زید سے اور اُس سے
جیسا کہ ہو جایا کرتا ہو بے احتیاطی ہوئی -

تمثیل (ج) ایک جرم کا ارتکاب چند اشخاص سے ہوا اور مجرمون مین سے تین شخص زید اور عمر اور بکر موقع
واردات پر پکڑے گئے اور ایک دوسرے سے علیحدہ رکھا گیا اور اُنمین سے ہر ایک جرم کا ایسا بیان کرتا ہے
جس سے خالد بھی ماخوذ ہوا اور وہ بیانات موید ایک دوسرے کے اسطور پر ہین کہ سازش سابقہ نہایت قرین قیاس ہے

تمثیل (د) زید ایک ہنڈی کا لکھنے والا ایک شخص کار و باری ہو اور عمر اُس کا سکارنیوالا نوعمر اور
ناواقف اور بالکل زید کے داب مین ہو -

تمثیل (ہ) ثابت کیا گیا کہ پانچ برس پیشتر ایک دریا ایک سمت مین بہتا تھا لیکن معلوم ہوا کہ اس
عرصہ مین طغیانی پانی کی ہوئی جس سے دھارا اُسکی بدل گئی ہوگی -

تمثیل (و) ایک عمل عدالت کا جسکے باضابطہ ہونیکی بابت شبہ ہو خاص حالات مین انجام دیا گیا

تمثیل (ز) بحث اس امر کی ہو کہ ایک خط پہونچا تھا یا نہین اور اُسکی نسبت ڈاک مین ڈالا جا
ثابت کیا گیا لیکن مفسدہ کے باعث ڈاک کا معمولی راستہ بند ہو گیا تھا -

جو اُس عمل مین جسمین مدعا علیہ ہو نیکا منصب رکھتا ہی۔

تمثیلات (**الف**) ایک موکل نے ایک مختار پر درباب ایک بیع کے اعتماد کیا اور موکل نے جو ایک نالش ایسا مین دائر کی اُسمین راست معاملگی کی بحث ہی پس بار ثبوت راست معاملگی کا اُسمقدمہ مین ذمہ مختار کے ہی

(**ب**) ایک بیع کے معاملہ مین بیٹے کی جانب سے جو ابھی بالغ ہوا ہی باپ کی نسبت نیک نیتی سے معاملہ کرنیکی بحث ایکمقدمہ مین واقع ہی اور وہ مقدمہ بیٹے کیطرف سے دائر ہوا ہی بار ثبوت نیک نیتی سے معاملہ کرنیکا باپ کے ذمہ ہی

دفعہ ۱۱۲ یہ واقعہ کہ کوئی شخص قائم رہنے ازدواج جائز مابین اُسکی والدہ اور کسی اور شخص کے پیدا ہوا تھا یا اُس ازدواج کے فسخ ہونیکے بعد مابین ۲۸۰ یوم کے پیدا ہوا اور اُسکی والدہ بے شوہر رہی ثبوت قطعی اِس امر کا ہوگا کہ وہ صلبی بیٹا اُس شخص کا ہی الا اُسحالمین کہ یہ ثابت ہو کہ زوجہ اور شوہر اُس زمانہ مین کہ اُسکا حمل رہ سکتا تھا باہم صحبت نہین کرتی تہے

دفعہ ۱۱۳ اشتہار مندرجہ گزٹ آف انڈیا باین مضمون کہ ایک حصہ عملداری سرکار انگریزی کا کسی ہندوستانی ریاست یا والی ملک یا فرمانروا کو مفوض کیا گیا ہی ثبوت قطعی اس امر کا ہوگا کہ تفویض ملک کی اُس تاریخ مین جو اُس اشتہار کے اندر لکھی ہی جواز العمل مین آئی۔

دفعہ ۱۱۴ عدالتکو جائز ہی کہ وجود کسی واقعہ کا جو اُسکی دانست مین غالباً وقوع مین آیا ہو قیاس کرے البتہ معمولی طریقہ واقعات طبیعی اور رویہ انسانی اور سرکاری اور خانگی کاروبار کا بنظر اُس نسبت کے جو اُسمقدمہ کے واقعات کے ساتھ انکو ہی ملحوظ رکھنا ہوگا۔

تمثیلات۔ عدالتکو امور مفصلہ ذیل کے قیاس کر لینے کا اختیار ہی (**الف**) یہ کہ جس شخص کے پاس سرقہ کے بعد زمانہ قریب مین مال مسروقہ ہو وہ خود چور ہی یا دانستہ اُسنے مال مسروقہ لیا ہی الا اُسحالمین کہ وہ اپنے پاس اُسکے آنیکی وجہ بیان کرے۔ (**ب**) یہ کہ شریک جرم اعتبار کے قابل نہین ہی الا اُسحالمین کہ مقدمہ کے اہم امور جزئی مین اُسکے بیان کی تائید اور طور سے ہوتی ہو (**ج**) یہ کہ ایک ہُنڈی جو سکاری ہوئی یا پشت پر بیچا لکھی ہوئی ہی وہ بابت معاوضہ کافی کے سکاری گئی ہوگی یا اُسکی پشت پر بیچا لکھا گیا ہوگا (**د**) یہ کہ ایک شی یا حال اشیا کا موجود ہونا ثابت کیا گیا اور اُسوقت سے اُسقدر عرصہ نہین گذرا جسکے اندر ایسی اشیا یا حالات اشیا معدوم ہو جایا کرتی ہون تو انکی نسبت یہ قیاس کر لینا جائز ہی کہ اب تک موجود ہونگی (**ہ**) یہ کہ عدالت اور دفتر کے کام حسب ضابطہ انجام دیئے گئے ہین (**و**) یہ کہ معمولی طریقہ کاروبار کا خاص امور مین مرعی

---

[۱] دیکھو صفحہ ۷ گزٹ آف انڈیا مورخہ ۴ جنوری ۱۸۷۲ء

تمثیلات (الف) زید جسپر قتل عمد کا الزام رکھا گیا یہ بیان کرتا ہے کہ بوجہ فتور عقل کے اُسنے نوعیت اس فعل کی نہین جانتی تھی۔ بارثبوت زید پر ہی۔ **(ب)** زید جسپر الزام قتل عمد کا رکھا گیا یہ بیان کرتا ہی کہ بوجہ سخت اور ناگہانی اشتعال طبع کے وہ اپنے تئین ضبط کرنیکی طاقت نہین رکھتا تھا۔ بارثبوت زید پر ہی **(ج)** از روے دفعہ ۳۲۵ مجموعہ تعزیرات ہند کے یہ حکم ہی کہ جو شخص بجز صورت متذکرہ دفعہ ۳۳۵ کے بالارادہ ضرر شدید کا باعث ہوتا ہی وہ مستوجب فلان سزا اُن کا ہی۔ زید پر بالارادہ ضرر شدید پہونچانیکا الزام حسب دفعہ ۳۲۵ کے رکھا گیا۔ بارثبوت اُن حالات کا جس سے مقدمہ داخل دفعہ ۳۳۵ ہو جائے زید پر ہے۔

دفعہ ۱۰۶ جبکوئی امر واقعہ بالخصوص کسی شخص کی حد علم مین ہو تو بارثبوت اُس امر واقعہ کا اُسی شخص پر ہی

تمثیلات (الف) جبکہ کوئی شخص ایک فعل کسی ایسے ارادہ سے کرے جو اُس فعل کے خاصہ اور حالات سے نہ پیدا ہوتا ہو تو بارثبوت اُس ارادہ کا اُسی شخص پر ہی۔ **(ب)** زید پر یہ الزام رکھا گیا کہ اُسنے بغیر ٹکٹ کے ریلوے پر مسافت طے کی بارثبوت اِس امر کا زید کے پاس ٹکٹ تھا زید کے ذمہ ہی۔

دفعہ ۱۰۷ جب بحث اس امر کی ہو کہ فلان شخص زندہ ہی یا مر گیا اور یہ ثابت کیا جائے کہ وہ ۳۰ سال کے اِدھر زندہ تھا تو بارثبوت اُسکے فوت ہو جانے کا ذمہ اُس شخص کے ہی جو اُسکا مر جانا بیان کرے۔

دفعہ ۱۰۸ مگر شرط یہ ہی کہ جب بحث اس امر کی ہو کہ فلان شخص زندہ ہی یا فوت ہو گیا اور یہ بات ثابت کیجائے کہ جن شخصون کو در صورت اُسکی حیات کے اُسکی خبر ضرور ملتی اُنکو سات برس سے اُسکی کچھ خبر نہین ملی ہی تو بارثبوت اُسکے زندہ ہونیکا اُس شخص پر منتقل ہوتا ہی جو اُسکا زندہ ہونا بیان کرے۔

دفعہ ۱۰۹ جب بحث اس امر کی ہو کہ فلان اشخاص شریک اور زمیندار اور رعایا ہین یا مالک اور گماشتے ہین اور یہ بات ثابت کیجائے کہ وہ اُسیطور پر باہم عمل کرتے رہے ہین تو بارثبوت اس امر کا کہ یہ واسطہ اُنکی درمیان نہین ہی یا موقوف ہو گیا ہی ذمہ اُس شخص کے ہی جو اُس واسطہ کا ہونا بیان کرتا ہو۔

دفعہ ۱۱۰ جب بحث اس امر کی ہو کہ ایک شخص جو ایک شی کا قابض ہی وہ اُسکا مالک ہی یا نہین تو بارثبوت اس امر کا کہ وہ مالک نہین ہی ذمہ اُس شخص کے ہی جو اُسکا مالک نہونا بیان کرتا ہو۔

دفعہ ۱۱۱ جب فیمابین فریقین کسی معاملہ مین نیک نیتی کے باہمین گفتگو ہو اور ایک اُنمین سے ایسے منصب مین ہو کہ اُسپر کوئی عمل کرنیکا اعتماد لیا جائے تو بارثبوت راستی معاملہ کا اُسی فریق کے ذمہ ہی

دفعہ ۱۹ و دفعہ ۹ - ایکٹ ۱۸ سنہ ۱۸۷۲ع

ایسے واقعات سے ہی جنپر وہ یعنے زید اصرار کرتا ہی اور عمر اُنکی صداقت سے انکار کرتا ہے ۔
زید کو لازم ہی کہ اُن واقعات کا وجود ثابت کرے ۔

دفعہ ۱۰۲ بار ثبوت کا ہر نالش یا کارروائی مین اُس شخص پر ہوتا ہی جو طرفین سے متعلق کسی شہادت کے نہ گذرنیکی صورت مین مقدمہ ہار جائیگا ۔

تمثیلات (الف) زید نے عمر پر بابت اراضی مقبوضہ عمر کے نالش کی اور وہ یہ بیان کرتا ہی کہ اُسکے واسطے عمر کا باپ بکر از روے وصیت چھوڑ مرا تھا ۔ اگر اس مقدمہ مین طرفین سے شہادت نہ گذرے تو عمر بحالی قبضہ کا مستحق ہوگا ۔ بنا بر آن بار ثبوت زید پر ہی ۔

(ب) زید نے بابت زر تمسک کے عمر پر نالش کی ۔ تمسک کی تکمیل سے اقبال ہی لیکن عمر یہ کہتا ہی کہ وہ تمسک فریب سے کرالیا گیا تھا اور زید کو اسبات سے انکار ہی ۔ اگر طرفین سے کوئی شہادت نہ گذرے تو زید مدعی کامیاب ہوگا اسواسطے کہ تمسک کی نسبت انکار نہین ہی اور فریب ثابت نہین کیا گیا ۔ پس بار ثبوت عمر پر ہی ۔

دفعہ ۱۰۳ بار ثبوت نسبت ہر خاص واقعہ کے اُس شخص پر ہوتا ہی جو عدالتکو اُسکے وجود کا باور کرانا چاہتا ہوا لا اُس حال مین کہ قانوناً حکم ہو کہ داخل کرنا اُس واقعہ کے ثبوت کا ذمہ فلان شخص کے ہی ۔

تمثیل ۔ زید نے عمر پر سرقہ کی نالش کی اور عدالتکو یہ باور کرانا چاہا کہ عمر نے اُس سرقہ کا اقبال بکر سے کیا تھا زید کو وہ اقبال ثابت کرنا چاہیے ۔ عمر نے عدالتکو یہ باور کرانا چاہا کہ اُسوقت وہ کہین اور تھا پس اُسکو لازم ہی کہ یہ بات ثابت کرے ۔

دفعہ ۱۰۴ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو کہ جب وہ ثابت ہو جائے تب کوئی شخص کسی اور واقعہ کی نسبت شہادت داخل کر سکے تو اُس واقعہ اول الذکر کا ثبوت ذمہ ایسے شخص کے ہی جو شہادت داخل کیا چاہتا ہو ۔

تمثیلات (الف) زید چاہتا ہی کہ عمر کا اقرار جو اُسنے وقت نزع کیا ثابت کرے ۔ پس زید کو عمر کی وفات ثابت کرنی چاہیے (ب) زید بذریعہ شہادت منقولی کے ایک دستاویز گم شدہ کے مضمون کو ثابت کیا چاہتا ہی زید کو ثابت کرنا چاہیے کہ وہ دستاویز گم ہو گئی ۔

دفعہ ۱۰۵ جب کسی شخص پر الزام کسی جرم فوجداری کا لگایا جائے تو بار ثبوت موجودگی ایسے حالات کا جنکے سبب سے مقدمہ مستثنیات عامہ مندرجہ مجموعہ تعزیرات ہند سے متعلق ہو جائے یا کسی استثناے خاص یا حکم خاص مندرجہ کسی اور جزو مجموعہ مذکور یا کسی قانون سے جسمین اس جرم کی تعریف لکھی ہی متعلق ہو اُسی شخص پر ہوگا اور عدالت اُن حالات کا عدم تصور کریگی ۔

زید کی زمین بمقام (غ) موجود ہی لیکن (ف) کے قبضے مین نہین ہی اور اُسکی زمین جو (ف) کے قبضے مین ہی وہ بمقام (غ) نہین ہی پس شہادت اُن واقعاتکی داخل ہو سکتی ہی جنسے ظاہر ہو کہ اُسے کسیدکا بیعنامہ کو نسا تھا۔

دفعہ ۹۸ شہادت بہ ثبوت معنی ایسے حروف کے جو پڑھے نہ جاتے ہون یا عموماً سمجھ مین نہ آتے ہون یا معنی عبارات ملک غیر اور متروک اور اصطلاحی اور مختص المقام اور مستعملہ ملک خاص کے اور معنی مخففات کے اور ایسے الفاظ کے جو کسی خاص معنے مین مستعمل ہون داخل ہو سکتی ہی۔

تمثیل - اگر ایک سنگ تراش عمر سے اپنی دستکاری کی اشیا کی بابت بیچنے کا اقرار کرے اور اُن اشیا کے بیان مین صرف شروع کے حروف لکھدے اور وہ حروف دلالت اُسکے مصنوعات اور آلات دونون پر کرتے ہون تو جائز ہی کہ شہادت اس بات کی داخل کیجاے کہ کس چیز کے بیچنے سے اُسکی مراد تھی۔

دفعہ ۹۹ جو اشخاص کہ متعاقدین کسی دستاویز کے یا اُنکے قائم مقام حقیت نہون اُنکو جائز ہی کہ شہادت ایسے واقعات کی ادا کرین جنسے اُسیوقت کا ایک ایسا اقرار ظاہر ہوتا ہو جو کہ دستاویز کی شرائط سے مغائر ہو۔

تمثیل - زید اور عمر نے بذریعہ تحریر کے یہ معاہدہ کیا کہ عمر زید کے ہاتھ کچھ روئی بیچ گیا جسکی قیمت بروقت حوالگی ادا کیجائیگی اور اُسیوقت ان دونون مین زبانی باہم یہ اقرار ہوا کہ تین مہینے کی مہلت زید کو دیجائیگی پس ثبوت اسکا مابین زید اور عمر کے نہ لیا جائیگا لیکن اگر بکر کے حق مین وہ کسی نہج سے موثر ہو تو وہ اُسکا ثبوت دے سکتا ہی۔

دفعہ ۱۰۰ کوئی امر مندرجہ فصل ہذا قانون وراثت تحریریہ ہند (نمبر ۱۰ سنہ ۱۸۶۵ع) کے کسی احکام کا مخل دربارۂ تصریح وصیت ناموں کے نہوگا

باب ۳
شہادت کا پیش کرنا اور اُسکی تاثیر
فصل ۷ - بار ثبوت

دفعہ ۱۰۱ جو فریق عدالت سے درخواست صدور فیصلہ کی نسبت ایسے قانونی حق یا ذمہ داری کے کرے جسکا مدار ایسے واقعات پر ہو جنپر وہ اصرار کرتا ہی اُسی فریق کو لازم ہوگا کہ واقعات مذکور کا وجود ثابت کرے۔ اور جب کسی شخص پر کسی واقعہ کے وجود کا ثابت کرنا لازم ہو تو یہ امر باین عبارت تعبیر کیا جاتا ہی کہ اُس شخص پر بار ثبوت ہی

تمثیلات (الف) زید عدالت سے یہ فیصلہ صادر ہونیکا مستدعی ہوا کہ عمر بعلت اُس جرم کے جسکا ارتکاب عمر نے کیا ہی سزا ہونی چاہیے - زید کو ثابت کرنا چاہیے کہ عمر نے ارتکاب جرم کیا ہی۔

(ب) زید عدالت سے یہ فیصلہ صادر ہونیکا مستدعی ہوا کہ وہ مستحق اراضی مقبوضہ عمر کا از روے

جنسے یہ ظاہر ہو کہ اُن لفظون کو کس طرح پر کرنا مرکوز تھا۔

دفعہ ۹۴ جبکہ عبارت کسی دستاویز کی فی نفسہ صاف ہو اور وہ واقعات موجودہ سے صحت کے ساتھ تعلق کیجائے تو ایسی شہادت داخل نہین ہو سکتی ہے جس سے ظاہر ہو کہ اُن واقعات سے اُسکا متعلق ہونا مقصود نہ تھا۔

تمثیل ۔ زید نے عمر کے ہاتھ بذریعہ وثیقہ کے باین عبارت بیع کی کہ میرا محال واقعہ رامپور مشتمل اوپر اراضی سو بیگھہ فقط اور زید کا محال رامپور مین ہے اور وہ سو بیگھہ کا ہے پس شہادت اسبات کی داخل نہین ہو سکتی ہے کہ وہ محال جسکا بیع کرنا مقصود تھا وہ کسی اور جگہ اور کسی اور مقدار کا تھا۔

دفعہ ۹۵ جبکہ عبارت کسی دستاویز کی فی نفسہ صاف ہو لیکن بلحاظ واقعات موجودہ کے بے معنی ہو تو شہادت اُس امر کی داخل ہو سکتی ہے جس سے ثابت ہو کہ وہ کسی خاص معنی مین مستعمل کی گئی تھی۔

تمثیل ۔ زید نے عمر کے ہاتھ بذریعہ وثیقہ کے باین عبارت بیع کی کہ میرا مکان واقعہ کلکتہ۔ زید کا کوئی مکان کلکتہ مین نہین ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اُسکا ایک مکان ہوڑا مین ہے اور اُسپر عمر اُس وثیقہ کی تکمیل کیوقت سے قابض ہے۔ ان واقعات کا ثبوت یہ بات ظاہر کرنیکے لیے داخل ہو سکتا ہے کہ وہ وثیقہ اُس مکان سے متعلق تھا جو کہ ہوڑا مین ہے۔

دفعہ ۹۶ جبکہ واقعات ایسے ہون کہ عبارت مستعملہ کے معنی چند اشخاص یا اشیا مین سے ایک سے متعلق ہو سکتے ہون اور ایک سے زیادہ سے متعلق نہ ہو سکتے ہون تو شہادت اسبات کی داخل ہو سکتی ہے کہ اُن اشخاص یا اشیا مین سے کس سے متعلق ہونا مقصود تھا۔

تمثیلات (الف) زید نے عمر کے ہاتھ گھوڑا ایکہزار روپیہ کو باین الفاظ فروخت کرنیکا اقرار کیا کہ میرا سفید گھوڑا اور زید کے دو سفید گھوڑے ہین پس شہادت اُن واقعات کی داخل ہو سکتی ہے جنسے ظاہر ہو کہ کونسا گھوڑا مقصود تھا (ب) زید نے عمر کے ساتھ حیدر آباد جانیکا اقرار کیا شہادت اسبات کی داخل ہو سکتی ہے کہ کونسا حیدر آباد مقصود تھا آیا حیدر آباد واقعہ دکن یا حیدر آباد واقعہ سندھ۔

دفعہ ۹۷ جبکہ عبارت مستعملہ جزءً ایک قسم کے واقعات موجودہ سے متعلق ہو اور جزءً دوسری قسم کے واقعات موجودہ سے لیکن کل عبارت صحت کے ساتھ کسی ایک سے بھی متعلق نہو سکتی ہو تو شہادت اسبات کی داخل ہو سکتی ہے کہ اُن دونون اقسام مین سے کونسی قسم کے واقعات سے متعلق ہونا مقصود تھا۔

تمثیل زید نے عمر کے ہاتھ باین لفظ بیچنے کا اقرار کیا کہ میری زمین واقعہ مقام (غ) مقبوضہ (ف) اور

(ہ) زید نے عمر پر بہ سبب مندرجہ معاہدہ و معاہدہ کی تعمیل کے لیے نالش دائر کی اور مستدعی ہوا کہ اُس معاہدہ کی ایک شرط کی اصلاح کیجائے اسواسطے کہ وہ شرط اُسمین بغلطی درج ہوئی تھی جائز ہے کہ زید یہ ثابت کرے کہ ود ایسی غلطی تھی جسکی اصلاح کرانیکا وہ قانوناً مستحق ہے۔

(و) زید نے بذریعہ ایک خط کے عمر کو مال بھیجنے کے لیے لکھا اور اُسمین درباب وقت ادائے قیمت کے کچھ مرقوم نہوا اور بروقت حوالگی کے اُسنے وہ مال لے لیا عمر نے اُس قیمت کی زید پر نالش کی جائز ہے کہ زید یہ ثابت کرے کہ وہ مال ایک ایسی مدت کے اُدھار پر بھیجا گیا تھا جو اب تک منقضی نہین ہوئی ہے۔ (ز) زید نے عمر کے ہاتھ ایک گھوڑا بیچا اور اُسکے اطمینان کے لیے زبانی کہا کہ یہ تندرست ہے زید نے عمر کو ایک کاغذ باین عبارت لکھدیا کہ زید سے ایک گھوڑا پانچ سو روپیہ کو خرید کیا گیا جائز ہے کہ عمر اُس زبانی کلام کو ثابت کرے۔

(ح) زید نے عمر سے مکان کرایہ لیا اور عمر کو ایک پرچہ باین الفاظ لکھدیا کہ مکان دو سو روپیہ ماہوار پر زید کو اس زبانی اقرار کا ثبوت کرنا جائز ہے کہ اُس شرط مین کھانیکا خرچ بھی داخل تھا۔

زید نے عمر کا مکان ایک سال کے لیے کرایہ پر لیا اور ایک اقرارنامہ حسب ضابطہ کاغذ اسٹامپ پر جسکا مسودہ ایک اٹرنی نے کیا تھا باہم اُنکے لکھا گیا اور اُسمین کھانیکا ذکر کچھ نہین لکھا ہے تو زید سے اسبات کا ثبوت نہ لیا جائیگا کھانے کا خرچ زبانی اُن شرائط مین داخل کیا گیا تھا۔

(ط) زید نے عمر سے بابت اُس قرضہ کے جو یافتنی زید کا تھا درخواست کی اور روپیہ کی رسید بھیجدی عمر نے وہ رسید رکھ چھوڑی اور روپیہ نہ بھیجا پس اس روپیہ کی بابت جو نالش دائر ہو اُسمین زید اسبات کا ثبوت داخل کرسکتا ہے۔

(ی) زید اور عمر نے ایک معاہدہ تحریری کیا جو ایک امر کے وقوع پر عمل مین آنیوالا تھا اور وہ تحریر عمر کے پاس چھوڑ دی گئی اور اُسنے اُسکے ذریعہ سے زید پر نالش کی زید کو جائز ہے کہ وہ حالات ثابت کرے جنمین کہ وہ تحریر حوالہ کی گئی تھی۔

دفعہ ۹۳ جبکہ عبارت کسی دستاویز کی بادی النظر مین مبہم یا ناقص ہو تو جائز نہین ہے کہ شہادت ایسے واقعات کی پیش کی جائے جنسے اُسکے معنی کی توضیح یا سقم کا دفیعہ ہوتا ہو۔

تمثیلات

(الف) زید نے بذریعہ تحریر کے عمر کے ہاتھ ایک گھوڑا ایکہزار یا پندرہ سو روپیہ پر بیچنے کا اقرار کیا۔ شہادت اسبات کی داخل نہ ہوسکیگی کہ کس قیمت پر گھوڑا دینا چاہیے۔

(ب) ایک دستاویز مین چند جگہ خالی ہین شہادت ان واقعات کی داخل نہین ہوسکتی ہے

کے مغائر نہ ہو جائز ہے کہ ثابت کیجائے اور بنجیہ بدیں امر کے کہ یہ شرط قابل لحاظ ہے یا نہیں عدالت اس بات پر غور کریگی کہ دستاویز کس درجہ تک حسب ضابطہ ہے۔

شرط ۳۔ موجودگی کسی علیحدہ اقرار زبانی کی جو ایک ایسی شرط ہے کہ کسی معاہدہ یا عطیہ یا انتقال جائداد سے جو ذمہ داری عائد ہوتی ہو اُسپر وہ مقدم ہی جائز ہے کہ ثابت کیجائے۔

شرط ۴۔ موجودگی کسی صاف وصریح اقرار زبانی مابعد کی در باب تنسیخ یا ترمیم کسی معاہدہ یا عطیہ یا انتقال جائداد مذکور کے جائز ہے کہ ثابت کیجائے بجز اُن مقدمات کے جنمین کہ معاہدہ یا عطیہ یا انتقال جائداد کا ازروے قانون تحریر ہونا ضروری ہو یا مطابق قانون رجسٹری دستاویزات مجریہ وقت کے جسکی رجسٹری ہو چکی ہو۔

شرط ۵۔ جائز ہے کہ ہر اسم یا رواج ثابت کیا جائے جسکے ذریعہ سے وہ لوازم جو کہ کسی دستاویز معاہدہ میں صراحتاً مرقوم نہ ہوئے ہوں اس قسم کے معاہدات مین معمولاً لاحق ہوتے ہون مگر شرط یہ ہے کہ لاحق ہونا ایسے لوازم کا اُس دستاویز کی شرائط صریح کے خلاف یا مغائر نہ ہو۔

شرط ۶۔ ہر ایسا واقعہ جائز ہے کہ ثابت کیا جائے جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ کس طور پر عبارت دستاویز کی واقعات موجودہ سے علاقہ رکھتی ہے۔

تمثیلات

(الف) ایک تحریر بیمہ کی بابت اُس مال کے عمل مین آئی جسپر یہ لکھا تھا کہ کلکتہ سے لندن جانیوالے جہازوں اور وہ مال ایک خاص جہاز مین لادا گیا جو کہ تباہ ہو گیا پس یہ واقعہ کہ وہی خاص جہاز زبانی تحریر بیمہ سے مستثنیٰ کیا گیا تھا ثابت نہین کیا جا سکتا ہے۔

(ب) زید نے بذریعہ تحریر کے مطلقاً اقرار کیا کہ عمرو کو ایکہزار روپیہ یکم مارچ ۱۸۷۳ء کو دونگا ثبوت اس بات کا نہ لیا جائیگا کہ اُسیوقت یہ زبانی اقرار ہوا تھا کہ روپیہ ۳۱ مارچ تک ادا ہونا چاہیے۔

(ج) ایک محال جو رامپور کی چاے کا محال کہلاتا ہے بذریعہ ایک وثیقہ کے جسمین نقشہ جائداد مبیعہ کا مندرج ہے بیع کیا گیا پس ثبوت اس واقعہ کا کہ جو اراضی نقشہ مین داخل نہین ہے جزو اُس محال کی متصور ہوتی ہے اور بذریعہ وثیقہ کے اُسکا منتقل ہو جانا مراد تھا نہ لیا جائیگا۔

(د) زید نے کسی کان مین جو کہ عمر کی ملکیت ہے بہ خاص شرائط پر کام کرنیکے لیے عمر کے ساتھ معاہدہ کیا زید کو اسبات کی ترغیب اسوجہ سے ہوئی تھی کہ عمرو نے اُس کان کی حیثیت کو خلاف واقع بیان کیا تھا جائز ہے کہ یہ واقعہ ثابت کیا جائے

تشریح ۲۔ جس حال مین کہ کئی اصل دستاویزات ہوں تو صرف ایک کا ثابت کرنا ضرور ہے۔
تشریح ۳۔ کسی دستاویز مین بیان کیا جانا کسی واقعہ کا بجز واقعات متذکرہ دفعہ ہذا کے مانع اسکا نہ ہوگا کہ اُس واقعہ کی شہادت زبانی منظور کی جائے۔

تمثیلات

(الف) اگر ایک معاہدہ کئی خطوط مین مندرج ہو چاہیے کہ تمام خطوط جنمین کہ وہ درج ہو ثابت کئے جائین۔
(ب) اگر ایک معاہدہ کسی بل آف اکسچنج مین مندرج ہو تو اُس بل آف اکسچنج کا ثابت کیا جانا ضرور ہے۔
(ج) اگر کسی بل آف اکسچنج کے تین پرت ہون تو اُنمین سے صرف ایک کا ثابت ہونا چاہیے۔
(د) زید نے بذریعہ تحریر عمرو سے واسطے حوالگی نیل کے مشروط بچند شرائط معاہدہ کیا اور اُس معاہدہ مین یہ لکھا گیا کہ عمرو نے زید کو قیمت دوسرے نیل کی جسکا زبانی معاملہ کسی اور وقت ہوا تھا ادا کر دی ہے۔
زبانی شہادت اس امر کی پیش کی گئی کہ اُس دوسرے نیل کی قیمت نہین ادا ہوئی ہے۔
یہ شہادت قابل منظوری ہے۔
(ہ) زید نے عمرو کو رسید اُس روپیہ کی حوالہ کی جو کہ عمرو نے دیا تھا۔
زبانی شہادت اُسکے ادا ہونے کی پیش کی گئی۔
یہ شہادت قابل منظوری ہے۔

دفعہ ۹۲ جبکہ شرائط کسی ایسے معاہدہ یا عطیہ یا انتقال جائداد کی یا کسی معاملہ کی جسکا قانوناً بشکل ایک دستاویز کے منضبط ہونا چاہیے حسب دفعہ ماسبق کے ثابت ہو جائین تو کوئی شہادت کسی زبانی اقرار یا بیان کی جو بابین اُنھین فریق دستاویز قسم مذکور کے یا اُنکے قائم مقامان حقیت کے ہوا ہو بغرض تردید یا تبدیل یا ازدیاد اُن شرائط کے یا اخراج کسی امر کے اُن شرائط مین سے منظور نہ کی جائیگی۔
شرط ۱۔ ہم جائز ہے کہ ہر ایسا امر واقعہ ثابت کیا جائے جسکے سبب سے کوئی دستاویز ناجائز ہو جاتی ہو یا جسکے سبب سے کوئی شخص مستحق ڈگری یا حکم کا اُسکی بابت ہوتا ہو مثلاً فریب یا تخویف یا ناجوازی بحسب قانون یا عدم تکمیل حسب ضابطہ یا بے منصبی کسی فریق کی متعاقدین مین سے یا نہ ادا کرنا یا عدم ادا یا قصور ادائے زرثمن یا غلطی کسی امر واقعہ یا امر قانونی کی۔
شرط ۲۔ موجودگی کسی علیحدہ اقرار زبانی کی نسبت کسی امر کے جو کہ دستاویز مین نہ لکھا گیا ہو اور اُسکی شرائط

ہم ایکٹ نمبر ۱۸ ۱۸۷۲ء و ایکٹ نمبر ۱۲ ۱۸۹۱ء۔

تشریح - اُن دستاویزات کا حراست واجبی مین رہنا کہا جائیگا جو اُسمقام مین اور اُس شخص کے پاس ہون جسمین اور جسکے پاس اُنکا ہونا خاصتہً چاہیے اور کوئی حراست درصورت اس ثبوت کے کہ وہ دراصل جائز تھی یا یہ کہ حالات اُس خاص مقدمہ کے ایسے ہین کہ اُسکا دراصل جائز ہونا قرین قیاس ہو غیر واجب متصور نہوگی - یہ تشریح دفعہ ۸۱ سے بھی متعلق ہے -

تمثیلات

(الف) زید ملکیت اراضی پر ایک مدت دراز سے قابض ہے اور اُس نے اپنی حراست سے اُسی اراضی کی بابت وثائق پیش کئے جنسے اُسکی حقیت ظاہر ہوتی ہے یہ حراست واجبی ہے -

(ب) زید نے وثائق ملکیت اراضی کے جسکا وہ مرتہن ہے پیش کئے اور راہن قابض اُس اراضی کا ہو یہ حراست واجبی ہے -

(ج) زید نے جو عمر کا رشتہ دار ہے اراضی مقبوضہ عمر کے وثائق پیش کئے جنکو عمر نے حفاظت سے رکھنے کیلئے اُسکے حوالہ کیا تھا یہ حراست واجبی ہے -

فصل ۶ - نامنظوری شہادت زبانی کی بمقابلہ شہادت دستاویزی کے

دفعہ ۹۱ - جس صورتمین کہ شرائط کسی معاہدہ یا عطیہ یا کسی اور انتقال جائداد کی بشکل ایک دستاویز کے ضبط تحریر مین آئین اور نیز ایسی تمام صورتونمین جنمین کسی معاملہ کا قانوناً بشکل دستاویز منضبط کیا جانا ضرور ہے جائز نہوگا کہ یہ ثبوت شرائط معاہدہ یا عطیہ یا اور قسم کے انتقال جائداد کے یا بہ ثبوت اُس معاملہ کے کوئی اور شہادت بجز خود اُسی دستاویز کے یا بجز شہادت منقولی کے جن حالمین کہ شہادت منقولی بموجب احکام مندرجہ ماسبق قابل منظوری ہو داخل کیجائے -

مستثنیٰ ۱ - جبکہ کسی عہدہ دار سرکاری کا تقرر بذریعہ تحریر کے عمل مین آنا قانوناً ضرور ہو اور یہ ثابت کیا جائے کہ کسی خاص شخص نے بطور اُس عہدہ دار کے عمل کیا ہو تو وہ تحریر جسکی رو سے کہ وہ مقرر کیا گیا محتاج ثبوت کی نہین ہے -

مستثنیٰ ۲ - جائز ہے کہ وصیت نامجات جنکا پروبیٹ برٹش انڈیا مین جاری کیا گیا ہو بذریعہ پروبیٹ کے ثابت کیے جاوین -

تشریح ۱ - یہ دفعہ اُن صورتونسے جنمین کہ معاہدہ یا عطیہ یا انتقال جائداد متذکرہ بالا کا ایک دستاویز مین مندرج ہو اور اُن صورتونسے جنمین کہ کئی دستاویزات مین مندرج ہو یکسان متعلق ہے -

---

ملاحظہ دفعہ ۵۳۳ ایکٹ نمبر ۱۰ ۱۸۸۲ء اور شہادت اُسوقت داخل ہوسکتی ہے جبکہ کسی عدالت فوجداری کو یہ دریافت ہو کہ اقبال یا اور بیان شخص ملزم کا حسب طریقہ معینہ قلمبند نہین ہوا ہے -
دفعہ ۷ - ایکٹ نمبر ۱۸ ۱۸۷۲ء -

کسی ملک کے چھاپی یا مشتہر کیگئی تھی اور اُسمین کوئی قوانین اُس ملک کے درج ہین – اور نیز ہر ایسی کتاب کی
جس سے پایا جاتا ہو کہ اُسمین اُس ملک کے عدالتکے فیصلہ جات کی رپورٹ بطور نظائر مندرج ہے –

دفعہ ۸۵ – عدالتکو لازم ہے کہ جس دستاویز سے پایا جاتا ہو کہ وہ مختار نامہ ہے اور اُسکی تکمیل روبرو اور
بہ تصدیق کسی نوٹری پبلک یا عدالت یا جج یا مجسٹریٹ یا وکیل یا نائب وکیل ملکی سرکار انگریزی یا وکیل
ملکہ معظمہ یا گورنمنٹ ہند کے ہوئی تھی اُسکو قیاس کر لے کہ وہ اسی طور پر تکمیل اور تصدیق کیا گیا تھا –

دفعہ ۸۶ – عدالتکو یہ قیاس کر لینے کا اختیار ہے کہ ہر دستاویز جس سے پایا جاتا ہو کہ وہ نقل مصدق کسی ایسے
ملک کے دفتر عدالت کی ہے جو کہ جز و قلمرو ملکہ معظمہ کا نہین ہے وہ اصل اور صحیح ہے بشرطیکہ اُس دستاویز کا مصدق ہونا
اُس طور پر پایا جاتا ہو جسکی نسبت کسی صفیر متعینہ جناب ملکہ معظمہ یا گورنمنٹ ہند نے جو اُس ملک مین رہتا ہو یہ تصدیق
کی ہو کہ کاغذات عدالت کی نقول کی تصدیق کیواسطے اُس ملک مین عموماً یہی دستور ہے –

دفعہ ۸۷ – عدالتکو یہ قیاس کر لینے کا اختیار ہے کہ ہر کتاب جس سے وہ استدلال واسطے دریافت امور متعلقہ
اغراض سرکاری یا عام کے کرے اور ہر نقشہ مشتہرہ جسکے امور مندرجہ واقعات متعلقہ ہون اور معائنہ کیواسطے پیش
کیا جائے وہ اُسی شخص کا اور اُسوقت اور مقام کا لکھا یا مشتہر کیا ہوا ہے جو اُس سے ظاہر ہوتا ہو –

دفعہ ۸۸ – عدالتکو یہ قیاس کر لینے کا اختیار ہے کہ جو پیام کہ کسی دفتر تار برقی سے کسی ایسے شخص کے پاس
بھیجا گیا ہو جسکے نام اُس پیام کا بھیجا جانا پایا جاتا ہو وہ مطابق اُسی پیام کے ہے جو روانگی کیواسطے اُس دفتر مین
جہانسے اُس پیام کا بھیجا جانا معلوم ہوتا ہے دیا گیا تھا لیکن عدالتکوئی قیاس اپنی طرف سے نسبت اُس شخص کے قائم
نہ کرے گی جس نے کہ وہ پیام بھیجنے کے واسطے دیا تھا –

دفعہ ۸۹ – عدالتکو یہ قیاس کر لینا لازم ہے کہ ہر دستاویز جسکے حاضر کرنیکا حکم دیا گیا اور بعد اُس اطلاع کے
جو اُسکے پیش کرنیکے لئے دیگئی نہ پیش کیگئی وہ مصدق اور مہری اور تکمیل یافتہ حسب قاعدہ محکومہ قانون تھی –

دفعہ ۹۰ – جبکہ کوئی دستاویز جس سے معلوم ہوتا ہو یا ثابت ہو کہ وہ تیس برس کی ہے کسی شخص کی ایسی حراست سے
جسکو عدالت اُس خاص مقدمہ مین واجبی تصور کرے پیش کیجائے تو عدالتکو یہ قیاس کر لینا جائز ہے کہ دستخط اور
ہر جز و اُس دستاویز کا جو کسی خاص شخص کے ہاتھ کا لکھا ہوا معلوم ہوتا ہو اُسی خاص شخص کا لکھا ہوا ہے اور نیز جس حال
مین کہ کسی دستاویز کی تکمیل یا تصدیق بگواہی کیگئی ہو تو یہ قیاس کر لینا جائز ہو گا کہ جن اشخاص کی تکمیل یا مصدق
گواہی کی ہوئی وہ معلوم ہوتی ہے انھون نے اُسکی تکمیل اور تصدیق حسب ضابطہ کی تھی –

جو اُس دستاویز مین اُسنے اپنے واسطے لکھا ہو۔

دفعہ ۸۰ جبکوئی ایسی دستاویز کسی عدالتمین پیش کیجائے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ وہ تحریر یا یادداشت شہادت یا جزو شہادت کسی گواہ مقدمہ عدالتکی یا ایسے گواہ کی ہے جسنے روبرو کسی ایسے عہدہ دار کی شہادت ادا کی جو قانوناً مجاز اُسکی گواہی لینے کا تھا یا وہ ایک بیان یا اقبال کسی قیدی یا شخص ملزم کا ہو اور قانون کے مطابق قلمبند کیا گیا ہو اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ وہ دستخطی کسی جج یا مجسٹریٹ یا کسی ایسے عہدہ دار کا ہے جسکا ذکر کیا گیا تو عدالتکو یہ قیاس کر لینا لازم ہے کہ وہ دستاویز غیر جعلی ہے اور جو بیانات نسبت اُن حالات کے کیے گئے ہین کہ وہ لیگئی ہے اور اُنسے یہ معلوم ہوتا ہو کہ شخص دستخط کنندہ کے ہین وہ راست ہین اور نیز یہ کہ وہ شہادت یا بیان یا اقبال حسب ضابطہ قلمبند کیا گیا تھا۔

دفعہ ۸۱ عدالت ایسی ہر دستاویز کو جس سے معلوم ہوتا ہو کہ وہ لنڈن گزٹ یا گزٹ آف انڈیا یا کسی لوکل گورنمنٹ کا سرکاری گزٹ یا کسی نوآبادی یا مضافات یا مقبوضات قلمرو شاہ برٹانیہ کا سرکاری گزٹ یا کوئی اخبار یا کاغذ موقت الشیوع یا نقل کسی مخصوص ایکٹ پارلیمنٹ کی چھاپی ہوئی مہتمم مطبع ملکہ معظمہ کی ہے اور نیز ہر دستاویز کو جس سے معلوم ہوتا ہو کہ وہ ایسی دستاویز ہے جسکی نسبت قانوناً حکم ہے کہ کوئی شخص اُسکو مرتب رکھے غیر جعلی قیاس کریگی بشرطیکہ اُس دستاویز کو بحسب محکومہ قانون بجنسہ مرتب رکھا ہو اور جو ذریعہ مناسب کہ اُسکی حفاظت کا ہے اُس سے نکالکر پیش کیگئی ہو۔

دفعہ ۸۲ جبکوئی دستاویز کسی عدالتمین پیش کیجائے اور اُس سے پایا جاتا ہو کہ وہ ایسی دستاویز ہے جو از روئے قانون مجریہ وقت ملک انگلستان یا آئرلنڈ کے بہ ثبوت کسی امر کے کسی عدالت انگلستان یا آئرلنڈ مین بغیر ثبوت مہر یا اسٹامپ یا دستخط التصدیق کنندہ کے یا منصب عدالت یا عہدہ اُس شخص کے جسکے دستخط کا ثبوت ہونا اُس سے پایا جاتا ہو قابل منظوری ہے تو عدالتکو یہ قیاس کر لینا لازم ہے کہ وہ مہر یا اسٹامپ یا دستخط اصلی ہے اور اُسپر دستخط کرنیوالا بروقت دستخط کرنیکے وہی منصب عدالت یا عہدہ کا رکھتا تھا جو اُسنے اپنے واسطے لکھا ہے اور وہ دستاویز اُسی غرض کے لیے قابل منظوری ہوگی کہ جسکے واسطے انگلستان یا آئرلنڈ مین قابل منظوری ہو سکتی۔

دفعہ ۸۳ عدالتکو لازم ہے کہ جن نقشہ جات زمین یا عمارت سے پایا جاتا ہو کہ وہ بحکم گورنمنٹ طیار کیے گئے تھے اُنکا اسیطور پر طیار کیا جانا اور صحیح ہونا قیاس کر لے لیکن جو نقشہ جات زمین یا عمارت کہ کسی اور غرض سے طیار کیے گئے ہون اُنکا صحیح ہونا ثابت کرنا پڑیگا۔

دفعہ ۸۴ عدالتکو اصلیت ہر ایسی کتاب کی قیاس کر لینی لازم ہے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ وہ بحکم گورنمنٹ

یا کسی ایسی دستاویز سے جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ اُس گورنمنٹ کے حکم سے مطبوع ہوئی ہو (۲) عمل تحریری
واضعان قانون ۔ واضعان مذکور کی تحریرات موقت الشیوع سے یا ایکٹ یا ایکٹون کے خلاصہ مشتہرہ سے
یا اُن نقول سے جنسے معلوم ہوتا ہو کہ بحکم گورنمنٹ چھاپی گئی ہین ۔ (۳) اشتہارات اور احکام یا قوانین جو حضور
ملکہ معظمہ یا پریوی کونسل یا ملکہ معظمہ کی گورنمنٹ کے کسی صیغہ سے جاری ہوئے ہون ۔ بذریعہ نقول یا انتخابات
کے جو لنڈن گزٹ مین درج ہون یا جنسے ظاہر ہوتا ہو کہ ملکہ معظمہ کے مہتمم مطبع کے چھاپے ہوے ہین ثابت
کئے جائین ۔ (۴) ایکٹ مصدرہ حاکم عامل یا عمل تحریری واضعان قانون کسی ملک غیر کے ۔ بذریعہ تحریرات
موقت الشیوع کے جو وہان کے حاکم نے مشتہر کی ہون یا اُس ملک مین عموماً وہ ایسی سمجھی گئی ہون یا بذریعہ نقل
مصدق بمہر ملک یا فرمانروائے ملک کے ثابت کئے جائین یا کسی سرکاری ایکٹ مصدرہ نواب گورنر جنرل بہادر
ہند اجلاس کونسل مین وہ تسلیم کئے گئے ہون ۔ (۵) عمل تحریری کسی جماعۃ میونسپلٹی برٹش انڈیا کا بذریعہ
نقل عمل تحریری مذکور کے جسپر تصدیق اُسی تحریر کی مصدقہ محافظ قانونی کی ہو یا بذریعہ کتاب مطبوعہ کے جس سے
ظاہر ہوتا ہو کہ اُس جماعۃ کے حکم سے مشتہر کی گئی ہو ثابت کیا جائے ۔ (۶) اور ہر قسم کی سرکاری دستاویزات
جو ملک غیر مین ہون ۔ بذریعہ اُنکی ایسی اصل یا نقل کے ثابت کیجائین جو اُنکے محافظ قانونی نے تصدیق کی ہو
اور اُسپر تصدیق بمہر نوٹری پبلک یا سرکار انگریزی کے وکیل ملکی یا مختار مہام ملکی کے باین مضمون ہو کہ
اس نقل کی تصدیق حسب ضابطہ اُس عہدہ دار نے جو قانوناً محافظ اُسکی اصل کا ہو کی ہو اور اُس دستاویز
کی حیثیت کو حسب قانون اُس ملک غیر کے ثابت کر لیا ہو ۔

قیاسات نسبت دستاویزات کے

دفعہ ۷۹ عدالتکو لازم ہو کہ ہر ایسی دستاویز کو جس سے پایا جاتا ہو کہ وہ ایک تصدیق یا نقل مصدق یا اور
دستاویز ہو جو قانوناً بطور شہادت کسی امر واقعہ خاص کے قابل منظوری قرار دی گئی اور جس سے معلوم ہوتا ہو کہ برٹش
انڈیا مین یا کسی ہندوستانی ریاست مین جسکو ملکہ معظمہ کے ساتھ رابطہ اتحاد ہو کسی ایسے عہدہ دار نے اُسکی
تصدیق کی ہو جسکو نواب گورنر جنرل بہادر کے حضور سے حسب ضابطہ اجازت اُسکے تصدیق کرنیکی دیگئی ہو
غیر جعلی قیاس کرے مگر شرط یہ ہو کہ وہ دستاویز از روے اُسکے مضمون مندرجہ کے اُس طرز کی اور اُسطور پر تکمیل
یافتہ معلوم ہوتی ہو جسکی قانوناً اُسکیواسطے ہدایت ہو اور عدالتکو یہ بھی قیاس کر لینا لازم ہو کہ ہر عہدہ دار جسکے
دستخط یا تصدیق کی ہوئی وہ دستاویز معلوم ہوتی ہو بوقت دستخط کرنیکے وہی منصب از روے عہدہ رکھتا تھا

اُسکے ساتھ جسکا ثبوت مطلوب ہو مقابل کیجائے گو کہ وہ دستخط یا تحریر یا مہر واسطے کسی اور غرض کے پیش یا ثابت ہو چکی ہو۔ عدالت کو جائز ہے کہ کسی شخص کو جو حاضر عدالت ہو کسی لفظ یا رقم کے لکھنے کا بایں غرض حکم دے کہ عدالت اُس لفظ اور رقم کو جو اس نہج پر لکھی جائے کسی لفظ یا رقم کے ساتھ جو اُس شخص کے ہاتھ سے لکھی ہوئی بیان کی گئی ہو مقابل کر سکے۔

سرکاری دستاویزات

دفعہ ۷۴ دستاویزات مفصلہ ذیل سرکاری دستاویزات ہیں۔ ۱ دستاویزات مشتمل ایکٹ یا کاغذات متعلقہ ایکٹ (۱) مصدرہ سلطان وقت۔ (۲) مصدرہ سرکاری جماعتوں اور عدالتوں کی۔ (۳) مصدرہ عہدہ داران سرکاری من قبیل واضعان قوانین اور حاکمان عدالت اور عاملان برٹش انڈیا یا کسی اور حصہ قلمرو ملکہ معظمہ یا ملک غیر کے۔ (۲) سرکاری دفاتر خانگی دستاویزات سے جو برٹش انڈیا میں کسی جگہ محفوظ رکھی گئی ہوں۔

دفعہ ۷۵ تمام دیگر دستاویزات خانگی ہیں۔

دفعہ ۷۶ ہر عہدہ دار سرکاری محافظ کسی ایسی سرکاری دستاویز کا جسکے معائنہ کرنیکا شخص کو استحقاق ہو اُس شخص کو نقل اُس دستاویز کی بروقت ادا ہونے اُسکی رسوم معینہ قانون کے حوالہ کریگا اور اُس نقل کے ذیل میں تصدیق اس امر کی لکھدیگا کہ وہ نقل مطابق اصل دستاویز مذکور یا اُسکے جزو کے ہے یعنی جیسی کہ صورت ہو اور وہ تصدیق بقید تاریخ ہوگی اور اُسکے ذیل میں عہدہ دار مذکور اپنا نام اور عہدہ کا نام مرقوم کریگا اور جس حال میں کہ اُس عہدہ دار کو قانوناً مہر کے استعمال کرنے کی اجازت ہو مہر بھی اُسپر ثبت کیجائیگی اور وہ نقلیں جنپر اس طور کی تصدیق ہو نقول مصدق کہلائینگی۔

تشریح۔ ہر عہدہ دار جسکو اُسکی سرکاری خدمت معمولی کے ذریعہ سے ایسی نقول کے حوالہ کرنیکی اجازت ہو محافظ اُن دستاویزات کا بحسب معنی مقررہ دفعہ ہذا متصور ہوگا۔

دفعہ ۷۷ جائز ہے کہ ایسی نقول مصدق بثبوت مضامین اُن دستاویزات سرکاری یا جزو دستاویزات سرکاری کے جنکی وہ نقلیں معلوم ہوتی ہوں پیش کی جائیں۔

دفعہ ۷۸ جائز ہے کہ دستاویزات سرکاری مفصلہ ذیل حسب ذیل ثابت کی جائیں (۱) ایکٹ یا حکم یا اشتہارات ایگزیکیوٹف گورنمنٹ برٹش انڈیا کے جو کسی صیغہ سے ہوں یا کسی لوکل گورنمنٹ یا کسی صیغہ لوکل گورنمنٹ کے سے چاہیے کہ وہ اُس صیغہ کی تحریر مصدقہ سر دفتر صیغہ مذکور کے ذریعہ سے ثابت ہوں۔

صورتہائے مفصلہ ذیل یا کسی اور ایسی صورت مین ضروری نہوگی جسمین کہ عدالت اُس سے درگذر کرنا مناسب جانے
(۱) جبکہ دستاویز ثبوت طلب فی نفسہ ایک اطلاع ہو۔ (۲) جبکہ مقدمہ کی نوعیت سے فریق مخالف کو بالضرور
معلوم ہو کہ اُسکو پیش کرنا پڑیگا۔ (۳) جبکہ یہ معلوم ہو یا ثابت کیا جائے کہ فریق مخالف نے قبضہ اصل کا بفریب
یا بزور حاصل کیا ہو۔ (۴) جبکہ فریق مخالف یا اُسکے مختار نے اصل کو عدالت مین داخل کر دیا ہو۔ (۵) جبکہ
فریق مخالف یا اُسکے مختار نے اُس دستاویز کا گم ہونا تسلیم کیا ہو۔ (۶) جبکہ شخص قابض دستاویز عدالت کے
حکمنامہ کی رسائی یا اُسکی اطاعت سے باہر ہو۔

دفعہ ۶۷ جبکہ کسی دستاویز کی نسبت یہ بیان کیا جائے کہ اُسپر کسی شخص نے دستخط کئے ہین یا کسی شخص نے
اُسکو کلاً یا جزءً لکھا ہو تو دستخط یا نشان خط اُس قدر دستاویز کی جو اُس شخص کے ہاتھ کی لکھی ہوئی بیان
کیجائے اُسی شخص کے خط کی شان سے ثابت ہونا چاہیے۔

دفعہ ۶۸ اگر کسی دستاویز کیواسطے قانوناً گواہون کی گواہی سے مصدق ہونا ضرور ہو تو وہ شہادت مین
اُسوقت تک مستعمل نہو گی کہ اُسکا تکمیل پانا اقل درجہ ایک گواہ تصدیق کنندہ کی گواہی سے ثابت کیا جائے بشرطیکہ کوئی
گواہ تصدیق کنندہ زندہ ہو اور اُسپر حکمنامہ عدالت جاری ہوسکتا ہو اور وہ شہادت دینے کی قابلیت رکھتا ہو۔

دفعہ ۶۹ اگر کوئی ایسا گواہ تصدیق کنندہ نپایا جائے یا دستاویز سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ اُسکی تکمیل ممالک
متحدہ مین ہوئی ہو تو اُسکی نسبت یہ ثابت ہونا چاہیے کہ اقل درجہ ایک گواہ کی گواہی سے خود بقلم اُسکے تصدیق
کی گئی ہو اور دستخط تکمیل کنندہ دستاویز کے خود بقلم اُسی شخص کے ہون۔

دفعہ ۷۰ اقبال ایک فریق کا نسبت دستاویز مصدقہ کے اس امر مین کہ اُسکی تکمیل خود اُسنے کی
بمقابلہ اُسی فریق کے اُسکی تکمیل کا ثبوت کافی ہوگا گو کہ وہ دستاویز ایسی ہو جسکا مصدق بگواہی ہونا قانوناً ضرور ہو۔

دفعہ ۷۱ اگر گواہ تصدیق کنندہ دستاویز پر اپنی گواہی کرنے سے انکار کرے یا اُسکو یاد نہو تو جائز ہو
کہ اُسکی تکمیل اور شہادت سے ثابت کی جائے۔

دفعہ ۷۲ دستاویز مصدقہ جسکے مصدق بگواہی ہونے کے لئے قانون مین حکم نہو اس طور پر
ثابت کی جاسکتی ہو کہ گویا وہ مصدق نہ تھی۔

دفعہ ۷۳ واسطے تحقیق اس امر کے کہ فلان دستخط یا تحریر یا مہر اُسی شخص کی ہو یا نہین جسکی ظاہر ہوتی ہو
جائز ہو کہ وہ دستخط یا تحریر یا مہر جو اُسی شخص کی تسلیم کی گئی ہو یا حسب اطمینان عدالت ثابت ہو چکی ہو

(الف) جبکہ اصل کی نسبت ثابت کیا جائے یا معلوم ہوتا ہو کہ وہ قبضہ یا اختیار مین اشخاص مفصلہ ذیل کے ہو۔ ایسے شخص کے جسکے مقابلہ مین دستاویز کا ثابت کیا جانا مطلوب ہو۔ ایسے شخص کے جو عدالت کے حکمنامہ کی رسائی یا اطاعت سے باہر ہو۔ ایسے شخص کے جو قانوناً اُسکے حاضر کرنے پر مجبور ہو۔ اور ان سب صورتون مین بعد اطلاعنامہ متذکرہ دفعہ ۶۶ کے وہ اُسکو نہین پیش کرتا ہو۔

(ب) جبکہ وجود یا حالت یا مضامین مندرجہ اصل کی نسبت ثابت ہوچکا ہو کہ بذریعہ تحریر کے اُس شخص نے جسکے مقابلہ مین ثابت کی گئی یا اُسکے قائم مقام حقیت نے اُسکو تسلیم کیا ہو۔

(ج) جس حال مین کہ اصل تلف یا گم ہوگئی ہو یا وہ فریق جو اُسکے مضامین کی شہادت دیا چاہتا ہو کسی ایسی وجہ سے جو اُسکے قصور یا غفلت سے نہ پیدا ہوئی ہو وقت مناسب کے اندر نہین پیش کرسکتا۔

(د) جب کہ اصل اس قسم کی ہو کہ اُسکو بآسانی اُسکی جگہ سے نہ ہٹا سکتے ہون۔

(ہ) جبکہ اصل ایک دستاویز سرکاری بحسب معنی قرارداده دفعہ ۷۴ کے ہو۔

(و) جس حال مین کہ اصل ایسی دستاویز ہو جسکی نقل مصدقہ کو از روے ایکٹ ہذا یا کسی اور قانون نافذہ برٹش انڈیا کے شہادت مین پیش کرنیکی اجازت ہو۔

(ز) جبکہ اصل مشتمل چند حسابات یا اور کاغذات پر ہو جنکو عدالت بسہولت معائنہ نکرسکتی ہو اور امر ثبوت طلب عام نتیجہ اُس تمام مجموعہ کا ہو۔ صورت ہاے (الف) و (ج) و (د) مین شہادت منقولی مضمون دستاویز کی منظور ہوسکتی ہو۔ صورت (ب) مین اقبال تحریری منظور ہوسکتا ہو۔ صورت (ہ) یا (و) مین نقل مصدق دستاویز کی قابل منظوری ہو لیکن اور کسی قسم کی شہادت منقولی قابل منظوری نہین ہو۔ صورت (ز) مین نسبت نتیجہ عام دستاویزات کے ہر شخص جسنے اُنکا معائنہ کیا ہو اور ایسی دستاویزات کے معائنہ کرنے کی مہارت رکھتا ہو واسطے شہادت کرسکتا ہو۔

دفعہ ۶۶ شہادت منقولی مضامین دستاویزات کی جنکا ذکر دفعہ ۶۵ کی ضمن (الف) مین آیا ہو نہ دی جائیگی الا اُس حال مین کہ جو شخص ایسی شہادت منقولی دیا چاہتا ہو وہ پیشتر اُس فریق کو جسکے قبضہ یا اختیار مین وہ دستاویز ہو یا اُسکے اٹرنی یا وکیل کو اطلاع معینہ قانون واسطے اُسکے پیش کرنیکے دے چکا ہو اور جس حال مین کہ کوئی اطلاع قانون کی روسے معین نہ ہو تو ایسی اطلاع دے چکا ہو جسے حال مقدمہ عدالت کی دانست مین مناسب ہو مگر شرطیہ ہو کہ اطلاع مذکور واسطے قابل منظوری ہونے دستاویز منقولی کے

خص کی نسبت ثابت کیا گیا کہ اُسکے پاس چند قطعات اعلامنامہ ہین جو سب ایک ہی وقت مین ایکہی
سے چھاپے گئے تھے ہر ایک انمین سے واسطے مضمون مندرجہ دوسرے کے شہادت اصلی ہی لیکن اصل کے
ین مندرجہ کیواسطے اُنمین سے کوئی شہادت اصلی نہین ہی۔

۶۳ شہادت منقولی مشتمل معنی اور حاوی امور مفصلہ ذیل کی ہی۔

نقول مصدقہ جو بموجب اُن احکام کے کہ ایکٹ ہذا مین بعد ازین مندرج ہین حوالہ کیجائین۔
نقول جو اصل سے بذریعہ کل کی ترکیبات کے کی جائین اور وہ ترکیبات فی نفسہ تیقن صحت
کا کرتی ہون اور وہ نقول جنکا مقابلہ ان نقول سے کیا گیا ہو۔
) نقول جو اصل سے کی گئی ہون یا اسکے ساتھ انکا مقابلہ کر لیا گیا ہو۔
) دستاویزات کی تحریرات مقابل (جیسے پٹہ و قبولیت وغیرہ) بمقابلہ اُن فریق کے جنھون نے انکی
نہ کی ہو۔ (۵) زبانی بیان کسی دستاویز کے مضامین کا ایسے شخص کا کیا ہوا جسنے کہ خود اُسکو دیکھا ہو۔

تمثیلات

(الف) ایک نقل عکسی کسی اصل کی اُس اصل کے مضامین مندرجہ کی شہادت منقولی ہی گو کہ اُن
ن کا مقابلہ نہ کیا گیا ہو مگر ثابت ہونا اسبات کا شرط ہی کہ جس شئی کا عکس لیا گیا وہ اصل تھی۔
(ب) نقل جو کہ کسی خط کی ایسی نقل سے مقابل کر لیگئی ہو جو نقل کرنیکے آلہ سے طیار کیگئی ہی وہ اُس خط
امین کی شہادت منقولی ہی مگر بشرط ثابت ہونے اس امر کے کہ نقل جو نقل کے آلہ سے طیار کیگئی وہ اصل سے لیگئی تھی۔
) جو نقل کہ ایک نقل سے کیجائے مگر مین بعد اصل کے ساتھ اُسکا مقابلہ کر لیا گیا ہو وہ شہادت منقولی ہی
نقل کے کہ اصل سے مقابلہ نہ کیا گیا ہو وہ اصل کی شہادت منقولی نہین ہی گو کہ جس نقل سے اُسکی نقل
اُسکا مقابلہ اصل سے کیا گیا ہو۔
زبانی بیان کسی نقل کا جسکا مقابلہ اصل سے کیا گیا ہو اور زبانی بیان کسی اصل کی نقل عکسی کا یا
ل کا جو بذریعہ آلہ کے کی گئی ہو شہادت منقولی اصل کی نہین ہی۔

۶۴ لازم ہی کہ دستاویزات بذریعہ شہادت اصلی کے ثابت کی جائین بجز اُن حالات کے
ان قانون ہذا مین بعد ازین کیا جاتا ہے۔

۶۵ جائز ہی کہ شہادت منقولی بابت وجود یا حالت یا مضامین مندرجہ دستاویز کی صورت مفصلہ ذیل مین ادا کیجائے۔

واقعہ کے ہو جسے دیکھ سکتے ہین تو لازم ہے کہ وہ شہادت ایسے گواہ کی ہو جو یہ کہے کہ مینے اُس واقعہ کو دیکھا۔ اگر نسبت ایسے واقعہ کے ہو جسے سن سکتے ہین تو وہ شہادت ایسے گواہ کی شہادت ہونی چاہیے جو یہ کہے کہ مینے اُس واقعہ کو سنا۔ اگر نسبت ایسے واقعہ کے ہے جو کسی اور حس سے یا اور کسی طور پر محسوس ہو سکتا ہے تو وہ شہادت ایسے گواہ کی ہونی چاہیے جو یہ کہے کہ مینے اسکو اُسی حس سے یا اسی طور پر محسوس کیا۔ اگر نسبت کسی راے یا ایسی وجوہ کے ہو جنکی بنا پر وہ راے قائم کیجائے تو چاہیے کہ وہ شہادت ایسے شخص کی ہو جو اُن وجوہ پر ایسی راے رکھتا ہو۔ مگر شرط یہ ہے کہ جو راے ماہرین نے ایسے رسالہ مین ظاہر کی ہے جو عموماً فروخت کیلئے ہو اور وجوہ جنکی بنا پر وہ راے قائم کیگئی ہو جائز ہے کہ اگر مصنف فوت ہو گیا ہو یا پایا نجاتا ہو یا شہادت دینے کے ناقابل ہو گیا ہو یا بغیر ایسی تاخیر یا صرف کے جسے عدالت نامناسب تصور کرے طلب نکیا جا سکتا ہو تو اُس رسالہ کے پیش کرنے سے ثابت کیجائین۔ نیز شرط یہ ہے کہ اگر شہادت زبانی نسبت وجود یا حالت کسی شی مادی کے بجز دستاویز کے ہو تو عدالت کو جائز ہے کہ اگر مناسب جانے تو اُسی شی مادی کو معائنہ کیلئے پیش کرنیکا حکم دے۔

فصل ۵ شہادت دستاویزی

دفعہ ۶۱ — جائز ہے کہ مضامین دستاویزات بذریعہ شہادت اصلی یا منقولی کے ثابت کئے جائین۔

دفعہ ۶۲ — شہادت اصلی سے مراد فی نفسہ دستاویز ہے جو کہ عدالت کے معائنہ کیلئے پیش کیجائے۔

(تشریح ۱) جب کسی دستاویز کے کئی حصے ہون ہر حصہ اُسکا شہادت اصلی ہے۔ جب کوئی دستاویز بہ تحریر مقابل تکمیل پائے اور ہر تحریر مقابل کی تکمیل صرف ایک یا منجملہ چند فریق کے بعض نے کی ہو تو ہر تحریر مقابل بمقابلہ اُن فریق کے جنہون نے اُسکی تکمیل کی ہے شہادت اصلی ہے۔

(تشریح ۲) جب چند دستاویزات ایک ہی عمل سے طیار کیگئی ہون جیسے کہ عمل چھاپہ سیسہ یا چھاپہ سنگین یا عکس سے اُتارنیکا تو ہر ایک اُنمین سے واسطے مضامین مندرجہ باقی کے شہادت اصلی ہے مگر جس حال مین کہ وہ سب نقلین ایک ہی اصل کی ہون تو وہ اصل کے مضامین کیواسطے شہادت اصلی نہین ہین۔

تمثیل

* از روے دفعہ ۱۲ ایکٹ ۷ ۱۹۰۱ء بعض کارروائیون کاغذات متعلقہ مردم شماری شہادت مین قابل پذیرائی نہ ہین۔ دفعہ ۱۲ ایکٹ ۷ ۱۹۰۱ء ملاحظہ طلب۔

+ دفعہ ۶ ایکٹ نمبر ۱۸ ۱۸۷۲ء۔

لوکل گورنمنٹ کے سرکاری گزٹ مین مشتہر ہوا ہو- (۸) ہر ایسی ریاست یا ایسے بادشاہ کی موجودگی اور
خطاب اور قومی جھنڈا جسے فرمان فرماے برٹانیہ نے تسلیم کیا ہو- (۹) تقسیم زمان اور زمین کی تقسیم جغرافی
یعنے ممالک وغیرہ اور تیوہار اور روزہ کے ایام اور تعطیلات جو سرکاری گزٹ مین مشتہر ہون- (۱۰) ممالک
قلمرو فرمان رواہی برٹانیہ- (۱۱) آغاز اور قیام اور اختتام جنگ کا مابین ملکہ معظمہ اور کسی اور ریاست یا گروہ
اشخاص کے- (۱۲) نام حاکمان اور عہدہ داران عدالت اور اُنکے نائبون اور عہدہ دارون ماتحت اسٹنٹون
کے اور نیز تمام عہدہ دارون کے جو عدالت کے حکمنامجات کی تعمیل مین مامور ہون اور تمام ایڈوکیٹ اور اٹرنی
اور پروکٹر اور وکلا، وغیرہ اشخاص کے جو قانوناً مجاز حاضری عدالتکے یا اُسکے روبرو سوال و جواب کرنیکے ہون-
(۱۳) قواعد درباب شارع عام خشکی یا تری کے- ان تمام صورتونمین اور تمام امور متعلقہ تاریخ عام یا
علم ادب یا علوم یا فنون مین عدالت کو جائز ہو کہ کتب یا کاغذات مناسب سے جو مفید حوالہ ہون استمداد کرے-
اگر عدالت سے کوئی شخص استدعا کرے کہ فلان امر واقعہ کو عدالت اپنی تجویز مین تسلیم کرے تو اُسے اختیار
انکار کرنیکا ہو مگر اُس حال مین اور اُسوقت تک کہ وہ شخص ایسی کتاب یا دستاویز پیش کرے جسکی رو سے
عدالت کی دانست مین اُسکا تسلیم کرنا ضروری ہو-

دفعہ ۵۸ کوئی واقعہ کسی ایسے مقدمہ مین ثابت کرنا ضرور نہین ہے جسمین فریقین یا انکے مختار بذریعہ
تحریر دستخطی کے بروقت سماعت مقدمہ تسلیم کرنے پر اتفاق کرین یا پیشی مقدمہ سے پہلے اُسکے تسلیم کئے جانے پر
اتفاق کرین یا جواز رو سے کسی قاعدہ سوال و جواب مقدمہ مجریہ وقت کے اُنکے سوال و جواب سے تسلیم کیا ہوا متصور
ہو مگر شرط یہ ہو کہ عدالت کو اپنی راے کے موافق اختیار ہو کہ بجز اُس اقبال کے اور نہج پر واقعات مقبولہ کے
ثابت کئے جانے کا حکم دے-

فصل ۴ - شہادت زبانی

دفعہ ۵۹ تمام واقعات بجز مضامین دستاویزات کے شہادت زبانی کے ذریعہ سے ثابت کئے جاسکتے ہین-

دفعہ ۶۰ شہادت زبانی تمام صورتونمین جو کچھ کہ وہ ہون بلا واسطہ ہونی چاہیے یعنے اگر نسبت ایسے

---

[۱] دفعہ - ایکٹ نمبر ۱۸ سنہ ۱۸۷۲ء-
نیز باغراض مقدمات دیوانی یہ امر واقعہ کہ کسی ریاست غیر کو ملکہ معظمہ یا جناب نواب گورنر جنرل بہادر اجلاس کونسل نے
تسلیم نہین کیا- (دفعہ ۴۳۱ - ایکٹ نمبر ۱۴ سنہ ۱۸۸۲ء)

دفعہ ۵۵ مقدمات دیوانی مین یہ واقعہ کہ چال چلن کسی شخص کا ایسا ہے جس سے اُس ہرجہ کی تعداد مین جو کہ اُسکو ملنا چاہیے فرق پڑے واقعہ متعلقہ ہے۔

(تشریح) دفعات ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ مین لفظ چال چلن کا حاوی شہرت اور خاصہ طبیعت کا ہے لیکن شہادت صرف عام شہرت اور عام خاصہ طبیعت کی گذر سکتی ہے نہ خاص افعال کی جنسے کہ شہرت یا خاصہ طبیعت ظاہر ہوا ہو۔

باب ۲ — ثبوت

فصل ۳ — واقعات جنکا ثبوت ضروری نہین ہے۔

دفعہ ۵۶ کوئی واقعہ جسے عدالت وجہ ثبوت مین تسلیم کرے محتاج ثبوت کا نہین ہے۔

دفعہ ۵۷ عدالت واقعات مفصلہ ذیل کو وجہ ثبوت مین تسلیم کریگی — (۱) تمام قوانین یا قواعد جو حکم قانون کا رکھتے ہون اور بزمانہ حال یا ماضی یا مستقبل کسی جزو برٹش انڈیا مین نافذ ہون — (۲) قوانین متعلقہ عامہ خلائق جو پارلیمنٹ کے حضور سے صادر ہو چکے ہون یا آیندہ صادر ہون اور تمام ایکٹ متعلق التمام اور مختص الاشخاص جنکو پارلیمنٹ نے باین حکم صادر کیا ہے کہ وہ وجہ ثبوت مین تسلیم کیے جائین — (۳) جناب ملکہ معظمہ کی فوج بری یا بحری کے آرٹکلس آف واریعنی قانون جنگی — (۴) پارلیمنٹ مذکور اور اُس کونسل کا ضابطہ جو واسطے توضیع آئین و قوانین کے حسب ایکٹ مصدرہ کونسل ہند مقرر کیگئی ہو یا اور کوئی قانون جو اس باب مین نافذ الوقت ہو۔

(تشریح) ضمن ۲ و ۴ مین لفظ پارلیمنٹ حاوی معنی مفصلہ ذیل کا ہے —

(۱) پارلیمنٹ مملکت متحدہ برٹانیہ عظمیٰ اور آئرلنڈ — (۲) پارلیمنٹ برٹانیہ عظمیٰ —

(۳) پارلیمنٹ انگلستان — (۴) پارلیمنٹ اسکاٹلنڈ — (۵) پارلیمنٹ آئرلنڈ —

(۶) تخت نشینی اور دستخط فرمانروا سے وقت مملکت متحدہ برٹانیہ عظمیٰ اور آئرلنڈ کے —

(۶) تمام مواہیر جو انگریزی عدالتون مین وجہ ثبوت مین منظور ہو سکتی ہین اور مواہیر تمام عدالتہا برٹش انڈیا کی اور تمام عدالتہا بیرون برٹش انڈیا کی جو بحکم نواب گورنر جنرل بہادر باجلاس کونسل یا لوکل گورنمنٹ اجلاس کونسل کے مقرر کیگئی ہون اور مواہیر عدالتہا ایڈمرلٹی اور عدالت علاقہ بحری اور نوٹری پبلک کی اور تمام مواہیر جنکو کوئی شخص از روے کسی ایکٹ مصدرہ پارلیمنٹ یا اور ایکٹ یا قانون کے جو برٹش انڈیا مین حکم آئین کا رکھتا ہو مستعمل کرنے کا مجاز ہو

(۷) تسلط عہدہ اور نام اور خطاب اور منصب اور دستخط اُن اشخاص کے جو بر وقت موجودہ کسی سرکاری عہدہ پر برٹش انڈیا کے کسی جزو مین مامور ہون بشرطیکہ اُنکا تقرر اُس عہدہ پر گزٹ آف انڈیا مین مشتہر

دفعہ ۵۰ جبکہ عدالت کو دو شخص کی قرابت باہمی کی نسبت رائے قائم کرنی ہو تو رائے جو از روے طور او طریق کے دربابہ ہونے اُس قرابت کے کوئی ایسا شخص ظاہر کرے جو اُس خاندان مین ہو جسکی وجہ سے یا اور نہج پر اُس قرابت کی واقفیت رکھنے کے وسائل خاص رکھتا ہو واقعہ متعلقہ ہے مگر شرط یہ ہے کہ ایسی رائے مقدمات متعلقہ قانون طلاق مجریہ ہند مین یا اُن مقدمات مین جو حسب دفعہ ۴۹۴ یا ۴۹۵ یا ۴۹۷ یا ۴۹۸ مجموعہ تعزیرات ہند کے ہون ازدواج کے ثبوت کیواسطے کافی نہو گی۔

تمثیلات

(**الف**) بحث اس امر کی ہے کہ زید اور ہندہ کا ازدواج ہوا تھا یا نہین۔ یہ واقعہ کہ اُنکے دوست ہمیشہ اُنسے اسطرح ملا کرتے تھے اور اسطرح کا طور و طریق برتتے تھے جیساکہ شوہر اور زوجہ کے ساتھ چاہیے واقعہ متعلقہ ہے۔

(**ب**) سوال یہ ہے کہ زید عمر کا صلبی بیٹا ہے یا نہین۔ یہ واقعہ کہ زید کے ساتھ اُس خاندان کے لوگ ہمیشہ مثل پسر صلبی کے طور و طریق برتتے تھے واقعہ متعلقہ ہے۔

دفعہ ۵۱ جبکہ رائے کسی شخص زندہ کی واقعہ متعلقہ ہو تو وہ وجوہ بھی جنکی بنا پر وہ رائے قائم کیجائے واقعہ متعلقہ ہین

تمثیل

جائز ہے کہ ایک شخص ماہر بیان اپنے اُن امتحانات کا پیش کرے جو اُسنے اپنی رائے قائم کرنے کے لئے کیے ہون

چال چلن کن صورتون مین واقعہ متعلقہ ہے

دفعہ ۵۲ مقدمات دیوانی مین یہ واقعہ کہ ایک شخص اہل غرض کا چال چلن ایسا ہے کہ جس فعل کا اُس پر اتہام کیا گیا وہ بلحاظ اُس چال چلن کے قرین قیاس یا خلاف قیاس ہے واقعہ غیر متعلقہ ہے مگر جسقدر کہ وہ چال چلن از روے واقعات کے اور نہج سے واقعہ متعلقہ معلوم ہوتا ہو۔

دفعہ ۵۳ مقدمات فوجداری مین یہ واقعہ کہ شخص ملزم کا چال چلن نیک ہے واقعہ متعلقہ ہے۔

دفعہ ۵۴ مقدمات فوجداری مین یہ واقعہ کہ شخص ملزم پیشتر کسی جرم کا مرتکب ثابت ہوا تھا واقعہ متعلقہ ہے لیکن یہ واقعہ کہ وہ بدچلن ہے واقعہ متعلقہ نہین ہے الا اس حال مین کہ شہادت اسبات کی پیش کیجائے کہ وہ نیک چلن ہے پس ایسی صورت مین وہ واقعہ متعلقہ ہو جاتا ہے۔

(**تشریح**) یہ دفعہ اُن مقدمات سے متعلق نہین ہے جنمین کہ بدچلن ہونا کسی شخص کا فی نفسہ واقعہ تنقیحی ہو۔

قائم کرنا ہو تو رائے اُس شخص کی جو اُس آدمی کے دستخط کو پہچانتا ہو جسکا اُس دستاویز کو لکھنا یا اُسپر دستخط کرنا خیال
کیا جائے بہ تجویز اس امر کے کہ یہ تحریر یا دستخط اُس شخص کے ہین یا نہین واقعہ متعلقہ ہے۔
(تشریح) وہ شخص دوسرے شخص کے دستخط کو پہچاننے والا کہلائیگا جسنے کہ اُس شخص کو لکھتے ہوے دیکھا ہو
یا بجواب اُن کاغذات کے جو خود اُسنے لکھکر یا اور سے لکھوا کر اُس شخص کے نام بھیجے ہون اُسی شخص کے لکھے ہوے
کاغذات اُس شناخت کنندہ کو وصول ہوئے ہون یا در اثنائے اجرائے معمولی کاروبار کے ایسے کاغذات
جنسے پایا جاتا ہو کہ اُسی شخص کے لکھے ہوے ہین اُسکے روبرو پیش ہوتے رہے ہون۔

تمثیل

سوال اس امر کا ہے کہ فلان خط زید لندن کے ایک سوداگر کے ہاتھ کا لکھا ہے یا نہین بکر کلکتہ کا ایک سوداگر ہے جسنے
زید کو خطوط لکھکر بھیجے تھے اور ایسے خطوط وصول کئے تھے جنسے پایا جاتا تھا کہ زید کے لکھے ہین اور بکر عمر کا
محرر ہے جسکا یہ کام تھا کہ عمر کے خطوط کو جانچ کر نتھی کر دیا کرے اور خالد عمر کا دلال ہے اُسکو عمر وہ خطوط ہمیشہ
دیدیا کرتا تھا جنسے پایا جاتا تھا کہ زید نے اُنکے مضمونکی بابت اُس سے مشورہ لینے کے لیے لکھے تھے۔
رائے عمر اور بکر اور خالد کی اسبابمین کہ وہ خط زید کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے یا نہین واقعہ متعلقہ ہے گو کہ عمر یا بکر یا خالد نے زید کو
کبھی لکھتے ہوے نہ دیکھا ہو۔

دفعہ ۴۸ جبکہ عدالت کو درباب رائج ہونے کسی رسم عام یا موجودگی کسی حق عام کے رائے قائم کرنی ہو تو
اُس رسم کے رائج ہونے یا اُس حق کے موجود ہونیکے باب مین اُن اشخاص کی رائے جنکا واقف ہونا اُسکے
رائج ہونے یا موجود ہونے کی صورت مین قرین قیاس ہو واقعہ متعلقہ ہے۔
(تشریح) لفظ رسم عام یا حق عام کا حاوی اُن رسمیات یا حقوق کا ہے جو کسی فرقہ اشخاص کثیر التعداد کیواسطے عام ہون۔

تمثیل

حق کسی خاص گانون کے رہنے والون کا کسی خاص کنوین سے پانی بھرنیکی بابت حسب منشاء اس دفعہ کے حق عام ہے

دفعہ ۴۹ جبکہ عدالت کو درباب امور مفصلہ ذیل کے رائے قائم کرنی ہو۔ دستورات اور عقائد کسی فرقہ
اشخاص یا خاندان کے۔ ترتیب اور انتظام کسی امر مذہبی یا خیراتی کے۔ معنی الفاظ یا اصطلاحات کے جو
خاص ضلعون یا لوگونکے خاص فرقون مین مستعمل ہون۔ رائے اُن اشخاص کی جو اُن سے واقفیت
رکھنے کے وسائل خاص رکھتے ہون واقعہ متعلقہ ہے۔

اور باب شناخت

دفعہ ۴۵ جبکہ عدالت کو کسی امر متعلقہ قانون ملک غیر یا علم یا ہنر کی بابت یا در باب شناخت دستخط کے اپنی رائے قائم کرنی ہو تو اُس باب مین رائے اُن اشخاص کی جو اُس قانون ملک غیر یا علم یا ہنر سے واقفیت مخصوصہ رکھتے ہون واقعہ متعلقہ ہے۔ ایسے اشخاص ماہر کہلاتے ہین۔

تمثیلات

(الف) بحث اس امر کی ہے کہ وفات زید کی زہر کے باعث سے ہوئی یا نہین۔ رائے ماہرین کی نسبت علامات اُس زہر کے جس سے کہ زید کا فوت ہونا متصور ہے واقعہ متعلقہ ہے۔

(ب) بحث اس امر کی ہے کہ زید بروقت ارتکاب ایک فعل مخصوص کے بوجہ فتور عقل اُس فعل کی نوعیت یا اسبات کے جاننے کی قابلیت رکھتا تھا یا نہین کہ جو فعل اُس سے سرزد ہوتا ہے وہ بیجا یا خلاف قانون ہے۔ رائے ماہرین کی نسبت اس سوال کے کہ وہ علامات جو کہ زید سے ظاہر ہوئین حسب معمول علامات فتور عقل کی ہین یا نہین اور ایسے فتور عقل سے ہمیشہ اشخاص ناقابل جاننے نوعیت اُن افعال کے جو اُن سے سرزد ہون یا جاننے اسبات کے کہ جو کچھ اُنسے سرزد ہوتا ہے وہ بیجا یا خلاف قانون ہے ہو جاتی ہین یا نہین واقعہ متعلقہ ہے۔

(ج) اس امر کی بحث پیش ہے کہ فلان دستاویز زید کی لکھی تھی یا نہین اور ایک دوسری دستاویز پیش ہوئی جو زید کی لکھی ہوئی ثابت کی گئی یا اُسکا اقبال کیا گیا رائے ماہرین کی اسبا مین کہ وہ دونون دستاویزات ایک ہی شخص نے لکھی یا جدا جدا شخص کی واقعہ متعلقہ ہے۔

دفعہ ۴۶ واقعات جو اور طرح سے متعلق نہین ہین اُسصورت مین واقعات متعلقہ ہین جب کہ وہ موید یا مغائر رائے ماہرین کے ہون درحالیکہ وہ رائے واقعہ متعلقہ ہو۔

تمثیلات

(الف) بحث اس امر کی ہے کہ زید کو فلان زہر کھلایا گیا تھا یا نہین۔ یہ واقعہ کہ اور اشخاص پر جنکو وہی زہر کھلایا گیا تھا ایسی علامات طاری ہوئی تھین جنکو ماہرین اُسی زہر کی علامات بتاتے ہین یا نہین بتاتے ہین واقعہ متعلقہ ہے۔

(ب) سوال یہ ہے کہ فلان بندر مین فلان پشتہ سے مزاحمت ہوتی ہے یا نہین یہ واقعہ کہ دوسرے بندر مین جو دوسری جگہ اسیطرح واقع ہین اور وہان ایسا کوئی پشتہ نہین ہے اسی موسم مین روک ہونے لگی واقعہ متعلقہ ہے۔

دفعہ ۴۷ جب عدالت کو نسبت کسی شخص کے جسنے کہ کوئی دستاویز لکھی ہو یا اُسپر دستخط کئے ہون رائے

---

* دفعہ ۴ - ایکٹ نمبر ۱۸ ۱۸۷۲ء

بیجا اُسی جگہ کے نالش کی تھی اور بکر ذُ اسی استہ کی استحقاق کا ہونا بیان کیا تھا واقعہ متعلقہ ہو لیکن وہ ثبوت قطعی حق مرور کا نہین ہے۔

دفعہ ۴۳ فیصلے یا حکم یا ڈگریان سواے انکے جنکا ذکر دفعات ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ مین ہوا واقعات متعلقہ نہین الا اس حال مین کہ موجودگی اُس فیصلہ یا حکم یا ڈگری کی واقعہ تنقیحی یا ایک ہا کے کسی اور حکم کے بموجب واقعہ متعلقہ ہو۔

تمثیلات

(**الف**) زید اور عمر نے جداگانہ نالش بابت ایک مضمون ہتک آمیز کے جو اُنمین سے ہر ایک پر عائد ہوتا تھا بنام بکر رجوع کی اور بکر نے ہر مقدمہ مین کہا کہ مضمون جسکا ہتک آمیز ہونا بیان کیا گیا ہے سچ ہی اور حالات مقدمہ اس نوع کے ہین کہ از روے قیاس غالب وہ مضمون ہر مقدمہ مین سچا ہی یا دونون مین سچا نہین ہی۔ زید نے ایک ڈگری ہرجہ کی بکر پر بوجہ ہرجہ حاصل کی کہ بکر اپنی بریت نہین کر سکا یہ واقعہ غیر متعلقہ مابین عمر اور بکر کے ہی۔

(**ب**) زید نے عمر پر اپنی زوجہ ہندہ کے ساتھ زنا کرنیکی نالش کی۔ عمر نے بیان کیا کہ ہندہ زید کی زوجہ نہین ہی لیکن عدالت نے عمر کو مجرم زنا کا قرار دیا من بعد ہندہ پر نالش بکی کی (شوہر بازوجہ کی حیات مین شادی کرنا جو از روے قانون انگلستان ممنوع ہی) رجوع کی گئی اس بیان سے کہ زید کی حیات مین اُسنے عمر کے ساتھ ازدواج کیا ہندہ کہتی ہی کہ وہ عمر کی زوجہ نہین ہوئی۔ فیصلہ جو بمقابلہ عمر کے ہوا تھا ہندہ کے مقابلہ مین غیر متعلقہ ہے۔

(**ج**) زید نے عمر پر نالش کی کہ اُسنے میری گائے چرا لی ہی اور عمر مجرم قرار دیا گیا من بعد زید نے بکر پر گائے کی بابت نالش کی جسکو عمر نے اُسکے ساتھ قبل مجرم ثابت ہونیکے بیچا تھا فیصلہ جو مابین زید اور بکر کے ہوا تھا عمر کے مقابلہ مین غیر متعلق ہی۔

(**د**) زید نے اراضی کے قبضہ کی ڈگری عمر کے مقابلہ مین حاصل کی اسکے باعث سے عمر کے بیٹے بکر نے زید کو مار ڈالا موجودگی اُس فیصلہ کی بہ ثبوت باعث ترغیب جرم کے واقعہ متعلقہ ہے۔

دفعہ ۴۴ ہر فریق نالش یا اور مقدمہ کا یہ ثابت کر سکتا ہی کہ کوئی فیصلہ یا حکم یا ڈگری جو حسب دفعہ ۴۰ یا ۴۱ یا ۴۲ کے واقعہ متعلقہ ہی اور فریق مخالف نے اُسکو ثابت کر دیا ہی ایسی عدالت سے حاصل ہوئی تھی جسکو اختیار اُسکے صادر کرنے کا نہ تھا یا بفریب یا بسازش حاصل ہوئی تھی۔

راے اشخاص غیر کی کس صورت مین واقعہ متعلقہ ہے

اسیقدر حصہ کی بابت گذرانی جائیگی جبکہ عدالتکی دانست مین اشخاص متخاصمہ مین بیان مذکور کی نوعیت اور تاثیر اور اُن حالات کی کماحقہ سمجھنیکواسطے ضروری ہو جنمین کہ وہ بیان کیا گیا اور اُس گفتگو یا دستاویز یا بہی یا بہی خطوط یا کاغذات کے اُس حصہ سے زیادہ کی بابت نہ گذرانی جائیگی۔

فیصلہ جات عدالت کس حال مین واقعہ متعلقہ ہین

دفعہ ۴۰ موجودگی کسی فیصلہ یا حکم یا ڈگری کی جسکے قانوناً کسی عدالتکو کسی مقدمہ کی سماعت یا تجویز کی عمل مین لانیکی مانع ہو ایک واقعہ متعلقہ اُسحالمین ہی جبکہ بحث اس امر کی پیش ہو کہ وہ عدالت اُس نالش کی سماعت یا اُس تجویز کی عمل مین لانیکی مجاز ہے یا نہین۔

دفعہ ۴۱ ہر فیصلہ اخیر یا حکم یا ڈگری کسی عدالت مجاز کی جو بمنصب عطاے پروبیٹ یا سماعت مقدمہ از دواج یا مقدمہ متعلقہ ایڈمرلٹی یا دیوالیہ کی ہو اور اُسکی روسے کسی شخص کو کوئی منصب قانوناً حاصل ہوتا ہو یا اُس سے زائل ہو جاتا ہو یا جسمین یہ قرار دیا گیا ہو کہ کوئی شخص کسی ایسے منصب کا مستحق ہوگا یا کسی خاص شی کا استحقاق کسی شخص خاص کے مقابلہ مین نہو بلکہ مطلقاً ہو تو وہ ایسا واقعہ متعلقہ اُس صورتمین ہی جبکہ موجودگی اُس منصب قانونی کی یا کسی شخص متذکرہ بالا کا استحقاق نسبت کسی شی مذکور کے واقعہ متعلقہ ہو۔ وہ فیصلہ یا حکم یا ڈگری امور مفصلہ ذیل کا ثبوت قطعی ہے یعنی اس امر کا کہ کوئی منصب قانونی جو اُسکی روسے عائد ہوا اس فیصلہ یا حکم یا ڈگری کے نافذ ہونیکے وقت سے پیدا ہوا۔ اس امر کا کہ کوئی منصب قانونی جسکا کسی شخص کا مستحق ہونا اُسکی روسے قرار دیا گیا اُسوقت سے اُس شخص کو پیدا ہوتا ہے جبکہ اُس فیصلہ یا حکم ڈگری مین اُس شخص کو اُس استحقاق کا پیدا ہونا قرار دیا گیا ہے اس امر کا کہ ہر منصب قانونی جو اُس فیصلہ یا حکم یا ڈگری کی روسے کسی شخص سے زائل ہوتا ہے اسوقت سے زائل ہوگا جبکہ اُس فیصلہ مین اُسکی زائل ہو جانے یا ہونیکے واسطے لکھا گیا۔ اس امر کا کہ کوئی شی جسکا استحقاق کسی شخص کو فیصلہ یا حکم یا ڈگری کی روسے قرار دیا گیا اُس شخص کی جائداد اُسوقت سے ہے جو کہ اُس فیصلہ مین اُسکی جائداد ہو جانے یا ہونیکے واسطے لکہا گیا۔

دفعہ ۴۲ جو فیصلے یا حکم یا ڈگریان علاوہ متذکرہ دفعہ ۴۱ کے ہون وہ واقعہ متعلقہ اس شرط پر ہین کہ وہ معاملات نوع عام متعلقہ تحقیقات سے علاقہ رکھتے ہون لیکن ایسے فیصلہ یا حکم یا ڈگریان ثبوت قطعی اُس امر کی نہین ہین جو کہ اُن مین لکھا ہو۔

تمثیل

زید نے بغرض نالش کی کہ اُسنے اُسکی زمین پر مداخلت بیجا کی عمر نے بیان کیا کہ اُس اراضی پر عوام کو استحقاق راہ چلنے کا ہو اور زید نے اُس سے انکار کیا۔ موجود ہونا ایک ڈگری کا بحق مدعاعلیہ ایک مقدمہ مین جسمین کہ زید نے بکر پر واسطے مداخلت

دفعہ ۲۔ ایکٹ نمبر ۱ ۱۸۷۲ء

واقعہ متعلقہ ہی جبکہ وہ اُسی معاملہ کی بابت ہو جسکی عدالت تحقیقات کرتی ہو لیکن محض وہی واقعہ کسی شخص پر
ذمہ واری سکے عائد کرنیکے لئے کافی نہوگا۔

تمثیل

زید نے عمر پر ایک ہزار روپیہ کی نالش کی اور اپنے حساب کی بہی مین یہ لکھا ہوا پیش کیا کہ اتنے روپیہ کا عمر میرا
دیندار ہو تو وہ تحریر واقعہ متعلقہ ہی لیکن بغیر کسی اور شہادت کے جس سے قرضہ ثابت ہو کافی نہین ہے۔

دفعہ ۳۵ - جو داخلہ کسی سرکاری یا اور سررشتہ کی بہی یا رجسٹر یا کاغذات مین شرح بیان کسی واقعہ تنقیحی یا متعلقہ
کے کسی ملازم سرکاری نے بانصرام اپنی خدمت منصبی کے یا کسی اور شخص نے بانجام وہی کسی خدمت کے جو اُس پر اُس
ملک کے قانون کی رو سے واجب ہو جسمین کہ وہ بہی یا رجسٹر یا کاغذ مرتب کیا جاتا ہو کیا ہو وہ فی نفسہٖ واقعہ متعلقہ ہو۔

دفعہ ۳۶ - تحریرات واقعات تنقیحی یا متعلقہ کی جو ایسے نقشہ جات مین کہ عموماً لوگونکی خریداری کے لیے مشتہر کئے
جائین یا ایسے نقشہ جات زمین یا عمارت مین جو بحکم گورنمنٹ مرتب کئے گئے درباب ایسے امور کے بیان کی گئی
ہون جو بحسب معمول نقشہ جات مین ظاہر کئے جاتے ہین یا اُن مین لکھے جاتے ہین فی نفسہٖ واقعہ متعلقہ ہین۔

دفعہ ۳۷ - جب عدالت کو درباب موجودگی کسی واقعہ نوع عام کے کوئی رائے قائم کرنی ہو تو جو بیان کہ
کسی مضمون مندرجہ ایکٹ مصدرہ پارلیمنٹ یا کسی ایکٹ مصدرہ نواب گورنر جنرل اجلاس کونسل یا گورنر ان کونسل مدراس
یا بمبئی یا اجلاس کونسل یا لفٹنٹ گورنر بہادر بنگالہ اجلاس کونسل مین یا کسی اشتہار گورنمنٹ مندرجہ گزٹ آف انڈیا مین یا کسی
لوکل گورنمنٹ کے گزٹ مین یا کسی کاغذ مطبوعہ مین جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ وہ لندن کا گزٹ یا کسی نو آبادی یا ملک
مقبوضہ ملکہ معظمہ کا گورنمنٹ گزٹ ہی کیا گیا ہو وہ واقعہ متعلقہ ہو۔

دفعہ ۳۸ - جب عدالت کو کسی ملک کے قانون کے بابمین رائے قائم کرنی ہو تو کوئی بیان اُس قانون کا جو کسی
ایسی کتاب مین مندرج ہو جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ وہ بحکم گورنمنٹ اُس ملک کے مطبوع یا مشتہر ہوئی اور وہ قانون
اُسمین مندرج ہی اور کوئی تجویز عدالت ہاے ملک مذکور کی جو کسی ایسی کتاب مین درج ہو جس سے معلوم ہوتا ہو
کہ وہ اُس ملک کی عدالت کی نظائر کی کتاب ہی واقعہ متعلقہ ہی۔

بیان مین کسقدر ثابت کرنا چاہیے

دفعہ ۳۹ - جبکہ کوئی بیان جسکی شہادت پیش کیجائے جزو کسی بیان طویل یا گفتگو کا یا جزو کسی خط یا
دستاویز کا ہو یا ایسی دستاویز مین مندرج ہو جو جزو کسی بہی یا خطوط یا کاغذات مسلسلہ کی ہو تو شہادت صرف

جواب حاضر نہین کیا جا سکتا ہی واقعہ متعلقہ ہی —

(ط) یہ امر معرض بحث مین ہی کہ فلان راہ شارع عام ہی یا نہین — بیان زید گانو کے مکھیا متوفی کا باین مضمون کہ وہ راستہ شارع عام ہی واقعہ متعلقہ ہی —

(ی) اس امر کی بحث ہی کہ غلہ کا نرخ فلان تاریخ فلان منڈی مین کیا تھا پس تحریر ایک متوفی بنئے کی جو اُسنے بابت نرخ کے اپنے معمولی کاروبار کے اثنا مین کی تھی واقعہ متعلقہ ہی —

(ک) بحث اس امر کی ہی کہ زید متوفی عمر کا باپ تھا یا نہین —
یہ بیان زید کا کہ عمر اُسکا بیٹا ہی واقعہ متعلقہ ہی —

(ل) یہ امر زیر تجویز ہی کہ زید کی ولادت کی کون تاریخ تھی — ایک خط زید کے پدر متوفی کا بنام اُسکے دوست کی ہی اور اسمین تاریخ معین کو زید کے پیدا ہونیکا حال لکھا ہی پس یہ واقعہ متعلقہ ہی —

(م) بحث اس بات کی ہی کہ زید اور ہندہ کا ازدواج ہوا یا نہین اور اگر ہوا تو کب ہوا — بکر ہندہ کے پدر متوفی نے ایک تاریخ معین پر اپنی اُس دختر کا ازدواج زید کے ساتھ ہونا اپنی بہی مین بطور یادداشت لکھ رکھا تھا پس یہ واقعہ متعلقہ ہی —

(ن) زید نے عمر پر اسبابت نالش کی کہ دوکان کی کھڑکی مین اُسنے ایک شبیہہ ہتک آمیز لٹکا رکھی ہی بحث درباب مشابہ اور ہتک آمیز ہونے اُس شبیہہ کے ہی پس دیکھنے والونکے ایک گروہ نے جو کچھ کہ اُسکو دیکھکر کہا ہو جائز ہی کہ وہ ثابت کیا جائے

دفعہ ۳۳ شہادت جو کسی گواہ نے کسی مقدمہ عدالت مین یا روبرو کسی شخص کے جسے قانوناً اختیار اُسکے لینے کا ہی ادا کی ہو وہ عدالت کے مقدمہ مرجوعہ مابعد مین یا ایک ہی مقدمہ عدالت کی نوبت مابعد مین اُسوقت جبکہ وہ گواہ مرگیا ہو یا پایا نہ جاتا ہو یا ناقابل اداے شہادت ہو گیا ہو یا فریق مخالف نے اُسکو الگ کر دیا ہو یا جس حال مین کہ اُس کا حاضر کرنا بغیر ایسی دیرنگ یا صرف کے ممکن نہو جسکا روا رکھنا نظر بحالات مقدمہ عدالت کے نزدیک نامناسب ہو واسطے ثابت کرنے اُن واقعات کے جنکا اُسمین ذکر ہو واقعہ متعلقہ ہی — مگر شرط یہ ہی کہ وہ مقدمہ فیمابین انھین اشخاص فریق مقدمہ کے یا اُنکے قائم مقامان حیثیت کے ہو نیز باین شرط کہ فریق مخالف پہلے مقدمہ کا گواہ سے استحقاق سوال کرنیکا رکھتا ہو — نیز باین شرط کہ امور تنقیح طلب پہلے مقدمہ مین اُنہی اصل مطلب کے ہون جو کہ دوسرے مقدمہ مین ہین —

تشریح — تجویز یا تحقیقات فوجداری اندروے منشاء دفعہ ہذا کے ایک مقدمہ فیمابین مدعی اور مدعا علیہ کے متصور ہوگی

بیانات جو خاص حالات مین کئے جائین

دفعہ ۳۴ داخلہ اُس بہی حساب کا جو کہ باجراے کاروبار بطور معمول مرتب رکھی گئی ہو اُسصورتمین

کیا ہوا اور اُنکے ایسے حالات یا خیالات دلی اُس سے ظاہر ہوتے ہون جو معاملہ تنازعہ فیہ سے متعلق ہون ۔

تمثیلات

(الف) بحث اس امر کی ہو کہ ہندہ کو عمر نے ہلاک کیا یا نہین ۔ ہندہ اُن صدمون سے جو اسکو اُس فعل مین پہنچے جسکے اثنا مین اُسکا ازالہ بکارت کیا گیا مر گئی اس مقدمہ مین بحث اس امر کی ہو کہ ازالہ بکارت عمر نے کیا یا نہین ۔ بحث اس امر کی ہو کہ زید کو عمر نے ایسے حالات مین قتل کیا یا نہین جنکی بنا پر زید کی بیوہ کیطرف سے عمر پر نالش ہو سکتی ہو ۔ بیانات جو ہندہ یا زید نے اپنی وفات کے باعث سے درباب قتل اور زنا بالجبر او فعل دیگر قابل نالش زیر تجویز کے کئے واقعات متعلقہ ہین ۔

(ب) بحث بابت تاریخ ولادت زید کے ہو ۔ داخلہ روزنامچہ ایک ڈاکٹر متوفی کا جو اپنے کام کے معمولی طریقہ مین وہ باقاعدہ رکھا کرتا تھا متضمن اس بیان کے کہ فلان روز وہ زید کی ان کے پاس گیا اور اُسکا بیٹا جنایا واقعہ متعلقہ ہو ۔

(ج) بحث اس امر کی ہو کہ فلان تاریخ زید کلکتہ مین تھا یا نہین ۔ بیان مندرجہ روزنامچہ ایک وکیل متوفی کا جو کہ وہ اپنے کام کے طریق معمولی مین باقاعدہ مرتب رکھتا تھا متضمن اسکے کہ فلان روز مین زید کے پاس بمقام فلان واقعہ کلکتہ فلان کار کی بابت مشورہ کرنے کے لئے گیا واقعہ متعلقہ ہو ۔

(د) بحث اس امر کی ہو کہ فلان جہاز بندر بمبئی سے فلان تاریخ روانہ ہوا یا نہین ۔ ایک خط کسی شخص متوفی کا ایک سوداگر کی کوٹھی کے شریک کا کہ جس کوٹھی کے نام سے وہ جہاز کرایہ لیا گیا تھا بنام اُسکے آڑھتیون کے جو لنڈن مین تھے اور جنکو مال حوالہ کیا گیا یا بین مضمون کہ وہ جہاز فلان تاریخ بندر بمبئی سے روانہ ہوا واقعہ متعلقہ ہے ۔

(ہ) بحث اس امر کی ہو کہ بابت ایک اراضی کے زید کو لگان ادا کیا گیا یا نہین ۔ خط زید کے کارندہ متوفی کا بنام زید کے جسکا یہ مضمون ہو کہ مین نے زید کے حساب مین لگان وصول کیا اور زید کے حکم سے اپنے پاس رکھا واقعہ متعلقہ ہو ۔

(و) بحث اس امر کی ہو کہ زید اور ہندہ کا ازدواج بطور جائز ہوا یا نہین ۔ یہ بیان ایک پادری متوفی کا کہ مینے ازدواج ایسے حالات مین کرایا کہ اُس ازدواج کا ہونا ایک جرم تھا واقعہ متعلقہ ہے ۔

(ز) بحث اس امر کی ہو کہ زید ایک شخص نے جو اب نہین پایا جاتا ہو ایک خط فلان تاریخ لکھا یا نہین پس یہ واقعہ کہ اُسکا ایک خط اسی تاریخ کا لکھا ہوا ہو واقعہ متعلقہ ہو ۔

(ح) بحث اس امر کی ہو کہ فلان جہاز کے تباہ ہونیکا کیا سبب تھا ۔ ایک پروٹسٹ لکھا ہوا اُسکے ناخدا کا

جو کہ پایا نہیں جاتا ہے یا نا قابل اداے شہادت کے ہو گیا ہے یا بدون کسیقدر توقف یا خرچ کے جسکو وہ روا رکھنا نظر بحالات
مقدمہ عدالتکو نا مناسب معلوم ہو عدالت مین حاضر نہین کیا جا سکتا ہے فی نفسہ صورتہاے مفصلہ ذیل مین واقعات متعلقہ ہین
(۱) جبکہ بیان ایسے شخص کا بابت وجہ اُسکی وفات کے ہو یا بابت کسی حالات اُس معاملہ کے ہو جو منتج اُسکی وفات کا ہوا اور ایسے مقدمات
مین ہو جنمین کہ وجہ اُس شخص کی وفات کی زیر تجویز ہو۔ ایسے بیانات واقعات متعلقہ ہین عام اس سے کہ اُن بیانات کا کرنیوالا شخص بوقت
اُنکے ظاہر کرنیکے اندیشہ اپنی وفات کا رکھتا ہو یا نہین اور عام اس سے کہ کسی نہج کی نوعیت اُس کاروائی کی ہو جسمین کہ وجہ اُسکی
وفات کی زیر تجویز ہے (۲) جبکہ وہ بیان اُس شخص نے اپنے معمولی کاروبار کے اثنا مین کیا ہو اور بالخصوص اُس صورت مین
جبکہ وہ کوئی ایسا اندراج یا یادداشت ہو جو اُسنے اپنی کاروبار یا پیشہ کی کام کی معمولی بہی جات مین لکھی ہو یا رسیدات ہون
جو اُسنے بابت وصول پانے زر نقد یا مال یا کفالت المال یا کسی قسم کی جائداد کے لکھی ہون یا اُن پر اپنے دستخط کیے ہون یا
دستاویزات مستعملہ تجارت ہون اور اُسنے اُنکو لکھا ہو یا اُنپر دستخط کیے ہون یا کسی خط یا اور ایسی دستاویز کی تاریخ ہو
جسپر بقاعدہ معمولی تاریخ لکھی جاتی ہے اور اُسکو اُسنے لکھا ہو یا اُسپر دستخط کیے ہون (۳) جبکہ وہ بیان مضر حق متعلقہ زر نقد
یا ملکیت ایسے شخص کا ہو جسنے کہ وہ بیان کیا یا ایسا ہو کہ درصورت اسکے راست ہونیکے وہ اسکے باعث سے
مستوجب نالش فوجداری یا نالش ہرجہ کا ہوتا۔ (۴) جبکہ اُس بیان مین اظہار راے کسی شخص قسم مذکورہ بالا کا
نسبت موجودگی کسی استحقاق عام یا رسم یا معاملہ متعلقہ غرض خلائق یا غرض عام کے ہو اور یہ قیاس غالب ہو کہ
درصورت اُسکی موجودگی کے وہ شخص اُسکی موجودگی سے اطلاع رکھتا تھا اور وہ بیان اُس استحقاق یا رسم یا معاملہ
کی نسبت نزاع پیدا ہونے سے پہلے کیا گیا تھا۔ (۵) ✤ جبکہ وہ بیان بابت ہونے کسی رشتہ پدری یا مادری
یا رشتہ ازدواجی یا تبنیت کے فیمابین اُن اشخاص کے ہو جنکے رشتہ سے اُس شخص بیان کرنیوالے کو واقف ہونیکے
وسائل خاص حاصل ہون اور امر زیر مباحثہ کی نسبت بحث پیدا ہونے سے پہلے وہ بیان کیا گیا ہو۔ (۶) جبکہ
وہ بیان بابت ہونے کسی رشتہ پدری یا مادری یا رشتہ ازدواجی یا تبنیت کے فیمابین اشخاص متوفی کے ہو اور
کسی وصیت نامہ یا نوشتہ مین جو اُس خاندان کے کاروبار سے متعلق ہو جسمین کہ شخص متوفی تھا یا اُس خاندان کے
کسی نسب نامہ مین یا کسی کتاب مین یا اُس خاندان کی تصویر یا اور چیز مین جسپر ایسے بیانات معمولی لکھے جاتے
ہین امر مبنیہ کی نزاع پیدا ہونے سے پہلے کیا گیا ہو۔ (۷) جبکہ وہ بیان کسی دستاویز یا وصیت نامہ یا اور کاغذ
مین مندرج ہو جو کسی معاملہ متذکرہ دفعہ ۱۳ ضمن (الف) سے متعلق ہو۔ (۸) جبکہ وہ بیان چند اشخاص نے

✤ دفعہ ۲ ایکٹ نمبر ۱۸ سنہ ۱۸۷۲ء

فوت ہوجائے تو وہ اقبال مابین اشخاص ثالث کے حسب دفعہ ۳۲ واقعہ متعلقہ ہوگا (۲) جس شخص نے اقبال
کیا ہو وہ خود یا اسکی طرف سے کوئی اور اسصورت مین اُس اقبال کو ثابت کرسکتا ہے جبکہ وہ اقبال ایک
بیان کسی حالت عقلی یا جسمانی متعلقہ مقدمہ یا واقعہ تنقیحی کے موجود ہونیکا ہو اور ایسے وقت یا قریب وقت کے کیا
گیا ہو جبکہ وہ حالت عقل یا جسم کی موجود ہو اور اُسکے ساتھ ایسا عمل بھی ہوا ہو جس کے سبب اسکا دروغ خارج از قیاس ہو (۳) جو شخص
اقبال کرے وہ خود یا اسکی طرف سے کوئی اور اُس اقبال کو اس شرط پر ثابت کرسکتا ہے کہ بجز اقبال ہونیکے اور طرح پر بھی وہ واقعہ متعلقہ ہو۔

تمثیلات

(الف) امر متنازعہ مابین زید اور عمر کے یہ ہے کہ فلان وثیقہ جعلی ہے یا نہین زید بیان کرتا ہے کہ اصلی ہے
اور عمر اُسکو جعلی بتاتا ہے۔ جائز ہے کہ زید یہ ثابت کرے کہ عمر نے اُس وثیقہ کا اصلی ہونا بیان کیا تھا اور عمر
اسبات کا ثبوت دے کہ زید نے اُسکا جعلی ہونا ظاہر کیا تھا لیکن زید کو اپنے اُس بیان کے ثابت کرنیکا
منصب نہین ہے جو اُسنے اس وثیقہ کے اصلی ہونے کا کیا ہو اور نہ عمر کو اپنے اُس بیان کے ثابت کرنیکا
منصب ہے جو اُسنے اُسکے جعلی ہونے کی نسبت کیا ہو۔

(ب) زید ایک جہاز کے کپتان کی تجویز اسلئے اس بات کے ہوئی کہ اُسنے جہاز کو تباہی مین ڈالا۔
شہادت اس امر کی پیش کیگئی کہ وہ جہاز راستہ سے باہر پایا گیا۔ زید نے ایک کتاب جو اپنے کام کے انتظام
کی مرتب رکھتا تھا پیش کی اور اُسمین وہ مشاہدے لکھے ہین جنکو اُسنے بیان کیا کہ مین نے روز بروز کئے
اور اُنسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جہاز اپنی راہ مناسب سے باہر نہین گیا زید کو جائز ہے کہ ان بیانات کو ثابت کرے
کیونکہ اگر وہ فوت ہوجاتا تو مابین اشخاص ثالث کے وہ حسب دفعہ ۳۲ ضمن ۲ کے ثبوت مین داخل
ہونے کے قابل ہوتے۔

(ج) زید پر یہ الزام کیا گیا کہ اُسنے ایک جرم کا ارتکاب کلکتہ مین کیا۔ اُسنے ایک چٹھی اپنی لکھی
ہوئی پیش کی اور اس مین اُسی تاریخ کو روانگی کا مقام لاہور لکھا ہوا ہے اور وہی تاریخ لاہور کے ڈاکخانہ کی
مہر مین بھی ثبت ہے تحریر تاریخ چٹھی کی ثبوت مین داخل ہونیکے قابل ہے اسواسطے کہ اگر زید فوت ہوگیا ہوتا
تو وہ بموجب دفعہ ۳۲ ضمن ۲ کے ثبوت مین داخل ہونیکے قابل تھی۔

(د) زید پر الزام شئے مسروقہ کو مسروقہ جانکر لینے کا کیا گیا اُسنے یہ ثبوت پیش کرنا چاہا کہ مین نے اُس
شئے کو اُسکی قیمت سے کم بیچنے پر انکار کیا۔ زید ان بیانات کو ثابت کرسکتا ہے اگرچہ وہ داخل

رکھتا ہو۔ بیانات جو اشخاص مفصلہ ذیل سنے کئے ہون۔ (۱) اُن اشخاص نے جو کسی کارروائی کے امر متنازعہ مین حق کسی ملکیت یا زر نقد کا رکھتے ہون اور بمنصب رکھنے اُس حق کے اُن بیانات کو کرین (۲) اُن اشخاص نے جنسے فریق مقدمہ نے اپنی حقیقت شئے متنازعہ مقدمہ مذکور حاصل کی ہو۔ یہ بیانات اقبال مین داخل ہین مگر اس شرط پر کہ وہ اُس زمانہ مین کئے گئے ہون جبکہ اُن بیانات کے کرنیوالے اشخاص وہ حقیت رکھتے ہون

دفعہ ۱۹ بیانات ایسے اشخاص کے جنکا منصب یا ذمہ داری بمقابلہ کسی فریق مقدمہ کے ثابت کرنی ضرور ہو اقبال مین داخل ہین مگر باین شرط کہ وہ بیانات نسبت اُس منصب یا ذمہ داری کے اُن اشخاص کیطرف سے یا اُن کے نام مقدمہ کے دائر ہونے کی صورت مین واقعات متعلقہ سمجھے جائے اور ایسے زمانہ مین انھون نے وہ بیان کئے ہون کہ وہ منصب اُن کو حاصل ہو یا وہ ذمہ داری اُن پر عائد ہوتی ہو۔

تمثیل

زید نے عمر کیطرف سے لگان کا تحصیل کرنا اپنے ذمہ لیا۔ عمر نے زید پر یہ نالش کی کہ جو لگان عمر کو بکر سے یافتنی تھا وہ زید نے تحصیل نہین کیا۔ زید نے بیان کیا کہ عمر کو بکر سے کچھ لگان پانا نہ تھا۔ یہ بیان بکر کا کہ مجھے عمر کو لگان دینا ہی ایک اقبال ہی اور واقعہ متعلقہ ہی جبکہ زید یہ بیان کرتا ہی کہ بکر سے عمر کو لگان یافتنی نہین ہے۔

دفعہ ۲۰ بیانات اُن اشخاص کے جنپر کسی شخص فریق مقدمہ نے صراحتاً درباب شئے متنازعہ کے دریافت حال کے لیے انحصار کیا ہو اقبال مین داخل ہین۔

تمثیل

بحث اس امر کی ہی کہ جس گھوڑے کو زید نے عمر کے ہاتھ بیچا وہ صحیح و سالم ہی یا نہین۔ زید نے عمر سے کہا کہ تم جاؤ اور بکر سے پوچھو وہ اُسکا سب حال جانتا ہی بکر کا بیان اقبال مین داخل ہے۔

دفعہ ۲۱ اقبال واقعہ متعلقہ ہی اور جو شخص اقبال کرے اُسکے یا اُسکے قائم مقام حقیت کے مقابلہ مین اُسکو ثابت کرنا جائز ہی مگر وہ شخص جسکا کہ وہ اقبال ہو خود یا اُسکی طرف سے کوئی اور یا اُس کا قائم مقام حقیت ثابت نکرے گا الا صورت ہاے مفصلہ ذیل مین۔ (۱) جس شخص نے کہ اقبال کیا ہو وہ خود یا اسکی طرف سے کوئی اور اُس صورت مین اُس اقبال کو ثابت کر سکتا ہی جبکہ وہ اقبال اس نوع کا ہو کہ اگر وہ شخص مقبل

تھی کہ جو روپیہ وصول کرے وہ ایک ہی بہی مین داخل کیا کرے زید نے کچھ روپیہ داخل کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُسنے ایک مرتبہ جتنا کہ درحقیقت وصول کیا تھا اُسے کم لکھا ہے - اس مقدمہ مین بحث اس امر کی ہے کہ یہ داخلہ دروغ اتفاقی تھا یا ارادی - یہ امر واقعہ کہ دوسرے داخلے جو زید نے اُس کتاب مین کئے دروغ ہین اور ہر داخلہ مین فائدہ زید کا ہے واقعہ متعلقہ ہے -

(ج) زید پر یہ الزام رکھا گیا کہ اُس نے عمر کو فریباً ایک منقلب روپیہ دیا اس مین بحث اسبات کی ہے کہ اُس روپیہ کا دینا ایک امر اتفاقی ہے یا نہین - یہ واقعات کہ عمر کو حوالہ کرنے سے تھوڑے عرصہ پہلے یا پیچھے زید نے منقلب روپیے بکر اور خالد اور ولید کو بھی دئیے تھے واقعات متعلقہ ہین اسواسطے کہ اُنسے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ عمر کو منقلب روپیہ کا دینا اتفاقی نہ تھا -

دفعہ ۱۶ جب یہ بحث ہو کہ ایک خاص فعل کیا گیا تھا یا نہین تو وجود کسی سلسلہ کاروبار کا جسکے مطابق وہ فعل خواہی نخواہی کیا جاتا واقعہ متعلقہ ہے -

تمثیلات

(الف) بحث اس امر کی ہے کہ ایک خاص خط روانہ کیا گیا تھا یا نہین - یہ واقعات کہ دستور معمولی کاروبار کا یہ تھا کہ تمام خطوط جو ایک خاص جگہ مین رکھے جائین وہ ڈاک خانہ مین پہنچا دئے جائین اور وہ خط بھی اُسجگہ رکھدیا گیا تھا واقعات متعلقہ ہین -

(ب) بحث اس امر کی ہے کہ ایک خاص خط زید کے پاس پہنچا یا نہین - یہ واقعات کہ وہ خط حسب معمول ڈاک مین ڈالا گیا اور ڈاک گھر سے واپس نہین آیا واقعات متعلقہ ہین -

اقبال

دفعہ ۱۷ اقبال وہ بیان زبانی یا دستاویزی ہے جس سے کسی واقعہ تنقیحی یا واقعہ متعلقہ پر کسیطرحکا استدلال کیا جائے اور وہ بیان کسی اشخاص نے ان حالات مین کیا ہو جنکا ذکر ذیل مین کیا جاتا ہے

دفعہ ۱۸ بیانات جو کسی کارروائی کے فریق نے یا فریق مذکور کے ایسے مختار نے کئے ہون جنکو عدالت بحسب حالات مقدمہ یہ تصور کرتی ہو کہ صراحتاً یا بحسب مفہوم وہ مختار اسکی طرف سے اُن بیانات کے کرنیکا مجاز ہے اقبال مین داخل ہین - بیانات اُن فریق کے جو بہ قائم مقامی کسی شخص کے مدعی یا مدعاعلیہ ہون اقبال نہین ہین الا اُس حال مین کہ وہ بیانات اُسوقت کئے جائین جبکہ فریق مقبل حیثیت قائم مقامی کی

مین نسبت بیماری کی علامات کے کئے واقعات متعلقہ ہین -
(م) بحث اس امر کی ہی کہ جسوقت زید کی زندگی کا بیمہ کیا گیا اُسکی تندرستی کا کیا حال تھا - جو بیانات کہ زید نے اپنی تندرستی کی نسبت اُس زمانہ مین یا اُسکے قریب کئے واقعات متعلقہ ہین -
(ن) زید نے عمر پر یہ نالش کی کہ اُسنے کرایہ کی ایسی گاڑی اُسکے واسطے نہین دی جو عقلاً سواری کے لائق تھی اور اس سبب سے زید کو ضرر جسمانی پونہچا - یہ واقعہ کہ عمر سے اور اوقات پر اُسی گاڑی کے ناقص ہونے کا ذکر کیا تھا واقعہ متعلقہ ہی - یہ امر واقعہ کہ عمر عادتاً کرایہ پر گاڑیون کے دینے مین احتیاط نہین کیا کرتا تھا واقعہ غیر متعلقہ ہی -
(س) زید کی تجویز اس علت مین ہوئی کہ اُسنے عمر پر عمداً گولی چلا کر اُسکا قتل عمد کیا - یہ واقعہ کہ زید نے اور اوقات پر عمر پر گولی چلائی تھی واقعہ متعلقہ ہی کیونکہ اُس سے زید کا ارادہ عمر پر گولی چلانیکا پایا جاتا ہی - یہ واقعہ کہ زید لوگون پر اُنکے قتل عمد کے ارادہ سے گولی چلایا کرتا تھا واقعہ غیر متعلقہ ہے -
(ع) زید کی تجویز بعلت ایک جرم کے ہوئی - یہ واقعہ کہ اُسنے کچھ کہا تھا جس سے اُس خاص جرم کے ارتکاب کا ارادہ ظاہر ہوتا تھا واقعہ متعلقہ ہی - یہ واقعہ کہ اس نے کچھ کہا تھا جس سے اُس قسم کے جرائم کے ارتکاب کا عموماً اُسکا میلان خاطر پایا جاتا ہی واقعہ غیر متعلقہ ہے -

دفعہ ۱۵ جب نسبت کسی فعل کے بحث اس امر کی ہو کہ وہ فعل اتفاقی تھا یا ارادی تو یہ واقعہ کہ وہ فعل جز و اُسی طرح کے چند افعال کا تھا جنمین سے ہر ایک سے فاعل اُس فعل کا تعلق رکھتا تھا واقعہ متعلقہ ہے -

تمثیلات

(الف) زید پر الزام اسبات کا رکھا گیا کہ اُسنے اپنا گھر اس واسطے جلا دیا کہ جس روپیہ پر اُس نے بیمہ اُس گھر کا کیا تھا وہ اسکو ملجائے - یہ واقعات کہ زید متواتر چند مکانات مین رہا اور ہر ایک اُنمین سے بیمہ کیا گیا تھا اور اُن مین سے ہر ایک مین آگ بھی لگی اور ہر مرتبہ آگ لگنے کے بعد زید بیمہ کے کارخانہ ہاے جداگانہ سے روپیہ وصول کیا واقعات متعلقہ ہین کیونکہ اُن سے یہ ظاہر ہوتی ہی کہ سب مرتبہ آگ کا لگنا اتفاقی نہ تھا -
(ب) زید عمر کے قرضدارون سے روپیہ کے وصول کرنے پر مامور تھا اور زید کی یہ خدمت

عمر کے دل مین بکر کا اعتبار پیدا ہوا جو کہ ایک شخص دیوالیہ تھا اور عمر کو اس سے نقصان ہوا یہ واقعہ
کہ جس وقت زید نے بکر کا مالدار ہونا بیان کیا تھا بکر کو اُسکے ہمسایہ اور وہ اشخاص جو اُس سے داد و
ستد رکھتے تھے مالدار سمجھتے تھے واقعہ متعلقہ ہے کیونکہ اُس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زید نے
وہ بیان نیک نیتی سے کیا تھا۔

(ز) زید پر عمر نے اُس کام کی مزدوری کی نالش کی جو اُس نے زید کے گھر مین بکر ایک ٹھیکہ دار
کے کہنے سے کیا تھا۔ زید کا عذر یہ ہے کہ عمر کا ٹھیکہ بکر سے تھا۔ یہ واقعہ کہ زید نے بکر کو اُس کام کا روپیہ ادا کر دیا
واقعہ متعلقہ ہے کیونکہ اُس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زید نے بہ نیک نیتی اس کام کا اہتمام بکر کو سپرد کیا تھا پس
بکر کو وہ منصب حاصل تھا کہ وہ خود اپنی طرف سے عمر کے ساتھ معاملہ کرے اور وہ بطور کارندہ زید کے نہ تھا۔

(ح) زید پر الزام بدنیتی سے تصرف بیجا مال کا جو اُس نے پایا تھا کیا گیا اور اُس مقدمہ مین بحث یہ ہوئی
کہ بروقت تصرف کے اُس نے نیک نیتی سے یہ بات باور کی یا نہین کہ اصل مالک اُس مال کا نہین
مل سکتا ہے۔ یہ امر واقعہ کہ اشتہار اُس مال کے گم ہو جانے کا اُس مقام پر کیا گیا تھا جہان کہ زید تھا واقعہ
متعلقہ ہے کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زید نے نیک نیتی سے یہ باور نہین کیا کہ مال کا اصل مالک
نہین مل سکتا ہے۔ یہ امر واقعہ کہ زید کو معلوم تھا یا اس امر کے باور کرنیکی وجہ تھی کہ بکر نے اُس مال کے
گم ہو جانیکا حال سنکر فریباً اشتہار کیا تھا اور یہ چاہا تھا کہ جھوٹا دعوی اسپر قائم کرے واقعہ متعلقہ ہے کیونکہ
اُس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اُس اشتہار کے حال سے زید کا واقف ہونا باعث اُسکی نیک نیتی
کے ابطال کا نہین ہے۔

(ط) زید پر یہ نالش ہوئی کہ اُس نے عمر پر ہلاک کرنے کے ارادہ سے گولی چلائی پس زید کا ارادہ ثابت
کرنے کے لیے جائز ہے کہ یہ واقعہ ثابت کیا جائے کہ زید نے پیشتر عمر پر گولی چلائی تھی۔

(ی) زید پر یہ نالش کی گئی کہ اُس نے عمر کو دھمکی کے خطوط لکھے تھے جائز ہے کہ جو دھمکی کے خطوط زید نے
عمر کو پیشتر لکھے تھے وہ ثابت کئے جائین تاکہ اُنسے خطوط کا منشا ظاہر ہو۔

(ک) بحث اس امر کی ہے کہ زید اپنی زوجہ ہندہ پر تشدد کرنے کا قصور وار ہے یا نہین۔ اُس تشدد
مبینہ سے ذرا پہلے یا پیچھے اُن دونون کے باہم جو کلام خصومت آمیز ہوئے وہ واقعات متعلقہ ہین۔

(ل) بحث اس امر کی ہے کہ زید کی وفات زہر سے ہوئی یا نہین۔ جو بیانات کہ زید نے اپنی بیماری

ثابت کرے بلکہ بلحاظ خاص امر نزاعی کے۔

تمثیلات

(الف) زید پر یہ الزام رکھا گیا کہ اُس نے مال مسروقہ کو مسروقہ جانکر لیا اور یہ ثابت ہوا کہ اُسکے پاس ایک خاص شے مسروقہ ہے۔ پس یہ واقعہ کہ اُسیوقت اُسکے پاس اور کئی اشیاء مسروقہ بھی تھین واقعہ متعلقہ ہی اسواسطے کہ اُس سے یہ ثابت ہوتا ہی کہ وہ ہر شئی اور تمام اشیاء کو جو اُسکے پاس تھین مسروقہ جانتا تھا۔

(ب) زید پر یہ الزام رکھا گیا کہ اُس نے فریباً دوسرے شخص کو ایک سکہ منقلب حوالہ کیا جسے اُسوقت کہ وہ سکہ اُسکے پاس آیا منقلب جانتا تھا۔ یہ واقعہ کہ بروقت اُسکی حوالگی کے اُسکے پاس اور کئی سکے منقلب تھے واقعہ متعلقہ ہے۔

(ج) زید نے عمر پر اُس نقصان کی نالش کی جو اُسکو عمر کے کتے سے ہوا تھا جسے عمر کٹکھنا جانتا تھا یہ واقعات کہ اُس کتے نے پہلے حامد محمود و مسعود کو بھی کاٹا تھا اور انھوں نے عمر سے اسبات کی شکایت کی تھی واقعات متعلقہ ہین۔

(د) بحث اس امر کی ہی کہ زید ایک ہنڈی کا سکارنے والا یہ بات جانتا تھا یا نہین کہ نام اُس شخص کا جسکو روپیہ ملنا چاہیے جھوٹا ہی۔ یہ واقعہ کہ زید نے اور ہنڈیان اُسی طرح کی لکھی ہوئی قبل ازانکہ وہ ہنڈیان درصورت اصلیت اُس شخص کے جسکو روپیہ ملنے والا ہو زید کے پاس بھیجی جاسکتین سکاردی تھین واقعہ متعلقہ ہی اسواسطے کہ اُس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہی کہ جسکو روپیہ ملنے والا ہی اُسکے شخص فرضی ہونے سے زید آگاہ تھا

(ہ) زید پر یہ الزام رکھا گیا کہ اُس نے عمر کی بدنامی کرنے کے ارادہ سے ایک مضمون افترا آمیز چھاپکر عمر کا ازالہ حیثیت عرفی کیا۔ یہ واقعہ کہ زید نے پہلے بھی اشتہارات نسبت عمر کے جنسے اُسکی بدخواہی بحق عمر پائی جاتی تھی مشتہر کئے تھے واقعہ متعلقہ ہی کیونکہ اُس سے زید کی یہ نیت پائی جاتی ہی کہ اُس خاص اشتہار متنازعہ فیہ کے چھاپنے سے عمر کی بدنامی ہو۔ یہ واقعات کہ اس سے پہلے کوئی نزاع مابین زید و عمر کے نہ تھی اور زید نے اعادہ اُسی امر متنازعہ فیہ کا کیا جو کہ اُس نے سنا تھا واقعات متعلقہ ہین کیونکہ اُنسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زید کی نیت مین عمر کو بدنام کرنا نہ تھا۔

(و) زید پر عمر نے اسبات کی نالش کی کہ اُسنے عمر سے فریباً بیان کیا تھا کہ بکر ایک شخص مالدار ہی اور اسبات سے

بدرجہ غایت بعید از قیاس ہو واقعہ متعلقہ ہے۔
(ب) بحث اس امر کی ہو کہ زید نے ایک خاص جرم کا ارتکاب کیا یا نہین۔ حالات اسقدر ہیں کہ
ایسے ہین کہ وہ جرم زید یا عمر یا بکر یا خالد سے ضرور ہوا ہوگا پس ہر واقعہ جس سے یہ ثابت ہو کہ اُس
جرم کا ارتکاب کسی اور سے نہین ہو سکتا تھا یا یہ کہ اُسکا ارتکاب عمر یا بکر یا خالد مین سے کسی سے
نہین ہوا واقعہ متعلقہ ہے۔
دفعہ ۱۲ جن نالشات مین کہ دعوی ہرجہ کا ہوا ہین ہر واقعہ جس سے عدالت تعداد
زرہرجہ کی جو دلایا جانا چاہیے تجویز کر سکے واقعہ متعلقہ ہے۔
دفعہ ۱۳ جس حال مین کہ کسی حق یا کسی رسم کے وجود کی بحث ہو واقعات مفصلہ ذیل واقعات متعلقہ ہیں
(الف) ہر معاملہ جس سے حق یا رسم مذکور پیدا ہوئی ہو یا اُسکا دعوی کیا گیا ہو یا اسمین تبدیل
ہوئی ہو یا جس سے اُسکی نسبت اقبال یا اصرار یا انکار کیا گیا ہو یا جو اُسکے وجود کا مغائر ہو۔
(ب) وہ خاص حالات جن مین کہ حق یا رسم مذکور کا دعوی کیا گیا ہو یا جن مین وہ تسلیم کی
گئی ہو یا مستعمل ہوئی ہو یا جنمین کہ اُسکے استعمال کی نسبت نزاع یا اصرار ہوا ہو یا اُس سے تجاوز کیا گیا ہو

تمثیل

بحث اس امر کی ہو کہ زید ایک جاے شکار ماہی کا حق رکھتا ہو یا نہین پس ایک وثیقہ جسکے ذریعت
وہ جگہہ زید کے آبا و اجداد کو دی گئی یا ایک رہن نامہ اُسی جگہہ کا جو زید کے باپ نے کیا اور من بعد اُسی جگہہ
کو زید کے باپ کا کسی اور شخص کو بخلاف اُس رہن کے دینا اور وہ خاص حالات جنمین کہ زید کا باپ
اس حق کو عمل مین لاتا رہا یا جنمین کہ زید کے ہمسایون نے اُس حق کے استعمال کا انسداد کیا یہ سب
واقعات متعلقہ ہین۔
دفعہ ۱۴ واقعات جنسے ذہن کی کسی حالت کا ہونا مثلاً ارادہ یا علم یا نیک نیتی یا غفلت یا بے احتیاطی
یا نارضامندی یا رضامندی کا ہونا نسبت کسی خاص شخص کے ظاہر ہوتا ہو یا موجودگی کسی حالت جسم
یا جسم کی قوت حسی کی ظاہر ہوتی ہو واقعات متعلقہ ہین جس حال مین کہ ذہن یا جسم یا جسم کی قوت حسی
کی اُس حالت کا موجود ہونا واقعہ تنقیحی یا واقعہ متعلقہ ہو۔ تشریح۔ جس واقعہ متعلقہ سے وجود ذہن کی
حالت متعلقہ مقدمہ کا ثابت ہوتا ہو اُسکے واسطے یہ ضرور ہے کہ وہ اُس حالت کے وجود کو نہ بالعموم

لوگون کا امر واقعہ ہی اسواسطے کہ اُس سے توضیح نوعیت اُس فعل کی ہوتی ہے ۔

دفعہ ۱۰ جبکہ وجہ معقول اس امر کے باور کرنے کی ہو کہ دو یا چند اشخاص نے کسی جرم یا حرکت بیجا قابل نالش کے ارتکاب کے لیے باہم سازش کی ہی تو جو چیز کہ انمین سے کسی ایک شخص نے نسبت انکے عام ارادہ کے بعد ازان کہ وہ عام ارادہ انمین سے کسی ایک کے ذہن مین گذرا ہو کہی یا کی یا لکھی ہو وہ بنسبت ہر شخص شریک سازش کیواسطے ثابت کرنے وجود سازش کے اور نیز واسطے ثبوت اس امر کے کہ ہر ایسا شخص شریک اُس سازش کا تھا امر واقعہ ہی ۔

تمثیل

(الف) وجہ معقول اس امر کے باور کرنیکی ہی کہ زید نے بمقابلہ ملکہ معظمہ کے لڑائی کرنیکے لیے سازش کی یہ واقعات کہ واسطے حصول غرض اس سازش کے عمر نے اسلحہ یورپ مین حاصل کیے اور اُسی مطلب سے بکر نے کلکتہ مین روپیہ جمع کیا اور خالد نے بمبئی مین لوگونکو اُس سازش مین شریک ہونیکا اغوا کیا اور ولید نے آگرہ مین اُس غرض کی تائید مین تحریرات مشتہر کین اور حامد نے دہلی سے محمود کے پاس کابل مین وہ روپیہ جو بکر نے کلکتہ مین جمع کیا تھا پہنچایا اور مضمون اُس خط کا جو کہ خالد نے اُس سازش کے بیان مین لکھا ان سب واقعات مین سے ہر ایک واسطے ثابت کرنے وجود اُس سازش اور شرکت زید کے واقعہ متعلقہ ہی گو کہ وہ اُن سب سے لاعلم ہو اور گو کہ وہ اشخاص جنہون نے یہ افعال کئے اس سے ناآشنا ہون اور افعال مذکور قبل از آنکہ وہ اُس سازش مین شریک ہوا یا بعد از آنکہ وہ اُس سے نکل گیا وقوع مین آئے ہون ۔

دفعہ ۱۱ واقعات جو اور نہج پر واقعہ متعلقہ نہین ہین وہ صورت ہاے مفصلہ ذیل مین واقعات متعلقہ ہین (۱) اگر وہ کسی واقعہ تنقیحی یا واقعہ متعلقہ کے مغائر ہون ۔ (۲) اگر اُن سے فی نفسہ یا بمعیت اور واقعات کے کسی واقعہ تنقیحی یا واقعہ متعلقہ کا وجود یا عدم بدرجہ غایت قرین قیاس یا بعید از قیاس ہوتا ہو ۔

تمثیلات

(الف) بحث اس امر کی ہی کہ زید سے کلکتہ مین ایک خاص تاریخ مین ایک جرم سرزد ہوا یا نہین یہ واقعہ کہ اسروز زید لاہور مین تھا واقعہ متعلقہ ہی ۔ یہ واقعہ کہ قریب زمانہ سرزد ہونے جرم کے زید مقام ارتکاب جرم سے اس قدر فاصلہ پر تھا کہ وہان سے ارتکاب اُس کا گو کہ غیر ممکن نہ ہو لیکن

تمثیلات

(الف) بحث اس امر کی ہو کہ ایک خاص دستاویز وصیت نامہ زید کا ہو یا نہین اس صورت مین زید کی جائداد اور اُسکے خاندان کی وہ حالت جو بتاریخ مبینہ وصیت نامہ کے ہو واقعات متعلقہ مین داخل ہو سکتی ہو۔

(ب) زید نے عمر پر بابت کسی عبارت تہتک آمیز کے جس سے زید پر معیوب چال چلن کا اتہام ہوتا ہو نالش رجوع کی عمر بیان کرتا ہو کہ وہ مضمون جو تہتک آمیز بیان کیا گیا واقعی ہو۔ حالت اور تعلقات فریقین کے اُس زمانہ مین جبکہ عبارت تہتک آمیز مشتہر کیگئی واقعات متعلقہ بطور مبادی واقعات تنقیح طلب کے متصور ہو سکتے ہین جزئیات کسی تنازع کے جو فیمابین زید اور عمر کے ایسے امر کی بابت تھا جسکو عبارت تہتک آمیز سے کچھ واسطہ نہین ہو واقعات متعلقہ نہین ہین اگرچہ اُن دونون کے درمیان تنازع کا ہونا اُس حال مین کہ زید اور عمر کے تعلق باہمی پر کچھ موثر ہوا ہو واقعہ متعلقہ ہو سکتا ہو۔

(ج) زید پر ایک جرم کا الزام کیا گیا۔ ارتکاب جرم کے بعد ہی زید اپنے گھر سے فراری ہوا تو یہ واقعہ حسب دفعہ ۸ کے واقعہ متعلقہ ہو اسواسطے کہ وہ ایک ایسا عمل ہو جو واقعات تنقیحی کے قائم ہونیکے بعد اور انکی تاثیر سے سرزد ہوا یہ واقعہ کہ جسوقت زید اپنے مکان سے گیا تو جس مقام کو گیا وہان اُسکو ایک ضروری اور ناگہانی کام پیش آیا تھا واقعہ متعلقہ ہو اسواسطے کہ اُس سے یک بیک مکان سے چلے جانیکی توجیہ ہوتی ہو جس کام کیواسطے کہ وہ گھر سے گیا اُسکے جزئیات واقعات متعلقہ نہین ہین مگر اُسیقدر کہ واسطے ثبوت اس امر کے ضروری ہون کہ وہ کام ناگہانی اور ضروری پیش آیا تھا۔

(د) زید نے عمر پر اس امر کی نالش کی کہ بکر نے جو معاہدہ نوکری کا زید کے ساتھ کیا تھا اُس کے نقض کی ترغیب بکر کو دی بکر نے زید کی نوکری چھوڑنے کے وقت زید سے یہ کہا کہ مین تمھاری نوکری اسواسطے چھوڑتا ہون کہ عمر نے اُس سے ایک اچھی نوکری دینے کو کہا ہو۔ یہ بیان واقعہ متعلقہ ہو اسواسطے کہ اُس سے بکر کے اُس عمل کی توجیہ ہوتی ہو جو کہ امر تنقیحی متعلقہ مقدمہ ہے۔

(ہ) زید پر الزام سرقہ کا ہوا اور وہ عمر کو مال مسروقہ دیتے ہوئے دیکھا گیا اور وہی مال زید کی زوجہ کو دیتے ہوئے عمر کو دیکھا اور عمر نے جب کہ اُسے وہ مال حوالہ کیا تو یہ کہا کہ زید نے کہا ہو کہ تم اسکو چھپا رکھو عمر کا یہ بیان واقعہ متعلقہ ہو اسواسطے کہ اُس سے توضیح اُس واقعہ کی ہوتی ہو جو کہ جزو اُس معاملہ کا ہے۔

(و) زید کی تجویز بعلت ایک بلوہ کے ہوئی اور ثابت ہوا کہ وہ سرغنہ ہوکر جاتا تھا شور وغل بلوہ کے

یہ سب واقعات متعلقہ ہین۔

(ح) بحث اس امر کی ہی کہ زید نے ایک جرم کا ارتکاب کیا یا نہین۔ یہ واقعہ کہ زید بعد وصول ہونے ایک چٹھی کے جس مین اُسکو اطلاع دی گئی تھی کہ مجرم کی تلاش ہو رہی ہی بھاگ گیا اور نیز مضمون اُس چٹھی کا یہ دونون امر واقعات متعلقہ ہین۔

(ط) زید ایک جرم کا ملزم ٹھہرایا گیا۔ یہ واقعات کہ بعد ارتکاب جرم مبینہ کے زید بھاگ گیا یا اُسکے پاس وہ جائداد یا اُس جائداد کی قیمت کا روپیہ تھا جو اُسنے اُس جرم سے حاصل کی یا اُسنے اُن اشیا کے چھپانیکا ارادہ کیا جو اُس جرم کے ارتکاب مین مستعمل ہین یا مستعمل ہوسکتی ہین واقعات متعلقہ ہین۔

(ی) یہ بحث ہی کہ ہندہ کا بجبر ازالہ بکارت کیا گیا یا نہین۔ یہ واقعہ کہ زنا بالجبر مبینہ کے بعد عنقریب ہندہ نے اُس جرم کی نالش کی اور وہ حالات جنمین کہ نالش کی گئی اور وہ مضمون جو اُس نالش مین لکھا گیا واقعات متعلقہ ہین یہ واقعہ کہ بغیر نالش کرنے کے ہندہ نے یہ کہا کہ اُسکا ازالہ بکارت بجبر کیا گیا ہی حسب دفعہ ہذا ایسا عمل نہین ہی جو کہ واقعہ متعلقہ سمجھا جاے گو کہ وہ صورت ہاے مفصلہ ذیل مین واقعہ متعلقہ ہو سکتا ہو یعنے بطور اقرار وقت نزع کے حسب دفعہ ۳۲ ضمن ۱۔ یا بطور شہادت تائیدی کے حسب دفعہ ۱۵۷۔

(ک) بحث اس امر کی ہی کہ زید کا سرقہ ہوا یا نہین۔ یہ واقعہ کہ سرقہ مبینہ کے بعد ہی اُسنے اُس جرم کی بابت نالش کی اور حالات نالش اور وہ مضمون جو اُس نالش مین لکھا گیا سب واقعات متعلقہ ہین۔ یہ واقعہ کہ اُس نے اپنے سرقہ کے ہونیکا بیان بغیر رجوع کرنے کسی استغاثہ کے کیا ایک ایسا عمل حسب دفعہ ہذا نہین ہی جو واقعہ متعلقہ ہو گو کہ وہ صورتہاے مفصلہ ذیل مین واقعہ متعلقہ ہو سکتا ہو یعنی بطور اقرار وقت نزع کے حسب دفعہ ۳۲ ضمن ۱۔ یا بطور شہادت تائیدی کے حسب دفعہ ۱۵۷۔

دفعہ ۹ واقعات جو کسی واقعہ تنقیحی یا واقعہ متعلقہ کی وجہ ظاہر ہونے یا بنا پڑنے کے لئے ضروری ہون یا جن واقعات سے کسی ایسی دلیل کی تائید یا تردید ہوتی ہو جو کہ کسی واقعہ تنقیحی یا واقعہ متعلقہ سے پیدا ہو یا جن واقعات سے کہ کسی شی یا شخص کی شناخت ہوتی ہو اور وہ شناخت متعلق مقدمہ ہو یا جن واقعات سے کہ کسی واقعہ تنقیحی یا متعلقہ کے وقت یا مقام کا تعین ہوتا ہو یا جن واقعات سے کہ اُن فریق کا باہم تعلق معلوم ہوتا ہو جنکے درمیان مین ایسے امر واقعہ کا معاملہ ہوا وہ سب جہانتک کہ اُس غرض کے لئے انکی ضرورت ہو واقعات متعلقہ ہین۔

یا اُسکے روبرو اور اُسکے سماعت مین کیا جاے اور اُس عمل پر مؤثر ہوتا ہو وہ امر متعلقہ ہے۔

تمثیلات

(الف) زید کی تجویز بعلت قتل عمد عمر کے ہوئی۔ یہ واقعات کہ زید نے بکر کو قتل کیا تھا اور عمر جانتا تھا کہ زید نے بکر کو قتل کیا ہو اور عمر نے زید کو یہ دہمکی دیکر کہ مین اُس راز کو فاش کر دونگا زید سے بجبر روپیہ لینا چاہا تھا یہ سب واقعات متعلقہ ہین۔

(ب) زید نے عمر پر بذریعہ تمسک کے روپیہ کے دلاپانیکی نالش کی عمر نے تمسک کے لکھنے سے انکار کیا۔ یہ واقعہ کہ بروقت تحریر تمسک مبنیہ کے عمر کسی خاص غرض کیواسطے ضرورت روپیہ کی رکھتا تھا واقعہ متعلقہ ہے۔

(ج) زید کی تجویز بعلت اسقدمہ کے کی گئی کہ اُسنے عمر کو زہر کھلا کر ہلاک کیا۔ یہ واقعہ کہ عمر کی وفات سے پہلے زید اُسیطرح کا زہر جو کہ عمر کو کھلایا گیا لایا تھا واقعہ متعلقہ ہو۔

(د) بحث اس امر کی ہو کہ ایک خاص دستاویز زید کا وصیت نامہ ہو یا نہین۔ یہ واقعات کہ وصیت نامہ مبنیہ کی تاریخ سے تھوڑے عرصہ پہلے زید نے اُن امور کی تحقیقات کی تہی جنسے کہ وصیت نامہ مبنیہ کی شرائط متعلق ہین اور وصیت نامہ کی تحریر کے بابین وکیلون سے مشورہ لیا تھا اور اُس سنے اور وصیت ناموں کا مسودہ طیار کرایا تھا جنکو اُس سنے پسند نہین کیا واقعات متعلقہ ہین۔

(ہ) زید ایک جرم کا ملزم ٹھہرایا گیا۔ جرم مبنیہ سے پہلے یا اُسکے وقوع کیوقت یا اُسکے بعد زید نے ایسی شہادت بہم پہنچائی جو واقعات تنقیح مقدمہ مذکور کو رنگت اُسکے مفید مطلب دے سکے یا اُسنے شہادت کو تلف کیا یا چھپایا یا جو اشخاص کہ گواہ ہوسکتے تھے اُنکی حاضری کا مانع ہوا یا اُن کو غیر حاضر کرایا یا اُسنے اُس معاملہ مین اشخاص سے جھوٹی گواہی دلائی یہ سب واقعات متعلقہ ہین۔

(و) بحث اس امر کی ہو کہ زید نے عمر کا سرقہ کیا یا نہین عمر کے سرقہ کے بعد بکر نے زید کے روبرو یہ کہا کہ جس شخص نے عمر کا سرقہ کیا اُسکی تلاش کے لئے اہلکاران پولس آتے ہین اور اسبات کے کہے جانیکے بعد فوراً زید بھاگ گیا یہ سب واقعات متعلقہ ہین۔

(ز) بحث اس امر کی ہو کہ زید کو عمر کے دس ہزار روپیہ دینے ہین یا نہین۔ زید نے بکر سے روپیہ قرض مانگا اور خالد نے بکر سے اُس وقت کہ زید موجود تھا اور اسبات کو سنتا تھا یہ کہا کہ مین تم کو یہ صلاح دیتا ہون کہ زید کا اعتبار نکرنا اسواسطے کہ اُسے عمر کے دس ہزار روپیے دینے ہین اُسوقت زید بغیر دینے کسی جواب کے چلا گیا

(د) نزاع اس امر کی ہے کہ کوئی خاص مال جو عمر سے طلب کیا گیا تھا زید کے حوالہ کیا گیا اور وہی مال درمیان مین کئی اشخاص کو بعد یکدیگرے حوالہ کیا گیا پس ہر حوالگی واقعہ متعلقہ ہے۔

دفعہ ۷ جو واقعات کہ باعث یا وجہ یا نتیجۂ قریب یا بعید واقعات متعلقہ یا واقعات تنقیحی کے ہون یا داخل اُن حالات کے ہون جن مین کہ واقعات تنقیحی وقوع مین آئے یا جنسے کہ موقع اُن واقعات تنقیحی کے وقوع یا معاملہ کا پیدا ہوا ہو وہ بھی واقعات متعلقہ ہین۔

تمثیلات

(**الف**) بحث اس امر کی ہے کہ عمر نے بکر کا سرقہ بالجبر کیا یا نہین۔ یہ واقعات کہ سرقہ بالجبر سے ذرا پہلے عمر ایک میلہ مین اپنے ساتھ روپیہ لیکر گیا اور وہ روپیہ اور اشخاص کو دکھلایا یا اُنسے یہ کہا کہ یہ روپیہ میرے پاس ہے واقعات متعلقہ ہین۔

(**ب**) بحث اس امر کی ہے کہ زید نے عمر کا قتل عمد کیا یا نہین۔ اُسمقام مین یا اُسکے قریب جہان قتل وقوع مین آیا کشا کشی کے نشانات زمین پر دکھلائے گئے پس یہ واقعات متعلقہ ہین۔

(ج) بحث اس امر کی ہے کہ زید نے عمر کو زہر کھلایا یا نہین۔ عمر کی حالت تندرستی زہر کھلانے کی علامات مُنبیہ کے پہلے اور عمر کی عادات جو زید کو معلوم تھین اور جنسے موقع زہر کھلانے کا پیدا ہوا واقعات متعلقہ ہین۔

دفعہ ۸ ہر واقعہ جو وجہ تحریک یا طیاری کسی واقعۂ تنقیحی یا واقعہ متعلقہ کا ہو یا جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہو واقعہ متعلقہ ہے۔ عمل کسی ایسے شخص کا یا ایسے شخص کے کسی مختار کا جو کسی نالش دیوانی یا کارروائی مین فریق ہو بلحاظ اُسی نالش یا کارروائی کے یا بلحاظ کسی امر تنقیحی یا امر متعلقہ اُس نالش یا کارروائی کے اور عمل کسی ایسے شخص کا کہ کوئی جرم اُسکے مقابل کارروائی ہونے کی بنا ہو واقعہ متعلقہ ہے بشرطیکہ وہ عمل کسی امر تنقیحی یا امر متعلقہ مقدمہ پر مؤثر ہو یا اُس سے متاثر ہو عام اس سے کہ وہ امر اُسکے پہلے یا اُسکے بعد وقوع مین آئے۔ تشریح ۱۔ لفظ عمل کا اس دفعہ مین حاوی معنی بیانات کا نہین ہے الا اُس حال مین کہ وہ بیانات بجز بیانات کے کسی افعال کی معیت رکھتے ہون یا انکی توضیح کرتے ہون لیکن یہ تشریح اُن بیانات سے علاقہ نہین رکھتی جنکا متعلق واقعات ہونا اس ایکٹ کی کسی اور دفعہ کی روسے لازم آتا ہو تشریح ۲۔ جب عمل کسی شخص کا متعلق واقعہ ہو تو جو بیان کہ اُس سے

(الف) زید کی تجویز بعلت قتل عمداً عمر کے کی گئی جس کو اُس نے ایک لاٹھی سے بہ نیت اُس کی ہلاکت کے مارا۔ زید کی تجویز مین واقعات مفصلہ ذیل واقعات تنقیحی ہین۔
زید کا عمر کو لاٹھی سے مارنا۔ زید کا عمر کی ہلاکت کا باعث اُس ضرب سے ہونا۔ زید کی نیت عمر کی ہلاکت کا باعث ہونے مین۔

(ب) زید ایک اہل مقدمہ بروقت اول پیشی مقدمہ کے اپنے ساتھ ایک تمسک جسپر وہ استدلال کرتا ہے نہ لایا اور پیش کرنے کے لیے طیار نہین رکھتا ہے تو از روے اس دفعہ کے وہ اُس تمسک کو کارروائی مقدمہ کی کسی نوبت مابعد مین پیش کرنے اور اُس کے مضمون کو ثابت کرنے کا استحقاق بجز صورت مذکورہ مجموعہ ضابطہ دیوانی کے اور طور پر نہین رکھتا۔

دفعہ ۶ واقعات جو اگرچہ داخل تنقیح نہون مگر واقعات تنقیح طلب سے اسقدر الحاق رکھتے ہون کہ جزو ایک ہی معاملہ کے ہو گئے ہون وہ بھی واقعات متعلقہ ہین عام اس سے کہ وہ ایک ہی وقت اور مقام مین وقوع مین آئے ہون یا اوقات اور مقامات مختلفہ مین۔

تمثیلات

(الف) زید پر ضرب سے عمر کے قتل عمد کرنے کا الزام لگایا گیا پس جو کچھ کہ زید یا عمر یا ان شخصون نے جو کھڑے ہوئے تھے مارنے کیوقت کہا یا کیا یا اُس سے اس قدر قلیل عرصہ کے پہلے یا پیچھے کہا یا کیا کہ وہ جزو اُس واقعہ کا ہو گیا ہو وہ واقعہ متعلقہ ہے۔

(ب) زید پر بمقابلہ ملکہ معظمہ کے اس طرح پر جنگ کرنے کا الزام رکھا گیا کہ ایک جماعت مفسدان مسلح کا وہ شریک ہوا اور اُس مفسدہ مین کچھ مال تلف کیا گیا اور فوج پر حملہ کیا گیا اور جیلخانہ توڑ ڈالے گئے پس وقوع ان واقعات کا واقعہ متعلقہ ہے اس واسطے کہ وہ جزو اُس عام واردات کے ہین گو کہ زید اُن سب واقعات مین موجود نہو۔

(ج) زید نے عمر پر واسطے ایک عبارت تہتک آمیز مندرجہ کسی خط کے جو جزو ایک مراسلت کا ہو نالش رجوع کی پس وہ خطوط جو فیمابین فریقین درباب اُس مضمون کے جس سے تہتک پیدا ہوا تحریر مین آئے ہون اور جزو اُس مراسلت کے ہون جس مین وہ عبارت مندرج ہو واقعات متعلقہ ہین گو ان خطوط مین وہ عبارت تہتک آمیز مندرج نہو۔

زبانی کہلاتے ہین - تمام دستاویزات جو عدالت کے معائنہ کے لیے پیش کی جائین - ایسی دستاویزات شہادت دستاویزی کہلاتی ہین - واقعہ کا اثبات اُس صورت مین کہا جائیگا جب کہ امورات پیش شدہ پر غور کرنے کے بعد عدالت کو اسکے موجود ہونے کا باور ہو یا یہ خیال کرے کہ اُس کا وجود اس نہج پر امکان رکھتا ہی کہ اُس خاص مقدمہ کی صورت مین کسی شخص محتاط کو اُسکے موجود ہونے کے قیاس پر عمل کرنا چاہیئے - واقعہ کا استرداد اُس صورت مین کہا جائیگا جب کہ عدالت امورات پیش شدہ پر غور کرنے کے بعد یہ باور کرے کہ اُس واقعہ کا وجود نہین ہی یا یہ خیال کرے کہ اسکا انعدام ایسا امکان رکھتا ہی کہ اُس خاص مقدمہ کی صورت مین کسی شخص محتاط کو اسکے نہ موجود ہونے کے قیاس پر عمل کرنا چاہیے - واقعہ غیر ثبتہ اُسوقت کہا جائیگا جبکہ نہ اُسکا اثبات ہو نہ استرداد -

دفعہ ۴ - جہان ایکٹ ہذا مین یہ مرقوم ہی کہ عدالت ایک امر واقعہ کو قیاس کر لے وہان اُس کو اختیار ہے کہ اُس امر واقعہ کو امر ثبتہ تصور کرے الا اُس حال مین اور اُس وقت تک کہ اُسکا استرداد ہو یا اُسکو جائز ہے کہ اُسکا ثبوت طلب کرے - جہان ایکٹ ہذا مین یہ ہدایت ہے کہ عدالت کو امر واقعہ پر قیاس کر لینا لازم ہی تو اُسے لازم ہی کہ اُس امر واقعہ کو ثبتہ تصور کرے الا اُس حال مین اُسوقت تک کہ استرداد ہو جہان ایک امر واقعہ از روے ایکٹ ہذا کے دوسرے امر واقعہ کا ثبوت قطعی قرار دیا گیا ہی وہان عدالت کو لازم ہی کہ ایک امر واقعہ کے ثبوت پر دوسرے کا اثبات تصور کر لے اور عدالت اُسکے ابطال کے لیے شہادت کے پیش کیے جانیکی اجازت نہ دے گی -

فصل ۲ - واقعات کا متعلق مقدمہ ہونا -

دفعہ ۵ - ہر مقدمہ یا کاروائی مین جائز ہی کہ شہادت وجود یا انعدام ہر واقعہ تنقیحی اور ایسے واقعات کی ادا کی جائے جو ایکٹ ہذا مین بعد ازین واقعات متعلقہ قرار دئے گئے ہین نہ کسی اور واقعات کی -

(۱) تشریح - از روے دفعہ ہذا کے کسی شخص کو منصب ادائے شہادت ایسے امر واقعہ کا حاصل نہ ہوگا جسکے ثابت کرنے کا وہ از روے کسی حکم قانون مجریہ وقت متعلقہ ضابطہ دیوانی کے مستحق نہین ہے -

تمثیل -

(د) یہ کہ ایک شخص کچھ راے رکھتا ہے یا کچھ ارادہ رکھتا ہے یا اسکا عمل نیک نیتی یا فریب کا ہے یا
کسی خاص لفظ کو کسی خاص معنی مین مستعمل کرتا ہے یا ایک خاص وقت پر اُس کا دل کسی خاص
امر محسوس سے آگاہ تھا ایک واقعہ ہے۔

(ہ) یہ کہ ایک شخص کسی امر مین شہرت رکھتا ہو ایک واقعہ ہو ایک امر واقعہ کا دوسرے امر واقعہ
سے متعلق ہونا اُس وقت کہا جائیگا جبکہ وہ امر واقعہ دوسرے امر واقعہ سے ایسے طور پر علاقہ رکھتا ہو
جسکا ذکر احکام ایکٹ ہذا مین درباب متعلق ہونے واقعات کے مرقوم ہے لفظ واقعات تنقیحی سے
مراد اور اُس کے معنی مین داخل۔

ہر واقعہ ہی جس سے بنفسہ یا بہ تعلق اور واقعات کے وجود یا عدم یا نوعیت یا حد کسی ایسے حق یا ذمہ داری
یا ناقابلیت کی لازم آتی ہو جسکے اثبات یا سلب کی کسی نالش یا کارروائی مین بحث کیجائے۔

تشریح۔ جب بموجب احکام قانون مجریہ وقت متعلقہ ضابطہ دیوانی کے کوئی عدالت کسی تنقیح واقعاتی
کو قلمبند کرے تو جس واقعہ کا اثبات یا سلب اُس تنقیح کے جواب مین ہوتا ہو وہ واقعہ تنقیحی ہے۔

تمثیلات

زید عمر کے قتل عمد کا ملزم ٹھہرایا گیا۔ اُسکی تجویز مین واقعات مفصلہ ذیل واقعات تنقیحی ہو سکتے ہین۔
یہ کہ زید باعث ہلاکت عمر کا ہوا۔ یہ کہ زید کی نیت مین تھا کہ عمر کی ہلاکت کا باعث ہو۔ یہ کہ زید کو عمر سے سخت
اور ناگہانی اشتعال پہنچا۔ یہ کہ زید بروقت صدور اُس فعل کے جو عمر کی ہلاکت کا باعث ہوا بوجہ فتور عقل
اُس فعل کے نوعیت کے جاننے کی قابلیت نہین رکھتا تھا۔ لفظ دستاویز سے مراد ہر مضمون ہی جو کسی شی پر
بذریعہ حروف یا اعداد یا علامات یا اُن وسائل مین سے ایک سے زیادہ وسیلون کے ذریعہ سے جنکا اُس
مضمون کے قلمبند کرنیکے لیے مستعمل ہونا مقصود ہو یا جو مستعمل ہون ظاہر کیا جائے یا منقوش کیا جائے۔

تمثیلات

ایک تحریر دستاویز ہی۔ الفاظ جو سیسہ یا پتھر کے چھاپے سے مطبوع ہون یا بطور تصویر عکسی کے اُتارے گیے
ہون دستاویزات ہین۔ نقشہ زمین یا عمارت کا دستاویز ہین کندہ جو کسی پترہ یا پتھر پر ہو دستاویز ہی۔ شبیہ
دستاویز ہی۔ لفظ شہادت سے مراد اور اُسکے مفہوم مین داخل یہ چیزین ہین۔ تمام بیانات گواہونکے جو عدالت کی
اجازت یا حکم سے امور واقعاتی تحقیق طلب کے باب مین اُسکے روبرو کئے جائین۔ ایسے بیانات شہادت

یہ قانون یکم ستمبر ۱۸۷۲ء سے عمل درآمد ہوگا

دفعہ ۲ ¹تاریخ مذکورہ کو اور اُس تاریخ سے قواعد مفصلہ ذیل منسوخ ہو جائینگے۔

(۱) تمام قواعد شہادت جو کسی آئین انگلستان یا ایکٹ یا قانون مین جسکا نفاذ برٹش انڈیا کے کسی جزو مین ہو مندرج نہین ہین۔

(۲) تمام وہ قواعد اور آئین و قوانین جو بموجب دفعہ ۲۵ قانون کونسل ہند مصدرہ ۱۸۶۱ء کے حکم قانون کا رکھتے ہین جس قدر کہ اُن کو تعلق کسی معاملہ متذکرہ قانون ہذا سے ہے۔

(۳) احکام قوانین مندرجہ ضمیمہ منسلکہ قانون ہذا جسقدر کہ ضمیمہ مذکور کے خانہ سوم مین لکھے گئے ہین لیکن کوئی عبارت مندرجہ قانون ہذا مخل حکم کسی قانون مصدرہ پارلیمنٹ یا کسی ایکٹ یا قانون مجریہ کسی جزو برٹش انڈیا کی نہ ہوگی جو صراحتاً اس ایکٹ کی روسے منسوخ نہین کیا گیا۔

دفعہ ۳ ایکٹ ہذا مین الفاظ اور عبارات مصرحہ ذیل اُن معانی مین مستعمل ہونگی جو انکے واسطے بیان کئے گئے ہین بشرطیکہ فحوائے کلام سے کوئی اور مراد نہ پائی جائے لفظ عدالت مین تمام جج اور مجسٹریٹ اور تمام اشخاص بجز ثالثون کے داخل ہین جو قانوناً مجاز لینے شہادت کے ہون۔

لفظ واقعہ کے معنی اور اُس کے مفہوم مین یہ امور داخل ہین۔

(۱) ایسی ہر چیز یا چیزون کی ایسی کیفیت یا چیزونکا ایسا تعلق جو حواس سے محسوس ہونے کے قابل ہو۔

(۲) ہر حالت ذہنی جس سے کسی شخص کے دل کو آگاہی ہو۔

تمثیلات

(الف) یہ کہ چند اشیا ایک خاص وضع پر کسی جگہہ مین ترتیب دی ہوئی ہین ایک واقعہ ہے۔

(ب) یہ کہ کسی شخص نے کچھ سنا یا دیکھا امر واقعہ ہے۔

(ج) یہ کہ کسی شخص نے کچھ الفاظ کہے ایک واقعہ ہے۔

---

¹ ازروے دفعہ ۶۸ ایکٹ نمبر ۱۳ بابت ۱۸۷۴ء کے یہ ایکٹ اُن کل کارروائیون سے متعلق کیا گیا جو ہند کی سپرین کورٹس (یعنی عدالتہای بحری) کے روبرو ہون۔ دفعہ ۶۸۔ ایکٹ ۱۳ بابت ۱۸۷۴ء ملاحظہ طلب۔
یہ لفظ نسبت عدالتہاے کورٹ مارشل متعلق اہل یوروپ کے ازروے ایکٹ بغاوت مصدرہ ۱۸۷۹ء (اسٹیٹیوٹ ۴۲ سنہ جلوس ملکہ وکٹوریہ باب ۷) دفعہ ۱۰۱ منسوخ کیا گیا جن مین یہ حکم ہے کہ وہ کوئی عدالت کورٹ مارشل نسبت عمل مین لانے اپنی کارروائیات یا منظور کرنے یا نامنظور کرنے شہادت کے پابند احکام ایکٹ شہادت ہند مصدرہ ۱۸۷۲ء یا کسی ایکٹ مصدرہ کسی واضعان قانون کے سواے ایکٹ پارلیمنٹ سلطنت متحدہ کے نہوگی ''اسی مضمون کا فقرہ ایکٹ فوج مصدرہ ۱۸۸۱ء (اسٹیٹیوٹ ۴۴ سنہ ۴۵ جلوس ملکہ وکٹوریا باب ۵۸) کی دفعہ ۱۲۷ مین کہ وہ ایکٹ اب بجاے ایکٹ بغاوت کے جاری ہے داخل کیا گیا ہے۔

ایکٹ نمبر ۱ بابت ۱۸۷۲ء

قانون شہادت مجریۂ ہند بابت ۱۸۷۲ء

ہرگاہ قرین مصلحت ہی کہ قانون شہادت کا اجتماع اور اوسکی تعریف اور ترمیم عمل مین آئے

لہذا حسب ذیل حکم ہوتا ہے

باب اول

داخل بحث ہونا واقعات کا

فصل اول مراتب ابتدائی

دفعہ ۱ ہو جائز ہی کہ اس ایکٹ کو قانون شہادت مجریۂ ہند مصدرہ ۱۸۷۲ء کے نام سے موسوم کرین یہ قانون تمام برٹش انڈیا مین نافذ اور تمام کارروائی ہائے تجویزی سے جو کسی عدالت مین یا اوسکے روبرو ہون معہ کورٹ مارشل کے متعلق ہی لیکن اُن اقرارات حلفی سے علاقہ نہین رکھتا جو کسی عدالت یا عہدہ دار کے روبرو پیش ہون اور نہ اُن کارروائیون سے جو کسی ثالث کے روبرو ہون۔

نوٹ یہ ایکٹ بلند بر ہما مین بالعموم نافذ قرار پایا گیا ہے (دیکھو حصہ ۱ ضمیمہ ۲ - ایکٹ ۱۳ ۱۸۹۸ء)
یہ ایکٹ پرگنجات سنتال کے قوانین کے آئین نمبر ۳ ۱۸۷۲ء کے ضمیمہ مین داخل ہے۔
ایکٹ مذکور بموجب ایکٹ اضلاع مندرجہ فہرست مصدرہ ۱۸۷۴ء کے اضلاع مندرجہ فہرست حصہ ذیل مین نافذ قرار دیا گیا۔
اضلاع ہزاری باغ و لوہار ڈگا دمان بجوم و پرگنہ ڈھال بھوم و کلہان واقعہ ضلع سنگھ بھوم
(دیکھو گزٹ آف انڈیا مورخہ ۲۲ - اکتوبر ۱۸۸۱ء حصہ ۱ صفحہ ۵۰۴)
بذریعہ اشتہار مندرجہ گزٹ آف انڈیا مورخہ ۲۳ ستمبر ۱۸۸۶ء صفحہ ۵۰۵ کے ایکٹ ہذا ضلع ترائی سے متعلق کیا گیا

कायदे सेविंग बैंक

वास्ते

हिसाबदारान् सेविङ्ग बैङ्क डाकखाना

जिस में

कायदे खरीद और फरोख्त और सुपुर्दगी नोट सरकारी भी शामिल हैं

बमंजूरी गवर्नमेंट हिन्द शाया हुए।

अलीगढ़ पोस्टल प्रेस

महीना जनवरी सन् १९०० ई०।

कायदे सेविङ्ग बैंक वास्ते हिदायत हिसाबदारान सेविङ्ग बैंक डाकखाना जात ॥

तरतीब मज़ामीन ।

तमहीद और मन्शा वगै

क़ायदे

वास्तेहिदायतहिसाबदारानसेविंगबंक डाकख़ानहजा तहिन्द

जिसमें

क़ायदे ख़रीद और फ़रोख़्त और सुपुर्दगी नोट सरकारी के शामिल हैं

लखनऊ

मुंशीनवलकिशोरके छापेख़ानेमें छपा ॥

जून सन् १८८६ ई० ॥

फ़ेहरिस्त मज़मून ॥

क़ायदे डाकघरों के॥

सेविङ्गबङ्क में रुपया जमा करने वालों की हिदायत और बर्ताव के लिये॥

शब्दों का अर्थ॥

क़ायदा १—इन क़ायदों में—

जमा—अर्थात् वह रुपया जो डाकघर के सेविङ्ग बङ्क में किसी ने आप जमा किया हो या उसकी ओर से जमा किया गया हो॥

हिसाबदार—अर्थात् जमाकरनेवाला—वह मनुष्य जिसने आप रुपया जमा किया हो या जिसके नाम से रुपया जमा हुआ हो॥

हिसाब—अर्थात् वह हिसाब जो कोई हिसाबदार डाकघर के सेविङ्गबङ्क से रखता हो॥

बाक़ी या बक़ाया—अर्थात् वह रक़म जो हिसाब में बाक़ी निकले॥

बालक यानी नाबालिग़—अर्थात् वह मनुष्य जिसकी उमर अठारह वर्ष से कम हो॥

वलीजायज़—अर्थात् केवल वही मनुष्य नहीं जो थोड़ेदिनों के लिये क़ानून अनुसार वली कियागया हो बल्कि बालक का बाप और जो बाप मरगया हो तो

उसकी माता वलीजायज़ अर्थात् उचित प्रतिपालक समझी जायगी ॥

पोस्टमास्टर जनरल—डाक के महकमे का सबसे बड़ा अफ़सर उस सूबे या मुक़ाम का जहां सेविङ्गबङ्क का काम जारी कियागया है ॥

डाकघर के सेविङ्गबङ्क के खोलने से सरकार का क्या मतलब है ॥

क़ायदा २—डाकघर के सेविङ्गबङ्कके खोलनेसे सर्कार का यह मतलब है कि सब लोगों को अपनी बचत के रुपये के जमा करने का सुभीता होजाय और किफ़ायत करने की आदत पड़े सेविङ्गबङ्क साधारण लेन देन के लिये नहीं है और जो यह मालूम होजायगा कि जमा करने वालेने सरकारके मतलब के ख़िलाफ़ सेविंगबंक मेंलेनदेनकियाहै तो कंट्रोलरसाहब बहादुरको अख़्तियारहै कि उसका हिसाब बन्द करदें ॥

किस समय सेविङ्गबङ्क का काम हुआ करेगा ॥

क़ायदा ३—इतवार और बड़ादिन और नवरोज और क़ैसरहिन्द के वर्ष गांठका दिन और गुड़फ्रूडे को छोड़ कर हररोज़ डाकघर के सेविंगबंक का काम दोपहर से चारबजे शामतक हुआ करेगा--किसी २जगह जहां ख़ास ज़रूरत मालूम होगी पोस्टमास्टरजनरलसाहब की आज्ञा से यह समय बदलभी सक्ताहै ॥

डाकख़ाने के अहलकारों को ताक़ीद हाल छिपानेकी ॥

क़ायदा ४—डाकख़ानेके अहल्कारोंको जो काम लेन

देन रुपये का करते हैं इजाज़त नहीं है कि सिवाय साहब पोस्टमास्टर जनरल के या दूसरे अफ़सरान सरिश्ते के जो इन क़ायदों की तामील के वास्ते मुक़र्रर किये गये हैं किसी ग़ैर आदमी को नाम हिसाबदारका या तादाद रुपयेकी जो जमा किया गयाहो या वापिस दिया गयाहो बतलावें ॥

कौन मनुष्य रुपया जमा करसक्ते हैं ॥

क़ायदा ५—डाकघरके सेविंगबंकमें हरमनुष्य रुपया जमा करसक्ताहै यातो(१)ख़ासअपने नामसे—या (२) किसी बालिग़ रिश्तेदारके नामसे —या (३)किसी नाबालिग़ रिश्तेदार के नामसे —या (४) किसीऐसे नाबालिग़के नामसे जिसकावहवली या प्रतिपालकहो ॥

टीका—बालक अपने नामसे रुपया जमा करसक्ते हैं और औरत ब्याहीहों या कुआरी या बिधवा अपने नाम से जमा करसक्ती हैं इस शर्त्त पर कि जो ब्याही हुई है वो उसको क़ायदा ६ के शर्त्त के अनुसार काम करना होगा ॥

हिसाब जारी करने में क्या२ शर्तें हैं ॥

क़ायदा ६—(१) हरशख़्स को इख़्तियारहै कि ख़ास अपनी तरफ़ से या अपने किसी बालिग़ रिश्तेदार की तरफ़ से हिसाब जारीकरे लेकिन ऐसाहिसाब एक से ज्यादा नहीं रखसक्ता है—अगर ख़ास अपने नाम से हिसाबरखताहो तो अपने बालिग़ रिश्तेदार के नामसे दूसरा हिसाब नहीं खोल सक्ता—और इसीतरह से

अगर किसीबालिग़ रिश्तेदारके नाम सेहिसाब रखता हो तो दूसरा हिसाब ख़ास अपनेनाम से नहीं खोल सक्ता- अगर किसी बालिग़ रिश्तेदार की तरफ़ से हिसाब खोलाजावे तो हिसाब उस रिश्तेदार के नाम से होनाचाहिये और हिसाबमें तफ़सील उसरिश्तेदारी की भी होनीचाहिये जो दर्मियान रिश्तेदार और उस शख़्सकेहो जिसने उसकीतरफ़से हिसाबजारीकिया ॥

(२) सिवाय उसहिसाब के जो कोई मनुष्य ख़ास अपनी तरफ़ से या अपने किसी बालिग़ रिश्तेदार की तरफ़ से खोले उसको इख़्तियार है कि चाहे जितने अलैहदा हिसाब बालकों की तरफ़ से जिनका वह रिश्तेदार या वली हो जारी करे मगर क़ैद यह है कि एकऐसे नाबालिग़ की तरफ़ से एक हिसाब से ज़्यादा न खोलाजावे ॥

(३) अगर किसी बालक के नाम से किसी दूसरे मनुष्य की मारफ़त एक हिसाब खुल चुकाहो तो यह बात बालकको अपने ख़ास नामसे हिसाब जारीकरने से बाज़ न रक्खेगी और यहबात कि कोई ऐसामनुष्य जिसकी शादी होचुकीहो अपने नाम से हिसाब रखता है उसकी औरत को अपनेनाम का हिसाब खोलने से बाज़ न रक्खेगी लेकिन शर्त्त यह है कि जो रुपया जमा कियाजावे वह उसका निजधन या उसकीकमाईका हो ॥

गरह (अ) इस क़ायदे के अनुसार किसी मनुष्य को एक या एक से ज़्यादा हिसाब या एतवार अपने

ओहदे के अर्थात् पबलिक एकौंट खोलनेकी मनाई नहीं है (देखो क़ायदा —६)

शरह (इ) वारंट अफ़सर और ग़ैर कमीशनवाले अफ़सर और वे मनुष्य जो सरकारी रेजीमेंट के नौकर हों सेविंगबङ्क डाकख़ाने में हिसाब रखसक्ते हैं चाहे वे पहले से फ़ौजी सेविंगबंक के हिसाबदार भी हों ॥

क़ायदा ७—किसीमनुष्यकोअख़्तियारनहींहैकि किसी दूसरेआदमीकारुपया जो उसकेपास अमानतरक्खाहो डाकघर के सेविंगबंक में जमाकरे और न यह अख़्तियार है कि दो या ज़्यादह मनुष्य मिलकर रुपया जमा करें हां जो किसीनामी दूकान या कोठीकी तरफ़से या ऐसीसभा की तरफ़ से जिससे आम शख़्सों की भलाई होती हो रुपया जमा हो तो मनाई नहीं है ॥

क़ायदा ८—एकसमयमें कमसेकम चारआनाजमाहोसक्ता है और जो रुपया जमा किया जाय उसमें पूरी चौअन्नी हों अर्थात् चौअन्नी के टुकड़े न हों और कोई हिसाबदार बर्षभर में जो पहिली अप्रैलसे शुरू होकर दूसरेबर्ष की ३१ मार्चको पूरा होताहै—पांच सौ रुपये से अधिक जमा नहीं करसक्ता ॥

शरह (ए) पांचसौ रुपयेकी हद्द के शुमार करने में वापिसी रुपये का लिहाज़ न किया जायगा यानी जो रुपया जमामें से वापिस लिया जायगा वो इनपांचसौ रुपये के शुमार करने में न घटायाजायगा ॥

शरह (बी) जो सूरतें नीचे लिखी जाती हैं उनमें

पांच सौ रुपये से ज़ियादा भी जमा होसक्ता है ॥

(१) पवलिक एकौन्ट ॥

(२) रेजीमेन्ट या पुलिस के एकौन्ट ॥

शरह (सी) जब कोई हिसाब एक सेविंगबंक से, चाहे वह डाकघरकी हो चाहे प्रेसीडेंसी की हो, दूसरे सेविंगबंक को तब्दील होवे तो जमा का रुपया जो तबदील होकरआवे वह पांचसौ रुपयों की हद्द शुमार करने में शामिल न किया जावेगा पर उसमेंसे जोकुछउससाल में जमाहुआ होगा वहशुमार में आजायगा ॥

शरह (डी) सर्कारीनोट फ़ौरन् ख़रीदने के लिये जो रुपया जमाकियाजावे उसकेवास्ते भी पांचसौरुपये की हद्द नहींहै ॥

पवलिक एकौंट अर्थात् जो हिसाब जमायत या
आमलोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिये
जारी किया जाय ॥

क़ायदा८—पवलिकएकौंट अर्थात् वेहिसाब जो आम लोगों के फ़ायदेके लिये जारी कियेजायँ उनकी कारखाई नीचे लिखेहुये क़ायदों के अनुसार होतीहै ॥

(१) सरकारी ओहदेदार जो सेक्रेटरी या मेनेजर (अर्थात् प्रवन्धकर्त्ता व मुहतमिम) किसी अस्पताल अर्थात्चिकित्सालयया गिरिजाघर या कोईदूसरामजहबी कारख़ाना या पाठशाला या यतीमख़ाना अर्थात् अनाथोंके रहनेका स्थान या मुहताजख़ाना अर्थात् निर्धनों, कंगाल, अपाहिजों के रहनेकीजगह - कुतुबख़ाना

अर्थात् पुस्तकालय केहों और जिनकेसुपुर्द उनका रुपया रहता हो या किसी और ऐसे काम का रुपया रहताहो जिससे चन्दा देनेवालों का कोई निज का लाभ या प्रस-न्नता न हो डाकघर के सेविंगबंकमें हिसाब जारीकरस-क्तेहैं परन्तु जो रुपया किसीघुड़दौड़ या खेल गेंद या अंटा या किसी मिस्कोट आदिकीबाबत जो निज और ख़ास मतलबके लिये वसूल कियाजाता है डाकघरके सेविंग-बंकमें जमा नहीं हो सक्ता — बाजा घरका रुपया सिर्फ़ उस हालत में जमा होसक्ता है जब कि कोई और बंक उस मुक़ाम पर न हो ॥

(२) अगर कोई अस्पताल (चिकित्सालय) आदि (जैसा ऊपर बर्णन हो चुका है)सरकार से इलाक़ा न रखता हो और उसके सेक्रेटेरी और मेनेजर ओहदेदार सरकारी न हों तो वे सिर्फ़ उस हालत में हिसाब जारी करसक्ते हैं जब कि उसमुक़ाम पर कोई और मातबर बंक रुपया जमा करने के लिये न हो ॥

(३) सेक्रेटेरी और मनेजर सर्व लाभकारी चंदे के (अर्थात् उस रुपये के जो आपसकेचंदेसे बिपत्तिपीड़ितों के लिये जमा किया गया हो)हिसाब जारी करसक्तेहैं ॥

(४)सरकारी ओहदेदार या किसी सर्वलाभकारीकार-ख़ाने मसलन रेलवे कम्पनी या धुआंकश जहाज़ कम्पनी आदि के ओहदेदार जो अपने महक़मे के कामों के लिये अपने मातहतोंसे उनकी ख़ुशी से या महकमेके क़ायदे के मुआफ़िक़ चन्दा वसूलकरें हिसाबजारी करसक्तेहैं ॥

(५) सरकारी अहलकारों और दीगर मनुष्य जिनको ज़मानत दाखिल करने का हुक्म होवे ज़मानत के बाबत एक अलाहदा हिसाब जारी कर सक्ते हैं और इन लोगों को एक नोटिस दाखिल करनी होगी जिसके ज़रिये से उनकी जमा का रुपया ज़मानतमें आड़ होजायगा॥

(६) जो हिसाब आम लोगों के फ़ायदे के लिये जारी कियाजाय जिसका वर्णन ऊपर होचुकाहै तो उसका कोई ख़ास नाम मुक़र्रर होना चाहिये जिससे यहबात जानी जाय कि रुपया किस कामके लिये जमा कियागया है-जैसे फलाने अस्पताल का रुपया या कारीगरों की बीमारी में ख़र्च करनेका रुपया आदि—ऐसे हिसाबों के लिये पांचसो रुपये सालाने की क़ैद नहीं है परन्तुशर्त यहहै किजो रुपयाजमाहो वहसचमुच उसमद्दकी आमदनी का हो व्याज पूरी जमापर जितना वाजिब होगा दिया जायगा ६।≈) महीने से ज़्यादा व्याज़ न दिये जाने की क़ैद न रहेगी परन्तु बारहमहीनेके अन्दर तीनहज़ार रुपये से ज़्यादह फ़क़त उसी सूरतमें जमामेंसे फेरदिये जायँगे कि जब सेक्रेटरी या मेनेजरने छः महीने पहिले से तीनहज़ार रुपयेसे ज़्यादह फेरलेनेकी नोटिस अर्थात् इत्तिला देदीहो और उस नोटिस में ठीक ठीक तादाद रुपये की जो फेरलेना है लिख दी गई हो॥

क़ायदा १०—नीचे लिखी हुई मदके रुपयेसे हिसाब सेविंगबंक नहीं खोला जायगा॥

(१) जो रुपया सरकारी हो—या(२) जो सरकारमें

जमा करने के लिये मिला हो--या (३) जो ख़ज़ाने से सरकारी ख़र्च के लिये लियागया हो--या (४) जो किसी सरकारी अफ़िसर या अदालत में किसी क़ानून के बमूजिब तहसील किया हो या उसको वसूल हुआहो या कि जो किसी ऐसे अफ़िसर या ऐसी अदालत की सुपुर्दगी में हो या (५) जो बजरियह टैक्स के उगाहा गया हो चाहे ये टैक्स लोकल हो या म्युनीसिपेलटी की तरफ़ से ॥

पल्टन और पुलिस के हिसाब ॥

क़ायदा ११—हिन्दुस्तानी पल्टनका अफ़्सरकमानियर अपनी पल्टनके सिपाहियोंकी तरफ़से सिर्फ़ एक हिसाब सेविंगबंक डाकख़ाने में जारी करसक्ता है जबकि वह हर एक सिपाही का अलहदा अलहदा हिसाब रखने और जो कुछ ब्याज उनके इकट्ठे हिसाब पर निकले उसको हिस्सारसदी तक़सीम करने का बंदोबस्त अपना ख़ुद करलेवे इस हिसाबकी निस्बत भी मामूलीक़ायदों कीपाबन्दी रहेगी लेकिन जमाके वास्ते जो पांचसौ रुपये की क़ैद है और माहवारीसूद के वास्ते जो ६।≈) की क़ैद है वह इसहिसाबकी निस्बत न होगी—अफ़्सर कमानियर जब रुपया जमा करें तो एकसार्टीफ़िकेट दस्तख़ती ख़ुद इस बात का दाख़िलकरें कि हमको अच्छीतरह यक़ीन है कि यह रुपया पल्टनके सिपाहियोंका मालहै—ज़िलैके साहब सुपरिन्टैंडंटपुलिस भी इसक़ायदे के मुआफ़िक़

अपनी पुलिस के सिपाहियों की तरफ़ से हिसाब जारी करसके हैं ॥

शरह- इस क़ायदे से यह न समझना चाहिये कि हिंदुस्तानी पलटन या पुलिस के सिपाही को अपना अलहदा हिसाब जारी करनेके वास्ते मनाई है ॥

रुपया फेरलेने के लिये क्या अख्तियार और क्या शरतें हैं ॥

क़ायदा १२— हर हिसाबदार हफ़्तेमेंएक वार अपनी जमा से रुपया वापस लेसक्ताहै—हफ़्ता सोमबार से शनीचर तक दोनोंदिन मिलाकर समझा जायगा इस वास्तेअगर कोई हिसाबदार अपने हिसाब मेंसे शनीचर को रुपया ले तो अगले सोमवार को फिर ले सक्ताहै ॥

क़ायदा १२— जोरुपया किसी बालिग़ रिश्तेदारके नाम से जमा होगा वह उस बालिग़ रिश्तेदार कोही वापिस मिल सक्ता है जमा करने वाले मनुष्य को वापिस नहीं मिलसक्ता—नाबालिग़जो रुपया अपने नाम से खुद जमा करे उसको वापिस लेसक्ताहै परन्तु वह रुपया जो किसी बालक की तरफ़से जमा कराया गयाहो वह उसके जवान होने तक फ़क़त उसके वलीजायज़ को वापिस मिल सक्ता है ॥

क़ायदा १२— जिन औरतोंने चाहे वे व्याही हों या कुंवारी या विधवा अपने नामसे रुपया जमा किया है वह उसको फेरलेसक्ती हैं और व्याही स्त्री उस रुपये को जो उसने व्याह होजाने से पहिले अपने नामसे जमा कियाहो वि-

वाहहोजानेकेबादभी वापिसलेसक्तीहै- नाबालिग अर्थात अठारह वर्षसे कम उम्रकी स्त्रियां जिनकी तरफ़ से रुपया जमा होचुकाहै चाहे व्याही हों या रुपया जमा कराने के पीछे व्याही जावें बालिग होनेपर अर्थात् अठारह वर्ष की उम्र होजानेपर उस रुपये को जो उनकी तरफ़ से जमाहो फेरलेसक्ती हैं॥

क़ायदा १५— कोई हिसाबदार चार आनेसे कम वापस नहीं लेसक्ता और चाहेजितना रुपया फेर लेवे पर उसमें पूरीचौअन्नीहों परन्तु जो वह अपना हिसाब बन्द किया चाहे तो जितना रुपया उसके नाम बाक़ी निकलेगा उसको वापस मिलसक्ता है॥

किसढंग से हिसाब जारीहोगा॥

क़ायदा १६— जोमनुष्य हिसाबजारी किया चाहे वह उस डाकघर में जो बहुत पासहो और जहां काम सेविंग-बंक का होताहो दरख़ास्तदे यह ज़रूर नहींहै कि वह आप दरख़ास्त देने जाय परन्तु उसको दरख़ास्त में अपना नामऔर पेशा और ठिकाना लिख देना चाहिये और जो हिन्दुस्तानीहै तो उसको अपने बाप का नाम और ज़ात भी लिखनी चाहिये॥

क़ायदा १७— जो मनुष्य हिसाबजारीकिया चाहे उसको एक इक़रार नीचेलिखेहुये नमूने के बमूजिब दस्तख़त करके इसबातका दाखिलकरना होगा कि उसने डाक-घर के सेविंगबंक के क़ायदे पढ़कर उनको मंजूर करलिया और अगर वह लिखना न जानताहो तो वह आप डाक-

घरमें जावे और किसी गवाह के सामने अपनी मोहर या निशानी इक़रार पर करदे और गवाह के उसपर दस्त-ख़त कराद़े और जो आपही जाकर दरख़ास्त देगा तो सेविंगबंक के क़ायदे उसको पढ़ने के लिये दिये जावें-गे और जो वह पढ़ा हुआ न होगा तो उसको पढ़कर समझा दिये जायँगे जो वह आपही आनकर दरख़ास्त न देगा तो क़ायदे की नक़ल और इक़रार का नक़्शा उसके पास भेजदिये जायँगे तब उसको चाहिये कि इक़रार के नक़्शे पर दस्तख़त करके उस रक़म के साथ जो उसे पहलीबार जमा करनी हो भेजदे॥

नमूना इक़रार के नक्शे का जिसपर पहलीबार रुपया जमा करनेके समय हिसाबदारको दस्तखत करनेहोंगे

मैं इक़रार करता हूं कि डाकघर के सेविंगबंक के क़ायदे मैंने पढ़ लिये हैं / समझ लिये हैं और मैं उनको मंजूर करता हूं यह भी इक़रार है कि दूसरे डाकघर के सेविंगबंक में मेरा हिसाब खुद मेरे नामसे या मेरे किसी बालिग़ रिस्तेदार के नामसे नहीं है॥

दः हिसाबदार के

मेरे सन्मुख दस्तख़त कियेगये

ग० दस्तख़त गवाह के

तारीख़ सन् १८८ ईसवी

क़ायदा १८— स्त्रियां जो अपने देशकी रीतिके अनुसार बाहर नहीं निकल सक्तीं वे अपने गुमाश्ते की मारफ़त और जबकि ब्याह होगयाहो तो अपनेपति या गुमाश्ते

की मारफ़त अपने नामसे हिसाबजारी करसक्तीहैं उस हालतमें गुमाश्ता या पतिको इक़रारपर दस्तख़तकरना होगा इस प्रयोजन से, कि हिसाबदार ने सेविंगबंक के क़ायदेको समझ लिया और उनकोमंज़ूर करलियाहै ॥

क़ायदा १९—जबकि इक़रार दस्तख़त कर के उस रुपये के साथ जो पहिलीबार जमा कराना है दाख़िल कियाजाय या जबकि हिसाबदार इक़रार पर दस्तख़त करके ख़ुद रुपया दाख़िल करे तो रुपये की तादाद एक पासबुक मेंजो हिसाबदार को मिलेगी लिखदीजायगी और जमाहुई रक़मपर साहबपोस्टमास्टर के दस्तख़त और दफ़्तरकी मोहर होगी और हिसाबदार को इस किताबके पानेकी बाबत एक रसीद देनीहोगी ॥

क़ायदा २०—जो किसी सब आफ़िस अर्थात् डाकघर मातहत में हिसाब जारी कियाजाय तो हिसाबदार के लिये पासबुकसदर डाकघरसे मँगाईजायगी परन्तुउस रुपये के मध्ये जो पहिलीबार जमाहुये हों एक अव्वल रसीद हिसाबदारको दीजायगी और उससे कह दिया जायगा कि फलानी तारीखको पासबुक लेनेआवे जबकि हिसाबदारको पासबुक दीजायगी तव उससे वह पहली रसीद फेर लीजायगी और पासबुक पाने के मध्ये हिसाब दारसे एक एक नालेजमेंटपर दस्तख़त करालियेजांयगे सदर डाकघर से रुपये की तादाद जो पहले जमा-हुआहै पासबुक में लिख दीजायगी और हिसाबदार को इससे दिलजमई हो जायगी कि रुपया उस डाकख़ाने

में पहुंचगया हिसावदार को उस रसीद के फेरदेने से पहले भलीभांति देखलेना चाहिये कि पासवुक और रसीद में रक़म एकही लिखी है॥

पासवुक और उसका प्रयोजन॥

क़ायदा २१— पासवुकमें ज़िले की देशी या अंगरेज़ी भाषा में जैसी इच्छा हिसावदार की हो हिसाबदार का नम्बर और नाम डाकख़ाने का जहां से पासवुक जारीहुई हो और नाम हिसावदार का और उसका पेशा और ठिकाना लिखाजायगा पासवुक के पेशकिये विना कोई आदमी अपने हिसाव में न रुपया जमा करसक्ता है और न वापिस लेसक्ता है और जो रक़म कि पासवुक में जमा न होगी उसकी जवाबदिही डाक घरके ज़िम्मे न होगी हिसावदारों को चाहिये डाकघर से जानेके पहले अपनी पासवुक अच्छीतरह जांचलिया करें और मालूम करलियाकरें कि उसमें टीकठीक रक़म लिखी है और पासवुक वड़ी होशियारी से अपने पास रखनी चाहिये क्योंकि जो वह किसी दूसरे आदमी के हाथ लगजायगी और वह छलसे चाहे जितना रुपया हिसावदार का लेजावेगा तो उस नुक़सान की जवाब-दिही डाकख़ाने के ज़िम्मे न होगी॥

खोजाना पासवुक का॥

क़ायदा २२— पहली वार जो पासवुक हिसावदार को दीजायगी या जो उसके पूरीहोजानेके पीछे दूसरी पासवुक दीजायगी उनकी वावत कुछ दाम न लिये

जायँगे परंतु जो पासबुक खोजायगी या बिगड़जायगी या हिसाबके बन्दहोजाने के पीछे तथा हिसाब खोला जायगा तो नई पासबुकका एकरुपया लियाजायगा ॥

हिसाब जारीहोनेके पीछे रुपया जमा करनेका दस्तूर ॥

क़ायदा २३—हिसाबदार को इख़्तियार है कि उस डाकघर में जहां उसका हिसाब जारी है चाहे जितनी बार रुपया जमा करे इस शर्तपर कि जमा की जो तादाद वर्षभरकेलिये मुक़र्रर है उससे अधिक न हो रुपया जमाकरने के लिये उसको इतनीही ज़रूरत होगी कि वह रुपया अपनी किताबके साथ डाकघर में आप लेजाय या भेजदे उस रुपयेकी तादाद उसकी किताब में लिख दीजायगी और बाक़ी निकाल दीजायगी इस तरहपर जैसा कि नीचे नमूने में लिखा है—रक़म लिखी हुईके मुक़ाबिल पोस्टमास्टर साहब के दस्तख़त और मोहर तारीख़ की होकर पासबुक फेर दीजायगी ॥

तारीख़	डाकघरकीतारीख़ की मोहर	तादाद हर जमाया वापसीकी इबारतमें	तादाद जमाकी			तादाद वापिसीकी			बाकी जमा जो हिसाबदारके नाम निकले			पोस्टमास्टर के दस्तख़त
			रु:	आ:	पा०	रु:	आ:	पा०	रु:	आ:	पा	
३ अप्रैलसन् १८८३ ई०		जमा दश रुपया	१०)	...	..	..	..	..	१०)	..	..	ए.बी.सी
२५ ,,		जमापच्चीसरुपया	२५)	...	..	..	..	..	३५)	..	...	ए.बी.सी
२२ मईसन् १८८३ ई०		वापसी तीन रुपया	..	...	..	३)	..	..	३)	...	..	ए.बी.सी

क़ायदा २४—जो रुपया किसी मातहत डाकघरमें जमा हो तो पासबुकमें लिखीहुई रसीदकेसिवाय एकजुदी रसीद रुपयेकी सदर डाकघरसे भी हिसाबदारकेपास आया करेगी और अक्सरसदर डाकघर ज़िलेके सदर मुक़ाममें होंगे और यह जुदी रसीद मामूली दस्तूर के मुआफ़िक़ डाकघरकी मारफ़त मिलेगी जो यह रसीद हिसाबदारकेपास ठीकसमयपर न पहुंचे या जबपहुंचेतो उसमें कोईनिशानछीलनेका पायाजाय या उसकीरक़म पासबुक की रक़म से न मिले तो हिसाबदारकोचाहिये कि तुरंत सदरडाकघरकेपोस्टमास्टरसाहबको जिसका नाम पासबुकमें लिखाहो दरख़्वास्त भेजे और जबतक उसकोपूरा जवाब न मिले तबतक बराबरलिखतारहै ॥

रुपया फेरलेने का दस्तूर ॥

क़ायदा २५—जबकिकोईहिसाबदार रुपयाफेरलेनाचाहे तो उस्को चाहिये कि उस डाकघरमें जहां कि उसका हिसाबहो अपनी पासबुक या तो आप खुदलेजाय या अपने किसी गुमाश्ते की मार्फ़त (जिसका नाम दरख़्वास्त वापसीमें लिखना होगा) भेजदेवे और उसके साथ एक दरख़्वास्त रुपया फेरलेनेकी छपेहुये नक़्शेपर जो डाकघरसे मिलेगा दस्तख़त करके दाख़िलकरे और उसमें जितना रुपया उसकाबाक़ीहो और जितना लेना चाहेलिखदे यदि वह न लिखसक्ताहो तो आपहीजावे और दरख़्वास्तपर अपनी मोहर यानिशानी करदे और उसपर किसी गवाहके दस्तख़त करादे—जो वह और

जाने से बिलकुल लाचार हो तो दरख़ास्त पर मोहर या निशानी करके और किसी मातबर गवाह के उसपर दस्तख़त कराकर दरख़ास्तभेजदे--साहब पोस्टमास्टर हिसाबदारके हाज़िर आनेकी लाचारीकेमध्ये और दरख़ास्तकेसच्चेहोनेकी बाबततहक़ीक़ात मुनासिबकरेंगे और दिलजमई होजाने पर उस आदमी को जो दरख़ास्त और पासबुक लायाहोगा रुपया देदेंगे॥

क़ायदा २६—जोरुपयाफेरदियाजायगावहपासबुकमें लिखदियाजायगा और जिसप्रकार जमाकरने के समय बाक़ीनिकालीजातीहै वैसेही नईबाक़ी निकाली जायगी और दस्तख़त साहब पोस्टमास्टरकेहोंगे और डाकघर कीतारीख़कीमोहर लगादीजायगी--फिर रुपयाहिसाबदारको वा उस मनुष्य को जो पासबुक और दरख़ास्त लायाहो दियाजायगा और रसीद उसकी एक नक़्शेपर लीजायगी जिसका नाम वारंट अर्थात् हुक्मनामा रुपया देनेका है और उस रसीदपर टिकट रसीद का किसी हालत में नहीं लगाया जायगा॥

क़ायदा २७—जोकिसीमातहतडाकघरसे रुपयावापिस लेनाहै तो जबतक रुपयादेनेका हुक्मनामा*सदरडाकघरसे न आवेगा रुपया न मिलेगा इसलिये हिसाबदार से या जो मनुष्य पासबुक और दरख़ास्त लावे उस से कहदिया जायगा कि फ़लानी तारीख़को रुपयालेने के

---

* सिवाय सिलेकृट सबआफिस यानी उनख़ास२ मातहत डाकघर जिनको रुपया देनेका हुक्मनामा जारीकरनेका इख़्तियार दियागया है॥

लिये डाकघरमें आवे और पासबुक उस को उसीसमय फेर दीजायगी जब रुपया देदिये जाने का हुकमनामा पहुंचजाय उसके पीछेमुक़र्रर कीहुई तारीख़पर या उसके पीछे जब पासबुक पेश कीजायगी रुपया हिसाबदार को या उस मनुष्य को जो पासबुक लावेगा दियाजावेगा और रुपया देने के हुकमनामे पर रसीद लीजायगी और रसीद का टिकट उसपर किसी हालत में न लगायाजायगा--फिर रक़म पासबुक में लिखदीजायगी और उसपर दफ़्तर की मोहर और सब पोस्टमास्टर के दस्तख़त होजायँगे॥

सूद अर्थात् व्याज॥

क़ायदा २८—उनशर्तों पर जो इस क़ायदे में लिखी हैं और जब तक कोई दूसरा हुकमजारी न हो हरजमापर वर्षौड़ी व्याज३॥।) सैकड़ा दिया जायगा यह व्याज महीने महीने उस बाक़ीपर फैलाया जायगा जो कमसे कमहिसाबदारकी जमामें महीनेकी ४ तारीख़से अख़ीर तारीख़ तक निकले और हर एक पूरे पांच रुपये पर व्याज तीन पाई अर्थात् एक डबल पैसा महीने के हिसाबसे फैलाया जायगा और यह कि चाहे जितना रुपया किसी का जमाहो पर कुल व्याज ६।=) महीनेसे ज़ियादह उसको न दियाजायगा--परन्तु हिसाबजोमुवाफ़िक़ क़ायदे ८,९,१०, केजारी कियेजावें उसके लिये यह बन्धन नहीं है॥

क़ायदा २९—हर वर्ष में ३१ मार्च के पीछे ऊपर के

क़ायदेके मुवाफ़िक़ ब्याज हरमहीनेका फैलाकर ब्याज की रक़म हर एक हिसाबकी बाक़ी अर्थात् मूल में जोड़ दीजायगी इसलिये हिसाब दारोंको इत्तिला दीजावेगी कि अपनी २ पासबुक पेशकरें ताकि उसमें रक़मब्याजकी चढ़ादीजावे अगर डाक घरसे हिसाबदारों को इत्तिला भेजेजाने के बाद सूदकी रक़म दर्ज कराने के लिये पासबुक पेश न कीजावेगी तो ३१ मार्च के पीछेजब रुपया जमाकरने या वापिसलेने के लिये पासबुक पेश कीजायगी तब उसमें रक़म ब्याज की चढ़ादीजायगी॥

शरह—इस क़ायदेके अनुसार सब आफिसके हिसाब दारोंकी पासबुक ब्याज चढ़ाने के लिये हेडआफिस को भेजीजावेगी॥

एक जगह से दूसरी जगह को हिसाबका तब्दील करना॥

क़ायदा ३०—हर हिसाबदार को इख़्तियार है कि बिनाख़र्चा अपना हिसाब चाहे जिस डाकघरको जहां सेविंगबंक का काम होताहो तबदील कराले इसशर्तपर कि उसडाकघरमें जहांसे हिसाब बदलायाजावे तब्दील होनेकी तारीख़ से तीन महीने पहले वह हिसाब जारी रहचुकाहो जो वह हिसाब बदलवाना चाहे तो अपनी पासबुक डाकघरमें खुदलेजावे या पासबुकमज़कूरको साथ तहरीरी दरख़्वास्त तबदीली हिसाब के डाकघरमें भेजदे--किताब अर्थात् पासबुकसाहबपोस्टमास्टर रखलेंगे और एक सार्टीफ़िकट जिसमें रक़म जमाकी दर्जहोगी उसको देदेंगे—जब कि यह सार्टी-

फ़िकट उस डाकघर में जहां को हिसाब बदलागयाहै पेश किया जायगा तब वहांसे उसको उसकी पासबुक वापिस मिलेगी प्रेसीडेन्सीके सेविंगवंकके हिसाबदार को भी इख्तियारहैकि उस मुक़ामके प्रेसीडेन्सीसेविंग वंक को दरख़्वास्त देकर चाहेजिस डाकघर की सेविंग- वंकको अपनेहिसाब की बदली विना ख़र्चा कराले ॥

बन्द करना हिसाब का ॥

क़ायदा ३१—जब कोई हिसाबदार अपना हिसाबबंद किया चाहे तो उसको अपनी पासबुक और वापसीकी दरख़्वास्त जिसमें पूरी बाक़ी जो उसके हिसाबमें निकले लिखकर दाख़िल करना चाहिये जिस तारीख़ को दरख़्वास्त दाख़िल होगी उसके पिछले महीने को अख़ीर तारीख़ तक का व्याज फैला कर व्याजकीरक़म किताब में लिखी जायगी और अख़ीर बाक़ीनिकाल दीजायगी फिर कुल रुपया व्याज समेत हिसाबदारको देदिया जायगा और उसकी रसीद रुपया देदेनेकेहुक्म- नामेपर ले लीजायगी और किताब डाकघरमें रखली जायगी और जो हिसाब बंद करनेकी दरख़्वास्त किसी मातहत डाकघरमें पेशकीजाय तो वैसीही कारवाई होगी जैसी रुपयेके फेरनेके मध्ये होतीहै सिवाय इसके कि हिसाबदारकी किताब डाकघरमें रखली जायगी॥

क़ायदा ३२—यदिकंट्रोलर साहबके हुक्मसे किसीका हिसाब बन्द किया जायगा तो हिसाबदारके पासइत्ति- लाअलिखकर भेजदी जायगी जिससे वह अपनी किताब

जितना जल्द होसके पेशकरे और जो कुछ रुपया उसके हिसाब में बाक़ी निकले लेजावे -इत्तिलादेनेकी तारीख़से हिसाब में फिर रुपया जमा न होगा और गये महीने तकका ब्याज लगाकर फिर ज़्यादा ब्याज नहीं दिया जायगा ॥

दुबारा हिसाब जारी करना ॥

क़ायदा ३३—जो हिसाबदार अपना हिसाबबन्दकर देवे वह हिसाब के बन्दकरनेकी तारीख़ से तीनमहीने तक साहब कंट्रोलर बहादुर के हुक्मबिना फिर हिसाबजारी नहीं करसक्ता और जिस हिसाबदारका हिसाब कंट्रोलर साहबके हुक्मसे बन्दकियागया है वह किसी सूरत में बिना उनके हुक्म के नया हिसाब जारी नहीं कर सक्ता ॥

अख़्तियार साहब पोस्टमास्टर जनरलके ख़ास मामिलोंमें ॥

क़ायदा ३४—यदि कोई मनुष्य अपना रुपया डाकघर के सेविंगबंकमें छोड़कर मरजाय और यह रुपया एक हज़ारसे ज़्यादा न हो और यदि सुबूत वसीयत नामा या तर्काके प्रबन्धकी चिट्ठी या सार्टीफ़िकट जो ऐक्ट २७ सन् १८६० ई० के अनुसार मिलता है उसके मरनेकी तारीख़ से तीनमहीने के भीतर साहब पोस्टमास्टर जनरल के इजलास में पेश न होतो उनको अख़्तियारहै कि वह रुपया उस मनुष्य को देदेवें जो उनके विचार में उसके पानेका हक़दार मालूम हो या मरेहुयेकी जायदादका इन्तिज़ाम करता हो ॥

क़ायदा २५—अगर ऐसे हिसाबदार का रुपया एक हज़ारसे ज़्यादा होतो वह रुपया सबूत वसीयत नामा या चिट्ठी एहतिमाम तर्का या सार्टीफ़िकट जो मुवाफ़िक़ ऐक्ट २७ सन् १८६० ईसवीके मिलता है पेश करने पर दिया जायगा सिवाय उस सूरतके जब कि साहब डैरेक्टर जनरल बहादुर डाकख़ाने जातहिन्द ख़िलाफ़ कारखाई मज़कूर हुक्म करें। साहब मज़कूर को इख़्तियार है कि अगर मुनासिब समझें तो ऐसी सूरतों में सबूत सार्टीफिकेट वग़ैरः तलब न करें जबकि उनकी समझमें सार्टीफिकट वग़ैरः तलबकरने में दिक़्क़त मालूम होती हो और उसके न तलब करने में जाहरा कुछ अंदेशा न हो जो कोई हिसाबदार पागल होजाय या किसी और कारणसे अपने काम काज करनेके लायक़ न रहे और यदि ऐसे पागल पने या लाचारीका भली भांति सुबूत साहब पोस्टमास्टर ज़नरल बहादुर को होजाय तो उनको अधिकारहै कि उसकी जमासे किसी जायज़ आदमीको जबर ज़रूरत हो रुपया दियाकरें॥

ख़रीद और फ़रोख़्त और सुपुर्दगी प्रामेसरी नोट सर्कारी॥

प्रामेसरीनोट सर्कारी का मोललेना॥

क़ायदा २६— डाकघरके मार्फ़त हर असली हिसाबदार सेविंगबंक डाकख़ाने का अपनी जमा के रुपये से या उसके एक हिस्से से प्रामेसरी नोट सर्कारी ख़रीद कर सक्ताहै। हर ऐसे हिसाबदार को यह भी अख़्तियार है कि डाकघर के मार्फ़त एकसाल के अन्दर प्रामेसरी

नोट सर्कारी एक हज़ार रुपये की ज़ाती मालियत के और कुलमिलाकर तीनहज़ार रुपयेके ख़रीद करे और जो कुछ रुपया उस्की जमा से ज़्यादा वास्ते ख़रीदने नोट मज़कूर के दरकार हो वह नक़द दाख़िल करे। जो हिसाबदार ऊपर लिखेहुये क़ायदेके बमूजिब प्रामेसरी नोट ख़रीदना चाहे तो उस्को चाहिये कि तहरीरी दरख़्वास्त मय अपनी पासबुक के डाकघर में पेशकरे तब उस्की दरख़्वास्त पास साहब कन्ट्रोलर महकमा डाक के भेज दीजायगी और वे ख़रीद नोटका इन्तिज़ाम माफ़ंत साहब कन्ट्रोलर जनरल के करेंगे॥

(अ) काग़ज़ क़र्ज़ा सर्कारी अर्थात् नोट सूदी चार रुपये सैकड़ा बर्षौंड़ी ब्याज का ख़रीद किया जायगा परंतु जो दरख़्वास्त साढ़ेचाररुपये ब्याजकेकाग़ज़के लिये होगी तो वही ख़रीदा जायगा॥

(ब) यदि ख़रीदार चाहे तो ख़ासदरख़्वास्त करसक्ता है कि नोट साहब कन्ट्रोलर जनरल की सुपुर्दगीमें रहे ऐसी सूरत में जो कन्ट्रोलर साहब ज़रूरत समझेंगे तो उस नोटके पलटे नोट सर्कारी चाररुपया सैकड़ेबर्षौंड़ी ब्याजवाला १८६५ ई० का ख़रीद करलेंगे—जो नोट साहब कन्ट्रोलर जनरलकी सुपुर्दगीमेंहों उसकेफेरलेने के लिये ख़रीदार को अख़्तियार है कि जब चाहे अपने मुक़ामके डाकघरकी मारफ़त दरख़्वास्त करे--यदि इस दफ़ाके अनुसार दरख़्वास्त सुपुर्दगी नोट न कीजायगी तो साहब कन्ट्रोलरजनरल के ख़रीदेहुये नोट ख़रीदार

डाकघर की मारफ़त भेजेजायँगे और सूद मिलने के लिये उनपर नाम ख़ज़ाने सर्कारी का जहां ख़रीदार मुक़ाम है लिखाजायगा॥

फ़रोख्त प्रामेसरी नोटसर्कारी॥

क़ायदा ३७—हर हिसाबदारको इख़्तियारहैकिडाकघरकी मार्फ़त वास्तेबेचने प्रामेसरीनोट सरकारी के जो उस्के लिये डाक घरकी मार्फ़त ख़रीदेगयेहों दरख़्वास्त करे चाहे नोट मज़कूर उसीके पास मौजूद हों या उस्की तरफ़से साहब कन्ट्रोलर जनरल्ल की सुपुर्दगीमेंहों अगर दरख़्वास्त के साथ नोट पेश किये जायँ तो उनकोकंट्रोलर जनरल्ल साहब के नाम बेचे करदेना चाहिये॥

प्रामेसरीनोट सर्कारी को सुपुर्दगी में रखना॥

क़ायदा३८—हिसाबदारचाहे तो सेविंगबंकडाकख़ाने में नोट सर्कारी इस ग़रज़से पेश करसक्ताहै कि वेसाहब कंट्रोलर जनरल्लकी सुपुर्दगीमें रहें जो नोट इसतरह पर पेश किये जावें उन्की ज़ाती मालियत एकसालके अन्दर एक हज़ार रुपया और कुल मिलाकर तीन हज़ार रुपयासे ज़्यादा न होनी चाहिये जो नोट इस तरह पर पेश किये जावें उनको कंट्रोलर जनरल्ल साहब के नाम बेचे करदेना चाहिये॥

सूदयाबी ब्याज प्रामेसरी नोटसर्कारीका॥

क़ायदा३६—जब तक नोट सर्कारी साहब कंट्रोलरजनरल्लके सुपुर्दगी में रहेंगे तब तक उनका ब्याज जिस वक्त वाजिब होगा वसूल करके उसक़ास के डाकख़ाने

को जहां हिसाब दार रहता है मारफ़त कंट्रोलर साहब मुहकमे डाकके भेजदियाजायगा कि हिसाबदार के हिसाब सेविंगबंकमें जमा करलियाजावे ॥

फ़ीस

क़ायदा ४०—नीचेलिखेहुयेहिसाबसे फ़ीसलीजावेगी ॥

ख़रीद करनेके मध्ये ।) सैकड़ा

वसूल करने और ब्याजभेजनेकेमध्ये—सूदपर ।) सैकड़ा

सुपुर्दगीमेंसे फेर लेनेकेमध्ये ।) सैकड़ा

परंतु जो तारीख़ ख़रीदसे एक वर्षके भीतर फेरलेने को दरख़्वास्त की जाय तो कुछ फ़ीस न लीजायगी ॥

बेंचनेकी बाबत ।) सैकड़ा औरख़र्च दल्लाली जो लगे